6.1

आचार्यविश्वनाथदेवविरचितः

साहित्यसुधासिन्धुः

हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी एवं अनुक्रमणिकाओं से संवलित आलोचनात्मक संस्करण

डॉ॰ [illegible]प्रताप

ग्रन्थपरिचय

आचार्य विश्वनाथदेवकृत साहित्यसुधासिन्धु भारतीय काव्यशास्त्र का संग्रहग्रन्थ है। भरत-नाट्यशास्त्र से लेकर आधुनिक समय तक लगभग २००० वर्षों से चली आ रही काव्यशास्त्रीयग्रन्थों की सुदीर्घ परम्परा में कई ऐसे ग्रन्थरत्न हैं जो महत्त्वपूर्ण होते हुए भी प्रकाश में नहीं आ सके हैं। इन्हीं में से आन्ध्रदेशीय विद्वान् आचार्य विश्वनाथ देवरचित साहित्यसुधासिन्धु नामक यह ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के अमुद्रित होने के कारण विद्वानों का ध्यान अभी तक इसकी ओर नहीं गया है। इसकी रचना सन् १५९२ ई० में वाराणसी में की गई थी। रुद्रटकृत काव्यालङ्कार, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण और साहित्यरत्नाकर की भाँति इस विशाल ग्रन्थ में भी काव्यशास्त्र में प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तों तथा उपयोगी तत्त्वों का समावेश किया गया है। रसगङ्गाधर को छोड़कर शेष सभी काव्यशास्त्र-विषयक प्रधान ग्रन्थों से उत्तरवर्ती होने के कारण इसमें अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का परिष्कृत रूप में समावेश है। इस ग्रन्थ की विषय-प्रतिपादनशैली तथा विश्लेषणात्मक दृष्टि कहीं कहीं अपने से पूर्ववर्ती ग्रन्थों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट एवं अधिक स्पष्ट है। इस ग्रन्थ के सही मूल्याङ्कन के लिए सभी प्रमुख आचार्यों की रचनाओं के साथ अभी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। इसके बाद ही इसका काव्यशास्त्र में निश्चित स्थान निर्धारित किया जा सकेगा। अपने विशिष्ट गुणों के कारण प्रकाशित होते ही यह ग्रन्थ भारतीय काव्यशास्त्र के क्षेत्र में विशेष स्थान बना लेगा ऐसी आशा है।

इस पुस्तक का सम्पादन तथा टिप्पणियों समेत हिन्दी अनुवाद अनेक हस्तलिखित प्रति-लिपियों की सहायता से किया गया है। अबसे ४०० वर्ष पहले लिखे गये इस ग्रन्थ को प्रथम बार मुद्रित एवं प्रकाशित किया जा रहा है।

ĀCĀRYA VIŚVANĀTHADEVA'S

SĀHITYASUDHĀSINDHU

(Critically edited with Hindi translation, annotations and Indexes)

Editor and Commentator

RAM PRATAP

Vedalankar, M. A., Sahityacharya, Ph.D

Reader. P.G. Department of Sanskrit

Jammu University, Jammu Tawi

1978

BHARATIYA VIDYA PRAKASHAN

DELHI VARANASI

(INDIA)

Publisher

BHARATIYA VIDYA PRAKASHAN

1. 1-U.B., Bungalow Road,
   Jawahar Nagar, Delhi-110007, (India)
2. Post Box No. 108, Kachauri Gali,
   Varanasi-1 (India).

First Edition : 1978
Price : Rs. 37.00

Published with the Financial Assistance from the Ministry of Education and Social welfare, Government of India.

Printed :
Amar Printing Press (Sham Printing Agency).
8/25 Double Storey, Vijay Nagar, Delhi-110009

आचार्यविश्वनाथदेवविरचितः

साहित्यसुधासिन्धुः

हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी एवं अनुक्रमणिकाओं से संवलित आलोचनात्मक संस्करण

सम्पादक एवं व्याख्याकार
रामप्रताप
वेदालङ्कार, एम० ए०, साहित्याचार्य, पीएच० डी०
रीडर, स्नातकोत्तरसंस्कृतविभाग
जम्मूविश्वविद्यालय, जम्मू तवी

भारतीय विद्या प्रकाशन
दिल्ली वाराणसी
(भारत)

प्रकाशक
भारतीय विद्या प्रकाशन
१. १. यू० बी० बैंगलो रोड, जवाहरनगर,
दिल्ली—११०००७
२. पो० बा० १०८, कचौड़ी गली,
वाराणसी—२२१००१

सम्पादक

प्रथम संस्करण : १९७८
मूल्य : रु० ३७.००

भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मन्त्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान सहायता से प्रकाशित ।

मुद्रक : अमर प्रिंटिंग प्रेस (शान प्रिंटिंग एजेन्सी), ८/२५ विजयनगर, दिल्ली-९

डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामि
महाभागानां करकमलेषु
सादरमुपायनीक्रियते
[illegible]
20-8-85

अरविन्ददर्शन के व्याख्याता,
भारतीयसंस्कृति एवं संस्कृतभाषा के उन्नायक,
प्रतिभाशाली विद्वान्,
कला एवं साहित्य के मर्मज्ञ,
सहृदय मानव,
कुशल राजनेता तथा सुसंस्कृत संसत्सदस्य
डा० कर्णसिंह जी
के करकमलो में सादर समर्पित

FOREWORD

The editing of original Sanskrit works lying in private and public libraries in India and abroad is a sacred duty of Sanskrit scholars. Since the middle of the 19th century when the British Government initiated the work of search for Sanskrit MSS., manuscript libraries came into existence in many parts of the country. Some enlightened Indian princes like Maharaja Ranbir Singh of Jammu & Kashmir established manuscript libraries at their personal expense and thus saved from extinction many valuable works which otherwise would have been eaten up by moths or thrown into rivers or used by grocers. About a million MSS. covering some 70000 separate works are supposed to be covered by New Catalogus Catalogorum being published by the University of Madras. Only a sprinkling of this huge MSS. material has been published so far. In this respect we are far behind Europe where every Greek and Latin manuscript has seen the light of the day. It is therefore, gratifying to know that some of our Universities, Research institutes and individuel scholars have undertaken this painstaking work of editing and publishing the rich source material of Indian culture. Dr. Ram Pratap of the University of Jammu deserves congratulations for enriching our knowledge of the past by bringing into light this hitherto unpublished work on Indian Poetics, namely Sāhitya-sudhāsindhu of Viśvanāthadeva. I hope the scholars and students of Sanskrit will find this work interesting and illuminating.

Professor & Head,
Department of Sanskrit
Jammu University
1-1-78.

—Ved Ghai

EDITORIAL

Sāhityasudhāsindhu, a notable work on Indian Poetics was written by a South Indian scholar Viśvanāthadeva at Varanasi in 1592 A.D. As this book has not been published as yet and is found only in a manuscript form, it could not attract the attention of scholars, though all aspects of Indian Poetics are dealt with in it. According to the information available upto this time only three manuscripts of the work are preserved in Shri Ranavira Sanskrit Research Institute, Shri Raghunath Temple Library, Jammu, another in Rajasthan Oriental Research Institute Library, Alwar and the third in Oriental Research Institute, Shri Veṅkaṭeśvara University, Tirupati.

Just like Mammaṭa who in his Kāvyaprakāśa has incorporated and presented in a systematic way the views of all his predecessors, this writer also presents before us a complete scheme of Poetics incorporating the ideas of all the thinkers in this field upto the end of the 16th century A.D. His keen insight into the theories propounded by his predecessors, his lucid style of explaining and discussing them, his brevity of exposition bringing scattered and vast material into a definite focus and his own creative ability have made his work so important that he can claim to stand in the line of great pioneers of Sanskrit Poetics. As such, this critical edition of Sāhityasudhāsindhu is going to bring into light an intelligent and meritorious poetician who unfortunately has remained unnoticed upto now.

This book is divided into eight chapters called Taraṅgas dealing with different topics of Sanskrit Poetics. The author has quoted different theories of different scholars regarding various topics and has shown his originality and independence of judgement at various places.

In the first chapter he deals with the purpose of poetry, definition of poetry and three varieties of Kāvya. In this discussion we get a glimpse of his critical outlook.

In the beginning of the chapter the author has placed the view of former Ācāryas regarding definition of poetry in two categories. Under the first category come those who regard the existence of poetry both in word and sense. He has not mentioned

the names of propounders of this view but it seems he is referring indirectly to Bhāmaha, Udbhaṭa, Rudraṭa, Ānandavardhana and Mammaṭa. Under the second category are placed Caṇḍīdāsa and others who consider the existence of poetry in word. He has refuted the view by arguing thus: If word and sense are both to be regarded as Kāvya then one would have to believe in the existence of two Kāvyas, viz. *Shabdakāvya* and *Arthakāvya*, but it is not possible for them to co-exist.

Those who consider poetry in word only have been refuted thus. Delight is obtained not only through words but also through the objects denoted by those words. The objects are created by Brahmā, the creator of the world and not by the poet. Hence, it has been argued by some that poetry which is the creation of the poet should be limited to words only. But here as pointed out by this author, the difficulty is as to whether poetry consists of words which express objects giving delight or poetry is delight-giving object expressed by words. Arguments can be given in favour of both these interpretations.

The author seems to be a staunch supporter of the view of Bhojarāja in which the former includes the word Rasa and he has laid more stress on the attainment of the highest delight which is the main purpose of poetry.[1] Here in his statement he uses the word *Akhaṇḍa* which may have threefold meaning: (1) Union of word and sense (2) Synthesis of Vibhāvas (Excitants) Anubhāvas (Ensuants) and Vyabhicāribhāvas (Variants) with Sthāyibhāvas (Permanent emotions), (3) Union of knowledge and supreme delight. Thus he advocates that real poetry is a combination of these aforesaid elements and it exists for giving the highest bliss. His own definition of poetry is as follows: The sentence mere listening of which gives birth to the highest delight akin to the taste of ultimate reality, is called poetry.[1] The use of the term *Brahmānandasahodara Paramānanda* (The highest delight like *Summum bonum*) in this definition clearly means that poetry does not give pleasure of an ordinary type but renders an extraordinary type of pleasure comparable to the highest bliss.[2]

१. वस्तुनस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तदेव लक्षणमस्तु किमनेनानुगतेन लक्षणेन ।
सा० सु० सि० १, ४ वृत्तिभागः पृ० ७

२. जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः ।
यस्य श्रवणमात्रेण तद् वाक्यं काव्यमुच्यते ।।
तत्रैव 1,4

Here he is right in laying more stress on the highest delight which is the main purpose of poetry.

He also does not favour Mammaṭa's threefold division of poetry into the best, the mediocre and the lowest, because Rasa (sentiment) is present in all of them and the Rasa being the highest delight cannot be described as mediocre or the lowest.[1]

In the second chapter Viśvanāthadeva takes up the definition of word and its three forms: expressive (Vācaka) indicative (Lakṣaka) and suggestive (Vyañjaka). He further gives the definition of sense (Artha) and its three varieties: expressed sense (Vācya) indicated sense (Lakṣya) and suggested sense (Vyaṅgya), definitions of the three varieties of the function (Vyāpāra) of word: denotation (Abhidhā), indication (Lakṣaṇā) and suggestion (Vyañjanā). He explains clearly that one single word can serve at different times as Vācaka, Lakṣaka and Vyañjaka. So actually it is the power of a word which is threefold and not the word itself. For example, in a sentence like Gaṅgāyām Ghoṣaḥ=House on the Gaṅgā, the word Gaṅgā literally means a particular stream of water, this primary meaning may be suitable in a place like Srinagar, where we have houseboats in water. Here the word 'Gaṅgā' is expressive (Vācaka). At other places where this literal meaning is found unsuitable we understand by it the river bank by means of indication (Lakṣaṇā). Here the word 'Gaṅgā' is indicative (Lakṣaka). As the word 'Gaṅgā' here is used with a special motive of conveying coolness and purity, this word is also suggestive (Vyañjaka). The one and the same word 'Gaṅgā', is expressive when denoting literal meaning of stream of water, is indicative when indicating the secondary meaning river bank and is suggestive when suggesting the third meaning of coolness and purity.[2]

Discussing Vācaka Śabda and its power Abhidhā, Viśvanātha deva, has raised the question of Saṅketa or convention. The

---

१. वस्तुतस्तु अनुचितोऽयं ध्वनित्वादिना विभागः तथा हि एतेषु त्रिषु रसादिकं न प्रतीयते प्रतीयते वा। नाद्यः तदा काव्यत्वविरहापत्तेः। अथ प्रतीयते तदा कथं ध्वनित्वादिना विभागः।

सा० सि० सु० १,७ वृत्तिभागः पृ० २६

२. अत्रोपाधीनामेव त्रित्वं न तु उपाधेयस्य अन्यथा एकस्यैव गङ्गाशब्दस्य त्रिरूपत्वापत्तेः।

तत्रैव २,१० वृत्तिभागः पृ० ३२

problem is, does the meaning of a word refer to universals (Jāti) or to a particular individual (Vyakti) ? Like other rhetoricians he also refutes Mīmāṁsakas, according to whom, word signifies the Jāti alone primarily. His standpoint in this matter is that although a word signifies primarily universals but in certain cases it does signify individual too. The word Ākāśa (the sky) refers to an individual object and does not belong to universals (Jāti).[1]

While discussing Lakṣaṇa (indication) he gives four divisions of the same and considers the classification into Śuddha Lakṣaṇa (pure indication) and Gauṇī Lakṣaṇa (qualitative indication) as futile because the element of similarity is present in both of them.[2]

Further, like other predecessors of Dhvani or Rasa schools he shows an example of suggestive words containing suggested meaning. Here in the verse त्वं क्वापि गत्वा वस (you should go from here and live elsewhere) these words convey this second meaning that you should stay here with me to enjoy yourself in my company.[3]

Before presenting his view-point in favour of Dhvani theory he quotes Mīmāṁsakas 'The action of the word is like that of an arrow, its reach being prolonged further and further, so that in whatever sense a word may be used, that is the meaning expressed or denoted by it. Thus then even in the case of the verse Niḥśeṣacyuta-

---

१. आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां जातावेवाभिधा मता ।
ईश्वरेच्छातिरिक्ता वा सेत्यत्रापि न नो ग्रहः ॥१२॥
यत्र वाकाशादिपदेनानन्त्यव्यभिचारस्तत्र सा व्यक्तावपीति नानुपपत्तिः ।
सा० सु० सि० २,११-१२ वृत्तिभागश्च, पृ० ३२

२. वस्तुतस्तु चतुर्भेदैव लक्षणा । तथाहि शुद्धभेदेष्वपि गौणीत्वस्यैवाङ्गीकारात् । आयुर्घृतमिति गङ्गायां घोष इत्यादि च तादृशशैत्यपावनत्वादिगुणयोगादेवापरार्थबोधकमिति नव्याः ।
तत्रैव २,१८ वृत्तिभागः, पृ० ५०

३. एतस्याश्चतुरो न चास्ति रमणो वृद्धोऽपरस्याः पुन-
र्ग्रस्तश्चापि परं चिरन्तनरुजाऽन्यस्याः परस्याः शिशुः ।
एतस्या बहिरेव तिष्ठति कृषिव्यापारवान् किं पुनः
स्थानं पश्यसि नैव वेत्सि पथिक त्वं क्वापि गत्वा वस ॥
अत्र वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्येन तत्रैवावस्थानं ध्वन्यते ।
तत्रैव २,१६ वृत्तिभागश्च, पृ० ५१

Candanam, etc; the affirmation (you had gone to enjoy yourself in my lover's company it has been held to be suggested meaning) is what is really only expressed or denoted by it.[1]

Viśvanāthadeva refutes this theory and argues thus—Every direction is said to have its sense in the injunction of that particular factor only which forms its direct objective. So that the 'sense' or import can apply only to what is directly expressed by the word actually used, and not to anything and everything that may be implied (by it); otherwise the expression 'the former man is running' would have to be regarded as having its sense applying to the notion of the latter also.[2] So the affirmative sense of the said verse cannot be regarded as word meaning, it must be regarded as the object of suggestion.

Further, he presents different contentions of Lakṣaṇāvāda and Anumānavāda regarding Vyañjanā and refutes them producing some new arguments.[3]

In the third chapter are described the various subdivisions of Dhvani (suggestion), definitions of Vibhāva (Excitant), Anubhāva (Ensuant), Vyabhicāribhāva (Variant), and Sthāyibhāva (permanent emotion), the form of Rasa (sentiment) and the procedure of Rasāsvāda (taste for poetical composition), the theory of Sādhāraṇīkaraṇa (universalization), twelve sentiments and twelve permanent emotions, definition of all Rasas and Bhāvas along with illustrations. He also shows distinction between a sentence full of sentiment and a sentence without sentiment like this : स्त्री पश्यति (The woman beholds), this sentence does not appear to appeal because it does not convey any fine sentiment. On thc other hand,

---

१. केचित्तु यत्परः शब्दः स शब्दार्थं इति न्यायाद् व्यङ्ग्येऽर्थे शक्तिरेव ।

सा० सु० सि० २, १६ वृत्तिभागः, पृ० ५३

२. तत्र नार्थः । यत्परः शब्दः स शब्दार्थं इत्यस्यायमर्थः—यदंशे विधेयत्वं तत्रैव तात्पर्यं न तु शब्दश्रवणानन्तरं प्रतीतमात्रे । ......पूर्वो धावतीत्यत्रापरार्थेऽपि शब्दप्रामाण्यं स्यात् ।

तत्रैव पृ० ५२

३. परे तु लक्षणयैव व्यञ्जनान्यथासिद्धिः । तार्किकास्त्वनुमानेनेति ।......नापरः । गङ्गायां घोष इत्यत्र प्रवाहे 'बाधात् तीरे लक्षणा । ......लक्षणाद्वयाङ्गीकारे तु यया शैत्यपावनत्वाद्युपस्थितिः सैव व्यञ्जना ।...न च प्रभुनिदेशाद्यनुपाधिकत्वेन भ्रमणं विशेषणीयमिति क्व व्यभिचार इति वाच्यम् । एतादृशस्य साध्यस्य पश्चादनुपस्थितेः । यावदुपस्थितं तावद् व्यभिचार्येव ।

तत्रैव, पृ० ५२-५६

कान्ता विलोकयति ('the charming and beautiful lady looks on amorously') is a far better composition as in it, erotic sentiment is obvious.[1]

In the fourth chapter are defined and illustrated the eight varieties of Guṇībhūtavyaṅgya (subordinated suggestion). In the beginning of the fifth chapter he asserts that it is Doṣa (flaw) which mars all beauty of a poem.[1] In this chapter he deals with sixteen flaws occuringin word words and sentences, flaws of sentences and twentythree flaws of sense. The writer has also shown the inclusion of many flaws into others and thus has reduced the total number of flaws, for example, the flaws Vyāhata (contradictory or inconsistent), Duṣkramatva (irregular) Grāmya (vulgar), Prakaśitaviruddha (opposed to popular notations) and Anucitārtha (improper signification) can be put under one head Anucitārtha.[2] This treatment of flows is definitely superior to that of Mammaṭa and has some novelty.

The sixth chapter covers the following topics—definition of Guṇa[4] (excellence) and its three varieties with their definitions and illustrations, three varieties of style. The difference between Guṇa (excellence) and Alaṇkāra (figure of speech),[5] definition and

---

१. पश्यति स्त्रीति वाक्ये हि न रसः प्रतिभासते ।
विलोकयति कान्तेति व्यक्तमेव प्रतीयते ॥

सा० सु० सि० ३,२७ वृत्तिभागः, पृ० ६४

२. येषां ज्ञानाच्चमत्कारो न सम्यगुपजायते ।
सालङ्कारगुणेऽप्यत्र ते दोषाः परिकीर्तिताः ॥
दृष्टो हि लोके सगुणोऽपि सालङ्कारोऽपि सदोषत्वेन ज्ञातो न यथा चमत्करोति तथा काव्यमपि ।

तत्रैव ५,८१-८२ वृत्तिभागश्च, पृ० १६१

३. इति प्राचां दोपास्ते उक्तदोषेष्वन्तर्भवन्तीति न पृथक् प्रतिपादिताः ।
व्याहतस्य अनुचितार्थेऽन्तर्भावः ।

तत्रैव ५, १२४ वृत्तिभागः, पृ० २८६

४. रसत्वसमानाधिकरणत्वे सति उत्कर्षहेतुत्वं गुणत्वम् ।

तत्रैव ६, १३५ पृ० ३१७

५. ननु कथं तर्ह्यलङ्काराद् गुणानां भेद इति चेत्, उच्यते । गुणविशिष्टकाव्यशोभाकारिणो अलङ्काराः । ओजःप्रसादादीनां तु केवलानामस्ति शोभाकरत्वम् ।

तत्रैव ६, १४३ वृत्तिभागः, पृ० ३२६

illustrations of ten excellences of words and ten excellences of sense. In the end, he says, that ten excellences like Śleṣa (smoothness) etc. cannot be included in three excellences namely, Mādhurya (sweetness), Ojas (floridity) and Prasāda (lucidity)[1]. In the seventh chapter occur six Śabdālaṅkāras (verbal figures of speech) with their definitions and illustrations. In the eighth chapter he enumerates sixtyone Arthālaṅkāras (figures of speech) alongwith their definitions and illustrations, many of which, however, are shown to be incorporated into others, for example, Ananvaya (non-connection) Upameyopamā (reciprocal comparison) and Śleṣa (paronomasia) can be included in Upamā.[2] In the end of this chapter are mentioned six kinds of flaws of simile (upamā) with their definitions and illustrations. This treatment of both kinds of alaṅkāra contains some novelty as well as originality.

This brief summary of the contents of this work indicates how it covers all important aspects of Indian Poetics. It needs no justification to say that it requires the proper attention of the learned scholars. I have brought out this critical edition of the work alongwith Hindi translation and detailed notes. It is for the scholars, now to see this work in proper perspective and to give Viśvanātha-deva his appropriate and rightful place amongst the exponents of Indian Poetics. Let me hope that this work would be studied and enjoyed by the scholars for all times to come as wished by the author himself.[3]

Reader in Sanskrit
Jammu University
Jammu Tawi
New Year, 1978

—RAM PRATAP

१. यत्तु कैश्चिदुक्तम्—केचिदन्तर्भवन्त्येष्विति तन्न । शब्दार्थधर्माणां रसधर्मेषु तेष्वन्तर्भावाभावात् ।

सा० सु० सि० ६, १६४ वृत्तिभागः, पृ० ३५७

२. वस्तुतस्तु उपमाविशेषा एव सम्भवन्ति केचिदलङ्कारा: । तथाहि—अनन्वय उपमेयोपमा चोपमातो नातिरिच्येते ।

तत्रैव ८,२८४ वृत्तिभागः, पृ० ५३

३. यावत्पाटीरपङ्कद्रवमधुरसुधापूरसेकैस्त्रिलोकी-
मुच्चैः प्रीणाति विप्रप्रणतिनुतपदः पार्वणः शीतभानुः ।
वेणीदम्भोजजृम्भावितरणरसिका भानवो भान्ति यावद्
भानोस्तावद् विधत्तामयमपि च सुधासिन्धुरानन्दकन्दम् ॥

तत्रैव ८, २९१ पृ० ५४७

भूमिका

साहित्यसुधासिन्धु ध्वनिसम्प्रदाय का सङ्ग्रहग्रन्थ है । काव्यलक्षण, काव्य-भेद, शब्दशक्ति, दोष, गुण और अलङ्कार विषयों पर इस ग्रन्थ में जो विचार मिलते हैं वे प्रायः काव्यप्रकाश और उसके पश्चात् के ध्वनिसम्प्रदाय में प्राप्त होने वाले परिष्कारों पर आश्रित हैं। इस कारण इसे काव्यप्रकाश तथा अन्य ग्रन्थों का परिष्कारग्रन्थ कहना काफी दूर तक उचित है। परिष्कार में मूल की अपेक्षा कुछ अधिक सूक्ष्मता और तर्क प्रतितर्कों का समावेश रहता है। साहित्यसुधासिन्धु में भी पाठक इन विशेषताओं को आदि से अन्त तक पाता है ।

संस्कृतसाहित्यशास्त्र विश्ववाङ्मय की अनूठी उपलब्धि है । दार्शनिकों की युद्धभूमि इस भारत में ललितकलाओं के मर्मस्पर्श की ललक भी कितनी गाढ रही है कि वह गत २००० वर्षों से अभी तक अतृप्त है और काव्यकला पर मौलिक चिन्तन देती चली आ रही है । इससे जिस विशाल साहित्यशास्त्र की सृष्टि हुई है उसकी अविच्छिन्नता भी एक विशेषता है। १५०० वर्ष तो इस अविच्छिन्नता की कम से कम आयु है। भरत के बाद तीन या पाँच शतकों तक की रचनाओं को छोड़ कर शेष सभी शतकों की प्रतिनिधि रचनायें सुरक्षित रही हैं और उनमें से मुद्रित होकर जो प्रकाश में आई हैं उनसे उस रूप में अप्रकाशित रचनाओं की सङ्ख्या शायद ही कम हो। 'साहित्यसुधासिन्धु' ऐसी ही रचना है । यह ग्रन्थ पहली बार मुद्रित होकर प्रकाश में आ रहा है । भारत के कोने कोने में ऐसी अन्य रचनाएं भी इसी प्रकार प्रकाशित हो रही हैं । आश्चर्य यह है कि ऐसे ग्रन्थ आनुषङ्गिक शोध से ही प्राप्त होते आ रहे हैं । योजनाबद्ध अभियान से और क्या क्या उपलब्धियाँ सम्भव हैं यह सरलता से सोचा जा सकता है ।

बीती १५ सदियों ने साहित्यसमीक्षा को जो पाँच या छः प्रस्थान दिए हैं उनमें सबसे अधिक महत्त्व ध्वनिप्रस्थान को दिया गया। इसमें कवि, काव्य और सामाजिक तीनों को उचित स्थान मिल जाता है—कदाचित् यही हो इसकी सार्वभौम प्रतिष्ठा का मूल । आनन्दवर्धन से चले आये इस प्रस्थान में ३०० वर्षों के भीतर पर्याप्त परिवर्तन हुए और मम्मट तक आते आते आनन्दवर्धन का यह प्रस्थान कहीं का कहीं पहुँच गया । मम्मट ध्वन्यालोककार की अपेक्षा उनके टीकाकार अभिनवगुप्त से अधिक अभिभूत हैं और कुन्तक से भी। उनके समय तक अन्य शास्त्रों में भी पर्याप्त

विचारमन्थन हो चुका था। मीमांसा और व्याकरण इस मन्थन के प्रमुख केन्द्र थे। मम्मट ने उन्हें भी अभिनवगुप्त और आनन्दवर्धन के ही समान अपनाया। मम्मट की साहित्यसमीक्षा में विषयों की संश्लिष्टता श्लाघनीय थी किन्तु कुछ विषय सम्बद्ध होते हुए भी विकीर्ण थे तथा कुछ आवश्यक होते हुए भी छूटे हुए थे। परवर्ती शास्त्रज्ञों ने इन न्यूनताओं का अनुभव किया और मम्मट के काव्यप्रकाश को—पूरक सामग्री जोड़कर, दुरूह स्थलों को अधिक स्पष्ट कर और वृत्ति में आए आवश्यक विषयों पर कारिकाएँ बना कर संक्षेप या विस्तार के साथ नए सिरे से प्रस्तुत करना चाहा। ऐसे अनेक प्रयत्नों में 'साहित्यसुधासिन्धु' भी एक है। इसके रचयिता काशी के विश्वनाथदेव हैं। इसके विद्वान् सम्पादक तथा भाष्यकार का मत है कि ये रसगङ्गाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ से अधिक नहीं तो २५ वर्ष प्राचीन हैं। यदि यह सत्य है तो इस ग्रन्थ को पण्डितराज जगन्नाथ के रसगङ्गाधर का आधार ग्रन्थ मानना होगा क्योंकि इसमें अनेक वाक्य और पूर्वपक्ष ऐसे हैं जो रसगङ्गाधर में भी अक्षरशः उसी रूप में मिलते हैं। यह तो सत्य है कि विश्वनाथदेव ने रसगङ्गाधर नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने रसनिष्पत्तिप्रक्रिया में नव्यों के मत का उल्लेख नहीं किया और न गुणों पर पण्डितराज की जो क्रान्तिपूर्ण तर्कावली है उसे ही। अलङ्कारों आदि पर भी वे उतनी गहराई तक नहीं पहुँचते हैं। सम्भवतः उन शतकों और दशकों में साहित्यशास्त्र के अनेक परिष्कार निश्चितपदावली में पण्डितमण्डली में प्रसिद्ध रहे हों जिन्हें सभी ग्रन्थकारों ने समान रूप से यथावत् अपना लिया हो क्योंकि पण्डितराज जगन्नाथ भी विश्वनाथदेव के लक्षणा आदि से सम्बद्ध अनेक पक्षों पर चुप हैं। सर्वथा विश्वनाथदेव का यह ग्रन्थ एक ओर काव्यप्रकाश के और दूसरी ओर रसगंगाधर के अध्येताओं के लिए साहित्यरत्नाकर के ही समान पूरक सामग्री प्रस्तुत करता है और नवीन विचार भी। नव्यन्याय का उपयोग ग्रन्थकार ने अतीव अल्प मात्रा में किया है और विचारों की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया है। यद्यपि मम्मट की मिताक्षरा वाक् से कहीं कहीं ये भी अभिभूत हैं और अध्येता के लिए पहेली बन जाते हैं। सारोपा शुद्धा का स्थल ऐसा ही है। हिन्दी भाष्य में डा० रामप्रताप ने उसे स्पष्ट करने का स्तुत्य यत्न किया है।

विश्वनाथदेव की इस कृति में कुछेक स्थलों में कारिका और वृत्तिभाग में सामञ्जस्य नहीं दिखाई देता है। काव्यलक्षण में वे कारिका में कुछ और लिखते हैं तो वृत्ति में कुछ और। उनका काव्यलक्षण रसवादी साहित्यसमीक्षा पर निर्भर है। वे ब्रह्मानन्दसहोदर परम आनन्द की प्राप्ति के कारण काव्य को काव्य मानते हैं। वे केवल शब्द को काव्य मानते हैं। किन्तु पण्डितराज के समान नहीं अपितु विश्वनाथ कविराज अर्थात् साहित्यदर्पणकार के समान। किन्तु वृत्ति में वे शब्दार्थयुग्मतावाद का खण्डन नए सिरे से करते हैं और वे पक्ष उठाते हैं जिन्हें पण्डितराज ने भी उठाया है। किन्तु उनपर उनके निष्कर्ष या तर्क नवीन हैं। पण्डितराज ने प्रत्येकपर्याप्ति और व्यासज्यवृत्ति का उल्लेख तो किया था परन्तु इनको समझाने के लिए अपेक्षित

दण्डत्वादि तथा द्वित्वपृथक्त्वादि उदाहरण नहीं दिए थे। विश्वनाथदेव ने ये उदाहरण दिए हैं। किन्तु इन दोनों तर्कों द्वारा पण्डितराज ने जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं विश्वनाथदेव की आपत्तियाँ उनसे भिन्न और सङ्ख्या में न्यूम हैं। काव्यलक्षण में दोषाभाव, गुण और अलंकार का निवेश पण्डितराज के ही समान विश्वनाथदेव को भी मान्य नहीं है। इस विषय पर उनके विचार त्रिवेणी बन गए हैं और वे अपने ही तर्कों को काटते हुए नई नई विचारधाराएँ प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं, किन्तु अन्त में वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह स्पष्ट कर देता है कि उनका मस्तिष्क वैदिक पूर्वमीमांसक का मस्तिष्क है। कारिका में वे काव्यलक्षण सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं किन्तु वृत्ति के अन्त में वे स्वर्गविशेष की उपलब्धि को काव्यत्व का निर्णायक बिन्दु मान बैठते हैं जिससे उनका सिद्धान्त स्वर्ग में विश्वास न रखने वाले दार्शनिकों के लिए ग्राह्य नहीं रह जाता। इस प्रकार का तर्क काव्यलक्षण में साहित्यसुधासिन्धु की ही देन है। स्वर्ग को काव्य का अन्यतम प्रयोजन अवश्य माना जाता रहा है, किन्तु काव्यत्व का निर्णायक नहीं। विश्वनाथदेव ने ऐसा स्वीकार कर यदि भोजराज के मत का स्पष्टीकरण किया हो तो भी वे उपालम्भ से बच नहीं सकते, क्योंकि उनकी वाक्ययोजना से यह स्पष्ट नहीं होता कि वे किसी पूर्वपक्ष का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर विश्वनाथदेव का काव्यलक्षण विचारबुद्धि को झकझोरने में उत्तम सफलता प्राप्त करता है और इसके लिए वे स्तुत्य हैं।

'साहित्यसुधासिन्धु' की उर्वरता शब्दशक्ति के प्रसंग में वहाँ और भी स्पष्ट होती है जहाँ वे कहते हैं कि 'व्यञ्जना ही एकमात्र शब्दशक्ति है' और उसका स्वरूप है 'अर्थज्ञान कराना'। अभिधा और लक्षणा इसी में विलीन हो जाती हैं। उनका अस्तित्व केवल निर्वचन तक सीमित है शास्त्र में विधिनिषेधादि के लिए जिस अर्थबोधक असन्दिग्ध शब्दव्यापार को अपनाया जाता है उसे अभिधा कह दिया जाता है और उसे ही किंचित् अन्तर के कारण लक्षणा। मूलतः है वह एक ही और यदि उसे अभिधा कहा जा सकता है तो व्यञ्जना कहने में भी कोई हानि नहीं है। कदाचित् मुकुलभट्ट के अभिधावाद की ही यह प्रतिक्रिया है। दोनों आलोचकों का अभिमत है एक ही तथ्य—एकशक्तिवाद। अखंडशक्तिवाद और तात्पर्यवाद इसी के दूसरे नाम हैं। शब्दव्यापार को गमनादिव्यापार के समान केवल एक क्रिया मानना और उसमें प्रति तृतीय क्षण नश्वरता स्वीकार करना एक प्रकार का वैचारिक अतिरेक था। उद्‌भट की श्लेषसम्बन्धी धारणा से इस अतिरेक को प्रथम बार चोट पहुँची थी यद्यपि उस समय तक यह इतनी ऊँचाई तक उभर नहीं पाया था। उद्‌भट ने श्लेष को अर्थ और शब्द का धर्म मानकर भी उसे अलंकार अर्थ का ही माना था, क्योंकि वे प्रति-अर्थ शब्द का अन्तर स्वीकार नहीं करते थे। यह अस्वीकृति क्रिया की तृतीयक्षणनिष्ठ नश्वरता पर चोट थी क्योंकि शब्द को भी क्रिया के ही समान तृतीय क्षण में नश्वर मान लिया गया था यद्यपि शब्दनित्यता-

वेद भी अपनी जगह उपस्थित था। क्रिया और शब्द दोनों को तृतीय क्षण से आगे तक विद्यमान न मानने वाले इन महाप्राज्ञ विचारकों ने शब्दशक्तिविचार के क्षेत्र में पक्षपात से काम लिया। इन्होंने क्रिया को तो तृतीयक्षणध्वंसशक्ति मान लिया पर शब्द को नहीं। इसीलिए अभिधा के बाद अर्थबोध कराने वाली शक्ति अभिधा नहीं कही जा सकी। उसे लक्षणा आदि कहा गया किन्तु शब्द में परिवर्तन नहीं आया। अर्थात् एक साथ प्रवाहित दो तृतीयक्षणनिष्ठध्वंसी पदार्थों में से एक तो ध्वस्त हो गया पर दूसरा नहीं। वह विद्यमान ही रहा; अतः द्वितीय शक्ति को भी शब्दनिष्ठ स्वीकार किया गया। महिमभट्ट ने इसका विरोध किया और द्वितीय शक्ति या व्यापार को अर्थनिष्ठ स्वीकार किया तथा उसे शब्दशक्ति नहीं माना। किन्तु इस विरोध का खुले मस्तिष्क से स्वागत नहीं किया गया। विश्वनाथदेव भी अपेक्षित दृढ़ता के साथ आगे नहीं आए। महिमभट्ट ने शब्द में शक्ति को स्वीकार ही कैसे किया? शब्द से अर्थ का बोध शब्दज्ञान और अर्थज्ञान के ज्ञानात्मक सम्बन्ध पर निर्भर है यह मम्मट ने भी माना। क्या ज्ञान और शब्द अभिन्न और एक हैं? नहीं तो शब्दज्ञान से होने वाले बोध को शब्दमूलक कैसे माना गया? शब्द में एक भी शक्ति को स्वीकार करना प्रथम असंगति थी जिसने अनेक शक्तिवाद को जन्म दिया। महिमभट्ट उसे नहीं रोक सके, क्योंकि शब्द में शक्ति की स्वीकृति की तार्किक असंगति से वे भी दूर न थे। किन्तु सत्य उनकी प्रज्ञा में टकरा रहा था और वे उसे व्यक्त करने के लिए अपने अन्तर्मन में कहीं से कोई शास्त्रीय आधार खोजना चाह रहे थे जिसे वे मीमांसकों के दार्शनिक आधिपत्य में पा नहीं सके। विश्वनाथदेव भी उसी प्रकार की अन्तर्व्यथा का अनुभव करते दिखाई देते हैं। प्रसन्नता की बात है कि ये इस दिशा में पण्डितराज से अधिक आगे बढ़े हैं और अनुमान आदि की अनेक विरोधी युक्तियाँ शब्दशक्ति के क्षेत्र में प्रस्तुत करते हैं। मानवमस्तिष्क विविध यात्राओं का आकलन करने हेतु जितनी सूक्ष्मता, निष्पक्षता और असांप्रदायिकता की अपेक्षा रखता है आशा है उसे इन विचारकों के तर्काघात नई पीढ़ी में प्रतिष्ठित करेंगे। विश्वनाथदेव इसमें पण्डितराज आदि की अपेक्षा अधिक सहायक सिद्ध होंगे। अतः मैं इस ग्रन्थ की उपलब्धि को उत्तम भविष्य का प्रभातमंगल समझता हूँ।

साहित्यशास्त्र के और भी ऐसे प्रश्न हैं जिनको अभी तक उचित समाधान नहीं मिला है। यदि शब्द काव्य है तो अनुवाद में उसका परिवर्तन हो जाने पर भी काव्य अपरिवर्तित क्यों रहा आता है? गुण और अलङ्कार का अन्तर यदि रस की पृष्ठभूमि पर ही मान्य है तो नीरस काव्य की ललित पदावली को ललित न कह कर परुष कहना भी संभव होना चाहिए। उधर निरलंकार वाक्य को काव्य नहीं कहा जाना चाहिए। मम्मट का अलङ्कारास्फुटत्ववाद उनकी अलंकारसम्बन्धी स्थूल दृष्टि का भी परिणाम है और सूक्ष्म दृष्टि का भी। इससे स्पष्ट है कि

अलङ्कार काव्य का अपरिहार्य धर्म है, किन्तु किस रूप में ? इसका निर्णय भोजराज के उक्तित्रयवाद से होता है जिसे मम्मट ध्वनिवाद के दवाव में खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते। उधर कुन्तक का 'सालङ्कारस्य काव्यता' अथवा 'अलंकार' का ही काव्यनिष्ठधर्मिता का अवच्छेदक होना या अलंकार के बिना काव्य का काव्यत्व तक न पहुँच पाना भी मम्मट के समक्ष अप्रतिसमाधेय तथ्य के रूप में प्रस्तुत था। आनन्दवर्धन अलंकार को उपमादि तक सीमित मान कर काव्य के अपरिहार्य अंग के रूप में अस्वीकार कर चुके थे।

वामन का सौन्दर्यवाद और अलंकार का सौन्दर्यरूप अलंकार की अपरिहार्यता का वास्तविक कारण था। परवर्त्ती आलंकारिकों ने इस तथ्य को उजागर नहीं किया और वे 'अलङ्कारसार' कहे जाने वाले उपमा आदि को ही अलङ्कार समझने का अवसर परवर्त्ती अनेक शतकों को देते आए। उद्भट ने उपमादि को अलंकार न कहकर अलंकारसार कहा था और वामन ने उसी समय अलंकार को सौन्दर्य। इन गम्भीर उद्घोषों से हम विश्वनाथदेव के अलंकारनिर्णय को भी दूर पाते हैं। यह सत्य है कि सौन्दर्य के बिना काव्य काव्य ही नहीं होगा जिसे वामन सौन्दर्य कहते हैं उसी को आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट आदि चमत्कार। यह जिन तत्त्वों से काव्य में आता है वे केवल उपमादि नहीं हैं। वे पदयोजना की सांगीतिक विशेषताएँ भी हैं, जिन्हें वृत्ति और रीति के नाम से पुकारा गया। उपमा आदि उनसे और अधिक प्रभावकारी तत्त्व हैं, किन्तु कुल मिलाकर हैं तो ये सभी सौन्दर्य-जनक। सौन्दर्य ही है अलङ्कार। तब कैसे हो सकता है काव्य अलंकार से रहित और कैसे माना जा सकता है उपमादि को सौन्दर्यरूप अलंकार? इन प्रश्नों पर साहित्यशास्त्र आठवीं शती के पश्चात् चुप रहा। विश्वनाथदेव भी इस प्रश्न पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे भले ही कुछ आगे बढ़े हैं, परन्तु हैं मम्मट के इर्द गिर्द ही।

भामह ने गुणों की आनुषंगिक रूप से चर्चा की और तीन ही गुणों के नाम उदासीनतापूर्वक लिए। आनन्दवर्धन ने उसी परम्परा में गुणों को केवल तीन संख्या तक सीमित रखा और उनके नियामक तत्त्व के रूप में तीन अन्य गुणों की कल्पना की जिन्हें उन्होंने रसधर्म कहा। किन्तु यह उन्होंने इस अस्पष्टता के साथ कहा कि अभिनवगुप्त आदि ने रसनिष्ठ गुणों के सामने शब्दार्थनिष्ठगुणों का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। तब आनन्दवर्धन के छः गुण केवल तीन रह गए। मम्मट ने भी इन्हीं दोनों आचार्यों के सिद्धान्त दोहराए किन्तु आनन्दवर्धन का छःगुणवाद तीन गुणवाद में सिमट कर रह गया। दण्डी और वामन के विदग्ध मस्तिष्क उपेक्षा के गर्त्त में डाल दिए गए। विपरीत तर्कों द्वारा रचनापक्ष की इन १० या २० विशेषताओं को झुठलाया गया। १६वीं-१७वीं शती तक यह अतिरेक समीक्षकों को खलने लगा था। फलतः उस समय के ग्रन्थकार ३ गुणों के ही साथ २० गुणों का भी निरूपण करने लगे थे। पण्डितराज की प्रखरता इस

विषय में स्तुत्य है। विश्वनाथदेव भी इस सत्य की ओर उन्मुख और इसके निर्वाह में सचेष्ट हैं। वे तीन रसगुणों के अनन्तर शब्दार्थनिष्ठ माने जाने वाले बीस गुणों का भी निरूपण करते हैं।

दोषाभाव एक जटिल पहेली है। इसे भोजराज ने समझा था और सुलझाया था। मम्मट पूर्ववर्ती आचार्यों के निष्कर्षों को सूत्रबद्ध कर इस विषय में संतुष्ट हैं। विश्वनाथदेव उनसे आगे बढ़कर उन्हीं के शब्दों में दोषों का उल्लेख कर उनके दूषकताबीज को भी वृत्ति में देते जाते हैं। किन्तु ये विद्वान् यहाँ दोष का अभाव, अभाव की चार विधाओं में से किस विधा का होगा इस पर विचार नहीं करते, फलतः ऐसा कुछ लगता है कि दोषाभाव कोई प्राप्तपरिहार है जबकि है यह अप्राप्तपरिहार अर्थात् दर्शन की भाषा में परिहृतपरिहार, क्योंकि इसे प्रागभावात्मक माना गया है प्रध्वंसात्मक नहीं।

शब्दैककाव्यतावादी दण्डी आदि आचार्य वैदिक परम्परा से जुड़कर चलने की चेष्टा करते हैं जिसको कुछ दूर तक अधिक वैज्ञानिक कहा जा सकता है किन्तु शब्दार्थाभेदवाद या शब्दविवर्तवाद के आधार पर व्यवहार को परमार्थ अथवा अव्यवहारिकार्थ से जोड़ कर शब्दार्थयुग्म को काव्य मानने की बात तो निरी भावुकता है। भामह से चली इस भावुकता को वामन, आनन्दवर्धन, राजशेखर, भोज, कुन्तक, अभिनवगुप्त, क्षेमेन्द्र, महिमभट्ट, मम्मट और कदाचित् जयदेव ने भी ढोया। परन्तु साहित्यदर्पणकार ने दण्डी का पक्ष पुनः प्रस्तुत किया ८०० वर्षों की उक्त भावुकता से हटाकर। विश्वनाथदेव और पण्डितराज ने भी अपने समय तक चली उक्त दोनों परम्पराओं में से दण्डी की ही परम्परा को महत्त्व दिया। इससे स्पष्ट है कि ये आचार्य क्रान्ति में विश्वास रखते थे।

सबसे मुख्य प्रश्न है शब्द को काव्य मानने पर शब्द के स्वरूप को निश्चित करने का। मम्मट तो शब्दार्थयुग्मतावादी हैं तथापि वे भी शब्द को काव्य मानते ही हैं। वे शब्द का काव्य में जो स्वरूप सम्भव है उस पर चुप हैं। राजशेखर उसे व्याकरणस्मृतिनिर्णीत ध्वनि कह चुके थे, कदाचित् मम्मट को उनका मत अमान्य न रहा हो। कुन्तक की उदार वाणी शब्द के औचित्य पर ही आनन्दवर्धन के आधार पर टिकी रह गई, उसके स्वरूप पर वह भी चुप रही। पण्डितराज ने शब्द को पर्याप्त महत्त्व दिया किन्तु उन्हें भी इस प्रश्न ने नहीं रोका। कदाचित् यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि व्याकरणशास्त्र सर्वसामान्य शास्त्र के रूप में प्रचलित था और उससे शब्द का स्वरूप स्पष्ट था। विश्वनाथदेव भी शब्द का स्वरूप स्पष्ट नहीं करते। अतः यह अध्याय अनावृत नहीं हो पाता। यह इन आचार्यों की साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में न्यूनता है। सत्य यह है कि शब्द किसी भी स्थिति में उसी प्रकार काव्य नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार थाली का नाम उसमें परोसा गया उत्तम व्यञ्जन नहीं होता अथवा शरीर को आत्मा नहीं कहा जाता। वस्त्र और

शरीर के भेद से यह अन्तर दार्शनिकों ने पर्याप्त गम्भीरता के साथ स्पष्ट कर दिया है और हमने भी अपनी काव्यालङ्कारकारिका में।

परम्परावादी आचार्य के रूप में विश्वनाथदेव ने साहित्यसुधासिन्धु द्वारा उक्त अनेक मौलिक और स्थायी प्रश्नों का उत्तर न देते हुए भी प्रौढ तथा प्रांजल संस्कृत में साहित्य के काव्यपक्ष को काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की पद्धति से अधिक से अधिक स्पष्ट करना चाहा है अंगोपांगों के भी लक्षण प्रस्तुत करते हुए और विरोधी मतों का भी उचित निराकरण देते हुए। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ साहित्य के अध्येताओं के लिए बहुत ही उपादेय और अपरिहार्य ग्रन्थ है। इसका प्रकाशन हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए डा० रामप्रताप वेदालङ्कार के हम सब कृतज्ञ हैं।

साहित्यसुधासिन्धु के इस भाष्य में व्याख्याकार ने मूल को यथाशक्ति स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है जिसमें वे पर्याप्त मात्रा में सफल हैं। त्रुटितमूल को उन्होंने स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न किया है और असंगत अंशों को सुधारने का भी। अन्य पाण्डुग्रन्थों की उपलब्धि तक उनके ये संशोधन अवश्य ही लाभकारी हैं।

मूलकारिका तथा वृत्ति को पढ़नें से ऐसा लगता है कि वृत्ति कदाचित् कारिका के बहुत बाद लिखी गई है और उसमें उसी प्रकार कारिकाकार का मस्तिष्क परिवर्तित सा लक्षित हो रहा है जिस प्रकार ध्वन्यालोककार का मूल कारिका और उनकी वृत्ति में। यह विषय विवादास्पद है, किन्तु इस दिशा में अवधानपूर्वक अध्ययन और चिन्तन अपेक्षित हैं।

विश्वनाथदेव उत्तम कवि भी हैं और अन्य शास्त्रों के निष्णात विद्वान् भी। उनका यह ग्रन्थ सामग्रीबहुल ग्रन्थ है जिसका समग्र बोध आचार्यों के लिए भी श्रमसाध्य है। साहित्यशास्त्र के ऊपर उल्लिखित पक्षों पर विचार करने हेतु मैं नई पीढी को आमन्त्रित करता हूँ और प्राचीन परम्परा की अधिक प्रौढि के साथ प्रस्तुति के लिए इस ग्रन्थ और इसके हिन्दी भाष्य का स्वागत करता हूँ।

२१, १२, १९७७
वाराणसी

—रेवाप्रसाद द्विवेदी
आचार्य तथा अध्यक्ष,
साहित्य विभाग, प्राच्यविद्यासंकाय
काशी हिन्दूविश्वविद्यालय, वाराणसी-५

आशीर्वचनानि

श्रीद्विजेन्द्रनाथमिश्रो 'निर्गुण:'

नानाशास्त्रगभीरतत्त्वनिचयोन्मेषाय बद्धादरं
साहित्याब्धिनिमज्जनैकव्रतिनं विद्वन्मुदावर्धकम् ।
साधुत्वादिगुणौघसम्भृतहृदामग्रेसरत्वं गतं
स्वीयाशीर्भिरहं युनज्मि विबुधं **रामप्रतापं** प्रियम् ॥१॥
पुराणवाचां प्रथमं विवेचिता सचेतसा येन हि **काव्यरूपता** ।
कृतिं तदीयामपरां विलोकयन् तमात्मशिष्यं हृदयेन भावये ॥२॥
विदुषा विश्वनाथेन ग्रन्थ: पूर्वं व्यलेखि य: ।
स **साहित्यसुधासिन्धुरनेन** समपाद्यत ॥३॥
टिप्पणीभिरनेकाभि: पाठसंशोधनेन च ।
समुपेता विभात्येषा हिन्दीटीका सुविस्तृता ॥४॥
रसालङ्कारदोषाद्या विषया येऽत्र संस्थिता: ।
तेषां वैशिष्ट्यमेतेन दर्शितं सुधिया धिया ॥५॥
समीक्षाजगतो नूत्नां विमलां सरणिं श्रित: ।
निष्पक्षं ग्रन्थकृद्भावं विशदं वितनोत्ययम् ॥६॥
कृती **रामप्रतापो**ऽसौ सगुण: सद्विवेचक: ।
निर्गुणेन मया कामं कर्मण्यत्र प्रशंस्यते ॥७॥

शुभाशंसा

मातरं प्रथमं वन्दे **जयदेवीं** मनस्विनीम् ।
पित्रे **केहरसिंहाय** नृसिंहाय ततो नम: ॥१॥
काकारामद्विजेन्द्रौ तौ नानाशास्त्रविशारदौ ।
शिष्यानुरागिणौ स्तौमि विद्याऽमृतप्रदायिनौ ॥२॥
स्मरन् **वेदश्रियं** पत्नीं **भानुं** पुत्रमृचां सुताम् ।
श्रीमद् **रेवाप्रसादञ्च** **राम:** सेव्यात् सरस्वतीम् ॥३॥
संस्कृतप्रेमिणे तस्मै विबुधानन्ददायिने ।
डाक्टरकर्णसिंहाय कृतिरेषा समर्प्यते ॥४॥

रामप्रताप:

विषयावतरणिका

संस्कृतकाव्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य भरत मुनि से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक अनेक आचार्यों की एक लम्बी परम्परा है इसी प्रकार नाटक के क्षेत्र में भी भास, कालिदासादि अनेक प्रसिद्ध नाटककारों की रचनाओं ने संस्कृतसाहित्य को समृद्ध किया है। लगभग २००० वर्षों की इस सुदीर्घ परम्परा में कई ऐसे साधकों के नाम प्रकाश में नहीं आ सके हैं जिनकी रचनायें महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अज्ञात रह गई हैं। इन्हीं अज्ञात महान् विभूतियों में एक नाम आचार्य विश्वनाथदेव का भी है। इनके द्वारा विरचित तीन कृतियाँ हैं—१. चित्रमीमांसा, २. मृगाङ्कलेखा तथा ३. साहित्यसुधासिन्धु। चित्रमीमांसा चित्रालङ्कारों की रचना है। इसकी कोई भी हस्तलिखित प्रतिलिपि अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसका उल्लेख साहित्यसुधासिन्धु की सातवीं तरङ्ग में चित्रकाव्य के प्रसङ्ग में आचार्य विश्वनाथदेव ने इस प्रकार किया है—चित्रान्तरोदाहरणान्यस्मत्कृतचित्रमीमांसायां द्रष्टव्यानि (साहित्यसुधासिन्धु ७,२७९ वृत्तिभाग)। मृगाङ्कलेखा नाटिका का प्रकाशन वाराणसी से हो चुका है। साहित्यसुधासिन्धु सर्वथा अप्रकाशित है और अभी तक यह हस्तलिखित ग्रन्थ के रूप में ही उपलब्ध है।

१. आचार्य विश्वनाथदेव का परिचय

इन्होंने मृगाङ्कलेखा नाम की स्वरचित नाटिका में अपना परिचय सूत्रधार और पारिपार्श्विक के मुख से दिलवाया है। सूत्रधार प्रथम अङ्क की प्रस्तावना (पृ० ५) में कह रहा है—

सूत्र०—(स्मृतिमभिनीय सहर्षम्) नन्विमामेव गोदावरीतीरपवित्रधारासुरनगरनिवासिनः साम्प्रतविरचितवाराणसीवसतेस्त्रिमल्लदेवतनूजस्य विश्वनाथशर्मणः कृतिं मृगाङ्कलेखाभिधानां नाटिकामभिनेतुमुद्युक्त एवास्मि।

पारिपार्श्विकः—(प्रविश्य) भाव! अनतिप्रसिद्धस्य तस्यैव दाक्षिणात्यस्य कवेः कृतौ प्राचीनप्रबन्धानवधूय पर्युत्सुकः सामाजिकजनः।

उपर्युक्त वचनों में कवि का जो परिचय है उसे पढ़कर यह प्रतीत हो जाता है कि आचार्य विश्वनाथदेव का जन्म दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित धारासुर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिमलदेव था। बाद में ये वाराणसी में रहने लगे थे। साहित्यसुधासिन्धु में भी इन्होंने अपना परिचय इस-

प्रकार दिया है—

"आस्ते धारासुराख्यं नगरमतिलसत्केशवोद्दामधाम
प्रभ्राजत्कीर्त्तिपूरं विलसति सविधे यस्य गोदावरी सा ।
तत्रत्योऽनन्तदेवात्मज इह वसति मुक्तिपुर्यां सवर्यां
तस्याङ्गजस्योल्लसति कृतिरियं विश्वनाथाभिधस्य ॥ सा० ८,२८३
प्रबलकर्कशतर्कविचारणो-
ल्लसितकाव्यसुलक्षणलक्षिता ।
त्रिमलदेवतनूजविनिर्मिति-
र्मतिमतां वितनोतु मनोमुदम् ॥ सा० ८,२८४

इति त्रिमल्लदेवतनयविश्वनाथविरचिते साहित्यसुधासिन्धौ अर्थालङ्कारमार्जनं नामाष्टमस्तरङ्गः ।

ग्रन्थकार के अपने इस वचन के अनुसार गोदावरी के किनारे बसे हुए धारासुर नामक नगर में अनन्तदेव नामक विद्वान् पण्डित रहते थे । दक्षिणदेश में जन्म लेकर उनके पुत्र त्रिमलदेव ने वाराणसी में रहना प्रारम्भ किया । इन त्रिमलदेव के पुत्र विश्वनाथ ने इस साहित्यसुधासिन्धु नाम के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की ।

२. जीवनकाल

मृगाङ्कलेखा तथा साहित्यसुधासिन्धु में आचार्य विश्वनाथदेव का इतना ही परिचय मिलता है । इन दोनों ग्रन्थों का रचनाकाल निश्चित है । साहित्यसुधासिन्धु का रचनाकाल सन् १५९२ (संवत् १६४९) और मृगाङ्कलेखा का निर्माणकाल सन् १६०७ (संवत् १६६४) है । साहित्यसुधासिन्धु जैसी प्रौढ़ रचना आचार्य विश्वनाथदेव ने ४० वर्ष की अवस्था में लिखी होगी यह अनुमान किया जा सकता है । इस लिए इनके जन्म की कल्पना सन् १५५२ ई० के आसपास की जा सकती है । मृगाङ्कलेखा को इन्होंने साहित्यसुधसिन्धु से १५ वर्ष बाद लिखा है । इस कारण यदि इनकी आयु इतनी ही मानी जाय तो इनका समय सन् १५५२ से सन् १६०७ तक माना जा सकता है । यदि इसके बाद का अवशिष्ट जीवन ४० वर्ष का और माना जाय तो इनका अनुमानित जीवनकाल सन् १५५२ से सन् १६४७ के बीच में माना जा सकता है । यदि यह कल्पना की जाये कि जैसे आचार्य शङ्कर सरीखे विद्वान् ने अल्पायु में ही प्रौढ़ ग्रन्थों की रचना कर ली थी उसी प्रकार आचार्य विश्वनादेव ने २० वर्ष की अल्पायु में यह ग्रन्थ लिख लिया होगा तब इनका जन्मकाल सन् १५७२ ई० में माना जा सकता है । इस कल्पना के आधार पर इनका समय सन् १५७२ से सन् १६६७ तक निर्धारित किया जा सकता है ।

उत्तर भारत में सन् १५३० से सन् १५५६ तक हुमायूँ, सन् १५५६ से सन् १६०५ तक अकबर, सन् १६०५ से सन् १६२७ तक जहाँगीर और सन् १६२७ से सन् १६५८ तक शाहजहां ने शासन किया था । इस कारण विश्वनाथदेव को हुमायूँ अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ का समकालीन माना जा सकता है । यदि इनका

जन्मकाल सन् १५७२ के आसपास माना जाय और कुल आयु ६५ वर्ष के लगभग मानी जाय तो इनके जीवन के अन्तिम कुछ वर्ष सन् १६५८ में शासन की बागडोर सम्भालने वाले औरङ्गजेब के शासन काल में भी बीते होंगे।

३. विश्वनाथदेव नाम का औचित्य

विश्वनाथ, विश्वनाथशर्मा तथा विश्वनाथदेव ये तीनों ही नाम इन्होंने अपने लिए प्रयुक्त किये हैं। मृगाङ्कलेखा नाटिका की प्रस्तावना (पृ० ५) में इन्होने—त्रिमललदेवतनूजस्य विश्वनाथशर्मणः कृतिं—यह कहकर अपने विश्वनाथशर्मा इस नाम को बताया है मृगाङ्कलेखा नाटिका के चतुर्थ अङ्क के अन्त में समाप्तेयं मृगाङ्कलेखाभिधाना नाटिका कृतिरियं विश्वनाथदेवकवेः और साहित्यसुधासिन्धु की अन्तिम अष्टम तरङ्ग की पुष्पिका में कृतिरियं विश्वनाथस्य—यह लिखा हुआ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कवि को अपने तीनों ही नाम प्रिय थे।

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि साहित्यसुधासिन्धु के लेखक के रूप में कौन से नाम को स्वीकार किया जाय? अधोनिर्दिष्ट आधारों पर इनको विश्वनाथदेव नाम से जानना अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है।

१. साहित्यसुधासिन्धु की आठ तरङ्गों की पुष्पिकाओं में व्यवहृत नामों की तालिका इस प्रकार है—

तरङ्ग सङ्ख्या	ग्रन्थकार का नाम
प्रथम	कोई नाम नहीं
द्वितीय	,, ,, ,,
तृतीय	विश्वनाथदेव
चतुर्थ	विश्वनाथ
पञ्चम	विश्वनाथ
षष्ठ	विश्वनाथदेव
सप्तम	विश्वनाथदेव
अष्टम	विश्वनाथ
,,	विश्वनाथ
,,	विश्वनाथ
,,	विश्वनाथ

क्योंकि आचार्य ने यहाँ अपने लिए विश्वनाथ और विश्वनाथदेव दोनों ही नाम प्रयुक्त किये हैं इस कारण ये दोनों ही नाम इनके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं किन्तु इन्होंने अष्टम तरङ्ग की पुष्पिका में अपने पितामह का नाम अनन्तदेव तथा पिता का नाम त्रिमलदेव बताया हुआ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इनके कुल में देव पद नामों के अन्त में लगाया जाता था। इनके वंश में आगे जाकर न्यायसार

के प्रणेता माधवदेव हुए। इनका समय १८वाँ वैक्रमाब्द माना जाता है। ये भी गोदावरी के तीर पर स्थित धारासुर नगर के निवासी थे। इस कारण दादा, पिता तथा प्रपौत्रों के नाम के अनुकरण पर इनका नाम विश्वनाथदेव मानना उचित प्रतीत होता है। वाराणसी के भगवान् विश्वनाथ (शिव) के पवित्र नाम पर इनका विश्वनाथ या विश्वनाथदेव नाम रखा गया था।

२. साहित्यसुधासिन्धु की भाँति मृगाङ्कलेखा के चतुर्थ अङ्क की पुष्पिका में विश्वनाथदेव नाम मिलता है।

३. साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ तथा इसी नाम वाले अन्य आचार्यों से पार्थक्य बनाये रखने के लिए विश्वनाथदेव नाम को चुनना समीचीन प्रतीत होता है। उपरिलिखित आधारों पर प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन करते समय ग्रन्थकार का नाम विश्वनाथदेव ही निर्धारित किया है।

४. मृगाङ्कलेखा का रचनाकाल और परिचय :

पहले बताया जा चुका है कि 'मृगाङ्कलेखा नाटिका' के उपोद्घात (पृ० १) में रचनाकाल के सम्बन्ध में लिखा हुआ है—

अस्य समयश्च विक्रमशतकस्य सप्तदशं शतकम्। अस्माभिरुपलब्धे प्रायो ग्रन्थकर्त्रैव स्वयंलिखिते प्रकृतनाटिकापुस्तके संवत् १६६४ इति समयो निर्दिष्टो वर्तते।

इसके अनुसार यह स्पष्ट है कि यह नाटिका संवत् १६६४ में लिखी गई थी जिसका सन् १६०७ बन जाता है। इससे पूर्व आचार्य विश्वनाथदेव ने संवत् १६४६ में अपने साहित्यसुधासिन्धु ग्रन्थ की रचना की थी। साहित्यसुधासिन्धु जैसी प्रौढ़ रचना के ४० वर्ष की परिपक्व अवस्था में लिखे जाने की अधिक सम्भावना दिखाई पड़ती है। साहित्यसुधासिन्धु के बनने के १५ वर्ष बाद मृगाङ्कलेखा नाटिका लिखी गई है। इस कारण मृगाङ्कलेखा को बनाते समय आचार्य विश्वनाथदेव की आयु कम से कम ५५ वर्ष की होनी चाहिए। अपनी इस रचना के बाद कम से कम १० वर्ष तक इनके जीवित रहने की सम्भावना की जा सकती है।

इस नाटिका का प्रकाशन प्रिंसैस आफ वेल्स सरस्वती भवन टैक्स्ट नं० २६ के अन्तर्गत सन् १६३१ में वाराणसी में हुआ है। काशीस्थ राजकीय संस्कृत पुस्तकालय सरस्वतीभवन के अध्यक्ष साहित्याचार्य नारायणशास्त्री खिस्ते ने इसका सम्पादन किया है और प्रधान सम्पादक महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज हैं। इस ग्रन्थ के उपोद्घात में यह नहीं बताया गया है कि मृगाङ्कलेखा की कौनसी हस्तलिखित प्रति का ग्रन्थकार ने उपयोग किया है।

इस नाटिका में चार अङ्क हैं। इसकी कथा का नायक कलिङ्ग देश का स्वामी कर्पूरतिलक नामक राजा है। ललितकलाप्रेमी होने के कारण यह धीरललित

नायक है। इसकी प्रधान रानी विलासवती है, और प्रधानमन्त्री रत्नचूड है। यह मन्त्री कामरूपेश्वर की कन्या मृगाङ्कलेखा का विवाह अपने स्वामी के साथ इस लिए कराना चाहता है क्योंकि किसी सिद्ध ने उसे यह बता दिया है कि इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वह सार्वभौमपति अर्थात् चक्रवर्ती राजा होगा। प्रधान-मन्त्री के प्रयत्नों से सिद्धयोगिनी नामक परिव्राजिका मृगाङ्कलेखा को किसी प्रकार राजा के अन्तःपुर में पहुँचा देती है। वहाँ इस कन्या को देखकर राजा की इसके प्रति अनुरक्ति हो जाती है और दोनों में प्रेम बढ़ने लगता है। इसी बीच दानवों का राजा शङ्खपाल मृगाङ्कलेखा का अपहरण करके श्मशान के कालिकायतन में वलि देने के लिए उसको समर्पित कर देता है। मृगाङ्कलेखा के अपहरण से क्षुब्धचित्त राजा उन्मत्त होकर अपने प्राणत्याग की इच्छा से श्मशान में चला जाता है। वहाँ वह इस दानवेश्वर को मारकर मृगाङ्कलेखा को लेकर लौट आता है। इसी समय कामरूपेश्वर कलिङ्गाधिपति कर्पूरतिलक के समीप आ जाता है और वह अपनी पुत्री मृगाङ्कलेखा को पहचान लेता है। इस अवसर पर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और मृगाङ्कलेखा का विवाह कर्पूरतिलक के साथ हो जाता है। इस नाटिका की कथावस्तु किसी किसी अंश में रत्नावली, मालविकाग्निमित्र, मालतीमाधव, कर्पूरमञ्जरी आदि रूपकों के साथ मिलती है।

मृगाङ्कलेखा का नाम और कथा बहुत प्राचीन है। १०वीं शताब्दी के आचार्य राजशेखर ने भी अपनी कर्पूरमञ्जरी में प्राकृतभाषा में नाटकों को लिखने की परिपाटी को अच्छा बताकर मृगाङ्कलेखा की कथा को पुराना बताया है। वे कर्पूरमञ्जरी की प्रस्तावना (प्रथम जवनिकान्तर) में पारिपार्श्विक और सूत्रधार के मुख से कहलवाते हैं—

पारिपार्श्विक :—परुषाः संस्कृतग्रन्थाः प्राकृतग्रन्थोऽपि भवति सुकुमारः।
पुरुषमहिलानां यावदिहान्तरं तावत् तेषु ॥

कर्पूरमञ्जरी प्रस्तावना, श्लोक ८

सूत्रधारः— तत आत्मा किं न वर्णितस्तेन ?

पारिपार्श्विकः—सुणु वण्णिदो ज्जेव्व तक्कालकइणं मज्झम्मि
मि अंकलेहा कहा आरेण अबराइएण।
[शृणु वर्णित एव तत्कालकवीनां मध्ये मृगाङ्कलेखा-
कथाकारेण अपरायितेन (अपराजितेन)]।

राजा अपराजितवर्मा पल्लववंश में ७वीं शती के अन्तिम भाग से लेकर ८९५ ई० के मध्य में उत्पन्न हुए थे (वाचस्पति गैरोला—संस्कृतसाहित्य का इतिहास, पृ० ५९६)।

इस प्रकार मृगाङ्कलेखा की कथा को आधार बनाकर नाट्यप्रणयन की

परम्परा ७वीं शती से १७वीं शती तक अर्थात् महाकवि विश्वनाथदेव तक रही थी।

मृगाङ्कलेखा यद्यपि छोटी सी नाटिका है—किन्तु उसमें काव्य के विभिन्न तत्त्वों का सर्वाङ्गीण समावेश किया गया है।

(१) मङ्गलाचरण के इस श्लोक में पार्वती के पति महादेव जी को परस्पर विरोधी गुणों को धारण करने वाला बताकर उनके प्रति कवि ने अपनी भक्त्यञ्जलि समर्पित की है—

वामां वामाङ्गभागे कलयति मदनप्लोषकीर्ति च धत्ते
सर्वैश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम्।
दाता मुक्ते र्गरीयान्न् भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः
पायान्मायादुरूहो गिरिवरतनया वल्लभो भूतनाथः॥ मृ० १, २

२. भयानकरसानुप्राणित कविनिष्ठदेवविषयकरतिभाव के इस उदाहरण में भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रथम तीन पङ्क्तियों की भाषा समासबहुला और अन्तिम पङ्क्ति की भाषा सरल है—

दूरादङ्घ्रिप्रहारप्रबलभरनतप्रौढदर्वीफणीन्द्र-
श्वासोद्रेकप्रशुष्यज्जलविजलधरत्रस्तपाठीनकूटम्।
गङ्गारिङ्गत्तरङ्गावलिवलितजटाक्षालनं शूलपाणेः
पायादायासखेदाज्जगदिदमखिलं ताण्डवाडम्बरं तत्॥ मृ० १, १

३. मृगाङ्कलेखा के वियोग में उन्मादावस्था को प्राप्त कर्पूरतिलक की दशा का वर्णन विप्रलम्भ शृङ्गार का उदाहरण है—

वारं वारं हसति किमपि श्वासमञ्चत्युदारं
स्फाराम्भोभिः स्थगयति दृशौ स्रस्तकेशोत्तरीयः।
हारं द्वेष्टि श्रयति विजने पङ्कजश्रेणिशय्यां
पीयूषांशुं सपदि मनुते तिग्मरश्मिप्रतापम्॥ मृ० १,१५

४. मृगाङ्कलेखा का यह अतिशयोक्तिगर्भित सौन्दर्यवर्णन संयोगशृङ्गार रस की परापुष्टि करने में समर्थ है—

इन्दुं निन्दति पार्वणं मुखशशी मीनाङ्गनां लोचने
धम्मिलोऽपि कलिन्दशैलतनयां दन्तावली मौक्तिकम्।
किञ्चान्यत्कमनीयकाञ्चनरुचस्तस्याः स वृद्धिङ्गतो
लावण्याम्बुधिरन्धयत्यनुदिनं यूनां मनः सैकतम्॥ १,२२

५. मृगाङ्कलेखा को अपने सच्चे प्रेम का विश्वास दिलाने वाले कर्पूरतिलक की यह उक्ति शृङ्गार रस से विभोर कर देती है—

त्वं सर्वस्वं त्वमसि हृदयं जीवितं त्वं मदीयं
त्वं मे प्राणाः कमलनयने मामकीनं मनस्त्वम्।

त्वं जानीषे यदि सुवदने सोपचारं वचो मे
चेतः साक्षी भवति भगवानावयोः कामदेवः ॥ मृ० १,३०

६. श्मशान के वर्णन के प्रकरण में प्रयुक्त निम्नलिखित श्लोक वीभत्स रस को पुष्ट करते हैं—

(क) राजा (अग्रतोऽवलोक्य) अहो लीलारीतिः कौणपानाम्—
व्यादायोत्तुङ्गदंष्ट्रकुटिलमुखदरीमुल्ललत्ताम्रजिह्वः
प्रेतो ग्रीवां विदार्य ग्रसति नववसासारमन्तः प्रमोदात् ।
प्रीताभिः कामिनीभिः कृतविकटमहाहासकोलाहलाभिः
पीनोदञ्चत्कुचाभिः सह पिबति ललज्जाङ्गलस्नेहसारम् ॥

(ख) तालोत्तोलिततालिकाकलकलक्लाम्यच्छृगालार्भकः
क्रेङ्कारस्फुटझर्झरध्वनिनटल्लाङ्गूललीलापरः ।
एताभि र्नरनाभिपङ्कजचयप्रारब्धमालाविधिः
प्रक्रीडन्निह सारमेयतरुणस्तूर्णं नरीनृत्यते ॥
मृ० ३,२०; २१

(ग) कर्पूरतिलक की शङ्खपाल को लक्ष्य करके कही गई इस उक्ति में वीररस है—

यद्रामो जनकात्मजापहरणे भीमोऽपि यत्क्रोधनः
पाञ्चालीकचकर्षणे रचितवान् तत्किं न ते विश्रुतम् ।
क्रोधोन्माथितकण्ठपीठरुधिरैरभ्यर्च्य शम्भोः प्रियां
तत्तत्कर्म करोमि येन भवतो नामाऽपि न श्रूयते ॥
—मृ० ३,२६

७. अधोनिर्दिष्ट श्लोकों में अलङ्कारध्वनि शृङ्गारसध्वनि को पुष्ट कर रही है—

(क) अतिपरिचयदोषात्प्रौढबालेव वाणी
न रचयति विनोदं प्राक्तनानां कवीनाम् ।
अभिनवकविवाचा काऽपि रीति र्नवीना
युवतिरिव विधत्ते प्रौढमानन्दमन्तः ॥
मृ० १;१३

८. प्रस्तावना में सूत्रधार सूर्य को प्रणाम कर रहा है—

अञ्चलान्तरितचोलसुन्दरी-
कुङ्कुमाक्तकुचमण्डलप्रभम् ।

कोकशोकदहनाम्बुदमेकं
पद्मिनीरमणमेष नतोऽस्मि ॥

मृ० १,६

७. मृगाङ्कलेखा की विरहदशा का वर्णन करते हुए कञ्चुकी सिद्धयोगिनी से कह रहा है—

कर्पूरो दहनायते कुमुदिनीनाथोऽपि सूर्यायते
हारोऽस्या भुजगायते मलयजो वातः कृतान्तायते ।
गानं कर्णविषायते मृगमदालेपोऽपि भस्मायते ।
तस्या एव विधूदये प्रतिदिनं दृक् चन्द्रकान्तायते ॥

मृ० ३,५

८. मृदुलतरमृणालीकोमलौ बाहुपाशौ
रचय सुतनु कण्ठे कामपाशौ निबद्धे ।
कुपितफणिफणाभः पान्थसीमन्तिनीना-
मयमुदयति यस्मात्कैरवानन्दकन्दः ॥

मृ० २, ४१

इस प्रकार यह नाटिका अनेक रसों और अलङ्कारों से मण्डित होने के कारण सरस एवं मनोहारिणी है । इसमें शङ्खपाल के चंगुल में फंसी हुई कर्पूरमञ्जरी को निकालने वाले कर्पूरतिलक की वीरता तो दिखाई पड़ती है किन्तु उसका अनेक महिलाओं में अनुराग दिखाये जाने के कारण यह अन्तःपुर के वासनात्मक प्रेम तक सीमित रह गई है ।

५. मृगाङ्कलेखा और साहित्यसुधासिन्धु में समानतायें

इन दोनों कृतियों में कुछ ऐसी समानतायें हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि यह दोनों रचनायें एक ही व्यक्ति की हैं—

(१) मङ्गलाचरण में साम्य

मृगाङ्कलेखा के भीतर मङ्गलाचरण में ये तीन श्लोक दिये हुए हैं—

दूरावङ्घ्रिप्रहारप्रबलभरनतप्रौढदर्वीकरेन्द्र-
श्वासोद्रेकप्रशुष्यज्जलधिजलभरत्रस्तपाठीनकूटम् ।
गङ्गारिङ्गत्तरङ्गावलिवलितजटाक्षालनं शूलपाणेः
पायादायासखेदाज्जगदिदमखिलं ताण्डवाडम्बरं तत् ॥

मृ० १,१

अपि च—

वामां वामाङ्गभागे कलयति मदनप्लोषकीर्त्ति च धत्ते
सर्वैश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम् ।

दाता मुक्तेर्गरीयान्भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः
पायान्मायाद्दुरूहो गिरिवरतनयावल्लभो भूतनाथः ॥ मृ० १,२

अपि च—

रोषाकुञ्चितपाणिपल्लवतया सेवाञ्जलिर्नो कृतः
स्तब्धैकाङ्गतया च नो नतिततिर्विस्तारिता शम्भुना ।
नो किञ्चिद् गदितं च मूकपदवीं वक्त्रैकदेशे गते
पार्वत्याः सफलैव मानपदवी पायात् त्रिलोकीतलम् ॥ मृ० १,३

साहित्यसुधासिन्धु में मङ्गलाचरण के लिए ये तीन श्लोक रखे गये हैं—

उत्तालतालस्फुरदङ्घ्रिपात-
प्रजातपातालभुजङ्गकम्पम् ।
अभ्रान्तविभ्रान्तकपर्दजालं
विस्रस्ततालं कलये नटं तम् ॥ सा० १,१

उत्तालाङ्घ्रिप्रपातस्फुटितवसुमतीरन्ध्रनीरन्ध्रनिर्यत्-
पातालाम्भः स्रवन्तीस्नपनसिमिसिमाकारिललाटनेत्रम् ।
ऊर्ध्वव्याधूतभोगीश्वरवररचितायासनिःश्वासरिङ्गद्
गङ्गाकल्लोलजालं कलयतु विभवं धूर्जटेर्नाट्यलीला ॥ सा० १,२

चन्द्रचूडप्रियापाङ्गसन्दोहानन्दनिर्भरः ।
विदधाति कविः कोऽपि सुधासिन्धुतरङ्गितम् ॥ सा० १,३.

इन दोनों मङ्गलाचरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों रचनाओं में भगवान् शिव की स्तुति की गई है। मृगाङ्कलेखा के पहले श्लोक में शिव के ताण्डव नृत्य से सारे संसार के क्लेश को दूर करने की प्रार्थना की गई है और साहित्यसुधासिन्धु के प्रथम श्लोक में ताण्डवनृत्य के नर्तक शिव का तथा इसके दूसरे श्लोक में उनकी भयङ्कर ताण्डवनृत्यलीला का वर्णन है। इस प्रकार दोनों ग्रन्थों में शिव का स्तवन एक ही ढंग से किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकार वाराणसी में स्थित भगवान् विश्वनाथ (शिव) के उपासक थे।

मृगाङ्कलेखा के तीसरे श्लोक में मानवती पार्वती का उल्लेख है और साहित्य-सुधासिन्धु के तीसरे श्लोक में चन्द्रचूडप्रिया पार्वती का कृपाकटाक्ष का आनन्द कवि को अभीप्सित है। मृगाङ्कलेखा के पहले दूसरे श्लोकों तथा साहित्यसुधासिन्धु के पहले श्लोक में स्रग्धरा छन्द का प्रयोग है।

(२) ग्रन्थसमाप्ति में साम्य—

मृगाङ्कलेखा में चतुर्थ अङ्क की समाप्ति पर यह भरतवाक्य है—

यावद् ब्रह्माण्डभाण्डे स्फुरति स भगवान् पद्मिनीजीवितेशः
यावत्क्षोणीं फणीन्द्रः कलयति शिरसा यावदास्ते शशाङ्कः ।

यावत्कल्पान्तवातो न चलति भुवने सन्तु तावत् समस्ता
विस्फूर्जत्क्षीरधाराद्रवमधुरतराः सत्कवीनां प्रबन्धाः ॥ ४,२४

साहित्यसुधासिन्धु में आठवीं तरङ्ग की समाप्ति पर ये श्लोक हैं—

यावत्पाद्गीरपङ्कद्रवमधुरसुधापूरसेकैस्त्रिलोकी-
मुच्चैः प्रीणाति विप्रप्रणतिनुतपदः पार्वणः शीतभानुः ।
वेगादम्भोजजृम्भावितरणरसिका भानवो भान्ति यावद्
भानोस्तावद् विधत्तामयमपि च सुधासिन्धुरानन्दकन्दम् ॥
मौलौ गङ्गाम्बुधारा कुवलयपटलीमण्डिता शूलपाणेः
कौन्दीभृङ्गीकदम्बव्यतिकरमधुरा मालिका कन्धरायाम् ।
कर्पूरक्षोदचञ्चन्मृगमदपटलीपङ्कसङ्काशमूर्त्ति-
र्वक्षःपीठे पतन्ती क्षितिधरतनया नेत्रशोभाऽवताद् वः ॥
आस्ते धारासुराख्यं नगरमतिलसत्केशवोद्दामधाम-
प्रभ्राजत्कीर्त्तिपूरं विलसति सविधे यस्य गोदावरी सा ।
तत्रत्योऽनन्तदेवात्मज इह वसति मुक्तिपुर्यां सवर्यां
तस्याङ्गजस्योल्लसति कृतिरियं विश्वनाथाभिधस्य ॥

सा० ८,२८०; २८२; २८३

इन तीनों श्लोकों में स्रग्धरा छन्द है । इसका लक्षण वृत्तरत्नाकर में इस प्रकार है—

म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्त्तितेयम् ।

जो १—१ मगण, रगण, भगण, नगण, और यगणों से तथा तीन और सात की यति से युक्त हो वह स्रग्धरा छन्द होता है ।

कवि ने दोनों ग्रन्थों के मङ्गलाचरण तथा समाप्ति में इस छन्द को रखा है । इससे इनकी इस छन्द के प्रति विशेष अभिरुचि प्रकट होती है । इन दोनों ग्रन्थों के १ — १ श्लोक का यावत् पद से आरम्भ किया गया हैं । दोनों में यह कहा गया है कि सूर्य और चन्द्र जब तक रहेंगे तब तक इन रचनाओं की सत्ता रहेगी । दोनों में ही पद्मिनीजीवितेश तथा अम्भोजजृम्भावितरणरसिक इन विशेषणों के प्रयोग से सूर्य के भीतर कमलों को विकसित करने का गुण बताया गया है ।

३. दोनों रचनाओं में समान रूप से उपलब्ध श्लोक

निम्नलिखित श्लोक ज्यों के त्यों दोनों रचनाओं में उपलब्ध होते हैं । ये श्लोक पूर्ववर्ती आचार्यों और कवियों के ग्रन्थों में नहीं उपलब्ध होते । इस कारण यह प्रतीत होता है कि विश्वनाथदेव ने इनको स्वयं बनाया है :

१. किञ्चिद् वक्ति करोति हासमसकृन्निर्याति सन्तिष्ठते
वाष्पं मुञ्चति किञ्च रोषकलितः शोणां विधत्ते दृशम् ।

बालेति प्रणमत्यकाण्डकुपितेत्याभाषते निष्ठुरे-
त्यालिङ्गत्यधुना स मन्मथशरैर्नीतः परां दुर्दशाम् ॥
—मृगाङ्क० २,७; सा० ३,१००

२. तन्नेत्रान्ततरङ्गितं मृगदृशस्तत्कर्णकण्डूयनं
सा वक्रोक्तिपरम्परा प्रियसखीहस्तावलम्बोऽपि सः ।
यावन्नो हृदयात्प्रयाति सहसा तावद् द्विरेफावली-
झङ्कारप्रणयोपदेशरसिको जातो वसन्तोदयः ॥
—मृगाङ्क० ४,१०; सा० ५,१७८

३. एष क्षुभ्नाति वीथीं तिरयति धरणिं सर्वतो दानपूरैः
पारीन्द्राणां क्षिणोति प्रबलतररवैः कन्दरागर्भशय्याम् ।
रोषान्मत्तालिमालाकुलविकटकटं किञ्च धूनोत्यजस्रं
विस्रंसच्चारुचामीकरनिकरकृतोद्दामदामा गजेन्द्रः ॥
—मृगाङ्क० ४,१०; सा० ५,१७८

४. वामां वामाङ्गभागे कलयति मदनप्लोषकीर्त्तिं च धत्ते
सर्वैश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम्।
दाता मुक्ते र्गरीयान् भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः
पायान्मायाविरूहो गिरिवरतनयावल्लभो भूतनाथः ॥
—मृगाङ्क० १,१; सा० ५,१७१

५. सपदि मुकुलितेयं किंशुकानां वनाली
ललितमधुपमाला विभ्रमं सन्तनोति ।
इह घनमकरन्दामोदमाद्यन्मिलिन्दा ।
विलसति सहकारश्रेणिराकम्पकुञ्जा ॥
—मृगाङ्क० १,२५; सा० ३,१९

६. क्षोणीराज्यं सपदि विहितं कान्तया सार्द्धमुच्चै-
र्देवी तुष्टाप्यजनि भगिनीलाभमासाद्य सद्यः ।
स्फीता कीर्त्तिः सपदि रचिता चन्द्रवंशस्य तस्मात्
कस्मिन्निष्टे भगवति पुनः कर्तुमीहा तवास्ते ॥
—मृगाङ्क० ४,२३; सा० सु० ३,८०

७. निम्नलिखित श्लोक परिवर्तन के साथ मिलता है—

निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्तीं
शुद्धा स्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बि
मत्संयोगः सुखमुपनयेत् स्वप्नजोऽपीति निद्रा-
माकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशम् ॥ सा० ३,२९

७. साहित्यसुधासिन्धु का रचनाकाल और परिचय—

साहित्यसुधासिन्धु का लेखनकाल निश्चित ही है। ग्रन्थकार ने जिस श्लोक में इसका समय बताया है उसका कुछ अंश मिटा होने के कारण अस्पष्ट है। किन्तु संवत्सर बताने वाला भाग पढ़ा जा सकता है। जम्मू, अलवर और तिरुपति में उपलब्ध इस ग्रन्थ की तीनों प्रतियों में इसके काल को सूचित करने वाले ये दो श्लोक पाये जाते हैं—

कीर्तिशेषं गते तैस्तै र्गुणै र्विक्रमभूभुजि।
ग्रहाम्भोधिरसेन्दौ [हि तस्मिन्] संवत्सरक्रमे॥
एकादश्यां गुरौ स्वीयः सुधासिन्धुर्विलेखितः।
पत्तने चन्द्रचूडस्य विश्वनाथेन धीमता॥

—सा० ८,२८५-२८६

तीनों ही प्रतियों में कोष्ठाङ्कित पाठ नहीं है। यह पाठ अपनी ओर से संशोधित करके लिखा गया है। इन्दु शब्द अनेक ग्रन्थकारों ने एक सङ्ख्या के लिए प्रयुक्त किया है। अतः यहाँ भी यह पद इसी अर्थ में रखा है। काव्यप्रकाश में ध्वनि के भेदों को बताते समय दो स्थानों पर एक सङ्ख्या को बताने के लिए चन्द्र और इन्दु शब्द का प्रयोग किया गया है। साहित्यदर्पण की विमला टीका के रचयिता श्रीशालिग्रामशास्त्री ने भी अपनी टीका के रचनाकाल को बताने के लिए इन्दु और चन्द्र शब्द का प्रयोग किया है।[२]

प्राचीन काल के लेखक ग्रन्थ निर्माण का समय बताने के लिए विभिन्न अङ्कों को द्योतित करने वाले ग्रह, समुद्र आदि पदार्थों का प्रयोग करते थे। यहाँ भी ग्रहाम्भोधिरसेन्दो पद का प्रयोग रचनाकाल बताने के लिए किया गया है। यहाँ क्रमशः इन पदों से प्रकट होने वाली सङ्ख्या इस प्रकार है—

ग्रह—इस पद का प्रयोग ९ सङ्ख्या को बताने के लिए किया जाता है। इन ९ ग्रहों के नाम ये हैं—सूर्य, चन्द्र, भौम (मङ्गल), बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु।

---

१. (१) वेदखाब्धिवियच्चन्द्राः (१-०-४-०-४)
शरेषुयुगखेन्दवः (१-०-४-५-५)

२. (२) रामर्ष्यङ्केन्दुसङ्ख्ये (१९७३) कृतिरियमुदिता वैक्रमे तत्र वर्षे
विश्वेश्वरान्नपूर्णापदपयसिजयोरर्पिता प्रीतयेऽस्तु॥१॥
भूमिनवाङ्कशशाङ्के (१९९१) विक्रमवर्षे पुनस्तस्याः।
श्रीमृत्युञ्जयभवने जाता लक्ष्मणपुरे द्विरावृत्तिः॥१०॥
इति विमलायां दशमः परिच्छेदः साहित्यदर्पणे विमलाटीकोपेतः, पृ० ३७१

(२) अम्भोधि या सागर पद चार सङ्ख्याओं को सूचित करता है। मोनियर विलियम्स डिक्शनरी में सागर को चार सङ्ख्याओं का वाचक बताया गया है।

(३) रस—ये ६ सङ्ख्या को सूचित करते हैं। अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, मधुर और कषाय ये ६ प्रकार के लौकिक रस माने जाते हैं।

(४) इन्दु—यह १ सङ्ख्या को बताता है।

इस प्रकार यह सङ्ख्या ९-४-६-१ बन जाती है।

अङ्कानां वामतो गतिः—अर्थात् अङ्कों की सङ्ख्या उल्टी रीति से चलती है—इस नियमानुसार यह सङ्ख्या उल्टे क्रम को सीधा बनाकर १६४९ बन जाती है। यही अर्थात् संवत् १६४९ इस ग्रन्थ का निर्माणकाल है। इसमें से ५७ की सङ्ख्या घटा कर ई० सन् १५९२ बन जाता है। डा० पी० वी० काणे[1] तथा एस० के० डे[2]

---

१. साहित्यसुधासिन्धु---ले० त्रिमल्लदेव के पुत्र विश्वनाथ, ८ तरङ्गों में विभाजित ले० मूलत: गोदावरी पर स्थित धारासुर के निवासी, बाद में बनारस में निवास, रचनाकाल सम्वत् १६४९ बनारस में देखो अलवर पाण्डुसूची उद्धरण २३५

संस्कृतकाव्यशास्त्र का इतिहास, पृ० ५५१ पी० वी० काणे

हिन्दी अनुवादक डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, प्रथम संस्करण १९६६

2. Minor writers on Alankara 91, Viśvanatha.

Sahitya Sudha-sindhu (Alwar Catalogue Extract 235; also Jammu Cat. no 1254).

This south Indian author, who wrote in Benaras, was son of Trimala or Trimalla Deva and grandson of Ananta of Dharasura City on the Godavari. Stien's Kashmirian Ms. (Jammu Cat. p. xxix) is dated in 1602 A.D. (Stien speaks of a M.S. transcribed from an autograph copy of the author. In the colophon referring to this original copy, which is added by author hand at the end of the Jammu MS. the date Samvat 1649 can be made out with difficulty). He quotes at the beginning of his work from Mammata and Bhoja, and elsewhere cites Candidasa (probably the same as the commentator on Mammata) and Mahimabhatta. The work is in eight Tarangas. Viśvanātha also wrote a drama called Mṛgāṅkalekhā a MS. of which is dated Samvat 1664.

History of Sanskrit Poetics Vol. I, p. 301,
Sushil Kumar De Second Edition, 1960,
Firma K.L. Mukhopadhyaya Publishers, 6/1 A,
Bancharm Akrur Lane, Calcutta-12.

ने भी साहित्यसुधासिन्धु का यही रचनाकाल माना है।

७. अन्तःसाक्ष्य के आधार पर साहित्यसुधासिन्धु की पूर्वापरसीमा—

काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थों के समान साहित्सुधासिन्धु लक्ष्य-लक्षण ग्रन्थ है। बहुत से लक्षण और उदाहरण आचार्य विश्वनाथदेव ने स्वयं बनाकर अपनी रचना में रखे हैं किन्तु इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों और लक्षणकारों की रचनाओं में से श्लोकों तथा लक्षणों को पर्याप्त मात्रा में लेकर उन्हें अपने ग्रन्थ का अङ्ग बनाया है। जिन कवियों और आचार्यों के श्लोक और लक्षण इन्होंने लिए हैं उनसे इनकी परवर्तिता सिद्ध हो जाती है। यहाँ कुछ कवियों के श्लोक तथा काव्यशास्त्रविद् आचार्यों के लक्षणों की तालिका दी जा रही है—

१. कालिदास

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्॥

—अभिज्ञानशाकु०, ४,८; साहित्यसुधा० ३,५६

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि-
र्निक्षेपणाय पदमुद्धृतमावहन्ती।
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ॥

—कुमारसम्भव ५,८५; साहित्यसुधासिन्धु, ३,६०

२. भवभूति—

अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया।
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति॥

उत्तररामचरित ५,१७; साहित्यसुधासिन्धु ३,४३
कारिका के बाद वृत्तिभाग।

३. हर्षवर्धन—

राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः
सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः।
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं
कामः काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः॥

—रत्नावली १,९; साहित्यसुधासिन्धु ३,८६

४. भट्टनारायण—

धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः।
यद् वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति॥

—वेणीसंहार ३,४६; साहित्यसुधासिन्धु ३,७९

श्रीहर्ष—

मृषाविषादाभिनयादयं क्वचि-
ज्जुगोप निःश्वासततिं वियोगजाम् ।
विलेपनस्याधिकचन्द्रभागता-
विभावनाच्चापललाप पाण्डुताम् ॥
—नैषधीयचरित १,५१; साहित्यसुधासिन्धु, ३,६९

६. त्रिविक्रमभट्ट—

एकान्ते सेवते योगं मुक्ताहारपरिच्छदः ।
हंसः स मोक्षयोग्योऽपि देव किं बध्यते त्वया ॥
—नलचम्पू २,१८; साहित्यसुधासिन्धु २,१९ वृत्तिभाग

निम्नलिखित आचार्यों की कारिकायें साहित्यसुधासिन्धु में मिलती हैं—

१. भरत

बहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रिताः ।
अनेन यस्मात्तेनासौ विभावः परिकीर्तितः ॥
—नाट्यशास्त्र ७,४; सा० सु० सि० ३,२५

२. भामह—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो ह्यनया विना ॥
—काव्याल०२, ८५; सा० सु० सि० १,४ वृत्तिभाग

३. दण्डी—

श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता ।
अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ।
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः ॥
—काव्यादर्श १,४१-४२; सा० सु० सि० ६,१४३-१४४

४. वामन—

यत्रैकपदवद्भावं पादानां भूयसामपि ।
अनालक्षितसन्धीनां स श्लेषः परमो गुणः ॥
—काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति ३,१,२५ पर श्लोक ३;
सा० सु० सि० ६,१४५

५. रुद्रट—

स्नेहप्रकृतिः प्रेयान् सङ्गतिशीलार्यनायको भवति।
स्नेहस्तु साहचर्यात् प्रकृतेरुपकारसम्बन्धात् ॥
—काव्यालङ्कार ३,३५; सा० सु० सि० ३,३५

६. धनञ्जय—

तत्त्वज्ञानापदीर्ष्यादे र्निवेदः स्वापमाननम् ।

—दशरूपक ४,६; सा० सु० सि० ३,४४

७. भोज—

अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम् ।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्त्ति प्रीतिं च विन्दति ॥

—सरस्वतीकण्ठाभरण १,२; सा० सु० सि० १,२ वृत्तिभाग

८. मम्मट—

अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धचङ्गमस्फुटम् ।
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम् ।
व्यङ्ग्यमेवं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदा मताः ।

काव्यप्रकाश ५,४५-४६; सा० सु० सि० ४,७६-७७

९. विश्वनाथ—

यूनोरेकतरस्मिन् गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये ।
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्भः ॥

साहित्यदर्पण ३,१०९; सा० सु० सि० ३,३३

उपरिनिर्दिष्ट कवियों में सबसे पहले कवि कालिदास का समय ईसा की प्रथम शताब्दी से ५वीं शताब्दी के बीच माना जाता है और त्रिविक्रमभट्ट का समय दसवीं शती माना जाता है इसी प्रकार काव्यशास्त्रविद् आचार्यों में सबसे पहले भरतमुनि का समय ईसा की प्रथम शती माना जाता है और अन्तिम आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण का प्रणयन सन् १३८४ ई० में किया था।

आचार्य विश्वनाथदेव ने अपने से पूर्ववर्ती इन कवियों और आचार्यों के श्लोकों और कारिकाओं का उपयोग किया है इस कारण इन आचार्यों से इनकी परवर्तिता सिद्ध हो जाती है।

रसङ्गाधर और साहित्यसुधासिन्धु के ये प्रसङ्ग एक दूसरे से मिलते हैं—

१. यत्त्वास्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं तच्च शब्दे चार्थे चाविशिष्टमित्याहुः ।

—रसङ्गाधर प्रथमानन पृ० १८

केचित्तु आस्वादव्यञ्जकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम् तत्तु शब्दे चार्थे चाविशिष्टमिति शब्दवदर्थेऽपि काव्यत्वमिति प्राहुः । काव्यं करोतीत्यादिव्यवहारस्तु शब्दपरतया नेयः ।

—साहित्यसुधासिन्धु १,४ वृत्तिभाग

२. अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयो र्व्यासक्तं प्रत्येकपर्याप्तं वा, नाद्यः ।

एको न द्वौ इति व्यवहारस्येव श्लोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारस्यापत्तेः। न द्वितीयः एकस्मिन् वाक्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः ।

रसगङ्गाधर १,१ वृत्तिभाग पृ० १६

अत्र वदन्ति-काव्यत्वं दण्डत्वादिवत् प्रत्येकं परिसमाप्यवृत्ति उत द्वित्व-पृथक्त्ववद् व्यासज्यवृत्ति वा । नाद्यः, केवले शब्दे केवलार्थे च तदव्यवहारात्। नापरः······ ।

सा० सु० सि० १, ४ वृत्तिभाग

३. तत्कालनिर्वर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात एव प्रमुष्टपरिमितप्रमातृत्वादि-निजधर्मेण प्रमात्रा······

रसगङ्गाधर पृ० ८७

व्यक्तो व्यक्तविषयीकृतः व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित् ।

रसगङ्गाधर पृ० ९०

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः ।

रसगङ्गाधर पृ० ९६

अपकर्षश्च रत्याद्यवच्छिन्नस्यानन्दांशे आवरणस्यावस्थितिः ।

सा० सु० सि० ५,८२ वृत्तिभाग

एवं च सति काव्यदर्शनश्रवणमहिम्ना उक्तयाऽभिव्यक्त्या चैतन्यस्यानन्दांशे आवरणभङ्गः क्रियते तथा च रत्याद्यवच्छिन्नं चैतन्यमानन्दांशे भग्नावरणानन्दरूपतया परिणतरस इति निर्गलितार्थः :

वहीं ३,२७ वृत्तिभाग

ऊपर आचार्य विश्वनाथदेव का समय लगभग १५५२-१६६७ ईस्वी के मध्य निर्धारित किया जा चुका है (पृ० xviii) पण्डितराज जगन्नाथ ने अपना नवीनं वयः अर्थात् जवानी का पूर्वभाग शाहजहाँ के दरबार में बिताया था। शाहजहाँ का राज्य-काल १६२७ से १६५८ ई० है। यदि २० से ३० वर्ष की आयु के बीच में पण्डितराज का शाहजहाँ के दरबार में प्रवेश माना जाय तो उनका जन्म सन् १५९७-१६०७ ई० के मध्य माना जा सकता है। इस प्रकार विश्वनाथदेव का जन्मकाल (सन् १५५२ से लेकर सन् १५७२) पण्डितराज जगन्नाथ से पहले सिद्ध होता है । भले ही इन आचार्यों के ग्रन्थों की रचना में समकालिकता विद्यमान रही हो। पण्डितराज जगन्नाथ ने उपर्युक्त ये अंश या तो साहित्यसुधासिन्धु ग्रन्थ से लिये हैं या दोनों ही आचार्यों ने किसी और परम्परा से ग्रहण किये हैं। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथदेव की यह उत्तरसीमा सिद्ध हो जाती है कि वे पण्डितराज जगन्नाथ से बाद के नहीं हैं।

८. साहित्यसुधासिन्धु की वर्तमान हस्तलिखित प्रतियाँ—

इस ग्रन्थ की इस समय तक तीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। जम्मू,

अलवर और तिरुपति इन तीनों स्थानों से उपलब्ध इन तीनों प्रतियों के आधार पर इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है। स्थानों के नाम पर जम्मू की प्रति के लिए ज, अलवर की प्रति के लिए अ तथा तिरुपति की प्रति के लिए त अक्षरों का सङ्केत निर्धारित किया गया है। जम्मू की प्रति अलवर की प्रति से कुछ प्राचीन प्रतीत होती है। यदि इसे प्राचीन न भी माना जाय तो भी समकालीन तो है ही। तिरुपति की प्रति इन दोनों से बाद की है। इस ग्रन्थ के सम्पादन में जम्मू की प्रति के पाठ को आधार बनाया गया है। किन्तु जहाँ जम्मू के पाठ की अपेक्षा अलवर अथवा तिरुपति का पाठ अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ है वहाँ मूल संस्कृत पाठ में उसको समाविष्ट करके पादटिप्पणियों में इसका सङ्केत दे दिया है। कहीं २ तीनों प्रतियों का पाठ सङ्गत न होने पर अपनी ओर से संशोधित पाठ दिखलाया है। तीनों प्रतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१. जम्मू की हस्तलिखित प्रति—

यह प्रति श्रीरणवीर संस्कृत रिसर्च इन्स्टिट्यूट, रघुनाथ मन्दिर जम्मू में विद्यमान है। डिस्क्रिप्टिव केटेलोग आफ संस्कृत मैंन्यूस्क्रिप्ट्स इन श्रीरणवीर संस्कृत रिसर्च इन्स्टिट्यूट जम्मू कश्मीर (सम्पादक डा० एच० एम० पठकर, प्रकाशक डा० कर्णसिंह, प्रेजिडेंण्ट, धर्मार्थ कौंसिल, जम्मू) में इस प्रति का पूरा विवरण इस प्रकार दिया हुआ है—

X. अलङ्कार

१. अनुक्रमाङ्क तथा विषय १३२; X अलङ्कार	२. पुस्तकालय में प्राप्ति अथवा सङ्ग्रह की सङ्ख्या ३३८ घ	३. ग्रन्थ का शीर्षक साहित्यसुधासिन्धु
४. ग्रन्थकार का नाम विश्वनाथत्रिमलदेवपुत्र	५. टीकाकार का नाम	६. लेखन के लिए प्रयुक्त साधन कागज़
७. लिपि देवनागरी	८. आकार २५.५x११ सेंटीमीटर्स	९. पत्रसङ्ख्या; पङ्क्ति; अक्षर ७४;१०;४३
१०. संवेदन सम्पूर्ण	११. अवस्था तथा समय अच्छी	१२. अतिरिक्त विवरण पुष्पिका — इति त्रिमलदेवतनय-विश्वनाथविरचित-साहित्यसुधासिन्धौ

ग्रर्थो नामाष्टम-
स्तरङ्गः। समाप्तोऽयं
ग्रन्थः।

लिपिकाल—

त्रिसङ्गम, कश्मीर १८९४ में तैयार किये गये कैटेलोग ग्राफ संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन दी रघुनाथ टैम्पल लाइब्रेरी, रघुनाथ टैम्पल जम्मू (पृ० २९) में स्टाइन ने लिखा है कि ३३८ साहित्यसुधासिन्धु नं० १२३४ एक हस्तलिखित ग्रन्थ के रूप में उपलब्ध होता है। यह प्रतिलिपि इसके मूल रचयिता के हस्तलिखित ग्रन्थ से की गई है। स्टाइन का यह भी कहना है कि सन् १८७६ में पण्डित ग्राशानन्द की ग्रध्यक्षता में पण्डितों की एक उपसमिति बनाकर वाराणसी भेजी गई जिसने वहाँ की ग्रमुद्रित पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ तैयार कीं। इनके इस कथन के ग्राधार पर ये दो सम्भावनायें की जा सकती हैं—

१. पण्डित ग्राशानन्द जी सन् १८७६ में वाराणसी गये। वहीं पहुँचकर उसी समय इन्होंने इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि कराई ग्रौर ग्रपने ही साथ ले ग्राये। परन्तु इस सम्भावना में यह बात सोची जा सकती है कि यदि नये सिरे से प्रतिलिपि कराई जाती तो प्रतिलिपिकार इस प्रति में पण्डित ग्राशानन्द का नाम भी प्रविष्ट कर देता। किन्तु उनका नाम न दिया जाना भी बहुत ग्रस्वाभाविक नहीं हैं क्योंकि पुराने पण्डित ग्रपने नाम दिये जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं रहते थे।

२. पुष्पिका में सबसे ग्रन्त के 'इदं पुस्तकं काशीस्थचिन्तामणिना लक्ष्मण-ब्रह्मज्ञानिने दत्तम्' इस वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि यह प्रति वाराणसी में चिन्तामणि ने लक्ष्मणसंन्यासी ग्रथवा ब्रह्मचारी को प्रदान की है। विश्वनाथदेव ने स्वयं किसी को नहीं दी है। स्टाइन भी इस बात को जानते थे कि यह मौलिक प्रति नहीं है किन्तु ग्रन्थकार के द्वारा स्वयं लिखी गई हस्तलिखित प्रति से उतारी गई है। इन दोनों ही बातों के ग्राधार पर इस बात की ग्रधिक सम्भावना है कि साहित्य-सुधासिन्धु की यह प्रतिलिपि इससे पहले विद्यमान मूल प्रति से तैयार की गई है। स्टाइन ने पण्डित ग्राशानन्द से इसका वृत्तान्त सुनकर ही यह लिखा होगा कि यह मूल प्रति से उतारी गई हैं। इसलिए यह प्रतिलिपि या तो सन् १८७६ में लिखी गई ग्रथवा इससे लगभग १०० वर्ष पहले बनी है। इस प्रकार जम्मू में ग्रवस्थित इस प्रतिलिपि का समय सन् १७७६ से सन् १८७६ के बीच में माना जा सकता है।

२. ग्रलवर की हस्तलिखित प्रति—

यह प्रति राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान शाखा कार्यालय महल चौक, ग्रलवर में विद्यमान है। वहाँ ग्रकारादि क्रम से विद्यमान सूची में इस प्रति का

विवरण इस प्रकार है—

ग्रन्थ नाम	हस्तलिखित ग्रन्थसङ्ख्या	पत्रसङ्ख्या	सूचीपत्र का उद्धरण
साहित्यसुधासिन्धु	२४१२	१६१	२३५

लिपि समय

संवत् १९१४

लिपिकाल—

इस प्रति का उपरिनिर्दिष्ट लिपिसमय इसकी पुष्पिका में लिखे हुए संवत् १९१४ वैशाख कृष्णतृतीया तद्दिने पुस्तकमिदं लिखितम् इस वचन पर आधारित है। इस वैक्रम संवत् का ई० सन् १८५७ बन जाता है। अतः अलवर की प्रति का लिपिकाल सन् १८५७ है।

३. तिरुपति की हस्तलिखित प्रति—

एल्फाबैटिक कैटेलोग, संस्कृत तामिल तेलूगु मैन्युस्क्रिप्ट्स, तिरुपति १९५६ में इसका विवरण इस प्रकार है—

ग्रन्थ	लेखक	लिपि
साहित्यसुधासिन्धु ४०६९४	विश्वनाथदेव	देवनागरी

विवरण]

सम्पूर्ण ६८५१

ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, श्रीवेङ्कटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति के पुस्तकालय में यह प्रति रखी हुई है।

लिपिकाल—

तिरुपति की हस्तलिखित प्रति के अन्त में पुष्पिका की समाप्ति पर हिन्दी भाषा में ये दो दोहे लिखे हैं—

सिधि निधि निधि विधु वर्ष शुभ अब सुरु करूं विचार।
श्रीसाहित्यसुधासिन्धु तिथि तृतीया सोमवार ॥
प्रति समान लेखक लिखे यह नय हृदय विचार।
पण्डितजन नहीं देवेंगे लेखक दोष लतार ॥

यहाँ लिपिकर्त्ता ने सिधि, निधि, निधि और विधु इन शब्दों से समय की सूचना दी है और साथ ही कहा है कि उसने समानप्रति अर्थात् साहित्यसुधासिन्धु की प्रतिलिपि की है।

१. सिद्धि—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व—ये ८ सिद्धियाँ हैं।

२. निधि—इनकी सङ्ख्या ९ मानी जाती है।

३. विधु—चन्द्रमा १ सङ्ख्या का द्योतक है।

इस प्रकार ८ सिद्धि, ९ निधि ९ निधि और १ चन्द्रमा—इन सबकी ८-९-९-१ सङ्ख्या हो जाती है अङ्कानां वामतो गतिः इस नियम से क्रम को उल्टा कर देने से संवत् १९९८ अर्थात् सन् १९४१ इस प्रतिलिपि का काल निर्धारित किया जा सकता है।

९. तीनों प्रतिलिपियों का मूल प्रति से अन्तर तथा अमौलिकता—

जम्मू, अलवर और तिरुपति—इन तीनों स्थानों में उपलब्ध जो हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ हैं ये सभी आचार्य विश्वनाथदेव के द्वारा अपने हाथ से लिखी गई मूल आदर्श प्रति से बहुत दूर हैं। इन प्रतियों में इतना अन्तर क्यों हो गया है—यह जानने के लिए हमें पुराने समय की परिस्थिति और परम्परा की ओर ध्यान देना चाहिए।

साहित्यसुधासिन्धु ग्रन्थ की रचना अब से ३८५ वर्ष पूर्व सन् १५९२ ई० (संवत् १६४९) में हुई थी। उस समय छापेखानों के अभाव के कारण मुद्रण सम्बन्धी वर्तमानयुगीन साधन उपलब्ध न थे। हस्तलिखित ग्रन्थों की सहायता से ही पठनपाठन की व्यवस्था थी। एक कक्षा में किसी एक हस्तलिखित ग्रन्थ को बाँचकर सुना दिया जाता था फिर उसी की व्याख्या गुरु के द्वारा सुना दी जाती थी। काव्यप्रकाश जैसे ग्रन्थों पर समय २ पर अनेक टीकायें भी इसी प्रयोजन से लिखी गईं। मूल अनेक हस्तलिखित प्रतियों की बड़ी सङ्ख्या में प्राप्ति भी इसी तथ्य को प्रकट करती है। जब कोई हस्तलिखित प्रति बहुत दिनों तक के सतत प्रयोग से जीर्ण शीर्ण अथवा धुंघले अक्षरों वाली हो जाती थी तो उसकी प्रतिलिपियां तैयार की जाती थीं। कभी २ एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो उसी ग्रन्थविशेष को ले जाया जाता था अथवा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली जाती थी। लेखक के द्वारा स्वयं लिखी हुई अथवा उसकी देख रेख में तैयार की गई हस्तलिखित प्रति को आदर्श प्रति का नाम दिया जाता है। ऐसी प्रतियों से और प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थीं तथा उन प्रतिलिपियों से और प्रतिलिपियां तैयार करने की परम्परा प्रचलित थी। इस परम्परा की एक अवश्यम्भावी परिणति यह थी कि जितनी अधिक किसी मूल ग्रन्थ की प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थीं उतनी ही अधिक आदर्श प्रति और उसकी अन्तिम प्रतिलिपि में अन्तर आ जाता था। यह अन्तर दो कारणों से आता था १. लिपिकारों के प्रमाद से तथा २. गुरुओं के द्वारा समय २ पर बदले जाने वाले पाठभेदों से।

पहले प्रकार की अशुद्धियों में लिपिकार का दृष्टिदोष और बुद्धिदोष तो कारण होते ही हैं साथ ही ग्रन्थविशेष के पहले लिपिकार के अक्षरों की अस्पष्ट बनावट और उस पर मिटे हुए या धुंघले अक्षर भी कारण बनते हैं। दूसरे प्रकार के पाठभेद उन अध्यापकों द्वारा कर दिये जाते थे जो उन ग्रन्थों के लक्षणों और उदाहरणों के

स्थान पर अपने बनाये हुए अथवा अपने चुने हुए लक्षणों और उदाहरणों को कहीं २ समाविष्ट कर देते थे ।

पहले प्रकार अर्थात् लिपिकारों के कारण उत्पन्न दोषों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए डा० एस० एम० कात्रे[1] ने बताया है—"विविध ग्रन्थों के वर्तमान समय में उपलब्ध पाठ प्रतिलिपि रूप में पत्थर अथवा ताँबे जैसी दीर्घजीवी सामग्री पर लिखित ग्रन्थों से तैयार की गई मूलप्रतियों की फोटो प्रतियाँ नहीं हैं अपितु इन्हें विभिन्न लेखकों ने अपने हाथों से अपनी बुद्धि के अनुसार लिखकर तैयार किया है। इन प्रतिलिपियों में भूलों का रह जाना स्वाभाविक है और वे आदर्श प्रतिलिपि के समान नहीं हो सकतीं। ज्यों ज्यों हम आदर्श प्रति की प्रतिलिपियों से और प्रतिलिपियाँ तैयार करते जाते हैं और मूल हस्तलिखित प्रति से दूर हटते जाते हैं त्यों त्यों उनमें और भी अधिक भूलें होती जाती हैं और इस प्रकार तैयार की गई प्रतिलिपियाँ आदर्श प्रति से अधिक दोषपूर्ण और निकृष्टतर होती हैं। यदि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हस्तलिखित पाठ के लिए १०० अङ्क निर्धारित करें और इसे क नाम दें तथा यह मान लें कि क से ख और ग प्रतिलिपियाँ तैयार की गईं। इसके साथ ही हम यह भी कल्पना करें कि प्रथम बार क से ख प्रतिलिपि करने में तीन प्रतिशत ही अशुद्धियाँ तथा दूसरी बार ख से ग प्रतिलिपि तैयार करने में भी तीन प्रतिशत ही अशुद्धियाँ हुईं तो ख और ग प्रतियों का सापेक्षिक मूल्य क्रमशः ९७ तथा ९४.०९ होगा। यदि ग से एक और प्रतिलिपि तैयार की जाय और उसमें भी तीन प्रतिशत अशुद्धियाँ होती रहें तो उसका सापेक्षिक मूल्य ९१.७ होगा। प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ कराने का सामान्यतः यही परिणाम होता है।"

डा० कात्रे द्वारा बताई इस कसौटी पर जम्मू, अलवर और तिरुपति से उपलब्ध ज अ त इन तीन प्रतिलिपियों को यदि परखा जाय तो इनमें प्राप्त अशुद्धियों, पाठभेदों, छूटे हुए पाठों तथा बदलते हुए उदाहरणों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ये तीनों ही प्रतियाँ मूल आदर्श प्रति से भिन्न हैं और इनमें और मूल प्रति में बहुत अन्तर आ गया है। इनका वंश भी भिन्न हो गया है।

स्टाइन ने जम्मू की प्रति के सम्बन्ध में कहा है कि यह प्रति मूल प्रति से उतारी गई है। इसी प्रति में डा० कात्रे के द्वारा बताया हुआ नियम लागू हो जाता है। इस प्रतिलिपि में पहले पत्र से अन्तिम पत्र तक का लेख एक ही लिपिकार के हाथ से लिखा हुआ दिखाई पड़ता है किन्तु कतिपय पृष्ठों पर कुछ छूटे हुए अंश दूसरे हाथ के लिखे हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस प्रतिलिपि को पहले एक लिपिकार ने तैयार किया था और छूटे हुए अंशों को दूसरे लेखक ने लिखा है। यह

---

१. इण्ट्रोडक्शन टू इण्डियन टैक्च्युअल क्रिटिसिज्म अनुवादक डा० उदयनारायण तिवारी पृ० २१-२२, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य एकाडमी, भोपाल, १९७१

मौलिक प्रति नहीं है क्योंकि मौलिक प्रति में ग्रन्थकार आवश्यकतम अंशों को इस प्रकार नहीं छोड़ते । इन छूटे हुए अंशों की तालिका इस प्रकार है—

१. पत्र ५. एतदर्थोऽपि······सा सारोपा ।

२. पत्र ६. अत्रोपादान······इति नव्याः ।

३. पत्र ९. तदुक्तं बहवोऽर्था विभाव्यन्ते···व्यापारवत्त्वमेव विभावादित्वम् ।

४. पत्र ११. न कः पुनरसौ स्थायी···व्यभिचारिभिः ।

५. पत्र ३९. तथा नियमपरिवृत्तस्य···माऽवमंस्था ॥

इन तीनों प्रतियों के तुलनात्मक समीक्षण के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

१. तीनों प्रतियों में कुछ समान अशुद्धियाँ हैं (तस्या विनिगमकत्वात् पृ० १३; निराकाङ्क्षत्वासन्नत्वादयः पृ० १५, देशभाषा, पृ० १७३) इससे यह सिद्ध होता है कि इनका परस्पर सम्बन्ध है और पहले किसी एक लिपिकार ने जो अशुद्धि की है उसी को उत्तरवर्ती लिपिकारों ने दोहराया है। कई अशुद्धियाँ ज अ (अपृच्छत्व पृ० २०) में समान रूप से हैं तो कुछ ज त (दुर्वाराति, पृ० २५) में। इससे भी यही ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में किसी लिपिकार ने जो अशुद्धि की है वही अशुद्धि दूसरी प्रति में भी दोहरा दी गई है।

२. अलग अलग प्रति में भी अशुद्ध पाठ (कठिनस्तां नायकान्ताय मे ज पृ० २३) मिलता है इससे यह ज्ञात होता है कि तीनों ही प्रतियाँ अलग २ लिपिकारों के द्वारा तैयार की गई हैं।

३. तीनों ही प्रतियों में पाठभेद (श्रीगुरुभ्यो नमः त; गुरवे नमः ज; गुरवे नमः अथवा श्रीगुरुभ्यो नमः अ में नहीं; काव्यविभागविशेषलक्षणमाह ज ३७; काव्यविभागमाह त; किसी उदाहरणविशेष को छोड़ देना पृ० २७६) बहुत मात्रा में मिलते हैं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों ही प्रतिलिपियाँ किसी एक मूल प्रति से न उतारी जाकर उस प्रति की दूसरी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ हैं।

४. सर्वाधिक पाठभेद तथा उदाहरणभेद तिरुपति की प्रति के अलङ्कार प्रकरण में हैं। इससे जम्मू और तिरुपति की प्रतियों से उसकी दूरी बढ़ जाती है।

इस प्रकार इन तीनों प्रतियों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इन तीनों के ही लिपिकार अलग २ थे और इनकी आधार प्रतियाँ भी भिन्न हैं। स्टाइन ने जम्मू की प्रति के सम्बन्ध में जो मूल प्रति से उतारने की बात कही है वह भी इन पाठभेदों को दृष्टि में रखने से असन्दिग्ध प्रतीत होती है।

१०. साहित्यसुधासिन्धु के प्रतिपाद्य विषय

साहित्यसुधासिन्धु में काव्यशास्त्रविषयक सभी आवश्यक तत्त्वों का सर्वाङ्गीण

विवेचन प्रस्तुत किया गया है। केवल नाटक, प्रकरण आदि रूपकों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है किन्तु श्रव्यकाव्य विषयक रस, अलङ्कार, गुण, रीति, दोष आदि समस्त सामग्री बहुत सुन्दर रूप में उपस्थित की गई है। आचार्य विश्वनाथदेव ने अपने इस ग्रन्थ में भरत मुनि से लेकर १६वीं शती के अन्त तक प्रचलित काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों को बुद्धिपूर्वक समाविष्ट किया है। पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष रखकर बड़ी २ जटिल बातों को युक्तियाँ देकर समझाया है। विविध विषयों का चयन करते हुए जहाँ इन्होंने अपनी सङ्ग्राहकशक्ति का परिचय दिया है वहाँ इन सब विषयों का सूक्ष्मविवेचन कर अपनी नीरक्षीरविवेकिनी बुद्धि को भी प्रकाशित किया है। सुगम एवं स्पष्ट विषय प्रतिपादन शैली, पूर्वाग्रहहीनता, शालीनभाषा का प्रयोग, उपयुक्त युक्तियाँ इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषतायें हैं। इन विशेषताओं के कारण यह रचना संस्कृत काव्यशास्त्र में अपना विशेष महत्त्व रखती है। इस ग्रन्थ में ८ अध्याय हैं जिन्हें तरङ्गों का नाम दिया गया है।

प्रथम तरङ्ग में सबसे पहले मङ्गलाचरण के श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। इसके अनन्तर काव्यप्रयोजन और काव्यलक्षण बताये गये हैं। काव्य का सामान्य लक्षण बताकर उसका एक परिनिष्ठित लक्षण बताया है और भोजदेव द्वारा सरस्वतीकण्ठाभरण में दिये हुए लक्षण का समर्थन किया गया है। यहाँ ग्रन्थकार ने केवल शब्द को काव्य मानने वालों तथा शब्दार्थ दोनों को काव्य मानने वाले आचार्यों के पक्ष और विपक्ष में दी जाने वाली युक्तियों को उपस्थित किया है। इसके बाद काव्य के उत्तम, मध्यम और चित्र इन तीनों भेदों के लक्षण और उदाहरण दिये हैं। अन्त में युक्तियाँ देकर काव्य के इन तीनों भेदों के विभाग को अनुचित बताया है।

द्वितीय तरङ्ग में वाचक, लक्षक और व्यञ्जक इन तीन प्रकार के शब्दों को बताकर इनके लक्षण भी दिये गये हैं। इनके अर्थों को क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य नाम से अभिहित किया है। इन तीनों का अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना व्यापार की सहायता से अर्थज्ञान होता है। लक्षणा की परिभाषा बताकर उसके छः और आठ भेद बताये हैं किन्तु बाद में चार ही प्रकार की लक्षणा को नवीन आचार्यों ने माना है ऐसा बतलाया गया है। इन लक्षणाभेदों के उदाहरण भी दिये गये हैं। इसके बाद भट्टलोल्लट, कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकरमिश्र आदि मीमांसकों तथा अनुमानवादी महिमभट्ट के मतों को पूर्वपक्ष में रखकर युक्तियों के साथ खण्डन किया गया है। तदनन्तर—एक ही व्यञ्जनावृत्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि अभिधा और लक्षणा की पृथक् सत्ता नहीं होती—इस नवीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित मत को बताया गया है। अन्त में अतिनवीनों का अनुमान के भीतर व्यञ्जना का अन्तर्भाव हो जाता है—यह मत दिखाया है।

तृतीय तरङ्ग में ध्वनि के लक्षणामूल और अभिधामूल नाम के दो भेदों के अर्थान्तरसङ्क्रमित, अत्यन्ततिरस्कृत, असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ये चार भेद दिखाये गये हैं। लक्षणामूलध्वनि के भेदों के उदाहरण दिखाने के बाद अभिधामूलध्वनि के असंलक्ष्यक्रम (रसध्वनि) भेद का सविस्तर विवेचन है। रस-निष्पत्ति प्रक्रिया, और रसानुभूति में उपयोगी विभाव, अनुभाव, सात्त्विकभाव और व्यभिचारिभाव—इन सभी तत्त्वों का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। रसानुभूति के समय चैतन्य में आवरणभङ्ग होने के कारण सामाजिक के हृदय में रसाभिव्यक्ति होती है। तदनन्तर साधारणीकरण की परिभाषा तथा अभिनवगुप्तानुमोदित रस का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। रस की लोकोत्तरता इसी से ज्ञात हो जाती है कि उसे न कार्य कहा जा सकता है और न ज्ञाप्य। स्थायिभाव का लक्षण बताकर यह शङ्का उठाई गई है कि कई स्थलों पर विभावादियों में से केवल एक की स्थिति होने पर भी रसानुभूति देखी जाती है तो भरत के—विभावानुभाव० इत्यादि रससूत्र की सार्थकता कैसे मानी जाय? इसका समाधान मम्मट तथा विश्व-नाथ के सिद्धान्त उपस्थित करके किया गया है। यहाँ काव्य के बारह रस गिनाये गये हैं। प्रसिद्ध शृङ्गारादि नौ रसों के अतिरिक्त प्रेयान्, दान्त और उद्धत रस और जोड़े गये हैं। इन प्रधान रसों में किसी किसी के उपभेद दिखाते हुए लक्षण और उदाहरण देकर इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। इन बारह रसों के बारह स्थायिभावों को लक्षण तथा उदाहरण दिखाकर उपस्थित किया है। शृङ्गार, हास्य, वीर और अद्भुत ये ही चार प्रधान रस नहीं हुआ करते अपितु सभी रस प्रमुख हैं ऐसा सिद्धान्ती ने बताया है। स्तम्भादि आठ स्थायिभावों के लक्षण और उदाहरण बताकर तेंतीस व्यभिचारिभावों का भी लक्षण तथा उदाहरणों सहित निरूपण किया गया है। इस प्रकार असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि के सभी भावों का निरूपण करने के उपरान्त संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि के भेदों को गिनाकर ध्वनि के ५१ भेद गिना दिये गये हैं।

चतुर्थ तरङ्ग में ८ प्रकार के गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य को उदाहरण समेत दिखाकर शब्दचित्र और अर्थचित्र नामक दो प्रकार के चित्रकाव्यों का उल्लेख किया गया है।

पञ्चम तरङ्ग में सबसे पहले दोषसामान्य का लक्षण दिखाकर १३ पददोष और समासदोष बताये गये हैं। क्लिष्टादि तीन दोष समास में ही उपलब्ध होते हैं। इनमें से प्रत्येक दोष के पहले एक लक्षण को देकर दूसरे परिनिष्ठित लक्षण और तत्सम्बन्धी पदकृत्य को दिखाते हुए दूषकताबीज की ओर इङ्गित किया है और अन्त में उदाहरण दे दिये हैं। च्युतसंस्कार, असमर्थ और निरर्थक इन तीनों को छोड़ कर शेष सभी श्रुतिकटु आदि दोष वाक्यदोष भी माने जाते हैं—यह बताया है। इनमें से कुछ दोष पदांश में भी देखे जाते हैं। इसके बाद २० वाक्यदोष गिनाकर उनके लक्षण, दूषकताबीज और उदाहरण दिखाये गये हैं। २३ अर्थदोषों को गिनाकर इन-

सभी दोषों का अन्तर्भाव पूर्वोक्त पददोषों और वाक्यदोषों में कर दिया गया है। १३ रसदोषों को दिखाकर इनमें से कुछ के लक्षण और उदाहरण दिखा दिये हैं। कुछ का दूषकताबीज बताया है तथा किन्हीं का अन्तर्भाव पददोषों और वाक्य दोषों में कर दिया है।

षष्ठ तरङ्ग में गुणसामान्य का लक्षण दिखाकर माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन गुणों के लक्षण तथा उनसे सम्बद्ध रस बताये गये हैं। इन गुणों के व्यञ्जक वर्णों को बताकर इनके उदाहरण दिये हैं। इन्हीं गुणों पर आधारित गौडी, पाञ्चाली और वैदर्भी रीतियों का स्वरूप समझाया गया है। गुण और अलङ्कारों का भेद बतलाकर दण्डिसम्मत दस शब्दगुणों और दस अर्थगुणों के लक्षण और उदाहरण प्रदर्शित किये हैं। वामनसम्मत काव्यपाकों का उल्लेख करने के अनन्तर तीनों गुणों के भीतर ही सारे गुणों का अन्तर्भाव दिखाने वाले मम्मटानुमोदित मत के साथ ग्रन्थकार ने अपनी असहमति प्रदर्शित की है।

सप्तम तरङ्ग में सबसे पहले शब्दालङ्कार का सामान्य लक्षण बताया गया है। उसके बाद वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, समुच्चय एवं चित्र इन छः अलङ्कारों को लक्षणों तथा उदाहरणों के साथ समझाया है। श्लेषवक्रोक्ति और काकुवक्रोक्ति ये दो भेद वक्रोक्ति के हैं और छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास ये दो भेद अनुप्रास के हैं। मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भद्रा इन पाँच वृत्तियों को इनके लक्षणों और उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया है। यमकालङ्कार के भेदों को दिखाकर आठ प्रकार के श्लेष को उदाहरणों के साथ दिखाया है।

अष्टम तरङ्ग में सर्वप्रथम अर्थालङ्कार का सामान्य लक्षण बताया हुआ है। इसके बाद आचार्य मम्मट के द्वारा काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में प्रतिपादित ६१ अलङ्कारों के नामों को १० कारिकाओं में गिनाया है। आगे इन्हीं अलङ्कारों में से प्रत्येक के लक्षण और पदकृत्य प्रदर्शित करके कहीं पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष दिखाकर उदाहरण दिये हुए हैं। यहाँ सबसे पहले उपमा का निरूपण किया गया है। इसके १० भेद हैं १—पूर्णोपमा, २—लुप्तोपमा, ३—उभयोपमा, ४—अनन्वयोपमा, ५—कल्पितोपमा, ६—असदुपमा, ७—मालोपमा, ८—रशनोपमा, ९—समस्तवस्तुविषया उपमा, १०—एकदेशविवर्तिनी उपमा। पूर्णोपमा के पहले १—श्रौती और २—आर्थी ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक के १—वाक्यगा, २—समासगा और ३—तद्धितगा ये तीन भेद होकर ६ भेद हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्णोपमा ६ प्रकार की बताई है। लुप्तोपमा ५ प्रकार की है १—धर्मलुप्ता, २—उपमानलुप्ता, ३—वाचकलुप्ता, ४—द्विलुप्ता, ५—त्रिलुप्ता। असदुपमा के २ भेद हैं—१—कल्पित २—लोकप्रसिद्ध। इस भाँति यह उपमा अपने भेदोपभेदों सहित २० प्रकार की हो जाती है। उपमा के प्रसङ्ग में ही अनन्वय और उपमेयोपमा को बता दिया है। अन्य उत्प्रेक्षा, रूपक अपह्नुति आदि सादृश्यमूलक अलङ्कारों के यहाँ

बहुत कम भेदोपभेद बताये हैं। ६१ वें सङ्करालङ्कार के लक्षणों और उदाहरणों को दिखाने के बाद यह बताया गया है कि अनन्वय, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, सन्देह और रूपक जैसे अलङ्कार उपमान के भेद ही माने जा सकते हैं।

अपह्नुति, श्लेष, समासोक्ति, निदर्शना और अप्रस्तुतप्रशंसा का समावेश अपह्नुति में किया जा सकता है, इसी प्रकार व्यतिरेक प्रतिवस्तूपमा आदि सादृश्य-मूलक अलङ्कारों का अन्तर्भाव उपमा में कर दिया है। विभावना में विरोधाभास और असङ्गति का तथा व्याघात का विरोध में अन्तर्भाव किया गया है। समाधि और समुच्चय में विशेष अन्तर नहीं है। अतिशयोक्ति का चमत्कार तो प्रत्येक अलङ्कार में देखा जा सकता है। इसके बाद उपमादोष और उनके उदाहरण बताये हैं। तदनन्तर यह साहित्यसुधासिन्धु सूर्य और चन्द्र के रहने तक बना रहे यह कामना प्रकट की है। बलराम और भगवान् शङ्कर की स्तुति करने के बाद आचार्य विश्वनाथ ने अपने वंश का परिचय देने के बाद अपना भी परिचय दिया है। सबसे अन्त में ग्रन्थ का रचनासमय तथा निर्माणस्थली का नाम (चन्द्रचूडपत्तन = वाराणसी) बताया है।

११. साहित्यसुधासिन्धु के विचारणीय स्थल और वैशिष्ट्य

आचार्य विश्वनाथदेव ने प्रधान रूप से अपने ग्रन्थ का आधार आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश को बताया है। आचार्य मम्मट ध्वनिप्रस्थापकपरमाचार्य हैं। उन्होंने काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में ध्वनियुक्त काव्य को ही उत्तम माना है और पञ्चम उल्लास में ध्वनि को युक्तिपूर्वक सिद्ध किया है। आचार्य विश्वनाथ-देव ने भी प्रथम और द्वितीय तरङ्ग में क्रमशः ध्वनिकाव्य के स्वरूप एवं ध्वनि को सिद्ध किया है। इस कारण आचार्य विश्वनाथदेव को ध्वनिसम्प्रदाय का अनुगामी माना जा सकता है। किन्तु इन्होंने प्रथम तरङ्ग में जिस ढंग से भोजराज के काव्यलक्षण का समर्थन किया है और ध्वनिकाव्य के भेदों का खण्डन प्रस्तुत किया है उसके आधार पर इनको रससम्प्रदाय का अनुयायी माना जा सकता है। इन्होंने कहा है—

वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकताव-च्छेदकं काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तथा तदेव लक्षणमस्तु, किमनेनानुगतेन लक्षणेन।

साहित्यसुधासिन्धु १,४ वृत्तिभाग

यहाँ इन्होंने आग्रह किया है कि आचार्य भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण में जो काव्यलक्षण है उसे ही मान लेना चाहिए। यह पूरा लक्षण इस प्रकार है—

अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति॥

सरस्वतीकण्ठाभरण १,२

इस लक्षण में रस शब्द का स्पष्ट उल्लेख है और आचार्य भोजराज रस-

सम्प्रदाय के हैं। अतः इस लक्षण को स्वीकार करने वाले आचार्य विश्वनाथदेव का झुकाव रससम्प्रदाय की ओर भी है और निम्नस्थल से भी ये रसवादी प्रतीत होते हैं—

वस्तुतस्तु अनुचितोऽयं ध्वनित्वादिना विभागः तथा हि एतेषु त्रिषु रसादिकं न प्रतीयते प्रतीयते वा। नाद्यः तदा काव्यत्वविरहापत्तेः। अथ प्रतीयते तदा कथं ध्वनित्वादिना विभागः। न च मध्यमे कथं न ध्वनित्वम्

सा० सु० सि० १,७ वृत्तिभाग

इस प्रकार दोनों ही सम्प्रदायों के पक्षग्राही प्रमाणों के उपलब्ध होने के कारण इनका कोई एक सम्प्रदाय निर्धारित करना कठिन है। किन्तु ध्वनिवादी आचार्यों की ध्वनि में रस, अलङ्कार और वस्तु इन सबका समन्वय हो जाता है इस कारण इन्हें प्रधान रूप से ध्वनिसम्प्रदाय का आचार्य माना जा सकता है और गौण रूप से रससम्प्रदाय का। अब यहाँ साहित्यसुधासिन्धु की कुछ विशेषतायें दिखाई जा रही हैं—

प्रथम तरङ्ग

(१) जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः।
यस्य श्रवणमात्रेण तद् वाक्यं काव्यमुच्यते॥

सा० सु० सि० १,४

इस काव्यलक्षण में परमानन्द और ब्रह्मानन्द इन शब्दों का प्रयोग इस तथ्य को प्रकट करता है कि रसास्वाद बहिर्वृत्तिप्रधान लौकिक विषयानन्द और गणितज्ञों के ज्ञानप्रधान लौकिक आनन्द से पृथक् होता है। ब्रह्मानन्द में ध्यान निर्विषय और अन्तर्मुखी होता है। श्रवणमात्रेण कहने से आचार्य विश्वनाथदेव काव्य में शब्द की प्रधानता को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं।

(२) वस्तुतस्तु अदोषं······काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयम् (सा० सु० सि० १,४ वृत्ति) में प्रयुक्त अखण्ड शब्द के आधार पर निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं—

(क) अखण्ड शब्दार्थ अर्थात् शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि काव्य है।

(ख) स्थायिभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव इन सबका सम्पृक्त-भाव काव्य है।

(ग) ज्ञान, प्रकाश और आनन्द की समष्टि काव्य कहलाती है।

(३) शब्द को काव्य मानने वाले और शब्दार्थ दोनों को काव्य मानने वाले आचार्यों के पक्ष विपक्ष में कही जाने वाली युक्तियों को उत्तम रीति से सङ्गृहीत किया है।

(४) ध्वनि के उत्तम, मध्यम और अवर इन तीन भेदों को अनुचित बताकर परम्पराप्राप्त सिद्धान्त का युक्तिपूर्वक विरोध किया है।

द्वितीय तरङ्ग

सङ्केत का ग्रहण जाति में मानने के साथ साथ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति

में भी माना है—

यत्र वाकाशादिपदेनानन्त्यव्यभिचारस्तत्र सा व्यक्तावपीति नानुपपत्तिः।

—सा० सु० सि० २,१२ वृत्तिभाग

(२) षड्विधा लक्षणा की अनुपपन्नता बताकर चार प्रकार की लक्षणा बताई गई है—

अत्र केचित्—षड्विधात्वमनुपपन्नं गौण्यामप्युपादानादिसम्भवात्······मिति नव्याः।

वहीं १,१८ वृत्तिभाग

यहाँ शुद्धा लक्षणा के आयुर्घृतम् और गङ्गायां घोषः इन दोनों उदाहरणों का अन्तर्भाव गौणी लक्षणा में कर दिया गया है। क्योंकि आयु र्घृतम् में कार्यकारण-भाव सम्बन्ध के स्थान पर सादृश्यसम्बन्ध माना जा सकता है और गङ्गायां घोषः में भी समान गुणों का योग है। इन दोनों उदाहरणों में सादृश्यसम्बन्ध को इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

(क) आयुर्घृतम्—यादृशमायुर्वर्धकं कारणं घृतं तादृशं नान्यत् किमपि कारणमायुर्वर्धकम्।

यहाँ आयुर्वर्धकत्व रूप सदृश गुण का योग होने से उपमानलुप्ता उपमा है।

(ख) गङ्गायां घोषः—यादृशः शीतत्वपावनत्वादिगुणोपेतो गङ्गाप्रवाहस्तादृश एव घोषः।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक प्रकार की लक्षणा में सदृश गुणों का योग ढूंढा जा सकता है। सादृश्य और सादृश्येतर सम्बन्ध के आधार पर लक्षणा के भेद करने ठीक नहीं हैं।

(३) व्यञ्जनासिद्धि के प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी ने लक्षणावादी के दो लक्षणाओं को मानने का सिद्धान्त दिखाया है। यह बात अन्यत्र देखने में नहीं आती है—

लक्षणाद्वयाङ्गीकारे तु—तावदेव कल्पनीयम्

वहीं २,१९ वृत्तिभाग पृ० ५५

(४) वस्तुतः व्यञ्जना ही एकमात्रवृत्ति है और इसी के अभिधा और लक्षणा नाम हैं—

नव्यास्तु तद्धी······व्यञ्जनेत्याश्रयणात्

वहीं पृ० ६७-६८

तृतीय तरङ्ग

(१) रसनिष्पत्ति की प्रक्रिया को वेदान्त की सहायता से नवीन रीति से स्पष्ट किया है—

अस्यां चाभिव्यक्तौ······भग्नावरणमानन्दरूपतया परिणतं रस इति निर्गलितार्थः।

सा० सु० सि० ३,२७ वृत्तिभाग पृ० ९०

(२) साधारणीकरण की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है—

साधारण्यं च यत्किञ्चित्सम्बन्धविशेषसम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति ज्ञायमानत्वम् ।

वहीं पृ ९२

(३) रस के कार्य और ज्ञाप्य होने और न होने का प्रतिपादन नवीन युक्तियों से किया गया है ।

(४) १२ रस तथा उनके १२ ही स्थायिभाव बताये हैं । काव्यप्रकाशोक्त ध्वनि के ५१ भेदों को दिखाकर केवल ७ भेदों को उपयोगी माना है ।

वहीं ३,७५ वृत्तिभाग पृ० १६९

चतुर्थ तरङ्ग

शब्दचित्र और अर्थचित्र की स्थिति गौणप्रधानभाव से स्वीकार की है ।

पञ्चम तरङ्ग

(१) येषां ज्ञानाच्चमत्कारो० इत्यादि दोषसामान्य का लक्षण देकर वस्तुतस्तु रसापकर्षजनकज्ञानविषयत्वं दोषत्वम् यह परिनिष्ठित लक्षण दिया है ।

(२) काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण में श्रुतिकटु आदि सभी दोषों के विस्तृत लक्षण नहीं दिये हैं । किन्तु यहाँ इन दोषों का लक्षण, परिनिष्ठित लक्षण और दूषकताबीज बतलाया गया है ।

(३) च्युतसंस्कृति, असमर्थ और निरर्थक को केवल पददोष ही नहीं वाक्यदोष भी माना है ।

(४) एक दोष की दूसरे दोष में सङ्क्रान्ति की सम्भावना बताई है । समान दोषों का पारस्परिक सूक्ष्म भेद बताया है । इस सम्बन्ध में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति की शङ्का उठाकर उसका समाधान किया है ।

(५) पददोष वाक्यदोष माने जा सकते हैं और वाक्यदोष पददोष बन जाते हैं इस बात का प्रतिपादन पूर्वपक्ष, अन्यपक्ष और सिद्धान्तपक्ष दिखाते हुए किया है ।

(६) प्राचीन आचार्यों के द्वारा बतलाये हुए अपुष्टार्थ आदि दोषों का अधिकपद, निरर्थक आदि में अन्तर्भाव बतलाया है । पुनरुक्ति आदि दोषों की अदोषता अर्थात् दोषाभासता का भी प्रतिपादन है ।

षष्ठ तरङ्ग

(१) गुणों की वर्णवृत्ति न होकर रसवृत्ति होती है इसका युक्तिपूर्वक प्रतिपादन किया गया है ।

(२) १० शब्दगुणों और १० अर्थगुणों के ३ गुणों में अन्तर्भाव स्वीकार करने वाले मत से अपनी अस्वीकृति प्रदर्शित की है ।

सप्तम तरङ्ग

(१) व्यञ्जना और श्लेष के अन्तर को स्पष्ट किया है।

(२) पुनरुक्तवदाभास को अलङ्कार मानने और न मानने के विषय में विशेष विवेचन है।

अष्टम तरङ्ग

(१) सभी छोटे बड़े अलङ्कारों की शैली में परिनिष्ठित लक्षण दिये गये हैं। इस कारण इन लक्षणों में साङ्कर्य, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति का निराकरण हो जाता है।

(३) उपमा और अनन्वय जैसे सादृश्यमूलक अलङ्कारों तथा दृष्टान्त और अर्थान्तरन्यास जैसे आंशिक सम्बन्ध रखने वाले उदाहरणों में सूक्ष्म भेद बताया है।

(३) सादृश्यमूलक अनन्वय, उपमेयोपमा आदि अलङ्कारों का उपमा में तथा विभावनादि का विरोधाभासादि में अन्तर्भाव दिखाया है।

१२. साहित्यसुधासिन्धु की विषयप्रतिपादनशैली में दोष

(१) इस ग्रन्थ में बहुत सारी कारिकायें और बहुत से उदाहरण अन्य लक्षण ग्रन्थों से ज्यों के त्यों लिये गये हैं। इससे ग्रन्थकार की अमौलिकता और उद्भावना शक्ति की न्यूनता प्रकट होती है।

(२) कहीं कहीं गुण और दोषों के जो उदाहरण अपनी ओर से ढूंढकर दिये गये हैं वे उपयुक्त एवं सशक्त नहीं बन पाये हैं।

(३) कहीं कहीं सिद्धान्तपक्ष को प्रारम्भ में रखकर बाद में पूर्वपक्ष दिया है और उसको अनुत्तरित ही छोड़ दिया है।

(४) रसप्रकरण में भाव और रसाभासादि का स्वरूप तथा रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में भट्टलोल्लट आदि आचार्यों के मत नहीं दिखाये हैं।

(५) काव्य के श्रव्यकाव्य और दृश्यकाव्य इन भेदों का प्रतिपादन नहीं किया है जबकि सम्पूर्ण काव्यशास्त्र में नाटकादि रूपकों में विद्यमान रसादि के सम्बन्ध में ही विचार किया जाता है।

(६) नव्यन्याय की पद्धति अपनाने से शैली कहीं कहीं अस्पष्ट, क्लिष्ट एवं दुरूह हो गई है।

(७) स्वनिर्मित लक्षणों को उपस्थित करने में जितना श्रम किया गया है उतना स्वनिर्मित उदाहरणों के लिए नहीं हुआ है प्रायः ये उदाहरण और ग्रन्थों से लिये हैं।

(८) यह ग्रन्थ एक सङ्ग्रहग्रन्थ ही है और इसमें किसी नये सम्प्रदाय का प्रवर्तन अथवा प्रतिपादन नहीं है।

१३. साहित्यसुधासिन्धु का काव्यशास्त्र में स्थान—यह ग्रन्थ काव्यालङ्कार (रुद्रटकृत), काव्यप्रकाश, और साहित्यदर्पण की भाँति सङ्ग्रहग्रन्थ है। इसमें किसी

मौलिक सम्प्रदाय का प्रतिपादन न होकर १६वीं शती तक प्रचलित काव्यसम्प्रदायों के विचारों का सङ्कलन किया गया है।

इन सभी ग्रन्थों से उत्तरवर्ती होने के कारण इसमें अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का परिष्कृत रूप में समावेश है। अभी तक अपने अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ का दोष और अर्थालङ्कार का प्रकरण आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश के दोष और अर्थालङ्कार भाग से निश्चत रूप से अधिक उत्कृष्ट है। इस ग्रन्थ के सही मूल्याङ्कन के लिए सभी प्रमुख आचार्यों की रचनाओं के साथ अभी तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। इसके वाद ही इसका काव्यशास्त्र में निश्चित स्थान निर्धारित किया जा सकेगा। इससे पहले तो यही प्रतीत हो रहा है कि यह ग्रन्थ अपने से पूर्ववर्ती किसी भी सङ्ग्रहग्रन्थ के समकक्ष तो रखा ही जा सकता है और यह उसकी तुलना में उससे उत्कृष्ट न माना जा सके। छुछ आगे ही रहेगा पीछे बिलकुल भी नहीं।

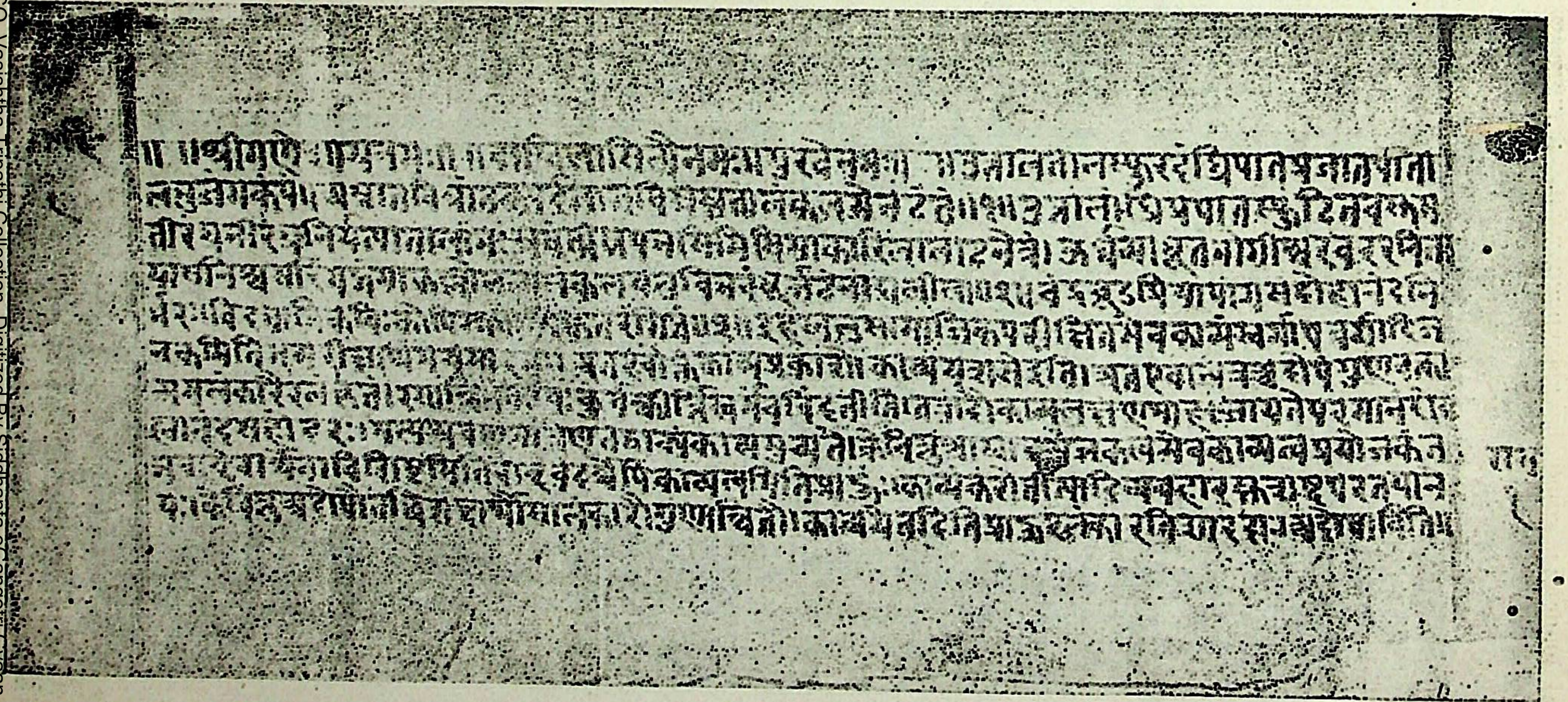
कृतज्ञताज्ञापन

यह ग्रन्थ सम्पादित, अनूदित और टिप्पणीसंवलित होकर मुद्रित रूप में पहली वार प्रकाशित हो रहा है। इस ग्रन्थ की कोई टीका भी उपलब्ध नहीं हुई है। जम्मू-कश्मीर की महान् विभूति एवं अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान् स्वर्गीय पण्डित काकारामशास्त्री तथा वाराणसीगौरव साहित्याचार्य श्रीद्विजेन्द्रनाथ मिश्र—इन दोनों गुरुजनों ने इस ग्रन्थ की दुरूह ग्रन्थियों को खोलने में सहायता दी है। इनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। काव्यशास्त्र के प्रमुख समालोचक एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्यासङ्काय के आचार्य डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी एम० ए०, साहित्याचार्य, डी० लिट् ने विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखने की कृपा की है इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

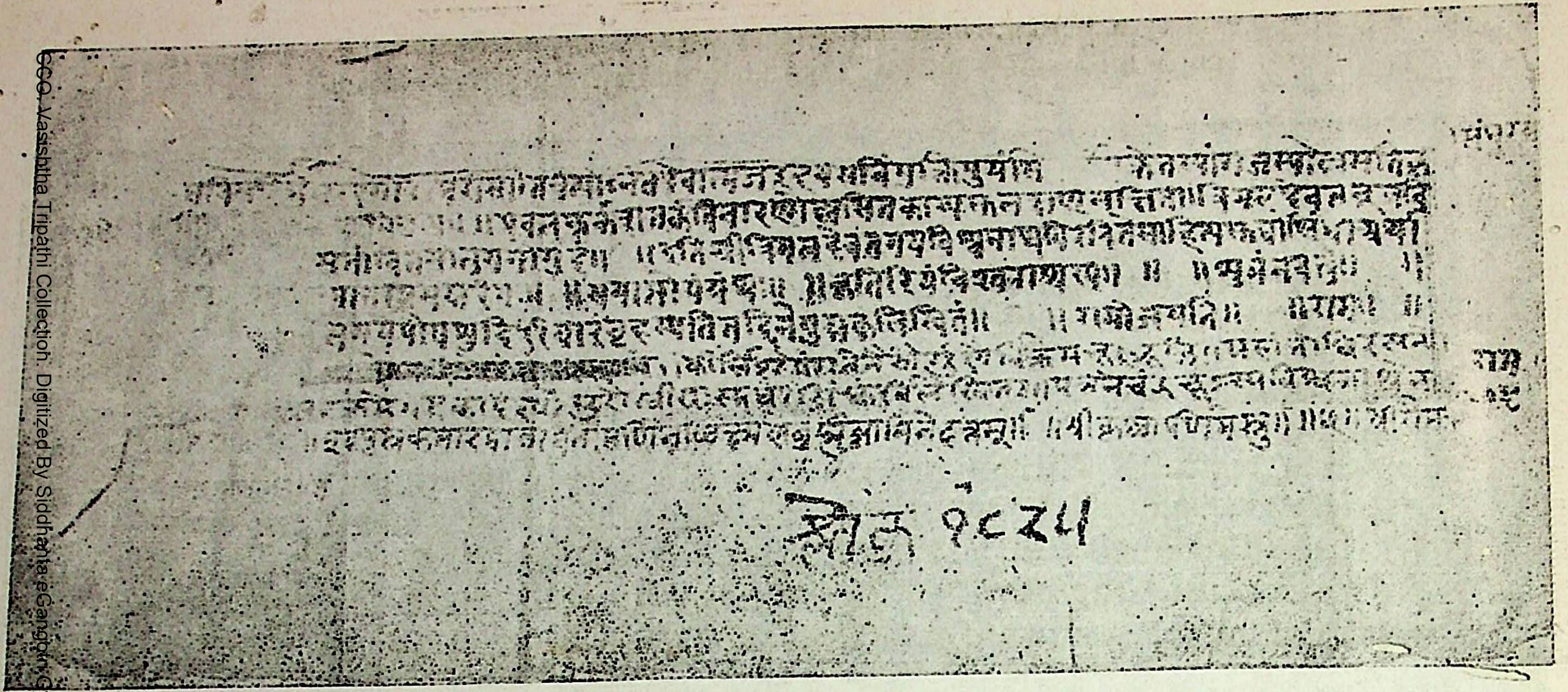
स्वर्गीय आचार्य विश्वेश्वरकृत काव्यप्रकाश की हिन्दी टीका तथा जम्मू, अलवर और तिरुपति के पुस्तकालयों की हस्तलिखित प्रतियों से ग्रन्थ को परिष्कृत रूप मिला है अतः मैं आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि तथा उक्त पुस्तकालयों के अधिकारियों एवं श्रीरामकृष्ण शास्त्री का आभार स्वीकार करता हूँ। अनुक्रमणिकानिर्माण में सहायक मेधावी प्रिय छात्र केदारनाथ एम० ए०, प्रेस तथा प्रकाशक को भी धन्यवाद है। अपने उपयोगी सुझावों और तर्कवितर्कों से ग्रन्थ को वर्तमान रूप तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करने वाली धर्मपत्नी डा० वेदकुमारी से सहायता प्राप्त करना तो मेरा विशेषाधिकार एवं सौभाग्य ही है। इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ एवं सहायता देने वाले शिक्षा आर्थिक समाजकल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

नववर्ष
१,१, १९७८

रामप्रताप
रीडर, संस्कृत-विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय,
जम्मूतवी



श्रीरणवीर संस्कृत रिसर्च इन्स्टिट्यूट, रघुनाथ मन्दिर, जम्मू तवी के पुस्तकालय में सुरक्षित साहित्यसुधासिन्धु की हस्तलिखित ज प्रति के प्रथम पृष्ठ का चित्र (पृ० ४६)



पूर्वनिर्दिष्ट ज प्रति के अन्तिम पृष्ठ का चित्र (पृ० ५०)

विषयानुक्रमणिका

	पृ०
समर्पण	५
Foreword	i
Editorial	ii
भूमिका	ix
आशीर्वचनानि	xvi
शुभाशंसा	xvi
विषयावतरणिका	xvii
१. आचार्य विश्वनाथदेव का परिचय	xvii
२. जीवनकाल	xviii
३. विश्वनाथदेव नाम का औचित्य	xix
४. मृगाङ्कलेखा का रचनाकाल और परिचय	xx
५. मृगाङ्कलेखा और साहित्यसुधासिन्धु में समानतायें	xxiv
६. साहित्यसुधासिन्धु का रचनाकाल और परिचय	xxviii
७. अन्तःसाक्ष्य के आधार पर साहित्यसुधासिन्धु की पूर्वापरसीमा	xxx
८. साहित्यसुधासिन्धु की वर्तमान हस्तलिखित प्रतियाँ	xxxiii
९. तीनों प्रतिलिपियों का मूलप्रति से अन्तर तथा अमौलिकता	xxxvii
१०. साहित्यसुधासिन्धु के प्रतिपाद्य विषय	xxix
११. साहित्यसुधासिन्धु के विचारणीय स्थल और वैशिष्ट्य	xliii
१२. साहित्यसुधासिन्धु की विषयप्रतिपादनशैली में दोष	xlvii
१३. साहित्यसुधासिन्धु का काव्य शास्त्र में स्थान	xlvii
१४. हस्तलिखित ज प्रति के प्रथम पृ० का चित्र	ixl
,, ज प्रति के अन्तिम पृष्ठ का चित्र	l
विषयानुक्रमणिका	Li
संक्षिप्त विषयानुक्रमणिका एवं संक्षेप	Lviii

प्रथम तरङ्ग

विषय		विषय	
मङ्गलाचरण	१	काव्य में सामान्यालङ्कार का महत्त्व	१९
काव्यप्रयोजन	४	काव्य के भेद तथा उनके उदाहरण	२१
काव्यलक्षण	७		
परिनिष्ठित काव्यलक्षण	१७		

द्वितीय तरङ्ग

शब्दलक्षण ३१
शब्दभेद, अर्थभेद एवं व्यापारभेद ३१
वाचकशब्द ३२
आनन्त्य और व्यभिचार दोष ३२
जाति और व्यक्ति में सङ्केत ३२
लाक्षणिक शब्द ३७
लक्षणा और उसके भेद ३८
अव्यङ्ग्या लक्षणा का उदाहरण ३९
सव्यङ्ग्या लक्षणा के लक्षण और उदाहरण ४१
षड्विधा लक्षणा की अनुपपन्नता ४९
नव्यों की चतुर्भेदा लक्षणा ५०
व्यञ्जक शब्द का लक्षण और उदाहरण ५०
व्यञ्जनाविरोधी मीमांसा के मत का खण्डन ५१
लक्षणावाद और उसका खण्डन ५२
अनुमान में व्यञ्जना के अन्तर्भाव का खण्डन ५५
श्लेष में व्यञ्जना के अन्तर्भाव का खण्डन ६४
एकमात्र व्यञ्जनावृत्ति की सत्ता का प्रतिपादन ६७
अतिनवीनों द्वारा अनुमान में व्यञ्जना का अन्तर्भाव और उसका खण्डन ७०

तृतीय तरङ्ग

ध्वनि के चार भेदों के लक्षण और उदाहरण ७७
रसस्वरूप ८१
विभाव का लक्षण और भेद ८६
व्यभिचारिभाव का लक्षण ८८
विभावनादिव्यापार और उनका फल ८९
रत्याद्यवच्छिन्न और भग्नावरण चैतन्य की रसरूप में परिणति ९०
साधारणीकरणव्यापार ९२
रससाक्षात्कार में व्यञ्जना की हेतुता ९३
कवि के भावों का ही काव्य में प्रतिविम्बन ९४
रसनिष्पत्ति एवं रसस्वरूप ९५
भाव ९७
रत्यादिभावों का साधारणीकरण ९८
रस के कार्य होने का निषेध ९८
रस के ज्ञाप्य होने का निषेध ९९
रस के कार्य और ज्ञाप्य होने का प्रतिपादन १००
रसास्वाद में व्यञ्जना की सहायता १०१
स्थायिभाव १०३
विभावादि की संयुक्तहेतुता का खण्डन मण्डन १०३
रस के भेद १०८
सम्भोगशृङ्गार १०८
विप्रलम्भ शृङ्गार के ५ भेद ११०
अभिलाषविप्रलम्भ ११३
विरहविप्रलम्भ ११३
ईर्ष्याविप्रलम्भ ११४
प्रवासविप्रलम्भ ११४
शापविप्रलम्भ ११५
वीर के ४ भेद ११५
दानवीर ११५
धर्मवीर ११६
दयावीर ११६
युद्धवीर ११७
करुण ११७
रौद्र ११८
अद्भुत ११८
भयानक १२०
बीभत्स १२०
हास्य १२१
प्रेयान् १२२
शान्त १२३
दान्त १२४

उद्धत १२५
स्थायिभावों के भेद १२५
रति १२५
उत्साह १२६
शोक १२६
क्रोध १२७
आश्चर्य (विस्मय) १२७
भय १२८
जुगुप्सा १२९
हास १२९
वात्सल्य १३०
निर्वेद १३१
धैर्य (स्थैर्य) १३२
गर्व १३२
चार ही रसों के रसत्व का प्रतिपादन १३२
करुणादियों का रसत्वविषयक पक्ष विपक्ष १३३
८ सात्त्विकभाव १३८
स्तम्भ १३९
स्वेद १३९
रोमाञ्च १४०
स्वरभङ्ग १४०
वेपथु १४१
वैवर्ण्य १४२
अश्रु १४२
प्रलय १४३
३३ व्यभिचारिभाव १४३
स्मृति १४४
वितर्क १४५
उत्कण्ठा १४५
चिन्ता १४५
चपलता १४६
मति १४६
गर्व १४७
स्नेह १४७
धृति १४७
व्रीडा १४८
अवहित्थ १४९
मूढता १४९
मद १४९
हर्ष १५०
अमर्ष १५१
असूया १५२
ईर्ष्या १५२
विषाद १५३
दैन्य १५३
उग्रता १५४
त्रास १५५
शङ्का १५५
गद १५६
ग्लानि १५६
उन्माद १५७
सम्भ्रम १५८
श्रम १५८
निर्वेद १५९
जाड्य १५९
आलस्य १६०
निद्रा १६०
सुप्त १६०
प्रबोध (प्रबुद्धता) १६१
असंलक्ष्यक्रमध्वनि १६२
संलक्ष्यक्रमध्वनि के ३ भेद १६३
ध्वनि के ५१ भेद १६४
ध्वनि के ७ भेद १६९
ध्वनि के सङ्कर तथा संसृष्टि के कारण प्रचुर भेद १७१

चतुर्थ तरङ्ग

गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्य के ८ भेद १७७
अगूढ १७८
अपराङ्ग १७९
वाच्यसिद्धयङ्ग १८३
अस्फुट १८३
सन्दिग्धप्राधान्य १८४
तुल्यप्राधान्य १८५
काक्वाक्षिप्त १८५

असुन्दर १८६
गुणीभूतव्यङ्ग्य की ध्वनि-
सम्मितता १८७
ध्वनि के वस्त्वादि ३ भेद १८७

पञ्चम तरङ्ग

दोष का लक्षण १९१
दोष का परिनिष्ठित लक्षण १९२
पददोषों के भेद १९६
श्रुतिकटु १९६
असाधु १९८
असम्मत २००
असमर्थ २०३
निहतार्थ २०५
अनुचितार्थ २०७
निरर्थक २०९
अवाचक २१०
अश्लील २१२
सन्दिग्ध २१४
अप्रतीत २१४
ग्राम्य २१७
नेयार्थ २१८
क्लिष्ट २२२
अविमृष्टविधेयांश २२५
विरुद्धमतिकृत् २३२
पदवाक्यपदांशगतदोष २३८
च्युतसंस्कारादि की वाक्यदोषता के सम्बन्ध में पूर्वोत्तरपक्ष २३८
वाक्यमात्रगतदोष २४५
प्रतिकूलवर्ण २४६
उपहतलुप्तविसर्ग २४८
विसन्धि २५०
हतवृत्त २५४
न्यूनपद २५६
अधिकपद २५७
कथितपद २५८
पतत्प्रकर्ष २६०
समाप्तपुनरात्त २६१
अर्धान्तरैकवाचक २६३
अभवन्मतयोग २६५
अनभिहितवाच्य २६७
अस्थानस्थपद २६८
अस्थानस्थसमास २६९
सङ्कीर्ण २७०
गर्भित २७१
प्रसिद्धिहत २७२
भग्नप्रक्रम २७३
अक्रम २८०
अमतपरार्थ २८१
उपहतविसर्गादि का दोषाभावत्व २८४
अर्थदोष २८५
अपुष्टार्थादि दोषों का अधिकपदादि दोषों में अन्तर्भाव २८८
दोषाभास २९९
रसदोष ३०६
व्यभिचार्यादियों का स्वशब्दवाच्यत्व ३०७
अनुभाव और विभाव की कष्टकल्पना ३०८
प्रतिकूलविभावादिग्रह ३०८
रस की बार बार दीप्ति ३०९
अकाण्डप्रथन ३१०
अकाण्डच्छेद ३१०
अङ्ग की अतिविस्तृति ३११
अङ्गी का अननुसन्धान ३१२
प्रकृतिविपर्यय ३१३
अनङ्ग का अभिधान ३१४

षष्ठ तरङ्ग

गुणसामान्य का लक्षण ३१७
गुणों के तीन भेद ३२०
माधुर्य ३२०
ओज ३२१
प्रसाद ३२३
गुणों की शब्दार्थवृत्ति ३२३
माधुर्यव्यञ्जकवर्ण ३२४
ओजोव्यञ्जकवर्ण ३२५

रीतिभेद	३२६	अर्थगुण	३४२
गुणों की शब्दवृत्तिता के सम्बन्ध में पूर्वोत्तरपक्ष	३२७	श्लेष	३४३
शब्दगुण	३३१	प्रसाद	३४६
श्लेष	३३१	समता	३४६
प्रसाद	३३२	माधुर्य	३४७
समता	३३४	सौकुमार्य	३४८
माधुर्य	३३५	अर्थव्यक्ति	३४८
सुकुमारता	३३६	उदारता	३५०
अर्थव्यक्ति	३३७	ओज	३५१
उदारता	३३८	कान्ति	३५३
ओज	३३९	समाधि	३५४
कान्ति	३४०	काव्यपाक	३५५
समाधि	३४१	तीन गुणों में दस गुणों के अन्तर्भाव का खण्डन	४५६ ३५७

सप्तम तरङ्ग

शब्दालङ्कार का लक्षण	३५९	शृङ्खलायमक	३७३
शब्दालङ्कारभेद	३६०	परिवर्तकयमक	३७४
श्लेषवक्रोक्ति	३६०	श्लेष	३७४
काकुवक्रोक्ति	३६०	श्लेष का परिनिष्ठित लक्षण	३७५
अनुप्रास	३६२	वर्णश्लेष	३७८
अनुप्रास के भेद	३६३	पदश्लेष	३७९
वृत्ति के भेद	३६४	लिङ्गश्लेष	३८०
मधुरा	३६४	भाषाश्लेष	३८१
प्रौढा	३६४	प्रकृतिश्लेष	३८४
परुषा	३६५	प्रत्ययश्लेष	३८५
ललिता	३६६	विभक्तिश्लेष	३८६
भद्रा	३६६	वचनश्लेष	३८६
छेकानुप्रास	३६७	श्लेष का अन्य अलङ्कारों के साथ सम्बन्ध	३८७
वृत्त्यनुप्रास	३६७		
लाटानुप्रास	३७०	श्लेष की अनलङ्कारता सम्बन्धी मत	३८९
यमक	३७०		
पादयमक	३७२	चित्रयुक्	३९२
पादार्धयमक	३७२	खड्गबन्ध	३९२
एकाक्षरयमक	३७३	द्व्यक्षरचित्रकाव्य	३९३
अनेकाक्षरयमक	३७३	पुनरुक्तवदाभास	३९४

अष्टम तरङ्ग

अर्थालङ्कार का लक्षण	३९७	वाक्योपमा (पूर्णोपमा)	४०२
अर्थालङ्कार के भेद	३९७	लुप्तोपमा	४०५
उपमा	३९८	धर्मलुप्ता	४०६

उपमानलुप्ता ४०६
उभयोपमा ४०६
अनन्वय ४१०
कल्पितोपमा ४११
असदुपमा ४१२
श्रौती पूर्णोपमा ४१५
आर्थी पूर्णोपमा ४१५
समासगा श्रौती ४१६
समासगा आर्थी ४१६
मालोपमा ४१६
रशनोपमा ४१७
समस्तविषयोपमा ४१८
एकदेशविवर्तिन्युपमा ४१८
उत्प्रेक्षा ४२०
संशय ४२३
रूपक ४२६
मालारूपक ४३१
परम्परित ४३२
अपह्नुति का प्रथम भेद ४३३
अपह्नुति का द्वितीय भेद ४३४
श्लेष ४३५
समासोक्ति ४३७
पदगतनिदर्शना ४३८
वाक्यगतनिदर्शना ४४०
अप्रस्तुतप्रशंसा ४४१
अभेदातिशयोक्ति ४४५
भेदातिशयोक्ति ४४५
यद्यर्थमूलातिशयोक्ति ४४६
कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्यया-
तिशयोक्ति ४४६
प्रतिवस्तूपमा ४५१
दृष्टान्त ४५३
दीपक ४५५
क्रियादीपक ४५६
कारकदीपक ४५६
मालादीपक ४५७
तुल्ययोगिता ४५८
व्यतिरेक ४५९
त्रिविध व्यतिरेक ४६०
आक्षेप ४६२
वक्ष्यमाणविषयक आक्षेप ४६३
उक्तविषयक आक्षेप ४६३
विशेषोक्ति ४६६
विभावना ४६७
अर्थान्तरन्यास ४६८
साधर्म्य से अर्थान्तरन्यास ४६९
वैधर्म्य से अर्थान्तरन्यास ४७०
यथासङ्ख्य ४७१
विरोधाभास ४७३
विरोधाभास के भेद ४७४
स्वभावोक्ति ४७६
स्वभावोक्ति के ४ भेद ४७७
व्याजस्तुति ४७९
सहोक्ति ४८०
परिवृत्ति ४८३
भाविक ४८५
काव्यलिङ्ग ४८६
काव्यलिङ्ग के ३ भेद ४८७
पर्यायोक्त ४८९
उदात्त ४८९
समुच्चय ४९१
सद्वस्तुयोगसमुच्चय ४९१
असद्वस्तुयोगसमुच्चय ४९२
सदसद्वस्तुयोगसमुच्चय ४९३
समुच्चय के अन्य ३ भेद ४९३
पर्याय ४९४
अनुमान ४९५
परिकर ४९७
द्रव्यपरिकर ४९८
गुणपरिकर ४९९
क्रियापरिकर ४९९
जातिपरिकर ५००
व्याजोक्ति ५००
परिसङ्ख्या ५०२
परिसङ्ख्या के २ भेद ५०२
कारणमाला ५०३
अन्योन्य ५०४
उत्तर ५०५
सूक्ष्म ५०६
सार ५०८
असङ्गति ५०८
समाधि ५०९

सम	५१०
विषम	५११
विषम के ४ भेद	५११
अधिक	५१३
अधिक के २ भेद	५१४
प्रत्यनीक	५१५
मीलित	५१६
एकावली	५१७
स्मृति	५१९
भ्रान्तिमान्	५२१
प्रतीप	५२२
सामान्य	५२३
विशेष	५२४
विशेष के ३ भेद	५२४
तद्गुण	५२६
अतद्गुण	५२७
अतद्गुण के २ भेद	५२७
व्याघात	५२८
संसृष्टि	५२९
शब्दालङ्कारसंसृष्टि	५३०
अर्थालङ्कारसंसृष्टि	५३०
संसृष्टि की पृथगलङ्कारता के सम्बन्ध में पूर्वोत्तरपक्ष	५३१
सङ्कर	५३४
व्यक्तसङ्कर	५३४
अव्यक्तसङ्कर	५३५
संशयसङ्करालङ्कार	५३६
कतिपय अलङ्कारों का उपमा में अन्तर्भाव	५३८
विभावना में विरोधाभास का अन्तर्भाव	५४२
समता में यथासङ्ख्य का अन्तर्भाव	५४२
उपमादोष	५४३
तीन प्रकार का हीनत्व	५४३
अधिकत्व	५४४
दो प्रकार का अधिकत्व	५४४
लिङ्गभेद	५४५
वचनभेद	५४५
असादृश्य	५४६
शुभाशंसा	५४७
पुष्पिका	५४८
ग्रन्थसमयनिर्देश	५४९
सूत्रकारिकानुक्रमणिका	५५१
सङ्ख्याविरहित कारिकानुक्रमणिका	५५५
उदाहृतश्लोकानुक्रमणिका	५५६
सङ्ख्याविरहितश्लोकानुक्रमणिका	५६२
आकरग्रन्थानुक्रमणिका	५६३
नामानुक्रमणिका	५६४

संक्षिप्त विषयानुक्रमणिका

पृष्ठ

१. प्रथम तरङ्ग : काव्यप्रयोजन, काव्यलक्षण एवं काव्यभेद १-३०

२. द्वितीय तरङ्ग : त्रिविध शब्द के अभिधादि व्यापार एवं पूर्वपक्षनिराकरणसहित व्यञ्जनासिद्धि ३१-७६

३. तृतीय तरङ्ग : रसस्वरूप, रसभेद, स्थायिभाव, सात्त्विकभाव, व्यभिचारिभाव एवं ध्वनिभेद ७७-१७६

४. चतुर्थ तरङ्ग : गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के भेद १७७-१८९

५. पञ्चम तरङ्ग : दोषलक्षण, पददोष, पदवाक्यपदांशगतदोष, वाक्यमात्रगतदोष, अर्थदोष, दोषाभास एवं रसदोष १९१-३१५

६. षष्ठ तरङ्ग : गुणलक्षण, गुणभेद, रीतिभेद, शब्दगुण, अर्थगण एवं काव्यपाक ३१७-३५८

७. सप्तम तरङ्ग : शब्दालङ्कारलक्षण एवं शब्दालङ्कारभेद ३५९-३९६

८. अष्टम तरङ्ग : अर्थालङ्कारलक्षण, अर्थालङ्कारभेद, कतिपय अलङ्कारों का अन्य अलङ्कारों में अन्तर्भाव, उपमादोष एवं पुष्पिका ३९७-५४९

९. सूत्र, कारिका, श्लोक, आकरग्रन्थ तथा नामों की अनुक्रमणिकायें ५५१-५६४

संक्षिप्त सूची

ज जम्मू (श्रीरणवीर संस्कृत रिसर्च इन्स्टिट्यूट रघुवीरनाथमन्दिर जम्मू में विद्यमान हस्तलिखित प्रति)

अ अलवर (राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान महल चौक, अलवर में विद्यमान हस्तलिखित प्रति)

त तिरुपति (ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, श्रीवेङ्कटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति में विद्यमान हस्तलिखित प्रति)

श्रीविश्वनाथदेवविरचितः*

साहित्यसुधासिन्धुः†

प्रथमस्तरङ्गः‡

श्रीगणेशाय नमः । वाग्विलासिन्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।[1]

श्रीगणेश जी को नमस्कार है। वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम है और [पूजनीय] श्रीगुरुजनों को अभिवादन है ।

टि०—संस्कृतसाहित्य के मूलग्रन्थों के रचयिता अथवा उनके टीकाकार विद्वान् अपनी रचनाओं के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण करने की परिपाटी का अनुसरण करते चले आये हैं। यह मङ्गलाचरण तीन प्रकार का होता है—१. आशीर्वादात्मक २. नमस्कारात्मक और ३. वस्तुनिर्देशात्मक । इस सम्बन्ध में कालिदास के मेघदूत की टीका में आचार्य मल्लिनाथ ने कहा है—आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम् (मेघदूत १, १ मल्लिनाथीया सञ्जीवनी टीका) (१) आशीर्वादात्मक—जब ग्रन्थ प्रणेता किसी अपने इष्टदेव, समुचितदेव (राजनीति आदि विषयानुरूप देव) अथवा समुचितेष्टदेव (विषयानुरूप तथा इष्टदेव) की स्तुति करते हुए उसके द्वारा अपने सामाजिकों अथवा पाठकों के कल्याण की प्रार्थना करता है, तो वह मङ्गल आशीर्वादात्मक होता है। (२) नमस्कारात्मक—जब ग्रन्थकार अपने इष्टदेवता ('एको देवः केशवो वा शिवो वा' के नियमानुसार अपने उपास्यदेव) आदि को नमस्कार करता है तो वह मङ्गल नमस्कारात्मक होता है । (३) वस्तुनिर्देशात्मक—जहाँ कवि अथवा ग्रन्थरचयिता अपनी रचना के आरम्भ के प्रथम श्लोक में किसी मङ्गलवाची पद को रखता हुआ प्रतिपाद्य विषय का वर्णन उसी श्लोक से करने लग जाता है तो वह वर्णन वस्तुनिर्देशात्मक होता है ।

इस ग्रन्थ के आदि में त्रिमलदेवपुत्र आचार्य विश्वनाथ ने श्रीगणेश जी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा अपने पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया है। इस

*†‡ यह तीनों शीर्षक अभी तक प्राप्त तीनों प्रतियों में से किसी में नहीं हैं, किन्तु प्रत्येक तरङ्ग की समाप्ति पर पुष्पिका में ग्रन्थकार, ग्रन्थ और तरङ्ग का नामोल्लेख मिलता है। इसी आधार पर प्रथम तरङ्ग के आरम्भ में यह शीर्षक रखा है और शेष सात तरङ्गों के प्रारम्भ में क्रमशः द्वितीयस्तरङ्गः, तृतीयस्तरङ्गः आदि शीर्षक दे दिये हैं। तीनों प्रतियों में श्रीगणेशाय नमः से ग्रन्थ आरम्भ होता है।

१. त; गुरवे नमः ज; गुरवे नमः अथवा श्रीगुरुभ्यो नमः क में नहीं।

उत्तालतालस्फुरदङ्घ्रिपात-
प्रजातपातालभुजङ्गकम्पम् ।
अभ्रान्तविभ्रान्तकपर्दजालं
विस्रस्ततालं कलये नटं तम् ॥ १ ॥

उत्तालाङ्घ्रिप्रपातस्फुटितवसुमतीरन्ध्रनीरन्ध्रनिर्यत्-
पातालाम्भःस्रवन्तीस्नपनसिमिसिमाकारिलालाटनेत्रम् ।

कारण यहाँ नमस्कारात्मक मङ्गल है। पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान् शिव की स्तुति की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्रन्थकार काशीस्थ भगवान् विश्वनाथ (शिव) के उपासक थे।

ऊँचे तालवृक्ष के समान [लम्बे और] चञ्चल, अथवा [अपने हाथों या समीपस्थ गणों के हाथों के द्वारा वजाई जाती हुई] ऊँचे शब्द वाली तालियों के साथ [थिरकने के कारण] चञ्चल पैरों के पातन से पाताल के सर्पों के कम्पन को उत्पन्न करने वाले, मेघों की सीमा तक [पहुँचकर उड़ने वाले, जटाजूट से युक्त [अत एव अपने हाथों के उड़ते हुए जटाजूट को सम्भालने में व्यस्त हो जाने के कारण] ताली वजाना बन्द करने वाले उन लोकप्रसिद्ध नटरूपधारी अथवा नाचते हुए भगवान् शिव का मैं ध्यान करता हूँ अर्थात् उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

टि०—अपने गणों के द्वारा अथवा अपने हाथों से ज़ोर से बजाई गई तालियों के ऊपर थिरकने वाले भगवान् शिव के चरणों के द्रुतगति से पृथिवी पर पड़ने से बड़ी ऊँची आवाज़ हो रही है। इससे पाताल के निवासी सर्प काँप उठे हैं। उद्धत नृत्य नाचने से उनके सिर के बँधे हुए बाल खुल जाते हैं और आकाशमण्डल में फैलकर उड़ने लगते हैं। तब शिव जी स्वयं तालियाँ बजाना छोड़कर अथवा दूसरों की तालियों पर नाचना बन्द कर अपने हाथों से सिर के बाल पकड़कर उन्हें सम्भालने में लग जाते हैं। इस कारण नाचते नाचते शिव जी का नृत्य अचानक बन्द हो जाता है। इस श्लोक के चौथे पाद में नटं तम् और नटन्तम् दोनों प्रकार की शब्दरचना सम्भव होने से यहाँ दो प्रकार के अर्थ दिखला दिये हैं।

यहाँ नटराज शिव की स्तुति होने से कविनिष्ठ शिवविषयक रतिभावध्वनि है। त्, ल्, र्, प् वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास तथा 'भ्रान्त' इस वर्ण-समूह की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास एवं 'उत्तालताल' में 'ताल' वर्णसमूह की एक बार आवृत्ति होने से यमकालङ्कार है। अतः यहाँ अनुप्रास और यमक की संसृष्टि है। 'उत्तालताल' का वृक्षपरक अर्थ करने से यहाँ उपमालङ्कार है। इस प्रकार यहाँ उपमा और यमक का एकवचनानुप्रवेश सङ्कर है। शिव जी की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन होने से यहाँ स्वभावोक्ति अलङ्कार है।

[ताण्डव नृत्य करते समय ऊँचा कर के ज़ोर ज़ोर से फेंके जाने के कारण]

ऊर्ध्वव्याधूतभोगीश्वरवररचितायासनिःश्वासरिङ्गद्
गङ्गाकल्लोलजालं कलयतु विभवं धूर्जटेर्नाटचलीला ॥ २ ॥
चन्द्रचूडप्रियापाङ्गसन्दोहानन्दनिर्भरः ।
विदधाति कविः कोऽपि सुधासिन्धुतरङ्गितम् ॥ ३ ॥

कठोर एवं भयङ्कर चरणों के गिरने से फूटी हुई पृथिवी के छेदों को पूरा भरकर निकलने वाले, पाताल तक अर्थात् पृथिवी के भीतर तक जाकर बहने वाली जलधारा में स्नान कराकर महादेव जी के मस्तक पर विद्यमान [तृतीय] नेत्र में सिं सिं, सुं सुं ध्वनि को उत्पन्न करने वाले, ऊपर की ओर [मुख करके] हिलते हुए श्रेष्ठ सर्पराजों के [जलधारा के साथ टकराने के कारण] परिश्रम से उत्पन्न लम्बी लम्बी साँसों से हिलने वाले [साक्षात्] मुक्तिरूप अर्थात् मुक्तिप्रदायक गङ्गा के तरङ्गसमूह को महादेव जी की नाट्यलीला प्राप्त करे अर्थात् नाचते हुए शिव का गङ्गा की जलधारा के साथ सदा सम्बन्ध बना रहे ॥ २ ॥

टि०—ताण्डव नृत्य करते समय शिव जी के पैरों से होने वाले आघातों से पृथिवी में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं । जब सच्छिद्र भूमि पर गङ्गा की धारा बहती है तो पानी भर जाने पर यह बड़े गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते हैं । शिव जी के ललाट में स्थित क्रोधाग्नि से दहकते हुए तृतीय नेत्र पर जब गङ्गा का जल पड़ता है तो सिं सिं और सुं सुं की वैसी ही आवाज़ होती है जैसी गर्म दहकते हुए अङ्गार या लाल गर्म लोहे के ऊपर पानी की बूँदें पड़ने के समय होती है ।

विभव शब्द का अर्थ मुक्ति है । गङ्गा और भगवान् शिव दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं । कवि ने यहाँ गङ्गा की तरङ्गों का महादेव जी के साथ सम्बन्ध बना रहे ऐसी कामना की है । तरंगों से चञ्चल बनी गंगा को धारण करने वाले शिव, हम सब भक्तों की रक्षा करें यह अर्थ यहाँ व्यञ्जना से प्राप्त हो रहा है । यहाँ कविनिष्ठ गंगाधर शिवविषयक रतिभावध्वनि है और प्, न्, त्, ल्, ध् आदि वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से अनुप्रासालङ्कार है ।

महादेव जी के प्यार भरे कटाक्ष [कृपादृष्टि] अथवा पार्वती के नेत्रप्रान्त [कृपाकटाक्ष] के समूह के आनन्द से भरा हुआ कोई [विश्वनाथ नामक लोकोत्तर प्रतिभाशाली] कवि [अनेक तरङ्गों से युक्त अमृतसमुद्र की भाँति आठ] तरङ्गों से युक्त [साहित्य] सुधासिन्धु नामक [इस] ग्रन्थ का निर्माण करता है ॥ ३ ॥

टि०—चन्द्रचूडप्रियापाङ्ग० का दो तरह से विग्रह किया जा सकता है—१. 'चन्द्रचूडस्य शिवस्य ये प्रिये अपाङ्गे तयोः सन्दोहस्य यः आनन्दः तेन निर्भरः' इस विग्रह में नेत्रों का सम्बन्ध शिव जी के साथ हो रहा है । २. 'चन्द्रचूडस्य शिवस्य या प्रिया पार्वती तस्या ये अपाङ्गे तयोः सन्दोहस्य य आनन्दः तेन निर्भरः' इस दूसरे विग्रह में नेत्रों का सम्बन्ध पार्वती से है । यहाँ कवि शिवजी अथवा पार्वती के कृपाकटाक्ष की प्राप्ति से

इह खलु सामाजिकपरीक्षितमेव काव्यं स्वर्गापवर्गादिजनकमिति तत्परीक्षार्थंमयमारम्भः। अतएवोक्तं काव्यप्रकाशे—

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे[1]॥ इति।[2]

अपने को आनन्दित अनुभव करता है। इस प्रकार व्यञ्जना से इन दोनों के प्रति भक्तिभाव का सूचन होता है। अतः यहाँ कविनिष्ठ शिवविषयक या पार्वतीविषयक रतिभावध्वनि है। भक्ति को पृथक् रस मानने वाले आचार्यों के अनुसार यहाँ इन तीनों श्लोकों में भक्तिरस भी माना जा सकता है। अपने लिए 'कोऽपि' शब्द के प्रयोग से कवि की विलक्षण प्रतिभाशालिता तो सूचित हो ही रही है, साथ ही नाम का निर्देश न करने से उसकी निरभिमानिता का भी अभिव्यञ्जन होता है।

इस संसार में सामाजिकों के द्वारा भलीभाँति परीक्षा करके परिष्कृत [ठीक] किया गया काव्य ही स्वर्ग और मोक्ष आदि का कारण बनता है यह निश्चित है। इस कारण काव्य [के घटक तत्त्वों] की समीक्षा [विचार विमर्श] के लिए यह [मेरा] प्रयास है [क्योंकि काव्य लौकिक अनिष्टादि का नाश करके आनन्द प्रदान करता है] इसीलिए काव्यप्रकाश में [काव्य का प्रयोजन बताते हुए अनिष्ट का निवारण होता है] ऐसा कहा गया है।

टि०—कोई भी मनुष्य किसी कार्य में तभी प्रवृत्त होता है जब उसे उसमें इष्टसाधनता और कृतिसाध्यता का ज्ञान हो। 'इदम्मदिष्टसाधनम्' यह काम मेरे इष्ट का साधन है या यह मेरे लिए हितकर है, अतएव इसके करने से मेरे मनोरथ की सिद्धि होगी अथवा इस कार्य की कृतिसाध्यता भी है अर्थात् मैं इसे भलीभाँति कर भी सकता हूँ। इस प्रकार का उभयविध ज्ञान होने पर ही मनुष्य किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। 'प्रयोजनं ह्यनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते'—मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन या उद्देश्य के किसी कार्य के लिए उद्यत नहीं हुआ करता है। जैसे लौकिक कार्यों को करते समय उनको करने वाले व्यक्तियों का कोई न कोई उद्देश्य होता है, ठीक वैसे ही काव्य, नाट्य, काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र विषयक ग्रन्थों के निर्माण करते समय भी उनके निर्माताओं के हृदय में प्रयोजन रहता है। इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मट ने 'काव्यं यशसे' इत्यादि कारिका लिखी है।

काव्य यशोलाभ, अर्थप्राप्ति, व्यावहारिक ज्ञान, अनिष्टनिवारण, तुरन्त ही परमानन्दप्राप्ति एवं स्त्री के समान [सरस रूप से कर्त्तव्याकर्त्तव्य के] उपदेश देने के लिए होता है। इस रूप में [काव्यप्रकाश १, २ में कहा] है।

१. त; काव्य यशसे (एतावन्मात्र) ज भ
२. ज ब; इत्यादि त

टि०—यहाँ आचार्य मम्मट ने काव्य के ६ प्रयोजन बताये हैं। मम्मट ने इनको दो वर्गों में बाँटा है—१. कविसम्बन्धी और २. पाठकसम्बन्धी, यश, अर्थ और शिवेतर क्षति का सम्बन्ध कवि से है और व्यावहारिक ज्ञान, आनन्दोपलब्धि तथा उपदेशप्राप्ति का सम्बन्ध पाठक से है।

१. यशसे—काव्य यश के लिए होता है। जैसे कालिदास को अभिज्ञानशाकुन्तल, कुमारसम्भव, रघुवंश, मेघदूत और ऋतुसंहार जैसे नाटच एवं काव्य ग्रन्थों की रचना से यश की प्राप्ति हुई थी इसी प्रकार काव्य की रचना करने से कवियों को मान, सम्मान की प्राप्ति होती है।

२. अर्थकृते—काव्य धन के लिए होता है। रत्नावली आदि जो ग्रन्थ श्रीहर्षवर्धन के नाम से मिलते हैं, वह वस्तुतः उनके द्वारा नहीं लिखे गये अपितु वह धावक नामक किसी कवि की रचनायें हैं। धावक ने राजा हर्षवर्धन से प्रचुर धन लेकर लेखक के स्थान पर अपना नाम न रखकर राजा का नाम लिख दिया था। इस कार्य से उसे धन की प्राप्ति हुई। इस प्रकार काव्यनिर्माण से लेखक को धन की प्राप्ति होती है।

३. व्यवहारविदे—काव्य व्यावहारिक ज्ञान के लिए होता है। किसी व्यक्ति को राजा और उसके सेवक आदि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और पत्नी को पति के लिए और पति को पत्नी के लिए किन किन सम्बोधनों का प्रयोग करना चाहिए इत्यादि बातों की जानकारी काव्यों और नाटकों को पढ़ने से होती है।

४. शिवेतरक्षतये—अनिष्ट के निवारण के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। जनश्रुति है कि मयूर कवि के सङ्कट का मोचन सूर्य की स्तुति में स्तोत्र लिखने से हुआ था। मयूर को कोढ़ हो गया था जिसको सूर्य भगवान् ने अपनी स्तुति से प्रसन्न होकर दूर कर दिया था।

५. सद्यःपरनिर्वृतये—काव्य तुरन्त ही अलौकिक परमानन्द की प्राप्ति के लिए होता है। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने के साथ ही जो अलौकिक आनन्दानुभूति होती है वही काव्य का मौलिभूत (सर्वोपरि) प्रयोजन है।

इस आनन्दानुभूति के समय पाठक संसार की सब यातनाओं तथा दुःखों को भूल जाता है और तब केवल काव्य जगत् में रम जाता है। इस तन्मयता से अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है।

६. कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे—काव्य प्रिया के समान कर्त्तव्याकर्त्तव्य का उपदेश देनेवाला होता है। वेदशास्त्र, इतिहास, पुराण इत्यादि की रचना भी शुभ कार्य में प्रवृत्त करने और अशुभ कार्य से निवृत्त करने के लिए होती है, परन्तु काव्य की शैली उससे विलक्षण है। इस विलक्षणता का उपपादन करने के लिए मम्मट ने १. शब्दप्रधान २. अर्थप्रधान और ३. रसप्रधान इन तीन शैलियों की कल्पना की है, जिसको क्रमशः प्रभुसम्मित, मित्रसम्मित और कान्तासम्मित नामों से निर्दिष्ट किया है। वेदादि-

अतएवान्यत्रापि[1]

अदोषं गुणवत् काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम् ।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं स्वर्गं च विन्दति ॥
इति ।

शास्त्रों की शैली शब्दप्रधान होती है। राजाज्ञाओं के समान उनके वचनों का अक्षरशः पालन करना अभीष्ट होता है इसलिए वह प्रभुसम्मित के अन्तर्गत आती है। 'अक्षैर्मा दीव्याः कृषिमित् कृषस्व' जैसे ऋग्वेद के वाक्य 'अभिधा से जुआ मत खेलो, खेती करो' जैसे अर्थों को बताते हैं। इस प्रकार के वचन आदेशात्मक हैं। इतिहास और पुराणों की शैली अर्थप्रधान होती है वहाँ शब्दार्थ न देखकर भावार्थ देखा जाता है इस शैली को मित्रसम्मित भी कहा जाता है। मित्र जब कोई बात कहता है उसका तात्पर्य अर्थ में होता है। 'विषं भुंक्ष्व मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः' 'तुम जहर खा लेना पर इसके यहाँ न खाना'—इस वाक्य में पहला मित्र अपने दूसरे मित्र को जहर खाने के लिए तो नहीं कह रहा है, अपितु उसका तात्पर्य है कि 'अस्य गृहे भोजनं विषभक्षणादपि दुष्टतरमत एव एतद्गृहे न भोक्तव्यम्'—इसके घर में भोजन करना विष खाने से भी अधिक बुरा है, इसलिए इसके घर में तुम्हें नहीं खाना चाहिए। परन्तु काव्य की शैली उपर्युक्त दोनों प्रकार की शैलियों से विलक्षण प्रकार की है और वह रसप्रधान है तथा उसे कान्तासम्मित कहा गया है। प्रिया जब शुभ कार्य में प्रवृत्त कराने या अशुभ कार्य से निवृत्त कराने के लिए अपने पति को कहती है तो वह उसे सरस बनाते हुए व्यङ्ग्यार्थगर्भित शब्दावली के माध्यम से कहती है। इसी प्रकार काव्य से भी हमें 'रामादि के समान आचरण करना चाहिए रावणादि के समान नहीं', इस प्रकार का उपदेश मिलता है। यह उपदेश अभिधा द्वारा नहीं अपितु राम और सीता के आदर्श चरित्र को प्रदर्शित करते हुए व्यञ्जना द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इस उपदेश के साथ साथ रसानुभूति भी होती है। काव्य की यह कान्तासम्मित शैली रसप्रवण होती है। इसकी यह विशेषता ही काव्य को वेद, इतिहास, पुराण आदि नीरस ग्रन्थों से पृथक् करती है।

[क्योंकि काव्यनिर्माण कवि को यश आदि प्रदान करता है] इसीलिए दूसरे स्थान पर भी कहा है—

दोष रहित, गुणों से युक्त, अलंकारों से सुशोभित तथा रससंवलित दृश्य और श्रव्य] काव्य को बनाता हुआ कवि यश और स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है।

टि०—इस प्रकार (सरस्वतीकण्ठाभरण १, २) के इस वचन से काव्य द्वारा यश और स्वर्ग की प्राप्ति होती है यह सिद्ध हो जाता है।

---

१. त; अतएवान्यत्र ज अ

तत्रादौ काव्य[1]लक्षणम्—

जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः ।
यस्य श्रवणमात्रेण तद् वाक्यं काव्यमुच्यते ॥ ४ ॥

केचित्तु आस्वादव्यञ्जकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्, तत्तु शब्दे चार्थे चाविशिष्टमिति[2] शब्दवदर्थेऽपि काव्यत्वमिति प्राहुः। काव्यं करोतीत्यादि-व्यवहारस्तु शब्दपरतया नेयः।

इस [ग्रन्थ] के प्रारम्भ में काव्य के लक्षण को [ग्रन्थकार] कहते हैं—

जिस [वाक्य] के सुनने भर से ब्रह्मानन्द [समाधिदशा में प्राप्त होने वाले] आनन्द के समान महान् आनन्द उत्पन्न होता है वह वाक्य काव्य कहलाता है ॥४॥

टि०—यहाँ 'श्रवणमात्रेण' इस विशेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आचार्य विश्वनाथदेव का 'शब्दः काव्यम्' इस मत की ओर अधिक झुकाव है । आगे द्वितीय तरङ्ग के प्रारम्भ में ही इन्होंने इस लक्षण को मानना स्वीकार किया है ।

किन्हीं आचार्यों का यह मत है—आस्वाद का अभिव्यञ्जन करना ही काव्य का जनक—उत्पादक हेतु है [अर्थात् काव्य वही है जिसमें आनन्द की अभिव्यक्ति पाई जाती है]। यह आनन्द का अभिव्यञ्जन तो शब्द और अर्थ इन दोनों में ही समान रूप से रहता है । इस कारण शब्द की भाँति अर्थ में भी काव्यत्व होता है अर्थात् जैसे शब्द को काव्य कहा जा सकता है ठीक उसी प्रकार अर्थ को भी कहा जा सकता है।

टि०—यहाँ 'केचित्तु' यह कहकर ग्रन्थकार ने 'शब्दः काव्यम्' इस सिद्धान्त को मानने वाले विद्वानों के मत का उपर्युक्त रीति से खण्डन किया है । जब शब्द काव्य हो सकता है तो अर्थ भी काव्य हो सकता है यही इस मत का सारांश है । इसके आगे ग्रन्थकार शब्द को ही काव्य मानने वालों के पक्ष की युक्ति दे रहे हैं ।

'काव्यं करोति' [कवि] काव्य को [शब्दों से] बनाता है यह व्यवहार शब्द-परक है इस रूप में समझना चाहिए ।

टि०—काव्य के अन्तर्गत कवि चन्द्र, चन्दन, कोकिल, दुष्यन्त, शकुन्तला आदि नाम-पदों को ही रखकर उनकी सहायता से काव्यसृष्टि करता है किन्तु चन्द्र जैसी वस्तुओं—पदार्थों को काव्य में नहीं रखता है । इस कारण 'काव्यं करोति' 'काव्यं शृणोति' तथा 'काव्यं पठति' जैसे प्रयोगों से यही सिद्ध होता है कि शब्दसमूह रूप वाक्य को ही काव्य कहा जा सकता है । काव्य का निर्माण कविगण शब्दों से करते हैं और काव्यान्तर्गत शब्दों को ही सुना या पढ़ा जा सकता है । इस लोकव्यवहार को प्रमाण मानकर पण्डितराज जगन्नाथ प्रभृति आचार्य शब्द को ही काव्य मानते हैं । पण्डितराज ने रस-गङ्गाधर में काव्य का लक्षण इस प्रकार किया है—रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः

१. ज त; काव्यस्य ल०···अ
२. अ त; शब्देनार्थेनाविशिष्टमिति ज

केचित्तु—

अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ सालङ्कारौ गुणान्वितौ।
काव्यमेतदिति प्राहुरलङ्कारविशारदाः ॥

अदोषाविति--अत्र वदन्ति, काव्यत्वं दण्डत्वादिवत् प्रत्येकं परिसमाप्यवृत्ति उत द्वित्वपृथक्त्ववद्[1] व्यासज्यवृत्ति वा।

काव्यम् (रसगङ्गाधर प्रथम आनन सूत्र १) अर्थात् लोकोत्तर आह्लाद के जनक अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है।

यहाँ ग्रन्थकार ने शब्द को काव्य मानने वाले आचार्यों का मत संक्षेप से दिखा दिया है। इसके तुरन्त बाद केचित्तु--'अदोषौ तद्धि' इस कारिका में आचार्य मम्मट तथा उनका अनुसरण करके शब्दार्थ की समष्टि को ही काव्य मानने वाले आचार्यों के मत को दिखाकर 'अत्र वदन्ति' से लेकर 'प्राचीनप्रणयानुरोधेनात्र प्रदर्शितम्' तक इस मत का खण्डन करके इन्होंने 'वस्तुतस्तु···पठतीत्यादि व्यवहारः' तक शब्द को काव्य मानने वालों के मत की स्थापना की है।

और कुछ [मम्मटादि के अनुयायी विद्वान्] तो—

दोषरहित, अलङ्कारों से युक्त, गुणोपेत शब्दार्थसमुदाय ही वह [इतिहास, पुराणादि से विलक्षण एवं लोकोत्तर] काव्य होता है, इस प्रकार का यह काव्यलक्षण अलङ्कार शास्त्र के विद्वान् आचार्यों ने बतलाया है [ऐसा कहते हैं]।

'अदोषौ' इत्यादि उपर्युक्त इस काव्यलक्षण के विषय में कुछ आचार्य प्रश्न करते हुए कहते हैं—दण्डत्वादि की तरह क्या काव्यत्व प्रत्येक परिसमाप्यवृत्ति [अर्थात् शब्द और अर्थ इन दो वस्तुओं में से एक एक वस्तु में स्वतन्त्र रूप से अलग अलग रहने वाला धर्म] है ? अथवा क्या द्वित्व और पृथक्त्व की तरह व्यासज्यवृत्ति [शब्द और अर्थ इन दोनों के समुदाय में व्याप्त होकर रहनेवाला उभयनिष्ठ धर्म] है ?

टि०—यहाँ 'शब्दार्थौ काव्यम्' शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य कही जाती है, इस मत के समर्थकों से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है—१. क्या काव्यत्व अकेले शब्द में अलग रूप से और अकेले अर्थ में अलग रूप से रहता है ? अर्थात् काव्यत्व धर्म की क्या इन दोनों तत्त्वों में अलग अलग स्वतन्त्र रूप से सत्ता माननी चाहिये ? अथवा २. क्या यह काव्यत्व शब्द और अर्थ इन दोनों वस्तुओं में समान रूप से उभयनिष्ठ होकर रहता है ? यह मानना चाहिये। पहले विकल्प का अभिप्राय यह है कि 'दण्डी पुरुषः' इत्यादि वाक्यों में जैसे दण्डी शब्द में दण्डत्व जाति रूप धर्म और पुरुषः शब्द में पुरुषत्व जाति रूप धर्म पृथक् पृथक् हैं अतः यह धर्म इतरनिरपेक्ष होने से स्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं। वैसे ही क्या 'शब्दार्थौ काव्यम्' इस वाक्य में शब्द में शब्दकाव्यत्व और अर्थ में अर्थकाव्यत्व यह दो इतरनिरपेक्ष अलग अलग धर्म रहते हैं ? इस प्रकार क्या शब्दकाव्यत्व को

---

१. त; द्वित्वद्विपृथक्त्ववद् ज अ

नाद्यः, केवले शब्दे केवलार्थे च तदव्यवहारात् । नापरः, देवदत्तप्रभवत्वादि न जातिः साङ्कर्यापत्त्या तादृशजात्यनङ्गीकारात् ।[1]

अलग इकाई के रूप में तथा अर्थकाव्यत्व को पृथक् इकाई के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए ? अथवा (जैसे द्वित्व धर्म जिन दो में रहता है उन्हीं दो को अलग कर देने पर फिर वह एक एक में रहना बन्द कर देता है; त्रित्व और बहुत्वादि धर्मों की भी यही स्थिति है । इस कारण) क्या काव्यत्व धर्म शब्द और अर्थ दोनों के समुदाय में रहता हुआ ही इन दोनों में सम्मिलित रूप से रहता है ? यह मानना चाहिए ।

यहाँ पर परिसमाप्यवृत्ति और व्यासज्यवृत्ति इन दो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है । १. परिसमाप्यवृत्ति किसी एक वस्तु का वह धर्म है जो केवल उसी वस्तु में स्वतन्त्र रूप से व्याप्त हो और दूसरी में न जाता हो; जैसे दण्ड में रहने वाला दण्डत्व धर्म केवल दण्ड में रहता है और पुरुष में रहनेवाला पुरुषत्व धर्म केवल पुरुष में रहता है । इसका दूसरा नाम प्रत्येकपर्याप्त है । २. व्यासज्यवृत्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय में ही रहने वाला वह धर्म है जो समुदाय के बने रहने पर ही रहता है; जैसे द्वित्व, बहुत्वादि । 'द्वौ पुरुषौ' इस वाक्य में प्रयुक्त दो की संख्या दो पुरुषों की सत्ता होने पर ही रहती है । दो में से एक के चले जाने पर बचे हुए व्यक्ति के लिए दो शब्द का प्रयोग नहीं हो सकेगा । 'काव्यत्वं दण्डत्वादिवत् प्रत्येकं पृथक्परिसमाप्यवृत्ति उत द्वित्वादिवद् व्यासज्यवृत्ति' इस रूप में प्रयुक्त लक्षण अधिक स्पष्ट रहेगा ।

[इन दो मतों में से] पहला मत ठीक नहीं है । केवल शब्द में और केवल अर्थ में अलग अलग रूप में काव्यत्व का व्यवहार नहीं होता है ।

टि०—एक ही पद्य के लिए यह शब्दकाव्य भी है और अर्थकाव्य भी है ऐसा व्यवहार नहीं होता है क्योंकि यदि ऐसा मानने लगेंगे तो एक ही जगह दो काव्य मानने पड़ जायेंगे । एक ही पद्य में दो काव्य मानना अनुभवविरुद्ध है इस कारण शब्द में पृथक् शब्दकाव्यत्व और अर्थ में पृथक् अर्थकाव्यत्व को नहीं माना जा सकता ।

[और काव्यत्व शब्द और अर्थ इन दोनों के समुदाय में व्याप्त होकर रहनेवाला उभयनिष्ठ जातिधर्म है यह] दूसरा मत भी नहीं माना जा सकता । क्योंकि जैसे 'देवदत्तः प्रभवः' इस वाक्य में उभयनिष्ठ देवदत्तप्रभवत्व धर्म सङ्कर दोष से दूषित होने के कारण अवच्छेदक [जातिधर्म] नहीं बन सकता उसी प्रकार शब्दार्थकाव्यत्व भी सङ्कर दोष आ जाने से शब्दार्थ की समष्टि रूप काव्य का अवच्छेदक धर्म नहीं बन सकता ।

टि०—काव्यत्व गोत्वादि की तरह जातिधर्म है । जैसे जिनके गले में सास्ना अर्थात् कम्बल जैसा चमड़ा लटकता है और जिनके खुर फटे होते हैं उन व्यक्तियों में

---

१. अत; ज में नहीं

'यह गौ है' 'गौ है' ऐसी समानविषयिणी अनुगत (एक आकार वाली) प्रतीति गोत्व जाति में प्रमाण है वैसे ही शब्दार्थसमूह में सहृदयहृदयानुमत कोई धर्मविशेष काव्यत्व जाति है। और सभी काव्यों में आह्लाद का अनुभव होता है अतः सहृदयों को 'यह काव्य है यह काव्य है' ऐसी समानविषयिणी अनुगत (एक प्रकार वाली) प्रतीति होती है। यह प्रतीति ही काव्यत्व कही जाती है।

जैसे 'देवदत्तः प्रभवः' (देवदत्त पिता है अथवा अमुक ग्रन्थ का रचयिता है) इस वाक्य के देवदत्त पदार्थ में देवदत्तत्व जाति और प्रभव पदार्थ में प्रभवत्व जाति है। इन दोनों जातिधर्मों का परस्पर अत्यन्ताभाव है अर्थात् देवदत्त में प्रभवत्व नहीं है और प्रभव में देवदत्तत्व नहीं है। परन्तु इस वाक्य से 'देवदत्ताभिन्नः प्रभवः' इस अर्थ की प्रतीति होती है। इसलिए यहाँ 'देवदत्तप्रभवत्व' यह जातिधर्म समानाधिकरण—एकाश्रय में होकर रहता है। इस प्रकार शब्दार्थ की समष्टि में काव्य मानने पर यहाँ शब्दत्व, अर्थत्व और काव्यत्व इन तीन जातियों का सङ्कर हो जाता है। सङ्कर दोष की प्राप्ति होने से यहाँ शुद्ध रूप में काव्यत्व यह अवच्छेदक धर्म नहीं रह पाता। क्योंकि नियम यह है कि एक पदार्थ में दो जातियाँ नहीं रहा करती हैं। यदि उसमें दो जातियाँ आ जाती हैं तो सङ्कर दोष आ जाता है।

न्यायमुक्तावली के प्रत्यक्ष खण्ड के जातिबाधक प्रकरण की टीकाओं में सङ्कर का लक्षण इस प्रकार किया जाता है—परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोर्धर्मयोरेकत्र समावेशः सङ्करः—परस्पर अत्यन्त अभाव वाले और समानाधिकरण वाले दो धर्मों का एक स्थान पर मिल जाना सङ्कर कहलाता है।

इस प्रकार 'शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य कही जाती है' इस मत का उपर्युक्त युक्तियों के आधार पर यहाँ खण्डन किया गया है। इसके आगे 'अदोषावित्यत्र' से लेकर 'प्राचीनप्रणयानुरोधेनात्र प्रदर्शितम्' तक इसी मत का खण्डन है। इसके बाद 'वस्तुतस्तु' से लेकर 'काव्यं पठतीत्यादिव्यवहारः' तक ग्रन्थकार ने शब्दवादी का मत प्रदर्शित किया है और तदनन्तर ग्रन्थरचयिता ने 'अदोषाविति' से लेकर 'स्फुट इति' तक मम्मट के काव्यलक्षण में रखे गये 'अदोषौ' विशेषण की निरर्थकता सिद्ध की है। 'सगुणावित्यनेन' से लेकर 'गुणान्वितावित्यत्र गुणव्यञ्जकावित्यर्थः' तक शब्दार्थ की समष्टि में काव्य मानने वाले आचार्यों का मत स्थापित किया गया है। इसके बाद ग्रन्थकार ने काव्य का एक ऐसा सुलझा लक्षण रखने का प्रयास किया है जिसमें केवल शब्द में काव्य मानने वाले और शब्दार्थ की समष्टि में काव्य मानने वाले आचार्यों के मतों में आने वाले दोष नहीं आते हैं। इसका प्रतिपादन 'वस्तुतस्तु' से लेकर 'किमनेनानुगतेन लक्षणेन इति सर्वं सुस्थम्' तक किया गया है। इनकी दृष्टि में 'स्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमखण्डम्' यही परिनिष्ठित काव्यलक्षण है।

अदोषावित्यत्र दोषसामान्याभावो वा दोषविशेषाभावो वा। नाद्यः, काव्यत्वस्य निराश्रयतापत्तेः। रसार्थवाक्यपदवर्णरचनादोषाणामानन्त्येन तत्सामान्याभावासम्भवात्। उक्तं च ध्वनिकृता—निश्शेषदोषमोषणमपि गीर्वाणगुरोरप्यशक्यमिति काव्यं विरलविषयं निर्विषयं वा स्यादिति।[1] नान्त्यः, दोषविशेषाभावस्य सर्वत्र सौलभ्येनाव्यावर्तकतया व्यर्थविशेषणत्वापत्तेः।

सगुणाविति विशेषणमप्यनर्थकम्, गुणस्य रसमात्रवृत्तित्वात्। तस्मादामूल-

'अदोषौ' इत्यादि कारिका में जो 'अदोषौ' विशेषण है इसका क्या अभिप्राय है? क्या शब्दार्थ में दोषसामान्याभाव अर्थात् सारे दोषों का अभाव मानना चाहिए अथवा दोषविशेष [किसी एक दोष] का अभाव मानना चाहिए? इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि इस दशा में काव्यत्व को निराश्रयता की प्राप्ति होगी अर्थात् किसी स्थान पर काव्यत्व रहेगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहाँ कोई न कोई दोष न रहता हो। क्योंकि रस, अर्थ, वाक्य, पद, वर्ण और रचना इन सभी में पाये जाने वाले दोषों की अनन्त संख्या होने से कहीं पर भी सभी दोषों का अभाव असम्भव है अर्थात् इतनी अधिक संख्या में विद्यमान दोषों का सब स्थानों में अभाव हो ही नहीं सकता। और ध्वनिकार ने भी कहा है कि सम्पूर्ण दोषों का त्याग करना देवताओं के गुरु बृहस्पति के लिए भी अशक्य अर्थात् उनके सामर्थ्य से बाहर है। इस कारण [काव्य में सारे दोषों का अभाव मानने पर] काव्य या तो कहीं कहीं किसी किसी ही उदाहरण में रहने वाला अथवा कहीं भी किसी उदाहरण में न रहने वाला तत्त्व हो जायेगा।

टि०—ध्वन्यालोक के प्राप्त संस्करणों में 'निश्शेष' इत्यादि पंक्ति नहीं मिलती। सम्भव है ग्रन्थकार के समय में उपलब्ध ध्वन्यालोक के किसी संस्करण या टीका ग्रन्थ में यह पाठ दिया हो और उसी को इन्होंने ले लिया हो।

दूसरा मत भी ठीक नहीं है क्योंकि दोषविशेष का अभाव सर्वत्र सरलता से उपलब्ध होने योग्य हुआ करता है [किसी दोषविशेष का अभाव तो प्रत्येक काव्य में रहा करता है सदोष काव्य में भी और निर्दोष काव्य में भी] इसलिए [क्योंकि अदोषौ यह विशेषण काव्य को काव्येतर इतिवृत्तादि वस्तुओं अथवा अकाव्य से पृथक् करने वाला—अवच्छेदक धर्म नहीं है इस कारण यहाँ] व्यर्थ विशेषण रखने का दोष आ जाता है [अर्थात् यहाँ इस विशेषण को रखना व्यर्थ सिद्ध होता है]।

[शब्दार्थों का] 'सगुणौ' यह विशेषण रखना भी निरर्थक है। क्योंकि गुण तो केवल रस में रहते हैं [शब्द और अर्थ में नहीं क्योंकि रस काव्य की आत्मा है और शब्दार्थ काव्य का शरीर है। जैसे आत्मा के विद्या बुद्ध्यादि धर्म शरीर में नहीं रहते

1. न अ; स्यात् त

विशीर्णमिदं[1] प्राचीनप्रणयानुरोधेनात्र प्रदर्शितम्। वस्तुतस्तु प्राङ्निपाते-नाभ्यर्हितत्वं दर्शयता शब्दस्यैव काव्यत्वमिति ध्वनितम्। युज्यते च तत्समाख्या-बलादपि। कविनिर्वाह्यं काव्यम्। न ह्यर्थः कविना निर्वाह्यते, कामिनीचन्द्र-चन्द्रिकादीनां ब्रह्मणैव निर्वाहितत्वात्। अपितु कविनिर्वाह्या[2] पदगुम्फना। सैव काव्यम्। अतएव काव्यं शृणोति पठतीत्यादि व्यवहारः। अदोषाविति यथाशक्ति-दोषहानम्,[3] परं न तु लक्षणप्रविष्टम्, दुष्टेष्वपि रसोद्बोधात्।
अतएवोक्तम्—

कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता।
दुष्टेष्वपि मता तत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः॥

इति।

उसी प्रकार रस के माधुर्यादि गुण काव्य के शरीरभूत शब्दार्थ में नहीं रहते हैं] इसलिए जड़ से लेकर [अर्थात् पूर्ण रूप से] जीर्ण शीर्ण यह काव्यलक्षण यहाँ प्राचीन आचार्यों के [इस लक्षण के प्रति] प्रेम को दृष्टि में रखकर दिखलाया है [परन्तु यह तर्कसंगत नहीं है]। वास्तव में 'शब्दार्थौ' इस पदसमूह में शब्द के पूर्व प्रयोग से शब्दगत उत्कृष्टता को दिखलाते हुए लक्षणकार ने शब्द की ही काव्यता होती है यह बात व्यञ्जना से प्रकट की है। और ['कवेः कर्म काव्यम्' काव्यपद की इस प्रकार की] समाख्या—व्युत्पत्ति [से प्रतीत होने वाले अर्थ] की शक्ति से काव्य को शब्दगत मानना सङ्गत है। क्योंकि कवि के द्वारा निर्माण के योग्य—सम्पाद्य वस्तु ही काव्य कही जा सकती है, कवि के द्वारा अर्थ नहीं बनाये जाते। और क्योंकि रमणी, चन्द्रमा और चाँदनी आदि वस्तुओं [अर्थों] का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा ही किया जाता है [कवि के द्वारा नहीं]। इसीलिए कवि के द्वारा बनाने योग्य जो पद-रचना होती है वही काव्य कहलाती है। इसीलिए 'काव्य पढ़ता है', 'काव्य सुनता है', इत्यादि प्रयोग होता है [श्रवण पठन शब्द में ही सम्भव है अर्थ में नहीं अतएव लोकव्यवहार से भी शब्द की काव्यता सिद्ध होती है]।

'अदोषौ' इस पद से यहाँ यथाशक्ति दोष का कविता में परित्याग करना चाहिए यह अर्थ हो सकता है। परन्तु इसको लक्षण में नहीं रखना चाहिए क्योंकि दोषदूषित काव्य में भी रस की प्रतीति होती है।

इसलिए कहा है—

कीड़ों से खाए हुए भी रत्नादिकों में रत्नत्व की तरह दोषदूषित काव्यों में भी काव्यता बनी ही रहती है क्योंकि वहाँ रसादिकों की अनुभूति स्पष्ट रूप से होती है। इस प्रकार [यह साहित्यदर्पण १, २ वृत्तिभाग में] कहा गया है।

---

१. ज अ;······विशीर्णमिदं त
२. ज त; कविनिर्वाह्यपदगुम्फना अ
३. न; दोषहीनं भ; दोषहानिः त

सगुणावित्यनेनास्वादव्यञ्जकत्वमुक्तम् । तेनास्वादजीवातुः पदसन्दर्भः काव्यमिति चण्डीदासप्रभृतयः। तन्न ।' आस्वादवदर्थोपस्थापकपदत्वं[1] पदोपस्थाप्यास्वादवदर्थत्वं वा काव्यत्वमिति विनिगमनाविरहेणोभयस्य काव्यत्वात् । न च समाख्या विनिगमिका, कामिनीमुखचन्द्रतादात्म्यस्यालौकिकार्थस्य कविनिर्वाह्यत्वेन [तस्या अविनिगमकत्वात्[2]] । न च ' तादृशजात्यङ्गीकारे

टि०—जैसे कीड़ों से खाई भी रत्नादि वस्तुयें रत्नादि ही कहलाती हैं वैसे ही श्रुतिदुष्टादि दोषों से युक्त होने पर भी कोई काव्य काव्य ही कहलाता है किन्तु उसमें रस का समावेश अवश्य होना चाहिए। जैसे कीड़ों से बिंधे हुए रत्न में कीटानुवेध सदृश किसी दोष के रहते हुए भी उसमें रत्नत्व रहता ही है इसी प्रकार श्रुतिकटुत्वादि दोषों के रहते हुए भी काव्य में काव्यत्व बना रहता है परन्तु काव्य में किसी रस-विघातक प्रबल दोष की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

'सगुणौ' इस विशेषण से [स्वाश्रयरसाभिव्यञ्जक रूप परम्परासम्बन्ध से] शब्दार्थ की रसव्यञ्जकता कही गई है। [स्व शब्द से यहाँ गुणों का ग्रहण है, गुणों के आश्रय रस हैं इनके अभिव्यञ्जक शब्दार्थ होते हैं इस प्रकार गुणों का शब्दार्थ के साथ परम्परासम्बन्ध है] इस कारण रस रूप प्राण वाला अर्थात् रसोद्बोधक पद-समूह काव्य कहलाता है। इस प्रकार जो चण्डीदास आदि आचार्य मानते हैं उनका यह मत ठीक नहीं है। [उनसे प्रश्न किया जा सकता है] क्या आस्वादयुक्त अर्थ के बोधक पद काव्य कहलाते हैं? अथवा पदों से उपस्थापित आस्वादयुक्त अर्थ काव्य कहलाते हैं? यहाँ इन दोनों लक्षणों में किसी एक के अनुकूल एकतरपक्षपातिनी युक्ति अर्थात् एक पक्ष को पुष्ट करने वाला तर्क न होने से दोनों में ही काव्य का लक्षण घट जाता है अर्थात् उक्त लक्षण के मानने पर शब्द और अर्थ दोनों में ही काव्य मानना पड़ जायेगा। 'कवेः कर्म काव्यम्' यह समाख्या [यौगिकः शब्दः समाख्या, योग अर्थात् व्युत्पत्ति से अपने अर्थ को बोधित कराने वाला शब्द] भी शब्द में काव्यत्व की विनिगमिका—एकपक्ष को पुष्ट करने वाली युक्ति नहीं है। क्योंकि कामिनीमुख का चन्द्र के साथ तादात्म्य रूप अलौकिक अर्थ (कार्य) भी कवि के द्वारा ही निष्पन्न होता है [इसलिए यह काव्यलक्षण अर्थ में भी चला जाता है क्योंकि "कवेः कर्म काव्यम्" इस व्युत्पत्ति के अनुसार जैसे शब्द कवि का कर्म है उसी प्रकार अर्थ भी है] इस प्रकार अर्थ के भी कविनिर्वाह्य होने से उपर्युक्त यह समाख्या [पदसन्दर्भः काव्यम्] इस काव्य लक्षण के लिए विनिगमक नहीं है।

[जैसा कि पहले पृ० ९ पर बताया जा चुका है; और यदि 'शब्दार्थौ काव्यम्' यह काव्यलक्षण माना जाय तो 'देवदत्तः प्रभवः' में देवदत्तप्रभवत्वादि जाति की तरह

१. ज त; पदत्वं कात्व, अ में नहीं
२. संशोधित; तस्याविनिगमकत्वात, ज ब त

साङ्कर्यशङ्केति वाच्यम्, अखण्डोपाधेरेव स्वीकारात्।[1] वस्तुतस्तु साङ्कर्यस्य दूषकताबीजाभावाददूषकत्वमेवेति ब्रूमः।

न चादोषाविति सामान्याभावादिविकल्पावकाशः, तस्यैव लक्षणे प्रवेशात्।

शब्दार्थ में भी] उसी प्रकार के शब्दार्थकाव्यत्व रूप जातिधर्म को स्वीकार करने पर उसमें सांकर्य की शङ्का हो जायेगी [अतः यह लक्षण दूषित है] ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि [इस दशा में काव्य में काव्यत्व जाति न मानकर] अखण्डोपाधि ही स्वीकार की जाती है। वास्तव में तो सङ्कर दोष के रसविघात में कारण न बनने से उसमें निर्दोषता ही आती है।

टि०—जाति का लक्षण—नित्यमनेकानुगतं सामान्यं जातिः—नित्य एवं अनेकों में अनुगत—समानविषयिणी अर्थात् एक ही प्रकार की धारावाहिनी प्रतीति जाति कहलाती है। जैसे संसार की समस्त गोव्यक्तियों में एक ही प्रकार की 'अयं गौः अयं गौः' इस प्रकार की प्रतीति होती है वैसे ही समस्त काव्यों में भी 'इदं काव्यमिदं काव्यम्' इस रूप में होनेवाली अनुगत प्रतीति होती है। 'शब्दार्थौ काव्यम्' इस काव्यलक्षण में काव्यत्व को जाति मानने पर जातिबाधक संकर दोष की प्राप्ति होती है। परन्तु यदि इसे जाति न मानकर अखण्डोपाधि माना जाय तो यह दोष हट जाता है। इन दोनों में यह अन्तर है कि जाति नित्य होती है और अनेक व्यक्तियों में अनुगत—एकाकार रूप से समवाय सम्बन्ध से रहती है परन्तु उपाधि नित्य होने पर भी एक ही धर्मी में स्वरूप-सम्बन्ध से रहती है (यो नित्यः सन्नेकस्मिन् धर्मिणि स्वरूपसम्बन्धेन तिष्ठति सोऽखण्डोपाधिः)। जैसे एक आकाश में अनेकों में रहनेवाला जातिरूप धर्म नहीं रहता और उसमें एक आकाशत्व रूप अखण्डोपाधि धर्म रहता है उसी प्रकार 'नामनामिनोरभेदः' इस न्याय से एक रूप में स्थित शब्दार्थ में एक ही काव्यत्व रूप अखण्डोपाधि रहती है।

साहित्यशास्त्र में रसास्वादप्रतिबन्धक को दोष कहा जाता है परन्तु सङ्कर रस प्रतीति का प्रतिबन्धक नहीं होता अतः उसके रहते हुए भी काव्य में साहित्य के नियमानुसार दोष नहीं मानना चाहिए। अतः काव्य में काव्यत्व को जाति मानने पर भी कोई हानि नही है।

और [शब्दार्थों के] अदोषौ इस विशेषण से दोषसामान्याभाव या दोष विशेषाभाव रूप विकल्पों का अवसर ही नहीं है क्योंकि हमारे मत में दोषसामान्याभाव का ही लक्षण में प्रवेश होता है [दोषविशेषाभाव का नहीं]।

१. ज अ; न च काव्यत्वजातेर्व्यासज्यवृत्तित्वेऽपसिद्धान्तः देवदत्तप्रभवत्वादिना जातिसाङ्कर्यापत्त्या काव्यस्योपधित्वात् त

विरलविषयत्वमिष्टमेव पदमात्रस्यापि तथासम्भवान्न निर्विषयत्वमिति केचित्। अदोषपदेन स्फुटदोषराहित्यं विवक्षितम्। तेन [निराकांक्षत्वासाधुत्वादयः][1] परिगृह्यन्ते।

अतएवास्ति कश्चित् प्रतिभावतां विशेषोपायः[2] सामाजिकांश्चित्रार्पितानिव कृत्वा दोषान्न ग्राहयतीति वदन्ति।

[और दोष सामान्याभाव के लक्षण में प्रवेश होने से जो] प्रविरलविषयत्व आता है वह हमें इष्ट ही है क्योंकि केवल कुछ पद भी यदि निर्दोष हों तो उतने को ही काव्य कहा जा सकता है इसलिए [कुछ पदों के सर्वथा दोष विनिर्मुक्त होने की स्थिति में] काव्य की निर्विषयता नहीं होगी [अतः पूर्वपक्षी का यह कहना कि सर्वथा दोष-रहित कोई काव्य सम्भव ही नहीं है यह असङ्गत है] । ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है।

टि०—'अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम्' इस काव्यलक्षण में दोषविशेष का सम्भव तो है परन्तु व्यभिचार नहीं है अतः 'अदोषौ' को 'शब्दार्थौ' का विशेषण नहीं माना जा सकता। क्योंकि नियम यह है कि किसी विशेष्य का वही विशेषण बन सकता है जिसमें सम्भव और व्यभिचार यह दोनों विशेषतायें रहती हों (सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्) सम्भव का अर्थ है सत्ता और व्यभिचार का अर्थ है अभाव। कोई न कोई विशेष दोष तो काव्य में रहता ही है इसलिए सब दोषविशेषों का अभाव काव्य में नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ दोषसामान्याभाव में ही तात्पर्य है दोषविशेषाभाव में नहीं।

कुछ विद्वानों का कहना है कि 'अदोषौ' इस पद से यह विवक्षा है कि [शब्दार्थ में—काव्य में] स्फुट दोष नहीं होने चाहिए।

टि०—यहाँ स्फुट दोष होने का अभिप्राय रसानुकूलशाब्दबोधप्रतिबन्धकत्व है अर्थात् जो रस के अनुरूप शाब्दबोध में बाधा को उपस्थित करे वह स्फुट दोष कहलाता है।

इससे [निराकांक्ष और असाधु आदि दोषों में रहनेवाले] निराकांक्षत्व और असाधुत्वादि विशेष धर्मों का ग्रहण होता है। [शाब्दबोध में प्रतिबन्धक होने से रसविघातक इन दोषों को काव्य में नहीं रहने देना चाहिये]।

इसलिए प्रतिभाशाली कवियों का कोई ऐसा विशेष प्रकार [खास ढंग का अन्दाज़े बयां] है जो सामाजिकों को [विस्मय विमुग्ध करके] चित्रलिखित [फोटो की भाँति स्थिर] सा करके उन्हें दोषों को पकड़ने ही नहीं देता। [अतः काव्य में स्फुटदोषराहित्य होना चाहिए भले ही छोटा-मोटा दोष रह जाय, ऐसा वे कहते हैं]।

---

१. संशोधित; निराकांक्षत्वासन्नत्वादयः ज अ त

२. न; विशेषो यः अ त।

परे तु यदंशे दोषस्तदंशेऽकाव्यत्वं यदंशे दोषाभावस्तदंशे काव्यत्वमिति तथा चैकमेव पद्यं काव्यमकाव्यं च यथा एकमेव ज्ञानं प्रमाऽप्रमा चेति दोषसामान्याभाव एव लक्षणे प्रवेश्य इत्याहुः। गुणान्वितावित्यत्र[1] गुणव्यञ्जकावित्यर्थः।[2]

टि०—अभिप्राय यह है कि कविगण अपनी वर्णनशैली से अपनी रचना को इतना अधिक हृदयावर्जक बना देते हैं कि उसे पढ़कर सामाजिक आनन्दमग्न हो जाता है और उसका उस रचना के दोषों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। उदाहरणार्थ 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्' इत्यादि श्लोक विलक्षण रूप से रसोद्‌बोधक है। इसको पढ़ते ही पाठक आनन्दमग्न हो जाता है और उसका सारा ध्यान इसके शब्दों से ध्वनित होने वाले व्यङ्ग्यार्थ की ही ओर चला जाता है। यद्यपि इस श्लोक में विधेयाविमर्श दोष है क्योंकि यहाँ पहले उद्देश्य 'स्तनतटं' को रखना चाहिए तदनन्तर विधेय 'निःशेषच्युतचन्दनम्' को प्रयुक्त करना चाहिए। पर यहाँ वैपरीत्य है तो भी रसविभोर पाठक की दृष्टि एक तो इस ओर जाती ही नहीं है और यदि क्षणभर के लिए जाती भी है तो तुरन्त उस ओर से हट भी जाती है।

और दूसरे विद्वान् ऐसा कहते हैं—जिस अंश में दोष होता है वह अकाव्य और जिस अंश में दोष का अभाव होता है वह काव्य होता है जैसे एक ही ज्ञान प्रमा (यथार्थ) और अप्रमा (अयथार्थ) दोनों रूपों में होता है वैसे ही एक ही पद्य काव्य और अकाव्य दोनों हो जायेगा। इसलिए यहाँ दोषसामान्याभाव को ही काव्यलक्षण में सम्मिलित करना चाहिए।

टि०—इनका कहना है—यदि अदोषौ का अर्थ दोषविशेषाभाव (च्युतसंस्कृत्यादि दोषों का अभाव) होगा तो एक ही श्लोक में किसी अंश में दोष रहेगा और किसी अंश में दोष नहीं रहेगा (उदाहरणार्थ—'न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः' इत्यादि श्लोक में विधेयाविमर्श वाले स्थलों पर तो अकाव्यत्व हो जायेगा और शेष अंशों में दोषाभाव होने के कारण काव्यत्व रहेगा। इस प्रकार एक ही पद्य काव्य और अकाव्य दोनों होने लगेगा, जैसे एक ही ज्ञान अप्रमा और प्रमा होता है (जैसे—रज्जु में सर्प की बुद्धि होने पर वह ज्ञान अप्रमा—अयथार्थ ज्ञान—है और उत्तर काल में रज्जु में रज्जु की ही प्रतीति होने पर वही ज्ञान प्रमा—यथार्थ ज्ञान—बन जाता है)। इस स्थिति में किसी भी पद्य को अकाव्य अथवा काव्य दोनों में से कोई भी नाम नहीं दिया जा सकेगा। अतः अदोषौ का अभिप्राय दोषविशेषाभाव न होकर दोषसामान्याभाव ही है। इस अदोषौ पद में प्रयुक्त नञ् का अर्थ दोषसामान्याभाव से युक्त (शब्दार्थ) करना चाहिए।

['अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ सालङ्कारौ गुणान्वितौ' में आये हुए] 'गुणान्वितौ' इस विशेषण में गुणव्यञ्जक [शब्द और अर्थ काव्य होते हैं] यह अर्थ [निहित] है।

१. न ब; सगुणावित्यत्र त

२. त;...र्थं इति सर्वं सुखम् न;...र्थं इति सर्वं सुस्थम् ख

वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तथा च तदेव लक्षणमस्तु किमनेनानुगतेन लक्षणेन इति सर्वं सुस्थम् ।[1]

वास्तव में तो 'अदोषं गुणवत् काव्यम्' इत्यादि वाक्य से बताये गये स्वर्गविशेष अर्थात् विशेष प्रकार के स्वर्गीय आनन्दोपम सुखविशेष के जनक काव्य के भीतर रहनेवाली काव्यता के अवच्छेदक अखण्ड धर्म काव्यत्व की कल्पना करनी चाहिए और वह ही काव्य का लक्षण हो जाय; परम्परागत ('अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ' इत्यादि अथवा 'पदसन्दर्भः काव्यम्') इस लक्षण को काव्यलक्षण मानने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार काव्यलक्षणा विषयक सारा सिद्धान्त स्थिर इस तरङ्ग में (निश्चित) रूप में स्पष्ट हो गया है।

टि०—आचार्य विश्वनाथ ने इस तरङ्ग में सबसे पहले काव्य के प्रयोजन बताने के लिए आचार्य मम्मट की 'काव्यं यशसे' इत्यादि कारिका को दिया है इसी के साथ 'अदोषं गुणवत् काव्यम्' इत्यादि सरस्वती कण्ठाभरण की कारिका से यह बताया है कि कवि निर्दोष, सगुण, अलङ्कारों से अलङ्कृत एवं रसान्वित काव्य का निर्माण करके यश को प्राप्त करता है और स्वर्गीय सुख को भी प्राप्त करता है। कवि की इस रचना के निषेध से सामाजिक भी इस अलौकिक सुख को पा लेता है। सरस्वतीकण्ठाभरण में इस कारिका को प्रारम्भ में काव्य के प्रयोजन बताने के लिए रखा है और फिर काव्यलक्षण के प्रसङ्ग की समाप्ति पर इसी श्लोक को स्वानुमोदित काव्यलक्षण के रूप में दुवारा कहा है कि वास्तव में तो—

'अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम् ।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्त्तिं स्वर्गं च विन्दति ॥' इति (सरस्वतीकण्ठाभरण में इस श्लोक द्वारा बताया जो काव्यलक्षण है उसके मनन करने १, २) के उपरान्त जो परिनिष्ठित काव्य लक्षण ज्ञात होता है उसे ही काव्य का लक्षण मान लेना चाहिए। काव्य प्रयोजन बतलाने के बाद आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि' इस काव्य लक्षण के ही शब्दों को लेकर शब्दार्थ की समष्टि को काव्य मानने वाले आचार्यों में प्रचलित—

अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ सालङ्कारौ गुणान्वितौ ।
काव्यमेतदिति प्राहुरलङ्कारविशारदाः ॥ सा० सु० सि० १, ५

इस काव्य लक्षण का खण्डन दूसरे विरोधी आचार्यों द्वारा किया हुआ बताया है। इसी प्रकार चण्डीदास प्रभृति 'पदसन्दर्भः काव्यम्' इस केवल पदसमूह को काव्य मानने वाले आचार्यों का मत दूसरे विद्वानों के द्वारा खण्डित किया हुआ बताया है।

'अदोषं गुणवत्काव्यम्' इत्यादि श्लोक के अन्तिम चरण में सरस्वती कण्ठाभरण

१. त; ज अ में लक्षणेन के बाद इति सर्वं सुस्थं नहीं।

के अनुसार 'कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति' ऐसा पाठ है किन्तु साहित्यसुधा सिन्धुकार ने 'कीर्तिं स्वर्गं च विन्दति' यह पाठ कर दिया है। मूल पाठ की प्रीति के स्थान पर रखा गया स्वर्ग शब्द लक्षण से स्वर्गीय आनन्द का द्योतक माना जा सकता है। ग्रन्थकार का कहना है कि 'अदोषं गुणवत् काव्यम्' इत्यादि रूप में भोजराज द्वारा बताये हुए लक्षण को ही सर्वमान्य काव्य लक्षण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि इस लक्षण में काव्य के सभी आवश्यक तत्त्व निर्भ्रान्त रूप में समाहित कर दिये गये हैं। इसके भीतर जहाँ दोषराहित्य, सगुणत्व, सालङ्कारत्व और सरसत्व इन धर्मों का समावेश है वहाँ आह्लाद (प्रीतिं अथवा स्वर्गम्) रूप धर्म को भी ग्रहण कर लिया है क्योंकि यह आह्लादकारिता—सद्यः परनिर्वृति प्रदायकता ही तो काव्य का सर्वोपरि तत्त्व है। इस लक्षण के रहते हुए दूसरे लक्षणों में अभिरुचि रखना निरर्थक है क्योंकि काव्य का इतना व्यापक और सर्वाङ्गीण लक्षण दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। आचार्य मम्मट और उनके अनुयायियों द्वारा माने गये लक्षण में काव्य के प्रधानभूत तत्त्व रस का स्पष्ट रीति से नाम तो निर्देश नहीं किया है कम से कम लक्षण में तो अभिधा के ही द्वारा काव्य के सम्पूर्ण तत्त्वों का निर्देश करना अपेक्षित होता है। इस लक्षण का अनुमोदन करने के उपरान्त इन्होंने 'वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादि वाक्य प्रतिपादित स्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यमखण्डं कल्पनीयम्' कहकर अपनी ओर से काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। यहाँ स्वर्ग का दुःख संस्पर्श से रहित सुखविशेष यह लाक्षणिक अर्थ है। जैसे स्वर्ग में प्राप्त होने वाले आनन्द में किसी प्रकार के दुःख की अल्प मात्रा भी नहीं मिली हुई होती वैसे ही काव्यजनित आनन्द उस स्वर्गीय आनन्द के समान शुद्ध आनन्द रूप होता है। जैसे अन्य आचार्यों ने इसको ब्रह्मास्वादसहोदर यह नाम दिया है वैसे ही आचार्य विश्वनाथ ने इसे दो नाम दिये हैं—१. ब्रह्मानन्दसहोदर परमानन्द (सा० सु० सि० १, ४) तथा २. स्वर्गविशेष अर्थात् स्वर्गीयानन्दोपम आनन्द विशेष। दृश्य काव्यों और श्रव्य काव्यों के पठन, श्रवण और दर्शन से स्वर्गोपम आनन्द इसी शरीर से प्राप्त हो जाता है यह सकल सहृदयों के हृदयों से अनुमोदित सिद्धान्त है।

'स्वर्गप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनि' इत्यादि कविनिर्मितावनेनैव देहेन स्वर्गप्राप्तिः स्यादिति भावः (काव्य प्रकाश १, १) 'नियतिकृतनियमरहिताम्' इत्यादि पर वामनी टीका अपनी ओर से दिया हुआ इनका पर्यवसित (परिनिष्ठित) काव्य लक्षण—'स्वर्गविशेषजनकतावच्छेदककाव्यमखण्डम्' इस रूप में आता है 'जायते परमानन्दः' इत्यादि काव्य लक्षण तो सुगम शब्दों में रख दिया है और यह दूसरा लक्षण नव्य न्याय की शैली में बताया है। इस दूसरे लक्षण में काव्य को स्वर्गविशेष का जनक बताया है, काव्य में तन्निष्ठजनकता होती है और उसका अवच्छेदक काव्यत्व है। यह काव्यत्व धर्म अखण्ड अर्थात् अभेदात्मक है। इस लक्षण के अनुसार—'स्वर्गीय आनन्दोपम लोकोत्तर सुखविशेष को उत्पन्न करने वाला अखण्डार्थ बोधक

अत्र च विशेषालङ्कारविरहेऽपि सामान्यालङ्कारसत्त्वान्न काव्यत्वहानिरित्यवधेयम् । यथा—

अखण्ड वाक्य ही काव्य होता है—यह काव्य का स्वरूप है । इस प्रकार यहाँ काव्य को अखण्डोपाधि के रूप में स्वीकार किया गया है जो धर्म नित्य होकर एक वस्तु में स्वरूप सम्बन्ध से रहता है वह अखण्डोपाधि कहलाता है । काव्य में रहने वाला काव्यत्व धर्म अखण्डोपाधि है जाति नहीं जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 'शब्दार्थौ काव्यम्' इस काव्य लक्षण में शब्द और अर्थ के समूह में काव्यत्व जाति मानने पर सङ्कर दोष आता है । इसी प्रकार 'शब्दः काव्यम्' यह काव्य लक्षण मानने पर भी सङ्कर होता है क्योंकि जहाँ कत्व धर्म नहीं है ऐसे केवल गकारादि अक्षरघटित चित्रकाव्य में काव्यत्व है और जहाँ काव्यत्व नहीं है ऐसे ककार-रूप एकाक्षर में कत्व जाति है । इन दोनों काव्यत्व और कत्व जातियों की एकमात्र ककार निर्मित चित्रकाव्य में स्थिति है अतः साङ्कर्य है । यह साङ्कर्य जाति का बाधक होता है इस कारण केवल शब्द में भी काव्यत्व जाति नहीं मानी जा सकती । परन्तु यदि शब्दार्थाभेदवादी वैयाकरणों का मत मान लिया जाय और शब्दार्थ का अभेद मानकर उनको अखण्ड अर्थात् निरवयव समझा जाय तो यह सङ्कर दोष नहीं आता है । इसलिए ग्रन्थकार ने स्वर्गोपम आनन्द के जनक अभिन्न शब्दार्थ को काव्य के रूप में स्वीकार किया है । वैयाकरणों का यह मत अखण्डबुद्धि 'निर्ग्राह्यो वाक्यार्थ एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्' इस रूप में काव्यप्रकाश (५, ४७ वृत्तिभाग) में भी मिलता है । इनके मत में शब्द से अर्थ पृथक् नहीं है और अर्थ से शब्द का भेद नहीं है इन दोनों का ऐक्य ही वाक्यार्थ होता है । इस प्रकार यहाँ तक आचार्य विश्वनाथ ने भोजराज के बनाये काव्य लक्षण का अनुमोदन करते हुए यहाँ अपनी ओर से भी काव्य का पर्यवसित लक्षण दे दिया है ।

यहाँ (काव्य में) किसी (उपमादि) विशेष अलङ्कार के न रहने पर भी (वक्रोक्ति) जैसे सामान्य—सब में रहने वाले अलङ्कार के होने पर (काव्य में) काव्यत्व को (मानने पर) किसी प्रकार की क्षति नहीं होती ऐसा समझना चाहिए ।

टि०—सरस्वती कण्ठाभरण की 'अदोषौ गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्' इस पङ्क्ति में आये हुए 'अलङ्कारैरलङ्कृतम्' इस विशेषण का ग्रन्थकार ने यह आशय बतलाया है कि काव्य में यदि उपमादि विशेष अलङ्कार होते हैं तो इससे कविता का उत्कर्ष बढ़ जाता है इसलिए काव्य में अलङ्कारों का होना बहुत अच्छी बात है परन्तु यदि इन विशेष अलङ्कारों में से कोई न हो और वक्रोक्ति (अतिशयोक्ति) जैसा सामान्य (सर्वगत) अलङ्कार हो तो इस दशा में भी काव्य में काव्यत्व मानने में कोई त्रुटि नहीं आती है । यही बात निम्नलिखित दो श्लोकों से स्पष्ट हो जाती है ।

आपृच्छस्व[1] सखी नमस्कुरु गुरून् वन्दस्व बन्धु[2]स्त्रियः
कावेरीतटसन्निविष्टनयने मुग्धे किमुत्ताम्यसि।
आस्ते पुत्रि[3] समीप एव सदनादेलालतालिङ्गित-
न्यञ्चत्तीरतमालदन्तुरदरी तत्रापि गोदावरी ॥ १ ॥

यथा वा—

अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापः सखीष्वाहितो
न्यस्तं दैन्यमशेषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योऽर्पिता।
अद्य श्वः खलु निर्वृतिं व्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते
विश्रब्धो[3] भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥ २ ॥

(उदाहरण के रूप में) जैसे—सखियों से विदा ले लो, गुरुओं को नमस्कार करो (प्रिय) सम्बन्धियों तथा (मान्या) स्त्रियों की वन्दना करो। यहाँ कावेरी नदी के तट पर आँखें लगाने वाली हे भोली बच्ची! तुम क्यों दुःखी हो रही हो? अरी बेटी, वहाँ भी इलायची की लताओं से स्पर्श किये गये हिलते-डुलते एवं तीर पर स्थित तमाल वृक्षों से सुन्दर गुफाओं वाली गोदावरी नदी है ॥ १ ॥

टि०—अपनी पुत्री को ससुराल भेजते समय उसे सान्त्वना देने के लिए उसका पिता अथवा माता की ओर से उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा ससुराल का घर समीप ही है अतः तुम्हें हम जल्दी जल्दी वापिस बुलाते रहेंगे दूसरा घर भी उतना ही सुन्दर है जितना यह घर है। यहाँ यह चमत्कार पूर्ण उक्ति विदा के दृश्य को आँखों के सामने उपस्थित कर देती है और वात्सल्य रस को पुष्ट कर रही है। यहाँ अलङ्कार के बिना भी काव्य है।

अथवा जैसे—[दूती नायिका की विरहावस्था की दशा नायक को बता रही है]—[उसने अपने] सम्बन्धियों के लिए अविरल नेत्राश्रुधारा को उत्पन्न किया है (अर्थात् उसकी दीन दशा को देखकर सारे सम्बन्धी फूट फूट कर रो रहे हैं) सभी सखियों को उसने अपना सन्ताप सौंप दिया है। परिवार के लोगों को पूर्ण रूप से अपनी दीनता को दे दिया है और अपनी चिन्ता कुटुम्ब के बड़े लोगों को भेंट कर दी है। आजकल में वह निश्चय से शान्ति को प्राप्त हो जायेगी क्योंकि वह लम्बे लम्बे साँसों से बहुत खिन्न हो रही है। [हे नायक, अब तुम] निश्चिन्त हो जाओ [क्योंकि तुम्हारी] उस नायिका ने [सभी सम्बन्धी जनों को अपने वियोग-जन्य] दुःख को बाँट दिया है ॥ २ ॥

---

१. त; अपृच्छस्व ज अ
२. त; बन्धुं ज अ
३. अ; पुत्री ज त

अत्रोभयत्र वक्रोक्ति: काव्यजीवितं तस्या एव पुरः स्फूर्तिकत्वात् । प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति[1] न्यायात् । अतएवोक्तम्—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ।
यत्नोऽस्यां[2] कविना कार्यः कोऽलङ्कारो ह्यनया विना ॥

वक्रोक्तिश्च चमत्कार कारिण्युक्तिः[3] ।

अथ काव्यविभागविशेषलक्षणमाह[4]—

टि०—मरने से पहले जैसे कोई व्यक्ति अपनी सारी वस्तुओं को बाँटकर यदि हिसाब किताब चुकता कर देता है तो उसके सम्बन्धियों को उसकी मृत्यु के अनन्तर किसी प्रकार की बाहरी कठिनाई नहीं होती। वैसी ही अपनी मृत्यु के अनन्तर आप पर जो कष्ट और जिम्मेदारियाँ आती थीं उन सबको इस नायिका ने पहले ही और सगे-सम्बन्धियों में बाँट दिया है। इस प्रकार जीते जी और मृत्यु के अनन्तर भी वह नायिका आपकी सदा हिताभिलाषिणी रही है। दूती के इस कथन से नायिका का नायक के प्रति अनुरागातिशय अभिव्यक्त हो रहा है और विप्रलम्भ श्रृङ्गार की परिपुष्टि हो रही है।

इन दोनों श्लोकों में काव्य की आत्मभूत (सारभूत) वक्रोक्ति [नामक सामान्य अलङ्कार] है क्योंकि यही यहाँ सामने आकर स्फुरित अर्थात् प्रकट हो रही है। [यद्यपि यहाँ वक्रोक्ति के साथ-साथ वात्सल्य और विप्रलम्भ श्रृङ्गार इन दोनों रसों की भी स्थिति है परन्तु यहाँ प्रधानता वक्रोक्ति की है इसीलिए] प्रधानता के आधार पर ही नाम पड़ा करते हैं इस नियम से यहाँ वक्रोक्ति को ही मानना चाहिए। इसलिए कहा है—

सारे स्थानों में यह प्रसिद्ध वक्रोक्ति (स्वभावोक्ति—चातुर्यपूर्ण उक्ति अथवा अतिशयोक्ति) रहा करती है। इससे अर्थ में विभावन अर्थात् चमत्कार आ जाता है। कवि को इसमें (काव्य के भीतर इसको रखने में) प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि ऐसा कौन सा अलङ्कार है जो इसके विना होता है?

और चमत्कार को उत्पन्न करने वाली उक्ति का नाम ही वक्रोक्ति है। इसके बाद ग्रन्थकार ने यहाँ काव्य के उत्तम, मध्यम और चित्र इन भेदों को पहले विशेष लक्षण बतलाये हैं।

---

१. अ त; भवन्ति इति ज
२. ज त; स्याः, अ
३. ज, अ; चमत्कारकारिण्युक्तिः त
४. ज अ; काव्यविभागमाह त

यत्र व्यङ्ग्यचमत्कारो वाच्याधिकतरो[1] भवेत् ।
ध्वनिकाव्यमिदं प्राहुः पारिभाषिकमुत्तमम् ॥ ५ ॥

यथा—

दूति ! श्वासविशेष एष[2] किमहो चण्डि ! त्वरा धावनाद्
विभ्रष्टालकवल्लरी कथमहो ? त्वन्नाथपादार्पणात् ।
निर्मृष्टाधररागपल्लवरुचिस्त्वत्कार्यसंजल्पनाद्
वासस्तस्य किमङ्गसङ्गतमहो ? विश्वासहेतोस्तव ॥ ३ ॥

---

१. [उत्तम काव्य का लक्षण]—जहाँ वाच्यार्थ (अभिधेयार्थ) की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ का चमत्कार अधिक मात्रा में रहता है इस ध्वनिकाव्य (ध्वनिगर्भित) काव्य को विद्वान् आचार्य 'उत्तम काव्य' इस पारिभाषिक नाम से कहते हैं ॥ ५ ॥

टि०—स्वस्वशास्त्रसिद्धः सङ्केतः पारिभाषिकः—शास्त्रविशेष में ही किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त शब्द पारिभाषिक कहलाता है । काव्य शास्त्र में ध्वनि काव्य को 'उत्तम काव्य' यह पारिभाषिक नाम दिया जाता है ।

[उत्तम काव्य का उदाहरण] जैसे–[नायिका और दूती में प्रश्नोत्तर है] [प्रश्न] हे निर्दय दूती ! यह [तुम्हारा] विशेष प्रकार का [फूला हुआ] साँस क्यों है ? [उत्तर] तेज दौड़ने के कारण [मेरा साँस फूल गया है] । [प्रश्न] अरे यह तुम्हारी अलकलता (सुन्दर केश) कैसे खुल गई है—अस्त व्यस्त हो गई है ? [उत्तर] तुम्हारे स्वामी के पैरों में [अपना सिर] रख देने से [प्रश्न] किसलय की कान्ति के समान कान्ति वाली निचले ओठ की लाली कैसे पुँछ गई है ? [उत्तर–नायक के साथ] तुम्हारे कार्य [सम्बन्धी] सम्भाषण के कारण [अर्थात् लगातार बहुत बार बोलते रहने से निचले ओठ की लाली ऊपर के ओठ ने पोंछ दी है] । [प्रश्न] अरी [यह उसका] कपड़ा तुम्हारे अङ्गों पर क्यों पड़ा हुआ है ? [उत्तर] तुम्हारे [इस] विश्वास के लिए [कि मैं वहाँ होकर और नायक से तुम्हारी बात कह कर लौटी हूँ यह कपड़ा निशानी के रूप में लेती आई हूँ वह नहीं आया तो इसमें मेरा क्या दोष ? ॥ ३ ॥

टि०—किसी नायिका ने अपनी दूती को अपने नायक को मनाने को भेजा था परन्तु दूती ने अपने निर्धारित कर्त्तव्य को पूरा नहीं किया प्रत्युत वह उसके साथ सम्भोग कर के लौट आई । उसके शरीर पर सम्भोगजन्य चिह्नों को देख कर उससे अपना अपराध स्वीकार कराने के लिए नायिका अनेक प्रश्न करती है । परन्तु 'यह सारे चिह्न तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए किये गये प्रयत्न के कारण ही हैं सम्भोगजन्य नहीं हैं', यह बात चालाक दूती अपने उत्तरों से सूचित कर रही है । वैसे नायिका के

---

१. त; वाच्यादधिकतरो ज अ
२. ज अ; एव त

अत्र वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्येन[1] नायकस्य दूतीसम्भोगो व्यज्यते ।

वाच्याधिकचमत्कारि नो व्यङ्ग्यं यत्र भासते ।
तदेव मध्यमं काव्यं कविवृन्दैर्निगद्यते ॥ ६ ॥

यथा—

रोलम्बो मधुपः पिकः परभृतो रन्ध्रानुसारी मरुत्
कीरो भाषितवाक्यमात्रपठन[2]प्रौढः पयोदो जडः[3] ।
हंसः सन्ततपक्षपातनिरतस्तस्मादवस्थामिमा-
मुत्काहं[4] प्रहिणोमि केन कठिनस्वान्ताय कान्ताय[5] मे ॥ ४ ॥

इन प्रश्नों से दूती समझ चुकी है कि इसने मेरे चौर्यरत को जान लिया है । परन्तु फिर भी वह धूर्तता वश इस प्रकार के उत्तर देते हुए अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर रही है । नायिका भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है फिर भी वह पूछती ही जाती है । अन्त में उसे दूती ने अपने उत्तरों से निरुत्तर कर दिया है ।

यहाँ वक्त्री, बोद्ध्री और प्रकरणादि की विशिष्टता से नायक के दूती के साथ [किये गये] सम्भोग की व्यञ्जना से प्रतीति हो रही है ।

२. [मध्यम काव्य का लक्षण]—जहाँ पर व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त नहीं प्रतीत होती है विद्वज्जनों ने उसी को मध्यम काव्य कहा है ॥६॥

इसका उदाहरण जैसे—भौंरा मधुरस–मकरन्द को पीने वाला है, कोयल दूसरों से अर्थात् कौओं से पाली जाती है और हवा छेदों में घुसने वाली वस्तु है । तोता केवल [पहले से] बोले हुए वाक्य को पढ़ने में ही निष्णात होता है; मेघ जलमय-जलस्वरूप है; हंस सदैव पंखों को [फैलाकर] गिराने में तत्पर रहता है अर्थात् पंख के द्वारा उड़ता बैठता है । इस कारण [अपने प्रेमी से मिलने के लिए] उत्कण्ठित मैं अपनी इस [दयनीय एवं विषम] दशा को बता देने के लिए किस दूत के हाथ कठिन हृदय वाले नायक के पास [अपना सन्देश भेजूँ ? यहाँ 'उत्काहं प्रहिणोमि केन' के स्थान पर 'कं वाहं प्रहिणोमि हन्त' यह पाठ सङ्गत प्रतीत होता है । तब यह अर्थ हो जायेगा कि इन में से किस को मैं इस दशा को बतलाने के लिए कठोर नायक के पास भेजूँ ? ॥ ४ ॥

टि०—यहाँ रोलम्ब और मधुप, पिक और परभृत इन पर्यायवाची शब्दों को रखा हुआ है और मरुत्, कीर आदि पदों के साथ प्रयुक्त विशेषण भी उन उन प्राणियों और वस्तुओं के विशेष धर्मों को बता रहे हैं । इन पदों और विशेषणों से ज्ञात वाच्यार्थ

१. ज अ; वैशिष्ट्ये त
२. ज त;…पठनः अ
३. ज त; जनः अ
४. अ त; मुक्ता हि ज; कं वाहं प्रहिणोमि हन्त संशोधित
५. अ त; कठिनस्तां नायकान्ताय मे ज

अत्र मधुपादिपदोपस्थापितव्यङ्ग्योपस्थितिं विना वाक्यार्थाबोधाद् वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यमेवैतत् ।

[1]अलङ्कारकृतानन्दसन्दोहो यत्र जायते ।
चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विधा तत्परिकीर्तितम् ॥ ७ ॥

तब तक सङ्गत नहीं होता जब तक इन्हीं पदों से सूचित होने वाला व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ को सिद्ध नहीं करता । भौंरे का मधुपायी होना, कोयल का दूसरों से पाला जाना, वायु का छेदों में घुसना, तोते का केवल पहले से रटी हुई बात को ही कहना, मेघ का जल रूप होना तथा हंस का पंखों की सहायता से उड़ना—अभिधा से प्रतीत होने वाले यह सारे अर्थ नायिका की उपयुक्त दूत न मिलने की विवशता को प्रकट करने वाले 'कं वाहं प्रहिणोमि हन्त' इस मुख्य वाच्यार्थ के साथ सङ्गत नहीं हो रहे हैं । परन्तु जब मधुप परभृत आदि पदों में निहित व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति हो जाती है तो वाच्यार्थ की सङ्गति हो जाती है । व्यञ्जना शक्ति से यहाँ मधुप शब्द मधुपान करने वाला शराबी और परभृत शब्द से दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला इस अर्थ की प्रतीति हो रही है। नायिका का अभिप्राय है कि जैसे शराबी अनर्गल प्रलाप करता है और उसका विश्वास नहीं किया जा सकता उसी प्रकार इस शराबी भौंरे पर मुझे विश्वास नहीं है । दूसरों के घरों में पले हुए व्यक्ति का जैसे उत्तम तथा दृढ़ चरित्र नहीं होता उसी प्रकार दूसरों से पाली गई इस कोयल का भी मुझे भरोसा नहीं । रन्ध्रानुसारी शब्द का व्यञ्जना से दोषान्वेषी अर्थ प्रतीत हो रहा है वायु में भी इस पर दोष दर्शन का दुर्गुण होने से दूत बनने की क्षमता नहीं है वह नायक के यहाँ पहुँचकर भेंट अथवा उसके ही किसी दुर्गुण के विषय में यदि बुरा भला कहने लगेगा तो वह अपने वास्तविक कार्य को भूल जायेगा । तोते के साथ 'भाषितवाक्यमात्रपठनः' पद का व्यङ्ग्यार्थ है कि इसमें केवल रटी हुई मेरी बातों को ज्यों का त्यों कह देने की क्षमता तो है परन्तु अपनी मौलिक सूझ बूझ या प्रतिभा नहीं है । इस कारण यह नायक को अपनी ओर से युक्तियाँ देकर मेरा पक्ष पुष्ट नहीं कर सकता । बादल के विशेषण 'जड' से सूचित हो रहा है कि मेघ बुद्धिविहीन है । मूर्ख व्यक्ति को कहीं भी भेजने का कोई लाभ नहीं होता । हंस के सन्नत पक्षपात विशेषण का सदैव पक्षपाती (पहले से एक धारणा बनाकर उसके अनुसार ही सोचने वाला) यह व्यङ्ग्यार्थ है । पक्षपात की भावना से दूषित व्यक्ति किसी एक के भले की बात तो सोच सकता है परन्तु दोनों का भला नहीं कर सकता । इस प्रकार यहाँ व्यङ्ग्यार्थ की सहायता के बिना वाच्यार्थ सङ्गत नहीं हो रहा है ।

यहाँ पर मधुप आदि शब्दों से उपस्थित किये गये व्यङ्ग्यार्थ की उपस्थिति के बिना वाक्यार्थ का ज्ञान न होने से यह वाच्य सिद्ध्यङ्गगुणीभूत व्यङ्ग्य ही है । [और इस प्रकार का गुणीभूत व्यङ्ग्य का मध्यम काव्य हुआ करता है] ।

३. [चित्र काव्य का लक्षण]—जहाँ अलङ्कारों से होने वाला आनन्दसमूह

---

१. ज; अलङ्कृतानन्दमरात् अत्र

तत्र शब्दालङ्कारचमत्कारि यथा—

न्यक्कारा: कैरवाणामखिलकमलिनीकाननानन्दपूराः
सायं धीराभिसारागतकमलमुखीप्रौढतापानुकाराः ।
ध्वान्ताराातिप्रहाराः प्रथमसमुदये सान्ध्यधाराधराभा—
स्तारा नाराचधारास्त्रवविभवकरास्ते कराः सन्तु सौराः ॥ ५ ॥

अत्र शब्दपरिवृत्तौ नालङ्कारः ।

अर्थालङ्कारचमत्कारि[1] यथा—

दुर्वारारा[2]तिराजीवनदवदहनः कौङ्कुमो दिग्वधूनां
सर्वाङ्गीणोऽङ्गरागस्त्रिभुवनभवनध्वान्तविध्वंसदीपः ।
त्वद्दोरुद्दामदर्वीकरमुखहुतभुग्भूतधात्री पुरन्ध्रया
वासो माञ्जिष्ठमुर्वीरमणकुलमणे जागरीति प्रतापः ॥ ६ ॥

उत्पन्न होता है वह चित्र काव्य है । शब्द और अर्थ सम्बन्धी दो भेदों के कारण यह दो प्रकार का कहा गया है । [इस प्रकार इसके शब्द चित्र और अर्थ चित्र नामक दो भेद हैं] ॥ ७ ॥

१. शब्दालङ्कार के चमत्कार से युक्त चित्र काव्य [का उदाहरण] जैसे—[प्रातः-कालीन सूर्य के] पहले पहले आविर्भाव के समय कुमुदों का तिरस्कार करनेवाली, कमलिनियों के समस्त वन के लिए आनन्द का प्रवाह बनी हुई, सायङ्काल में [प्रेमी से मिलने के लिए] उत्साहवती एवं अभिसरण के लिए आई हुई कमल के समान सुन्दर मुखवाली [विरहिणी] नायिका के अत्यन्त बढ़े हुए सन्ताप का अनुसरण करने वाली अर्थात् वियोगिनी नायिका के मदनानल के सदृश गर्म गर्म अन्धकाररूपी शत्रु पर आक्रमण करने वाली, सन्ध्याकालीन बादल के समान [लाल रंग की] शोभा वाली, लम्बी लम्बी, सूर्य की किरणें आपके लिए बाण की धाराओं के प्रवाह के समान [प्रचुर मात्रा में] वैभव को करनेवाली होवे ॥ ५ ॥

टि०—यहाँ पर सूर्योदय का वर्णन किया है । इस श्लोक न्, क्, र्, न्, स्, त् आदि वर्णों की तथा कर इस वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति हुई है इस कारण यहाँ वृत्त्यनुप्रास नामक शब्दालङ्कार है ।

यहाँ पर [इन कौरव कमलिनी, कानन आदि पदों के स्थान पर इनके पर्याय-वाची] अन्य शब्दों को रख देने पर [ककारादि वर्णों के द्विभाव यह अलङ्कार में] नहीं रहेगा ।

२. अर्थालङ्कार के चमत्कार से युक्त काव्य [का उदाहरण] जैसे—पृथिवी-पतियों के कुल में मूर्धन्य हे राजन् ! दुर्धर्ष शत्रुसमूह रूपी वन के लिए दावानल

---

१. ज त; अर्थालङ्कार चमत्कारि ब

२. अतः दुर्वाराति ज, त,

अत्र चोत्प्रेक्षा चमत्कारकारिणी। अत्रोभयत्र सूर्यराजविषयकभावसत्त्वेऽप्य[१]-नुप्रासोत्प्रेक्षे चमत्कारहेतू। वस्तुतस्तु अनुचितोऽयं ध्वनित्वादिना विभागः। तथाहि एतेषु त्रिषु[२] रसादिकं न प्रतीयते प्रतीयते वा। नाद्यः तदा काव्यत्व-विरहापत्तेः। अथ प्रतीयते तदा कथं ध्वनित्वादिना विभागः।

रूप, दिशा रूपी नायिकाओं के समस्त अङ्गों को व्याप्त करनेवाले केसर का अङ्गराग (अङ्गों में मले जानेवाला लेप) रूप, त्रिलोकरूपी भवन के अन्धकार को नष्ट करने वाला दीपक रूप भयङ्कर काले नाग के मुख में विद्यमान अग्नि ज्वाला स्वरूप और प्राणियों को धारण करनेवाली पृथिवी रूपी नायिका का मंजीठे के रस से रंगा हुआ लाल वस्त्र रूप आपकी भुजा का यह प्रताप [सारे संसार में] जाग रहा है ॥ ६ ॥

और यहाँ पर [इस दूसरे श्लोक में प्रतीयमान क्रिया सम्बन्धी] उत्प्रेक्षा चमत्कार को उत्पन्न करने वाली है एवं इन दोनों श्लोकों में [क्रमशः कविनिष्ठ] सूर्यविषयक तथा राजविषयक भाव होने पर भी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलङ्कार ही चमत्कार के कारण हैं [अतः यहाँ पर इन दोनों अलङ्कारों की ही प्रधानता स्वीकार करनी चाहिए]।

टि०—उत्प्रेक्षा अलङ्कार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का सम्भावन अर्थात् 'उत्कटैककोटिक संशय' पाया जाय। उपर्युक्त श्लोक के 'प्रतापः जागरीति' इस वाक्यांश में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है क्योंकि यहाँ पर अचेतन प्रताप की व्यापन क्रिया के भीतर चेतन व्यक्ति की जागरण क्रिया की सम्भावना की गई है अतः यहाँ क्रियोत्प्रेक्षा है उत्प्रेक्षा के वाचक इवादि पद होने के कारण यह प्रतीयमाना है। यहाँ प्रताप रूप एक उपमेय के ऊपर दवदहन आदि अनेक उपमानों का आरोप किया गया है और श्लेषाभाव है अतः यहाँ अश्लिष्ट शब्द निवन्धनमाला रूपक है। साथ ही यहाँ अराति-राजी में वन का आरोप प्रताप में दवदहन के आरोप में निमित्त है। अतः यहाँ अश्लिष्ट शब्द निवन्धनमाला परम्परित रूपक है। यह रूपक उत्प्रेक्षा को पुष्ट कर रहा है इस कारण यहाँ रूपकानुप्राणित उत्प्रेक्षा है।

वास्तव में तो ध्वनित्वादि के रूप में [काव्य का] यह विभाग (वर्गीकरण) ठीक नहीं है अर्थात् काव्य के ध्वनि नामक उत्तम काव्य तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य मध्यम नाम के काव्य एवं चित्रकाव्य (अवरकाव्य) इस रूप में भेद नहीं करने चाहिए, और [यह विभाग इसलिए भी मानना ठीक नहीं है, बताइए] इन तीनों में रस, रसाभास, भाव भावाभासादि की प्रतीति नहीं होती है अथवा होती है? [इनमें से] पहला पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि [यदि रस की प्रतीति न हो तो] काव्यत्वाभाव की प्राप्ति माननी पड़ेगी अर्थात् काव्य के ये तीनों ही भेद काव्य नहीं कहे जा सकेंगे

---

१. न अ; सत्त्वेऽपि अनुप्रासो त

२. अ त; काव्यविरहापत्तेः अ

न च मध्यमे आन्तरालिकव्यङ्ग्यस्याप्राधान्याद् विभाग इति वाच्यम्। आन्तरालिकव्यङ्ग्यस्याप्राधान्येऽपि तस्याकिञ्चित्करत्वेन पार्यन्तिकचमत्कारापेक्षया सर्वेषां ध्वनित्वसम्भवात्[1]। अथ चित्रे गुणालङ्काराहितचमत्कारेण रसस्तिरोधीयत इति चेत्, न अनवबोधात्। तिरोधानं रसप्रतिबन्धो विलम्बेन प्रतिपत्तिर्वा। नाद्यः तदा काव्यत्वविरहापत्तेः। नान्त्यः गुणालङ्कारा हि रसोद्बोधकास्तथा च तज्ज्ञा[2]ने तदाहितचमत्कारानन्तरं रसोद्बोधो युज्यत एवेति कथं न ध्वनित्वम्?

क्योंकि रसध्वनि होने पर ही काव्य को काव्य कहा जा सकता है। और [यदि दूसरे विकल्प के अनुसार] रस की प्रतीति होती है [ऐसा माना जाय तो रस तीनों स्थलों में एक जैसा है उसका] ध्वनि (या उत्तम) काव्य आदि के रूप में वर्गीकरण क्यों किया जाय [रस तो पूर्ण घनानन्द स्वरूप है उसके घटिया बढ़िया अथवा थोड़ा या अधिक के रूप में भेद नहीं हो सकते]।

और मध्यम काव्य में [उसके अन्दर स्थित आनुषङ्गिक (प्रसङ्ग वश आये हुए)] व्यङ्ग्यार्थ की अप्रधानता के कारण यह विभाग है अर्थात् उसमें व्यङ्ग्यार्थ की गौणता होती है इसीलिए उसे ध्वनि (उत्तम) न कहकर मध्यम कहा जाता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि [मध्यम काव्य के] मध्य में आये आनुषङ्गिक व्यङ्ग्यार्थ की [वहाँ] अप्रधानता होने पर भी अन्तिम चमत्कार की दृष्टि से उस व्यङ्ग्यार्थ की वह अप्रधानता वहाँ बिलकुल मामूली रूप में (नगण्य) होती है अर्थात् गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य में भी अन्त में चमत्कार ही दृष्टिगत होता है उस समय इस बात की ओर ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ व्यङ्ग्यार्थ गौण है या प्रधान है। [इस प्रकार चाहे व्यङ्ग्यार्थ गौण हो या प्रधान हो] सबका ही ध्वनि नाम रख देना सम्भव है [अतः काव्य के ध्वनि और मध्यम यह नाम देना ठीक नहीं है]।

और यदि [पूर्वपक्षी की ओर से] चित्र काव्य में गुणों और अलङ्कारों के द्वारा स्थापित चमत्कार से रस का तिरोधान हो जाता है ऐसा कहा जाय तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि [गुण और अलङ्कार से उत्पन्न चमत्कार के होने पर रस का तिरोधान होता है] ऐसा ज्ञान नहीं होता है [प्रत्युत गुण और अलङ्कार तो रसोद्बोधक अथवा रसोत्कर्षक होते हैं] यहाँ [पूर्वपक्षी द्वारा कहे गये] तिरोधान का अभिप्राय रस को रोक लेना है अथवा विलम्ब से रस की प्रतीति होना है इनमें से पहला अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि [इसे मानने पर रस की प्रतीति के रुक जाने पर] काव्यत्वाभाव की प्राप्ति होगी [इस प्रकार गुण और अलङ्कार से उत्पन्न चमत्कार के रस का यदि प्रतिबन्धक माना जाय तो जहाँ इन दोनों की स्थिति होगी वहाँ रस की प्रतीति नहीं होनी चाहिए परन्तु अनुभव यह बताता है कि ऐसे स्थलों में भी रस की प्रतीति

१. ज, प्र; ध्वनित्वप्रसङ्गात् त

२. त; तज्ज्ञानतदा० ज अ

किञ्च गुणालङ्काराणां रसादिबोधप्रतिबन्धकत्वे—

अक्लिष्टबालतरुपल्लवलोभनीयं[1]
पीतं मया सभयमेव रतोत्सवेषु।
बिम्बाधरं स्पृशसि चेद् भ्रमर प्रियाया-
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम् ॥ ७ ॥

अजनि प्रतिदिनमेषा कर्दमशेषा मदङ्गसङ्गेन।
प्रतिनिशमपूरि यया मदक्षिसम्पातिभिः सलिलैः ॥ ८ ॥

होती है] दूसरा अर्थ भी ठीक नहीं है अर्थात् गुणालङ्कारों के चमत्कार के कारण रस की प्रतीति विलम्ब से होती है यह मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि गुणालङ्कार तो रस के ही उद्बोधक होते हैं और इन दोनों वस्तुओं [गुणालङ्कारों] के ज्ञान होने पर एवं तज्जन्य चमत्कार के अनन्त (तत्काल या एकदम बाद हा) रस की प्रतीति होती है ऐसा ठीक ही है इसलिए गुणालङ्कारों से समन्वित काव्य को ध्वनि काव्य क्यों न कहा जाय ?

और यदि गुण और अलङ्कारों से उत्पन्न चमत्कार को रस का प्रतिबन्धक माना जाता तो ऐसा होने पर अक्लिष्ट इत्यादि और 'अजनि' इत्यादि इन दोनों रसध्वनि के श्लोकों में गुण और अलङ्कारों को गुंथकर-सजाकर रखने का प्रयास कालिदास जैसे महाकवियों की ओर से नहीं होता। [इससे यह सिद्ध होता है कि गुण और अलङ्कार जब चमत्कार रसोत्कर्ष को बढ़ाता ही है छूटता नहीं।

हे भ्रमर ! छोटे वृक्ष के [ताजे और विकसित होने के कारण] न कुम्हलाये हुए नवीन पत्ते के समान सुन्दर और कोमल तथा सुरत के हर्षदायक क्षणों में दयापूर्वक अर्थात् बिना कष्ट पहुँचाये धीरे-धीरे पिये गये एवं बिम्ब के समान लाल मेरी प्रिया के अधर का यदि तुम स्पर्श करोगे तो मैं तुम्हें कमल के मध्य में कैदी बना दूँगा ॥७॥

टि०—अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक (षष्ठ अङ्क, श्लोक स० २०) शकुन्तला के ऊपर मड़राने वाले भ्रमर के प्रति यह उक्ति है।

यहाँ पर शृङ्गाररसोचित प्रसाद और माधुर्य गुणोपेत वर्णरचना है और ल्, व्, त् आदि वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास है, तरुपल्लवलोभनीयम् और 'बिम्बाधरम् में उपमालङ्कार है।

[विरहाग्नि से सन्तप्त] मेरे अङ्गों के सङ्ग से यह नदी प्रतिदिन [सूखकर कीचड़ मात्र शेष रह जाती है। और प्रत्येक रात को मेरे नेत्रों से गिरने वाले अश्रु जलों से जो यह भर जाया करती है ॥ ८ ॥

टि०—यहाँ किसी विरही नायक अथवा किसी विरहिणी नायिका के द्वारा किसी के सामने अपनी दुर्दशा को प्रकट किया गया है।

---

१. ज त; लोलनीयम् अ

इत्यादिरसध्वनौ तद्ग्रथनप्रयासो न स्यान्महाकवीनाम् । ननु तर्हि स्वच्छन्दे-त्यादावुत्तमत्वापत्तिः[1] ।

तत्रानुप्रासानामसमीचीनत्वेन तथाविधगङ्गाविषयकभावोत्कर्षाप्रतीतेरनुत्तम-त्वम् । अतएव महिमभट्टानामस्मिन् पक्ष एव पक्षपातः ।

इति श्रीसाहित्यसुधासिन्धौ प्रथमस्तरङ्गः ।

और इस उक्ति में विरहाग्नि से झुलसे अङ्गों का नदीजल को सुखाने की क्रिया के साथ और अश्रुजलों का नदीप्रवाह को भरने की क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं है परन्तु यहाँ पर असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध बताया गया है इसलिए यहाँ असम्बन्धातिशयोक्ति है । विप्रलम्भ शृङ्गार के अनुरूप यहाँ कोमलकान्त पदावली होने से माधुर्य गुण एवं अर्थवैमल्य होने से प्रसादगुण है ।

उपर्युक्त दोनों श्लोकों में गुणों और अलङ्कारों से उत्पन्न चमत्कार के कारण संयोग और विप्रलम्भ शृङ्गार की प्रतीति में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो रही है प्रत्युत इन दोनों चीजों से उत्पन्न चमत्कार से शृङ्गार रसकी परापुष्टि हो रही है ।

[यदि गुण और अलङ्कारों से उत्पन्न चमत्कार होने पर भी उत्तम काव्य समझना चाहिए ऐसा माना जाय तो] 'स्वच्छन्दोच्छलदच्छ' इत्यादि श्लोकों को भी उत्तम काव्य का उदाहरण मानना पड़ेगा ।

टि०—स्वच्छन्द० इत्यादि श्लोक काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में इस प्रकार दिया हुआ है—

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा–
मूर्च्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाह्निकाह्नाय वः ।
भिद्यादुद्यदुदारदर्दुरदरीदीर्घाऽदरिद्रद्रुम–
द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥ काव्यप्रकाश १, ४

उस श्लोक में च्छ्, द्, क आदि वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से वहाँ बहुत बार वृत्त्यनुप्रास है ।

[उपर्युक्त शङ्का का निराकरण इस प्रकार है] वहाँ पर अनेक अनुप्रासों की अनौचिती के कारण अर्थात् अनुप्रासों की प्रबल रूप में प्रतीति होने से उस प्रकार के [प्रधान रूप से प्रतीति के योग्य] गङ्गा विषयक कविनिष्ठ रतिभाव के उत्कर्ष की प्रतीति न होने से अवर काव्यत्व प्राप्त होता है । इसीलिए आचार्य महिमभट्ट ने भी इसी पक्ष में अपने मत का प्रतिपादन किया है ।

टि०—यहाँ कवि की प्रतिभा का उद्भावन अनुप्रास तक ही सीमित हो रहा है, रतिभाव को कवि की प्रतिभा पुष्ट नहीं कर रही है इसलिए यहाँ उत्तम काव्य नहीं है । आचार्य महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक में लिखा है—सौन्दर्यातिरेक—

---

१. अ त; वृत्तमस्यापत्तिः ज

निष्पत्तयेऽर्थस्य काव्यक्रियारम्भः कवेः न त्वलङ्कारनिष्पत्तये ।
न चालङ्कारनिष्पत्त्यै रसबन्धोद्यतः कविः ।।व्यक्तिविवेक २,७५

उनके अनुसार काव्य के सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए ही कवि का प्रयत्न होता है न कि अलङ्कारों का स्वरूप वर्णन करने के लिए । और रसान्वित काव्य निर्माण में तत्पर कवि अलङ्कार निरूपण में प्रयत्न नहीं करता है । इसलिए जो अलङ्कार काव्य के रसादि लक्षण सौन्दर्य के अनुकूल होते हैं वही वास्तव में अलङ्कार कहलाते हैं अनुप्रास और यमक तो शृङ्गारादि मधुर रसों के सर्वथा विरुद्ध होते हैं इसलिए इनकी बहुलता में रस सर्वथा दब जाता है । इन कोमल रसों को अभिव्यक्त करने के लिए यह अनुप्रासादि अलङ्कार अक्षम होते हैं, अतः इनका इन रसों में परित्याग करना चाहिए ।

इस प्रकार श्री साहित्यसुधासिन्धु ग्रन्थ में प्रथम तरङ्ग समाप्त हुई ।

★

द्वितीयस्तरङ्गः

शब्दः काव्यमित्यभिहिते कोऽसौ शब्द इत्याकाङ्क्षायामाह—

आकाङ्क्षायोग्यतायुक्तस्तात्पर्यादिसमन्वितः ।
शब्दानुभवकारी यः स शब्दः परिकीर्तितः ॥ ८ ॥
वाचको लक्षणायुक्तो व्यञ्जकश्चेति स त्रिधा ।
वाच्यो लक्ष्यस्तथा व्यङ्ग्यस्तदर्थः कथितो बुधैः ॥ ९ ॥
व्यापारश्चाभिधा तत्र लक्षणाव्यञ्जनाक्रमात् ॥१०॥

शब्द काव्य होता है यह बतला दिये जाने पर वह शब्द क्या है ? यह जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार कहते हैं—

टि०—'जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः । यस्य श्रवणमात्रेण तद् वाक्यं काव्यमुच्यते ॥' (साहित्यसुधा सि० १, ४) इस काव्यलक्षण को देने के अनन्तर यहाँ कही गई 'शब्दः काव्यम्' इस उक्ति से यह प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार शब्दार्थ की समष्टि को काव्य मानते हुए भी शब्द की प्रधानता को स्वीकार कर रहे हैं।

आकाङ्क्षा और योग्यता से युक्त तात्पर्य एवं आसत्ति आदि से समन्वित शब्दजन्य ज्ञान को जो कराता है वह शब्द कहलाता है ॥ ८ ॥

टि०—इस लक्षण के अनुसार शब्द के भीतर निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिए—१. आकाङ्क्षा—शब्द जिस वाक्य में स्थित हो उसके दूसरे शब्दों के साथ जिज्ञासा का बना रहना आकाङ्क्षा कहलाती है। २. योग्यता—वाक्यस्थित पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में वाधा का न होना योग्यता कहा जाता है। ३. तात्पर्य—अभिधा के पदों के पृथक्-पृथक् अर्थ का बोध होने पर तात्पर्य शक्ति से वाक्यस्थ सभी शब्दों में परस्पर सम्बन्ध अन्वय हो जाता है यही तात्पर्य कहलाता है। ४. आसत्ति—वाक्यस्थ पदों में देशकृत और कालकृत जो सन्निधि (सामीप्य) है वह आसत्ति होती है। यहाँ ग्रन्थकार ने जो ये विशेषतायें शब्द की बताई हैं मम्मट और विश्वनाथादि आचार्यों ने इन विशेषताओं को वाक्य से भी सम्बन्धित बताया है। इन्होंने पद और वाक्य दोनों अर्थों में शब्द का प्रयोग किया है।

वाचक, लक्षणा से युक्त अर्थात् लक्षक और व्यञ्जक इस रूप में शब्द तीन प्रकार का होता है और बुद्धिमानों ने [उस शब्द का] अर्थ वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य के रूप में बताया है और उस शाब्दबोध में क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना नामक तीन प्रकार का शब्द व्यापार होता है ॥ ९–१० ॥

त्रिधेति। अत्रोपाधीनामेव त्रित्वं न तु उपाधेयस्य अन्यथा एकस्यैव गङ्गा-शब्दस्य त्रिरूपत्वानुपपत्तेः।

तत्रादौ वाचकमाह—

अभिधाव्यापृतिर्यत्र वाच्यार्थप्रतिपत्तिकृत्।
शब्दः स वाचकः प्रोक्तः सर्वशास्त्रविशारदैः॥ ११॥
आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां जातावेवाभिधा मता।
ईश्वरेच्छातिरिक्ता वा सेत्यत्रापि न नो ग्रहः॥ १२॥

यह जो शब्द को तीन प्रकार का बताया है इस स्थल पर यहाँ उपाधियों की ही तीन संख्या बताई है उपाधेय-शब्द की नहीं। यदि उपाधेय-शब्द की तीन संख्या मानें तो एक ही गङ्गा शब्द तीन तो बन नहीं सकता।

टि०—जब उसमें अभिधा व्यापार रूपी उपाधि आती है तो वह प्रवाह रूप वाच्यार्थ को बता देता है और तब वाचक कहलाता है; जब वह लक्षण व्यापार से तट रूप लक्ष्यार्थ को बताता है तो उसका लक्षक नाम पड़ जाता है और जब उसमें व्यञ्जना व्यापार रूप उपाधि आती है तो वह शैत्यपावनत्व रूप व्यङ्ग्यार्थ को बता देता है और तब वह व्यञ्जक कहा जाता है। इस प्रकार तीनों अर्थों को बताने वाला शब्द वास्तव में एक ही है उसके उपाधि भेद—व्यापार भेद के कारण तीन रूप दिखाई देने लगते हैं।

'गङ्गायां स्नाति' जैसे प्रयोगों में गङ्गा शब्द का जलप्रवाह रूप एक ही अर्थ है परन्तु 'गङ्गायां घोषः' जैसे वाक्यों में एक ही गङ्गा शब्द के तीन अर्थ हैं। यहाँ तीन शब्दों के तीन अर्थ न माने जाकर एक ही गङ्गा शब्द माना जाता है और उसके अन्दर तीन व्यापारों के आ जाने से तीन अर्थ हो जाते हैं। जैसे एक नट तीन प्रकार के वस्त्र धारण करने से तीन स्वरूपों वाला हो जाता है वही स्थिति शब्द की भी हो जाती है।

[शब्द के] इन [भेदों] में से सबसे पहले वाचक [के स्वरूप] को कहते हैं—

वाच्यार्थ का बोध कराने वाले अभिधा व्यापार जिसमें होता है सारे शास्त्रों में निष्णात विद्वानों ने ऐसे शब्द को वाचक बताया है॥ ११॥

आनन्त्य और व्यभिचार दोष आने के कारण जाति में ही अभिधा मानी गई है अर्थात् जाति में ही सङ्केतग्रह होता है। वह अभिधा [ईश्वरेच्छा है अथवा] ईश्वरेच्छा से अतिरिक्त है इस सम्बन्ध में हमारा कोई आग्रह नहीं है—ऐसा मानने में हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं है [हमें दोनों ही मत स्वीकार्य हैं]॥ १२॥

टि०—यद्यपि 'गामानय' जैसे आदि प्रयोजन तथा दुग्ध प्राप्ति आनयनादि सकल क्रियायें व्यक्ति में ही निष्पन्न होती हैं इसलिए व्यक्ति में ही सङ्केत का मानना आपाततः उचित लगता है परन्तु ऐसा मानने पर आनन्त्य, असम्भव एवं व्यभिचार यह तीन दोष आते हैं इसलिए व्यक्ति में सङ्केत न मानकर जाति में सङ्केत माना जाता है। यहाँ यदि गो व्यक्ति में सङ्केतग्रह माना जाय तो दो विकल्प हो सकते हैं—

१. क्या गोपद का सम्पूर्ण गोव्यक्तियों में पृथक् पृथक् संकेत है अथवा २. किसी एक ही व्यक्ति में यह संकेत होता है? पहले पक्ष में आनन्त्य एवं असम्भव दोष आता है और दूसरे में व्यभिचार आता है।

१. आनन्त्य दोष—यदि एक पद का सम्पूर्ण व्यक्तियों में पृथक् पृथक् संकेतग्रह माना जाय तो व्यक्तियों के अनन्त होने पर शक्तियाँ भी अनन्त होंगी। जिस शब्द का जिस अर्थ में संकेत का ग्रहण होता है उस शब्द से उसी अर्थ की प्रतीति होती है उससे भिन्न की नहीं। उदाहरणार्थ—'अयं गौः' यह पद एक समय में एक ही पुरोदृश्यमान 'सास्नालाङ्गूलविषाणादिमान्' इस पिण्डविशेष को बतलायेगा। इस दशा में एक गोपद से प्रतीत होनेवाली अनन्त गोव्यक्तियों में पृथक् पृथक् अनन्त शक्तियों की कल्पना करनी पड़ेगी इस प्रकार यहाँ आनन्त्य दोष आ जाता है।

२. असम्भव दोष—उपर्युक्त दोष के अतिरिक्त इस पक्ष में असम्भव दोष भी आता है। यदि सभी व्यक्तियों में एक ही संकेत स्वीकार किया जाय तो एक ही समय में अतीतानागत वर्तमान सभी व्यक्तियों का एकत्र उपस्थान होना असम्भव होने से असम्भव दोष आयेगा। इसलिए उपर्युक्त दोनों दोषों से बचने के लिए व्यक्ति में संकेत नहीं मानना चाहिए।

३. व्यभिचार दोष—इन आनन्त्य और असम्भव दोषों से बचने के लिए यदि कहा जाय कि किसी एक ही गोव्यक्ति में गोपद का संकेतग्रह हो जाता है अन्य सब व्यक्तियों में अलग अलग शक्तिग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। एकवार के उच्चरित गोपद से पुरोदृश्यमान गोपिण्ड का ज्ञान हो जाता है उसके बाद २-३ बार और गोपद से गोपिण्ड का ज्ञान करा देने से पहला ज्ञान पक्का हो जाता है इस प्रकार पहले पहले तीन चार बार तो किसी वस्तु का अर्थ बताने के लिए संकेतग्रह की आवश्यकता होती है परन्तु उसके बाद बिना संकेत के ही अर्थ की प्रतीति हो जाती है। बार बार देखने के बाद गौ शब्द का अर्थ गोपिण्ड है यह अभ्यासवश पता चल जाता है। परन्तु यदि बिना संकेत के ही पाँचवें गोशब्द का अर्थ गो व्यक्ति में गृहीत हो जाता है ऐसा मान लिया जाये तो गोशब्द का अर्थ अश्व भी हो जाना चाहिए इससे तो व्यभिचार अर्थात् अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। व्यभिचार के दो अर्थ होते हैं—१. कारणमन्तरा कार्योत्पत्तिः व्यभिचारः—इस स्थल पर संकेतग्रह रूप कारण के बिना ही शाब्दबोध रूप कार्य की उत्पत्ति माननी पड़ जायेगी। और २. व्यभिचार का दूसरा अर्थ है नियम का उल्लंघन। आचार्य सम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में बताया हुआ है—

'इह सङ्केतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन सङ्केतो गृह्यते स तस्य वाचकः (तयोरेव वाच्यवाचकसम्बन्धः)।' अब यदि यह मान लिया जाय कि गोशब्द से बहुत सी गोव्यक्तियों का बोध बिना संकेतग्रह के होता है तो उपर्युक्त नियम का उल्लंघन होता है इसलिए व्यभिचार दोष आ जाता है।

इसलिए इन तीनों दोषों से बचने के लिए व्यक्ति में संकेत न मानकर जाति में संकेत मानना चाहिए।

अब प्रश्न यह होता है कि यदि जाति में ही सङ्केतग्रह माना जाय तो व्यक्ति का भान किस प्रकार होगा? इस विषय में आचार्य मम्मट ने कहा है कि 'व्यक्त्यविनाभावित्वात् जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते'—व्यक्ति और जाति में अविनाभावसम्बन्ध होने से जाति से व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है। नियम यह है—'येन विना यदनुपपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते' जिसके बिना जो नहीं रह सकता उससे उसका आक्षेप हो जाता है। जाति व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती इसलिए जाति से व्यक्ति का अपने आप अनुमान हो जाता है।

अभिधाशक्ति का क्या स्वरूप है? 'पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः' पद का अपने वाच्यार्थ के साथ सम्बन्ध अभिधा है। यह सम्बन्ध परमात्मा की इच्छा से हुआ करता है। न्यायमुक्तावली के शब्दखण्ड की ८१वीं कारिका के वृत्तिभाग में इस विषय में लिखा हुआ है—'शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः। स चास्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छारूपः। आधुनिके नाम्नि शक्तिरस्त्येव एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यादितीश्वरेच्छायाः सत्त्वात्। आधुनिके तु सङ्केते न शक्तिरिति सम्प्रदायः। नव्यास्तु ईश्वरेच्छा न शक्तिः किन्त्विच्छैव तेनाधुनिकसङ्केतेऽपि शक्तिरस्त्येवेत्याहुः।' इसका तात्पर्य निम्न प्रकार है।

पद के साथ पदार्थ का सम्बन्ध शक्ति कहलाता है और वह 'इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए' इस रूप में होता है। सभी पदार्थों के अर्थ परमात्मा की ओर से निर्धारित किये जाते हैं। जैसे घट-का अर्थ कम्बुग्रीवादिमान् है और समुद्र का अर्थ जलपुञ्ज। वैदिक नामों में भी परमात्मा ने इन्द्र आदि शब्दों का देवताविशेषादि अर्थ बताया है। यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि वैदिक नामों में तो ईश्वरेच्छा मानी जा सकती है क्योंकि वहाँ परमात्मा को वरुण आदि शब्दों से तत्तत् देवता अर्थ बताना अभीष्ट है। परन्तु आधुनिक समय में लोगों के द्वारा रखे गये देवदत्त आदि नामों में ईश्वर की इच्छा कैसे हो सकती है? इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है—बच्चे का नाम रखने के लिए भी ब्राह्मण ग्रन्थ ('मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' इस नियम से ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेद माने जाते हैं) आदेश देते हैं 'एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यात्' जब इसी वचन के आधार पर कोई देवदत्त आदि नाम रख दिया जाता है तो इसी नाम के रखे जाने में परमात्मा की इच्छा होती है। इसलिए आधुनिक नामों में भी ईश्वरेच्छा पाई जाती है यह प्राचीन नैयायिकों का मत है। इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि गो आदि पदों से गोपिण्ड आदि में सङ्केतग्रह हो जाता है इसमें तो ईश्वरेच्छा मानी जा सकती है, परन्तु उसी गाय का फिर गङ्गा, यमुना आदि नाम रखना तो मनुष्येच्छा ही कही जा सकती है क्योंकि इन नामों में तो ईश्वरेच्छा नहीं प्रतीत होती। इस आधार पर नव्य नैयायिक मानते हैं कि ईश्वरेच्छा द्वारा ही शक्तिग्रह नहीं होता बल्कि इच्छामात्र

यत्र वाकाशादिपदेनानन्त्यव्यभिचारस्तत्र सा व्यक्तावपीति नानुपपत्तिः।

ननु नैयायिकमते सामान्यलक्षणया मीमांसकमते समानप्रकारकत्वस्य तन्त्रत्वात् नानन्त्यव्यभिचार इति चेत्, न।

से होता है। यह इच्छा चाहे परमेश्वर की हो चाहे मनुष्य की। इसी इच्छामात्र की आधुनिक नामों में भी कारणता सङ्गत हो जाती है।

इस प्रकार प्राचीन नैयायिकों की दृष्टि से ईश्वरेच्छा द्वारा सङ्केतग्रह होता है और नवीन नैयायिकों के मत में ईश्वरेच्छा और तदतिरिक्त मनुष्येच्छादि से सङ्केतग्रह होता है—यह दो मत हो जाते हैं। ग्रन्थकार को यह दोनों ही अभीष्ट हैं।

जहाँ आकाशादि पद से [उनकी आकाशत्वादि उपाधि में शक्ति मानने पर] आनन्त्य और व्यभिचार दोष आते हैं वहाँ पर व्यक्ति में भी शक्ति [सङ्केतग्रह] हो सकती है। ऐसा मानने में किसी प्रकार की असङ्गति नहीं है।

टि०—प्राचीन आचार्यों का कहना है कि आकाश के एक व्यक्ति होने के कारण आकाश में आकाशत्व जाति का बाधक है इस कारण वे आकाश को जाति न मान कर उपाधि मानते हैं।

वस्तुतः आकाश पद के एक व्यक्तिवाचक होने के कारण आकाश में आकाशत्व जाति नहीं है किन्तु उपाधि है। उपाधियों के घटाकाश, मठाकाश इत्यादि रूप में अनन्त होने के कारण उपाधि में शक्ति मानने पर आनन्त्य दोष आता है। इस दोष से बचने के लिए आकाशकी एक उपाधि घटाकाश का ज्ञान तो एक बार आकाश पद से सङ्केतग्रह से हो जाता है पर उपाध्यन्तर का ज्ञान सङ्केतग्रह के बिना ही हो जाता है यदि ऐसा मानें तो व्यभिचार दोष की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसे स्थलों में व्यक्ति में भी शक्ति मानी जा सकती है।

नैयायिकों के मत में सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति के द्वारा [क्योंकि वे आकाशत्वोपाधि से सकलोपाधिविशिष्ट आकाश का बोध मानते हैं। इसी प्रकार] और मीमांसकों के मत में जातिरूप विशेषण के सभी में एक रूप से रहने के कारण आनन्त्य और व्यभिचार दोष नहीं आते यदि ऐसा कहा जाता है [तो हमारी इससे] असहमति है।

टि०—नैयायिक लोग छः प्रकार का लौकिक सन्निकर्ष मानते हैं—१. संयोग २. संयुक्तसमवाय, ३. संयुक्तसमवेतसमवाय, ४. समवाय, ५. समवेतसमवाय और ६. विशेष्यविशेषणभाव। तीन प्रकार का अलौकिक सन्निकर्ष होता है—१. सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति। २. ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति और ३. योगिकप्रत्यासत्ति। लौकिक

आलङ्कारिकैरुभयस्याप्यनङ्गीकारादिति भावः।

ज्ञान तत्तत् इन्द्रियों का पदार्थों के साथ सन्निकर्ष होने से होता है और अलौकिक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। अलौकिक ज्ञान के एक भेद सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति से अभिप्राय है--सामान्यम् जातिः लक्षणं स्वरूपं यस्याः सा एवंविधा प्रत्यासत्तिः बोधः सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिः अर्थात् जाति के ज्ञान से समस्त व्यक्तियों का बोध कराने वाला ज्ञान। जैसे धूमत्व जाति के ज्ञान से समस्त धूमों का ज्ञान होता है वैसे ही घटाकाश, मठाकाश आदि रूप सोपाधिक आकाशत्व जाति से सम्पूर्ण आकाशों का बोध हो जाता है। आनन्त्य और व्यभिचार दोष तो पृथक् पृथक् शक्ति मानने पर ही आते हैं। नैयायिकों के मत में आकाशत्व के रूपमें सारे सोपाधिक आकाश एक ही हैं। आनन्त्य और व्यभिचार तो बहुत्व में होता है एकत्व में नहीं।

मीमांसकों के मत में नाना पदार्थों में रहने वाली जाति एकरूपिणी अर्थात् एक जैसे रूपवाली होती है इसी को समानप्रकारकतन्त्र कहा जाता है। तन्त्र का अर्थ है सिद्धान्त, मीमांसकों की ओर से नैयायिकों के उपर्युक्त सिद्धान्त पर आक्षेप करते हुए यह कहा जाता है कि घट के अन्दर घटाकाशत्व जाति रहती है और मठ के अन्दर मठाकाशत्व जाति रहती है। इस प्रकार नैयायिकों के मत से सोपाधिक आकाश अनन्त बन जाते हैं। घटाकाशत्व और मठाकाशत्व रूप इन उपाधियों के भेद से भिन्न भिन्न जातियाँ हो जाती हैं और उनमें पृथक् पृथक् संकेत मानने से आनन्त्य और व्यभिचार दोषों की प्राप्ति होती है। यहाँ मीमांसकों का यह कहना है कि सोपाधिक आकाश की इन सब उपाधियों में एक जाति रूप प्रकार मानने से आनन्त्य और व्यभिचार दोष हट जाते हैं।

कुछ मीमांसक संकेतग्रह केवल जाति में मानते हैं। इनके अनुसार विशेषण एक ही प्रकार का रहता है। 'गामानय' वाक्य कहने पर 'गोत्वप्रकारकां गोव्यक्तिमानय' इस प्रकार का शाब्दबोध होता है। यह 'गोत्वप्रकार' अतीत, अनागत और वर्तमान सभी काल और सभी देश के व्यक्तियों में एकसा होता है इसी 'प्रकार' से सब व्यक्तियों का बोध हो जाता है। इसलिए सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति जैसा ज्ञान अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समानप्रकारकतन्त्र को मानना चाहिए।

[यह उपर्युक्त] मत ठीक नहीं हैं, क्योंकि काव्यशास्त्र के विद्वानों ने इन दोनों ही सिद्धान्तों को नहीं माना है। यह हमारा अभिप्राय है।

टि०—आलङ्कारिक सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति अथवा समानप्रकारकत्व नामक इन दोनों ही सिद्धान्तों को नहीं मानते हैं। इनका सिद्धान्त है कि जाति में शक्ति मानने पर व्यक्ति का स्वयं आक्षेप हो जाता है इसलिए न तो सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति मानने की आवश्यकता है और न ही समानप्रकारकज्ञान से व्यक्ति का ज्ञान होता है इस प्रकार

व्यक्तिलाभस्तु जातिशक्तं पदं व्यक्तिविशिष्टमेव बोधयतीति कार्यंकारणभावकल्पनया अनुमानेन लक्षणया व्यञ्जनयैव वेत्यवधेयम्। लाक्षणिकमाह—

मुख्यार्थानन्वयाद् यत्र लक्षणा समुपास्यते।
स स्याल्लाक्षणिकः शब्दः काव्यसर्वस्वतां गतः॥ १३॥

की कल्पना करनी चाहिए। वस्तुतः पहले अभिधा शक्ति से जाति का ज्ञान हो जाता है। जाति के साथ व्यक्ति का अविनाभावसम्बन्ध होने से व्यक्ति का स्वतः आक्षेप हो जाता है (व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते)। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों ज्ञानोंको मानने से गौरव भी है केवल अभिधा से ही शाब्दबोध मानने में लाघव है।

व्यक्ति का ज्ञान तो इस प्रकार होता है—जिस पद का जाति में शक्तिग्रह होता है वह पद व्यक्तिविशिष्ट जाति का ही अनुभव [बोध अथवा स्मरण] कराता है। अतः यह बोध कार्यकारणभाव की कल्पना होने से, अनुमान से, लक्षणा से अथवा व्यञ्जना से ही हो जाता है ऐसा समझ लेना चाहिए।

टि०—कार्यंकारणभावकल्पना—इस का स्वरूप यह है—'गामानय' जैसे वाक्यों में पहले संकेतग्रह जाति में होता है और जातिगत संकेतग्रह व्यक्ति के संकेतग्रह का कारण बनता है। इस प्रकार जाति का ज्ञान कारण है और व्यक्ति का ज्ञान कार्य है। इस कार्यकारणभावकल्पना से कारण के द्वारा कार्य के अनुमान से व्यक्ति का बोध होता है।

अनुमान—'पर्वतो वह्निमान्' जैसे वाक्यों में जैसे धूम के ज्ञान से वह्नि का ज्ञान होता है वैसे ही जाति के ज्ञान से व्यक्ति का ज्ञान अनुमान से हो जाता है। क्योंकि जाति और व्यक्ति में व्याप्तिसम्बन्ध है।

लक्षणा—'गामानय' जैसे वाक्यों में आनयन क्रिया के साथ कर्मत्वेन गोत्व का अन्वय न होने के कारण (क्योंकि गोत्व जाति अदृश्य होती है) मुख्यार्थ का बाध हो जाता है और फिर समवायसम्बन्ध के कारण व्यक्ति की प्रतीति रूढिमूला लक्षणा से हो जाती है।

व्यञ्जना—संकेत का ग्रहण वस्तुतः जाति में ही होता है परन्तु वक्ता का तात्पर्य व्यक्ति में होने के कारण व्यक्ति की प्रतीति व्यञ्जना से हो जाती है।

इन सब कारणों से व्यक्ति के ज्ञान के लिए सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति या समानप्रकारकज्ञान मानने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार का काव्यशास्त्रियों (साहित्यिकों) का मत है।

[ग्रन्थकार] लाक्षणिक अथवा लक्षक शब्द की परिभाषा बताते हैं—

जहाँ मुख्यार्थ के साथ अन्वय अनुपपन्न होने से लक्षणा का आश्रय लिया जाता है काव्य की सारभूतता को प्राप्त हुआ वह शब्द लाक्षणिक कहलाता है॥ १३॥

अथ केयं लक्षणा—

यत्र मुख्यार्थबाधः स्यात्तात्पर्यविषयान्वये ।
लक्षणा कथिताऽव्यङ्ग्या सव्यङ्ग्या चेति सा द्विधा ॥ १४ ॥

टि०—यहाँ लाक्षणिक पद को काव्य का 'सारभूत तत्त्व' इसलिए बताया हुआ है कि प्रयोजनमूला लक्षणा में उत्कृष्ट प्रकार की व्यञ्जना का समावेश होता है। जैसे 'उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते' आदि उदाहरणों में अपकारी के प्रति कहे गये वाक्यों में 'तुम्हारे जैसे अपकारी अत्यन्त निन्दास्पद हैं' ऐसे व्यङ्ग्यार्थ विशेष चमत्कारपूर्ण हैं।

लक्षण ग्रन्थों में लक्षक और लाक्षणिक ये दोनों ही प्रयोग पाये जाते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन दोनों पदों का एक ही अर्थ हैं लक्षयति लक्षणया बोधयत्यर्थमिति लक्षकः, लक्षणाया अयम् लक्षणासम्बन्धिशब्द इति लाक्षणिकः।

और यह लक्षणा क्या है? [इस विषय में ग्रन्थकार] कहते हैं—

जहाँ तात्पर्य के विषय में और अन्वय में [अर्थात् तात्पर्यानुपपत्ति और अन्वयानुपपत्ति होने पर] मुख्यार्थ का बाध होता है वहाँ लक्षणा बताई जाती है और वह अव्यङ्ग्या और सव्यङ्ग्या इस रूप में दो प्रकार की होती है ॥ १४ ॥

टि०—यहाँ पर लक्षणा के प्रयोजक दो तत्त्व माने जाते हैं—१. अन्वयानुपपत्ति और २. तात्पर्यानुपपत्ति। अन्वयानुपपत्ति का अर्थ है अन्वय (आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण कर्ता, कर्म और क्रियादि रूप सम्बन्ध) का असंगत हो जाना—सम्बन्ध का न बन सकना और तात्पर्यानुपपत्ति का अर्थ है वक्ता के अभिप्राय का पूरा न होना। 'गङ्गायां घोषः' जैसे वाक्यों में अन्वयानुपपत्ति पाई जाती है। गङ्गाप्रवाह और घोष (आभीरगृह) में आधाराधेयभाव सम्बन्ध की अनुपपत्ति है। इस सम्बन्ध के बनने में बाधा उपस्थित हो रही है इसी कारण मुख्यार्थ (वाच्यार्थ) का बाध होने पर लक्षणा से गङ्गा शब्द का अर्थ जब तट हो जाता है तब कहीं जाकर गङ्गा पद की घोषाधिकरणता बन पाती है।

'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' जैसे वाक्यों में तात्पर्यानुपपत्ति पाई जाती है। कौओं से दधिरक्षण का अन्वय तो हो रहा है परन्तु वक्ता का तात्पर्य दध्युपघातक प्राणियों में है इस कारण यहाँ काकेभ्यः शब्द से केवल कौआ ही अर्थ लेना उचित नहीं होगा क्योंकि वक्ता का आशय कुत्ते आदि प्राणियों में भी है। इसलिए अन्वयानुपपत्ति एवं तात्पर्यानुपपत्ति यह दोनों ही लक्षणा के बीज हैं ऐसा मीमांसा और न्याय के प्राचीन आचार्यों ने माना है।

नवीन आचार्यों का कहना है कि तात्पर्यानुपपत्ति को ही लक्षणा का बीज मानना चाहिए। इसी के भीतर अन्वयानुपपत्ति का अन्तर्भाव हो जाता है। केवल अन्वयानुप-

अव्यङ्ग्या यथा—कलायं पचतीत्यत्र वर्तमानपाकानुकूलकृतिमति लक्षणा ।

केचित्तु 'कर्मणि कुशल' इत्यत्र दर्भग्रहणरूपमुख्यार्थबाधाद् दक्षे लक्षणेति लक्षणोदाहरणं प्रयच्छन्ति तत्तु शक्तिसहोदरमित्यनादरणीयं गच्छतीति गौरित्यादिवद् योगः साधुत्वार्थः ।

पत्ति को ही लक्षणा का बीज मानने पर 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' जैसे वाक्यों में लक्षणा नहीं बन सकेगी । वक्ता के तात्पर्य की असंगति 'गङ्गायां घोषः' और 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इन दोनों ही उदाहरणों में पाई जाती है अतः केवल तात्पर्यानुपपत्ति मानने से ही काम चल जाता है ।

अव्यङ्ग्या लक्षणा [का उदाहरण] जैसे—'कलायं पचति'—[देवदत्त] 'कड़ा [हलुआ] पका रहा है—इस वाक्य में वर्तमानपाकानुकूलकृतिमान् [देवदत्त] में लक्षणा होती है ।

टि०—उपर्युक्त वाक्य में 'वर्तमान' पद से वर्तमानकालिक विवाहादि के अवसर का बोध होता है । 'पचति' शब्द में 'पच्' धातु से पाक अर्थ की प्रतीति होती है तथा 'ति' से 'पाकानुकूलकृति' (कर्ता के प्रयत्न) की प्रतीति होती है । इस प्रकार पचति इस आख्यात के 'पाकानुकूलकृति' इस अर्थ का बोध अभिधा से हो जाता है और 'कृतिमान् देवदत्तः' का लक्षणा से बोध हो जाता है क्योंकि कोई भी क्रिया कर्त्ता के विना उपपन्न नहीं हो सकती । यहाँ तात्पर्यानुपपत्ति होने से उपादान लक्षणा से देवदत्त कर्त्ता का बोध होता है । अतः यह उदाहरण अव्यङ्ग्या रूढिमूला उपादानलक्षणा का है । उपर्युक्त वाक्य 'कलायं पचति' में देवदत्त शब्द नहीं है उसका ज्ञान लक्षणा से होता है ।

कुछ मम्मटादि आचार्य तो 'कर्मणि कुशलः' [काम करने में चतुर है] इस स्थान पर दर्भग्रहण रूपी मुख्यार्थ के बाध होने के कारण दक्ष रूप अर्थ में लक्षणा होती है यह मानकर इसे लक्षणा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं [वस्तुतः] यह उदाहरण तो अभिधा शक्ति के उदाहरण ही जैसा है । इस कारण [लक्षणा के उदाहरण के रूप में] उपेक्षणीय [परित्याज्य] है । जैसे गच्छति इति गौः [√गम् + डो] गोपद को यह यौगिक व्युत्पत्ति व्याकरण की सिद्धि के लिए बताई जाती है वैसे ही [कुशान् लाति इति कुशलः] इस पद में भी केवल व्याकरणानुसार पदसिद्धि के लिए ही यह यौगिक व्युत्पत्ति की जाती है [वस्तुतः सारे ही स्थलों पर इन दोनों पदों का व्युत्पत्तिलभ्य ही अर्थ नहीं होता प्रत्युत कहीं व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ होता है तो कहीं प्रवृत्तिनिमित्तक] ।

टि०—कुशांल्लाति इति कुशलः (कुश + लूञ् छेदने) कुशाओं का छेदन

करनेवाला (अथवा लानेवाला) व्यक्ति कुशल कहा जाता है। यह इस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है। कर्मणि कुशलः अर्थात् कर्म करने में कुशच्छेदन करने वाला यह उपर्युक्त व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ प्रकृत पाकादि कर्मों में बाधित हो जाता है तदनन्तर विवेचकत्वादिसादृश्यसम्बन्ध से दक्ष रूप अर्थ की लक्षणा से प्रतीति होती है ऐसा काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट मानते हैं। ग्रन्थकार ने उनका खण्डन किया है। यहाँ इन्होंने संकेत से अपने पूर्ववर्ती सनामा विश्वनाथ कविराज का समर्थन किया है। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण (२, ५ वृत्तिभाग) में लिखा है—केचित्तु कर्मणि कुशल इति रूढावुदाहरन्ति। तेषामयमभिप्रायः—कुशांल्लातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपो मुख्योऽर्थः प्रकृतेऽसम्भवन् विवेचकत्वादिसाधर्म्यसम्बन्धिनं दक्षरूपमर्थं बोधयति। तदन्ये न मन्यन्ते। कुशग्राहिरूपार्थस्य·········शयनकालेऽप्रयोगात्। यहाँ साहित्यदर्पणकार ने पहले कर्मणि कुशलः में मम्मट के अनुसार अर्थप्रतीति का यह प्रकार बता दिया है कि कुशग्राही (कुशाओं का आदान करने) रूप अर्थ जब कर्म के अर्थ के साथ असङ्गत होता है तो विवेचकत्वादिसादृश्यसम्बन्ध से लक्षणा से दक्ष रूप अर्थ को बताने लगता है। दूसरे विद्वान् इस उदाहरण को लक्षणा का उदाहरण नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यद्यपि कुशल पद की व्युत्पत्ति से कुशग्राहक रूप अर्थ प्राप्त होता है तथापि उसका मुख्यार्थ चतुर रूप अर्थ ही है कुशग्राहक नहीं। क्योंकि शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त कुछ और होता है और प्रवृत्ति का कुछ और। यदि व्युत्पत्तिनिमित्त को ही शब्दों के अर्थ में कारण मान लिया जाय तो गम् धातु से डो प्रत्यय जोड़कर बनाये गये (√गम् + डो) गो पद का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ चलने वाला व्यक्ति ही होना चाहिए। किन्तु 'गौः शेते' जैसे वाक्यों में गो पद का यह व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ सङ्गत नहीं होता क्योंकि गौः पद का शेते क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं बन पाता है। क्योंकि जो चलने वाली (गौ) है वह सो कैसे सकती है ? अतः यहाँ चलने वाली रूप मुख्यार्थ का बाध होने पर लक्षणा से गाय रूप अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी। परन्तु ऐसी कल्पना को बिलकुल भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब प्रवृत्तिनिमित्त अर्थात् लोकव्यवहार से गो पद का अर्थ गो प्राणी स्वतः हो जाता है तो ऐसे स्थलों पर लक्षणा मानना निष्प्रयोजन है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि शब्दों का जो व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ हो वही प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थ भी बन जाय। कहीं कहीं जैसा व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ होता है वैसा ही प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थ देखने में आता है। जैसे जलज शब्द का 'जलाज्जायते यत्तज्जलजम्' यह व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ अपने प्रवृत्तिनिमित्तक कमल अर्थ से मिलता है। यहाँ इन दोनों अर्थों में व्युत्पत्तिनिमित्त और प्रवृत्तिनिमित्त एक हैं किन्तु 'गौः शेते' जैसे उदाहरणों में व्युत्पत्तिनिमित्त और है और प्रवृत्तिनिमित्त और। अतः सारे स्थलों पर व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ को ही प्रमाण नहीं मानना

सव्यङ्ग्या च षोढा—एका 'उपादानलक्षणा, अपरा[1] लक्षितलक्षणा, एषा शुद्धैव। इयमेवाजहत्स्वार्था जहत्स्वार्थेति कथ्यते। सारोपा शुद्धा गौणी च।

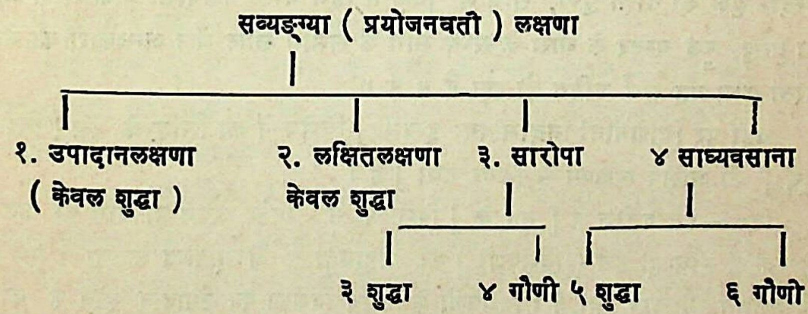
साध्यवसाना शुद्धा गौणी चेति। क्रमेण लक्षणोदाहरणानि—

चाहिए बल्कि शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थ को भी देखना चाहिए। इस नियम पर दृष्टि रखने पर 'कर्मणि कुशलः' जैसे स्थलों पर लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती वहाँ अभिधा से ही दक्षरूप अर्थ की प्रतीति मानी जा सकती है।

और सव्यङ्ग्या लक्षणा छः प्रकार की है—[पहली] एक उपादानलक्षणा है और दूसरी लक्षितलक्षणा [अथवा लक्षणलक्षणा] है। यह दोनों शुद्धा [के रूप] ही हैं। [इन दोनों भेदों वाली] यही लक्षणा अजहत्स्वार्था [अपने अर्थ का परित्याग न करने वाली] और जहत्स्वार्था [अपने अर्थ का परित्याग करने वाली] इन नामों से कही जाती है। सारोपा [नामक भेद] शुद्धा और गौणी [इन दो भेदों में विभक्त] है।

[इसी प्रकार] साध्यवसाना भी शुद्धा और गौणी होती है। [इस प्रकार लक्षणा के ६ भेदों का निरूपण कर दिया गया है]।

टि०—अव्यङ्ग्या (रूढिमूला) लक्षणा का एक ही प्रकार है और सव्यङ्ग्या (प्रयोजनवती) लक्षणा के उपर्युक्त ६ भेद हैं जिन्हें इस प्रकार दिखाया जा सकता है—



इस प्रकार ग्रन्थकार ने पहले लक्षणा के चार भेद दिखाये हैं [तदनन्तर सारोपा और साध्यवसाना के शुद्धा और गौणी नामक दो दो भेद कर दिये हैं। मम्मट की भाँति इन्होंने यहाँ ४ प्रकार की शुद्धा लक्षणा और २ प्रकार की गौणी लक्षणा दिखाई है किन्तु इस विभाजन को इन्होंने आगे जाकर स्वयं अस्वीकार किया है।

[इस षड्विधा लक्षणा के] क्रम से लक्षण और उदाहरण [दिये जा रहे] हैं—

[उपादान लक्षणा का लक्षण]

---

१. ज त; परा अ

यत्र स्वार्थान्वयाय स्यादपरार्थस्य कल्पनम् ।
उपादानादियं प्रोक्ता लक्षणा सा विचक्षणैः ॥ १५ ॥

यथा—

अयमुदयति निद्राभञ्जनः पद्मिनीना-
मुदयगिरिवनालीबाल[1]मन्दारपुष्पम् ।
रजनिविरहकोकद्वन्द्वबन्धुर्बिभिन्दन्
कुपितकपिकपोलक्रोडताम्रस्तमांसि ॥ ९ ॥

अत्र सूर्यस्य कल्पनं विशेषणान्वयाय ।

अथवा—

चण्डांशुरश्मिसन्तप्ताश्च्छत्रिणो[2] यान्ति भूरिशः ।
तेभ्यो दातुं सरोजाक्षि काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम् ॥१०॥

इति ।

जहाँ अपने अर्थ के अन्वय के लिए दूसरे अर्थ की [भी] कल्पना की जाती है वहाँ अपने अर्थ को भी ग्रहण करने के कारण बुद्धिमानों के द्वारा यह उपादानलक्षणा कही जाती है ॥ १५ ॥

[उपादानलक्षणा शुद्धा का उदाहरण] जैसे—

कमलिनियों की निद्रा को तोड़ने वाला, उदयाचल पर्वत की वनपङ्क्ति के मन्दार वृक्ष का ताज़ा पुष्प, रात्रि में वियुक्त रहने वाले चक्रवाक पक्षियों के जोड़ों का बन्धु, क्रुद्ध बन्दर के गाल के मध्य भाग के समान लाल और अन्धकारों का भेदन करता हुआ यह सूर्य उदित हो रहा है ॥ ९ ॥

यहाँ पर [पद्मिनीनां निद्राभञ्जनः इत्यादि] विशेषणों की सिद्धि के लिए विशेष्य सूर्य [का आक्षेप लक्षणा से किया गया] है ।

टि०—इस श्लोक में [सूर्य के] विशेषणों से उनके अपने वाच्यार्थ की प्रतीति हो रही है साथ ही इन (विशेषणों) की सहायता से अयम् शब्द लक्षणा से सूर्य अर्थ की प्रतीति भी करा रहा है । विशेषणों के साथ विशेष्य का उपादान होने के कारण यहाँ उपादानलक्षणा है और सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म करने का यह समय है अतएव सब अपने अपने काम करें यह (प्रयोजन रूप) व्यङ्ग्यार्थ इस लक्षणा में है ।

और [दूसरा उदाहरण]

सूर्य की किरणों से पीड़ित बहुत सारे छत्रधारी पुरुष जा रहे हैं हे कमल के

---

१. ज अ; वार त
२. बत; चण्डांशुरश्मितप्ताश्च्छ० अ

यत्र स्वार्थपरित्यागादपरार्थस्य कल्पना।
अङ्गीकृतास्ति विद्वद्भिरेषा लक्षितलक्षणा॥ १६॥

यथा—

अपि दिवसमनैषीः पद्मिनीसद्मनि[1] त्वं
रजनिषु निरतोऽभूः कैरविण्यां रमण्याम्।
कथय कथय भृङ्ग स्वच्छभावेन तावत्
सुखमधिकमवापस्तत्र वा तत्र चेति॥११॥

अत्र भ्रमराद्यर्थपरित्यागान्नायकाद्यर्थे लक्षणा। इमे शुद्धे एव गौणीत्व-

---

समान नेत्रों वाली सुन्दरी! उनको देने के लिये [यह दही है। इस] दही को कौओं से बचाना इस प्रकार के उदाहरण उपादानलक्षणा के होते हैं॥ १०॥

टि०—यहाँ 'छत्रिणो यान्ति' और 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' यह दोनों उदाहरण सव्यङ्ग्या उपादानलक्षणा के हैं। 'छत्रिणो यान्ति' में प्रयुक्त 'छत्रिणः' शब्द का वाच्यार्थ छत्रधारी और लक्ष्यार्थ है 'अच्छत्रिणः' अर्थात् छत्र को न धारण करने वाले दूसरे पुरुष है। छत्रधारी और अछत्रधारी दोनों ही प्रकार के लोगों का सम्भूयगमन अथवा बहुत संख्या में होना यह बताना प्रयोजन है। इसी प्रकार 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इस वाक्य में कौओं का और तदितर दध्युपघातक कुत्ते आदि प्राणियों—दोनों का ग्रहण होता है। दही की सब प्रकार से रक्षा करके उसे सुरक्षित रखना प्रयोजन है। ग्रन्थकार ने यहाँ सव्यङ्ग्या लक्षणा बताई है।

जहाँ अपने अर्थ के परित्याग से दूसरे अर्थ की कल्पना होती है वहाँ विद्वान् व्यक्तियों ने इस लक्षणा को लक्षितलक्षणा के रूप में स्वीकार किया है॥१६॥

[लक्षितलक्षणा का उदाहरण] जैसे—

क्या तुमने कमलिनी के घर में दिन बिताया है अथवा रात्रियों में कुमुदिनी के समीप संलग्न रहे हो [उसके साथ रमण किया है]? हे भ्रमर! निर्मल चित्त से तुम यह बात [सच सच] बताओ कि तुम्हें वहाँ [कमलिनी के पास] अधिक सुख मिला है अथवा वहाँ [कुमुदिनी के पास] मिला है॥११॥

यहाँ पर क्योंकि भ्रमर, पद्मिनी और कैरविणी पद अपने अपने अर्थ को छोड़ देते हैं इसलिये उनको नायक और नायिकाओं के अर्थ में परिणति हो जाती है इसलिये यहाँ लक्षणलक्षणा है।

इस श्लोक में [क्योंकि जड़ भ्रमर के साथ वाकोवाक्य अर्थात् प्रश्नोत्तर नहीं बन सकता इसलिये] इन भ्रमरादि शब्दों के मुख्यार्थ के बाधित हो जाने पर अर्थ छोड़

---

१. जत; पद्मनि अ.

विभाजकोपाधिशून्यत्वात् ।

न तु सादृश्यसम्बन्धेन प्रवृत्त्यभाववत्त्वं हेतुः, आयुर्घृतमित्यादौ व्यभिचारात् । भेदान्तरमाह—

आरोप्यारोपविषयौ यत्र वाक्ये स्थितौ समौ ।
शुद्धा गौणी च साख्याता सारोपा युक्तिवेदिभिः[1] ॥ १७ ॥

एतदर्थोऽपि विषयनिष्ठासाधारणधर्मग्रहे सति यत्रान्यस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिः सा सारोपा ।

देने से नायकादि अर्थ में लक्षणा [से प्रतीति होती] है । गौणात्व की विभाजक उपाधि अर्थात् गौणी लक्षणा के भेदक धर्म से रहित होने के कारण यह दोनों उपादान-लक्षणा और लक्षणलक्षणा शुद्धा के ही भेद हैं ।

जहाँ सादृश्य सम्बन्ध से प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है [अतः जहाँ सादृश्येतर सम्बन्ध से ही लक्षणा की गई हो वहीं शुद्धा लक्षणा होती है] ऐसा शुद्धा लक्षणा का हेतु होना चाहिये यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि तब 'आयुर्घृतम्' इत्यादि उदाहरणों में इस नियम का व्यभिचार होगा ।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि जहाँ सादृश्यसम्बन्ध से प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है [अर्थात् जहाँ सादृश्यसम्बन्ध से अतिरिक्त किसी और कार्यकारणादिरूप हेतु से लक्षणा की जाती है वहाँ शुद्धा होती हैं परन्तु सिद्धान्ती का कहना है कि ऐसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि 'आयुर्घृतम्' इस वाक्य में आयु कालस्वरूप है और घृत परमाणुरूप है । इस प्रकार इन दोनों में कोई सादृश्य नहीं है । जब इनमें सादृश्य ही नहीं है तो सादृश्यका अभाव कारण कैसे बनेगा ? 'विधौ सत्यां निषेधः' जहाँ विधि होती है वहीं निषेध होता है यह नियम है जैसे अन्तरिक्षे 'नाग्निचयनं कुर्यात्' इस वाक्य में जब विधि ही सम्भव नहीं है तो निषेध करना व्यर्थ है ।

इसके दूसरे भेद को [ग्रन्थकार] बताते हैं—

उपमान और उपमेय दोनों जिस वाक्य में समान रूप से स्थित हों अर्थात् दोनों ही शब्दप्रतिपादित हों वह लक्षणा युक्तियों को जानने वाले विद्वानों ने शुद्धा सारोपा और गौणी सारोपा के रूप में बताई है ॥ १७ ॥

इसका अभिप्राय भी [इस प्रकार] है—उपमेय में रहने वाले असाधारण धर्म के रहते हुए भी जहाँ दूसरे अर्थात् उपमेय की दूसरे [अर्थात् उपमान] के साथ अभेद प्रतीति होती है वह सारोपा लक्षणा कहलाती है ।

---

१. न ब; कोविदैः त

शुद्धा सारोपा यथा—

भास्वद्वंशकरीरतां दधदयं वीरः कथं कथ्यता—
मध्युष्टापि हि कोटिरस्य समरे रोमाणि सत्त्वाङ्कुराः।
नीतः संयति[1] वन्दिभिः[2] श्रुतिपथं यन्नामवर्णावली
मन्त्रः स्तम्भयति प्रतिक्षितिभृतां दोःस्तम्भकुम्भीनसान् ॥१२॥

अत्र नाम्नो मन्त्रसाम्यं तात्कर्म्यात्।

गौणी सारोपा यथा—

किं पद्मस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं
वृद्धिं वा झषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्?
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्यते
दर्पः स्यादमृतेन[3] चेत्तदपि ते नन्वस्ति बिम्बाधरे॥ १३॥

टि०—'जैसे मुखं चन्द्रः' इस उदाहरण में मुखं का असाधारण धर्म मुखत्व है और चन्द्र का असाधारण धर्म चन्द्रत्व है। मुखत्वधर्मविशिष्ट मुख की चन्द्रत्वधर्मविशिष्ट चन्द्र के साथ अभेदप्रतीति होने पर जो लक्षणा हुआ करती है यह सारोपा है। ग्रन्थकार ने यहाँ इसका परिनिष्ठित लक्षण दिया है॥

शुद्धा सारोपा [का उदाहरण] जैसे—

क्या कहा जाय ? यह शूर व्यक्ति सूर्यवंश में करीर के वृक्ष जैसा बना हुआ है इसके धनुष का किनारा भी चढ़ी हुई डोरी वाला है और युद्ध के समय रोम बल के अङ्कुर हो जाते हैं [यह रोमाञ्चित हो जाता है]। जिसके नाम के अक्षरों की पङ्क्ति रूपी मन्त्र युद्ध के समय चारणों के द्वारा कर्णमार्ग में ले जाया जाकर [अर्थात् सुनाया जाकर] शत्रु राजाओं के भुजदण्ड रूपी अजगरों को स्तब्ध कर देता है ॥ १२ ॥

यहाँ वीर पुरुष के नाम और मन्त्र का तात्कर्म्य के कारण सम्बन्ध बन रहा है। और मन्त्र का नाम के ऊपर आरोप किया गया है। [जैसे अतक्षा तक्षा जैसे प्रयोगों में बढ़ई न होते हुए भी ब्राह्मण को बढ़ई के काम करने मात्र से बढ़ई कह दिया जाता है वैसे यहाँ पर नाम के ऊपर मन्त्र का आरोप है]।

गौणी सारोपा [का उदाहरण] जैसे—

[तुम्हारा मुख] क्या कमल की कान्ति को नष्ट नहीं करता है ? क्या नेत्रों के आनन्द को नहीं उत्पन्न करता है अथवा क्या देखने मात्र से कामदेव की वृद्धि को

---

१. अ त; संयत ब।
२. ज त; वन्दिनः अ।
३. ज ब; 'दर्पः स्यादमृतेन' त में नहीं।

अत्र वक्त्रे इन्दुत्वारोपः सादृश्यसम्बन्धेन । अतएव गौणी नातिरिक्ता वृत्तिरित्यपि ध्वनितम् । भेदान्तरमाह—

आरोप्येण निगीर्णः स्यादारोपविषयो यदि ।
आत्यन्तिकगुणाध्यासाद् ब्रूमः साध्यावसानिकाम् ॥ १८ ॥

एतदर्थोऽपि विषयनिष्ठासाधारणधर्मग्रहं विना यत्राऽन्यस्यान्यतादात्म्यप्रतिपत्तिः[1] सा साध्यवसानेति । एषाऽपि गौणी शुद्धा च । क्रमेण यथा—

नहीं करता है, [अथवा क्या समुद्र में ज्वार नहीं लाता है ? झषकेतन समुद्र को भी कहते हैं] तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा के विद्यमान होने पर जो यह दूसरा चन्द्रमा उदित हो रहा है उसे यदि अमृत के कारण अभिमान हो तो वह भी निश्चित रूप से तुम्हारे विम्वफल सदृश ओठ में है ॥ १३ ॥

यहाँ मुख में चन्द्रमा का [सादृश्यसम्बन्ध से] आरोप है इसलिए गौणी वृत्ति [लक्षणा से] कोई अतिरिक्त–पृथक् व्यापार नहीं है यह भी अभिव्यक्त हो रहा है [अर्थात् गौणी पृथक् वृत्ति न होकर लक्षणा का ही एक भेद है] ।

[गौणी के सारोपा से भिन्न] दूसरे भेद [साध्यवसाना] को [ग्रन्थकार] कहते हैं—

अत्यधिक [सदृश] गुणों के कारण अभेदारोप से यदि आरोप का विषय [उपमेय] आरोप्यमाण [उपमान] से आच्छादित [अन्तर्हित स्वरूप वाला] हो जाय तो उस लक्षणा को हम साध्यवसाना कहते हैं ॥ १८ ॥

इसका [सारभूत] अर्थ भी इस प्रकार है—उपमेय में रहने वाले विशेष धर्म के ग्रहण के बिना ही जहाँ दूसरे [उपमेय] का उपमान के साथ अभेदज्ञान होता है वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है ।

टि०—इस साध्यवसाना लक्षणा में उपमान द्वारा ही उपमेय का प्रतिपादन होता है । इस कारण इसमें उपमेय के असाधारण धर्म के उल्लेख की आवश्यकता ही नहीं होती । उसके बिना ही उपमेय और उपमान दोनों में अभेद की प्रतीति हो जाती है । निगीर्णस्वरूपस्य पदार्थस्य अन्यतादात्म्यप्रतीतिरध्यवसानं तेन सह वर्तते इति साध्यवसाना । तिरोहित स्वरूप वाले उपमेय की शब्दोपात्त उपमान के साथ तादात्म्य की प्रतीति को अध्यवसान कहा जाता है । उसके कारण होने वाली लक्षणा को साध्यवसाना नाम दिया जाता है ।

यह [सारोपा] भी दो प्रकार की है १. गौणी और २. शुद्धा । क्रम से [दोनों के उदाहरण] जैसे—

---

१. न अ; प्रतीतिः त ।

जाता लता हि शैले न जातु लतायां जायते शैलः।
अधुना तद् विपरीतं कनकलतिकायां[1] गिरिद्वयं जातम् ॥ १४ ॥

अत्र तादृशगौरत्वादिगुणयोगाद् गौणीत्वम्। शुद्धा साध्यवसाना यथा—

विपुलं नितम्बदेशे मध्ये क्षामं समुन्नतं कुचयोः।
अत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति ॥ १५ ॥

अत्र सादृश्यातिरिक्तस्यैव सम्बन्धस्य जीवितप्रयोगप्रयोजकत्वाच्छुद्धात्वम्।[2] अत्र च कनकलतिकात्वादिना नायिकाया बोध इत्यवधेयम्। न चायोग्यताज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वान्नैतादृशी बुद्धिरिति वाच्यम्, अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः

निश्चित रूप से पर्वत पर लता पैदा होती है परन्तु कभी भी लता पर पर्वत नहीं पैदा होता। परन्तु इस समय इससे विपरीत बात है सुवर्णलता पर दो पर्वत उत्पन्न हो रहे हैं ॥ १४ ॥

इस श्लोक में [नायिका और लता में स्थित] वैसे २ गौरत्वादि [धवलिमादि] सदृश गुणों के सम्बन्ध से गौणी लक्षणा है।

शुद्धा साध्यवसाना [का उदाहरण] जैसे—

जघनस्थल में विस्तृत है और मध्यभाग में कृश है, स्तनों में ऊँचा है, नेत्रों में बहुत फैला हुआ है [इस प्रकार के नानारूपों को धारण करके] मेरा यह जीवन आ रहा है ॥ १५ ॥

यहाँ पर सादृश्य से अतिरिक्त [अभेद] सम्बन्ध से ही जीवित [प्राण अथवा आत्मा] और नायिका में अभेदाध्यवसान का प्रयोग होने से यह शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण है।

टि०—अपनी प्रेमिका को आते देखकर प्रेमी ने उसके सम्बन्ध में उक्त वचन कहा है। यहाँ पर उपमानभूत जीवित का एतत् शब्द से प्रतीयमान उपमेयभूत नायिका के साथ अभेद सम्बन्ध है, केवल उपमान जीवित का ही कथन होने और उपमेय नायिका का कथन न होने से यहाँ साध्यवसाना है और क्योंकि इसमें अभेद सम्बन्ध है इस कारण शुद्धा है।

और यहाँ पर [उपर्युक्त जाता लता हि इत्यादि उदाहरण में] कनकलतिका इस [उपमान पद] से नायिका [रूप उपमेय] का बोध हो रहा है। इसी प्रकार पर्वतों से कुचों का ज्ञान हो रहा है] ऐसा समझना चाहिए।

अयोग्यताज्ञान के प्रतिबन्धक होने से [नायिका में कनकलतिका की] ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अत्यन्त असम्भव अर्थ का भी शब्द ज्ञान करा देता है यह नियम है।

१. न अ; लतायाम् त।
२. न अ, शुद्धात्वम् त।

करोति हि इति न्यायात् । युक्तं चैतत् । कथमन्यथा बाधितार्थकवाक्यश्रवणाद् हास्यादि रसपोषः ।[1]

आहार्यारोपाद्वा ।

अत्रोपादानलक्षणालक्षितलक्षणाभ्यामर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यात्यन्ततिरस्कृत-वाच्यौ, गौणोभ्यां रूपकप्रथमातिशयोक्ती, शुद्धाभ्यां सारोपासाध्यवसानाभ्यां

टि०—पूर्वपक्षी की उक्ति है कि अचेतन कनकलतिका में चेतन नायिका बनने की योग्यता नहीं है अतः अभेदाध्यवसाय नहीं हो सकता। इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध होने में बाधा होने पर भी शब्दों से यत्किञ्चित् ज्ञान हो जाता है। इसलिए योग्यताविहीन पदार्थों में भी सम्बन्ध हो जाता है। क्योंकि 'वह्निना सिञ्चति' जैसे वाक्यों से वह्निकरणकसेचन क्रिया का ज्ञान होता ही है भले ही वह बाद में सङ्गत प्रतीत न हो।

[इस नियम को मानना] ठीक भी है अन्यथा बाधित अर्थ वाले वाक्यों को सुनने के अनन्तर हास्यादि रसों का परिपाक कैसे सम्भव है ?

टि०—काव्यप्रकाश (४, १०३) में 'रे रे चञ्चललोचनाञ्चितरुचे' इत्यादि श्लोक में किं (त्वं) मन्ये (अहं) विहरिष्यसे इस अंश में त्वं के साथ मन्ये की और विहरिष्यसे के साथ अहं की परस्पर योग्यता नहीं है तो भी हास्य रस की प्रतीति होती है यदि अयोग्यता के कारण ऐसे स्थलों में शाब्दबोध ही न हो तो हास्य रस की कैसे प्रतीति होगी ? ग्रन्थकार की ओर से उपर्युक्त शङ्का का यहाँ उत्तर दिया गया है।

अथवा यहाँ पर [कनकलतिका में नायिका रूप अर्थ की योग्यता न होने पर भी] आहार्यारोप—आहार्य ज्ञान से भी सम्बन्ध बन सकता है। और इस प्रकार भी उपर्युक्त शङ्का का समाधान हो सकता है।

टि०—बाधकालिकेच्छाजन्यं ज्ञानमाहार्यम्। बाधकालिक इच्छा से उत्पन्न ज्ञान आहार्य कहलाता है। 'मुखं चन्द्रः' जैसे वाक्यों में 'मुखं न चन्द्रः' इस प्रकार का बाधक ज्ञान होने पर मुख में चन्द्र की बुद्धि मुझे हो इस प्रकार की जो इच्छा है उससे उत्पन्न मुखं चन्द्रः यह ज्ञान आहार्य कहलाता है। इस प्रकार के आहार्य ज्ञान से शाब्द बोध में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। इस कारण कनकलतिका पद से नायिका की प्रतीति हो सकती है।

यहाँ पर उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा इन दो लक्षणाओं से [लक्षणा-मूल ध्वनि के दो भेद] अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य, सारोपा और साध्यवसाना गौणी लक्षणाओं से रूपक [जैसे मुखं चन्द्रः] और पहली अतिशयोक्ति अर्थात् अभेदातिशयोक्ति [जैसे चन्द्र एवं यह दो अलङ्कार

---

१. ज; हास्यादिपरिपोषः अत।

हेत्वलङ्कारो निरूपयिष्यते इति षड्विधानिरूपणफलम्। अत्र केचित्—षड्विधात्वमनुपपन्नं गौण्यामप्युपादानादिसम्भवात्। तादृशगुणयोगेन गाव

तथा सारोपा शुद्धा और साध्यवसाना शुद्धा से हेत्वलङ्कार [जैसे आयुर्घृतम् और आयुरेवेदम्] बन जाते हैं यह आगे बताया जायेगा। इस प्रकार की ६ प्रकार की लक्षणा के प्रतिपादन का यही फल है।

टि०—यहाँ तक ग्रन्थकार ने छः प्रकार की सव्यङ्ग्या लक्षणा को लक्षण और उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है। लक्षणा के इन भेदों और उदाहरणों को निम्नलिखित रीति से रखा जा सकता है—

सव्यङ्ग्या (प्रयोजनवती) लक्षणा

- १. शुद्धा उपादानलक्षणा (काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्)
- २. शुद्धा लक्षितलक्षणा (अपि दिवसमनैषीः)
- ३. शुद्धा सारोपा (भास्वद्वंश०)
- ४. गौणी सारोपा (किं पद्मस्य)
  - ५. शुद्धा साध्यवसाना (विपुलं नितम्वदेशे)
  - ६. गौणी साध्यवसाना (जाता लता)

यहाँ पर कुछ विद्वानों का कथन है कि लक्षणा को छः विभागों में करना अयुक्त है क्योंकि गौणी लक्षणा में भी उपादान और लक्षणलक्षणा आदि भेद हो सकते हैं। वैसे ही अर्थात् सदृश गुणों का योग होने से 'गाव एते समानीयन्ताम्' [इन मूर्ख पुरुषों को लाया जाय] और 'गावः समानीयन्ताम्' ये उदाहरण बन सकने के कारण लक्षणा के आठ भेद हो जाते हैं। इस प्रकार वे विद्वान् कहते हैं।

टि०—इन आचार्यों के अनुसार लक्षणा के ८ भेद इस प्रकार बनते हैं—

लक्षणा

- १. शुद्धा
  - १. उपादानलक्षणा
    - १. सारोपा
    - २. साध्यवसाना
  - २. लक्षणलक्षणा
    - ३. सारोपा
    - ४. साध्यवसाना
- २. गौणी
  - १. उपादानलक्षणा
    - ५. सारोपा
    - ६. साध्यवसाना
  - २. लक्षणलक्षणा
    - ७. सारोपा
    - ८. साध्यवसाना

एते समानीयन्तां गावः समानीयन्तामित्युदाहरणसम्भवादष्टविधात्वमिति वदन्ति । वस्तुतस्तु चतुर्भेदैव लक्षणा । तथाहि शुद्धभेदेष्वपि गौणीत्वस्यैवाङ्गीकारात् । आयुर्घृतमिति गङ्गायां घोष इत्यादि च तादृशशैत्यपावनत्वादिगुणयोगादेवापरार्थबोधकमिति नव्याः ।

अथ व्यञ्जकमाह—

वक्त्रादियोगमासाद्य बाधितार्थस्य बोधिका ।
वृत्तिर्यत्र भवेत् काचित् स शब्दो व्यञ्जको मतः ॥ १९ ॥

यथा—

एतस्याश्चतुरो न चास्ति रमणो वृद्धोऽपरस्याः पुन-
र्ग्रस्तश्चापि परं चिरन्तनरुजाऽन्यस्याः परस्याः शिशुः ।

वास्तव में तो लक्षणा के चार भेद ही हैं क्योंकि शुद्धा के भेदों में भी गौणीत्व को स्वीकार किया जाता है अर्थात् गौणी के भीतर ही शुद्धा के भेद आ जाते हैं और 'आयुर्घृतम्' तथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यादि वाक्य भी [गौणी लक्षणा की तरह] वैसे ही [आयुर्वर्धकत्व और] शैत्यपावनत्वादि गुणों के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही [प्रशस्त आयु बढ़ाने वाला कारण तथा गङ्गातट इन] दूसरे अर्थों को बताते हैं ऐसा नवीनों का मत है ।

टि०—इस प्रकार नवीनों के मत में शुद्धा लक्षणा का गौणी में ही अन्तर्भाव हो जाता है । जैसे गौणी लक्षणा सदृश गुणों के आधार पर की जाती है, वैसे ही अन्य लक्षणायें भी किसी न किसी गुण के आधार पर की जाती हैं । इसलिए केवल गौणी ही रह जाती है । इनके अनुसार लक्षणा चार प्रकार की होती है

गौणी लक्षणा

१. उपादानल० २. लक्षणल० ३. सारोपाल० ४. साध्यवसानाल०

'वस्तुतस्तु' इस शब्द के प्रयोग से ग्रन्थकार का झुकाव नवीनों के मत के प्रति होता हुआ प्रतीत होता है और वह इस सिद्धान्त को ठीक ही मानते हैं ।

इसके बाद 'व्यञ्जक शब्द [के लक्षण] को कहते हैं—

वक्ता, बोद्धव्य आदि के सम्बन्ध से बाधितार्थ [तथा और किसी वृत्ति से न प्रतीत होने वाले अर्थ को] बोधित कराने वाली कोई वृत्ति जहाँ हो वह शब्द व्यञ्जक माना गया है ॥१९॥

व्यञ्जक शब्द [का उदाहरण] जैसे—

इसका पति चतुर नहीं है और दूसरी का भी पति वृद्ध है । इस दूसरी सुन्दरी का कान्त पुराने रोग से पीड़ित है और इस दूसरी का [अभी] छोटी उमर

एतस्या बहिरेव तिष्ठति कृषिव्यापारवान् किं पुनः[1] ।
स्थानं पश्यसि नैव वेत्सि पथिक त्वं क्वापि गत्वा वस ।। १६ ।।

अत्र वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्येन तत्रैवावस्थानं ध्वन्यते । आदिपदग्राह्यं काक्वादि, उदाहरणानि स्वयमूहनीयानि ।

सा च वृत्ति र्व्यञ्जनेत्यवधेयम् । अत्र व्यञ्जनाविरोधिनां वाचोयुक्तयस्तथाहि--केचित्तु यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति न्यायाद् व्यङ्ग्येऽर्थे शक्तिरेव ।

का बच्चा है । खेती के धन्धे में लगा हुआ इसका पति बाहर ही रहता है । इस प्रकार हे मुसाफिर ! तुम स्थान को तो देख रहे हो फिर भी कुछ समझ नहीं रहे हो [इसलिए] यहाँ से और कहीं जाकर रहो ।।६।।

यहां वक्ता, बोद्धा आदि की विशेषता से तुम इसी स्थान में ही रहो यह अर्थ व्यञ्जना से आ रहा है ।

टि०—यहां 'त्वं क्वापि गत्वा वस' इस वाक्य का मुख्यार्थबाध होने के अनन्तर विपरीतलक्षणा से 'यदि तुम उपभोग की क्षमता रखने वाले कामुक हो तो यहीं रहो ।' यह अर्थ तथा तुम्हारे लिए यहां यथेष्ट भोगसामग्री है अतः इस अवसर का लाभ उठाओ' यह अर्थ भी व्यञ्जना से आ रहा है ।

कारिका में प्रयुक्त 'आदि' पद से काकु आदि का ग्रहण होता है और इनके उदाहरणों की स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिए ।

टि०—काकु का अर्थ गले को विशेष रूप से दबाकर निकाली हुई भिन्न प्रकार की ध्वनि है । काव्यप्रकाश (३, १५) में वेणीसंहार से उद्धृत क्रुद्ध भीमसेन की इस उक्ति को काकु का उदाहरण बनाकर दिखाया गया है—

तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां
वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः ।
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ।।

अत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति काक्वा प्रकाश्यते ।

[इस प्रकार के व्यञ्जक पदों से बोध कराने वाली] वह वृत्ति व्यञ्जना है ऐसा समझ लेना चाहिये । यहाँ व्यञ्जनाविरोधियों की [उनके अपने पक्ष को पुष्ट करने वाली] युक्ति भरी बातें [उपस्थित की जाती] हैं । सङ्केत रूप में जैसे—कुछ [भट्टलोल्लट आदि] विद्वान् मीमांसक 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस नियम से व्यङ्ग्यार्थ में अभिधा शक्ति ही काम करती है ऐसा मानते हैं अर्थात् शब्द यत्परक [यदर्थविषयक] होता है वही उस शब्द का अर्थ होता है ।

टि०—इन मीमांसकों का कहना है कि यत्तात्पर्यकतया शब्दः प्रयुज्यते स शब्दस्यार्थः—जिस तात्पर्य को लेकर शब्द का प्रयोग किया जाता है वही उस शब्द

---

१. ज अ; सखे त

परे तु लक्षणयैव व्यञ्जनान्यथासिद्धिः। तार्किकास्त्वनुमानेनेति। तत्र नाद्यः। यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इत्यस्यायमर्थः—यदंशे विधेयत्वं तत्रैव तात्पर्यं न तु शब्दश्रवणानन्तरं प्रतीतमात्रे।

का अर्थ होता है। 'गतोऽस्तमर्कः' (सूरज छिप गया है) 'उदितं मण्डलं विधोः' (चन्द्र-मण्डल का उदय हुआ है) जैसे स्थलों पर वक्ता का तात्पर्य—यह प्रियगृहाभिसरण अथवा प्रियागमन का समय है इत्यादि अर्थों में होता है। यह तात्पर्य क्योंकि अभिधा से ही प्रकट हो जाता है इसलिए अलग से किसी व्यञ्जना व्यापार अथवा व्यञ्जना शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे [कुमारिलभट्ट और प्रभाकरमिश्र आदि मीमांसक] विद्वान् लक्षणा से ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति हो जाने के कारण व्यञ्जना अन्यथासिद्ध [व्यर्थ का व्यापार] है [ऐसा मानते हैं]।

टि०—अन्यथासिद्ध वह कारण होता है जिसके विना भी कार्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे घट की उत्पत्ति में कुलालपिता गर्दभादि अन्यथासिद्ध कारण हैं। क्योंकि उनके विना भी घट रूप कार्य हो जाता है। इसके विपरीत कुलाल और मृत्पिण्ड अनन्यथासिद्ध कारण हैं अर्थात् इनके विना घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति लक्षणा से ही हो जाती है। उसकी प्रतीति में व्यञ्जना व्यापार अन्यथासिद्ध कारण है और लक्षणा (अनिवार्य) कारण है। 'भ्रम धार्मिक विश्रब्धः' जैसे स्थलों में व्यञ्जना से प्रतीत होने वाले निषेध रूप अर्थ का बोध विपरीतलक्षणा से ही हो जाता है इस मत को अभिहितान्वयवादी और अन्विताभिधानवादी दोनों ही प्रकार के मीमांसक मानते हैं।

इन [उपर्युक्त मतों] में पहला मत ठीक नहीं है। 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस वाक्य का यह अर्थ है—[वाक्य के] जिस अंश में विधेयत्व होता है उसी में ही [वक्ता का] तात्पर्य होता है न कि शब्द के श्रवण के अनन्तर सभी प्रतीत हुए अर्थ में।

टि०—सिद्धान्ती का अभिप्राय है कि 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति' अथवा 'गतोऽस्तमर्कः' आदि वाक्यों में वाक्यस्थ सम्पूर्ण शब्दों के अर्थों में वक्ता का तात्पर्य नहीं होता किन्तु वह तात्पर्य सामान्यतः विधेयांश या क्रियांश में होता है। विशेष स्थिति में वक्ता जिस बात के ऊपर अपनी ओर से बल देना चाहता है, उसी में उसका तात्पर्य होता है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में प्रयुक्त कर्तृपद को उद्देश्य और क्रियापद को विधेय कहा जाता है। यहाँ साधारण दशा में 'गच्छति' और 'अस्तं गतः' इन विधेयांशों की ही मुख्यता है परन्तु यदि कोई पूछे 'कः गच्छति' ? 'को लीनः' ? (कौन छिपा है ?) तो उसके उत्तर में प्रयुक्त 'देवदत्तः' और 'सूर्यः' इन पदों की विधेयता होगी। साथ ही जिन शब्दों को वाक्य में पढ़ा जाता है उन्हीं में वक्ता का तात्पर्य समझा जाता है। 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति' से यह भी प्रतीत होता है कि देवदत्तेतर यज्ञदत्तादि

यथा दध्ना जुहोतीत्यत्र हवनस्यान्यतः सिद्धेर्दधिमात्रं विधीयते अन्यथा लक्षणोच्छेदप्रसंगः[1]।

पूर्वो धावतीत्यत्रापरार्थेऽपि शब्दप्रामाण्यं स्यात्। नापरः। गंगायां घोष

गाँव को नहीं जा रहे हैं। परन्तु क्योंकि इस अर्थ के वाचक शब्द वाक्य में नहीं पढ़े हैं, इसीलिए यह दूसरा अर्थ उपर्युक्त वाक्य का अर्थ नहीं माना जायेगा।

[उदाहरण के रूप में] जैसे 'दध्ना जुहोति' इस वाक्य में हवन की सिद्धि [यदि] दूसरे वाक्य से होती है तो दधिमात्र की ही विधि होगी। इसके विपरीत मानने पर अर्थात् विध्यंश में तात्पर्य न मान कर जिस तात्पर्य के लिये वक्ता शब्द का प्रयोग करता है वह उसका अर्थ है ऐसा स्वीकार करने पर [तो] लक्षणा नामक शक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।

टि०—विशेष परिस्थिति में वाक्य के विधेयांश में वक्ता का तात्पर्य न होकर दूसरे किसी और अंश में भी हो सकता है। जैसे 'सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहोति' यह शतपथब्राह्मण में पहले पठित वाक्य है। इसके अनन्तर 'दध्ना जुहोति' इस वाक्य का प्रयोग है। पहले वाक्य में हवन का विधान कर देने से दूसरे वाक्य में केवल 'दध्ना' में ही तात्पर्य है। जैसे रक्तं पटं वय' लाल कपड़ा बुनो यहाँ आवश्यकतानुसार कभी केवल बुनने रूप एक का विधान अथवा कभी पट और वयन दो का अथवा कभी रक्त, पट, वयन इन तीनों का विधान हो सकता है इसलिए जहाँ जो विधेय होता है वहाँ उसमें ही तात्पर्य होता है यह 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' का अर्थ है न कि जिस तात्पर्य को वक्ता अपने मन में रखता है वही शब्दार्थ है और उसका ज्ञान अभिधा से हो जाता है यह नियम बन सकता है। यदि मीमांसकों के नियम को मान कर अभिधा से ही सब अर्थों का ज्ञान मानने लग जायें तो फिर लक्षणा नाम की पृथक् शक्ति ही क्यों मानी जाये? मीमांसकों को लक्षणा भी नहीं माननी चाहिए क्योंकि अभिधा से ही उनके मत में सभी प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं। सिद्धान्ती के अनुसार यह तात्पर्य वाक्य में पठित शब्दों का ही हुआ करता है। शब्दों के उपात्त न होने पर किसी प्रकार से प्रतीत होने वाले अर्थमात्र में यह नहीं होता है।

[यदि वाचक शब्द के ग्रहण किये बिना किसी प्रकार से प्रतीत होने वाले अर्थमात्र में तात्पर्य माना जाये तो इस प्रकार] 'पूर्वो धावति' पहला आदमी या घोड़ा दौड़ रहा है--इस स्थल पर दूसरे के अर्थ में भी [पूर्व शब्द का] शब्दजन्य ज्ञान होने लग जायेगा [अर्थात् पूर्वो धावति का अर्थ अपरो धावति भी हो जायेगा यह अर्थ बिलकुल गलत हो जायेगा]।

टि०—इसलिये व्यञ्जनाविरोधी मीमांसकों को तात्पर्यवृत्ति से अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति को व्यङ्ग्यार्थबोध के लिये अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है।

१. त; प्रसङ्गात् ज अ

इत्यत्र प्रवाहे बाधात् तीरे लक्षणा। न च घोषाधिकरणता तीरे बाधिता यदन्यथानुपपत्त्या शैत्यपावनत्वादौ लक्षणा स्यात्। किञ्च शैत्यपावनत्वादौ लक्ष्ये प्रयोजनमावश्यकमतस्तत्कल्पनीयम्। तदपि यदि लक्ष्यं स्यात् तत्रापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्था स्यात्। अथ क्वचिदनवस्थाभिया सा प्रयोजनमन्तरेण यदि कल्पते तदा प्रयोजनवती लक्षणेति व्याहतम्। ननु पावनत्वादिविशिष्टमेव तटं लक्ष्यते[1] गङ्गायास्तटे घोष इत्यतोऽधिकार्थप्रतिपत्तिः प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षणास्तु किं व्यञ्जनयेति चेत्। न, विशिष्टेन सममेकस्य शक्यसम्बन्धस्याभावात्।

[लक्षणयैव व्यञ्जनान्यथासिद्धिः अर्थात् लक्षणा से ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है अत एव व्यञ्जना को अलग शक्ति मानना व्यर्थ है यह] दूसरा मत भी ठीक नहीं है। 'गङ्गायां घोषः' इस वाक्य में जलप्रवाह रूप मुख्यार्थ के बाध होने से लक्षणा [केवल] तीर अर्थ में होती है। [जैसा घोषाधिकरणता का बाध जलप्रवाह में होता है वैसा] घोषाधिकरणता का बाध तीर में नहीं होता। यदि तीर में घोषाधिकरणता की बाधता होती तभी शैत्यपावनत्वातिशय का ज्ञान लक्षणा से नहीं हो पाता क्योंकि लक्ष्यार्थ सदा मुख्यार्थबाध के अनन्तर ही आता है। अर्थात् तीर में यदि मुख्यार्थ का बाध [घोषाधिकरणता का बाध] होता तो व्यञ्जना के बिना लक्षणा से ही शैत्यपावनत्वातिशय की प्रतीति मान ली जाती। इसके अतिरिक्त यदि शैत्यपावनत्वातिशयादि को लक्ष्यार्थ मानें तो उसके भीतर और प्रयोजन मानना आवश्यक होगा। उस प्रयोजन की अर्थात् प्रयोजन के प्रयोजन की और कल्पना करनी पड़ेगी। उसे भी यदि लक्षणा से प्रतीत होने योग्य मानें तो उसके लिए अन्य प्रयोजन की कल्पना करने पर अनवस्था दोष आ जायेगा और यदि अनवस्था के भय से वह लक्षणा प्रयोजन के विना ही बन सकती है यह मानें तो उस समय प्रयोजनवती लक्षणा यह कहना खण्डित अर्थात् असङ्गत हो जायेगा।

शैत्यपावनत्वातिशयादिधर्मविशिष्ट ही तट का ज्ञान लक्षणा से होता है और 'गङ्गायास्तटे घोषः' इस वाक्य से प्रतिपादित अर्थ से अधिक शैत्यपावनत्व रूप दूसरे विशेषार्थ की प्रतीति कराना यहाँ प्रयोजन है। इस कारण यहाँ शैत्यपावनत्वादिविशेषणविशिष्ट अर्थ में लक्षणा मानें तो फिर अलग व्यञ्जना मानने की क्या आवश्यकता है? यदि पूर्वपक्षी की ओर से ऐसा कहा जाये तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि विशिष्ट के साथ एक शक्यसम्बन्ध नहीं हो सकता।

टि०—जैसे 'नीलो घटः' इत्यादि वाक्यों में नील में नीला यह अर्थ शक्य है। (शक्तिलभ्योऽर्थः शक्यः) और नीलत्व शक्यतावच्छेदक है और घटः में घट का अर्थ शक्य और घटत्व शक्यतावच्छेदक है। यहाँ पर हर एक पद में अपनी अपनी अलग अलग शक्ति है इसी प्रकार शैत्यपावनत्वातिशयादि अलग अलग अर्थ हैं और यह

---

१. ज; लक्ष्यताम् अ त

लक्षणाद्वयाङ्गीकारे तु यया शैत्यपावनत्वाद्युपस्थितिः सैव व्यञ्जना। अपि च घोषान्वयोपपत्तिर्यावता भवति तावदेव कल्पनीयम्। तथा च तीरकल्पनयैव तदन्वयोपपत्तौ विशिष्टलक्षणायां प्रमाणाभावः। किं च बाधितबोधकत्वेन लक्षणातो वैलक्षण्यं स्पष्टमेव। अथानुमानेन व्यञ्जनान्यथासिद्धिरिति तृतीयः पन्थाः। तथाहि—

दोनों अर्थ अलग अलग शक्तियों से आते हैं। इसलिए इस विशिष्टार्थ अर्थात् विशेषण (प्रयोजन—शैत्यपावनत्व) विशिष्ट अर्थ में शक्यसम्बन्ध—अभिधाशक्ति से प्रतिपाद्य प्रवाहार्थ का शैत्यपावनत्वातिशय और गङ्गातीर के साथ युगपत् सम्बन्ध नहीं हो सकता। शैत्यपावनत्वातिशय के साथ गङ्गाप्रवाह का समवायसम्बन्ध है और गङ्गातीर के साथ स्वसामीप्य या संयोग सम्बन्ध है। दोनों में एक ही सम्बन्ध होने पर लक्षणा हो सकती है। अलग अलग प्रकार के सम्बन्ध होने पर एक ही लक्षणा से दोनों सम्बन्धों का ज्ञान कैसे हो सकता है?

[यदि पूर्वपक्षी की ओर से यहाँ यह कहा जाये कि दो लक्षणायें स्वीकार करनी चाहिए—पहली से तीर की प्रतीति और दूसरी से शैत्यपावनत्वातिशय का ज्ञान होता है। तब] दो लक्षणाओं को स्वीकार करने पर तो जिस दूसरी लक्षणा से [आप के मतानुसार] शैत्यपावनत्वातिशय की प्रतीति होती है वही] हमारे मत में व्यञ्जना है [इस प्रकार नाममात्र में भेद है]।

इसके अतिरिक्त जितने अर्थ के साथ घोष के अन्वय की उपपत्ति हो सकती है उतना ही लक्ष्यार्थ समझना चाहिए [केवल तीर के साथ ही घोष का अन्वय हो सकता है अतः तीर तक ही लक्ष्यार्थ मानना चाहिए] और तीर में ही लक्ष्यार्थ की कल्पना करने से घोष के साथ आधाराधेयभाव रूप अन्वय बन सकता है इसलिए विशिष्ट में लक्षणा मानने में प्रमाण का अभाव है।

टि०—लक्षणाजन्यज्ञान का शैत्यपावनत्वादि ज्ञान फल अर्थात् कार्य है। कार्यकारण का एक कालावच्छेद में होना प्रमाणसिद्ध नहीं है। काव्यप्रकाश में कहा है—

प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न विद्यते ॥
ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्।
विशिष्टे लक्षणा नैवं विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥२, १७-१८

इस प्रकार आचार्य मम्मट के अनुसार भी विशिष्ट में लक्षणा मानना ठीक नहीं है। इन्होंने यहीं अनवस्थादोष का भी उल्लेख किया है।

और इसके अतिरिक्त [लक्षणा के] बाधितार्थ का बोधक होने के कारण लक्षणा से व्यञ्जना की विलक्षणता स्पष्ट है। अर्थात् लक्षणा मुख्यार्थबाध के कारण बाधितार्थ का ही बोध कराती है और व्यञ्जना तद्भिन्न अर्थ का भी बोध कराती है [अभिधामूल ध्वनि में मुख्यार्थ का बाध नहीं होता। और अनुमान मान

भम धम्मिम्र बीसद्धो सो सुणए अज्ज मारि [ओ] देण।
गोलाणईकच्छकुडंगवासिणा दरीअसीहेण ॥
भ्रम धार्मिक विस्रब्धः स श्वाद्य मारितस्तेन ।
गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन ॥ [संस्कृतच्छाया]

अत्र कुडङ्गपदं निकुञ्जे देशी । अत्र सङ्केतकानने कुसुमावचयकारिणं धर्मिष्ठमवलोक्य वाग्विदग्धा प्राह । अत्र नगरे भयहेतुभूतश्वनिवृत्त्या

लेने से व्यञ्जना की अन्यथासिद्धि [व्यर्थता] सिद्ध हो जाती है [येन विनापि कार्य-मुत्पद्यते तदन्यथासिद्धम्] यह तीसरा मत है [इस मत के अनुसार व्यञ्जना को माने बिना अनुमान प्रमाण से ही मुख्यार्थ का ज्ञान होने के बाद दूसरा अर्थ प्रतीत हो जाता है] इस मत की विशेष व्याख्या इस प्रकार है—

"हे भगत जी ! आप विश्वासपूर्वक अथवा स्वतन्त्रतापूर्वक मजे में घूमिए उस कुत्ते को [जो आपको देखकर भौंका करता था] गोदावरी नदी के कछार के झाड़ों में रहने वाले उस अभिमानी शेर ने मार डाला है ।"

टि०—यह श्लोक गाथासप्तशती (२, ७५) से लिया गया है । गोदावरी नदी के किनारे किसी उद्यान में कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ घूमा करता था । उनके घूमने के समय पर ही कोई धर्मात्मा व्यक्ति पूजा के लिए फूल चुनने जाया करता था। उसकी उपस्थिति से उन दोनों को अपनी प्रणयलीला में वाधा अनुभव होती थी । चतुर नायिका ने उस भोले भगत को वगीचे में आने से रोकने के लिए एक उपाय निकाला । उसने झूठमूठ ही उपर्युक्त वचन कहा और सोचा कि मेरे इस प्रकार कहने से यह भगत जी डरपोक होने के कारण आना वन्द कर देंगे । क्योंकि जो व्यक्ति काटने वाले कुत्ते से डर जाता है वह उससे भी बड़े भय के कारण शेर से तो निश्चित रूप से डर ही जायेगा । यहाँ पर नायिका कह तो यह रही है कि यहाँ तुम मजे से घूमो परन्तु उसका आशय यह है कि अब तुम्हें यहाँ भूल कर भी नहीं आना चाहिए, अन्यथा सिंह ने जैसे कुत्ते को मार दिया है वैसे ही वह तुम्हें भी मार डालेगा । व्यञ्जनावादियों के मत में यहाँ भ्रमणविधि वाच्य है और भ्रमणनिषेध व्यङ्ग्य है ।

इस उपर्युक्त श्लोक में कुडंग पद निकुञ्ज [झाड़ अथवा लताओं से आच्छन्न स्थान] अर्थ में प्रयुक्त होने वाला देशी अर्थात् देहाती शब्द है । यहाँ पर सङ्केत-स्थान के रूप में निश्चित किये हुए उद्यान में फूलों का चयन करने वाले धर्मात्मा पुरुष को देखकर वाक्चतुर नायिका कह रही है ।

यहाँ 'नगर में भय के कारण बने हुए कुत्ते की निवृत्ति के कारण भ्रमण की विधि होने से गोदावरीतीर के सिंह वाला होने से भीरुभ्रमणत्व की

भ्रमणविधानेन गोदावरीतीरस्य भीरुभ्रमणायोग्यत्वं सिंहवत्त्वेन व्यंग्यं तत्तु गोदावरीतोरं भीरुभ्रमणायोग्यं सिंहवत्त्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा गृहमेवेत्यनुमानेनैव सेत्स्यति किं व्यञ्जनयेति चेत्,

---

अयोग्यता रूप अर्थात् भीरुभ्रमणाभाव रूप जो व्यङ्ग्यार्थ है वह तो सिंह वाला होने से गोदावरीतीर भीरुभ्रमण के अयोग्य है अर्थात् भीरुभ्रमणाभाव वाला है जो सिंह वाला नहीं है वह भीरुभ्रमण के अयोग्य भी नहीं है जैसे घर' इस प्रकार के अनुमानवाक्य से ही सिद्ध हो जायेगा तो व्यञ्जना मानने से क्या लाभ ? यदि ऐसा कहा जाय।

टि०—ध्वनिविरोधी अनुमानवादी पूर्वपक्षी महिमभट्ट का यह मत है कि ध्वनि की अनुमान से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। उन्होंने अपने ग्रन्थ व्यक्तिविवेक में ध्वनि को अनुमान के अन्तर्गत सिद्ध करने का प्रयास किया है और जिन उदाहरणों में व्यङ्ग्यार्थ पाया जाता है उन्हें अनुमान का विषय बताया है। उनके विचारों को समझने से पहले न्यायदर्शनसम्मत अनुमान के स्वरूप को समझना आवश्यक है। अनुमान में दो प्रमुख तत्त्व पाये जाते हैं १. व्याप्ति और २. पक्षधर्मता। हेतु (धूम) और साध्य (वह्नि) के साहचर्यनियम को व्याप्ति कहते हैं। यह व्याप्ति दो प्रकार की होती है १. अन्वयव्याप्ति और २. व्यतिरेकव्याप्ति। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः यह अन्वयव्याप्ति है इसमें भावपदार्थों का साहचर्यसम्बन्धदिखाया जाता है और यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावः—यह व्यतिरेकव्याप्ति का उदाहरण है। इसमें पदार्थों का अभावात्मक सम्बन्ध दिखाया जाता है। अनुमान का दूसरा तत्त्व पक्षधर्मता है। 'पक्षे साध्यसिद्धिः' पर्वत रूप पक्ष में वह्निरूप साध्य की सिद्धि (विद्यमानत्व पक्षधर्मता कहलाती है। जिस अनुमान में किसी दूसरे को बात समझाई जाती है उसे परार्थानुमान कहते हैं और स्वयं अपने ज्ञान का हेतुभूत अनुमान स्वार्थानुमान कहलाता है। पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्तत्व रूप लिङ्ग (हेतु) से लिङ्गी (साध्य) के ज्ञान को अनुमान कहते हैं जैसे—पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमवत्त्वात् यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निर्यथा महानसम्—अन्वयव्याप्तिः, यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावो यथा जलादिः—व्यतिरेकव्याप्तिः, तथा चायम् (अन्वयव्याप्ति में) अथवा यो नैवं स नैवम्। (व्यतिरेकव्याप्ति में) तस्मात् पर्वतोऽयं वह्निमान्। इस अनुमानवाक्य के पाँच अवयव इस प्रकार हैं—

१. पर्वतोऽयं वह्निमान्—प्रतिज्ञा या साध्य

२. धूमवत्त्वात्—हेतु या साधन

३. (i) यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः यथा महानसः—अन्वयव्याप्तियुक्त दृष्टान्त

(ii) यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावः यथा महाह्रदः—व्यतिरेकव्याप्तियुक्त दृष्टान्त

न। भीरोरपि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन प्रियानुरागेण वा भ्रमणसम्भवात् व्यभिचारात्।

---

४. (i) तथा चायम्—अन्वयव्याप्ति में उपनय
(ii) यो नैवं स नैवम्—व्यतिरेकव्याप्ति में उपनय

५. तस्मात्पर्वतोऽयं वह्निमान्—निगमन

उपर्युक्त पञ्चावयवयुक्त अनुमान वाक्य में जो धूमवत्त्व हेतु है उसमें तीन धर्मों की अनिवार्य रूप से सत्ता मानी गई है। कोई भी शुद्ध हेतु इन धर्मों के बिना अनुमानजन्य ज्ञान का साधन नहीं बना करता। पहला धर्म पक्षसत्त्व अर्थात् पक्ष के अन्दर रहता है। सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः—जिसमें साध्य (जिसका अनुमान किया जाता है) सन्दिग्ध दशा में रहता है वह पक्ष है। जैसे वह्निसम्बन्धी अनुमान में पर्वत पक्ष है। हेतु का दूसरा धर्म सपक्षसत्त्व अर्थात् सपक्ष में रहना है निश्चितसाध्यवान् सपक्षः जिसमें वह्निरूप साध्य की निश्चित रूप से स्थिति होती है वह सपक्ष होता है जैसे महानस में अग्नि की स्थिति का निश्चय रहता है। निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः—जहां साध्यरूप वह्नि का निश्चित रूप से अभाव होता है जैसे तालाब—महाह्रद में साध्य वह्नि का अभाव देखा जाता है।

अनुमानवादी आचार्यों के अनुसार 'भम धम्मिअ' इत्यादि श्लोक में 'आनन्दपूर्वक घूमो' यह अर्थ तो अभिधा से आ जाता है परन्तु गोदावरी के तीर पर आप जैसे डरपोकों को नहीं घूमना चाहिए—यह दूसरा अर्थ अनुमान से आता है इसको पाँच अवयवों वाले अनुमानवाक्य के रूप में निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

१. गोदावरीतीरं भवत्सदृशभीरुभ्रमणायोग्यम्—प्रतिज्ञा या साध्य
२. सिंहवत्त्वात्—हेतु या साधन
३. (i) यत्र यत्र भयकारणं सिंहादिमत्त्वं तत्र तत्र भीरुभ्रमणाभावो यथा वनम्—अन्वयव्याप्तियुक्त दृष्टान्त
(ii) यत्र यत्र भयकारणाभावस्तत्र तत्र भीरुभ्रमणाभावाभावः—व्यतिरेकव्याप्तियुक्त दृष्टान्त
४. (i) तथा चेदम्—अन्वयव्याप्ति में उपनय
(ii) यन्नैवं तन्नैवम्—व्यतिरेकव्याप्ति में उपनय
५. तस्माद् गोदावरीतीरं भवत्सदृशभीरुभ्रमणायोग्यम्।

इस प्रकार के पञ्चावयववाक्य से अनुमान द्वारा महिमभट्ट भीरुभ्रमणनिषेध को सिद्ध करते हैं और व्यञ्जनावृत्ति को स्वीकार करना अनावश्यक समझते हैं।

[व्यञ्जनाविरोधी अनुमानवादी का उपर्युक्त] यह मत ठीक नहीं है क्योंकि भीरु का भी गुरु अथवा राजा या स्वामी की आज्ञा से अथवा प्रेमिका के प्रति अनुरक्ति होने से [गोदावरी के तीर पर] भ्रमण होना सम्भव है इस कारण व्यभिचार दोष आता है।

सिद्धान्ती का कहना है कि गोदावरी का तीर सिंह वाला होने से डरपोक

न च प्रभुनिदेशाद्यनुपाधिकत्वेन भ्रमणं विशेषणीयमिति क्व व्यभिचार इति वाच्यम् । एतादृशस्य साध्यस्य पद्यादनुपस्थितेः । यावदुपस्थितं तावद् व्यभिचार्येव ।

लोगों के घूमने योग्य नहीं है यह अर्थ अनुमान से प्रतीत नहीं हो सकता क्योंकि अनुमानवाक्य में जिस हेतु का प्रयोग किया जाता हो वह निर्दुष्ट होना चाहिए । परन्तु 'गोदावरीतीरं भीरुभ्रमणायोग्यं सिंहवत्त्वात्' उपर्युक्त इस वाक्य में 'सिंहवत्त्व' शुद्ध हेतु न होकर अनैकान्तिक हेत्वाभास है--सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः—जिस हेत्वाभास में व्यभिचार पाया जाय वह अनैकान्तिक हेत्वाभास है । शुद्ध हेतु में पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्तत्व रूप तीन धर्म होते हैं परन्तु इस अनैकान्तिक हेत्वाभास में विपक्षव्यावृत्तत्व धर्म नहीं है । व्यभिचार का लक्षण है—हेतुसत्त्वेऽपि साध्याभावः-हेतु के रहते हुए भी साध्य का न होना व्यभिचार कहलाता है। यहाँ सिंहवत्त्व हेतु के रहते हुए भी भीरुभ्रमणाभाव रूप साध्य नहीं है प्रत्युत भीरुभ्रमणाभावाभाव है अर्थात् भीरु भी प्रभु की आज्ञा आदिविशेष कारणों से गोदावरी तीर पर घूम सकता है । राजा का सैनिक 'न जाने पर राजा कहीं मार न डाले, अतः इसकी आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए' ऐसा सोच कर भीरु होता हुआ भी भय के स्थान वनादि में पहुँच जाता है । यदि किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को वन के अन्दर संकेत स्थान बता दिया है तो प्रेमी डरपोक होते हुए भी मोहान्ध होकर वहाँ पहुँच जाता है । गुरु की आज्ञा न मानने से बहुत बड़ा पाप लगता है यह सोच कर कोई धर्मभीरु गुरुभक्त शिष्य गुरु के द्वारा निर्दिष्ट भय के स्थान वनादि में चला जाता है । इन कारणों से यहाँ सिंहवत्त्व हेतु को साध्य मानने पर व्यभिचार दोष आता है ।

और प्रभुनिदेशादिरूप उपाधिराहित्य (प्रभुनिदेशाद्यभाववत्त्व) को भ्रमण का विशेषण बनाकर वाक्य में [और] रखना चाहिए । इस प्रकार का विशेषण आने पर पूर्वोक्त व्यभिचार दोष कहाँ रह सकता है ? इस प्रकार नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के साध्य की पद्य से उपस्थिति नहीं हो रही है और जितना अर्थ उपस्थित हो रहा है वह व्यभिचारयुक्त ही है ।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि यदि उपर्युक्त अनुमानवाक्य—गोदावरीतीरं प्रभुनिदेशाद्यभाववद् भीरुभ्रमणायोग्यं सिंहवत्त्वात् इस रूप में रख लिया जाय तो प्रभुनिदेशाद्यभाववत् इतने विशेषण के आ जाने से व्यभिचारदोष हट जाता है । परप्रेरणा के विना यदि भीरु वहाँ स्वेच्छा से जाता है तभी इस साध्य में व्यभिचार आता है पर यदि दूसरे के कहने से जाता है तो यह दोष नहीं रहता । इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि इस प्रकार के साध्य की उपर्युक्त पद्य से उपस्थिति नहीं हो रही है अर्थात् 'भम धम्मिअ' इत्यादि श्लोक को पढ़कर 'गोदावरी का तीर प्रभुनिदेशाद्यभाववद्भीरुभ्रमणाभाव वाला है सिंहयुक्त होने से' इस अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है-प्रत्युत निरुपाधिक भीरुभ्रमण का ही ज्ञान हो रहा है और इस प्रकार का जितना

किं चानुमानेन व्यञ्जनान्यथासिद्धौ शब्दप्रामाण्यमपि भज्येत।

तथाहि—घटमानयेत्यत्र कर्मत्वं घटवत्, तन्निरूपिताकांक्षादिमत्पदस्मारितत्वादित्यनुमानेन शाब्दबोधसमानाकारज्ञानसम्भवात्। न च योग्यतायाः

ज्ञान है वह व्यभिचार से युक्त है। श्लोक तो यही कहता है कि हे धार्मिक! तुम निर्भय होकर घूमो क्योंकि कुत्ते को शेर ने मार दिया है। ध्वनिवृत्ति से ज्ञात होता है कि कुत्ते से डरने के कारण वह धर्मात्मा पण्डित डरपोक है इस कारण शेर के सामने स्वप्न में भी नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ केवल भीरुभ्रमणाभाव रूप साध्य की उपस्थिति हो रही है और उसमें पहले ही व्यभिचार सिद्ध किया जा चुका है।

[और इसके अतिरिक्त अनुमान से ही व्यञ्जना की अन्यथासिद्धि अर्थात् निष्फलता मानने पर तो शब्दप्रमाणत्व भी समाप्त हो जायेगा।

टि०—सिद्धान्ती का कहना है कि अनुमान के द्वारा व्यञ्जना की निष्फलता मानने पर तो शब्दप्रमाण के सब स्थलों पर भी अनुमान से ही अर्थप्रतीति माननी पड़ जायेगी। इस प्रकार से तो शब्दप्रमाण की भी अलग से स्थिति नहीं रहेगी। इस प्रमाण का अनुमान में ही अन्तर्भाव करना पड़ेगा। शब्द प्रमाण के निष्फल होने पर इस प्रमाण पर आश्रित रहने वाले अन्य अर्थापत्ति उपमानादि प्रमाणों की भी आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

उदाहरण के रूप में—घटमानय इस वाक्य में कर्मता घटसम्बन्धिनी है क्योंकि कर्मत्व से प्रतिपादित आकाङ्क्षा, योग्यता और आसत्ति [आदि=योग्यता एवं आसत्ति] से युक्त पदों से [घटनिष्ठकर्मता—घटनिष्ठकर्मतानुकूलानयनव्यापार इस] अर्थ का स्मरण हो रहा है। इस प्रकार के अनुमान से शब्दजन्य ज्ञान के सदृश स्वरूप वाले अर्थात् वैसे ही अर्थ वाले ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार शब्दप्रमाण के स्थलों पर भी अनुमान मानना पड़ जायेगा और इस प्रमाण की सत्ता ही नहीं रहेगी]

टि०—'घटमानय' इस वाक्य से कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ को लाओ इस अर्थ की प्रतीति होती है। यह प्रतीति अनुमान द्वारा इस प्रकार हो सकती है—

१. घटमानय इत्यत्र कर्मत्वं घटवत् (कर्मता घटनिष्ठ है) प्रतिज्ञा या साध्य

२. तन्निरूपिताकाङ्क्षादिमत्पदस्मारितत्वात् (क्योंकि कर्मता से प्रतिपादित और आकांक्षादि से युक्त घट एवं आनयन इन पदों से कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ एवं आनयन व्यापार रूप अर्थ का स्मरण होता है) हेतु या साधन।

'घटमानय' इस वाक्य में 'घट' पद को 'आनयन' पद की और आनयन पद को 'घट' पद की शाब्दबोध के लिए आवश्यकता है। इसीको आकांक्षा कहा जाता है। 'गौरश्वः चलति पुरुषो हस्ती' जैसे निराकाङ्क्ष पदसमूह अपना अर्थ बताने में असमर्थ हैं। 'आकाङ्क्षादिमत् पद में आदि पद से योग्यता और आसत्ति का ग्रहण

कथं लिङ्गविशेषणत्वं तस्याः संशयसाधारणज्ञानस्य शाब्दबोधजनकत्वात्। अनुमितौ लिङ्गनिश्चयकारणत्वस्य सर्वसम्मतत्वादिति वाच्यम्।

किया जाता है । पद के अर्थों में परस्पर सम्बन्ध में बाधा का न होना योग्यता कहलाता है। उपर्युक्त 'घटमानय' इस वाक्य में दोनों पदों के आपसी सम्बन्ध में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। 'वह्निना सिञ्चति' जैसे वाक्यों में प्रयुक्त पदों के अर्थों में आपस में सम्बन्ध योग्यता के अभाव के कारण नहीं बन पाता। पदों की कालकृत और देशकृत समीपता का नाम आसत्ति है। एक वक्ता से एक काल में उच्चरित पद ही आसत्ति के कारण अपना अर्थ बताने में समर्थ हो पाते हैं।

सिद्धान्ती का आशय है—यदि व्यङ्ग्यार्थ का अनुमान में अन्तर्भाव करने के लिए अनुमानवादी आग्रहवान् है तो 'घटमानय' जैसे वाक्यों से अभिधा से प्रतीत होने वाले अर्थ को भी अनुमान के अन्तर्गत मान लेना चाहिए। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। वस्तुतः 'घटमानय' जैसे वाक्यों से 'घड़े को लाओ' इस प्रकार का ज्ञान सेवक को स्वामी के आदेश के श्रवण के अनन्तर स्वतः अभिधावृत्ति से हो जाता है अनुमान की वहाँ आवश्यकता ही नहीं होती। 'गङ्गायां घोषः' जैसे वाक्यों के वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य इन तीनों प्रकारों के अर्थों की प्रतीति भी अनुमान से नहीं माननी चाहिए। वास्तव में शब्द की अभिधादि वृत्तियों से उत्पन्न ज्ञान और है तथा अनुमानजन्य ज्ञान और है। पदों की अभिधादि वृत्तियों से उत्पन्न ज्ञान में अनुमान का अथवा अनुमानजन्य ज्ञान में अभिधादिवृत्तिजन्य ज्ञान का अन्तर्भाव नहीं हो सकता।

योग्यता की लिङ्गविशेषणता कैसे हो सकती है? अर्थात् योग्यता लिङ्ग का विशेषण नहीं बन सकती है क्योंकि वह सभी प्रकार के संशयात्मक ज्ञान [और निश्चयात्मक ज्ञान दोनों] की समान रूप से उत्पादिका है और अनुमान में लिङ्ग के अन्दर लिङ्गत्व की सिद्धि के लिए निश्चय कारण है अर्थात् निश्चित लिङ्ग से ही अनुमान की सिद्धि होती है, यह बात सारे विद्वानों से अनुमोदित है ऐसा नहीं कहना चाहिए।

टि०—घटमानय इस वाक्य में अनुमानवादी की घटनिष्ठकर्मता को सिद्ध करने के लिए 'तन्निरूपिताकाङ्क्षादिमत्पदस्मारितत्वात्' यह लिङ्ग उपस्थित किया गया है। यहाँ आकाङ्क्षादिमत् पद में प्रयुक्त आदि पद से योग्यता और आसत्ति का उपादान है। उपर्युक्त लिङ्ग में योग्यता को विशेषण के रूप में नहीं रखना चाहिए। उपर्युक्त यह शङ्का किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अनुमानवादी पर आक्षेप करते हुए प्रस्तुत की गई है। आक्षेपकर्त्ता का कहना है कि योग्यता को लिङ्ग का विशेषण नहीं बनाना चाहिए क्योंकि योग्यता जैसे यथार्थ ज्ञान के शाब्दबोध को उत्पन्न कराने वाले पदार्थों का हेतु है उसी प्रकार अयथार्थ संशयात्मक ज्ञान का भी हेतु है किन्तु

अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति हेतुनिश्चयत्वेन कारणता न सम्भवत्येवानुगतस्य हेतुत्वस्याभावात् किन्तु प्रत्येकं धूमादिनिश्चयत्वेन। तथा चान्यस्य निश्चयत्वेन कारणतायामपि योग्यताज्ञानस्य ज्ञानत्वेनैव कारणत्वमस्तु को दोष इति।

अनुमान में प्रयुक्त होने वाला निश्चयात्मक लिङ्ग ही शाब्दबोध का कारण बनता है। किमयं स्थाणुरस्ति आहोस्वित् पुरुषोऽस्ति इस संशयात्मक ज्ञान वाले वाक्य में स्थाणु और पुरुष—इन दोनों का अस्ति क्रिया के साथ सम्बन्ध हो रहा है। यहाँ कोई निश्चयात्मक हेतु ही स्थाणु या पुरुष का निर्णायक हो सकता है क्योंकि अनुमान में लिङ्गनिश्चय अर्थात् पूर्वनिर्णीत लिङ्ग ही कारण बना करता है।

[उपर्युक्त आक्षेप ठीक नहीं है] क्योंकि अनुमितित्व धर्म से युक्त अनुमान मात्र में अर्थात् सभी अनुमानों में किसी एक ही निश्चित हेतु की कारणता नहीं होती है [अपितु दूसरे भी अनिश्चयात्मक—संशयात्मक हेतु कारण बन सकते हैं] क्योंकि सारे स्थानों में अनुगत एक जैसा ही हेतु नहीं हुआ करता किन्तु प्रत्येक धूमादि के हेतु रूप में निश्चित हो जाने से ही कारणता होती है [पृथक् पृथक् साध्यों के पृथक् पृथक् हेतु ही निश्चित होते हैं सभी साध्यों के लिए एक ही हेतु निश्चित नहीं होता है] और किसी एक को निश्चित रूप से हेतु मान लेने पर भी ज्ञानत्व रूप से योग्यता-ज्ञान को कारण मानने में कोई हानि नहीं है।

टि०—आशय यह है कि वह योग्यता प्रमा ज्ञान में हो या अप्रमा ज्ञान में इस बात का विचार आवश्यक नहीं है इस प्रकार योग्यताविशिष्ट हेतु से ही साध्य की सिद्धि हो जाती है भले ही वह योग्यता संशयात्मक ज्ञान की उत्पादिका हो अथवा निश्चयात्मक ज्ञान की हो।

यहाँ सिद्धान्ती ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि अनुमान में योग्यता-विशिष्ट निश्चयात्मक हेतु की ही कारणता नही माननी चाहिए परन्तु संशयात्मक हेतु भी कारण बन सकता है जैसे कुज्झटिताकुलित—कुहरे से आच्छन्न प्रदेश में धूमसम्बद्ध वह्नि का अनुमान किया जाता है। सर्दियों में पर्वतों में उठी हुई वाष्प को धूम समझकर उससे वह्नि का अनुमान करते हैं किन्तु वह हेतु संशयात्मक होता है। नदी के पानी को मैला देखकर उस मलिन जल से ऊपर की ओर पर्वत पर हुई वर्षा का अनुमान किया जाता है परन्तु यह हेतु संशयात्मक है। फिर भी इससे अनुमान किया जाता है। कभी कभी पर्वत खण्ड के नदी में गिर जाने पर भी जल में मलिनता आ जाती है। इसी प्रकार यद्यपि वृष्टि के साथ मलिन जल का निश्चयात्मक सम्बन्ध नहीं है फिर भी मलिन जल को वृष्टि का अनुमान करते समय हेतु रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए योग्यता के लिङ्ग के विशेषण बनने में कोई बहुत बड़ा दोष नहीं आता और संशयसाधारण अर्थात् संशयात्मक ज्ञान में रहने वाली योग्यता को भी लिङ्ग का विशेषण माना जा सकता है।

अथ शब्दस्थले व्याप्त्यादिप्रतिसन्धानं विनापि प्रत्यक्षाद्यवगते पक्षतोपरागं विनापि अत्यन्तासत्यप्यर्थे बाधावतारेऽप्यन्वयबोधदर्शनान्नानुमानेन शब्दप्रामाण्यान्यथासिद्धिरिति चेत्तुल्यं ममापि। ननु शैत्यपावनत्वाद्युपस्थितौ वृत्यन्तराभावादस्तु व्यञ्जना। तथापि—

और शब्द प्रमाण के स्थल में व्याप्ति और परामर्श [वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इस प्रकार के ज्ञान] के गवेषण के बिना भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से 'शब्दार्थ का ज्ञान हो जाने पर पक्षधर्मता [पर्वत रूप पक्ष में वह्नि रूप साध्य की सिसाधयिषा] के सम्बन्ध के बिना भी अर्थ के अत्यन्त असत्य होने पर भी बाधा आने पर अन्वय का ज्ञान हो ही जाता है इसलिये अनुमान के द्वारा शब्दप्रमाण की व्यर्थता नहीं सिद्ध होती है यदि इस प्रकार [अनुमानवादी की ओर से] कहा जाय तो यह बात समान रूप से हमारे पक्ष में भी है [परन्तु व्यङ्ग्यार्थ का बोध अनुमान करा देता है इस बात को हम नहीं मानते हैं]

टि०—सिद्धान्ती पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि व्यङ्ग्यार्थ का अनुमान के अन्दर अन्तर्भाव स्वीकार किया जाय तो शब्दप्रमाण भी समाप्त हो जायेगा क्योंकि शब्दजन्य अर्थ की प्रतीति जब 'भम धम्मि अ' जैसे उदाहरणों में अनुमान से ही मान लेते हो तो शब्दप्रमाण की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इस पर अनुमानवादी कह सकता है (क्योंकि यह अनुमानवादी भी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान प्रमाणों को स्वीकार करते हैं) कि शब्दप्रमाण नहीं समाप्त होता क्योंकि शब्द तो अर्थ के न रहते हुए भी अर्थात् अर्थबाध होने पर किसी न किसी अर्थ का ज्ञान करा ही देता है। इसलिए शब्दप्रमाण की व्यर्थता सिद्ध नहीं होती है।

क्योंकि वैयाकरणों का सिद्धान्त है—अत्यन्तासत्यप्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति—अर्थ के बिल्कुल न होने पर भी शब्द किसी न किसी अर्थ का ज्ञान करा देता है इस न्याय को मानकर हमारा (अनुमानवादी) का कहना है कि शब्दप्रमाण की सत्ता तो सदा ही रहती है निरर्थक शब्द भी कुछ न कुछ ज्ञान कराते ही हैं इसलिए शब्द प्रमाण की सत्ता बनी ही रहती है। इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि शब्दप्रमाण का अस्तित्व तो हम भी तुम्हारी ही तरह मानते हैं परन्तु व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति अनुमान से होती है ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति के लिए आपकी ओर से जो हेतु दिये गये हैं वह सब व्यभिचरित हैं और शब्दजन्य व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति इस प्रकार के व्यभिचरित हेतुओं वाले अनुमान से कदापि नहीं हो सकती।

यद्यपि [गङ्गायां घोषः जैसे वाक्यों में] शैत्यपावनत्वादि वनत्वादिरूप अर्थ को उपस्थित कराने में व्यञ्जनातिरिक्त और वृत्ति के न होने से यहाँ व्यञ्जना होवे अर्थात् इस व्यङ्ग्यार्थ को बतलाने के लिए तो व्यञ्जनावृत्ति को स्वीकार किया जा सकता है परन्तु 'एकान्ते सेवते योगम्' इत्यादि श्लोक में [अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा] द्वितीयार्थ की उपस्थिति में [अभिधामूला] व्यञ्जना का व्यापार होता है ऐसा मानना

एकान्ते सेवते योगं मुक्ताहारपरिच्छदः ।
हंसः स मोक्षयोग्योऽपि देव किं बध्यते त्वया ॥

इत्यादौ द्वितीयार्थोपस्थितौ व्यञ्जनाव्यापार इति महत्साहसम् ॥

न चैकार्थग्राहकप्रमाणादेरन्यार्थगोचरशक्तिप्रतिबन्धकत्वं तदेवापरार्थे शक्तिनियन्त्रणमुच्यते प्राचीनैः कथमन्यथा सशङ्खचक्रो हरिरित्यादिषु इन्द्राद्यर्थानुपस्थितिरिति वाच्यम् ।

बहुत बड़ा दुस्साहस है [वस्तुतः ऐसे स्थानों पर श्लेषालङ्कार को ही मानना चाहिए। ऐसे उदाहरणों को व्यञ्जना का उदाहरण मानने पर श्लेष निर्विषय हो जायेगा। अतः श्लेष के उदाहरणों को व्यञ्जना का उदाहरण मानना अनुचित है]

१ हंसपरक अर्थ—[ए—इ=कामदेव, सम्बोधन में ए] हे कन्दर्पसदृश रूपवान् राजन्! पानी के समीप जो वृक्ष की सेवा करता है अर्थात् वृक्ष पर रहता है, मोतियों के हार के समान श्वेत डैनों वाला और छोड़ने के योग्य भी वह हंस तुम्हारे द्वारा क्यों बाँधा जा रहा है—क्यों पकड़ा जा रहा है ?

२ आत्मपरक अर्थ—जो निर्जन प्रदेश में योग करता है जिसने भोजन, वस्त्र [या परिवार] का परित्याग कर दिया है, मुक्तियोग्य उस योगी की आत्मा को बन्धन में क्यों डाला जा रहा है?

टि०—उपर्युक्त श्लोक नलचम्पू (२,१८) से लिया गया है। यहाँ हंसपरक अर्थ राजा नल को लक्ष्य करके कहा गया है। इस श्लेष के स्थल में भी व्यञ्जना मानने वाले पूर्वपक्षी से सिद्धान्ती का कहना है कि जहाँ प्रकरणादि के कारण अभिधा एकार्थ में नियन्त्रित हो जाती है वहाँ द्वितीयार्थ की प्रतीति व्यञ्जना से विलम्ब से होती है परन्तु जहाँ दोनों अर्थ विवक्षित होते हैं और उनकी प्रतीति युगपत् अभिधा से ही हो रही होती है वहाँ श्लेष होता है। उपर्युक्त श्लोक में हंसपरक और आत्मपरक दोनों अर्थों की प्रतीति अभिधा से ही एक साथ हो रही है अतः इसे श्लेष का ही उदाहरण मानना चाहिए।

एक अर्थ के नियामक संयोग, विप्रयोग, साहचर्य आदि प्रमाण अन्यार्थबोधिका शक्ति के प्रतिबन्धक होते हैं अर्थात् अनेकार्थक शब्दों की एक अर्थ में निरुद्ध हुई शक्ति 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः' इस नियम से अपरार्थ को बोधित नहीं करा सकती है। इसी का अभिप्राय [दूसरे अर्थ में न जाना रूप] शक्ति का नियन्त्रण है, [यह शक्ति दूसरे अर्थ में नहीं जाती क्योंकि वह पहले अर्थ में ही नियन्त्रित हो जाती है] यह प्राचीन आचार्यों ने कहा है नहीं तो 'सशङ्खचक्रो हरिः इत्यादि स्थलों में इन्द्रादि अर्थों की उपस्थिति क्यों नहीं होती है ? एकार्थ को बताकर यदि वह वृत्ति निरुद्ध नहीं होती तो यहाँ उसी [अभिधा] से ही इन्द्रादि अर्थों की प्रतीति हो जानी चाहिये थी परन्तु सशङ्खचक्रो हरिः इस उदाहरण में अभिधा से

विष्णु रूप अर्थ का ही बोध होता है इसलिए एकान्ते सेवते० में अभिधा वृत्ति एक अर्थ को बताकर नियन्त्रित हो जाती है और दूसरे अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना कराती है।

टि०—काव्यप्रकाश में अभिधामूला व्यञ्जना का निरूपण करते हुए निम्न कारिका द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब अनेकार्थक शब्द का संयोगादि के द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रण हो जाता है तो उससे भिन्न अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द का व्यापार व्यञ्जना कहलाता है।

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते।
संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद् व्यापृतिरञ्जनम् ॥ काव्यप्र० २,१६

'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः' यह नियम व्यञ्जनावादियों में विशेष रूप से प्रचलित है। इसका अर्थ है—एक बार रुककर शब्द, बुद्धि और कर्म के अन्दर व्यापार (क्रिया) का अभाव होता है। इन तीनों में से प्रत्येक जब अपने किसी एक व्यापार से एक कार्य को उत्पन्न कर देता है तो उसका वह व्यापार समाप्त हो जाता है। दूसरे कार्य को निष्पन्न करने के लिए उसके अन्दर व्यापारान्तर को उत्पन्न किये जाने की आवश्यकता होती है।

१. शब्द का उदाहरण—'गङ्गायां घोषः' जैसे उदाहरणों में गङ्गा शब्द के अभिधाव्यापार से जब एक बार प्रवाह इस अर्थ की प्रतीति हो जाती है तो अभिधा वृत्ति विरत हो जाती है और वह दूसरा अर्थ बताने में असमर्थ होती है। गङ्गातट इस दूसरे अर्थ को बताने के लिए दूसरी वृत्ति—लक्षणा आती है और वह भी तट अर्थ को बताकर विरत हो जाती है। तदनन्तर इसी शब्द की तीसरी व्यञ्जना नाम की वृत्ति से शैत्यपावनत्वातिशय की प्रतीति होती है और वह वृत्ति भी अर्थबोध कराकर रुक जाती है। इस प्रकार किसी शब्द के एक व्यापार से एक काल में एक ही अर्थ का बोध होता है। उस शब्द के दूसरे अर्थ का अवबोध दूसरे काल में दूसरे व्यापार से ही होता है।

२. बुद्धि का उदाहरण—रज्जु को देखकर द्रष्टा के अन्दर जब सर्पबुद्धि हो जाती है तो वह बुद्धि उसके अन्दर भय का सञ्चार कराकर विरत हो जाती है तदनन्तर रज्जु को रज्जु ही समझने रूप सम्यक् ज्ञान से ही द्रष्टा में अभयभावना हो सकती है। भय के उत्पादक पहले ज्ञान से इस अभयभावना को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। एक बुद्धि से एक ही प्रकार का कार्य होना सम्भव है दूसरी तरह के कार्य की उत्पादिका दूसरी बुद्धि होती है।

३. कर्म का उदाहरण—कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मुँह पर चपत लगाने के लिए जो प्रयत्न करता है वह एक चपत लगाने के अनन्तर समाप्त हो जाता है दूसरा चपत लगाने के लिए उसे नये सिरे से दूसरा व्यापार करना पड़ेगा। विरत हुए पहले व्यापार को वापिस लाने के लिए चाहे कितना ही प्रयत्न किया जाय वह वापिस नहीं आ सकता और उससे दूसरी बार चपत लगने रूप कार्य की उत्पत्ति होना भी असम्भव है।

तत्रापरार्थप्रत्यये विलम्बाभावात्।

अन्यथा व्यञ्जनायाः किं प्रयोजनम् ? तत्रापि तात्पर्यग्राहकावताराच्च। सशङ्खचक्रो हरिरित्यत्रेन्द्राद्यर्थानवबोधस्तत्र तात्पर्यग्राहकानवतारात् न तु नियन्त्रणादिति चेत्, न। यत्र एकार्थग्राहकं प्रमाणमवतरति नापरार्थे तत्राप्राकरणिकबोधाय व्यञ्जनैव शरणम्। नन्वतिरिक्तव्यञ्जनाकल्पनापेक्षया चरममप्यभिधयैवापरार्थोपस्थितिरास्ताम्।

[एकान्ते सेवते० में दूसरा अर्थ व्यञ्जना से आता है इस प्रकार की उपर्युक्त] यह बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि वहाँ पर दूसरे अर्थ का ज्ञान विलम्ब से नहीं हो रहा है [एक कालावच्छेद से यदि दोनों ही अर्थों की प्रतीति हो जाय] तो फिर व्यञ्जना का क्या प्रयोजन है ? [व्यञ्जना तो आती ही तब है जब वाच्यार्थ के बोध के अनन्तर दूसरे अर्थ की विलम्ब से प्रतीति होती है] यदि इस नियम को मानें तो व्यञ्जना के स्थलों में भी तात्पर्य [वक्तुरिच्छा हि तात्पर्यम्-वक्ता के अभिप्रेतार्थ दूसरे अर्थ के] बोधक संयोगादि के कारण द्वितीयार्थ की प्रतीति [अभिधा द्वारा] माननी पड़ जायेगी।

'सशङ्खचक्रो हरिः' इस स्थल में जो इन्द्रादि अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है उसमें उस अर्थ के बोधक [वक्ता के] तात्पर्य का न होना ही कारण है। न कि शक्ति का नियन्त्रण कारण है।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि जितने भी अनेकार्थक शब्द होते हैं उनमें वक्ता का तात्पर्य देखा जाता है सैन्धवमानय जैसे वाक्यों में प्रकरणानुसन्धान से ज्ञात होता है कि वक्ता का तात्पर्य घोड़े में है या नमक में। इसी प्रकार इस उपर्युक्त उदाहरण के अन्दर वक्ता का तात्पर्य विष्णु अर्थ को बताने में ही है क्योंकि यहाँ विष्णुपरक विशेषणों का प्रयोग है इन्द्रादि अर्थ को बताने का उसका अभिप्राय नहीं है। अतः यहाँ अभिधा के रुक जाने से दूसरे अर्थ की प्रतीति में बाधा नहीं हो रही है किन्तु उस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य न होने के कारण यह बाधा है।

[पूर्वपक्षी की ओर से] यदि यह कहा जाय तो ठीक नहीं है। जहाँ पर संयोगादियों में से एकार्थ का निर्णायक कोई एक ऐसा प्रमाण उपस्थित होता है जो कि अपरार्थ का बोधक नहीं होता वहाँ पर प्रकरणभिन्न अर्थ को बताने के लिए व्यञ्जना ही एकमात्र उपाय है [न कि दूसरी कोई वृत्ति, वस्तुतः अभिधा को रुकना ही पड़ता है]।

पूर्वपक्षी—अभिधा, लक्षणा से अतिरिक्त व्यञ्जनाव्यापार की कल्पना करने की अपेक्षा [ऐसा मानना अधिक ठीक है कि] अन्त में दूसरे अर्थ की प्रतीति भी अभिधा से ही हो जाया करे [इस प्रकार अभिधा से ही दूसरा अर्थ आ जाता है और व्यञ्जना नामक शक्ति न मानने पर लाघव भी हो जायेगा [इसलिए व्यञ्जना को नहीं मानना चाहिए]।

भ्रान्तोऽसि। न हि पदार्थान्तरं किञ्चिद् व्यञ्जना नाम। किन्तु चरममपरार्थोपस्थितिः शैत्यपावनत्वादीनां वा तस्या व्यञ्जनेति नाम स्थाप्यते। केचित्तु अनेनेदं नोक्तमपितु व्यञ्जितमिति प्रतीत्योर्वैलक्षण्यादभिधातो व्यञ्जना पृथक्। यथा अनुमिनोमि न साक्षात्करोमीत्यनुभवबलात् प्रत्यक्षादनुमानं पृथगिति प्राहुः। नव्यास्तु तद्धीजनकत्वमेव व्यञ्जना। सैव सर्वत्र वृत्तिर्नाभिधा न लक्षणा। शक्तिशरीरघटकत्वेन नैयायिकैरपि तस्याः स्वीकारात्। न च

[सिद्धान्ती] यह आपका भ्रम है। वस्तुतः व्यञ्जना नामक कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है परन्तु [अभिधामूला व्यञ्जना में] अन्त में होने वाली किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति अथवा [गङ्गायां घोषः जैसे लक्षणामूला व्यञ्जना के उदाहरणों में] शैत्यपावनत्वादि अर्थों की अन्तिम जो प्रतीति है उसी का व्यञ्जना यह नाम स्थिर कर दिया जाता है।

टि०—सिद्धान्ती का कहना है कि इस प्रकार का प्रतीत हुआ अन्तिम अर्थ व्यञ्जना कहलाता है और इस अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द की वृत्ति को भी व्यञ्जना नाम दिया जाता है। इस अर्थ और इस व्यापार के अतिरिक्त व्यञ्जना का कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है इस कारण व्यञ्जना के न मानने पर किसी प्रकार का लाघव और मानने पर किसी प्रकार का गौरव नहीं होता।

(१) कई आचार्यों का यह कहना है—इसने यह बात [शब्द से] नहीं कही है परन्तु [अर्थ से यह बात] अभिव्यक्त हो रही है इन दोनों प्रतीतियों में परस्पर भेद होने से अभिधा से व्यञ्जना अलग वस्तु है जैसे मैं [इसका] अनुमान कर रहा हूँ [इसे] प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूँ इस प्रकार के पृथक् पृथक् अनुभवों की शक्ति से प्रत्यक्षप्रमाण से अनुमान को पृथक् माना जाता है [इस प्रकार के शब्दव्यवहार से अभिधा और व्यञ्जना में पार्थक्य सिद्ध होता है]

(२) नवीन आचार्य तो ऐसा कहते हैं—उन अर्थों अर्थात् शब्दप्रतिपाद्य वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थों का उत्पादक व्यापार ही व्यञ्जना कहलाता है। [इस प्रकार इनके मत में अर्थमात्र की प्रत्यायिका बुद्धि—शब्दनिरूपितार्थबोधजनकत्वं व्यञ्जकत्वम् का नाम व्यञ्जना है]। वही व्यापार सब जगह है वह न अभिधा है और न लक्षणा है। और शक्ति के स्वरूप-लक्षण की घटिका—निर्मापिका के रूप में नैयायिकों ने भी इस व्यञ्जना को स्वीकार किया है।

टि०—नव्यास्तु पदार्थान्तरस्यैवाङ्गीकारादिति वदन्ति तक नवीन आचार्यों का व्यञ्जना का समर्थन करने वाला मत यहाँ ग्रन्थकार ने दिखाया है। नवीनों का अभिप्राय है कि यद्यपि नैयायिक व्यञ्जना नाम के किसी तत्त्व को स्वीकार नहीं करते हैं परन्तु वह अर्थ और शब्द के आपसी सम्बन्ध को शक्ति रूप में स्वीकार

कथं तर्हि शास्त्रे अभिधादिव्यवहार इति वाच्यं यदा सैव व्यञ्जना अनुशासनेनानुशिष्यते तदाऽभिधेति व्यवह्रियते ।

यदा च मुख्यार्थबाधानन्तरमन्यार्थप्रतिपत्तिस्तदा लक्षणेति व्यवहारः । यदा च बाधितार्थबोधिका तदा व्यञ्जनेत्याश्रयणात् । ननु तद्बीजनकत्वमित्यत्र जनकत्वं फलोपधानं स्वरूपयोग्यत्वं वा । नाद्यः । तस्य पूर्वं ज्ञातुमशक्यत्वात् ।

करते हैं। पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः—इस नियम का अनुसरण करते हुए वह अभिघा और लक्षणा इन दो शक्तियों को मानते हैं। नवीनों का कहना है कि जैसे गङ्गायां घोषः इस वाक्य में प्रवाह रूप अर्थ की बोधिका शक्ति को अभिधा के रूप में नैयायिक विद्वान् मानते हैं और मुख्यार्थवाधोत्तर तत्सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति वे लक्षणा व्यापार से मानते हैं वैसे ही शैत्यपावनत्वादिरूप चरम अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्तिस्वरूपघटिका (शक्तिरूपिणी) इस व्यञ्जना को भी उन्हें मान लेना चाहिए।

[सभी अर्थों को बताने वाली व्यञ्जनावृत्ति ही एकमात्र वृत्ति है यदि यही माना जाय तो] विभिन्न शास्त्रों में अभिधा और लक्षणा वृत्तियों का प्रयोग क्यों देखा जाता है? इस प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिए। [जब वही व्यञ्जना अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः अथवा एष शब्द इममर्थं वोधयति इस प्रकार के] अनुशासन—सङ्केतग्रह के नियम से साक्षात् सङ्केतित अर्थ का बोध कराती है तो उस समय उसका अभिधा नाम से व्यवहार होता है। और जब [गङ्गायां घोषः जैसे उदाहरणों में] मुख्यार्थवाध के अनन्तर [मुख्यार्थातिरिक्त] दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है तो [इस अर्थ की बोधिका इस व्यञ्जना का] लक्षणा के रूप में नाम रख दिया जाता है और जब वह तीर में वाधित शैत्यपावनत्वादिरूप अर्थ की प्रतीति कराती है तो वह व्यञ्जना होती है। इस प्रकार की युक्ति के आधार पर शास्त्र में व्यवहार होता है [वस्तुतः व्यञ्जना के ही यह तीनों रूप हैं]।

'तद्बीजनकत्वम्' शैत्यपावनत्वादि व्यङ्ग्यार्थ का बोध कराने वाली व्यञ्जना होती है यदि आप ऐसा कहते हैं तो यहाँ जनकत्व का अर्थ शैत्यपावनत्वादि व्यङ्ग्यार्थ रूप फल का प्रत्यायक होना है या स्वरूप—लक्षण के ज्ञान के योग्य होना अर्थात् व्यञ्जना के लक्षण को प्रदर्शित करना है। इन दोनों में से पहला अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि उस फल का ज्ञान पहले नहीं प्रतीत होता है।

टि०—नवीनों पर आक्षेप करते हुए कोई पूर्वपक्षी कह सकता है कि आपने जो 'तद्बीजनकत्वमेव व्यञ्जना' यह व्यञ्जना का लक्षण बताया है इससे वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य तीनों अर्थों को बताने वाली व्यञ्जना होती है—यह आप का अभिप्राय है। इसके अनुसार जब यह व्यञ्जना केवल शैत्यपावनत्वादिरूप व्यङ्ग्यार्थ की बोधिका बनती है तब उपर्युक्त दो विकल्पों में आपत्ति की जा सकती है।

नान्यः। तथा सति स्वरूपयोग्यतावच्छेदकस्य कस्यचिद् वक्तव्येन शक्यादि-रङ्गीकरणीय एवेति चेत्, न, जनकत्वस्य पदार्थान्तरस्यैवाङ्गीकारादिति वदन्ति।

यहाँ आक्षेपकर्त्ता का यह अभिप्राय है—एक ही वृत्ति एक समय में तीनों अर्थों का ज्ञान नहीं करा सकती जिसने पहले वाच्यार्थ का बोधन कराया हुआ है वह लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ दोनों का ज्ञान नहीं करा सकती है। पहले वाच्यार्थ का ज्ञान होता है उसका बाध होने पर लक्ष्यार्थ ज्ञात होता है तदनन्तर व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञान होता है। व्यञ्जना तुरन्त ही सबसे पहले व्यङ्ग्यार्थ का बोध नहीं करा सकती।

और दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है वैसा मानने पर किसी स्वरूपयोग्यता-वच्छेदक को कहना पड़ेगा। [लक्षण करते समय उसका शक्यतावच्छेदक अन्यूना-तिरिक्त धर्म बताना होता है और पहले] किसी शक्य अर्थात् शक्तिलभ्यार्थ को मानना पड़ता है तदनन्तर किसी शक्यतावच्छेदक को स्वीकार किया जा सकेगा।

टि०—पूर्वपक्षी की शङ्का है कि दूसरे विकल्प में यदि व्यञ्जना के 'तद्धी-जनकत्वमेव व्यञ्जना' इस लक्षण को व्यञ्जना का स्वरूपाधायक माना जाय तो यह अर्थ करना पड़ेगा—व्यञ्जना की बुद्धि को उत्पन्न करने वाली ही व्यञ्जना होती है इस प्रकार यहाँ यह पता नहीं चलता है कि व्यञ्जना शब्द का शक्यार्थ (वाच्यार्थ—संकेतितार्थ) क्या है? और जब शक्य के स्वरूप का ही निर्णय नहीं हुआ है तो उसके शक्यतावच्छेदक—अनुगमक धर्म (इतरव्यावर्तक विशेष धर्म) का ज्ञान कैसे सम्भव है? इस प्रकार दोनों ही विकल्पों में व्यञ्जना से युगपत् फल की प्रतीति और लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है इस कारण तद्धीजनकत्वमेव व्यञ्जना यह व्यञ्जना का लक्षण ठीक नहीं है]।

यदि [उपर्युक्त रीति से पूर्वपक्षी का] ऐसा कहना है तो नवीनाचार्य इसका इस प्रकार से उत्तर देते हैं—

उपर्युक्त आक्षेप ठीक नहीं है क्योंकि जनकत्व जन्य से पृथक् दूसरे पदार्थ के रूप में ही माना जाता है ऐसा आचार्य कहते हैं।

टि०—आक्षेपकर्त्ता ने पहले विकल्प में कहा है कि एक ही वृत्ति एक समय में तीनों अर्थों का बोध कैसे करा सकती है? इस लिए तद्धीजनकत्वमेव व्यञ्जना यह परिभाषा ठीक नहीं हैं इस पर नवीनों की ओर से कहा जा सकता है कि यदि हम ऐसा मानते कि एक ही वृत्ति वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य रूप अर्थों को बोधित कराती है तो पूर्वपक्षी की बात सङ्गत होती किन्तु हमने व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति के लिए पृथक् ही एक व्यञ्जना व्यापार को माना है इसलिए उसमें व्यङ्ग्यव्यञ्जक का पौर्वापर्य न्यायसङ्गत है। हम अलग २ वृत्ति से अलग २ अर्थ की प्रतीति मानते हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना वृत्ति से उत्पन्न उनके वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य यह त्रिविध अर्थ पृथक् होते हैं। यद्यपि अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना ये तीनों ही नाम तात्त्विक दृष्टि से व्यञ्जना के ही नाम हैं परन्तु भिन्न २ काल में भिन्न २

अतिनवीनास्तु व्यञ्जनाया[1] अनुमानान्यथासिद्धिः, युज्यते च। एवं च लाघवमपि भवति। हेतुज्ञानादीनां ज्ञानत्वेनैव जनकत्वाङ्गीकारसम्भवात्।

स्वरूप को धारण करते समय भिन्न २ नामों के होने में कोई दोष नहीं आता है। जैसे एक नट अनेक भूमिकाओं को करते समय अनेक रूपों को धारण कर लेता है वैसे एक व्यञ्जना ही पृथक् पृथक् काल में पृथक् २ रूप धारण कर लेती है और अलग २ तरह के अर्थों को अलग २ अवसरों पर प्रकट कर देती है। एक ही लगुड से समय समय पर सर्पमारण, घटचक्रचालन और पशुताडन आदि अनेक कार्य हो जाया करते हैं।

आक्षेप करते हुए पूर्वपक्षी ने दूसरे विकल्प में कहा था तद्धीजनकत्वमेव व्यञ्जना—व्यञ्जना की बुद्धि को ही उत्पन्न करने वाली व्यञ्जना है इस परिभाषा में व्यङ्ग्यार्थ और व्यञ्जना का अभेद जैसा हो जाता है और फिर शक्यतावच्छेदक को ढूंढना कठिन हो जाता है। इसके उत्तर में नवीनों की ओर से कहा जा सकता है क्योंकि जन्य से अर्थात् कार्य से जनक अर्थात् कारण पृथक् रूप में स्वीकार किया जाता है इसलिए जन्यभूत व्यञ्जना बुद्धि और उसकी जनिका व्यञ्जना शक्ति में अभेद नहीं हो सकता दोनों ही पृथक् २ पदार्थ हैं। जैसे दण्ड, चक्र, सलिल और कुलाल यह सब निमित्त कारण अपने कार्य घट से पृथक् होते हैं वैसे ही व्यङ्ग्यार्थ-बोधिका व्यञ्जना भी निमित्त कारण होने से व्यङ्ग्यार्थ से पृथक् होती है। इसलिए इन दोनों का पार्थक्य सिद्ध होने पर शक्य और शक्यतावच्छेदक ढूंढने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसी प्रकार लक्ष्य में लक्ष्यतावच्छेदक और व्यङ्ग्य में व्यङ्ग्यतावच्छेदक ढूंढने में भी सरलता हो जायेगी। 'गङ्गायां घोषः' में शीतता और पावनता व्यङ्ग्यार्थ हैं और शीतत्व और पावनत्व अवच्छेदक हैं।

अतिनवीनों का कहना है कि व्यञ्जना की अनुमान से ही अन्यथासिद्धि [व्यर्थता] हो जाती है अर्थात् अनुमान के अन्दर व्यञ्जना का अन्तर्भाव हो जाता है। और यह ठीक भी है इस तरह [व्यञ्जना को पृथक् शक्ति न मानने पर] लाघव भी होता हैं क्योंकि हेतुज्ञानादियों के ज्ञानमात्र से ही उनकी जनकता को मानना सम्भव है और क्योंकि व्यञ्जना में किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत अंश में [साधन या हेतु की स्थिति से युक्त होकर ही] व्यञ्जकत्व रहता है अर्थात् इस प्रकार व्यञ्जना की व्यञ्जकहेतुता सिद्ध हो जाती है। [व्यञ्जना को एक प्रकार का हेतु मान लेने और उससे प्रतीत होने वाले व्यङ्ग्यार्थ को हेतुमान् मानने से अनुमान में ही व्यञ्जना का अन्तर्भाव हो जाता है यह अतिनवीन आचार्यों का मत है]।

टि०—अनुमान में ध्वनि का अन्तर्भाव करने वाले व्यञ्जनाविरोधी इन अति-नवीन आचार्यों का यह अभिप्राय है कि जैसे हेतु के ज्ञानमात्र से किसी हेतुमान् की

---

१. अ, व्यञ्जना ज त

व्यञ्जनाया यथाकथञ्चित् सम्भावनामात्रादेव व्यञ्जकत्वादिति वदन्ति ।

यत्तु गतोऽस्तमर्क इति वाक्यश्रवणाद् वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्यान्नानार्थोपस्थितिर्व्यञ्जनयैवेति वदन्ति तच्चिन्त्यम्, एकसम्बन्धिज्ञानादपरसम्बन्धिस्मरणवदुपपत्तेः । न हि गजदर्शनोत्तरमाधोरणस्मरणेऽपि वृत्तिमङ्गीकुर्म इत्यलं पल्लवितेन ।

जन्यता उस हेतु से सिद्ध हो जाती है इसी प्रकार व्यञ्जना के जानने भर से ही व्यङ्ग्यार्थ रूप कार्य और व्यञ्जकता रूप जनकता (हेतुरूपता) सिद्ध हो जाती है। जैसे 'पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमात्' यहाँ पर धूम रूप हेतु के ज्ञान से ही उसकी कार्यजनकता अर्थात् साध्यसाधकता का ज्ञान हो जाता है धूमात् कहने से इस बात का अवबोध हो जाता है कि यह किसी का साधक है। और जैसे अनुमान में वह्नि और धूम का साध्यसाधकभाव है वैसे ही व्यङ्ग्यार्थ और व्यञ्जना में विद्यमान व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव भी हेतुहेतुमद्भाव का ही रूप है और अनुमान का ही एक भेद है। इस प्रकार व्यञ्जना में अनुमान का अंश रहने से इन दोनों में अपार्थक्य है। इनको एक मानने पर व्यञ्जना नामक पृथक् वृत्ति न मानने पर लाघव भी हो जाता है।

और जो—'गतोऽस्तमर्कः' सूर्य छिप गया है इस वाक्य को सुनने से वक्ता, बोद्धा और चेष्टा आदि की विशेषता के कारण नाना अर्थों की उपस्थिति व्यञ्जना से ही होती है—जो इस प्रकार का मत है वह दूषित है क्योंकि एक सम्बन्धी [हस्ती] के ज्ञान से तत्सम्बद्ध इतर सम्बन्धियों [हस्तिपक आदियों] की जैसे स्मृति हो जाती है [इसके लिए किसी वृत्त्यन्तर को मानने की आवश्यकता नहीं होती] वैसे ही 'गतोस्तमर्कः' इस वाक्य के सूर्य छिप गया है इस वाच्यार्थ का अभिधा से ज्ञान हो जाने पर तत्सम्बन्धी इतरार्थ का भान स्मरण से हो जाता है [किसी वृत्त्यन्तर को माने विना ही काम चल सकता है] और न ही हम हाथी को देखने के बाद उस हाथी के साथ सम्बद्ध हस्तिपक के ज्ञान के स्मरण में और किसी वृत्ति को स्वीकार करते हैं। [इस प्रकार इस व्यञ्जनाविरोधी] मत को अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

टि०—नियम यह है कि एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्—दो परस्पर सम्बद्ध पदार्थों का जब पहले ज्ञान हो जाता है तो उनमें से किसी एक को अलग देखते समय दूसरे का ज्ञान स्मरणमात्र से हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हाथी और महावत को एक बार इकट्ठा देख लिया है तो कालान्तर में जब वह अकेले हाथी या अकेले महावत को देखता है तो उस हाथी को देखते समय दूसरे प्राणी महावत का अथवा महावत को देखते समय हाथी का स्वतः स्मरण हो जाता है इसके लिए अन्य किसी प्रकार के व्यापार की कल्पना नहीं की जाती। इसी प्रकार 'गतोऽस्तमर्कः' इस वाक्य को सुनने के बाद श्रोता को सूरज छिप गया है इस वाच्यार्थ की प्रतीति अभिधा से हो जाती है और इस अर्थ से सम्बद्ध—प्रिय अभी आने वाले

हैं इस अर्थ की प्रतीति स्मृति से ही अपने आप हो जाती है। इसके लिए अभिधा के अतिरिक्त और किसी वृत्ति को मानने की क्या जरूरत है ?

यहां ग्रन्थकार आचार्य विश्वनाथ ने सबसे अन्त में अतिनवीनों का व्यञ्जना-विरोधी मत दिखलाया है। यह मत 'अतिनवीनास्तु' से आरम्भ होता है और 'वृत्ति-मञ्जीकुर्मः' पर समाप्त होता है। 'इत्यलं पल्लवितेन' यह उक्ति सिद्धान्ती (ग्रन्थकार) की है। तीनों हस्तलिखित प्रतियों में से जम्मू और तिरुपति वाली ज और त दो प्रतियों में यह पाठ मिलता है—अतिनवीनास्तु व्यञ्जनया अनुमानान्यथासिद्धिः। अलवर की हस्तलिखित प्रति में व्यञ्जनाया अनुमानान्यथासिद्धिः पाठ मिलता है यदि 'ज त' पाठ के अनुसार अर्थ करना आरम्भ करते हैं तो अगली पङ्क्तियों का अर्थ लगाना कठिन हो जाता है और आगे जाकर 'यत्तु गतोऽस्तमर्क'''व्यञ्जनयैवेति वदन्ति तच्चिन्त्यम्' इस पाठ से तो यह स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ अनुमान-वादियों की ओर से ही व्यञ्जना का खण्डन किया जा रहा है। अतः यहाँ 'अति-नवीनास्तु व्यञ्जनाया अनुमानान्यथासिद्धिः' यही पाठ स्वीकार करके अतिनवीन अनुमानवादियों का पक्ष प्रस्तुत किया है। 'इत्यलं पल्लवितेन' कहकर ग्रन्थकार ने इन अतिनवीनवादियों के मत का खण्डन मौन रहकर किया है। आचार्य विश्वनाथदेव ने इससे पहले ही अभिधावादी, लक्षणावादी और अनुमानवादी का खण्डन बड़े विस्तार से दिखा दिया है और बड़ी अकाट्य युक्तियों का प्रयोग किया है। अति-नवीनों के मत को उन्हीं पूर्वोक्त युक्तियों के आधार पर काटा जा सकता है यह मानकर उन्होंने यहाँ नये सिरे से इस मत का खण्डन करने की आवश्यकता नहीं समझी है।

'अतिनवीनास्तु व्यञ्जनाया अनुमानान्यथासिद्धिः' का यह अभिप्राय है—अतिनवीन आचार्यों का यह मत है कि व्यञ्जना की अनुमान के द्वारा अन्यथासिद्धि हो जाती है अर्थात् अनुमान के रहते हुए व्यञ्जना की अन्यथासिद्धि (व्यर्थता—अनपेक्षिता) होने के कारण व्यञ्जना शक्ति को अलग से मानना व्यर्थ है। अन्यथासिद्ध पदार्थ का विशेष धर्म ही अन्यथासिद्धि है। 'येन विना यन्न अनुपपन्नं तदन्यथासिद्धम्' जिसके बिना कोई काम न रुके इस प्रकार का व्यर्थ कारण अन्यथासिद्ध कहलाता है जैसे घटोत्पत्ति रूप कार्य में रासभ अन्यथासिद्ध कारण है। मिट्टी लाने का कार्य गधे के स्थान पर मनुष्य भी कर सकता है। यदि मिट्टी पास ही है तो कुम्हार उसे स्वयं भी ला सकता है। अतः गधे की इस घटोत्पत्ति रूप कार्य में अनिवार्य रूप में उपयोगिता न होने से वह अन्यथासिद्ध कारण है किन्तु दण्डचक्रचीवरादि की घटोत्पत्ति में अनिवार्य रूप से उपयोगिता होने के कारण वह सब वस्तुएँ अनन्यथासिद्ध हेतु होती हैं। स्थूल रूप से अन्यथासिद्धि का अर्थ व्यर्थता किया जा सकता है इस प्रकार अनुमानवादी का कहना है कि अनुमान के रहते हुए व्यञ्जना की व्यर्थता है। अतः गतोऽस्तमर्कः जैसे स्थलों में द्वितीयार्थ (प्राप्तप्रायः प्रेयान् आदि अर्थ) की प्रतीति अनुमान से ही हो

जाती है। अपने इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए इन्होंने यह तीन युक्तियाँ उपस्थित की हैं—

१. हेतुज्ञानादीनां ज्ञानत्वेनैव जनकत्वाङ्गीकारसम्भवात् ।

२. व्यञ्जनाया यथाकथञ्चित्सम्भावनामात्रादेव व्यञ्जकत्वात् ।

३. एकसम्बन्धिज्ञानादपरसम्बन्धिस्मरणवदुपपत्तेः । न हि गजदर्शनोत्तरमाधोरण-स्मरणेऽपि वृत्तिमङ्गीकुर्मः ।

जैसा कि यहाँ पहले निर्देश कर चुके हैं—इत्यलं पल्लवितेन कहकर ग्रन्थकार ने मौन रहकर ही अनुमानवादियों के मत का खण्डन करना अधिक उचित समझा है 'इत्यलं पल्लवितेन' से अभिप्राय है कि अनुमानवादियों के मत को काटने के लिए अब नये सिरे से नई युक्तियाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इससे अनावश्यक विस्तार हो जायेगा। अतः ऊपर दी हुई युक्तियों के आधार पर ही उनके मत का खण्डन समझा जा सकता है। वस्तुतः बात भी यही है। ग्रन्थकार ने इन व्यञ्जनाविरोधी मतों को प्रारम्भ में ही—केचित्तु यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति न्यायाद् व्यङ्ग्ये अर्थे शक्तिरेव, परे तु लक्षणयैव व्यञ्जनान्यथासिद्धिः 'तार्किकास्त्वनुमानेनेति' (पृ०५१-५०) इन शब्दों में रखा है और उसके बाद प्रत्येक मत का खण्डन किया है। नव्यास्त तद्बोजनकत्वमेव व्यञ्जना सैव सर्वत्र वृत्तिर्नाभिधा न लक्षणा (पृ० ६७) कहकर नवीनों के मत को दिखा दिया है और इनके मत से ग्रन्थकार सर्वथा सहमत भी हैं इस कारण 'नव्यास्तु' से आरम्भ करके पदार्थान्तरस्यैवाङ्गीकारादिति वदन्ति पर्यन्त (पृ० ६७-६९) इनके मत का प्रतिपादन ही किया है और खण्डन करने की आवश्यकता ही नहीं समझी है। किन्तु 'अतिनवीनास्तु से लेकर अङ्गीकुर्मः (पृ० ७०-७१) तक दिये हुए मत के प्रति असहमति होने के कारण इसका उल्लेख करके ही छोड़ दिया है। इस बात की पुष्टि एक तो पूर्वापरसङ्गति को देखकर हो जाती है क्योंकि नव्यों के मत के प्रतिपादन से पहले वह अनुमानवादियों के मत का युक्तिपूर्वक खण्डन कर आये हैं और इत्यलं पल्लवितेन के तुरन्त बाद ही लिखे गये श्लोक में उन्होंने व्यञ्जना की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है इस अपरसङ्गति से भी स्पष्ट है कि ग्रन्थकार स्वयं व्यञ्जनावादी ही हैं और यहाँ अतिनवीनों का पक्ष दिखला भर दिया है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि 'अलं पल्लवितेन' इस कथन से यह अर्थ निकल रहा है कि इस प्रकार के अनावश्यक और युक्तिविहीन मत की और अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अप्रिय प्रसङ्ग के बार २ कहने से मानसिक खेद ही होता है।

अतिनवीनवादी की ओर से दी गई उपर्युक्त युक्तियों का खण्डन व्यञ्जना-वादियों की युक्तियों के आधार पर इस प्रकार किया जा सकता है—

१. हेतुज्ञानादीनां ज्ञानत्वेनैव जनकत्वाङ्गीकारसम्भवात्=हेतु के ज्ञानादियों के ज्ञानमात्र से ही उनकी जनकता को मानना सम्भव है। जैसे हेतु के ज्ञानमात्र से

ही किसी हेतुमान् की जन्यता उस हेतु से सिद्ध हो जाती है इसी प्रकार व्यञ्जना के जानने भर से ही व्यङ्ग्यार्थ रूप कार्य और व्यञ्जकता सिद्ध होती है। इस प्रकार अनुमानवादी की युक्ति से व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञान अनुमान से हो जाता है यही बात सिद्ध होती है। 'भम धम्मिम अ' जैसे स्थलों में व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव न होकर हेतुहेतुमद्भाव या अनुमाप्यानुमापकभाव ही होता है इतनी ही बात अनुमानवादी के पक्ष में सिद्ध होती हैं किन्तु व्यञ्जनावादी (काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थों में) कहते हैं सिंहोपलब्धि यह एक हेतु अनैकान्तिक, विरुद्ध और स्वरूपासिद्ध रूप में तीन प्रकार का हेत्वाभास होने से साध्य (व्यङ्ग्यार्थ) का अनुमान कैसे करा सकता है? अतः अतिनवीनों की इस अतिनवीन युक्ति से व्यञ्जनावादियों के सिद्धान्त पर कोई आँच नहीं आती क्योंकि अनुमानवादियों के पक्ष में हेत्वाभास का दोष पूर्ववत् ही बना रहता है।

२. व्यञ्जनाया यथाकथञ्चित्सम्भावनामात्रादेव व्यञ्जकत्वात्—क्योंकि व्यञ्जना में किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत अंशमें साधन या हेतु की स्थिति से युक्त होकर ही व्यञ्जकत्व रहता है। इस कारण इस व्यञ्जकत्व हेतु को व्यङ्ग्यार्थ रूप हेतुमान् का साधन माना जा सकता है और इस प्रकार व्यञ्जना को अनुमान ज्ञान का ही एक प्रकार बताया जा सकता है। किन्तु अनुमानवादियों की ओर से यह कहा जाना ठीक नहीं है कि व्यञ्जनावादियों का यथाकथञ्चित् सम्भावना मात्र से काम चल जाता है वस्तुतः किसी भी अर्थ से दूसरे किसी भी प्रकार के अर्थ की व्यञ्जना तब तक नहीं हो पाती जब तक एक अर्थ से दूसरे अर्थ के ज्ञान होने में वक्ता, बोद्धा, प्रकरण आदि का वैशिष्ट्य विशेष आधार नहीं बनता है। अन्यथा पूर्वो धावति का अर्थ भी अपरो धावति होने लगेगा। यदि सब वाक्यों की सब में व्यञ्जना हो जाये तो सारे काव्यजगत् में आकुलीभाव हो जायेगा और अर्थों में अस्तव्यस्तता, अस्थिरता और अस्पष्टता आ जायेगी। और यदि दुर्जनतोषन्याय से यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि व्यञ्जना जिस किसी प्रकार की सम्भावनामात्र से (अर्थात् सब तरह की सम्भावना और सब तरह की कल्पनामात्र से) इतरार्थ का बोध करा देती है तो इससे यह बात तो सिद्ध नहीं होती कि इतने मात्र से ही व्यञ्जना में साध्य-साधकता या हेतुहेतुमद्भाव हो जाता है। वस्तुतः ऐसे स्थलों में व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव ही होता है। 'भम धम्मिअ वीसद्धं' में वाच्यार्थ व्यञ्जक है और निषेधार्थ व्यङ्ग्यार्थ है। वस्तुतः अनुमान में तो किसी विशेष प्रकार के धूमादि साधन से किसी विशेष प्रकार के वह्न्यादि साध्य का निश्चित रूप से अनुमान किया जाता है किन्तु व्यञ्जना में अन्यार्थ के ज्ञान के लिए किसी विशेष प्रकार के (वक्तृबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य से अतिरिक्त) साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक कि वर्ण पद, पदांश, वाक्य इत्यादि की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि अक्षि-सञ्चालन, भुजविक्षेप आदि चेष्टाओं से भी व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञान हो जाता है। इस कारण व्यञ्जना में रहने वाले यथाकथञ्चित् व्यञ्जकत्व को साधन रूप में बरतकर

अनुमान ज्ञान के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं किया जा सकता।

३. एकसम्बन्धिज्ञानादपरसम्बन्धिस्मरणवदुपपत्तेः । न हि गजदर्शनोत्तरमाधोरणस्मरणेऽपि वृत्तिमङ्गीकुर्मः । जैसे एक सम्बन्धी (हस्ती) के ज्ञान से तत्सम्बद्ध (हस्तिपक) की स्मृति हो जाती है उसके लिए किसी वृत्त्यन्तर को मानने की आवश्यकता नही होती वैसे ही गतोऽस्तमर्कः इस वाक्य में वाच्यार्थ का ज्ञान अभिधा से होने के वाद यह अर्थ अपने से सम्बद्ध 'प्राप्तप्रायः प्रेयान्' इस अर्थ का स्मरण करा देता है और इस प्रकार व्यञ्जना जैसी अलग वृत्ति से न मानकर स्मृति से स्वतः दूसरे अर्थ का ज्ञान मान लेना चाहिए यह अनुमानवादी का अभिप्राय है। इसके खण्डन में व्यञ्जनावादियों की ओर से कहा जा सकता है कि स्मृति भी शाब्दबोध में हेतु होती है इस कथन में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं हैं आज तक किसी आचार्य ने नहीं माना है कि स्मृति (या स्मरण) भी किसी प्रकार से वाच्यार्थ, व्यङ्ग्यार्थ अथवा अन्य किसी अर्थ को वताती है। वस्तुतः स्मृति से तो वाच्यार्थ तक का ज्ञान होना भी कठिन है व्यङ्ग्यार्थ तो और भी आगे की बात है। गजदर्शन के वाद हस्तिपक की स्मृति अपने आप हो जाती है अतः इस मत में जरा भी दम नहीं है क्योंकि इस प्रकार के स्मरण से यदि सर्वत्र शाब्दवोध होने लगे तब तो नया झमेला पैदा हो जायेगा। हाथी को देखकर यदि पीलवान की स्मृति हो जाती है तो उसे देखकर उसके निवास स्थान पर पड़े हुए मूत्र पुरीष आदि की भी स्मृति होने से उनका भी ज्ञान हो सकता है किन्तु इस प्रकार के जाने गये अनपेक्षित ज्ञान की न तो कोई उपयोगिता है और न ही किसी प्रकार की सार्थकता या प्रामाणिकता है। यह स्मरणजन्य ज्ञान सन्दिग्ध, अस्पष्ट और अनैकान्तिक रहेगा। दूसरी बात यह है कि यह उक्ति 'शाब्दी ह्याकाङ्क्षा शब्देनैव पूर्यते' इस प्रसिद्ध नियम के विपरीत पड़ती है। इस नियम के द्वारा यह वात समझाई जाती है कि जो आकाङ्क्षा शब्द द्वारा समझाने योग्य है वह किसी शब्द के प्रयोग के द्वारा ही समझाकर पूरी की जाती है। उदाहरणार्थ कोई प्यासा व्यक्ति जव तक अपने मुख से 'पानी लाओ' इन शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा तव तक उसकी जल ही लेने की आकाङ्क्षा है दूध या चाय लेने की नहीं इस प्रकार का न तो निश्चयात्मक ज्ञान ही होगा और न ही श्रोता तदनुरूप कार्य ही करेगा। पानी लाओ, इन मुखोच्चारित पदों के ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को जैसे स्मृति ज्ञान नहीं माना जाता वैसे ही 'गतोऽस्तमर्कः' जैसे वाक्यों के श्रवण के वाद हुआ ज्ञान भी स्मृति के अन्तर्गत नहीं आता इसके अतिरिक्त स्मृति प्रतीतमात्र अर्थ को वताती है जब कि शब्दजन्य ज्ञान वृत्तिजन्य ज्ञान को ही बताते हैं। यदि स्मृतिजन्य ज्ञान की भाँति वृत्तिजन्य ज्ञान को भी प्रतीतमात्र में मानने लग जायें तो पूर्वो धावति का अर्थ अपरो (पश्चाद्वर्ती) धावति भी मानना पड़ जायेगा क्योंकि यहाँ इस वाक्यार्थ का भी स्मरण होता है। साहित्यदर्पणकार ने भी स्मृति नं रसादिधीः (सा० द० ५, ४) कहकर व्यञ्जना का स्मृति में अन्तर्भाव करने वाले इन अनुमानवादियों के मत का खण्डन किया है।

प्रत्युज्जीवयति स्वकीयविभवैः शक्त्या परं कुण्ठितं
नानार्थैः सरसीकरोति सहसा सामाजिकानां मनः ।
बाधाद् भीतिरहो फलग्रहिलया त्यक्ता परं दूरतः
सेयं वारविलासिनीव विदुषामास्ते हृदि व्यञ्जना ॥२०॥

इति श्रीसाहित्यसुधासिन्धौ द्वितीयस्तरङ्गः ।

अतः पूर्वापर प्रसङ्ग को दृष्टि में रखकर यह कहा जा सकता है कि व्यञ्जनावादी सिद्धान्ती अतिनवीनों के व्यञ्जनाया अनुमानान्यथासिद्धिः इस ध्वनि विरोधी सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हैं ।

१. व्यञ्जनापक्ष—[जो व्यञ्जना] अभिधा शक्ति से अत्यधिक जड़ बने हुए सहृदयों के मन को अपने चमत्कार भरे सामर्थ्यों अथवा अपनी महत्ताओं से पुनरुज्जीवित—प्रफुल्लित कर देती है और अकस्मात् ही अनेक अर्थों से युक्त करके [पहले नीरस बने हुए] उसे सरस बना देती है । और आश्चर्य तो यह है कि [पश्य निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका । मरकतभाजनपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव काव्यप्रकाश २, ८ जैसे स्थलों में अनेकविध व्यङ्ग्यार्थ रूप] फल को ग्रहण करने वाली जिसने मुख्यार्थ के बाध के भय को दूर से ही छोड़ दिया है अर्थात् जिसमें मुख्यार्थ का बाध होता ही नहीं है इस प्रकार की यह अभिधामूला व्यञ्जना [रसध्वनि) विद्वानों के हृदय में [विलासियों के हृदय में रहने वाली] वेश्या के समान होकर रहती है ।

२. वेश्यापक्ष—वेश्या सम्भोग सामर्थ्य से सर्वथा रहित विलासियों के मन को हावभावादि रूप अपनी शक्तियों से—अदाओं से पुनरुज्जीवित [फिर से जवान अर्थात्] आलिङ्गनचुम्बनादि के लिए सक्षम बना देती है और फिर अचानक उसे कामसम्बन्धी बहुविध भावों से युक्त करके शृङ्गार रस से परिपूर्ण कर देती है । और वह धनादि रूप फल को ग्रहण करने की इच्छा से लोकापवाद रूप बाधा से उत्पन्न भय का दूर से परित्याग कर देती है । ऐसी वेश्या चतुर और रसिक विलासियों के हृदय में विद्यमान रहती है ।

इस प्रकार श्रीसाहित्यसुधासिन्धु में द्वितीय तरङ्ग समाप्त हुई ।

—०—

तृतीयस्तरङ्गः

अथ ध्वन्यवान्तरभेदमाह—

यत्र वाच्यविवक्षा नो तात्पर्यविषयान्वये ।
अर्थान्तरसमालम्बात्तिरस्काराच्च स द्विधा ॥२१॥

तिरस्कारश्च शक्यस्य सर्वथा अनन्वयित्वादन्वयाप्रतियोगित्वम् ।

इसके बाद ध्वनि के अवान्तर भेदों—भेदोपभेदों को ग्रन्थकार कहते हैं [पहले यहाँ लक्षणामूल ध्वनि के भेद बताये गये हैं] ।

जिस ध्वनि में वाच्यार्थ की विवक्षा न हो [वाच्यार्थ बताना वक्ता को अभीष्ट न हो और उसमें] तात्पर्यभूत [वक्ता के अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति करने वाले व्यङ्ग्य रूप] विषय के साथ अन्वय [सङ्गति] के लिये [वाच्यार्थ या तो] दूसरे अर्थ का आलम्बन बने [अथवा उसका] तिरस्कार हो जाय तो वह [ध्वनि] दो प्रकार की होती है [इस प्रकार इस ध्वनि के अर्थान्तरसङ्क्रमित और अत्यन्ततिरस्कृत यह दो भेद होते हैं] ॥२१॥

[कारिका में कहे गये] तिरस्कार शब्द का अभिप्राय [लक्ष्यार्थ के साथ] वाच्यार्थ के पूर्णतया अनन्वयी—अन्वित न होने के कारण वाच्यार्थ का अन्वय—विशेषण न हो पाना है ।

टि०—प्रतियोगी का अभिप्राय विशेषण है और अनुयोगी का विशेष्य है। गङ्गायां घोषः' जैसे वाक्यों में वाक्यार्थ प्रवाह और लक्ष्यार्थ गङ्गातीर इन दोनों अर्थों में प्रतियोग्यनुयोगिभाव अर्थात् विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि यहाँ घोषाधिकरणत्व रूप कार्य में वाच्यार्थ प्रवाह का सर्वथा सम्बन्ध नहीं है। विशेष्य-विशेषणसम्बन्ध दोनों में समानाधिकरण होने पर रहता है। यहाँ शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ में स्वसामीप्यभावसम्बन्ध (स्व=प्रवाह और उसका सामीप्य तीर में रहता है) तो है किन्तु वह विशेष्यविशेषणभाव रूप में नहीं है। दो पदार्थों में समाना-धिकरण रूप सम्बन्ध का न होना अनन्वय का अर्थ हैं। 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि वाक्यों में तो समानाधिकरणता होने से चन्द्रप्रतियोगिक मुखानुयोगिक शाब्दबोध होता है किन्तु यहाँ शक्यार्थ प्रवाह और लक्ष्यार्थ तीर की समानाधिकरणता नहीं है अतः यहाँ पर प्रवाहप्रतियोगिक तटानुयोगिक शाब्दबोध नहीं होता है ।

व्यङ्ग्यं यत्र चमत्कारि मुख्यार्थाबाधपूर्वकम् ।
विबुधैरभिधामूलः स ध्वनिः परिकीर्तितः ॥२२॥
वाच्यव्यङ्ग्यक्रमाबोधात्तद्बोधाच्च द्विधा मतः ।
अगण्यो रसभावादिभेदेन प्रथमो ध्वनिः ॥२३॥

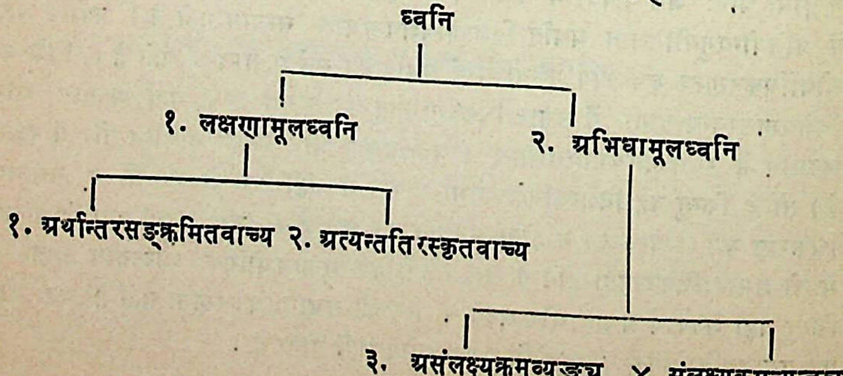
यत्रेति । ध्वनिर्द्विविधः । लक्षणामूलो अभिधामूलश्च । अयमेवाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यः । प्रथमो द्विविधः । अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च । द्वितीयोऽप्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो लक्ष्यव्यङ्ग्यक्रमश्चेति चतुर्धा ।

मुख्यार्थबाध से रहित जहाँ व्यङ्ग्यार्थ चमत्कार से युक्त होता है बुद्धिमानों ने उस ध्वनि को अभिधामूल ध्वनि बताया है ॥२२॥

वाच्य और व्यङ्ग्य के क्रम का ज्ञान न होने से और उस [उन दोनों के क्रम] का ज्ञान होने से यह ध्वनि [अभिधामूलध्वनि] दो प्रकार की है [१ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और २. संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] । रसभावादि के अनन्त भेदों के होने से पहली असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि न गिनने योग्य अर्थात् असङ्ख्य भेदों वाली है ॥२३॥

यत्र से आरम्भ होने वाली [२२वीं कारिका और २३वीं] कारिका में ध्वनि के भेदों का निरूपण है । ध्वनि दो प्रकार की है—१. लक्षणामूल और २. अभिधामूल । यही उभयविध ध्वनि अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य होती है [लक्षणामूलध्वनि में वाच्यार्थ विवक्षित नहीं होता उसका बाध हो जाता है और अभिधामूलध्वनि में वाच्यार्थ अन्यपरक अर्थात् व्यङ्ग्यबोधक होता है वहाँ मुख्यार्थ का बाध नहीं होता] । लक्षणामूलध्वनि दो प्रकार की है—१. अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य तथा २. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और दूसरी अभिधामूल ध्वनि भी असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य इस रूप में दो प्रकार की है । इस प्रकार ध्वनि के चार भेद होते हैं ।

टि०—ध्वनि के चार भेद इस प्रकार दिखाये जा सकते हैं:—



आदिपदात्तदाभासादयः। तत्र लक्षणामूलो अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यो यथा—

कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः।
भुवनत्रितयेऽपि बिभर्ति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुदृशः ॥ १७ ॥

अत्र द्वितीयकदल्यादिपदं जडकदलीत्वादि, लक्षणयाऽर्थान्तरे स्वविशेष रूपे वाच्यं संक्रमितम्।

[उपर्युक्त कारिका में] 'रसभावादिभेदेन' इस पद में जो आदि पद है उसका अभिप्राय है—[रस और भाव के अतिरिक्त] रसाभास, भावाभास, भावसन्धि, भावप्रशम और भावशबलत्व। इन [चार भेदों] में लक्षणामूलध्वनि के अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य [का उदाहरण] जैसे—

केला केला है, करभ [मणिबन्ध अर्थात् कलाई से लेकर कनीष्ठिका अङ्गुली तक का हाथ का अगला भाग] करभ है, हाथी की सूँड सूँड ही है। इस मृगनयनी की यह दोनों जाँघें तीनों लोकों में भी अपना साम्य नहीं रखतीं ॥१७॥

टि०—प्रसन्नराघव नाटक में स्वयंवर के समय यह रावण की उक्ति है। यहाँ वह यह बताना चाहता है कि अनिन्द्यसुन्दरी सीता की दोनों सुन्दर जांघो के लिए तीनों लोकों में कोई उपमान नहीं है।

किसी विशेष गुण को बताने के लिए पदों की पुनरुक्ति करते हैं जैसे 'काकः काकः पिकः पिकः' इस वचन में पहले काक शब्द का अर्थ काकत्वजातिविशिष्ट पक्षी है और दूसरे काक शब्द का अर्थ लक्षणा से कटुरटनपरिपाटीपटुत्वधर्मविशिष्ट पक्षी है। पहले पिक शब्द का अर्थ पिकत्व जाति विशिष्ट पक्षी है और दूसरे पिक शब्द का अर्थ कलकाकलीकोमलत्वादिधर्मविशिष्ट पक्षी है। इसी प्रकार यहाँ पहले कदली शब्द का अर्थ कदलीत्वजातिविशिष्ट पौधा है परन्तु दूसरे कदली शब्द का अर्थ जाड्य (शैत्य) कोमलत्वादिधर्मविशिष्ट धर्मी है। पहले करभ शब्द का अर्थ करभत्व जातिविशिष्ट हस्ताग्र है। द्वितीय करभ शब्द का अर्थ ह्रस्वत्वादिधर्मविशिष्ट धर्मी है और करिराजकर पद का पहला अर्थ हाथी की सूँड है परन्तु दूसरा लक्ष्यार्थ कर्कशत्वादिधर्मविशिष्ट सूँड है। यहाँ द्वितीय कदल्यादिपद लक्षणा से अर्थान्तर में परिणत हो गये हैं। केला केला है इस उक्ति से यह अभिप्राय निकलता है कि जडत्व, मृदुत्व धर्मों के कारण तो केला सुन्दरी की जाँघों के सदृश है परन्तु केले में कमी यही बनी रहती है कि वह सदा ठंडा रहता है परन्तु यह वरवर्णिनी शीतकाल में उष्ण रहती है और ग्रीष्म में शीतल रहती है। इसी प्रकार युवा व्यक्ति का करभ यद्यपि कोमल होता है परन्तु वह बहुत छोटा होने से उतना सुखावह नहीं होता जितनी सुखदायी इसकी विशाल जङ्घायें हैं। हाथी की सूंड वर्तुल और सुन्दर तो होती है परन्तु वह अत्यन्त कर्कश और खुरदरी होती है।

यहाँ दूसरे कदली आदि पद जडकदली आदि में लक्षणा होने से मुख्यार्थ के ही अपने दूसरे विशिष्ट अर्थ में बदले हुए वाच्यार्थ वाले हैं अर्थात् लक्षणा से उनका दूसरा अर्थ हो जाता है।

स एवात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथा—

धन्यास्ते कवयो यदीयरसना रूक्षाध्वसञ्चारिणी
धावन्तीव सरस्वती द्रुतपदन्यासेन निःक्रामति।
अस्माकं रसपिच्छिले पथि गिरां देवी नवीनोदया
पीनोत्तुङ्गपयोधरेव युवतिर्मान्थर्यमालम्बते ॥ १८ ॥

अत्र धन्यपदेनाधन्यत्वं लक्ष्यते। स्वोत्कर्षप्रतिपादनं व्यङ्ग्यम्।

उस [लक्षणामूल] अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि [का उदाहरण] जैसे—[सरस्वती पक्ष] वे कवि धन्य हैं जिनकी जिह्वा रूपी सरस्वती रूखे अर्थात् रसहीन काव्य-मार्ग पर चलती हुई शीघ्र निकले अर्थात् बिना सोचे समझे मस्तिष्क में आये हुए सुबन्त तिङन्त पदों के रखने से पैर रखकर जल्दी जल्दी दौड़ती हुई नायिका के समान [श्लोकों के रूप में] में बाहर आती है [अर्थात् जिनकी जिह्वा से अल्प समय में ही जल्दी जल्दी उच्चारण किये गये शब्दों से श्लोकों का निर्माण हो जाता है। किन्तु]

हमारी अभिनव उदय हुई वाणियों की [अधिष्ठात्री] देवी सरस्वती शृङ्गारादि रसों से भीगे हुए—सराबोर काव्यमार्ग में जल से [पैदा हुई] फिसलन वाले मार्ग पर [सावधान होकर धीरे धीरे पैर रखकर चलती हुई] नवयौवन को प्राप्त पुष्ट एवं ऊँचे स्तनों वाली युवती की तरह शिथिलता को प्राप्त करती है।

[नायिकापक्ष]—वर्षाजलरहित सूखे रास्ते पर चलने वाली नायिका निर्बाध होने से जल्दी जल्दी पैर रख कर दौड़ती हुई चलती जाती है। किन्तु पीनोत्तुङ्गस्तनी नवयुवती कीचड़ वाले रास्ते पर फिसलने के भय से संभल संभल कर पैर रखकर धीरे धीरे चलती है ॥१८॥

टि०—यहाँ कवि ने दूसरे कवियों की रसहीन कविता को सूखे रास्ते पर सरपट दौड़ने वाली कृशकाय एवं लावण्यहीन नायिका के समान बताया है और अपनी सरस कविता को फिसलन भरे रास्ते पर मन्थर गति से चलने वाली सुपुष्ट, रसिक एवं लावण्यमयी नायिका के सदृश बताया है। दूसरों की रसहीन रचनाओं की अपेक्षा मेरी रसात्मिका रचना अधिक उत्कर्ष वाली है इस व्यङ्ग्यार्थ को बताना कवि का प्रयोजन है।

यहाँ पर धन्य पद से अधन्य अर्थ की लक्षणा से प्रतीति होती है। कवि के द्वारा अपना उत्कर्ष बताना व्यञ्जना से ज्ञात होता है।

टि०—यहाँ धन्य पद ने अभिधा से अपना सौभाग्यशाली यह अर्थ बता दिया परन्तु प्रकरण सामर्थ्य से यह अर्थ असङ्गत हो जाता है इसलिए मुख्यार्थ का बाध होकर असौभाग्यशाली अर्थ लक्षणा से प्रतीत होता है जो कवि रसालङ्कार ध्वनि की उपेक्षा करके और दोषों का विचार न कर केवल शब्दों की भरमार से जल्दी-२

अभिधामूलोऽसंलक्ष्यक्रमो रसभावादिभेदेनानन्तोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वमखण्डत्वञ्चाश्रित्य एक एव गण्यते।

तत्र सप्रमाणं रसस्वरूपमाह—

व्यज्यते यदि चेत्कार्यैः कारणैः सहचारिभिः।
काव्योपात्तैर्यदा स्थायी स रसः परिकीर्त्तितः ॥२४॥

और बड़ी संख्या में काव्य रचना करते हैं वे अप्रशंसनीय हैं और थोड़ी मात्रा में धीरे २ सोच कर रखे हुए पदों वाली रससङ्कुल कविता को करने वाले हमारे जैसे कवि प्रशंसनीय हैं, अतएव हमारा उत्कर्ष अधिक है। यह दूसरा अर्थ व्यञ्जना से प्राप्त होता है।

अभिधामूल असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि अनेक रसों, भावों, रसाभासों, भावाभासादि भेदों के होने से अनन्त प्रकार की होती हुई भी अलक्ष्यक्रमता और अखण्डता रूप गुणों के आधार पर एक ही गिनी जाती है।

टि०—इस ध्वनि के सारे भेदों में शीघ्रता के कारण क्रम का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कमल की पंखुड़ियों को ऊपर नीचे रख कर कृपाण के एक ही प्रहार से काट देने पर वह युगपत् कटी प्रतीत होती हैं उसी प्रकार इस ध्वनि में भी पहले विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव की प्रतीति होती है, फिर स्थायिभाव का ज्ञान होता है, तदनन्तर रसानुभव होता है किन्तु शीघ्रता के कारण क्रम का ज्ञान नहीं होता और सबकी प्रतीति युगपत् होती हुई सी प्रतीत होती है। इसलिए इन सभी भेदों को असंलक्ष्यक्रम कहा जाता है और समष्टि रूप से एक ही मान लिया जाता है। जैसे प्रपानक (गन्ने के रस या सरदाई) में खसखस, शर्करा आदि अनेक पदार्थों के भिन्न भिन्न होने पर भी सङ्घर्षण द्वारा एकाकार हो जाने पर सभी मिल कर एक प्रपानक के नाम से पुकारे जाते हैं और उनमें पार्थक्य का तनिक भी भान नहीं होता है, इसी प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों के मेल से अभिव्यक्त रस विभावादियों के भेद से रहित होकर ब्रह्म की भाँति अखण्ड और एकाकार प्रतीत होता है। इसलिए रस को भी अखण्ड और एक कहा जाता है।

यहाँ ग्रन्थकार प्रमाणसहित रस का स्वरूप बताते हैं—

जब काव्य में पढ़े हुए कार्य, कारण और सहचारिकारणों से स्थायिभाव की अभिव्यक्ति होती है तब वह रस कहलाता है ॥२४॥

टि०—उपर्युक्त कारिका में 'यदि चेत्' यह दो पद अधिक हैं। इन पदों के बिना भी इस प्रकार अन्वय हो सकता है—यदा काव्योपात्तैः कार्यैः कारणैः सहचारिभिः स्थायी व्यज्यते [तदा] सः रसः परिकीर्तितः। 'यदि चेत्' इन दोनों ही पदों का अर्थ 'यदि' माना जाये तो 'यदा' के स्थान पर 'तदा' पाठ किया जा सकता है। सामान्यतः न तो 'यदि' अथवा 'यदि चेत्' के लिये 'यदा' का प्रयोग दिखाई देता है और

न ही कहीं 'यदि चेत्' का एक साथ प्रयोग देखा जाता है। 'यदि' और 'चेत्' पर्यायवाची शब्द हैं, अतः इनका युगपत् प्रयोग समीचीन भी नहीं है।

आचार्य मम्मट के भी रसाभिव्यक्ति के विषय में इसी प्रकार के विचार हैं— लोक में रति आदि रूप स्थायिभाव के जो आलम्बन या उद्दीपन के कारण, कार्य और सहकारिकारण होते हैं वे यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव कहलाते हैं और उन विभाव आदि रूप, कारण, कार्य तथा सहकारियों के योग से व्यक्त वह रति आदि रूप स्थायिभाव रस कहलाता है। काव्यप्रकाश ४, २७-२८।

१. **रसनिष्पत्तिप्रक्रिया**—हम देखते हैं कि जब कोई सामाजिक किसी अभिनीयमान नाटक या चलचित्र को देखता है तो उसके मन में एक अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति होती है। इसी आनन्द की अनुभूति को काव्यशास्त्र की परिभाषा में रसास्वाद कहा जाता है। यह रसानुभूति कैसे होती है? इसका उत्तर भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में विभावानुभावसञ्चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' (ना० शा०, ६, ३२) इस सूत्र द्वारा दिया है। जब विभाव, अनुभाव और सञ्चारिभाव का स्थायिभाव के साथ संयोग होता है तब रस की अनुभूति होती है। इस प्रकार रस एक कार्य है जिसके विभावादि निमित्तकारण हैं और स्थायिभाव उपादान कारण है। इन सबके स्वरूप को समझने के लिए अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक के प्रथम अङ्क के दृश्य को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। नाटक के आरम्भ में सामाजिक मञ्च पर आते हुए दुष्यन्त को देखता है। वृक्ष और लताओं की ओट में छिपा हुआ दुष्यन्त शकुन्तला के अनिन्द्य रूप को अपलक निहार रहा है। अभिनय में निपुण होने के कारण अङ्गों के सङ्कोचन और प्रसारण के समय रूपवती शकुन्तला का सौन्दर्य और अधिक बढ़ जाता है। भौंरे से डरकर जब वह भयविह्वल होकर, चौंककर, चीत्कार करती हुई दौड़ती है तो दुष्यन्त का मन उसके प्रति और अधिक आकृष्ट हो जाता है। जब वह भ्रमर को वहाँ से हटा देता है तब शकुन्तला कृतज्ञ भाव से उसकी ओर देखती है। दोनों ही एक दूसरे को अनुराग भरी दृष्टि से देखते हैं। सखियों से शकुन्तला के जन्म के वृत्तान्त को जानकर दुष्यन्त अत्यधिक आनन्दित हो उठता है। शकुन्तला भी अपनी सखियों और दुष्यन्त के बीच होने वाली बातचीत को सुनकर मन ही मन हर्षित होती है। इसके अनन्तर अपनी सखियों की व्यङ्ग्योक्तियों को सुनकर वह वहाँ से रूठकर चले जाने का प्रयत्न करती है। परन्तु उसका मन उसे वहाँ से हटने नहीं देता। महर्षि कण्व के आश्रम के वृक्ष और लताओं का प्राकृतिक सौन्दर्य, शीतल, मन्द समीर, कोकिलालाप आदि वस्तु सामग्री शकुन्तला और दुष्यन्त के हृदयों में विद्यमान रति को उद्दीपित करती है। इस सारे दृश्य को देखता हुआ सामाजिक साधारणीकरण व्यापार के प्रभाव से साधारणीकृत दुष्यन्त और शकुन्तलादि के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तदनन्तर उद्बुद्ध होकर

रस रूप में परिणत हुए अपने ही रत्यादि स्थायिभावों का अपने ही अन्तःकरण में आस्वादन करता है।

इस रसाभिव्यक्ति की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मञ्च पर उपस्थित नट और नटी के माध्यम से प्रतीत होने वाले दुष्यन्त को देखकर शकुन्तला को और शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन में रति का प्रादुर्भाव होता है। जब दुष्यन्त शकुन्तला की ओर देखता है तो उसके हृदय में स्थित रतिस्थायिभाव के उद्‌बोधन का साधन शकुन्तला बनती है और इस उद्‌बुद्ध रतिभाव का आश्रय दुष्यन्त बनता है। इसी भाँति जब शकुन्तला दुष्यन्त की ओर देखती है तो शकुन्तला के रतिभाव के उद्‌बोधन का साधन दुष्यन्त बनता है और शकुन्तला अपनी उद्‌बुद्ध रति का आश्रय बनती है। इस प्रकार दुष्यन्त और शकुन्तला दोनों ही एक दूसरे की रति के उद्‌बोधन में आलम्बन रूप कारण होते हैं और दोनों ही उद्‌बुद्ध रति का अनुभव करते समय इस भाव के आश्रय बनते हैं। सारे नाटक में आलम्बन और आश्रय बनने की यह प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चलती रहती है और दुष्यन्त और शकुन्तला इन दोनों को देखकर सामाजिक के भीतर रस की अभिव्यक्ति होती है।

२. विभावादियों का स्वरूप—१. विभाव—रत्यादि स्थायिभाव के उद्‌बोधन में जहाँ दुष्यन्त शकुन्तलादि नायकनायिकादि के रूप में साधन बनते हैं वहाँ महर्षि कण्व के आश्रम में स्थित वृक्ष, लतायें, शीतल पवन, चन्द्र, चन्दन, कोकिलालाप, भ्रमरझङ्कारादि वस्तुएँ तथा नायक नायिकादि की एक दूसरे को लक्ष्य करके की गई चेष्टायें भी साधन (कारण) बनती हैं। इस प्रकार रत्यादिभावों के उत्तेजन में जो मूल कारण हैं वह विभाव कहलाते हैं (रत्याद्युद्‌बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः। सा० द० ३, २९)। क्योंकि यह नायकनायिकादि सहृदय द्रष्टा तथा श्रोताओं के रत्यादिभावों को विभावित करते हैं अर्थात् उन्हें रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं इसलिए भी इन्हें विभाव कहा जाता है (विभाव्यन्ते आस्वादाङ्कुरप्रादुर्भावयोग्याः क्रियन्ते रत्यादिभावा एभिः इति विभावाः। साहित्यदर्पण ३, २९ गद्यभाग)

विभाव के दो भेद हैं—१. आलम्बनविभाव और २. उद्दीपनविभाव। साहित्यदर्पण में बताया गया है—आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात् (सा० द० ३,२९) आलम्बनविभाव नायक (दुष्यन्त) आदि होते हैं क्योंकि उन्हीं का आश्रय लेकर रस का उद्‌भव होता है और वहीं उद्दीपनविभाव के बारे में कहा गया है—उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये॥ आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा। (सा० द० ३,१३१-३२) उद्दीपनविभाव वह हैं जिनसे रत्यादि स्थायिभाव तीव्र या उद्दीपित होने लगते हैं। दुष्यन्तशकुन्तलादि (आलम्बनविभावों) के द्वारा अपने अङ्गों के सङ्कोचन प्रसारण से व्यक्त की गई हाव भाव भरी चेष्टायें उद्दीपनविभाव कहलाती हैं और आश्रम में लता वृक्ष, नदी, तीर आदि वस्तुओं को भी उद्दीपनविभाव कहा जाता है।

२. **अनुभाव**—अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक में शकुन्तला को देखने रूप क्रिया के अनन्तर दुष्यन्त के चेहरे पर जो हर्षादि रूप प्रतिक्रिया होती है वह अनुभाव कहलाती है। रतिभाव के आश्रय दुष्यन्त और शकुन्तला में स्थायिभावों के उदय होने के पश्चात् जो शारीरिक विकार दिखाई देते हैं वे अनुभाव हैं। साहित्यदर्पण में अनुभाव का लक्षण इस प्रकार किया गया है—उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वैर्बहिर्भावं प्रकाशयन्। लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥ (सा० द० ३,१३२) अपने २ आलम्बन या उद्दीपन कारणों से सीतारामादि आश्रयों के भीतर रति आदि रूप स्थायिभावों को वाह्य रूप में जो प्रकाशित करता है वह रत्यादि का कार्य रूप काव्य और नाट्य में अनुभाव कहलाता है। इस प्रकार आश्रयगत चेष्टाओं का नाम अनुभाव है।

३. **व्यभिचारिभाव**—क्षणिक भावों का नाम व्यभिचारिभाव है। शकुन्तला के प्रति रतिभाव उत्पन्न होने पर जब दुष्यन्त यह सोचता है कि शकुन्तला ऋषिपुत्री होने से विवाह करने योग्य नहीं है तो वह चिन्ता करने लगता है। तदनन्तर 'शकुन्तला क्षत्रकन्या है' यह जानकर उसे हर्ष होने लगता है। इस प्रकार के भाव थोड़े समय के लिए आकर चले जाते हैं। ये भाव स्थायिभाव के सहकारिकारण हैं। दशरूपककार का कहना है—जो भाव विशेष रूप से स्थायिभाव के अन्तर्गत कभी उठते और गिरते हैं और कभी डूबते और तैरते हैं वे व्यभिचारिभाव होते हैं। वे भाव स्थायिभाव में इसी तरह उन्मग्न तथा निमग्न होते हैं जैसे समुद्र में तरङ्गें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। (दशरूपक ४, ७)।

४. **स्थायिभाव**—स्थायिभाव मन के भीतर स्थिर रूप से रहने वाला प्रसुप्त संस्कार है जो अनुकूल सामग्री को प्राप्त कर अभिव्यक्त हो उठता है। साहित्यदर्पण में स्थायिभाव का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है—अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। आस्वादाङ्कुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः ॥ सा० द० ३,१७४। विरोधी अथवा अविरोधी भाव जिसे छिपा न सकें वह आस्वाद का मूलभूत भाव स्थायी कहलाता है। स्थायिभाव के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए समुद्र की उपमा दी जाती है। समुद्र के भीतर जाकर किसी प्रकार का भी खारा या मीठा पानी मिलकर तद्रूप हो जाता है। जैसे समुद्र समस्त वस्तुओं को आत्मसात् करके आत्मरूप बना लेता है वैसे ही स्थायिभाव भी शेष सभी भावों को आत्मरूप बना लेता है। स्थायिभाव हम उसे कहते हैं जो भाव अपने से प्रतिकूल या अनुकूल भावों को आत्मरूप बना लेता है (विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः। आत्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः ॥ दशरूपक ४,३४) रत्यादि आठ भाव स्थायिभाव कहे जाते हैं।

भरत मुनि ने कहा है—जिस प्रकार नरों में नृपति और शिष्यों के मध्य गुरु का ऊँचा स्थान होता है उसी प्रकार सारे भावों में स्थायिभाव को महान् माना जाता है—

तत्र कारणै[1] रामसीतादिभिः। परस्परानुरागे परस्परं कारणैः। कार्यैः कटाक्षादिभिः। लज्जाहास्यादिभिः सहचारिभिः।[2] सामग्रीसम्पाते सहचरणात् सहचारित्वम्। सहकारिभिरिति पाठे रत्यादेरेकरूपस्य तत्तत्-स्मितरुदितादिकार्यव्यञ्जनयोगेन[3] सामग्रीवैचित्र्यापादकैः।

यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः।
एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥

नाट्यशास्त्र ७,८

५. रस—रसयतीति रसः—यः खलु सामाजिकान् रसयति—जो सामाजिकों को आनन्दित करता है अथवा रस्यतेऽसौ इति रसः—जो सामाजिकों के आस्वाद का विषय बनता है वह रस है। साहित्यदर्पण में इसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है—

सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः।
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः॥
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः।
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः॥

सा० द० ३, ३-४

अन्तःकरणस्थ रजोगुण और तमोगुण का अभिभव करने वाले सत्त्वगुण के उभरने के कारण, स्वतः प्रकाशमान, आनन्दस्वरूप, चेतनस्वरूप, अनुभूति के समय ज्ञानान्तर—दूसरे किसी प्रकार के ज्ञान के सम्पर्क से रहित, ब्रह्मानन्द के सदृश, अलौकिक चमत्कार रूपी जीवन वाला यह रस अपने आकार की तरह अपार्थक्य की भावना के साथ किन्हीं पुण्यात्माओं से आस्वादित होता है।

यहाँ कारणैः से अभिप्राय रामसीतादि आलम्बन कारणों से है। ये दोनों ही परस्पर की रति में परस्पर कारण होते हैं [राम के अनुराग में सीता कारण है और सीता के अनुराग में राम कारण है]।

'कार्यैः' से अभिप्राय कटाक्ष—तिरछी नजर से देखना, भुजोत्क्षेपादि से है। और 'सहकारिभिः' का अर्थ है लज्जाहास्यादि सहचारिभाव। [रसाभिव्यञ्जक] सामग्री के संयोग-मेल में सहचर होने के कारण इन्हें सहचारी कहते हैं। 'सहकारिभिः' यह पाठ होने पर अर्थ होगा 'सहायक'। एक रूप अर्थात् एक मात्र अकेले ही रत्यादि-भावों के उन उन स्मित, रोदन आदि कार्य को अभिव्यक्त करने की कारणभूत सामग्री में विचित्रता को उत्पन्न करके यह सहायक बनते हैं।

---

१. त; कारणैः ज अ।
२. ज अ; लज्जाहास्यादिभिः सहचारिभिः त में नहीं।
३. त; ...कार्यजननयोगेन ज अ।

काव्योपात्तैरिति । तथा च विभावानुभावव्यभिचारिभावसञ्ज्ञा-लाभ इति भावः । [अथ विभावः][1] तत्र विभावो द्विधा—आलम्बनविभावो नायिकादिः । उद्दीपनविभाव[2] उद्यानादिः । तदुक्तम्[3]—

बह्वर्थोऽर्था विभाव्यन्ते [वागङ्गाभिनयाश्रिताः][4] ।
अनेन यस्मात्तेनासौ विभावः परिकीर्तितः ॥२५॥

टि०—वास्तव में सारे रत्यादिभाव एक ही रूप अर्थात् रत्यात्मक होते हैं। परन्तु जब रतिभाव स्मित रूप कार्य को प्रकट करता है तो सम्भोगशृङ्गार की अभिव्यक्ति होती है। जब रुदित कार्य को अभिव्यक्त करता है तो विप्रलम्भ की अभिव्यक्ति होती है। कटाक्षभुजविक्षेप आदि रति के कार्य हैं। लज्जा, निर्वेद आदि सभी सञ्चारिभावों से रति के इन कार्यों की अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है। इस प्रकार एक रति से अनेक कार्यों की उत्पत्ति होती है। यदि 'व्यञ्जनयोगेन' के स्थान पर ('जननयोगेन') पाठ माना जाये तो इसका अर्थ होगा—स्मित, रोदन आदि कार्य को उत्पन्न करने के कारणभूत रतिरूप सामग्री में विचित्रता को उत्पन्न करके यह सहकारिभाव सहायक बनते हैं।

'काव्योपात्तैः' [इस रूप में व्यवहृत अर्थात् प्रयोग किये गये इस पद का यह अभिप्राय है—[जो लोक में रत्यादि स्थायिभाव की उत्पत्ति के कारण कार्य और सहकारिकारण हो जाते हैं वे यदि काव्य या नाट्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्रमशः] विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों के नाम की प्राप्ति होती है [अर्थात् कारणादि का नाम विभावादि हो जाता है]। इसके बाद विभाव [का निरूपण] है यहां [काव्य या नाट्य] में विभाव दो प्रकार का है—१. आलम्बनविभाव [शकुन्तला] नायिका आदि [आदि पद से दुष्यन्त आदि का ग्रहण है] पात्र होते हैं और उद्दीपन-विभाव उपवन आदि [आदि पद से चन्द्र, चन्दन, कोकिलालाप, भ्रमरझङ्कारादि का ग्रहण है] होते हैं इसके बाद विभाव [का स्वरूप इस प्रकार] है—

वाचिक, आङ्गिक [और सात्त्विक] अभिनय पर आश्रित [विभिन्न प्रकार के] बहुत से अर्थ [कारण, कार्य और सहकारिकारण रूप वस्तु सामग्री] क्योंकि काव्य और नाट्य में इसके द्वारा विशेष रूप से भावना के [अर्थात् रसास्वाद के] विषय बनते हैं इस कारण वह विभाव कहलाता है ॥२५॥

टि०—भरतनाट्यशास्त्र (७,४) से यह कारिका ली गई है और वहीं का पाठ देना यहाँ उचित समझा है। जम्मू तथा तिरुपति की प्रतियों में रागाङ्गाभिनया-श्रिताः पाठ मिलता है। इसका अर्थ रत्यादिभावानुकूल आङ्गिक (वाचिक और सात्त्विक) अभिनय पर आश्रित इस रूप में किया जा सकता है और तिरुपति की

---

१. संशोधित पाठ; यहां आगे अथानुभावः और अथ व्यभिचारी जैसे प्रयोग हैं
२. संशोधित; उद्दीपनविभावो उद्यानादिः ज अ; यह दोनों पद त में नहीं
३. ज त; तदुक्तञ्च अ
४. संशोधित; रागाङ्गाभिनयाश्रिताः ज अ; रागणाभिनयाश्रिताः अ

आलम्बनं स तु रसो यद्वालम्ब्य[1] प्रवर्तते ।
उद्दीप्यते रसो येन स चोद्दीपनसञ्ज्ञकः ॥२६॥

इति ।

अथानुभावाः—स्थायिभावाननुभावयन्तः कटाक्षभुजक्षेपादयो रसपरिपोषकाः । अत एवाह भरतः—

अनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः । इति ।

सात्त्विका अप्यष्टौ अनुभावरूपा एव । ते तु वक्ष्यन्ते ।

प्रति में उपलब्ध 'रागेणाभिनयाश्रिताः रत्यादिभावानुवर्तिताः (अर्थात् 'रसानुवर्तिता के अनुरूप किये जाने वाले) अभिनय पर आश्रित होकर रहने वाले' यह अर्थ हो जायेगा ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में सामान्यतः 'तदुक्तम्' जैसी पदावली के प्रयोग के बाद दी जाने वाली कारिका या उदाहरणों के अन्त में संख्या न देने का नियम स्वीकार किया गया है । किन्तु यहाँ विभाव का लक्षण ग्रन्थकार ने स्वयं नहीं दिया है, भरतमुनि का उठाकर दे दिया है । इस कारण इसका लक्षण का रूप हो जाने से यह ग्रन्थकार की अपनी कारिका बन गई है इस लिए यहाँ संख्या देदी है ।

वह तो आलम्बन [विभाव] कहलाता है जिसको आधार बनाकर रसकी [अभिव्यक्त होकर प्रकट होने की] प्रवृत्ति होती है और जिससे [प्रकट हुआ रस और अधिक] उद्दीप्त [प्रज्ज्वलित अथवा प्रकाशित] होता है वह उद्दीपन [विभाव] नाम से कहा जाता है ॥२६॥

इस प्रकार [का आलम्बनविभाव और उद्दीपनविभाव का स्वरूप] है ।

इसके बाद अनुभावों [के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है]—स्थायिभावों को अनुभव का विषय करवाते हुए [इनको देखकर सहृदयों को यह अनुभव या अनुमान हो जाता है कि नायक नायिका परस्पर प्रेम कर रहे हैं] तिरछी नज़र, भुजसञ्चालन आदि अनुभाव रस के परिपोषक होते हैं ।

इसलिए भरत ने नाट्यशास्त्र में कहा है—रत्यादि स्थायिभावों को सूचित करने वाला मनोविकार अनुभाव कहलाता है, यही अनुभाव का लक्षण है । यह अनुभाव अन्तःकरणस्थ सङ्कल्प विकल्प रूप मानसिक विकारों को प्रकट करते हैं । आठ सात्त्विक भाव भी अनुभाव रूप ही हैं । उनको आगे कहा जायेगा ।

टि०—अनुभाव और सात्त्विकभाव वास्तव में एक हैं । परन्तु इन्हें पृथक् भी कहा जाता है । इनका यह पार्थक्य 'गोबलीवर्दन्याय' की तरह है । गौओं के साथ चलता हुआ साँड गौओं में ही सम्मिलित होता है और गावः आगच्छन्ति जैसे वाक्यों से गौएँ आ रही हैं और साँड भी आ रहा है इन दोनों अर्थों की प्रतीति होती है परन्तु जब साँड के विशेष आकार प्रकार को बताने की आकांक्षा होती है तो

---

१. त; यमालम्ब्य ज अ

अथ व्यभिचारी—

सर्वत्रैवाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः ।
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ॥२७॥

वस्तुतस्तु विभावनानुभावनसञ्चारणात्मकव्यापारत्रयत्वमेव विभावादित्वम् ।

ननु कारणादिशब्दसत्त्वे कथं विभावादिसञ्ज्ञेति चेत्, उच्यते । सामाजिकनिष्ठरत्यादीनामाराध्यत्वेन ज्ञाताः सीतादयो न कारणं येन तथा स्युः ।

बलीवर्द का अलग से ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। गाव आगच्छन्ति बलीवर्दोऽपि आगच्छति । इसी प्रकार यद्यपि अनुभावों के साथ ही सात्त्विकभावों का भी ग्रहण हो जाता है फिर भी क्योंकि इनकी उत्पत्ति केवल सत्त्वगुण से होती है और कटाक्षादि की उत्पत्ति सत्त्व, रजस् और तमस् इन तीनों से होती है इस कारण वैशिष्ट्य के प्रदर्शन के लिये अलग से इन्हें सात्त्विकभाव कहा जाता है ।

इसके बाद व्यभिचारिभाव है :—

सब रसों में अनुकूलता के साथ चलने वाले होने से यह व्यभिचारिभाव कहलाते हैं। यह रत्यादिस्थायिभावों में उसी प्रकार प्रकट और लीन होते हैं जैसे समुद्र में तरङ्गें आविर्भूत और तिरोभूत होती रहती हैं ॥२७-२८ ॥

वास्तव में तो विभावन, अनुभावन और सञ्चारण रूप इन तीन व्यापारों वाला होना ही विभावादि का स्वरूप है।

टि०—काव्य और नाटक में कारण के भीतर जब विभावन रूप व्यापार होता है तो वह विभाव कहलाता है, कार्य में जब अनुभावन रूप व्यापार होता है तो वह अनुभाव हो जाता है, जब सञ्चारण रूप व्यापार होता है तो सञ्चारिभाव कहा जाता है । विभावन व्यापार द्वारा आलम्बनगत रत्यादिभाव आस्वाद के योग्य बनाये जाते हैं। अनुभावन द्वारा आश्रयगत रत्यादि का सामाजिक को अनुभव होता है। सञ्चारण व्यापार द्वारा उन रत्यादिभावों का सामाजिक में विशेष रूप से सञ्चार होता है।

[पूर्वपक्षी] कारण, कार्य और सहकारिकारण इन शब्दों के रहते हुए इनको विभावादि का नाम क्यों दिया जाता है ?

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि रत्यादि के उद्बोधक राम, सीतादि और उनकी चेष्टाओं को आलम्बनविभाव और उद्दीपनविभाव नाम देने की क्या आवश्यकता है ? उनको कारण नाम से ही कहा जा सकता है, इसी प्रकार आश्रयगत चेष्टाओं को अनुभाव न कहकर कार्य ही क्यों न कहा जाये और स्थायिभाव को पुष्ट करने वाले व्यभिचारिभावों को भी सहकारिकारण क्यों न माना जाये ?

[सिद्धान्ती] यदि उपर्युक्त शङ्का की जाती है तो उसका उत्तर यह है क्योंकि पूजनीय रूप से जाने गये सीता राम आदि पात्र सामाजिकनिष्ठ रत्यादिभाव के

तेषां च विभावनानुभावनसञ्चारणाख्यव्यापारत्रयवत्वात्तथाविधाः सञ्ज्ञाः, तेषां च व्यापाराणां यथाक्रमं रत्यादेरीषत्प्रकाशः स्फुटतरः स्फुटतमश्च । फलं विगलितवेद्यान्तरत्वेनावस्थितिः पुरःस्फुरणादिचमत्कारित्वं च ।

अथान्तःकरणवृत्तिविशेषस्य रत्यादेरभिव्यक्तावेव कथं परमानन्दरूपरसोद्‌बोध इति चेत्, अयमाशयः—काव्ये हि विभावादिभिरभिव्यज्यते स्थायी ।

उद्‌बोधक कारण नहीं बन सकते इसी लिए उन्हें कारण तथा उनकी प्रतिक्रियाओं को कार्य तथा सञ्चारिभावों को सहकारिकारण नहीं माना जा सकता ।

टि०—अभिप्राय यह है—सीतारामादि पात्र पूजा योग्य होते हैं और सामाजिक की उनके प्रति मातृपितृवत् श्रद्धा होती है । इस कारण विभावनादि व्यापारों के विना वे सामाजिक के सामने सामान्य नायक नायिका के रूप में उपस्थित होकर रत्याद्युद्‌वोध के कारण नहीं बन सकते ।

विभावन, अनुभावन और सञ्चारण नामक तीन व्यापारों वाले होने के कारण ही उनकी इस प्रकार की विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव नामक सञ्ज्ञायें होती हैं ।

टि०—इन व्यापारों द्वारा सीता रामादि में सीतात्वरामत्वादि सम्बन्धविशेष का परिहार हो जाता है जिससे वह साधारण नायक नायिका के रूप में सामाजिक के समक्ष उपस्थित होते हैं और फिर साधारणीकरण व्यापार के प्रभाव से इन पात्रों के अनुकरण करने वाले नट और नटी में सर्वोपभोगयोग्यता आ जाती है ।

और इन व्यापारों के द्वारा सामाजिक के हृदय में पहले यत्किञ्चित् [थोड़ा] अस्पष्ट सा प्रकाश होता है फिर उससे अधिक स्फुट प्रकाश होता है तदनन्तर और अधिक स्पष्ट प्रकाश होता है । [पहले यह रामसीतादि रूप नायकनायिकादि में उनके अभिनयकौशल से आता हुआ प्रतीत होता है । उनके साथ तादात्म्य होने से इनका फिर सामाजिक के द्वारा अपने हृदय में भी अनुभव किया जाता है] ।

इन व्यापारों का यह फल है—रसास्वाद के समय सामाजिकों की ऐसी स्थिति होती है जिसमें उनके विषयान्तरों की समाप्ति हो जाती है । इस कारण अन्य विषयों का ज्ञान उस समय उन्हें स्पर्श तक नहीं करता है और यह प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से सामने होने वाले रस के स्फुरण रूप में चमत्कार से युक्त होता है । [स्फुरणादि में प्रयुक्त आदि पद से हृदय में प्रविष्ट होता सा इत्यादि अर्थ लिये जा सकते हैं ।]

[पूर्वपक्षी] और रत्यादि स्थायिभाव विशेष प्रकार की चित्तवृत्तियां अन्तःकरण के धर्म हैं । इनकी अभिव्यक्ति होने पर ही उत्कृष्ट आनन्दस्वरूप रस का ज्ञान कैसे हो सकता है ? अन्तःकरण के धर्म रत्यादिभाव क्षणिक हैं और अचेतन

अस्यां चाभिव्यक्तौ अन्तःकरणवृत्तिरूपायां[1] चैतन्यानन्दस्वरूप: आत्मा अपि भासते। वेदान्तिनये सर्वस्मिन्नेव ज्ञाने आत्मभाननैय्यत्यात्। आत्ममनोयोगघटितायाः आत्मभानसामग्र्याः सर्वत्र सत्त्वात्। एवं च सति काव्यदर्शनश्रवणमहिम्ना उक्तया[2]ऽभिव्यक्त्या चैतन्यस्यानन्दांशे आवरणभङ्गः क्रियते। तथा च रत्याद्यवच्छिन्नं चैतन्यम् आनन्दांशे भग्नावरणमानन्दरूपतया परिणतं रस इति निर्गलितार्थः।

हैं। विभावादि से अभिव्यक्त हुए यह भाव पूर्ण आनन्दघन रस का रूप कैसे धारण कर सकते हैं?

[सिद्धान्ती] यदि उपर्युक्त शङ्का की जाये तो हमारा यह अभिप्राय है अर्थात् हमारी ओर से इसका उत्तर इस प्रकार है।

काव्य में [कथावस्तु में विद्यमान] विभावादियों से स्थायिभाव की अभिव्यक्ति होती है। अन्तःकरणवृत्तिरूप इन [स्थायिभावों] की अभिव्यक्ति होने पर चैतन्यरूप एवं आनन्दरूप आत्मा की भी प्रतीति होती है। [चैतन्य का सम्पर्क पाकर यह चित्तवृत्तियाँ भी चेतन सी हो जाती हैं ऐसा मानना उचित ही है] क्योंकि वेदान्तियों के मत में सभी प्रकार के ज्ञान में आत्मा का भान होना निश्चित है और साङ्ख्यमतानुसार आत्मा और मन के योग से बनी हुई आत्मज्ञान की सामग्री सब स्थानों पर विद्यमान रहती है। ऐसी [आत्मा और मन के संयोग से युक्त रत्यादिभाव की] प्रतीति होने पर नाटक के देखने और काव्य के सुनने की महिमा से पूर्वोक्त अभिव्यक्ति से चैतन्य के आनन्दांश में आवरणभङ्ग हो जाता है। और रत्यादि से समन्वित और आनन्द प्राप्ति में आवरण रहित तथा आनन्द रूप में परिणत हुआ चैतन्य ही रस है यह सारभूत सिद्धान्त है।

टि०—अभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में आत्मा का मन के साथ सम्पर्क होता है और आत्मा के चैतन्यांश से अचेतन अन्तःकरण भी चैतन्य सा हो जाता है साङ्ख्य, वेदान्त और न्यायदर्शनों के अनुसार आत्मा का मन के साथ, मन का इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का विषय के साथ जब सम्बन्ध होता है तभी ज्ञान होता है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान में आत्मा और मन का संयोग होना आवश्यक है। इस प्रकार चिद् विशिष्ट रत्यादि अथवा रत्यादिविशिष्ट चिद् का नाम रस है। इसलिए चैतन्य का सम्पर्क पाकर क्षणिक मनोवृत्तिरूप रत्यादि भी पूर्णघनानन्द स्वरूप रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे शराव (पात्र) आदि से पिहित दीप शराव के हटा देने पर स्वसन्निहित पदार्थों को और अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है वैसे

---

१. अ त, अन्तःकरणरूपायां ज
२. ज अ; उक्तया त

इममर्थं श्रुतिरप्याह तैत्तिरीयशाखायाम् । रसो वै स रस ७ ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवति अयं जीवः । आवरणं त्वज्ञानमेव । ज्ञानान्तरे त्वावरण-भङ्गाभावान्न रसोद्बोध इति ध्येयम् । ननु कथं ज्ञानान्तरे स न भवतीति चेत्, न, विभावादिज्ञानाभावात् । अतएव वक्ष्यामो विभावादिजीवितावधि-रिति[1] । अस्यां चाभिव्यक्तौ लिङ्गोपहितलैङ्गिकभानवद् विभावादिसम्भेदोऽ-प्यावश्यकः ।

ही विभावादियों से मल (अविद्या) विक्षेप (चाञ्चल्य) आदि आवरण के हट जाने पर चैतन्य अपने स्वरूप एवं रत्यादिभावों के स्वरूप दोनों को प्रकाशित करता है ।

इसी बात को कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में वेद भी बतलाता है—वह परमात्मा रस-स्वरूप है और रस को ही प्राप्त करके यह जीवात्मा भी आनन्दयुक्त हो जाता है । [मन्त्र में प्रयुक्त] अयम् का अर्थ जीवात्मा है । 'भग्नावरण' पद में प्रयुक्त आवरण का अभिप्राय अज्ञान से ही है । दूसरे ज्ञानों में—लौकिक ज्ञानों में आवरणभङ्ग न होने के कारण रस का उद्भव नहीं होता यह समझना चाहिए ।

[पूर्वपक्षी] दूसरे लौकिक प्रत्यक्षादि ज्ञानों में यह आवरणभङ्ग क्यों नहीं होता ? वहां रस का अनुभव क्यों नहीं होता [सिद्धान्ती—यदि उपर्युक्त] यह शङ्का की जाय तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि लौकिक ज्ञानों में विभावादि का ज्ञान नहीं होता इसलिए वहाँ रसानुभव भी नहीं होता है । इसीलिए आगे जाकर कहेंगे कि यह रसोद्बोध विभावादियों के जीवित रहने की सीमा वाला है [विभावादियों के रहते हुए तो आवरणभङ्ग होता है किन्तु उनके हट जाने पर फिर आवरण पड़ जाता है] ।

और इस [रस की] अभिव्यक्ति में [किसी भी प्रकार के अनुमान के लिए] लिङ्ग से युक्त लिङ्गी के ज्ञान की तरह विभावादियों का ज्ञान भी आवश्यक है ।

टि०—अनुमानजन्य ज्ञान में व्याप्यभूत लिङ्ग धूम से व्यापकभूत लिङ्गी अग्नि का ज्ञान होता है । जैसे अनुमान वाक्य में लिङ्गी के ज्ञान के लिए लिङ्ग का होना आवश्यक है वैसे ही रसानुभूति के लिए विभावादि का ज्ञान भी आवश्यक है । लिङ्ग का अर्थ है लीन=छिपे हुए अर्थ को बताने वाला हेतु (कारण) । इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अचेतन रत्यादिभाव चैतन्य का संस्पर्श पाकर पूर्ण घनानन्द रूप रस के रूप को धारण कर लेते हैं । ऐसा मानने में किसी प्रकार का दोष नहीं है ।

---

१. ज त; विभावादिजीवित्यावधिरिति त

अतएवोक्तं भरतेन—

स्वादः काव्यार्थसम्भेदो ब्रह्मानन्दसमुद्भवः। काव्यार्थो विभावादिः तेषां सम्भेदो ज्ञानं तेन विभावादिसमूहालम्बनात्मा रस इति निर्गलितोऽर्थः। अतएव काव्यप्रकाशेऽपि पानकरसन्यायेनेति। ननु रसस्तावत्सामाजिकनिष्ठरत्युद्बोध एव, स कथं रामादिसम्बन्धित्वेनावगतेभ्यः सीतादिभ्यो भवतु असम्बन्धादिति चेत्, न। विभावादीनां साधारण्यमत्रापेक्षितम्। साधारण्यं च यत्किञ्चित्सम्बन्धविशेषसम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति ज्ञायमानत्वम्।

इसीलिए भरत मुनि ने यह कहा है—काव्य के अर्थ के ज्ञान का नाम रसास्वाद है और वह ब्रह्मानन्द की अभिव्यक्ति करने वाला है अर्थात् उससे ब्रह्मानन्द सदृश रस की अभिव्यक्ति होती है। कारिका में प्रयुक्त काव्यार्थ का अभिप्राय है विभावादि। उन विभावादि का सम्भेद ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार रस इन विभावादियों के समूचे समूह [पर टिके हुए] स्वरूप वाला होता है अर्थात् विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव से संवलित रत्यादिभाव की समष्टि का नाम ही रस है यह सारभूत अर्थ हुआ है। इसलिए काव्यप्रकाश में भी पानकरसन्याय से रसानुभूति होती है यह कहा है।

टि०—जैसे बहुत सारे द्रव्यों का एकीभाव पानकरस कहलाता है उसी प्रकार विभावादि का समूहालम्बनात्मक (एकीभावात्मक) ज्ञान रस कहलाता है। जैसे भिन्न भिन्न स्वाद एवं स्वरूप वाले एला, शर्करा, बादाम आदि द्रव्यों के मिश्रण से बनी हुई सरदाई में इन सब वस्तुओं के स्वाद से भिन्न कुछ दूसरे प्रकार का स्वाद होता है इसी प्रकार विभावादि से संयुक्त रत्यादि भाव भी इन भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वरूप से भिन्न ही प्रकार के रस का रूप धारण कर लेता है।

[पूर्वपक्षी] सामाजिकनिष्ठ रत्यादिभावों के अविर्भाव का नाम ही रस है वह रामादि की पत्नी आदि के रूप में ज्ञात होने वाले सीतादि विभावों से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? क्योंकि सीतादि के साथ सामाजिकनिष्ठ रत्यादिभाव का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता [अपने लिए पूज्य माने गये सीतादि पात्र के द्वारा सामाजिक के रत्यादिभावों को जागरित नहीं किया जा सकता]।

[सिद्धान्ती] यदि ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है। यहां विभावादियों का साधारणीकरण अपेक्षित है अर्थात् रसास्वाद प्रक्रिया में विभावादियों के साधारणीकरण की अपेक्षा [आवश्यक] होती है। [रामत्व, सीतात्वादि रूप] जिस किसी विशेष सम्बन्ध वाले [राम, सीतादि] सम्बन्धी के रूप में ज्ञात न होने पर [उनका साधारण नायकनायिका रूप में] ज्ञान होना साधारणीकरण है।

टि०—पहले लोक में जिन राम और सीता जैसे पात्रों को साधारण पुरुष और साधारण कामिनी नहीं समझा जाता उनको काव्य के विभावनादि व्यापार से साधारण पुरुष और साधारण नारी समझ लेना ही साधारणीकरण कहलाता है। जनक की पुत्री रामचन्द्र की धर्मपत्नी और दशरथ की पुत्रवधू सीता जब काव्य और नाटक में साधारण नायिका के रूप में उपस्थित होती है तो उसके प्रति सामाजिक

न च सीतात्वादिज्ञाने कथमेतादृशं साधारण्यमिति वाच्यम्। तदा विभावादिव्यापारमहिम्ना सीतात्वादिपरिहारेण स्त्रीत्वादिनैव ज्ञानात्। अतएव कारणादीनां संज्ञाभेदोऽपि घटते। अत एवोक्तमेते एव परिहृत-विशेषाः रसहेतवः। एतत्साक्षात्कारे वृत्तिर्व्यञ्जनैवेत्यवधेयम्। अस्याञ्चाभिव्यक्तौ प्रमाणं सहृदयहृदयमेव। अतएवोक्तम्—

रसोऽभिमानोऽहङ्कारः शृङ्गार इति गीयते।
योऽर्थस्तस्यान्वयात् काव्यं कमनीयत्वमश्नुते॥

की पूज्य बुद्धि नहीं रहती है। तब वह आलम्बन विभाव का रूप धारण कर सामाजिकनिष्ठ रत्यादिभाव को रस रूप में परिणत करने की क्षमता रखती है। साधारण्य अर्थात् साधारणीकरण की इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए सति पद के बाद साधारण्येन पद को जोड़ देना चाहिए। इसे जोड़ने से पाठ इस प्रकार हो जायेगा—'साधारण्यं च यत्किञ्चित्सम्बन्धविशेषसम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति साधारण्येन ज्ञायमानत्वम्।'

[शङ्का] सीतादि में सीतात्वादिरूप विशेष सम्बन्ध का ज्ञान होने पर इस प्रकार की साधारणीकरण की बुद्धि कैसे हो सकती है? [अर्थात् जब यह ज्ञान होता है कि यह सीता जनक की पुत्री एवं राम की वधू है तब वह सामाजिक की रति का आलम्बन विभाव कैसे बन सकती है?]

[सिद्धान्ती] यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस समय विभावादिनिष्ठ विभावनादि व्यापार के माध्यम से सीतात्वादि रूप विशेषांश का परित्याग होने से साधारण कामिनीत्वादि के रूप में ही उनकी प्रतीति होती है। इसीलिए कारण, कार्य और सहकारिकारणों के नामों का परिवर्तन भी युक्तियुक्त एवं उचित है। ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव नाम वाले हो जाते हैं। इसीलिए भी कहा है यही कारण, कार्य और सहकारिकारण अपने विशेषांश को छोड़कर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव के रूप में रस के कारण बन जाते हैं। रस के साक्षात्कार में व्यञ्जनावृत्ति ही हेतु बनती है यह समझना चाहिए। इस रस की अभिव्यक्ति में [और इसकी सत्ता में] सहृदय सामाजिकों का हृदय ही प्रमाण है।

टि०—रस का ज्ञान प्रत्यक्षादिप्रमाणों से सम्भव नहीं है किन्तु सहृदय व्यक्तियों से ही इसका अनुभव अपने हृदय में किया जाता है। साहित्यदर्पण (३,३ वृत्ति) में कहा है—पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्। पुण्यात्मा लोग योगियों की भांति रसप्रवाह का अपने हृदय में अनुभव करते हैं।

इसीलिए कहा है—[हृदय में स्थित] अभिमान एवं अहङ्कार रूप भाव शृङ्गार कहा जाता है। यही जो पदार्थ है उसके समावेश से काव्य अपने सौन्दर्य को प्राप्त कर लेता है।

विशिष्टादृष्टजन्मायं जन्मिनामन्तरात्मसु ।
वासनापरपर्यायः सुखहेतुः प्रकाशते ।।
शृङ्गारी चेत्कविः काव्ये सर्वं रसमयं जगत् ।
स एव चेदशृङ्गारी नीरसं सर्वमेव तत् ।।
तदुक्तम्—जादिसो कइ तादिसी कव्वबन्धच्छाआ ।
[यादृशः कविस्तादृशी काव्यबन्धच्छाया]
अतएव—पश्यति स्त्रीति वाक्ये हि न रसः प्रतिभासते ।
विलोकयति कान्तेति व्यक्तमेव प्रतीयते ।।

टि०—अभिप्राय यह है कि साधारणीकरण नामक व्यापार के प्रभाव से सहृदय के हृदय में नायिकादि आलम्बन के प्रति ममता और अहंता की बुद्धि होती है। यह मेरी है यह ममता की बुद्धि है। मैं इसका हूं और मैं और यह एक ही हैं यही अहंता का विस्तार है। इसी को तादात्म्य भी कहते हैं। यही आनन्द अथवा रस की पराकाष्ठा है। यहाँ शृङ्गार पद अपना भी ग्रहण कराता है तथा दूसरे रसों का भी वोध कराता है। अतः यह उपलक्षण है।

किसी विशेष पुण्यादि रूप अदृष्ट से अर्थात् पुण्यादिजन्य भाग्यविशेष से इसका जन्म होता है, इसका दूसरा नाम वासना [हृदय में प्रसुप्त संस्कार] है और यही सुख का कारण—रसास्वाद की अनुभूति का हेतु है इस प्रकार का यह तत्त्व प्राणियों के अन्तःकरण में या हृदयों में अथवा आत्माओं में प्रकाशित होता है।

टि०—वस्तुतः रसास्वाद के समय होने वाला आनन्द बाहर की वस्तु नहीं है। वहिर्भूत विभावादि से उद्‌बुद्ध अपनी ही रत्यादिविशिष्ट आत्मा का अथवा अपने ही आत्मविशिष्ट रत्यादिभावों का सामाजिक अपने ही अन्तःकरण में अनुभव करता है।

यदि कवि अपने काव्य में शृङ्गारी होता है तो सारा काव्यजगत् शृङ्गार रस से युक्त हो जाता है और वही यदि अशृङ्गारी [वीतराग-अनुरागरहित] होता है तो सारा काव्यजगत् नीरस हो जाता है।

इसी कारण कहा भी है—जैसा कवि होता है वैसी ही काव्यरचना की शोभा होती है। [काव्य के भीतर कवि के भाव होते हैं। जैसा कवि होता है उसी प्रकार की भावनायें कवि की रचना में भी होती हैं]।

इसीलिए 'स्त्री पश्यति' स्त्री देख रही है इस वाक्य के श्रवण से शृङ्गाररस का अनुभव नहीं होता है। [किन्तु वह] 'कान्ता विशेष ढंग से देख रही है'—इसे सुनकर स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है।

टि०—'स्त्यायी वृद्धौ' अथवा 'स्तृञ् आच्छादने' से स्त्री शब्द बनता है। स्त्यायते गर्भोऽस्याम्—क्योंकि इसमें गर्भ का विस्तार होता है अथवा जो अपने को

अत्रेदं बोध्यम्--वासनाविशेषवतां सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिकभावः[1] पौनःपुन्येन रत्यादिभिः समं गृहीतकार्य-कारणभावसम्बन्धैः विभावादिभिः परिहृतविशेषैः सम्बन्धविशेषस्वीकार-परिहारनियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैर्नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितो-

---

ढककर चल रही है—इन अर्थों वाले स्त्री पद में किसी प्रकार की व्यञ्जना नहीं है। प्रत्युत अरुचिकर अर्थों का भास होता है। इसी प्रकार 'पश्यति'—देख रही है इस पद के अर्थ से भी किसी चमत्कारी अर्थ का बोध नहीं होता किन्तु 'विलोकयति कान्ता' इस वाक्य में रस की स्फुट प्रतीति होती है। 'वि+लोकृ दर्शने' से बनने वाली विलोकयति इस क्रिया का 'विशेष प्रकार की प्रेमभरी दृष्टि से देखती है' यह अर्थ हो जाता है और कान्ता शब्द'कमु कान्तौ' से वना है। निरुक्त में कहा है 'कान्ता कस्मात् कमनीया भवति, काम्यते जनैरिति वा'—जो सुन्दरी है और लोकप्रिय है। उत्तरवाक्य के श्रवणमात्र से सामाजिक के हृदय का रतिभाव उद्बुद्ध होकर शृङ्गार रस का रूप धारण कर लेता है। यहाँ यह समझना चाहिये—

[वासनाविशेषवताम्० इत्यादि वाक्य का अन्वय इस प्रकार करना चाहिए—पौनःपुन्येन रत्यादिभिः समं गृहीतकार्यकारणभावसम्बन्धैः परिहृतविशेषैः सम्बन्ध-विशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैः विभावादिभिः वासना-विशेषवतां सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिकभावः नियतप्रमातृ-गतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायबलात् साधारण्यमुपगच्छन् चिदात्मना सहाभिव्यक्तः [जायते स एव] तत्कालोल्लसच्चर्व्यमाणतैकप्राणो···]।

[सामाजिक के अपने हृदय में स्थित] रत्यादिभावों के साथ [पहले लोक में] कारण, कार्य और सहकारिकारण सम्बन्ध का रूप प्राप्त करने वाले [इसके अनन्तर काव्य में विभावन, अनुभावन, और सञ्चारण रूप व्यापार से कारणत्व, कार्यत्व और सहकारिकारण रूप विशेष प्रकार के सम्बन्ध का—धर्म का परित्याग करने वाले और अपने साथ बिना किसी प्रकार के सम्बन्ध [विशेष प्रकार का सम्बन्ध—यह मेरे ही हैं, यह शत्रु के ही हैं, और यह उदासीन के ही हैं, यह मेरे ही नहीं हैं, यह शत्रु के ही नहीं हैं और यह उदासीन के ही नहीं हैं] के नियम का अनिश्चय होने से सर्वोपभोगयोग्यत्व रूप साधारणता के रूप में प्रतीत होने वाले अर्थात् बिना किसी विशेष सम्बन्ध के सबको समान रूप से अनुभव होने वाले विभा-वादियों से सीमित प्रमाता [पहले दुष्यन्त शकुन्तलादि अनुकार्यों और बाद में नट नटी आदि अनुकर्त्ताओं] में रहता हुआ भी साधारणीकरण व्यापार रूप साधन की शक्ति से साधारणीभाव को प्राप्त होता हुआ अर्थात् व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध से रहित होकर सर्वसाधारण का विषय बनता हुआ [सर्वोपभोगयोग्यता को प्राप्त करके] चेतन आत्मा के साथ अभिव्यक्त होता है [इस प्रकार चिद्विशिष्टरत्यादि भाव की अभिव्यक्ति होती है]।

---

१. ज त; रत्यादिको भाव अ।

ऽपि साधारण्योपायबलात् साधारण्यमुपगच्छन् चिदात्मना सहाभिव्यक्तः तत्कालोल्लसच्चर्व्यमाणतैकप्राणो विभावादिजीवितावधिः पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणः पुर इव परिस्फुरन् हृदयमिव प्रविशन् सर्वाङ्गीणमिवालिङ्गन् अन्यत् सर्वमिव तिरोदधद् ब्रह्मानन्दसहोदरोऽलौकिकचमत्कारकारकारी शृङ्गारादिको रसः। अस्यार्थः—ननु प्रागसिद्धौ कथं तस्य प्रतीतिरित्यत

और वही रत्यादिभाव उसी समय आविर्भूत होने वाले, केवल आस्वाद रूपी जीवनाधायक तत्त्व वाला विभावादियों की अवस्थितिपर्यन्त ही रहने वाला [इलायची, काली मिर्च, शक्कर, इमली, आम आदि को मिलाकर तैयार किये गये पानकद्रव्य अर्थात्] गन्ने के रस के समान [पानक में विद्यमान अलग२ वस्तुओं के अलग२ स्वाद से विलक्षण प्रकार के रस के समान स्वाद वाला] आस्वादित किया जाता हुआ, प्रत्यक्ष वस्तु के समान सामने स्पष्ट रूप में प्रतीत होता हुआ सा, हृदय में प्रविष्ट होता हुआ सा. सारे अङ्गों का स्पर्श सा करता हुआ, दूसरे सारे विषयों को छिपाता हुआ सा, ब्रह्मसाक्षात्कार के आनन्द के समान आनन्द का अनुभव करता हुआ सा लोकोत्तरचमत्कार को उत्पन्न करने वाला होकर शृङ्गारादि रस के रूप में परिणत हो जाता है।

टि०—रसनिष्पत्तिविषयक ग्रन्थकार का उपर्युक्त मत अभिनवगुप्त के मत से मिलता जुलता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने भरत नाट्यशास्त्र की अभिनवभारती नामक टीका में छठे अध्याय के अन्तर्गत 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इस सूत्र की व्याख्या करते हुए रसविषयक अपना मत दिखाया है। आचार्य मम्मट ने वहीं से उनके मत को लेकर अपने ग्रन्थ काव्यप्रकाश में उसे रखा है।

यहाँ वासनाविशेषवतां सामाजिकानाम्, कहने का यह अभिप्राय है कि सहृदय सामाजिकों की आत्माओं में सांसारिक अनुभवों, पूर्वजन्म और इस जन्म में पठन-पाठन एवं सूक्ष्मनिरीक्षणादि से उत्पन्न एवं परिष्कृत कुछ मूलवासनायें—संस्कार के रूप में अवचेतन मन में रहती हैं। यही वासनायें स्थायिभाव कहलाती हैं।

जब काव्य में विभावन, अनुभावन, और व्यभिचारण व्यापार के कारण, कार्य और सहकारिकारण अपना लौकिक रूप छोड़कर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव का अलौकिक रूप धारण कर लेते हैं तो पहले भावकत्वव्यापार अर्थात् साधारणीकरण व्यापार से इनका साधारणीकरण हो जाता है और साधारणीकृत इन विभावादियों से रत्यादि स्थायिभाव उद्बुद्ध होते हैं और वह भी परिमित प्रमाता के भाव न रहकर सभी के एक जैसे भाव बन जाते हैं तो अनुकार्य के साथ तन्मयीभाव के कारण ब्रह्मास्वाद के सदृश परमानन्द रूप में अनुभव का विषय बनते हैं। इस अवस्था में मेरे पराये की वैयक्तिकता नष्ट हो जाती है इस

आह वासनात्मतयेति। भावो वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यः पौनःपुन्येनेति।[1]

प्रकार वह सर्वग्राह्य बनकर इतना तीव्र हो जाता है कि उसका भावत्व भी नष्ट हो जाता है, केवल आनन्दमयी चेतना रहती है। इस स्थायिभाव की रस रूप में चेतन आत्मा के साथ अभिव्यक्ति होती है। यह स्थायिभाव सहृदयों के हृदय में हर समय सुषुप्तावस्था में रहते हैं और अज्ञान के आवरण से ढके रहते हैं। किन्तु सुन्दर अभिनय से जब विभावादियों का साधारणीकरण हो जाता है तो सत्त्व का उद्रेक होने से और रजोगुण और तमोगुण का अभिभव होने से वह अज्ञान का आवरण हट जाता है और वह भाव व्यक्त हो जाते हैं। जल के छींटे पड़ने से जैसे मिट्टी की अव्यक्त गन्ध व्यक्त हो जाती है उसी प्रकार विभावादि का सम्पर्क पाकर यह अव्यक्त स्थायिभाव व्यक्त हो जाते हैं। भट्टनायक और अभिनवगुप्त की भाँति इन आचार्य विश्वनाथ ने भी यहाँ साधारणीकरणसिद्धान्त को स्वीकार किया है। नाटक देखते समय या काव्य पढ़ते समय सामाजिक पहले रामादि के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तादात्म्य या अभेद सम्बन्ध के हो जाने पर वह आश्रय के सारे गुणों का अपने ऊपर आरोप कर लेता है और फिर सीतादि आलम्बन वस्तुएँ उसकी अपनी हो जाती हैं। इस व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और सञ्चारिभाव ये तीनों विशिष्ट व्यक्ति के सम्बन्ध से मुक्त होकर साधारण अर्थात् मनुष्यमात्र के अनुभवयोग्य बन जाते हैं। उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं रह पाती।

[इसका अर्थ यह है—जब विभावादियों से पहले रस का अस्तित्व ही नहीं होता तो उनसे रस का बोध कैसे हो सकता है? इस शङ्का के समाधान के लिए 'वासनात्मतया' इस शब्द का उपर्युक्त कथन में प्रयोग किया गया है [इसका अभिप्राय है कि संस्कार रूप में रस का अस्तित्व सामाजिक के चित्त में सूक्ष्म रूप से पहले से ही रहता है।]

[ऊपर उल्लिखित 'रत्यादिकभावः' में विद्यमान] भाव पद का अर्थ है— वर्णनीये नायकनायिकादौ पौनःपुन्येन यत् तन्मयीभवनम्, तादात्म्यमभेदो वा तस्य योग्यः हेतुभूतः भावः—वर्णनीय नायकनायिकादि में बार २ सामाजिक जिस [रत्यादिभाव] की सहायता से अभेद सम्बन्ध को स्थापित करता है उसे भाव कहते हैं।

सामाजिकों के हृदय में रत्यादिभाव सूक्ष्म रूप से रहता है। पहले सामाजिकों का नायकनायिकादि के साथ अभेद सम्बन्ध हो जाता है। तदनन्तर सामाजिक के रत्यादिभावों का नायकनायिकादि के रत्यादिभावों के साथ अभेद सम्बन्ध हो जाता है। इस दशा में रसानुभव होने लगता है।

---

१. अ; पौनःपुन्येनेति, ज त में नहीं।

अत एव धूमादितो वह्न्यादिज्ञानवद् विभावादितो रत्याद्यभिव्यक्तिः ।[1] रत्यादिभावस्यापि साधारण्यं रसोद्बोधकारणमित्याह—साधारण्यमिति । अन्यथा सीताद्यालम्बनकरत्यादेरात्मगतत्वेन प्रतीतौ सभ्यानां व्रीडातङ्कादिर्भवेत् । परगतत्वे त्वरस्यतापातः सभ्यानां रससाक्षात्कारानुपपत्तिश्च । स च न कार्यः चित्स्वरूपत्वात् ।

इसीलिए ['पर्वतो वह्निमान् धूमात्' आदि वाक्यों में] जैसे धूमादि से वह्नि आदि का अनुमान [ज्ञान] होता है वैसे ही विभावादियों से रत्यादिभावों की अभिव्यक्ति होती है। [यद्यपि आलम्बन की चेष्टाओं अर्थात् अनुभावों से उस आलम्बन के हृदय में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रत्यादि का अनुमान होता है तो भी आलम्बनोद्दीपनादि विभावों के विना अनुभावों का ज्ञान न होने के कारण विभावादिकों को भी रत्यादि की अनुमिति में हेतु माना जाता है]

रत्यादि स्थायिभावों का भी साधारणीकरण होता है। इसीलिए ऊपर [साधारण्यमुपगच्छन् में] साधारण्य शब्द का प्रयोग किया गया है । विभावादियों के साथ पहले सामाजिकों का साधारणीकरण होता है। उसके बाद उनके रत्यादिभावों का भी साधारणीकरण साथ२ होता रहता है। इस प्रकार यह रत्यादिभाव भी रस प्रतीति में कारण हैं [इससे स्थायिभाव में समान रूप से सर्वोपभोगयोग्यता आ जाती है] । यदि ऐसा न मानें तो सीतादि को आलम्बन मानकर तद् विषयक रति को अपनी ही मानने पर सभ्यों को लज्जा और भयादि होने लगेगा।

टि०—यह सीता मेरी ही है और मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही इसका प्रेम है ऐसा समझते हुए सामाजिक जब उसको सबके सामने नाचते हुए देखेगा तो क्योंकि सब उसकी प्रेमिका को देख रहे हैं इस कारण उसे शर्म आयेगी। यदि कोई उसे अपहरण करके ले जा रहा होगा तो उसे डर लगने लगेगा। किन्तु साधारणीकरण के प्रभाव से सामाजिक को इस प्रकार की अनुभूतियाँ नहीं हुआ करतीं।

यदि [सामाजिक में रस की स्थिति न मानकर] रस को परगत अनुकार्य रामादि या अनुकर्त्ता नटादि में मानें [अर्थात् सामाजिकातिरिक्त अन्य किसी में रस की स्थिति मानें] तो रसहीनता की प्राप्ति होगी अर्थात् सामाजिक में रस की स्थिति नहीं मानी जा सकेगी [क्योंकि रस का अनुभव तो सामाजिक ही करता है] और सहृदय सामाजिकों को रस के साक्षात्कार की अप्राप्ति होगी [अर्थात् उनको रस का साक्षात् अनुभव नहीं हो सकेगा]।

और वह रस कार्य नहीं है क्योंकि वह चेतन स्वरूप है।

---

१. उपर्युक्त पाठ म: विभावादिरत्याद्यभिव्यक्तिः ज स ।

नापि घटादिवद् ज्ञाप्यः फलव्याप्यत्वाभावात् । चर्वणानिष्पत्त्या

टि०—जैसे नित्य चिदानन्द स्वरूप आत्मा किसी का कार्य नहीं है वैसे ही रस को भी किसी का कार्य नहीं कह सकते। क्योंकि जो परिणामी हो—बदल सकता हो वह कार्य हो सकता है। परिणाम चेतन का धर्म नहीं है किन्तु वह जड़ प्रकृति का धर्म है। रस चित्स्वरूप, प्रकाशस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप है अतः कार्य नहीं माना जा सकता।

और फल में व्याप्यत्व [व्याप्ति सम्बन्ध] न होने के कारण रस [घटादि की तरह] ज्ञाप्य भी नहीं है।

टि०— घटपटादि पदार्थ फल में व्याप्त होते हैं। इन पदार्थों का कोई न कोई फल होता है। जैसे घट का फल है जलाहरण और पट का फल है शीतत्राण। किन्तु इन पदार्थों के फल की तरह रस का कोई फल नहीं हैं क्योंकि रसास्वाद से आगे कुछ नहीं होता है वह स्वयं ही सब कुछ है। व्याप्य पदार्थ परिच्छिन्न होते हैं और उनका कोई फल होता है। रस अपरिच्छिन्न है और फल रहित है। अतः ज्ञाप्य नहीं है। रस इसलिए ज्ञाप्य नहीं है क्योंकि वह फल रूप में व्याप्य नहीं है—इसकी व्याख्या इस प्रकार से भो की जा सकती है—ज्ञापक (ज्ञान के हेतु) दीपकादि पदार्थ ज्ञाप्य घटादि पदार्थों का बोध कराते हैं। जो अपने ज्ञान के द्वारा अन्य पदार्थों का ज्ञान कराये वह ज्ञापक होता है। जैसे दीपक अपना ज्ञान कराकर घटपटादि का ज्ञान कराता है। इस प्रकार ज्ञापक दीपादि से प्रतीत होने वाले घटादि पदार्थों को ज्ञाप्य कहा जाता है। ज्ञापक और ज्ञाप्य में फलफलीभाव होता है। दीपकादि ज्ञापक पदार्थों का घटादि पदार्थों का बोधन रूप फल होता है। फल और फली में स्वरूपतः भेद होता है और दोनों में पौर्वापर्य होता है। दीपक एवं दीपक द्वारा होने वाले घट ज्ञान में स्वरूपतः भेद और पौर्वापर्य हुआ करता है। दीपक का ज्ञान पहले होता है और घट का ज्ञान बाद में होता है। किन्तु विभावादि का ज्ञान और रस का ज्ञान एक दूसरे से भिन्न नहीं है और दोनों की एककालावच्छेद से (युगपत्) प्रतीति होती है। इस कारण विभावादि से प्रतीत होने वाले रस को ज्ञाप्य नहीं कहा जा सकता।

रस के आस्वाद की उत्पत्ति होने के कारण उस [रस] की उत्पत्ति का रसो जायते, रस उत्पद्यते इस रूप में कथन लक्षणा से होता है [अतः कार्योऽप्युच्यते—इसलिए रस को कार्य भी कहा जा सकता है]।

टि०—वास्तव में रस कार्य नहीं है परन्तु चर्वणा—स्वाद का नाम ही रस है और चर्वणा कादाचित्क (कभी २ होने वाली) होती है। हर समय नहीं होती। इस प्रकार रस में कार्य के उत्पत्ति विनाश रूप धर्म पाये जाते हैं। इन सदृश गुणों के आधार पर गौणी लक्षणा से उसे कार्य भी कह दिया जाता है। जैसे लोक में वाहीक को कभी२ बैल कह देते हैं। वास्तव में वाहीक बैल नहीं होता किन्तु जाड्य-

तस्य निष्पत्तिरुपचर्यते। वृत्तिव्याप्यत्वाद् ज्ञाप्य इत्युच्यते।
तदुक्तम्—

फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निराकृतम्।
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्यत्वमिष्यते॥

मान्द्यादि सदृश गुणों के आधार पर उसके मौर्ख्यातिशय को बताने के लिए लक्षणा से बैल कह देते हैं, वैसे ही कादाचित्कत्व को बताने के लिए उपचार—गौणी लक्षणा से रस को कार्य नाम दे दिया जाता है।

वृत्ति—व्यञ्जना शक्ति से व्याप्य अर्थात् व्यङ्ग्य होने से यह ज्ञाप्य भी कहलाता है [जैसे आत्मा का बोध अन्तःकरण की वृत्तियों से होता है वैसे रस का बोध व्यञ्जनावृत्ति से होता है। इसलिये व्यञ्जनावृत्तिव्याप्य होने से रस ज्ञाप्य भी है]।

टि०—सांख्य मत के अनुसार किसी पदार्थ के बोध के समय जब इन्द्रिय का अर्थ के साथ सम्बन्ध होता है तो इन्द्रिय प्रणालिका अर्थ पर पड़ती है। फिर अर्थ का प्रतिबिम्ब इन्द्रियप्रणालिका द्वारा अन्तःकरण में चला जाता है। जैसा-२ पदार्थ होता है अन्तःकरण तत्तत्स्वरूप को धारण कर लेता है। उसके बाद अन्तःकरण का साक्षी आत्मा होता है। ज्ञातो मया घटः—इस प्रकार का अनुभव आत्मा को होता है। रस भी अन्तःकरण की वृत्ति से जाना जाता है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों का साक्षात् होने से सामाजिक के हृदय पर उनका प्रतिबिम्ब पड़ता है। इससे सामाजिक के हृदय का आवरणभङ्ग हो जाने पर आत्मविशिष्ट रत्यादि या रत्यादिविशिष्ट आत्मा का जो साक्षात्कार होता है वही रस है। इसलिए वृत्तिव्याप्य अर्थात् अन्तःकरण की वृत्ति से बोध्य होने के कारण उसे ज्ञाप्य भी कह सकते हैं। भट्टनायक काव्य में भावनाख्य व्यापार मानते हैं। यह भावना भी एक प्रकार की वृत्ति है जोकि सामाजिक के अन्तःकरण में रहती है। वृत्ति का अर्थ अभिनवगुप्त सम्मत व्यञ्जनाव्यापार भी हो सकता है।

इसी बात को [वेदान्तियों ने भी] कहा है—

शास्त्रज्ञ विद्वानों ने इस ब्रह्म की फलव्याप्यता [फल को देखकर उसके कारण की व्याप्ति बनाने] का ही खण्डन किया है। किन्तु ब्रह्म में अज्ञान नहीं होता इस बात को बताने के लिए इस ब्रह्म को वृत्तिव्याप्य [अन्तःकरण की वृत्तियों से बोध्य] मानना अभीष्ट है।

टि०—इस सारे नामरूपात्मक जगत् को यदि ब्रह्म का फल मानें तो उपादान कारण और कार्य का अभेद होने के कारण प्रपञ्च के अनित्यतादि धर्म ब्रह्म में और ब्रह्म के नित्यतादि धर्म प्रपञ्च में मानने अनिवार्य हो जायेंगे। इस कारण ब्रह्म में अज्ञानादि धर्मों की निवृत्ति स्थापित करने के लिए उसकी फल (नामरूपात्मक जगत्) में व्याप्ति अथवा फल से अभिव्यक्ति नहीं मानी जाती, केवल उसे अन्तः-

सा च वृत्तिः काव्ये व्यञ्जनामूलेति स्मर्तव्यम् ।
सा च तत्त्वमसीत्यत्रेव काव्ये शब्दार्थाभ्यां साक्षात्काररूपा जायते ।

करण की वृत्ति से ज्ञेय (वृत्तिवेद्य) माना जाता है । इसी प्रकार कादाचित्क (कभी२ होने वाली) चर्वणा को रस का फल मानेंगे तो चर्वणा के अनित्यत्वादि धर्म रस में और रस के नित्यत्वादि धर्म चर्वणा में अनिवार्य रूप से मानने पड़ेंगे । इस अति-व्याप्ति से बचने के लिए रस को फलव्याप्य न मानकर केवल वृत्तिव्याप्य व्यञ्जनागम्य माना जाता है ।

लोक में घटपटादि के साथ पदार्थों का सन्निकर्ष होने पर अन्तःकरण की वृत्तियां भी तदाकार हो जाती हैं इसी प्रकार काव्य या नाटक में जब विभावादि का प्रतिविम्ब सामाजिक के अन्तःकरण पर पड़ता है तो अन्तःकरण की वृत्ति तदाकार को धारण कर लेती है । तत्तदाकारता को प्राप्त इसी वृत्ति से सामाजिक के साथ तादात्म्य अथवा अभेद सम्बन्ध होता है जिससे वह शृङ्गार आदि रसों का अनुभव करता है ।

यही वृत्ति काव्य में व्यञ्जनामूलक होती है—यह स्मरण रखना चाहिए ।

टि०—कारिका में आया हुआ वृत्ति शब्द ब्रह्म के प्रसङ्ग में तो अन्तः-करण वृत्तिरूप है किन्तु काव्य के प्रसङ्ग में यह वृत्तिशब्द व्यञ्जनावृत्ति रूप है अर्थात् व्यञ्जनावृत्ति के अर्थ को प्रकट करता है ।

और यह अभेद स्थापित करने वाली वृत्ति 'तत्त्वमसि' इस महा-वाक्य के अर्थ की तरह काव्य में शब्द और अर्थ से प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होती है ।

टि०—'तत्त्वमसि' इस महावाक्य का वेदान्तियों के अनुसार इस प्रकार अर्थ किया जाता है—त्वम्—अल्पज्ञत्वाद्युपाधिविशिष्ट चैतन्य स्वरूप तुम जीवात्मा, तत्—सर्वज्ञत्वाद्युपाधिविशिष्ट वह ब्रह्म, असि—हो । इस वाक्य में जीवात्मा की अल्पज्ञ-त्वादि और ब्रह्म की सर्वज्ञत्वादि उपाधि हैं । इसलिए इन दोनों में पार्थक्य होने के कारण समानाधिकरण नहीं हो पाता । इस कारण मुख्यार्थ में अन्वयानुपपत्ति होने से उसका बाध हो जाता है । इस स्थिति में भागत्यागलक्षणा के द्वारा दोनों की उपाधियों का त्याग करके दोनों के शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ग्रहण कर लेने पर समानाधिकरण हो जाता है और दोनों में अभेद सम्बन्ध की स्थापना हो जाती है । दृश्यकाव्य या श्रव्यकाव्य में पहले अभिधावृत्ति से शब्द और उनके अर्थों का बोध होने पर विभावादि से सम्बद्ध वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता है । इसके अनन्तर व्यञ्जना व्यापार द्वारा सीतात्व, रामत्वादि रूप विशेष उपाधि (सम्बन्ध) के परित्याग से सामान्य रूप से कामिनीत्वादि की उपस्थिति होती है और उनके साथ सामाजिक का अभेद सम्बन्ध स्थापित होने पर सहृदयहृदय में रसानुभूति होती है । इस प्रकार 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यों से जैसे भागत्यागलक्षणा द्वारा सर्वज्ञत्वादि उपाधियों के

यः साक्षादपरो ब्रह्मेति चैतन्यांशे साक्षात्त्वाच्च। ननु[1] कः पुनरसौ[2] स्थायी न तावच्चित्तवृत्तिः। आशुतरविनाशिंन्याः स्थैर्यासम्भवाद् अन्यस्य वक्तुमशक्यत्वादिति चेत्[3]। उच्यते,[4] आप्रबन्धं विरुद्धाविरुद्धभावावच्छिन्नप्रवाहश्चित्तवृत्तिसन्तानविशेष एव स्थायी। न च तस्याशुविनाशित्वेन कथं

परित्याग से केवल शुद्ध चैतन्य की प्रतीति होती है वैसे ही काव्य और नाट्य में व्यञ्जना अथवा भावकत्व व्यापार से रामत्व सीतात्व आदि विशेष सम्बन्धों के परित्याग से सामान्य कामिनीत्व और कामुकत्वादि की प्रतीति होती है और तब सामाजिक और रामादि पात्रों में तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। सर्वोपाधिरहित वही पात्र रसानुभूति में कारण बनते हैं। इसी आधार पर रस का साक्षात्कार होता है ऐसा प्रयोग होता है। जैसे जीव और ब्रह्म का अभेद होने पर 'अहं ब्रह्मास्मि' इस रूप से साक्षात् प्रतीति होती है वैसे ही सामाजिक और आश्रय का अभेद होने पर 'अहं रामः अहं सीता' इत्यादि के बोध से सामाजिक को शृङ्गारादि रसों का साक्षात्कार—साक्षात् अनुभव होता है।

और इसी तरह योगी को 'यः साक्षात् अपरो ब्रह्म' जो सामने दिखाई पड़ने वाला अपर-निकृष्ट कोटि का सोपाधिक व्यष्टि रूप जीव है वही उत्कृष्ट स्वरूप वाला निरुपाधिक ब्रह्म है इस रूप में साक्षात्कार होता है।

टि०—यहाँ भी जीव और ब्रह्म के चैतन्यांश रूपी निरुपाधिक स्वरूप में अभेद ज्ञान होता है। इसी प्रकार व्यञ्जना व्यापार की महिमा से सामाजिक और आश्रय में भी अभेद ज्ञान होता है।

[शङ्का—] तो फिर यह स्थायिभाव क्या वस्तु है ? चित्तवृत्ति तो स्थायिभाव नहीं हो सकती क्योंकि बहुत शीघ्र नष्ट होने वाली इस चित्तवृत्ति के भीतर स्थिरता का रहना असम्भव है। चित्तवृत्तियां बहुत देर तक टिककर नहीं रहा करती हैं क्योंकि यह क्षणिक हुआ करती हैं और दूसरी किसी वस्तु को भी स्थायी नहीं कहा जा सकता [क्योंकि वे भी क्षणिक ही हैं]।

[यदि पूर्वपक्षी की ओर से उपर्युक्त प्रकार से शङ्का की जाय तो] यह कहा जा सकता है। [स्थायिभाव का स्वरूप] प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक सारे नाटक या काव्य रूप रचना में विरोधी और अविरोधी भावों से युक्त प्रवाह अर्थात् चित्तवृत्तियों की परम्पराविशेष ही स्थायिभाव कहलाती है।

और वह बहुत शीघ्र नष्ट होने वाली है इस कारण उसमें स्थायित्व नहीं

१. ज अ, अथ त
२. ज अ; रयं त
३. त; आशुतरविनाशित्वेन स्थायित्वासम्भवाद् इति चेत् ज अ
४. ज त, अ में नहीं

स्थायित्वमिति वाच्यम्, वासनात्मतया सूक्ष्मरूपतयावस्थानसम्भवात् ।

अतएवाह मुनिः—

विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः ।
आत्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः ।

अन्येऽप्याहुः[1]—

चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते सम्बन्ध्यन्तेऽनुबन्धिभिः ।
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ।।

चिरमिति व्यभिचारिव्युदासाय, अनुबन्धिभिर्व्यभिचारिभिः ।

ननु—

सपदि मुकुलितेयं किंशुकानां वनाली
ललितमधुपमाला विभ्रमं सन्तनोति ।

हो सकता ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अन्तःकरण में वासना रूप में आकर सूक्ष्म रूप में उसका रहना सम्भव है।

इसलिए भरतमुनि ने कहा है।

जो विरोधी [प्रतिकूल] और अविरोधी [अनुकूल] भावों से नहीं टूटता है और जो दूसरे छोटे२ व्यभिचारिभावों को अपने में मिलाकर आत्मसात् कर लेता है वह स्थायिभाव समुद्र है।

टि०—जैसे समुद्र बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों को अपने में मिला कर एक बना देता है उसी प्रकार यह रत्यादिभाव भी प्रतिकूल छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यभिचारिभावों को अपने में मिला लेता है। इसी कारण उसको समुद्र रूप बताया है।

दूसरे आचार्य भी इसके सम्बन्ध में कहते हैं—

जो देर तक अन्तः करण में ठहरे रहते हैं और आनुषङ्गिक—कादाचित्क [कभी२ आने वाले] सम्बन्ध रखने वाले व्यभिचारिभावों के साथ सम्बन्ध रखते हैं और जो रसरूपता का धारण करते हैं वे भाव स्थायिभाव के रूप में प्रसिद्ध हैं।

[कारिका में पढ़ा हुआ) 'चिरम्' यह विशेषण व्यभिचारिभावों की निवृत्ति के लिए है। क्योंकि व्यभिचारिभाव स्थायिभाव की अपेक्षा बहुत थोड़े समय अन्तःकरण में रह पाते हैं। 'अनुबन्धिभिः' पद का अर्थ है व्यभिचारिभावों के साथ।

[यहां पर पूर्वपक्षी की] एक शङ्का है—

'ढाकों की यह वृक्षपङ्क्ति अर्थात् ढाक के वृक्षों पर लगे हुए फूल तुरन्त बन्द हो गये हैं। सुन्दर भौंरों के समूह शोभा को बढ़ा रहे हैं और यहां घनीभूत

---

१. अ त, अन्यथाप्याहुः ज

इह घनमकरन्दामोदमाद्यन्मिलिन्दा
विलसितसहकारश्रेणिराकम्पकुञ्जा[1] ॥ १९ ॥

इत्यादौ,

तारुण्योन्मादलीला नवमिव सदनं वक्रवाचां नवीना
पुष्पेषोर्वैजयन्ती विगलिततुलना[2] कापि लावण्यवापी
मर्यादा लोकसृष्टेः सकलयुवमनोबन्धनागारमूर्त्ति[3]-
श्चातुर्यप्रौढसीमा स्फुरति मम पुरो मान्मथी कापि माया ॥२०॥

इत्यादौ च,

प्रेमपल्लवितलोचनान्तयो-
रन्तरा निपतितान्तरालयोः ।

गाढ़े पुष्परस और सुगन्धियों [के सेवन] से समस्त भौंरों वाली [भौंरों के चलने फिरने से] हिलते हुए लताकुञ्जों वाली शोभायमान आम्रवृक्षों की पङ्क्तियां हैं ॥१९॥

इत्यादि उदाहरणों में,

टि०—इस श्लोक में किंशुक पुष्प, भ्रमरगुञ्जन, मकरन्द और आम्र-पङ्क्ति केवल उद्दीपन विभाव हैं। इस जैसे और भी ऐसे श्लोक मिलते हैं जहाँ केवल उद्दीपनविभावों का ही वर्णन है। अतः पूर्वपक्षी के मत में यह उदाहरण केवल उद्दीपनविभाव का है।

और जवानी की मस्ती की शृङ्गार भरी चेष्टा, वक्रोक्तियों—चतुराई भरे वचनों का नया भण्डार, कामदेव की नई विजयपताका, सुन्दरता की निरुपम एवं अनिर्वचनीय वावड़ी, संसार की [सुन्दर] रचना की [अन्तिम] सीमा [इससे अधिक सुन्दर और रचना नहीं है] सारे युवक जनों के मनों को बांधने के लिये कारागार स्वरूप, चातुर्य [निपुणता] की उत्कृष्ट सीमा, कामदेव द्वारा रची हुई कोई [लोकोत्तर अघटितघटनाघटनसाधिका-असम्भव बात को भी सम्भव कर देने वाली शक्तिस्वरूपिणी] यह सुन्दरी युवती मेरे सामने चमक रही है ॥२०॥

इत्यादि में,

टि०—इसमें और इस जैसे अन्य श्लोकों में केवल आलम्बनविभाव नायिका का वर्णन मिलता है। अतः पूर्वपक्षी के अनुसार यह केवल आलम्बन-विभाव का उदाहरण है।

हे सुन्दर मुख वाली, प्रेम से विकसित हुए नेत्रों के भीतरी भाग वाले, एक

---

१. त, विलसति सहकारश्रेणिराकन्दकुञ्जा ज अ ।
२. अ ज; प्रतिदिनमतुला त ।
३. अ ज; मुच्चैः त ।

आवयोरिह निगूढभावयो-
वेंद कः सुमुखि खेदमान्तरम् ॥ २१ ॥

इतौयाद च,

प्रातः पुनः स्यादुदियात् स भानुः
पश्येम कोदण्डमनाततज्यम् ।
इत्युत्सुकस्तत्र स रामभद्रो
निद्रादरिद्रो रजनीमनैषीत् ॥ २२ ॥

इत्यादौ प्रत्येकमेव रसोद्बोधान्न मिलितानां हेतुत्वमिति चेत्, न इष्टापत्तेः ।

दूसरे के मन में पड़े हुए मन वाले, मन के गुप्त छिपे हुए अभिप्रायों वाले हम दोनों की भीतरी पीड़ा को कौन जानता है ॥२१॥

इत्यादि उदाहरणों में,

टि०—इसमें और इस जैसे अन्य श्लोकों में एक दूसरे की रति के आलम्बनभूत नायकनायिकाओं की चेष्टा रूप केवल अनुभावों का वर्णन है ।

फिर प्रातः काल होगा, फिर वह सूर्य उदित होगा और हम उतरी हुई डोरी वाले धनुष को देखेंगे । इस प्रकार वह रामचन्द्र । [अगले दिन धनुरभ्यास करने की प्रतीक्षा में] निद्रा रहित होकर जागते जागते रात को गुजारते थे ॥२२॥

टि०—इसमें केवल [औत्सुक्य रूप] व्यभिचारिभाव का वर्णन मिलता है । अतः पूर्वपक्षी के अनुसार यहाँ केवल व्यभिचारिभाव ही रसरूपता को प्राप्त है ।

उपर्युक्त इन सभी उदाहरणों में तथा इन जैसे और भी उदाहरणों में से प्रत्येक के भीतर रसास्वाद-रसपरिपाक उपलब्ध है [किन्तु यहाँ पर विभाव, अनुभाव और सञ्चारिभावों में से किसी एक की ही उपस्थिति है सबकी नहीं] । इस कारण सम्मिलित विभाव और व्यभिचारिभाव ही रसोद्भव में कारण नहीं हुआ करते । [इस शङ्का का क्या उत्तर है ?] ।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय यह है कि इन उदाहरणों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब रसप्रतीति इनमें से किसी एक के होने पर ही हो जाती है तो सम्मिलित विभावादि को ही रस का कारण क्यों माना जाय ? सबके स्थान पर किसी एक को ही रस का कारण मानने में लाघव भी होगा । इस प्रकार केवल विभावों से, केवल अनुभावों और केवल व्यभिचारिभावों से भी रस की प्रतीति हो सकती है ।

[सिद्धान्ती—]यदि ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है क्योंकि [सम्मिलित विभावादियों से ही रस का बोध मानने पर] अभीष्ट रस की प्राप्ति हो सकती है [इन उदाहरणों में प्रधान रूप से एक ही वस्तु का वर्णन होने के कारण आपाततः वही एक दिखाई देती है किन्तु वस्तुतः वहाँ उस एक के साथ दूसरों की भी उपस्थिति हो जाती है] ।

न च विभावानुभावसञ्चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति सूत्रे मिलितानां कथमुपादानमिति वाच्यम्, व्याघ्रादिविभावानां पृथगनैकान्तिकत्वं बोधयितुमिति केचित् ।

टि०—अभिप्राय यह है कि जब स्थायिभाव के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव इन तीनों का सम्बन्ध होता है तभी रसास्वाद होता है। इनमें से किसी एक के द्वारा रसनिष्पत्ति नहीं हो सकती। अपने मत के समर्थन के लिए ग्रन्थकार अगली पंक्तियों में शङ्का और समाधान सहित आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के मतों को उपस्थित करते हैं।

[शङ्का—] और [जब विभावादियों में से किसी एक के रहने पर भी रसनिष्पत्ति हो जाती है तब] भरत मुनि के "विभावानुभावसञ्चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" [स्थायिभाव के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव का संयोग होने पर रस का अनुभव होता है] इस रससूत्र में जो उन्होंने सम्मिलित विभावादि का ग्रहण किया है यह कैसे सङ्गत होगा ?

किन्हीं [मम्मट आदि] विद्वानों का कहना है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए [विभावादियों में से यदि प्रत्येक को अलग २ रस के बोध में हेतु माना जाय तो उन आचार्यों के द्वारा] पृथक् पृथक् रसोद्बोध के कारण बना दिये गये व्याघ्रादि विभावों के भीतर आने वाले अनैकान्तिक दोष को बताने के लिए सूत्र में ऐसा कहा गया है।

टि०—काव्यप्रकाश (व्याघ्रादयो विभावाः इत्यादि ४,२८ वृत्तिभाग) में आचार्य मम्मट ने इस प्रसङ्ग को उठाया है। उनका अभिप्राय यह है कि व्याघ्रादि विभावों का, अश्रुपातादि अनुभावों का और चिन्तादि व्यभिचारिभावों का साधारणतया पृथक् पृथक् रूप से बहुत सारे रसों के साथ सम्बन्ध होता है। एक ही व्याघ्र को जब जंगल में बच्चे, स्त्री और पुरुष देखते हैं तो वह भयानक का आलम्बन बनता है और यदि उसने किसी के पशु या बच्चे को मार दिया हो तो उसे देखकर क्रोध होता है तब वह रौद्र रस का आलम्बन बनता है। जिसने व्याघ्र को पहले कभी नहीं देखा हो वह यदि पहली बार उसे चिड़ियाघर में देखता है तो वह अद्भुत का आलम्बन बनता है। अश्रुपात रूप अनुभाव विप्रलम्भ, करुण और भयानक रसों में समान रूप से देखा जाता है। चिन्ता सञ्चारिभाव शृङ्गार, करुण, शान्तादि रसों में होता है। इस प्रकार यदि इन तीनों में से प्रत्येक को रस का बोधक मानें तो वह किसी एक ही रस का निश्चित रूप से बोध नहीं करायेगा। इस कारण इस प्रकार का विभाव या अनुभाव या व्यभिचारिभाव रस के प्रति निश्चित कारण नहीं बन पायेगा और इसी कारण इस प्रकार के हेतु में अनैकान्तिकता का दोष आता है। किन्तु सम्मिलित विभावादियों से रसाभिव्यक्ति मानने पर अनैकान्तिकता

केचित्तु यत्रान्यन्नास्ति तत्रान्यतमद्वयाक्षेप इति वदन्ति ।

समाप्त हो जाती है। जब किसी एक शृङ्गार जैसे रस के अनुकूल सारे के सारे विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारिभाव प्रयुक्त किये जाते हैं तभी उस रस की चर्वणा होती है और समस्त भाव उस सम्बद्ध रस तक ही सीमित रहते हैं। तदतिरिक्त रसों में सङ्क्रान्त नहीं होते। इसलिए सम्मिलित विभावादियों से ही रसोद्बोध होता है यह मत मान लेना चाहिए। व्यक्तस्तैस्तैर्विभावाद्यैः स्थायिभावो रसो मतः ।। काव्य-प्रकाश ४,२८ के इस वचन से भी मम्मट का, सम्मिलित विभाव ही रस सृष्टि करते हैं, यह मत प्रकट होता है।

[विश्वनाथ आदि] कुछ आचार्यों का कहना है कि जहाँ इनमें से किसी एक का वर्णन होता है और बाकी दो का वर्णन नहीं होता वहाँ दूसरे दोनों का आक्षेप हो जाता है।

टि०—साहित्यदर्पण (३, १४-१६) में विश्वनाथ ने बताया है कि रसोद्बोध में विभावादि की सम्मिलित रूप में कारणता है। लोक में सीता आदि विभाव रामादि आश्रय की रति के कारण होते हैं और भ्रूविक्षेपादि उस रति के कार्य होते हैं, एवं हास्यलज्जादि रति के सहकारिमात्र होते हैं। किन्तु रसोद्बोध में इनको कारण कैसे मान लिया जाय? इस शङ्का का समाधान वह इस प्रकार करते हैं—लोक में कार्य, कारण और सहकारिकारण होते हुए भी विभावादि को रसनिष्पत्ति में हेतु ही माना जाता है। इन विभावादियों में पृथक्२ कारणता नहीं है, सब मिलकर ही कारण होते हैं। उन सब विभावादियों का एक प्रतिभास अर्थात् एक रस के रूप में परिणाम कैसे होता है? भिन्न२ कारणों से तो भिन्न२ कार्य होने चाहिएँ इस प्रश्न का समाधान वह इस प्रकार करते हैं—पहले जब विभावादि पृथक् पृथक् प्रतीत होते हैं उस समय उन्हें हेतु कहा जाता है। इसके अनन्तर भावना के बल से और व्यञ्जना की महिमा से चर्व्यमाण (आस्वाद्यमान) सम्मिलित सब विभावादिक सहृदयों के हृदय में प्रपानक रस की भाँति अखण्ड (एक) रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे जलजीरे, सरदाई या आम के पन्ने में खाँड, काली अथवा लाल मिर्च, जीरा, हींग काला नमक, पोदीना, नीबू आदि मिलाने से उन सबके पृथक् पृथक् स्वाद से विलक्षण एक अपूर्व आस्वाद पैदा होता है वैसे ही विभावादियों के सम्मेलन से एक अलौकिक रसास्वाद पैदा होता है जो विभावादियों के पृथक् पृथक् आस्वाद से विलक्षण होता है।

इसके अनन्तर विश्वनाथ ऊपर बताई हुई शङ्का को उपस्थित करके उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं—यदि विभाव, अनुभाव और सञ्चारिभाव इन तीनों के मिलने पर ही रसास्वाद होता है तो जहाँ कहीं एक अथवा दो का ही वर्णन है वहाँ वह कैसे होगा? इसका उत्तर यह है—

सद्भावश्चेद् विभावादेर्द्वयोरेकस्य वा भवेत् ।
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ।। सा० द० ३।७०

अथैतेष्वेव केषाञ्चिद् विशेषानभिदध्महे ।। २८ ।।
शृङ्गारवीरकरुणरौद्राद्भुतभयानकाः ।
बीभत्सहास्यप्रेयांसः शान्तदान्तोद्धता रसाः ।। २९ ।।
तत्र
सम्भोगो विप्रलम्भश्च शृङ्गारोऽत्र द्विधा मतः ।

विभावादिकों में से दो अथवा एक के शब्दोपात्त होने पर जहाँ प्रकरण अथवा स्मरणादि से शेष का झट से आक्षेप हो जाये वहाँ औरों का आक्षेप हो जाने के कारण रसास्वाद में किसी प्रकार का दोष नहीं आता है । इस प्रकार विश्वनाथ भी सम्मिलित विभावादियों से रस का उद्‌भव मानते हैं ।

रसगङ्गाधर में पण्डितराज जगन्नाथ ने भी प्रथमानन के रसप्रकरण में इसी समस्या को उठाते हुए अनेक मतों का उल्लेख किया है—

१—विभावादयस्त्रयः समुदिताः रसः इति कतिपये—विभावादि तीनों ही साधन सम्मिलित होकर रस के कारण वनते हैं ऐसा कुछ आचार्यों का मत है । यह मत भरतसूत्र के अनुकूल है ।

२—त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसोऽन्यथा तु त्रयोऽपि न इति वहवः—तीनों में जो चमत्कारजनक हो वही रसरूपता को प्राप्त करता है, नहीं तो तीनों इकट्ठे पड़े हुए भी रस नहीं वनते । यदि यह चमत्कार तीनों में पाया जाये तो तीनों ही रस के हेतु वन जाते हैं । अन्यथा जिसमें चमत्कार हुआ वही रस वन जायेगा । इसके अनुसार विभावादियों की समष्टि और व्यष्टि दोनों ही रसोद्‌वोध का कारण वन सकती है ।

३—भाव्यमानो विभाव एव रस इत्यन्ये—भावना का विषयीभूत विभाव ही रस होता है ऐसा कुछ दूसरे विद्वान् मानते हैं ।

४—तथा अनुभावस्तथा इतीतरे—वैसे ही भावना के द्वारा अनुभव का विषय होता हुआ अनुभाव ही रस होता है ऐसा दूसरे मानते हैं ।

५—तथा व्यभिचार्येव तथा परिणमति इति केचित्—व्यभिचरणशील व्यभिचारिभाव भावना का विषय वनकर रस रूप में परिणत होता है ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं ।

इन्हीं रसों में से किन्हीं के भेदों को कहते हैं ।।२८।।

१. शृङ्गार, २. वीर, ३. करुण, ४. रौद्र, ५. अद्‌भुत, ६. भयानक, ७. बीभत्स ८. हास्य, ९. प्रेयान्, १०. शान्त, ११. दान्त और १२. उद्‌धत ये १३. रस होते हैं ।।२९।।

इस [काव्य] में सम्भोग और विप्रलम्भ ये दो शृङ्गार के भेद माने जाते हैं ।

उभयोरपि रतिप्रकृतिकत्वात् । तत्राद्यः परस्परावलोकनचुम्बनाद्यनेकप्रकारोऽपि सम्भोगत्वसामान्यमाश्रित्य एक एव गण्यते । सम्भोगत्वं च रतिप्रकृतिकत्वे सति विप्रलम्भभिन्नत्वम् । यथा—

विन्यस्तं करपल्लवे करतलं मन्दस्मितं जल्पितं
तन्व्या तन्निजमन्दिरे निजसखीभ्रान्त्या तयाविष्कृतम् ।
कान्ते तु[1] स्तनयोरथ श्लथयति क्षौमं सखी छद्मना
बाला मीलितदृष्टिनम्रवदना लज्जाम्बुधौ[2] मज्जति ॥२३॥

क्योंकि इन दोनों का रतिस्थायिभाव ही मूल कारण है [अतः यह दोनों ही शृङ्गार रस के प्रकार हैं] । इनमें से पहला सम्भोग शृङ्गार एक दूसरे को देखने, चूमने और आलिङ्गन आदि क्रियाओं के कारण अनेक भेदों वाला होता हुआ भी सम्भोगत्व रूप समान धर्म को लेकर एक ही भेद वाला माना जाता है [सम्भोग शृङ्गार का एक ही भेद है क्योंकि इसके सारे अवान्तर भेदों में सम्भोगत्व रूप एक ही समान धर्म पाया जाता है] ।

रति से उत्पन्न होते हुए भी विप्रलम्भ से भिन्न होना ही सम्भोगत्व है।

टि०—यद्यपि सम्भोग शृङ्गार भी विप्रलम्भ की भाँति रति से उत्पन्न होता है परन्तु वह विप्रलम्भ से भिन्न है । विप्रलम्भ में भी नायक नायिका सम्भोग चाहते हैं । सम्भोग में तो नायक नायिका मिल ही जाते हैं किन्तु दोनों के न मिलने का नाम विप्रलम्भ है और मिलने का नाम सम्भोग है ।

[सम्भोग भेद का उदाहरण] जैसे—

नये पत्ते के समान कोमल [पति के] हाथ में हाथ रखा हुआ था । उसका सम्भाषण मन्द मन्द मुस्कुराहट से युक्त था । अपने कमरे में उस नायिका ने अपनी सहेली होने के भ्रम से उस प्रकार का [निश्चिन्ततापूर्ण और अनौपचारिक] व्यवहार किया । इसके बाद सखी के बहाने से—सखी होने का ढोंग करते हुए पति के द्वारा स्तनों के [ऊपर स्थित] रेशमी वस्त्र को ढीला करने पर बन्द आंखों एवं झुके हुए मुंह वाली वह मुग्धा नायिका लज्जा के समुद्र में डूब गई है—अत्यधिक लज्जित हो रही है ॥२३॥

टि०—यहां 'कान्ते तु' के स्थान पर यदि 'को हेतुः' पाठ लिया जाय तो उसकी सङ्गति चिन्ताम्बुधौ के साथ होगी । वक्षःस्थल पर रखा हुआ सहेली का हाथ तो इस प्रकार की शृङ्गारभरी चेष्टायें नहीं कर सकता तो क्या यह किसी पर पुरुष का हाथ है । यदि यह बात है तो इसका कारण क्या है ? इस प्रकार की चिन्ता इस नायिका को हो रही है ।

---

१. ज, नु त, को हेतु अ
२. अ ज, चिन्ताम्बुधौ त

यथा वा[1]

आयातासि विमुञ्च वेपथुभरं दृष्टासि केनापि नो
नीलं चोलममुं विमुञ्च हरतु स्वेदं निशीथानिलः।
इत्यन्तर्भयसन्नकण्ठमसकृद् यामीति तल्पं गता
त्रस्यन्ती परिरभ्यते सुकृतिभिः स्वैरं नवस्वैरिणी[2]॥२४॥

अपरस्त्वभिलाषविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चधा

स च सङ्गमप्रत्याशाकालीनः स्यात्तस्यानुत्पादः ॥ ३० ॥

कोई नायिका जब अपने कमरे में घुसती है तो अन्धकार में छिप कर बैठे हुए नायक को वस्त्राच्छादित होने के कारण सहेली समझ लेती है। भुलावे में आकर वह उसके हाथ में अपना हाथ रखकर अपनी रति सम्बन्धी गोपनीय बातें करने लगती है। थोड़ी देर तक बातें सुनने के बाद उसका पति उसके वक्षःस्थल पर अपना हाथ फेरने लगता है। पति के हाथ के कठोर स्पर्श को पहिचान कर वह पहले सखी जानकर अपनी कही हुई बातों को जब सोचती है तो उसे बहुत अधिक लज्जा होने लगती है।

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

[अब तुम मेरे समीप] आ [ही] गई हो [अतः अब] काँपना छोड़ दो। किसी ने तुम्हें देखा नहीं है। [कृष्णाभिसारिका बन कर आई तुम] इस नीले चोगे को उतार दो जिससे रात्रि का पवन तुम्हारे पसीने को दूर कर देवे। नायक द्वारा अपने प्रति ऐसा कहने पर] भय के कारण रुके हुए गले से बार-बार 'मैं जाती हूँ, जाती हूँ' इस प्रकार कहने वाली, शय्या पर बैठी हुई, डरती हुई स्वच्छन्द विहार करने वाली नई नायिका का [किन्हीं] भाग्यशालियों द्वारा अपनी इच्छानुसार [निश्चिन्तता के साथ देर तक] आलिङ्गन किया जाता है॥२४॥

[सम्भोग शृङ्गार से भिन्न] दूसरा विप्रलम्भ शृङ्गार १. अभिलाष, २. विरह, ३. ईर्ष्या ४. प्रवास, और ५. शाप से उत्पन्न होने वाला है। इस प्रकार यह पाँच प्रकार का है।

और वह विप्रलम्भ शृङ्गार मिलन के प्रति जब आशा होती है उस समय पैदा होता है और उस मिलन का न होना उसमें पाया जाता है॥३०॥

टि०—इन पांचों प्रकार के विरह में यह सामान्य तत्त्व पाया जाता है। इस कारण यह विप्रलम्भसामान्य का लक्षण है। आगे इसके भेदों के विशेष लक्षण बताये हैं।

---

१. अ; यथा च त; ज में नहीं
२. त; ज म में सारा श्लोक नहीं

भवेदभिलाष इच्छा देशैक्यपारतन्त्र्यं विरहः।

देशैक्य इति विशेषणात्प्रवासाद् भेदः कथितः। अतएव प्रोषितभर्तृका विरहोत्कण्ठिता भिन्नेति कथ्यते, स्वतन्त्रेच्छेन मुनिना तथैव विभागकरणात्।

सपत्नीसङ्गते कान्ते कोप ईर्ष्यासमुद्भवः॥ ३१॥
प्रणयकोपहेतुको विप्रलम्भ इति केचित्।[1]

---

१. अभिलाषविप्रलम्भ—[वियुक्त नायक नायिका में एक दूसरे को पाने की) इच्छा [आकाङ्क्षा] जहाँ हो उसे अभिलाषविप्रलम्भ कहा जाता है।

२. विरहविप्रलम्भ—[दोनों के] एक स्थान पर होने पर [गुरु, स्वामी, माता, पिता आदि की] पराधीनता [के कारण न मिल पाना] विरह [विप्रलम्भ] कहलाता है।

[कारिका में आये हुए] 'देशैक्य' इस विशेषण से विरहविप्रलम्भ का प्रवासविप्रलम्भ से भेद बताया गया है [प्रवासविप्रलम्भ में नायक नायिका दूरङ्गत होने के कारण एक स्थान पर नहीं होते किन्तु, विरहविप्रलम्भ में दोनों एक ही स्थान पर होते हैं, फिर भी वे लज्जा, भय आदि के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं]। इसीलिए प्रोषितभर्तृका और विरहोत्कण्ठिता यह दोनों नायिका 'एक दूसरी से पृथक् हैं' यह कहा जाता है। क्योंकि सर्वतन्त्र स्वतन्त्र [अर्थात् मौलिक विचारक] भरत मुनि ने [भी] ऐसा ही इन दोनों का [पारस्परिक] भेद किया है।

टि०—'स च…विरहः' यह कारिका यहाँ कुछ गद्य पद्य भरी सी मिलती है। उसको संशोधित रूप में रखा है। मूल पाठ इस प्रकार है—

स च सङ्गमप्रत्याशाकालीनस्तदनुत्पादः।
अभिलाष इच्छा देशैक्येऽपि गुर्वादिपारतन्त्र्यं विरहः॥

यह विरह विप्रलम्भ गुरुजनों की उपस्थिति होने पर लज्जा आदि से भी हो सकता है और नायक नायिका इन दोनों में से किसी एक के अनुराग शून्य होने पर भी हो सकता है। एक ही शय्या पर आसीन होने की स्थिति में भी विरहविप्रलम्भ हो सकता है।

३. ईर्ष्याविप्रलम्भ—[अपने] प्रेमी]पति] के सौत के साथ [आलिङ्गन चुम्बनादि करते हुए] प्रणयग्रन्थि में आबद्ध होने पर उत्पन्न हुआ क्रोध ईर्ष्या [विप्रलम्भ] कहलाता है ॥३१॥

कुछ आचार्य प्रणयकोप से उत्पन्न [मान नाम का] विप्रलम्भ होता है ऐसा मानते हैं।

---

१. अतः गुर्वादिपारतन्त्र्यं विरहः…इति केचित् यह अंश ज में नहीं

गुर्वादिपारतन्त्र्येण यूनोर्देशान्तरे स्थितिः ।
प्रवासो मुनिकोपेन यन्त्रणं शाप उच्यते ।। ३२ ।।

मुनिरित्युपलक्षणं देवतादीनाम् ।

यूनोरेकतरस्मिन् गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये ।
विमनायते यदेकस्तदा भवेत् करुणविप्रलम्भाख्यः ।। ३३ ।।

टि०—प्रणय कोप से उत्पन्न होने वाला विप्रलम्भ ही प्रणयमान विप्रलम्भ है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने चार प्रकार का विप्रलम्भ माना है—

स च पूर्वरागमानप्रवासकरुणात्मकश्चतुर्धा स्यात् ।—साहित्यदर्पण, ३,१८७

इस प्रकार साहित्यदर्पणकार ने अभिलाषविप्रलम्भ और ईर्ष्याविप्रलम्भ के स्थान पर क्रमशः पूर्वरागविप्रलम्भ और मानविप्रलम्भ नाम के भेद माने हैं। विरह-विप्रलम्भ नाम का भेद नहीं माना है । मानविप्रलम्भ के दो भेद किये हैं १. प्रणयमान और २. ईर्ष्यामान ।

मानः कोपः स तु द्वेधा प्रणयेर्ष्यासमुद्भवः ।
द्वयोः प्रणयमानः स्यात्प्रमोदे सुमहत्यपि ।।
प्रेम्णः कुटिलगामित्वात् कोपो यः कारणं विना ।
—साहित्यदर्पण, ३,१९८-९९ ।

कोप का ही दूसरा नाम मान है । यह मान विप्रलम्भ दो प्रकार का है १. प्रणय से उत्पन्न और दूसरा ईर्ष्या से उत्पन्न । प्रेम की उलटी ही रीति है । इस कारण दोनों के हृदय में भरपूर प्रेम होने पर भी विना ही कारण जो एक दूसरे के ऊपर कोप है उसे प्रणयमान कहते हैं ।

यहाँ 'प्रणयकोपहेतुकविप्रलम्भ इति केचित्' कहकर ग्रन्थकार ने साहित्य-दर्पण के इसी मत की ओर सङ्केत किया है । ग्रन्थकार काव्यप्रकाशकार मम्मट का अनुसरण करते हुए ईर्ष्याविप्रलम्भ को मानते हैं जबकि साहित्यदर्पण इसके स्थान पर मानविप्रलम्भ मानते हैं और तदनन्तर इसके प्रणयमान और ईर्ष्यामान नामक दो भेद करते हैं ।

बड़े [राजा, माता पिता और आचार्य आदि] लोगों की आज्ञा रूपी परा-धीनता के कारण युवती और युवकों की विदेश में स्थिति हो जाने पर प्रवास नामक विप्रलम्भ शृङ्गार होता है मुनि, देवता आदि के क्रोध से किसी विपत्ति में फंस जाना अथवा किसी स्थान में अवरुद्ध हो जाना शाप कहलाता है ।।३२।।

कारिका में पठित 'मुनि' शब्द देवता आदि का उपलक्षण है [अर्थात् मुनि शब्द से तपस्वी मुनि इस अर्थ के ग्रहण के साथ देवता आदि का भी उपादान होता है] ।

इति । मूर्च्छितनायकादिविषयः करुणविप्रलम्भोऽप्यन्योऽस्तीति प्राञ्चः । क्रमेणोदाहरणानि—

न्यञ्चद्भ्रूभङ्गि किं तस्या लज्जालोलविलोचनम् ।
अन्तःस्मितसुधासिक्तं भूयादर्द्धवचो मयि ॥ २५ ॥

विरहो यथा—

समानकुलशीलयोः समरुचोः परायत्तयोः
परस्परविलोकनाकुलितचेतसोः प्रेयसोः ।[1]
तनुत्वमनुविन्दतोर्बहुविधं विधिं निन्दतो-
रशक्यविनिवेदना विरहवेदना वर्द्धते ॥ २६ ॥

नायक और नायिका दोनों में से किसी एक के मर जाने पर उसके फिर से मिलने की आशा होने से जब दूसरा छटपटाता है—दुःखी होता है तो वह करुण विप्रलम्भ कहलाता है ॥३२॥

इस रूप में प्राचीनों का करुणविप्रलम्भ नामक दूसरा भेद मूर्च्छित [बेहोश] नायकादि-विषयक है ।

टि०—इस प्रकार उक्त कारिका (साहित्यदर्पण ३,२०९) में आचार्य विश्वनाथ का मत बताया हुआ है । अभिप्राय यह है कि जब परलोकगत व्यक्ति से इसी जन्म में इसी देह से फिर मिलने की आशा हो तब करुणविप्रलम्भ होता है जैसे—कादम्बरी में पुण्डरीक और महाश्वेता का वृत्तान्त । किन्तु यदि फिर मिलने की आशा टूट जाय अथवा जन्मान्तर में मिलने की आशा हो तब करुण रस होता है ।

क्रम से इनके उदाहरण हैं । [क] [अभिलाषविप्रलम्भ का उदाहरण जैसे]

उस सुन्दरी नायिका की तिरछी भौंहों का सञ्चालन, शर्म के कारण चञ्चल दृष्टिपात, भीतरी मुस्कुराहट रूपी अमृत से भीगा हुआ आधा आधा वचन [प्रेमातिशय के कारण अधरा अधूरा वाक्य] क्या कभी मेरे लिए प्रयुक्त होगा ? ॥२५॥

[ख] विरहविप्रलम्भ [का उदाहरण] जैसे—

एक जैसे कुल और स्वभाव वाले, एक जैसी प्रीति और अनुराग से युक्त, अपने से बड़े लोगों की आज्ञा के अधीन, एक दूसरे को देखने के लिए व्याकुल चित्त वाले, कृशता को प्राप्त और अनेक प्रकार से विधाता की या रीति रिवाजों की निन्दा करने वाले इन दोनों प्रेमियों की इलाज न होने वाली विरहपीड़ा बढ़ रही है ॥२६॥

---

१. अ ज, प्रेयसोः त में नहीं ।

ईर्ष्याहेतुको यथा—

कान्तेन प्रहितं करे परिजनैर्नीतं निवेश्यादरान्
मौलौ मन्मथलेखमन्यसुदृशो दृष्ट्वाथ नामाक्षरम् ।
नासाग्रप्रहिताङ्गुलीकिसलयं[1] पाणौ निषिक्ताननं
दीर्घं निःश्वसितं मनाग् विहसितं धूतं च तन्व्या शिरः ।।२७।।

प्रवासहेतुको यथा—

सान्त्वप्रायैर्वचनरचनैर्गन्तुमापृच्छमाने
कान्ते तिर्यङ्नमितवदना रुन्धती वाष्पपूरम् ।
दीर्घोच्छ्वासस्थगितविकलोत्कम्पिनासापुटान्ता
सङ्ख्याशून्यं गणयति मृगीलोचना कङ्कणानि ।। २८ ।।

(ग) ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाले [विप्रलम्भ का उदाहरण] जैसे—

अपने प्रेमी के द्वारा भेजे गये, सेवकों के द्वारा [गुप्त रूप से] लाये गये प्रेम-पत्र को आदरपूर्वक अपने सिर पर रखकर किन्तु थोड़ी ही देर बाद दूसरी सुन्दरी नायिका के नाम के अक्षरों को देखकर नाक के अग्रभाग में नये कोमल पत्ते के समान कोमल अंगुलियों को रखकर और हाथ में मुंह को टिकाकर उस सुन्दरी ने लम्बा साँस लिया, थोड़ी सी हँसी और सिर को हिलाया ।।२७।।

टि०—नायक ने यह पत्र परकीया नायिका को लिखा था किन्तु यह स्वकीया के हाथ में पड़ गया । 'दीर्घं निःश्वसितम्' से इस नायिका के स्वाभिमान को चोट पहुँचने के कारण अपमान का बोधन हो रहा है । 'मनाग् विहसितम्' से पति की धूर्तता का बोध हो रहा है, बड़े चालाक बनते थे किन्तु सारी पोल खुल गई है, 'शिरः धूतम्' से अब मैं इन दोनों (पति और सौत) को अच्छी तरह देख लूंगी यह अर्थ ध्वनित हो रहा है ।

(घ) प्रवास के कारण उत्पन्न [विरह का उदाहरण] जैसे—

दिलासा भरी बातों को कहकर अपने जाने के लिए पति द्वारा पूछे जाने पर तिरछे रूप में नीचे की ओर झुके हुए मुख वाली, आँसुओं के प्रवाह को [जबर्दस्ती) रोकते हुई, लम्बे लम्बे श्वासों से अवरुद्ध एवं व्याकुलता के कारण काँपते हुए नासिका छिद्रों से युक्त, हरिणी के समान सुन्दर नेत्रों वाली यह सुन्दरी असङ्ख्य बार अपने हाथ के कंगनों को गिनती है ।।२८।।

टि०—यहाँ प्रयास्यत्पतिका का वर्णन है । पति बड़े ढंग से और चतुरता से अपनी बात को कहता है । मैं शीघ्र ही आ जाऊँगा, पत्रादि लिखता रहूँगा, घबराने

---

१. ज, किशलयं अ त ।

शापहेतुको यथा—

निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्तीं
शुद्धा स्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बि ।
मत्संयोगः सुखमुपनयेत् स्वप्नजोऽपीति निद्रा-
माकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशम् ।। २९ ।।

अथ वीरादीनां क्रमेणोदाहरणानि—

तत्र—

वीरो दानधर्मदयायुद्धभेदाच्चतुर्विधः । आद्यो यथा—

नाशिष्यः किमभूद्भवः किमभवन्नापुत्रिणी रेणुका
नाभूद्विश्वमकार्मुकं किमपि वः प्रीणातु रामत्रपा ।

की कोई बात नहीं है इत्यादि वाक्यों से अपनी नायिका को ढाढस बँधाता है किन्तु वह अनमनी हो रही है । ऐसी दशा में नायिका से न कुछ कहते बनता है और न सुनते बनता है ।

(च) शाप के कारण उत्पन्न [विप्रलम्भ का उदाहरण] जैसे—

नवीन पत्ते के समान कोमल निचले ओठ को पीड़ा पहुँचाने वाले [तेज चलने के कारण गर्म साँस किसलय सदृश ओठ को म्लान कर रहा है] साँस से कपोल प्रदेश तक लटकते हुए सादे स्नान के कारण [तेल आदि से न सँवारे हुए अतएव] रूखे बालों को परे फेंकती हुई 'स्वप्न में भी मेरा संयोग सुख प्रदान करेगा' यह सोचकर नेत्रों के पानी के प्रवाह से रुके हुए मध्य भाग से युक्त नेत्रों वाली निद्रा की कामना करती हुई [उस पतिव्रता] को देखना ।।२९।।

टि०—नायिका की आँखें अश्रुओं से भर जाने के कारण दृष्ट्यवरोध होने से देखने में असमर्थ हैं । मेघदूत (२,३१) में शापग्रस्त यक्ष की यह उक्ति हैं ।

इसके बाद वीरादि रसों के क्रम से उदाहरण हैं । काव्य में—

दान, धर्म, दया और युद्ध इन चार धर्मों के भेद से यह वीर चार प्रकार का होता है ।

टि०—यह भेद इस प्रकार दिखाये जा सकते हैं ।

वीर

१. दानवीर २. धर्मवीर ३. दयावीर ४. युद्धवीर

२. वीर के [क] पहले [भेद दानवीर का उदाहरण] जैसे—

[अपने परशु द्वारा क्षत्रियों के ऊपर किये गये] आक्रमण से [क्षत्रियों के] मारे जाने पर [भी अभी तक] ब्राह्मणों के सारे घर मणिसमूहों से प्रकाशमान नहीं हुए

विप्राणां प्रतिमन्दिरं मणिगणोन्मिश्राणि दण्डाहते
नाब्धीनां समया यमोऽपि महिषेणाम्भांसि नोद्वाहितः ॥ ३०॥

द्वितीयो यथा—

राज्यं वसु च देहश्च भार्या भ्रातृसुताश्च ये।
यच्च लोके मदायत्तं तद् धर्माय सदोद्यतम् ॥ ३१ ॥

तृतीयो यथा—

तथेति गामुक्तवते दिलीपः
सद्यःप्रतिष्टम्भविमुक्तबाहुः।

हैं [ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में क्षत्रियों की समृद्धि नहीं प्राप्त हुई है] और [सारी पृथिवी ब्राह्मणों को दान कर देने के बाद अपने निवास के लिए पृथक् स्थान पाने के लिए] भैंसे के द्वारा यमराज से मैंने अभी समुद्रों का पानी भी नहीं ढुलवाया है [इस कारण अभी समुद्र में भी मेरे लिए स्थान नहीं बन पाया है। मेरी इस निर्बलता से] क्या महादेव जी कुशिष्य वाले सिद्ध नहीं हुए हैं ? क्या मेरी माता रेणुका कुपुत्र वाली नहीं साबित हुई है और क्या आज सारा संसार धनुषरहित अर्थात् प्रशस्त धनुर्धारी से विहीन नहीं हो गया है ? इस रूप में होने वाली परशुराम की लज्जा आपको प्रसन्न करे ॥३०॥

टि०—प्रस्तुत श्लोक में परशुराम अपना यह दुःख प्रकट कर रहे हैं कि क्षत्रियों का वध करने पर भी अभी तक ब्राह्मण समृद्ध नहीं हुए हैं और मेरे लिए रहने के लिये इस पृथिवी पर जगह भी नहीं है। रामायण और पुराणों में प्रसिद्ध है कि परशुराम ने २१ वार क्षत्रियों का संहार कर दिया था और सारी पृथिवी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। सब कुछ दान दे देने के बाद उनके पास अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस कारण उन्होंने समुद्र में से पानी निकलवाकर अपने रहने के लिए अलग से ज़मीन निकलवाई थी। उपर्युक्त श्लोक में अपना सर्वस्व दान देने वाले परशुराम जी का असन्तोष अभिव्यक्त हो रहा है जो उनके लोकोत्तर दानी होने का द्योतक है।

[ख] दूसरे [धर्मवीर का उदाहरण] जैसे—

राज्य, धर्म, शरीर, पत्नी, भाई और पुत्र और इस संसार में जो कुछ भी मेरे अधीन है अथवा मेरे पास है वह सब कुछ धर्म के लिए सदा प्रस्तुत है—न्यौछावर है ॥३१॥

(ग) तीसरे [दयावीर का उदाहरण] जैसे—

वैसा ही हो—[यदि तुम गाय के बदले अपना शरीर देना चाहते हो तो दो] इस प्रकार की वाणी को कहने वाले सिंह को तुरन्त ही स्तम्भ—अवरोध से मुक्त हुई

स न्यस्तशस्त्र हरये स्वोदेह-
मुपानयत् पिण्डमिवामिषस्य ॥ ३२ ॥

चतुर्थो यथा—

निस्त्रिंशत्रुटितारिवारणघटाकुम्भास्थिकूटावट-
स्थानस्थायुकमौक्तिकोत्करकिरः कैरस्य नायं करः ।
उन्नीतश्चतुरङ्गसैन्यसमरत्वङ्गत्तुरङ्गक्षुर-
क्षुण्णासु क्षितिषु क्षिपन्निव यशः क्षोणीजबीजव्रजम् ॥ ३३ ॥

अयं चतुर्विधोऽपि—

उत्साहप्रकृतिकत्वाद् वीर इत्यभिधीयते ॥ ३४ ॥

करुणो यथा—

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बत किन्न मे हृतम् ॥ ३४ ॥

भुजा वाले राजा दिलीप ने शस्त्रों का परित्याग करके माँसपिण्ड के समान [तुच्छ समझते हुए] अपना शरीर अर्पित कर दिया ॥३२॥

टि०—यह श्लोक रघुवंश के द्वितीय सर्ग का है। इसमें सिंह और दिलीप का उत्तर प्रत्युत्तर है।

(घ) चौथे [युद्धवीर का उदाहरण] जैसे—

शत्रुओं के हाथियों के गण्डस्थलों की हड्डियों के ढेर को अपनी तलवार से तोड़ने वाला और उन ढेरों के कारण बने हुए गर्तप्रदेशों में स्थित मोतियों के समूह को बिखेरने वाला, ऊपर उठाया हुआ एवं चतुरङ्गिणी। [रथ, अश्व, पैदल और हाथी वाली] सेना के दौड़ते हुए घोड़ों की टापों से खुदती हुई जमीनों में यश रूपी वृक्षों के बीजसमूह को डालता हुआ सा इस राजा का यह हाथ किनके द्वारा ऊपर नहीं उठाया गया है? [अर्थात् सबने ही उठाया है] ॥३३॥

टि०—विजयी राजा का हाथ उसके सहयोगियों ने ऊपर की ओर उठा दिया है यह विजयाभिव्यक्ति का एक प्रकार है।

यह चार प्रकार का होता हुआ भी एक वीर रस ही कहा जाता है क्योंकि उत्साह नामक मूल कारण सारे भेदों में समान रूप से रहता है॥३४॥

३. करुण [रस का उदाहरण] जैसे—

[हे इन्दुमती तुम] घर का सारा भार संभालने वाली धर्मपत्नी, मन्त्री, सलाहकार, एकान्त में घुल मिल कर बातें करने वाली सहेली और [काव्य, नाट्य, संगीत तथा रति सम्बन्धी] ललित कलाओं में मेरी प्यारी शिष्या रही हो। बड़े दुःख की बात है, तुमको हरते हुए निष्ठुर काल ने मेरा क्या नहीं हर लिया? अर्थात् मेरा सब कुछ ही छीन लिया है ॥३४॥

टि०—रघुवंश में इन्दुमती के मरने पर अज की यह विलापोक्ति है।

यथा वा—

हृदयान्नापयातोऽसि दिक्षु सर्वासु दृश्यसे ।
वत्स राम गतोऽसीति सन्तापादनुमीयते ।। ३५ ।।

अयं शोकप्रकृतिकत्वात् करुणः ।

रौद्रो यथा—

अन्योन्यास्फालभिन्नद्विपरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ ।
स्फीतासृक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातूर्यनृत्यत्कबन्धे
सङ्ग्रामैकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ।। ३६ ।

अयं च क्रोधप्रकृतिकत्वाद्रौद्रः ।

अद्भुतो यथा—

जातो यस्तपसां बलेन सहसा राजन्यतायां द्विज-
स्पर्धाबन्धकुतूहलेन समभूच्चण्डालयाजी च यः ।

अथवा दूसरा करुण [का उदाहरण] जैसे—

हे प्रिय राम तुम मेरे हृदय से नहीं निकले हो और सारी दिशाओं में मुझे दिखाई दे रहे हो । तुम मुझे छोड़कर चले गये हो इसका अनुमान मुझे अपने हृदय में होने वाली पीड़ा से हो रहा है ।।३५।।

टि०—इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत् [सा० द० ३, २२२]

इस परिभाषा के अनुसार यहाँ करुण रस है । राज्य, पुत्र आदि इष्टवस्तु के छिन जाने पर भी करुण रस होता है । यहाँ राम के वन चले जाने पर पुत्रशोकातुर दशरथ की यह उक्ति है ।

शोक स्थायिभाव रूप कारण से पैदा होने से यह करुण रस है ।

४. रौद्र रस का उदाहरण—

एक दूसरे के साथ टकराने से फटे हुए हस्तिमस्तिष्कों के अन्दर से निकले हुए खून और चर्बी की घनी कीचड़ में धँसे हुए रथों के ऊपर पैर रखकर चलती हुई पैदल सेना वाले, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रुधिर को पीने वाली मण्डली में शोर करती हुई गीदड़ियों के स्वरों से युक्त और नाचते हुए कबन्धों वाले सङ्ग्राम रूपी अद्वितीय समुद्र के भीतरी जल में घूमने के लिए पाण्डव चतुर हैं ।।३६।।

टि०—वेणीसंहार नाटक में यह भीम की उक्ति है ।

और यह क्रोध नामक स्थायिभाव से उत्पन्न होने के कारण रौद्र रस का उदाहरण है।

५. अद्भुत रस का उदाहरण जैसे—

क्षत्रिय जाति में उत्पन्न होकर भी जो अपने तपों की शक्ति से जबर्दस्ती ब्राह्मण बन गये थे, जो [श्रेष्ठ सिद्ध होने की] होड़ करने की अभिलाषा से चाण्डाल

येनाकारि सहस्रलोचनरुषा सर्गान्तरं कौतुका-
दायातः सहसा स चित्रविभवः श्रीगाधिसूनुस्तदा ।। ३७ ।।

बने हुए त्रिशङ्कु का यज्ञ कराने वाले पुरोहित बने थे तथा जिन्होंने इन्द्र के ऊपर क्रोध करने के कारण नई सृष्टि का निर्माण किया था, वह जगत्प्रसिद्ध, विचित्र सामर्थ्य वाले गाधि के पुत्र विश्वामित्र अचानक वहाँ आ गये ।।३७।।

टि०—विश्वामित्र कान्यकुब्ज के राजा थे और वह क्षत्रियवंशोत्पन्न राजा गाधि के पुत्र थे । एक बार वह शिकार खेलते खेलते वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे । वहाँ उनकी अच्छी गायों को देखकर उन्होंने धन देकर उन्हें लेना चाहा और न मिलने पर उन्हें बलपूर्वक छीनने का प्रयत्न किया । घोर सङ्ग्राम हुआ किन्तु विश्वामित्र को पूर्ण पराजय मिली । इस पराजय से विश्वामित्र को बड़ा क्षोभ हुआ, साथ ही वसिष्ठ के ब्राह्मणत्व की शक्ति से वह बहुत प्रभावित हुए । ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या की तब कहीं जाकर वह ब्राह्मण बन सके । इस प्रकार इन मनस्वी विश्वामित्र ने तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था ।

इन्होंने एक बार त्रिशङ्कु को यज्ञ भी कराया था । त्रिशङ्कु सूर्यवंश में उत्पन्न अयोध्या का राजा था । वह यद्यपि बुद्धिमान्, धर्मात्मा और न्यायपरायण शासक था तो भी उसमें एक यह बहुत बड़ा दोष था कि वह अपने को सर्वोपरि समझता था । उसने इसी शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ कराना चाहा और इसके लिए उसने अपने कुलगुरु वसिष्ठ से यज्ञ कराने की प्रार्थना की । वसिष्ठ ने उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया । उनके मना करने पर उसने उसके १०० पुत्रों से यज्ञ कराने की प्रार्थना की किन्तु उन्होंने भी इस प्रस्ताव को निरर्थक बताकर मना कर दिया । क्रुद्ध होकर त्रिशङ्कु ने उन्हें कायर और नपुंसक कहा । इस पर उन्होंने त्रिशङ्कु को चाण्डाल हो जाने का शाप दे दिया । जब वह त्रिशङ्कु चाण्डाल हो गया तो कोई भी उसका यज्ञ कराने के लिए तैयार नहीं हुआ । विश्वामित्र के परिवार की उसने दुर्भिक्ष के समय मदद की थी । इस उपकार का स्मरण करके केवल विश्वामित्र ने ही उसका पुरोहित बनना स्वीकार किया । विश्वामित्र द्वारा रचित इस यज्ञ में देवताओं का भी आवाहन किया गया, किन्तु देवता लोग अपना-अपना यज्ञभाग ग्रहण करने नहीं आये । इस कारण उसे स्वर्ग जाने योग्य दूसरा शरीर नहीं प्राप्त हुआ । इससे विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर अपनी शक्ति से इसी पार्थिव शरीर के साथ ही त्रिशङ्कु को स्वर्ग भेज दिया । तब वह आकाशमण्डल में उड़ता चला गया किन्तु इन्द्रादि देवताओं ने उसे सिर के बल नीचे ढकेल दिया । नीचे आते हुए उसे विश्वामित्र ने 'त्रिशङ्कु तुम वहीं ठहरो' कहकर आकाश में ही स्थिर कर दिया । परिणामतः वह वहीं और नक्षत्रों के साथ टिक गया । उन्होंने उसके लिए एक और दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से उसे बनाना बन्द कर दिया ।

अथवा—

अंशुकानि प्रवालानि पुष्पं हारादिभूषणम् ।
फलं मधूनि हर्म्याणि शाखा नन्दनशाखिनाम् ।। ३८ ।।

अयं चाद्भुतो विस्मयप्रकृतिकत्वात् ।

भयानको यथा—

गर्वग्रन्थिलगूर्जरज्वरकरः कर्णाटकर्णाटवी-
दावाग्निर्द्रविडेन्द्रदर्पदलनो गौडेन्द्रनिद्राहरः ।
हम्मीरप्रमदामदालसलसद्भ्रूनर्तनस्तम्भनः
प्रस्थाने तव कर्ण डिण्डिमडमत्कारः समुज्जृम्भते ।।३९।।

अयं च भयप्रकृतिकत्वाद् भयानकः

बीभत्सो यथा—

एभिः[1] कङ्कालकूटैरतिविकटतरां कण्ठमालां दधाना
मज्जासृक्पानमत्ता रसदशिवशिवाभैरवं क्रन्दमाना ।
वेगादामोदकण्ठं फलमिव मृदुलं मुण्डमास्ये क्षिपन्ती
क्षोणीमाकम्पयन्ती क्षयरजनिसमा राक्षसी प्रादुरासीत् ।।४०।।

अथवा [अद्भुत रस का दूसरा और उदाहरण] जैसे—

[स्वर्गवासियों के] नन्दनवन के वृक्षों के कोमल पत्ते वस्त्र हैं, फूल हार आदि आभूषण हैं । फल मिष्टान्न हैं और शाखायें उनके भवन हैं ।।३८।।

विस्मय स्थायिभाव से उत्पन्न होने के कारण यह अद्भुत रस है ।

६. भयानक [रस] का उदाहरण जैसे—

हे कर्ण ! आपके युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय, गर्व से परिपूर्ण गुर्जर देशवासी राजाओं के ज्वर को पैदा करने वाला, कर्णाट देश के राजाओं के कान रूपी जंगलों के लिए दावाग्नि रूप, द्रविड़ राजाओं के अभिमान को चूर चूर करने वाला, गौड़ राजा की नींद को हरने वाला, हम्मीरवंशीय राजाओं की सुन्दरियों के मद से आलस्ययुक्त एवं सुशोभित भौंहों के नर्तन को रोकने वाला रणदुन्दुभि का यह डम-डम शब्द वृद्धि को प्राप्त कर रहा है ।।३९।।

यह भय से उत्पन्न होने के कारण भयानक रस है ।

७. बीभत्स [रस का उदाहरण] जैसे—

इन नरगजादियों के कङ्कालों [अस्थिपंजरों] के समूहों से बनी हुई, बहुत भयङ्कर, कण्ठ में पहनी जाने वाली माला को धारण करती हुई, चर्बी और रुधिर को पीने से मस्त और पागल बनी हुई, चिल्लाती हुई और अमङ्गलस्वरूपिणी गीदड़ियों के भयङ्कर शब्द के समान शब्द करती हुई, कण्ठ तक सुगन्धि से भरे, फल के

---

१. अ, ऐभिः ज त

यथा वा—

पायं पायं तवारीणां शोणितं पाणिसम्पुटैः ।
कौणपाः सह नृत्यन्ति कबन्धैरन्त्रभूषणाः ॥ ४१ ॥

अयं च जुगुप्साप्रकृतिकत्वाद् बीभत्स इत्यभिधीयते ।

हास्यो यथा—

स्थाने यस्य चरन्ति भैक्ष्यमनिशं स्नेहेन युष्मादृशाः
स स्यादच्युतमूर्तिसेवनवशाद् धन्यः पवित्रालयः ।
किन्त्वस्मत्प्रतिवेशिविप्रवनिताभ्रातुः प्रसक्ताङ्गना
दूती सप्रसवेति सूतकमिति स्थानान्तरं गम्यताम् ॥ ४२ ॥

समान कोमल सिर को अपने मुख में तेजी के साथ डालती हुई, पृथिवी को कँपाती हुई, प्रलयकाल की रात्रि के समान [काली और भयङ्कर] राक्षसी प्रकट हुई ॥४०॥

अथवा [बीभत्स रस का दूसरा उदाहरण] जैसे—

अंतड़ियों के आभूषणों से सजे हुए राक्षस अपनी अंजलियों से तुम्हारे शत्रुओं के खून को बार बार पीकर कबन्धों [धड़ों अथवा शिर से रहित धड़ों वाले राक्षसों] के साथ नाच रहे हैं ॥४१॥

यह जुगुप्सा नामक स्थायिभाव से उत्पन्न होने के कारण बीभत्स रस कहलाता है ।

८. हास्य [रस का उदाहरण] जैसे—

जिस [देवालय की प्राङ्गण भूमि में तुम्हारे जैसे लोग रात दिन प्रेमपूर्वक भिक्षान्न का भक्षण करते हैं, भगवान् विष्णु की मूर्ति की आराधना [या पूजा] होने से वह पवित्र मन्दिर [अब भी पहले की तरह ही] धन्य बना रहता । किन्तु हमारे पड़ोसी ब्राह्मण की पत्नी के भाई से फँसी हुई [प्रेमासक्त] सुन्दरी दूती ने सन्तानोत्पन्न की है इस कारण यहां [मन्दिर में भी] क्योंकि सूतक [अपवित्र स्थान] है इसलिए आप [यहां से] किसी दूसरी जगह तशरीफ ले जाइए ॥४२॥

टि०—यहाँ यह हास्य ध्वनि निकलती है कि यह देवमन्दिर तुम्हारे जैसे निठल्ले, मूर्ख और अनाज बिगाड़ने वाले व्यक्तियों से पहले ही अधन्य था। अच्युतमूर्ति सेवन के कारण तुम भी (अच्युत के तीन अर्थ १. विष्णु २. नपुंसक ३. ब्रह्मचारी) नपुंसक या ब्रह्मचारी बने रहे और रतिसुख से वञ्चित ही रहे किन्तु इस तरह मूर्खों की भाँति रहने पर भी तुम किसी प्रकार की बदनामी न होने से अब तक सुरक्षित रहे हो । किन्तु यहाँ पर अब स्त्रियों ने अवैध सन्तानों को पैदा करना शुरु कर दिया है इस कारण मन्दिर को सूतक स्थान (यद्यपि यह सार्वजनिक स्थान होने के कारण सूतक गृह नहीं है) अर्थात् अपवित्र स्थान समझकर तुम यहां से भाग जाओ । अन्यथा इन व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ लोग तुम्हारा सम्बन्ध जोड़ने लग

अयं च हासप्रकृतिकत्वाद् हास्यः ।

स्नेहप्रकृतिः प्रेयान् सङ्गतिशीलार्यनायको भवति ।
स्नेहस्तु[1] साहचर्यात् प्रकृतेरुपकारसम्बन्धात् ।। ३५ ।।
निर्व्याजमनोवृत्तिः सनर्मसद्भावपेशलालापः ।
अन्योऽन्यं प्रति सुहृदोर्व्यवहारोऽयं समस्तत्र ।। ३६ ।।
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रुः सुस्निग्धस्फारलोचनालोकः ।
आर्द्रान्तःकरणतया स्नेहादयं भवति सर्वत्र ।। ३७ ।।

यथा—

कृष्ण त्वं नवयौवनोऽसि चपलाः प्रायेण गोपाङ्गनाः
कंसो भूपतिरब्जनालमृदुलग्रीवा वयं गोदुहः ।
तद्याचेऽञ्जलिना भवन्तमधुना वृन्दावनं मद्विना
मा यासीरिति नन्दगोपवचसा क्रीतो[2] हरिः पातु वः ।।४३।।

जायेंगे और तुम्हें इनसे उत्पन्न बच्चों का अवैध पिता बतलाने लगेंगे । अतः अपनी झूठी बदनामी से यदि बचना चाहते हो तो दण्ड कमण्डल उठाकर जल्दी ही दूसरी जगह चले जाओ । अन्यथा यहां रहने पर (नपुंसक अथवा ब्रह्मचारी रहने के कारण स्त्री प्रसंग न करने पर भी) व्यर्थ की बदनामी के अलावा और कुछ हाथ नहीं आयेगा । बदनाम हो जाने पर तो पहले मिलने वाली यह भिक्षा भी नहीं मिलेगी । यहाँ पर वक्ता मज़ाक के लहज़े में किसी सीधे सच्चे साधु से यह सब कह रहा है ।

और यह हास स्थायिभाव से उत्पन्न होने से हास्यरस का उदाहरण है ।

प्रेयान् रस स्नेह नामक स्थायिभाव से उत्पन्न होता है । इस रस को निष्पन्न करने में सबके साथ मिल जुलकर रहने वाला आर्य नायक अर्थात् उत्तम कुल में उत्पन्न विद्यादिगुणों से भूषित श्रेष्ठ नायक प्रयुक्त होता है ।।३५।।

इकट्ठे रहने के कारण, निसर्गतः [स्वाभाविक रूप से अथवा निष्कामभाव से] उपकार करने के कारण निश्छल मन की भावना और शिष्ट शृङ्गार की चेष्टाओं से युक्त एवं सद्व्यवहार से स्निग्ध वार्तालाप ही स्नेह कहलाता है । इस स्नेह के होने पर दो मित्रों [शुभ चिन्तकों] में एक दूसरे के प्रति समान [बराबरी का] व्यवहार होता है ।।३६।।

मन के द्रवित [गीले] होने से हर्ष के बहते हुए आँसुओं से युक्त अत्यधिक स्नेहपूर्ण एवं फैले हुए नेत्रों वाली दृष्टि यह सारा व्यवहार स्नेह के कारण सभी स्थानों में [सभी प्रेमियों के बीच] होता है [यह सब स्नेह के अनुभाव हैं] ।।३७।।

टि०—रुद्रटकृत काव्यालंकार (१५,१७,१९) से यह तीनों कारिकायें ली हैं ।

[९. प्रेयान् रस का उदाहरण] जैसे—

हे कृष्ण ! तुम नवयुवक हो [तुम भोले और अबोध हो] और गोपों की पत्नियाँ बहुत चञ्चल हैं । कंस क्रूर राजा है । और हम ग्वाले कमल के समान कोमल

---

१. ज अ; स्नेहेन त २. ज अ; क्रीणो त

अयं च स्नेहप्रकृतिकत्वात् प्रेयान् ।

तदुक्तम्—

अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ।
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति ।।

शान्तो यथा—

माने म्लानिनि खण्डिते च वसुनि व्यर्थं प्रयातेऽर्थिनि
क्षीणे बन्धुजने गते परिजने भ्रष्टे शनैर्यौवने ।
युष्माकं बलमेतदेव सुधियो यज्जह्नुकन्यापयः-
पूतग्रावगिरीन्द्रदन्तुरदरीकुञ्जे निवासः क्वचित् ।। ४४ ।।

अयं च निर्वेदस्थायिभावः शान्तो रसः। अन्ये पुनरस्य धृतिप्रकृतिकत्वमामनन्ति । सापि निर्वेदविशेष एवेत्यवधेयम् ।

गर्दन वाले अर्थात् अत्यन्त कमजोर हैं । इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे साथ लिये बिना तुम वृन्दावन मत जाओ । इस प्रकार [अपने पिता] नन्दगोप के वचन से बिके हुए, अर्थात् नन्दगोप के अधीन रहने वाले कृष्ण भगवान् आपकी रक्षा करें ।।४३।।

और स्नेह स्थायिभाव से उत्पन्न होने से यह प्रेयान् रस का उदाहरण है ।

इस विषय में [उत्तररामचरित में] ऐसा कहा गया है—

जो बिना किसी कारण पक्षपात [प्रेम] होता है उसका कोई विनिमय नहीं है अर्थात् उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा सकता [इस कारण वह अमूल्य निधि है] निश्चय से ही स्नेह स्वरूप वाला वह धागा अन्दर ही अन्दर [प्रेमियों के हृदयों के] मर्मस्थलों को सी देता है ।

१०. शान्त [रस का उदाहरण] जैसे—

घमण्ड के गल जाने पर, धन के नष्ट होने पर, याचक के व्यर्थ ही अर्थात् बिना कुछ लिये ही लौट जाने पर, अपने सम्बन्धियों के नष्ट हो जाने पर, नौकर चाकर अथवा परिवार के लोगों के चले जाने पर और जवानी के धीरे धीरे समाप्त हो जाने पर हे बुद्धिमान् व्यक्तियो ! आपके लिए यही एक पराक्रम भरा कार्य है कि आप गङ्गा के जल से पवित्र पत्थरों वाले हिमालय की ऊँची नीची गुफाओं के कुञ्ज में [जाकर] कहीं निवास करें ।।४४।।

यह निर्वेद नामक स्थायिभाव वाला शान्त रस है । किन्तु दूसरे कुछ आचार्य इसे धृति नामक स्थायिभाव से उत्पन्न होने वाला मानते हैं । धृति भी निर्वेद का ही एक भेद है ऐसा समझना चाहिए ।

रुद्रटादयस्तु—

सम्यग्ज्ञानप्रकृतिः शान्तो विगतेच्छनायको भवति ।
सम्यग्ज्ञानं विषये तमसो रागस्य चापगमात् ।।

इति तत्त्वज्ञानप्रकृतिकत्वमङ्गीकुर्वन्ति ।

दान्तो यथा—

साधारणो निरातङ्कः कन्यामन्योऽपि याचते ।
किं पुनर्जगतां जेता प्रपौत्रः परमेष्ठिनः ।। ४५ ।।

अत्र रामस्योदात्तप्रकृतेर्मतिर्नाकृत्यविषये प्रवर्तते । प्रवृत्ता च नोपरमते । सा च सीतेयं मम स्वीकारयोग्येत्येवंरूपेण प्रवृत्ता रावणप्रार्थना-

---

रुद्रट आदि आचार्य तो [काव्यालङ्कार १५, १५] में ऐसा कहते हैं ।

शान्त रस की प्रकृति [अर्थात् स्थायिभाव] सम्यक्ज्ञान [विवेक ज्ञान] है। इसका नायक निरभिलाष अर्थात् वैराग्यवान् व्यक्ति होता है। तमोगुण और सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति के हट जाने से यह तत्त्वज्ञान होता है।

इस प्रकार ये आचार्य शान्त रस को तत्त्वज्ञान से उत्पन्न होने वाला मानते हैं अर्थात् इनके मत में इस रस का तत्त्वज्ञान स्थायिभाव है ।

११. दान्त [रस का उदाहरण] जैसे—

साधारण [मामूली] दूसरा अर्थात् प्रभावहीन निकृष्ट पुरुष भी कन्या को निर्भीक होकर माँग लेता है। सारे संसार को जीतने वाले एवं ब्रह्मा के प्रपौत्र रावण की तो बात ही क्या है ।

टि०—सीता स्वयंवर के समय रावण जब अपने लिये सीता की अभ्यर्थना करता है तो रामचन्द्र को यह बात अप्रिय लगती है। क्योंकि उनकी सीता के साथ आत्मीयता हो गयी है। किन्तु वह रावण की याचना को दान्तप्रकृतिवान् होने के कारण चुपचाप सह लेते हैं। लक्ष्मण उन्हें विरोध के लिये भड़का रहे हैं कि रावण को सीता माँगने की जुर्रत नहीं करनी चाहिये थी। तब राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए उपर्युक्त वचन कहा है और उसकी सीताविषयक याचना को स्वाभाविक ठहराया है। रावण के वचनों से यद्यपि उन्हें ईर्ष्या होनी चाहिए थी किन्तु वह नहीं हुई। क्योंकि उन्हें अपने मन को संयत रखने का अभ्यास था ।

यहाँ उदात्त स्वभाव वाले राम की प्रवृत्ति पहले तो अनुचित विषय की ओर जाती ही नहीं है [इसी कारण वह रावण के लिये किसी प्रकार का दुर्वचन नहीं बोलते] और यदि न करने योग्य विषय की ओर चली भी जाती है तो उसमें आसक्त नहीं होती [इस प्रकार उनकी मनोवृत्ति थोड़ी सी अमर्यादित होकर भी फिर से मर्यादित हो जाती है]। यह सीता मेरे ही स्वीकार [वरण] करने योग्य है इस रूप में उत्पन्न हुई २ राम की यह बुद्धि रावण की याचना और लक्ष्मण के

लक्ष्मणप्रोत्साहनाभ्यामुद्दीप्यमाना समुपजायमानव्रीडावहित्थास्मृत्यादिभिः कालोचितोत्तरानुमीयमानैश्च विवेकचातुर्यधैर्यादिभिः संसृज्यमानोदात्तरूपेण निष्पद्यते । अयं धैर्यस्थायिभावाख्यो दान्तो रसः ।

उद्धतो यथा—

क्षुद्राः सन्त्रासमेते विजहत हरयः क्षुण्णशक्रेभकुम्भा
युष्मद्देहेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः ।
सौमित्रे ! तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हि रुषां नन्वहं मेघनादः
किञ्चिद्भ्रूभङ्गलीलानियमितजलधिं राममन्वेषयामि ।।४६।।

अयं च गर्वप्रकृतिकत्वादुद्धतो रसः । अथैषां स्थायिभावाः—

रतिरुत्साहशोकौ च क्रोधाश्चर्ये भयं तथा ।।
जुगुप्साहासवात्सल्या निर्वेदो धैर्यमेव च ।। ३८ ।।
द्वादशस्थायिभावास्ते गर्वान्ताः परिकीर्त्तिताः ।

क्रमेण लक्षणोदाहरणानि ।

मनोऽनुकूलेष्वर्थेषु सुखसंवेदनं रतिः ।। ३९ ।।
विभावाद्यैरभिव्यक्ता सैव शृङ्गारतां गता ।

प्रोत्साहन [भड़काने] से उद्दीप्त होकर राम के लज्जा, अवहित्था [आकारगोपन] स्मृति आदि व्यभिचारिभावों और समयानुरूप दिये गये उत्तरों से अनुमान किये जाते हुए विवेक, चतुरता, धृति आदि व्यभिचारिभावों से पुष्ट होती हुई ऊँचे एवं उज्ज्वल रूप में सुसम्पन्न होती है । यह धैर्य नामक स्थायिभाव वाला दान्त रस है ।

१२. उद्धत [रस का उदाहरण] जैसे—

हे तुच्छ वानरो ! भय को छोड़ो । इन्द्र के हाथी ऐरावत के गण्डस्थलों को फोड़ने वाले वह मेरे यह बाण तुम्हारे शरीरों पर गिरते हुए बहुत अधिक लज्जा को धारण कर रहे हैं । हे लक्ष्मण तुम भी ठहरे रहो ! तुम [मेरे] क्रोधों के पात्र नहीं हो । क्योंकि मैं मेघनाद [अर्थात् मेघों के समान भयङ्कर गर्जना करने वाला परम वीर] हूं और थोड़ी सी भौंहों को चढ़ाने मात्र से ही समुद्र को नियन्त्रित करने वाले [अत एव समुद्रविजयी] राम को खोज रहा हूँ ।।४६।।

टि०—काव्यप्रकाश (४,४०) में यही उदाहरण वीररस का बताया है ।

यह गर्वाख्यस्थायिभाव से उत्पन्न होने के कारण उद्धत रस है । इसके बाद इन रसों के स्थायिभावों को बताते हैं—

१. रति, २. उत्साह, ३. शोक, ४. क्रोध, ५. आश्चर्य, ६. भय, ७. जुगुप्सा, ८. हास, ९. वात्सल्य, १०. निर्वेद, ११. धैर्य तथा १२. गर्व पर्यन्त ये बारह स्थायिभाव कहे जाते हैं ।।३८।।

क्रम से लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं—

[१. रति] मन को अच्छे लगने वाले पदार्थों में सुखानुभव रति कहलाता है ।।३९।।

विभावादियों से अभिव्यक्त होकर वही शृङ्गार रस के रूप में परिणत हो जाती है ।

तद्रूपेण निष्पत्तिर्यथा—

हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तधैर्य-
श्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः ।
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे
व्यापारयामास विलोचनानि ।। ४७ ।।

कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।। ४० ।।

तद्रूपेण रसनिष्पत्तिर्यथा—

मूर्ध्ना जाम्बवतोऽभिवाद्य चरणावापृच्छ्य सेनापती-
नाश्वास्याश्रुमुखान् मुहुः प्रियसखान् प्रेष्यान् समादिश्य च ।
आरम्भं जगृहे महेन्द्रशिखरादम्भोनिधेर्लङ्घने
रंहस्वी रघुनाथपादरजसामुच्चैः स्मरन्मारुतिः ।। ४८ ।।

शोकश्चित्तस्य वैधुर्यमभीष्टविरहादिभिः ।

टि०—रत्यादि के ये लक्षण ग्रन्थकार ने साहित्यदर्पण दशरूपक आदि ग्रन्थों में से ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ लिये हैं ।

शृङ्गार रस के रूप में परिणत रति की अभिव्यक्ति [का उदाहरण] जैसे—

चन्द्रमा के उदय के आरम्भ में समुद्र [के उद्वेलित हो उठने] के समान अधीर होकर शिव जी ने बिम्बफल के सदृश [रक्तवर्ण] अधरोष्ठ से युक्त पार्वती के मुख पर अपनी तीनों आँखें गड़ा दीं ।।४७।।

टि०—यहाँ पूर्णिमा की रात में ज्वार आने से क्षुब्ध समुद्र के साथ महादेव जी की तुलना की गई है ।

[२. उत्साह] कार्य के आरम्भ करने के समय स्थिरता [अधिक टिकाऊ उद्योग] को उत्साह कहा जाता है । [वही उत्साह विभावादियों के द्वारा पुष्ट होकर वीर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है] ।।४०।।

वीर रस के रूप में परिणत उत्साह की अभिव्यक्ति [का उदाहरण] जैसे—सिर से अर्थात् सिर झुका कर जाम्बवान् के चरणों को प्रणाम करके, सेनापतियों से विदा माँगकर, आँसुओं से भरे मुख वाले प्यारे मित्रों को बार बार 'मैं शीघ्र सकुशल लौट आऊँगा' इत्यादि वचन कहते हुए सान्त्वना देकर और नौकरों को तरह तरह के कार्य करने की आज्ञा दे दी । इन सब कामों को करके रामचन्द्र जी के पैरों की धूलि को [बोल-बोल कर] ऊँचे स्वर में याद करते हुए वेगवान् हनुमान् जी ने समुद्र पार करने के लिये महेन्द्र पर्वत की चोटी से उद्योग किया [अर्थात् उस पर्वत पर चढ़कर वहां से छलाँग लगाई] ।।४८।।

[३. शोक] इष्ट वस्तु के वियोगादि से चित्त का व्याकुल हो जाना शोक है ।

यथा—

यस्याः कुसुमशय्यापि कोमलाङ्ग्या रुजाकरी।
साधिशेते कथं देवी हुताशनवतीं चिताम् ॥ ४९ ॥
प्रतिकूलेषु तैक्ष्ण्यस्य प्रबोधः क्रोध उच्यते ॥ ४१ ॥

यथा—

मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ
वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने।
भेदाद् भ्रुवोः कुटिलयोरतिलोहिताक्ष्या
भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥ ५० ॥
विस्मयश्चित्तविस्तारः पदार्थातिशयादिभिः।

जैसे—

जिस कोमल अङ्गों वाली मेरी प्रेयसी के लिए पुष्पों की सेज भी पीडाप्रद थी वह देवी इस समय इस चिता पर कैसे सो रही है ? ॥४९॥

टि०—अपनी नायिका के मृत शरीर को चिता पर जलते हुए देख कर किसी शोकयुक्त नायक की यह उक्ति है।

[४. क्रोध] मन के विपरीत विषयों को देख कर उग्रता की उत्पत्ति को क्रोध कहा जाता है ॥४१॥

जैसे—

प्रचण्ड क्रोध के कारण अत्यधिक लाल आँखों वाली इस शकुन्तला ने इसका ठीक ठीक स्मरण न आने के कारण ही कठोर हुई मनोवृत्ति से युक्त और एकान्त में किये गये [अपने पूर्व] प्रेम को अस्वीकार करने वाले मेरे ऊपर ही तिरछी भौंहों की रचना करने से [अपनी भौंहें चढ़ाकर मेरी ओर देखकर] मानों कामदेव के धनुष को ही तोड़ दिया है ॥५०।

टि०—यह श्लोक, अभिज्ञानशाकुन्तल (५,२३) नाटक का है। जब शकुन्तला दुष्यन्त के सामने खड़ी होकर उसे अपने पूर्वप्रणय के प्रसङ्ग का स्मरण कराती है तो वह उसे पहिचानने से भी मना कर देता है। इससे अपमानित होकर शकुन्तला भौंहें चढ़ाकर अनार्यादि शब्दों को बोलती हुई अपना क्रोध प्रकट करती है। क्रुद्ध शकुन्तला की तनी हुई भौंहों को देखकर दुष्यन्त ने उपर्युक्त श्लोक कहा है। इस श्लोक के उत्तरार्ध में दुष्यन्त ने चढ़ी हुई भौंहों को देखकर शकुन्तला के सम्बन्ध में यह कल्पना की है—शकुन्तला की भौंहें पहले एक दूसरी से जुड़ी हुई थीं किन्तु मेरे ऊपर क्रोध करते समय जब यह ऊपर चढ़ गईं तो तन कर दो टुकड़ों में विभक्त हो गई हैं; पृथक् पृथक् भागों में दिखाई पड़ने वाली यह भौंहें मानों बाण रखकर ज़ोर से खींचने के कारण दो टुकड़ों में टूटे हुए कामदेव के धनुष के समान लग रही हैं।

[५. विस्मय] पदार्थों [वस्तुओं] के अत्यधिक विचित्र होने से चित्त के विस्तार

कृष्णेनाद्य गतेन रन्तुमनसा मृद्भक्षिता स्वेच्छया
सत्यं कृष्णक एवमाह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम् ।
व्यादेहीति विदारिते च नयने दृष्ट्वा समस्तं जग-
न्माता यस्य जगाम विस्मयवशं पायात्स वः केशवः ।। ५१ ।।

भयं चित्तस्य वैक्लव्यं रौद्रादिजनितं विदुः ।। ४२ ।।

यथा—

मन्त्रान्मृत्युजितो जपद्भिरसकृद् ध्यायद्भिरष्टौ सुरान्
शुष्यत्तालुभिराकुलाकुलपदैर्निर्वाग्भिरुत्कम्पिभिः ।
अध्वन्यैरिह जीवितेशमहिषव्याधूमधूमाविला
लङ्घ्यन्ते करिमांसघस्मररणत्कौलेयकाः पल्लयः ।। ५२ ।।

का नाम विस्मय है ।

जैसे—

[यशोदा भगवान् कृष्ण को कह रही हैं] आज घूमने की इच्छा से गये कृष्ण ने अपनी मर्जी से मिट्टी खा ली है इस प्रकार बलराम ने कहा है । हे मेरे नन्हें बेटे कृष्ण ! क्या यह बात सच है ? [कृष्ण का उत्तर] हे माता ! यह बात झूठ है, आप मेरा मुख देख लें । [यशोदा की उक्ति] यदि ऐसी बात है तो मुंह खोल । इस वचन को सुनकर कृष्ण भगवान् के मुख खोल देने पर उसमें सारे विश्व को देखकर जिनकी माता विस्मयाधीन [चकित] हो गई वह भगवान् कृष्ण आपकी रक्षा करें ।।५१।।

टि०—प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण के छोटे से मुख में सारे लोकों को देखकर उनकी माता यशोदा को विस्मय हो रहा है ।

[६. भय] क्रोध, मारपीट और युद्ध अथवा किसी भयंकर दृश्य से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को भय के रूप में विद्वान् जानते हैं ।।४२।।

जैसे—

बार २ महाकालेश्वर शिव जी के मन्त्रों का जाप करते हुए, आठ दिग्देवताओं अथवा आठों वसुओं का ध्यान करते हुए, सूखे हुए तालु [कण्ठैकदेश] वाले, अत्यन्त व्याकुलता के साथ पैरों को रखते हुए, वाणीरहित होकर चुपचाप चलते हुए तथा काँपते हुए पथिकों से यहाँ पर यमराज के भैंसे के समान हिलने वाले धूम्रों से युक्त, हाथी के माँस के भक्षक और चिल्लाते हुए कुत्तों से भरी हुई अहीरों की छोटी ग्रामटिकायें लाँघी जा रही हैं ।।५२।।

टि०—प्राची आदि आठ दिशाओं के दिग्देवता या दिक्पाल—इन्द्र, वह्नि, पितृपति, नैर्ऋत, वरुण, मरुत्, कुवेर और ईश हैं । आप, ध्रुव, सोम, धर, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये आठ वसु माने जाते हैं ।

यहाँ अहीरों की कुत्तों से भरी भयानक वस्तियों का वर्णन है ।

जुगुप्सा गर्हणार्थानां दोषसन्दर्शनादिभिः ॥

यथा—

तन्मध्यं तदुरस्तदेव वदनं ते लोचने ते भ्रुवौ
जातं सर्वममेध्यशोणितवसामांसास्थिलालामयम् ।
भीरूणां भयदं त्रपास्पदमिदं विद्याविनीतात्मनां
तन्मूढैः क्रियते वृथा विषयिभिर्व्यर्थोऽभिमानग्रहः[1] ॥ ५३ ॥

अङ्गभङ्गादिभिश्चेतोविकारो हास उच्यते ॥ ४३ ॥

आदिपदाद् विकृतवचनादीनि ।

यथा—

नास्माकं[2] जननी तथोज्ज्वलकुलसच्छ्रोत्रियाणां[3] पुन-
र्व्यूढा काचन कन्यका खलु मया तेनास्मि ताताधिकः ।

[७. जुगुप्सा] वस्तुओं के दोष आदि के देखने से उत्पन्न घृणा जुगुप्सा कहलाती है ।

जैसे—

वह [दृष्टिहारी एवं मनोमुग्धकारी] मध्यभाग [उदरप्रदेश या कटिप्रदेश] वही वक्षःस्थल और वही मुख और वे ही आँखें और वे ही भौहें—यह सब का सब [अवस्थान्तर] होने से अपवित्र रुधिर, चर्बी, माँस, हड्डी और लार से ओत प्रोत हो गया है । यह डरपोकों को डराने वाला और विद्वानों के लिए [तत्त्वबोध होने पर] लज्जा का घर है । इसलिए इन निरर्थक विषयों में आसक्ति रखने वाले कामुकों [लम्पटों] के द्वारा व्यर्थ ही इन कामिनी आदि भोगसामग्री में अभिमान [ममत्व-बुद्धि] का ग्रहण किया जाता है ॥५३॥

टि०—सुन्दर स्त्री आदि व्यर्थ एवं नाशवान् पदार्थों को पाकर कामी जन मिथ्या अभिमान करते हैं । वस्तुतः यह पदार्थ नश्वर एवं घृणास्पद हैं । यह वर्णन किसी सुन्दर व्यक्ति के मृत शरीर के सड़ने या चिता पर जलने की दशा का है ।

[८. हास] मुख आदि अङ्गों के तोड़ने मरोड़ने से युक्त चित्त में विकार आना हास कहलाता है ॥४३॥

यहाँ आदि पद से अभिप्राय विकृत वचन [ऊटपटांग बातें] आदि हैं ।

जैसे—

हमारी माता वैसे [अर्थात् उतने] उज्ज्वल कुल में नहीं पैदा हुई है किन्तु मैंने तो उत्तम वेदपाठी ब्राह्मणों के कुल की अवर्णनीय पण्डिता कन्या से ब्याह किया है । इस कारण में [विदुषी पत्नी का पति होने से] अपने पिता से भी बढ़ गया

---

१. ज अ; व्यर्थाभिमानग्रहः त

२. ज अ; अस्माकं त

३. त; सच्छ्रोत्रिणी ज अ

अस्मच्छ्यालकमित्रमातुलसुता मिथ्याभिशप्ता यतः
सत्सम्पर्कवशान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रोज्झिता ॥ ५४ ॥

[वात्सल्यम्]

अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ।
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति ॥

यथा—

यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे ।
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥ ५५ ॥

हूं । क्योंकि हमारे साले के मित्र के मामा की लड़की को लोगों ने झूठमूठ की गाली दी है । इस कारण सज्जन व्यक्तियों के साथ सम्पर्क होने के कारण मुझ खानदानी ने [सीता को छोड़ने वाले कुल मर्यादा प्रेमी राम आदि की तरह] अपनी वह अत्यन्त प्यारी विदुषी पत्नी भी छोड़ दी है ॥५४॥

टि०—कोई वक्ता हँसी में कहता है कि हम तो शिक्षिता पत्नी के पति होने से अपने पिता से भी बढ़ गये हैं क्योंकि पिता ने मूर्ख कन्या से विवाह किया था और हमने पढ़ी लिखी के साथ । क्योंकि बहुत बहुत दूर के रिश्ते की हमारी बहिन को लोगों ने गाली दे दी है इसलिए अपनी नाक को ऊँची रखने के लिए हमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है क्योंकि साले के मित्र के मामा की लड़की की बदनामी से साले की बदनामी हुई है और साले की बदनामी से हमारी पत्नी का अपयश हुआ है ।

[९. वात्सल्य] जो किसी का किसी के प्रति निष्कारण प्रेम व्यवहार है उसका कोई निर्वर्तक हेतु नहीं हुआ करता [वह किसी प्रकार के स्वार्थ अथवा और किसी कारण से पैदा नहीं होता, वह स्वयं ही हो जाता है] । स्नेह से उत्पन्न होने वाला वह प्रेमतन्तु निश्चय ही प्राणियों के कोमल आन्तरिक हृदय के स्थानों को सी देता है [एक के हृदय को दूसरे के हृदय से जोड़ देता है] ।

टि०—उत्तररामचरित (५, १७) में सुमन्त्र द्वारा बोले गये श्लोक को ही यहाँ ग्रन्थकार ने वात्सल्य रस की विशेषता बताने के लिए ले लिया है । लक्षणग्रन्थ की पङ्क्ति न होने से इस पर सङ्ख्या नहीं दी है ।

जैसे—कुशाओं के अग्रभाग से घायल हुए जिस हरिण के मुख में जख्म को पूरा भरने वाले इङ्गुदी [हिंगोट] के तेल को तुमने लगाया था, श्यामाक नामक जंगली धानों की मुट्ठियों [अर्थात् मुट्ठियों में भरे धानों के खिलाने] से बढ़ा हुआ वह यह गोद लिया हुआ बेटा बना हरिण तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है ॥५५॥

टि०—अभिज्ञानशाकुन्तल (४, १३) में यह श्लोक शकुन्तला को सम्बोधित करते हुए महर्षि काश्यप ने कहा है ।

यथा वा—

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु[1] या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं[2] सर्वैरनुज्ञायताम् ।। ५६ ।।

तत्त्वज्ञानापदीर्ष्यादेर्निर्वेदः स्वापमाननम् ।

यथा—

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं पश्यता-
मानन्दाश्रु जलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्केशयाः ।
अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतटे
क्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषामायुः परं क्षीयते ।। ५७ ।।

अथवा जैसे—

जो तुम लोगों के द्वारा जल न पीने पर तुमसे पहले पानी पीने की चेष्टा नहीं करती थी; जो आभूषणप्रिय होते हुए भी स्नेह के कारण तुम्हारे पत्ते को [तोड़कर] नहीं लेती थी, तुम्हारे ऊपर प्रारम्भिक पुष्पोत्पत्ति को देखने के समय जिसको प्रसन्नता होती है वह यह शकुन्तला आज पतिगृह जा रही है। तुम सब मिलकर इसे जाने की अनुमति दो ।।५६।।

टि०—यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्तल (४, ८) में शकुन्तला की विदाई के अवसर पर महर्षि काश्यप ने तपोवन के वृक्षों को सम्बोधित करते हुए कहा है।

[१० निर्वेद] विवेकज्ञान, आपत्ति और आन्तरिक द्वेष आदि से अपना तिरस्कार निर्वेद कहलाता है।

टि०—यह कारिका दशरूपक (४,६) में भी मिलती है। स्वापमाननम् के स्थान पर वहाँ स्वावमाननम् पाठ है। इसी प्रकार साहित्यदर्पण (३,१४२) में भी यह कारिका है। दोनों ही जगह स्वावमाननम् पाठ है।

जैसे—

बिना चिन्ता किये हुए अतएव निडर होकर गोदियों में बैठे हुए पक्षिगण—पहाड़ की गुफा में रहने वाले और महती ज्योति अर्थात् परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले सौभाग्यशाली योगियों के [समाधि लगाने से उत्पन्न] हर्ष के आंसुओं को पीते हैं। बड़ी बड़ी आशाओं को रखकर बनाये हुए महलों और बावड़ियों के तट पर और क्रीड़ोपवन में खेलने का कुतूहल रखने वाले हम लोगों की उमर तो बहुत अधिक [व्यर्थ होकर] नष्ट हो रही है ।।५७।।

---

१. त; युष्माध्वसिक्तेषु ज अ

२. ज त; गृहे अ

विवेकः स्मृतिचातुर्यधैर्यव्रीडादिभिर्यदा ।। ४४ ।।
जायते विदुषां स्थैर्यं विदुस्तद्धि विवेचनम् ।।

यथा—

आनीतैव मया सीता किं नानीतं पुरो द्विषः ।
स चेदायाति लङ्कायां न जाने किं करिष्यति ।। ५८ ।।
निन्दादितः परावज्ञा गर्वोऽसूयादिकृद् भवेत् ।। ४५ ।।

यथा—

अपकर्त्ता[1]हमस्मीति मा ते मनसि भूद् भयम् ।
विमुखेषु न मे खड्गः प्रहर्तुं जातु वाञ्छति ।। ५९ ।।

वस्तुतस्तु शृङ्गारहास्यवीराद्भुताश्चत्वारो[2] रसाः । तथा हि—

[११. धैर्य]—विवेक [अच्छे बुरा का ज्ञान] स्मरण, चतुरता, धृति और लज्जा आदि से जब विद्वानों की बुद्धि में स्थिरता आती है उसेविद्वान् धैर्य मानते हैं ।

जैसे—

अब मैं सीता को ले ही आया हूँ तो मैं शत्रु की नगरी से क्या नहीं ले आया हूं ? अर्थात् उसका सर्वस्व ले आया हूं । यदि वह लङ्का आ जायेगा तो न मालूम क्या क्या करेगा ? ।।५८।।

टि०—यह सीताहरणोपरान्त रावण की उक्ति है—'आनीतैव मया सीता' यह अंश स्मरण, 'किं नानीतं पुरो द्विषः' यह अंश चातुर्यपूर्ण है । और स चेदायाति लङ्कायां न जाने किं करिष्यति' इस उत्तरार्ध में धैर्य है । रावण अपने मन को सब कुछ सहन करने के लिए पक्का कर रहा है, उसका कहना है कि जब मैंने शत्रु का सर्वस्व ही छीन लिया है तो मुझे भी बदले में सब कुछ सहने के लिए तैयार रहना चाहिए । इसके प्रतिकार के लिए राम की ओर से जो कुछ भी किया जाय थोड़ा है ।

[१२. गर्व] निन्दा इत्यादि से दूसरे की अवहेलना करना गर्व होता है और वह दूसरे के गुणों को असहन करने से होता है ।

जैसे—

मैं तुम्हारा अनिष्ट करने वाला शत्रु हूँ इस बात को समझ कर तुम्हारे मन में भय नहीं होना चाहिए । क्योंकि मेरी तलवार युद्ध से विमुख [भागे हुए अथवा शरणागत] व्यक्तियों के ऊपर कभी भी प्रहार करना नहीं जानती ।।५९।।

टि०—यह किसी विजयी व्यक्ति की हारे हुए शत्रु को लक्ष्य करके कही गई गर्वोक्ति है ।

वास्तव में तो शृङ्गार, हास्य, वीर, अद्भुत यही चार रस हैं । इनकी [यहां विस्तृत] व्याख्या करते हैं ।

---

१. अ ज;—हर्ता त
२. त; चत्वारः ज अ

इष्टनाशादिभिश्चेतोवैक्लव्यं शोक उच्यते ।
रौद्रशक्त्या तु जनितं वैक्लव्यं मनसो भयम् ।
दोषेक्षणादिभिर्गर्हा जुगुप्सेति निगद्यते ।
तत्त्वज्ञानापदीर्ष्यादेर्निर्वेदः स्वापमाननम् ।

इत्यादिनिरुक्तशोकादिप्रकृतिकानां[1] करुणादीनां रसत्वे विरोधात् । न च तेषां तथाभूतत्वेऽपि अभिव्यक्तानन्दांशचिदात्मना सहाभिव्यक्तानां रसत्वमिति वाच्यम्, एवमपि स्थाय्यंशे रसत्वे विरोधात् । अथालौकिकविभा-

टि० ग्रन्थकार ने यहां पूर्वपक्ष देते हुए चार रसों के सिद्धान्त की युक्तिपूर्वक स्थापना की है और बताया है कि और रसों और उनके स्थायिभावों का इन्हीं चार रसों और इनके स्थायिभावों के भीतर अन्तर्भाव हो जाता है ।

१. प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नाश आदि से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता शोक कही जाती है ।

२. क्रोध अथवा भयङ्कर वस्तुओं की शक्ति से उत्पन्न मन की बेचैनी को भय कहा जाता है

३. दोषों को देखने आदि से उत्पन्न घृणा को जुगुप्सा नाम से कहा जाता है ।

४. अच्छे बुरे का ज्ञान, आपत्ति और ईर्ष्या आदि से उत्पन्न अपने अपमान को निर्वेद कहते हैं ।

इत्यादि परिभाषाओं में बताये गये शोक आदि [अर्थात् शोक, भय, जुगुप्सा और निर्वेद] स्थायिभावमूलक करुणादि रसों के [दुःखमूलक होने से] रस होने में [क्योंकि] विरोध आता है [इसलिए इन्हें रस नहीं मानना चाहिए ।]

टि०—ग्रन्थकार का अभिप्राय है कि शृङ्गारादि चार रस ही सुखमय और प्रकाशमय होने से रस कहे जा सकते हैं किन्तु करुण, भयानक, बीभत्स, शान्त, और रौद्रादि रस दुःखात्मक होने के कारण रस नहीं माने जा सकते ।

क्योंकि उन (शोकादिमूलक करुणादि) रसों के दुःखमय होने पर भी आनन्दांश की अभिव्यक्ति से युक्त चेतन आत्मा के साथ अभिव्यक्त होने वाले उन रसों में रसत्व [सुखत्व अथवा आह्लादकत्व] धर्म रहता है [यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे]

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि लोक में वनवासादि दुःखकारणों से उत्पन्न शोकादिमूलक करुण आदि रस यद्यपि दुःखमय होते हैं तथापि काव्य और नाट्य में ये शोकादि स्थायिभाव और तन्निष्पन्न करुणादि रस चिदात्मा के साथ अभिव्यक्त होते हैं । इसके कारण [उसके साथ सम्पर्क हो जाने से] सुखस्वरूप ही होते हैं ।

[सिद्धान्ती] तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने पर भी इनके अंशभूत स्थायिभावों के दुःखमय होने के कारण सुखात्मा रस होने में विरोध आता है [अर्थात् चेतना आत्मा के साथ सम्बन्ध हो जाने पर भी शोक, भयादि स्थायिभाव दुःख रूप ही बने रहते हैं । और उनसे सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती] । और

१. ज त; प्रकृतीनां अ

वाद्यभिव्यक्तानां तेषां रसत्वमुचितं सुरते दन्तादिघातस्यास्वाद्यत्ववदिति चेत्[1], एवं हि क्षुधापिपासादिनानाविधदुःखहेतुजनितचेतोवैक्लव्यस्यापि रसान्तरत्वापत्तेः। सुरते दन्तादिघातस्य बलवत्कामसम्भवदुःखनाशकत्वेन भारापगमे सुखिनः संवृत्ताः स्म इतिवदुपादेयत्वम्। किं च शोकादिहेतवस्तावदा-

[शोक आदि स्थायिभाव चिदात्मा के साथ मिलकर भी सुखजनक ही होते हैं क्योंकि] अलौकिक विभावादि से अभिव्यक्त हुए उन शोकादियों का रसत्व उचित ही है। सुरत में जैसे दन्तक्षतादि सुखोत्पादक होते हैं वैसे ही अलौकिक विभावादियों से अभिव्यक्त इन करुणादि रसों के भीतर रसत्व [आनन्दमयत्व] मानना उचित है यदि ऐसा [पूर्वपक्षी की ओर से] कहा जाय।

टि०—अभिप्राय यह है कि जैसे सुरतातिरिक्त स्थलों में दन्तघातादि दुःखमय ही होते हैं किन्तु सुरत में वह सुखमय ही प्रतीत होते हैं वैसे ही शोकादि से उत्पन्न करुणादि लोक में दुःखमय होते हुए भी काव्य और नाट्य में सुखजनक ही होते हैं।

[तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि] इस प्रकार तो भूख प्यास आदि अनेक प्रकार के दुःख के कारणों से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को भी और एक नया रस मानना पड़ेगा।

टि०—सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि चिदात्मा के साथ रहते हुए भी दुःखजनक करुणादिकों को रस नहीं माना जा सकता क्योंकि जैसे दुःख के कारणभूत भूख प्यास आदि चेतन आत्मा के साथ रहकर भी चित्त के भीतर व्याकुलता को ही उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार दुःखजनक करुणादि (अथवा शोकादि) चिदात्मा के साथ रहते हुए भी चित्त के भीतर उद्वेग (दुःख) को ही पैदा करते हैं। अतः चित्त में उद्वेग उत्पन्न करने के कारण इनको रस नहीं कहा जा सकता।

यह इस क्षुधापिपासादिनानाविधदुःखजनितचेतोवैक्लव्य को भी दुर्जनतोषन्याय से एक नया रस माना जाय तो यह शास्त्रविरुद्ध हो जायेगा और इसका रस मानने में अजीब तरह की कल्पना करनी पड़ेगी। भूखे होने पर चित्त की व्याकुलता को स्थायिभाव, भूख प्यास को विभाव, मुंह का फीका फीका दीखना आदि अनुभाव और थाली आदि की ओर उत्कण्ठापूर्वक देखना आदि व्यभिचारिभाव मानने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त भूख प्यास आदि किसी प्रकार के आनन्द को पैदा नहीं करती हैं। यह सहृदय के प्रत्यक्षानुभव से सिद्ध है।

[और सुरत में दन्तघातादियों से आनन्द प्राप्त होता है यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि] रमणकाल में दन्तनखक्षत आदि की उत्कट काम से उत्पन्न दुःख के नाशक के रूप में वैसी ही उपयोगिता होती है जैसी [भार से पीड़ित होने पर] भार के उतर जाने पर हम सुखी हो गये हैं इस प्रकार की अनुभूति की उपयोगिता हुआ करती है।

१ अ तः स्वाद्यवदिति ज

नन्दविरोधिनः कथं परमानन्दरूपं रसं व्यञ्जयन्तु। यत्तु शोकादयोऽपि रत्यादिवत्स्वप्रकाशज्ञानसुखात्मका इति तदुन्मत्तप्रलपितम्। किं च सामाजिकेषु मृतकलत्रपुत्रादिकानां विभावादीनां शोकादिस्थायिभावस्य च वर्णनीयेनाजमहीपालादिना सह साधारण्यमश्रुपातादिदर्शनाच्च वर्णनीयतन्मयीभवनं चापेक्षितमिति कथं ब्रह्मानन्दसहोदरो रसोद्बोधः कथं वा नामाङ्गल्यम्?

अत एव केचिदजविलापादिकं न पठन्ति। बीभत्से तु पूयाद्युपस्थित्या वान्तनिष्ठीवनादिकं यन्न भवेत् तदेवाश्चर्यं कुतः परमानन्दरूपरसोद्बोध[१]

टि०—अभिप्राय यह है कि दन्तक्षतादिजन्य सुख वास्तविक सुख नहीं होता किन्तु वह उत्कटकामजन्यदुःखाभावस्वरूप है। जैसे भार से पीड़ित भारवाहक को भार के छोड़ने पर मैं सुखी हो गया हूं इस रूप में होने वाला सुख का अनुभव वास्तविक सुख नहीं होता है किन्तु भारजन्य दुःखाभाव रूप होता है वैसे ही सुरत में दन्तघातादिजन्य सुख भी कामनिवृत्ति से उत्पन्न होने के कारण वास्तविक सुख नहीं है।

और इसके अतिरिक्त शोकादिस्थायिभावमूलक करुणादि तो आनन्द के प्रतिकूल होते हैं वह परमसुखस्वरूप रस को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? इसी कारण शोकादिभाव रत्यादिभाव की तरह स्वतः प्रकाशमान ज्ञान और सुख स्वरूप हैं यह जो कहा जाता है वह पागलों की बड़बड़ाहट है [कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते इस नियम से दुःखजनक कारण सुख रूप कार्य को पैदा नहीं कर सकते]।

और इसके अलावा सामाजिकों में मरी हुई स्त्री और पुत्रादि आलम्बनविभावों और शोकादि स्थायिभावों का वर्णनीय अज आदि राजाओं के साथ साधारणीकरण हो जाता है अर्थात् जब सामाजिक अपने आपको अज समझने लगते हैं तो उनमें भी अश्रुपातादि देखा जाता है। इस प्रक्रिया में वर्ण्य अजादि के साथ तादात्म्य अपेक्षित होता है। इस कारण जब सामाजिक अपने आपको अज के समान ही दुःखी समझता है तभी उसकी अश्रुपातादि क्रियायें होती हैं। दुःखी व्यक्ति को ब्रह्मस्वादतुल्य रसप्रतीति कैसे हो सकती है? और इस सब व्यापार को अमङ्गलकारी क्यों नहीं माना जाना चाहिए [अर्थात् साधारणीकरण व्यापार से जब अज आदि के साथ तादात्म्य भावना हो जाती है तो उसके दुःख से सामाजिक दुःखी भी हो जाता है और इन्दुमती में आरोपित मृतपत्नी भाव के कारण स्वयं को दुःखी समझता है और उसकी मृत्यु से अपने को अमङ्गलग्रस्त मानने लगता है]।

इसी कारण अर्थात् अमङ्गलकारी होने के कारण कुछ लोग अज विलाप आदि प्रसङ्गों को नहीं पढ़ते हैं। बीभत्स रस में तो राद [पाक] आदि की उपस्थिति से उल्टी और थूकना आदि नहीं होता यही आश्चर्य की बात है [इस कारण वह भी दुःखोत्पादक ही है] परम आनन्दस्वरूप रस की प्रतीति तो उससे कैसे हो सकती है?

२. अ ज; परमानन्दरसोद्बोधः त

इति । एवं भयेऽपि । तथा शान्तस्य त्यक्तसर्ववासनेषु कथञ्चिद् भवतु रसत्वम् । विषयिषु पुनः सर्वविषयोपरमोपस्थित्या कथं रसत्वम् ?

तदुक्तम्—

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता
न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा ।
रसः प्रशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः
सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥

एवं रौद्रोद्धतौ वीरादभिन्नौ विभावादिसाम्यात् । न च स्थायी भेदकः तस्यापि नियामकप्रेक्षितत्वात् ।[1]

यत्तु रक्तास्यनेत्रता रौद्रे युद्धवीरात्तु भेदिनी, तन्न । वीरे उद्धते च तथासम्भवेन भेदकत्वानुपपत्तेः । न चाविवेकत्वादिभेदकमिति वाच्यम्,

---

यह कहा जा सकता है। यही बात भय के विषय में भी लागू होती है। और सब प्रकार की विषयवासना से शून्य सामाजिकों में तो जैसे तैसे शान्त रस की आनन्दानुभूति हो सकती है किन्तु विषयवासनायुक्त व्यक्तियों में तो सारे विषयों में रमण [भोग] करने की अभिलाषा की उपस्थिति होने से इस रस से उत्पन्न आनन्दप्रदता कैसे रह सकती है ?

ऐसा कहा (भी) है—

जिसमें न दुःख है, न सुख है, न फिक्र है और न ही नफरत और प्रेम है तथा कोई अभिलाषा भी नहीं है। उस रस को श्रेष्ठ काव्यशास्त्रज्ञ मुनियों ने प्रशान्त [शान्त] रस कहा है और सारे स्थायिभावों में [शान्त के स्थायिभाव] शम को प्रधान माना है।

इसी प्रकार रौद्र रस और अद्‌भुत रस भी वीररस से अतिरिक्त नहीं हैं क्योंकि इन दोनों रसों के विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव और व्यभिचारिभाव वीर रस के समान ही हैं।

और इन तीनों रसों में प्रत्येक का स्थायिभाव अलग अलग है इस कारण इनमें आपस में भेद है। [रौद्र का क्रोध, अद्‌भुत का विस्मय और वीर का उत्साह] स्थायिभाव देखा जाता है [अर्थात् उत्साह स्थायिभाव वाले वीर रस के अन्दर रौद्र और अद्‌भुत का अन्तर्भाव हो जाता है]।

रौद्र रस में मुख और नेत्रों का लाल होना पाया जाता है । यही धर्म इस रस को युद्धवीर से पृथक् करता है—यह जो कहना है वह ठीक नहीं है क्योंकि वीर और उद्धत दोनों रसों में वैसी ही विशेषता होने से [लाल मुख तथा लाल नेत्र हो जाने से] इस प्रकार का भेद करना असङ्गत हो जाता है। और अविवेक का होना आदि धर्म इन रौद्र और उद्धत को वीररस से अलग करते हैं यह भी नहीं कहना

---

१. जः नियामकमुखप्रेक्षितत्वात् अ त

क्रोधसञ्चारिणि[1] वीरादावपि अविवेचकत्वसम्भवात्। एवं दानवीरादीनां भावत्वेनैव गतार्थत्वात्। एवं दान्तवात्सल्यौ न रसौ, भावत्वेनैव गतार्थत्वात्। ननु कथं तर्हि[2] अजविलापादिकं कविभिर्वर्ण्यते[3] इति चेत्। उच्यते।

अजमहीपप्रभृतीनां स्वस्वप्रियानुरागप्रकर्षप्रतिपत्त्यर्थम्। अतएवाजमहीपतेरिन्दुमतीमुद्दिश्य देहत्यागोऽपि कालिदासेनैव वर्णितः। यथा—

चाहिए क्योंकि क्रोध सञ्चारिभाव वाले वीरादि रसों में भी अविवेक का होना पाया जाता है।

टि०—साहित्यदर्पण में लिखा है—रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतः (सा० द० ३,२३१) रौद्र रस में वर्तमान मुख और नेत्रों की लालिमा युद्धवीरता से उसे अलग करती है अर्थात् रौद्र रस में मुख और नेत्र लाल होते हैं परन्तु वीररस में नहीं। सिद्धान्ती का कहना है कि कभी कभी वीर में भी यह धर्म पाया जाता है। इस कारण रक्तास्यनेत्रता को भेदक धर्म नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार इन दोनों में ही अविवेक भी समान रूप से रहता है।

इसी प्रकार दानवीर, दयावीर और धर्मवीर इन तीनों में ही उत्साह स्थायिभाव रूप में ही रहता है, रसरूपता को नहीं प्राप्त करता। केवल युद्धवीर में ही उत्साह स्थायिभाव रस रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार दान्त और वात्सल्य यह भी रस नहीं हैं। उन दोनों की भी भाव रूप में चरितार्थता [सफलता] हुआ करती है। अर्थात् इनका भावध्वनि में ही अन्तर्भाव होता है क्योंकि ये रसरूपता को नहीं प्राप्त करते [जैसे देवादिविषयक रति भाव ही बनी रहती है वैसे ही दानवीरादिगत उत्साह भाव ही बना रहता है]।

[शङ्का] तो कवियों ने अज के विलापादि का वर्णन क्यों किया है?

टि०—पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है—यदि दान्त को रस नहीं मानते तो रघुवंश में महाकवि कालिदास ने धीरोदात्त नायक अज का इन्दुमतीविषयक विलापवर्णन क्यों किया है? दान्त रस में तो धैर्य स्थायिभाव होने के कारण विलाप की गुंजाइश ही नहीं होती क्योंकि विलाप करना धीरोदात्त नायक की प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए अजविलाप का वर्णन सर्वथा अनुचित है।

सि०—यदि ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तर में यह कहना है—

अज आदि राजाओं का अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ अधिकाधिक अनुराग दिखाने के लिए कवियों ने [वहां ऐसे विलापादि का] वर्णन किया है। इसीलिए इन्दुमती को लक्ष्य बनाकर अज राजा के शरीर छोड़ने का वर्णन उसी कालिदास ने ही रघुवंश [८, ९५] में इस प्रकार किया है। उदाहरण के रूप में यह श्लोक है—

१. ज, व्यभिचारिणि अ त

२. ज त; तर्ह्य ज अ

३. ज त; वर्ण्यंत इति अ

तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जह्नुकन्यासरय्वो-
देहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः ।
पूर्वाकाराधिकतररुचा सङ्गतः कान्तयासौ
लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु ॥६०॥

एवं शान्तस्यापि वर्णनं मुमुक्षूणां[1] वैराग्यातिशयप्राप्तये ।

एवं भयानकस्यापि वर्णनं तत्तद्व्यक्तीनां मार्दवप्रतिपादनाय । वस्तुतस्तु कविभिः स्वशक्तिप्रदर्शनार्थमेव पद्मबन्धादिनिर्माणवत् तत्र तत्र तत्तद्वर्ण्यत इत्युपरम्यते ।

सात्त्विकभावानाह—

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः ।

अज ने गङ्गा और सरयू के पानी के मिश्रण से उत्पन्न सङ्गम बने तीर्थ-स्थल पर शरीर छोड़ देने के कारण तत्काल ही देवताओं की गिनती में अपने नामोल्लेख को प्राप्त कर लिया । तदनन्तर पहले आकार से भी अधिक सुन्दर कान्ति वाली प्रिया इन्दुमती से मिलकर वह अज नन्दनवन के भीतर क्रीडागृहों में फिर रमण करने लगा ॥६०॥

इसी प्रकार शान्त रस का निरूपण भी मोक्ष चाहने वाले व्यक्तियों को अत्यधिक वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए होता है ।

टि०—अभिप्राय यह है कि शान्तरस प्रधान नाटकों का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि मोक्षाभिलाषी जन उन्हें देखकर ज्यादा जोश के साथ वैराग्य मार्ग का अनुसरण करने लगें ।

इसी प्रकार भयानक रस का भी वर्णन उन-उन कोमल व्यक्तियों की कोमलता का प्रदर्शन करने के लिए होता है । वास्तव में तो जैसे कवियों के द्वारा काव्य निर्माण करने की अपनी प्रतिभा [शक्ति] का प्रदर्शन करने के लिए पद्मबन्ध, मुरज आदि चित्र काव्यों का निर्माण किया जाता है वैसे ही उन उन स्थल विशेषों में कविगण उन उन विलापादियों का वर्णन करुणादि रसों का निरूपण काव्यनिर्माणशक्तिप्रदर्शनार्थ ही करते हैं । [इन युक्तियों के आधार पर हम करुण, भयानकादि रसों को रस नहीं मानते हैं] इस प्रकार यहीं यह प्रकरण समाप्त करके रुक जाते हैं ।

[मम्मटप्रतिपादित] सात्त्विकभावों को बतलाते हैं—

१. स्तम्भ २. स्वेद ३. रोमाञ्च ४. स्वरभङ्ग ५. वेपथु [कम्पन] ६. वैवर्ण्य ७ अश्रु और ८. प्रलय यह आठ सात्त्विक भाव माने जाते हैं । क्रम से इनके लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं ।

---

१. अ ज; मुमुक्षुणः त

वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः ॥ ४६ ॥

क्रमेण लक्षणोदाहरणानि ।

स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघातो हर्षाश्चर्यभयादिभिः ।

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि-
र्निक्षेपणाय पदमुद्धृतमावहन्ती ।
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ ६१ ॥

वपुर्जलोद्गमः स्वेदो रतिघर्मश्रमादिभिः ॥ ४७ ॥

यथा—

हिमव्यपायाद् विशदाधराणा-
मापाण्डरीभूतमुखच्छवीनाम् ।
स्वेदोद्गमः किम्पुरुषाङ्गनानां
चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु ॥ ६२ ॥

यथा वा—

श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः ।

---

१. स्तम्भ—हर्ष, भय और आश्चर्य आदि से हस्तपाद आदि की क्रियाओं का रुक जाना स्तम्भ [खम्भे की तरह जड़ होना] कहलाता है।

(जैसे—)

उन महादेव जी को देखकर काँपती हुई, सरस और सुन्दर शरीर वाली पार्वती [आगे की ओर] रखने के लिए अपने पैर को ऊपर उठाये हुई थीं। रास्ते में आये हुए पहाड़ के संसर्ग से निरुद्ध हो जाने के कारण क्षुब्ध हुई नदी की तरह वह पर्वतराजपुत्री पार्वती न तो आगे चल सकीं और न ही खड़ी रह सकीं ॥६१॥

टि०—यह श्लोक महाकवि कालिदासकृत कुमारसम्भव (५,८५) से लिया गया है। जब वटुवेषधारी शिवजी पार्वती के सामने छद्म रूप को छोड़कर असली रूप प्रकट कर देते हैं तो वह हक्की वक्की होकर एक स्थान पर खड़ी रहती हैं।

२. स्वेद— सुरत, गर्मी या धूप और परिश्रम आदि के कारण शरीर से निकले हुए जल को स्वेद [पसीना] कहते हैं ।

जैसे—

सर्दी के हट जाने से निर्मल अधरों वाली, कुछ कुछ पीले पड़े मुख शोभा वाली किन्नरों की वधुओं की पत्ररचना और तिलकों पर पसीना आने लग गया ॥६२॥

अथवा जैसे—

यह सागरिका साक्षात् लक्ष्मी है और इसका हाथ पारिजात वृक्ष का नया पत्ता है, नहीं तो पसीने के बहाने यह अमृत द्रव कहाँ से टपकता [बहता] ॥६३॥

टि०—यह रत्नावली में राजा उदयन की उक्ति है।

कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्मामृतद्रवम् ।। ६३ ।।

हर्षाद्भुतभयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया।

यथा—

सा बाढं भवतेक्षितेति निविडं संयम्य बाह्वोः स्रजा
भूयो द्रक्ष्यसि तां शठेति निविडं सन्तर्ज्य सन्तर्ज्य च ।
आलीनां पुर एव निह्नुतिपरः कोपाद्रणन्नूपुरं
मानिन्या चरणप्रहारविधिना प्रेयानशोकीकृतः ।। ६४ ।।

मदप्रमदपीडादेर्वैस्वर्यं गद्गदं विदुः ।। ४८ ।।

यथा—

भ भ भ्रमति मेदिनी
ल ल लम्बते चन्द्रमाः ।
कृ कृ कृष्णावदद्भुतं
ह ह हसन्ति किं वृष्णयः ।। ६५ ।।

---

३. रोमाञ्च—हर्ष, आश्चर्य और भय, आदि से रोमों में विकार उत्पन्न होने [रोंगटों के खड़े होने] को रोमाञ्च कहा जाता है ।

जैसे—

[पति के अपराध से दुःखी कोई नायिका उसे झिड़कती हुई कह रही है] वहाँ आपने वह अच्छी तरह देख ली इस प्रकार भुजाओं [दोनों हाथों की कलाइयों] को मजबूती के साथ माला से बाँध कर—अरे धूर्त ! क्या तुम उसे फिर देखोगे—यह कहते हुए बार बार डाँटा । सखियों के सामने ही क्रोधपूर्वक पायजेबों को बजाते हुए पादाघात [पैर से मारने] के तरीके से अपने प्रिय को उस नायिका ने शोक रहित कर दिया ।।६४।।

टि०—यहाँ पति के अपराध से दुःखी कोई नायिका उसे झिड़क कर और क्रोध में भरकर उसके ऊपर चरणप्रहार कर रही है। पति उसके चरण का स्पर्श पाकर शोकरहित तथा रोमाञ्चित हो जाता है । स्त्रियों के पादाघात से अशोक विकसित हो जाता है यह कविसमयख्याति है । अशोकीकृत को श्लेष से अशोकवृक्ष बना दिया यह अर्थ भी है ।

४. स्वरभङ्ग [अथवा वैस्वर्य]—नशे, हर्ष या पीड़ा आदि से गद्गद हो जाने को वैस्वर्य [कण्ठ के स्वर का बदल जाना] समझते हैं ।

जैसे—

पृथ्वी घूम रही है, चन्द्रमा लटक रहा है । क्या कृष्ण की भाँति विलक्षण ढंग से वृष्णिवंश के लोग हंस रहे हैं ।।६५।।

सि सीधु दद देहि मे
पपप पानपात्रे मुहुः।
मदस्खलितमालपन्
हलधरः श्रियं[1] वः क्रियात् ॥ ६६ ॥

यथा वा—

पिपिप्रिय स स स्वयं
मुमुखासवं देहि मे
त त त्यज दुदु द्रुतं
भभ भाजनकाञ्चनम् ॥ ६७ ॥
इति स्खलितजल्पितं
मदवशात् कुरङ्गीदृशः।
प्रगे हसितहेतवे
सहचरीभिरध्यैयत ॥ ६८ ॥

रागरोषभयादिभ्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः।

यथा—

मा गर्वमुद्वह कपोलतले चकास्ति
कान्तस्वहस्तलिखिता खलु मञ्जरीति।
अन्यापि किं न सखि भाजनमीदृशीनां
वैरी न चेद् भवति वेपथुरन्तरायः ॥ ६९ ॥

'मुझे प्याले में शराब दो।' इस प्रकार बार बार नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलने वाले बलराम जी आपको सम्पदा प्रदान करें ॥६६॥

अथवा जैसे—

हे प्यारे ! स्वयं मुझे अपने मुँह में भरी शराब दो। सोने के बरतन पान-पात्र को जल्दी छोड़ दो [पात्र में शराब न देकर मुख की शराब दे दो]। नशे के कारण लड़खड़ाती हुई मृगनयनी की इस वाणी का तत्काल हँसी उड़ाने के लिए सहचरियों ने अध्ययन किया अर्थात् उसकी नकल करके आपस में हँसी उड़ाई।।६७-६८॥

५. वेपथु—अनुराग, क्रोध और भय आदि से शरीर का काँप उठना वेपथु कहलाता है।

जैसे—

[एक नायिका अपनी सहेली से कह रही है] पति के अपने हाथ से सजाई गई मञ्जरी [बौर] का चित्र मेरे गालों पर शोभित है इस प्रकार सोचकर अभिमान को मत धारण करो। हे सखी ! दूसरी भी क्या कोई इस प्रकार की मञ्जरियों का पात्र नहीं बन सकती थी यदि शत्रुभूत शरीर का कम्पन विघ्न न बनता ? ॥६९॥

---

१. अ ज; प्रियं त

विषादमदरोषादेर्वर्णान्यत्वं विवर्णता ॥ ४६ ॥

यथा—

मृषाविषादाभिनयादयं क्वचि-
ज्जुगोप निःश्वाससतिं वियोगजाम् ।
विलेपभस्याधिकचन्द्रभागता-
विभावनाच्चापललाप पाण्डुताम् ॥ ७० ॥

अश्रु नेत्रोद्गमं वारि दुःखशोकप्रकर्षजम् ।

यथा—

उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्ति
वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् ।
अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे
मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति ॥ ७१ ॥

टि०—यहां व्यञ्जना से यह अर्थ प्रतीत हो रहा है—सखी के पति ने जब मञ्जरी को उसके गाल पर बनाया तो उस समय न तो उसमें ही किसी प्रकार का रत्युद्रेक हुआ और न ही नायिका की सहेली में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। इसको देखकर नायिका सुना रही है कि मेरे कपोल पर तो मञ्जरी बनाते समय मैं और मेरा प्रेमी—हम दोनों ही वेपथु नामक सात्त्विकभाव से वस्तुतः आनन्दविभोर हो जाते हैं और वह काम बीच में ही छूट जाता है। अतः मञ्जरी नहीं बन पाती। इस कारण वस्तुतः तुम लोग तो अधन्य हो और हम तो मिलते ही आनन्दमग्न हो जाते हैं।

६. वैवर्ण्य—दुःख, नशे और क्रोध आदि के कारण मुखादि का रङ्ग बदल जाना वैवर्ण्य या विवर्णता कहा जाता है।

जैसे—

(दमयन्ती के) वियोग से उत्पन्न लम्बे लम्बे सांसों की परम्परा को यह राजा नल (मुझे चोट लग गई है इत्यादि) झूठे दुःख के अभिनयों से कहीं लोगों के बीच में छिपाता था। चन्दनादि के लेप में सफेद कपूर की अधिक मात्रा के बतलाने से अपनी शुभ्रता [मुंह के पीलेपन] को झुठलाता था ॥७०॥

टि०—नैषधीयचरित (१, ५१) के इस श्लोक में नल की विरहावस्था दिखाई गई है।

७. अश्रु—दुःख और शोक के आधिक्य से उत्पन्न नेत्रों से निकलने वाला पानी अश्रु [आंसू] कहलाता है।

जैसे—

ऊपर उठी हुई (खुली) पलकों वाले नेत्रों के दर्शनव्यापार को रोकने वाले इस आँसू को स्थिर करके रुके हुए प्रवाह वाला करो क्योंकि न देखे गये ऊँचे नीचे भूमिभाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर ऊँचे नीचे हो रहे हैं [लड़खड़ा रहे हैं] ॥७१॥

अत्र वाष्पशब्देन लोचनाश्रयमश्रूच्यते न कण्ठाद्याश्रयो दुःखावेशः।

प्रलयस्तीव्रदुःखादिरिन्द्रियास्तमयो मतः ।। ५० ।।

यथा—

तीव्राभिषङ्गप्रभवेन वृत्तिं
मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् ।
अज्ञातभर्तृव्यसना मुहूर्तं
कृतोपकारेव रतिर्बभूव ।। ७२ ।।

अत्र प्रलयशब्देन मूर्च्छोच्यते । न तु मरणमन्यथा आलम्बनोच्छेदेन सात्त्विकत्वानुपपत्तेः ।

अथैषां व्यभिचारिभावाः—

स्मृतिर्वितर्क उत्कण्ठा चिन्ता चपलता मतिः ।

टि०—अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक (४।१५) में विदा के अवसर पर रोती हुई शकुन्तला के प्रति यह काश्यप ऋषि की उक्ति है । वह कह रहे हैं कि तुम्हारे नेत्रों की पलकें तो ऊपर उठी हैं किन्तु जब आँसू आ जाते हैं तो दृष्टि भी बन्द हो जाती है । इसलिए तुम रोना बन्द करो जिससे अश्रुप्रवाह भी रुक जाए ।

यहाँ वाष्प शब्द से आँखों में रहने वाला आँसू [अर्थ] बताया जा रहा है न कि कण्ठादि में रहने वाला दुःख का आवेग ।

टि०—कण्ठ के भीतर दुःखावेग से भाप सी बन जाती है । उससे वक्ता बोलने में असमर्थ हो जाता है । किन्तु नेत्रों में उत्पन्न अश्रुधारा से आंखों को दीखना बन्द हो जाता है । इस कारण यहाँ वाष्प का अर्थ अश्रु जल है, भाप नहीं ।

८. प्रलय—तीव्र दुःख आदि के कारण इन्द्रियों का विलय ज्ञानशून्य हो जाना प्रलय कहलाता है ।

जैसे—

[पतिमरण की] अत्यधिक उग्र [दुःखप्रद] घटना से उत्पन्न हुए और सब इन्द्रियों के व्यापार को रोकने वाले मोह [मूर्छा] से थोड़ी देर के लिए पति की मृत्यु की आपत्ति को भूल जाने वाली कामदेव की पत्नी रति उस [मूर्छा] से उपकृत सी हो गई ।।७२।।

टि०—यह श्लोक कुमारसम्भव (१,७) से लिया गया है । इसमें बताया गया कि महादेव जी ने जब कामदेव को अपने तृतीय नेत्र से भस्मावशेष कर दिया तो रति को मूर्छा आ गई और वह कुछ समय के लिए अपने दुःख को भूल गई ।

यहाँ पर प्रलय शब्द का अर्थ मूर्छा बताया गया है न कि मृत्यु है । नहीं तो आलम्बन के नष्ट हो जाने से तत्स्थित सात्त्विकभाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता ।

इसके बाद इन रसों के व्यभिचारिभाव कहे जाते हैं :

१. स्मृति २. वितर्क ३. उत्कण्ठा ४. चिन्ता ५. चपलता ६. मति ७. गर्व

गर्वः स्नेहो धृतिर्व्रीडावहित्थं मूढता मदः ॥ ५१ ॥
हर्षामर्षावसूयेर्ष्या विषादो दैन्यमुग्रता ।
त्रासः शङ्का गदो ग्लानिरुन्मादः सम्भ्रमः श्रमः ॥ ५२ ॥
निर्वेदो जाड्यमालस्यं निद्रा सुप्तं प्रबुद्धता ।
इति भावास्त्रयस्त्रिंशद्‍ विज्ञेया व्यभिचारिणः ॥ ५३ ॥

क्रमेण लक्षणोदाहरणानि—

स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषय ज्ञानमुच्यते ।

यथा—

तन्नेत्रान्ततरङ्गितं मृगदृशस्तत्कर्णकण्डूयनं
सा वक्रोक्तिपरम्परा प्रियसखीहस्तावलम्बोऽपि सः ।
यावन्न हृदयात्प्रयाति सहसा तावद् द्विरेफावली-
झङ्कारप्रणवोपदेशरसिको जातो वसन्तोदयः ॥ ७३ ॥

यथा वा—

सा रथ्या स पदन्यासस्तत्परावृत्य वीक्षितम् ।

---

८. स्नेह ९. धृति १०. व्रीड़ा ११. अवहित्था १२ मूढता १३. मद १४. हर्ष १५. अमर्ष १६. असूया १७. ईर्ष्या १८. विषाद १९. दैन्य २०. उग्रता २१. त्रास २२. शङ्का २३. गद २४. ग्लानि २५. उन्माद २६. सम्भ्रम २७. श्रम २८. निर्वेद २९. जाड्य ३०. आलस्य ३१. निद्रा ३२. सुप्त, और ३३.प्रबुद्धता। इस प्रकार यह तेतीस व्यभिचारिभाव जानने चाहिएँ।

क्रम से लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं।

१. स्मृति—पहले अनुभव की हुई वस्तु से सम्बद्ध ज्ञान को स्मृति कहते हैं।

जैसे—

मृगनयनी के नेत्र प्रान्त में पैदा हुई वह कटाक्षों की लहर, वह कान खुजलाना, वह वक्रोक्ति [समासोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंसा गर्भित अन्योक्ति अथवा चतुर लोगों की तरह बोलने के अन्दाज] की परम्परा [झड़ी] और प्रिय सखी के हाथ का सहारा लेना यह सब बातें अभी मेरे हृदय से निकली भी नहीं हैं कि इतने में ही अचानक भ्रमर पङ्क्ति की झङ्कार रूप ओङ्कार का उपदेश देने का शौकीन यह वसन्त का आविर्भाव होने लगा हैं ॥७३॥

टि०—प्रिया के विरह से दुःखी किसी नायक की यह उक्ति है। उसका कहना है कि मैं तो पहले ही प्रेयसी के हाव भाव की स्मृति से दुःखी था अब वियोगियों के कष्ट को बढ़ाने वाली यह वसन्त ऋतु भी आ पहुँची है। न जाने अब मुझ पर क्या क्या बीतेगी ?

और जैसे

वह गली, उस प्रकार से पैरों को रखना और वह लौट लौट कर देखना

अन्योक्तिगर्भं तद् वाक्यं हृदयान्नापसर्पति ।। ७३ ।।
ऊहो वितर्क इत्युक्तः पदार्थेषु यथामति ।। ५४ ।।

यथा—

विधायापूर्वपूर्णेन्दुमस्या मुखमभूद् ध्रुवम् ।
धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनदुःस्थितः ।। ७४ ।।
उत्कण्ठेष्टानवाप्तौ योऽभिलाषः स्यात्तदाप्तये ।

यथा—

पुनरपि मिलनं यदा कदाचित्
प्रियतमया कृपया भवेद् विधातुः ।
हर इव करवै तनोरभिन्नां
हरिरिव किं तनवै तनुप्रतिष्ठाम् ।। ७५ ।।
प्रयत्नपूर्विकार्थेषु स्मृतिश्चिन्तेति कथ्यते ।। ५५ ।।

और अन्योक्तियों [वक्रोक्तियों] से भरी हुई वह बातें [यह सब की सब] हृदय से नहीं निकलती हैं ।।७३।।

२. वितर्क—बुद्धि के अनुसार पदार्थों के सम्बन्ध में सोच विचार वितर्क कहलाता है ।।५४।।

जैसे—

अभूतपूर्व पूर्ण चन्द्रमा के समान इस सुन्दरी के मुख को बनाकर ब्रह्मा निश्चित रूप से अपने आसन बने हुए कमल के सङ्कुचित हो जाने से बड़ी मुश्किल से बैठ सके होंगे ।।७४।।

टि०—अभिप्राय यह है कि चन्द्रमा का उदय होने पर कमल बन्द हो जाते हैं। नायिका के मुखरूपी चन्द्रमा के उदित होने पर ब्रह्मा जी का कमलासन भी बन्द हो गया और ब्रह्मा जी कैद हो गये ।

३. उत्कण्ठा—अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर उसकी प्राप्ति के लिये जो इच्छा होती है वह उत्कण्ठा है ।

जैसे—

दैव [भाग्य] या ब्रह्मा की कृपा से जब कभी दुबारा अपनी प्रेयसी से मिलना होगा तो महादेव जी की तरह मैं उसे अपने शरीर का ही अङ्ग बना लूंगा [अर्थात् अर्धनारीश्वर शिव ने जैसे अपने शरीर में ही पार्वती जी को रमा लिया था उसी प्रकार मैं भी उसे अपने समीप रखूंगा] अथवा विष्णु की तरह [उसके सान्निध्य से] अपने शरीर की शोभा बढ़ाऊंगा [विष्णु जैसे लक्ष्मी से शोभा पाते हैं वैसे मैं भी उसके साहचर्य से शोभित होऊंगा] ।।७५।।

४. चिन्ता—वस्तुओं अथवा घटित घटनाओं की प्रयत्नपूर्वक की गई याद को स्मृति कहते हैं ।।५५।।

यथा—

आस्तां तावद् वचनरचनाभाजनत्वं विदूरे
दूरे चास्तां तव तनुपरीरम्भसम्भावनापि ।
भूयो भूयः प्रणतिभिरहं किन्तु याचे विधेया
स्मारं स्मारं स्वजनगणने कापि रेखा मदीया ॥ ७६ ॥

आत्मप्रकाशनपरा चेष्टा चपलतोच्यते ।

यथा—

कश्चित्कराभ्यामुपगूढनाल-
मालोलपत्राभिहतद्विरेफम् ।
रजोभिरन्तःपरिवेषशोभि
लीलारविन्दं भ्रमयाञ्चकार ॥ ७७ ॥

शास्त्रोक्तार्थानुसन्धानादर्थनिर्धारणं मतिः ॥ ५६ ॥

यथा—

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा
यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः ।
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ ७८ ॥

जैसे—

तुम्हारे वचनविन्यास अर्थात् तुम्हारे सम्भाषणसुख का पात्र होना तो दूर रहा और तुम्हारे शरीर के आलिङ्गन की कल्पना भी बहुत दूर की बात है। किन्तु बार २ प्रणामों के साथ मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि बार २ याद करके की जाने वाली अपने आदमियों की गिनती में कोई मेरी भी लकीर लिख लेना [अर्थात् मेरा नाम भी याद कर लेना] ॥७६॥

५. चपलता—अपने को प्रकट करने वाली चेष्टा चपलता कहलाती है।

जैसे—

कोई नायक हाथों से पकड़े गये नाल वाले, चञ्चल पत्तों से प्रताड़ित भौंरों वाले और पंखुड़ियों के भीतर परागों से युक्त कर्णिका [गोले-वृत्त] से शोभित होने वाले लीलाकमल को घुमा रहा था ॥७७॥

६. मति—शास्त्रों में कहे गए अर्थ [वचन] को खोजकर किसी बात का निर्णय कर लेना मति है ॥५६॥

जैसे—

निश्चित रूप से यह शकुन्तला क्षत्रिय की पत्नी होने योग्य है क्योंकि मेरा सरल [निर्दोष-शुद्ध] मन इसको इच्छा कर [इस पर रीझ] रहा है। सन्दिग्ध बातों में सज्जनों की मन की प्रवृत्तियां [अन्तरात्मा की आवाज] प्रमाण [पथप्रदर्शक] हुआ करती हैं ॥७८॥

निन्दादितः परावज्ञा गर्वोऽसूयादिकृद् भवेत् ।

यथा—

धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः ।
यद् वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ?।। ७९ ।।

अहेतुः पक्षपातो यः स स्नेहः कथितो बुधैः ।। ५७ ।।

यथा —

अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण
स्पृष्टेन गात्रेषु सुखं ममैतत् ।
कां निर्वृतिं चेतसि तस्य कुर्याद्
यस्यायमङ्गात् कृतिनः प्ररूढः ।। ८० ।।

अभीष्टार्थस्य सम्प्राप्तौ स्पृहापर्याप्तता धृतिः ।।

टि०—अभिज्ञानशाकुन्तल (१, २०) में यह दुष्यन्त की उक्ति है। वह शकुन्तला के विषय में शास्त्र में बताई हुई इस बात को सच्चे ज्ञान का साधन मान रहा है कि जहाँ संशय हो वहाँ अपनी आत्मा या मन से पूछकर उस बात के सही या गलत होने का निर्णय कर लेना चाहिए।

७. गर्व—निन्दा [बुराई करने] आदि से दूसरे की उपेक्षा या अपमान करना गर्व कहलाता है और वह दूसरे के गुणों में दोषाविष्करणादि से होता है।

जैसे—

जब मैं अस्त्रों को धारण कर चुका हूँ तो फिर दूसरे [लोगों के द्वारा] अस्त्रों को उठाने का क्या लाभ ? जो बात मेरे अस्त्र से नहीं सिद्ध होगी वह किससे सिद्ध होगी अर्थात् मेरे अस्त्रों से दुर्योधन को विजय की प्राप्ति होगी और किसी के हथियारों से नहीं ।।७९।।

टि०—यह उक्ति वेणीसंहार (३, ४६) में अश्वत्थामा के द्वारा कही जा रही है।

८. स्नेह—जो बिना किसी कारण किसी के प्रति पक्षपात [चित्त का झुकाव] होता है उसे विद्वान् स्नेह कहते हैं ।।५७।।

जैसे—

किसी के भी कुल के कोंपल इस शिशु के अङ्गों में स्पर्श करने से मुझे यह सुख प्राप्त हुआ है जिस सौभाग्यशाली के शरीर से यह उत्पन्न हुआ है उसके चित्त में कैसे [कितने अनिर्वचनीय] आनन्द को उत्पन्न करता होगा ? ।।८०।।

९. धृति—अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति होने पर इच्छा की पूर्ति धृति कहलाती है।

यथा—

क्षोणीराज्यं सपदि विहितं कान्तया सार्द्धमुच्चै-
र्देवी तुष्टाप्यजनि भगिनीलाभमासाद्य सद्यः।
स्फीता कीर्त्तिः सपदि रचिता चन्द्रवंशस्य तस्मात्
कस्मिन्निष्टे पुनरपि सखे कर्त्तुमीहा तवास्ते ॥ ८१ ॥
चेतोनिमीलनं व्रीडा वैवर्ण्याधोमुखत्वकृत् ॥ ५८ ॥
दृश्यते क्वचिदेवेयमनुरागस्तवादिभिः।

यथा—

दिल्लीशो द्वारदेशे नमति गजपतिस्तत्पुरस्तादुपास्ते
गौडेन्द्रो नम्रमूर्धा तदनु नरपतिर्गुर्जराधीश्वरोऽपि।
श्रुत्वैवं वन्दिवृन्दादवनतवदनो गौरवं तत्र कुर्वन्
वीरश्रीवीरभानो[1] रचयसि पुलकं वीरलक्ष्मीकपोले ॥ ८२॥

जैसे—

प्रिया पत्नी दिलाने के साथ बड़ा भारी पृथिवी का राज्य तुमने प्राप्त करा दिया है। तुरन्त ही छोटी बहिन का लाभ प्राप्त करके महारानी [बड़ी रानी] भी सन्तुष्ट हो गयी है और तुमने एकदम ही चन्द्रवंश की बड़ी विस्तृत कीर्ति उत्पन्न कर दी है। इस कारण हे मित्र ! अब तुम्हारी और कौनसे मेरे प्रिय कार्य को करने की अभिलाषा रह गई है ॥८१॥

टि०—यह श्लोक किसी नाटक के भरतवाक्य से पहले का है जिसमें उदात्तकुल-प्रसूत राजा की सभी बड़ी २ वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले अपने शुभचिन्तक सहायक के प्रति कृतज्ञतापूर्ण उक्ति है।

१० व्रीडा—चित्त का सङ्कुचित हो जाना व्रीडा है और इसका विवर्णता [मुखादि का फीका पड़ जाना] कार्य है ॥५८॥

कहीं २ यह प्रेम और स्तुति आदि कारणों से उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है।

जैसे—

दिल्ली का स्वामी राजा तुम्हारे दरवाजे की जगह पर खड़ा हुआ है और हाथियों के देश का राजा उसके पीछे ही स्थित होकर तुम्हारी स्तुति कर रहा है। सिर झुकाए हुए गौड देश का अधिपति [भी उपस्थित] है और उसके पीछे गुर्जर का शासक चल रहा है। इस प्रकार चारणसमूह के मुख से यह बात सुनकर झुके हुए सिर वाले [अतएव अपने] गौरव को उस राजदरबार में बढ़ाते हुए वीरों की शोभा रूप [वीर श्रेष्ठ] हे राजा वीरभानु ! तुम विजय लक्ष्मी के गाल पर रोमाञ्च कर रहे हो ॥८२॥

टि०—प्रस्तुत श्लोक में चारणों की स्तुति को सुनकर राजा ने अपना मुख अपनी प्रशंसा सुनकर झुका लिया है। इससे उसकी लज्जा प्रकट हो रही है।

अवहित्थं तु लज्जाद्यैर्हर्षाद्याकारगोपनम् ।। ५९ ।।

यथा—

एवंवादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी ।
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।। ८३ ।।

सुखदुःखादिजनितो मोहश्चित्तस्य मूढता ।

कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनाद्
वासश्च श्लथमेखलागुणधृतं किञ्चिन्नितम्बे स्थितम् ।
एतावत्सखि वेद्मि साम्प्रतमहं तस्याङ्गसङ्गात् पुनः
कोऽसौ काऽस्मि रतं नु किं कथमिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः ।।८४।।

सम्मोहानन्दसम्भेदो मदिरादिकृतो मदः ।। ६० ।।

यथा—

अर्वागभ्येति गर्वादिव सरिद्वरा नेय[1]मित्युद्दिधीर्षोः
कालिन्दीकोपवेगाकलितहलहढोत्क्षेपिणः क्षेमहेतुः ।

---

११. अवहित्थ—लज्जा आदि के कारण हर्ष, चिन्ता आदि से युक्त अपनी मुखाकृति आदि को छिपाना अवहित्थ कहलाता है ।।५९।।

जैसे—

देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर पिता के पास बैठी हुई पार्वती क्रीडाकमल की पंखुड़ियों को गिनने लगीं ।।८३।।

टि०—प्रस्तुत श्लोक कुमारसम्भव (६, ८४) से लिया गया है । पिता हिमालय के पास आकर जब देवर्षि नारद पार्वती के सामने ही शिव जी के साथ विवाह कर देने का आग्रह करते हैं तो पार्वती अपनी लज्जा को छिपाने के लिए कमलपुष्प की पंखुड़ियाँ गिनना शुरू कर देती हैं ।

१२. मूढता—सुखदुःखादि से उत्पन्न चित्त का मोह मूढ़ता कहलाता है ।

जैसे—

सेज [शय्या] पर प्रिय के आ जाने पर नाड़ा स्वयं बन्धन से खुल गया और ढीली हुई तगड़ी के सूत्र से अटका हुआ कपड़ा नितम्बस्थल पर थोड़ा सा [ही] फँसा रहा। हे सखि ! मैं इतना तो अब भी जानती हूं परन्तु फिर उसके शरीर के सम्पर्क में आने के बाद तो 'वह कौन है ? मैं कौन हूँ ? अथवा रमण क्या है और वह कैसे हुआ ? इस सब के बारे में मुझे थोड़ी सी भी याद नहीं रह गई है ।।८४।।

१३. मद—शराब आदि के पीने से उत्पन्न मूर्च्छा और आनन्द की मिश्रित अनुभूति मद कहलाती है ।।६०।।

जैसे—

यह श्रेष्ठ नदी मानो अभिमान के कारण इस ओर नहीं आ रही है इस प्रकार सोचकर उसे उठाकर [खींचकर] लाने की इच्छा वाले [अतएव] यमुना के

---

१. ज अ; नेयं त

तालाङ्कस्यास्तु हालारसविवशहृदः[1] स्रंसदंसोत्तरीयं
तिर्यङ्न्यस्ताङ्घ्रिभूयस्स्खलितमथ लघूत्थानमाधावनं तत् ॥८५॥
मनःप्रसादो हर्षः स्यादिष्टावाप्तिस्तवादिभिः ॥

यथा—

राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः
सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः ।
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं
कामः काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः ॥ ८६ ॥

ऊपर किए गए कोप के कारण धारण किए हुए हल के फाल को वेग और दृढ़ता के साथ फेंकने वाले, शराब के आनन्द के अधीन हृदय वाले, ताल के वृक्ष [को उखाड़कर] अपनी गोद में रखने वाले बलराम जी के कन्धे के वस्त्र को खिसकाने वाला, टेढ़े मेढ़े पड़ते हुए पैरों वाला, बार बार स्खलन [लड़खड़ाकर पृथिवी पर होने वाले पतन] वाला, और फिर जल्दी ही उठ जाने की क्रिया से युक्त वह [अत्यन्त अद्भुत] दौड़ पड़ना आप [सब सामाजिकों के लिए] कल्याण का कारण बने ॥८५॥

टि०—सेयम् पाठ होने पर यह श्रेष्ठ नदी अभिमान के कारण इस ओर जा रही है, यह अर्थ हो जायेगा। यहाँ शराब के नशे में चूर बलराम की मदावस्था का वर्णन है।

१४. हर्ष—अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति एवं अपनी स्तुति आदि से उत्पन्न मन की प्रसन्नता हर्ष कहलाती है।

जैसे—

राज्य जीते गये शत्रु वाला अर्थात् निष्कण्टक है, योग्य मन्त्री पर सारा कार्यभार सौंप दिया गया है, सब प्रजाओं की रक्षा और पोषण अच्छे ढंग से हुआ है तथा उनकी सारी विपत्तियाँ शान्त हैं। प्रद्योतसेन की सुपुत्री वासवदत्ता मिल गई है। अब वसन्त का समय है और तुम भी मुझे मिले हुए हो। इस प्रकार [मदन-महोत्सव' इस नाम के कारण] कामदेव भले ही [इसे अपना उत्सव मान कर] सन्तोष को प्राप्त करता फिर मेरे, विचार से तो यह महान् उत्सव मेरे लिए ही [उदयनोत्सव के रूप में] है ॥८६॥

टि०—सब प्रकार की मनोवाञ्छित वस्तुओं को प्राप्त करने वाले उदयन की यह विदूषक के प्रति कही उक्ति रत्नावली (१। ९) से ली गई है। अभिप्राय यह है कि इस मदनमहोत्सव नामक उत्सव का कामदेव के साथ तो नाममात्र का सम्बन्ध है। असली सम्बन्ध तो इसका मेरे ही साथ मानना चाहिए क्योंकि सब कुछ तो मुझे मिल रहा है।

---

१. ज. प्र. इसः त

क्रोधः कृतापराधेषु स्थिरोऽमर्षत्वमश्नुते ॥ ६१ ॥

यथा—

लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।
आकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥ ८७ ॥

यथा वा—

तस्मै दुष्प्रतिपत्तिदूषितहृदा येनैष दत्तो मणिः
संचूर्णं करवाणि चण्डमहसस्तस्याप्यदो मण्डलम् ।
भित्त्वा द्राक्कुशलं विपक्वफलवन्निष्पात्य भूमितले
केनाच्छिन्नमहो चराचरमिदं निर्वासरं वर्तताम् ॥ ८८ ॥

---

१५. अमर्ष—अपराध करने वाले व्यक्तियों पर स्थायी [देर तक टिकने वाला] क्रोध अमर्ष इस नाम को प्राप्त करता है [अर्थात् अमर्ष कहलाता है]॥६१॥

जैसे—

लाख के द्वारा बनाये गए घर, विषाक्त भोजन और द्यूतसभा में प्रवेश करने से हमारे प्राणों तथा धनराशियों पर प्रहार करके, पाण्डवों की स्त्री द्रौपदी के वस्त्र और बालों को खींचकर भी क्या मेरे जिन्दा रहते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि स्वस्थ रहेंगे ? ॥८७॥

टि०—भीमसेन की यह अमर्षोक्ति वेणीसंहार नाटक [१, ८] से ली गयी है।

और जैसे—

दुर्बुद्धि के कारण मलिन हृदय वाले जिस [सूर्य] ने [परम्परासम्बन्ध से] उस [कृष्ण] को यह स्यमन्तक मणि दी है, प्रचण्ड तेज वाले उस [सूर्य] के भी इस वृत्त [रूप शरीर] को मैं चकनाचूर कर दूँगा। शीघ्र ही उसकी सारी कुशलता [मङ्गल] को नष्ट करके और उसे पृथिवी तल पर पके हुए फल की तरह गिराकर इस संसार को [सूर्य को] किसने ढक लिया है इस प्रकार के आश्चर्य से युक्त कर दूँगा। यह जड़ चेतन जगत् [उस सूर्य के अभाव में] दिनरहित [अतएव अन्धकार पूर्ण] हो जाय ॥८८॥

टि०—भागवतपुराण की कथा के अनुसार सूर्य ने अपने भक्त राजा सत्राजित् को अपनी स्यमन्तकमणि प्रदान की थी। सत्राजित् से यह प्रसेनजित् के पास और प्रसेनजित् से जाम्बवान् के पास पहुँच गई। जाम्बवान् ने भी अपनी कन्या जाम्बवती के विवाह के अवसर पर दहेज के साथ भगवान् श्रीकृष्ण को दे दी। इस प्रकार यह परम्परासम्बन्ध से कृष्ण भगवान् को प्राप्त हो गई। सम्भवतः

असूयान्यगुणर्द्धीनामौद्धत्यादसहिष्णुता ।

यथा—

निर्वीर्यं गुरुशापभाषितवशात् किं मे तवैवायुधं
सम्प्रत्येव भयाद् विहाय समरं प्राप्तोऽस्मि किं त्वं यथा ।
जातोऽहं स्तुतिवंशकीर्त्तनविदां किं सारथीनां कुले
क्षुद्रारातिकृताप्रिये प्रतिकरोम्यस्त्रेण नास्त्रेण किम् ।। ८९ ।।

सपत्नीसङ्गते कान्ते कोप ईर्ष्यासमुद्भवः ।। ६२ ।।

यथा—

वक्षोजचिह्नितमुरो दयितस्य वीक्ष्य
दीर्घानिलं श्वसिति जल्पति नैव किञ्चित् ।
प्रातर्जलेन वदनं परिमार्जयन्ती
बाला विलोचनजलानि तिरोदधाति ।। ९० ।।

श्रीकृष्ण के विरोधी शतधन्वा की यह सूर्य के प्रति अमर्ष से भरी उक्ति है । क्योंकि सूर्य ही उस मणि के प्रथम दाता थे । शतधन्वा श्रीकृष्ण से इस मणि को छीनना चाहता था ।

१६. असूया—दूसरों की गुणसम्पत्तियों को उद्दण्डता आदि के कारण न सहन कर पाना असूया कहलाता है ।

जैसे—

क्या तुम्हारे शस्त्रों की तरह मेरा भी शस्त्र गुरु परशुराम के शापवचन के कारण शक्तिहीन अर्थात् व्यर्थ है ? भय के कारण तुम्हारी तरह क्या मैं भी इसी समय युद्ध को छोड़कर आया हूं ? क्या मैं स्तुति और वंशपरम्परावर्णन करने वाले सारथियों के कुल में पैदा हुआ हूँ ? नीच शत्रुओं द्वारा किए गए पितृवध रूप अप्रिय कार्य का क्या मैं आँसुओं से ही बदला लूँगा ? क्या शस्त्र से प्रतिशोध नहीं लूँगा ? [अर्थात् मैं शस्त्र से ही अवश्य बदला लूँगा] ।।८९।।

टि०—कर्ण के सेनापति होने की बात को न सहन करने वाले अश्वत्थामा की क्रोध और असूया से भरी हुई यह उक्ति वेणीसंहार नाटक (१, ३५) से ली गई है । परगुणोत्कर्ष को न सहन करना असूया कहलाता है ।

१७. ईर्ष्या—सौत अथवा अन्य नायिका में प्रिय के अनुरक्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला क्रोध ईर्ष्या कहलाता है ।।६२।।

जैसे—

अपने प्रिय [पति अथवा प्रेमी] के वक्षःस्थल को दूसरी नायिका के स्तनों के चिह्नों से अङ्कित देखकर यह अल्पवयस्का नायिका लम्बे २ साँस ले रही है और कुछ भी नहीं बोल रही है । प्रातःकाल जल से अपने मुँह को धोती हुई अश्रुजलों को [हाथ में लिए पानी के साथ मिलाकर] छिपा रही है ।।९०।।

विषादश्चेतसो ग्लानिरभीष्टविरहादिभिः ।

यथा—

कथं नु तं बन्धुरकोमलाङ्गुलिं
करं विहायासि निमग्नमम्भसि ।
अचेतनं नाम गुणं न लक्षये-
न्मयैव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥ ९१ ॥

सत्त्वत्यागादनुत्कर्षो वाक्यादेर्दैन्यमुच्यते ॥ ६३ ॥

यथा—

वृद्धोऽन्धः[1] पतिरेष मञ्चकगतः स्थूणावशेषं गृहं
कालोऽभ्यर्णजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो ।
यत्नात्सञ्चिततैलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला
दृष्ट्वा गर्भभरालसां निजवधूं श्वश्रूश्चिरं रोदिति ॥ ९२ ॥

टि०—यहाँ पति की अन्य नायिका में आसक्ति जानकर उसकी पत्नी को क्रोध आ रहा है और जब वह उसके आवेग को नहीं सहन कर पाती है तो उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली है। किन्तु पति के सामने अपनी इस व्यथा को प्रकट करना नहीं चाहती। इस कारण वह मुंह धोने के बहाने अपने आँसुओं को छिपाना चाहती है।

१८. विषाद—प्रिय के विरह आदि के कारण उत्पन्न चित्त की उदासी विषाद कहलाती है।

जैसे—

अरी ओ अँगूठी ! उस सुन्दर और मुलायम अंगुलियों वाले हाथ को छोड़ कर तू क्यों जल में डूब गई ? [ऐसा होना कुछ स्वाभाविक भी है क्योंकि] जड़ वस्तु तो गुण को नहीं देख पाती। परन्तु [चेतन होते हुए भी] मेरे ही द्वारा शकुन्तला की अवहेलना क्यों की गई ॥९१॥

टि०—यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्तल [६, १३] से लिया गया है। इसमें विदूषक के साथ बातचीत करते हुए राजा दुष्यन्त अँगूठी को सम्बोधित करते हुए शकुन्तला के परित्याग के विषय में पश्चात्ताप प्रकट कर रहा है।

१९. दैन्य—बल अथवा धीरता के परित्याग के कारण वाक्य, वेशभूषादि में हीनता का पाया जाना दैन्य कहलाता है ॥६३॥

जैसे—

यह पति अन्धा है और बूढ़ा है और [क्षीण होने से] चारपाई पर पड़ा हुआ है, घर अब एक थूणी [आधारस्तम्भ] के रूप में ही बाकी है, वर्षा ऋतु का समय पास है, विदेश गए बेटे की भी कोई कुशल से भरी खबर नहीं आई। बड़े यत्न

---

१. ज अ, वृद्धोऽयं त

यथा वा—

ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याप्यखण्डम्।
तुल्यः कामं भवति भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः
कोऽयं पन्थाः सपदि विमुखो मन्दभाग्ये मयीत्थम् ।। ९३ ।।

अधिक्षेपापमानादेश्चेतश्चण्डत्वमुग्रता ।

यथा—

कृत्वा त्रिःसप्तकृत्वः समिति विशसनं पूर्वमूर्वीपतीनां
कृत्वान्यत्सप्तकृत्वः पुनरपि कदनं दुर्मदानां नृपाणाम् ।

से एक एक बूंद करके जोड़ी हुई तेल की हँडिया भी फूट गई। इस प्रकार घर की दशा और गर्भभार से थकी हुई अपनी पुत्रवधू को देखकर सास बहुत देर से रोती रही है ।।९२।।

टि०—यह उदाहरण साहित्यदर्पण (३, १४५) और दशरूपक [४, १४] में है। यहाँ सास की धीरता का परित्याग होने से दैन्य है।

जैसे—

[हे कृष्ण के बड़े भाई बलराम ! आपने] सम्बन्धियों के अनुरूप प्रेम को मन में नहीं रखा है [अर्थात् आपके बहनोई अर्जुन के भीमसेन बड़े भाई हैं इस बात का ध्यान नहीं रखा]; धर्मपूर्वक लड़ने के क्षत्रियों के नियम का पालन भी नहीं किया [क्योंकि आपने युद्धनियम के विपरीत भीमसेन को मारने के लिए दुर्योधन को गुप्त-संकेत किया है]; आपके छोटे भाई कृष्ण की मेरे छोटे भाई अर्जुन के साथ जो प्रसिद्ध मित्रता थी उसको भी आपने ध्यान में नहीं रखा। आपका दोनों शिष्यों के ऊपर पर्याप्त मात्रा में समान ही प्रेम व्यवहार होना चाहिए था किन्तु [भीमसेन को मरवा कर] कौन सा यह आपका रास्ता है जो आप मुझ अभागे पर इस रूप में विपरीत हो गए हो ? ।।९३।।

टि०—मुनिवेषधारी राक्षस ने जब 'बलराम के गुप्त सङ्केत को पाकर दुर्योधन ने भीमसेन ही को मार डाला है' यह झूठी सूचना युधिष्ठिर को सुनाई तो वह बलराम की अनुपस्थिति में उन्हें उलाहना देते हुए इस प्रकार के वचन कह रहे हैं।

२०. उग्रता—गाली, दोषारोपण और अपमान आदि से चित्त का कठोर हो जाना उग्रता कहाता है।

जैसे—

युद्ध में पहले क्षत्रिय राजाओं की २१ बार हत्या करके और फिर दोबारा भी इन दुरभिमानी नरपतियों का ७ बार संहार करके और प्रत्येक सङ्ग्राम में

निर्माय क्ष्मापतीनां प्रतिसमरहृतैरुत्तमैरुत्तमाङ्गैः
कापालीमक्षमालां झटिति भगवतो भैरवस्यार्पयामि ॥६४॥

त्रासश्चित्तचमत्कार आकस्मिकभयादिभिः ॥ ६४ ॥

यथा—

लङ्काधामनि वीरभानुनृपतेः प्रेक्ष्य प्रतापोदयं
प्रत्यागारमधीरनीरजदृशो भूयो हुताशभ्रमात् ।
क्षुभ्यद्वाणि विधूतपाणि विगलन्मुक्तावलिप्रस्खलद्
वाष्पश्रेणि विलोलवेणि दयितं कण्ठस्थले बिभ्रति ॥ ६५ ॥

अनिष्टाभ्यागमोत्प्रेक्षां शङ्कामाचक्षते बुधाः ॥

यथा—

आनीतैव मया सीता किं नानीतं पुरो द्विषः ।
स चेदायाति लङ्कायां न जाने किं भविष्यति ॥ ६६ ॥

लाए हुए बढ़िया सिरों से कपालनिर्मित अक्षमाला को जल्दी २ बनाकर [उसे मैं] भगवान् भैरव को अर्पित करूँगा ॥६४॥

टि०—यह क्षत्रियसंहारक परशुराम जी की उक्ति है। इससे चित्त की कठोरता प्रतीत हो रही है।

२१. त्रास—अचानक आये हुए भय आदि से चित्त का आश्चर्यान्वित हो जाना त्रास कहलाता है ॥६४॥

जैसे—

लङ्का प्रदेश में वीरभानु राजा के पराक्रम के आविर्भाव को देखकर प्रत्येक भवन में चञ्चल कमल के सदृश नेत्रों वाली सुन्दरियाँ दोबारा अग्नि के भय से [पहली बार तो हनुमान् जी ने आग लगाई थी, उसके बाद की अबकी आग को देखकर] स्खलित वाणी [हकलाई हुई] हो गई हैं और हिलते हुए हाथों में टूटती मोतियों की माला को लेते हुए डगमगाकर आँसुओं की झड़ी लगाकर तथा चञ्चल केशबन्ध वाली होकर प्रेमी पति को गले लगा रही हैं ॥६५॥

२२. शङ्का—अमर्ष अथवा विपत्ति के आगमन की कल्पना [अनुमान-अटकल] को बुद्धिमानों ने शङ्का कहा है।

जैसे—

मैं सीता को ले तो आया हूँ, इस प्रकार शत्रु के नगर से मैं क्या नहीं लाया हूँ ? [अर्थात् उसके मैं सर्वस्व को ले आया हूँ] वह यदि लङ्का में आ जायेगा तो न मालूम क्या होगा ॥६६॥

टि०—यह सीताहरणोपरान्त रावण की उक्ति है। उसे राम के आक्रमण की शङ्का हो रही है।

विरहादेर्मनस्तापः शरीरान्तकरो गदः ।। ६५ ।।

यथा—

स्थितमुरसि विशालं पद्मिनीपत्रमेतत्
कथयति न तथान्तर्मन्मथोत्थामवस्थाम् ।
अतिशयपरितापम्लापिताभ्यां यथास्याः
स्तनयुगपरिणाहं मण्डलाभ्यां ब्रवीति ।। ९७ ।।

यथा वा—

निःश्वासेषु स्खलति कदलीवीजनं तापसम्पन्
नेत्राम्भोभिः स्थगितपतितैः[1] सूच्यते तत्स्तनान्तः ।
तस्याः किञ्चित्सुभग तदभूत्तानवं त्वद्वियोगाद्
येनाकस्माद् वलयपदवीमङ्गुलीयं प्रयाति ।। ९८ ।।

बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिप्रकर्षभूः ।

---

२३. गद—वियोग आदि से देह को समाप्त करनेवाला मानसिक सन्ताप गद कहलाता है ।।६५।।

जैसे—

वक्षःस्थल पर पड़ा हुआ यह विस्तृत कमलपत्र बहुत अधिक कामज्वाला से सन्तप्त मण्डलाकार स्तनों के चिह्नों से कामवासनाजन्य आन्तरिक दशा को उतना नहीं बता रहा है जितना यह इस सुन्दरी के दोनों स्तनों की विशालता को बतला रहा है ।।९७।।

टि०—कमलशय्या के इस सूखे पत्ते से सुन्दरी के मानसिक सन्ताप का अनुमान हो रहा है ।

यह श्लोक रत्नावली नाटिका [२,१४] से लिया गया है । उदयन सागरिका की कमलशय्या के सम्बन्ध में विदूषक से यह बात कह रहा है ।

जैसे—

उसके साँस लेने पर केले के पत्ते का पंखा हिलता है, रुक रुक कर गिरे हुए नेत्रजलों [अश्रुओं] से उसके स्तनों के अन्दर विद्यमान सन्तापातिशय की सूचना मिल रही है । हे सुन्दर नायक ! तुम्हारे वियोग से उसे कुछ ऐसी कृशता हो गई है कि अचानक उसकी अँगूठी कगन का स्थान प्राप्त कर रही है ।।९८।।

टि०—अभिप्राय यह है कि नायिका इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसकी कृश कलाई में अँगूठी पूरी आने लगी है । यह भी नायिका के मन की बेचैनी का वर्णन है ।

२४. ग्लानि—शारीरिक रोग और मानसिक व्यथा के अतिरेक से होने वाली

---

१. जत; स्थगितिपतितैः अ

यथा—

किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद् विप्रलूनं
हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः।
ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं
शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम् ॥ ९९ ॥

उत्कण्ठा हर्षशोकादेरुन्मादश्चित्तविप्लवः[1] ॥ ६६ ॥

यथा[2]—

किञ्चिद् वक्ति करोति हासमसकृन्निर्याति सन्तिष्ठते
वाष्पं मुञ्चति किञ्च रोषकलितः शोणां विधत्ते दृशम्।
बालेति प्रणमत्यकाण्डकुपितेत्याभाषते निष्ठुरे-
त्यालिङ्गत्यधुना स मन्मथशरैर्नीतः परां दुर्दशाम् ॥ १०० ॥

बल की हानि ग्लानि कहलाती है।

जैसे—

जैसे शरत्कालीन धूप केवड़े की भीतरी पंखुड़ी को सुखा देती है, वैसे ही हृदय रूपी पुष्प को सुखा देने वाला भयङ्कर [वियोग जन्य] यह लम्बी अवधि का शोक डण्ठल से अलग किये गए सुन्दर नये पत्ते के समान पीले और कृश इसके शरीर को सुखा रहा है ॥९९॥

टि०—यह श्लोक उत्तररामचरित (३, ५) से लिया गया है। इसमें मुरला नदी अपनी सखी तमसा को वियोगिनी सीता की स्थिति बता रही है।

२५. उन्माद—हर्ष, शोक आदि से उत्पन्न होने वाली उत्कण्ठा उन्माद कहलाती है। इसमें चित्त में उथलपुथल [व्याकुलता अथवा हैरानी] होती है ॥६६॥

जैसे—

कुछ कुछ बोलता है [थोड़ा २ अधूरे रूप में बोलता है], बार २ हँसता है, बाहर निकल जाता है, सामने आकर खड़ा हो जाता है, आँसू बहाने लगता है और इसके अतिरिक्त गुस्से में आकर लाल आँख कर लेता है। [सामने आए हुए व्यक्ति को तुम मेरी] 'नवयुवती प्रेमिका हो' यह कहकर प्रणाम करता है, 'बिना बात तुम मुझसे नाराज हो गई हो' यह कहने लगता है और फिर तुम वही निष्ठुर हो' ऐसा कहते हुए आलिङ्गन करने लगता है। इस भाँति इस समय वह कामदेव के बाणों द्वारा [बींधा जाकर] बहुत अधिक बुरी हालत में पहुँचा दिया गया है ॥१००॥

टि०—यह शोक से उत्पन्न उन्माद नाम की अवस्था है।

---

१. ज अ; विस्तरः त

२. त; ज अ में नहीं

आदरातिशयाच्चेतस्यावेगः सम्भ्रमो मतः ।

यथा—

अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते
त्वरितमिह विमुञ्च[1] त्वं लतापाशमेनम् ।
सपदि मयि निरोद्धुं जीवितं जीवितेशे
क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं निधेहि ।। १०१ ।।

मनःशरीरयोः खेदः क्रियातिशयतः श्रमः ।। ६७ ।।

यथा—

स्खलयति वचनं ते संश्रयत्यङ्गमङ्गं
जनयति मुखचन्द्रोद्भासिनः स्वेदबिन्दून् ।
मुकुलयति च नेत्रे सर्वथा सुभ्रु खेद-
स्त्वयि विलसति तुल्यं वल्लभालोकनेन ।। १०२ ।।

---

२६. सम्भ्रम—बहुत अधिक आदर के कारण चित्त में उत्तेजना [बेचैनी] का पाया जाना सम्भ्रम कहलाता है ।

जैसे—

हे सागरिके ! इतने बड़े इस साहस को मत करो । अरी ! तुम शीघ्र ही इस लतानिर्मित फन्दे को छोड़ दो । हे प्राणेश्वरि ! जाने के लिए तैयार इन प्राणों को रोकने के लिए क्षण भर के लिए मेरे गले में अपने भुजबन्धन को डाल दो ॥१०१॥

टि०—रत्नावली नाटिका [३, १७] में सागरिका के प्रति उदयन की यह घबराहट भरी उक्ति है ।

२७. श्रम—बहुत काम करने से मन और शरीर के भीतर थकावट का हो जाना श्रम कहलाता है ॥६७॥

जैसे—

हे सुन्दर भौंहों वाली रूपसी ! [अत्यन्त परिश्रम से उत्पन्न] यह तुम्हारी वाणी को गद्गद कर रहा है, अङ्ग २ को शिथिल कर रहा है, मुखचन्द्र के ऊपर सुशोभित होने वाले पसीने के बिन्दुओं को पैदा कर रहा है तथा नेत्रों को अधमुंदे बना रहा है । इस प्रकार प्रियतम के दर्शन से उत्पन्न प्रतिक्रिया के समान खेद भी तुम्हारे अन्दर शोभा पा रहा है ॥१०२॥

टि०—इस खेद से तुम्हारी वही स्थिति हो रही है जो प्रियतम से अचानक भेंट होने पर होती है ।

---

१. त; विनिमुञ्च ज अ

चित्तस्य खेदो निर्वेदस्तत्त्वज्ञानोदयादिभिः ।

यथा—

जरामरणदौर्गत्यव्याधयस्तावदासताम् ।
मन्ये जन्मेव धीराणां भूयोभूयस्त्रपाकरम्[1] ।। १०३ ।।

क्रियास्वपाटवं जाड्यं चित्तोत्कण्ठाभयादिभिः ।। ६८ ।।

यथा—

न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो
धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु ।
सहवसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः
कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः ।। १०४ ।।

---

२८. निर्वेद—तत्त्वज्ञान [विवेकख्याति] आदि के कारण चित्त में विरक्ति का होना निर्वेद कहलाता है।

जैसे—

बुढ़ापा, मृत्यु, दुर्गति और व्याधि आदि की बात तो जाने दो परन्तु बार २ का जन्म लेना ही तत्त्वज्ञानी धीरों के लिए लज्जाकारी होता है ।।१०३।।

टि०—अभिप्राय यह है कि तत्त्ववेत्ता बुद्धिमान् योगी और ध्यानी बार २ के जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पसन्द नहीं करते ।

२९. जाड्य—चिन्ता, उत्कण्ठा और भय आदि से कार्य में अदक्षता [अनिपुणता] जाड्य कहलाता है ।।६८।।

जैसे—

चढ़ी हुई धनुष की डोरी वाले और चढ़ाये हुए बाण से युक्त इस धनुष को मैं उन हरिणों के ऊपर झुकाने में अर्थात् धनुष खींचकर बाणप्रहार करने में असमर्थ हूँ जिन्होंने शकुन्तला के साथ २ रहने [के अवसर] को पाकर उसे मानो सुन्दर रूप में देखने का उपदेश किया है ।।१०४।।

टि०—यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्तल (२,३) से लिया गया है । शकुन्तला के सम्बन्ध में दुष्यन्त सोच रहा है कि उसे हरिणों ने ही सुन्दर अवलोकन की शिक्षा दी है क्योंकि बिना इससे सीखे तपोवासिनी होने के कारण शकुन्तला हाव भाव भरी दृष्टि से देखने की कला में दक्ष नहीं हो सकती थी । इस प्रकार यहाँ दुष्यन्त के क्रियाशून्य हो जाने से उसका जाड्य परिलक्षित होता है ।

---

१. ज अ; त्रपाकृतम् त

क्रियाविद्वेष आलस्यं सुखसङ्गमदादिभिः ।

यथा—

घूर्णत्पाटलनेत्रपालिविगलन्मुक्तावलि प्रस्खल-
न्मैरेयसृतसृक्किणि क्वणदलिव्यादष्टदन्तच्छदम् ।
क्षौमोद्वीजनखिन्नरेवति हलव्यालम्बि दोर्वल्लरि
भ्रंश्यत्कुन्तलि लोलकुण्डलि नुमस्तालाङ्कमाद्यं महः ।।१०५।।

निद्रा व्यापारवैमुख्यमिन्द्रियाणां श्रमादिभिः ।। ६९ ।।

यथा—

मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कुमाक्ते
कान्तापयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः ।
वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवर्ती
धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः ।। १०६ ।।

निद्रादिजनितं सुप्तमिन्द्रियाणां निमीलनम् ।

यथा—

प्रहरकमुपनीय त्वं निनिद्रासतोच्चैः
प्रतिपदमुपहूतः केनचिज्जागृहीति ।

---

३०. आलस्य—सुख के सम्पर्क और मद आदि के कारण कर्म करने से द्वेष करना अर्थात् अकर्मण्य हो जाना आलस्य कहलाता है ।

जैसे—

घूमते हुए रक्त नेत्रों की पलकों से युक्त, मोतियों की टूटी माला पहने, लड़खड़ाते हुए, शराब [के पीने] से फड़कते हुए ओंठ वाले, शब्द करने वाले भौंरों से काटे गए ओठों से युक्त, रेशमी वस्त्र से हवा करवाने के कारण अपनी पत्नी रेवती को थका देनेवाले, हल पर लटकती हुई भुजाओं से संवलित, बिखरे केशों से समन्वित, चञ्चल कुण्डलों के धारक, बलराम के आदिम तेज को हम नमस्कार करते हैं ।।१०५।।

३१. निद्रा—परिश्रम आदि के कारण इन्द्रियों की व्यापारनिवृत्ति अर्थात् शरीरेन्द्रियों का किसी कार्य को न कर पाना निद्रा है ।।६९।।

जैसे—

मतवाले हाथी के गण्डस्थल के समान विस्तीर्ण, कुङ्कुम द्रव से गीले, अपनी प्रिया के दोनों स्तनों पर अपनी छाती को रखकर प्रिया की दोनों भुजाओं के पिंजरे के बीच में पड़ा हुआ थोड़े २ समय के लिए निद्रा प्राप्त करने वाला एवं रतिश्रम से थका कोई सौभाग्यशाली ही नवयुवक रात विताता है ।।१०६।।

३२. सुप्त—नींद आदि से उत्पन्न होने वाला, अपने अपने विषयों से इन्द्रियों का विरत हो जाना सुप्त कहलाता है ।।

जैसे

रात्रि में अपने पहरे की बारी को बिता कर फिर स्वयं सोने की इच्छा वाले

मुहुरविशदवर्णां निद्रया शून्यशून्यां
ददद्पि गिरमुच्चैर्बुध्यते नो मनुष्यः ॥ १०७ ॥

यथा च—

यत्रैव तत्रैव यथा तथैव
येनैव तेनैव कृतोपधानाः ।
दुकूलतल्पेष्विव भूतलेषु
सुखेन निद्रान्ति नितम्बवत्यः ॥ १०८ ॥

निद्रापगमहेतुभ्यः प्रबोधश्चेतनागमः ॥ ७० ॥

यथा—

इति विरचितवाग्भिर्वन्दिपुत्रैः कुमारः
सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्झाञ्चकार ।
मदपटुनिनदद्भिर्बोधितो राजहंसैः
सुरगज इव गाङ्गं सैकतं सुप्रतीकः ॥ १०९ ॥

उक्ता भावादिभेदेन तेऽमी रत्यादयो रसाः ।

किसी प्रहरी के द्वारा ऊँचे स्वर में तुम अब जाग जाओ [और मेरी बारी खत्म हुई अब तुम पहरा दो] इस प्रकार बुलाया गया, और बार बार नींद के कारण अस्पष्ट वर्णों वाली सूनी सूनी [अर्थात् अर्थशून्य और निरभिप्राय] वाणी को बोलता हुआ वह मनुष्य जाग नहीं रहा है ॥१०७॥

टि०—यहाँ गाढ़ निद्रा में सोने के कारण न जागने वाले मनुष्य का वर्णन है।

और दूसरा उदाहरण—

जहाँ तहाँ ही, जैसे तैसे ही जो कोई भी वस्तु मिल जाये उसी से ही बने हुए सिरहाने वाली, सुन्दर नितम्बों वाली सुन्दरियाँ रेशमी वस्त्रों से ढकी हुई शय्या के समान [सुखकारी] भूतलों [नंगी ज़मीनों] पर सुख के साथ सो रही हैं ॥१०८॥

३३. प्रबोध— निद्रा को हटानेवाले कारणों से चेतना का आ जाना अर्थात् होश में आ जाना प्रबोध कहलाता है ॥७०॥

जैसे—

इस प्रकार के बनाये गये स्तुतिवचनों [का उच्चारण करने वाले] चारणों द्वारा [जगाए हुए] उस राजकुमार अज ने नींद छोड़कर वैसे ही शय्या का परित्याग किया, जैसे मद के कारण ज़ोर से बोलने वाले राजहंसों से जगाया हुआ सुन्दर चेहरे से सुशोभित सुप्रतीक नामक दिग्गज गङ्गा के पुलिनप्रदेश [की शय्या] को छोड़ देता है ॥१०९॥

भावादियों [अपने विभाव, अनुभाव और सञ्चारिभावों के] भेद के कारण यह रत्यादिभाव अलग अलग रस कहलाते हैं।

रसाभासादीनामुदाहरणानि स्वयमूहनीयानि । अयं चासंलक्ष्यक्रमः ।

टि०—अभिप्राय यह है कि वास्तव में रस एक है किन्तु विभावादियों की उपाधियों की भिन्नता से वह भिन्न भिन्न शृङ्गार वीर आदि रसों के रूप में परिणत हुआ करता है । जब दुष्यन्त, शकुन्तलादि आलम्बनविभाव, इनकी चेष्टादि अनुभाव और चिन्ता, हर्ष आदि व्यभिचारिभाव होते हैं तो यह अखण्ड रस शृङ्गार रस के रूप को धारण कर लेता है और जब किसी दूसरे रस के अनुकूल पात्र होते हैं तो इसका नाम वीरादि रसों में बदल जाता है ।

रसाभासादियों के उदाहरण स्वयं समझ लेने चाहिएँ ।

टि०—ग्रन्थकार ने शृङ्गारादि रसों के उदाहरणों को तो ऊपर दिखा दिया है किन्तु वह रसाभासादि के उदाहरणों को दिखाने और समझाने की आवश्यकता नहीं समझते । इसीलिए उनका कहना है कि इनके उदाहरण काव्यप्रकाश आदि ग्रन्थों से पढ़कर स्वयं समझ लेने चाहिएँ ।

काव्यप्रकाश में आचार्य मम्मट ने भाव और रसाभास की परिभाषा बताई है और उनके उदाहरणों को भी चतुर्थ उल्लास में समझाया है । काव्यप्रकाश (४, ३५-३६) में भाव की परिभाषा बताने के बाद रसाभास और भावाभास की परिभाषा बताई गई है । इसके बाद भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता के नाम गिनाये हैं । इनमें से प्रत्येक के उदाहरण भी वहीं दिये हुए हैं ।

और यह [रसादि रूप ध्वनि] असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि कहलाती है ।

टि०—रसादि ध्वनि में विभावादि की प्रतीति 'उत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत्' इतनी शीघ्रता से होती है कि इसमें पौर्वापर्य का ज्ञान नहीं हो पाता । इसलिए इस रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि कहते हैं । उत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत् का अभिप्राय यह है—यदि ऊपर नीचे रखे हुए कमल के सौ पत्तों के ढेर को नोंकदार लौहशलाका के एक ही आघात से एकदम बींधा जाय तो इस कार्य में पौर्वापर्य अवश्य रहता है । पहला पत्ता पहले बिंधता है और बाद वाले पत्ते उसी क्रम से बाद में विद्ध होते हैं । किन्तु क्रिया के शीघ्र होने के कारण पौर्वापर्यक्रम का ज्ञान नहीं होता है । ठीक इसी तरह रसप्रतीति में भी पहले आलम्बन और उद्दीपन विभावों का ज्ञान होता है फिर अनुभावों की प्रतीति होती है और इनके ज्ञान में सञ्चारिभाव बीच २ में आकर सहायता करते हैं । इन सभी के साधारणीभूत सम्मिलित ज्ञान का सामाजिकनिष्ठ स्थायिभाव के साथ जब सम्पर्क होता है तो रसप्रतीति रूप कार्य होता है । इस प्रकार विभावादियों का ज्ञान और रसास्वाद का अनुभव होता तो एक क्रमविशेष से है किन्तु शीघ्र २ और साथ २ होते चले जाने से इस क्रम का ज्ञान नहीं होता है । जैसे कमलपत्रों के वेधन में क्रम होते हुए भी उसका ज्ञान नहीं होता है वैसे ही रसादिध्वनि में भी क्रम का ज्ञान नहीं होता है ।

वाच्यव्यङ्ग्यक्रमज्ञानं ध्वनि र्यः परिकीर्तितः ॥ ७१ ॥
शब्दार्थोभयभूस्तस्मात् त्रिविधः कथ्यते बुधैः ।

वस्त्वलङ्कृतिध्वन्योः क्रमः संलक्ष्यते रसभावादिषु क्रमो न संलक्ष्यते इत्यत्र सामाजिका एव प्रष्टव्याः ।

संलक्ष्यक्रमः शब्दशक्त्युद्भवोऽर्थशक्त्युद्भव उभयशक्तिमूलश्चेति त्रिविधः । यत्र शब्दाः परिवृत्तिं न सहन्ते स शब्दशक्त्युद्भवः, तदन्योऽर्थशक्त्युद्भवः । यत्र परिवृत्तिरपरिवृत्तिश्च शब्दानां सोभयशक्तिमूलः ।

जो वाच्य और व्यङ्ग्य के क्रमिक ज्ञान वाली [संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] ध्वनि बताई गई है ॥७१॥

वह शब्दशक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ और उभयशक्त्युत्थ होती है इस कारण बुद्धिमानों ने उसे तीन प्रकार की बताया है ।

वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि में क्रम दिखाई पड़ता है और रसभावादि ध्वनियों में क्रम नहीं दिखाई पड़ता—इस विषय में सामाजिकों से ही पूछना चाहिए ।

टि०—अभिप्राय यह है कि वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि में रणन के बाद प्रतीत होने वाले अनुरणन के क्रम की तरह सहृदयों को क्रम दीखता है और रसध्वनि में नहीं दीखता । इस बात में किसी प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण को देने की आवश्यकता नहीं है । 'भ्रम धार्मिक विस्रब्धः' (ध्वन्या० ४, ४ वृत्ति) जैसे वस्तुध्वनि के उदाहरणों में पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है और उसके बाद व्यङ्ग्यार्थ (गोदावरीतीरं भीरुभ्रमणायोग्यम्) का अवगम होता है और 'शून्यं वासगृहम्' (सा० द० १, ३वृत्तिभाग) जैसे उदाहरणों में वाच्यार्थ और सम्भोगशृङ्गारध्वनि की प्रतीति के झटपट होने से इन दोनों के क्रम का ज्ञान नहीं प्रतीत होता है । यह अनुभव सहृदयसंवेद्य है । सामान्यतः आनन्दवर्धन और मम्मटादि प्राचीन आचार्यों की ओर से असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का इसी रूप में भेद बताया जाता है किन्तु वास्तव में यहाँ ग्रन्थकार ने पण्डितराज जगन्नाथ की तरह व्यङ्ग्यात्मक रीति से इस ओर इङ्गित किया है कि इन दोनों प्रकार की ध्वनियों में क्रम लक्षित नहीं होता है । इस बात में प्रमाण सामाजिक का हृदय ही है ।

संलक्ष्यक्रमध्वनि—१. शब्दशक्त्युद्भव २. अर्थशक्त्युद्भव और ३. उभयशक्त्युद्भव होती है इस कारण तीन प्रकार की है । जहाँ शब्द परिवर्तन को नहीं सहते हैं वह शब्दशक्ति से उत्पन्न होने वाली है [इस कारण शब्दशक्त्युद्भव कहलाती है] और उससे भिन्न प्रकार की अर्थशक्ति से उत्पन्न होने वाली है [अर्थात् उसमें शब्दों को बदला भी जाय तो भी व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति हो जाती है] । जहाँ पर शब्दों का परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों बातें पाई जायें वह उभयशक्त्युद्भव है ।

तत्र

अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद् यत्रावभासते ॥ ७२ ॥
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिः ।

यथा—

विद्राणे रणअत्वरादरिगणे त्रस्ते समस्ते पुनः
कोपात् कोऽपि निवर्तते यदि भटः कीर्त्या जगत्युद्भवः ।
आगच्छन्नपि सम्मुखं विमुखतामेवाधिगच्छत्यसौ
द्रागेतच्छुरिकारयेण ठणिति छिन्नापसर्पच्छिराः ॥ ११० ॥

अत्र शब्दशक्त्युद्भवो विरोधाभासः ।

इन [भेदों] में—

जहाँ अलङ्कार अथवा वस्तुमात्र प्रधान रूप से शब्द के द्वारा ही प्रतीत हो ॥७२॥

उसे शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि समझना चाहिए ।

जैसे—

रणाङ्गण से समस्त शत्रुओं के डर कर भाग जाने पर यदि कोई महावीर उनको हराकर क्रोध में भरकर लौटता है तो संसार में उसकी कीर्ति की उत्पत्ति होती है । शीघ्र ही इस योद्धा की तलवार के वेग से ठण् ठण् की आवाज के साथ कटे हुए और फड़कते हुए सिर वाला वह [शत्रु] इसके मुख के सामने आता हुआ भी इसके मुख के पीछे ही चले जाने की स्थिति को प्राप्त हो जाता है [यह विरोध है क्योंकि जो मुँह के सामने आता है वह मुँह के पीछे कैसे जा सकता है ? इसका परिहार यह है कि शत्रु सामने आकर युद्ध में हारकर पराङ्मुख होकर भाग जाता है अथवा मरकर मुखहीन हो जाता है] ॥११०॥

यहाँ शब्दों की शक्ति से उत्पन्न होने से शब्दशक्त्युद्भव विरोधाभास है ।

टि०—इस श्लोक में 'आगच्छन्नपि सम्मुखं विमुखताम्' के स्थान पर यदि और शब्द बदल कर रख दिये जायें तो यहाँ विरोधाभास अलङ्कार नहीं रहेगा । अतः यह शब्दशक्त्युद्भव अलङ्कारध्वनि का उदाहरण है । इस तरङ्ग के आरम्भ (३,२१-२३) में ध्वनि के निम्न चार भेद ग्रन्थकार पहले दिखा चुके हैं—

ध्वनि

- १. अविवक्षितवाच्य (लक्षणमूल)
  - १. अर्थान्तरसंङ्क्रमितवाच्य
  - २. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य
- २. विवक्षितान्यपरच्यवा (अभिधामूल)
  - ३. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
  - ४. संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य

वस्तुमात्रं यथा—

शनिरशनिश्च तमुच्चै र्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम् ।
यत्र प्रसीदति पुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च ।। १११ ।।

अत्र विरुद्धा अपि त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्यं कुरुत इति वस्तु ध्वन्यते ।

अर्थशक्त्युद्भवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः सम्भवी स्वतः ।। ७३ ।।
प्रौढोक्तिमात्रात् सिद्धो वा कवेस्तेनोत्तम्भितस्य वा ।
वस्तु वाऽलङ्कृति र्वेति षड्भेदोऽसौ व्यनक्ति यत् ।। ७४ ।।
वस्त्वलङ्कारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः ।

तदयं विवेकः—अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ—अर्थान्तरसङ्क्रमित-वाच्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यौ । विवक्षितान्यपरवाच्यासंलक्ष्यक्रमो रसादिरेको

यहाँ पुनः इस ध्वनि के प्रसङ्ग को उठाया गया है । अविवक्षितवाच्यध्वनि के भेदों का नाम गिनाकर विवक्षितान्यपरवाच्य के असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि इन दो भेदों की यहाँ चर्चा की है ।

केवल वस्तुध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

हे राजन् ! आप जिस पर नाराज होते हैं उसको शनि ग्रह और वज्र दोनों नष्ट कर देते हैं और जिस पर आपकी कृपादृष्टि हो जाती है वह महान् दाता [उदार] और स्त्रियों से युक्त [अनुदार—दाराओं—स्त्रियों से अनुगत] होकर शोभित होता है ।।१११।।

यहाँ विरुद्ध [स्वभाव वाले शनि तथा शनिभिन्न अशनि] पदार्थ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए [तुम्हारे कोपभाजन व्यक्ति के हननरूप] एक कार्य को करते हैं यह [वस्तुमात्र] ध्वनित होता है ।

टि०—यह उदाहरण काव्यप्रकाश (४,५६) में दिया हुआ है । अगली दोनों कारिकायें भी वहीं (४,३६-४१) से ली गई हैं ।

अर्थशक्त्युद्भव व्यञ्जक अर्थ भी—१. स्वतःसम्भवी [अर्थात् लोक में पाया जाने वाला], २. [केवल] कवि की प्रौढोक्तिमात्र से सिद्ध [लोक में न पाये जाने पर भी केवल कवि की कल्पनामात्र से काव्य में वर्णित] होता है । [तीन प्रकार का] वह वस्तु तथा अलङ्कार रूप [दो प्रकार का होने से ३×२=६] छः प्रकार का होता है और क्योंकि वह वस्तु अथवा अलङ्कार [दोनों को] व्यक्त करता है ।।७३-७४।।

इसलिए वह अर्थशक्त्युद्भव [ध्वनि ६×२=१२] बारह प्रकार का होता है ।

यह विशेष विभाग इस प्रकार है—अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनि के दो भेद हैं—१. अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य और २. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । विवक्षि-तान्यपरवाच्य [अभिधामूलध्वनि] का रसादि [रस, रसाभास, भाव, भावाभास,

भेदः । तस्यैव संलक्ष्यक्रमस्य शब्दशक्तिमूलौ अलङ्कारवस्तुध्वनी । अर्थशक्त्युद्भवस्य द्वादश । एकः शब्दार्थोभयभूः । इत्यष्टादश वाक्यस्य व्यञ्जकत्वे भेदाः ।

भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता] १ भेद है । उसी [विवक्षितान्यपरवाच्य] के संलक्ष्यक्रमध्वनि [नामक दूसरे भेद] के शब्दशक्तिमूल [शब्दशक्त्युद्भव] अलङ्कार-ध्वनि और वस्तुध्वनि नामक दो भेद हैं । अर्थशक्त्युद्भवध्वनि [नामक दूसरे भेद] के १२ उपभेद हैं । शब्दार्थोभयशक्त्युद्भव [नामक तीसरे भेद] का एक ही प्रकार है । इस प्रकार वाक्य के व्यञ्जक होने पर यह १८ भेद हैं ।

टि०—१. वाक्यगत ध्वनि के १८ भेद

- वाक्यगत ध्वनि
  - १. अविवक्षितवाच्यध्वनि (लक्षणामूल ध्वनि)
    - १. अर्थान्तरसङ्क्रमित-वाच्य
    - २. अत्यन्ततिरस्कृत-वाच्य
    - (२ भेद)
  - २. विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि (अभिधामूलध्वनि)
    - १. असंलक्ष्यक्रम-ध्वनि (१ भेद)
    - २. संलक्ष्यक्रम-ध्वनि
      - १. शब्दशक्त्युद्भव
        - १. वस्तुध्वनि
        - २. अलङ्कारध्वनि (२ भेद)
      - २. अर्थशक्त्युद्भव (१२ भेद)
      - ३. शब्दार्थोभयशक्त्युद्भव (१ भेद)

अर्थशक्त्युद्भव के १२ भेदों का विवरण इस प्रकार है—

- अर्थशक्त्युद्भव
  - १. स्वतः सम्भवी
    - १. वस्तु से वस्तु
    - २. वस्तु से अलङ्कार
    - ३. अलङ्कार से वस्तु
    - ४. अलङ्कार से अलङ्कार
  - २. कविप्रौढोक्तिसिद्ध
    - १. वस्तु से वस्तु
    - २. वस्तु से अलङ्कार
    - ३. अलङ्कार से वस्तु
    - ४. अलङ्कार से अलङ्कार
  - ३. कविनिबद्धवक्तृ-प्रौढोक्तिसिद्ध
    - १. वस्तु से वस्तु
    - २. वस्तु से अलङ्कार
    - ३. अलङ्कार से वस्तु
    - ४. अलङ्कार से अलङ्कार

पदस्य व्यञ्जकत्वे तूभयशक्त्युद्भवध्वन्यभावात् सप्तदश । इति पञ्च-

---

इस प्रकार वाक्यगतध्वनि के अन्तर्गत विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल-ध्वनि] के १६ भेद हैं। अविवक्षितवाच्य अर्थात् लक्षणामूलध्वनि के पहले अर्थान्तर-सङ्क्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक दो भेद हैं। इन १६ भेदों को दो भेदों के साथ मिलाकर वाक्यगत ध्वनि के १८ भेद हो जाते हैं।

पद के व्यञ्जक होने पर तो उभयशक्त्युद्भवध्वनि न होने के कारण १७ भेद ही होते हैं।

टि०—वाक्य में ही उभयशक्त्युद्भव ध्वनि होती है क्योंकि उभयशक्त्युद्भव का अर्थ है शब्दशक्ति और अर्थशक्ति दोनों की मिली जुली ध्वनि। फलतः कुछ शब्द परिवर्तन को सहने वाले होते हैं और कुछ परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति अकेले एक पद में किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है इसलिए यह उभय-शक्त्युद्भवध्वनि अनेक पदसमूह रूप वाक्य में होती है।

२. पदगत ध्वनि के १७ भेद

पदगत ध्वनि
- १. अविवक्षितवाच्यध्वनि (लक्षणामूलध्वनि)
  - १. अर्थान्तरसङ्क्रमित-वाच्य
  - २. अत्यन्ततिरस्कृत-(२ भेद) वाच्य
- २. विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि (अभिधामूलध्वनि)
  - १. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-ध्वनि (१ भेद)
  - २. संलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनि
    - १. शब्दशक्त्युद्भव
      - १. वस्तुध्वनि
      - २. अलङ्कारध्वनि (२ भेद)
    - २. अर्थशक्त्युद्भव (१२ भेद)

इस प्रकार पदगतध्वनि के अन्तर्गत विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूलध्वनि) के १५ भेद हैं। अविवक्षितवाच्य अर्थात् लक्षणामूलध्वनि के अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक दो भेद हैं। इन १५ भेदों को इन दो भेदों के साथ मिलाकर पदगतध्वनि के १७ भेद हो जाते हैं।

त्रिशत्। प्रबन्धेऽप्यर्थशक्त्युद्भवस्य द्वादश भेदाः। इति सप्तचत्वारिंशद् भेदाः। अलक्ष्यक्रमस्य प्रबन्धपदैकदेशरचनावर्णानां व्यञ्जकत्वे चत्वारो भेदास्तस्माच्छुद्धा एकपञ्चाशद् ध्वनिभेदाः।

इस प्रकार [वाक्यगत १८ भेदों में पदगत १७ भेदों को मिलाकर] अब तक ध्वनि के ३५ भेद हो जाते हैं। अर्थशक्त्युद्भवध्वनि के १२ भेद प्रबन्धगत भी होते हैं। इन १२ भेदों को मिलाकर [३५+१२=] ४७ भेद हो जायेंगे। असंलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनि [रसादि ध्वनि] के १. प्रबन्ध २. पदैकदेश ३. रचना और ४. वर्ण की व्यञ्जकता होने पर ४ भेद और हो जाते हैं। इस भाँति ध्वनि के ५१ शुद्ध भेद हैं।

टि०—प्रबन्ध (अर्थात् महावाक्य) में केवल विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधा-मूलध्वनि) के संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेद के अर्थशक्त्युद्भव वाले १२ भेद ही होते हैं। इस प्रबन्धगतध्वनि में अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूल) ध्वनि के दोनों भेद और विव-क्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूल) ध्वनि के शब्दशक्त्युद्भव तथा शब्दार्थशक्त्युद्भव ये दोनों भेद सम्भव नहीं हैं, क्योंकि लक्षणाव्यापार किसी एक वाक्य की अनुपयुक्तता-मात्र नहीं होता है। सम्पूर्ण महाकाव्य अथवा कोई एक प्रकरण इस लक्षणाव्यापार का विषय नहीं हो सकता। शब्दशक्त्युद्भव और शब्दार्थशक्त्युद्भव भेदों की भी यही स्थिति है। फलतः इसके १२ भेद ही माने जाते हैं।

पद, वाक्य और प्रबन्ध के इन भेदों के अतिरिक्त असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य (रस) ध्वनि के निम्न ४ भेद किए जाते हैं—

असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि (रस ध्वनि)

१. प्रबन्ध   २. पदैकदेश   ३. रचना   ४. वर्ण

पिछले ४७ भेदों में इन ४ भेदों को मिलाकर ध्वनि के कुल ५१ भेद हो जाते हैं। यह भेद (किसी दूसरे भेद के साथ मिश्रण न होने से) अपने शुद्ध रूप में होने के कारण शुद्ध ध्वनिभेद कहलाते हैं।

उपर्युक्त इन चार भागों में विभक्त ध्वनि के भेदों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

ध्वनि

१. वाक्यगत   २. पदगत   ३. प्रबन्धगत   ४. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-ध्वनिगत

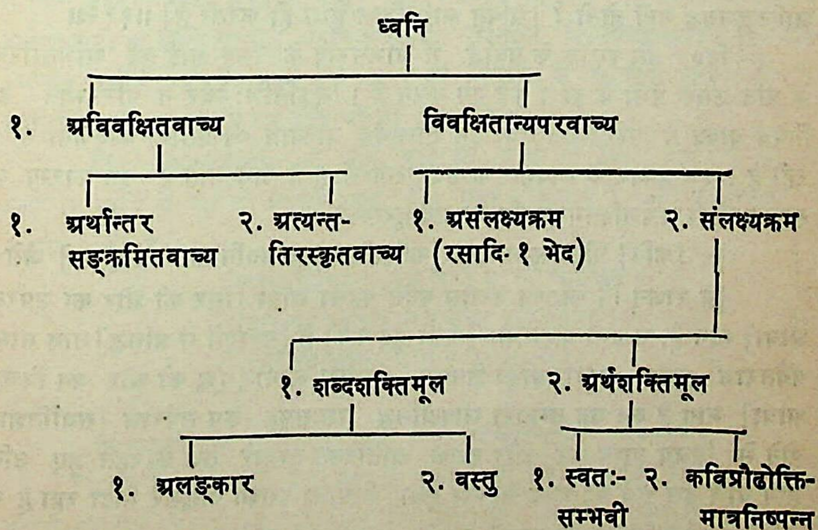
१८ + १७ + १२ + ४

=५१ कुल शुद्ध ध्वनिभेद

उदाहरणं स्वयमूहनीयम्। ग्रन्थगौरवभयादत्यन्तमनुपयुक्तत्वाच्च नेह प्रदर्शितम्। वस्तुतस्तु अविवक्षितवाच्यस्य भेदद्वयम्। एको रसादिः। संलक्ष्यक्रमस्य शब्दशक्तिमूलावलङ्कारवस्तुरूपौ द्वौ। अर्थश्च द्विविधः। स्वतः-सम्भवी प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न इति अन्यत्तु सर्वं स्वबुद्धिसौष्ठवप्रकटनम्।

[इन ५१ भेदों में से प्रत्येक भेद के] उदाहरण स्वयं [देखकर] समझ लेने चाहिएँ। यहाँ पर ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से तथा [इन भेदों के उदाहरणों के] अत्यन्त अनुपयोगी [व्यर्थ] होने से उन्हें यहाँ नहीं दिखाया है। वास्तव में तो अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनि के दो ही [अर्थान्तरसङ्क्रमित और अत्यन्ततिरस्कृत नामक] भेद हैं। [विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूप] एक भेद रसादि है। [विवक्षितान्यपरवाच्य के दूसरे भेद] संलक्ष्यक्रम के शब्दशक्तिमूल अलङ्कार और शब्दशक्तिमूल वस्तु—ये दो भेद हैं। [इसी संलक्ष्यक्रमध्वनि के अर्थशक्तिमूल भेद में] अर्थ इन दो प्रकारों का होता है—१. स्वतःसम्भवी [लोक में पाया जानेवाला] और २. कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न [कवियों की ऊँची कल्पनामात्र से पैदा होने वाला]। बाकी और जितने भेद हैं, वह सब तो [मम्मटादि आचार्यों ने] अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता को बताने के लिए किए हैं।

टि०—ये संक्षिप्त ७ भेद इस प्रकार हैं—



इस प्रकार अविवक्षितवाच्यध्वनि (२ भेद) और विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि (१+२+२=५ भेद) के ७ भेद हैं।

तत्र³ स्वतः सम्भवी अर्थो यथा—

आयातासि विमुञ्च वेपथुभरं दृष्टासि केनापि नो
नीलं चोलममुं च मुञ्च हरतु स्वेदं निशीथानिलः।
अत्यन्तभयसन्नकण्ठमसकृद् यामीति तल्पं गता
त्रस्यन्ती परिरभ्यते सुकृतिभिः स्वैरं न च स्वैरिणी॥ ११२॥

प्रौढोक्तिनिष्पन्नो यथा—

कैलासः प्राक् शरीरं फणफलकमुडुग्रामणीर्नागराजः
पश्चार्द्धं यस्य सोऽयं तव जयति यशोराशिराशीविषेन्द्रः।
त्वत्तेजस्युज्जिहानं विधिरपि च रविं प्रोञ्छति व्यर्थमानी
जानीमस्तावकीनासमसमरसमुद्धूतधूलीसदम्भात्॥ ११३॥

इन [भेदों] में से १. स्वतःसम्भवी अर्थशक्तिमूलध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

तुम यहाँ आ गई हो [यह बहुत अच्छी बात है और अब निश्चिन्त होकर बैठो] कम्पनातिशय अर्थात् थरथर काँपने को छोड़ो क्योंकि तुम्हें किसी ने देखा नहीं है। इस नीले चोग़े [जिससे अपने आपको ढाँप कर तुम यहाँ अभिसरणार्थ आई हो] को उतार दो [जिससे यह] आधी रात की हवा तुम्हारे पसीने को दूर करे। [अपने प्रेमी के इन वचनों को सुनती हुई] शय्या पर बैठी हुई, डरी हुई अतएव अत्यधिक भय के कारण भरे हुए गले से मैं जा रही हूँ, इन वचनों को बार २ कहती हुई स्वच्छन्द विहार करने वाली नायिका क्या पुण्यशाली व्यक्तियों के द्वारा आलिङ्गनबद्ध नहीं होती? [अपितु आलिङ्गित हुआ ही करती है] ॥११२॥

टि०—इस श्लोक के पूर्वार्द्ध में अभिसरण के लिए आई हुई अभिसारिका के प्रति उसके प्रेमी के द्वारा कहे गये वचन हैं। 'सुकृतिभिः स्वैरं न परिरभ्यते' इस निषेध वाक्य से 'परिरभ्यते एव' इस विध्यर्थक वाक्यार्थ की प्रतीति व्यञ्जना से हो रही है। इस प्रकार के व्यवहार के उदाहरण लोक में पाये जाते हैं इस कारण यह स्वतःसम्भवी अर्थशक्तिमूलध्वनि का उदाहरण है।

२. [कवि] प्रौढोक्तिनिष्पन्न [अर्थशक्तिमूलक ध्वनि का उदाहरण] जैसे—

[हे राजन्!] जिसका कैलास पर्वत पहला आधा [सिर की ओर का उपरला आधा] भाग है, चन्द्रमा फणाभोग [फैली हुई फन] है [पुराणों में प्रसिद्ध] नाग नामक पर्वतराज अथवा पातालवासी शेषनाग पिछला आधा [पूँछ की ओर का निचला आधा] भाग है वह यह तुम्हारा लोकप्रसिद्ध यशःसमूह रूप सर्पराज [सर्वातिशायी होने से] विजय प्राप्त करे और इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेज के रहते हुए उदित होने वाले इस सूर्य को व्यर्थ मानता हुआ विधाता इसको पोंछकर मिटा रहा है यह बात तुम्हारे अद्वितीय [निरुपम] युद्ध से उत्पन्न हुई धूलि के आडम्बर [बाहुल्य] के के कारण धुंधले सूर्य को देखकर हमें प्रतीत हो रही है ॥११३॥

टि०—इस श्लोक में श्वेत रङ्गों वाले कैलास पर्वत, चन्द्रमा और नाग पर्वत

एते प्रोक्ताः शुद्धभेदास्तेषामन्योन्ययोजनम् ।। ७५ ।।
सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ।

तेषां ध्वनीनाम् । संशयास्पदत्वेनानुग्राह्यानुग्राहकतया एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चेति त्रिविधेन सङ्करेण परस्परनिरपेक्षया चैकरूपया संसृष्ट्या एकत्र काव्ये संसर्गरूपया योजनमपि ।

या शेष नाग को राजा के यशरूपी सर्पराज का अङ्ग बताया है। इन विभिन्न पदार्थों से निर्मित होने के कारण राजा का यश अलौकिक है और वह आकाश, मर्त्यलोक और पाताल तक पहुँचा हुआ है—यह अर्थ व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है। इन पदार्थों से बने यश रूपी आशीविषेन्द्र तथा सूर्यबिम्ब के विधाता के हाथों से पोंछे जाने की लोक में सत्ता नहीं है, यह केवल कविकल्पनाप्रसूत बात है इस कारण यहाँ कविप्रौढोक्तिनिष्पन्न ध्वनि है।

ध्वनि के यह ५१ भेद शुद्ध भेद कहे गये हैं ।।७५।।

उन सभी ध्वनियों का त्रिविध सङ्कर और एक प्रकार की संसृष्टि से आपस में एक दूसरे के साथ मेल हो जाता है ।

यहाँ 'तेषाम्' का अभिप्राय [५१ प्रकार की] ध्वनियों से है । सन्देहास्पद होने से [सन्देहसङ्कर], अनुग्राह्यानुग्राहक रूप होने से [अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर] और एकव्यञ्जक में अनुप्रवेश होने से [एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर] इस प्रकार [नीरक्षीरन्याय से होने वाले] तीन तरह के सङ्कर और परस्परनिरपेक्ष [अर्थात् एक दूसरे की आवश्यकता न रखने वाली] ध्वनियों वाली [अतएव तिलतण्डुलन्याय से] संसर्ग [अर्थात् सम्मिश्रण] से युक्त एक प्रकार की संसृष्टि के कारण काव्य में [इन ध्वनियों का] एक स्थान पर मेल भी हो जाता है।

टि०—काव्यप्रकाश में यही कारिका थोड़े से भिन्न रूप में है और वहाँ पर ध्वनि के भेद भी गिनाये हुए हैं। यहाँ ग्रन्थकार ने उन्हीं पङ्क्तियों से सहायता ली है।

भेदास्तदेकपञ्चाशत् तेषां चान्योन्ययोजने ।।
सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ।
वेदखाब्धिवियच्चन्द्राः(१-०-४-०-४)

शुद्धभेदैः सह—
शरेषुयुगखेन्दवः (१-०-४-५-५) ।। काव्यप्रकाश (४, ४३-४४)

ध्वनि के अपने शुद्ध ५१ भेदों के साथ यही ५१ भेद जब मिल जाते हैं तो इनकी सङ्ख्या ५१×५१=२६०१ हो जाती है। यह भेद चतुर्विध सङ्कर और संसृष्टि के रूप में जब आपस में मिलते हैं तो (२६०१×४)=१०४०४ भेद हो जाते हैं। इनमें शुद्ध ५१ भेद मिलकर कुल ध्वनिभेद (१०४०४+५१) =१०४५५ हो जाते हैं।

सङ्कर का लक्षण विद्यानाथ के प्रतापरुद्रयशोभूषण में इस प्रकार मिलता है—

नीरक्षीरनयाद् यत्र सम्बन्धः स्यात्परस्परम् ।
अलङ्कृतीनामेतासां सङ्करः स उदाहृतः ॥

इसके अनुसार जहाँ किन्हीं अलङ्कारों की नीरक्षीरन्याय से एकत्र स्थिति होती है, वहाँ सङ्कर होता है। जैसे दूध और पानी के मिल जाने पर उन दोनों की पृथक् स्थिति नहीं रहती और वह एकाकार हो जाते हैं, उसी प्रकार जब दो या दो से मिले अधिक अलङ्कार पृथक् २ प्रतीत न हों तो उनका वहाँ सङ्करालङ्कार नाम हो जाता है किन्तु जहाँ दो या दो से अधिक अलङ्कार स्वतन्त्र रूप से मिलकर 'तिलतण्डुलन्याय' से पड़े होते हैं, वहाँ संसृष्टि होती है। जैसे सूखे तिल और चावलों को मिला देने पर भी वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार संसृष्टि में अलङ्कारों की पृथक् पृथक् स्थिति होती है। काव्यप्रकाश में आचार्य मम्मट ने संसृष्टि का यह लक्षण बताया है—

सेष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ काव्यप्रकाश १०, १३९

जो इन अलङ्कारों की परस्पर निरपेक्ष [स्वतन्त्र] रूप से काव्य में स्थिति होती है वह संसृष्टि कहलाती है।

कुवलयानन्द में भी अप्पयदीक्षित ने सङ्कर और संसृष्टि को इस प्रकार स्पष्ट किया है—अथैतेषामलङ्काराणां यथासम्भवं क्वचिन्मेलने लौकिकालङ्काराणां मेलन इव चारुत्वातिशयोपलम्भान्नरसिंहन्यायेन पृथगलङ्कारावस्थितौ तन्निर्णयः क्रियते। तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालङ्कारमेलने संसृष्टिः। नीरक्षीर-न्यायेनास्फुटभेदालङ्कारमेलने सङ्करः—कुवलयानन्द १७१ कारिकान्तर्गत वृत्तिभाग में अथ संसृष्टिसङ्करौ सं० ११८।

इसका अभिप्राय यह है—जिस प्रकार दो या दो से अधिक लौकिक आभूषणों को मिलाकर एक नई डिजाइन बना देने से वे अलङ्कार अधिक चारुता उत्पन्न करते है, ठीक वैसे ही ये काव्यगत अलङ्कार भी एक दूसरे से मिलकर काव्य में चारुत्व तिशय पैदा करते हैं। जिस तरह मनुष्य तथा सिंह मिलकर नरसिंह बनते हैं और दोनों का समन्वय होते हुए भी एक अलग कोटि में ग्रहीत होते हैं, इसी प्रकार अनेक अलङ्कारों का समन्वय भी 'नरसिंहन्याय' से पृथक् अलङ्कार के रूप में निर्धारित किया जाता है। जहाँ अनेक अलङ्कार एक दूसरे से इस तरह मिले हों कि वे प्रकट रूप में अलग अलग दिखाई पड़ते हों [इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहाँ 'तिलतण्डुलन्याय' से मिश्रण हो] वहाँ संसृष्टि नामक अलङ्कार है।

सङ्कर अलङ्कार तीन प्रकार का है। साहित्यदर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने इन भेदों को इस प्रकार बताया है—

अङ्गाङ्गित्वेऽलङ्कृतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितौ ।
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करस्त्रिविधः पुनः ॥ सा० द० १०,९९

यथा—

खण पाहुणिआ दे अर जा आ ए सु ह अ किं पि दे भणिआ[1]
रु अइ पडोहर घरम्मि अणुणिज्ज उ वराई ॥ ११४ ॥

पडोहर शब्दो देशभाषायां[2] गृहपश्चाद्गृहवाची । अत्रानुनयः किमुपभो-

१. जहाँ कई अलङ्कारों में अङ्गाङ्गिभाव हो, वहाँ अङ्गाङ्गिभाव या अनुग्राह्यानुग्राहकभाव सङ्कर होता है । २. जहाँ एक ही आश्रय (शव्द या अर्थ) में अनेक अलङ्कारों की स्थिति हो वहाँ एकव्यञ्जकानुप्रवेश सङ्कर तथा ३. जहाँ कई अलङ्कारों का सन्देह होता हो वहाँ सन्देहसङ्कर होता है । इनके उदाहरण भी वहीं दिखलाये हुए हैं ।

[सन्देहसङ्कर का उदाहरण] जैसे—

संस्कृतच्छाया—

क्षणप्राघुणिका देवर जायया सुभग किमपि ते भणिता ।
रोदिति गृहपश्चाद्भागवलभीगृहेऽनुनीयतां वराकी ॥

हे सौभाग्यशाली सुन्दर देवर ! उत्सव की मेहमान [अर्थात् घर के किसी उत्सव के अवसर पर अतिथि रूप में आई हुई तुम्हारी प्रेमिका] से तुम्हारी पत्नी ने न जाने क्या कुछ [उचित अनुचित रूप में] कह दिया है [जिससे दुःखी होकर अब] वह घर के पिछवाड़े की [एकान्त] अटारी [घर के ऊँचे भाग] के कमरे में [बैठी] रो रही है । उस बेचारी को जाकर मना लीजिए ॥११४॥

टि०—कोई नायिका किसी विवाहित युवक के प्रति अनुरक्त है । वह अपने प्रेमी के यहाँ होने वाले किसी उत्सव में आई हुई है । उस प्रेमी की पत्नी उनके प्रच्छन्न अनुराग को पहले से ही जानती रही है । अपने पति की अनुपस्थिति में घर पर आई हुई इस प्रेमिका को ईर्ष्याकषायित होकर उसने खरी खोटी सुना दी है जिससे दुःखी होकर वह एकान्त स्थान में जाकर रोने लग गई है । इस सारे रहस्य भरे वृत्तान्त को जानने वाली उस नायक की रिश्ते में भाभी लगने वाली नर्मसखी उस प्रेमी नायक को रमण करने के लिए प्रेरित कर रही है । उसका कहना है कि चुपके से पिछवाड़े की ओर से निकल कर ऊपर एकान्त स्थान पर पहुँच जाओ और अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करो ।

यहां पर प्रयुक्त 'पडोहर' शब्द देसी भाषा [देहाती बोली अथवा प्रान्तीय भाषा या बोली] में घर के पीछे की ओर बने हुए घर को बताने वाला है [पडोहर शब्द पिछवाड़े से मिलता जुलता है और इस अर्थ में इसका प्रयोग हिन्दी में मिलता

१. ज अ; भण आ त
२. संशोधित; देशभाषा ज अ त; पडोहरशब्दो गृहपश्चाद्भागे देशी का० प्र० ४११ पर बालमनोरमा टीका

गलक्षणे अर्थान्तरे सङ्क्रमितः किं वा अनुरणनन्यायेन उपभोग एव व्यङ्ग्ये व्यञ्जक इति सन्देहः ।

यथा—

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्बलाका घना
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः ।
कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे ।
वैदेही तु कथं भविष्यति हृदा हा देवि धीरा भव ।। ११५ ।।

अत्र लिप्तेति पयोदसुहृदामिति व्यापनपरितोषकारित्वे लक्ष्ये । इत्यत्रा-

---

है] यहाँ क्या [अनुनीयताम् शब्द में विद्यमान] अनुनय का उपभोग रूप अर्थ दूसरे अर्थ में सङ्क्रमित [होने से लक्षणामूल अविवक्षितवाच्यध्वनि का भेद] है अथवा क्या अनुरणनन्याय [संलक्ष्यक्रम]की रीति से [रोदननिवर्तन रूप अर्थ अनुनय का वाच्यार्थ है और उससे] उपभोग रूप व्यङ्ग्य में ही व्यञ्जक [होने से अभिधामूलध्वनि] है ? यह सन्देह [होने से सन्देहसङ्कर] है ।

टि०—अभिप्राय यह है कि 'अनुनीयताम्' शब्द का मुख्यार्थ 'मिन्नतें कीजिए' या 'प्रसन्न कीजिए' है । प्रेमप्रकर्षसूचन रूप प्रयोजन से तात्पर्यानुपपत्तिमूलक लक्षणा द्वारा 'सम्भोग कीजिए' इस लक्ष्यार्थ में पहला अर्थ सङ्क्रान्त हो जाता है इस विधि से यह अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यरूप अविवक्षितवाच्यध्वनि का उदाहरण बन जाता है । यदि 'अनुनीयताम्' शब्द के 'मना लीजिए' इस मुख्यार्थ की प्रतीति के अनन्तर ही अनुरणनन्याय से व्यञ्जना से ही 'सम्भोग कीजिए' यह अर्थ लिया जाय तो यहाँ विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूल) ध्वनि हो जाती है । इस प्रकार इस श्लोक में लक्षणामूल अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य तथा अभिधामूल संलक्ष्यक्रम वस्तु से वस्तु रूप व्यङ्ग्यध्वनि इन दोनों ध्वनिभेदों में से कौनसा भेद माना जाए इसका विनिगमक (साधकबाधकहेतु) न होने से दो ध्वनिभेदों का सन्देहसङ्कर है । काव्यप्रकाश ४,१११) तथा ध्वन्यालोक (३,४४ वृत्तिभाग) में भी सन्देहसङ्कर के उदाहरण के रूप में इस श्लोक को रखा गया है ।

[सङ्कर और संसृष्टि दोनों का सम्मिलित उदाहरण] जैसे—

चिकनी एवं काली चमक से आकाश को व्याप्त करने वाले [शब्दार्थ-लीपने वाले], विहार करती [घेरती हुई] बगुलियों से युक्त पवनें [भले ही बहें] और मेघों के मित्र मयूरों की आनन्द भरी कूकें भी चाहे कितनी ही सुनाई पड़ें, मैं तो दृढहृदय वाला राम हूँ अतः सब कुछ सह लूँगा, परन्तु [अतिकोमल] हृदय वाली [वियोगिनी] सीता [इस दशा में जीवित] कैसे रहेगी ? हाय ! हे उदात्त गुणों से संवलित देवि सीते ! तुम धैर्य रखना ।।११५।।

यहाँ पर 'लिप्त' और ।पयोदसुहृदाम्' यह दोनों पद [अपने अपने वाच्यार्थ में बाधित होकर] व्यापन और आनन्दकारित्व रूप लक्ष्यार्थ में [प्रयुक्त हैं] इस

त्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः व्यापनत्वातिशयपरितोषकारित्वातिशयध्वन्योः संसृष्टिः। आभ्यां सह रामोऽस्मीत्यस्यार्थान्तरे दुःखसहिष्णुत्वरूपे सङ्क्रमितवाच्यस्यैतादृशवैयग्रचहेतुसम्पातेऽपि जीवितत्वरूपदुःखसहनातिशयध्वनेरनुग्राह्यानुग्राहकभावेन रामपदलक्षणैकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चार्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य दुःखसहनातिशयध्वनेः रसध्वनेश्च सङ्करः। एवमन्यदुदाहार्यम्।

कारण यहाँ पर व्यापनत्वातिशय तथा परितोषकारित्वातिशय रूप व्यङ्ग्यार्थ को प्रकट करने वाली अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य रूप दो अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनियों की संसृष्टि है।

टि०—यहाँ 'लिप्त' पद का वाच्यार्थ लिपा हुआ है परन्तु लेपन क्रिया के कर्त्ता जड़ मेघ नहीं हो सकते और निर्लेप आकाश को लीपा नहीं जा सकता, इसलिए यह पद अत्यन्ततिरस्कृत होकर व्याप्त अर्थ का वोधन कराता है इसी प्रकार जड़ मेघ मोरों के लिए सुहृत् अर्थात् अच्छे हृदय वाले (मित्र) नहीं हो सकते क्योंकि सौहार्द चेतन का धर्म है इस कारण पयोदसुहृदाम् का अर्थ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य होकर आनन्दकारी हो जायेगा। इस प्रकार 'लिप्त' तथा पयोदसुहृदाम् इन दोनों पदों में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि परस्परनिरपेक्षभाव से स्थित है अतः उन दोनों भेदों की संसृष्टि है।

[लिप्त एवं पयोदसुहृदाम् इन दोनों पदों से प्रतीयमान] इन [अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियों] के साथ [अत्यन्त] दुःख को सह लेने के स्वभाव वाले राम रूप दूसरे अर्थ में बदले हुए वाच्यार्थ वाली तथा इस प्रकार की व्याकुलता के कारणों के आ पड़ने पर भी जिन्दा रहने रूप दुःख को सहन करने की बड़ी भारी शक्ति को बताने वाली 'रामोऽस्मि' से प्रतीयमान इस अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि का अनुग्राह्यानुग्राहकभाव सङ्कर है। इसके अतिरिक्त राम पद रूप एक व्यञ्जक पद में अनुप्रवेश के कारण दुःखसहन करने की अत्यधिक शक्ति रूप अर्थान्तरसङ्क्रमित वाच्य वाली अविवक्षितवाच्यध्वनि का और विप्रलम्भशृङ्गाररसध्वनि का [एकाश्रयानुप्रवेश] सङ्कर है। इसी प्रकार [संसृष्टि और सङ्कर के] अन्य उदाहरण भी समझ लेने चाहिएँ [अर्थात् जहाँ भी ध्वनियों का मेल दिखाई पड़े, वहाँ उनका इन चार भेदों के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है]।

टि०—रामोऽस्मि में राम पद अत्यन्तदुःखसहिष्णु रूप अर्थान्तर में सङ्क्रमित है लिप्त तथा पयोदसुहृदाम् पदों की अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि इस रामोऽस्मि के अर्थान्तरसङ्क्रमितध्वनि की उपकारक हैं इसलिए यहाँ उपर्युक्त दो अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियों का इस तीसरी अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि के साथ अनुग्राह्यानुग्राहकभाव अथवा अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है। 'रामोऽस्मि' में राम पद अत्यन्तदुःखसहिष्णुत्वविशिष्ट राम का बोधक होने से अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि का उदा-

इति श्रीविश्वनाथदेवविरचितसाहित्यसुधासिन्धौ तृतीयस्तरङ्गः[1] ।

हरण तो है ही किन्तु इसी पद के द्वारा व्यञ्जना से राजत्याग, पितृमरण, जटाचीरवल्कलधारण, नारीहरण, सहायान्वेषण आदि कर्मों को करने वाले राम में शोक, आवेश, धैर्य और निर्वेदादि व्यभिचारिभावों से विप्रलम्भशृङ्गाररस भी परिपुष्ट होता है। इसलिए यहाँ राम पद में अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि तथा रसध्वनि का एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर है। इस प्रकार इस श्लोक में दो अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियों की संसृष्टि तथा इन दोनों का 'रामोऽस्मि' पदों की अर्थान्तरसङ्क्रमितध्वनि के साथ अङ्गाङ्गिभावसङ्कर है। रामोऽस्मि पदान्तर्गत दो ध्वनियों में एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर है।

इस प्रकार श्रीविश्वनाथदेवविरचित साहित्यसुधासिन्धु में तृतीय तरङ्ग समाप्त हुई।

---

१. ज अ; राम इति साहित्यसुधासिन्धौ तृतीयस्तरङ्गः व

चतुर्थस्तरङ्गः

अथ प्राचां गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदानाह—

अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्ध्यङ्गमस्फुटम् ॥ ७६ ॥
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये[1] काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम् ।
व्यङ्ग्यमेवं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदा मताः ॥ ७७ ॥

अगूढमिति—सहृदयाहृदयसंवेद्यत्वमिति यावत् । तथा न चमत्कारप्रकर्षः ।

अब प्राचीन [मम्मटादि] आचार्यों के द्वारा किये गये गुणीभूतव्यङ्ग्य के भेदों को [ग्रन्थकार] बता रहे हैं—

१. अगूढ [व्यङ्ग्य], २. अपर [दूसरे] का अङ्ग [भूत व्यङ्ग्य अर्थात् अपराङ्गव्यङ्ग्य], ३ वाच्यसिद्धि का अङ्ग [भूत अर्थात् वाच्यसिद्ध्यङ्गव्यङ्ग्य], ४. अस्फुट [अर्थात् गूढव्यङ्ग्य], ५. सन्दिग्धप्राधान्य, ६. तुल्यप्राधान्य [व्यङ्ग्य], ७. काकु से आक्षिप्त [व्यङ्ग्य] और ८. असुन्दर [व्यङ्ग्य] ॥७५॥

इस प्रकार गुणीभूतव्यङ्ग्य [रूप मध्यमकाव्य] के आठ भेद बतलाये गये हैं ॥७६-७७॥

अगूढ वह व्यङ्ग्य है जिसको सहृदय और असहृदय दोनों ही सुगमता से समझते हों यही अगूढ शब्द का तात्पर्य है । वैसा चमत्कारातिशय इस अगूढव्यङ्ग्य में नहीं पाया जाता [जैसाकि ध्वनि काव्य में हुआ करता] है ।

टि०—अभिप्राय यह है कि जो व्यङ्ग्यार्थ सहृदय सामाजिकों की ही समझ में आये वही ध्वनिकाव्य होता हैं । सहृदयों से अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति भी जिस व्यङ्ग्य को सुगमता से ग्रहण कर ले वह अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण वाच्यार्थ के समान ही चमत्कारहीन हो जाता है इसलिए उस अगूढ में व्यङ्ग्यार्थ की प्रधानता न रहने के कारण उसको गुणीभूतव्यङ्ग्य माना जाता है इसी प्रकार जहाँ सहृदयों को भी व्यङ्ग्यार्थ सरलता से न प्रतीत होता हो वहाँ भी व्यङ्ग्य का चमत्कार समाप्त हो जाता है ऐसे चमत्कारहीन व्यङ्ग्यार्थ वाले गुणीभूतव्यङ्ग्य को गूढ-व्यङ्ग्य माना जाता है ।

---

१. ज अ; सन्दिग्ध तुल्यप्राधान्य त ।

उक्तञ्च—

नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो
नो गुर्जरीस्तन इवातितरां निगूढः।
अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्
सौरभ्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः॥

अगूढं यथा—

अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद् यदि।
तदा दुःखै र्न लिप्येरन् नलरामयुधिष्ठिराः॥ ११६॥

और [इस सम्बन्ध में] यह कहा गया है—

न तो आन्ध्रदेश की सुन्दरियों के स्तनों के समान अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने वाला [अगूढव्यङ्ग्य] शोभा देता है और न ही गुजराती वनिताओं के के कुचों के समान अत्यन्त छिपा हुआ [गूढव्यङ्ग्य काव्य] चमत्कार उत्पन्न करता है। [इसके विपरीत] महाराष्ट्री नवयुवती के कुछ खुले हुए और कुछ ढके हुए स्तन के समान वाणियों का स्फुटास्फुट अर्थ ही सुवासित [रुचिकर एवं मनोहर हुआ] करता है।

टि०—इस उक्ति में व्यङ्ग्य के कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट होने पर जोर दिया गया हैं। संस्कृतकाव्यशास्त्र में इस श्लोक की भाँति एक और श्लोक में भी ध्वनिकाव्य के लिए स्फुटास्फुट रूप से व्यङ्ग्यार्थयुक्त होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है—

अनुद्‌घृष्टः शब्दैरथ च रचनातः स्फुटरसः
पदानामर्थात्मा जनयति कवीनां बहुमुदम्।
यथा किञ्चित्किञ्चित्पवनचलचेलाञ्चलतया
कुचद्वन्द्वं कान्ति किरति न तथोद्‌घाटितमुरः॥

(काव्यप्रकाश ४, ४५-४६ पादटिप्पण ३, वामनाचार्यझलकीकरवृतटीका)

शब्दों के द्वारा न दबी हुई और स्फुटरसाभिव्यञ्जकपदरचना से युक्त, पदों के व्यङ्ग्य अर्थों वाली ध्वनि ही कवियों को प्रचुर आनन्द प्रदान करती है। मन्द मन्द वायु से हिलने वाले वस्त्र के भीतर कुछ छिपा हुआ और कुछ दीखता हुआ स्तनयुग जैसी कान्ति बिखेरता है वैसी कान्ति खुला हुआ वक्षःस्थल नहीं पैदा करता।

१. अगूढ [गुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण] जैसे—

निश्चित रूप से होने वाली घटनाओं का यदि प्रत्युपाय [रोकने के लिए किसी प्रकार का तरीका] हो जाया करता तो राजा नल, श्रीरामचन्द्र और [धर्मराज] युधिष्ठिर दुःखों से लिप्त न होते अर्थात् उनको तरह तरह के सङ्कटों का सामना नहीं करना पड़ता॥११६॥

अत्रावश्यम्भावि भवत्येवेति झटिति एव प्रतीयते। अपरस्य रसादेः रसादिरङ्गमुत्कर्षकम्। तथा वाच्यस्यानुरणनरूपमङ्गम्। केचित्तु वाच्यस्यापि राजानुगतभृत्यविवाहवद्रसादिरङ्गम्। आदिपदग्राह्यं भावादि। यथा—

नयनान्यरुणानि घूर्णयन् वचनानि स्खलयन् पदे पदे।
असति त्वयि वारुणीमदः प्रमदानामधुना विडम्बना ॥ ११७ ॥

यहाँ पर अवश्य होने वाली बात निश्चित रूप से होती ही है यह बात झट पट ज्ञात हो जाती है [अतएव व्यङ्ग्य के अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण यह अगूढ व्यङ्ग्य है] दूसरे रस आदि [रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावशवलता और भावशान्ति में से किसी एक] असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि की जब रसादि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि अङ्ग बनती है तो वह उत्कर्षकारक [पोषक या चमत्कारवर्धक] होती है। और [जब शब्दशक्त्युद्भव, अर्थशक्त्युद्भव, और उभयशक्त्युद्भव रूप सर्वविध] अनुरणनात्मक संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [वस्तुरूप और अलङ्कार रूप] ध्वनि भी वाच्यार्थ का अङ्ग बना करती है [तब वहाँ भी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है]। कुछ विद्वान् कहते हैं कि रसादि भी वाच्य का वैसे ही अङ्ग बन जाता है जैसे अपने नौकर के विवाह में राजा [स्वामी] अङ्ग [अप्रधान] हो जाता है [और इस प्रकार वह अपने भृत्य के उत्सव की शोभा बढ़ाता है]।

टि०—अभिप्राय यह है कि रस जहाँ भी होता है वह शिरोमणि (प्रधान) होता है किन्तु वह कहीं कहीं दूसरे रस को पुष्ट करते हुए स्वयं अप्रधान बन जाता है। जब एक रस या रसाभास आदि दूसरे रस अथवा रसाभासादि के अङ्ग बन कर शोभा बढ़ाते हैं तो वहाँ रसवद् अलङ्कार होता है। जब कोई भाव किसी का अङ्ग बनता है तो प्रेयोऽलङ्कार और रसाभास या भावाभास के अङ्ग बनने पर ऊर्जस्वी अलङ्कार होता है। इसी प्रकार भावोदय, भावसन्धि और भावशवलता के अङ्ग बनने पर इन्हीं के नाम के भावोदय आदि अलङ्कार होते हैं। भावशान्ति के अङ्ग बनने पर समाहित अलङ्कार होता है।

रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमस्तथा ॥
गुणीभूतत्वमायान्ति यदालङ्कृतयस्तदा।
रसवत्प्रेय उर्जस्वि समाहितमिति क्रमात् ॥
भावस्य चोदये सन्धौ मिश्रत्वे च तदाख्यकाः ॥

साहित्यदर्पण १०, ९५-९७ ॥

[राजानुगत० पद में प्रयुक्त] आदि पद भाव, रसाभासादि का ग्राहक है।

२. अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य-I [एक रस के दूसरे रस का अङ्ग बनने पर अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण] जैसे—

हे कामदेव! लाल लाल नेत्रों के घुमाने को करवाता हुआ, पग पग पर

अत्र शृङ्गारोचितनयनघूर्णनादिजनकमदिरारसस्मरणाद् विलासरमणाद् विगलद्धृदयत्वाच्छोकावेगमधिकं जनयति इति रसादे रसादिरङ्गम् । भावस्यापराङ्गत्वे यथा—

सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन्
नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम् ।
सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः
कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा ।। ११८ ।।

अत्र सूर्यविषयको भावो राजविषयकभावस्य ।

स्खलित [टूटे फूटे असम्बद्ध] वचनों को बुलवाता हुआ तुम्हारी सुन्दर स्त्रियों का यह शराब का नशा अब तुम्हारे न रहने [परलोक गत होने] पर इनके लिए मज़ाक [उपहास] का विषय है ।।११७।।

टि०—अभिप्राय यह है कि तुम्हारे जीवनकाल में तो कामिनियाँ शराब पीकर हँसती बोलती थीं किन्तु अब तुम्हारे मर जाने पर वे दुःखी हो जायेंगी और उनको दुःखी देखकर लोग उनका मज़ाक ही बनाते रहेंगे ।

यह श्लोक कुमारसम्भव (४.१२) का है । इसमें कामदेव के दग्ध हो जाने पर उसकी पत्नी रति विलाप करते हुए कह रही है ।

यहाँ शृङ्गार रस के अनुरूप नेत्रों के घुमाने आदि को पैदा करने वाली मदिरा के रस का स्मरण होने के कारण, हाव भावों के याद आने से और हृदय के द्रवित होने से [इतराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य अर्थात् करुण का अङ्गभूत शृङ्गार रस] अत्यधिक शोक के आवेश [उद्विग्नता] को उत्पन्न कर रहा है [यहाँ विरोधी शृङ्गार के अनुभावों से करुण रस की परापुष्टि ही हो रही है] । इस प्रकार यहाँ रसादि का रसादि अङ्ग बन जाता है ।

II. [भाव के दूसरे भाव का अङ्ग हो जाने पर अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण] जैसे—

हे राजा रघु ! सब जगह हमारी कुशल जानिये [या] इस बात को हमसे जान लीजिए [सुन लीजिए] तुम्हारे जैसे प्रजापालक स्वामी के होते हुए प्रजाओं का अकल्याण कैसे हो सकता है ? सूर्य के तपने [प्रकाशित एवं प्रदीप्त होने] पर अँधेरी रात लोगों की दृष्टि को ढकने में कैसे समर्थ हो सकती है ? ।।११८।।

यहाँ [कविनिष्ठ] सूर्यविषयक रत्याख्यभाव [कविनिष्ठ] राजविषयक रत्याख्यभाव का [अङ्ग] है ।

अनुरणनरूपस्यालङ्कारस्य वाच्याङ्गत्वं यथा—

शूली जातः कदशनवशाद् भैक्ष्यचर्यात्कपाली
वस्त्राभावाद् गगनवसनस्तैलदोषाज्जटावान् ।
इत्थम्भूतस्त्वदभिसरणादीश्वरत्वं मयाप्त-
मद्यापि त्वमयि नरपते नार्द्धचन्द्रं ददासि ॥ ११९ ॥

अत्र वाच्यस्य शम्भुत्वारोपस्य शब्दशक्तिमूलं नीयमानमीश्वरेण सह साम्यमुत्कर्षकम् । अनुरणनरूपस्य वस्तुनो वाच्याङ्गत्वोदाहरणं स्वयमूहनीयम् । वाक्यस्य रसादिरङ्गं यथा—

आगत्य सम्प्रति वियोगविसंष्ठुलाङ्गी-
मम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपितत्रियामः ।

III. अनुरणनात्मक [संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य अलङ्कारध्वनि की वाच्याङ्गता का उदाहरण] जैसे—

[हे राजन् !] बुरा भोजन करने से मैं शूली अर्थात् त्रिशूलधारी महादेव बन गया हूँ, [भिक्षुक पक्ष में उदरशूल अर्थात् पेट की पीड़ा से ग्रस्त हो गया हूँ], भीख माँगने से मैं खप्परधारी अथवा नरमुण्डधारी शिव बन गया हूँ [भिक्षुक पक्ष में खप्परधारण करके घर घर माँगने की नौबत आ गई है] कपड़ों की कमी के कारण मैं दिशाओं रूपी कपड़ेवाला [अर्थात् नंग धड़ंग रहने वाला] शङ्कर हो गया हूँ [शङ्कर जी भी नंगे रहने के कारण दिगम्बर हैं मैं भिक्षुक भी कपड़ों के अभाव में नंगा हो गया हूँ], तेल [के न मिलने के] दोष से जटाधारी शिव हो गया हूँ। इस प्रकार हे राजन् ! तुम्हारी सङ्गति में आने से मैंने महेश्वर शिव के और गुणों को तो प्राप्त कर लिया है अब आप मुझे अर्द्धचन्द्र को क्यों नहीं दे रहे हो ? [महादेव जी जैसे अर्द्धचन्द्र को सिर पर धारण करते हैं वैसे ही मैं अर्द्धचन्द्र को धारण करने का अर्थात् गलहत्था देकर बाहर निकाल देने का भी अधिकारी हूँ] ॥११९॥

टि०—इस उदाहरण में कोई भिक्षुक श्लेष के द्वारा अपनी समता महादेव जी के साथ कर रहा है। यहाँ उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है।

यहाँ [भिक्षुक के द्वारा अपने ऊपर किये गये] शम्भुत्वारोप रूप वाच्यार्थ का [अनुरणन रूप उपमालङ्कार संलक्ष्यक्रमध्वनि से] महादेव जी के साथ शब्दशक्तिमूलक प्रतीयमान साम्य [वाच्यार्थ की] शोभा को बढ़ाने वाला है। अनुरणन रूप वस्तुध्वनि की वाच्याङ्गता के उदाहरण [दूसरे ग्रन्थों में देखकर] स्वयं समझ लेने चाहिए।

IV. रसादिध्वनि की वाच्याङ्गता [का उदाहरण] जैसे—

हे तन्वङ्गि ! कहीं और [सूर्यपक्ष में द्वीपान्तर में और नायक पक्ष में दूसरी प्रेयसी के घर] रात बिताकर आने वाला यह हजार किरणों वाला [सूर्य] अब सबेरे के समय वियोग से सङ्कुचित देह वाली इस कमलिनी को पैरों में गिरने से

एतां प्रसादयति पश्य शनैः प्रभाते
तन्वङ्गि पादपतनेन सहस्ररश्मिः ।। १२० ।।

अत्र खण्डितानुनयलक्षणनायकवृत्तान्ततादात्म्यावगमाक्षिप्तरतिरूपेण रसेन वाच्यस्य रविकमलिनीवृत्तान्तस्योत्कर्षणमिति रसस्य वाच्याङ्गतेति ।

[पादपतन का सूर्यपक्ष में किरणों के स्पर्श से तथा नायक पक्ष में पैरों को छूने से अर्थ है] प्रसन्न [विकसित] कर रहा है ॥१२०॥

यहाँ पर खण्डिता [अपने पति की दूसरी नायिका में अनुरक्ति की बात को जानकर दुःखी रहने वाली] नायिका को मनाने के स्वरूप वाले अर्थात् उसका प्रसादन करने वाले नायक के वृत्तान्त के साथ तादात्म्यज्ञान के कारण व्यञ्जना से प्रतीत होने वाले [नायकनिष्ठ] रतिरूपात्मक शृङ्गाररस के द्वारा सूर्यकमलिनी के वृत्तान्त रूप वाच्यार्थ का उत्कर्षण [ऊँचापन] दिखाया गया है इस कारण शृङ्गाररस की वाच्याङ्गता है ।

टि०—ग्रन्थकार ने 'आगत्य सम्प्रति' इत्यादि यह उपर्युक्त श्लोक रसादि की वाच्याङ्गता के उदाहरण के रूप में दिया हैं किन्तु काव्यप्रकाश (४,१२५) में यही श्लोक अर्थशक्तिमूलध्वनि की वाच्याङ्गता के उदाहरण के रूप में दिखाया हुआ है । मम्मटादि आचार्यों ने अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य के यह दो भेद दिखाये हैं—

१. पहले भेद में रसादि रसादि के अङ्ग होते हैं । २. दूसरे भेद में वस्तु या अलङ्कारध्वनि वाच्य का अङ्ग होती है ।

किन्तु यहाँ ग्रन्थकार ने पहले (पृ० १७९) केचित्तु वाच्यस्यापि राजानुगतभृत्य-विवाहवद्रसादिरङ्गम्' इस पङ्क्ति से एक तीसरे अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रकार की ओर सङ्केत किया है और साथ ही यह भी कहा है कि इसे कुछ ही आचार्य मानते हैं सारे नहीं । इस तीसरे भेद में रसादि भी वाच्य के अङ्ग हो जाते हैं यह बात स्वीकार की गई है और इस भेद के उदाहरण के रूप में 'आगत्य सम्प्रति' आदि उदाहरण रखा है ।

किन्तु वास्तविकता यह है कि रसादि कभी वाच्य के अङ्ग नहीं हुआ करते । इस कारण यह उदाहरण रसादि की वाच्याङ्गता का उदाहरण न होकर वस्तु-ध्वनि की वाच्याङ्गता के उदाहरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए । ग्रन्थकार का भी अपना यही दृष्टिकोण प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने भी केचित्तु कहकर इस मत के प्रति अपनी अरुचि प्रदर्शित की है । रसादियों की वाच्याङ्गता को स्वीकार न करने का प्रमुख कारण यह है कि वाच्य सदा ही व्यङ्ग्य की अपेक्षा कम सुन्दर होता है इसलिए उतनी मात्रा में चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता है । वाच्य की अपेक्षा अधिक सुन्दर रहने वाला व्यङ्ग्य यदि रस में होता है तब तो उसका सौन्दर्या-तिशय स्वतः सिद्ध हो ही जाता है । ऐसी स्थिति में कोई भी रस किसी भी वाच्यार्थ

वाच्यस्य वाक्यार्थस्यानुपपद्यमानस्य सिद्धिरुपपत्तिस्तस्या अङ्गं निदानं वाच्यसिद्ध्यङ्गम् ।

यथा प्रागुदाहृतं रोलम्बो मधुप इत्यादि ॥ १२१ ॥

अस्फुटं सहृदयैरपि झटित्यसंवेद्यम् ।

यथा—

पत्रावलीचित्रकपोलपालिं
प्रातः सपत्नीमवलोक्य काचित् ।
तुतोष लाक्षाङ्कमनात्तनिद्रं
पुनः प्रियं वीक्ष्य विषादमाप ॥ १२२ ॥

का अङ्ग वन जाए अर्थात् वाच्यार्थ का सौन्दर्य अधिक हो और रस रूप व्यङ्ग्यार्थ का सौन्दर्य न्यून हो यह वात उपयुक्त नहीं जान पड़ती । सम्भवतः इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर मम्मटाचार्य ने इस तीसरे प्रकार की कल्पना नहीं की है ।

[३. वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य]

वाच्य अर्थात् असङ्गत होते हुए वाक्यार्थ की सिद्धि अर्थात् उपपत्ति [असङ्गति] का जो अङ्ग [सहायक या उपस्कारक] कारण है वह वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य कहलाता है ।

जैसे—

रोलम्बो मधुप० इत्यादि पहले [साहित्यसुधासिन्धु, १,४] उद्धृत किया हुआ श्लोक इसका उदाहरण है ॥१२१॥

टि०—जिस वाच्य को अपनी सिद्धि के लिए दूसरे व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा होती है वह वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य कहलाता है । ऐसे स्थानों पर व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ को ही पुष्ट करने से स्वयं गौण हो जाता है । रोलम्वो मधुप० इत्यादि श्लोक में व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ की सङ्गति में कारण वन जाता है क्योंकि यहाँ पर मधुप, परभृत आदि पदों से प्रतीत होने वाले व्यङ्ग्यार्थ के विना वाक्यार्थ की प्रतीति ठीक ठीक नहीं होती है । शरावी और कौओं से पाली हुई कोयल आदि भी मेरे सन्देश को पहुँचाने के लिए अयोग्य एवं अविश्वसनीय है इस व्यङ्ग्यार्थ से 'मैं अभिलाषिणी कठोरहृदय प्रिय को कैसे सन्देश भेजूं?' इस वाच्यार्थ की सार्थकता का बोध होता है । जब तक मधुप आदि शब्दों के द्वारा प्रतीयमान अयोग्य एवं अविश्वसनीय अर्थों का ज्ञान नहीं होता तव तक वाच्यार्थ का ज्ञान नहीं होता । भौंरा मधुपायी है यह वाच्यार्थ है । इसका व्यङ्ग्यार्थ है-यह शरावी की तरह अविश्वसनीय एवं अयोग्य है । इसी प्रकार परभृत आदि पदों से भी व्यङ्ग्यार्थ निकलता है ।

अस्फुट गुणीभूतव्यङ्ग्य वह होता है जो सहृदयों से भी झटपट न समझा जा सके [असहृदय सामाजिकों के द्वारा उसे समझने का तो प्रश्न ही नहीं है] ।

[४. अस्फुटगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण] जैसे—

कोई नायिका प्रातः काल पत्ररचना से चित्रित गालों की सतह वाली सौत को देखकर प्रसन्न हुई किन्तु फिर महावर के चिह्न वाले और [रातभर] नींद को

सन्दिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमिति योज्यम् । प्राधान्यं च चमत्कार-प्रयोजकत्वम् ।

यथा—

हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तधैर्य-
श्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः ।
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे
व्यापारयामास विलोचनानि ॥ १२३ ॥

अत्र किञ्चित्परिचुम्बितुमैच्छदिति[1] प्रतीयमानं किं वा विलोचन-व्यापारणं वाच्यं प्रधानमिति सन्देहः

न प्राप्त करने वाले अपने प्रिय को देखकर अवसाद को प्राप्त हुई ॥१२२॥

टि०—कपोलपालि पर पत्रावली की यथावत् स्थिति से तो यह ज्ञात होता है कि नायक ने उस सौत के साथ समागम नहीं किया है किन्तु नायक के ऊपर लगे महावर के चिह्न और उसके उनींदे चेहरे को देखकर यह विदित हो जाता है कि नायक ने सावधानी वरतते हुए विपरीत रति की हैं। यहाँ सहृदय सामाजिक को भी वड़ी कठिनाई के वाद विलम्व से इस रहस्य की प्रतीति होती हैं कि नायक ने अपनी नायिका की सौत के साथ विना चुम्वनादि किये सम्भोग किया है।

[सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये इस पद में विद्यमान 'प्राधान्य' पद को] सन्दिग्धप्राधान्य और तुल्यप्राधान्य इस रूप से जोड़ लेना चाहिए। प्राधान्य चमत्कारनिमित्तक हुआ करता है।

टि०—यहाँ प्राधान्य पद का सन्दिग्ध और तुल्य दोनों पदों के साथ सम्वन्ध है क्योंकि द्वन्द्वसमास के अन्त में पड़ा पद दोनों में से प्रत्येक पद के साथ सम्वन्ध रखता है (द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्वद्ध्यते) और प्रधानता और अप्रधानता के निर्णय में चमत्कार कारण होता है। यदि अङ्ग में चमत्कार हो तो गुणीभूतव्यङ्ग्य और अङ्गी में चमत्कार हो तो ध्वनि होती है।

[५. सन्दिग्धप्राधान्यगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण] जैसे—

चन्द्रमा के उदय के आरम्भ में समुद्र के [उद्वेलित हो उठने] के समान अधीर होकर शिव जी ने बिम्बफल के समान लाल अधरोष्ठ से युक्त पार्वती के मुख पर अपनी तीनों आँखें गड़ा दीं ॥१२३॥

यहाँ क्या [महादेव जी पार्वती के मुख को] कुछ चूमना चाहते थे यह व्यङ्ग्यार्थ [प्रधान है] अथवा वाच्य रूप नेत्रों का व्यापार [नेत्रों द्वारा देखना प्रधान है] यह सन्देहास्पद है।

टि०—यह श्लोक कुमारसम्भव (३, ६७) से लिया गया है इसमें समाधि को छोड़कर शिवजी की पार्वती को देखने से उत्पन्न प्रतिक्रिया का वर्णन है।

---

१. ज; किञ्चिच्चुम्बितुम् त; किं परिचुम्बितुम् अ

तुल्यप्राधान्यं यथा—

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये ।
जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते ।। १२४ ।।

अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षयं क्षणात्करिष्यतीति व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य च प्राधान्यम् । तथाहि, अत्र भूत्युपदेशमित्रत्वाभिधानं साम वाच्यमुक्तरूपश्च दण्डो व्यङ्ग्यः । उभयोरप्युपदेशस्यानर्थनिवारकत्वेन तुल्यता । काकुर्ध्वने विकारः । तदुक्तम्—

भिन्नकण्ठ[1]ध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधीयते ।
तेन वाच्यवद् झटित्युपस्थापितम् ।

काव्यप्रकाश (५,१२३) में भी यह पद्य सन्दिग्धप्राधान्य के उदाहरण के रूप में दिया है ।

६. तुल्यप्राधान्यगुणीभूतव्यङ्ग्य [का उदाहरण] जैसे—

ब्राह्मण का अपमान [करने के स्वभाव अथवा क्रिया] का परित्याग करना आपके ही लिए कल्याणकारक है । क्योंकि ऐसा करने से जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हारे मित्र रहेंगे नहीं तो वह तुमसे नाराज हो जायेंगे ।।१२४।।

यहाँ [नाराज हो जाने पर] परशुराम [पहले नष्ट किये हुए] सारे क्षत्रियों के समान राक्षसों का भी क्षण भर में नाश कर देंगे इस व्यङ्ग्यार्थ और [नाराज हो जायेंगे] इस वाच्यार्थ का [समान रूप से] प्राधान्य है ।

टि०—यह श्लोक तथा इसकी टिप्पणी तुल्यप्राधान्य के उदाहरण के रूप में काव्यप्रकाश (५,१३०) में दी हुई है । महावीरचरितनाटक के द्वितीय अङ्क में रावण को बताने के लिए मन्त्री माल्यवान् के पास परशुराम जी ने पत्र में यह सन्देश लिखकर भेजा है ।

[श्लोक का विशेष] अभिप्राय यह है—यहाँ उपर्युक्त उदाहरण में कल्याणमार्ग के लिए उपदेश और अपने को मित्र बतलाना रूप सन्धिपरक अर्थ वाच्यार्थ है और [अन्यथा दुर्मनायते इस पद से] प्रतीत होने वाला दण्ड [विग्रह] रूप अर्थ व्यङ्ग्य है । इन दोनों ही अर्थों को बताने वाला उपदेश अनिष्टनिवारक होने से समान है अर्थात् वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों में से [एक जैसा अर्थ निकलने से] किसी एक की प्रधानता नहीं है । इस कारण यहाँ तुल्यप्राधान्यगुणीभूतव्यङ्ग्य है । काकु शब्द का अभिप्राय ध्वनि का विकृत प्रकार है । ध्वनिशास्त्र में बताया भी है—बुद्धिमानों ने गले की बदली हुए आवाज को काकु कहा है ।

इस काकु से वाच्यार्थ की तरह के [चमत्कारहीन] दूसरे व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति साथ ही साथ शीघ्र उपस्थित हो जाती है ।

---

१. ज; भिन्नकण्ठो अ त

यथा—

मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः ।
सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू
सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १२५ ॥

असुन्दरं चमत्कारे वाच्यमुखनिरीक्षकम् ।

यथा—

प्रहरविरतौ मध्ये वाह्नस्ततोऽतिपरेण वा
किमुत सकलं याते वाह्नि प्रिय त्वमिहैष्यसि ।
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो
हरति गमनं बालालापैः सबाष्पगलज्जलैः ॥ १२६ ॥

अत्रोत्कण्ठाध्वनिः सबाष्पगलज्जलैरित्यादिवाच्यमुखनिरीक्षकः ।

---

७. [काक्वाक्षिप्तगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण] जैसे—

यदि आपका राजा किसी शर्त के साथ [कौरवों के साथ] सन्धि कर ले तो क्या मैं क्रोध से युद्धभूमि में समस्त कौरवों का नाश नहीं करूँगा ? [अपितु अवश्य करूँगा], दुःशासन की छाती से क्या उसका रक्तपान नहीं करूँगा ? [अवश्य करूँगा], और क्या अपनी गदा से दुर्योधन की जाँघें नहीं तोड़ूँगा ? [अवश्य तोड़ूँगा, युधिष्ठिर भले ही सन्धि कर लें मैं तो निश्चित रूप से कौरवों का वध करूँगा] ॥१२५॥

टि०—इस श्लोक में मथ्नाम्येव इत्यादि व्यङ्ग्यार्थ निषेधात्मक वाच्यार्थ के साथ साथ ही प्रतीत हो रहा है।

८. असुन्दर—असुन्दर गुणीभूतव्यङ्ग्य वहाँ होता है जहाँ व्यङ्ग्यार्थ चमत्कार के विषय में वाच्यार्थ के मुख की ओर देखता है [अर्थात् व्यङ्ग्यार्थापेक्षया वाच्यार्थ का जहाँ अधिक चमत्कार होता है]

हे प्रिय ! एक पहर के बीत जाने पर, अथवा दिन के मध्य अर्थात् दोपहर को अथवा उसके अनन्तर सायङ्काल को अथवा सारे दिन के बीत जाने के बाद सूर्यास्त तक तो आप यहाँ आज लौट आओगे न ? इस प्रकार गिरते हुए आँसुओं के साथ किये गये विलापों से षोडशी भोली प्रेमिका सौ दिन में पहुँचने योग्य देश को जाने के इच्छुक अपने प्रिय के जाने को रोक रही है ॥१२६॥

यहाँ [यदि आप सूर्यास्त तक लौटकर नहीं आओगे तो मैं प्राण धारण नहीं कर सकूँगी यह] उत्कण्ठाध्वनि 'सबाष्पगलज्जलैः' इत्यादि वाच्यार्थ के मुख को देखने वाली है [अर्थात् इसकी अपेक्षा असुन्दर होने से हीन कोटि की है । वाच्यार्थ से ही यहाँ नायिका के प्रेमातिशय और वियोग को न सह पाने की क्षमता का ज्ञान हो जाता है]।

प्राचां वाचां[1] प्रपञ्चेन मयाप्येताः[2] प्रपञ्चिताः ।
गुणीभूतभिदास्तस्मादस्माकं ध्वनिसम्मिताः ॥ ७७ ॥

वस्तुतस्तु सङ्कलनेनास्य[3] ध्वनेस्त्रयो भेदाः, व्यङ्ग्यस्य त्रिरूपत्वात् । तथाहि किञ्चिद् वाच्यतां सहते किञ्चित्त्वन्यथा । तत्र वाच्यतासहं वस्त्वलङ्काररूपम् । रसादिलक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः । स हि रसादि-

---

टि०—यह श्लोक अमरुशतक (श्लोक सं० १२) से लिया गया है । इसमें दूर देश में जाने के लिए पति को उद्यत देखकर नायिका की मर्मव्यथा को दिखाया गया है । यह श्लोक रसगङ्गाधर (प्रथम आनन, काव्यभेद प्रकरण) तथा दशरूपक (४,३२५) में भी मिलता है । उत्कण्ठा की परिभाषा काव्यशास्त्र में —

रागे त्वलब्धविषये वेदना महती यदि ।
संशोषयित्री गात्राणां तामुत्कण्ठां विदुर्बुधाः ॥

इस रूप में प्रसिद्ध है ।

प्राचीन आचार्यों की वाणियों के विस्तार [प्रपञ्चो ग्रन्थविस्तरः-ग्रन्थों] के अनुसार जो मैंने यहाँ गुणीभूतव्यङ्ग्य के भेद बताये हैं । वह हमारे मत में ध्वनि के सदृश ही [चमत्कारपूर्ण होते] हैं ॥७८-७९॥

टि०—ग्रन्थकार ने यहाँ ध्वन्यालोक के मत का पूर्णतया अनुसरण किया है । ध्वन्यालोक (३,४१ एवं वृत्तिभाग) में इस मत की समर्थिका यह कारिका दी हुई है—

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम् ।
धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥

गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि काव्यप्रकारो रसभावादितात्पर्यालोचने पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते ।

वास्तव में तो व्यङ्ग्यार्थ के तीन प्रकार होने से संक्षेप में इस ध्वनि के तीन भेद हुआ करते हैं, क्योंकि व्यङ्ग्य तीन ही प्रकार का होता है । जैसे कि कोई [वस्तु और अलङ्कार रूप दो प्रकार की ध्वनि] वाच्यता को सहन कर लेतीहै [अर्थात् वस्तु-ध्वनि और अलङ्कारध्वनि के रूप में जो अर्थ व्यङ्ग्य रूप से प्रतीत होता है वह अर्थ अन्य दशा —अभिधा से प्रतीत होने की स्थिति में 'मुखं चन्द्र इवाभाति' जैसे स्थलों में वाच्य भी हो सकता है] और कोई [रसध्वनि] अन्य प्रकार की होती है । अर्थात् वह वाच्यता को सहन न करने वाली—कभी भी वाच्य न हो सकने वाली कही जाती है] । काव्य में वाच्यतासहध्वनि वस्तु और अलङ्कार रूप होती है । रसादि स्वरूप वाली ध्वनि स्वप्न में भी अभिधा से ज्ञात होने योग्य नहीं हुआ करती ।

---

१. ज त; वाचां प्राचां अ
२. ज अ; मया ते त
३. ज अ; सङ्कलेनान्यथा त

शब्देन शृङ्गारादिशब्देनोच्यमानोऽपि न चमत्कुरुत इति यावत्। रसादिरित्यत्रादिपदाद् भावादिपरिग्रहः। चित्रभेदास्त्वलङ्कारा निरूपयिष्यन्ते।[१] इह[२] त्ववधेयम्—

शब्दार्थचित्रं यत्पूर्वं काव्यद्वयमुदाहृतम् ॥ ७९ ॥
गुणप्रधानभावेन स्थितिः शब्दार्थचित्रयोः।

वह ध्वनि रस भाव आदि शब्द और शृङ्गार वीर आदि शब्द से उच्चारित होते हुए भी [किसी प्रकार का] चमत्कार उत्पन्न नहीं करती इतना ही बतलाना पर्याप्त है। यहाँ रसादि इस पद में विद्यमान आदि पद से भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता और भावशान्ति का ग्रहण है।

टि०—अभिप्राय यह है कि रस की प्रतीति विभावादि के उपस्थापन से हुआ करती है और वह शब्दों के वाच्यार्थ के रूप में नहीं हुआ करती। क्योंकि यदि काव्य में शृङ्गार, वीर, रस, भाव आदि पदों का प्रयोग किया जाय और विभावादियों का प्रयोग न किया जाय तो रसानुभूति नहीं हो सकती।

शब्दचित्र और अर्थचित्र रूप शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों का आगे सप्तम और अष्टम तरङ्गों में निरूपण किया जायेगा। यहाँ निम्नलिखित बात को समझ लेना चाहिए—

शब्दचित्र तथा अर्थचित्र [नाम से] जो दो प्रकार के चित्रकाव्य पहले कहे गये हैं उनमें शब्दचित्र तथा अर्थचित्र शब्दों की स्थिति गौणप्रधानभाव से होती है। ॥७९-८०॥

टि०—तात्पर्य यह है कि शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार इन दोनों ही चित्रकाव्यों में दोनों प्रकार की चित्रता की स्थिति सम्भव होने पर भी शब्द और अर्थ की चित्रता में से जहाँ जिसकी प्रधानता होती है उसके आधार पर उसको शब्दालङ्कार या अर्थालङ्कार कहा जाता है। दूसरे की स्थिति गौण रूप में रहा करती है। काव्यप्रकाश के 'स्वच्छन्दोच्छलदच्छ०' (१,४) उदाहरण में अनुप्रास नामक शब्दालङ्कार के साथ ही साथ गङ्गा के अन्य नदियों से उत्कृष्ट होने के कारण व्यतिरेकालङ्कार नामक अर्थालङ्कार भी है किन्तु यहाँ पर अनुप्रास प्रधान रूप से विद्यमान है। 'विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात्' (काव्यप्र० १,५) इस उत्प्रेक्षा नामक अर्थालङ्कार के उदाहरण में मानदमात्ममन्दिरात् में वृत्त्यनुप्रास नामक शब्दालङ्कार भी है किन्तु प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति---इस नियम के आधार पर जहाँ जिसकी प्रधानता होती है वहाँ उसी का नाम दिया जाता है। यही कारण है कि 'स्वच्छन्दो०' में अनुप्रास नामक शब्दालङ्कार वताया जाता है। 'विनिर्गतं' इत्यादि में उत्प्रेक्षा नामक अर्थालङ्कार है।

---

१. ज त; त्वलङ्काररूपा इष्यन्ते अ
२. ज; इदं अ त

न तु शब्दस्य चित्रत्वे अर्थस्याचित्रता अर्थस्य चित्रत्वे शब्दस्याचित्रता । तथा च कैश्चिच्छब्दचित्रमेवेष्यते कैश्चिदर्थचित्रमेवास्माकं तु द्वयमपि ।

इति श्रीविश्वनाथविरचिते साहित्सुधासिन्धौ चतुर्थस्तरङ्गः ।[1]

न कि शब्द के भीतर चित्रता होने पर अर्थ की चित्रता का अभाव और अर्थ के भीतर चित्रता होने पर शब्द की चित्रता का अभाव हुआ करता है। [वस्तुतः एक के प्रधान रूप से रहने पर दूसरे की स्थिति गौण हो जाती है। शब्दचित्र में अर्थचित्र रह सकता है और अर्थचित्र का शब्दचित्र में रहना सम्भव है]। कुछ आचार्यों ने शब्दचित्रों [शब्दालङ्कारों] को ही पसन्द किया है और कुछों ने अर्थचित्रों [अर्थालङ्कारों] को। हमें तो दोनों ही प्रकार के चित्रकाव्य अच्छे लगते हैं।

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने मम्मट की भाँति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उभयविध अलङ्कारों को समान रूप से महत्त्व प्रदान किया है।

इस प्रकार आचार्य श्रीविश्वनाथविरचित साहित्यसुधासिन्धु में चतुर्थ तरङ्ग समाप्त हुई।

---

१. ज अ; इति साहित्यसुधासिन्धौ चतुर्थस्तरङ्गः त

पञ्चमस्तरङ्गः

कालिन्दीजलसम्भूत[1]नीलेन्दीवरसन्निभम् ॥ ८० ॥
ध्यायेऽहं कमलापीनकुचकेलिकरं महः ।

अवसरसङ्गत्या दोषस्वरूपमाह—

येषां ज्ञानाच्चमत्कारो न सम्यगुपजायते ॥ ८१ ॥
सालङ्कारगुणेऽप्यत्र ते दोषाः परिकीर्तिताः ।

यमुना के पानी में उत्पन्न हुए, नीले कमल के वर्ण के सदृश लक्ष्मी के मांसल तथा कठोर स्तनों से क्रीड़ा करने वाले तेज अर्थात् कृष्ण भगवान् का मैं ध्यान करता हूँ ॥८०-८१॥

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने मङ्गलाचरण के रूप में यह श्लोक रखा है। इससे प्रथम चार तरङ्गों तक पूर्वार्ध की समाप्ति एवं यहाँ से उत्तरार्ध का प्रारम्भ समझा जा सकता है।

अवसर के औचित्यानुसार दोष के स्वरूप को ग्रन्थकार बतलाते हैं।

टि०—ग्रन्थकार ने पहली तरङ्ग में काव्यलक्षण, काव्य के भेद और उन भेदों के उदाहरण बताये हैं, द्वितीय तरङ्ग में अभिधादि शक्तियों का निरूपण किया है, तृतीय तरङ्ग में रस, रसनिष्पत्ति और ध्वनिभेदों का विशदीकरण है तथा चतुर्थ तरङ्ग में गुणीभूतव्यङ्ग्य का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यहाँ ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य रूप धर्मी के बताने के बाद धर्मों की हेयोपादेयता बतलाने के लिए पहले दोषों का निरूपण करना उचित है। अब आचार्य विश्वनाथ इस तरङ्ग में पद, वाक्य और रससम्बन्धी दोषों का निरूपण कर रहे हैं। अवसरसङ्गत्या से दूसरा अभिप्राय यह भी निकलता है कि पहली तरङ्ग (पृ० १७) में अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम् इत्यादि इस सरस्वतीकण्ठाभरणप्रतिपादित काव्यलक्षण को ये आचार्य अपनी ओर से स्वीकार कर आये हैं। पिछली चार तरङ्गों में काव्य का स्वरूप तथा शब्द अर्थ एवं वृत्तियों के सम्बन्ध में विचार कर लिया है इसके बाद 'अदोषम्', 'गुणवत्' और 'अलङ्कारैरलङ्कृतम्' इन विशेषणों में सबसे पहला क्रम दोष का आने से इस तरङ्ग में दोषों का निरूपण किया जा रहा है।

इस [काव्य] के अलङ्कार और गुणों से युक्त होने पर भी जिनका ज्ञान हो जाने से [रसास्वाद रूप] चमत्कार अच्छी तरह नहीं होता है वह दोष कहलाते हैं ॥८१-८२॥

---

१. ज अ, जलसंभूत स

दृष्टो हि लोके सगुणोऽपि सालङ्कारोऽपि सदोषत्वेन ज्ञातो न यथा[1] चमत्करोति तथा काव्यमपि। वस्तुतस्तु रसापकर्षजनकज्ञानविषयत्वं दोषत्वम्। अपकर्षश्च रत्याद्यवच्छिन्नस्यानन्दांशे आवरणस्यावस्थितिः।[2]

ननु च्युतसंस्कृत्यादिष्वव्याप्तिः, तज्ज्ञानस्य शाब्दबोधाप्रतिबन्धकतया रसापकर्षजनकज्ञानविषयत्वाभावात्।

लोक में गुणों से युक्त और अलङ्कारों से भूषित दीखता हुआ भी व्यक्ति जब किन्हीं दोषों से भरा हुआ ज्ञात होता है तो जैसे वह चमत्कार नही पैदा करता है वैसे ही [गुणों और अलङ्कारों से शोभित किन्तु दोषान्वित] काव्य भी चमत्कार उत्पन्न नहीं करता है।

टि०—दयादाक्षिण्यादि गुणों से युक्त और कटककुण्डलादि आभूषणों को धारण करने वाला व्यक्ति यदि सुरापानादि दुर्गुणों से युक्त होता है तो वह दूसरों को प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों और उपमादि अलङ्कारों से समन्वित काव्य यदि च्युतसंस्कृत्यादि दोषों से दूषित होता है तो वह सहृदयों को आनन्दित नहीं करता।

[दोष का लक्षण] वास्तव में तो रस के आस्वाद में आवरण [अथवा रस की हानि या घटियापन] को उत्पन्न करने वाले ज्ञान का विषय होना दोष होता है [अर्थात् जिसको जान लेने से रसास्वाद में विघ्न पड़ता है वह दोष होता है]। [दोष के इस लक्षण में दिये हुए अपकर्ष का अर्थ इस प्रकार है—] रत्यादिभावों से संवलित चेतन आत्मा के आनन्दांश में आवरण [पर्दे] की उपस्थिति का होना अपकर्ष कहलाता है।

[पूर्वपक्षी—] च्युतसंस्कृति [व्याकरणहीनत्व] विधेयाविमर्शादि दोषों में [रसापकर्षजनकज्ञानविषयत्वं दोषत्वम् इस] दोषलक्षण की अव्याप्ति हो जायेगी क्योंकि उनका ज्ञान शाब्दबोध में प्रतिबन्धक नहीं होता। इसी कारण उनमें रस के अपकर्ष को उत्पन्न करने वाले ज्ञान की विषयता नहीं होती [इस प्रकार ऐसे स्थलों पर शाब्दबोध होने से रसास्वाद भी होता है]।

टि०—पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है—यद्यपि प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभेः इत्यादि आगे दिये गये श्लोक सं० (५,१२९) में अरविन्दनाभस्य पद का प्रयोग ही व्याकरणसम्मत है क्योंकि समासासान्त अच् प्रत्यय लग जाने के बाद अरविन्दनाभि पद अरविन्दनाभ इस रूप में व्यवहृत होता है, तो भी अरविन्दनाभेः जैसे व्याकरण की दृष्टि से असाधु पदों के प्रयोग से भी सामान्य व्यक्ति तक को शाब्दबोध हो जाता है और साथ ही वीरादिरसों के आस्वाद में भी ऐसे स्थलों पर किसी प्रकार का

---

१. ज अ; तथा त

२. ज अ, रत्याद्यावि[illegible]

उत्तिविसेसो[1] कव्वो भासा[2] जा होइ सा होउ।
इत्यादि वाचोयुक्त्या भावमात्रस्य काव्यत्वात्,

विघ्न नहीं होता। इसी प्रकार 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्' (यहाँ पर स्तनतटम् उद्देश्य है और निःशेषच्युतचन्दनम् विधेय है इस कारण 'स्तनतटं निःशेषच्युतचन्दनम्' ऐसा प्रयोग होना चाहिए) जैसे विधेयाविमर्श दोष के उदाहरणों में भी शाब्दबोध होने के अनन्तर शृङ्गार रस के आस्वाद में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। इस प्रकार 'रसापकर्षजनकज्ञानविषयत्वं दोषत्वम्' यह दोषसामान्य का लक्षण च्युतसंस्कृति और विधेयाविमर्श आदि दोषों में अव्याप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से अशुद्ध पदों अथवा अस्थान पर व्यवहृत पदों के प्रयोग के होने पर भी उनका अर्थ समझने में और उसके बाद होने वाली रसानुभूति में किसी प्रकार की बाधा (प्रतिबन्धकता) नहीं आती है इस बात का समर्थन राजशेखर की आगे दी हुई इस प्रसिद्ध उक्ति 'उत्तिविसेसो' इत्यादि से हो जाता है।

क्योंकि 'उत्तिविसेसो कव्वो भासा जा होइ सा होउ' [उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवति सा भवतु] उक्तिविशेष [विशिष्ट प्रकार की उक्ति, असाधारण अर्थ का प्रतिपादक वचन] ही काव्य कहलाती है भाषा जो हो सो हो [अर्थात् भाषा कोई भी हो और कैसी भी हो उसका विशेष महत्त्व नहीं है] इत्यादि युक्तियुक्त वचनों के भावमात्र [उत्तम अभिप्राय वाले अथवा रत्यादिभावों से संवलित उक्तियों की सत्ता] का नाम ही काव्य है।

टि०—राजशेखरकृत कर्पूरमञ्जरी के प्रथम जवनिकान्तर की प्रस्तावना में सूत्रधार पारिपार्श्विक से पूछता है—'तत् किमिति संस्कृतं परिहृत्य प्राकृतबन्धे प्रवृत्तः कविः ?' यह तो बताइए कि संस्कृतभाषा को छोड़कर प्राकृत भाषा में कवि ने क्यों रचना की? इस पर पारिपार्श्विक उत्तर दे रहा है कि सर्वभाषाचतुर कवि ने यह स्वयं कहा है—

अत्थणिवेसा ते ज्जेव्व सद्दा ते ज्जेव्व परिणमंतावि।
उत्तिविसेसो कव्वो भासा जा होई सा होदु॥
(अर्थनिवेशास्त एव शब्दास्त एव परिणमन्तोऽपि।
उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवति सा भवतु॥)

प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा में बदले हुए शब्द वही रहते हैं और उनकी उसी अर्थ में स्थिरता भी बनी रहती है। अर्थात् संस्कृत को बदल कर प्राकृत में रखे हुए शब्द थोड़े बदल तो जाते हैं किन्तु न तो वह स्वयं ही सर्वथा बदलते हैं और न उनका अर्थ ही बदलता है। उक्तिविशेष अर्थात् विशेष प्रकार की चमत्कार-

---

१, ज अ; उत्तिविशेसो त
२. ज अ; भाषा त

इति चेत् [न][२] तज्ज्ञानस्यापि प्रतिबन्धकत्वमित्येके । वस्तुतस्तु तथा दोषत्वस्यैव[२] व्यवस्थाप्यत्वेनेष्टापत्तेः ।

भरी भणिति (वचन) का नाम काव्य है भाषा चाहे जो हो । वह उक्ति संस्कृत में हो तो भी ठीक है और उसके प्राकृत में लिखे जाने पर भी कोई हानि नहीं है ।

इस प्रकार राजशेखर की 'उत्तिविसेसो कव्वो भाषा जा होइ सा होदु इस उपर्युक्त कारिकार्थ को प्रमाण मानकर पूर्वपक्षी का कहना है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध अत एव च्युतसंस्कृति दोष से दूषित पदों तथा विधेयाविमर्श दोष से दूषित अर्थों के ज्ञान से रसध्वनि के अवबोध में बाधा नहीं होती है इस कारण 'रसापकर्ष' आदि उक्त दोषसामान्य के लक्षण की च्युतसंस्कृति तथा विधेयाविमर्शादि दोषों में अव्याप्ति सिद्ध हो जाती है । वस्तुतः काव्य में भावों (रस रूप में परिणत होने वाले रत्यादिस्थायिभावों या चमत्कार भरे वचनों) की प्रमुखता है भाषा की नहीं है ।

[पूर्वपक्षी द्वारा उपर्युक्त रीति से भावमात्र की प्रधानता काव्य में होती है भाषा भले ही अशुद्ध हो] यदि यह कहा जाय, तो यह ठीक नहीं है । उस [विशिष्ट प्रकार की भावपूर्ण] उक्ति में [अशुद्ध भाषा अथवा विधेयादि का गलत प्रयोग होने पर] ज्ञान की भी प्रतिबन्धकता [बाधा–विघ्न] आती है [पहले शाब्दबोध में कठिनता आती है और तदनन्तर रसास्वाद में भी विघ्न होता है ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं । वास्तव में तो पूर्वाचार्यों की भाँति ही च्युतसंस्कृत्यादि दोषों को दोष के रूप में ही व्यवस्थित करने से [उन्हें रसापकर्षक मानने पर ही] प्रयोजनसिद्धि होती है [अतएव उन्हें दोष मानना ही उचित है यह सिद्धान्त पक्ष है] ।

टि०—यहाँ च्युतसंस्कृति और विधेयाविमर्श दोषों से दूषित स्थलों पर भी शाब्दबोध और रसास्वाद हो जाता है इस पक्ष को पूर्वपक्षी ने उपस्थित किया है और इसके समर्थन में राजशेखर की काव्यमीमांसा के 'उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवति सा भवतु' इस वचन को प्रमाण के रूप में रखा है । सिद्धान्ती ने अपनी ओर से कुछ कहने से पहले दूसरे आचार्यों के मत से पूर्वपक्षी के मत का खण्डन किया है । इन दूसरे आचार्यों का मत है कि च्युतसंस्कृत्यादि दोषों से दूषित 'उक्तिविशेष' के ज्ञान में प्रतिबन्धकता आती है और वहाँ सम्यक् रीति से शाब्दबोध नहीं होता । जब शाब्दबोध ही ठीक प्रकार से नहीं होता (क्योंकि श्रोता का सारा ध्यान उस स्थल की त्रुटि पर केन्द्रित हो जाता है) तो रसबोध या रसानुभूति में भी व्याघात आता है । तदनन्तर सिद्धान्ती अपनी ओर से यह व्यवस्था दे देते हैं कि इन आचार्यों की ओर से पूर्वपक्षी के मत का खण्डन ठीक है और इन दोषों

---

१. संशोधित; ज अ त में नहीं

२. ज अ, तस्यादोपत्वस्यैव त

को दोष ही मानना चाहिए शाब्दवोध में भले ही कोई कठिनाई इन दोषों के द्वारा न उपस्थित की जाती हो किन्तु रसास्वाद में यह निश्चित रूप से हानि पहुँचाते हैं।

यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो राजशेखरकृत कर्पूरमञ्जरी के 'उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवति सा भवतु' इस वाक्य के दो भाग हैं—

१. उक्तिविशेषः काव्यम्, २. भाषा या भवति सा भवतु। जहाँ तक उक्तिविशेषः काव्यम्'—विशेष प्रकार की उक्ति ही काव्य होती है इस अंश का सम्वन्ध है सभी आचार्य इस बात को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। भामह का कथन है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो ह्यनया विना॥

यहाँ उनकी वक्रोक्ति 'उक्तिविशेषः काव्यम्' के बहुत निकट दिखाई पड़ रही है। वामन की 'विशिष्टा पदरचना रीतिः' भी इससे दूर नहीं मालूम पड़ती। ध्वन्यालोक (४.७ वृत्तिभाग) में उक्तिवैचित्र्य को काव्य का अपरिहार्य एवं अनिवार्य तत्त्व माना है। आनन्दवर्धन ने वहाँ उक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है—'उक्ति हि वाच्यविशेषप्रतिपादि वचनम् अर्थात् असाधारण अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वचन को उक्ति कहते हैं। वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने वैदग्ध्यभङ्गी-भणिति वंक्रोक्तिः' कहकर जिस वक्रोक्ति को सामने रखा है वह इस उक्तिविशेष से मिलती जुलती है। अन्य साधारण वाक्यों से विलक्षण इसी विशेष प्रकार की वर्णनशैली की ओर मिर्ज़ा ग़ालिब ने भी इङ्गित किया है—

यों तो देखे हैं सखुन अच्छे अच्छे।
सुनते हैं ग़ालिब का अन्दाज़े बयां और।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर 'उक्तिविशेषः काव्यम्' यह काव्य की परिभाषा सर्वमान्य कही जा सकती है भले ही इस उक्ति में चमत्कारजनकत्वमलङ्कारत्वम् अथवा वैचित्र्यमेवालङ्कारः' इस मत को मानने वाले अलङ्कारवादी के अलङ्कार का समावेश माना जाय या ध्वनि या रस की स्थिति मानी जाय। किन्तु इसके 'भाषा या भवति सा भवतु' इस बाद के अंश को पूर्वपक्षी ने जवर्दस्ती अपनी बात को सिद्ध करने के लिए रखा है किन्तु प्रसङ्ग को देखते हुए इसका यह भाव कभी भी नहीं निकल सकता कि भाषा चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो किन्तु भाव की ही प्रधानता होती है। वस्तुतः वहाँ पारिपार्श्विक से सूत्रधार ने यह प्रश्न किया है कि संस्कृत भाषा में कवि ने कर्पूर-मञ्जरी की क्यों रचना की। इसके उत्तर में परिपार्श्विक का कहना है कि कविता में उक्तिवैचित्र्य अवश्य होना चाहिए भाषा भले ही कोई भी क्यों न हो? चाहे वह संस्कृत हो या प्राकृत हो। वहाँ स्पष्ट ही 'भाषा या भवति सा भवतु' कहा है न कि यादृशी तादृशी अर्थात् जैसी वैसी (सही गलत) कहा गया है। इस कारण उक्ति-वैचित्र्य को प्रकट करने वाली भाषा के प्रयोग में कवि को छूट दी जा

अथ प्राचां दोषविशेषानाह—

दुष्टं पदं श्रुतिकटु च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमर्थम् ॥ ८२ ॥
निहतार्थमनुचितार्थं निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽश्लीलम् ।
सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत् क्लिष्टम् ॥ ८३ ॥
अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ।
श्रुतिकटु पदं दुष्टमिति सम्बन्धः । क्रमेण लक्षणोदाहरणानि—
निष्ठुराक्षरमत्यन्तं बुधैः श्रुतिकटु स्मृतम् ॥८४॥

सकती है । किन्तु गलत प्रयोग करने की छूट देने का यहाँ अर्थ ही नहीं है । इस प्रकार उक्त वचन से यह सिद्ध नहीं किया सकता कि अशुद्ध शब्दों या अस्थान पर रखे हुए शब्दों के प्रयोग से रस में किसी प्रकार का विघ्न नही उपस्थित होता है । भाषा के अशुद्ध होने पर तो कही हुई बात का सारा ही सौन्दर्य समाप्त हो जाता है इसी प्रकार श्रोता को 'अपि त्वां भारो बाधति' ? जैसे प्रश्नों के उत्तर में कहना पड़ता है—

भारो न बाधते राजन् यथा बाधति बाधते।

काव्य के श्रवणकाल में श्रोता का सम्पूर्ण ध्यान शब्दों की ओर ही रहता है वे शब्द यदि किसी रूप में विशृङ्खलित होंगे तो वक्ता के तात्पर्य को समझने में श्रोता को अवश्य कठिनाई होगी क्योंकि श्रोता का सारा ध्यान उस गलत शब्द के प्रयोग पर केन्द्रित हो जायेगा । उस स्थिति में विवक्षित अर्थ अथवा रस की प्रतीति में निश्चित रूप से व्यवधान होगा ही । इस कारण च्युतसंस्कृत्यादि दोषों को रसविघातक होने से दोष मानना उचित ही है ।

इसके बाद प्राचीनों [मम्मट आचार्य द्वारा काव्यप्रकाश ७,५०-५१ में बताये हुए] के दोषों के भेद ग्रन्थकार] बतलाते हैं—

१. श्रुतिकटु, २. च्युतसंस्कार, ३. अप्रयुक्त, ४. असमर्थ, ५. निहतार्थ, ६. अनुचितार्थ, ७. निरर्थक, ८. अवाचक, ९. तीन प्रकार का अश्लील, १०. सन्दिग्ध, ११. अप्रतीत, १२. ग्राम्य, १३. नेयार्थ [ये दोष पदगत एवं समासगत दोनों प्रकार के होते हैं और] १४. क्लिष्ट १५. अविमृष्टविधेयांश १६. विरुद्धमतिकृत् [ये तीन दोष] केवल समास में ही होते हैं ॥८२-८४॥

यहाँ [कारिका में आये हुए दुष्टं पदम् का] अन्वय श्रुतिकटुपदं दुष्टम् इस प्रकार से है [और इसी प्रकार च्युतसंस्कृत्यादि दोषों के साथ ही पदं दुष्टम् ये जोड़ देने चाहिए जैसे च्युतसंस्कृति पदं दुष्टम् इत्यादि] । इन दोषों के क्रमशः लक्षण और उदाहरण इस प्रकार हैं—

१. श्रुतिकटु—अत्यधिक कठोर अक्षर वाले पद को बुद्धिमानों ने श्रुतिकटु कहा है । ॥८४॥

वस्तुतस्तु मुख्यार्थापकर्षकत्वे सत्योजोव्यञ्जकत्वमेव तत्त्वम्।[1] वीरादिष्वदुष्टतया अतिप्रसङ्गवारणाय सत्यन्तम्। न च प्रतिकूलवर्णेनास्यन्यथासिद्धिरिति वाच्यम्। तस्य सर्वरसदोषतया अस्य शृङ्गार एवेति भेदात्। उपाधेयसङ्करेऽप्युपाधेरसङ्कराच्च।

वास्तव में तो प्रधानभूत [शृङ्गारादि कोमल रसों के लिए हानिकर होने के साथ साथ केवल ओज का व्यञ्जक होना ही श्रुतिकटुत्व है [यदि केवल ओजोव्यञ्जकत्वमेव श्रुतिकटुत्वम् इतना ही श्रुतिकटु दोष का लक्षण माना जाए तो यह लक्षण वीरादियों में भी चला जायेगा] वीरादि रसों में श्रुतिकटुत्व के दोष न बनने के कारण अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिए ओजोव्यञ्जकत्वम् पद के साथ मुख्यार्थापकर्षकत्वे सति पर्यन्त विशेषण रखा है। [वीरादि रसों में ओजोगुणाभिव्यञ्जकता इन रसों के अनुकूल होने के कारण दोष न मानी जाकर गुण मानी जाती है। इस प्रकार श्रुतिकटुत्व वीरादि रसों में मुख्यार्थापकर्षक न होकर मुख्यार्थ रस का उत्कर्षक होता है]।

और प्रतिकूलवर्ण दोष से इस [श्रुतिकटु] दोष की अन्यथासिद्धि अर्थात् प्रकारान्तर से सिद्धि हो जाती है [और इस प्रकार इस दोष को प्रतिकूलवर्णदोष के रूप में ही माना जा सकता है] ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रतिकूलवर्ण सारे रसों में दोष गिना जाता है और श्रुतिकटु केवल शृङ्गार रस में ही दोष माना जाता है यही श्रुतिकटु और प्रतिकूलवर्ण में भेद है। [इस प्रकार प्रतिकूलवर्ण दोष का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि वह सारे रसों में पाया जाता है और श्रुतिकटुत्व दोष केवल शृङ्गार रस में ही पाया जाता है और प्रतिकूलवर्ण के भीतर श्रुतिकटु का इसलिए भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता]।

टि०—ग्रन्थकार ने श्रुतिकटु को शृङ्गार रस में ही दूषक माना है वस्तुतः करुण और शान्त रस में भी इसकी दूषकता मानी जाती है।

क्योंकि यहाँ उपाधेय वर्ण और पदों का सङ्कर होने पर भी [श्रुतिकटुत्व और प्रतिकूलवर्णत्व रूप] उपाधियों का सङ्कर नहीं है।

टि०—श्रुतिकटुत्व और प्रतिकूलवर्णत्व यह दोनों उपाधि (विशेषधर्म) हैं। श्रुतिकटुत्व दोष रूप उपाधि से युक्त अध्यैष्ट और कार्तार्थ्य जैसे पद तथा प्रतिकूलवर्णत्व उपाधि से युक्त—

(अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कलकण्ठि माम्।
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठार्त्तिमुद्धर॥
काव्यप्रकाश ७, २०८)

कुण्ठ, कण्ठादि, उपाधेयभूत इन पदों और वर्णों का सङ्कर हो जाता है। श्रुतिकटु दोष में रहने वाले पद, पदांश और वाक्य प्रतिकूलवर्ण दोष में भी रह सकते हैं।

यथा—

अचूचुरच्चण्डि कपोलयोस्ते
कान्तिद्रवं द्राग्विशदः शशाङ्कः ॥ १२७ ॥

यथा वा—

अद्यापि तां कनकपत्रसमानवर्णा-
मुत्तुङ्गकर्कशकुचार्पितचारुहाराम् ।
काञ्चीनियन्त्रितनितम्बविशालबिम्बा-
मुद्दामनूपुरचलच्चरणां स्मरामि ॥ १२८ ॥

दूषकताबीजं चात्र प्रतिबन्धकवर्णसत्त्वाद्रसोद्बोधप्रतिबन्ध एवेति ।

निन्दितं शब्दशास्त्रे यत्तदसाधु स्मृतं तथा ॥ ८५ ॥

और प्रतिकूलवर्ण में रहने वाले तत्तद्रसविरुद्ध या गुणविरुद्ध वर्ण श्रुतिकटु में रह सकते हैं इस प्रकार इनका सङ्कर हो सकता है किन्तु श्रुतिकटुत्व रूप उपाधि श्रुतिकटु में रहती है और प्रतिकूलवर्णत्व रूप उपाधि प्रतिकूलवर्ण में ही रहती है एक की उपाधि दूसरे में नहीं जा सकती इस प्रकार इन दोनों दोषों में प्रत्येक की अपनी भिन्न उपाधि होने के कारण पार्थक्य है । इस कारण प्रतिकूलवर्ण के अन्तर्गत श्रुतिकटु दोष को नहीं माना जा सकता । सङ्कर का लक्षण परस्परभिन्नत्वे सति परस्पराश्रयत्वम् एक दूसरे से भिन्न होने पर भी एक दूसरे का आश्रय लेना सङ्कर होता है । जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के कुछ धर्म तत्तत्पदार्थविशेष में रहें और कुछ दूसरे में भी चले जायं तो सङ्कर कहलाता है ।

जैसे—अरी कोपवती सुन्दरी ! निर्मल चन्द्रमा ने तुम्हारे गालों के कान्ति-रस [सौन्दर्य के रस] को जल्दी ही चुरा लिया था ॥१२७॥

टि०—यहाँ च्च, ण्ड, द्र जैसे कठोर और संयुक्ताक्षरों से युक्त रसापकर्षक पदों का प्रयोग होने से श्रुतिकटु पददोष है ।

और जैसे—

सोने के पतरे के समान उजले रंग वाली, ऊँचे और कठोर स्तनों पर रखे हुए हार वाली, करधनी से बँधे हुए जघनों के विस्तृत घेरे से युक्त और बड़े बड़े नूपुरों से चञ्चल पदों से संवलित उस सुन्दरी को आज भी मैं याद कर रहा हूँ ॥१२८॥

टि०—यहाँ द्य, त्र, र्ण, त्तु, र्क्, ञ्च्, च्च् न्त्र और द्द जैसे संयुक्ताक्षरों के संयोग से युक्त पदों के प्रयोग के कारण श्रुतिकटु पददोष है ।

रसप्रतिबन्धक वर्णों के रहने के कारण रसोद्बोध में रुकावट होना ही इस श्रुतिकटु दोष का कारण है ।

२. असाधु—[व्याकरणलक्षणहीनता अथवा च्युतसंस्कृति अर्थात् व्याकरण के नियमों से विरुद्ध होने से] जो व्याकरणशास्त्र में गर्हित होता है उसे असाधु कहते हैं ॥८५॥

यथा—

प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभेः
शम्भो जंटाजूटतटादिवापः।
मुखादिवाथ श्रुतयो विधातुः
पुरो निरीयुर्मधुजिद्ध्वजिन्यः॥ १२९॥

यथा वा—

कल्याणि पाणिपतितानि विना विचार-
मेतानि मोक्तुमुचितानि न मौक्तिकानि।
गुञ्जेति सञ्जनयते यदिह भ्रमं ते
हस्तारविन्दनयनोत्पलयोः प्रभैव॥ १३०॥

अत्रारविन्दनाभेरिति सञ्जनयते इति पदद्वयमसाधु।

वस्तुतस्तु अत्रासाधुत्वज्ञानादन्वयबोधस्थगनमेव दूषकताबीजम्। तत्तु

जैसे—

विष्णु के अङ्गों से निकले हुए प्रजाजनों के समान, शिव की जटासमूह से निकले हुए गङ्गाजल की तरह और ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेदों की तरह मधु को हराने वाले कृष्ण भगवान् की वे सेनायें नगर से निकलीं ॥१२९॥

अथवा जैसे—

हे मङ्गलदायिनी सुन्दरी! हाथ में पड़े हुए इन मोतियों को बिना विचार किये छोड़ना उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ ये मोती तुम्हारे [मन के भीतर यह तो रत्ती के फल हैं, इस रूप में जो भ्रान्ति उत्पन्न कर रहे हैं वह तो वस्तुतः हाथ रूपी रक्तकमलों और नेत्र रूपी कमलों की चमक ही है [जिसके तुम्हें भ्रम है] ॥१३॥

यहाँ 'अरविन्दनाभेः' यह पद तथा सञ्जनयते यह पद व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हैं अतएव दोनों गलत हैं।

टि०—यहाँ अरविन्दनाभेः पद के स्थान पर अरविन्दनाभस्य पद होना चाहिए। अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोम्नः [अष्टाध्यायी ५,४,७५] इस सूत्र के द्वारा किये गये योगविभाग से समासान्त अच् प्रत्यय होता है। इस सूत्र के अन्यत्रापि दृश्यते इस वार्तिक द्वारा समासान्त नाभि पद से अच् प्रत्यय हो जाता है। वहाँ ऊर्णनाभ और पद्मनाभ उदाहरण दिये हुए हैं तदनुसार यहाँ 'अरविन्दनाभस्य' पद का ही प्रयोग व्याकरणसम्मत है। इसी प्रकार यहाँ सञ्जनयते पद के स्थान पर सञ्जनयन्ते पद का प्रयोग व्याकरणसम्मत है क्योंकि मौक्तिकानि यह कर्तृपद बहुवचन में प्रयुक्त है अतः क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए।

[पूर्वपक्षी] वास्तव में तो इस असाधु पददोष में असाधुत्व [व्याकरण-लक्षणहीनता] का ज्ञान होने से अन्वयपूर्वक पदार्थज्ञान का रुक जाना ही दोष होने का कारण है।

न घटते। साधुशब्दस्मरणादिना शक्तिभ्रमाच्छक्त्यैव वा अन्वयबोधात्। द्वित्रिक्षणविलम्बस्याकिञ्चित्करत्वात्। अतएव भाषामात्रस्य काव्यत्वं घटते।

आम्नातमपि कोशेषु नालङ्कारिकसम्मतम्।
यत्पदं कुकविप्रोक्तं तदसम्मतमुच्यते॥ ८६[1]॥

टि०—पूर्वपक्षी का आशय यह है कि जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध पद का प्रयोग होता है वहाँ उस अशुद्ध पद के साथ वाक्यस्थ दूसरे शुद्धपदों का अन्वय नहीं हो पाता। इस कारण वहाँ वाक्यार्थ का ज्ञान होना भी बन्द हो जाता हैं।

[सिद्धान्ती] यह बात [युक्ति की कसौटी पर] घटती नहीं है, क्योंकि साधु [शुद्ध] शब्द के स्मरण आदि से वहाँ शक्ति के भ्रम से अथवा शक्ति से ही अन्वय-पूर्वक शाब्दबोध हो जाता है और दो तीन क्षणों की देरी इस शाब्दबोध में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती। इसलिए प्राकृतभाषाओं में से [प्रत्येक भाषा] में विद्यमान अपभ्रंश शब्दों का काव्यत्व सिद्ध होता है।

टि०—पूर्वपक्षी ने बताया है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध पद का वाक्यस्थ पदों के साथ अन्वय न होने से वाक्यार्थ का ज्ञान होना बन्द हो जाता है इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि ऐसे स्थलों पर भी अन्वयपूर्वक शाब्द-ज्ञान हो जाता है। गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि संस्कृतभाषा के व्याकरण विरुद्ध प्राकृतभाषीय पदों के स्मरण से श्रोता को साधु गोपद का स्मरण होता है। उस असाधु शब्द को भ्रमवश साधु समझ लिया जाता है। इस प्रकार की भ्रान्ति होने से या तो उस असाधु पद में तत्सम्बद्ध दूसरे साधुपद की शक्ति मान ली जाती है या उसी असाधु की अपनी साधुपद जैसी शक्ति से अन्वयार्थ का बोध हो जाता है। जब श्रोता वक्ता के मुख से किसी असाधु पद को उच्चरित होते हुए सुनता है तो यह क्या कह दिया गया है इस रूप में विचार करते हुए २-३ क्षण तक के लिए उस शब्द का अर्थ प्रतीत होना रुक जाता है किन्तु बाद में साधु शब्द के स्मरण से उसका अन्य पदों के साथ अन्वय होने पर शाब्दबोध हो जाता है। इस रीति से असाधु पदों का भी प्रयोग होने पर पदार्थज्ञान हो जाता हैं। ऐसे पदों के द्वारा रसाभिव्यक्ति हो जाने से काव्यत्व भी बना रहता है। इस प्रसङ्ग में ग्रन्थकार स्वयं दूषकताबीज क्या मानते हैं, यह स्पष्ट नहीं कर पाये हैं।

३. असम्मत [अप्रयुक्त]—कोशों में पढ़ा गया भी जो पद साहित्यिकों के द्वारा पसन्द नहीं किया जाता कुत्सित कवियों से प्रयुक्त वह असम्मत नामक पद-दोष कहा जाता है॥८६॥

---

१. ज अ; मुच्यते त में परित्यक्त

यथा—

यथायं दारुणाचारः सर्वदैव विभाव्यते।
तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथवा ।। १३१ ।।

ननु कथमत्र दूषकता। सत्यनुशासनसिद्धत्वे शाब्दसामग्र्याः परिपूर्णत्वेन तद्‌विलम्बे मानाभावात्, कविसम्प्रदायप्रयुक्तत्व[1]ज्ञानस्याहेतुत्वात् च। न हि शाब्दबोधे तदप्यपेक्षणीयं गौरवान्मानाभावाद् व्यभिचाराच्चेति

जैसे—

क्योंकि यह व्यक्ति सदा ही कठोर आचरण वाला दिखाई देता है इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका इष्टदेव कोई पिशाच या राक्षस है ।।१३१।।

टि०—यहाँ दैवतः इस रूप में प्रयुक्त दैवत शब्द पुल्लिङ्ग में विद्यमान है अमरकोश (१,१,६) में वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम् इस प्रकार का पाठ होने से उपर्युक्त रूप कोशसम्मत तो है क्योंकि वहाँ दैवतम्, देवता और दैवतः इन तीनों ही रूपों का विधान है परन्तु साहित्यिकों द्वारा या तो इस शब्द का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में किया जाता है या स्त्रीलिङ्ग में। अतः यहाँ उसका प्रयोग पुल्लिङ्ग में होने से असम्मत (अप्रयुक्त) नामक पददोष है।

[पूर्वपक्षी]—यहाँ [इस पुल्लिङ्ग दैवतः पद के प्रयोग में] दोषत्व कैसे है? शब्दानुशासन अर्थात् व्याकरण और कोश से [दैवत शब्द के पुल्लिङ्गत्व की] सिद्धि होने पर शाब्दबोध की [प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति आदि] सामग्री के पूर्ण रूप में विद्यमान होने से शाब्दबोध के विलम्ब से प्रतीत होने [अथवा उसकी अन्वयपूर्वक प्रतीति न होने] में कोई प्रमाण नहीं है और कविपरम्परा द्वारा प्रयुक्त पद का ज्ञान शाब्दबोध का कारण नहीं हुआ करता।

टि०—क्योंकि किसी शब्द का प्रयोग करना न करना कवि की अपनी इच्छा पर निर्भर है। इस कारण कवियों द्वारा प्रयुक्त अथवा उनके द्वारा अप्रयुक्त पद यदि व्याकरणसम्मत और कोशसम्मत हो तो शाब्दबोध हो जाता है इसलिए कविसम्प्रदायप्रयुक्तत्व शाब्दबोध में कारण नहीं है।

और कविसम्प्रदायप्रयोग की शाब्दबोध के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता भी नहीं हुआ करती [क्योंकि कविसम्प्रदायप्रयुक्तत्व को यदि हेतु माना जाय तो] तीन दोष आते हैं—१. गौरव, २. प्रमाणाभाव तथा ३. व्यभिचार।

टि०—कविसम्प्रदायप्रयुक्तत्व को हेतु मानने पर १. गौरव तो इसलिए है—जब कोश के द्वारा एक बार दैवत शब्द का पुल्लिङ्गत्व निर्धारित हो गया तो कविसम्प्रदायप्रयुक्तत्व यदि एक और हेतु बने तभी इसका पुल्लिङ्गत्व मानना पड़ेगा इस प्रकार एक और कारण मानने पर गौरव हो जाता है।

चेत्, उच्यते ।

प्रकृतप्रतीतिस्थगनमत्र दूषकताबीजम् । तथाहि—यथायं पर्वतो वह्निमान् धूमात् । यत्र धूमस्तत्र वह्निः । वह्निव्याप्यधूमवानयं तस्माद् वह्निमानयमिति साम्प्रदायिकपञ्चाऽवयवप्रयोगः । तत्र पर्वते वह्निः धूमो यतः वह्निव्याप्ति धूमे

---

२. प्रमाणाभाव—दैवत शब्द का पुल्लिङ्ग में प्रयोग हुआ ही नहीं है इसमें कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है कोशकार ने कहीं तो पुल्लिङ्ग में इसका प्रयोग होते देखा होगा तभी तो अपने कोश में यह नियम लिखा है । ३, व्यभिचार—व्यभिचार का अभिप्राय हैं नियम का उल्लङ्घन । हेतुसत्त्वेऽपि साध्याभावो व्यभिचारः—हेतु के उपस्थित रहते हुए भी कार्य का न होना व्यभिचार कहलाता है कोश और व्याकरण के द्वारा दैवत शब्द की पुल्लिङ्ग में सिद्धि होने पर भी उसे पुल्लिङ्ग में न समझना व्यभिचार है । इन तीनों कारणों से दैवत शब्द के पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त होने को दोष नहीं मानना चाहिए और ऐसे ही दूसरे स्थानों पर भी इस अप्रयुक्त नाम के दोष को नहीं मानना चाहिए ।

[सिद्धान्ती] यदि ऐसा कहा जाय तो [हमारी ओर से] यह कहा जाता है—प्रकरणप्राप्त अर्थ की प्रतीति का अवरुद्ध हो जाना ही यहाँ दोष का कारण है ।

टि०—पदान्त में प्रयुक्त लिङ्ग भी तत्सम्वद्ध शाब्दवोध में कारण होता है । यदि किसी शब्द के प्रसिद्ध लिङ्ग का परित्याग करके उसमें लिङ्गान्तर का प्रयोग किया जाय तो वहाँ तत्काल शाब्दवोध नहीं होता । जैसे सर्वत्र नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त होने वाले जल शब्द के लिए 'जलो निर्मलः' या जला निर्मला । इस प्रकार के प्रयोगों को कोई वक्ता करता है तो सुनते ही श्रोता को वोध हो जाता है कि यहाँ अशुद्धपदों का प्रयोग है और साथ ही यह भी सन्देह होने लगता है कि क्या उक्त पद पानी को छोड़कर और किसी अर्थ को तो वताने के लिए प्रयुक्त नहीं किये हैं ? लिङ्गान्तर में प्रयुक्त जल शब्द का पानी अर्थ श्रोता को तव तक नहीं प्रतीत होता जब तक वक्ता सङ्केत आदि किसी विशेष प्रकार से यह न वताये कि मैं पानी के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ । इस प्रकार ऐसे स्थलों पर विलम्वेनार्थप्रतीति होने से उक्त पददोष होता है ।

इसको इस रूप में समझाते हैं—यह पर्वत अग्निवाला है धूम होने से, जहाँ धूआँ होता है वहाँ आग होती है । क्योंकि वह्नि में व्याप्य [व्याप्ति से युक्त] धूम वाला यह पर्वत है इस कारण यह अग्नि वाला है इस प्रकार अनुमानवादी आचार्यों का यह पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग है [प्रतिज्ञा या साध्य, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन ये पाँच तत्त्व अनुमानवाक्य के अवयव होते हैं] । उस पर्वत में आग है क्योंकि वहाँ धूआँ है । अग्नि की व्याप्ति धूम में है यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः इस

धूमेन च पर्वते भवितव्यं पर्वताधेयो वह्निरित्येतादृशप्रयोगकारी निगृह्यत इति सर्वसिद्धम् ।

तत्र बीजं सम्प्रदायमुल्लङ्घ्य किमर्थमनेन प्रयुक्तमिति तत्तात्पर्यान्वेषणे दोलायमानबुद्धि र्न प्रकृते पर्याप्नोति तद्वदत्रापि सामाजिकानां धीरित्यवधेयम् ।

उपसर्गं विना न स्याद् बोधितार्थस्य बोधकम् ।
धातुपाठस्य तुल्यत्वेऽप्यसमर्थं तदुच्यते ।। ८७ ।।

एतदर्थोऽपि तात्पर्यविषयीभूतार्थबोधनानुकूलशक्तिरहितपदत्वं लक्षणम् ।

प्रकार की व्याप्ति बनती है] जैसे महानस में धूएँ के साथ आग होती है और जहाँ आग नहीं होती वहाँ धूआँ नहीं होता जैसे जलह्रदादि में। क्योंकि धूआँ अग्नि में रहता है और अग्नि पर्वत में रहती है इसलिए धूएँ को भी पर्वत में रहना चाहिए। क्योंकि अग्नि पर्वत का आधेय अर्थात् पर्वत में रहने वाली है। इस प्रकार पर्वतो वह्निमान् धूमात् इस प्रकार के प्रयोग को करने वाले अनुमानवादी को धूमेन च पर्वते भवितव्यं पर्वताधेयो वह्निरिति' इस निग्रहवाक्य से निगृहीत कर दिया जाता है यह बात सारे विद्वानों में प्रसिद्ध है।

टि०—सिद्धान्ती का अभिप्राय है कि पर्वतो वह्निमान् धूमात् यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निर्यथा महानसम् तथा चायमतः पर्वतोऽयं वह्निमान्' इस पञ्चावयव वाक्य से पर्वत में धूमदर्शन का अनुमान होता है। किसी निग्रहकर्त्ता की ओर से अनुमानवादी को यह कहा जा सकता है कि जब धूआँ अग्नि में रहता है और अग्नि पर्वत में रहती है तो धूएँ को भी पर्वत में रहना चाहिए किन्तु वह पर्वत पर रहता नहीं है। इसलिए साध्य वह्नि और साधन धूम इन दोनों की भिन्नाधिकरणता होने से व्याप्ति नहीं बनती है।

इस [असम्मत] दोष में दूषकता का वास्तविक कारण यह है—जैसे अनुमानवादियों के सम्प्रदाय [पञ्चावयववाक्यप्रयोग] का उल्लङ्घन करके [इस निग्रहकर्त्ता ने धूमेन च पर्वते भवितव्यं पर्वताधेयो वह्निरिति' ऐसे वाक्य का] यह प्रयोग क्यों किया है? इस रूप में उनके अभिप्राय को ढूँढ़ने में डाँवाडोल बुद्धि वाला वादी प्रकृतार्थ [अनुमान] में उपयोगी बातों को पूरी तरह नहीं समझ पाता है वैसे ही इस [असम्मत पददोष से दूषित स्थलों] में सामाजिक की बुद्धि डाँवाडोल होकर बिलम्ब से अर्थ को समझ पाती है। इस रूप में यह बात समझ लेनी चाहिए।

४. असमर्थ—जहाँ कोई पद धातुपाठ के समान होने [अर्थात् धातुपाठ में बतलाये गये दो अर्थों में से किसी एक अर्थ का बोधन करने] पर भी उपसर्ग की सहायता न लेने के कारण अपेक्षित बोध्य अर्थ का बोधन [ज्ञान] नहीं कराता है वहाँ असमर्थ नामक पददोष होता है ।।८७।।

इसका यह भी अभिप्राय है—वक्ता के तात्पर्य के विषय बने हुए अर्थ को बताने के लिए अनुकूल [अभिधा] शक्ति से रहित पद का उपस्थित होना ही असमर्थ पददोष का लक्षण है।

यथा—

तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपार्जितसत्क्रियः ।
सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम् ॥ १३२ ॥

अत्र हन्तीति गमनार्थम् ।

उद्धतिपद्धतीत्यादावुपसन्दानेनोभयार्थवोधकत्वेन नोभयार्थकधातुपाठवैफल्यम् ।

टि०—जब कहीं किसी शब्द का कोश, व्याकरणादि में किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष उपपद के साथ किसी विशेष अर्थ में पाठ कर दिया जाता है तो उस उपपद की सहायता से ही वह शब्द अभिधाशक्ति द्वारा उस अर्थ को वतलाने का सामर्थ्य रखता है उससे भिन्न स्थल में अर्थात् विशेष उपपद आदि के अभाव में वही शब्द उस अर्थ को वताने में असमर्थ हो जाता है। जैसे धातुपाठ (हन हिंसागत्योः' धातु पाठ १०३७) में हन् का अर्थ गति भी वताया हैं परन्तु यह गति अर्थ उपसन्दानोपजीवी है अर्थात् अन्य उपपदों के योग में भी होता है। उपसन्दान (परसहकारः उपसन्दानम्) अर्थात् उपपदों की सहायता से पद्धति (पद्+हति=पद्भ्यां हतिर्गमनं यत्र सा पद्धतिः=मार्ग) आदि शब्दों में हन् धातु गति अर्थ को वताती हैं। परन्तु यदि किसी अन्य उपपद के विना गमन के अर्थ में हन्ति पद का प्रयोग किया जाय तो वह इस अर्थ को वताने में असमर्थ होगा।

जैसे—

दूसरे दूसरे तीर्थों में स्नान के द्वारा पुण्यों का सञ्चय करने वाला यह धार्मिक अब गङ्गा की ओर आदरबुद्धि [श्रद्धा] के साथ जा रहा है ॥१३२॥

यहाँ गमनार्थक 'हन्ति' पद अपने अर्थ को वताने में असमर्थ है [क्योंकि यहाँ इसमें इतरपद या अर्थ के सहकार के बिना तात्पर्यविषयीभूत गमन रूप अर्थ के बोधन की शक्ति नहीं है]।

टि०—यद्यपि धातुपाठ (१०३७) हन हिंसागत्योः—अदादिगण) में हन् धातु के हिंसा और गति यह दोनों अर्थ बताये हैं किन्तु उपपद के विना हन् धातु का गमन अर्थ प्रतीत नहीं होता है। जवकि हिंसापरक अर्थ उपपद के लगे रहने या न लगे रहने पर भी प्रतीत हो जाता है।

उद्धति [उद्+हन्+क्तिन्=ऊर्ध्वं हतिः—प्रहारः] पद्धति [पद्+हन्+क्तिन्—पद्भ्यां हन्यते या पद्धतिः—मार्गः] इत्यादि पदों में उपसन्दान [उपपद] के द्वारा हिंसा और गमन दोनों ही अर्थ वताये जाने के कारण इन दोनों अर्थों को बताने वाले धातुपाठ की व्यर्थता नहीं है।

टि०—'उद्धति' और 'पद्धति' में धातुपाठ में निर्दिष्ट दोनों अर्थों की सङ्गति हो जाती है। 'उद्धति' पद में 'हन्' धातु का अर्थ हिंसापरक है और पद्धति' में गमनपरक हैं। यहाँ उपसन्दान के कारण हन् धातु के दोनों ही अर्थ अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं किन्तु विना उपसर्ग जोड़े हुए यदि केवल हति शब्द का प्रयोग किया जाय तो इसका मारना अर्थ ही प्रतीत होगा, चलना अर्थ नहीं।

सम्बन्धितावच्छेदकप्रकारकज्ञानाभाव एव दूषकताबीजम्। यद् वा उपसन्दानं विना गमनबोधं प्रति स्वरूपायोग्यत्वं दूषकताबीजम्। अतएव रुद्रटः—

इदमपरमसामर्थ्यं धातो र्यत्पठ्यते तदर्थोऽसौ।
न च शक्नोति तमर्थं वक्तुं गमनं यथा हन्तीति॥

यस्य चोपसन्दानं विनापि गमनार्थबोधस्तं प्रति नायं दोष इत्यवधेयम्।

अप्रसिद्धार्थबोधाय प्रसिद्धार्थं नियुज्यते।
उभयार्थकमप्येतद् वदन्ति निहतार्थकम्॥ ८८॥

तत्तु अतात्पर्यविषयार्थप्रतीत्या स्थगिततात्पर्यविषयार्थकपदत्वं लक्षणम्।

सम्बन्धी [कर्ता] के अन्दर रहने वाले सम्बन्धिता [कर्तृता] रूप धर्म की अवच्छेदक [व्यावर्तक] गमन रूप क्रिया का सम्बन्धी के विशेषण रूप में ज्ञान का न होना ही असमर्थपददोष का कारण है।

टि०—हन्ति इस पद में ति प्रत्यय का अर्थ सम्बन्धी (कर्त्ता) है तन्निष्ठ सम्बन्धिता (कर्तृता) का अवच्छेदक (इतरव्यावर्तक धर्म) सुरस्रोतस्विनीगमन है इस गमन रूप अवच्छेदक का यहाँ कर्त्ता में विशेषण के रूप में ज्ञान नहीं हो रहा है। इस सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति वाक्य से धार्मिकाभिन्नैककर्तृकसुरस्रोतस्विनीनिष्ठकर्मतानुकूलगमनव्यापारवान् धार्मिकः' इस रूप में अर्थ या ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए अवच्छेदक (विशेषण) का अवच्छिन्न (विशेष्य) में न रह पाना ही इस दोष में दूषकता का कारण बनता है।

इसीलिए रुद्रट ने (काव्यालङ्कार ६,५) कहा है—

जब किसी अर्थविशेष के लिए पठित होने वाली भी धातु उस [धातुपाठ में पढ़े गये] अर्थ को बता नहीं सकती है तो यह धातु के असामर्थ्य दोष का एक दूसरा प्रकार है, जैसे हन्ति पद [हन् धातु के धातुपाठ में पढ़े हुए] गमन अर्थ को नहीं बता पाता है॥

किन्तु उपपद के विना भी जिस [वक्ता या श्रोता] को हन्ति पद के पठन या श्रवण से गमन रूप अर्थ की प्रतीति हो जाती है उसके लिए यह दोष नहीं होता ऐसा समझ लेना चाहिए।

अप्रसिद्ध अर्थ के बोधन के लिए जब किसी प्रसिद्धार्थक [अन्य अर्थ में अधिक प्रसिद्ध] पद का प्रयोग किया जाता है तो [शास्त्रीय दृष्टि से] उभयार्थक होने पर भी उस पद में निहतार्थ दोष होता है॥८८॥

टि०—निहतार्थ वह दुष्ट पद है जो दो (प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध) अर्थ वाला होते हुए अपने अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

और वह [निहतार्थ दोष] तो तात्पर्यातिरिक्त अर्थ के ज्ञान होने से तात्पर्यविषयक [अभिप्रेत] अर्थ के ज्ञान के रुक जाने रूप लक्षण वाला है [यह इस दोष का परिनिष्ठित लक्षण है]।

यथा—

सहस्रगोरिवानीकं दुःसहं भवतः परैः।
तव हस्ते विभात्येष सायको धूमसन्निभः ॥१३३॥

सहस्रं गावो अक्षीणि यस्य स सहस्रगुः। इन्द्रस्येवेत्यर्थः। सायकः करवालः। यत्र प्रयोगप्राचुर्यं झटिति सामग्री वा तस्य प्राक्प्रतीतिः। यच्च विरलप्रयोगं विलम्बितसामग्री वा तस्य विलम्बेन प्रतीतिरिति प्रकृतेऽपि तथा। अत्र चातात्पर्यविषयीभूतप्रतीतिकृतप्रकृतप्रतीतिविलम्ब एव दूषकता-

टि०—जहाँ उभयार्थक पद के द्वारा दूसरे अनभिप्रेत अर्थ की तो प्रतीति हो जाती है किन्तु अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति विलम्व से होती है वहाँ यह दोष होता है। जैसे—

[हे राजन्] इन्द्रतुल्य आपकी सेनायें आपके शत्रुओं के द्वारा दुर्धर्ष [असह्य अथवा अपराजेय] हैं और यह धूएँ के समान काली तलवार आपके हाथ में सुशोभित हो रही है ॥१३३॥

हजार जिसकी गौ अर्थात् आँखें हैं वह सहस्रगुः कहलाता है। [सहस्रगोः' पद का] इन्द्र के तुल्य यह अर्थ हो गया है। सायक शब्द का अर्थ तलवार है।

टि०—'सहस्रगोः' पद में प्रयुक्त गोपद का अर्थ नेत्र और रश्मि दोनों है। सूर्य को हज़ार गायों (किरणों) वाला होने से सहस्रगु कहा जाता है और इन्द्र को भी हज़ार गायों (नेत्रों) वाला होने से यह नाम दिया जाता है। किन्तु सहस्रगु पद सूर्य अर्थ में अधिक प्रसिद्ध है और इन्द्र अर्थ में अप्रसिद्ध है। इसी प्रकार सायक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ वाण है और तलवार अर्थ अप्रसिद्ध है।

जिस अर्थ में जिस पद का अधिक प्रयोग मिलता है। अथवा जिसकी संयोगविप्रयोगादिसामग्री [अर्थावधारणार्थं] शीघ्र मिल जाती है, उस पद का ज्ञान पहले [अर्थात् शीघ्र] हो जाता है और जिस पद का जिस अर्थविशेष में कम प्रयोग होता है अथवा जिसके संयोगादि तत्त्व देर से उसके साथ सङ्गत होते हैं उसका ज्ञान देर से होता है और प्रस्तुत निहतार्थ दोष में यही नियम लागू होता है।

टि०—इस श्लोक में प्रयुक्त सहस्रगु और सायक पदों का सूर्य और वाण इन अर्थों में अधिक प्रयोग देखा जाता है और इन्द्र और खड्ग इन अर्थों में विरल प्रयोग मिलता है इस कारण यह दोनों पद निहतार्थ (दवे हुए अर्थ वाले) हैं।

और यहाँ पर अतात्पर्यविषयीभूत [जिस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं है अर्थात् अनभीष्ट सूर्य और वाण] अर्थ की प्रतीति से प्रकृत [अर्थात् तात्पर्य-विषयीभूत अभीष्ट इन्द्र और तलवार] अर्थ के वोध का रुक जाना ही इस दोष की दूषकता का कारण है।

१. केचित्तु···दूषकतावीजम् अ त, यह अंश ज में परित्यक्त
२. ज अ; त में परित्यक्त

बीजम्। केचित्तु प्रकृतानन्वितशराद्यर्थोपस्थितिप्रतिसन्धानं दूषकताबीजम्[1] इत्याहुः[2]।

प्रतिपाद्यविरुद्धार्थबोधकं यत्पदं भवेत्
तदेवानुचितार्थं स्याद् रसभावादिघातकम्[3] ॥८९॥

तदर्थोऽपि उत्कर्षार्थमुपादीयमानस्यापकर्षबोधकत्वमिति यावत् तच्च वर्ण्यस्य कवे र्वा।

सहभृत्यगणं सबान्धवं
सहमित्रं ससुतं सहानुजम्।
स्वबलेन निहन्ति संयुगे
न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्॥ १३४॥

अत्र दुर्योधनोक्तौ स्वोत्कर्षतात्पर्यकायमिदमनुचितार्थम्।

और कुछ विद्वान् तो यहाँ प्रकरणप्राप्त [करवाल-तलवार] अर्थ के साथ सम्बन्ध न रखने वाला तथा [प्रकरण भिन्न] वाण आदि अर्थों की स्मृति कराने वाला ज्ञान ही इस दोष का कारण है ऐसा कहते हैं।

९. अनुचितार्थ—जो पद प्रतिपादनीय अर्थ से विपरीत अर्थ का बोधक होता है, रस भाव आदि का विनाशक [रसास्वादप्रतिबन्धक] वह पद अनुचितार्थ दोष से दूषित होता है॥८९॥

जैसे—

सेवकों के समुदायसमेत, सब मित्रों, बन्धुओं, पुत्रों और छोटे भाइयों के साथ दुर्योधन को युद्धभूमि में अपनी शक्ति से क्या पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर नहीं मारेगा? [अपितु मारेगा ही] ॥१३४॥

यहाँ दुर्योधन की [अहङ्कार भरी] वाणी में अपनी उत्कृष्टता को बताना रूप अनुचितार्थता है।

टि०—वेणीसंहार (२,५) नाटक में कञ्चुकी के 'हमने आज तक आपके पुरुषार्थ की व्यर्थता नहीं देखी' ऐसा कहने पर दुर्योधन अभिमान में आकर अपनी डींग मारते हुए कहता है कि आज दुर्योधन नौकरों और भाइयों के साथ युधिष्ठिर

---

१. केचित्तु---दूषकतावीजम् अ त; यह अंश ज में परित्यक्त।
२. ज अ; त में परित्यक्त।
३. ज अ; त में निम्नलिखित पाठ---
तदेवानुचितार्थं स्याद् रसभावादिघातकम्।
विरुद्धार्थसमाकीर्णमनौचित्यार्थतां गतम्॥

यथा वा—

उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा
धृत्वा चान्येन वासो विलुलितकबरीभारमंसे वहन्त्याः।
भूयस्तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा वः
शय्यामालिङ्ग्य नीतं वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥१३५॥

इत्यस्य देवताविषयकरतिवर्णनेऽनुचितार्थत्वम्। अतएव काव्यप्रकाशे तद् वर्णनं हि पित्रोः सुरतवर्णनमेवेति। के चित्तु उत्कर्षार्थमुपादीयमानस्याप कर्षबोधकत्वमपकर्षार्थमुपादीयमानस्य वा उत्कर्षबोधकत्वमिदमेवानुचितार्थ-त्वम्। प्रथमं यथा—

वह्निस्फुलिङ्ग इव भानुरयं चकास्ति ॥ १३६ ॥

का खात्मा कर देगा किन्तु प्रमादवश पाण्डुसुतं सुयोधनः के स्थान पर 'पाण्डुसुतः सुयोधनम्' उल्टा कह जाता है यह उल्टा अर्थ अनुचित हैं क्योंकि इस अर्थ से दुर्योधन का अभिप्रेत अर्थ नहीं निकलता है पाण्डुसुतं सुयोधनः यह पाठ कर देने पर यह दोष समाप्त हो जाता है कञ्चुकी ने इस श्लोक को दुवारा पढ़कर 'पाण्डुसुतं सुयोधनः' रखकर दोष को हटा दिया है (वेणीसंहार २,६)।

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

सम्भोग करने के अनन्तर एक हाथ से अपना भार शेषनाग के ऊपर रख-कर और दूसरे हाथ से कपड़े को पकड़कर उठती हुई तथा हिलते हुए केशपाश को कंधे पर धारण करती हुई लक्ष्मी का उस [सम्भोग के] समय की सुन्दरता के कारण दुगनी बढ़ी हुई भोगेच्छा वाले विष्णु भगवान् के द्वारा आलिङ्गन करके दुवारा शय्या पर ले जाया गया और अलसाने से सुशोभित भुजाओं वाला शरीर आपकी रक्षा करे ॥१३४॥

इस श्लोक के भीतर [किये गये] देवताविषयक सम्भोग के वर्णन में अनुचिता-र्थता दोष है। इसीलिए काव्यप्रकाश [७,६२कारिकान्तर्गत वृत्तिभाग] में कहा गया है—

उस [सम्भोगश्रृङ्गार रूप रति] का देवताविषयक वर्णन माता पिता के सम्भोगवर्णन के समान अत्यन्त अनुचित है। कुछ विद्वानों के अनुसार तो उत्कृष्टता के लिए गृहीत [पठित] पद का अनुत्कृष्टता को प्रकट करना और अनुत्कृष्टता को बतलाने के लिए ग्रहण किये गये पद का उत्कृष्टता को बोधित करना ही अनुचितार्थ दोष है।

पहला [उदाहरण) जैसे—

अग्नि की चिनगारी की तरह यह सूर्य चमक रहा है ॥१३५॥

टि०—यहाँ सूर्य का उत्कर्ष बताने के किए वह्निस्फुलिङ्ग उपमान का ग्रहण किया गया है किन्तु इससे सूर्य का अपकर्ष सूचित हो रहा है क्योंकि यहाँ हीनोपमा है।

अपरं यथा—

अयं पद्मासनासीनश्चक्रवाको विराजते।
युगादौ भगवान् वेधा विनिर्मित्सुरिव प्रजाः॥ १३७॥

अत्रोत्कृष्टस्य सूर्यस्यापकर्षबोधनादपकृष्टस्य च चक्रवाकस्योत्कर्षबोधनादनुचितार्थमिति प्राहुः।[1] तन्न, चन्द्रोमुखमित्यत्रापि तथात्वापत्तेः।

छन्दोनिर्वाहमात्रार्थं प्रकृतानन्वितं च यत्।
वदन्ति कवयः सर्वे निरर्थकमिदं पदम्॥ ६०॥

निर्गलितार्थस्तु वाक्यार्थप्रत्ययानुकूलार्थप्रत्यायकत्वराहित्यम्। अधिक-

---

अथवा दूसरा [उदाहरण] जैसे—

कमल के आसन पर बैठा हुआ यह चकवा सृष्टि के आरम्भ में सम्पूर्ण प्रजाओं [जगत् के प्राणियों] को उत्पन्न करने की अभिलाषा वाले भगवान् ब्रह्मा की तरह सुशोभित हो रहा है॥१३६॥

यहाँ उत्तमप्रकृतिक सूर्य की निकृष्टता बताने के कारण और अधमप्रकृतिक चक्रवाक की उत्तमता बताने के कारण अनुचितार्थ दोष है ऐसा पूर्वपक्षी विद्वानों का कहना है। [सि०] ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि चन्द्रो मुखम्—मुख चाँद है इस प्रतीप के उदाहरण में भी यह अनुचितार्थ दोष आ जायेगा और उपमा रूपकादि-अलङ्कारों की अनलङ्कारता माननी पड़ेगी।

टि०—पूर्वपक्षी का कहना है मुखं चन्द्रः जैसे उपमा और रूपक के उदाहरण तो सङ्गत हैं क्योंकि 'अपकृष्टगुणवत्त्वमुपमेयत्वम्' इस नियम के अनुसार उपमेय न्यूनगुण वाला होता है और 'उत्कृष्टगुणवत्त्वमुपमानत्वम्' इस नियमानुसार उपमान अधिक गुण वाला होता है किन्तु 'चन्द्रो मुखम्' इस उदाहरण में अनुचितार्थता का दोष आ जायेगा क्योंकि चन्द्रमा बड़ा होता है और मुख छोटा होता है। और उपमा रूपकादि में अपकृष्ट मुख को उपमेय बनाकर उसका उत्कर्ष बताया जाता है तथा उत्कृष्ट चन्द्रमा को उसका उपमान बनाकर उस उपमेय का अपकर्ष प्रकट किया जाता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम के अनुसार इनको अलङ्कार नहीं कहना चाहिए। इसलिए उत्कर्ष और अपकर्ष की कसौटी ही नहीं बनानी चाहिए।

७. निरर्थक—जो केवल छन्द को निभाने [पूरा करने] के लिए रखा जाता है और प्रकृतार्थ के साथ जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है इस प्रकार के इस पद को सारे कवि निरर्थक पद कहते हैं॥६०॥

टि०—पादपूरणमात्रप्रयोजनत्वं निरर्थकत्वम् अर्थात् केवल पादपूर्ति के लिए जिस पद को रख दिया जाता है वह निरर्थक है।

इसका सारभूत अर्थ तो इस प्रकार है—वाक्यार्थ के ज्ञान के अनुरूप अर्थ

---

१. त; अत्र एकत्र उत्कृष्टस्य सूर्यस्यापकर्षबोधः अपकृष्टस्य चक्रवाकस्य न उत्कर्षबोध इत्याहुः ज अ।

पदे च वाक्यार्थप्रत्ययानुकूलार्थप्रत्यायकत्वमस्त्येव परन्तु तदन्यतो लब्धमिति न तेन साङ्कर्यम् । यथा—

विघ्नवल्लीकुठाराभं स्मरणं यस्य सर्वदा ।
विनायकमहं वन्दे लम्बोदरमहं हि नु ॥ १३८ ॥

दूषकताबीजं चात्र प्रकृताननुगुणस्यावधारणस्य प्रतीतिः । कवेरशक्ति-सूत्रमित्यपरे ।

अवाचकमिदं प्राहुरसङ्केता[1]दबोधकम् ।

की बोधकता के अभाव का नाम ही निरर्थकत्व है ।

टि०—निरर्थक पद से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसका ज्ञान वाक्यार्थ के ज्ञान के लिए लाभकारी नहीं होता ।

और अधिकपद दोष में वाक्यार्थ के ज्ञान के अनुकूल अर्थबोधकता तो रहती है किन्तु उसी प्रकार का बोध तत्रस्थ दूसरे पद से भी प्राप्त हो रहा होता है [उसमें अधिक पद का अर्थ प्रकृत में सङ्गत तो होता है किन्तु निरर्थक पद का अर्थ प्रकृत में असङ्गत होने के कारण निरुपयोगी होता है] इस कारण उसके साथ इस दोष का साङ्कर्य [सम्मिश्रण] नहीं है । जैसे—

जिनका स्मरण सदैव बाधाओं रूपी लताओं के लिए कुल्हाड़े के समान है मैं उन लम्बे पेट वाले श्रीगणेश जी को नमस्कार करता हूँ ॥१३८॥

टि०—इस श्लोक में प्रयुक्त हि तथा नु पद निरर्थक हैं और अहम् पद अधिक है क्योंकि उसके अर्थ की प्रतीति दूसरे अहम् पद से हो रही है ।

और यहाँ प्रकरणप्राप्त अर्थ के अननुरूप अर्थ की प्रतीति का होना ही इस दोष का कारण है ।

टि०—हि और नु पद उपर्युक्त श्लोक के अर्थ के किए सर्वथा अनुपयोगी ('निश्चय से' इस अपने) अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं । इन पदों के इस अर्थ के यहाँ रहने और न रहने से किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता ।

इस प्रकार [के पादपूरणार्थ रखे हुए निरर्थक पदों का प्रयोग] कवि के काव्य-निर्माण के सामर्थ्य के अभाव का सूचक है ।

टि०—हि, नु जैसे निरर्थक पदों का प्रयोग कई वार कवि इसलिए भी करते हैं कि उन्हें पादपूर्ति के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ रहा होता । पाठक भी इन निरर्थक पदों वाले स्थलों को देखकर कवि की इस कमज़ोरी को पहचान लेते हैं ।

८. अवाचक—[अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इस प्रकार के] सङ्केत [रूप कारण] के न होने से अपने अर्थ को न बताने वाला अवाचक होता है ।

---

१. त; ...... रव्यापारादबोधकम् ज. अ. ।

असमर्थे नासङ्केतः लाक्षणिकेनावबोधकत्वमिति न तयोः प्रसङ्गः। यथा—

सीमन्ते दिग्वधूनां सपदि विदधती चारुसिन्दूरशोभां
कुर्वन्ती कर्णकेलीकिसलयरचनापौनरुक्त्यं वधूनाम्।
सिञ्चन्ती किञ्च लाक्षारसमिव युवतीमञ्जुबिम्बाधरे सा
ज्योत्स्ना पायादपायाज्जगदिदमखिलं पद्मबन्धोर्नवीना॥१३६॥

अत्र ज्योत्स्नापदं बालातपस्यावाचकम्। न चेदं तात्पर्यानुपपत्त्या लक्षणया बोधकं भविष्यतीति वाच्यम्, यदा न प्रयोजनप्रतिपिपादयिषा तदा लक्षणाया अनवताराद् व्यवसायानुशासनविरोधेनालाक्षणिकसुविभक्ता-

---

टि०—असङ्केतितार्थ का बोध कराने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है वह अवाचक होता है।

असमर्थ पददोष में असङ्केत नहीं होता है अर्थात् उसमें सङ्केत तो होता है किन्तु उसमें अपेक्षित अर्थ को बताने का सामर्थ्य नहीं होता [कुञ्जं हन्ति कृशोदरी इस वाक्य में हन् धातु कामनार्थ में पठित होने पर भी इस अर्थ को नहीं बता रही है और अवाचक में सङ्केत ही नहीं होता] किन्तु लाक्षणिक पद से [लक्षणा द्वारा] अर्थ की प्रतीति हो जाती है। [इस प्रकार असमर्थ में सङ्केत न होने से] दोनों का एकत्र समावेश नहीं हो सकता [क्योंकि इन दोनों का विषय भिन्न है]। जैसे—

दिशा रूपी नववधुओं की केशरचना में [प्रतिबिम्बित होकर] शीघ्र ही सुन्दर सिन्दूर की शोभा को करती हुई, वधुओं के कानों के बीच में क्रीडा के नवीन पत्र की पुनरुक्ति करती हुई, इसके अतिरिक्त युवतियों के सुन्दर बिम्बाफल के सदृश ओठ पर लाक्षारस को सींचती हुई सूर्य की नवीन धूप इस सारे जगत् को विनाश से बचाये॥१३६॥

टि०—कर्णकेलीकिसलयरचनापौनरुक्त्यं कुर्वन्ती का अभिप्राय यह है—नायिकाओं ने पहले ही कानों में कोमल लाल पत्ते रखे हुए थे, सूर्य ने उन लाल पत्तों पर अपनी लाल लाल किरणें डालकर पहले से लाल कानों को फिर से लाल बना दिया है।

यहाँ ज्योत्स्ना पद प्रातःकालीन धूप का अवाचक है [क्योंकि इस पद का यह सङ्केतितार्थ नहीं है इसका सङ्केतितार्थ तो चाँदनी है] और वक्ता के तात्पर्य के अनुपपन्न होने से लक्षणा के द्वारा यह पद बालातप अर्थ का बोधक हो जायेगा यह बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि जब तक किसी विशेष प्रयोजन को बतलाने की इच्छा नहीं होती तब तक लक्षणा की अवतारणा [उपस्थिति] नहीं होती।

और लौकिक व्यवहार की शिक्षा [इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग साधु है इस रूप में प्रचलित शब्दव्यवहार के अनुशीलन] के साथ विरोध होने से [अवाचक

वप्यस्य दूषणत्वाच्च । ध्वान्तध्वंसैकदक्षा कलयतु विभवं कापि बालातपश्री रिति तु युक्तम् । अश्लीलम्—

यस्य स्मरणमात्रेणासभ्यार्थ[1]स्मृति र्भवेत् ।। ६१ ।।
व्रीडाजुगुप्सामाङ्गल्यव्यञ्जकं त्रिविधं स्मृतम् ।

ग्राम्ये च नासभ्यार्थस्मारकत्वं किन्तु शब्द एव तच्छोभारहित इति न तत्साङ्कर्यशङ्कापि ।

एवं] अलाक्षणिक इस ज्योस्ना शब्द में सुप् विभक्ति के लग जाने पर भी अवाचकत्व दोष आ जाता है ।

टि०—प्रस्तुत श्लोक में ज्योत्स्ना पद का प्रयोग बालातप रूप में किया गया है । परन्तु सङ्केत न होने के कारण यह शब्द उस अर्थ को अभिधा के द्वारा बोधित नहीं करा सकता इस कारण यहाँ अवाचक दोष है । पूर्वपक्षी की ओर से कहा जा सकता है कि यहाँ वक्ता का तात्पर्य बालातप में है चन्द्रिका अर्थ में नहीं है अतः तात्पर्यानुपपत्ति से इस पद का लक्ष्यार्थ आतप हो जायेगा । इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि यहाँ प्रयोजनमूला लक्षणा तो है नहीं क्योंकि यहाँ ज्योत्स्ना का आतप अर्थ करने में कोई स्फुट प्रयोजन तो है नहीं और न ही यहाँ रूढिमूला लक्षणा हो सकती है क्योंकि इस अर्थ में इस शब्द की प्रसिद्धि नहीं है । इसलिए यहाँ आतपार्थ में प्रयुक्त ज्योत्स्ना पद न वाचक है और न लाक्षणिक है इस कारण इसके आगे सुप् विभक्ति के लग जाने पर भी इस पद के भीतर अवाचकत्व (अपने अर्थ को न बता पाना रूप) दोष बना रहता है ।

[इस श्लोक में प्रयुक्त ज्योत्स्ना पायाद० इत्यादि पङ्क्ति के स्थान पर] ध्वान्त० इत्यादि पङ्क्ति का पाठ ठीक रहेगा । अन्धकार के विनाश में एकमात्र निपुण, अनिर्वचनीय सूर्यातप आप सबको समृद्धि प्रदान करे ।

६. अश्लील—जिसके केवल सुनने से ही अशिष्ट अर्थ का स्मरण होता है । ॥६१॥

लज्जा, घृणा और अशुभ को प्रकट करने वाला वह दूषित पद तीन प्रकार का बताया है ।

और ग्राम्य दोष में अशिष्ट अर्थ का स्मरण नहीं होता है [अश्लील में ऐसे अर्थ का बोध होता है] परन्तु वहाँ शब्द ही शोभारहित होता है । इसलिए इन दोषों में एक दूसरे के लक्षण के आपस में मिलने की आशङ्का नहीं है ।

टि०—'साधन' जैसे पद अश्लीलार्थ के स्मारक हैं और 'कटि' जैसे ग्राम्य पद व्रीडाव्यञ्जक न होकर घटिया प्रकार के हैं यही इनका आपस में भेद है ।

---

१. ज अ; ...मात्रेणासम्यगर्थस्मृति त ।

क्रमेण यथा—

न साधनोन्नति र्या स्यात्कलत्रासुखदायिनी ।
परार्थवधकाङ्क्षिणां यत्सत्यं पेलवं धनम् ।। १४० ।।

मञ्जुमन्थरगतिः पयोमुचां
शीकरौघवहनश्रमादिव ।
केतकीवनविहारकौतुकी
वायुरायुरभवन्मनोभुवः ।। १४१ ।।

निर्वाणवरदहनाः प्रशमादरीणां
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन ।
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ।। १४२ ।।

अत्र क्रमेण व्रीडाजुगुप्सामाङ्गल्यव्यञ्जकत्वादश्लीलत्वम् । दूषकताबीजं

क्रम से [अश्लील दोष के तीनों प्रकारों के उदाहरण दिये जा रहे हैं] । जैसे·—

i वह समृद्धिप्राचुर्य अच्छा नहीं जो स्त्रियों के लिए सुखकारक नहीं है [दूसरा अर्थ—] जो लिङ्गोत्थान [लिङ्गेन्द्रिय का कड़ा होकर ऊपर उठना] स्त्रियों के लिए सुखकारी नहीं है [उनकी भोगेच्छा को सन्तुष्ट नहीं करता है] वह [सफल] नहीं है और दूसरों की भलाई का नाश चाहने वाले व्यक्तियों का धन सचमुच ही कोमल [आसानी से नष्ट होने वाला—अचिरस्थायी] होता है ।।१४०।।

ii बादलों के जलकणों को धारण करने की थकावट से ही मानों केवड़े के जंगलों में घूमने के कुतूहल वाला [अत एव] सुन्दर और धीमी गति से युक्त पवन कामदेव की आयु बना अर्थात् उसको पुष्ट करने वाला बना ।।१४१।।

iii शत्रुओं के शान्त हो जाने से अर्थात् उनके मारे जाने से बुझी हुई वैर रूपी अग्नि वाले पाण्डु के पुत्र युधिष्ठिरादि कृष्ण भगवान् के साथ प्रसन्न होंवे । अनुरक्त एवं प्रसन्न की हुई जनपदस्थ प्रजाओं वाले और समाप्त हुए युद्धों वाले कुरुक्षेत्र के राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि पुत्र नौकरों के साथ निश्चिन्त एवं नीरोग रहें [तीसरी चौथी पङ्क्ति का दूसरा अर्थ—] खून से पृथिवी को सजाने वाले और कटे हुए शरीरों वाले कौरवगण नौकरों समेत स्वर्ग में जाकर स्थित हो जायें अर्थात् मर जायें ।।१४२।।

यहाँ क्रम से लज्जा, घृणा और अशुभ अर्थ के ज्ञात होने से अश्लीलत्व दोष है ।

टि०—यहाँ साधनोन्नति में साधन पद से पुरुष के लिङ्ग का भी अवबोध होता है और पेल शब्द अश्लीलार्थबोधक है क्योंकि लाट देश की भाषा में यह पेल शब्द वृषणेन्द्रिय रूप गुह्याङ्ग का वाचक है । इस कारण यहाँ दोनों स्थानों पर

चात्रासभ्यार्थप्रतीतिः श्रोत्रियमण्डलीषु चण्डालागमनमिव किमपि वैरस्यमापादयतीति ध्येयम् ।

सन्दिग्धं तत्र[1] भवेद् यत्र तात्पर्यार्थस्य संशयः ॥ ९२ ॥

तदर्थोऽपि अविनिर्णीततात्पर्यकपदार्थोपस्थापकपदत्वम् ।

यथा—

स महात्मा भाग्यवशान्महापदमुपागतः ॥ १४३ ॥

दूषकताबीजं चात्र तात्पर्यनिर्णयाभावः ।

अप्रतीतमिदं प्राहुःकेवलं शास्त्रभाषितम् ।

व्युत्पत्त्याप्येवमेवार्थं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ९३ ॥

व्रीडाव्यञ्जक अश्लील पददोष है। वायु शब्द अपानवायु अर्थ का स्मारक होने के कारण जुगुप्सापरक अश्लीलार्थ का अभिव्यञ्जक है। रक्तप्रसाधित० इत्यादि श्लोकार्ध से दूसरे अशुभ अर्थ की भी प्रतीति होने से यह अमाङ्गल्याश्लील पददोष का उदाहरण है यह वेणीसंहार (१,७३) में सूत्रधार की उक्ति है।

और यहाँ अशिष्ट अर्थ का अवबोध ही इस दोष का कारण है। यह वैसी ही कुछ खीझ सामाजिकों के हृदय में उत्पन्न करता है जैसे वेदपाठी ब्राह्मणों के समूहों में किसी चण्डाल का आ जाना [अरुचिकर होने से] कुछ [अजीव सी] झुंझलाहट [अरुचि] को पैदा करता है।

१०. सन्दिग्ध—जहाँ वक्ता के तात्पर्यार्थ [अभीष्टार्थ] के विषय में सन्देह हो जाता है वहाँ सन्दिग्ध नामक पददोष होता है ॥९२॥

इसका यह भी परिनिष्ठित अर्थ है—वक्ता के अनिश्चिताभिप्रायगर्भित अर्थ की उपस्थिति कराने वाले पदों से युक्त होना ही सन्दिग्ध का लक्षण है।

जैसे—

वह महानुभाव भाग्य के कारण ऊँचे पद को प्राप्त हो गया है ॥१४३॥

टि०—यहाँ महापद के मृत्यु, मोक्ष और ऊँचा पद इन तीन अर्थों में से कौन सा अर्थ लिया जाय इस विषय में सन्देह बना हुआ है। संयोगादि में से किसी एक विशेष हेतु के न होने से वक्ता के तात्पर्य का निश्चय नहीं हो रहा है।

और इस दोष में दूषणता का कारण वक्ता के तात्पर्य के निर्णय का अभाव है।

११. अप्रतीत—किसी एक शास्त्र में ही जो कहा गया हो उसे अप्रतीत कहते हैं, विद्वान् लोग इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी इसी प्रकार का अर्थ निकलता है ऐसा कहते हैं॥९३॥

---

१. ज त; तद् अ ।

प्रतिशास्त्रे इतं प्रतीतं न प्रतीतमप्रतीतम् । यत्किञ्चिच्छास्त्रपरिभाषित-मित्यर्थः ।

यथा—

न पक्षवृत्ति नं सपक्षवृत्ति
विपक्षवृत्तिः करवालधूमः ।
तथापि ते विक्रमभूमिपाल
प्रतापवह्नेः प्रमितिं करोति ॥ १४४ ॥

अत्र पक्षादिशब्दास्तर्कशास्त्रपरिभाषिताः । दूषकताबीजं चात्र सङ्केत-

---

प्रति—किसी एक शास्त्र में इतम्—जो जाना गया है वह प्रतीत है और जो [उस शास्त्र के अतिरिक्त और दूसरे शास्त्रों में] प्रतीत [जाना गया] नहीं है, वह अप्रतीत पददोष कहलाता है । जो किसी एक शास्त्र में ही लक्षण या परिभाषा को प्राप्त है [दूसरे दूसरे शास्त्रों में जिसका लक्षण स्पष्ट नहीं है] यह इसका परिनिष्ठित अर्थ है ।

टि० —शास्त्रैकदेशे प्रसिद्धमप्रतीतम्—जो किसी एक ही शास्त्र में प्रसिद्ध हो और दूसरे शास्त्रों में न प्रसिद्ध हो ऐसे पद का प्रयोग अप्रतीत पददोष है ।

जैसे—

हे विक्रमदेव राजन् ! यद्यपि तुम्हारा खड्ग रूपी धूआँ न तो तुम्हारे अपने पक्ष में रहता है, और न तुम्हारे मित्रों के पक्ष में रहता है वह केवल तुम्हारे शत्रुपक्ष में रहता है फिर भी वह तुम्हारी पराक्रम रूपी अग्नि का [अनुमान द्वारा] ज्ञान करा देता है [यह बड़े आश्चर्य की बात है] ॥१४४॥

इस श्लोक में प्रयुक्त पक्षादि शब्दों का लक्षण न्यायशास्त्र में ही बताया गया है ।

टि०—सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः, निश्चितसाध्यवान् सपक्षः, निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः इस प्रकार के लक्षण उपर्युक्त शब्दों के तर्कभाषा आदि न्यायग्रन्थों में मिलते हैं पर्वतो वह्निमान् धूमात् यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम् तथा चायमत एव पर्वतो वह्निमान्—इस पञ्चावयव वाक्य में पर्वत पक्ष है क्योंकि इसमें वह्नि का अनुमान किया जाता है (यत्रानुमिनोति स पक्षः) महानस सपक्ष है क्योंकि उसमें प्रतिदिन अग्नि का निश्चय रहता है और नदीसरोवरादि जलाशय विपक्ष हैं क्योंकि उनमें साध्य रूप अग्नि नहीं रहती है पक्षादि ये तीनों न्यायशास्त्र के अनुमानखण्ड में तो प्रसिद्ध हैं किन्तु और शास्त्रों में अप्रसिद्ध हैं ।

यहाँ दोष का कारण सङ्केतित ज्ञान का अभाव है ।

टि०—यहाँ पक्ष, सपक्ष, और विपक्ष के जो पारिभाषिक अर्थ हैं उनकी आसानी से प्रतीति नहीं हो रही है । इसी कारण इस श्लोक में अप्रतीत दोष है ।

ज्ञानविरहः। न चासमर्थबीजसाङ्कर्यमिति वाच्यम्। तत्र गणपाठात् सङ्केते गृहीतेऽपि सम्बन्धितावच्छेदकसम्बन्धाग्रहान्न[1] सम्बन्ध्यन्तरोपस्थितिः। प्रकृते तु ग्राहकानुपस्थितया सम्बन्धाग्रहणान्न सम्बन्ध्यन्तरोपस्थितिरिति विशेषात्।

न च निहतार्थेनास्य सङ्करः। तत्र व्यवधानाव्यधानतया उभयार्थप्रतीतेः[2], अत्र च[3], प्रकृतार्थप्रतीत्यनारोहात्।

यहाँ पर असमर्थदोष के मूल कारण के साथ [इस दोष का] सम्मिश्रण। होता है यह नहीं कहना चाहिए।

टि०—असमर्थ और अप्रतीत दोनों दोषों में सङ्केतितार्थ की प्रतीति नहीं होती है अतः दोनों का एक ही लक्षण बन सकता है ऐसा मानना ठीक नहीं है।

उस असमर्थदोष [के सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम् इस उदाहरण] में [हन हिंसागत्योः हन धातु का हिंसा और गमन अर्थ है इस रूप में] गणपाठ से गमनार्थ में सङ्केत का ग्रहण होने पर भी सम्बन्धी [गमन क्रिया के कर्त्ता] के भीतर रहने वाली सम्बन्धिता [कर्तृता रूप धर्म] के अवच्छेदक [गमन क्रिया रूप धर्म] के साथ सम्बन्ध न होने से गमन क्रिया के कर्त्ता रूप दूसरे सम्बन्धी की प्रतीति नहीं हो रही है।

टि०—असमर्थ दोष में हन्ति पद से अवच्छेद्य गमन क्रिया के कर्त्ता धार्मिक के साथ अवच्छेदक गमन क्रिया का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता।

किन्तु प्रस्तुत अप्रतीत दोष [के न पक्षवृत्ति० इत्यादि उदाहरण] में तो व्याकरणोपमानादि सङ्केतग्राहक साधनों की अनुपस्थिति से वाच्यवाचक रूप सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए [पक्षादि पदों से राजविषयक] दूसरे अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है यही इन दोनों में भेद है।

टि०—असमर्थ दोष में जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है उस अर्थ में सङ्केत होने पर भी यत्किञ्चित्सहकार के बिना उस अर्थ को बताने का सामर्थ्य नहीं होता, किन्तु अप्रतीत में जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग होता है उस अर्थ में उस शब्द का सङ्केत नही होता है।

और निहतार्थ दोष के साथ इस [अप्रतीत दोष] का सङ्कर नहीं है क्योंकि उस दोष में कुछ काल के व्यवधान [अन्तर] या अव्यवधान होने पर दोनों अर्थों का ज्ञान हो जाता है और यहाँ [अप्रतीत दोष में] प्रकरणप्राप्त अर्थ ज्ञान का विषय ही नहीं बनता है।

टि०—परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयो धर्मयोरेकत्र समावेशः सङ्करः—एक दूसरे के साथ अत्यन्ताभाव वाले अर्थात् परस्पर विरुद्ध अर्थों का एक स्थान पर

१: त;……छेदकविरहान् ज अ
२. ज अ; प्रतीतिः त।
३. ज अ; च त में नहीं।

यद् भवेदविदग्धोक्तं तत्पदं ग्राम्यमुच्यते ।

एतदर्थोऽपि उदारतागुणाव्यञ्जकपदत्वम् ।[1] तथा हि पदं त्रिविधम्-ग्राम्यं नागरमुपनागरञ्च । तत्राद्यं स्वरूपशोभारहितम् । उक्तं चान्यत्र[2]—

कान्ते विपर्ययाद् वाक्यं ग्राम्यमित्यभिधीयते ।

यथा—

सर्वेषां मानुषाणां ते कटिः सन्तोषदायिनी ।
त्वां प्रेक्ष्य जम्भनं[3] कर्त्तुं याति नान्यत्र मानसम् ।। १४५ ।।

रह जाना सङ्कर कहलाता है। सिद्धान्ती का कहना है कि निहतार्थ और अप्रतीत दोष परस्परविरुद्ध हैं और एक स्थान पर नहीं रह सकते इस कारण उनमें सङ्कर नहीं आता। निहतार्थ के उदाहरण 'सहस्रगु,' पद के प्रसिद्ध सूर्य और अप्रसिद्ध इन्द्र इन दोनों अर्थों की प्रतीति हो जाती है किन्तु यहाँ पक्षादि शब्दों के अर्थों की प्रतीति ही नहीं होती है अतः इन दोनों में भेद है।

१२. ग्राम्य— जो मूर्खों के द्वारा बोला जाता है वह पद ग्राम्य कहा जाता है। इसका परिनिष्ठित अर्थ [लक्षण] यह भी है—उदारता गुण के अनभिव्यञ्जक पद वाला होना ग्राम्यत्व है।

टि०—काव्यप्रकाश (८,७२ वृत्तिभाग) में अग्राम्यरूपा उदारता अर्थात् ग्राम्य दोष के अभाव को उदार गुण बताया है ।

इसकी व्याख्या करते हैं—पद तीन प्रकार का है—१. ग्राम्य [ग्रामीणों के द्वारा जिसका प्रयोग किया जाता है] २. नागर [नागरिकां से प्रयुक्त] और ३. उपनागर [नगर के समीप रहने वाले लोगों के द्वारा प्रयुक्त]। इनमें से पहला ग्रामीण पद अपने रूप की शोभा से रहित अर्थात् कुत्सित स्वरूप वाला होता है। और दूसरे किसी स्थल में यह बतलाया गया है—

उज्ज्वलता के विपरीत गुण अर्थात् कुत्सित रूप होने से वाक्य ग्राम्य [भद्दा] कहलाता है।

उदाहरण—सब मनुष्यों को तुम्हारी कटि [कमर] आनन्द प्रदान करने वाली है, तुम्हें देखकर लोगों का मन और जगह मैथुन करने नहीं जाता है [अर्थात् उनका मन तुम्हें ही निरन्तर देखने में रम जाता है] ।।१४५।।

टि०—यहाँ कटि शब्द ग्रामीणों के द्वारा बोले जाने वाला है इसके स्थान पर श्रोणी का प्रयोग होता है। गमन और जम्भन भी ग्रामीणप्रयुक्त हैं जम्भन का अर्थ मैथुन है ।

---

१. त;ज अ में परित्यक्त

२. ज अ; अन्यैस्तु त

३. त; गमनं ज अ

दूषकताबीजं चात्र कवेरवैदग्ध्यप्रकर्षसूचनम् ।
रूढिप्रयोजनाभावाल्लक्षणाभासनिर्भरात् ॥ ९४ ॥
कल्पितार्थं भवेद्द्वि यद्धि तन्नेयार्थं प्रचक्षते ।

न च लक्षणाविरहे कथं पदार्थोपस्थितिरिति वाच्यम् । पदार्थोपस्थितौ[1] सम्बन्धमात्रस्य तन्त्रत्वात् । न हि सम्बन्धिबोधे वृत्तित्वं प्रयोजकं गौरवाद्

और कवि की अव्युत्पन्नता [शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान नहोना—मूर्खता] के अतिशय का सूचन ही इस दोष का कारण है।

१३—रूढि और प्रयोजन के अभाव के कारण लक्षणाभासमात्र पर आश्रित होने से ॥९४॥

जो पद कल्पित अर्थ [असङ्केतित अर्थात् लक्ष्य अर्थ] वाला होता है उसको नेयार्थ कहते हैं।

टि०—रूढि या प्रयोजन के कारण लक्षणा होती है यदि इन हेतुओं के विना किसी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाय तो नेयार्थ दोष हो जाता है। साहित्यदर्पण (७,२ वृत्तिभाग) में रूढिप्रयोजनाभावादशक्तिकृतं लक्ष्यार्थप्रकाशनम्—यह नेयार्थ का लक्षण दिया है। इसके अनुसार रूढि और प्रयोजन के अभाव में लक्षणाशक्ति के विना ही लक्ष्यार्थ को वताना इस दोष का कारण है।

काव्यप्रकाश (७,५०-५१ वृत्तिभाग) में आचार्य मम्मट ने नेयार्थ दोष को स्पष्ट करने के लिए कुमारिलभट्ट के तन्त्रवार्तिक की कारिका उद्धृत की है—

निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामर्थ्यादभिधानवत् ।
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चिन्नैव त्वशक्तितः ॥

कुछ रूढ लक्षणायें होती हैं जो वाचक शब्द (अभिधान) के समान सामर्थ्य से (अर्थ का बोध कराती हैं), और कुछ इस समय प्रयोजनवश की जाती हैं। ये दोनों रूढ़ि तथा प्रयोजनवती लक्षणायें तो उचित हैं परन्तु रूढि तथा प्रयोजन इन दोनों के अभाव में स्वेच्छापूर्वक कोई लक्षणा अशक्ति के कारण नहीं करनी चाहिए अर्थात् इस प्रकार की लक्षणा के करने पर नेयार्थ दोष हो जाता है।

[पूर्वपक्षी] लक्षणा के विना पदार्थ अर्थात् लक्ष्यार्थ की प्रतीति कैसे हो सकती है ? [क्योंकि लक्ष्यार्थ तो सदैव लक्षणा पर ही आश्रित होता है]।

[सिद्धान्ती] इस प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिए [क्योंकि लक्षणा के विना भी लक्ष्यार्थ की प्रतीति होना सम्भव है] पदार्थोपस्थिति [किसी पद से प्रतीत होने वाले अर्थ] में सम्बन्धमात्र [शक्यार्थ अर्थात् वाच्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ सम्बन्ध जैसे गङ्गायां घोषः में प्रवाह का तीर के साथ स्वसामीप्यादि रूप सम्बन्ध] कारण होता है [न कि वृत्तिमात्र कारण होती है] और सम्बन्धी [उपर्युक्त वाच्यार्थ

---

१. ज अ; पदार्थस्मृतौ त

व्यभिचाराच्च ।[२]

के साथ सम्बद्ध लक्ष्यार्थ] के ज्ञान में [अभिधा, लक्षणा आदि] वृत्तियाँ कारण नहीं होतीं क्योंकि वृत्तियों को कारण मानने पर गौरव और व्यभिचार दोष आते हैं ।

टि०—सिद्धान्ती का कथन है कि पदार्थोपस्थिति में सम्बन्ध ही कारण होता है, अभिधादि वृत्तियाँ कारण नहीं हुआ करतीं । वृत्तियों को कारण मानने पर गौरव एवं व्यभिचार दोष आते हैं ।

नागेशभट्टकृत व्याकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जूषा (गया से प्रकाशित १९४७ प्रथम संस्करण पृ० १३) के वृत्तिनिरूपण प्रकरण में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है । वहाँ पदार्थावबोध में सम्बन्ध को सर्वोपरि कारण माना गया है—

शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात् । दीपकादिगतप्रकाशकत्वशक्तावपि आलोकविषयसम्बन्धे सत्येव वस्तुप्रकाशकत्वं नान्यथेति दृष्टत्वात् । तथोक्तं हरिणा—

उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते ।
शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुणानामप्यसौ गुणः ॥

उपकारो वाच्यवाचकभावालोकविषयीयसंयोगसमवायादिसम्बन्धो··· ।

सम्बन्ध के विना शक्ति अर्थावबोध रूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती इसलिए पदार्थोपस्थिति में सम्बन्ध ही नियामक (निश्चित कारण) है । यद्यपि दीपक के भीतर प्रकाश करने की शक्ति होती है किन्तु जब तक प्रकाश और विषय (पदार्थ) का सम्बन्ध न हो तब तक प्रकाश नहीं होता इसी प्रकार शब्द में अर्थ निरूपित करने की शक्ति होती है परन्तु जब तक शब्द और अर्थ का सम्बन्ध प्रतीत न हो तब तक शब्द से उक्त अर्थ की प्रतीति नहीं होती है । इससे उल्टी बात नहीं होती अर्थात् विना सम्बन्ध के सम्बन्धी अर्थ की प्रतीति नहीं हुआ करती है ।

भर्तृहरि ने भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए कहा है—

जिस पद में अथवा दीपकादि गुणी में उपकार (सम्बन्ध) होता है वहीं पर धर्म (अर्थावबोध या वस्तुज्ञान) की प्रतीति होती है यह उपकार शक्तियों की भी शक्ति है और गुणों का भी गुण है । अभिप्राय यह है जैसे वस्तुज्ञान में आलोक और वस्तु का संयोगसम्बन्ध सर्वोपरि कारण है वैसे ही अर्थावबोध में वाच्यवाचकभावादि रूप सम्बन्ध सर्वोपरि कारण है । लक्ष्यार्थ में यह सम्बन्ध वाच्यार्थ के लक्ष्यार्थ के साथ स्वसामीप्यसम्बन्ध के रूप में देखा जाता है ।

१. ज अ; मानाभावाच्च त

यथा[1]

सपदि पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत्-
तनयसंवलितं बलशालिना।
विपुलपर्वतवर्षि शतैः शरैः
प्लवगसैन्यमुलूकजिता जितम् ॥ १४६ ॥

अत्र विहङ्गमाश्चक्रवाकोऽभिप्रेतः। तन्नामानि चक्राणि तानि[2] बिभ्रतीति

यदि वृत्ति को पदार्थविवोध में कारण माना जाए तो गौरव और व्यभिचार दोष होते हैं। उदाहरणार्थ गङ्गायां घोषः इत्यादि वाक्यों में पहले गङ्गा पद के अपने अर्थों के साथ विद्यमान वाच्यवाचकभाव, लक्ष्यलक्षकभाव तथा व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव रूप त्रिविध सम्बन्ध की प्रतीति होती है तदनन्तर अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना की सहायता से शाब्दबोध होता है। इस प्रकार पदार्थोपस्थिति में सम्बन्ध और शक्ति यह दोनों कारण हैं यदि सम्बन्ध और शक्ति को कारण मानें तो गौरव हो जाता है। इसलिए वृत्ति (शक्ति) को कारण न मानकर पहले प्रतीत होने वाले सम्बन्ध को ही कारण मानना चाहिए। और स्वसामीप्यरूप संयोगादि सम्बन्ध को कारण मानने में लाघव भी है। इसी प्रकार देवदत्तो ग्रामं गच्छति इस वाक्य में देवदत्ताभिन्नैककर्तृकग्रामनिष्ठकर्मतानुकूलगमनव्यापार यह अर्थ अभिधा और तात्पर्यवृत्ति से प्रतीत हो रहा है। परन्तु लक्षणा और व्यञ्जना के रहते हुए उनके विषय लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थ के न होने पर वृत्तिरूप कारण के रहते हुए भी तदर्थ रूप कार्य की प्रतीति नहीं हो रही है इसलिए कारणसत्त्वेऽपि कार्याभाव रूप व्यभिचार दोष आ रहा है इस प्रकार नेयार्थ दोष में वाच्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ के सम्बन्ध से लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो जाती है इसमें लक्षणावृत्ति को लक्ष्यार्थ की प्रतीति में कारण मानने की आवश्यकता नहीं है इस कारण यहाँ लक्षणा के विना ही लक्ष्यार्थ का ज्ञान मानने में कोई दोष नहीं आता।

[उदाहरण] जैसे—

शीघ्र ही दशरथ के पुत्रों से युक्त और बड़े बड़े पहाड़ों को बरसाने वाली वानरसेना को इन्द्र को हराने वाले मेघनाद ने सैकड़ों बाणों [के प्रयोग] से जीत लिया ॥१४६॥

इस [श्लोक] में विहङ्गम पद से चक्रवाक अर्थ कवि को अभीष्ट है। [इस पद का वाच्यार्थ है—विहङ्गमा विहायसि गच्छन्ति इति विहङ्गमाः अर्थात् आकाशचारी पक्षी चक्रवाक और चक्रवाक पद लक्षणा से रथाङ्ग-चक्र का ग्राहक है] तन्नामैकदेश चक्रों को जो धारण करते हैं वे विहङ्गमनामभृतः अर्थात् रथ कहलाते हैं। पङ्क्ति पद से दस

---

१. ज अ; त में परित्यक्त

२. ज अ; तानि त में परित्यक्त

विहङ्गमनामभृतो रथाः पङ्क्तिरिति दशसंख्या लभ्यते पङ्क्तिर्दश विहङ्गमनामभृतो रथा यस्य स पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत् दशरथः। तत्तनयाभ्यां रामलक्ष्मणाभ्यां संवलितं प्लवगसैन्यमुलूकजिता इन्द्रजिता जितम्। न चात्र प्रयोजनं प्रतीयते कष्टकल्पनया यथाकथञ्चिद् व्याख्याने अश्रद्धेयत्वात्।

न चात्र रूढिः, वृद्धसम्प्रदायविरहात्। उक्तञ्चैतदग्निपुराणे—असामयिकता नेयार्थता,समयो मुख्यार्थबाधादित्रयं तद्विरह इति। अत्र रूढि-

---

सङ्ख्या का ज्ञान होता है। इस प्रकार पङ्क्तिर्दश 'विहङ्गमनामभृतः रथाः' अर्थात् दस रथ जिसके पास हैं वह पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत् [दशरथ] कहा जाता है। उस दशरथ के पुत्रों—राम और लक्ष्मण से अधिष्ठित वानरसेना उलूक अर्थात् इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद ने जीत ली। और पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत् इस शब्द में किसी प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो रही है क्लिष्ट कल्पना से जैसे तैसे किसी प्रयोजन की व्याख्या मानने पर इस प्रकार का अर्थ विश्वसनीय नहीं हो सकता।

टि०—श्लोक में आये हुए पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत् इस शब्द का अर्थ दशरथ है। पङ्क्ति का अर्थ दस तथा विहङ्गमनामभृत् का अर्थ रथ हो जाता है। पङ्क्तिर्दश विहङ्गमनामभृतो रथा यस्य सः अर्थात् दस रथों वाले व्यक्ति को दशरथ कहा जाता है। विहङ्गम का साधारण अर्थ पक्षी है और विशेषार्थ चक्रवाक पक्षी है। चक्र शब्द 'नामैकदेशेन नामग्रहणम्' इस न्याय से लक्षणा से पूरे चक्रवाक अर्थ का भी ज्ञान करा देता है जैसे भीम पद भीमसेन का ज्ञान करा देता है। यह चक्र शब्द रथाङ्ग—रथ के पहिये का वाचक है किन्तु लक्षणा से चक्र रूप अवयव समस्त रथ रूपी अवयवी की प्रतीति करा रहा है इस प्रकार दशरथ अर्थ की प्रतीति हो जाती है वस्तुतः ऐसे अर्थ रूढि और प्रयोजन के अभाव के कारण अशक्तिकृत अर्थात् लक्षणाशक्ति के बिना आते हैं ऐसा पूर्वपक्षी का कहना है।

किन्तु सिद्धान्ती का कहना है—'पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत्' जैसे प्रयोग विना किसी प्रयोजन के अर्थों का ज्ञान करा रहे हैं। यदि यहाँ पर किसी प्रयोजन की यों ही कल्पना कर ली जाय तो वह अप्रामाणिक ही माना जायेगा। यदि विहङ्गमनामभृत् पद का अर्थ रथ रूप लक्ष्यार्थ इस आधार पर किया जाय कि जैसे पक्षी तीव्रता से उड़ता है उसी प्रकार रथ भी तेजी से चलता है और तीव्रगत्यतिशय को बताना यहाँ प्रयोजन है तो ऐसे प्रयोजन अस्फुट होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकते।

और यहाँ पर रूढ़ि [प्रसिद्धि] भी नहीं है क्योंकि वृद्धों [विद्वानों] के सम्प्रदाय के द्वारा इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। और अग्निपुराण में कहा भी गया है—असामयिकता का नाम ही नेयार्थता है। [लक्षणा में मुख्यार्थबाध,

प्रयोजनमन्तरेण लक्षणादरात्[1] कवेरव्युत्पत्तिप्रतिसन्धानेन वैरस्यापादकत्वे दूषकताबीजम् ।

आसत्त्यादिविलम्बेन नान्वयो यत्र भासते ॥ ९५ ॥
तत्काव्यं क्लिष्टमित्याहुरलङ्कारविशारदाः[2] ।

एतदर्थो[3]ऽपि—एकपदप्रतिपाद्यप्रकृतपदार्थज्ञानाननुगुणापरपदार्थज्ञानकृतव्यवधानराहित्ये सति विलम्बितार्थ[4]प्रतीतिजनकत्वं तत्त्वम्[5] ।

मुख्यार्थयोग और रूढि या प्रयोजन ये कारण होते हैं इन तीनों की कारणता] मुख्यार्थबाधादि का नाम समय है और इस समय का अभाव अर्थात् नियम का उल्लङ्घन ही असामयिकता है [अर्थात् रूढ़ि और प्रयोजन के अभाव में जब नियम तोड़कर लक्षणा की जाती है तब नेयार्थता दोष होता है]।

टि०—अग्निपुराण में नेयार्थ को असामयिकता दोष का नाम दिया है—

...समयाच्युतिः ।
असामयिकता नेयामेतां च मुनयो जगुः ॥
अग्निपुराण ३४७-१०-११

रूढि और प्रयोजन के विना ही लक्षणा का आदर [प्रयोग] करने के कारण कवि की अनिपुणता अर्थात् मूर्खता के परिचय से बनने वाली अरुचि को उत्पन्न करना ही इस दोष का कारण है।

१४. क्लिष्ट—आसत्ति, आकाङ्क्षा और योग्यता के [ज्ञान में] विलम्ब होने से जहाँ वाक्यस्थ पदों में अन्वय होता हुआ नहीं प्रतीत होता ॥९५॥

उस काव्य को अलङ्कार शास्त्र के पण्डितों ने क्लिष्ट बताया है।

इस क्लिष्ट दोष का यह भी परिनिष्ठित लक्षण है—एक पद से समझाय जाने योग्य उस प्रस्तुत पद के अर्थ के ज्ञान के विरुद्ध दूसरे [स्मृतिजन्य] अप्रकृत पदार्थ के ज्ञान से किये गये व्यवधान से रहित होने पर विलम्ब से अर्थप्रतीति कराने वाला होना ही क्लिष्ट दोष का स्वरूप है।

टि०—जैसे एक दशरथ पद से राजा दशरथ रूप प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है वैसे ही उपर्युक्त 'पङ्क्तिविहङ्गमनामभृत्' इस पद से भी इसी दशरथ रूप अर्थ का बोध हो रहा है। इन शब्दों से इस अर्थ के अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार इस दोष में किसी क्लिष्ट पद से

---

१. अतिरिक्त पाठ त; ज अ में नहीं
२. त;...विदो यथा ज अ
३. त; तदर्थोऽपि ज अ
४. ज अ; सति विलम्बितपदार्थं त
५. ज अ; लक्षणम् त

निहतार्थे अतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तम् न चाप्रयुक्ते अतिव्याप्तिशङ्का तत्र पदार्थप्रतीतौ विलम्बाभावात्। पदार्थत्वञ्च भिन्नवाक्यतापन्नत्वं तेन सङ्कीर्णे नातिव्याप्तिः।

यथा—

मध्यगतगोत्रसारो यस्या वनमेव मध्यगतसवर्णम्।
तद्धारकस्त दुहितुः पायाद् वो मध्यमः सरणः।। १४७ ।।

दूसरे अर्थ की प्रतीति न होकर विलम्ब से एक ही अर्थ की प्रतीति होती है। निहतार्थ दोष में भी क्लिष्ट दोष की ही तरह विलम्ब से अर्थप्रतीति होती है किन्तु वहाँ पद का प्रयोग प्रसिद्ध अर्थ में किया होता है किन्तु उसके साथ साथ विरोधी प्रसिद्ध अर्थ का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार इन दोनों दोषों में विलम्ब से अर्थप्रतीति होने की समानता तो है किन्तु क्लिष्ट में एक अर्थ का विलम्ब से ज्ञान होता है और निहतार्थ में प्रसिद्ध अर्थ का पहले ज्ञान होकर कवि के अभीष्ट प्रसिद्ध अर्थ का विलम्ब से ज्ञान होता है। यही इन दोनो में भेद है।

निहतार्थ दोष में [इस क्लिष्ट दोष की] अतिव्याप्ति न हो इसलिए यहाँ लक्षण में सति पर्यन्त विशेषण रखा है।

टि०—एकपदप्रतिपाद्यप्रकृतपदार्थज्ञानाननुगुणापरपदार्थज्ञानकृतव्यवधानराहित्ये सति यह] विशेषण क्लिष्ट दोष को निहतार्थ दोष से अलग कराता है यदि विलम्बितार्थप्रतीतिजनकत्वं क्लिष्टत्वम् इतना ही लक्षण रखा जाये तो इसकी निहतार्थ में अतिव्याप्ति हो जाती है।

और न ही इस दोष की अप्रयुक्त [असम्मत] दोष में अतिव्याप्ति की शङ्का करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पदार्थ की प्रतीति में विलम्ब का अभाव होता है [अर्थात् वहाँ देर से अर्थ की प्रतीति नहीं होती है]।

[एक पदप्रतिपाद्यप्रकृतपदार्थज्ञानाननुगुण० इत्यादि क्लिष्ट दोष के लक्षण में आये हुए पदार्थ पद के] पदार्थ [शब्द और उसके अर्थ] की भिन्नवाक्यता अर्थात् एक वाक्य में स्थिति होनी चाहिए यही नियम है इस कारण इस दोष की सङ्कीर्ण दोष में अतिव्याप्ति नहीं होगी।

टि०—सङ्कीर्ण दोष में एक वाक्य के पद, पदार्थ दूसरे वाक्य में चले जाते हैं किन्तु क्लिष्ट दोष में एक ही वाक्य होता है। यही दोनों में भेद हैं। दोनों में ही विलम्बेनार्थप्रतीति रूप साम्य है।

[उदाहरण] जैसे—

इस सागर में सार शब्द के मध्य में गकार रखा हुआ है अथवा जिसके मध्य में उत्कृष्ट और ठोस पहाड़ रहते हैं ऐसा वह सागर [समुद्र] जिसपृथिवी की बीच [कटिप्रदेश] में लपेटी हुई सुन्दर हरे रङ्ग की उत्तम [रेशमी] साड़ी है, ऐसे उस समुद्र को धारण करने वाले [हिमालय] की पुत्री के मँझली बार अर्थात् दूसरी बार के पति शिव आपकी रक्षा करें ॥१४७॥

अस्यार्थः—मध्ये गतः गकारः स मध्यगतगः । एतादृशः सारः सागर इत्यःर्थ । स यस्याः पृथिव्याः मध्यगतसवर्णं वनवसनम् इत्यर्थः । तद्धारको हिमान्नलस्तस्य दुहितुः मध्यमः सरणः रमण इत्यर्थः स पायात् ।

दूषकताबीजं चात्र तात्पर्यविषयीभूतार्थप्रत्ययविलम्बः । केचितु व्यवहितपदार्थप्रतीति[1]साधनत्वं क्लिष्टत्व[2] मित्याहुस्तन्न, निहतार्थे अति व्याप्तेः ।

इस [श्लोक में प्रयुक्त पदों] का अर्थ इस प्रकार है—जिसके बीच में गकार स्थित है वह हुआ मध्यगतग इस प्रकार का सार शब्द सागर [सा+ग+र] बन जाता है । वह सागर जिस पृथिवी का बीच में लपेटा हुआ सुन्दरवस्त्र है यह अर्थ हो जाता है । उसको धारण करने वाला जो हिमालय है उसकी पुत्री अर्थात् पार्वती का मँझला—बीच का दूसरे जन्म का सरण=रमण [पति यह अर्थ है] । वह शिव आपकी रक्षा करें ।

टि०—यहाँ प्रयुक्त मध्यगतगोत्रसारः, वनं, यस्याः तद्धारकस्य दुहितुः, मध्यमः और सरणः यह सभी क्लिष्ट हैं क्योंकि इन शब्दों का अर्थ बहुत विलम्ब से प्रतीत हो रहा है । साथ ही इनसे प्रतीत होने वाले पदों का अर्थ पुराण आदि की पृष्ठभूमि के होने पर ही बड़ी कठिनाई से ज्ञात होता है । यहाँ शिव जी को मध्यमः सरणः कहा है । इसका अर्थ है मँझला पति । पुराणों में इस प्रकार की कथा मिलती है कि पहले जन्म में शिव जी की पत्नी का नाम भवानी था । और इनके पिता दक्ष प्रजापति थे जब इनके पिता ने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया तो आत्मदाह करने पर वह सती कहलाईं । दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और पार्वती कहलाईं । यह पार्वती एक बार प्रणयकोप के कारण अन्तर्हित हुईं और फिर तीसरी बार पुनः शिव को प्राप्त हुईं और उमा कहलाईं । प्रस्तुत श्लोक में पार्वती को दूसरे जन्म में मिलने वाले शिव की ओर सङ्केत है ।

और यहाँ तात्पर्य के विषय बनने वाले अर्थात् प्रधानभूत शिव रूप अभीष्टार्थ के ज्ञान में देर होना ही इस दोष का कारण है ।

कुछ विद्वान् तो देर से अथवा रुकावट से प्रतीत होने वाले शब्दार्थ के ज्ञान का कारण होना ही क्लिष्टत्व है ऐसा कहते हैं यह लक्षण ठीक नहीं है क्योंकि इससे क्लिष्ट दोष की निहतार्थ में अतिव्याप्ति हो जायेगी ।

टि०—यदि विलम्ब से पदार्थ की प्रतीति होना क्लिष्ट दोष की विशेषता मानी जाय तो इस दोष की निहतार्थ दोष से पृथक्ता नहीं हो पायेगी क्योंकि निहतार्थ दोष में जब उभयार्थक पद का प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी व्यवधान से अर्थप्रतीति होती है ।

---

१. ज अ; पदार्थसाधनत्वं त

२. ज अ; क्लिष्टत्वमाहुः त

समासेन गुणीभूतं विधेयं यत्र जायते ।। ९६ ।।
अविमृष्टविधेयांशं प्राहुर्दोषं मनीषिणः ।

वस्तुतस्तु प्रधानतया विवक्षितस्य प्राधान्यप्रत्यायकत्वराहित्यं तत्त्वम् यथा—

किं लोभेन विलङ्घितो स भरतो येनैतदेवं कृतं
मात्रा स्त्रीलघुतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा ।
मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु
र्माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ।। १४८ ।।

अत्रार्यस्यानु[1]जस्तातस्य कलत्रमित्यपेक्षितम् । ननु तातकलत्रमित्यत्र

---

१५. अविमृष्टविधेयांश—जहाँ समास के कारण विधेय गुणीभूत हो जाता है ।।९६।।

वहाँ पर विद्वान् लोग अविमृष्टविधेयांश दोष बतलाते हैं ।

वास्तव में तो प्रधान रूप में विवक्षितार्थ की प्रधानता की बोधकता का अभाव ही अविमृष्टविधेयांश दोष का लक्षण है ।

टि०—जहाँ विधेयांश के प्राधान्य और अप्राधान्य का ठीक तरह से विचार नहीं किया जाता वहाँ यह दोष होता है काव्यप्रकाश (७,५०-५१) में इसको इस प्रकार समझाया है—अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्टो विधेयांशो यत्र तत् (अविमृष्ट-विधेयांशं दुष्टम्) ।

जैसे—

[राम को वन जाने की आज्ञा किस कारण दी गई है ? इस विषय में तर्क वितर्क करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं—] क्या [विनयी और राम के प्रति भक्ति रखने वाला] वह भरत [राज्य के] लोभ में पड़ गया है ? जिससे [राम को वनवास देना रूप] यह कार्य [माता कैकेयी के द्वारा] किया गया [अथवा करवाया गया] अथवा क्या मेरी मँझली माता [कैकेयी] ही स्त्री की [स्वाभाविक] क्षुद्रता पर पहुँच गई [और उसने स्वयं यह कार्य किया] ? नहीं मेरी सोची हुई ये दोनों बातें मिथ्या हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई [गुरु भरत] आर्य रामचन्द्र के अनुज ठहरे [वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते] और माता जी [दशरथ सरीखे मेरे] पिता की पत्नी हैं [वे भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकतीं] । इसलिए मैं समझता हूँ कि यह [अनुचित कार्य इन लोगों ने नहीं किया अपितु] विधाता ने ही किया है ।।१४८।।

यहाँ [आर्यानुजः के स्थान पर] आर्यस्यानुजः और [तातकलत्रम्] के स्थान पर] तातस्य कलत्रम् का प्रयोग होना चाहिए ।

टि०—'आर्यानुजः इस पाठ में आर्य की गौणता तथा अनुज की प्रधानता ज्ञात हो रही है क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तरपद की प्रधानता मानी जाती है परन्तु यहाँ आर्यस्य (मर्यादापुरुषोत्तमस्य त्यागैकवीरस्य रामस्य) इस पद की प्रधानता

१. ज; अत्राप्यार्यस्य अ; अत्रार्यानुजः त

तातसम्बन्धस्य कलत्रविशेषण[1]विशेषणं तावत् कलत्रं तातस्येत्यत्रापि तथैव बोधः।

प्रथमान्तपदोपस्थाप्यातिरिक्तस्य सर्वस्यैव विशेषणतया अन्वयस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्कथमेवमिति[2],

विवक्षित है। तातकलत्रम् में भी उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः इस नियम से कलत्र की प्रधानता द्योतित हो रही है किन्तु यहाँ तातस्य (प्राण जाय पर वचन न जाई इस सिद्धान्त को मानने वाले प्रतिज्ञापरायण दशरथ की) इस पद की प्रधानता अपेक्षित है। अतएव यहाँ पर भी तातकलत्रम् ऐसा प्रयोग न करके तातस्य कलत्रम् इस रूप में असमस्त पद रखने चाहिएँ। इस कारण यहाँ पर समासगत अविमृष्टविधेयांश दोष है।

तातकलत्रम् [तातस्य कलत्रम्] इस प्रयोग में तातपदोत्तर षष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध रूप अर्थ [विशेष्यभूत] कलत्र के विशेषण तात का विशेषण ही है इस कारण कलत्रं तातस्य यह पाठ करने पर भी वैसा ही शाब्दबोध होता है जैसा तातकलत्रम् पद से होता है।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि तातलकलत्रम् और कलत्रं तातस्य इन दोनों प्रयोगों के अर्थों में कोई अन्तर नहीं है। दोनों में ही कलत्र की प्रधानता और तातस्य की अप्रधानता द्योतित हो रही है। तातकलत्रम् (तातस्य कलत्रम्) इस पद में षष्ठीतत्पुरुष समास है इसमें पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य है कलत्रं तातस्य करने पर भी यह विशेषणविशेष्यभाव समाप्त नहीं होगा अत एव तातस्य की गौणता और कलत्रम् की प्रधानता बने रहने के कारण विधेयाविमर्श दोष बना ही रहेगा। अपने इस कथन की पुष्टि के लिए व्युत्पत्तिवाद की 'प्रथमान्तपदोपस्थाप्यातिरिक्तस्य सर्वस्यैव विशेषणत्वम्' इस व्युत्पत्ति को पूर्वपक्षी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

[व्युत्पत्तिवाद का नियम यह है—] प्रथमाविभक्त्यन्तपद से प्रतिपाद्य प्रयोग के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों से प्रतिपाद्य प्रयोगों के भीतर विशेषण रूप से अन्वय का होना व्युत्पत्तिसिद्ध [युक्तियुक्त अथवा नियमानुकूल] होता है इस कारण कलत्रं तातस्य यह पाठ कर देने से इस प्रकार के विधेयाविमर्श दोष का परिहार कैसे हो सकता है? यदि ऐसा पूर्वपक्षी की ओर से कहा जाय [तो ग्रन्थकार आगे उत्तर देते हैं]।

टि०—कृष्णाश्रितः (कृष्णं श्रितः) चौरभयम् (चौराद् भयम्) तातकलत्रम् (तातस्य कलत्रम्) इत्यादि तत्पुरुषसमास के प्रयोगों में श्रितः, भयम् और कलत्रम् प्रथमान्तपद हैं। इस कारण प्रथमान्तपदो० इत्यादि इस नियम से यह विशेष्य

१. ज अ; कलत्रविशेषण त में नहीं

२. ज अ;...सिद्धत्वादिति त।

उच्यते। न हि विशेष्य[1]त्वमात्रेण विधेयत्वम्। पर्वतो वह्निमानित्यादौ विशेषणस्यैव वह्न्यादे[2]र्विधेयत्वानवगमात् नापि विशेषणत्वमात्रेण। वह्निः पर्वताधेय इत्यत्र पर्वतादे र्विधेयत्वानवगमात्[3] किन्तु विधेयत्वमनूद्यत्वं च विषयता[4]विशेषः। विधेयत्वबोधनसमर्थं चासमस्तमेव तत् न तु समस्तम्।

असमस्तमपि अनुवाद्योपस्थापकपदान्तरोच्चरितमेव अतएव न्य-

माने जायेंगे और कृष्णम्, चौरात् और तातस्य पद प्रथमा विभक्ति से भिन्न विभक्ति वाले होने से विशेषण हैं इस कारण श्रितः, भयम् और कलत्रम् पदों की प्रधानता और कृष्णम्, चौराद् और तातस्य पदों की गौणता सिद्ध हो जाती है। जैसा यह विशेषणविशेष्यभाव तातकलत्रम् इन समस्त पदों में है वैसा ही तातस्य कलत्रम् इन व्यस्त पदों में भी बना रहता है। इस प्रकार समास तोड़कर रखने पर भी यहाँ विधेयाविमर्श दोष बना ही रहेगा। सामान्यतः विशेषण गौण होता है और विशेष्य प्रधान होता है तातकलत्रम् पद में पड़ा हुआ तात पद तातस्य कर देने पर भी विशेषण होने के कारण अप्रधान ही बना रहेगा।

हमारी [पूर्वपक्षी की इस शङ्का के उत्तर में सिद्धान्ती की] ओर से यह कहना है—केवल विशेष्य ही बन जाने से विधेयता नहीं होती क्योंकि पर्वतो वह्निमान् [पर्वत अग्नि वाला है] इत्यादि प्रयोगों में विशेषणभूत ही वह्न्यादि का विधेय के रूप में ज्ञान होता है [विशेष्यभूत पर्वत का नहीं] और केवल विशेषण बन जाने से भी विधेयता नहीं होती है। वह्निः पर्वताधेयः [वह्नि पर्वत का आधेय है और यह अपने आधार पर्वत में रहती है] यहाँ पर पर्वतादि की विधेयता की प्रतीति नहीं होती [यद्यपि पर्वत यहाँ वह्नि का विशेषण है किन्तु] यहाँ आधेय ही विधेय है। परन्तु यह उद्‌देश्यता और विधेयता विषयविशेष अर्थात् प्रयोगविशेष पर आश्रित हुआ करती है। [इसलिए यह नियम बनाया जा सकता है कि विशेषण को उद्देश्य माना जाय, विशेष्य को विधेय माना जाय और फिर उनमें गौणप्रधान-भाव माना जाय]। [तातकलत्रम् इत्यादि प्रयोगों में] समासरहित पद ही इस विधे-यता का बोध कराने में समर्थ होता है समस्त अर्थात् समासयुक्त पद में यह सामर्थ्य नहीं होता।

और समासरहित पद भी [विधेयातिरिक्त] उद्देश्य के बोधक किसी दूसरे पद के अनन्तर उच्चरित होने पर ही विधेय को बताने में समर्थ होता है। इसी उद्देश्यविधेयवाचक दोनों पदों के उच्चारण के नियम के कारण ही न्यक्कारो

---

१. ज अ; विशेष्यमात्रेण त।

२. ज अ; वह्न्यादेर् ज में परित्यक्त।

३. ज अ; नापि...अनवगमात् त में परित्यक्त।

४. ज अ; विषयतया त।

क्कारो ह्ययमेवेत्यत्राविमृष्टविधेयांशता तथैव शब्दस्य स्वाभाव्यादिति दिक् ।

ह्ययमेव० इत्यादि श्लोक में ह्ययमेव मे न्यक्कारः न करने अर्थात् उद्देश्य के बाद विधेय का प्रयोग न करने से वाक्य में अविमृष्टविधेयांश नामक दोष रहता है। जैसे इस श्लोक में वाक्यगत विधेयाविमर्श दोष है वैसे ही 'तातकलत्रम्' में पदगत विधेयाविमर्श दोष का होना स्वाभाविक है। सङ्केतरूप में इतना ही कहना पर्याप्त है।

टि०—तातस्य कलत्रम् में उद्देश्य और विधेय के पौर्वापर्यविपर्यय के कारण वाक्यगतविधेयाविमर्श दोष होता है। तातकलत्रम् के स्थान पर तातस्य कलत्रम् रख देने से यद्यपि समासगत दोष हट जाता है किन्तु वाक्यगत दोष वैसा ही वना रहता है। अतएव कलत्रं तातस्य यही पाठ यहाँ होना चाहिए। इस प्रकार समास में विधेय भाग को रख देने से जब उस विधेय की प्रधानता नष्ट हो जाती है तव असमर्थसमास नामक गलत समास करने से विधेयाविमर्श दोष होता है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य और विधेय का ठीक क्रम से प्रयोग न करने पर भी यह दोष होता है। उद्देश्य का पहले प्रयोग होता है और विधेय का वाद में किया जाता है यह नियम बना हुआ है—

अनुवाद्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत् ।
न ह्यलब्धास्पदं किञ्चित्कुत्रचित् प्रतितिष्ठति ॥

उद्देश्य को बिना कहे विधेय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपने योग्य स्थान पाये बिना कोई भी वस्तु कहीं भी अच्छे रूप में प्रतिष्ठित नहीं होती है। इस नियम के अनुसार पहले उद्देश्य का प्रयोग करना चाहिए और तदनन्तर विधेय को रखना चाहिए। विधेय का पहले तथा उद्देश्य का बाद में कथन करने से विधेय की प्रधानता नष्ट हो जाती है। इस क्रम को तोड़कर उद्देश्य विधेय को आगे पीछे रख देने से वाक्य में यह दोष हो जाता है—

अनुवाद्यविधेयांशावुक्तौ स्यातां विपर्ययेण यदा ।
अविमृष्टविधेयांशो भवति तदानीं तु वाक्यगतः ॥

काव्यप्रकाश (७,१८३) तथा साहित्यदर्पण (१,२ वृत्तिभाग) में पूरा श्लोक इस प्रकार मिलता है—

न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः ।
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः ।
धिग् धिक् शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥

संसार में मेरे शत्रु हों यही मेरा बड़ा भारी अपमान है उन शत्रुओं में भी यह साधु मेरा विरोधी हो यह और भी मेरे लिए तौहीन की बात है। वह भी

यथा वा—

मूर्ध्नामुद्वृत्तकृत्ताविरलगलद्रक्तसंसक्तधारा-
धौतेशाङ्घ्रिप्रसादोपनतजयजगज्जातमिथ्यामहिम्नाम्।
कैलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सर्पिदर्पोद्धुराणां
दोष्णां चैषां किमेतत्फलमिह नगरीरक्षणेऽपि[1] प्रयासः ॥१४६॥

यहाँ लङ्का में ही है और यहाँ रहकर राक्षसकुल का नाश कर रहा है यह सब देखकर भी रावण जी रहा है यह आश्चर्य की बात है। इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद को धिक्कार है। कुम्भकर्ण को जगाने का भी क्या लाभ हुआ? स्वर्ग रूपी गाँवड़ी को लूटकर व्यर्थ गर्व से फूली हुई मेरी इन भुजाओं का क्या फल है?

यहाँ अयम् उद्देश्य और न्यक्कारः विधेय है। पहले उद्देश्य का प्रयोग होना चाहिए तदनन्तर विधेय का। इसलिए अयमेव हि मे न्यक्कारः' ऐसा प्रयोग करना चाहिए था। इस कारण प्रथम चरण में वाक्यगत अविमृष्टविधेयांश दोष है। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में उच्छूनैः उद्देश्य है और वृथा विधेय है। इसलिए वृथा पद को समास में न रखकर उसे वहाँ से बाहर रखना चाहिए। स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनोच्छूनैः (इदानीं) वृथा (भूतैः) एभिः भुजैः किम्' इस प्रकार का क्रम होना चाहिए। चतुर्थ चरण में उद्देश्य और विधेय के क्रम में परिवर्तन होने से शब्दरचना उल्टी हो गई है। इस कारण अर्थ भी कुछ उल्टा हो जाता है। स्वर्गरूपी गाँवड़ी के लूटने से व्यर्थ फूली हुई इन भुजाओं से क्या लाभ? जब भुजायें पहले ही व्यर्थ फूल गई थीं तो अब पश्चाताप करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वास्तव में यहाँ आशय यह है कि पहले स्वर्ग को एक गाँव की तरह अनायास लूटने वाली किन्तु इस समय व्यर्थ सिद्ध होने वाली—पूर्वं स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनेनोच्छूनैः इदानीं वृथा (भूतैः) एभिः भुजैः—इन भुजाओं से क्या लाभ? किन्तु यह अर्थ तभी निकल सकता है जब वृथा पद को समास से बाहर रखा जाय।

अथवा जैसे—

औद्धत्यपूर्वक निरन्तर काटे गये [एक के बाद दूसरे] गले से बहती हुई अविच्छिन्न रक्तधारा से धोये हुए शिव जी के चरणों की कृपा से प्राप्त विजय [के वरदान] से संसार में मिथ्या महत्त्व को प्राप्त हुए मेरे इन [दस] सिरों का और कैलास को उठाने की इच्छा के आवेश के सूचक उत्कृष्ट अभिमान से विजयगर्वित मेरी इन भुजाओं का क्या यही फल है? कि इस नगरी की रक्षा में भी [मुझे] प्रयास करना पड़े ॥१४६॥

टि०—यह हनुमन्नाटक के आठवें अङ्क का श्लोक है। जब श्रीरामचन्द्र की सेना द्वारा लङ्का का घेरा डाल दिया गया तो मन्त्री आदि वरिष्ठ लोगों के द्वारा रावण को नगरी की रक्षा करने का प्रयास करने के लिए परामर्श दिया गया उस

---

१. ज; अ ··· यत् त

अत्र महिम्नां मिथ्यात्वं नानुवाद्यमपितु विधेयम्। अन्यथा तदैव मिथ्यामहिमत्वं जातं तदा इदानीं नगरीरक्षणे प्रयासो नानुचितः। यदि विधेयं स्यात्तदा तादृशेनापि कर्मणा यन्महत्त्वं तदाभूत्तदिदानीं मिथ्या बभूव यतः स्वनगरीरक्षणेऽप्यसामर्थ्यमिति प्रतीतिः सिध्यति। तच्च मिथ्यात्वं

समय रावण की ओर से यह श्लोक कहा गया है। काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास (श्लोक सं० १५६) में भी यह श्लोक अविमृष्टविधेयांश दोष के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।

यहाँ [मिथ्यामहिम्नां पद के स्थान पर प्रयुक्त होने योग्य] महिम्नां मिथ्यात्वम् महिमाओं का मिथ्यापन उद्देश्य नहीं है अपितु विधेय है [इसलिए उसकी प्रधानता की रक्षा के लिए उसे समास में नहीं डालना चाहिए था समास में होने पर उसकी प्रधानता नष्ट हो जाने से अविमृष्टविधेयांश दोष हो गया है]।

टि०—रावण की इस उक्ति से लज्जा, क्षोभ और क्रोध की अभिव्यञ्जना हो रही है। उसका कहना है कि महादेव जी के चरणों में काट काट कर चढ़ाये हुए मेरे सिरों की पहले बहुत बड़ी महिमा (शक्ति) प्रकट हुई थी। मेरे इस अद्भुत कार्य से संसार में वड़ा भारी यश हुआ था और शिव जी से मुझे विजय का वरदान मिला था किन्तु आज मुझे एक छोटे तपस्वी राम से भी लङ्का नाम की अपनी नगरी की रक्षा करने का जो प्रयास (चिन्ता या यत्न) करना पड़ रहा है इससे वह मेरी पूर्वार्जित कीर्ति और वह वरदानजन्य सामर्थ्य आज झूठा पड़ गया है। पहले प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा और कीर्ति आज धूल में मिल गई है। यह सब मेरे तिरस्कार का कारण है। परन्तु इस श्लोक में धौतेशाङ्घ्रि ··· मिथ्यामहिम्नाम् मूर्ध्नाम् इस रूप में जैसी पदावली है इससे इस प्रकार के अर्थ की अभिव्यक्ति न होकर एतद्विपरीत अर्थ की प्रतीति हो रही है। अपने कटे सिरों से शिव जी के चरणों के धोने से उत्पन्न विजय के वरदान की झूठी महिमा वाली भुजाओं का क्या यही फल है? इस कथन से तो यही तात्पर्य निकलता है कि विजय के वरदान की झूठी महिमा थी। जब पहले ही यह महिमा झूठी थी तो तापस से नगरी को बचाने में असमर्थ हो जाने पर खेद प्रकट करने की आवश्यकता ही नही रह जाती।

नहीं तो जब उसी समय ही मिथ्या महिमा हुई तो अब नगरीरक्षण में प्रयास अनुचित नहीं है अर्थात् जब शिवजी के वरदान से मुझ रावण की शक्ति [पहले] नहीं बढ़ी तो अब मुझे नगरी की रक्षा करने का प्रयास कर लेना चाहिए [वस्तुतः आशय इससे उल्टा है—मुझ जैसे पराक्रमी रावण को तो नगरीरक्षण जैसे इस छोटे कार्य की चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी] यदि यहाँ [महिम्नां मिथ्यात्वम् इस रूप में] विधेय माना जाय तो उस जैसे [अपने सिरों को काटकर शिवजी के चरणों में भेंट करने रूप] कर्म से भी जो गौरव उस समय हुआ था वह इस समय मिथ्या हो गया है क्योंकि अपनी नगरी के रक्षण में भी सामर्थ्य नहीं है यह प्रतीति सिद्ध हो जाती है। और वह मिथ्यात्व [मिथ्यामहिम्नां मूर्ध्नाम् इस] बहुव्रीहि-

बहुव्रीहावन्यपदार्थप्राधान्येन गुणीभूतमित्यविमृष्टविधेयांशता । अयमाशयः । उद्देश्यं च विधेयं च यदि पृथक् पदाभ्यामुपतिष्ठते तदा प्राप्तमुद्दिश्याप्राप्तं विधीयते । पर्वतो वह्निमानितिवत् । न तु समासे अन्यथा वह्निमत्पर्वत इत्यपि स्यात् । दूषकताबीजं चात्र प्रधानतया कवितात्पर्यविषयीभूतस्य प्राधान्याप्रतीतिः स्वर्णमपहाय वाससि बद्धो ग्रन्थिरिव न्यायमनुहरतीति ध्येयम् ।

अनूद्यविधेयभावसंसर्गश्च विशेषणविशेष्यभाव इवापदार्थोऽपि वाक्यार्थप्रतीतौ भासते इति तात्पर्यम् ।

समास में अन्यपदार्थ की प्रधानता होने से गुणीभूत अर्थात् गौण हो गया है इस कारण यहाँ अविमृष्टविधेयांश दोष आ गया है । इसका यह अभिप्राय है—उद्देश्य और विधेय यदि पृथक् पदों से उपस्थित होते हैं तो उस समय जो प्रकरणप्राप्त सिद्ध अर्थ है उसको उद्देश्य बनाकर अप्राप्त [जो प्रकरणप्राप्त अर्थ नहीं है अतएव साध्य अर्थ है उसको] विधेय बनाया जाता है। पर्वतो वह्निमान् इस वाक्य की भाँति उद्देश्य और विधेय का वाक्य में विशिष्ट स्थान रहा करता है ।

टि०—पर्वतो वह्निमान् इस वाक्य में पर्वत को उद्देश्य बनाकर वह्नि को विधेय बनाया जाता है । प्राप्त [पूर्वसिद्ध] धूम से अप्राप्त [साध्य] वह्नि की अनुमान द्वारा प्रतीति होती है ।

किन्तु समास में यह गौणप्रधान अथवा उद्देश्य और विधेय का नियम नहीं रह पाता । [समास होने पर इस नियम में क्षति आ जाती है] नहीं तो वह्निमत्पर्वतः इस प्रकार का भी प्रयोग हो जाना चाहिए ।

टि०— लोक में वह्निमत्पर्वतः जैसे प्रयोग होते नहीं हैं क्योंकि इनमें गौणप्रधानभाव का विपर्यय हो जाता है । वस्तुतः पर्वत उद्देश्य है वह पूर्वसिद्ध ऐसा आधार है जिसमें धुएँ को देखकर अनुमाता साध्य वह्नि का अनुमान करते हैं । अतः वह्नि विधेय है । किन्तु वह्निमत्पर्वतः में वह्निरस्यास्मिन् वाऽस्ति इति वह्निमान्, वह्निमांश्चासौ पर्वत इति वह्निमत्पर्वतः इस रूप में कर्मधारय समास होने से वह्नि की प्रधानता न होकर दूसरे पदार्थ पर्वत की प्रधानता हो जाती है ।

और इसमें कवि के तात्पर्य के विषय बनने वाले [प्रधान] अर्थ की प्रधानता की प्रतीति का न होना ही अविमृष्टविधेयांश दोष का कारण है इस तरह [प्रधान को अप्रधान और अप्रधान को प्रधान रूप में रखने] का कार्य वस्त्र में बाँधे हुए सोने को बाहर फेंककर उसी कपड़े में बाँधी हुई खाली गाँठ के समान निष्फल कार्य को करने के रिवाज से मिलता जुलता है, ऐसा समझना चाहिए ।

और उद्देश्यविधेयभाव रूप सम्बन्ध विशेषणविशेष्यभाव रूप सम्बन्ध की तरह शब्दों का अर्थ न होता हुआ भी वाक्य के अर्थ की प्रतीति होने के समय में भी ज्ञात हो रहा होता है यह अभिप्राय है ।

टि०—अनूद्य अथवा अनुवाद्य का अर्थ उद्देश्य होता है । पूर्वसिद्ध वस्तु

यत्राप्राकृतबोधेन प्रकृतस्य विरोधिता ॥९७॥
विरुद्धमतिकृत् तत्स्यात्सर्वकाव्येषु दूषकम् ।

प्रकृतप्रतीतिप्रतिबन्धकाप्रकृतप्रतीतिजनकत्वमिति निर्गलितोऽर्थः । न च निहतार्थे अतिव्याप्तिरिति वाच्यम्[1] । तत्र विलम्बाविलम्बेनोभयार्थ-प्रतीतेः, न चात्र तथा ।

पूर्वार्थप्रतिपन्थी यस्यार्थः स्पष्ट एव सम्भवति ।
विपरीतकल्पनं तद् भवति पदमकार्यमित्रमिव ॥

अनुवाद्य, अथवा अनूद्य कही जाती है। जैसे कृष्णः सर्पो गच्छति इस वाक्य में कृष्ण शब्द का अर्थ काला और सर्प शब्द का अर्थ साँप है किन्तु इन दोनों पदों में प्रतीत होने वाला विशेषणविशेष्यभाव रूप सम्बन्ध किसी पद का अर्थ नहीं है वैसे ही देवदत्तो ग्रामं गच्छति इस वाक्य में देवदत्त का अर्थ देवदत्त नामक पुरुष और ग्राम का अर्थ गाँव रूप स्थानविशेष है और गच्छति का अर्थ गमन रूप विशेष प्रकार की क्रिया है किन्तु इन तीनों पदों में देवदत्त और ग्राम इन उद्देश्यों का गच्छति रूप विधेय के साथ जो उद्देश्यविधेयभाव रूप सम्बन्ध प्रतीत हो रहा है वह इनमें से किसी पद का अर्थ नहीं है ।

१६ विरुद्धमतिकृत्—जहाँ अप्रस्तुत पदार्थ के ज्ञान से प्रस्तुत पदार्थ के ज्ञान में विरोध आता है ॥९७॥ वहाँ विरुद्धमतिकृत् नामक दोष होता है और यह दोष सारे काव्यों में लागू होता है [अर्थात् सब जगह दोष रूप में ही विद्यमान होने से यह नित्यदोष समझा जाता है] ।

प्रस्तुतार्थ के ज्ञान में बाधा पहुँचाने वाली अप्रस्तुतार्थ की प्रतीति का उत्पादक विरुद्धमतिकृत् दोष है यह इस दोष का पर्यवसित [परिनिष्ठित] या सार-भूत लक्षण है। और प्रकृतप्रतीति० इत्यादि इस लक्षण की निहतार्थ में अति-व्याप्ति हो जायेगी यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहाँ [निहतार्थ दोष में] प्रकृत [प्रसिद्ध] अर्थ की विलम्ब से और अप्रकृत [अप्रसिद्ध] अर्थ की अविलम्ब [शीघ्रता] से प्रतीति होती है किन्तु इस विरुद्धमतिकृत् दोष में वैसा नहीं होता [अर्थात् इसमें दोनों अर्थों की अविलम्ब प्रतीति हो जाती है। और इस निहतार्थ दोष में प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अर्थों में किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ करता। जैसे अकार्यमित्र पद है

जिस पद का अर्थ पहले अभीष्ट अर्थ से स्पष्टतः विरुद्ध हो वह विपरीत-कल्पन [विरुद्धमतिकृत्] नामक पददोष होता है । जैसे—अकार्यमित्रम् पद है ।

[इस पद का अभीष्ट अर्थ तो है विना किसी कार्य अर्थात् प्रयोजन के हितैषी—बन्धु किन्तु अर्थ निकलता है अकार्यों अर्थात् पाप, हिंसा आदि बुरे कार्यों में मित्र—सहायक] ।

---

१. ज अ; अतिव्याप्तिशङ्का त ।

इति रुद्रटोक्तेः। अतएव नागता परार्थे अतिव्याप्तिशङ्काऽपि। श्लेषे च नातिव्याप्तिगन्धोऽपि[1] उभयोरेव प्रकृतत्वात् उभयोरेवाप्रकृतत्वात् प्रतिबन्धकभावाभावाच्च। न च भद्रात्मन इत्याद्यभिधामूलध्वनौ प्रसङ्ग[2] इति वाच्यम्। तत्र प्रकृतप्रतीतिप्रतिबन्धकाप्रकृतप्रतीतेः सत्त्वात्। न च प्रकृताप्रतीतिजनकत्वमेव सम्यगिति वाच्यम्, अवाचकासमर्थयोरतिव्याप्तेः।

क्योंकि इस प्रकार की यह रुद्रट की [काव्यालङ्कार ६,१७] उक्ति है [इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विपरीतकल्पन दोष में दूसरा अर्थ पहले अर्थ का विरोधी होता है किन्तु निहतार्थ में इस प्रकार का विरोध नहीं दिखाई पड़ता है]। इसलिए यहाँ पर दूसरी [निहतार्थ दोष रूप] वस्तु में अतिव्याप्ति [अलक्ष्ये लक्षणवृत्तित्वम् अथवा लक्ष्यातिरिक्तविषयत्वमतिव्याप्तित्वम्] की शङ्का भी नहीं आती है। और श्लेषालङ्कार में इस लक्षण की अतिव्याप्ति अर्थात् उसमें लक्षण के सङ्क्रान्त हो जाने की गन्ध भी नहीं है क्योंकि श्लेषालङ्कार में या तो दोनों अर्थ प्रकृत होते हैं या दोनों अर्थ अप्रकृत होते हैं। विरुद्धमतिकृत् दोष में एक अर्थ प्रकृत होता है और दूसरा अप्रकृत और श्लेष में [दोनों अर्थों की स्वतन्त्र रूप से प्रतीति होने के कारण] बाध्यबाधकभाव का अभाव होता है [जबकि विरुद्धमतिकृत् के पहले और दूसरे अर्थ में बाध्यबाधकभाव बना रहता है।

और 'भद्रात्मनो दुरधिरोह० इत्यादि [काव्यप्रकाश २,१२] श्लोक में विद्यमान अभिधामूलध्वनि में विरुद्धमतिकृत् दोष का लक्षण चला जायेगा ऐसा नहीं कहना चाहिए।

टि०—भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसङ्ग्रहस्य।
यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्॥

काव्यप्रकाशान्तर्गत इस श्लोक में पहले राजपरक अर्थ अभिधा से प्रतीत होता है तदनन्तर हाथी वाला अर्थ और राजा के हाथ तथा हाथी की सूंड में उपमानोपमेयभाव व्यञ्जना से प्रतीत होता है।

क्योंकि इस विरुद्धमतिकृत् दोष में प्रकृतार्थ के ज्ञान के प्रतिबन्धक अप्रकृतार्थ के ज्ञान की सत्ता रहती है [जबकि इस अभिधामूलध्वनि में प्रकृत वाच्यार्थ का अप्रकृत व्यङ्ग्यार्थ बाधक नहीं बनता। इन दोनों अर्थों की स्वतन्त्र सत्ता रहती है पहले अभिधा से वाच्यार्थ का ज्ञान हो जाता है और फिर व्यञ्जना से व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञान होता है। इन दोनों अर्थों में गौणप्रधानभाव रहता है]।

और प्रकृतार्थ की प्रतीति का उत्पादक न होना ही विरुद्धमतिकृत् दोष का समुचित लक्षण है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऐसा मानने से अवाचक और असमर्थ दोषों में अतिव्याप्ति हो जाएगी [इनमें प्रकृतार्थप्रतीति नहीं होती]।

---

१. ज अ; श्लेषेण चातिव्याप्तिलेशोऽपि त।
२. ज; इत्याद्यभिधामूले ध्वनौ प्रसङ्ग अ; इत्यभिधामूलध्वनावतिव्याप्तिशङ्का त।

प्रतिपाद्यविरुद्धबोधजनकत्वं लक्षणमित्यन्ये। केचित्तु तात्पर्यविषयीभूतार्थप्रतीतिबन्धकीभूताशब्दार्थधीजनकत्वं तत्त्वम्। अनुचितार्थाश्लीलयोरर्थानां न परस्परं प्रतिबन्धकता। निहतार्थे च विलम्बेन प्रतिपत्तिरिति तेभ्यो भेद इत्याहुः[1]।

यथा—

रतस्त्वमेव भूपाल भूतलोपकृतौ कृती १५० ॥

अत्र भूतानां लोप इति प्रतीतिरिति[2] विरुद्धमतिकृत्।

यथा वा—

सुधाकरकराकारविशारदविचेष्टितः
अकार्यमित्रमेकोऽसौ तस्य किं वर्णयामहे ॥ १५१ ॥

अत्र कार्यं विना मित्रमिति विवक्षितम्। अकार्येषु मित्रमिति प्रतीयते

विवक्षितार्थ के विरुद्ध ज्ञान का जनक होना विरुद्धमतिकृत् दोष का लक्षण है इस प्रकार कुछ दूसरे आचार्य मानते हैं। और कुछ आचार्य 'तात्पर्य के विषयभूत अर्थात् वक्ता द्वारा प्रतिपाद्य प्रधान अर्थ के ज्ञान में बाधक होने वाले दूसरे अवाच्यार्थ के ज्ञान का कारण होना ही विरुद्धमतिकृत् दोष है, ऐसा कहते हैं। अनुचितार्थ अश्लील दोष में अर्थों का आपस में बाध्यबाधकभाव सम्बन्ध नहीं होता [जबकि विरुद्धमतिकृत् में इस प्रकार का सम्बन्ध होता है] और निहतार्थ में प्रकृत अर्थ की विलम्ब से प्रतीति होती है [किन्तु विरुद्धमतिकृत् में प्रकृतार्थ की प्रतीति विलम्ब के बिना होती है]। इस प्रकार निहतार्थ, और श्लेषादि से इस दोष का भेद है ऐसा आचार्य कहते हैं।

हे पृथिवीपालक राजन्! पुण्यात्मा आप ही इस वसुधा के लोगों का उपकार करने में लगे हुए हो ॥१५०॥

यहाँ पर प्राणियों को मारने में लगे हुए हो इस प्रकार की यह दूसरी विपरीत प्रतीति हो रही है इस कारण यहाँ विरुद्धमतिकृत् दोष है।

अथवा [दूसरा उदाहरण]—चन्द्रमा की किरणों के आकार के समान निर्मल [निर्दोष] व्यवहार वाला और अकारण [किसी स्वार्थ के बिना ही] सबका मित्र वह राजा एक ही [अद्वितीय] है उसका हम क्या वर्णन करें ॥१५१॥

यहाँ बिना कार्य के मित्र है [अर्थात् अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना यह निस्स्वार्थ भाव से मित्र है] यह अर्थ वक्ता के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है परन्तु बुरे कार्यों में सहायता देने वाला यह अर्थ भी अकार्यमित्रम् इस पद से प्रतीत हो रहा है [इस कारण विरुद्धबुद्धि पैदा करने के कारण यह पद विरुद्धमतिकृत् दोष से

---

१. ज अ; भेदादित्याहुः त।

२. ज अ; अत्र भूतानां लोप इति प्रतीतिः त।

समासावयवस्य नञो निन्दार्थत्वात् । तदुक्तम्—

तत्सादृश्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वं विरोधिता ।
अप्राशस्त्यमभावश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्तिताः ॥

यथा वा—

तव कण्ठासृजा सिक्ता करवाललता द्विषाम् ।
सूते समरारण्ये यशःकुसुमसंक्षयम्[1] ॥ १५२ ॥

दूषित है] । क्योंकि समास का अवयव बना हुआ नञ् निपात यहाँ निन्दापरक प्रयुक्त हुआ है ।

टि०—श्लोक में व्यवहृत 'अकार्यमित्रम्' पद में कवि ने नञ् का प्रयोग अभाव अर्थ में किया है । उसे अकार्य का अर्थ कार्याभाव अर्थात् विना काम—निस्स्वार्थ मित्र यह प्रशंसात्मक अर्थ अभीप्सित है किन्तु यहाँ 'अकार्यमित्र पद से नञ् के अप्राशस्त्य या तद्विरुद्धत्व अर्थ की प्रतीति हो रही है अकार्य का अर्थ सुकार्य का विरोधी दुष्कार्य (दुष्कर्म) अथवा अप्रशस्त कार्य ज्ञात हो रहा है । इसी उल्टे अर्थ के प्रतीत होने से यहाँ विरुद्धमतिकृत् दोष है ।

यह उदाहरण काव्यप्रकाश २, १६५ में भी दिया हुआ है ।

[नञ् के अर्थों के सम्बन्ध में] ऐसा कहा है—

उसके सदृश होना, उससे भिन्न होना, उससे अल्प होना, [उससे] विरोध होना, अशुभ और अभाव यह छह अर्थ नञ् के बताये हैं ।

टि०—तददोषौ शब्दार्थौ० काव्यप्रकाश के इस काव्यलक्षण की व्याख्या करते हुए वामनाचार्य झलकीकर ने [टिप्पणी २ पृ० १५] इस तत्सादृश्यम्० इत्यादि को इस प्रकार स्पष्ट किया है—

तत्सादृश्यं यथा—अब्राह्मणः ब्राह्मणसदृश इत्यर्थः । न हि अब्राह्मणमानय इत्युक्तौ लोष्टादिरानीयते । ...तदन्यत्वं यथा—अघटः पटः घटादन्य इत्यर्थः । तदल्पत्वं यथा—अनुदरा कन्या अल्पोदरीत्यर्थः कृशोदरीति यावत् । यथा वा-अलवणा यवागूः अल्पलवणेत्यर्थः । विरोधित्वं यथा-असुराः सुरविरोधिनो दैत्या इत्यर्थः । यथा वा-अधर्मः धर्मविरोधि पापमित्यर्थः अप्राशस्त्यं यथा—अकालाध्यायी अप्रशस्तकालाध्यायीत्यर्थः निषिद्धकालाध्यायीति यावत् अभावो यथा-घटो नास्ति । अत्र नञोऽत्यन्ताभावोऽर्थः । नञ् के इन अर्थों में से 'अकार्यमित्रम्' पद का अर्थ करते समय अभाव, तद्विरोधिता और अप्राशस्त्य ये तीन अर्थ लिए जा सकते हैं ।

अथवा और उदाहरण—

[हे राजन् !] शत्रुओं के गले के रुधिर [रूपी पानी] से सनी हुई तुम्हारी तलवार रूपी वेल सङ्ग्राम रूपी वन में यश रूपी पुष्पसमूह को उत्पन्न कर रही है ॥१५२॥

१. यथा वा...संक्षयम् त; ज अ में नहीं ।

दूषकताबीजं चात्र प्रकृतविरुद्धार्थमात्रप्रतीतिः। अतएव न प्रकाशितविरुद्धदूषकताबीजसाङ्कर्यं तत्र प्रकृतार्थस्यापि प्रतीतेरिति ध्येयम्। वस्तुतस्तु च्युतसंस्कृत्यसमर्थानुचितार्थनिरर्थकावाचकाश्लीलसन्दिग्धाप्रतीतक्लिष्टाविमृष्टविधेयांशविरुद्धमतिकृतां काव्याकाव्यसाधारणानां दूषणानां काव्ये विशेष्योपादानप्रयासबीजं नावधारयामः। सत्यनुशासनेऽपि[1] कवेरनादरणं कवेरनादरायैव[2] पर्यवस्यतीत्यप्रयुक्तमपि न दूषणम्। एवं निहतार्थमपि न

टि०—यहाँ ऊपर की पङ्क्ति का 'द्विषां कण्ठासृजा सिक्ता तव करवाललता' इस रूप में दूरान्वय करने पर ही अभिप्रेतार्थ की प्रतीति होती है किन्तु 'तव कण्ठासृजा सिक्ता द्विषां करवाललता' इस रूप में अन्वय स्वाभाविक रीति से सम्पन्न हो रहा है। सीधे ढंग से प्रतीत होने वाला यह अर्थ कवि के अभीप्सित अर्थ से उल्टा है। इससे राजा की निन्दा हो जाती है और उसके शत्रुओं की प्रशसा हो जाती है।

और इस [विरुद्धमतिकृत्] दोष का कारण प्रकृतार्थ के विरुद्ध अर्थ की प्रतीति का होना ही है। इसलिए प्रकाशितविरुद्ध दोष की दूषकता के कारण के साथ इसका साङ्कर्य [अतिव्याप्ति] नहीं है क्योंकि उस [प्रकाशितविरुद्ध] दोष में प्रकृतार्थ की भी प्रतीति होती है [जबकि विरुद्धमतिकृत् दोष में केवल अप्रकृत विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होती है] इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

वास्तव में तो च्युतसंस्कृति, असमर्थ अनुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, अश्लील, सन्दिग्ध, अप्रतीत क्लिष्ट, अविमृष्टविधेयांश और विरुद्धमतिकृत्—काव्य और तदितर व्याकरण, इतिहासादि ग्रन्थों में समान रूप से पाये जाने वाले इन दोषों का काव्य में मुख्य रूप से ग्रहण करने की चेष्टा करने का कोई कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं।

टि०—च्युतसंस्कृत्यादि दोष काव्यग्रन्थों में भी पाये जाते हैं और व्याकरणादि शास्त्रीय ग्रन्थों में भी। इसलिए इन का सम्बन्ध केवल काव्यग्रन्थों से ही होता है यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। इनकी स्थिति काव्य और काव्येतर इतिहासपुराणादि दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों में होने से ये केवल काव्यगत दोष नहीं हैं।

व्याकरण और कोश के [नियमों के] रहते हुए भी यदि कवि लोकव्यवहार की उपेक्षा करता है तो उसका यह कार्य उसके अपने ही असम्मान को उत्पन्न करता है पर वास्तव में ऐसे प्रयोग [व्याकरण और कोश सम्मत होने के कारण] भी अप्रयुक्त दोष से दूषित नहीं समझे जाते।

टि०—अमरकोश में बताया गया है—'वा पुंसि पद्मं नलिनम्' पद्म और नलिन शब्द पुल्लिङ्ग में विकल्प से होते हैं किन्तु लोकव्यवहार के अनुसार पद्म

१. ज अ; ऽपि त में परित्यक्त।
२. ज अ; कवेरनादरणमनादरायैव त।

दूषणं द्वित्रिक्षणविलम्बस्याकिञ्चित्करत्वात् ।

एवं ग्राम्यं कट्यादिपदं श्रोणीनितम्बादिपदमग्राम्यमित्यत्र[1] किं विनिगमकमित्युक्तौ विनिगमकस्य वक्तुमशक्यत्वात् । एवं नेयार्थमपि न दूषणं सर्वत्र लक्षणायां प्रयोजनवत्त्व[2] नियमासम्भवात्[3] । तेन रूपेण प्रतिपिपादयिषितस्य प्रयोजनस्य[4] वक्तुमशक्यत्वाच्च ।

शब्द नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त होता है। यदि लोकनियम की उपेक्षा करके कवि कोशनियम को दृष्टि में रखकर 'भाति पद्मः सरोवरे' जैसे प्रयोग करता है तो इससे कवि को अप्रयुक्त शब्दों के प्रयोग करने के दोष का भागी बनना पड़ता है और इससे उसके गौरव में कमी आ जाती है। किन्तु ऐसे प्रयोग व्याकरण और कोष संम्मत होते हुए भी अप्रयुक्तदोषदूषित हैं ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक विद्वान् जिसे अप्रयुक्त मानता है दूसरा उसे प्रयुक्त कह सकता है। 'भाति पद्मः सरोवरे' जैसे स्थलों में कोश की दृष्टि से तो 'पद्म' शब्द का पुल्लिङ्ग में प्रयोग ठीक हैं किन्तु लोकव्यवहार की दृष्टि से यह दोष है। वस्तुतः ऐसे स्थलों में दोषादोष का निर्णय असन्दिग्ध रूप से नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार निहतार्थ भी दोष नहीं है क्योंकि यदि प्रकृत अर्थ के ज्ञान में दो तीन क्षणों का विलम्ब होता है तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

टि०—निहतार्थ दोष कोई बड़ा काव्यदोष नहीं है। क्योंकि प्रकृत अर्थ का विलम्ब से प्रतीत होना दोष नहीं है वस्तु और अलङ्कार ध्वनि रूप अर्थ तो विलम्ब से ही प्रतीति होता है इसी कारण उन्हें संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहा जाता है किन्तु यदि रस की विलम्ब से प्रतीति होती हो तो दोष होता है। इस कारण इन दोषों की दूषकता सन्दिग्ध ही है।

इसी प्रकार 'कटि' आदि पद ग्राम्य हैं और 'श्रोणी', 'नितम्ब' आदि शब्द अग्राम्य हैं, इस विषय में निश्चायक कौन सी युक्ति है? [एकतरपक्षपातिनी युक्ति विनिगमिका, किसी की ओर से] यह कहे जाने पर किसी निश्चय कराने वाले हेतु को नहीं बताया जा सकता [अतएव किसी स्थलविशेष में ग्राम्यत्व दोष के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता]। इसी प्रकार नेयार्थ भी दोष नहीं है क्योंकि लक्षणा में सर्वत्र प्रयोजनवत्ता रहे ही यह नियम सम्भव नहीं है [वस्तुतः रूढिमूला लक्षणा में प्रयोजन होता ही नहीं है जिस रूप में प्रयोजन माना जा रहा हो—हो सकता है वहाँ उस रूप में प्रयोजन न हो] ऐसी स्थिति में वक्ता द्वारा विवक्षित प्रयोजन के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता [क्योंकि प्रयोजन का

१. ज अ; मित्युक्तौ त।
२. त; सत्त्व ज अ।
३. ज अ;…नियमाभावात् त।
४. प्रयोजनस्य अतिरिक्त अ; ज त में नहीं।

अत्राह काव्यप्रकाशकारः—

अपास्य च्युतसंस्कारसमर्थं निरर्थकम् ॥९८॥

वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ।

केचिच्छ्रुतिकटुत्वादिवच्च्युतसंस्कृतित्वादीनामपि कुतो न वाक्यदोषत्वमित्यास्कन्दयन्ति प्राचां मतम्[1] । तत्राहुः[2] । विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्वे सति नानापदवृत्तिदोषत्वं वाक्यदोषत्वम् । च्युतसंस्कृत्यादि-

---

होना वक्ता, बोद्धव्य और प्रकरण आदि पर भी आश्रित होता है और इन सबका जानना न जानना अनिश्चित रहता है]।

इन दोषों के सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट [काव्यप्रकाश ७, ५२] कहते हैं—

च्युतसंस्कार, असमर्थ और निरर्थक [इन तीन पददोषों] को छोड़कर ॥९८॥ ये सब दोष वाक्य में भी होते हैं । कुछ दोष पदांश में भी होते हैं । [अर्थात् पदांश में कुछ ही दोष होते हैं सब नहीं] ।

टि०—च्युतसंस्कार, असमर्थ और निरर्थक यह तीनों दोष केवल पदगत ही होते हैं । वाक्य में और पदांश में इनकी स्थिति असम्भव है । बाकी बचे हुए सारे दोष पदगत भी होते हैं और वाक्यगत भी होते हैं तथा इन्हीं में से कुछ दोष ऐसे हैं जो पदांशगत भी होते हैं ।

इस विषय में कुछ आचार्य—श्रुतिकटुत्वादि दोषों की तरह च्युतसंस्कृति आदि तीनों दोषों की भी वाक्यदोषता क्यों न मानी जाय ? इस रूप में प्राचीन मम्मट आदि आचार्यों के मत के ऊपर आक्षेप करते हैं ।

टि०—जैसे श्रुतिकटुत्वादि दोष पद में रहते हुए भी वाक्य में रहते हैं वैसे ही च्युतसंस्कृत्यादि तीनों दोष भी पद में रहते हुए वाक्य में हो सकते हैं । एकपदगत श्रुतिकटुता होने से पदगतश्रुतिकटुत्व दोष होता है । और वही चीज़ जब अनेक पदों में दिखाई देती है तो वाक्यगत श्रुतिकटुत्व दोष होता है । ठीक इसी तरह एक पद में व्याकरणहीनता होने पर पदगत च्युतसंस्कृति और अनेक पदों में यही चीज़ होने पर वाक्यगत च्युतसंस्कृति दोष होता है। इसलिए आचार्य मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों को च्युतसंस्कृति, असमर्थ और निरर्थक दोषों की भी पददोष और वाक्यदोष इन दोनों में गणना करनी चाहिए थी । अतः 'अपास्यच्युतसंस्कारमसमर्थं निरर्थकम्' इस प्रकार की उक्ति समीचीन नहीं है।

इस पूर्वपक्ष के सम्बन्ध में [कतिपय निराकरणकर्त्ता] यह कहते हैं वक्ता के द्वारा बताने के लिए अभिलषित [अभीष्ट] अर्थ का बोध कराने वाले किसी शब्दविशेष में रहते हुए जो अनेक पदों में भी रहे वह वाक्यदोष होता है ।

---

१. ज अ; प्राचां मतम् त में परित्यक्त ।

२. ज अ; तत्राह त ।

व्यावर्तनाय सत्यन्तम् । च्युतसंस्कृत्यादीनां यथाकथञ्चिद् धर्म्युपस्थापकत्वेऽपि[1] विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्वाभावात्साधुशब्दस्यैव तथात्वादित्याहुः[2] ।

तन्न, च्युतसंस्कृत्यादित्रय[3]व्यावर्तकविशेषणवत् अप्रयुक्तव्यावर्तक-

---

टि०—एक पद में रहते हुए भी जो अनेक पदों में रह सके वह वाक्यदोष होता है । जैसे—

सोऽध्यैष्ट वेदांस्त्रिदशानयष्ट पितॄनताप्सीत् सममंस्त बन्धून् ।
व्यजेष्ट षड्वर्गमरंस्त नीतौ समूलघातं न्यवधीदरींश्च ॥

काव्यप्र० ७,१७०

इस उदाहरण में श्रुतिकटु दोष एकपदगत होते हुए अनेकपदगत भी है अत एव यह वाक्यदोष है यहाँ किसी एक ही पद को लेकर सरलतया श्रुतिकटुदोष सिद्ध किया जा सकता है और अन्य पदों को भी लेकर वही दोष सिद्ध हो सकता है ।

च्युतसंस्कृत्यादि तीन दोष भी वाक्यदोष न माने जायें इसलिए सति पर्यन्त [विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्वे सति यह] विशेषण रखा है । यद्यपि च्युतसंस्कृत्यादि दोषों के भीतर किसी भी प्रकार के धर्मी [अभिलषित अर्थ] को उपस्थित कर देने की विशेषता तो होती है किन्तु उनमें विवक्षितधर्मी के बोधक शब्द को उपस्थित करने की शक्ति नहीं होती । यह शक्ति तो केवल व्याकरण की दृष्टि से साधु शब्द के ही भीतर रहती है इस रूप में अपना मत प्रतिपादन करते हैं ।

टि०—च्युतिसंस्कृति के उदाहरण—'एतन्मन्दविपक्व०...दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः' ॥ (काव्यप्र०७,१४९) में याचना अर्थ में प्रयुक्त 'अनुनाथते' पद का प्रयोग असाधु है । यहाँ 'अनुनाथति' शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए । यद्यपि यहाँ अभिलषित अर्थ की प्रतीति इसी पद से हो रही हैं किन्तु दोष का बोध भी साथ २ हो रहा है । 'अनुनाथति' यह व्याकरणसम्मत पद प्रयुक्त होने पर ही यहाँ निर्दुष्ट अर्थ की प्रतीति सम्भव है । यदि यहाँ यह पद रख दिया जाय तो दोष का निराकरण भी हो जायेगा । इस प्रकार सति पर्यन्त रहने वाली यह परिभाषा च्युतसंस्कृत्यादि तीनों दोषों की पदमात्रगतत्व विशेषता को सूचित करती है । ये दोष पदमात्रगत होते हैं न कि पदांशगत और वाक्यगत ।

[इस निराकरणकर्त्ता द्वारा पूर्वपक्षी का खण्डन ठीक प्रकार से न किये जाने के कारण] यह बात ठीक नहीं है । क्योंकि च्युतसंस्कृत्यादि [च्युतसंस्कृति, असमर्थ और निरर्थक] इन तीन दोषों को अन्य अवाचकत्वादि वाक्यदोषों से अलग करने वाले

---

१. ज अ; यथाकथञ्चिद्धर्म्युपस्थापकत्वेऽपि—इतना अंश त में नहीं ।
२. त;...शब्दगतत्वाभावादित्याहुः ज अ ।
३. ज अ; त्रय त में परित्यक्त ।

विशेषणस्यापि कविसम्प्रदायोल्लङ्घनप्रयुक्तत्वादेः सुवचत्वेन[1] तेषामपि वाक्यदोषत्वानापत्तेः[2] । अवाचके अव्याप्तेश्च विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्वाभावात् । यत्तु नानापदवृत्तिदोषत्वं नानापदवृत्त्युत्कर्षाश्रयदोषत्वं वाक्यदोषत्वमिति[3] कौमुदीकृन्मतं तदप्युपेक्षणीयम्, च्युतसंस्कृत्यादिसाधारणत्वात् ।

'विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्व' इस विशेषण की तरह कविसम्प्रदायोल्लङ्घनप्रयुक्तत्वादि रूप अप्रयुक्त दोष की वाक्यदोषता को समाप्त करने वाले विशेषण का बड़ी आसानी से कथन हो जाने से [उन अप्रयुक्तादि दोषों की वाक्यदोषता समाप्त हो जाएगी उनको केवल पदगत ही मानना पड़ेगा इस प्रकार] किन्हीं भी पददोषों की वह वाक्यदोषता नहीं बन पायेगी ।

टि०—'विवक्षितधर्म्युपस्थापकशब्दगतत्वे सति' इस सत्यन्त विशेषण से च्युतसंस्कृत्यादि तीनों दोषों की वाक्यदोषता हटाकर पददोषता सिद्ध की गई है । कोई एक भी पद यदि किसी वाक्य में असाधु होने के कारण विवक्षित अर्थ का बोधक नहीं होता तो उसे च्युतसंस्कृति नामक पददोष मान लिया जाता है । ठीक उसी तरह यदि वाक्य में कोई ऐसा पद है जिसका कविसम्प्रदाय में प्रयोग नहीं होता हो तो वह अप्रयुक्त पद भी विवक्षितधर्म्युपस्थापक न होने के कारण पदगत ही मानना पड़ेगा । किन्तु अप्रयुक्त दोप को सभी प्राचीन आचार्यों ने पदगत और वाक्यगत दोनों प्रकार का माना है । इस प्रकार उपर्युक्त लक्षण की अप्रयुक्त दोष में अतिव्याप्ति हो जाती है ।

[इसके अतिरिक्त उपर्युक्त वाक्यदोष के लक्षण की] अवाचक दोष में अव्याप्ति होती है क्योंकि वहाँ अभिलषित अर्थ के बोधक शब्द का न होना यह विशेषण सङ्गत नहीं होता ।

टि०—इस लक्षण में दूसरा दोष यह आता है कि इसकी अवाचक दोष में अव्याप्ति हो जाती है । 'सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्' इत्यादि अवाचक दोष वाले प्रयोगों में 'हन्ति' पद गमन अर्थ को न कहता हो ऐसी बात तो है नहीं तब यह विवक्षिता० इत्यादि परिभाषा तो वहाँ लगेगी नहीं जबकि अवाचक की सभी ने पददोषता स्वीकार की है । इस प्रकार यह सिद्धान्त अप्रयुक्त में अतिव्याप्ति और अवाचक में अव्याप्ति दोषों से दूषित होने के कारण ग्राह्य नहीं है ।

और 'अनेक पदों में रहने वाले दोष का होना अथवा अनेक पदों में रहने वाले काव्योत्कर्ष से [उत्कर्ष के विघातकत्व रूप सम्बन्ध से] सम्बन्धित अर्थात् अपकर्ष के आश्रय वाले दोष का होना वाक्यदोष कहलाता है यह जो कौमुदीकार का मत है वह भी उपेक्षा के योग्य है ।

---

१. ज अ; सुवचकत्वेन त ।
२. ज अ; वाक्ययदोषानापत्तेः ।
३. त; नानापदवृत्तित्वोत्कर्षाश्रयत्वं वा तत्त्वमिति ज अ ।

नाना पददोषैरपि तदुत्कर्षसम्भवाच्च । केचित्तु पदान्तरसमभिव्याहारविशेषतदभावान्यतरप्रयुक्तदोषत्वमेव वाक्यदोषत्वं तच्च श्रुतिकटुच्युतसंस्कृत्यनुचितार्थाश्लीलग्राम्याविमृष्टविधेयांशेष्वेव, तैः पदान्तरसमभिव्याहारान्तरापेक्षणात्, इतरेषां तु पददोषत्वमेवेति वदन्ति। तत्तुच्छं काव्यप्रकाशविरोधात् । असमर्थस्यापि वाक्यदोषत्वं स्यात् । तत्राप्यन्यतर-

---

टि०—यहाँ पर आये 'उत्कर्षाश्रयत्वं' पद के स्थान पर 'अपकर्षाश्रयत्वं' पद का प्रयोग अधिक सङ्गत है। क्योंकि उत्कर्षाश्रयत्व का तो गुण अलङ्कार और रीतियों के साथ सीधा सम्बन्ध है और दोषास्तस्यापकर्षकाः (साहित्यदर्पण १,३) इस विश्वनाथप्रतिपादित सिद्धान्त से दोषों का अपकर्षाश्रयत्व ही सिद्ध होता है किन्तु सम्बन्धवैपरीत्य से उपर्युक्त अर्थ की सङ्गति बड़ी कठिनता से हो पाती है। इसलिये ऊपर 'उत्कर्षाश्रयदोषत्वं' का अर्थ बड़े टेढ़े ढंग से किया है। वास्तव में यहाँ 'पदवृत्त्यपकर्षाश्रयदोषत्वम्' यह पाठ करना चाहिये।

यह [नाना…वाक्यदोषत्वम्] लक्षण च्युतसंस्कृत्यादि पददोषों के लक्षणों के लिए भी साधारण है अर्थात् उनमें भी यह लक्षण चला जायेगा क्योंकि अनेक पददोषों से भी काव्य अथवा रस के उत्कर्ष के विघातक के रूप में सम्बन्ध होने से अपकर्ष हो सकता है।

टि०—कौमुदीकार की परिभाषा मान लेने पर च्युतसंस्कृति दोष—जिसको पदगत ही माना जाता है—नाना पदों में विद्यमान होने पर वाक्यगत मानना पड़ेगा किन्तु उसे वाक्यदोष के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। 'तदुत्कर्षसम्भवाच्च' के स्थान पर भी 'तदपकर्षसम्भवाच्च' पाठ करना अधिक सङ्गत है।

कुछ विद्वान् तो—'दूसरे पदों के साथ होने वाले विशेष प्रकार के सहोच्चारण अथवा उस सहोच्चारण के अभाव [इन दोनों में से किसी एक] के कारण जो दोष आता है वही वाक्यदोष होता है ऐसा कहते हैं। किन्तु वाक्यदोष का यह लक्षण तो श्रुतिकटु, च्युतसंस्कृति, अनुचितार्थ, अश्लील, ग्राम्य और अविमृष्टविधेयांश—इन्हीं दोषों में घटेगा क्योंकि इन दोषों को पदान्तरसमभिव्याहार [दूसरे पदों के साथ सहोच्चारण] की अपेक्षा रहती है, और दूसरे दोषों के भीतर पददोषत्व रहेगा अर्थात् उपर्युक्त दोषों से अतिरिक्त अप्रयुक्त आदि दोष पददोष ही माने जायेंगे इस रूप में कहते हैं। किन्तु यह बात बहुत छोटी अर्थात् नगण्य है क्योंकि इस परिभाषा का काव्यप्रकाश के साथ विरोध हो जाता है।

टि०—श्रुतिकटु आदि यहाँ गिनाये गये पदगत और वाक्यगत दोनों ही प्रकार के दोष माने जाते हैं 'अध्यैष्ट वेदान् त्रिदशानयष्ट' इत्यादि श्रुतिकटु दोष के उदाहरण में वाक्यदोषता तभी होती है जब अनेक पदों का सहोच्चारण हो यह पूर्वपक्षी का आशय है।

[उपरिलिखित लक्षण मानने पर] असमर्थपददोष के भीतर भी वाक्यदोषता आ जायेगी क्योंकि उसमें भी पदान्तरसमभिव्याहार की अपेक्षा रहती है।

भावस्य सत्त्वात् । वयं तु ब्रूमः—साकाङ्क्षनानापदपर्याप्तदोषत्वं [वाक्यदोषत्वम्[1]] अतएव च्युतसंस्कृत्यादीनां प्रत्येकपदेषु पर्याप्तदोषत्वान्न वाक्यदोषत्वम् । श्रुतिकटुत्वादीनां तु यत्र प्रत्येकं पर्याप्तिस्तत्र पददोषत्वं यत्त्वन्यथा तत्र वाक्यदोषत्वम् । अतएव वाक्येऽपीत्यादि सङ्गच्छते । यद्वा पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तदोषत्वं वाक्यदोषत्वम् । च्युतसंस्कृतित्वादौ स्वत एव दोषत्वान्नातिव्याप्तिशङ्का[2] ।

टि०—'तीर्थान्तरेषु स्नानेन' (काव्यप्रकाश ७,१४४) इत्यादि में 'सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्' में प्रयुक्त 'हन्ति' शब्द तभी दोष माना जाता है जब इसका वाक्यगत अन्य पदों के साथ सहोच्चारण होता है। 'रामः रावणं हन्ति' यहाँ तो 'हन्ति' पद का प्रयोग ठीक है किन्तु दूसरे 'सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति' के साथ यह दोष है क्योंकि गमन अर्थ में इसका प्रयोग धातुपाठ में 'हन् हिंसागत्योः' इस रूप दिये जाने के बावजूद भी यह उपसन्दानोपजीवी है अर्थात् उपपदों के योग से ही होता है। पद्धति उद्धति आदि में तो गमनार्थ आ जाता है क्योंकि यहाँ पद् और उद् उपपद लगे हुए हैं। मम्मटादि आचार्यों ने असमर्थ को पददोष माना है किन्तु उपरिलिखित परिभाषा के अनुसार इसे भी वाक्यदोष मानना पड़ेगा।

हमारा तो यह कहना है—साकाङ्क्ष अनेक पदों में दोषों के व्याप्त रहने का नाम वाक्यदोषता है । च्युतसंस्कृत्यादि दोषों में वाक्यदोषता इसलिए नहीं रहती क्योंकि उन दोषों में दोष प्रत्येक पद में अलग २ रहता है [वहाँ दोष के लिए नानापदपर्याप्ति की अपेक्षा नहीं रहती है]। च्युतसंस्कृत्यादि दोषों में तो जहाँ प्रत्येक पद में दोष की पर्याप्ति [व्याप्ति] है वह पददोष और जहाँ अन्यथा है अर्थात् प्रत्येक पद में पर्याप्ति न होकर सारे वाक्य में ही दोष रहता है वहाँ वाक्यदोष होता है। इसलिए [इनका निरूपण करते हुए काव्यप्रकाश की कारिका में जो] वाक्येऽपि अर्थात् ये पदगत तो होते ही हैं किन्तु वाक्य में भी ये हो सकते हैं ऐसा कहा है वह सङ्गत ही है। अथवा [वाक्यदोष का दूसरा लक्षण यह भी हो सकता है] दूसरे पदों के सहोच्चारण—सहावस्थान से जहाँ दोष उत्पन्न होता है वहाँ वाक्यदोष होता है। क्योंकि च्युतसंस्कृत्यादि पददोषों में शब्द स्वतः ही दूषित होता है [उसे दूषित करने के लिए पदान्तरसमभिव्याहार की अपेक्षा नहीं होती] अत एव [ऐसे दोष पददोष ही होते हैं वहाँ वाक्यदोष हो जाने रूप] अतिव्याप्ति की शङ्का नहीं है।

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने पददोषों और वाक्यदोषों में यह अन्तर बताया है कि 'नानापदपर्याप्ति' होने पर वाक्यदोष और प्रत्येकपदपर्याप्ति होने पर पददोष

---

१. अतिरिक्त संशोधित; ज अ त में नहीं।
२. ज अ; नातिव्याप्तिप्रसङ्गशङ्काऽपि त म।

होता है यही नियम इन दोषों का विभाजक है। यदि यह दोनों हेतु किसी दोष में लागू होते हैं तो वह दोष उभयगत माना जायेगा अन्यथा या तो पदगत रहेगा अथवा वाक्यगत रहेगा। वस्तुतः यही विभाग समीचीन है। यहाँ ग्रन्थकार ने अन्वय-व्यतिरेक की चर्चा नहीं की है तथापि यह विभाग अन्वयव्यतिरेक पर ही आश्रित है। ग्रन्थकार के अनुसार वाक्यदोषत्व के दो लक्षण हो गये हैं—नानापदपर्याप्तित्व यद्वा पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तत्व। वस्तुतः ये लक्षण एक ही हैं, इनमें कोई मौलिक भेद नहीं है।

आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश के नौवें उल्लास में श्लेषालङ्कार के प्रसङ्ग में अन्वयव्यतिरेक वाली इस कसौटी का अत्यन्त स्पष्ट रूप से इस प्रकार उल्लेख किया है। 'इह दोषगुणालङ्काराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः स अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते। तथाहि कष्टत्वादिगाढत्वाद्यनुप्रासादयः, व्यर्थत्वादिप्रौढ्याद्युपमादयः तद्भावतदभावानुविधायित्वादेव शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते (काव्यप्रकाश ९, ८५ वृत्तिभाग)। आचार्य विश्वेश्वर ने इस अंश का अर्थ तथा अभिप्राय ४२३ पृ० पर इस प्रकार स्पष्ट किया है—यहाँ (काव्य) में गुण, दोष, अलङ्कारों का शब्दगत और अर्थगत रूप से जो विभाग किया जाता है वह अन्वयव्यतिरेक से ही ठीक बैठता है (अर्थात् जहाँ शब्दपरिवृत्तिसहत्व नहीं है वहाँ शब्दगतत्व और शब्दपरिवृत्ति-सहत्व होने पर अर्थगतत्व माना जाता है) क्योंकि (१) श्रुतिकटुत्व (कष्टत्व) आदि (शब्ददोष) गाढबन्धत्व आदि (रूप वामनोक्त दस शब्दगुण तथा अनुप्रासादि शब्दालङ्कार) शब्दपरिवर्तन को सहन नहीं करते हैं, इसलिए वे शब्दनिष्ठ गुण, दोष तथा अलङ्कार माने जाते हैं। और व्यर्थत्व (अपुष्टार्थत्व आदि अर्थदोष), प्रौढ़ि आदि (अर्थस्य प्रौढिरोजः इत्यादि वामनाभिमत दस अर्थ गुण) तथा उपमा आदि (अर्थालङ्कार), शब्द और अर्थ की सत्ता (तद्भाव) तथा शब्द और अर्थ के अभाव (तदभाव) का अनुगमन करने वाले होने से ही (अर्थात् अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर ही) शब्दगत और अर्थगत माने जाते हैं।

अर्थात् श्रुतिकटुत्व आदि शब्ददोष, वामनाभिमत दस शब्दगुण तथा अनु-प्रासादि शब्दालङ्कार उन २ शब्दों के होने पर ही रहते हैं उन शब्दों का परिवर्तन करके उनके पर्यायवाचक अन्य शब्दों के रख देने पर नहीं रहते हैं। इसलिए वे शब्ददोष, शब्दगुण तथा शब्दालङ्कार कहे जाते हैं। इसके विपरीत अपुष्टार्थत्वादि अर्थदोष, अर्थप्रौढ़ि आदि रूप वामनाभिमत दस अर्थगुण तथा उपमादि अर्थालङ्कारों में शब्दों का परिवर्तन करके उनके पर्यायवाचक दूसरे शब्द रख देने पर भी वे दोष, गुण तथा अलङ्कार माने जाते हैं। इसलिए वे अर्थदोष, अर्थगुण और अर्थालङ्कार माने जाते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि दोष, गुण तथा अलङ्-कारों की शब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठता का निर्णय अन्वयव्यतिरेक के आधार पर ही करना आवश्यक है।

न च प्रेमार्द्रा इत्यादौ श्रुतिकटुत्वादेरपि पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तत्वाभावादव्याप्तिरिति वाच्यम् । भ्रान्तोऽसि; न हि तत्र प्रेमार्द्रा इत्येतावतैव श्रुतिकटुत्वमपितु अभ्यासात् । किञ्च तत्रापि शृङ्गारव्यञ्जकविभावाद्युपस्थापकपदसांनिध्यादेव श्रुतिकटुत्वावगतेः पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तदोषत्वस्य सत्त्वान्नाव्याप्तिः ।[1]

'प्रेमार्द्राः प्रणयस्पृशः' इत्यादि श्लोक में श्रुतिकटुत्वादि दोषों की भी अव्याप्ति सिद्ध हो जायेगी क्योंकि इन दोषों में पदान्तरसमभिव्याहारप्रयुक्तदोषत्व रूप वाक्यदोष का लक्षण नहीं घटेगा [जबकि इनमें पदगत और वाक्यगत दोषता रहती है]।

टि०—उपर्युक्त उदाहरण काव्यप्रकाश (४, ३२) में इस प्रकार दिया हुआ है—

प्रेमार्द्राः प्रणयस्पृशः परिचयादुद्गाढरागोदया-
स्तास्ता मुग्धदृशो निसर्गमधुराश्चेष्टा भवेयुर्मयि ।
यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा-
दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः ॥

मालतीमाधव नाटक के (५,७) इस श्लोक में महाकवि भवभूति ने माधव के मालती के प्रति होने वाले पूर्वराग को दिखलाया है।

पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है—इस श्लोक में प्रेमार्द्राः, प्रणयस्पृशः, उद्गाढ और चेष्टा आदि शब्दों में श्रुतिकटुत्व दोष है । प्रेमार्द्राः इस अकेले पद को लेकर ही यहाँ दोष सिद्ध हो जाता है । इस कारण यहाँ पदान्तरसमभिव्याहार की अपेक्षा ही नहीं है ।

सिद्धान्ती—आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए [यदि ऐसा मानते हैं तो] आप धोखे में हैं । क्योंकि वहाँ पर 'प्रेमार्द्राः' इतने ही पद से श्रुतिकटुत्व दोष की प्रतीति नहीं होती है अपितु संयुक्ताक्षरों का प्रयोग श्रुतिकटुत्वावह है इस पूर्वधारणा रूप अभ्यास के कारण दोष की प्रतीति होती है । [अतः यह वाक्यदोष नहीं सिद्ध हो सकेगा जबकि इस दोष को वाक्यदोष माना ही जाता है] और [वस्तुतः] इसके साथ ही इस पद्य में शृङ्गार के व्यञ्जक विभावादियों के उपस्थापक पदों की सहायता से ही श्रुतिकटुत्व दोष की प्रतीति होती है । इस कारण इसमें पदान्तरसमभिव्याहार रूप वाक्यदोषता रहती ही है । इसलिए यहाँ अव्याप्ति की शङ्का नहीं है ।

टि०—'प्रेमार्द्राः' इत्यादि पदों का जब शृङ्गारादि रसों के व्यञ्जक विभावादियों को बताने वाले पदों के साथ प्रयोग होगा तभी तो उनमें श्रुतिकटु

१. नाव्याप्तिशङ्का च ग ।

न च च्युतसंस्कृत्यादेरपि साधुशब्दसांनिध्यादेवास्ति दोषत्वमिति वाच्यम्, बाधतिशब्दस्य केवलस्यापि दुष्टत्वात् । न च श्रुतिकटुत्वादेर्न पद[1] दोषत्वमपितु वाक्यदोषत्वमेव[1] स्यादिति वाच्यम् । तत्त्वेऽपि तत्त्वानपायादिति वदामः[2] ।

तानाह—

प्रतिकूलवर्णमुपहतलुप्तविसर्गं विसन्धि हतवृत्तम् ॥ ९९ ॥
न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्षं समाप्तपुनरात्तम् ।
अर्द्धान्तरैकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम् ॥१००॥
अपदस्थपदसमासं सङ्कीर्णं गर्भितं प्रसिद्धिहतम् ।
भग्नप्रक्रममक्रममतपरार्थं च वाक्यमेव तथा ॥१०१॥

दोष सिद्ध हो पायेगा अन्यथा यदि इन्हीं पदों का वीररसाभिव्यञ्जक विभावादियों के साथ सम्बन्ध जुड़ेगा तब इनकी श्रुतिकटुता नहीं रहेगी। इस प्रकार इनकी वाक्यदोपता भी सिद्ध हो जाती है और अव्याप्ति का भी निराकरण हो जाता है।

और [पदान्तरसमभिव्याहार को ही वाक्यदोष का मूल कारण मान लेने पर तो] च्युतसंस्कृति इत्यादि दोषों की भी साधु शब्द के सान्निध्य से ही दोषता सिद्ध होती है [इस प्रकार च्युतसंस्कृति, असमर्थ और निरर्थक इन तीनों की भी वाक्यदोषता सिद्ध हो जाती है—ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि [च्युतसंस्कृति जैसे दोषों में] 'बाधति' यह अकेला पद ही स्वतः दूषित होने से दोष हो जाता है [इसे पदान्तरसमभिव्याहार की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार यह दोष वाक्यगत न होकर पदगत ही होता है।

और श्रुतिकटुत्व आदि की पददोषता नहीं होती अपितु उनकी केवल वाक्यदोषता ही होती है ऐसा [भी] नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उनकी केवल वाक्यदोषता मान लेने पर उनकी पददोषता हटती नहीं है [क्योंकि ये दोष केवल किसी पदविशेष के होने पर ही होते हैं और उसके न होने पर नहीं होते हैं इस अन्वयव्यतिरेक के आधार पर श्रुतिकटु आदि दोषों को पदगत और वाक्यगत दोनों प्रकार का मानना चाहिए]। इस प्रकार हम अपना मत बता रहे हैं।

इन वाक्यदोषों को [आचार्य मम्मट काव्यप्रकाश ७, ५३-५५] कहते हैं—
१. प्रतिकूलवर्ण, २. उपहतलुप्तविसर्ग, ३. विसन्धि, ४. हतवृत्त, ५. न्यूनपद, ६. अधिकपद, ७. कथितपद ८. पतत्प्रकर्ष, ९. समाप्तपुनरात्त १०. अर्धान्तरैकवाचक ११. अभवन्मतयोग, १२. अनभिहितवाच्य १३-१४. अपदस्थपदसमास अर्थात् अस्थानस्थपद और अस्थानस्थसमास, १५. सङ्कीर्ण १६. गर्भित १७. प्रसिद्धहत १८. भग्नप्रक्रम १९. अक्रम और २०. अमतपरार्थ। यह २० प्रकार के वाक्यदोष हैं ॥९९-१०१॥

---

१. ज अ; न दोषत्वम् त

२. ज अ; ब्रूमः त ।

अत्र[1] प्रतिकूलवर्णपदं समासरचनोपलक्षणपरम् । क्रमेण लक्षणोदाहरणानि—

प्रतिकूलवर्णत्वं वाक्यवृत्तित्वे सति तात्पर्यविषयास्वादविरुद्ध[2] गुणव्यञ्जकवर्णवत्त्वम् । प्रकृतरसविरुद्धसमासवत्त्वम्[3] प्रकृतरसविरुद्धगुणव्यञ्जकरचनात्वमिति लक्षणत्रयं बोध्यम् ।।१०२।।

क्रमेण यथा—

नीलेन्दीवरदामसुन्दरतरा यत्कण्ठपीठे हठात्
श्रीरामस्य कृपाणशैवललता सानन्दमुज्जृम्भते ।
स्रंसन्नीविगलद्दुकूलमभितो गीर्वाणसीमन्तिनी-
वृन्दैर्नन्दनकानने स नृपतिः सानन्दमानीयते ।।[4] १५३ ।।

इस [प्रतिकूलवर्ण दोष] में प्रतिकूलवर्ण शब्द [रस के प्रतिकूल वर्णों वाले पदों से युक्त] समास और रचना का भी उपलक्षण वाला है अर्थात् प्रतिकूलवर्णपद से वर्णों की प्रतिकूलता का तो ग्रहण होता ही है साथ ही प्रतिकूलसमास और प्रतिकूल रचना से युक्त पदों का भी भान होता है। क्रमशः इन सारे दोषों के लक्षण और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१. प्रतिकूलवर्ण—[इसके प्रतिकूलवर्ण, प्रतिकूलसमास और प्रतिकूल-रचना ये तीन भेद हो जाते हैं] i वाक्य में रहते हुए कवि के तात्पर्यविषयास्वाद [प्रधानभूतविवक्षित रस] के विपरीत गुणों के अभिव्यञ्जक वर्णों वाला होना ही प्रतिकूलवर्णत्व है। ii प्रकृत रस [वर्णनीय] रस के विरुद्ध समास वाला होना [प्रतिकूलसमास] और iii प्रकृत के विरोधी गुणों की व्यञ्जक रचना वाला होना [प्रतिकूलरचना है]। इस प्रकार प्रतिकूलवर्णपद के यह तीन लक्षण समझने चाहिएँ ।।१०२।।

क्रम से [इन तीनों के उदाहरण] जैसे—

नील कमल की माला के समान अतिशय सुन्दर, श्रीराम की तलवार रूप सिवार लता जिसके कण्ठप्रदेश में आनन्द के साथ विकसित हो रही है [कामावेश के कारण] कटिप्रदेश से ढीले होकर गिरे हुए वस्त्रों के साथ चारों ओर से घेरने वाली देवताओं की सुन्दरियों के समूहों से नन्दनकानन में वह राजा [युद्धभूमि में वीरगति पाने से स्वर्ग का अधिकारी होने के कारण] आनन्दपूर्वक ले जाया जा रहा है ।।१५३।।

---

१. ज अ; त में नहीं।

२. ज अ; विरुद्ध पद त में नहीं।

३. ज अ; प्रकृतरसविरुद्धगुणव्यञ्जकसमासत्वम् त।

४. 'नीलेन्दीवर' इत्यादि श्लोक ज अ; निम्नलिखित श्लोक त में अतिरिक्त—

अत्र युद्धवीरे शृङ्गारोचिताः वर्णाः प्रतिकूलाः ।

तथा—

तन्वी मन्दिरतः[1] स्मितद्युतिसुधापूर्णाननेन्दुर्भ्रमद्-
भृङ्गीविभ्रमहारिदृष्टिर्विलसत्क्वाणस्फुरत्कङ्कणाम् ।
वक्षोजोपरि पाणिनांशुवसनं प्रातर्नयन्ती मनाक्
तिर्यग्भूय बहिः पदं विदधती चित्तं पिधत्ते नृणाम् ।। १५४ ।।

अत्र दीर्घसमासस्य प्रतिकूलत्वम् । प्रतिकूलरचनोदाहरणं स्वयमूहनीयम् ।[2]

दूषकताबीजं चात्र वर्णसमासरचनानां प्रतिकूलगुणाभिव्यक्तिः शर्करावसिक्तघनपयःपूरे मरीचिचूर्णप्रकर इव प्रकृते किमपि वैरस्यमापादय-

---

यहाँ युद्धवीर के प्रसङ्ग में शृङ्गार के अनुरूप कोमल वर्ण प्रतिकूल हैं । और [प्रतिकूल समास का] उदाहरण—

घर से बाहर निकली हुई, मुस्कराहट की शोभा रूप अमृत से पूर्ण मुखरूपी चन्द्रमा वाली, घूमती हुई भँवरी के विलास के समान मनोहर दृष्टि वाली लीलामय शब्द से शोभायमान कङ्कण वाली, स्तनों के ऊपर रेशमी वस्त्र को हाथ से टिकाती हुई, थोड़ी सी तिरछी होकर बाहर पैर रखती हुई यह सुन्दरी लोगों के चित्त को आच्छादित कर रही है। [अत्यन्त सुन्दरी होने के साथ साथ इसमें हावभाव भी हैं जिन्हें देखकर उनका चित्त इसी में आकर्षित होकर रमण कर रहा है] ।।१५४।।

इस श्लोक [के स्मितद्युति० आदि पदों] में दीर्घसमास की [शृङ्गार रस के लिए] प्रतिकूलवर्णता है [क्योंकि शृङ्गार रस में अल्पसमास वाली पदावली होने का विधान है] । प्रतिकूलरचना के उदाहरणों को स्वयं समझ लेना चाहिए ।

और यहाँ वर्ण, समास और रचना के भीतर विपरीत गुणों का प्रकट होना इस दोष की दूषकता का कारण है । और खाण्ड से युक्त अर्थात् मीठा डाले हुए गाढ़े दूध की धारा में [पिसी] मिर्च के प्रक्षिप्त चूरे के ढेर की तरह यह दोष प्रकृत [शृङ्गारादि रस में कुछ नीरसता को उत्पन्न कर देता है—ऐसा किन्हीं आचार्यों का

सिन्दूरद्युति मुग्धमूर्धनिकधृतस्कन्धावधि यामिकै-
र्या मां त स्पृशिति धुरेस्य यमरारम्भाद्धुरे धावति ।
जानीमो नु यदि प्रदोषतिमिरव्यामिश्रसन्ध्याधिपे
नास्तं मान्ति समवाहुज भू जा सो वः सहस्रांशवः ।।

यह अस्पष्टार्थक है ।

१. ज त; मन्दरतः अ ।

२. त; तात्पर्यरचनोदाहरणं स्वयमह्यम् ज अ ।

तीति केचित्। वस्तुतः श्रुतिकटुदूषकताबीजभियाऽनुकूलगुणानभिव्यञ्जकत्वं मतम्।

उपहत ओत्वं[1] प्राप्तः विसर्गो यस्य तदुपहतविसर्गं लुप्तविसर्ग-[1]ञ्चेति ॥१०३॥

यथा—

धीरो विनीतो निपुणो निर्विकारो नृपोऽत्र सः।
यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविताः ॥ १५५ ॥

उपहतेत्यादिपञ्चसु[3] पतत्प्रकर्षे च बन्धशैथिल्यापादकत्वमेव दूषकता-

---

कहना है। वास्तव में श्रुतिकटुदोष के कारण उत्पन्न विरसता के भय से [शृङ्गारादि रसों में] अनुकूल गुणों के अनभिव्यञ्जक वर्णों वाले पदों को रखना [ही प्रतिकूलवर्णत्व] माना गया है।

२. उपहतलुप्तविसर्ग—जिसके विसर्ग ओत्व को प्राप्त हो जाते हैं वह उपहतविसर्ग कहलाता है और [जिसके विसर्ग लुप्त हो जाते हैं वह] लुप्तविसर्ग कहलाता है ॥१०३॥

टि०—इस प्रकार उपहतलुप्तविसर्ग के दो भेद हैं—१. उपहतविसर्ग और २. लुप्तविसर्ग। पहले विसर्गों को उ हो जाता है तदनन्तर गुणसन्धि होकर ओ हो जाता है।

[उपहतविसर्ग और लुप्तविसर्ग दोनों का सम्मिलित उदाहरण] जैसे—इस संसार में धैर्यशाली, नम्र, चतुर, कामादि विकारों से रहित, यहाँ वही एक राजा है जिसके सेवक, बलशाली, भक्तियुक्त तथा [उसकी] प्रतिभा से प्रभावित हैं ॥१५५॥

टि०—यहाँ पर विसर्गों का ओत्व श्लोक के पूर्वार्ध में और विसर्गों का लोप उत्तरार्ध में बार बार होने से यह उपहतविसर्ग और लुप्तविसर्ग दोनों का उदाहरण है। इस प्रकार विसर्गों के ओत्व और लोप करने से उत्पन्न होने वाला यह दोष तभी होता है जब अनेक बार ऐसे प्रयोग किए जायें किन्तु एक आध बार किये गये ऐसे प्रयोगों में दोष नहीं माना जाता। यह उदाहरण काव्यप्रकाश (७,२११) में दिया हुआ है।

उपहतविसर्ग इत्यादि पाँच [उपहतलुप्तविसर्ग, विसन्धि, हतवृत्त, न्यूनाधिकपद, कथितपद] दोषों और पतत्प्रकर्ष में रचना की शिथिलता को उत्पन्न करना ही दोष का कारण है। इसीलिए कहा है—

---

१. त; उत्वं ज अ।
२. त; तदुपहतलुप्तविसर्गम् ज अ।
३. ज अ; चतुर्षु त।

बीजमत एवोक्तम्—

अत्रालुप्तविसर्गान्तैः पदैः प्रोतैः परस्परम् ।
ह्रस्वैः संयोगपूर्वैश्च लावण्यमतिरिच्यते ॥

इदं चोपलक्षणं विसर्गबहुत्वेऽपि बोध्यम्[1] यथा—

स्मरः खरः खलः[2] कान्तः क्रूरः सर्वः सखीजनः[3] ॥१५६॥

इत्युदाहरणं बोध्यम् । प्रकृतरसगुणानभिव्यञ्जकत्वं दूषकताबीजमिति नवीनाः । न च प्रतिकूलवर्णदूषकताबीजे[4] साङ्कर्यमिति वाच्यम् । तत्र प्रतिकूलगुणव्यञ्जकत्वमत्रानुकूलाव्यञ्जक[5]त्वमित्यनयोर्भेदादित्यूचुः ।

इस काव्य में—अपने अन्तिम भाग में विसर्गों के लोप से रहित, आपस में मिले हुए, संयुक्ताक्षरों के पूर्ववर्ती ह्रस्व वर्ण वाले पदों से सौन्दर्यातिरेक हो जाता है [अर्थात् श्लोक की सुन्दरता अधिक हो जाती है]

और यह 'उपहतलुप्तविसर्ग' दोष विसर्गबहुलता में भी उपलक्षण है।

टि०—यह दोष विसर्गों के ओत्व तथा लोप होने पर तो होता ही है किन्तु जहाँ बहुत बार विसर्गों का प्रयोग हो वहाँ भी होता है। 'स्वार्थविबोधकत्वे सति परार्थविबोधकत्वमुपलक्षणत्वम्' इस नियम के अनुसार यह दोष विसर्गबाहुल्य वाले स्थलों का भी ग्राहक है।

कामदेव तीव्र [तीक्ष्ण] है, [मेरा] प्रेमी धूर्त है और सारी सखियों का समुदाय निष्ठुर है ॥१५६॥

इस उदाहरण को भी [विसर्गबाहुल्य के कारण उपहतलुप्तविसर्ग का] समझना चाहिए। प्रकृत [शृङ्गारादि रसों] के अनुकूल गुणों का अभिव्यञ्जक न होना ही [इस दोष में] दूषण का कारण है ऐसा [विश्वनाथ प्रभृति रसवादी] नये आचार्य मानते हैं। और प्रतिकूलवर्ण दोष की दूषकता के कारण के साथ इस दोष [की दूषकता] का साङ्कर्य [अतिव्याप्ति] है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहाँ [प्रतिकूलवर्ण में] वर्ण प्रतिकूल गुण के व्यञ्जक होते हैं परन्तु यहाँ [उपहतलुप्तविसर्ग में] ओत्व, लुप्तविसर्ग और विसर्ग अनुकूल गुण के व्यञ्जक होते हैं, इस प्रकार आचार्य इन दोनों में भेद बताते हैं।

टि०—प्रतिकूलवर्ण में प्रतिकूलगुणव्यञ्जकता की प्रधानता है और उपहतलुप्तविसर्ग में अनुकूलगुणाव्यञ्जकता की। प्रतिकूल होना और बात है और

---

१. ज अ; बोद्धव्यम् त ।
२. त; स्मरः खलः खलः ज अ ।
३. ज अ, कायः कोपश्च नः कृशः त ।
४. त; बीजेन साङ्कर्यम् ज अ ।
५. ज अ, तत्रानुकूलाव्यञ्जकत्वं प्रकृते प्रकृताभिव्यञ्जकत्वमि० त ।

उपहतत्वमेको दोषः लुप्तविसर्गत्वं वापरः[1]।

सन्ध्यभावकृतविश्लेषत्वं सन्धिकृताश्लीलत्वं सन्धिकृतकष्टत्वं लक्षण-त्रयं बोध्यम्[2] ॥१०४॥

सन्ध्यभावज्ञानविषयत्वेन त्रयमेकीकृत्य विभागः सव्यभिचारवत् परिभाषाकर्त्तुरनियोज्यत्वात्।

अनुकूल न होना दूसरी बात है। प्रतिकूल होने से रस में अधिक वैरस्य या हानि होती है किन्तु वर्णों के अनुकूल न होने से यथेष्ट चमत्कार नहीं होता है। तुलनात्मक दृष्टि से उपहतलुप्तविसर्ग दोष कम हानिकर है।

[उपहतलुप्तविसर्ग यह दोष दो प्रकार का है] जहाँ विसर्गों को 'ओ' हो जाता है वह पहला दोष है और विसर्गों के लोप वाला दूसरा दोष है।

३. विसन्धि—[विसन्धि अर्थात् सन्धिवैरूप्य तीन प्रकार का होता है] १. सन्धि न करने से शब्दों का अलग अलग बने रहना २. सन्धि करने पर अश्लीलता का आ जाना और ३. सन्धि करने पर क्लिष्टता का आ जाना—ये तीन लक्षण जानने चाहिएँ ॥१०४॥

टि०—विसन्धि के तीन भेद हो जाते हैं—१. सन्धिकृतविश्लेष, २. सन्धिकृत-कष्टत्व। जहाँ सन्धि होनी चाहिए वहाँ सन्धि न होना विसन्धि दोष कहलाता है। सन्धिस्थल में सन्धि न करने के तीन कारण हो सकते हैं। उनमें पहला कारण तो वाक्य में सन्धि को नित्य न मानकर वक्ता की इच्छा (विवक्षा) के अधीन माना जाता है।

संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः।
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥

इस नियम के अनुसार वाक्य में सन्धि करना या न करना वक्ता की इच्छा के अधीन होता है इससे सन्धि न की जाय यह सन्धि न करने का कारण बन जाता है। प्रगृह्यसंज्ञा और विसर्गों का लोप आदि होने पर प्राप्त हुई गुणादिसन्धि के (लोप के असिद्ध होने के कारण) न होने पर भी सन्धि नहीं होती।

सन्ध्यभाव के ज्ञान को यदि एक विषय समझा जाय तो इन तीनों को एक एक करके एक ही दोष समझना चाहिए जैसे [तर्कभाषा में] सव्यभिचार हेत्वा-भास को [तीन भेद होने के बावजूद] एक भेद माना जाता है क्योंकि इस विसन्धि दोष के परिभाषाकार आचार्य मम्मट ने तीन भेदों का नियोजन [निरूपण] नहीं किया है।

---

१. ज अ; लुप्तविसर्गश्चापरः त।

२. ज अ; बोद्धव्यम्, त में परित्यक्त।

क्रमेणोदाहरणानि—

राजन् विभान्ति भवतश्चरितानि तानि
इन्दोर्द्युतिं दधति यानि रसातलेऽन्तः ।
धीदोर्बले अतितते उचितानुवृत्ती
आतन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः ॥१५७॥

अत्र संहितां न करोमीति स्वेच्छया सकृदपि दोषः प्रगृह्यादिहेतुकत्वे त्वसकृत् । तथा—

यतिनः सन्ति सर्वेऽपि कूपस्थोदकपायिनः ॥ १५८ ॥

इत्यादि[1] ।

टि०—तर्कभाषा में सव्यभिचार हेत्वाभास के तीन प्रकार हैं—१ साधारण २. असाधारण और ३. अनुपसंहारिक । व्यष्टि की दृष्टि से यह तीन प्रकार का है किन्तु व्यभिचार रूप समान दोष तीनों में पाये जाने के कारण समष्टि रूप में इसको एक ही माना जाता है ।

क्रमशः विसन्धि के उदाहरण—

i हे राजन् आपके वे [लोकोत्तर] चरित्र जो रसातल [के गहन अन्धकार] में भी चन्द्रमा के समान [प्रकाशमान] कान्ति को धारण करते हैं, अत्यन्त शोभित हो रहे हैं और आपके अत्यन्त प्रसिद्ध एवं उचित कार्य में लगे बुद्धिबल तथा बाहुबल दोनों विजयसम्पत्ति को फैलाते हुए अत्यन्त शोभा पा रहे हैं ॥१५७॥

टि०—यहाँ 'तानि इन्दोः' में अकः सवर्णे दीर्घः से प्राप्त दीर्घसन्धि है किन्तु इसको कवि ने विवक्षाधीन मानकर किया नहीं है । इससे कवि की अशक्ति सूचित होती है । धीदोर्बले+अतितते+उचितानुवृत्ती के वीच क्रमशः एङः पदान्ता० से पूर्वरूप और एचोऽयवायावः से अयादेश, उचितानुवृत्ती+आतन्वती के वीच इको यणचि से यण् सन्धि, ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् से प्रगृह्यसंज्ञा और प्रकृतिवद्भाव होने के कारण नहीं की गई है किन्तु इससे कवि की अशक्ति का परिचय ही मिलता है ।

यहाँ अपनी इच्छा से 'सन्धि न करूँ', इस दृष्टि से एक बार [का किया हुआ सन्धिविश्लेष] भी दोष है [तानि इन्दोः में जान बूझकर सन्धि नहीं की है] । प्रगृह्यादि [अर्थात् प्रगृह्यसञ्ज्ञानिमित्तक अथवा असिद्धमूलक सन्धिविश्लेष के] तो अनेक बार होने पर दोष होता है । प्रगृह्यसञ्ज्ञा अथवा पूर्वत्रासिद्धम् से असिद्ध की प्राप्ति होने पर [एक बार सन्धि न करने पर दोष नहीं माना जायेगा] ।

ii और [सन्धिकृताश्लील दोष का उदाहरण—

यहाँ सारे ही संन्यासी कूँए में भरे पानी को पीने वाले हैं ॥१५८॥ इत्यादि उदाहरण सन्धिकृताश्लील दोष के हैं ।

---

१. यतिनः ... इत्यादि ज म में परित्यक्त ।

तथा—

उर्व्यसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चार्ववस्थितिः ।
नात्रर्जु शक्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक् ।। १५९ ।।

प्रथमोदाहरणे[1] दूषकताबीजं सन्ध्यभावकृतो बन्धप्रकर्षविरहः । न चोपहतदूषकताबीजाभेदः । सन्धौ स न, अपितु सन्ध्यभावे इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सन्ध्यभावकृतत्वेन विशेषणात् ।

अन्यथाश्लीलकष्टत्वाभ्यां पूर्वनिरूपितदोषाभ्यामाक्रान्तत्वेनाश्ली-

---

टि०—यहाँ कु (कुत्सित)+उपस्थ (लिङ्गेन्द्रिय)+उदक (पानी=मूत्र) इस प्रकार से की गई सन्धि से उपस्थ से व्रीडाव्यञ्जक और उदक से जुगुप्सा-व्यञ्जक अश्लील दोषों की प्रतीति हो रही है ।

iii सन्धिकृतकष्ट का उदाहरण—

यहाँ रेगिस्तान के बीच में यह वृक्षपङ्क्ति विस्तीर्ण [सघन] है और सुन्दर रूप में अवस्थित है। यहाँ पर सीधे होकर [खड़े होकर] नहीं चला जा सकता, इसलिए सिर को थोड़ा सा झुका लो ॥१५९॥

टि०—इसमें ऊर्वी+असौ, तरु+आली, मरु+अन्ते, चारु+अवस्थितिः, अत्र+ऋजु इन पदों में सन्धि होकर श्लोक का जो प्रकृत पाठ वन गया है वह सुनने और अर्थज्ञान दोनों में कष्टदायक है अतः यहाँ सन्धि करने से कष्टसन्धि का उदाहरण है। काव्यप्रकाश (७,२१५) में भी यह उदाहरण दिया हुआ है।

प्रथम [सन्ध्यभावकृतविश्लेष] के उदाहरण [राजन् विभान्ति० पद्य] में सन्धि के अभाव से रचना के उत्कर्ष में होने वाली न्यूनता दोष का कारण है। सन्ध्यभाव वाले इस विसन्धि दोष में 'सन्ध्यभावकृतबन्धप्रकर्षविरहः' इस दूषकता-बीज को मान लेने पर उपहतविसर्ग वाले दोष के दूषकतावीज का इस [विसन्धि] दोष के दूषकता बीज के साथ अभेद हो जायेगा इस प्रकार की शङ्का ठीक नहीं है। क्योंकि सन्धि करने पर तो वह विसन्धि दोष नहीं आता है अपितु सन्धि न करने पर ही यह होता है। इस प्रकार [सन्ध्यभावसत्त्वे विसन्धिदोषसत्त्वम् और सन्धौ सत्यां विसन्धिदोषाभावः इस रूप में] अन्वय और व्यतिरेक होने से सन्ध्यभावकृतत्व इस विशेषण से सन्ध्यभावकृत दोष का दूषकतावीज उपहतविसर्गदोष के दूषकताबीज से पृथक् हो जायेगा।

टि०—'धीरो विनीतो निपुणो' जैसे उदाहरणों में सन्धि करने पर उपहत-विसर्ग दोष आता है और तानि इन्दोः जैसे स्थलों में स्वेच्छा से सन्धि न करने पर विसन्धि दोष आता है।

यदि ऐसा न माना जाय अर्थात् उपहतविसर्ग और विसन्धि इन दोनों के

---

१. त; प्रथमोदाहृतदोषे ज अ ।

लत्वं कष्टत्वं चेत्युक्तद्वयमपि न स्यात्। अथ विग्रहेणाश्लीलत्वं न वा कष्टत्वमपितु सन्धौ[1]सत्यामित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सन्धिकृतत्वात् पृथक्, तर्हि प्रकृतेऽपि समः समाधिरिति दिक्। द्वितीये दूषकताबीजं सन्धिकृतासम्यार्थं-

---

दूषकताबीजों को अलग २ न मानकर यदि एक ही मानें तो पहले बतलाए हुए अश्लीलत्व और कष्टत्व इन दोनों दोषों से घिरी हुई विसन्धि में अश्लीलत्व और कष्टत्व यह दोनों दोष भी आ जाएँगे और इस प्रकार पहले बताये हुए इन दोषों की [दूषकता की] पृथक् स्थिति नहीं होगी [इस प्रकार विसन्धि और उपहतविसर्ग पृथक् दोष हैं]।

टि०—सारांश यह है—'बन्धप्रकर्षविरह' दूषकताबीज एक स्थल (विसन्धि) में सन्धि के न होने से होता है और दूसरे स्थल (उपहतविसर्ग) में सन्धि के होने पर होता है। यही इन दोनों दोषों के दूषकताबीजों की कारणता को लेकर अन्तर है। और यदि इस दूषकता के बीज के अन्तर को स्वीकार नहीं किया जायेगा तो अश्लीलत्व और कष्टत्व को उपहतविसर्ग की तरह विसन्धि में अन्तर्भूत करना पड़ेगा। इस प्रकार इन दोनों की पृथक् स्थिति नहीं रहेगी।

और यदि [पूर्वपक्षी की ओर से] यह कहा जाय कि [विसन्धि में] विग्रह करने से अर्थात् सन्धि न करके अलग २ पद रख देने से न अश्लीलत्व होता है और न कष्टत्व दोष रहता है, यदि सन्धि होगी तो ये दोनों दोष रहेंगे और सन्धि नहीं होगी तो नहीं रहेंगे। इस अन्वयव्यतिरेक से 'सन्धिकृतत्व' विशेषण के कारण इन अश्लीलत्व और कष्टत्व की विसन्धि दोष से पृथक्ता है तो यही विशेषण उपहतविसर्ग और विसन्धि में भी पार्थक्य सिद्ध करने के लिए समान रूप से समाधान बन सकता है। यह संक्षेप में [हमारा कहना] है।

टि०—ऊपर दिखाए हुए 'कूपस्थोदकपायिनः' और 'उर्व्यसावत्र०' उदाहरणों में सन्धि करने पर ही अश्लीलत्व और कष्टत्व दोष हैं। यदि यहाँ सन्धि न करें और कूपे स्थस्य (स्थितस्य) उदकस्य पायिनः और उर्वी असौ अत्र इस प्रकार का पाठ रखें तो यह दोष नहीं आते। सन्धौ सत्याम् अश्लीलत्वं कष्टत्वं च सन्धावसत्यां नाश्लीलत्वं नापि कष्टत्वञ्च यह इन दोषों के सम्बन्ध में अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति बन जाती है। 'सन्धिकृत' विशेषण ही इन दोनों को विसन्धि से पृथक् करने वाला हेतु है। सिद्धान्ती का कहना है कि यदि पूर्वपक्षी 'सन्धिकृतत्व' हेतु को अश्लीलत्व और कष्टत्व से पृथक् करने के लिए मानते हैं तो इसी हेतु को उपहत और विसन्धि के मध्य भी पार्थक्यहेतु माना जा सकता है। क्योंकि उपहतविसर्ग सन्धि करने पर ही होता है और विसन्धि सन्धि न करने पर होता है। इस कारण यह दोनों दोष पृथक् २ हैं। पूर्वपक्षी की कसौटी को सिद्धान्ती भी स्वीकार करते हैं।

---

१. ज अ, सन्धावित्य० न।

प्रतीतिः। तृतीये सन्धिकृतावधानविरहः।

हतवृत्तत्वं भग्नयतिकवृत्तत्वमप्राप्तगुरुभावान्त्यलघुवृत्तत्वं रसानुगुण[1]वृत्तत्वमिति लक्षणत्रयं बोद्धव्यम्[2] ॥१०५॥

वृत्तदोषत्वेन एकीकृत्य विभागः।

क्रमेण यथा—

दिविषद्वृन्दवन्द्यं वन्दे गोविन्दपदद्वयम्।
पुनातु नरकारिश्चक्रभूषितकराम्बुजः[3] ॥ १६० ॥

अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्यैव सा
सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा।

विसन्धि के दूसरे [यतिनः सन्ति इत्यादि] उदाहरण में सन्धि करने से उत्पन्न व्रीडा और जुगुप्सा के व्यञ्जक असभ्यार्थ [अश्लीलार्थ] का ज्ञान होता है और तृतीय [उर्व्यसावत्र० इत्यादि] उदाहरण में सन्धि करने में सावधानी बरतने का अभाव है अर्थात् सन्धि करने की असावधानी से अर्थज्ञान में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

४. हतवृत्तदोष—१. यतिरहित छन्द [यतिभङ्ग] का होना, २. अन्तिम लघुवर्ण को गुरुभाव न प्राप्त होने पर भी गुरुभाव प्राप्त करने वाले शब्द का होना ३. रस के प्रतिकूल [अनुपयुक्त] छन्द का होना यह तीन लक्षण हतवृत्त के समझने चाहिएँ ॥१०४॥

इन तीनों में छन्दसम्बन्धी दोष समान रूप से पाये जाने के कारण इनका एक भेद होता है। तीनों के क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हैं—

[भग्नयतिक का उदाहरण]

देवताओं के समूह द्वारा नमस्कार करने योग्य भगवान् विष्णु के दोनों चरणों को नमस्कार करता हूँ। नरकासुर के शत्रु और चक्र से शोभित करकमल वाले भगवान् [हम सबको] पवित्र करें ॥१६०॥

[२. अप्राप्तगुरुभावान्त्यलघुवृत्त का उदाहरण]

[सौन्दर्य आदि गुणों से युक्त] गुणरत्नों को उत्पन्न करने वाली रोहण [रत्नोत्पादकपर्वतविशेष] भूमि कुछ और ही है, वह सौभाग्यशालिनी मिट्टी कुछ और ही है तथा वे उपादान सामग्रियाँ भी कुछ और ही हैं जिनसे विधाता ने इस युवक की रचना की है, जिसको देखकर सुन्दरशोभाशाली और किंकर्तव्यविमूढ [हक्के

---

१. ज अ; रसानुवृत्तत्वम् त।
२. ज अ; बोध्यम् त।
३. ज अ; त में पुनातु० इत्यादि उत्तरार्ध का पाठ पहले तथा दिविषद्० इत्यादि पूर्वार्ध का पाठ बाद में है।

श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्स्त्रीणां नितम्बस्थलाद्
दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च ॥ १६१॥
अत्र वस्त्राण्यपीति पाठे लघुरपि गुरुरिव भासते ।

तथा[1]—

कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं
मनुजपशुभिर्निर्मर्यादैर्भवद्भिरुदायुधैः ।
नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीटिना-
मयमहमसृङ्मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम् ॥१६२॥

अत्र[2] हरिणीछन्दसः प्रकृतरसाननुगुणत्वात् । क्रमेण दूषकताबीजानि—एकत्र यतिभङ्गः परत्र वृत्तभङ्गः तृतीये प्रतिकूलवृत्तत्वज्ञाने सति रसानुद्‌बोधनिगमेन तस्य प्रतिबन्धकल्पना[3] ।

बक्के] शत्रुओं के हाथ से बाणादि अस्त्र और रूपवती सुन्दरियों के नितम्बस्थल से वस्त्र खिसक पड़ते हैं ॥१६१॥

यहाँ [वस्त्राणि च इसके स्थान पर] वस्त्राण्यपि यह पाठ हो जाने पर यह लघु वर्ण [संयोग के अनन्तर उच्चारित होने से उच्चारण में दृढ़ता आने से] गुरु जैसा प्रतीत होने लगेगा ।

और [३. रसाननुगुणवृत्त का] उदाहरण—

हाथ में शस्त्र लिए हुए, मर्यादा का पालन न करने वाले नरपशुओं के सदृश जिन आप लोगों ने [आचार्य द्रोण का शिरश्छेदन रूप] यह महान् पातक किया है, अथवा [कृष्ण आदि जिन्होंने उसका] अनुमोदन किया है अथवा [भीम, अर्जुन आदि जिन्होंने धृष्टद्युम्न को रोकने का यत्न न करके खड़े २ प्रसन्नतापूर्वक] इस बड़े पाप को देखा है, नरकासुर के शत्रु कृष्ण, भीम तथा अर्जुन के सहित उन [धृष्टद्युम्न आदि] के रक्त, चर्बी और माँस से मैं अभी दिशाओं को बलि देता हूँ ॥१६२॥

टि०—वेणीसंहार नाटक(३,२१) में द्रोणाचार्य के अनुचित ढंग से किये गए वध के समाचार को सुनकर अश्वत्थामा क्रोधित होकर उपर्युक्त श्लोक कह रहा है ।

यहाँ हरिणी छन्द के प्रस्तुत [रौद्र] रस के अननुरूप होने के कारण (रसाननुगुणवृत्त दोष है । [हरिणी छन्द शृङ्गार रस के लिए उपयोगी होता है] । इन तीनों में क्रमशः दूषण के निम्नलिखित कारण हैं— पहले में यतिभङ्ग है, दूसरे में छन्दोभङ्ग है और तीसरे में रस के प्रतिकूल [विपरीत] छन्द के ज्ञान होने पर रसाविर्भाव के ज्ञान का अभाव होने से उसके भीतर रस के प्रतिबन्धक होने की कल्पना की जाती है ।

---

१. त; ज अ में तथा नहीं ।
२. त; जअ में अत्र परित्यक्त ।
३. अ: प्रतिबन्धकल्पनादिति ज त ।

न्यूनपदं झटित्यनुपस्थितान्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदराहित्यं लक्षणम् ॥१०६॥

यत्र च प्रकरणादिना तत्पदं झटित्युपतिष्ठते तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रथमं विशेषणम् । यथा—

छाया वियोगिवनितेव[1] गता कृशत्वं
तप्तं पयः पिशुनमानसवद् बभूव ।
केनाधुना वद मनागवलोकनीयः
क्रुद्धोत्तमर्णमुखमण्डलवत् पतङ्गः ॥१६३॥

टि०—पहले श्लोक (दिविषद्० इत्यादि) में अनुष्टुप् छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में आठ २ अक्षर होते हैं और आठवें वर्ण के बाद यति होती है किन्तु यहाँ पहले पाद में ७ वर्ण पर, दूसरे में ६ वर्ण पर, तीसरे में पुनः ७ वर्ण पर और चौथे में फिर ६ वर्ण पर यति हो रही है जो कि अनुष्टुप् छन्द के नियम के विरुद्ध है । अन्यास्ता० इत्यादि दूसरे में वृत्तभङ्ग है । इस श्लोक में शार्दूलविक्रीडित छन्द है । सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम् इस लक्षण के अनुसार इसके प्रत्येक पाद का अन्तिम अक्षर गुरु होना चाहिए । यहाँ चतुर्थ चरण का अन्तिम वर्ण च है जो स्वरूपतः लघु है परन्तु 'वा पादान्ते' इस नियम के अनुसार वह गुरु हो सकता है । यहाँ च शब्द में स्वाभाविक शैथिल्य है, वह गुरु रूप में अनुभव में नहीं आता है । उसको वदलकर वस्त्राण्यपि यह पाठ कर देने पर भी यद्यपि अन्तिम अक्षर 'पि' स्वरूपतः लघु ही है परन्तु संयुक्ताक्षर से परे होने से वह गुरुभाव को प्राप्त होता है ।

५. न्यूनपद—शीघ्र न प्रतीत होने वाले वाच्यार्थ के अन्वय से सम्बन्धित अर्थ के उपस्थापक पद का अभाव न्यूनपद का लक्षण है ॥१०५॥

और जहाँ प्रकरणादि के कारण वह पद शीघ्र उपस्थित हो जाता है वहाँ से अतिव्याप्ति हटाने के लिए प्रारम्भ का 'झटित्यनुपस्थितान्वयप्रतियोगि' यह विशेषण रखा है ।

टि०—ग्रन्थकार का आशय है कि 'देवदत्तः क्व गच्छति' जैसे वाक्यों के उच्चारण के अनन्तर किसी के 'ग्रामम्' एतावन्मात्र उत्तर से देवदत्तः और गच्छति की प्रतीति प्रकरणादि से स्वतः हो जाती है । ऐसे स्थलों पर न्यूनपद दोष नहीं माना जाता है किन्तु जहाँ किसी अपेक्षित अर्थ को वताने वाले पद का प्रयोग नहीं हुआ हो वहीं यह दोष होता है ।

[न्यूनपद दोष का उदाहरण] जैसे—

विरहिणी नारी की भाँति छाया कृशता को प्राप्त हो गई है । पानी चुगलखोर व्यक्ति के हृदय की तरह गर्म हो गया है । गुस्से से भरे हुए [तमतमाये] साहूकार के मुखमण्डल की तरह देदीप्यमान सूर्य की ओर बताओ तो सही किससे थोड़ा देखा जा सकता है ? ॥१६३॥

---

[1] ज म. वियोगवनितेव च ।

अत्र मनागपीति वाच्यम् । पदज्ञानविरहोऽत्र दूषकताबीजम् ।

पदज्ञानाभावात् कुतः पदार्थोपस्थितिः । कथं वाऽन्वयबोधः । दूरेऽस्तु रसवार्ता ।

अधिकपदत्वं चान्यत उपलब्धार्थप्रत्यायकत्वं लक्षणम्[1] ॥ १०७ ॥

यथा—

इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः ।
यदपि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा ॥ १६४ ॥

प्रस्तुत श्लोक में 'मनागपि' इस रूप में पद रखना चाहिए ।

टि०—यहाँ मध्याह्नकालिक सूर्य का वर्णन है । यहाँ पर मनाक् इतने ही पद से यह अर्थ निकल रहा है कि किससे थोड़ा देखा जा सकता है अर्थात् सब उसे ज्यादा देख सकते हैं किन्तु वास्तव में यहाँ अपि पद के अभाव में ठीक अर्थ नहीं निकल रहा है । अपि शब्द लगाने पर किसके द्वारा तनिक भी देखा जा सकता है अर्थात् कोई ज़रा भी नहीं देख सकता है यह अपेक्षित अर्थ प्रतीत हो जायेगा ।

यहाँ [वाक्य के लिए अपेक्षित उपयुक्त] पद के ज्ञान का अभाव ही [इस दोष की] दूषकता का कारण है ।

पद के बोध के अभाव में उस पद से प्रतीत होने वाले अर्थ की उपस्थिति [ज्ञान] भला कैसे हो सकती है ? और कैसे अन्वय की प्रतीति हो सकती है ? रस की कहानी [प्रतीति] तो दूर की बात है [जब वाच्यार्थ ही ठीक तरह नहीं प्रतीत होता तो रस कैसे आ सकता है ?] ।

६. अधिकपद—दूसरे शब्द से प्रतीत हुए [उसी] अर्थ का बोधक होना ही अधिकपद दोष का होना है—यह लक्षण है ॥१०७॥

[अधिकपददोष का उदाहरण] जैसे—

इस संसार में मनुष्यों के भीतर बुढ़ापे में भी जो कामसम्बन्धी विकार पाये जाते हैं वह अनुचित हैं और क्रमरहित अर्थात् शास्त्रादि के प्रतिकूल हैं । और जो स्त्रियों का जीवन और सम्भोग स्तनों के ढीले हो जाने तक नहीं किया यह बात भी अनुचित है ॥१६४॥

टि०—यहाँ स्त्रियों के जीवन और उनकी सुरतक्रिया की अवधि स्तनों के ढीले होने से पहले तक ही बताई है । स्तनों के ढीले हो जाने के बाद उन्हें न जीवित रहना चाहिए और न कामक्रीडा में संलग्न होना चाहिए । स्तन-शैथिल्य के बाद भी यदि वह जीवित रहती हैं और उनमें कामेच्छा रहती है तो यह अनुचित है ।

---

१. ज अ; लक्षण त में परित्यक्त

अत्र कृतमिति। कृतम् प्रत्युत प्रक्रमभङ्गमावहति। आकाङ्क्षाविरहो दूषकताबीजमिति केचित्।

निष्फलत्वज्ञानं दूषकताबीजमित्यपरे। तस्मिन् सति रसोद्बोधवैगुण्यस्यानुभवसाक्षिकत्वात्।

कथितपदं लक्षयति—

प्रयोजनशून्यत्वे सति एकवाक्यविषयकं समानार्थकसमानानुपूर्वीकपदत्वं लक्षणम् ॥१०८॥

यहाँ [तृतीय चरण में] 'कृतम्' यह पद [अधिक होने से अनावश्यक है]। यह पद कृतं [न केवल अनावश्यक ही है] बल्कि भग्नप्रक्रम दोष को भी उत्पन्न कर रहा है।

टि०—काव्यप्रकाश (७, २२३) में भी यह उदाहरण इसी दोष का दिया हुआ है। यह दोष अनावश्यक होने के साथ २ भग्नप्रक्रम दोष को भी उत्पन्न कर रहा है। 'कृतम्' पद का प्रयोग अनावश्यक तो इस कारण है—यत् इह पुंसां जरास्वपि मान्मथा विकारा इदमनुचितम् यह बात कहने के बाद यदपि च नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा तदपि अनुचितम् यह बात स्वत: आ रही है जैसे वृद्धावस्था में पुरुषों के अन्दर कामवासना के विकारों का आना अनुचित है वैसे ही स्त्रियों का स्तनशैथिल्य के बाद जीवित रहना और रति की इच्छा का बना रहना अनुचित है। इस प्रकार कृतम् शब्द की आवश्यकता नहीं है। नियम यह है कि जिस रूप में प्रारम्भ किया जाए उसी रूप में उपसंहार करना चाहिए। यहाँ इदमनुचितं से आरम्भ किया है तो इदमपि अनुचितम् इसी रूप में तृतीय चरण में उपसंहार करना चाहिए, इसके स्थान पर यदपि च न कृतम् ठीक नहीं है।

यहाँ [इस दोष में] कुछ विद्वान् पदों में आकाङ्क्षा का अभाव दूषकता का कारण है—ऐसा मानते हैं।

टि०—इदमनुचितम्० इत्यादि श्लोक में कृतम् पद की अन्य पदों को आकाङ्क्षा नहीं है। आकाङ्क्षा न होने से यह पद दोष को उत्पन्न कर रहा है।

[पदों की] निष्फलता—व्यर्थता का ज्ञान दोष का कारण है यह दूसरे आचार्य मानते हैं क्योंकि इस प्रकार के व्यर्थ पदों के रख देने पर रसाभिव्यक्ति में गुणविहीनता [चमत्कारहीनता] आ जाती है यह बात अनुभवसिद्ध है [अर्थात् अनुभव यह बताता है कि रसचर्वणा में अधिकपद बाधक है।

७. कथितपद—कथितपद का [ग्रन्थकार] लक्षण करते हैं—

प्रयोजनराहित्य [निष्प्रयोजनता] होने पर एक ही वाक्य का विषय बनना अर्थात् एक ही वाक्य में प्रयुक्त होना तथा समानक्रम वाले पदों से [पदों की ज्यों की त्यों आवृत्ति से] युक्त होना ही कथितपदत्व है [जहाँ एक पद को ज्यों का त्यों दोहरा दिया जाय और उसका कोई प्रयोजन न हो यह अभिप्राय है] ॥१०८॥

उद्देश्यविधेयस्थले लाटानुप्रासादौ चातिव्याप्तिवारणाय[1] सत्यन्तम् ।
यथा—

अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला
परिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली ।
सुतनु ! कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव
स्मरनरपतिलीलायौवराज्याभिषेकम् ।। १६५ ।।

अत्र लीलेति[2] । दूषकताबीजं चात्र सिद्धे इच्छाविरह इति न्यायेनोपभुक्तभोगवदि[3]च्छाविच्छेदः ।

और उद्देश्यविधेय वाले स्थल लाटानुप्रासादि में [कथितपदता की] अतिव्याप्ति हटाने के लिए 'प्रयोजनशून्यत्वे सति' यह सतिपर्यन्त विशेषण लगाया हुआ है ।

टि०—यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ।
यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ।।

काव्यप्रकाश (९, ३५९) के इस लाटानुप्रास के उदाहरण में अनेक पदों की समानुपूर्वीक अर्थात् यथाक्रम आवृत्ति है किन्तु यह आवृत्ति प्रयोजनपूर्वक है । पूर्वार्द्ध में 'तुहिनदीधिति' में दवदहनत्व विधेय है और उत्तरार्ध में 'दवदहन' में तुहिनदीधितित्व विधेय है । इसलिए उद्देश्यविधेयभाव में भेद होने से अर्थ में भी भेद आ जाता है । इस कारण यहाँ अर्थभेद रूप सप्रयोजनता होने से कथितपदता का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता ।

[कथितपद का उदाहरण] जैसे—

हथेली रूपी शय्या पर शयन की लीला को करने वाली और [इसी कारण हाथ की रगड़ के] मिलने के कारण नष्ट हुई पाण्डिमा वाली [अर्थात् उदित लालिमा के कारण लाल २] तुम्हारी कपोलस्थली, हे सुन्दरी ! यह बताओ कामरूपी राजा के युवराजपद पर शीघ्र ही होने वाले किसके अभिषेक को सूचित कर रही है ।।१६५।।

यहाँ लीला यह पद [प्रथम तथा चतुर्थ चरण में दो जगह प्रयुक्त हुआ है । अतः कथितपद या पुनरुक्त है, स्मरनरपतिलक्ष्मी पाठ ठीक है] 'सिद्धे इच्छाविरहे न पुनरिच्छा' एक बार इच्छापूर्ति होने पर पुनः उस वस्तु की इच्छा नहीं होती इस नियम से जिस वस्तु का एक बार भोग कर लिया हो जैसे उसको पुनः भोगने की इच्छा नहीं होती वैसे ही [जिस पद का एक बार प्रयोग कर लिया है उस] पद के पुनः प्रयोग की इच्छा नहीं रहती [अतएव उसका पुनः प्रयोग व्यर्थ होता है] । नवीन

---

१. ज अ;...निरासाय त
२. उपरिलि त; ज अ में अत्र लीलेति परित्यक्त
३. ज अ; भोग इव तदिच्छाविच्छेदः...त

नव्यास्तु—सत्यप्यर्थभेदतात्पर्ये पदैक्यादर्थैक्यत्वप्रतिभास[1] एव दूषकताबीजम्। यथा—यस्ताम्रः स एवास्तमेतीतिवत्, या स्वापलीला तत्रैव यौवराज्याभिषेकं व्यञ्जयतीत्यभेदप्रतीतिः स्यादित्याहुः।

"पतत्प्रकर्षं तद्वाक्यं बन्धादावुत्तरोत्तरम्॥
पूर्वानुसारतः कोऽपि निकर्षो यत्र जायते॥ १०६॥

बन्धस्त्रिधा—गाढो मध्यो मृदुश्च। तत्र गाढेनारम्भे मृदुमध्याभ्यां समापने अस्य दोषत्वम्, न तु वैपरीत्येन। यथा—

उद्दामद्युमणिद्युतिव्यतिकरप्रक्रीडदर्कोपल-
ज्वालाजालजटालजाङ्गलततीनिष्कूजकोयष्टयः।
भौमोष्मप्लवमानसूरकिरणक्रूरप्रकाशा दृशो-
रायुः कर्म समापयन्ति धिगमूर्मध्याह्नशून्या दिशः॥१६६॥

आचार्यों का तो [कहना है]—अर्थभेद रूप तात्पर्य के रहते हुए भी एक पद के [पुनरावृत्त] होने के कारण एक ही अर्थ की आपाततः प्रतीति का होना ही दोष का कारण है। जैसे [उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च इस श्लोक में] जो ताम्र [लाल] है वही [ताम्र] अस्त को प्राप्त होता है इस उदाहरण की तरह जो शयनलीला है उसी में यौवराज्याभिषेक है इस अर्थ को लीला पद अभिव्यक्त करता है। इस रूप में दोनों लीलापदों का अर्थ एक होगा।

टि०—यहाँ लीला शब्द के यद्यपि अर्थ अलग २ हैं स्वापलीला का अर्थ है सोने की क्रिया और स्मरलीला का अर्थ है कामरूपी राजा की क्रीडा परन्तु दोनों ही स्थानों पर शोभारूप एक ही अर्थ भासित होता है।

८. पतत्प्रकर्ष वह वाक्य होता है जहाँ किसी प्रबन्ध आदि में पूर्व २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर रचना में किसी प्रकार का अपकर्ष उत्पन्न हो जाता है॥१०६॥

बन्ध तीन प्रकार का होता है—१. गाढ, २. मध्य और ३. मृदु। काव्य में गाढरचना से आरम्भ करके मृदु और मध्य से समाप्ति कर देने पर इस पतत्प्रकर्ष दोष की दूषकता आ जाती है। किन्तु यदि इससे उल्टा हो जाय तो यह दोष नहीं होता है [अर्थात् यदि मृदु या मध्य से रचना का आरम्भ हो और गाढ़ से समापन हो तो यह दोष नहीं होता]।

[पतत्प्रकर्ष का उदाहरण] जैसे—

अत्युष्ण [प्रखर] सूर्य की चमक के सम्पर्क के कारण खेलती हुई [जाज्वल्यमान] सूर्यकान्त मणि की ज्वालाओं के समूह से जटाओं वाले जङ्गलों [के वृक्षों] की लताओं में निःशब्द शिखरी [जलमुर्गा] नामक पक्षियों वाली, पृथिवी की गर्मी में तैरती हुई सूर्य की किरणों के प्रचण्ड प्रकाश से युक्त और मध्याह्न काल में सन्नाटे वाली यह दिशायें नेत्रों की आयु [सामर्थ्य] और [लोगों के] कर्म की समाप्ति कर

---

१. ज अ: प्रतिभानम् त।

अत्र पूर्वार्धे बन्धदार्ढ्यमुत्तरार्धे बन्धशैथिल्यम् ।

दूषकताबीजं चात्र बन्धनिकर्षः। केचित्तु प्रारब्धानुप्रासभङ्ग एव दूषकताबीजमित्याहुः । न चात्र भग्नप्रक्रमत्वशङ्का बन्धाश्रयत्वेन एतस्य विशेषात् ।

समाप्तपुनरात्तं[1] लक्षयति—

जनितान्वयबोधस्य विशेष्यस्यानुकर्षकम् ।
विना, विशेषणमात्रान्वयार्थावृत्ति लक्षणम् ॥ ११० ॥

रही हैं। अर्थात् न नेत्र देख पाते हैं और न किसी प्रकार का लोग काम कर पाते हैं। यह बड़े धिक्कार की बात है ॥१५६॥

[दोपहर के समय की भयानक प्रकृति के] इस वर्णन में [श्लोक के] पूर्वार्ध में दृढ़बन्ध [कठोर वर्णों वाली तथा दीर्घसमास वाली रचना] है और उत्तरार्ध में रचना का शैथिल्य [अर्थात् कोमलवर्ण वाली रचना है] ।

यहाँ पर [शिथिल वर्ण होने से] रचना का अपकर्ष ही दोष का कारण है। कुछ आचार्य तो प्रारम्भ किए हुए [उद्दामद्युमणिद्युतिकर० में द् म आदि रूप] अनुप्रास का टूटना ही दोष का कारण है ऐसा कहते हैं। और यहाँ भग्नप्रक्रम दोष की शङ्का नहीं करनी चाहिए ।

टि०—यहाँ भग्नप्रक्रम दोष है, क्योंकि श्लोक का आरम्भ कठोर वर्णों से किया गया है और अन्त शिथिल वर्णों से हुआ है। नियम यह है कि येन रूपेणारम्भः तेनैव रूपेण परिसमाप्तिर्भवितव्या। इस नियम का भङ्ग होने से भग्नप्रक्रम दोष हो जाता है।

और यहाँ अर्थानुसारी शब्दरचना होने के कारण भग्नप्रक्रम दोष नहीं हो सकता क्योंकि भग्नप्रक्रम से इस दोष [पतत्प्रकर्ष] का भेद है।

टि०—यहाँ पूर्वार्ध में पहले सूर्य की ज्वाला तथा सूर्यकान्तमणि की उष्णता का वर्णन है उन दोनों का ताप प्रचण्ड है, उत्तरार्ध में सूर्य की किरणों तथा भूमि की उष्णता का वर्णन है। इस कारण कठोर पद प्रयुक्त किए गए हैं। किन्तु पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत मृदु पदों के कारण यह दोष आ गया है।

६. समाप्तपुनरात्त—समाप्तपुनरात्त दोष का [ग्रन्थकार] लक्षण करते हैं—

उत्पन्न हुए अन्वय के ज्ञान वाले [अर्थात् जिसके अन्वय का ज्ञान ठीक २ हो गया है इस प्रकार के] विशेष्य के अनुकर्षक विशेषण मात्र के अन्वय के लिए आवृत्ति का होना समाप्तपुनरात्त दोष होता है ॥११०॥

टि०—विशेषण विशेष्य का अनुकर्षक होता है जैसे शुक्लः कहने से पटः

---

१. ज अ; समाप्तपुनरादानम् त

यथा—

ब्रह्माण्डछत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भोरुहो नालदण्डः[1]
क्षोणीनो[2]कूपदण्डः स्रवदमरसरित्पट्टिकाकेतुदण्डः ।
ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः
श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः ।। १६७ ।।

अत्र[3] वितरत्वित्यन्त एव वाक्यपरिपूर्त्तेः । वस्तुतस्तु क्रियाकारकभावेनान्वयबोधे जाते पुनर्विशेषणान्वये निराकाङ्क्षत्वमेव दूषकताबीजं वाच्यम् । तत्तु न घटते पुनर्विशेषणांशेऽपि तात्पर्यसत्त्वेन तात्पर्यविषयीभूतान्वयानुभावकत्वरूपाकाङ्क्षायाः सत्त्वान्न दूषकताबीज[4]मिति युक्तं पश्यामः ।

विशेष्य का अनुकर्षण(आकर्षण-आक्षेप) होता हैं । जो विशेषण विशेष्य का अनुकर्षक नहीं है उसका केवल विशेषण रूप से उपादान करना समाप्तपुनरात्त दोष होता है ।

[समाप्तपुनरात्त दोष का उदाहरण] जैसे—

ब्रह्माण्ड रूपी छत्र का डण्डा, ब्रह्मा के उत्पत्तिस्थान कमल का नालदण्ड, पृथिवी रूपी नौका का मस्तूल, वहती हुई देवनदी गङ्गा रूपी रेशमी वस्त्र से बनी हुई ध्वजा से युक्त डण्डा, नक्षत्रसमूह रूप पहिए का अक्षदण्ड [पहिए की नाभि में फँसा हुआ डण्डा-धुरी, शङ्कर की] तीनों लोकों की विजय का [स्मारक] स्तम्भभूत जो भगवान् वामन का श्रेष्ठ चरण है वह आपको कल्याण प्रदान करे और जो राक्षसों के लिए यमदण्ड है ।।१६७।।

यहाँ पर 'वितरतु' इस क्रिया के अन्त तक अर्थात् श्रेयस्त्रैविक्रमस्ते वितरतु पर्यन्त ही वाक्य की पूर्णता [परिसमाप्ति] हो जाती है [अत एव त्रैविक्रमः श्रेयस्ते वितरतु इस रूप में विशेष्य कह देने के अनन्तर फिर विबुधद्वेषिणां कालदण्डः इस विशेषण को रखना व्यर्थ है] । वास्तव में तो क्रिया और कारक रूप से अन्वयबोध हो जाने पर फिर प्रयोग किए गये विशेषण के साथ अन्वय पर होने वाली [उस पुनः प्रयुक्त पद की] निराकाङ्क्षता ही समाप्तपुनरात्त दोष का कारण है ऐसा कहना चाहिए । परन्तु यह बात तो [पूरी तरह] घटती नहीं है क्योंकि फिर प्रयुक्त किए गए विशेषणांश में भी [वक्ता का] अभिप्राय होने से तात्पर्य के विषय बने हुए अन्वय को कराने वाली आकाङ्क्षा के रहने से [इस दोष में] दूषकता का कारण नहीं रहता है इस बात को हम ठीक समझते हैं ।

---

१. ज अ; नालदण्डः त में परित्यक्त
२. त;...नौ ज अ
३. ज अ; अत्र विबुधद्वेषिकाङ्क्षत्वमेव त में अतिरिक्त पाठ
४. त;...नैष दोष इति ज अ

अर्द्धान्तरैकवाचकं लक्षयति—

अर्धनिविष्टवाक्यान्वितपरपदस्य परार्द्धप्रविष्टत्वं[1] लक्षणम् ॥१११॥

यथा—

कृष्णराज त्वदीयेन दानेन परमाणुताम् ।
गतं मधुकणभ्रान्त्या मेरुं पिबति मक्षिका ॥ १६८ ॥

[यथा वा][2]

वक्षःस्थलं मुकुन्दस्य कौस्तुभाङ्कं कपर्दिनः ।
चूडालो बालचन्द्रेण जटाजूटः पुनातु माम्[3] ॥ १६९ ॥

टि०—समाप्तपुनरात्तता दोष तो इसलिए माना जाता है कि इसमें वाक्य पूरा होने पर बाद में रखे हुए विशेषण की आकाङ्क्षा नहीं होती है और दोषाभाव इसलिए है क्योंकि बाद में प्रयुक्त भी उस विशेषण का वाक्य में अन्वय हो जाता है समाप्तपुनरात्त पद का शाब्दिक अर्थ है वाक्य की समाप्ति के बाद भी (किसी निराकाङ्क्ष पद के रूप में) पुनः उपादान अर्थात् प्रयोग करना ।

१०. अर्धान्तरैकवाचक—[ग्रन्थकार अर्धान्तरैकवाचक दोष का] लक्षण करते हैं—किसी श्लोक के पूर्वार्ध के पादों में प्रविष्ट वाक्य के साथ अन्वित होने वाले केवल एक पद का दूसरे उत्तरार्ध के वाक्य में प्रविष्ट हो जाना अर्धान्तरैकवाचक का लक्षण है ॥१११॥

टि०—जहाँ प्रथमार्द्ध का केवल एक पद उत्तरार्ध में कथन के लिए सङ्क्रान्त हो जाता है उसको अर्धान्तरैकवाचक कहते हैं। यहाँ इससे उल्टा भी क्रम हो सकता है अर्थात् उत्तरार्ध के वाक्य का पद यदि प्रथमार्ध के वाक्य में आ जाता है तो भी यह दोष होता है ।

जैसे—

हे राजा कृष्णराज ! तुम्हारे दान के कारण परमाणुता को प्राप्त अर्थात् तुच्छता को प्राप्त होकर कणमात्र बने हुए मेरु को मधुमक्खी शहद के कण के भ्रम से पी रही है ॥१६८॥

टि०—यहाँ पर 'गतम्' पद की स्थिति पूर्वार्ध में होनी चाहिए थी ।

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

कौस्तुभमणि से युक्त भगवान् विष्णु का वक्षःस्थल और चन्द्रकला से कलगीदार भगवान् शिव का जटाजूट [जटासमूह] मुझे पवित्र करे ॥१६९॥

टि०—यहाँ 'कपर्दिनः' शब्द का प्रयोग श्लोक के उत्तरार्ध में होना चाहिए था । यहाँ उत्तरार्ध का एक पद पूर्वार्ध में सन्निविष्ट है ।

---

१. ज अ; वाक्यान्वितपदस्यार्धप्रविष्टत्वं त
२. संशोधित; ज अ त में नहीं
३. त; ज अ में यह श्लोक परित्यक्त

यथा वा—

मसृणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा
विरचय सिचयान्तं मूर्ध्नि घर्मः कठोरः।
तदिति जनकपुत्री लोचनैरश्रुपूर्णैः
पथि पथिकवधूभिर्वीक्षिता शिक्षिता च ॥ १७० ॥

नन्वेवमस्थानस्थात्कथं भेद इति चेत्, उच्यते[1]। व्यवधानं द्विविधम्-

---

अथवा [दूसरा और उदाहरण] जैसे—

क्योंकि] पृथिवी कुशाग्रों से भरी हुई है [तत्—इसलिए] धीरे २ पाँव रखकर चलो। धूप तेज हो रही है इसलिए साड़ी का पल्ला सिर पर डाल लो इस प्रकार [वन जाते समय] रास्ते में राहगीरों की [साथ २ चलने वाली] पत्नियों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से सीता को देखा और समझाया ॥१७०॥

टि०—राजशेखरकृत बालरामायण नाटक में सीता को वन में छोड़कर आने पर सुमन्त्र की दशरथ के प्रति यह उक्ति है। यहाँ पृथिवी सदर्भा है इसलिए धीरे २ चलो और धूप तेज है इसलिए सिर पर कपड़ा डाल लो इस रूप में हेतुभूत तत् का प्रयोग पूर्वार्ध में होना चाहिए था किन्तु केवल इस एक पद का ही उत्तरार्ध में प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ अर्धान्तरैकवाचक दोष है। काव्यप्रकाश (७.२२७) में इसी दोष का यही उदाहरण दिया हुआ है।

[शङ्का] इस प्रकार अस्थानस्थ पद से इसका कैसे भेद है यदि ऐसा कहा जाय,

टि०—जो पद ठीक स्थान पर नहीं रखा हुआ हो वह अस्थानस्थपद कहलाता है।

द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां
समागमप्रार्थनया कपालिनः।
कला च सा कान्तिमती कलावत-
स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी॥

कुमारसम्भव के इस श्लोक में प्रयुक्त च शब्द का प्रयोग त्वमस्य के स्थान पर त्वं चास्य इस रूप में होना चाहिए क्योंकि च को इतनी दूर रखने से दूरान्वय होता है।

तो यह [हमारी ओर से] कहा जा रहा है। व्यवधान दो प्रकार का होता है—१. पदकृत और २. यतिकृत। पहले अर्थात् पदकृतव्यवधान में अस्थानस्थता दोष है और अन्तिम अर्थात् दूसरे (यतिकृतव्यवधान] में अर्धान्तरैकवाचकता।

---

१. त, ज अ में परित्यक्त

पदकृतं यतिकृतं च । तत्राद्येऽस्थानस्थता अन्त्ये अर्धान्तरैकवाचकता । एकत्रोभयसन्निपाते यस्योद्भटत्वं तेन व्यवहारः प्राधान्येनेति न्यायात् । दूषकताबीजं च एकत्र पदकृतासत्तिविरहः अपरत्र यतिकृत इति । आसत्तिश्चाव्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदत्वम् ।

अभवन्मतयोगं लक्षयति—

विवक्षितसम्बन्धाप्रत्ययकवाक्यत्वं लक्षणम्[1] ॥ ११२ ॥

यथा—

वामां वामाङ्गभागे कलयति मदनप्लोषकीर्त्ति च धत्ते
सर्वैश्वर्याकुलस्याप्यशुचिनरशिरो भाति भिक्षाकपालम् ।
दाता मुक्तेर्गरीयान् भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः
सोऽयं मायाप्रपञ्चः कलयतु विभवं चन्द्रचूडो जनानाम् ॥ १७१ ॥

यह दोनों दोष यदि किसी एक जगह में आ जायें तो जिसकी अधिक प्रचण्डता होगी उसी के नाम से वहाँ व्यवहार होगा अर्थात् उसी दोष का नाम वहाँ माना जायेगा । क्योंकि नियम है कि नामकरण प्रधानता को लेकर ही होते हैं ।

टि०—अस्थानस्थपदता का मूलाधार पद है और अर्धान्तरैकवाचक का मूलाधार यति है । जब पद ठीक स्थान पर नहीं होता तो पहला दोष होता है और जब यति में व्यवधान आयेगा तो दूसरा दोष होता है ।

इन दोनों में दूषकता का कारण एक [पहले अस्थानस्थ दोष] में आसत्ति [सन्निधि] का अभाव है और दूसरे [अर्धान्तरैकवाचक दोष] में यतिकृत [आसत्ति का अभाव] है । व्यवधान के बिना अन्वय से सम्बन्धित अर्थात् परस्परान्वित पदों की उपस्थिति को आसत्ति कहते हैं ।

११. अभवन्मतयोग—[ग्रन्थकार] अभवन्मतयोग दोष का लक्षण करते हैं—

वक्ता द्वारा अभीष्ट सम्बन्ध के बोधक वाक्य का न होना अभवन्मतयोग कहलाता है । यह इसका लक्षण है ॥११२॥

अभवन्मतयोग का उदाहरण] जैसे—

जो अपनी देह की बाईं ओर सुन्दरी पार्वती को रखते हैं और कामदहन के यश को धारण करते हैं, सारे ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी जिन महादेव जी का अपवित्र नरमुण्ड भिक्षाकपाल के रूप में शोभित होता है । और जो संसार में मोक्ष के बहुत बड़े दाता हैं किन्तु स्वयं मुक्त नहीं हैं वह यह महादेव सम्बन्धी माया का विस्तार लोगों के लिए सम्पत्ति को धारण करे अर्थात् मनुष्यों को वैभव प्रदान करे ॥१७१॥

---

१. ख ग, लक्षणम् न

अत्र मायाप्रपञ्चेन सार्धं पूर्वविशेषणानामनन्वयात् । तच्छब्दाक्षिप्त-यच्छब्देन सह सुतरामित्यभवन्मतयोगत्वम् ।

सर्वैश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालं
स्थायी मायादुरूहस्त्रिजगदिदं पातु चन्द्रावतंसः ।।

इति युक्तम् ।[1]

दूषकताबीजं चात्र मतसम्बन्धाप्रतीतिः ।

यहाँ पहले प्रयुक्त विशेषणों का मायाप्रपञ्च के साथ अन्वय न होने के कारण [अभवन्मतयोग है] तत् शब्द से आक्षिप्त यत् शब्द के [अर्थ शिव] के साथ कवि के अभिलषित अर्थ [मायाप्रपञ्च] का यहाँ सम्वन्ध नहीं हो रहा है ।

टि०—वहाँ कवि ने पहले तीन पादों में जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वह महादेव जी के हैं किन्तु सोऽयं मायाप्रपञ्चः कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि को इन विशेषणों का सम्वन्ध मायाप्रपञ्च के साथ अभिलपित है परन्तु यहाँ महादेव जी के वामाङ्गभाग में पार्वती वैठती हैं मायाप्रपञ्च के नहीं । अन्य विशेषणों का भी सीधा सम्बन्ध महादेव जी के साथ है मायाप्रपञ्च के साथ नहीं । सोऽयं में तत् शब्द के द्वारा यत् शब्द का आक्षेप होता है । यह जो वामाङ्ग भाग में वामा को धारण करता है वह मायाप्रपञ्च यह अर्थ सोऽयं कहने से आयेगा । 'यत्तदोर्नित्य-सम्वन्धः' इस सम्वन्ध से यदि 'जो' कह दिया जाता है तो उसके साथ 'वह' का अर्थ भी समझ लिया जाता है । इसी प्रकार 'वह' कहने पर 'जो' का अर्थ भी स्वतः आ जाता है । कहा भी जाता है—

तच्छब्देन तु यच्छब्दो वोद्धव्यः सततं बुधैः ।
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः समुदाहृतः ।।

'सर्वैश्वर्याकुलोऽपि...चन्द्रावतंसः' यह पाठ रखना ठीक है [इस प्रकार के पाठ से उपर्युक्त दोष दूर हो जाएगा] ।

टि०—सारे ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी जो अपने हाथ में एक नरमुण्ड के कपाल [खप्पर] को प्रदर्शित करते हैं शाश्वत एवं अपनी माया के कारण अगम्य [अज्ञेय चन्द्रशेखर शिव इस त्रिभुवन की रक्षा करें । यह अन्तिम पङ्क्तियों का अर्थ है।

और यहाँ कवि अथवा वक्ता के अभिलषितार्थ के साथ रहने वाले सम्बन्ध की प्रतीति का न होना ही [दोष की दूषकता का कारण है ।

---

१. ज अ;

सर्वैश्वर्यप्रपन्नोऽप्यतिदिशति परं पाणिपात्रे कपालम् ।
पायान्मायाविलासी सकलमिह जनं कोऽपि चन्द्रार्धचूडः ।।

इति तु युक्तम् । त

अनभिहितवाच्यं लक्षयति—

विरुद्धार्थबोधापनोदकपदरहितवाक्यत्वम् ॥ ११३ ॥

यथा—

त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः
प्रणयभङ्गपराङ्मुखचेतसः ।
कमपराधलवं मम पश्यसि
त्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥ १७२ ॥

अत्र तादृशापिपदराहित्यम् । दूषकताबीजं चात्रान्वयप्रतियोग्युपस्थितिविरहविशिष्टविरुद्धार्थप्रतीतिः । अतएव न्यूनपदे अन्वयप्रतियोग्युपस्थितिविरहः । विरुद्धे च विरुद्धार्थप्रतीतिर्दूषकताबीजम्, प्रकृते च विशिष्टमिति ततो भेद इति ।

---

१२. अनभिहितवाच्य—ग्रन्थकार अनभिहितवाच्य दोष का लक्षण करते हैं—

विरुद्धार्थ के ज्ञान के हटाने वाले पद से रहित वाक्य का होना अनभिहितवाच्य है ॥११३॥

[अनभिहितवाच्य का उदाहरण] जैसे—

हे मानवती सुन्दरी ! तुमसे प्रेम करने वाले, प्रिय बोलने वाले, और प्रेम-भङ्ग से विरुद्ध चित्त वाले अर्थात् प्रेम के टूटने के डर से सदा डरकर निरन्तर प्रेम करने वाले मेरे किस छोटे से [भी] अपराध को तुम देख रही हो जिसके कारण इस सेवक अपने आदमी को छोड़ रही हो ॥१७२॥

इस श्लोक में तादृश अर्थात् विरुद्धार्थ के ज्ञान को हटाने वाले अपि शब्द का राहित्य है [कमपराधलवमपि पश्यसि पाठ कर देने से दोष हट जायेगा] ।

टि०—श्लोक में दिए हुए 'कमपराधलवं मम पश्यसि' से यह अर्थ निकलता हैं कि तुम मेरे किस छोटे अपराध को देख रही हो, मैं तो और भी बड़े बड़े अपराधों को करने वाला हूँ । किन्तु वक्ता का यह अभिप्राय है—अपराध के किस छोटे से भाग को अर्थात् बहुत छोटे अपराध को देख रही हो और तनिक सी भी भूल पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए ।

और यहाँ [वाक्य के] अन्वय से सम्बन्धित अर्थ की उपस्थिति के अभाव से युक्त विरुद्धार्थ की प्रतीति ही दोष का कारण है [अर्थात् वास्तविक अर्थ से विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होने के कारण यहाँ यह दोष है] । इसीलिए न्यूनपद में अन्वय के कराने से सम्बन्धित पद का अभाव होता है और विरुद्ध दोष में विरोधी अर्थ का ज्ञान दोष का कारण होता है किन्तु प्रकृत अनभिहितवाच्य में विशेषणविशिष्ट पद का अभाव दोष का कारण होता है [उपर्युक्त 'अपराधलवम्' में अपि विशेषण की न्यूनता है] इस कारण उन दोनों दोषों से इस अनभिहितवाच्य दोष का भेद है ।

परे तु पदं द्विविधं वाचकं द्योतकञ्च । पूर्वस्य न्यूनत्वे न्यूनपदत्वमुत्तरस्य न्यूनत्वे अनभिहितवाच्यत्वम् । तथा च न्यूनपदलक्षणे वाचकपदरहितत्वमिह तु द्योतकपदरहितत्वमित्यूचुः । अस्थानस्थं लक्षयति—

आसत्तिविरहितत्वे सति विरुद्धार्थप्रत्यायकत्वम् ॥११४॥

न चाक्रमे अर्धान्तरवाचके वातिव्याप्तिः तत्र विरुद्धार्थप्रत्यायकपदत्वात्

यथा—

भैरवदर्शनसमये कैरवबन्धुर्विलोकितः कोऽपि ।
यद्विरहादिदमल्पं दिनमपि कल्पैः समं याति[1] ॥ ॥ १७३ ॥

अत्राल्पमपीति योज्यम् ।

दूसरे विद्वान् तो इस प्रकार इसकी व्याख्या करते हैं—पद दो प्रकार का होता है—१. वाचक और २. द्योतक । वाचक पद के न्यून होने पर न्यूनपदत्व और बाद के अर्थात् द्योतक पद की न्यूनता होने पर अनभिहितवाच्य दोष होता है । और न्यूनपद दोष के लक्षण में वाचक पद की न्यूनता होती है तथा इस अनभिहितवाच्य दोष में द्योतक पद का अभाव होता है ।

१३. अस्थानस्थ—ग्रन्थकार अस्थानस्थदोष का लक्षण करते हैं—

आसत्तिरहित होने पर विरोधी अर्थ का बोधक अस्थानस्थ पददोष होता है ॥११४॥

और अक्रम या अर्धान्तरवाचक में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती क्योंकि उन दोनों में विरोधी अर्थ को बताने वाला पद होता है ।

अस्थानस्थपद का उदाहरण जैसे—

भगवान् भैरव के दर्शन के समय [मन्दिर में] किसी अनिर्वचनीय चन्द्रमा [रूप सुन्दर युवा अथवा सुन्दर युवती] को देख लिया जिसके विरह में छोटा दिन भी अनेक कल्पों के समान बीत रहा है ॥१७३॥

यहाँ [अल्पं दिनमपि न कहकर] अल्पमपि [दिनम्] इस प्रकार की वाक्ययोजना करनी चाहिए ।

टि०—ब्रह्मा के एक दिन अथवा १००० युगव्यापी काल को कल्प कहते हैं । 'अल्पं दिनमपि कल्पैः समं याति' कहने से यह प्रतीति होती है कि छोटा दिन भी कल्पों के समान बीत रहा है अर्थात् बड़ी रात या बड़ा दिन तो भैरव दर्शन से पहले भी बीत रहा था अब दर्शनानन्तर छोटा सा दिन भी कल्प के समान बीत रहा है यह विरोधी अर्थ निकल रहा है यह कविविवक्षित अर्थ नहीं है । कवि का आशय तो 'अल्पमपि दिनं कल्पैः समं याति' यही पाठ करने पर स्पष्ट हो जाता है । छोटा सा भी दिन जब कल्पों के समान बीत रहा है तो बड़ा दिन भगवान् जाने किस तरह से बीतेगा ? वह तो कल्पों से भी दीर्घकालव्यापी और कष्टदायक होगा ।

---

१. ज अ; त यह श्लोक में नहीं

[यथा वा]

तस्यां कनकलतायां यदवधि कल्पितः कलाधरः कोऽपि।
अल्पं दिनमपि कल्पं तद्विरहात्केवलं कलये[1] ॥ १७४ ॥

अस्थानस्थसमासं यथा—

अद्यापि स्तनशैलदुर्गविषये किं मानिनीनां हृदि
स्थातुं वाञ्छति[1] मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः।
उद्यद्दूरतरं प्रसारितकरः कर्षत्यसौ तत्क्षणात्
फुल्लत्कैरवकोशनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी॥ १७५ ॥

अत्र क्रुद्धस्योक्तौ समासो न कृतः। केचित्तु स्थानं योग्यता तद्विरहो[1]

उस सुवर्णलता रूपी नायिका में जितने समय तक किसी अनिर्वचनीय मुख रूपी चाँद की कल्पना की उसके विरह में छोटा सा दिन भी कल्प के समान समझ रहा हूँ ॥१७४॥

टि०—यहाँ भी अल्पं दिनमपि के स्थान पर अल्पमपि दिनम् इस रूप में प्रयोग होना चाहिए। इसमें भी भैरवदर्शन० इत्यादि श्लोक से मिलता जुलता भाव है।

१४. अस्थानस्थसमास [का उदाहरण] जैसे—

[मेरे उदित होने पर भी] स्तन रूप पर्वतों के किलों के कारण अगम्य, मानवती [रूठकर बैठी हुई] नायिकाओं के हृदय [रूप सुरक्षित स्थान में छिपकर] यह मान बैठना चाहता है, यह मेरे लिए [पौरुष की चुनौती होने के कारण] धिक्कार [तौहीन] की बात है। इससे मानों क्रोध के कारण लाल २ चन्द्रमा उठे हुए और दूर तक फैले हुए किरण रूपी हाथों से तुरन्त ही खिले हुए कुमुदों के कोष रूपी म्यान के भीतर से भ्रमर पङ्क्ति रूप कृपाण को बाहर निकाल रहा है॥१७५॥

यहाँ क्रुद्ध [चन्द्रमा] की [प्रथम दो चरणों में कही गई] उक्ति में समास नहीं किया है [और अन्तिम चरण में कही गई कवि की उक्ति में समास किया गया है पर होना इससे विपरीत चाहिए था]।

टि०—काव्यप्रकाश (७, २३९) में यह इसी दोष के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है।

कुछ विद्वान् तो [इसका अर्थ यों करते हैं] स्थान का अर्थ योग्यता होता है, उस योग्यता का अभाव अस्थान कहलाता है, अस्थान में अर्थात् योग्यताविहीन स्थल

---

१. त; ज अ में यह श्लोक नहीं
२. अ त; स्थातुं वाञ्छति ज में परित्यक्त

अस्थानं तत्स्थमित्यर्थः । तेनायोग्यस्थानस्थसमासवत्पदत्वं लक्षणम् । दूषकताबीजं चात्रानुगुणगुणाप्रतीतिः सा चोभयत्र क्रुद्धस्योक्तौ[1] समासाकरणे ओजसोऽप्रतीतिः, अक्रुद्ध[2]स्योक्तौ समासकरणे च प्रसादस्याप्रतीतिरित्याहुः । परे तु दूषकताबीजमासत्तिविरहविशिष्टविरुद्धार्थप्रतीतिरिति प्राहुः । सङ्कीर्णं लक्षयति—

भिन्नभिन्नवाक्यान्वितानां पदानां परस्परनिरपेक्षवाक्यसन्निधिप्रयुक्तत्वं लक्षणम् ।। ११५ ।।

यथा—

अम्बरमम्बुनि पत्रमरातिः पीतमहीनगणस्य ददाह ।
यस्य वधूस्तनयं गृहमब्जा पातु स वो हरलोचनवह्निः ।। १७६ ।।

में पाये जाने वाला दोष अस्थानस्थ है यह व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ है । इसलिए उनके मतानुसार] अयोग्य स्थान पर विद्यमान समास वाले पद का होना ही अस्थानस्थ समास का लक्षण है ।

रस के अनुरूप गुणों की अप्रतीति का होना ही यहाँ दूषकता का कारण है और वह रसानुकूल गुणों की अप्रतीति उपर्युक्त श्लोक के दोनों पादों में क्रुद्ध की उक्ति में समास न करने पर ओज गुण की अनभिव्यक्ति और अक्रुद्ध कवि की उक्ति में समास करने पर प्रसाद गुण की अनभिव्यक्ति के रूप में है । इस रूप में यह विद्वान् अपने मत का प्रतिपादन करते हैं ।

दूसरे विद्वान् तो—आसत्ति [सन्निधि] के अभाव से युक्त विरुद्ध अर्थ की प्रतीति ही [इस दोष में] दूषकता का कारण है—ऐसा कहते हैं ।

१५. सङ्कीर्ण—ग्रन्थकार सङ्कीर्ण दोष का लक्षण करते हैं—

अलग २ वाक्यों में अन्वय को प्राप्त पदों का एक दूसरे की आकाङ्क्षा न रखने वाले वाक्यों में आसत्ति के साथ प्रयोग करना सङ्कीर्ण दोष का लक्षण है ।।११५।।

[सङ्कीर्ण दोष का उदाहरण] जैसे—

जिनका पीला वस्त्र है अर्थात् जो पीताम्बरधारी हैं, जिनका घर जल में है अर्थात् जो क्षीरसागर में निवास करते हैं, जिनका सर्पराजों के समूह का शत्रु—गरुड़ वाहन है, जिनकी वधू लक्ष्मी है, महादेव जी के नेत्र की अग्नि ने जिनके पुत्र कामदेव को जला दिया था वह विष्णु भगवान् आपकी रक्षा करें ।।१७६।।

टि०—इस श्लोक में अनेक वाक्य दूसरे वाक्यों में चले गए हैं । ये वाक्य इस

---

१. ज अ; क्रुद्धोक्तौ त
२. ज अ; अक्रुद्धोक्तौ त

दूषकता बीजं चात्र वाक्येष्वासत्तिविरहः ।

गर्भितं लक्षयति—

अपर्याप्तवाक्यान्तःपातितदननुगुणसमग्रवाक्यत्वं लक्षणम् ॥ ११६ ॥

तदननुगुणेति विशेषणादर्थान्तरन्यासादौ समग्रेति विशेषणात्सङ्कीर्णादौ नातिव्याप्तिः ।

यथा—

योग्यो यस्ते पुत्रः सोऽयं दशवदन लक्ष्मणेन मया ।
रक्ष्यैनं मृत्युमुखं प्रसह्य लघु नीयते विवशः ॥ १७७ ॥

रूप में हैं—यस्य अम्बरं पीतम्, यस्य गृहम् अम्बुनि (वर्तते), यस्य पत्रम् अहीनगणस्य अरातिः यस्य वधूः अब्जा, हरलोचनवह्निः यस्य तनयं ददाह सः वः पातु ।

यहाँ यस्य अम्बरं पीतम् इत्यादि वाक्य स्वतन्त्र रूप से पृथक् अन्वित पदों वाले हैं किन्तु यहाँ इन वाक्यों के पद दूसरे वाक्यों में जाकर निराकाङ्क्ष रूप में स्थित हो गए हैं । कामदेव को भगवान् विष्णु (कृष्ण) का पुत्र कहा जाता है क्योंकि उनकी पत्नी रुक्मिणी से कामदेव प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए थे ।

और यहाँ इन वाक्यों में प्रयुक्त पदों के भीतर आसत्ति न होना ही दोष का कारण है ।

टि०—इन वाक्यों के पद दूर २ पड़े हैं इसी कारण इनका अर्थ ज्ञात ही नहीं होता । दूरान्वय होने के कारण वाच्यार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है ।

१६. गर्भित—[ग्रन्थकार] गर्भित दोष का लक्षण करते हैं—

जो वाक्य पूरा नहीं हुआ हो अर्थात् अपूर्ण वाक्य के भीतर आये दूसरे सम्पूर्ण वाक्य का उस [पहले] वाक्य के अनुरूप न होना गर्भित का लक्षण है । ॥११६॥

'तदननुगुण' इस विशेषण से अर्थान्तरन्यास आदि में और समग्र इस विशेषण से सङ्कीर्णादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी ।

टि०—अर्थान्तरन्यास में उत्तरवाक्य पूर्ववाक्य का समर्थक होता है किन्तु गर्भित में यह दूसरा वाक्य दोष को उत्पन्न करता है । सङ्कीर्ण में एक वाक्य का पद दूसरे वाक्य में चला जाता है किन्तु इस दोष में समस्त वाक्य दूसरे वाक्य में चला जाता है । यही इस दोष का अर्थान्तरन्यास और सङ्कीर्ण दोष से भेद है ।

गर्भित का उदाहरण] जैसे—

हे रावण जो तुम्हारा योग्य पुत्र है वह यह बेचारा मुझ लक्ष्मण से जल्दी ही जबर्दस्ती मौत के मुंह में ले जाया जा रहा है उसकी रक्षा करो ॥१७७॥

अत्र तृतीयो पादो गर्भितः ।

दूषकताबीजं चात्र वाक्यान्तरेणाकुलीभावः ।

प्रसिद्धि[1]हतं लक्षयति—

अन्यसम्बन्धित्वेन प्रसिद्धस्यान्यत्रोपनिबद्धत्वं लक्षणम् ॥ ११७ ॥

यथा—

एष क्षुभ्नाति वीथिं तिरयति धरणिं सर्वतो दानपूरैः
पारीन्द्राणां क्षिणोति प्रबलतररवैः कन्दरागर्भशय्याम् ।
रोषान्मत्तालिमालाकुलविकटकटं किञ्च धूनोत्यजस्रं
विस्रंसच्चारुचामीकरनिकरकृतोद्दामदामा गजेन्द्रः ॥ १७८ ॥

अत्र रवो मण्डूकध्वनिः बृंहिते अप्रसिद्धः । अतएवोक्तम्-

यहाँ तृतीय पाद गर्भित है ।

टि०—यहाँ तृतीय पाद में प्रयुक्त 'रक्षैनं' यह वाक्य सोऽयं विवशः मया लक्ष्मणेन लघु प्रसह्य मृत्युमुखं नीयते इस दूसरे वाक्य के अन्तर्गत रख दिया है। इस वाक्य का प्रयोग सोऽयं मया नीयते के बाद होना चाहिए ।

और यहाँ [इस दोष की] दूषकता में एक वाक्य का दूसरे वाक्य से [क्रम टूटने से बेसिलसिलेवार होकर] बिगड़ जाना ही कारण है ।

१७. प्रसिद्धिहत—[ग्रन्थकार] प्रसिद्धिहत का लक्षण करते हैं—अन्य के साथ सम्बन्ध रखने के रूप में प्रसिद्ध वस्तु का अन्यत्र सम्बन्ध का उपनिबन्धन [वर्णन कर देना] प्रसिद्धिहत का लक्षण है ॥११७॥

जैसे—

मदधारा के जलप्रवाहों के कारण [मत्त होकर] यह हाथी गलियों को क्षुब्ध कर रहा है और पृथिवी को चारों ओर से [धूल उड़ाकर, ढाँपकर] अदृश्य कर रहा है। बड़े प्रचण्ड शब्दों से शेरों की गुफाओं के बीच में बनी शय्या को नष्ट कर रहा है अर्थात् इसकी आवाज सुनकर चौंकने से गुफा में उनकी सोने की जगह अस्त व्यस्त हो जाती है और इसके अतिरिक्त सुन्दर सुवर्णराशि से बनी हुई भयंकर [बहुत बड़ी किन्तु अब] शिथिल होती हुई रस्सी वाला यह श्रेष्ठ हाथी क्रोध में भरकर मस्त भौंरों की पङ्क्ति से व्याप्त अपने भयंकर गण्डस्थल को लगातार हिलाता जा रहा है ॥१७८॥

यहाँ प्रयुक्त रव शब्द मेंढक की आवाज के अर्थ में तो प्रसिद्ध है किन्तु गज-गर्जनवाची बृंहित [गजनिनाद] अर्थ में अप्रसिद्ध है इस लिए रुद्रट ने [काव्यालङ्कार ६,२५-२६] कहा है ।

---

१. ग. प्रसिद्धिविरुद्धं च ख

रुद्रटेन—

मञ्जीरादिषु रणितप्रायान्पक्षिषु च कूजितप्रभृतीन् ।
मणितप्रायान् सुरते मेघादिषु गर्जितप्रायान् ॥
दृष्ट्वा प्रयुज्यमानानेवंप्रायांस्तथा प्रयुञ्जीत ।
अन्यत्रैतेऽनुचिताः शब्दार्थत्वे समानेऽपि ॥

तथा च वाच्येऽर्थे तुल्येऽपि एतेष्वेवार्थेषु एतान् धातून् पूर्वकविभिः प्रयुज्यामानान् दृष्ट्वा तेष्वेव निबध्नीयान्नान्यत्रेति भावः। दूषकताबीजं चात्र हस्तिहस्तिपकन्यायेन सुप्रसिद्धसम्बन्धिप्रतीतिः ।

भग्नप्रक्रमं लक्षयति—

येन रूपेणोपक्रमस्तेन रूपेणोपसंहाराभावो लक्षणम् ॥ ११८ ॥

नूपुर [बिछिया] आदि की आवाज में रणित जैसे [शब्दों को], पक्षियों [के शब्द] में कूजित आदि, सुरत में मणित जैसे और मेघादियों की ध्वनि में गर्जित जैसे शब्दों को और इसी प्रकार के अन्य प्रयोगों को भी देखकर [रचनाकार] शब्दों का प्रयोग करे। शब्दों के अर्थों में समानता होने पर भी [तत्तत्शब्द के तत्तत् प्रसिद्धार्थ के अतिरिक्त] दूसरे अर्थों में प्रयुक्त किये गये यह प्रयोग गलत हो जाते हैं।

और इस प्रकार रणित, कूजितादि शब्दों के वाच्यार्थ के तुल्य होने पर भी इन्हीं अर्थों में इन शब्दों का पहले कवियों द्वारा प्रयोग होता देखकर [तदनुसार] उन्हीं अर्थों में इनका प्रयोग करे। दूसरे [असम्बद्ध] अर्थों में इनका प्रयोग न करे यह आशय है।

और यहाँ [इस दोष में] हस्तिहस्तिपकन्याय से सुप्रसिद्ध सम्बन्धी की प्रतीति दूषकता का कारण है।

टि०—जैसे हाथी को देखकर पीलवान (महावत) की स्मृति हो जाती है अथवा महावत को देखकर हाथी का स्मरण हो जाता है वैसे ही एक शब्द को देखकर तत्सम्बन्धी प्रसिद्धार्थक दूसरे अर्थ की स्मृति हो जाती है और यदि उस पद का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग होता है तो वह अर्थ दोष के रूप में प्रतीत होता है।

१८. भग्नप्रक्रम—[ग्रन्थकार] भग्नप्रक्रम का लक्षण करते हैं—

जिस रूप से प्रारम्भ किया जाये उसी रूप में समाप्ति का अभाव होना इस दोष का लक्षण है ॥११८॥

---

१. त; ज अ में इस प्रकार—

मञ्जीरादिषु रणतिप्रायान् पक्षिषु कूजितप्रभृतीन् ।
मणातिप्रायान् सुरते मेघादिषु गर्जतिप्रायान् ॥

उपक्रमश्च द्विधा शब्दतो अर्थतश्च । क्रमेण यथा—

नाथे निशाया नियते र्नियोगादस्तङ्गते हन्त निशापि याता ।
कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति[1] ॥ १७९ ॥

अत्र गमधातुना प्रक्रमः याधातुना चोपसंहारः । दूषकताबीजं च पदभेदकृतवैरूप्यप्रतिभानम् । केचित्तु उपक्रान्ताननुगुणप्रतीति दूंषकताबीजमाहुः । यथा वा—

छाया जायावदायासिततनुरधुना नैव कायात्प्रयाति
क्वापि श्रायात्प्रभायाः पथि पथि पथिकः को नु मायामयोऽपि ।
दूरादायात्युमायाः पतिरपि शिखराच्छैलभर्तुः प्रपाया—
मुच्चैः पायादपायाज्जगदिदमखिलं कापि मध्याह्नलक्ष्मीः ॥१८०॥

अत्रान्त्यपादे अनुप्रासभङ्गः[2] ।

और यह प्रारम्भ दो प्रकार का है—१. शब्द से प्रारम्भ करना और २. अर्थ से प्रारम्भ करना । क्रम से दोनों के उदाहरण [दिये जा रहे हैं पहले शब्द का है]

दौर्भाग्यवश रात्रि के पति [चन्द्रमा] के अस्त हो जाने पर रात्रि भी चली [विनष्ट हो] गई यह दुःख की बात है [किन्तु] कुलाङ्गनाओं के लिए [पति की मृत्यु रूप इस] दशा के योग्य इससे अधिक अच्छी और बात सम्भव नहीं है ॥१७९॥

यहाँ गम् धातु से प्रारम्भ है और या धातु से उपसंहार है ।

टि०—यद्यपि यहाँ पर गता और याता शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं तो भी भिन्न धातु का प्रयोग होने से इनका अर्थ भिन्न सा लगता है ऐसा लगता है कि चन्द्रमा ने और काम किया है और निशा ने कोई दूसरा किया है ।

और [भिन्न २] पदों के प्रयोगभेद से उत्पन्न हुई विरूपता [भद्दे पन] की प्रतीति इस दोष में दूषकता का कारण है ।

अथवा [इसी दोष का दूसरा उदाहरण] जैसे—

[सम्भोग के अनन्तर] थके हुए शरीर वाली पत्नी की तरह छाया इस समय शरीर से अलग होकर दूर नहीं जा रही है अर्थात् शरीर के साथ ही चिपटी हुई है । प्रत्येक रास्ते में जादूगर होता हुआ भी कौन मुसाफिर कहाँ [छिपकर] सूर्य की चौंध से अपने आप को बचा सकता है ? उमा के पति महादेव जी भी हिमालय के शिखर से नीचे उतरकर प्याऊ में आ रहे हैं इस प्रकार [के लोकोत्तर प्रभाव वाली] अनिर्वचनीय मध्याह्नकालिक [सूर्य की दीप्ति रूपी] लक्ष्मी इस सारे जगत् को बहुत बड़े अनिष्ट से बचाये ॥१८०॥

यहाँ पर अन्तिम पाद में अनुप्रास का भङ्ग हो गया है ।

---

१. ज अ; भद्रतमं शमस्ति त

२. ज अ, यथा वा-छाया जाया० अनुप्रासभङ्ग त में नहीं

ननु कथितपदस्य दोषत्वाभिधानात्कथमेकं पदं द्विःप्रयोज्यमिति चेत्, उच्यते। उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यलाटानुप्रासार्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यव्यतिरिक्त एव तस्य विषयः प्रत्युत तादृशि[1] विषये तस्यैव सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना दोषः।

टि०—यहाँ 'आया आया' और पाया पाया के रूप में प्रथम चरण से चौथे चरण तक चलने वाला अनुप्रास चतुर्थ चरण के अन्त में जाकर टूट गया है। इस कारण यहाँ जैसा आरम्भ है वैसा अन्त नहीं हो पाया है। अतः यहाँ भग्नप्रक्रम दोष है। 'नाथे निशायाः' इत्यादि तथा छाया० इत्यादि ये दोनों ही शब्दक्रमभङ्ग कथितपद दोष के उदाहरण हैं।

एक बार कहे हुए पद को दुबारा कहना कथितपद होता है। कथितपद के दोष के रूप में कहे जाने के कारण एक ही पद का दो बार कैसे प्रयोग हो सकता है? यदि [पूर्वपक्षी की ओर से] यह शङ्का की जाय।

टि०—सामान्यतः पदप्रयोग का यह नियम है नैकं पदं द्विःप्रयोज्यं प्रायेण— प्रायः एक पद का दो बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु सर्वत्र यह नियम लागू नहीं होता। इसके कुछ अपवादों को उच्यते कहकर बतला दिया गया है।

तो [उपर्युक्त शङ्का के समाधानार्थ सिद्धान्ती की ओर से] यह कहा जाता है—१. उद्देश्यप्रतिनिर्देश्य, २. लाटानुप्रास और ३. अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि— इन तीनों से अतिरिक्त स्थल ही कथितपद दोष के विषय होते हैं। इसके विपरीत ऐसे विषय में अर्थात् इन तीनों में उसी पद अथवा सर्वनाम के प्रयोग के बिना दोष होता है।

टि०—काव्यप्रकाश (७,५९ वृत्तिभाग) में भी कथितपद को इन तीन स्थानों में दोष के रूप में नहीं माना गया है। मम्मट ने (··· वृत्तिभाग) में इसको इस रूप में स्पष्ट किया है—

कथितपदं क्वचिद् गुणः लाटानुप्रासे, अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये विहितस्यानुवाद्यत्वे च। क्रमेणोदाहरणानि—

(१) सितकरकररुचिविभा विभाकराकार ! धरणिधर ! कीर्त्तिः।
पौरुषकमला कमला सापि तथैवास्ति नान्यस्य ॥३१५,।

यहाँ कर कर, विभा विभा तथा कमला कमला इन तीन स्थलों पर तात्पर्य का भेद होने पर शब्द तथा अर्थ दोनों की आवृत्ति होने से लाटानुप्रास है। शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः इस लक्षण के अनुसार यहाँ लाटानुप्रास होने पर भी पदों की पुनरावृत्ति दोष नहीं है।

---

१. ज. म.; तादृशे न

तथा हि—

उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥

इत्यादौ रक्त एव यदि क्रियते तदा पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थो ऽर्थान्तरतयेव भासमानो नैकरूप्यमावहतीति तत्त्वम् । ननु पर्यायशब्दानां शक्यतावच्छेदकैक्यनियमात् कथमन्यत्वेन प्रतीतिरिति चेत्, उच्यते । यन्मते

---

(२) तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयै गृंह्यन्ते ।
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥३११॥

यहाँ भवन्ति कमलानि कमलानि में दूसरा कमल पद सौरभसौन्दर्यादि-विशिष्ट अर्थ का वाचक होने से अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य है इसलिए उसकी पुनरुक्ति दोष नहीं है ।

(३) जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते ।
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥३१७॥

यह विहितस्यानुवाद्य (उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यभाव) का उदाहरण है ।

यहाँ पहले वाक्य में जितेन्द्रियत्व से विनय का विधान किया गया है । दूसरे वाक्य में विनय अनुवाद्य (उद्देश्य) वन जाता है और गुणप्रकर्ष विधेय हो जाता है । पहले वाक्य में विहित अर्थात् विधेय रूप से प्रयुक्त विनय पद जव दूसरे वाक्य में अनुवाद्य या उद्देश्य रूप में प्रयुक्त होता है तव वह दोष नहीं रहता है ।

[उदाहरण देकर बात स्पष्ट करते हैं] जैसे—

सूर्य ताम्र [लाल] ही उदय होता है और ताम्र [लाल] ही रहता हुआ अस्ताचल में जाकर छिपता है । सम्पत्ति [सुख के समय] और विपत्ति [दुःख के समय] महापुरुषों का एक सा रूप रहता है । इस प्रकार के और स्थलों पर यदि [दुवारा आने वाले ताम्र पद के स्थान पर] रक्त पद कर दिया जाय तो इस दूसरे शब्द से प्रतिपादित वही अर्थ दूसरे [भिन्न] अर्थ की तरह प्रतीत होता हुआ एकरूपता को धारण नहीं करता है यह सारभूत बात है ।

टि०—ताम्र और रक्त दो भिन्न २ शब्द हैं । इनका शाब्दवोध भी अलग तरह का होता है । ताम्र शब्द का ताम्रोपहित अर्थज्ञान है और रक्त शब्द का रक्तोपहित है किन्तु इन दोनों शब्दों के अर्थज्ञान में कारणभेद है पहले में ताम्र शब्द और दूसरे में रक्त शब्द के उच्चारण से अर्थज्ञान होता है । कारणभेद होने से जव शाब्दी प्रतीति भिन्न है तो आर्थी प्रतीति स्वतः भिन्न हो जाती है ।

[पूर्वपक्षी] पर्याय शब्दों के भीतर शक्यतावच्छेदक की एकता होने के नियम के कारण भिन्नार्थ की प्रतीति कैसे हो सकती है ?

[सिद्धान्त] पर्यायवाची शब्दों का शक्यतावच्छेदक एक होता है । अतः उनके अर्थों

शाब्दे बोधे[1] शब्दोऽपि भासते तन्मते रक्तादिशब्दान्तरस्य[2] भासनादैक्यरूपासम्भवात् ।

में भेद कैसे हो सकता है ? यह प्रश्न है । शक्यतावच्छेदक का लक्षण नैयायिक इस प्रकार करते हैं—शक्यत्वे सति शक्यवृत्तित्वे सति शक्योपस्थितौ प्रकारतया भासमानत्वं शक्यतावच्छेदकत्वम् । जो स्वयं शक्य (वाच्य) हो और स्वयं शक्य में रहता हो और स्वयं शक्य की उपस्थिति में जिसका विशेषण रूप से भान हो वह शक्यतावच्छेदक कहलाता है । जैसे—जात्याकृतिविशिष्टव्यक्ति में शक्ति रहती है । जाति स्वयं शक्य (वाच्य, अभिधाशक्तिलभ्य) है और व्यक्ति रूप शक्यार्थ में उसकी स्थिति है और व्यक्तिरूप शक्य में उसका विशेषण रूप से भान होता है । इस प्रकार जाति शक्यतावच्छेदक है । विजातीय पदार्थों से अलग करने वाला धर्म जाति कहलाता है (विजातीयव्यावर्तको धर्मो जातिः) जैसे सारे मनुष्य व्यक्तियों में रहने वाली मनुष्यत्व जाति एक ही है वैसे ही 'घटः, कलशः' इन पर्यायवाची शब्दों में घटत्व और कलशत्व रूप में दिखाई पड़ने वाली जाति एक ही है और उनका एक ही अर्थ प्रतीत होता है । इसी प्रकार ताम्र और रक्तपदों में ताम्रत्व और रक्तत्व रूप में प्रतीत होने वाले अर्थों में जब एक ही शक्यतावच्छेदक की प्रतीति होती है तो ये भिन्नार्थक कैसे हो सकते हैं ?

[सिद्धान्ती) इसका उत्तर देते हैं—जिन नैयायिकों के मत में शाब्दबोध में शब्द भी विशेषण रूप से भासित होता है उनके मत में दूसरे रक्तादि पदों के [ताम्र से] भिन्न पद के रूप में प्रतीत होने के कारण इन दोनों पदों की एकरूपता असम्भव है ।

टि०—नैयायिकों के सिद्धान्त का यहाँ उल्लेख करके सिद्धान्ती अपने मत का प्रतिपादन कर रहे हैं । नैयायिकों का सिद्धान्त है—शब्दोऽपि तावच्छाब्दबोधे भासते शब्द भी शाब्दबोध में भासित होता है । अर्थात् शब्द का भी शाब्दबोध में प्रवेश होता है । इस कारण प्रत्येक शब्द का अपना अलग ही ढंग का अर्थ हो जाता है । पर्यायवाची शब्दों की भी आनुपूर्वी (वर्णों का स्वरूप और क्रम) पृथक् पृथक् होने से उन शब्दों और उनके अर्थों में परस्पर भेद होता है । उदाहरणार्थ—हरि शब्द के इन्द्र, केसरी और सिंह पर्यायवाची शब्द हैं किन्तु क्योंकि इनकी आनुपूर्वी (हरि शब्द में ह और रि वर्ण हैं और सिंह में सि और ह) भिन्न है इसलिए इनमें आनुपूर्वी की दृष्टि से भेद है । दूसरी ओर इन्हीं शब्दों से होने वाले अर्थों में (शाब्दबोधों में) भी भेद है । 'अयं घटः' से घटत्वाभिन्नघटव्यक्ति का ज्ञान और दूसरे अयं कलशः से कलशत्वाभिन्नकलशव्यक्ति का ज्ञान हो रहा है । इसी प्रकार ताम्र और रक्त पदों से ताम्रत्वाभिन्नताम्रव्यक्ति और रक्तत्वाभिन्नरक्तव्यक्ति यह अलग २ दो प्रकार

१. ज अ; शाब्दबोधे त

२. ज अ; ऐक्यरूप्यासम्भवात् त

लिङ्गोपहितलैङ्गिकभानवत् शब्दोपहितशाब्दभानस्यापि स्वीकारात् अन्यथा घटकर्मकशाब्दे कथं हेतुता वाच्या ?

का शाब्दबोध होता है। इस प्रकार नैयायिकों के मत का अनुसरण करते हुए पर्यायवाची इन ताम्र और रक्त जैसे पदों में और उनके अर्थों में भेद सिद्ध हो जाता है। इन पर्यायवाची पदों और उनके अर्थों में भेद होने के कारण इनके शक्यतावच्छेदकों (घटत्व-कलशत्व, ताम्रत्व-रक्तत्व) में भी भेद की कल्पना कर लेनी चाहिए। ताम्र में ताम्रत्व शक्यतावच्छेदक रहता है जबकि रक्त में रक्तत्व।

हेतु से युक्त हेतुमान् के बोध की तरह शब्दोपहितशाब्दभान भी शाब्दबोध में स्वीकार किया जा सकेगा [इस कारण भी ताम्र और रक्त इन दोनों पदों में एकरूपता असम्भव है]।

टि०—लिङ्ग हेतु को कहते हैं और लैङ्गिक हेतुमान् को कहते हैं। जैसे हेतु से हेतुमान् (कार्य) का अनुमान होता है वैसे ही शब्द से शब्दोपहित शाब्दबोध होता है। पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमात् इस अनुमानवाक्य में पर्वतपक्षक वह्निसाध्यक धूमहेतुकज्ञान है और एतद्वृक्षः कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात् इस दूसरे वाक्य में एतद्-वृक्षपक्षक कपिसाध्यक एतद्वृक्षहेतुक ज्ञान है। ये दोनों ही ज्ञान एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं इस लिङ्गोपहित लैङ्गिक के ज्ञान की भाँति ही ताम्रत्वोपहित ताम्र शाब्द-बोध और रक्तत्वोपहित रक्तशाब्दबोध दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। पहला ताम्रत्वा-भिन्नताम्ररूपात्मक है तो दूसरा रक्तत्वाभिन्नरक्तरूपात्मक है।

लिङ्गोपहित ··· ··· शब्दोपहितशब्दभानतया प्रपञ्चितं चिन्तामणिभूषणे यह पाठ त में अतिरिक्त है। पूरा पाठ इस प्रकार है—लिङ्गोपहित-लैङ्गिकभानवत् शब्दोपहितशाब्दभानस्यापि स्वीकारात् अन्यथा घटकर्मकशाब्दे कथं हेतुता वाच्या ? न तावत्तदुत्तरा द्वितीयात्वेन तत्पदादिनापि तादृशबोधात्। न च स्वाव्यवहितबोधे तस्य हेतुत्वमनन्तकार्यकारणभावप्रसङ्गात्, किन्तु घटद्वितीय-दोषहिततादृशशब्दभाने पटपदोत्तरद्वितीयाया हेतुत्वम्। एवं हि लाघवम्। अतएव तत्पदोपहिते तस्मित्तत्पदस्यैव हेतुत्वमित्यादि शब्दभानतया प्रपञ्चितं चिन्तामणि-भूषणे। ज अ में लिङ्गोपहित···चिन्तामणिभूषणे यह भाग नहीं है। यहाँ लिङ्गो पहितलैङ्गिकभानवत्···कथं हेतुता वाच्या ? इतने ही अंश की व्याख्या की है। आगे का स्थल क्लिष्ट और अस्पष्ट है।

नहीं तो [शब्द का शाब्दबोध में प्रवेश अस्वीकार करने पर] घटकर्मक शाब्दबोध में घटशब्द की कारणता कैसे बताई जायेगी ?

टि०—शब्द से शब्दोपहित शाब्दबोध ही होता है यदि यह नियम न माना जाय तो 'देवदत्तो घटं करोति' जैसे वाक्यों में देवदत्तकर्तृकघटकर्मतानुकूलकरणं-व्यापाररूपात्मक शाब्दबोध में घटकर्म की कारणता सिद्ध नहीं हो सकेगी। क्योंकि

अर्थतो यथा—

अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिम्नि यशोनिधा-
वविततमदाध्माते रोषान्मुनावभिधावति ।
अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च कर्मणे
स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसङ्ग्रहणाय च ॥ १८१ ॥

अत्र क्रमस्य भङ्गः[1] । पादोपसङ्ग्रहणायेति पूर्वं वाच्यम् । एवमन्यदपि बोध्यम् ।

कलश भी घट का पर्यायवाची शब्द है । इस कारण उपर्युक्त शाब्दबोध में कलश कर्म की भी हेतुता मानी जाने लगेगी । पर्यायवाची होने से ही इन तीनों का एक ही शक्यतावच्छेदक मानना पड़ेगा । परन्तु वस्तुतः इन दोनों पदों में आनुपूर्वी [वर्णानुक्रम] के भेद के कारण तथा तत्तच्छब्दोपहित शाब्दबोध में तत्तत् शब्द की ही कारणता है क्योंकि शब्द भी शाब्दबोध में भासमान होता है इस कारण जिस शब्द का उच्चारण होगा वही शाब्दबोध में जायेगा । इस प्रकार 'देवदत्तः घटं करोति' इस वाक्य के उच्चारण के अनन्तर व्यवधानशून्य उत्तरकाल में उत्पन्न होने वाले शाब्दबोध में घट कर्म की कारणता होगी और 'देवदत्तः कलशं करोति' इस वाक्य के उच्चारण के अनन्तर व्यवधानशून्य उत्तरकाल में उत्पन्न होने वाले शाब्दबोध में कलश कर्म की ही कारणता होगी । इस प्रकार नैयायिकों के मत में पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में भिन्नता सिद्ध की जाती है । ग्रन्थकार भी इन युक्तियों के आधार पर यही सिद्ध कर रहे हैं कि 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च' में ताम्र के स्थान पर रक्त पद रख देने से भिन्नार्थ की प्रतीति होगी और यह प्रतीति भग्नप्रक्रम दोष को उत्पन्न करेगी ।

[शब्दक्रमभङ्ग के उदाहरणों के बाद] अर्थक्रमभङ्ग [का उदाहरण] जैसे—

अपरिमित तप और तेज के प्रभाव की महिमा वाले, यश के भण्डार, सच्चे अभिमान से भरे हुए मुनि परशुराम जी के क्रोधपूर्वक दौड़कर आने पर नई सीखी हुई विद्या के दर्प के अनुरूप कर्म के लिए अर्थात् धनुष उठाकर लड़ने के लिए और साथ ही मुनि के चरण पकड़ने [पैर छूने] के लिए वेग से [मेरा] हाथ फड़क रहा है ॥१८१॥

यहाँ क्रम की भग्नप्रक्रमता है 'पादोपसङ्ग्रहणाय' यह पहला विशेषण पहले कहना चाहिए । इसी प्रकार और उदाहरणों को भी समझ लेना चाहिए ।

टि०—महावीरचरित नाटक के द्वितीय अङ्क में धनुर्भङ्ग से कुपित परशुराम जी के आगमन के अवसर पर यह उक्ति श्रीरामचन्द्र की है । 'अकलिततपस्तेजोवीर्यप्रथिम्नि' इस विशेषण का पहले प्रयोग है इसलिए इससे सम्बद्ध पादोपसङ्ग्रहणाय

---

१. ज अ; प्रक्रमभङ्गः त

अक्रमं लक्षयति—

क्रमः परिपाटी—अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकपदानामव्यवधानेन सन्निवेशविशेष इति[1] यावत् । तादृशपदानामव्यवहित[2]सन्निवेशराहित्यं लक्षणम् ॥ ११९ ॥

यथा—

शक्तिर्निस्त्रिंशजेयं तव भुजयुगले नाथ ! दोषाकरश्री
वंक्त्रे पार्श्वे तथैषा प्रतिवसति महाकुट्टनी खड्गयष्टिः ।
आज्ञेयं सर्वगा ते विलसति पुरतः किं मया वृद्धया ते
प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम् ॥१८२॥

इस विशेषण का कथन क्रम की दृष्टि से पहले होना चाहिए । अवितथमदाध्माते रोषाद् इसका सम्बन्ध अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च कर्मणे के साथ है उसका प्रयोग बाद में चौथे चरण में किया जाना चाहिए । काव्यप्रकाश (७,२५२) में भी यह पद्य भग्नप्रक्रम दोष के उदाहरण में दिया है ।

१९. अक्रम—[ग्रन्थकार] अक्रम दोष का लक्षण करते हैं—क्रम का अर्थ परिपाटी या शृङ्खला है । अक्रम का अर्थ परिपाटीविहीन होना है । जहाँ क्रम [सिलसिला] विद्यमान न रहे वहाँ यह दोष होता है । अन्वय के विरोध को उपस्थित करने वाले पदों की बिना किसी रुकावट वाली स्थितिविशेष अक्रम कहलाती है ।

उस प्रकार के [क्रमभङ्ग से युक्त] पदों के अव्यवधानपूर्वक विन्यास का अभाव अर्थात् व्यवधान के साथ पदों को रखना ही अक्रम का लक्षण है ॥११९॥

(अक्रम दोष का उदाहरण) जैसे—

हे राजन् ! आपकी बाहुओं में तलवार से उत्पन्न हुई शक्ति [पक्षान्तर में निस्त्रिंश-तीस से भी अधिक आदमियों के साथ सम्बन्ध रखने वाली व्यभिचारिणी स्त्री से उत्पन्न यह शक्ति नामक वेश्यापुत्री] तुम्हारी बाहुओं में जकड़ी हुई [तुम्हारा आलिङ्गन कर रही] है । दोषों की खान यह लक्ष्मी आपके मुख में [चुम्बन प्राप्त कर रही] है । [पक्षान्तर में दोषाकर-चन्द्रमा का सौन्दर्य आपके मुखमण्डल पर विराज रहा है] और यह महाकुट्टनी [अत्यन्त दुश्चरित्रा, पक्षान्तर में बड़ा आघात पहुँचाने वाली] खड्गयष्टि आपके पास में रहती है । आपकी यह आज्ञा [नामक प्रेमिका] सबके पास पहुँचने वाली [व्यभिचारिणी होने पर भी] तुम्हारे सामने विलास करती है । ऐसी दशा में इस बूढ़ी [पक्षान्तर में वृद्धि को प्राप्त , दूर दूर तक फैली हुई] मुझ [कीर्त्ति] से आपको क्या प्रयोजन है ? मानों यह कहकर चन्द्रकिरणों के समान उज्ज्वल जिस राजा की कीर्त्ति क्रोध से चल दी [पक्षान्तर में सब जगह फैल गई ऐसे आप प्रभावशाली राजा हैं] ॥१८०॥

---

१. ज अ; सन्निवेश इति त

२. ज अ; मव्यवधानेन सन्निवेशराहित्यम् त

अत्रेत्थं प्रोच्येवेति न्याय्यम् । दूषकताबीजं चात्रासत्तिविरहः ।

न चास्थानस्थबीजसाङ्कर्यम्, तत्रासत्तिविरहविशिष्टविरुद्धार्थप्रतीतेः सत्त्वात् । न चार्थान्तरितबीजसाङ्कर्यं तत्र यतिकृतव्यवधानराहित्यमत्र पदकृतमित्यनयो विशेषात्[1] । अमतपरार्थं लक्षयति—

प्राकरणिकरसविरुद्धरसोपस्थापकत्वं लक्षणम् ।। १२० ।।

ज्ञेयौ श्रृङ्गारबीभत्सौ तथा वीरभयानकौ ।
रौद्राद्भुते तथा हास्यकरुणौ वैरिणौ मिथः ।। १२१ ।।

यथा—

विमुञ्चामुं मानं सफलय वचः साधु सुहृदां
प्रिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः ।

इस श्लोक [में प्रोच्येवेत्थं के स्थान पर] इत्थं प्रोच्येव यह पाठ होना उचित है । यहाँ पर आसत्ति का न होना ही [इस दोष में] दूषकता का कारण है ।

टि०—यह श्लोक काव्यप्रकाश (७,२५४) में भी इसी दोष के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है । 'पदानामव्यवधानेनोच्चारणमासत्तिः' इस परिभाषा के अनुसार साकाङ्क्ष पदों का व्यवधानरहित उच्चारण आसत्ति कहलाता है । क्रम टूटने से व्यवधान आ जाता है और आसत्ति नष्ट हो जाती है ।

और यहाँ अस्थानस्थ पददोष की दूषकता के साथ इसकी दूषकता का साङ्कर्य नहीं होता क्योंकि वहाँ पर आसत्ति के अभाव से युक्त विरुद्ध अर्थ की प्रतीति की विद्यमानता होती है अर्थात् वहाँ आसत्ति के बिना भी विरोधी अर्थ प्रतीत होता है । और न ही अर्थान्तरित [अर्थान्तरैकवाचक] दोष की दूषकता के कारण के साथ [इस दोष की दूषकता के कारण का] साङ्कर्य है, क्योंकि उस दोष में यति के द्वारा व्यवधान का अभाव होता है अर्थात् यति ठीक रहता है परन्तु एक पाद के पद दूसरे पाद में चले जाते हैं परन्तु यहाँ पदों के द्वारा व्यवधान नहीं किया जाता किन्तु उनका क्रम अशुद्ध हो जाता है यही इन दोनों में भेद है ।

टि०—पहले अस्थानस्थ का लक्षण करते समय उसका अक्रम के साथ भेद पृ० २६८ पर दिखाया जा चुका है ।

२०. अमतपरार्थ—[ग्रन्थकार] अमतपरार्थ का लक्षण करते हैं—प्रकृत रस के विरुद्ध रस का उपस्थापक होना अमतपरार्थ दोष का लक्षण है ।।१२०।।

शृङ्गार और बीभत्स, वीर और भयानक, रौद्र और अद्भुत एवं हास्य और करुण ये रस परस्पर विरोधी रस समझने चाहिएँ ।।१२१।।

जैसे—

इस प्रणयकोप को छोड़ दो अपने हितैषी मित्रों के सुन्दर वचन को

---

१. ज अ; पदकृतमिति भेदात् त

निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं
न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ १८३ ॥

अत्र शृङ्गारविरोधिशान्तानुभावविभावादिभिः शान्तोऽपि प्रतीयते। दूषकताबीजं चात्र विरुद्धरसप्रतीतिः परस्परविरोधेन द्वयोरेवारस्यत्वम्। अतएव नागानन्दे अहो गीतमहो वाद्यमित्यद्भुतमन्तर्निवेश्य मलयवतीं प्रति शृङ्गारो वर्णितः। उक्तं च काव्यप्रकाशे—

आश्रयैक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः।
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः॥

[प्रसन्न होकर] सफल करो। हे प्रिये ! [तुम्हारी इस नाराजगी के कारण मेरे] अङ्ग सूखे जा रहे हैं उन पर [अपनी प्रसन्नता भरी प्रिय] वाणी रूप अमृत का सिञ्चन करो। [मेरे] सारे सुखों के [एक मात्र] आधार अपने इस सुन्दर मुख को जरा मेरे सामने करो। हे मुग्धे [अरी भोली] गया हुआ यह समय रूपी मृग फिर लौटकर नहीं आ सकता है ॥१८१॥

टि०—इस श्लोक में अपनी रूठी हुई नायिका को मनाने वाले नायक की उपर्युक्त उक्तियाँ हैं।

यहाँ शृङ्गार रस के विरोधी शान्त रस के अनुभाव, विभाव और व्यभिचारिभावादियों से शान्त रस भी प्रतीत हो रहा है।

टि०—'न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः' यह वाक्य शृङ्गारविरोधी है और शान्त रस का प्रकाशन करने वाला है। इससे शृङ्गार रस के प्रतिकूल यौवन की अनित्यता प्रकाशन रूप शान्त रस के विभाव और उससे प्रकाशित इसी रस के निर्वेद रूप व्यभिचारिभाव का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए यहाँ प्रकृत शृङ्गार रस के प्रतिकूल विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभावों का ग्रहण होने से अमतपरार्थ दोष आ गया है।

और यहाँ पर दूषकता का कारण विरुद्ध रस की प्रतीति है। एक दूसरे के साथ विरोध होने से दोनों रसों के भीतर ही नीरसता आ जाती है। इसलिए नागानन्दनाटक में अहो गीतमहो वाद्यं इस रूप में कहने [से व्यङ्ग्य] अद्भुत रस को मध्य में [व्यवधानकारक के रूप में] रखकर [शान्तरसप्रधान जीमूतवाहन का] मलयवती के प्रति शृङ्गार का वर्णन किया है।

टि०—हर्षवर्धनकृत नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन के अभिनय में पहले शान्तरस का प्रदर्शन है उसके बाद जब वह मलयवती का गाना सुनता है तो अहो गीतमहो वाद्यं कह उठता है तदनन्तर शृङ्गार रस का निरूपण है इस प्रकार वहाँ शान्त और शृङ्गार के मध्य अद्भुत रस का सन्निवेश है।

और काव्यप्रकाश [७,६४] में कहा गया है—

जो रस आश्रय के ऐक्य में विरोधी है उसको भिन्न आश्रय में [वर्णित]

इत्यादि। इति वाक्यदोषाः।

वस्तुतस्तु, उपहतलुप्तविसर्गं विसन्धि हतवृत्तमिति त्रयो[1] दोषा न सम्यञ्चः। तथा हि—एतेषां बन्धशैथिल्यापादकत्वमेव दूषकताबीजम्। तथा च बन्धदार्ढ्य[2]रूपश्लेषनाम्नो गुणस्याभावरूपा एवैते न दोषाः।[3] ननु वैपरीत्यमेव कुतो न स्यादिति चेन्न[4] एतेषामभावेऽपि बन्धदार्ढ्यरूपस्य श्लेषस्य

करना चाहिए और जो रस नैरन्तर्य से विरोधी [रस] है उसको दूसरे अविरोधी रस से व्यवहित कर देना चाहिए।

ऐसी ही [रससम्बन्धी] और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार यहाँ वाक्य दोष समाप्त होते हैं।

टि०—जहाँ आलम्वन या आश्रय रूप देश की एकता के कारण विरोध होता है वहाँ उन विरोधी रसों का देशभेद से अर्थात् आलम्वनभेद एवं आश्रयभेद से वर्णन करना चाहिए और जिन रसों में कालिकविरोध अर्थात् नैरन्तर्य से वर्णन करने में विरोध आता है उनका व्यवधान से वर्णन करना चाहिए। इसी रीति से उनमें उपस्थित होने वाले विरोध से वचा जा सकता है।

वास्तव में तो १. उपहतविसर्ग-लुप्तविसर्ग, विसन्धि और हतवृत्त ये तीनों दोष ठीक नहीं हैं। इसका स्पष्टीकरण ऐसे है—इन तीनों के भीतर रचना के अन्दर शिथिलता [दृढ़ता के अभाव] को उत्पन्न कर देना [इन दोषों की] दूषकता का कारण है और ये रचना की दृढ़ता से संवलित श्लेष [बन्धदाढ्र्ये श्लेषः—रचना का सुघटित—दृढ़ होना ही है] श्लेष नामक गुण के अभावात्मक स्वरूप वाले हैं [अतएव पृथक्] दोष नहीं हैं।

टि०—रचना का सुघटित होना रूप श्लेष नामक गुण का अभाव ही दोष नहीं कहलाता क्योंकि गुणाभाव का नाम दोष नहीं है अपितु रसापकर्षक होने को दोष कहते हैं।

[पूर्वपक्षी] इससे विपरीत ही क्यों न मान लिया जाय अर्थात् इन दोषों के अभाव में श्लेष होता है ऐसा क्यों न मान लिया जाय ? [सिद्धान्ती] ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि इन दोषों का अभाव होने पर भी बन्धदार्ढ्य रूप श्लेष होता है इसे इनका अभाव रूपात्मक नहीं माना जा सकता] इसी प्रकार न्यूनपद, अधिकपद और

---

१. ज अ; चत्वारो त

२. ज अ; दीर्घ त

३. त; गुणस्याभावरूपत्वमेव न दोषत्वम् ज अ

४. ज अ; न च वैपरीत्यमेवास्त्विति वाच्यम् त

सत्त्वात्[1]। एवं न्यूनपदमधिकपदं कथितपद[2]मेते दोषा अपि न सम्यञ्चः। काव्याकाव्यसाधारणानां दोषाणां काव्ये विशिष्योपादानप्रयासस्यायुक्तत्वात्।[3]

एवमेव पतत्प्रकर्षदूषणमपि[4] न चारु। तथाहि—समता मार्गभेदः। यया रीत्योपक्रमस्तया समापनं गुणः। तदभाव एव येन दोषः। ननु वैपरीत्यमेव कुतो न स्यादिति चेत्। यत्र पश्चात्प्रकर्षस्तत्र पतत्प्रकर्षाभावेऽपि समताया अभावात्। एवं समाप्तपुनरात्त[5]मपि न दूषणमिति प्राक् प्रतिपादितम्। एवमर्धान्तरैकवाचकमपि न दूषणम्, तथाहि-अस्थानस्थपद एवान्तर्भावात्, अनासत्तेर्दूषकता बीजस्य तुल्यत्वात्। न च पदकृतासत्तिविरहो अस्थानस्थपदे

कथितपद ये तीन दोष भी ठीक नहीं हैं। क्योंकि काव्य और काव्येतर इतिहास-पुराणादि तथा लोकव्यवहार—दोनों में ही समान रूप से रहने वाले इन दोषों का काव्य में विशिष्ट रूप से ग्रहण करने और वर्णन करने का प्रयास ठीक नहीं है।

टि०—न्यूनपदादि ये दोष काव्यों में भी होते हैं और सामान्य वार्तालाप आदि प्रसङ्गों में भी होते हैं। इस कारण काव्यातिरिक्त स्थलों में भी दिखाई पड़ने के कारण यह काव्य के ही दोष नहीं कहे जा सकते।

इसी प्रकार पतत्प्रकर्ष दोष भी ठीक नहीं है। इसे समझाते हैं—समता [गुण] मार्गभेदस्वरूपिणी है जिस रीति [ढंग] से प्रारम्भ हो उसी से समाप्त करना समता नामक गुण है। उस गुण का अभाव ही वह कारण है जिससे पतत्प्रकर्ष दोष होता है। यदि [पूर्वपक्षी की ओर से] यह कहा जाय कि इससे उल्टा ही क्यों न माना जाय अर्थात् पतत्प्रकर्ष दोष का अभाव ही समता क्यों न मान ली जाय तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि जहाँ उत्तरोत्तर वाक्य में बन्धदार्ढ्यरूप उत्कर्ष दिखाई पड़ेगा वहाँ इस पतत्प्रकर्ष दोष का अभाव मानने पर भी [क्योंकि ऐसे स्थलों पर यह दोष नहीं माना जाता] समता नामक गुण का अभाव मानना पड़ेगा [वस्तुतः ऐसे स्थलों में समता नामक गुण माना जाता है]। इसी प्रकार समाप्तपुनरात्त दोष भी दोष नहीं है इस बात का पहले [पृ०२६२] प्रतिपादन किया जा चुका है। इसी प्रकार अर्धान्तरैकवाचक भी पृथक् दोष नहीं है क्योंकि इसका अन्तर्भाव भी अस्थानस्थ पददोष के भीतर हो जाता है और इन दोनों ही दोषों में [पदों में] आसत्तिविरह ही दोष का कारण होता है [ये दो युक्तियाँ दी जा सकती हैं]।

---

१. ज; बन्धदीर्घरूपस्य श्लेषस्य सत्त्वात् अ ;बन्धदाढर्यरूपश्लेपस्य भावात् त
२. ज अ; न्यूनपदं कथितपदमधिकपदम् त
३. ज अ; विशेष्योपादानप्रयासस्यानुचितत्वात् त
४. ज अ; पतत्प्रकर्षमपि न चारु त
५. त; -पुनरात्तं दूषणमिति ज अ

दूषकताबीजमत्र तु यतिकृतभेद इति वाच्यम्, यत एवं तादृशयत्किञ्चिद्भेद-कल्पने[1] दोषाणामानन्त्यं स्यात्।[2] एवमभवन्मतयोगोऽपि काव्याकाव्य-साधारणमेव दूषणमतः काव्ये विशिष्योपादानवैयर्थ्यम्। एवमनभिहितवाच्यं न्यूनपद एवान्तर्भूतम्। न च न्यूनपदं वाचकपदरहितम् अनभिहितवाच्यं तु द्योतकघटित[3]मिति वाच्यं दत्तोत्तरत्वात् एवं[4] संकीर्णं गर्भितमक्रममेतानि त्रीणि न पृथक्[5] दूषणानि अपदस्थपद एवान्तर्भावात्। एवं प्रसिद्धिविहत-भग्नप्रक्रमामतपरार्थानामनुचितार्थ एवान्तर्भावान्न पृथग्दूषणत्वमिति तत्त्वम्।

अथार्थदोषाः—

अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरुक्तदुष्क्रमग्राम्याः।
सन्दिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्च ॥ २२ ॥

(शङ्का] अस्थानस्थपद दोष में पदकृतासत्ति का अभाव दोष का कारण है और अर्धान्तरैकवाचक में यतिकृतासत्ति का अभाव दोष का कारण है [यह इन दोनों में भेद है [ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वैसे छोटे २ भेद मानने पर तो अनन्त दोषों को मानना पड़ जाएगा [इसलिए थोड़े थोड़े भेद के आधार पर अलग२ छोटे छोटे भेद नहीं करने चाहिए]।

इसी प्रकार अभवन्मतयोग भी काव्यों और अकाव्यों में साधारण रूप से पाया जाने वाला दोष है इसलिए काव्य में उसको पृथक् ग्रहण करना अर्थात् उसको काव्य का ही दोष बताना व्यर्थ है। इसी प्रकार अनभिहितवाच्य दोष का न्यूनपद दोष के अन्दर अन्तर्भाव हो जाता है [अनभिहितवाच्य में भी पदाभाव होता है और न्यूनपद में भी पदाभाव मिलता है] और न्यूनपद में वाचक-पद का राहित्य होता है और अनभिहितवाच्य द्योतक पद [के अभाव] से घटित होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसका उत्तर पहले [पृ० २६७] दे दिया है। इसी प्रकार सङ्कीर्ण, और गर्भित अक्रम यह तीन अलग से दोष नहीं है क्योंकि अपदस्थपद दोष में ही इनका अन्तर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार १. प्रसिद्धिविहत, २. भग्नप्रक्रम और ३. अमतपरार्थ—इन तीन दोषों का अनुचितार्थ में ही अन्तर्भाव हो जाने के कारण अलग से दोषत्व नहीं है यह तत्त्व भरी बात है।

इस [पद, पदांश तथा वाक्य तीनों में रहने वाले १६ दोषों और वाक्य में रहने वाले २१ दोषों के निरूपण] के बाद [२३] अर्थदोष हैं—

१. अपुष्टार्थ, २. कष्ट, ३. व्याहत, ४. पुनरुक्त, ५. दुष्क्रम, ६. ग्राम्य,

---

१. त; यत एतादृशत्वभेदकल्पने ज अ
२. ज अ, दोषाणामानन्त्यात् त
३ ज अ; न्यूनपदे वाचकपदरहितत्वमनभिहितवाचके तु द्योतकत्वघटितमितित...
४. त; एवं ज अ में परित्यक्त
५. ज अ; पृथक् न त

अनवीकृतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिवृत्ताः ।
साकाङ्क्षोऽपदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुद्धः ॥ १२३ ॥
विध्यनुवादायुक्तस्त्यक्तपुनः स्वीकृतोऽश्लीलः ।

इति प्राचां दोषास्ते[1] उक्तदोषेष्वन्तर्भवन्तीति न पृथक् प्रतिपादिताः । तथाहि—पुष्टं पोषणमुत्कर्षः । पश्चान्न विद्यते पुष्टं[2] यत्रेति नञा समासः । तथा च प्रकृतवाक्योद्देश्योत्कर्षाहेत्वर्थं[3]रूपापुष्टार्थस्याधिकपदे निरर्थके वा अन्तर्भावः ।

यथा—

तमालश्यामलाम्भोधिं लङ्घयामास वानरः ॥ १८४ ॥

कष्टस्य क्लिष्टे अन्तर्भावः । व्याहतस्यानुचितार्थे अन्तर्भावः ।[4]

---

७. सन्दिग्ध, ८. निर्हेतु, ९. प्रसिद्धिविरुद्ध, १०. विद्याविरुद्ध, ११. अनवीकृत, १२. नियम में अनियम, १३. अनियम में नियम, १४, विशेष में अविशेष और १५. अविशेष में विशेष रूप परिवृत्त, १६. साकाङ्क्ष, १७. अपदयुक्त १८. सहचरभिन्न १९. प्रकाशितविरुद्ध ॥१२२-१२३॥

२०, विध्ययुक्त, २१.अनुवादायुक्त २२. त्यक्तपुनःस्वीकृत और २३. अश्लील [अर्थ दुष्ट होता है] ।

इस रूप में प्राचीन मम्मट [काव्यप्रकाश ७,५५-५७] प्रभृति आचार्यों के [मतों में] जो दोष माने गए हैं वे [पहले] बतलाये हुए दोषों में अन्तर्भूत हो जाते हैं इस कारण उनका अलग से प्रतिपादन नहीं किया है । इसको इस तरह स्पष्ट किया जाता है—[१. पुष्ट)—पुष्टम् का अर्थ है पोषण, [पोषण का अर्थ है] उत्कर्ष । जिसमें आगे जाकर अर्थ की पुष्टि नहीं होती है वह अपुष्टार्थ है । यहाँ पुष्ट शब्द का नञ् के साथ समास है । प्रकृत वाक्य में उद्देश्य के उत्कर्ष में अहेतु बनने वाला जो अर्थ तद्रूप अपुष्टार्थ का अधिकपद अथवा निरर्थक में अन्तर्भाव हो जाता है । [उदाहरण के रूप में] जैसे—

तमाल जैसे श्यामवर्ण समुद्र को हनूमान् जी ने पार कर लिया । ॥१८२॥

टि०—यहाँ 'अम्भोधिम्' का तमालश्यामलं यह विशेषण व्यर्थ है इसने हनुमान् जी की किसी विशेषता को नहीं बढ़ाया है । अतिविस्तीर्णमम्भोधिं जैसे प्रयोग ही सार्थक हो सकते हैं ।

२. कष्टार्थ दोष का क्लिष्ट में अन्तर्भाव हो जाता है । ३. व्याहत दोष का अनुचितार्थ में अन्तर्भाव हो जाता है ।

---

१. ज अ; त उक्तदोषे त
२. ज अ; न पुष्टं विद्यते त
३. ज अ; हेतुरूपापुष्ट त
४. ज अ; व्याहतस्या भावः त में परित्यक्त

यथा—

अद्यापि स्मरति रसोल्लसन्मनो मे
मुग्धायाः स्मरचतुराणि चेष्टितानि ॥ १८५ ॥

मुग्धायाः स्मरचतुराणि कथं चेष्टितानि ? स्मरचतुराणि चेच्चेष्टितानि तदा कथं मुग्धा ?

यथा वा—

जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये ।
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥

अत्र यदेवापकर्षार्थं तदेवोत्कर्षार्थमारोपितम् ।

[इसका उदाहरण] जैसे—

आज भी रस [आनन्द] से उल्लसित मेरा मन मुग्धा प्रेमिका की काम भरी चतुर चेष्टाओं [लीलाओं] का स्मरण कर रहा है ॥१८४॥

मुग्धा नायिका की काम भरी चेष्टायें कैसे हो सकती हैं [क्योंकि मुग्धा नायिका तो वह भोली नायिका है जो कामसम्बन्धी भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाती उसके अन्दर ऐसी चेष्टायें नहीं होतीं] और यदि कामसम्बन्धी चतुर चेष्टायें उसके भीतर हैं तो वह मुग्धा कैसे [कही जा सकती है] ?

टि०—यहाँ मुग्धा के उत्कर्ष को सूचित करने के लिए स्मरचतुराणि चेष्टितानि पदों का प्रयोग किया है किन्तु इन पदों से मुग्धा नायिका का अपकर्ष ही द्योतित होता है। मुग्धा का उत्कर्ष तो उसके भोलेपन के कारण अदाओं के न जानने से सूचित होता है। परस्परविरुद्ध वचन होने से यहाँ व्याहत दोष है।

अथवा [व्याहत दोष से दूषित का और उदाहरण] जैसे—

नवीन चन्द्रमा की कला आदि वे [प्रसिद्ध] पदार्थ संसार में [अन्य लोगों के लिए बहुत सुन्दर] सर्वोत्कर्षयुक्त [भले ही] हों और जो अन्य पदार्थ भी [साधारण लोगों के] मन को आह्लादित करते हैं वे भी स्वभावतः सुन्दर हैं ही [नहीं तो वे लोगों को मोहित कैसे कर लेते हैं परन्तु मेरे लिए उनमें कोई आकर्षण नहीं है] मेरे लिए तो संसार में जो यह [मालती रूप] नेत्रों की चाँदनी [चाँदनी के समान नेत्रों को आनन्ददायक] दिखलाई पड़ी है वही इस जीवन में एकमात्र सबसे बड़ा आनन्द है ॥१८६॥

यहाँ पर जो नवेन्दुकलादि वस्तुएं अपकर्ष के लिए [श्लोक के पूर्वार्ध में पढ़ी] हैं उनका ही उत्तरार्ध में उत्कर्ष के लिए नायिका के उपमान के रूप में आरोप किया गया है [इस कारण यहाँ व्याहत दोष है]।

उक्तञ्च प्राचीनैः—

उत्कर्षो वापकर्षो वा प्राग्यस्यैव निगद्यते ।
तस्यैव चेत्तदन्यत्वं व्याहतार्थं तदा भवेत् ।।

एवं पुनरुक्तस्याप्यधिकपदे निरर्थके वा अन्तर्भावः । तथा दुःक्रमस्याप्य[1]नुचितार्थे अन्तर्भावः । एवं ग्राम्यो ग्रामसम्भवः अविदग्धस्तत्प्रतिपादितः स्वरिरंसादिः तस्याप्यनुचितार्थे अन्तर्भावः[2] । एवं सन्दिग्धस्य सन्दिग्ध एवान्तर्भावः । एवं निर्हेतो न्यूनपदे । एवं प्रसिद्धि[3]परिहीनस्यानुचितार्थेऽन्तर्भावः विद्याविरुद्धस्याप्यनुचितार्थे अन्तर्भावः । विद्येत्युपलक्षणं प्रत्यक्षादि-

---

और प्राचीन आचार्यों ने कहा है—

जिस वस्तु की उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता पहले बता दी गई है उसी वस्तु का ही यदि तद्वैपरीत्य पाया जाय तो व्याहतार्थ दोष होता है ।

टि०—तदन्यत्वम् का अर्थ है उससे विपरीत अथवा भिन्न वर्णन । पहले जिसका उत्कर्ष बताया गया हो और बाद में उसका अपकर्ष कहा जाय अथवा पहले जिस का अपकर्ष बताकर बाद में उत्कर्ष दिखाया हो तब यह दोष होता है ।

इसी प्रकार ४. पुनरुक्त का भी अधिकपद या निरर्थक में अन्तर्भाव होता है और ५. दुःक्रम का भी अनुचितार्थ में अन्तर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार ग्राम्य का अर्थ है—ग्राम में उत्पन्न अथवा मूर्ख व्यक्ति । ग्रामीण अथवा मूर्ख व्यक्ति के द्वारा [स्पष्ट शब्दों में] प्रतिपादित जो रमण [सम्भोग] करने की अभिलाषा आदि बातें जिसके अन्तर्गत आती हैं उस ग्राम्य दोष का भी अनुचितार्थ में अन्तर्भाव हो जाता है ।

टि०—देहि मे रतिं प्रिये त्वत्समीपे स्वपिम्यहम् जैसे वाक्यों में ग्राम्य दोष होता है ।

इसी प्रकार ७. सन्दिग्ध अर्थदोष का सन्दिग्ध [पददोष में अन्तर्भाव हो जायेगा । इसी प्रकार ८. निर्हेतु का न्यूनपद में [अन्तर्भाव हो जाता है] ।

टि०—काव्यप्रकाश (७,२६४) में निर्हेतु के उदाहरण गृहीतं येनासीः' इत्यादि श्लोक में द्रोणाचार्य के शस्त्र छोड़ने का हेतु कहा हुआ है किन्तु अश्वत्थामा के शस्त्रपरित्याग का कोई हेतु नहीं बताया गया है अतः वहाँ निर्हेतु दोष है ।

इसी प्रकार ९. प्रसिद्धिविरुद्ध का अनुचितार्थ में अन्तर्भाव [हो सकता है] । १०. विद्याविरुद्ध का भी अनुचितार्थ में अन्तर्भाव [हो जाता है] । यहाँ विद्या शब्द उपलक्षण है [अर्थात् यह शब्द अपना अर्थ तो बताता ही है किन्तु दूसरे प्रत्यक्षादि

---

१. त; दुःक्रमस्यानुचितार्थे ज अ

२. ज अ, एवं ग्राम्यो…भावः त में परित्यक्त

३. ज अ; प्रसिद्धिहीनस्य त

विरोधेऽपि बोध्यम् । यथा—सविषाणस्तुरङ्गमः, अनुमानविरोधे— न कर्त्ता जगदीश्वरः । आगमविरोधे नरकपालं परं मेध्यमित्याद्यनुचितार्थं एवान्तर्भूतम्[1] ।

एवमनवीकृतत्वं पृथग्भङ्ग्यननुपात्तैकार्थत्वं न दोषः किन्तु गुणाभावः । उक्तिवैचित्र्यात्मकमाधुर्यगुणस्य[2] विद्यमानत्वात्, अतोऽत्र गुणाभावादेव रसापकर्ष इति । तथा नियमपरिवृत्त[3]स्यापि न्यूनपद एवान्तर्भावः । नियमस्य शब्दादप्रतिपत्तिर्नियमपरिवृत्तिः ।

शब्दों का भी ग्रहण कर रहा है—स्वार्थावबोधे सति परार्थावबोधकत्वमुपलक्षणम्, इस लिए] प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध होने पर भी विद्याविरुद्ध होता है। जैसे 'सविषाणस्तुरङ्गमः' [सींगों से युक्त घोड़ा इस वाक्य में घोड़े के साथ सींगों का विशेषण सङ्गत नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण का विरोध आता है] । अनुमानविरोध होने पर [होने वाले विद्याविरुद्ध का उदाहरण संसारस्य] न 'कर्त्ता जगदीश्वरः' है [क्योंकि अनुमानप्रमाण से ही ज्ञात हो जाता है कि घट कार्य का कर्त्ता जैसे कुलाल है वैसे ही संसार रूपी कार्य का कर्त्ता ईश्वर है इसलिए यहाँ अनुमान का विरोध आने से विद्याविरुद्ध है]। आगमविरोध होने पर विद्याविरुद्ध [का उदाहरण] यह नरमुण्ड बहुत पवित्र है इत्यादि उदाहरण अनुचितार्थ में ही समा जाते हैं।

इसी प्रकार किसी दूसरे अलग प्रकार के शब्दों के अग्रहण के कारण जहाँ एक ही तरह का अर्थ गृहीत होता है वह ११. अनवीकृत नामक अर्थदोष दोष नहीं है अपितु गुण का अभाव है। क्योंकि विचित्र प्रकार की उक्तियों से भरा होना माधुर्य गुण का स्वरूप है [केवल पदों के वैचित्र्यमात्र से वह गुण नहीं होता] जहाँ ऐसा अर्थ होता है वहाँ माधुर्य गुण की सत्ता होती है। इसलिए इस प्रकार की उक्तिवैचित्र्य के अभाव वाले स्थलों में इस गुण के अभाव से ही रस का अपकर्ष [हानि] होता है।

टि०—काव्यप्रकाश (७,२७१) में प्राप्त 'प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किम्, दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्' इत्यादि श्लोक में 'ततः किम्' इस पदसमूह का चार बार प्रयोग दिखाया गया है। जहाँ नये पद न रखकर पहले प्रयुक्त पदों का ही उसी पुराने अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ अनवीकृत दोष होता है।

इसी प्रकार १२. नियमपरिवृत्त का भी न्यूनपद में अन्तर्भाव हो जाता है। नियम की शब्द से प्रतीति न होना ही नियमपरिवृत्ति कहलाती है।

---

१. त; ... धि अनुचितार्थे एव अन्तर्भूतम् ।
२. त; माधुर्यस्य ज अ ।
३. ज अ. नियमवृत्तस्यापि त

यथा—

यत्रानुल्लिखितार्थमेव निखिलं निर्माणमेतद्विधे-
रुत्कर्षप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा।
याताः प्राणभृतां मनोरथगतीरुल्लङ्घ्य यत्सम्पद-
स्तस्याभासमणीकृताश्मसु मणेरश्मत्वमेवोचितम् ॥ १८७ ॥

अत्र[1] च्छायामात्रमणीकृताश्मसु मणेस्त[2]स्याश्मतैवोचिता, इति

[नियमपरिवृत्ति का उदाहरण] जैसे—

जिस [अद्वितीय कौस्तुभमणि] के सामने विधाता की यह सारी रचना अनुल्लेखनीय व्यक्ति की रचना के समान नगण्य या निष्प्रयोजन सी प्रतीत होती है, जिसमें उत्कर्ष के प्रतियोगी [अर्थात् उस पदार्थ से यह कौस्तुभ मणि अच्छी है इस प्रकार उत्कृष्ट गुण वाले उपमान के रूप में होने] की कल्पना करना भी जिसका परम अपमान है, जिसकी सामर्थ्यसम्पदा प्राणियों के मनोरथों की गति को भी पार कर गई है [अर्थात् देवता, मनुष्य, राक्षस आदि सभी प्राणियों की आशा से भी बाहर के सभी पदार्थ देने की शक्ति जिस कौस्तुभ मणि में है], जिसकी छायामात्र से मणि बन जाने वाले पत्थरों के [साथ तुलना आदि करने की अपेक्षा उनके] बीच उस [कौस्तुभ] मणि का पत्थर [रूप में परिगणित] होना ही उचित है ॥१८७॥

टि०—नियमपरिवृत्ति का यह उदाहरण काव्यप्रकाश (७,२७४) में भी दिया हुआ है। जहाँ नियम या अवधारण सहित बात कहनी चाहिए वहाँ यदि बिना नियम या बिना अवधारण के वर्णन किया जाय तो यह दोष होता है। इसको सनियमवैपरीत्य भी कह सकते हैं। इस दोष के इस उदाहरण में कवि यह भाव प्रकट करना चाहता है कि किसी अलौकिक योग्यताशाली महापुरुष की साधारण पुरुषों के साथ गणना करना या उन क्षुद्र पुरुषों से उसकी तुलना करके उसकी किसी विशेषता का प्रदर्शन करना उसका अपमान करना ही है। कौस्तुभमणि को प्रस्तुत विषय बनाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कवि ने यह पद्य लिखा है।

यहाँ [जिसकी] छायामात्र से मणि बने हुए पत्थरों में उस मणि की पाषाण-रूपता [से गणना] ही उचित है। इस प्रकार [नियमसूचक 'मात्र' पद को जोड़ कर 'छायाभास' के स्थान पर 'छायामात्र'] इस भाँति सनियमत्व कहना चाहिए। [उस मात्र शब्द का प्रयोग न करने से यह 'सनियमपरिवृत्त' रूप अर्थदोष का उदाहरण बन गया है। इस प्रकार यहाँ छायाभास के स्थान पर छायामात्र पाठ

---

१. त; ज अ में परित्यक्त

२. त; मणेरस्याश्मतै० ज अ

सनियमत्वं वाच्यम् । तथा मात्रार्थे कृते तु[1] गुणान्तरव्यवच्छेदेन निन्दातिशयः प्रतीयते, प्राकृतमणेस्तु गणनायां चिन्तामणेर्गणनानुचितेति कवितात्पर्यंविषयीभूतार्थः सिध्यति । तथा च चिन्तामणिवृत्तिगुणव्यवच्छेदाय मात्रार्थो विवक्षित इति निर्गलितार्थः[2] तथा अनियमपरिवृत्तस्याधिकपदे । अविवक्षितनियमस्य शब्देन प्रतिपादनमनियमपरिवृत्तिः । यथा—

वक्त्राम्भोजे सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते
बाहुः काकुत्स्थवीर्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः ।
वाहिन्याः पार्श्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुञ्चन्त्यभीक्ष्णं
स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन् कथमवनिपते तेऽम्बुपानाभिलाषः ॥१८८॥

होना चाहिए तभी उसकी अक्षमता उचित होगी] । और मात्र शब्द का प्रयोग कर देने पर तो दूसरे गुणों का अभाव हो जाने से अत्यधिक निन्दा की प्रतीति होती है अर्थात् भगवान् की रचना को निष्प्रयोजन कर देना और प्राणियों के मनोरथों को पूरा करना आदि इन सारे गुणों का कौस्तुभमणि में अभाव हो जाता है । इसी से निन्दातिरेक का ज्ञान होता है । साधारण मणियों की गिनती के बीच चिन्तामणि की गणना नहीं करनी चाहिए यही अर्थ यहाँ कवि के तात्पर्य का विषय है [अतएव इसी अर्थ की प्रधानता है] । और चिन्तामणि में रहने वाले [विशेष] गुणों का [अन्य मणियों में रहने वाले मामूली गुणों से] व्यवच्छेद [पार्थक्य] करने के लिए मात्र शब्द एवं उसका अर्थ यहाँ विवक्षित [कथन के लिए अपेक्षित] है यह पर्यवसित [सारभूत] अर्थ है । और अनियमपरिवृत्त का अधिकपद में अन्तर्भाव हो जाता है । जो नियम विवक्षित नहीं है उसका शब्द के द्वारा प्रतिपादन करना अनियमपरिवृत्ति है ।

टि०—जहाँ अनियम से अर्थात् विना अवधारण के बात कहनी उचित है वहाँ नियम या अवधारणपूर्वक वर्णन करने से अनियमपरिवृत्त दोष होता है ।

[अनियमपरिवृत्त दोष का उदाहरण] जैसे—

हे राजन् ! आपके मुखकमल में सदा सरस्वती [नदी तथा देवी] बसती है । आपका अधरोष्ठ सदा शोण [सोन नदी तथा लाल रङ्ग का] ही रहता है, ककुत्स्थ राजा के वंश में उत्पन्न हुए रामचन्द्र जी के पराक्रम का स्मरण दिलाने में समर्थ आपका दक्षिण बाहु दक्षिण समुद्र ही है । ये वाहिनियाँ [पहले पक्ष में नदियाँ और दूसरे पक्ष में सेनायें] तनिक देर के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं और आपके मन में स्वच्छ मानस [मानसरोवर तथा दूसरे पक्ष में मन] के रहते हुए आपको जल पीने की इच्छा कैसे होती है ? १८८॥

---

१. त; तथाकृते तु ज अ

२. त; चिन्तामणेर्न गणनमित्यर्थः, कवितात्पर्यविषयः सिध्यति (तथा च··· इति निर्गलितार्थः यह अंश परित्यक्त) ज अ

अत्र शोण एवेति नियमो न वाच्यः तथा विशेषपरिवृत्तस्य न्यून-पदे।

श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रैर्मषीकूर्चकै-
मंन्त्रं तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां श्रियम्।
चन्द्रं चूर्णयत क्षणाच्च कणशः कृत्वा शिलापट्टके
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तद्वक्त्रमुद्राङ्किताः॥ १८९॥

अत्र ज्यौत्स्नीमिति श्यामाविशेषो वाच्यः।[1]

महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टि—
स्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्० इत्यादि।॥ १९०॥

टि०—वल्लालविरचित भोजप्रबन्ध में दिए गये इस श्लोक में राजा विक्रमादित्य के द्वारा जल माँगे जाने पर मागध ने प्रत्युत्तर में इस उक्ति से यह आशय प्रकट किया है कि राजन् जव आपके मुख में सरस्वती नदी वहती है और आसपास भी और नदियाँ हैं तो आपको जलपान की क्यों इच्छा हो रही है?

[शोण एवाधरस्ते प्रयोग में] आपका ओठ शोण ही है यह नियम नहीं कहना चाहिए।

टि०—यहाँ कवि का विवक्षित अर्थ तो है आपका ओठ लाल रङ्ग का होने से सुन्दर है किन्तु इससे निकलने वाला सोन नदीपरक [यह सोन नदी की तरह डुवोने वाला है] जो अर्थ प्रतीत हो रहा है वह अमङ्गलसूचक है।

और १४. विशेषपरिवृत्त का न्यूनपद में अन्तर्भाव होता है। [विशेषपरिवृत्त दोष का उदाहरण] जैसे—

हे सेवको! गहरी काली स्याही की कूचियों से [चाँदनी] रात्रि को काली कर दो और मन्त्र तन्त्र का प्रयोग करके सफेद कमलों की शोभा को नष्ट कर दो और चन्द्रमा को पत्थर की शिला पर रख [या पटक] करके कण कण में पीस डालो जिससे मैं दसों दिशाओं को उसकी मुखमुद्रा से अङ्कित देख सकूँ॥१८९॥

टि०—राजशेखरनिर्मित विद्धशालभञ्जिका के तृतीय अङ्क में मृगाङ्कावली के वियोग में आतुर राजा विद्याधर मल्लदेव की यह उक्ति है।

यहाँ 'ज्यौत्स्नीम्' पद का प्रयोग करके चाँदनी रात रूपी विशेष को बताना चाहिए [अतः यहाँ ज्यौत्स्नी रूप विशेष रात्रिवाचक पद के स्थान पर सामान्य 'श्यामा' रूप रात्रिवाचक पद का प्रयोग होने से विशेषपरिवृत्त दोष आ गया है।]

[अथवा और उदाहरण] जैसे—

पुत्रवान् होते हुए भी उस राजा की उस सन्तान [पुत्री] पर पड़ी हुई दृष्टि तृप्ति को नहीं प्राप्त हुई इत्यादि [श्लोक है]॥१९०॥

---

१. श्यामा ··· वाच्यः त; ज अ में परित्यक्त

अत्रापत्यपदं कन्याविशेषात्परिवृत्तमिति विशेषपरिवृत्तिः। तथा अविशेषपरिवृत्तस्य न्यूनपदे।

यथा—

कल्लोलवेल्लितदृषत्परुषप्रहारै
रत्नान्यमूनि रत्नालय मावमंस्थाः।
किं कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम
वाञ्छाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ १९१ ॥

अत्राविशेषप्रतिपादकस्यैकपदस्यैवोचितत्वात् कौस्तुभपदमविशेषपरिवृत्तम्।[1] तथा साकाङ्क्षत्वमाकाङ्क्षापरिपूरकपदशून्यत्वम्, तस्य न्यूनपदे। अपदयुक्तस्याप्यनुचितार्थे।

यहाँ पर अपत्य पद कन्या रूप विशेष अर्थ से हटा हुआ है अथवा उससे विपरीत है इस कारण यहाँ विशेषपरिवृत्त दोष है।

और १५. अविशेषपरिवृत्त का न्यूनपद में अन्तर्भाव हो जाता है।

[अविशेषपरिवृत्त का उदाहरण] जैसे—

हे समुद्र! तरङ्गों से चलाये अथवा फेंके गये इन पत्थरों के कठोर प्रहारों से इन रत्नों का अपमान मत करो। क्या [इन्हीं रत्नों में से केवल] अकेले कौस्तुभ ने पुरुषश्रेष्ठ भगवान् विष्णु को भी आपके सामने याचना के लिए हाथ फैलाने वाला नहीं बना दिया? ॥१९१॥

यहाँ पर अविशेष [सामान्य अर्थ के] बोधक 'एक' इस पद का [ही] प्रयोग उचित होने के कारण [इसके स्थान पर विशेषबोधक] कौस्तुभ पद [अनुचित रूप में प्रयुक्त] है। [अतएव यहाँ] अविशेषपरिवृत्त दोष है।

टि०—यहाँ विशेष रूप से कौस्तुभमणि का नाम न लेकर सामान्य रूप से 'एकेन किं न विहितो भवतः स नाम' क्या एक ने उस पुरुषोत्तम को आपका याचक नहीं बना दिया? यह कहना चाहिए। सामान्यवाचक के स्थान पर विशेष कौस्तुभ का नाम ले देने से यहाँ अविशेषपरिवृत्त दोष है। भल्लटकृत भल्लटशतक के इस श्लोक में एक कौस्तुभ रत्न के हिस्से में इतने बड़े उत्कर्ष के आ जाने से दूसरों का तिरस्कार उचित नहीं है। इस अनौचित्य के कारण भी यहाँ अविशेष परिवृत्त दोष माना जा सकता है।

और [१६. साकाङ्क्ष दोष में] साकाङ्क्षत्व का अभिप्राय है आकाङ्क्षा की पूर्ति करने वाले पदों से शून्य होना, उस दोष का न्यूनपद में अन्तर्भाव किया जा सकता है। १७. अपदयुक्त का भी अनुचितार्थ में अन्तर्भाव हो जाता है।

---

१. ज अ; अत्राविशेषपरिवृत्तिर्विशेषोपादानात् (अत्राविशेष…परिवृत्तम् के स्थान पर यह पाठ) त

यथा—

आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुर्नवं
भक्तिर्भूतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी।
उत्पत्तिर्द्रुहिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते
स्याच्चेदेष न रावणः क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः॥ १९२॥

अत्र रावणं प्रत्युपेक्षा वाक्यार्थः। स स्याच्चेदेष न रावणः इत्यन्तेन परिसमाप्यः। क्व नु पुनः इत्यादिना[1] समर्थनं नार्हतीत्यनुचितार्थम्। एवमेकसमाहारनिर्दिष्टोत्तमाधमरूपस्य सहचरभिन्नस्याप्यनुचितार्थ एवान्तर्भावः। यथा—

श्रुतेन बुद्धिर्व्यसनेन मूर्खता मदेन नारी सलिलेन निम्नगा।
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालङ्क्रियते नरेन्द्रता॥१९३॥

[अपदयुक्त दोष का उदाहरण] जैसे—

इस रावण की आज्ञा इन्द्र के सिर की शिखामणि [मुकुटमणि] से प्रेम करने वाली है अर्थात् इसकी आज्ञा इन्द्र के लिए भी शिरोधार्य है और शास्त्र नूतन नेत्र अर्थात् प्रसिद्ध आँखों से भिन्न आँखें हैं। सब प्राणियों के स्वामी पिनाक नामक धनुष वाले शिव जी में [जिसकी] भक्ति है और लङ्का इस नाम से विख्यात दिव्यनगरी उसका रहने का स्थान है तथा ब्रह्मा के कुल में जन्म हुआ है इस कारण आश्चर्य है कि ऐसा कोई [इतने गुणों से युक्त] दूसरा वर नहीं मिल सकता है, यदि यह रावण [रावयति रोदयति पीडयति वा लोकान्—परपीडक या दुराचारी] न होता [तो कितना अच्छा होता और तब इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता] अथवा सब जगह कहाँ सारे गुण [इकट्ठे] पाये जाते हैं ? ॥१९२॥

यहाँ पर ['स्याच्चेदेष न रावणः' इस] वाक्य का अर्थ रावण के प्रति उपेक्षा के भाव को बताना है [अर्थात् इसको कन्या नहीं देनी चाहिए यह अभिप्राय है]। इस वाक्य को 'स्याच्चेदेष न रावणः' इस सीमा तक ही समाप्त हो जाना चाहिए था और 'क्व नु पुनः इत्यादि [सर्वत्र सर्वे गुणाः] इस वाक्यांश से इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए [क्योंकि क्व नु पुनः इत्यादि वाक्य कहने से तो रावण को सीता न देने की बात हल्की पड़ जाती है और उसी को सीता देने का औचित्य सिद्ध हो जाता है] इस कारण यहाँ अनुचितार्थ दोष है।

इसी प्रकार एक पदसमूह में कथित उत्तम और अधम वस्तुओं के स्वरूप वाले सहचरभिन्न दोष का भी अनुचितार्थ में ही अन्तर्भाव हो जाता है।

[सहचरभिन्न का उदाहरण] जैसे—

[शास्त्र] श्रवण से बुद्धि, [शराब आदि की] बुरी आदत से मूर्खता, [जवानी के] मद से नारी, पानी से नदी, चन्द्रमा से रात्रि, समाधि [की अवस्था] से धैर्य और राजनीति से राजा का पद शोभित होता है॥१९३॥

---

१. ज अ; क्व नु पुनरित्यन्तेन पुनः समर्थनं…त

अत्र श्रुतादिभिरुत्कृष्टैः सहचरैर्व्यसनमूर्खतयोर्निकृष्टयोर्भिन्नत्वम् । उत्कृष्टस्याप्यपकर्षबोधात् ।[1] तथा प्रकाशितविरुद्धस्याप्यनुचितार्थे एवान्तर्भावः । यथा—

लग्नं रागावृताङ्ग्या सुदृढमिह ययैवासियष्ट्यारिकण्ठे
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्या पतन्ती च[2] दृष्टा ।
तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद् गणयति विदितं तेऽस्तु किञ्चास्मि दत्ता
भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद् गदितुमिव गतेत्यम्बुधिं यस्य कीर्त्तिः ।१६४।

अत्र विदितं तेऽस्त्वित्यनेन वेदितव्यानुचितार्थाभिधानेन क्रोधाभिव्यक्तेः

यहाँ श्रुत आदि उत्कृष्ट सहचारी पदार्थों के साथ व्यसन और मूर्खता इन दो निकृष्ट अर्थों के रखने से सहचरभिन्नता [अर्थदोष] हो जाता है क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट वस्तु का भी [निकृष्ट वस्तु के साथ वर्णन होने से] घटियापन प्रतीत हो रहा है। और १६. प्रकाशितविरुद्ध का भी अनुचितार्थ में अन्तर्भाव हो जाता है।

[प्रकाशितविरुद्ध दोष का उदाहरण] जैसे—

इस लोक में जो [मेरी सौत] असियष्टि [तलवार] अनुराग से परिपूर्ण [दूसरे पक्ष में शत्रुओं के रक्त से रंगी हुई] शत्रुओं के गले में चिपट जाती है, जिसको अन्य लोगों ने चाण्डालों के ऊपर गिरते हुए [उसके विपरीत रति के उद्यम को] देखा है [दूसरे पक्ष में हाथियों के ऊपर गिरते देखा है]। उस [दुराचारिणी सौत] तलवार पर रीझा हुआ यह [आपका जामाता और मेरा पति मेरे सम्बन्ध में] कुछ नहीं सोचता समझता है और इसने [उदारतावश] मुझ [लक्ष्मी] को अपने सेवकों को [मेरा यथेष्ट भोग करने के लिए] सौंप दिया है यह भी [मेरे, पिता] आपको विदित हो। [राजा की पत्नी] लक्ष्मी की आज्ञा से यह कहने के लिए ही मानों जिसकी कीर्ति [रूपी दूती उसकी पत्नी लक्ष्मी के पिता] समुद्र के पास तक जा पहुँची है ॥१६४॥

टि०—राजा की कीर्ति समुद्र तक फैल गई यह बात कवि ने यहाँ बताई है। उसके युद्धप्रियता, दानशीलता आदि गुणों को भी यहाँ दिखाया है। राजा की पत्नी लक्ष्मी ने कीर्ति को दूती बनाकर अपने पिता समुद्र के पास यह शिकायत भिजवाई है कि यह राजा तो निरन्तर युद्धव्यापृत रहने के कारण मेरी सौत असिलता (तलवार) पर रीझ रहा है किन्तु मेरी उपेक्षा करता है और मुझे भोगने के लिए अपने सेवकों को दे दिया है। यह मेरी सौत तलवार बड़ी दुश्चरित्रा है क्योंकि यह दूसरों के गले से लग जाती है और चाण्डालों के साथ भी व्यभिचार करने में इसे आनाकानी नहीं है।

यहाँ 'विदितं तेऽस्तु' इस वचन से जो वेदितव्य अर्थ [बतलाने योग्य विवक्षित

---

१. ज अ; उत्कृष्टस्याप्यपकृष्टबोधात् त

२. ज अ; पतन्तीव त

श्रीस्तस्मादपसृतेति विरुद्धं प्रकाश्यते । तथा विध्ययुक्तस्य विधेयाविमर्शे अन्तर्भावः ।

यथा—

वाताहारतया जगद् विषधरैराश्वास्य निःशेषितं
ते ग्रस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीव्रव्रतैर्बर्हिभिः ।
तेऽपि क्रूरचमूरुचर्मवसनैर्नीताः क्षयं लुब्धकै-
र्दम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥ १९५ ॥

अर्थ—इस राजा की मेरी सौत लक्ष्मी के प्रति आसक्ति से और मेरे प्रति की जाने वाली उपेक्षा से मैं बड़ी दुःखी हूँ अब किसी भी प्रकार मेरे प्रति इसकी अनुरक्ति कराइए उससे विपरीत] अनुचित अर्थ के कहने से और क्रोध की अभिव्यक्ति होने से लक्ष्मी उससे हट गई है यह विरोधी अर्थ प्रतीत हो रहा है [अतः यहाँ प्रकाशित-विरुद्ध दोष है]।

टि०—विदितं तेऽस्तु से यह अर्थ प्रतीत हो रहा है अब आपको यह मालूम हो जाना चाहिए कि यह राजा मेरी परवाह नहीं कर रहा है और मेरी सपत्नी लक्ष्मी पर ही अनुरक्त है । आपने ही इसके साथ इसे अच्छा समझकर मेरा विवाह कराया था । इसीलिए आपकी शर्म का ख्याल रखकर मैं जैसे तैसे इसके साथ निर्वाह कर रही हूँ । परन्तु इसी के साथ यह भी अनुचित अर्थ यहाँ निकल रहा है कि अब मैंने इसके इन कारनामों से दुःखी और क्रुद्ध होकर इसे छोड़ने (तलाक देने) का सङ्कल्प कर लिया है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है । वास्तव में कवि का यह विवक्षितार्थ नहीं है कि लक्ष्मी ने उस राजा को छोड़ दिया है ।

और २०. विध्ययुक्त दोष का विधेयाविमर्श दोष के भीतर अन्तर्भाव हो जाता है ।

(विध्ययुक्त दोष का उदाहरण) जैसे—

वायु का आहार करने के कारण संसार को विश्वास दिलाकर साँपों ने उसे समाप्त कर दिया है । वर्षाजल की बूँदों के ही [पान का] कठिन व्रत धारण करने वाले मयूरों ने उन साँपों को खा लिया है । चमूरु मृग के कठोर चर्म को धारण करने वाले व्याधों ने उन मोरों का भी नाश कर दिया है । अविवेकी [मूर्ख] मनुष्य दम्भ के दुष्परिणाम को जानता हुआ भी इन गुणों को चाहता है [अर्थात् धर्म का ढोंग रचने वाले इन धूर्तों के ढोंग के व्यवहार से हानि उठाकर भी वह वाताहारतादि गुणों वाले व्यक्तियों में श्रद्धा रखता है] ॥१९५॥

टि०—विध्ययुक्तता का अर्थ है विधि की अर्थात् रचना की अयुक्तता (असङ्गति) । जहाँ वाक्यरचना किसी नियम के टूटने से अथवा किसी नियम में बँधी न होने से गलत हो जाती है तो वहाँ विध्ययुक्तता दोष आ जाता है । प्रस्तुत

अत्र जगन्निःशेषितुं वाताहारत्वमाचरितमित्याद्यर्थे दम्भस्य स्फुरितमित्याद्यर्थान्तरन्यासस्वरसेन च विवक्षणीये विधेरस्य व्युत्क्रमाभिधानेन स्फुट एव विधेयाविमर्शे अन्तर्भावः।

उदाहरण भल्लटशतक से लिया गया है। इसमें साँप आदि का वर्णन करके धार्मिक तपस्वी वनने का ढोंग करने वाले व्यक्तियों की ओर सङ्केत किया गया है। साँपों ने यह दिखलाया है कि हम तो योगियों की भाँति केवल वायुभक्षण करके जीवित रहते हैं अतः हम किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेंगे, मोरों ने वर्षाजल की बूंदों का पान करने के व्रत का प्रदर्शन किया है और व्याधों ने मृगचर्म धारण कर तपस्वी वनने का ढोंग किया है।

यहाँ पर संसार को समाप्त करने के लिए [साँपों ने] वायुभक्षण का व्रत धारण कर लिया है इत्यादि [जलबिन्दुकणिकाओं का पान और कठोर चमूरु मृग के वसन को धारण करना इस] अर्थ में ढोंग का विकास [दिखाया गया] है।

टि०—जो वायु खाकर जीने वाले साँप थे उनको जलकणों को पीने वाले मोरों ने मार दिया, जो जलविन्दुकणिका पीने वाले मोर थे उन्हें मृगवसनधारी व्याधों ने मार दिया। इस प्रकार एक ढोंगी को दूसरे ढोंगी ने मार दिया इस रूप में यहाँ प्रत्येक के सम्वन्ध में यह दिखा दिया है कि दूसरों को धोखा देने के लिए ही उसने उस २ व्रत को धारण किया है।

इत्यादि रूप में अर्थान्तरन्यास के साथ अनुकूलता विवक्षणीय है अर्थात् एक दूसरे का समर्थ्यसमर्थकभाव अपेक्षित है जोकि इस विधि [नियम के क्रम के] उलटे हो जाने के कथन के कारण [नहीं हो पाया है अतः यहाँ विध्ययुक्तता है इसका] यहाँ स्पष्ट रूप से ही विधेयाविमर्श में अन्तर्भाव है।

टि०—व्रतशास्त्र में व्रत धारण करने का क्रम यह है—पहले मनुष्य मुनियों जैसे वल्कलवस्त्रों को धारण करता है तदनन्तर यत्किञ्चित् जलपान करता है और अन्त में वायु पर ही आश्रित हो जाता है। वाताहार का व्रत सबसे कठिन है। उसकी अपेक्षा अभ्रतोयकणिकापान का व्रत सरल है और मृगचर्म का धारण करना सबसे सरल है यहाँ सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए था और इस प्रकार वर्णन होना चाहिए था—जो चमूरु मृग को धारण करने वाले व्याध हैं उन्होंने जलकणों को पीने वाले मोरों को मार दिया और जो जल पीने वाले मोर हैं उन्होंने वायुभक्षण करने वाले साँपों को मार दिया। यहाँ पर अलग अलग तीनों प्राणियों में दम्भ की एक एक बात बताई गई है अन्त में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चमूरु धारण करने वाले, जल पर रहने वाले तथा वायुभक्षण करने वाले व्यक्तियों द्वारा अथवा इन तीनों विशेषताओं से युक्त किसी एक व्यक्ति द्वारा संसार आसानी से नष्ट किया जा सकता है।

तथा विधेयविरोध्यनुवादरूपस्यानुवादायुक्तस्याप्यनुचितार्थ एवान्तर्भावः।[1]

यथा—

अये रामाहस्ताभरण ! भसलश्रेणिशरण !
स्मरक्रीडाव्रीडाशमन ! विरहिप्राणदमन !
सरोहंसोत्तंस ! प्रचलदलनीलोत्पल ! सखे !
सखेदोऽहं मोहं श्लथय कथय क्वेन्दुवदना ।। १९६ ।।

अत्र विरहिप्राणदमनत्वं विरहिमोहश्लथीकरणत्वमत्यन्तविरुद्ध[2]मित्यनुचितार्थमिति ।

एवं त्यक्त[3]पुनःस्वीकृतस्य समाप्तपुनरात्ते तथाश्लीलस्याप्यानुचितार्थे ।[4]

और विधेय के विरोधी अनुवाद [उद्देश्य] रूप २१.अनुवादायुक्त का अनुचितार्थ में अन्तर्भाव [कर लेना चाहिए] ।

हे [सुन्दरी] नायिकाओं के हाथ के आभूषण ! भ्रमरसमुदाय के शरणदाता, कामक्रीड़ा में होने वाली लज्जा का [उद्दीपन द्वारा] शमन [विनाश] करने वाले, विरही प्राणियों के प्राणों का नाश करने वाले, उत्तम तालाबों की शोभा के जनक, चञ्चलपत्रों वाले हे मित्र नीलकमल ! मैं [अपनी प्रियतमा के वियोग में] अत्यन्त दुःखी हूँ। मेरे मोह को दूर करो और बताओ कि वह चन्द्रमुखी कहाँ है ? ।।१९६।।

टि०—यहाँ कोई विरही अपनी प्रियतमा के सम्बन्ध में कमल से पूछ रहा है कि बताओ वह कहाँ है ? जहाँ अनुवाद अर्थात् उद्देश्य की अयुक्तता होती है अर्थात् विधेय के साथ उद्देश्य का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता है वहाँ यह दोष होता है।

यहाँ विरहिप्राणदमनत्व रूप विशेषण [उद्देश्य मोहं श्लथय से प्रकाशित] विरहिमोहश्लथीकरण रूप विधेय के अत्यन्त विरुद्ध है [क्योंकि जो विरहियों के प्राणों को समाप्त करने वाला है वह उनकी मूर्च्छा या अज्ञान को कैसे दूर करेगा ?] इस कारण [यह दोष अलग न होकर] अनुचितार्थ [स्वरूपात्मक] है ।

इसी प्रकार २२. त्यक्तपुनःस्वीकृत का समाप्तपुनरात्तता दोष में अन्तर्भाव हो जाता है और २३. अश्लील दोष का भी अनुचितार्थ में अन्तर्भाव हो सकता है ।

---

१. ज अ; ···नुवादस्यानुवादायुक्तस्याप्यनुचितार्थ एव त
२. ज अ; ···विरुद्धार्थम् त
३. ज अ; त्यक्तपुनः पद त में नहीं, केवल स्वीकृतस्य यही पद
४. त; अश्लीलस्यानुचितार्थे ज अ

नन्वेवमधिकपदादीनामपि निरर्थकेऽन्तर्भावः स्यादिति चेत् का नो हानिरिति नवीनः पन्था: ।

दोषानुक्त्वा तदाभासान् सम्प्रति ब्रूमहे वयम् ॥ १२४ ॥

न दोषः पौनरुक्त्यं स्यादर्थाधिक्यस्य[1] बोधनात् ।

यथा—

धनुर्ज्याकिणचिह्नेन दोष्णा विस्फुरितं तव ॥ १९७ ॥

अत्र धनुर्ज्यापदं तदारूढत्वप्रतिपादनाय ।

यथा वा—

दोलाविलासेषु विलासिनीनां कर्णावतंसा: कलयन्ति कम्पम् ।१९८।

[शङ्का] इस प्रकार अधिकपदादि दोषों का भी निरर्थक दोष में अन्तर्भाव हो जायेगा यदि ऐसा कहा जाय तो [इसके उत्तर में हमारा कहना है] इस बात को स्वीकार करने में हमारा क्या नुकसान है ? अर्थात् इस प्रकार से जो अनावश्यक रूप से दोषविस्तार है वह जितना कम हो उतना ठीक है। यह नवीन मार्ग है [इसका अनुसरण सबको करना चाहिए] ।

दोषों को कहकर अब हम दोषाभासों को बतलाते हैं ॥१२४॥

अधिक अर्थ को बतलाने के लिए यदि कहीं पुनरुक्ति की गई हो तो वह दोष नहीं हुआ करती ।

[पुनरुक्ति के दोष न बनने का उदाहरण] जैसे—

धनुष की अर्थात् धनुष पर चढ़ी हुई डोरी के द्वारा बनाये गये किण [घाव के अच्छे होने के बाद बने काले काले धब्बों] के निशान वाली तुम्हारी भुजा फड़क उठी ॥१९७॥

यहाँ धनुर्ज्या [अर्थात् धनुष के साथ पढ़ा हुआ ज्या] पद धनुष की डोरी के चढ़ी हुई होने [के अर्थ को दिखलाने] के लिए प्रयुक्त किया गया] है ।

टि०—ज्या नाम धनुष की डोरी के लिए प्रयुक्त होता है। यह डोरी धनुष से उतरी हुई होने पर भी ज्या कहलाती है। यहाँ उसके ऊपर यह चढ़ी हुई है यह अधिक अर्थ प्रतीत हो रहा है इस कारण यहाँ पुनरुक्ति होते हुए भी दोष नहीं है। पूरा श्लोक काव्यप्रकाश (७,२८९) में इस प्रकार है—

विदीर्णाभिमुखारातिकराले सङ्गरान्तरे ।
धनुर्ज्याकिणचिह्नेन दोष्णा विस्फुरितं तव ॥

अथवा [पुनरुक्ति के दोष न होने का दूसरा उदाहरण] जैसे—

हिंडोलों पर झूलने के समय की क्रीड़ाओं में सुन्दरियों के कान के आभूषण कम्पन को धारण करते हैं ॥१९८॥

---

१. त; ···दर्थाधिकस्य ज अ

लीलाचलच्छ्रवणकुण्डलमण्डितेयम् ॥ १९९ ॥
आययुर्भृङ्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥ २०० ॥
प्राणेश्वर[1]परिष्वङ्गविभ्रमप्रतिपत्तिभिः ।
मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम् ॥ २०१ ॥
त्यज करिकलभ त्वं प्रेमबन्धं करिण्याः ॥ २०२ ॥

टि०—अवतंस का अर्थ ही कान का आभूषण होता है (अवतंसः कर्ण-भूषणम्) । इसके साथ कर्ण पद का प्रयोग पुनरुक्त है परन्तु यहाँ कर्णावतंस का अर्थ 'कर्णनियोजितावतंस प्रतीत हो रहा है । अवतंस तो वह तब भी होता है जब वह संदूकची में रखा होता है ।

विलास से चञ्चल श्रवणकुण्डल से यह शोभित हो रही है ॥१९९॥

टि०—यहाँ कुण्डल शब्द कान ही के आभूषण के अर्थ को बता रहा है । किन्तु श्रवण शब्द के प्रयोग से कानों में पहने हुए कुण्डल इस अधिक अर्थ की प्रतीति हो रही है इस कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है ।

[इसके बाद] भौंरों के गुञ्जार से युक्त सिर के आभूषण से शोभित होने वाले पुरुष आ गये ॥२००॥

टि०—यहाँ शिरःशेखर इस पद में शिरस् की पुनरुक्ति है क्योंकि (शेखरं शिरोभूषणम्] शेखर सिर के आभूषण को कहते हैं । परन्तु शिरस् का प्रयोग करने से सिर के ऊपर रखे गये आभूषण अर्थ की प्रतीति होने से यहाँ उक्त दोष नहीं है । काव्यप्रकाश (७,२८८) में पूरा श्लोक इस प्रकार है—

अपूर्वमधुरामोदप्रमोदितदिशस्ततः ।
आययुर्भृङ्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥

प्राणों के स्वामी प्रियतम के आलिङ्गन के हाव भाव [या प्रकारों] से सम्मानित होने के कारण शोभायमान मोतियों के हार के [सम्पर्क] से दोनों स्तन मानों हँस रहे हैं ॥२०१॥

टि०—यहाँ पर हार शब्द का अर्थ ही मोतियों का हार होता है किन्तु मुक्ता पद जोड़ने से उत्कृष्ट मोतियों का हार यह अर्थ सूचित होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है । काव्यप्रकाश (७,२९१) में भी यह उदाहरण है ।

हे हाथी के बच्चे ! तुम हथिनी के प्रति अपने इस प्रेमबन्धन को छोड़ दो ॥२०२॥

टि०—कलभ शब्द का अर्थ हाथी का बच्चा है । करिकलभ प्रयोग होने से पुनरुक्ति प्रतीत होती है किन्तु इसे जोड़ देने से सुन्दर हाथी का बच्चा यह अधिक अर्थ प्रतीत होता है इस कारण यह दोष यहाँ नहीं है ।

१. ज अ; प्राणेश्वरी त

इत्यादिषु। अतएव वामनः—

कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितिः।
सन्निधानादिबोधार्थं स्थितेष्वेतत्समर्थनम्॥

तथा च—

न नितम्बकाञ्चीत्यपि तथोष्ट्रकलभ इत्यपि।
ख्याते निर्हेतुतादोषं न स्वीकुर्वन्ति कोविदाः॥ १२५॥

यथा—

शोकात्कोकयुवा करोति करुणं तारं विरावं परं
जानीते तरुणीं न वा विरहिणीं पार्श्वैकदेशे स्थिताम्।
एताभिः प्रतिमन्दिरं मृगमदैरासिच्य देहं निजं
गुञ्जन्मञ्जुलभृङ्गसुन्दररवं मञ्जीरमुत्तार्यते॥ २०३॥

इत्यादि [इस प्रकार के पुनरुक्ति वाले] स्थलों पर [दोष नहीं है]।

इसलिए वामन [काव्यालङ्कार २, २, १६ वृत्तिभाग] ने कहा है—

कर्णावतंस आदि पदों में [केवल अवतंस पद से ही कान के आभूषण रूप अर्थ का ग्रहण हो जाने से] कर्ण आदि पदों का प्रयोग [उन कर्ण आदि में] सन्निधान [धारण करने] आदि के बोधन के लिए होता है [अतः उसको दोष नहीं समझना चाहिए]। परन्तु पहले से स्थित अर्थात् पुराने कवियों द्वारा प्रयुक्त इन पदों का ही यह समर्थन है [नये कवियों को ऐसे पुनरुक्ति वाले पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए]।

उदाहरणार्थ—

नितम्बकाञ्ची [नितम्ब पर धारण की जाने वाली करधनी] तथा उष्ट्र-कलभ जैसे प्रयोग [नहीं करने चाहिएँ]।

टि०—काञ्ची का अर्थ नितम्ब (कटिप्रदेश) पर पहनी जाने वाली करधनी तथा कलभ का अर्थ ऊँट का बच्चा स्वतः ही होता है उनके साथ नितम्ब और उष्ट्र जैसे पद नहीं रखने चाहिएँ।

ख्यात अर्थात् प्रसिद्ध अर्थ में निर्हेतुता [हेतु के न होने रूप दोष] को काव्य-शास्त्र के विद्वान् नहीं मानते हैं ॥१२५॥

[निर्हेतुता दोष का उदाहरण] जैसे—

[वियोगजन्य] परम कष्ट के कारण युवा चक्रवाक पक्षी अत्यधिक ऊँची आवाज में शोकपूर्ण शब्द कर रहा है और एक किनारे खड़ी हुई अपनी तरुणी वियोगिनी चक्रवाकी का भी उसे पता नहीं है। घर घर कस्तूरी के [चूर्ण से मिश्रित] जलों से अपनी देह का आसिञ्चन [छिड़कना] करके इन नायिकाओं के द्वारा गुञ्जार करने वाले सुन्दर भौंरों के मनोहारी शब्द के समान आवाज वाले नूपुर [बिछिया] उतारे जा रहे हैं ॥२०३॥

अत्र सन्ध्यायां चक्रवाकवियोगस्य प्रसिद्धत्वाद्धेतुर्नापेक्षितः।
अनुवादे तु सर्वेषामदोषत्वमिहेष्यते।

यथा—

आन्दोलिकाभराक्रान्तो बाधति स्कन्ध एष ते।
न तथा बाधते स्कन्धो यथा बाधति बाधते ॥ २०४ ॥

दोषोऽपि गुणतां याति वक्त्रौचित्यादिना क्वचित् ॥ १२६ ॥

यथा शकारोक्तौ पौनरुक्त्यम्।[1]

शिलशि मम णी लीणे भाव शुज्जश्श पादे
शउणिखगविहंगा लुक्ख शाहाशु[2] लीणा।

यहाँ सन्ध्या समय में चक्रवाकदम्पती के वियोग [की बात] के प्रसिद्ध होने के कारण हेतु [का बताना] अपेक्षित नहीं है।

टि०—यह सुविदित ही है कि दिन के समय चकवा चकवी मिल जाते हैं और रात्रि के समय वियुक्त हो जाते हैं। इस कारण सन्ध्याकाल के इस वर्णन में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि चक्रवाक पक्षियों का जोड़ा क्यों दुःखी है ?

अनुवाद [पूर्वज्ञात को स्मरण कराने के लिए फिर से कहने] में तो काव्य के भीतर सारे दोषों की दोषहीनता मानी जाती है।

[अनुवाद की अदोषता का उदाहरण] जैसे—

विहङ्गिका [बँहगी] के भार से लदा हुआ क्या तुम्हारा यह कन्धा पीड़ित हो रहा है ? [प्रश्नकर्त्ता से यह पूछे जाने पर उत्तर देने वाला कहता है कि तुम्हारे मुख से सुना हुआ] 'बाधति' मुझे जितना पीड़ित कर रहा है कन्धे का दर्द उतना पीड़ित नहीं कर रहा है ॥२०४॥

टि०—यहाँ पर प्रश्नकर्त्ता ने अपने प्रश्न में बाधति शब्द का प्रयोग किया है। व्याकरण में बाध् धातु आत्मनेपदी मानी जाती है उसका बाधते रूप ही शुद्ध माना जाता है। प्रयोक्ता को अपनी भूल समझाने के लिए सुनने वाले ने 'बाधति' इस अशुद्ध शब्द को फिर से दोहरा दिया है। ऐसे स्थलों पर च्युतसंस्कृति दोष से युक्त बाधति शब्द का प्रयोग दोष नहीं माना जायेगा।

कहीं कहीं वक्ता आदि के औचित्य के कारण दोष भी गुण बन जाता है ॥१२६॥

जैसे शकार [राजश्यालक—राजा के साले] की उक्ति में पुनरुक्ति [गुण बन जाती] है।

---

१. ज अ; पौनरुक्त्या त
२. ज अ; शाहासु त

णलपुलिशमणुश्शा उण्हदीहं शशन्ता
घलशलणणिशण्णा आदवं णिव्वहन्ति ॥ २०५ ॥
[शिरसि मम निलीनो भाव सूर्यस्य पादः
शकुनिखगविहङ्गा वृक्षशाखासु लीनाः ।
नरपुरुषमनुष्या उष्णदीर्घं श्वसन्तो
गृहशरणनिषण्णा आतपं निर्वहन्ति ॥ संस्कृतच्छाया]

एवं विदूषकोक्तावपि ग्राम्यादिकं बोध्यम् ।

श्लेषनिर्वाहिकश्चेत्स्यान्न दोषो निहतार्थता ।

यथा—

नित्यमुद्वहते तुभ्यमन्तःसारङ्गरञ्जितम् ।
भूतिपाण्डुर गोवाह सोमस्वामिन् नमो नमः [1] ॥ २०६ ॥

अत्र शिवचन्द्रयोर्नमस्कारः ।

हे भाव ! [समादरणीय !] सूर्य की किरणें मेरे सिर पर गिर रही हैं, तरुओं की शाखाओं पर पक्षी छिप कर बैठे हुए हैं, मनुष्यगण घर में बैठे हुए गर्म साँस छोड़ते हुए [धूप से उत्पन्न] उष्णता का निवारण कर रहे हैं ॥२०५॥

टि०—मृच्छकटिक (८,१२) के इस श्लोक में राजा के साले शकार के द्वारा किये गये ग्रीष्मवर्णन में कवि के द्वारा उसकी मूर्खता का प्रकाशन भी विवक्षित है। यहाँ शकुनि के पर्यायवाची खग विहङ्ग, नर के पर्यायवाचक पुरुष, मनुष्य तथा गृह के पर्यायवाची शरण शब्दों की पुनरुक्ति हुई है किन्तु मूर्ख वक्ता होने के कारण इस पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जायेगा ।

इसी प्रकार विदूषक की उक्ति में ग्राम्यादि दोषों की निर्दोषता समझनी चाहिए ।

यदि निहतार्थता दोष श्लेष का सम्पादक होता है तो वह दोष नहीं रहता ।

१. शिवपक्ष—[सारङ्ग] मृग से सुशोभित चन्द्रमा को सदा [अपनी जटाओं के] भीतर धारण करने वाले, सफेद भस्म से श्वेत वर्ण वाले, बैल की सवारी करने वाले, चन्द्राधिपति हे महादेव जी ! आपको बार बार नमस्कार है ।

२. चन्द्रपक्ष—विष को जीतने वाले अमृत को अपने अन्दर नित्य वहन करने वाले, भस्म के समान सफेद किरणों को धारण करने वाले, सोमलता के स्वामी हे चन्द्रमा ! आपको बार बार नमस्कार है ॥२०६॥

इस श्लोक में शिव और चन्द्रमा दोनों को नमस्कार किया गया है ।

टि०—जो शब्द दोनों अर्थों का वाचक होने पर भी अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध अर्थ

---

१. ज म: नमोस्तु ते त

निहतार्थं इत्युपलक्षणम् । अप्रयुक्तमपि बोध्यम् ।

अङ्गीकृता क्वचिद् विज्ञै रश्लीलस्याप्यदोषता ।। १२७ ।।
प्रसिद्धे पादशब्दादौ क्वचिल्लाक्षणिके तथा ।

अत एवाह वामनः—

संवीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमम् ।
शिवलिङ्गस्य संस्थाने कस्यासभ्यत्वभावना ।।

में प्रयुक्त हो वह निहतार्थ होता है । सारङ्ग शब्द हरिण अर्थ में तो प्रसिद्ध है किन्तु सोम शब्द अमृत के अर्थ में कम प्रसिद्ध है, इसी प्रकार गोवाह शब्द का शिव अर्थ में प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। शिव जी बैल की सवारी करने वाले हैं किन्तु चन्द्रमा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त गोवाह शब्द में गो का किरण अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। अतः निहतार्थता दोष है किन्तु श्लेष होने के कारण यह दोष समाप्त हो जाता है।

यहाँ निहतार्थ का उल्लेख उपलक्षण के रूप में है इससे अप्रयुक्त दोष का भी ग्रहण कर लेना चाहिए।

टि०—कोश आदि में उस अर्थविशेष में पढ़ा गया किन्तु कवियों द्वारा उस अर्थ में न अपनाया गया पदप्रयोग अप्रयुक्त कहलाता है। यह अप्रयुक्त दोष भी यदि श्लेष में सहायक सिद्ध हो तो दोप नहीं रहता है ।

कहीं कहीं विद्वानों ने चरणादि अर्थों में प्रख्यात पाद आदि शब्दों के प्रयोगों में अश्लील दोष की भी अदोषता स्वीकार की है ॥१२७॥

और कहीं कहीं. लाक्षणिक अर्थात् लक्षणा द्वारा [दूसरे अश्लील] अर्थ को बताने वाले पद में भी दोषराहित्य स्वीकार किया है।

टि०—यहाँ पादशब्दादौ में प्रयुक्त आदि पद से पूज्य अर्थ में प्रयुक्त भगवती (अन्य अश्लील अर्थ—योनि को धारण करने वाली) भगवान् [अन्य अश्लील अर्थ—लिङ्ग को धारण करने वाला] आदि शब्द उच्च व्यक्तियों के साथ प्रयुक्त होने पर अश्लील नहीं माने जाते ।

इसलिए वामन आचार्य का कहना है—

ढकी हुई वस्तु के दोषों को खोजना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है। शिवलिङ्ग के मन्दिर में अर्थात् शिवालय में शिवलिङ्ग को देखकर किसके मन में असभ्य अर्थ का विचार आता है।

टि०—अभिप्राय यह है कि यदि किसी पद के श्रवण से अथवा मनन से उसके असभ्य अर्थ की ओर भी ध्यान जाय तो उसे प्रकट करना अच्छा नहीं समझा जाता। क्योंकि उससे प्रकट करने वाले के ही दुर्विचारों का लोगों को पता चलता है। शिव-मन्दिर जैसे पवित्रस्थलों पर लिङ्ग (शिश्न) जैसे शब्दों के अर्थों पर न तो स्वयं विचार करना चाहिए न दूसरों का ध्यान इनके अर्थों की ओर आकृष्ट करना चाहिए।

लाक्षणिकं यथा—

अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्।
अनधिगतपरिमलापि हरति दृशं मालतीमाला ॥ २०७ ॥

अत्र वमतीति ।

हर्षभयादियुक्ते वक्तरि न्यूनपदमधिकपदं गुण इति न पृथक् प्रतिपादनमर्हति वक्त्रौचित्येनैव गतार्थत्वात् । विहितस्यानुवाद्यत्वे अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये लाटानुप्रासे[1] कथितपदं न दोषः । तत्र द्वयं प्रागुदाहृतम्, लाटानुप्रासे

लाक्षणिक [पद में अश्लील दोष न रहने का उदाहरण] जैसे—

अज्ञात गुणों वाली भी उत्तम कवि की उत्तम उक्ति कानों में मधुधारा को उड़ेल देती है। न जानी गई सुगन्धि को धारण करने वाली चमेली की माला नेत्रों को आकर्षित करती है ॥२०७॥

यहाँ 'वमति' शब्द [लाक्षणिक है और इसमें अदोषता] है।

टि०—वमति शब्द अभिधा से 'कानों में उल्टी (कै) को डालता है' इस जुगुप्सापरक वाच्यार्थ को बताता है। परन्तु लक्षणा से 'उड़ेलता है' (प्रवाहयति) इस अर्थ को बताता है। इसी प्रकार परिमल पद के मल इस अंश से मूत्रपुरीषादि की प्रतीति होती है किन्तु लक्षणा से यहाँ सुगन्धित अर्थ की प्रतीति हो जाती है। इन दोनों से प्रतीत होने वाले लक्ष्यार्थ में जुगुप्सा रूप अश्लीलता नहीं रहती है।

वक्ता के प्रसन्नता, भय आदि से युक्त होने पर न्यूनपद और अधिकपद गुण होता है इस बात का पृथक् प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बात वक्ता के औचित्य से ही गतार्थ [प्रतीत] हो जाती है। विहित को अनुवाद बनाने में [अर्थात् विधेय को उद्देश्य रखने में] अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि में और लाटानुप्रास में कथितपद दोष नहीं होता। प्रथम दो के उदाहरण पहले दिखा दिये हैं और लाटानुप्रास में [उदाहरण] आगे दिखाया जायेगा।

टि०—वाक्यदोषों के प्रकरण में ७वें वाक्यदोष कथितपद का सोदाहरण लक्षण पहले (पृ०२५८) बताया जा चुका है। 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च' इस उदाहरण में पहले ताम्र शब्द विधेय रूप में पठित है उसी को फिर उद्देश्य रूप में पढ़ा है अतः यहाँ कथितपद (या पुनरुक्त) दोष नहीं है। इसी प्रकार ऊपर दिये गये 'कदली कदली करभः करभः' में भी अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि होने के कारण इस शब्द की पुनरुक्ति होने पर भी कथितपद दोष नहीं है। दोषों का वर्णन समाप्त कर अब ग्रन्थकार मम्मटप्रतिपादित रसदोषों का निरूपण करेंगे।

---

१. ज ग्रः लाटानुप्रासेऽर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये न

उदाहरिष्यते । रसदोषानाह—

व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता ॥ १२८ ॥
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः ।
प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः ॥ १२९ ॥
अकाण्डे प्रथनं छेदोऽप्यङ्गस्याप्यथ विस्तृतिः ।
अङ्गिनोऽननुसन्धानं प्रकृतीनां विपर्ययः ॥ १३० ॥
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः ॥ १३१ ॥

व्यभिचार्यादीनां स्वशब्दोपादाने रसध्वनित्वं[1] भावध्वनित्वं च न स्यात्, व्यञ्जितानामेव तेषां तद्रूपत्वात् ।

अतएव काव्यप्रकाशे—

............व्यभिचारी तथाञ्जितः ।

रसदोषों का निरूपण करते हैं—

टि०—रसदोषानाह—इस के आगे 'रसदोषत्वं चासाक्षात् सविद्योत्तेजकत्वम् ।' यह रस दोषसामान्य का लक्षण तिरुपति की प्रति में ही है । इसका अर्थ है—रसदोष वे हैं जो सामाजिक के चित्त को अप्रत्यक्ष रूप से दुःखी करते हैं ।

१. व्यभिचारिभावों, २. रसों और ३. स्थायिभावों का अपने वाचक शब्दों के द्वारा कथन करना, ४. अनुभाव और ५. विभाव की कष्टपूर्वक कल्पना द्वारा अभिव्यक्ति, ६ रस के विपरीत विभावादि का ग्रहण करना, ७. [रस की] बार २ दीप्ति [अर्थात् एक बार प्रदर्शित रसादि को बार बार वर्णन करके प्रकट करना], ८. [रस का] अनवसर में विस्तार कर देना, ९. और अनवसर में विच्छेद [तोड़] देना, १०. अप्रधान [अङ्ग रस] का भी अत्यधिक विस्तार कर देना, ११. [अङ्गी] प्रधान रस को त्याग देना, [उल्लेख न करना, भूल जाना], १२. प्रकृतियों [अर्थात् उत्तम, मध्यम और अधम पात्रों के स्वरूप] के भीतर उलट फेर करना, १३. अनङ्ग [अर्थात् जिसका सम्बन्ध न हो ऐसे प्रकृत रस के अनुपकारक] का कथन इस प्रकार के यह १३ दोष रस में रहने वाले होते हैं ॥१२८-१३१॥

व्यभिचारिभावादियों के अपने शब्दों के द्वारा ग्रहण होने पर उनमें रस-ध्वनि नहीं रह जाती क्योंकि व्यञ्जना से जाने गये ही उन व्यभिचारिभावादियों में तद्रूपता [अर्थात् रसध्वनित्व और भावध्वनित्व] रहती है । इसीलिए काव्यप्रकाश [४,३५ की 'रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः । भावः प्रोक्तः'...इस कारिका] में व्यञ्जना से अभिव्यक्त होने वाले व्यभिचारिभाव को भाव कहा है । और [अभिनवगुप्तपादाचार्य के मत में रसनिष्पत्तिप्रक्रिया की व्याख्या में लोके प्रमदा-दिभिः... अभिव्यक्तः अलौकिकचमत्कारकारी शृङ्गारादिको रसः—काव्यप्रकाश

तथा—
अभिव्यक्तश्चमत्कारकारी शृङ्गारादिको रसः ।
एवम्—
व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायिभावो रसः स्मृतः ।।
इत्यादि च ।
व्यभिचारिस्वशब्दोपादानं यथा—
त्वमग्रतः सञ्चर चञ्चलाक्षि त्वमेव जीवेश्वर निःसराग्रे ।
इति ब्रुवन् वेश्मनि वह्निदीप्ते मिथोऽनुरागान् मिथुनं विपन्नम्[1] ।। २०८ ।।
रसस्य स्वशब्दोपादानं यथा—
शृङ्गारी गिरिजानने सकरुणो रत्यां प्रवीरः स्मरे
बीभत्सोऽस्थिभिरुत्फणी च हसकृन्मूर्त्याद्भुतस्तुङ्गया ।

का रसप्रकरण] अभिव्यक्तश्चमत्कारकारी शृङ्गारादिको रसः—व्यञ्जना से अभिव्यञ्जित चमत्कार को उत्पन्न करने वाला शृङ्गारादि रस कहलाता है यह बताकर व्यञ्जनावृत्तिगम्य शृङ्गारादि को ही रस रूप में स्वीकार किया गया है और [विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ।] व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायिभावो रसः स्मृतः ।।] काव्यप्रकाश [४,२८ इस कारिका] में व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायिभावो रसः स्मृतः [उन आलम्बन और उद्दीपन रूप विभावादियों से व्यञ्जना से अभिव्यक्त स्थायिभाव रस कहलाता है] इत्यादि वचन हैं [जिनसे यह सिद्ध होता है कि विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारिभावों से प्रतीत रत्यादिभाव तभी रसरूपता को प्राप्त करते हैं जब वह व्यञ्जना से अभिव्यक्त किये जाते हैं] ।

१. [व्यभिचारिभाव का स्वशब्द से ग्रहण करने का उदाहरण] जैसे—

हे चञ्चल नेत्रों वाली ! तुम ही आगे चलो । हे प्राणेश्वर ! तुम ही आगे निकलो । इस प्रकार [एक दूसरे के प्रति] वचनों को कहते हुए पारस्परिक अनुराग के कारण प्रेमियों का जोड़ा आग से जलते हुए घर में मर गया ।।२०८।।

टि०—यहाँ अनुराग [स्नेह] व्यभिचारिभाव का स्वशब्द से ग्रहण किया गया है ।

रस का स्वशब्द से ग्रहण [का उदाहरण] जैसे—

पार्वती के मुख के विषय में शृङ्गारयुक्त [अनुराग होने के कारण उसकी पत्नी] रति के बारे में करुण रस वाले, कामदेव [के दाह] के सम्बन्ध में वीररस वाले, उत्फणी अर्थात् साँपों को उठाकर चलने वाले होकर [सपेरा बनकर] हास को पैदा करने वाले, ऊँचे शरीर [विराट् रूप] के कारण [विस्मयजनक होने से] अद्भुत रस वाले, दक्ष का संहार करने के समय रौद्र रस वाले तथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ-

---

१. ख: विच्छिन्नम् ख ग

रौद्रो दक्षविमर्दने च भयकृद् भग्ने प्रशान्तश्चिरा-
दित्थं सर्वरसात्मकः पशुपतिर्भूयात् सतां भूतये ।। २०९ ।।

एवं स्थायिभावस्य बोध्यम्[1] । कष्टकल्पनयेति । वस्तुतस्तु एतस्य क्लिष्ट एवान्तर्भावः ।

प्रतिकूलविभावादीति ।

प्रकृतरसविरुद्धव्यञ्जकत्वं[2] लक्षणम् ।। १३२ ।।

विरुद्धव्यञ्जकत्वेन च विभावानुभावव्यभिचारिणां त्रयाणां परिग्रहः । दूषकताबीजं चात्र प्रकृतरसविरुद्धव्यञ्जकप्रतीतिः ।

वस्तुतस्त्वस्यामतपरार्थ एवान्तर्भावान्न पृथग्दोषत्वम् ।[3]

ध्वंस के समय [भयोत्पादक होने के कारण] भयानक रस वाले और सनातन काल से प्रशान्त रूप वाले अतएव शान्तरसोपेत—इस प्रकार [भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न रूपों को धारण करने के कारण] सारे रसों के स्वरूप वाले सब प्राणियों के स्वामी पशुपति शिव सज्जन व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी हों ।।२०९।।

टि०—यहाँ शृङ्गार, करुणादि रसों का अपने वाचक शृङ्गार, करुणादि शब्दों से कथन होने के कारण स्वशब्दवाच्यत्व नामक रसदोष है।

३. इस प्रकार स्थायिभाव की भी स्वशब्दवाच्यता [रति आदि शब्दों के प्रयोग से हो जाती है] ऐसा समझ लेना चाहिए और ४. अनुभाव और ५. विभाव की जहाँ कष्टकल्पना से अभिव्यक्ति होती है वहाँ भी रसदोष होता है । वास्तव में तो इस रसदोष का क्लिष्ट दोष के अन्दर ही अन्तर्भाव हो जाता है ।

प्रतिकूलविभावादि [ग्रहः] अर्थात् रस के प्रतिकूल [विरुद्ध] विभावादियों का ग्रहण करना रसदोष माना जाता है।

[विभावादियों के द्वारा] प्रकृत रस के विरुद्ध अर्थ की व्यञ्जकता का होना ही प्रतिकूलविभावादि ग्रह नामक रसदोष का लक्षण है ।।१३२।।

विरुद्धव्यञ्जकत्वेन इस पद के द्वारा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव इन तीनों का ही ग्रहण है ।

और यहाँ प्रकृत रस के अभिव्यञ्जक विभावादि की प्रतीति का होना [इस दोष की] दूषकता का कारण है ।

वास्तव में तो अमतपरार्थ नामक अर्थदोष में अन्तर्भाव हो जाने के कारण इस दोष की पृथक् दोष के रूप में सत्ता नहीं रह पाती है ।

---

१. त; बोध्यम् ज अ में नहीं
२. ज अ; प्रकृतविरुद्धव्यञ्जकं त
३. त; वस्तुतस्तु ··· दोषत्वम् त में नहीं

यथा—

रङ्गे मयि प्रणयकेलिकलाविलासै-
राप्पूर्य देहमिह साथ ययौ वनान्ते।
पश्य प्रतिक्षणमपूर्वरसप्रधान-
मायुःपयः पिबति कालविडाल एषः ॥ २१० ॥

अत्र शृङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशकरूपो विभावस्तत्प्रकाशितश्च व्यभिचारी उपात्तः स समूलं शृङ्गारमुन्मूलयति। दीप्तिः पुनः पुनः इति,[1] विच्छिद्य विच्छिद्य ग्रहणम्। यथा कुमारसम्भवे रतिविलापे परिपूर्णस्यापि रसस्य। अथ सा पुनरेव विह्वलेत्युद्दीपनं कृत्वा मधुदर्शनेन विच्छिद्य तमवेक्ष्य रुरोद सा भृशमित्यादिना पुनरुपादानं परिमलवद्वैरस्यमावहति[2]।

टि०—अमतपरार्थ में ही इस दोष का अन्तर्भाव होने से इसे पृथक् दोष नहीं मानना चाहिए। जहाँ दूसरा अर्थ अमत अर्थात् प्रकृत अर्थ के विपरीत हो उसको अमतपरार्थ कहते हैं। प्रतिकूलविभावादि में भी प्रकृत रस के विरोधी दूसरे रस का अभिव्यञ्जन होता है अतः इसका उसमें अन्तर्भाव हो सकता है।

[६. प्रतिकूलविभावादि के ग्रहण का उदाहरण] जैसे—

रङ्गमञ्च पर [नाचते समय] मेरे भीतर प्रेमक्रीडा और अनेक प्रकार की कलाओं की शोभाओं से अपने शरीर को भर कर [अर्थात् अपने मनोमोहक रूप को मेरे चित्त में प्रविष्ट करके] वह सुन्दरी वनप्रदेश में चली गई [वानप्रस्थिनी हो गई]। देखो! असाधारण [विलक्षण] रसप्राचुर्य से भरे हुए इस आयु रूपी दूध को यह मृत्यु रूपी बिलाव पी रहा है ॥२१०॥

इस शृङ्गार में अनित्यता को प्रकट करने के स्वरूप वाले इसके] विरोधी शान्त रस के विभाव [कालविडाल] और उससे प्रकाशित व्यभिचारिभाव [निर्वेद] को ग्रहण किया गया है। यह [कालविडालरूप] विभाव शृङ्गार रस को जड़ से ही समाप्त कर रहा है।

७. रस की बार बार दीप्ति का अभिप्राय है—बार बार समाप्त करके फिर वर्णन करना, इसके बाद पुनः उसको शुरू कर देना। जैसे—कालिदासप्रणीत कुमारसम्भव में रतिविलाप में करुण रस के पूरे वर्णन के अनन्तर फिर उसका वर्णन करना।

'अथ सा पुनरेव विह्वला' इस वाक्य से [मदनदाह के प्रकरण के समाप्त होने के बाद भी] दुबारा उद्दीपन करके वसन्त रूपी अपने सम्बन्धी के देखने से [एक बार विलाप को समाप्त करके पुनः] 'तमवेक्ष्य रुरोद सा भृशम्' इत्यादि पद्य से फिर इस वर्णन का पुनः ग्रहण एक बार उपभोग की हुई चमेली की

---

१. ज अ; इति त में नहीं
२. त; वैरस्यावहमिति ज अ

दूषकताबीजं चात्र विच्छिद्य पुनरङ्गोपनिबन्धप्रतीतिः[1]। वस्तुतस्तु वंद्यान्तरसम्बन्धेन रसधाराविच्छेदो भवतीति तदेव[2] दूषकताबीजम्। अकाण्डे प्रथनम्--यथा वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के सैनिकक्षये सम्प्रवृत्ते दुर्योधनस्य श‍ृङ्गार-वर्णनम्। शोकोद्रेकानुबन्धेन प्रतिनृपतिचित्ते श‍ृङ्गारः पदमेव न धत्ते कुतः परिपोषः ? न चापरिपुष्टः[3] स्वदते इति भावः। छेद इति। विषयान्तरव्या-

[पुरानी पड़ी हुई] सुगन्धि की तरह अरुचि को उत्पन्न करता है।

टि०—कुमारसम्भव के 'क्रोधं प्रभो संहर संहरेति···भस्मावशेषं मदनं चकार' इस श्लोक में मदनदाह का वर्णन करने के उपरान्त कामदेव की पत्नी रति का विलाप आरम्भ हो गया है। वहाँ 'अथ मोहपरायणा सती' (४,१) से करुण रस का आरम्भ है तदनन्तर 'अथ सा पुनरेव विह्वला' (४,४) कहा गया है। वहाँ अथ तथा पुनः शब्दों से उस रस की दीप्ति करके 'तमवेक्ष्य रुरोद सा भृशम्' (४,२६) इत्यादि से करुण रस को फिर उद्दीप्त किया गया है। इस प्रकार एक वार आस्वाद किये गये रस का बार वार वर्णन उपभुक्त कुसुमपरिमल के समान सहृदयों की अरुचि को उत्पन्न करता है। ध्वन्यालोक में पौनःपुन्येन एक ही रस के उद्दीपन को दोष माना गया है—

परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्।
रसस्य स्याद् विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च ॥

ध्वन्यालोक ३,१६ ॥

विच्छेद होकर [विच्छिन्न] रस के विभावादि अङ्गों की फिर दोबारा होने वाली प्रतीति ही यहाँ इस [दोष में] दूषकता का कारण है। वास्तव में विषयान्तर के साथ सम्बन्ध होने से रसधारा का भङ्ग हो जाता है इस कारण वही दोष का कारण बनता है।

८. अनवसर में वर्णन [करने का उदाहरण] जैसे वेणीसंहार नाटक के भीतर द्वितीय अङ्क में सैनिकों का संहार होना आरम्भ हो जाने पर [भानुमती के साथ सम्भोग श‍ृङ्गार रूप] दुर्योधन का श‍ृङ्गार वर्णन [अनुचित रूप से वर्णित] है। वहाँ प्रत्येक राजा के चित्त में [अपने अपने सम्बन्धियों के मारे जाने के कारण] शोक के तीव्र प्रवाह के कारण [करुण की ही चित्त में प्रतिष्ठा होने से] श‍ृङ्गार रस पैर ही नहीं रखता है उसकी वहाँ पुष्टि तो हो ही कैसे सकती है ? और अपरिपुष्ट रस आनन्द नहीं देता है यह भाव है।

९. [अनवसर में रस का] विच्छेद करने का यह अर्थ है—

दूसरे विषय [घटना या रस] के बहुत अधिक निष्ठा के साथ

१. ज अ; विच्छिद्य प्रतीतिः त
२. ज अ; विच्छेदो वा दूषकतावीजम् त
३. त; चापरिपक्वः ज अ

सङ्गवर्णनया अनवसरे प्रकृतविच्छेदः ।

यथा—वीरचरिते रामजामदग्न्योर्धाराधिरूढे वीररसे कङ्कणमोचनाय गच्छामीति रामस्योक्तौ । दूषकताबीजं चात्र अनवसरे परित्यागप्रतीतिः । अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः । अङ्गिनमुपेक्ष्याङ्गानां[1] गुणशीलाद्युत्कर्षः[2] । यथा—हयग्रीववधे हयग्रीवस्य । अत्र बलवता दुर्बलस्य बाध[3] इति न्यायाद् वैपरीत्यबोध एव दूषकताबीजम् ।[4]

किये गये वर्णन से अनवसर में ही प्रकृत रस का भङ्ग कर देना अकाण्डच्छेदन कहलाता है ।

[अकाण्डच्छेदन का उदाहरण] जैसे महावीरचरित नाटक में रामचन्द्र जी और परशुराम मुनि के मध्य वीररस के द्वारा धारा का रूप प्राप्त कर लेने पर [दोनों के द्वारा एक दूसरे के प्रति विपरीत और जोशीली उक्तियों और प्रत्युक्तियों को बोलने के समय] मैं अब विवाह [विधि में कङ्कण खोलने के लिए जाता हूँ] राम के इस कथन में [यह दोष आ गया] है ।

टि०—'कङ्कणमोचनाय गच्छामि' राम की इस उक्ति में अनवसर में वीर रस का विच्छेद इसलिए है क्योंकि वाग्युद्ध अथवा युद्ध के अवसर पर शत्रु से किसी प्रकार का समय माँगकर और कोई कार्य नहीं किया जाता है । इस प्रकार का समय माँगने पर कायरता समझी जाती है और जोश भी ठंडा पड़ जाता है ।

और यहाँ बेमौके रस को छोड़ देना ही दोष का कारण है ।

१०. अङ्ग का भी बहुत अधिक विस्तारपूर्वक वर्णन [रसदोष है इसका अभिप्राय है] अङ्गी अर्थात् प्रधान की उपेक्षा करके उसके अङ्गों के गुण और स्वभाव आदि के उत्कर्ष का वर्णन करना । जैसे हयग्रीववध नाटक में हयग्रीव का [गुणातिशयवर्णन है] ।

टि०—हयग्रीववध में भगवान् विष्णु नायक हैं और हयग्रीव प्रतिनायक है । यहाँ हयग्रीव के पराक्रम को विष्णु के पराक्रम से अधिक दिखाया गया है ।

यहाँ 'बलवान् से दुर्बल दबा दिया जाता है, इस स्वाभाविक नियम के विपरीत बोध होना ही [इस दोष की] दूषकता का कारण है ।

टि०—इस नाटक में यह प्रतीति होने लगती है कि हयग्रीव की अपेक्षा भगवान् विष्णु दुर्बल हैं । जहाँ इस तरह उक्त नियम के विपरीत प्रतीति होती है वहीं यह दोष आ जाता है ।

---

१. त; उपेक्ष्य अङ्गानां अ; अङ्गानां पद ज में नहीं
२. ज अ; गुणाद्युत्कर्षः त
३. ज अ; बाधा त
४. ज अ; बीजमित्याहुः त

अङ्गिनोऽननुसन्धानमिति । प्रधानस्याप्रतीतिरिति यावत् । यथा— रत्नावल्यां बाभ्रव्यागमने सागरिकाया विस्मृतिः अङ्गिनि अङ्गकृतपरिपुष्टि[1]राहित्यं दूषकताबीजम् । तथाहि—प्रबन्धे नानारसेन भवितव्यं तदवयवकथानां[2] नानाविधत्वात् । तत्र च न सर्वेषां प्राधान्यं परस्परनैरपेक्ष्ये एकवाक्यताभङ्गप्रसङ्गात् । एको रसो अङ्गी इतरेषां तद्वैचित्र्याधायकत्वेनाङ्गत्वम् । तथा चोक्तं[3] ध्वनिकृता—

प्रसिद्धे हि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने ।[4]
अङ्गी रसो भवेदेकस्तदुत्कर्षकराः परे ॥

---

११. अङ्गी का अनुसन्धान न करना [अर्थात् नायक नायिका को भूल जाना] इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रधान रस अथवा प्रधान पात्र का [उनका वर्णन न करके और २ बातें करते जाने से] पता न लगना [उदाहरणार्थ] जैसे रत्नावली नाटिका में [चतुर्थ अङ्क में सिंहलेश्वर के कञ्चुकी] बाभ्रव्य के आ जाने पर [नायक उदयन के विजयवर्मा के वृत्तान्त को सुनने में लगने पर उसे] सागरिका की विस्मृति हो जाती है [और इससे शृङ्गार रस में विच्छेद आ जाता है] यह अङ्गी अर्थात् प्रधान के भीतर अङ्ग अर्थात् अप्रधानों के द्वारा पुष्टि का न किया जाना ही [इस दोष में] दूषकता का कारण है [अतः जहाँ अङ्ग अङ्गी की पुष्टि नहीं कर रहे होते वहाँ प्रकृत रस में बाधा पड़ती है]। [इस बात को स्पष्ट करते हैं] जैसे कहा भी जाता है—प्रबन्ध में अनेक रसों का समावेश होना चाहिए क्योंकि उसकी अवयवभूत कथायें नाना प्रकार की होती हैं [किन्तु] वहाँ सारे रसों की प्रधानता नहीं होती क्योंकि [यदि सारे रसों की प्रधानता होने लग जाय तो] एक दूसरे की आकाङ्क्षा न होने पर एकवाक्यता [प्रधानता] की समाप्ति का दोष आ जाता है [यदि एक प्रधान हो और बाकी उसी को पुष्ट करते हों तो उनमें एक ही वाक्य की पुष्टि होती है]। एक रस अङ्गी होता है और दूसरों की उसके अन्दर विचित्रता का आधान करने के कारण अङ्गता होती है। जैसा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने भी कहा है—

प्रबन्धों [महाकाव्य और नाटकादि] में अनेक रसों का समावेश प्रसिद्ध [भरतमुनि आदि से प्रतिपादित तथा प्रचलित] होने पर भी किसी एक रस को तो अङ्गी अर्थात् प्रधान होना चाहिए और दूसरे रसों को [गौण बनकर] उसका उत्कर्षकारी होना चाहिए।

---

१. त; पुष्टिराहित्यम् ज अ
२. ज अ; तदवयवानां त
३. ज अ; तदुक्तं त
४. ज अ; प्रसिद्धे···निबन्धने त में नहीं

तथा चाङ्गिनः[1] अनुपस्थितौ कुतोऽङ्गानां[2] वैचित्र्याधानमिति भावः। प्रकृतीनां विपर्यय इति।

रसानुपकारकत्वे सति अन्यथा प्रमाणप्रतिपन्नस्यान्यथावधारणं लक्षणम् ॥ १३३ ॥

सत्यन्तविशेषणान्न रूपकालङ्कारादिष्वतिव्याप्तिः। प्रकृतयो दिव्या-

---

टि०—यह कारिका ध्वन्यालोक (३,२१) में दी हुई है किन्तु वहाँ दूसरी पङ्क्ति में—एको रसोऽङ्गीकर्त्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता—यह पाठ मिलता है।

और अङ्गी की अनुपस्थिति में अङ्गों के द्वारा वैचित्र्य का आधान कैसे सम्भव है? यह अभिप्राय है।

१२. प्रकृतियों के विपर्यय का लक्षण—रसों का उपकारी न होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो वस्तु अन्य रूप में सिद्ध हो किन्तु उसका ज्ञान और रूप में होता हो तो यह प्रकृतिविपर्यय का स्वरूप है ॥१३३॥

'रसानुपकारकत्वे सति' यहाँ तक के सतिपर्यन्त विशेषण के कारण इस लक्षण की रूपकालङ्कार आदियों में अतिव्याप्ति नहीं होगी।

टि०—प्रकृतिविपर्यय का अर्थ है—नाटक के पात्रों की वेशभूषा एव क्रियाकलाप में उलटफेर का होना। यदि उत्तमप्रकृतिक नायक अधमप्रकृतिक नायक के समान कार्य करता है और उससे रस की किसी प्रकार की पुष्टि भी नहीं होती है तो उसकी ये चेष्टायें लौकिक प्रत्यक्षादिप्रमाणों के विपरीत होकर उल्टे प्रकार का ज्ञान कराती हैं। सामाजिकों को स्पष्ट रूप में निश्चय हो जाता है कि यहाँ इस पात्र का अभिनय इस रूप में अनुचित है। जैसे दिव्यादिव्य पात्र राम के द्वारा छद्म से वालिवध कराना अनुचित है। रूपकालङ्कार में भी प्रकृतियों का विपर्यय पाया जाता है। 'मुखं चन्द्रः' में अपकृष्टगुणवान् उपमेय को उत्कृष्ट-गुणवान् उपमान बनाया जाता है और मुख में चन्द्रमा का अवधारण किया जाता है। 'प्रकृतीनां विपर्ययः' नामक इस रसदोष में भी यह विशेषता पाई जाती है किन्तु रूपकादि अलङ्कारों में रसोपकारकता धर्म रहता है और इस दोष में वह नहीं रहता यही इन दोनों में भेद है।

प्रकृतियाँ [नायकों के प्रकार] १. दिव्य २. अदिव्य और ३. दिव्यादिव्य ये [तीन] हैं।

टि०—१. दिव्य नायक इन्द्रादि देवता २. अदिव्य नायक वत्सराज उदयनादि तथा ३. दिव्यादिव्य नायक राम कृष्ण आदि मनुष्यावतारधारी होते हैं।

---

१. ज अ; चाङ्गिनाम् त

२. त; कुत्राङ्गानां ज अ

दिव्याश्च ।[1] धीरोदात्तधीरोद्धतधीरललितधीरप्रशान्ताः उत्तमाधममध्यमाश्च[2] । तासां[3] च[4] लोकशास्त्रातिक्रमेणान्यथावर्णनं विपर्ययः । दूषकताबीजं चात्रानौचित्यप्रतीतिः । अनङ्गस्याभिधानमिति । रसपरिपोषकमनादृत्यापरिपोषकस्तुतिः ।

नायकावैदग्ध्योपस्थापकव्यापारत्वं लक्षणम् ॥ १३४ ॥

यथा कर्पूरमञ्जर्यामात्मनो नायिकायाश्च वर्णनमनादृत्य वन्दिवर्णितस्य[5] राज्ञः प्रशंसनम्[6] ।

[फिर ये नायक] १. धीरोदात्त, २. धीरोद्धत, ३.धीरललित, और ४. धीरप्रशान्त [इन चार भेदों में विभक्त किये जाते] हैं । [इनके भी] उत्तम, मध्यम और अधम यह तीन भेद हो जाते हैं ।

टि०—इस प्रकार नायकों के पहले तीन, फिर उनमें से प्रत्येक के चार भेद करने से १२ भेद हो जाते हैं । अब इन १२ भेदों के फिर उत्तम, मध्यम तथा अधम यह तीन भेद हो जाते हैं । इस भाँति नायक या प्रकृतियों के ३६ भेद हैं ।

और इन प्रकृतियों का लोक और शास्त्र [के नियमों] का उल्लङ्घन करके अन्य प्रकार से [उल्टे रूप में] वर्णन करना ही प्रकृतिविपर्यय कहलाता है ।

टि०—जो जैसा पात्र है तदनुरूप वैसा वर्णन न होने से यह प्रकृतिविपर्यय नामक दोष आता है जैसे धीरोदात्त नायक श्रीरामचन्द्र का धीरोद्धत नायक की भाँति कपट से वालिवध रूप अनुचित कार्य करना अथवा कुमारसम्भव में उत्तम देवता उमाशङ्कर के सम्भोगशृङ्गार का वर्णन । इसी प्रकार देश, काल आदि के नियमों के विपरीत वर्णन करना भी प्रकृतिविपर्यय है ।

और यहाँ दूषकता का कारण अनौचित्य की प्रतीति है ।

१३. अनङ्ग के अभिधान का अभिप्राय यह है—प्रकृत रस के अनुपकारक का कथन करना । [प्रकृत] रस को पुष्ट करने वाले अङ्ग की उपेक्षा करके अपुष्ट करने वाले [विरोधी] का वर्णन करना ।

नायक की मूर्खता [अनिपुणता] को उपस्थित करने वाले व्यापार का होना [अनङ्गस्याभिधानम्] इस दोष का लक्षण है ॥१३४॥

जैसे—कर्पूरमञ्जरी नाटिका में अपने तथा नायिका के द्वारा किये गये वसन्तवर्णन की उपेक्षा करके वन्दिजनों से किये गये इस ऋतु के वर्णन की राजा

---

१. ज अ; दिव्या अदिव्याश्च त
२. ज अ; उत्तममध्यमाधमाश्च त
३. त; तेषां ज अ
४. त; ज अ में नहीं
५. त; वर्णनस्य ज अ
६. ज अ; प्रशंसा त

दूषकताबीजं चात्र नायकावैदग्ध्यप्रतीतिः ।

अत्र नव्याः—एते प्रतिकूलविभावादिग्रह इत्यारभ्य ईदृशा इत्यन्ता अनुचितार्थं एवान्तर्भूताः। अतएवोक्तं ध्वनिकृता—

अनौचित्याद्दते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम् ।
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥

इति श्रीविश्वनाथदेवविनिर्मिते साहित्यसुधासिन्धौ दोषोत्सारणं नाम पञ्चमस्तरङ्गः ।[1]

द्वारा की गई प्रशंसा [इस दोष का उदाहरण] है।

टि०—कर्पूरमञ्जरी नाटिका में प्रथम जवनिकान्तर के वाद नायिका विभ्रमलेखा ने और स्वयं राजा ने वसन्त ऋतु का वर्णन किया है। वन्दिगणों ने भी वहाँ इस ऋतु की प्रशंसा की है। राजा ने वहाँ न तो अपने वर्णन की बड़ाई की है और न ही विभ्रमलेखाकृत वसन्तवर्णन को सराहा है किन्तु स्तुतिपाठकों द्वारा किये गये वर्णन को उत्तम बताया है। इस प्रकार यहाँ शृङ्गार रस के परिपोषक अपने तथा अपनी नायिकाकृत वर्णन की उपेक्षा कर दी गई है।

नायक का अवैदग्ध्य अर्थात् नासमझी ही [इस दोष की] दूषकता का कारण है।

यहाँ पर नवीन आचार्यों का कहना है—प्रतिकूलविभावादिग्रहः इस छठे रसदोष से प्रारम्भ करके रसे दोषाः स्युरीदृशाः तक आठों दोष अनुचितार्थ नामक अर्थदोष में अन्तर्भूत हो जाते हैं [क्योंकि इन रसदोषों का मूल कारण अनुचित वर्णन ही है] इसीलिए ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने [ध्वन्यालोक ३,१४ वृत्तिभाग] कहा है—

अनौचित्य के अतिरिक्त रसभङ्ग [रसविच्छेद] का और कोई कारण नहीं है। प्रसिद्धि के अनुरूप ही औचित्यपूर्ण अर्थात् औचित्य का ध्यान रखकर की गई रचना तो रस की परम उपनिषद् है [अर्थात् रसपरिपोष का परम रहस्य है]।

इस प्रकार श्रीविश्वनाथदेवरचित श्रीसाहित्यसुधासिन्धु में दोषोत्सारण नाम की पञ्चम तरङ्ग समाप्त हुई।

---

१. संशोधित; इति श्रीसाहित्यसुधासिन्धौ पञ्चमस्तरङ्गः ज अ; इति साहित्यसुधासिन्धौ विश्वनाथविनिर्मिते दोषोत्सारणं नाम पञ्चमस्तरङ्गः त

—:०:—

षष्ठस्तरङ्गः

श्रीगणेशाय नमः। दोषानुक्त्वा प्राप्तावसरान् गुणानाह—

रसत्वसमानाधिकरणत्वे सति उत्कर्षहेतुत्वं गुणत्वम्[1] ॥ १३५ ॥

अलङ्कारेऽतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तम्। उत्कर्षश्च रत्याद्यवच्छि-

---

श्रीगणेश जी को नमस्कार है। दोषों को कहकर अवसरप्राप्त गुणों को [ग्रन्थकार इस छठी तरङ्ग में] बतला रहे हैं।

टि०—आचार्य विश्वनाथ ने पहली तरङ्ग में (पृ० ६) भोजराजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण में दिये गये 'अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्' इत्यादि काव्यलक्षण का अनुमोदन किया है। इस लक्षण में दोष, गुण और अलङ्कार यह क्रम दिया हुआ है। पाँचवीं तरङ्ग में पहले दोषों का वर्णन किया जा चुका है। इसके बाद गुणों का निरूपण क्रमप्राप्त है। इसी ओर ग्रन्थकार ने यहाँ सङ्केत किया है।

रसत्व के साथ समानाधिकरण होने पर जो रस के उत्कर्ष [उपादेयता, उत्कृष्टता] का कारण बनता है वह गुण कहलाता है ॥१३५॥

टि०—इस लक्षण में गुण के सम्बन्ध में दो बातें कही हैं—१. गुण का रस के साथ समानाधिकरणत्व (या सामानाधिकरण्य) होता है। समानाधिकरणत्व का अर्थ है एक आश्रय वाला होना। गुणत्व और रसत्व इन दोनों में समानाधिकरणत्व है क्योंकि एक अधिकरण रस में गुणत्व और रसत्व ये दोनों रहते हैं। रसत्व रस का अवच्छेदक धर्म है और गुणत्व गुण का। गुणत्व गुण में तो रहता ही है किन्तु रस में भी रहता है। २. गुण रस के उत्कर्ष का कारण होता है।

अलङ्कार [के लक्षण] में अतिव्याप्ति हटाने के लिए [यहाँ] सतिपर्यन्त विशेषण है।

टि०—'रसत्वसमानाधिकरणत्वे सति उत्कर्षहेतुत्व गुणत्वम्' इस रूप में यहाँ गुण का लक्षण ग्रन्थकार ने रखा है। 'रसत्व...सति' इस सतिपर्यन्त विशेषण को रख देने से यह लक्षण अलङ्कार के लक्षण में अतिव्याप्त नहीं होता क्योंकि अलङ्कार भी गुण की भाँति ही रसोत्कर्ष का कारण होता है परन्तु वह रसत्व

---

१. त गुणत्वम् पद ज अ में नहीं

न्नस्य[1] चैतन्यस्य आनन्दांशे आवरणस्य सम्यगुच्छेदः । नन्विदमसम्भवि, गुणानां वर्णधर्मत्वादिति चेत्, न । लाघवेन रससमवेतत्वस्यैवाङ्गीकारात् । तथाहि—रसापेक्षया वर्णाः समासो रचनाश्चातिप्रभूततरा इति लाघवसहकृतप्रमाणेन माधुर्यादीनां रसवृत्तित्वकल्पनात्[2] । न च गुणस्य रसमात्रसम-

के साथ समानाधिकरण से नहीं रहता हैं । उसका समानाधिकरणत्व शब्द और अर्थ के साथ है इस प्रकार अलङ्कार का शब्द और अर्थ के साथ साक्षात् सम्बन्ध है और रस के साथ परम्परासम्बन्ध है क्योंकि वह शब्द और अर्थ को अलङ्कृत करता है । इसके विपरीत गुण साक्षात् रूप से रस का धर्म है और परम्परा सम्बन्ध से शब्द और अर्थ का धर्म बनता है । यही इन दोनों का पारस्परिक भेद है ।

और रत्यादि से युक्त चैतन्य का आनन्दांश पर पड़े हुए आवरण का अच्छी तरह से भङ्ग हो जाना ही उत्कर्ष है ।

टि०—अभिप्राय यह है कि रत्यादिभावों से युक्त चैतन्य आत्मा के आनन्दांश में बाधकभूत तमोगुणजन्य अज्ञान के आवरण का पूरी तरह विनष्ट हो जाना ही उत्कर्ष कहलाता है ।

गुण का यह लक्षण असम्भव है क्योंकि गुण रस के धर्म न होकर वर्ण के धर्म हुआ करते हैं । यदि पूर्वपक्षी यह कहे,

टि०—गुण वर्णों के भीतर रहा करते हैं । ट, ठ, ड, ढ, ण, श, ष आदि वर्णों में ओज गुण रहता है । ञ, म, ङ, ण और न इन वर्णों से युक्त वर्णों में माधुर्य गुण रहता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि गुण वर्णों में रहते हैं न कि रस में ।

[तो पूर्वपक्षी का यह कथन ठीक] नहीं है । लाघव से गुण को रस के साथ समवाय सम्बन्ध से रहने वाले रूप में ही माना जाता है ।

टि०—वस्तुतः गुण रस में तो साक्षात् रूप से रहते हैं । किन्तु जैसे रस में गुणों की स्थिति होती है वैसे ही यदि शब्द और अर्थ में भी गुणों की स्थिति मान ली जाय तो गुण के दो आश्रय [रस एवं शब्दार्थ] मान लेने से गौरव आ जाता है । इस गौरव से बचने के लिए गुणों की स्थिति केवल रस में मान लेनी चाहिए । ऐसा मानने में लाघव है ।

[इसी बात की] और अधिक व्याख्या करते हैं—रस की अपेक्षा वर्ण, समास और रचना की सङ्ख्या अधिक है इस कारण [गुणों को रसमात्रवृत्ति रूप] लाघव से युक्त [अधिक आश्रयों में स्थिति की अपेक्षा एक आश्रय में स्थिति मानना अधिक सङ्गत है एतद्रूप] प्रमाण से माधुर्यादि गुणों की रसवृत्ति [अर्थात् रसमात्र में

१. ज अ; रत्याद्यवच्छिन्ने त ।

२. ज अ; लाघवसहकृत...कल्पनात् इतना अंश त में नहीं

वेतत्वे मधुरो वर्ण इत्यादिबुद्धिर्न स्यादिति वाच्यम्, तत्र तादृशगुणव्यञ्जकत्वेनापि निर्वाहात् । लाघवस्यैव विनिगमकत्वात् ।

रहने वालों के रूप में] मानने की कल्पना की जाती है [इस कारण गुणों को वर्णों का धर्म मानना ठीक नहीं है] ।

टि०—सिद्धान्ती का अभिप्राय है कि वर्ण, समास, रचना आदि अनन्त हैं । इन सबमें यदि गुणों की स्थिति मानेंगे तो इनको अनन्त आश्रयों में रहने वाला मानना पड़ेगा, इससे गौरव हो जायेगा । किन्तु रस का समष्टि रूप में एक भेद है और व्यष्टि रूप में अधिक से अधिक १२ भेद हैं । माधुर्यादि इन गुणों की रसमात्रवृत्ति मानने से आश्रयों की सङ्ख्या कम हो जाने से लाघव हो जायेगा । अतः इनकी रसवृत्ति ही स्वीकार करनी चाहिए ।

यदि गुणों को रसमात्र में समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ मानें तो 'मधुरो वर्णः' अर्थात् यह वर्ण माधुर्यगुणोपेत है इस प्रकार की [विशेष्यविशेषणभावात्मक] प्रतीति नहीं होगी ।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि लोकव्यवहार में देखा जाता है कि 'मधुरो वर्णः' यह वर्ण मधुर है ऐसे प्रयोगों के अनन्तर इन वर्णों में मिठास है—इस प्रकार का बोध होता है इससे यही सिद्ध होता है कि माधुर्यादि गुण वर्णों में ही रहते हैं । यदि गुण रसमात्र के धर्म होते तो 'मधुरो वर्णः' जैसे प्रयोग गलत माने जाते । इसलिए लोकव्यवहार को देखते हुए भी गुणों को वर्णों का धर्म मानना उचित प्रतीत होता है ।

[उपर्युक्त ढंग से पूर्वपक्षी को] ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि 'मधुरो वर्णः' जैसे स्थलों में भी उस प्रकार के अर्थात् रसमात्र में रहने वाले गुणों के व्यञ्जक वर्ण होते हैं इस रूप में इसका अर्थ मानकर भी काम चलाया जा सकता है और लाघव वाला नियम भी रसमात्रवृत्ति मानने में विनिगमक हेतु [एकतरपक्षपातिनी अर्थात् इसी पक्ष को पुष्ट करने वाली युक्ति] है ।

टि०—क्योंकि शब्द और अर्थ रसाभिव्यञ्जक होते हैं और गुण रस में रहते हैं इस कारण स्वाश्रयरसाभिव्यञ्जकत्वसम्बन्ध अथवा परम्परासम्बन्ध से गुण शब्दार्थ में भी रहते हैं । गुण का आश्रय रस और रस को प्रकट करने वाले शब्द और अर्थ होते हैं । इस प्रकार गुणों का रस के साथ साक्षात् सम्बन्ध और शब्द और अर्थ के साथ असाक्षात् सम्बन्ध है (गुण+रस+शब्दार्थ) । इस प्रकार गुण शब्दार्थ में भी चले जाते हैं । इसके अतिरिक्त गुणों को रसमात्रवृत्ति मानने में लाघव है । गुण रस में रहते हैं और रस शब्दार्थ में रहते हैं ऐसा मानने से गुणों को रस और शब्दार्थ दोनों में मानने से गौरव होता है । इतनी लम्बी प्रक्रिया मानने के स्थान पर यदि गुण रस में रहते हैं इतना मान लिया जाय तो गौरव से बच जाते हैं ।

अथ गुणानां भिदाः—

माधुर्यौजःप्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश।
आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे द्रुतिकारणम्॥ १३६॥

शृङ्गारे अर्थात् सम्भोगे द्रुतिर्विगलितत्वम्। वर्णविशेषव्यङ्ग्या उत्कर्षरूपा जातिर्माधुर्यमिति प्राञ्चाः। शक्तिसादृश्यादिवदतिरिक्त एव पदार्थ इत्यर्वाञ्चः[1]। शृङ्गारादिवृत्तिर्माधुर्यमित्यपरे।

इसके बाद गुणों के भेद [दिखाते] हैं—

१. माधुर्य, २. ओज और ३. प्रसाद नाम के वे तीन ही गुण होते हैं किन्तु [वामन के अभिप्रेत] वे दस [गुण तो] नहीं होते हैं। [चित्त के] द्रवीभाव का कारण और शृङ्गार में रहने वाला जो आह्लादस्वरूपत्व है वह माधुर्य [नामक गुण कहलाता] है ॥१३६॥

टि०—यह कारिका काव्यप्रकाश (८,६८) में दी हुई है। यहाँ आह्लादकत्व का अर्थ आह्लादजनकत्व नहीं अपितु आह्लादस्वरूपत्व है, क्योंकि शृङ्गारादि आह्लादजनक नहीं अपितु आह्लादस्वरूप होते हैं। इस कारण आह्लादकत्व का अर्थ आह्लादजनकत्व न करके आह्लादस्वरूप ही करना चाहिए। आह्लादयति इति आह्लादः यह व्युत्पत्ति न करके पहले भाव में (आह्लादनम् आह्लादः) घञ् प्रत्यय करके आह्लाद शब्द बना लेना चाहिए, फिर स्वार्थ में क प्रत्यय करके आह्लादक पद बन जायेगा। आह्लादक पद में रहने वाला धर्म आह्लादकत्व कहलायेगा।

'शृङ्गारे' अर्थात् सम्भोग शृङ्गार में। द्रुति का अर्थ है पिघल जाना।

टि०—कारिका में प्रयुक्त शृङ्गार शब्द का अर्थ है सम्भोग शृङ्गार और द्रुति का अर्थ है चित्त का द्रवीभाव अर्थात् पिघल जाना।

विशेष प्रकार के वर्णों से अभिव्यक्त होने वाली उत्कर्षस्वरूपात्मक एक जातिविशेष का नाम माधुर्य है ऐसा प्राचीन आचार्य कहते हैं। शक्ति, सादृश्यादि की तरह यह एक अतिरिक्त पदार्थ है ऐसा अर्वाचीन आचार्य कहते हैं तथा शृङ्गारादि रसों में रहने वाला [धर्मविशेष] माधुर्य है ऐसा दूसरे विद्वान् कहते हैं।

टि०—यहाँ माधुर्य गुण के सम्बन्ध में तीन मत बताये हैं—१. प्राचीनों के मत में माधुर्य विशेष प्रकार के वर्णों से प्रकट होने वाला जातिरूप धर्म विशेष है, २. अर्वाचीन माधुर्य को वैसा ही एक अलग पदार्थ मानते हैं जैसा सादृश्य या शक्ति अलग पदार्थ है और ३. कुछ विद्वानों ने शृङ्गार में रहने वाले धर्मविशेष को माधुर्य माना है। अर्वाचीन माधुर्य को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानते हैं। इनका कहना हैं कि जैसे मीमांसक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के अतिरिक्त शक्ति और सादृश्य को अलग पदार्थ मानते हैं वैसे ही

---

१. त; ज अ में इत्यर्वाञ्चः नहीं

इह हि सामाजिकानां चित्तेषु नवरसजन्यास्तिस्रो अवस्थाः—द्रुति विस्तारो विकासश्च । तत्र श्रृङ्गारकरुणशान्तेभ्यो, द्रुतिः वीरबीभत्सरौद्रेभ्यो विस्तारः । हास्याद्भुतभयानकेभ्यो विकासः ।[1] अद्भुते नयनविकासः ।[2] भयानके द्रुतापसरणमिति ।

करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् ।
दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीररसस्थितिः ॥ १३७ ॥

चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तिहेतुरोजः ।

माधुर्य भी अलग पदार्थ है । अग्नि के पास यदि चन्द्रकान्तमणि को रखा जाये तो उसकी दहनशक्ति निवृत्त हो जाती है । यदि चन्द्रकान्तमणि के रहते हुए भी सूर्यकान्तमणि रख दी जाय तो फिर वह शक्ति आ जाती है । इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रकान्तमणि के रखने से वह दहनशक्ति हट जाती है और सूर्यकान्तमणि को रख देने से वह आ जाती है इस आगमन और निर्गमन से ज्ञात होता है कि यह शक्ति नाग का पदार्थ अलग ही है । इसी प्रकार 'तद्-भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वं सादृश्यम्' अर्थात् चन्द्र से भिन्न होने पर चन्द्रगत आह्लादकत्वादि धर्म मुख में भी रहा करते हैं । इस लक्षण वाला सादृश्य एक अलग पदार्थ है । यह पदार्थ उपमान और उपमेय में रहता हुआ भी उनसे पृथक् पदार्थ है ।

इस काव्य में सामाजिकों के चित्त में रहने वाली तीन अवस्थायें [कही जाती] हैं—१. द्रुति [द्रवीभाव], २. विस्तार और ३. विकास । इसमें शृङ्गार, करुण और शान्त इन रसों से [चित्त की] द्रुति होती है । वीर, बीभत्स और रौद्र इन रसों से [चित्त का] विस्तार होता है । हास्य, अद्भुत और भयानक से उसका [विकास] होता है और अद्भुत में आँखों का विकास होता है [अर्थात् इसमें आँखें फैल जाती हैं] । भयानक में [व्यक्ति का] तेजी से भाग जाना होता है । [इस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं से चित्त का सम्बन्ध है] ।

[सम्भोग शृङ्गार में रहने वाला] वह माधुर्य गुण करुण, विप्रलम्भ [शृङ्गार] तथा शान्त [रस] में [उत्तरोत्तर] अधिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाला होता है । और कान्तिविशेष से विस्तार का कारणभूत [अर्थात् विशेष प्रकार की चमक के कारण चित्त के विस्तार को करने वाला] ओज गुण वीररस में रहता है ॥१३७॥

चित्तविस्तार रूप दीप्ति का जनक ओज [गुण होता] है ।

---

१. त; विकाश : ज श्र
२. त;……विकाश: ज श्र

वीरे बीभत्सरौद्रयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ।

वीराद् बीभत्से ततो रौद्रे सातिशयमोजः ।[1] एवं हास्ये शृङ्गाराङ्गतया माधुर्यं प्रकृष्टम् ।

विकास[2]धर्मतया ओजोऽपि प्रकृष्टम्[3] । एवमद्भुतेऽप्योजः, माधुर्यमप्याह्लादकत्वरूपतया ।[4] एवं भयानकेऽपि माधुर्यम् । भग्नचित्तवृत्तिस्वभावत्वेऽपि विभावस्य दीप्तिरसतया ओजः प्रकृष्टं च ।

टि०—'करुणे···स्थितिः' यह कारिका ज्यों की त्यों काव्यप्रकाश (८,६९) में मिलती है।

उस ओज गुण का वीर, बीभत्स और रौद्र में क्रमशः आधिक्य [अधिक चमत्कारजनकत्व] रहता है।

अर्थात् वीर की अपेक्षा बीभत्स में और उससे भी अधिक रौद्ररस में ओज का चमत्कारातिशय होता है।

टि०—'वीरे···तु' यह कारिका थोड़े परिवर्तन के साथ और वीराद्··· मोजः यह पङ्क्ति ज्यों की त्यों काव्यप्रकाश (८,७०) में मिलती है।

इसी प्रकार शृङ्गार का अङ्ग होने से हास्य में माधुर्य की मात्रा प्रकृष्ट अर्थात् अधिक होती है।

विकास धर्म वाला होने के कारण हास्य रस में ओज भी अधिक मात्रा में रहता है। इसी प्रकार [विकास रूप होने के कारण] अद्भुत में भी ओज होता है। आह्लाद अर्थात् प्रसन्नता रूप होने के कारण अद्भुत में माधुर्य भी हुआ करता है। इसी प्रकार भयानक में भी माधुर्य होता है।

टि०—भयानक रस में बच्चों और स्त्रियों को डरते हुए देखना लोगों को रुचिकर लगने से प्रसन्नताप्रद होता है।

चित्तवृत्ति को उद्वेलित करने के स्वभाव वाला होने पर भी ओज गुण [भयानक रस में] विभाव के भीतर दीप्ति रस रूप धर्म को लाने के कारण अधिक मात्रा में रहता है।

टि०—भयानक रस में माधुर्य की अपेक्षा ओज अधिक मात्रा में रहता है। वस्तुतः ओज की प्रवृत्ति चित्त का विकास करने वाली होती है किन्तु वह ओज जब भयानक रस में आता है तो वह चित्तवृत्तियों को भग्न करते हुए भी चित्त का विकास करता है।

---

१. ज अ; सातिशयधीरोजः त
२. ज अ······हेतुतया त
३. त; प्रकृष्टः ज अ
४. ज अ; आह्लादकतया त

शुष्केन्धनाग्निवत्स्वच्छजलवत्सहसैव यः ॥ १३८ ॥
व्याप्नोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ।

अन्यदिति व्याप्यमिह चित्तम् ।[1] यदा वीररसादिषु चित्तं व्याप्नोति तदा शुष्केन्धनाग्निवत् । यदा शृङ्गारकरुणादिषु चित्तं व्याप्नोति तदा स्वच्छ-जलवत् । तदयं विवेकः । शृङ्गारहास्यकरुणाद्भुतशान्तेषु पञ्चसु माधुर्यं वीररौद्रभयानकबीभत्सेषु चतुर्षु ओजः । सर्वरसेषु प्रसाद इति द्रष्टव्यम्[2] ।

गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयो र्मता ॥ १३९ ॥

सूखे इन्धन [में अग्नि] के समान अथवा स्वच्छ [धुले हुए वस्त्र में] जल के समान जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है ॥१३८॥

वह सर्वत्र [सब रसों में] रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है ।

'अन्यत्' इस पद से यहाँ व्याप्य चित्त का ग्रहण करना चाहिए ।

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने यह कहा है कि जैसे सूखे इन्धन में अग्नि सहसा व्याप्त हो जाती है उसी प्रकार जो चित्त में एकदम और अनायास व्याप्त हो जाता है वह प्रसाद नामक गुण कहलाता है । वह सारे रसों और सारी रचनाओं में रहता है । काव्यप्रकाश (८,७०-७१) में भी यही कारिका है वहाँ भी शुष्केन्धनाग्निवत् इस पाठ की तरह 'शुष्केन्धनाग्निवत्' यह पाठ दिया हुआ है । यहाँ ग्रन्थकार ने 'स्वच्छजलवत्' इस प्रयोग से मिलता जुलता शुष्केन्धना-ग्निवत् यह पाठ दिया है । वस्तुतः शुष्केन्धनाग्निवत् प्रयोग की ही भाँति स्वच्छ-वस्त्रजलवत् प्रयोग भी इन्हें और मम्मटाचार्य को करना चाहिए था ।

जब वीररसादियों में प्रसाद होता है तो चित्त की व्याप्ति होती है [वह फैलता है] उस समय उसकी वैसी ही स्थिति होती है जैसी सूखी लकड़ियों में अग्नि की । जब शृङ्गार करुणादियों में प्रसाद होता है तो चित्त फैलता है- तो उस समय प्रसाद की स्थिति स्वच्छ वस्त्र में [स्वच्छ] जल की भाँति होती है ।

तो [इन गुणों का परस्पर] यह भेद है—

शृङ्गार, हास्य, करुण, अद्भुत और शान्त इन पाँचों रसों में माधुर्य है । वीर, रौद्र, भयानक और बीभत्स इन चारों में ओज है, सारे रसों में प्रसाद गुण है—इस बात को देखना चाहिए अर्थात् यह बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए ।

[यद्यपि ये गुण मुख्य रूप से रस के धर्म हैं परन्तु] गौणी वृत्ति से शब्द और अर्थ में भी उनकी स्थिति मानी जाती है ॥१३९॥

---

१. ज प्र; चित्तवृत्तिः त

२. ज प्र, प्रद्रष्टव्यः त

गुणवृत्त्या उपचारेण। न पुनर्दशेति तथा च ते त्रय एव स्वीकार्या न पुनः प्राचां दश गुणा इति भावः। ते तु वक्ष्यन्ते।

अथ तेषां व्यञ्जकवर्णानाह—

वर्णाः समासो रचना तेषां व्यञ्जकतामिताः।

के कस्य[1] इत्यत आह

मूर्ध्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघू ॥ १४० ॥

[कारिका में आये हुए] 'गुणवृत्त्या' पद का अर्थ है गौणी लक्षणा, उपचार या सादृश्यसम्बन्ध से।

टि०—जैसे शरीर (आकार) में आत्मा के धर्म शौर्य आदि गुणों की स्थिति उपचार से मानी जाती है उसी प्रकार उपचार से रस के धर्म माधुर्य आदि गुणों की शब्द और अर्थ में भी स्थिति मानी जाती है। शौर्यादि गुण आत्मा के हैं, आत्मा शरीर में रहती है और एक दूसरे के साथ परम्परासम्बन्ध से आत्मा के शौर्यादि गुणों को शरीर का धर्म मान लिया जाता है। माधुर्य आदि गुण भी रस के धर्म हैं, और रस शब्दार्थ के द्वारा अभिव्यक्त होता है। इस परम्परासम्बन्ध से गुणों को शब्दार्थ का भी धर्म मान लिया जाता है। इस प्रकार उपचार अथवा दूसरे स्वाश्रयरसाभिव्यञ्जकत्व रूप परम्परासम्बन्ध से गुणों को शब्दार्थ का धर्म माना जाता है। वस्तुतः शूरता वीरतादि धर्मों का सीधा सम्बन्ध आत्मा से है। शरीर तो उनकी अभिव्यक्ति का साधन है किन्तु शरीर में भी उन्हें आरोपित करके आकृत्या शूरः जैसे व्यवहार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह माधुर्यादि गुण यद्यपि रस रूप आत्मा के धर्म हैं और उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम शब्दार्थ होता है किन्तु शब्दार्थ में भी उन्हें आरोपित करके 'मधुरो वर्णः' जैसे प्रयोग उपचार (सादृश्य सम्बन्ध पर आधारित गौणी लक्षणा) के कारण कर दिये जाते हैं।

अभी पीछे पढ़ी हुई 'माधुर्योजः न पुनर्दश इस कारिका में] जो 'न पुनर्दश' इस प्रकार कहा है उसका यह अभिप्राय है कि ये तीन [गुण] ही मानने योग्य हैं न कि प्राचीन आचार्यों के दस गुण [स्वीकार करने योग्य] हैं। ये [तीनों गुण] तो आगे कहे जायेंगे।

और इसके बाद इनके व्यञ्जक वर्णों को [मम्मट के शब्दों में ही] ग्रन्थकार कहते हैं—

वर्ण, समास और रचना उन गुणों के व्यञ्जक बनते हैं।

कौन [वर्ण आदि] किस गुण के अभिव्यञ्जक होते हैं] यह कहते हैं—

अपने सिर पर स्थित अपने अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण से युक्त टवर्ग को छोड़कर शेष स्पर्श वर्ण, ह्रस्व रकार तथा णकार, समास रहित अथवा स्वल्पसमास

---

१. संशोधित, के इत्यत ज अ; के त इत्याह त

अवृत्ति र्मध्यवृत्ति र्वा माधुर्ये घटना तथा ।

शिरसि निजनिजवर्गान्त्ययुक्ताः स्पर्शाः कादयो मान्ताः टवर्गवर्जम् ।

उदाहरणम्—

अमन्दसुन्दरीगणैरनिन्द्यचन्दनानिले ।
कलिन्दनन्दिनीतटे ननन्द नन्दनन्दनः ॥ २११ ॥

योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः ॥ १४१ ॥
टादिः शषौ वृत्तिदैर्घ्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ।

उदाहरणम्—

प्राक्खण्डितरिपुस्कन्धप्रोच्छलच्छोणितच्छटाः ।
आनन्दयन्ति वैजात्यताण्डवैः प्रमथाधिपम्[1] ॥ २१२ ॥

वाली रचना माधुर्य में [व्यञ्जक] होती है ॥१४०-१४१॥

अपने सिर पर विद्यमान [अर्थात् अक्षर के ऊपर] अपने २ वर्ग के अन्तिम वर्ण से युक्त क से लेकर म पर्यन्त वर्ण स्पर्श कहलाते हैं इनमें से टवर्ग [अर्थात् ट-ठ-ड-ढ] को निकाल देना चाहिए ।

विदग्ध सुन्दरियों के समूह के साथ नन्द गोप के पुत्र भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र प्रशंसनीय चन्दन की सुगन्धि से युक्त वायु वाले यमुना नदी के तट पर [क्रीडा करते हुए] प्रसन्न हो रहे थे ॥ २११ ॥

इस प्रकार के वर्णसमुदाय से होने वाली रचना वैदर्भी है ।

टि०—यहाँ पर अमन्दसुन्दरी आदि पदों में बहुत स्थानों पर दकार अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण से युक्त है, रनिन्द्य में ह्रस्व से व्यवहित रेफ है तथा टवर्ग का भी [म के अतिरिक्त] कोई वर्ण नहीं है। प्रत्येक चरण में स्वल्प समास है इस कारण यह रचना माधुर्यगुणोपेत है और वैदर्भी रीति वाली है ।

[उक्त कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग चारों वर्णों के आद्य अर्थात्] १. प्रथम [क-च-त-प रूप] और तृतीय [ग-ज-द-ब रूप] वर्णों के साथ उनके बाद के [ख-छ-थ-फ] आदि द्वितीय तथा तृतीय के बाद के चतुर्थ (घ-झ-ध-भ] वर्णों का [नैरन्तर्य या अव्यवधान से प्रयोग] और २. रेफ के साथ योग [अर्थात् ऊपर या नीचे किसी भी रूप में रकार का किसी भी वर्ण के साथ योग [जैसे वस्त्र, वज्र, निर्ह्राद आदि में] और ३. तुल्य वर्णों का योग [जैसे वित्त, उच्च, उद्दाम आदि में] ४. टादि [ट-ठ-ड-ढ वर्ण] तथा ५. श ष [ये सब वर्ण तथा] ६. दीर्घ-समास एवं ७. उद्धत गुम्फन [रचना] ओज [गुण] में [व्यञ्जक] होते हैं ॥ १४१-४२ ॥

उदाहरण—

पहले [किन्हीं खड्गादियों से] काटे गये शत्रुओं के कन्धों से उछल उछल कर [वेग पूर्वक] निकलती हुई रुधिर की अविच्छिन्न धारायें [नीचे की ओर गिरने

---

१. त; ज प्र में यह पूरा श्लोक नहीं

[यथा वा][1]

मन्थायस्तार्णवाम्भः प्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीरः
कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटाऽन्योन्यसङ्घट्टचण्डः ।
कृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः
केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्[2] ? ॥२१३॥

एवंविधा घटना गौडी । एतदुभयभिन्ना घटना पाञ्चाली । तदुक्तम्—

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैं वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ १४२ ॥
ओजः प्रकाशकैर्गौडी[3] पाञ्चाली तैस्तथापरैः ।

के कारण] विलक्षण ताण्डवों से भूतनाथ शिवजी को आनन्दित कर रही हैं ॥२१२॥

टि०—यह किसी राजा के समराङ्गण के शौर्य का वर्णन है । उसके खड्ग अथवा वाण से आहत शत्रुओं के कन्धों से निकलकर छलछलाती हुई रक्तधारायें पृथिवी पर गिर रही हैं । शिव जी ताण्डवनृत्य के समय ऊपर भी उछलते हैं किन्तु ये नीचे की ओर ही गिरने के कारण विलक्षण हैं । यहाँ क्ख, च्छ् में पहले दूसरे अक्षरों का योग है, प्राक्, प्रोच्छलत् और प्रमथ में रकार का योग तथा पूर्वार्ध में एक समस्त पद होने से ओज गुण है ।

[अथवा और उदाहरण—]

[स्वयं मन्थनदण्ड बनकर किये गये] मन्थन से क्षुब्ध समुद्र के जल से व्याप्त गुफाओं वाले मन्दराचल के शब्द के समान गम्भीर [भेरीशतसहस्रों और ढक्काशतों के एक साथ बजने से उत्पन्न] कोणाघातों [बहुत जोर के शोरों के] अवसर पर [उसके साथ] गर्जन करते हुए प्रलयकालीन मेघों के समूह के परस्पर सङ्घर्षण [जन्य शब्द] के समान भयङ्कर, द्रौपदी के क्रोध का [सूचक] श्रेष्ठ कौरव वंश के नाश [की सूचना] के लिए उपद्रवपूर्ण निर्घात [मेघ और वायु के सङ्घर्षण से उत्पन्न अशुभसूचक शब्द से युक्त] वायु रूप और मुझ भीमसेन के सिंहनाद की प्रतिध्वनि के सदृश यह दुन्दुभि किसने बजाई है ? ॥ २१३ ॥

टि०—वेणीसंहार में भीमसेन द्वारा कहे गए इस श्लोक को काव्यप्रकाश (८, ३५२) में ओजोगुण वाली रचना के उदाहरण के रूप में दिया गया है । यहाँ रकार के साथ संयुक्ताक्षरों तथा दीर्घसमास वाली उद्धत रचना होने से ओज गुण है ।

इस प्रकार की रचना गौडी कहलाती है । इन दोनों [अर्थात् वैदर्भी और गौडी] से भिन्न रचना पाञ्चाली कहलाती है । [इस सम्बन्ध में] ऐसा कहा है—

माधुर्यव्यञ्जक वर्णों से युक्त वैदर्भी रीति माननी चाहिए ॥ १४२ ॥

ओजगुण के अभिव्यञ्जक उन [उपरिनिर्दिष्ट] वर्णों से युक्त गौडी तथा उन

१. संशोधित; ज अ त में नहीं
२. ज अ, त में यह दूसरा उदाहरण नहीं
३. त,······स्तैस्तु ज अ

इयमेव प्रसादव्यञ्जिका । यथा—
ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे ।
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुञ्जकुटीरे ।। २१४ ।।
समासव्यञ्जकत्वं स्वयमुदाहर्यम्[1] । रचनाव्यञ्जकत्वमुदाहरिष्यते ।
तदपरे न क्षमन्ते । तथाहि—तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावित्याहुर्मम्मट-

माधुर्याभिव्यञ्जक वर्णों वाली रीति को पाञ्चाली रीति समझना चाहिए ।

टि०—साहित्यदर्पण (९, २-४) में वैदर्भी और गौडी रीति को इस प्रकार बताया गया है—

माधुर्यव्यञ्जकै र्वर्णै रचना ललितात्मिका ।।
अवृत्तिरल्पवृत्ति र्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ।
ओजःप्रकाशकै र्वर्णै र्बन्ध आडम्बरः पुनः ।।
समासबहुला गौडी वर्णैः शेषैः पुन र्द्वयोः ।

ग्रन्थकार ने इन दोनों का लक्षण साहित्यदर्पण से लिया है ।

यही पाञ्चाली रीति प्रसाद गुण की अभिव्यञ्जक होती है । जैसे—

सुन्दर लौंग की लताओं के साथ परिचय अर्थात् सम्बन्ध रखने से कोमल [वसन्त ऋतु की] मलयानिल से युक्त, भौंरों के समूह [के शब्दों या उनके द्वारा लाये गये मधु] से मिश्रित एवं कोयल पक्षियों की कूकों के गूंजते हुए लताओं से घिरे प्रदेश में [भगवान् कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं] ।। २१४ ।।

टि०—यह श्लोक जयदेवविरचित गीतगोविन्द से लिया गया है इसके पूर्वार्ध में सात और उत्तरार्ध में भी सात पदों का समास है इस कारण यहाँ ओज गुण है किन्तु कोमलाक्षर एवं मधुर वर्णों का प्रयोग होने से माधुर्य है । इन दोनों गुणों का मेल होने से यहाँ पाञ्चाली रीति है ।

इन रीतियों की समासों द्वारा होने वाली अभिव्यञ्जना के उदाहरण स्वयं ढूंढ लेने चाहिए और रचना भी इन रीतियों की अभिव्यञ्जिका होती है इसके उदाहरण आगे दिये जायेंगे ।

टि०—ग्रन्थकार का अभिप्राय है कि हमने इस षष्ठ तरङ्ग में यहाँ तक जो गुण और रीतियों के सम्बन्ध में कहा है वह आचार्य मम्मटादि प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों क अनुसरण करते हुए कहा है । आगे वह मम्मट तथा भोजराज के विरोधी आचार्यों के गुण और रीति से सम्बद्ध विचारों को दिखा रहे हैं ।

[मम्मटादि आचार्यों के द्वारा माने गए गुणरीतिविषयक] इन सिद्धान्तों को दूसरे आचार्य नहीं सहन करते हैं । इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है—

१. दोष रहित और गुणों से युक्त शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं ऐसा

१. ज अ,'''''मूहनीयम् त

चरणाः, अदोषं गुणवत्काव्यमिति तथा—

यदि हरिस्मरणे सरसं मनो
यदि विलासकलासु कुतूहलम् ।
मधुरकोमलकान्तपदावलिं[1]
शृणु तदा जयदेवसरस्वतीम् ।

इत्यादि व्यवहारदर्शनाद् गुणानां शब्दवृत्तित्वमुपचारं विनैव कल्प्यताम्[2] किं रसधर्मत्वकल्पनादुर्व्यसनेनेति ।[3] न चोक्तस्य लाघवतर्कस्य विनिगमकत्वमिति वाच्यम्, एवंविधस्य गौरवस्यापि न्याय्यत्वात् ।

पूजनीय आचार्य मम्मट ने कहा है [यहाँ सगुणौ पद से यह प्रतीत हो रहा है कि गुण शब्द और अर्थ में रहते हैं] । इस प्रमाण से

२. दोष रहित और गुणों वाला काव्य होता है [यहाँ काव्य अर्थात् शब्द और अर्थ गुणयुक्त होता है आचार्य भोज के] इस प्रमाण से तथा

३. यदि भगवान् कृष्ण के स्मरण में रसयुक्त मन है और यदि [उनकी] विलास भरी क्रीडाओं के प्रति उत्सुकता है तो मिठास भरी, मसृण और सुन्दर पदसमूह वाली महाकवि जयदेव की वाणी [कविता] को सुनो ।

इत्यादि लोक में प्रचलित प्रयोगों को देखने से गुणों के शब्द में ही रहने के धर्म [प्रवृत्ति] की उपचार [सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा] के बिना ही कल्पना कर लीजिए, गुण रस के धर्म हैं इस कल्पना के दुराग्रह [अथवा इस बुरी आदत] से क्या लाभ ? इस प्रकार [से ये विरोधी आचार्य आक्षेप करते हैं] ।

टि०—'शब्दार्थौ सगुणौ', 'अदोषं गुणवत्काव्यम्' तथा 'मधुरकोमलकान्तपदावलिं' इन तीनों प्रयोगों के आधार पर ये विरोधी आचार्य यह सिद्ध करते हैं कि गुणों की शब्दवृत्तिता साक्षात् ही हो जाती है । इसे औपचारिक रूप में मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अर्थात् पहले गुणों को रस में मानें उसके बाद उन्हें उपचार से शब्द और अर्थ में मानें इतनी लम्बी प्रक्रिया न मानकर उन्हें सीधे शब्द में ही मान लेना चाहिए । इस कारण इनकी दृष्टि में प्राचीन मम्मटादि आचार्यों का गुणों की शब्दों में औपचारिक स्थिति अथवा पारम्परिक स्थिति मानने का सिद्धान्त ठीक नहीं है ।

'और गुणों को शब्द तथा रस इन दोनों में मानने के स्थान पर यदि केवल रस में मान लिया जाय तो लाघव होता है' उक्त रूप में लाघव के लिये दिया गया तर्क विनिगमक अर्थात् रस में गुणों की स्थिति मानने के पक्ष को पुष्ट करने वाली युक्ति है ऐसा [आचार्य मम्मटादि के पक्ष की ओर से] नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में गौरव का होना ठीक ही मानना उचित है ।

१. ज अ, पदावलीं त
२. त; कल्पताम् ज अ
३. ज अ; व्यसनेनेति

अपि च[1] 'आह्लादकत्वं माधुर्यम्' इत्युक्तं तत्कथमाह्लादरूपतया व्यवस्थिते रसे वर्तताम् ? अथाह्लाद[2]त्वमेवाह्लादकत्वं तर्हि तत्[3] सर्वरससाधारणमिति कथं रसविशेषे स्वीकृतम् ? तस्य सुखत्वापरपर्यायस्य गुणत्वासम्भवाच्च । ननु कथं तर्ह्यलङ्काराद् गुणानां भेद इति[1] चेत्, उच्यते । गुणविशिष्ट-

टि०—गौरव होने से जहाँ प्रयोजन पूरा होता हो तो वहाँ गौरव होने पर दोष नहीं होता । पहले गुणों की शब्दार्थवृत्तिता स्वीकार कर लेनी चाहिए और फिर ये शब्दार्थ में रहकर रस को अभिव्यक्त करते हैं इसलिए इनके भीतर रसवृत्तिता भी होती है ऐसा मान लेना चाहिए ऐसा मानने पर यद्यपि गौरव आता है किन्तु गुणों का शब्द, अर्थ और रस के साथ सम्बन्ध समझने में इससे सहायता मिलती है अतः ऐसे स्थलों पर गौरव होने से किसी प्रकार का दोष नहीं होता । इसके विपरीत इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुणों का शब्द के साथ साक्षात् सम्बन्ध है । पहले इनका सीधा सम्बन्ध शब्दों के साथ होता है तदनन्तर रस के साथ होने वाले व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव सम्बन्ध के ज्ञान के साथ होता है ।

इसके अतिरिक्त [आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे द्रुतिकारणम् अर्थात् चित्त के द्रवीभाव का कारण और शृङ्गार में रहने वाला जो आह्लादस्वरूपत्व है वह माधुर्य नामक गुण है, काव्यप्रकाश ८, ६८ की इस कारिका में] आह्लाद होना ही माधुर्य है यह बात कही है [इस प्रकार यदि माधुर्य को आह्लाद रूप में मानते हो] तो वह आह्लाद रूप में अवस्थित रस में कैसे रह सकता है ?

टि०—पूर्वपक्षी का आशय यह है कि माधुर्य भी आह्लादस्वरूप है और रस भी आह्लाद रूप है । आह्लाद आह्लाद में कैसे रह सकता है एक मनुष्य स्वयं अपने में कैसे रह सकता है । न हि अत्यन्तनिपुणोऽपि स्वयं स्वस्कन्धमारोढुं प्रभवति इस उक्ति के अनुसार आधार और आधेय की भिन्न सत्ता हुआ करती है ।

और यदि आह्लादत्व अर्थात् आह्लादमात्र को आह्लाद मानते हो तो वह आह्लाद तो सारे ही रसों में समान रूप से रहता है तो उसकी शृङ्गार नामक विशेष रस में ही क्यों स्थिति मानते हो ? और यदि आह्लाद को सुख का दूसरा पर्याय मानते हो तो उसका गुण होना असम्भव है । [इस स्थिति में रस और गुण में धर्मधर्मिभाव मानना कठिन हो जाएगा इस प्रकार गुण रसों के धर्म नहीं माने जा सकते यह पक्ष सिद्ध हो जाता है) ।

[प्राचीन आचार्यों की ओर से शङ्का की जा सकती है कि यदि गुणों को रसादि का धर्म मानें] तो अलङ्कारों से गुणों का कैसे भेद होगा ?

[मम्मटविरोधी आचार्यों का कहना है कि] यदि यह शङ्का की जाय तो

१. ज अ; अथ आह्लादमेवाह्ला···त
२. ज अ; तत् पद त में नहीं
३. ज अ, भिदेति त

काव्यशोभाकारिणो अलङ्काराः। न हि निर्गुणस्य काव्यस्यालङ्कारै विधीयते शोभा। ओजःप्रसादादीनां तु केवलानामस्ति[1] शोभाकरत्वम्।

तथा च सूत्रम्—

तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः। अतएव वामनः—

युवतेरिव रूपमङ्ग काव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव।
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलङ्कारविकल्पकल्पनाभिः॥
यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्गनायाः।
अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमलङ्काराणि संश्रयन्ते॥

अपरञ्च गुणास्त्वचलस्थितयः। अलङ्कारास्तु चलस्थितय इत्यनयो-

हमारा यह उत्तर है—गुणयुक्त काव्य की शोभा अलङ्कारों से नहीं की जाती। ओज, प्रसाद और काधुर्य गुणों में [और किसी की सहायता लिए बिना ही] अकेले ही शोभाजनक होने का धर्म होता है।

टि०—इनका कहना है कि गुण काव्य की शोभा को स्वयं बढ़ा देते हैं उन्हें और किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। इस प्रकार गुणों के द्वारा काव्य की शोभा बिना किसी बाह्य सहायता के कर दी जाती है।

और [इस मत को पुष्ट करने वाला आचार्य वामन का] यह सूत्र है—

उस [काव्यशोभा] के अतिशय के हेतु अलङ्कार होते हैं।

टि०—आचार्य वामन ने काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति में गुण और अलङ्कार का भेद दो सूत्रों में स्पष्ट किया है। पहला सूत्र (काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति ३, १, १) है, काव्यशोभायाः कर्त्तारो धर्मा गुणाः—काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म गुण होते हैं और दूसरा सूत्र है, तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः (काव्यालङ्कार सू० वृ० ३,१ २) उस शोभा के अतिशय (उत्कर्ष) के कारण अलङ्कार होते हैं।

इसलिए वामन [ने कहा है]—

हे मित्र! [शुद्ध अर्थात् अलङ्कारों से अमिश्रित ओज, प्रसाद आदि गुण जिसमें हों] शुद्ध गुण वाला वह काव्य भी युवती के [अलङ्कारविहीन शुद्ध] रूप के समान [रसिक जनों को] अत्यन्त रुचिकर होता है और अत्यधिक अलङ्कार रचनाओं से विभूषित रूप भी अत्यन्त आह्लाददायक होता है [युवती में सौन्दर्य रूप गुण होने पर अलङ्कार हों या न हों दोनों अवस्थाओं में रसिकों को वह रूप रुचिकर होता है]। [परन्तु] यदि स्त्री के यौवनवन्ध्य-[जिसमें यौवन भी लावण्य को उत्पन्न न कर सकने के कारण व्यर्थ हो ऐसे लावण्यशून्य] शरीर के समान काव्यवाणी गुणों [ओज प्रसाद आदि] से शून्य हो तो निश्चय ही [उसके द्वारा धारण किये हुए] लोकप्रिय अलङ्कार भी भद्दे मालूम होने लगते हैं।

इसके अतिरिक्त गुण स्थिर होते हैं और अलङ्कार अस्थिर—यह इन दोनों

---

१. ज म, दीनामस्ति केवलानां त

विवेकः । तत्रादौ शब्दगुणानाह—

श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता ॥ १४३ ॥
अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ।
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः[1] ॥ १४४ ॥
यत्रौकपदवद्भानं पदानां भूयसामपि ।
अनालक्षितसन्धीनां स श्लेषः परमो गुणः ॥ १४५ ॥

यथा—

परिणतफलशङ्किपक्षि-
चञ्चुपुटगलदिन्दुसुधाभिरात्तजीवे
इह शरभमृगेन्द्रवृन्देन[1]
धुतवपुरुद्यति दुद्रुवु द्विपेन्द्राः ॥ २१५ ॥

में भेद हैं ।

इस गुणविवेचन के प्रसङ्ग में पहले ग्रन्थकार [आचार्य दण्डी द्वारा प्रतिपादित] शब्दगुणों को कहते हैं—

टि०—इन श्लोकों का अभिप्राय यह है कि गुणों के होने पर अलङ्कारों के बिना भी काव्य की शोभा हो सकती है और गुणों के अभाव में केवल अलङ्कारों से काव्य की शोभा नहीं होती । इसलिए अन्वय तथा व्यतिरेक से गुण ही काव्य शोभा के उत्पादक हैं और अलङ्कार उस शोभा की वृद्धि के हेतु होते हैं ।

१. श्लेष २. प्रसाद ३. समता ४. माधुर्य ५. सुकुमारता ६. अर्थव्यक्ति ७. उदारत्व ८. ओज ९. कान्ति और १०. समाधि इस रूप में यह दस गुण वैदर्भी रीति के प्राण के रूप में कहे जाते हैं ॥ १४३-१४४ ॥

टि०—ये दस गुण दण्डी के काव्यादर्श [१, ४१-४२] में दिए हुए हैं ।

क्रम से इन गुणों के लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं—

१. श्लेष—जहाँ न दिखाई देने वाली सन्धि से युक्त बहुत से पदों में एक पद के समान प्रतीति हो वहाँ वह श्लेष [नामक] परम गुण है ॥ १४५ ॥

टि०—वामनकृत काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति (३, १, २५ पर श्लोक ३) में यह लक्षण मिलता है ।

जैसे—

[चन्द्रमा में पके हुए फल की शङ्का करने वाले पक्षियों की चोंचों के दोनों भागों में से टपकती हुई चन्द्रमा की चाँदनियों से जीवन प्राप्त करने वाले पशुओं के राजा शरभों के शरीर हिलाकर आक्रमण करने के लिए उद्यत होने पर श्रेष्ठ हाथी [भी] भाग खड़े हुए ।। २१५ ॥

---

१. ज अ, समीरिता; त

श्रुतमात्रेण शब्दानां यत्रार्थप्रत्ययो भवेत् ।
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ १४६ ॥

यथा—

असकल[1]नयनावलोकितेन स्फुटपरिहासमनोहरैं वंचोभिः ।
कमलमुखि मुरारिरेवमेव कथय कियन्ति दिनानि वञ्चनीयः । २१६ ।

यथा वा—

दिशि दिशि परिहासगूढगर्भाः पिशुनगिरो गुरुगञ्जनं च तादृक् ।
सहचरि हृदये निवेदनीयं भवदनुरोधवशादयं विपाकः ॥ २१७ ॥

टि०—यहाँ पूर्वार्ध के दोनों पादों में आए हुए अनेक पद एक पद के समान प्रतीत हो रहे हैं इस कारण यहाँ श्लेष है। शरभ आठ पैरों वाला एक पुराणप्रसिद्ध जन्तु है जिसको शेर और हाथियों से भी अधिक बलवान् माना जाता है।

२. प्रसाद—जहाँ शब्दों के सुनने मात्र से अर्थ का ज्ञान हो जाए वहाँ वह सारे रसों और रचनाओं में सामान्य रूप से पाये जाने वाला प्रसाद गुण रहता है ॥ १४६ ॥

टि०—प्रसाद का यह लक्षण थोड़ी भिन्नता के साथ काव्यप्रकाश (८, ७६) में मिलता है।

जैसे—

हे कमल के समान सुन्दर मुख वाली सुन्दरि ! अपूर्ण अर्थात् पूरे न खुलने वाले [अधखुले] नेत्रों के द्वारा देखने से, अस्पष्ट हास अर्थात् मन्द मुस्कान से युक्त सुन्दर २ वचनों से ऐसे ही [अर्थात् केवल सूखी २ बातों से टरका कर—टाल करके ही] तुम मुरारि को कितने दिन और ठगती रहोगी ? ॥ १२६ ॥

टि०—यहाँ पर सरल शब्दों का प्रयोग है। इनके सुनने मात्र से ही अर्थ का ज्ञान हो जाता है इस कारण यहाँ प्रसाद गुण है।

अथवा और जैसे—

हे मेरे साथ रहने वाली प्रेयसि ! प्रत्येक दिशा में, छिपे हुए परिहास से भरी हुई चुगलखोरों की बातें और उस प्रकार का [असह्य और शर्मनाक] बड़ा भारी अपमान यह सबका सब हृदय को ही बतलाने लायक है [अर्थात् बाहर किसी से न कहकर चुपचाप दिल में ही रखने योग्य है। मुझ पर यह [सारी] आपत्ति आपमें प्रेम का आग्रह रहने के कारण आई है ॥ १२७ ॥

टि०—प्रेम के कारण बदनाम हो जाने वाले किसी युवक की अपनी प्रेमिका को लक्ष्य करके कही गई यह उक्ति है। इसमें शब्द विन्यास बहुत सरल ढंग से रखा गया है। शब्दों के सुनते ही अर्थ की प्रतीति हो जाने से यहाँ प्रसाद गुण है।

---

१. ज अ, सकलनयन······त

केचित्तु ओजोगुणमिश्रितं शैथिल्यं प्रसादः । ननु गाढागाढयोः परस्परविरहरूपयोः कथं मिश्रितत्वमिति चेत्, अनुभवं पृच्छ नास्मान् । अतएवोक्तम्—

करुणप्रेक्षणीयेषु सम्प्लवः सुखदुःखयोः ।
यथाऽनुभवतः सिद्धस्तथैवौजःप्रसादयोः ।

यथा—

अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे
नृपतिककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम् ।
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम् ॥२१८॥

वस्तुतः यह प्रसाद गुण ही सम्पूर्ण रसों और सम्पूर्ण रचनाओं में रह सकता है । जैसे अन्य गुणों की नियतविषयता है वैसे प्रसाद गुण के लिए बन्धन नहीं है । इसे किसी भी रस में और किसी भी रचना में समाविष्ट किया जा सकता है ।

कुछ आचार्य तो ओज गुण से मिले हुए रचनाशैथिल्य [माधुर्य] को प्रसाद कहते हैं ।

गाढ [विकट] और अगाढ [मसृण] रचना एक दूसरे के अभाव स्वरूप वाली है इन दोनों अभावात्मकों का मिश्रण कैसे हो सकता है ? यदि [पूर्वपक्षी की] ऐसी शङ्का हो तो [सिद्धान्ती का कहना है] अनुभव से पूछो हमसे नहीं ।

टि०—यह बात साक्षात् अनुभव से प्रतीत हो जाती है कि विकट रचना का अपना पृथक् स्वरूप है और मसृण रचना का भी पृथक् अस्तित्व है । ये एक दूसरे के अभाव स्वरूप नहीं हैं ।

इसीलिए [आचार्यवामनकृतकाव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति ३, १, ६ श्लोक ६] में कहा गया है—

करुण रस के नाटकों में [विरोधी] सुख दुःख का मिश्रण [या सहस्थिति] जैसे [सहृदयों के] अनुभव से सिद्ध है वैसे ही ओज और प्रसाद का मिश्रण भी अनुभवसिद्ध है ।

जैसे—

इसके बाद [सांसारिक] विषयों से हटे हुए चित्त वाले राजा दिलीप ने श्वेत छत्र रूप राजचिह्न को विधिपूर्वक [राज्याभिषेक की शास्त्रीय विधि द्वारा] अपने नवयुवक पुत्र रघु को देकर उस देवी सुदक्षिणा के साथ तपोवन के वृक्षों की छाया का आश्रय लिया । क्योंकि क्षीण आयु वाले [वयोवृद्ध] इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न राजाओं का यही कुलधर्म है ।।२१८।।

टि०—यहाँ पहली दो पङ्क्तियों में ओज गुण की प्रधानता है और अन्तिम दो में श्लथत्व है इसलिए यहाँ प्रसाद हैं ।

अतएवोक्तम्—

श्लथत्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च प्रचक्षते ।
अनेन न विना सत्यं स्वदते काव्यपद्धतिः ॥

इत्यप्याहुः ।

प्रतिपादं प्रतिश्लोकमेकमार्गपरिग्रहः ।
दुर्बन्धो दुर्विभावश्च समतेति मतो गुणः ॥ १४७ ॥

यथा—

यः श्रीखण्डतमालपत्रति दिशः प्राच्याः स्मरक्ष्मापतेः
पाण्डुच्छत्रति दन्तपत्रति लसल्लक्ष्मीकुरङ्गीदृशः ।
केलिश्वेतसहस्रपत्रति रतेः किञ्च क्षपायोषितः
क्रीडाराजतसीधुपात्रति शशी सोऽयं जगन्नेत्रति ॥ २१८ ॥

इसीलिए [वामन ने काव्यालङ्कार सू० वृ० ३, १, २५ श्लोक २ में] कहा [भी] है—

ओज से मिश्रित रचना के शैथिल्य को प्रसाद [गुण नाम से] कहते हैं। इस [प्रसाद गुण] के बिना वस्तुतः काव्यरचना का आनन्द ही नहीं आता है।

[इसके समर्थन में उपर्युक्त] यह [बात] भी कहते हैं।

३. समता—श्लोक के प्रत्येक पाद में और प्रत्येक श्लोक में एक से मार्ग [शैली] का ग्रहण करना समता कहलाता है। इस प्रकार की रचना का सम्पादन करना बहुत कठिन है और उसको जानना और पहचानना भी बहुत मुश्किल है ॥ १४७ ॥

जैसे—

जो प्राची दिशा के [ललाट पर] शृङ्गारार्थ छोटे खण्ड [टुकड़े] रूप में लगाई हुई तिलक और तमालपत्र की रचना के समान आचरण कर रहा है [अर्थात् प्राची दिशा रूपी नायिका के मस्तक पर तिलकबिन्दु और पत्ररचना के समान दिखाई दे रहा है] कामदेव रूपी राजा के सफेद [राज] छत्र के समान आचरण कर रहा है, दीप्तिमयी लक्ष्मी रूपी मृगनयनी नायिका की हाथी दाँत की कँघी के समान लग रहा है, रति के लीला पुष्प श्वेत कुन्द के समान आचरण कर रहा है और इसके अतिरिक्त रात्रि रूपी नायिका के रतिक्रीडा के समय [सुशोभित होने वाले] चाँदी के पानपात्र के समान आचरण कर रहा है। [इन गुणों से युक्त] वह यह चन्द्रमा सारे संसार के नेत्र की तरह लग रहा है ॥ २१८ ॥

टि०—यहाँ पत्रति छत्रति आदि एक ही जैसे पदों का प्रयोग होने से समता नामक गुण है। पत्रति आदि पदों में सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वक्तव्यः से 'इव आचरति' अर्थ में क्विप् प्रत्यय हुआ है और फिर क्विप् का सर्वापहारी लोप होकर 'सनाद्यन्ता धातवः' से धातु सञ्ज्ञा हो गई है।

ननु—

मातङ्गाः ! किमु बृंहितैः[1] किमफलैराडम्बरैर्जम्बुकाः
सारङ्गा महिषा मदं व्रजथ किं शून्येषु शूरा न के।
कोपाटोपसमुद्भटोत्कटसटा[2]कोटेरिभारेः पुरः
सिन्धुध्वानिनि हुङ्कृते स्फुरति यत् तद् गर्जितं गर्जितम् ।।

इत्यादौ सिंहाभिधाने मसृणवर्णत्यागो गुण इति समताया अभावस्य गुणत्वमिति कथमस्या गुणत्वमिति चेत्, उच्यते।

वक्त्राद्यौचित्यवशाद् यथा दोषस्य क्वचिद् गुणत्वं तथा गुणस्यापि क्वचिद् दोषत्वे[3] को दोष इति।

बन्धे पृथक्पदत्वं च[4] माधुर्यं कथितं बुधैः।
अनेन हि पदन्यासाः कामं धारामधुश्च्युतः ।। १४८ ।।

[पूर्वपक्षी की ओर से] शङ्का है—

अरे हाथियो ! [सिंह की अनुपस्थिति में] चिंघाड़ लगाने से क्या लाभ है ? अरे गीदड़ो ! निष्फल चिल्लाहटों के करने से क्या होता है ? अरे मृगो और भैंसो, तुम मतवाले क्यों हो रहे हो ? सूने स्थानों में [किसी वीर के न होने पर] कौन बहादुर नहीं हो जाते ? परन्तु क्रोध के आवेश में खड़े हुए भयङ्कर गर्दन के बालों के किनारों वाले, हाथियों के शत्रु सिंह के सामने समुद्र की आवाज समान दहाड़ते हुए शेर की हुंकार होने पर जो गर्जन होता है वही वास्तविक गर्जन [कहलाने योग्य] है।

इस 'मातङ्गाः' इत्यादि श्लोक में शेर के वर्णन में कोमल वर्णों का परित्याग करना ही गुण है इस कारण समता का अभाव ही यहाँ गुण माना गया है तब इस समता की स्वतन्त्र रूप से गुणता कैसे है? [यदि यह शङ्का की जाए तो] [हमारी ओर से] यह कहा जाता है—

वक्ता आदि के औचित्य के कारण जैसे दोष कहीं गुण होता है वैसे ही गुण को भी कहीं दोष मान लेने पर क्या हानि है ? [इस प्रकार न तो दोषत्व—दोष में रहने वाला धर्म हटता है और न गुणों का गुणत्व समाप्त होता है] ।

४. माधुर्य—रचना में पृथक्पदत्व [समासरहित पदों के प्रयोग] को विद्वानों ने माधुर्य कहा है। इस [माधुर्य] के होने से पदरचना मधुधारा की अत्यन्त वृष्टि करने वाली होती है ।। १४८ ।।

टि—काव्यालङ्कार (३, १, २५ श्लोक ६) में वामन ने भी माधुर्य का यह लक्षण दिया है।

---

१. ज अ, गर्जितैः त
२. ज अ,……समुद्भवोद्भटशटा त
३. ज अ; दोष इति को दोषः त
४. त, ज अ में नहीं

पृथक्पदत्वमित्युपलक्षणमल्पसमासो[१] मध्यसमासो वा ग्राह्यः।
क्रमेणोदाहरणम्—

रहः सखीभिः शपथैरनेकैरापृच्छमानापि नताननैव।
स्मितेन लज्जामधुरेण गौरी निवेदयामास निजामवस्थाम्। २१९।

यथा वा—

वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्।
आसीन्महीभृतामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव ॥ २२० ॥

बन्धस्याजठरत्वं च सौकुमार्यमुदाहृतम्।
एतेन वर्जिता वाचो रूक्षत्वान्न श्रुतिक्षमाः ॥ १४९ ॥

यथा—

न स्यन्दते चन्दनगन्धवाहो न कोकिलः कूजति काननान्ते।
स कोऽपि देशः परिशीलितः किं न यत्र वा पल्लवितो रसालः। २२१।

पृथक् पृथक् पदों का होना यहाँ उपलक्षण है। इससे अल्पसमास [२-३ पदों के थोड़े समास वाला होना] अथवा मध्यसमास [३-४ पदों के समास वाला होना] यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए।

क्रम से उदाहरण—

[हम तुम्हारा भेद किसी को नहीं बतायेंगी इस प्रकार कहकर] अनेक शपथों के साथ एकान्त में सखियों से पूछी जाती हुई भी पार्वती झुके हुए मुख वाली ही रही। ऐसी अवस्था में लज्जा के कारण मधुर मुस्कुराहट से ही पार्वती ने अपनी अवस्था को सखियों को बता दिया ॥ २१९ ॥

अथवा जैसे—

बुद्धिमान् पुरुषों में सम्माननीय वैवस्वत [विवस्वान् के पुत्र] मनु राजाओं में उसी प्रकार अग्रणी थे जैसे वेदमन्त्रों में ओम् अग्रणी होता है ॥ २२० ॥

टि०—प्रत्येक वेदमन्त्र के प्रारम्भ में ओम् का उच्चारण करने की परिपाटी है। जैसे वेदों के मन्त्रों में पहले ओम् (प्रणव) होता है वैसे ही राजाओं के आदि में मनु हुए थे। उपर्युक्त दोनों उदाहरण पृथक् पदत्व के हैं। 'क्रमेणोदाहरणम्' में क्रमेण पद की यहाँ आवश्यकता नहीं है।

५. सुकुमारता—रचना की कोमलता [अपारुष्य] को सौकुमार्य गुण कहा जाता है। इस [सौकुमार्य गुण] से रहित वाणी रूक्ष होने से [सहृदयों के] सुनने के योग्य नहीं होती है ॥ १४९ ॥

टि०—यह लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति (३, १, २५ श्लोक ८)

जैसे—

जहाँ चन्दन की गन्धयुक्त वायु नहीं बहती है और जंगल के प्रदेश में कोयल

---

१. ज अ; ······समासो ग्राह्यः (मध्यसमासो नहीं) त

यथा वा[1]—

वासन्तीरसबिन्दुसुन्दरभिन्दिन्दिरा इह चरन्ति ।
चिरमन्दिरमरविन्दं मन्दं मन्दं परिहरन्ति ॥ २२२ ॥

पश्चादिव गतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुनः ।
यत्रार्थव्यक्तिहेतुत्वात् सोऽर्थव्यक्तिः स्मृतो गुणः ॥ १५० ॥

अत्रार्थपदेन वाक्यार्थ उक्तः । तेन प्रसादात् भेदः ।

यथा—

चरणनिपतितः पतिस्तवायं
वयमपि चाटुपरा हताः सपत्न्यः ।
किमपरमवशिष्यते यदर्थं
कथय करोषि सरोरुहाक्षि मौनम् ॥ २२३ ॥

नहीं बोलती है अथवा जहाँ नये २ पत्तों से युक्त आम का वृक्ष नहीं है इस प्रकार का वह कोई भी देश [अथवा स्थान] कौनसा प्रयोजन सिद्ध करेगा ? [अर्थात् ऐसे स्थानों को देखने का कोई लाभ नहीं है] ॥ २२१ ॥

अथवा जैसे—माधवी [जूही] लता के मकरन्द के बिन्दुओं से सुन्दर होकर [अर्थात् पुष्परस में सराबोर होकर मस्ती भरे] भौंरे इस उपवन में [उड़कर] घूम रहे हैं । और [रात्रि के समय के] चिरकालिक निवास बने हुए कमल को धीरे २ छोड़ रहे हैं ॥ २२२ ॥

६. अर्थव्यक्ति—जहाँ पदों की गति मानो पीछे हो और अर्थ की अभिव्यक्ति मानो पहले हो जाय वहाँ अर्थ की [तुरन्त और स्पष्ट] अभिव्यक्ति होने के कारण उसको अर्थव्यक्ति [नामक गुण] कहते हैं ॥ १५० ॥

टि०—यह लक्षण काव्या० सू० वृ० (३, १, ५ श्लोक १०) में भी मिलता है ।

यहाँ अर्थ पद से वाक्यार्थ बताया गया है इस कारण प्रसाद गुण से भेद है [प्रसाद गुण शब्दों में रहता है जबकि अर्थव्यक्ति गुण अर्थ में रहता है] ।

जैसे—

तुम्हारा यह पति तुम्हारे पैरों में पड़ा हुआ है, हम हतभाग्य [अर्थात् अभागिनी] सौतें भी [तुम्हारी तथा नायक] की खुशामदी हैं [क्योंकि तुम्हारी अदाओं पर फिदा वह नायक हमारी ओर देखता भी नहीं है] । हे कमलनयनी सुन्दरी ! बताओ अब कौनसी बात बची हुई है जिसके कारण तुमने मौन धारण किया हुआ है ॥ २२३ ॥

---

१. ज त, यथा वा अ में नहीं

यथा वा¹—

वैखानसैः परिवृतेषु वनेषु वास-
स्तातज्ञया जननि तत्र तवानुरोधः।
प्राणाधिकस्य भरतस्य च राज्यलाभो
रामेण देवि किमतः परमर्जनीयम् ॥ २२४ ॥

विकटत्वञ्च बन्धस्य कथयन्ति त्वुदारताम्।
वैचित्र्यं न प्रपद्यन्ते तेन शून्याः पदक्रमाः ॥ १५१ ॥

अथवा जैसे—

पिता की आज्ञा से वानप्रस्थियों से घिरे हुए वनों में मुझे रहना है। हे माता इस बात में आपका भी आग्रह है [अर्थात् मेरे वन चले जाने से पिता दशरथ तथा आप दोनों की सन्तुष्टि हो रही है] प्राणों से भी अधिक प्यारे भाई भरत को राज्य की प्राप्ति हो रही है। हे देवी ! बतलाइए राम के लिए इससे अधिक और क्या प्राप्त करने योग्य है ? [राम को सब कुछ मिल गया है अब और कुछ नहीं चाहिए] ॥ २२४ ॥

टि०—जम्मू, अलवर और तिरुपति की हस्तलिखित प्रतियों में अर्थव्यक्ति गुण के उपर्युक्त दो उदाहरण दिए हुए हैं किन्तु तिरुपति में इन दोनों के उदाहरणों के अनन्तर यह तीसरा उदाहरण भी मिलता है—

यथा वा—

वनभुवि तनुमात्रत्राणमाज्ञापितं मे
सकलभुवनभारः स्थापितो वत्समूर्ध्नि।
तदिह सुकरतायामावयोस्तर्किताया-
मयमपि च गरीयानेव ते पक्षपातः ॥

(हे माता कैकेयी !) वनभूमियों में मेरे लिए (तो आपने) केवल शरीर भर की रक्षा करने के लिए आज्ञा दी है (किन्तु) प्रिय भरत के सिर पर (राजगद्दी देकर सारे संसार) का भार रख दिया है। तो इस सम्बन्ध में हम दोनों की आसानी के बारे में विचारने पर भी आपका (मेरे प्रति) अत्यधिक पक्षपात है (ऐसा ज्ञात होता है)।

यह श्लोक तथा इससे पहले का श्लोक एक ही प्रकार के भाव को अभिव्यक्त करता है तथा केवल तिरुपति की प्रति में ही मिलता है इस कारण इसे ऊपर न रख कर टिप्पणी में ही रखा है।

७. उदारत्व—रचनाशैली की विकटता [अर्थात् पदों का नाचते हुए सा प्रतीत होना] को उदारता नामक गुण कहते हैं जिसके बिना पदों की रचना विचित्रता रूप सौन्दर्य को नहीं प्राप्त कर पाती है ॥ १५१ ॥

---

१. ज त, यथा वा—अ में नहीं

विकटत्वञ्च[1] पदानां नृत्यत्प्रायत्वमित्यर्थः ।

यथा—

नमन्नृपतिमण्डलीमुकुटचन्द्रिकादुर्दिन-
स्फुरच्चरणपल्लवप्रतिपदोक्तदोःसम्पदा ।
अनेन सृजतेतरां तुरगमेधमुक्तभ्रम-
त्तुरङ्गखुरचन्द्रकप्रकरदन्तुरा मेदिनी ॥ २२५ ॥

श्लाघ्यैर्विशेषणैर्युक्तमुदारं कैश्चिदुच्यते ।
यथा नीलाम्बुजक्रीडासरोहेमाङ्गदादयः ॥[2]
पदन्यासस्य गाढत्वं वदन्त्योजः कवीश्वराः ।
अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम् ॥ १५२ ॥

और पदों की विकटता [उनकी] नाचने जैसी स्थिति है यह अभिप्राय है । जैसे—

झुकी हुई राजमण्डली के मुकुटों की चन्द्रिका के लिए दुर्दिन [मेघाच्छन्नं दुर्दिनम्] रूप देदीप्यमान कोमल चरणों के प्रत्येक पदन्यास से अभिव्यक्त होने वाली भुजशक्ति [वीरता] के द्वारा इस राजा से यह पृथिवी अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गये और घूमते हुए घोड़े के सुमों के चन्द्राकार चिह्नों से चित्रित [सुन्दर] होती जा रही है ।।२२५।।

टि०—यहाँ किसी राजा के शौर्य का वर्णन है । 'प्रतिपदोक्तदोःसम्पदा' का अभिप्राय है कि राजा का प्रत्येक चरण बड़ी मज़बूती और रौब के साथ पड़ रहा है उससे उसके पराक्रमशाली होने का अनुमान हो जाता है । नमन्नृपतिमण्डली इत्यादि पदों का उच्चारण तेज़ी के साथ हो रहा है इस कारण यहाँ पद नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं ।

कुछ विद्वानों ने प्रशंसनीय विशेषणों से युक्त पदों को उदार अर्थात् उदारत्वगुणविशिष्ट] कहा है जैसे लीलाम्बुज, क्रीडासर, हेमाङ्गद आदि पद हैं ।

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने काव्यादर्श (१, ७९) में दिये हुए उदारगुणोपेत पदों को बताया है । अम्बुज आदि पदों में लीला आदि विशेषण लगा देने से उसके आकार, वर्ण, सौरभ आदि विशेष गुणों का उत्कर्ष प्रतीत होने लगता है ।

८. ओज—कविशिरोमणि पदविन्यास की प्रौढि [उत्कटता] को ओज कहते हैं । इस ओज गुण से युक्त पद अधिकतर कानों के लिए रसायन [के समान स्फूर्तिदायक या प्रिय] होते हैं ।। १५२ ।।

टि०—का० सू० वृ० (३, १, २५ श्लोक १) में यह श्लोक दिया गया है ।

---

१. त; विकटत्वञ्च ज अ में नहीं
२. त; ज अ में यह कारिका नहीं

यथा—

मा पुनस्तमभिसीसरमागस्कारिणं मदविमोहितचेताः ।
योषिदित्यभिलुलाष न हालां दुस्त्यजः खलु[1] सुखादपि मानः ॥ २२६ ॥

दण्ड्यादयस्तु समासभूयस्त्वमोजोगुणमाहुः । तत्रेदमुदाहरणम्—

अस्तमस्तकपर्यस्तसमस्तार्कांशुसंस्तरा ।
पीनस्तनस्थिताताम्रकम्रवस्त्रेव वारुणी ॥

कान्तिरौज्ज्वल्यमित्याहुर्गुणो गुणविशारदाः ।[2]
पुराणचित्रस्थानीयं तेन नव्यं कवेर्वचः ॥ १५३ ॥

जैसे—

शराब के नशे से मोहित चित्त वाली मैं उस अपराध करने वाले शठनायक के साथ अभिसरण न करने लग जाऊँ [अर्थात् मान छोड़ कर उसके साथ भोग करने में न प्रवृत्त होऊँ] इस [भय से] उस सुन्दरी ने मदिरा की अभिलाषा नहीं की [अर्थात् शराब नहीं पी] । यह ठीक भी है क्योंकि सुख की अपेक्षा मान को छोड़ना कठिन है ॥ २२६ ॥

दण्डी आदि आचार्यों ने [काव्यादर्श १, ८०; ८२] अधिक समास वाली रचना का होना ही ओज गुण है ऐसा कहा है। ओज गुण का उन्होंने वहाँ यह उदाहरण दिया है—

अरुणाचल के शिखर पर फैली सूर्य की समस्त किरणों से बनी दिशा मांसल कुचों पर थोड़े थोड़े लाल और सुन्दर वस्त्रों को धारण करने वाली नायिका के समान प्रतीत हो रही है ॥ १५३ ॥

टि०—यहाँ पश्चिम दिशा का वर्णन है। सायंकाल में सूर्य की रक्तदीप्ति वाली किरणें अस्ताचल के शिखर पर फैल रही हैं। कवि कहता है कि मानों पश्चिम दिशा रूपी नायिका अस्ताचल रूपी पीन स्तन भाग पर लाल कपड़े को धारण कर रही है। यहाँ समासों के प्राचुर्य होने से ओज गुण है।

९. कान्ति—गुणों को जानने वाले विद्वान् [पदों के] औज्ज्वल्य को कान्ति नामक गुण कहते हैं। उस कान्ति गुण से पुराने चित्र की तरह कवि का वचन [फिर से] नया हो जाता है।

टि०—पुरानी मूर्त्तियों को साफ कर देने से और पुराने चित्र पर फिर से रङ्ग भर देने से जैसे नवीनता आ जाती है वैसे ही इस गुण के कारण कवि की वाणी में नवीनता आ जाती है। काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति (३, १, २५ श्लोक ११) में यह पद्य मिलता है।

---

१. खलु त, किल ज अ
२. ज अ; लौकिकार्थानतिक्रमात् त

यथा—

कलक्वणितगीतेन[1] कण्ठेनाघूर्णितेक्षणः ।
पारावतः परिभ्रम्य[2] रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम् ।। २२७ ।।
आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत् ।
समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूता सरस्वती ।। १५४ ।।

यथा—

चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात-
सञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य ।
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणशोचि-
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ।। २२८ ।।

यथा वा—

अनयोरनवद्याङ्गि स्तनयोर्जृम्भमाणयोः ।
अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ।[3] ।। २२९ ।।

जैसे—

मधुर और अव्यक्त शब्दों से युक्त गीतों वाले कण्ठ को धारण करने वाला आँखों को घुमाने वाला और रमण करने के लिए इच्छुक यह कबूतर अपनी प्रिया कबूतरी का चुम्बन कर रहा है ।। २२७ ।।

१०. समाधि—जहाँ [श्लोकों के पादों की] यतियाँ क्रम से चढ़ती और उतरती हैं वह समाधि नामक गुण होता है और उससे [कवि की] वाणी पवित्र होती है ।। १५४ ।।

टि०—समाधि का यह लक्षण का० सू० वृ० (३, १, २५ श्लोक५) में दिया हुआ है ।

जैसे—

चञ्चल भुजाओं द्वारा घुमाई जाती हुई प्रचण्ड गदा के प्रहारों से तोड़ी गई दोनों जङ्घाओं वाले दुर्योधन के चिकने, जमे और घने रुधिर से [सने होने से] लाल दीप्ति वाला भीमसेन—हे देवि द्रौपदी ! तेरे बालों को सजायेगा ।। २२८ ।।

टि०—यहाँ पर वर्णों के उच्चारण करते समय आरोह और अवरोह होने से समाधि गुण है ।

अथवा जैसे—

हे प्रशस्त अङ्गों वाली [संहतस्तनी] सुन्दरि ! तुम्हारी सुन्दर भुजाओं के बीच में विद्यमान, बढ़ते हुए इन दोनों स्तनों के मध्य में यथेष्ट [थोड़ा सा भी] स्थान नहीं है ।। २२९ ।।

---

१. ज अ; गर्भेण त
२. अ; परिरभ्य ज; परिक्रम्य त
३. त; ज अ में यह श्लोक नहीं

न च[1] सुकुमारताकान्ती कष्टत्वग्राम्यत्वदोषद्वयत्यागादेवाश्रिते न गुणाविति वाच्यं वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात् । अपि च कष्टत्वमोजोव्यञ्जकवर्णवत्त्वं[2] सुकुमारता तु मधुररसव्यञ्जकवर्णवत्त्वं तथा चानयोः परस्पराभावरूपत्वाभावा[4]त्कथं कष्टत्वत्यागात्सुकुमारतापरिग्रहः । एवमविदग्धयुक्तत्वरूपग्राम्यत्वविदग्धप्रयुक्तस्वरूप[3]कान्त्योरपि बोध्यम् । तस्माद् विनिगमनाविरहाद् द्वयोरेव दोषगुणत्वं सिद्धमित्यलं पल्लवितेन । इति शब्दगुणाः ।

सम्प्रत्यालङ्कारिकमूर्धन्यैः कृतापलापानर्थगुणान् प्रकाशयामः ।

और सुकुमारता तथा कान्ति ये गुण कष्टत्व और ग्राम्यत्व इन दो दोषों के परित्याग [रूप अभाव] से ही स्वीकार किये गये हैं इसलिए [दोषाभावस्वरूप होने के कारण] ये गुण नहीं हैं ऐसा [पूर्वपक्षी को] नहीं कहना चाहिए क्योंकि वैपरीत्य नामक पदार्थ की [पृथक् स्थिति] भी आसानी से कही जा सकती है ।

टि०—दार्शनिकों ने वैपरीत्य को भी पृथक् पदार्थ माना है । सुकुमारता और कष्टत्व ये दोनों तथा कान्ति और ग्राम्यत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध होने से विपरीत गुण हैं और इनकी स्थिति भी पृथक् २ है जैसे तेज (चमक) से उलटा तिमिर और तिमिर से उलटा तेज होता है और उनकी स्थिति भी पृथक् होती है उसी प्रकार इन गुणों की भी यही दशा है ।

इसके अतिरिक्त ओज गुण के अभिव्यञ्जक वर्णों वाला होना सुकुमारता है और मधुर रस के व्यञ्जक वर्णों को सुकुमारता कहते हैं तो इन दोनों के एक दूसरे के अभावस्वरूप वाले न बनने के कारण कष्टत्व के त्याग से सुकुमारता का ग्रहण कैसे हो सकता है ? यही नियम मूर्खों से प्रयुक्त स्वरूप वाले ग्राम्यत्व दोष और चतुर व्यक्तियों से प्रयुक्त स्वरूप वाले कान्ति गुण में लागू होता है [अर्थात् इन दोनों के परस्पराभावस्वरूपात्मक न होने से ग्राम्याभाव के अन्दर कान्ति का अथवा कान्त्यभाव के भीतर ग्राम्य का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । इस कारण [विरोधी के पक्ष को सिद्ध करने वाली युक्ति के होने से] दोषत्व और गुणत्व रूप अवच्छेदक धर्म की सत्ता सिद्ध हो गई है । [अतः दोष गुणाभाव स्वरूप नहीं है और गुण दोषाभाव स्वरूप नहीं है इस सिद्धान्त को ही मानना चाहिए] । इस प्रकार अब इसकी और अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार शब्दगुण समाप्त हो गये हैं ।

अब अलङ्कारशास्त्रियों में मूर्धन्य [मम्मट तथा विश्वनाथ आदि] आचार्यों द्वारा अपलपित [स्वीकार न किए गए] अर्थगुणों को हम प्रकाशित करते हैं ।

---

१. त; ननु ज अ

२. ज अ; वर्णत्वं त

३. ज अ; परस्पराभावत्वाभावात् त

४. ज अ; ग्राम्यत्वविदग्धप्रयुक्तत्वरूप यह अंश त में नहीं

तत्र—

क्रमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तिरूपयोगघटनात्मा[1] श्लेषः ॥ १५५ ॥

अस्यार्थः—क्रमः क्रियापरम्परा, कौटिल्यं विदग्धचेष्टितम्। अनुल्वणत्वमस्फुटत्वमुल्वणं विशदं स्पष्टमित्यमरः। उपपत्तिरुपपादकयुक्तिविन्यासः। एषां योगः[2] सम्मिलनं स एव यस्या रूपं घटनायास्तद्रूपः श्लेषः[3]।

यथा—

धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामैतदस्या
नामैवास्यास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः।

टि०—आगे के अर्थगुणों के विस्तारपूर्वक निरूपण से यह सिद्ध हो जाता है कि पूर्वाचार्यों से खण्डित इन शब्दगुणों और अर्थगुणों को ग्रन्थकार आचार्य विश्वनाथ ने स्वीकार किया है। मम्मटादियों ने इन १० शब्दगुणों और १० अर्थगुणों का तीन ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों में अन्तर्भाव कर दिया है किन्तु यह आचार्य इनकी स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। इस प्रकरण में इन्होंने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में प्रतिपादित तीन गुणों के सिद्धान्त को अस्वीकार किया है।

१. श्लेष—काव्य में क्रम, कौटिल्य, अनुल्वणत्व और उपपत्ति इनके सम्मेलन स्वरूप रचना की प्रकृति वाला होना श्लेष कहलाता है ॥ १५५ ॥

क्रियाओं की परम्परा को क्रम कहते हैं और चतुर चेष्टायें कौटिल्य कही जाती हैं। अनुल्वण का अर्थ है अस्पष्ट होना [अर्थात् जहाँ अप्रसिद्ध वर्णन का अभाव होता है वहाँ अनुल्वणत्व गुण होता है]। अमरकोश में उल्वण का पर्याय विशद और स्पष्ट बताया है [इस कारण अनुल्वण का अर्थ अस्पष्ट होता है]। किसी पक्ष को सिद्ध करने वाली युक्तियों का रखना उपपत्ति कहलाता है। इन सबका योग अर्थात् सम्मिलन [मिश्रण] जिस रचना का स्वरूप है उस रूप वाली रचना को श्लेषगुणोपेत माना जाता है।

टि०—श्लेष गुण की यह विस्तृत व्याख्या साहित्यदर्पण (८, १६ वृत्तिभाग) में दी हुई है। वहीं से ग्रन्थकार ने यह अंश लिया है।

[पार्वती महादेव जी से पूछ रही हैं] तुम्हारे सिर पर यह कौन सौभाग्यवती विराजमान है? [महादेव जी का उत्तर] यह शशिकला [चन्द्रकला] है। [पार्वती का प्रश्न] क्या सचमुच [सिर पर बैठी हुई] इस [स्त्री] का यही नाम है? [महादेव जी का उत्तर] इसका वही [जो मैंने अभी बताया है] नाम ही है किन्तु तुम्हें वह मालूम होते हुए भी किस कारण भूल गया है? [पार्वती इस पर

---

१. त; ···पपत्तिरूपघटनात्मा ज अ

२. ज अ; त में योग पद नहीं

३. त; श्लेष पद ज अ में नहीं

नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदिन्दु-
र्देव्या निह्नोतुमिच्छोरपि सुरसरितं शाठ्यमव्याद् विभोर्वः ॥२३०॥

यथा वा—

दर्भाङ्कुरेण चरणक्षत इत्यकाण्डे
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा ।
आसीद् विवृत्तवदना च विमोचयन्ती
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम् ॥ २३१ ॥

इत्यादिषु बहुषु[1] काव्येषु दर्शनाद् गुणत्वं निर्व्यूढमेव ।

कहती हैं] मैं [तुम्हारे सिर पर बैठी हुई] इस नवयुवती को पूछ रही हूँ किन्तु चन्द्रमा को नहीं पूछती हूँ [चन्द्रमा तो मुझे भी अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है] [किन्तु महादेवी जी इसका 'मैं नारी से पूछना चाहती हूँ चन्द्रमा से नहीं' यह अर्थ लेकर उत्तर देते हैं] यदि तुम्हें इस चन्द्रमा पर विश्वास नहीं है] तो बिजया नाम की तुम्हारी सहेली तुम्हें [ठीक २] वतलाये [कि मेरे सिर पर स्थित इस वक्राकार अर्धचन्द्र का नाम चन्द्रकला है या नहीं] । इस प्रकार देवी पार्वती से [सौत बनी देवनदी गङ्गा को छिपाने की इच्छा वाले महादेव जी की धूर्तता आप सामाजिकों की रक्षा करे ॥ २३० ॥

टि०—प्रस्तुत श्लोक मुद्राराक्षस नाटक के आदि में ही मङ्गलाचरण का प्रथम श्लोक है । महादेव जी के सिर पर भगवती भागीरथी की जलधारा के साथ ही उनका मूर्त्त रूप भी विद्यमान है । उस मूर्त्तिमती गङ्गा के सम्बन्ध में पार्वती सौतिया डाह से दुःखी होकर महादेव जी से उसका नाम पूछने का प्रयास कर रही हैं महादेव जी वाक्चातुर्य का प्रयोग कर नाम बताने से बच रहे हैं ।

अथवा जैसे—

दर्भ घास के अग्रभाग से पैर में घाव हो गया है इस प्रकार का बेमौके ही [बहाना बनाकर कष्ट दिखाने के लिए] खुले हुए मुख वाली होकर वह सुन्दरी शकुन्तला कुछ कदम चलने के बाद ही खड़ी हो गई । [छोटे वृक्षों अथवा लताओं की] शाखाओं में न फँसे हुए भी वल्कल वस्त्र को निकालती हुई खोल रही है । ॥ २३१ ॥

इस प्रकार 'धन्या केयम्' तथा 'दर्भाङ्कुरेण' इत्यादि बहुत सी कविताओं में [इन चारों के गुणों के सम्मिलन के] दिखाई पड़ने से श्लेष गुण की यहाँ सिद्धि हो जाती है [क्योंकि श्लेष गुण का सम्पूर्ण लक्षण इन उदाहरणों में घट जाता है] ।

टि०—ग्रन्थकार का कहना है कि इन दोनों पदों में क्रम, कौटिल्य, अनुल्वणत्व एवं युक्ति इन चारों तत्त्वों का सुन्दर रीति से समावेश होने के कारण यहाँ श्लेष गुण है । अतः श्लेष नामक अर्थगुण की पृथक् सत्ता स्वीकार करनी चाहिए ।

---

१. त; बहुकाव्येषु ज प्र

न च वैचित्र्यमात्रमेतन्न[1] गुण इति कस्यचिद् दूषणमस्तीति[2] वाच्यम् । अहो आचार्याणां परगुणद्वेषमहिमा यद्गुणत्वसाधकमेव तद्[3] गुणत्वबाधक[4]तयोपन्यस्यते । यद् वैचित्र्यचमत्कारानुगुण्यस्य गुणत्वसाधकत्वात् । इत्थं च तेषा[5]मन्यदपि वचनमनादरणीयम् ।

यह श्लेष गुण केवल विचित्रता रूप है इस कारण गुण नहीं है इस रूप में जो किसी आचार्य [मम्मट और विश्वनाथ] के द्वारा (इसे गुण मानने में] दोष दिखलाया है [इसलिए इसे गुण नहीं मानना चाहिए] यह नहीं कहना चाहिए।

टि०—आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश (७, ७२ वृत्तिभाग) में क्रमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा श्लेषोऽपि विचित्रत्वमात्रम्—क्रम, कौटिल्य, अनुल्वणत्व, और उपपत्तियों का सम्मिलन रूप जो श्लेष है वह विचित्रतामात्र स्वरूप वाला है यह कहकर इस गुण की पृथक् सत्ता नहीं मानी है इसी प्रकार साहित्यदर्पणकार ने (श्लेषो विचित्रतामात्रम्...परम् । श्लेषः क्रमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा साहित्यदर्पण ८, १६ एवं वृत्तिभाग) मम्मट के शब्दों को दोहरा कर श्लेष गुण को पृथक् नहीं माना है । इन दोनों आचार्यों के मतों की ओर यहाँ ग्रन्थकार का सङ्केत है ।

इन आचार्यों की दूसरों के गुणों के प्रति द्वेष की वह भावना आश्चर्यजनक है [क्योंकि उनके द्वारा] जो गुणों को सिद्ध करने वाली विशेषतायें हैं उनको गुणों के बाधक [नष्ट करने वाली] के रूप में रखा जा रहा है ।

क्योंकि वैचित्र्य रूप चमत्कार की अनुकूलता ही गुणों का साधन होती है [अर्थात् विचित्रता रूप चमत्कार को लाने वाला तत्त्व तो गुण का साधक तत्त्व है वह बाधक नहीं हो सकता] ।

टि०—ग्रन्थकार का कहना है वैचित्र्य या विचित्रता को गुण न मानना आश्चर्यजनक बात है । विचित्रता विध्यात्मक तत्त्व है और चमत्कार को उत्पन्न करता है अतः उसे गुण रूप में मानना चाहिए ।

इस प्रकार इन आचार्यों के दूसरे भी [गुणों को गुण न मानने के पक्ष में कहे गए] वचनों का आदर नहीं करना चाहिए ।

टि०—यहाँ जम्मू और अलवर की प्रतियों में दिए हुए प्रलपतां पद को छोड़कर तिरुपति के 'इत्थं च तेषाम्' पाठ को स्वीकार किया गया है क्योंकि ग्रन्थकार इतने

---

१. ज त; वैचित्र्यमेतन्न गुणः त
२. ज अ; इति दूषणमिति त
३. त; तद् पद ज अ में नहीं
४. ज अ; गुणत्व पद त में नहीं
५. त; प्रलपतां तेषाम् ज अ

अर्थवैमल्यं यावदर्थपदता प्रसादः ॥ १५६ ॥

यथा—काञ्चीपदमिदम्[1] । विमलमणिपदस्याधिक्यात् ।

अवैषम्यं क्रमाभेदः समता ॥ १५७ ॥

यथा—उदेति सवितेत्यादौ[2] ॥ २३२ ॥

अनादर से मम्मट के विरुद्ध नहीं बोलते हैं। इसके आगे ग्रन्थकार ने वामनोक्त अर्थगुणों का लक्षण करते हुए उन्हें सोदाहरण थोड़े परिवर्तन अथवा परिवर्धन के साथ स्पष्ट किया है। वामन ने अर्थगुणों के लक्षण काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति में इस प्रकार दिए हैं—

१. अर्थस्य प्रौढिरोजः । ३, २, २

२. अर्थवैमल्यं प्रसादः । ३, २, ३

३. घटना श्लेषः । ३, २, ४

४. अवैषम्यं समता । ३, २, ५

५. अर्थदृष्टिः समाधिः । ३, २, ६

६. उक्तिवैचित्र्यं माधुर्यम् । ३, २, १०

७. अपारुष्यं सौकुमार्यम् । ३, २, ११

८. अग्राम्यत्वमुदारता । ३, २, १२

९. वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः । ३, २, १३

१०. दीप्तरसत्वं कान्तिः ३, २, १४।

२. प्रसाद—अर्थ की विमलता [स्पष्टता अथवा स्फुटता] और जितने पद हों उनकी सार्थकता को प्रसाद कहते हैं ॥ १५६ ॥

जैसे कि यह काञ्चीपद [इस गुण का उदाहरण है]। क्योंकि इस साथ विमलमणि पद का प्रयोग अधिक ही होगा [और वह निरर्थक भी होगा]।

टि०—काञ्चीपद का अर्थ ही विमलमणियों से विभूषित तगड़ी होता है। इस पद में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने का पूर्ण सामर्थ्य है विमलमणि विशेषण लगा देने से किसी प्रकार का चमत्कार नहीं आता है। किसी पद का अधिक होना एक प्रकार का मल है उसका परित्याग करने से ही विमलता आ जाती है।

३. समता—विषमता का न रहना और क्रम का न तोड़ना समता गुण है ॥ १५७ ॥

जैसे—'उदेति सविता' इत्यादि उदाहरणों में ॥ २३२ ॥

टि०—इस श्लोक में पहले ताम्र पद का प्रयोग किया गया है और बाद में भी ताम्र पद को ही रखा है।

---

१. ज प्र; इदम् पद त में नहीं

२. ज प्र; उदेतीत्यादौ त

केचित्तु समता[1] अवैषम्यं सुगमत्वमिति यावत्[2] । यथा—

केयमवगुण्ठनवती नारी[3]परिस्फुटरूपलावण्या ।
मध्ये तपोधनानां किसलय[4]मिव पाण्डुपत्राणाम् ॥

उक्तेर्वैचित्र्यं माधुर्यम् ॥ १५८ ॥

एकस्यैवार्थस्य[5] भङ्ग्यन्तरेण कथनं तदेव नवीकृतत्वं गुणः । यथा—

अमृतममृतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम् ।

उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥

यहाँ दूसरे ताम्र पद के स्थान पर रक्त पद रखने से विषमता आ जाती है। इस दोष को बचाने के लिए ताम्र पद का दुबारा प्रयोग किया गया है।

कुछ आचार्य तो समता का अर्थ विषमता [कठिनता] राहित्य अर्थात् सरलता यह अर्थ करते हैं। जैसे—

जीर्ण और पीले पत्तों के बीच नई कोपल की तरह इन [बूढ़े और पीताभ] तपस्वियों के बीच घूंघट किये हुए [अतएव] बहुत अच्छी तरह अपनी रूप छवि को न प्रकट करने वाली [अर्थात् रूपसम्पत्ति की झलक भर दिखाने वाली] कौन सुन्दरी है ?

४. माधुर्य—उक्ति की विचित्रता [कहने के ढंग के अनूठेपन] को माधुर्य कहते हैं ॥ १५८ ॥

एक ही बात को प्रकारान्तर से जो कहना है वही नवीकृतत्व नामक गुण है। जैसे—

अमृत अमृत [ही] है [अर्थात् वह अत्यधिक मीठा एवं स्वादिष्ट होता है] इसमें सन्देह की बात ही क्या है ? [यह निर्विवाद है]। शहद भी मीठे होते हैं इसके विपरीत [अर्थात् कड़वे] नहीं हुआ करते हैं और आम का फल भी [मन को] आह्लादित करने वाले रस से भरा हुआ होता है [और बहुत मीठा और स्वादु भी होता है]। किन्तु [दूसरे] रसों के आपसी भेद को जानने वाला [पारखी] व्यक्ति तटस्थ [एवं निष्पक्ष] होकर एक बार तो बतलाये कि क्या इस संसार में प्रेयसी के ओठ से अधिक स्वादिष्ट कोई दूसरी चीज होगी ? [अर्थात् वह भी यदि बतलायेगा तो

---

१. त; समता पद ज अ में नहीं
२. त, इति यावत् ज अ में नहीं
३. त, नाति पद ज अ में नहीं
४. ज अ, किशलयमिव त
५. ज अ, एकस्यभ० त

सकृदपि परं[1] मध्यस्थः सन् रसान्तरविज्जनो
वदतु किमिहान्य[2]त्स्वादु स्यात् प्रियारदनच्छदात् ।। २३३ ।।

अपारुष्यं सौकुमार्यमकाण्डे शोकदायित्वाभावः ।। १५९ ।।

परुषो अर्थः[3] यथा—

सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति लसन्ति[4] नो कङ्काः ।
सरसीव कीर्त्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ।। २३४ ।।

तथा—

वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः ।। १६० ।।

यही कि प्रियतमा के ओठ से बढ़कर और स्वादिष्ट कोई भी वस्तु नहीं है] ।।२३३।।

टि०—यहाँ प्रिया का अधरोष्ठ समस्त उपमानों से अधिक आनन्ददायक है इस बात को विचित्र प्रकार से कहा गया है इस कारण यहाँ माधुर्य गुण है ।

५. सौकुमार्य—अपारुष्य [शोकप्रदायकता का न होना] ही सौकुमार्य है अनवसर में शोकप्रद न होना [इसका अभिप्राय है] ।। १५९ ।।

परुषघटना का उदाहरण जैसे—

[राजपक्ष] कीचड़ भर जिसमें बच गई है [इस कारण सूखे हुए] तालाब की तरह इस भूलोक में राजा विक्रमादित्य के यशोमात्र शेष रह जाने [अर्थात् दिवङ्गत हो जाने] पर वह रसिकता समाप्त हो गई है, क्षुद्र नये नये कवि शोभित हो रहे हैं और बगुले जैसे बनावटी चाटुकार दरबारी कवि क्या शोभा नहीं पा रहे हैं ? [अर्थात् वे शोभा और ऐश्वर्य को प्राप्त हो रहे हैं। । [सरोवर पक्ष] यशःशेष को प्राप्त विक्रमादित्य के समान [पानी सूख जाने के कारण] केवल कीचड़ भर बच जाने पर सरोवर में वह हंसों का होना समाप्त हो गया है [क्योंकि वह अन्यत्र चले गये हैं] । क्या अब वहाँ बगुले नहीं शोभित हो रहे हैं ? और क्या वहाँ कङ्क [एक प्रकार का बगुले से मिलते जुलते मांसाहारी पक्षी] पक्षिगण शोभा नहीं पा रहे हैं ? ।। २३४ ।।

टि०—सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता के मङ्गलाचरण में इस श्लोक को रखा है किन्तु बगुले, कङ्क तथा मृत्यु का वर्णन होने से यहाँ अमङ्गल की अभिव्यक्ति होती है । इस कारण अमांगल्य रूप परुषता आ जाने से यहाँ सौकुमार्य गुण नहीं है । यहाँ ग्रन्थकार ने इस गुण का उदाहरण न देकर प्रत्युदाहरण उपस्थित करके अपनी बात स्पष्ट की है ।

और ६. अर्थव्यक्ति—वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता होने का नाम अर्थ-

---

१. त; जनो ज अ
२. त; यदिहान्यत् ज अ
३. ज अ, परुषो अर्थः त में नहीं
४. ज अ, लसन्ति पद त में नहीं

वस्तुनः स्वभावस्फुटत्वं वर्णनया व्यक्तीकरणं यत्र सा अभिव्यक्तिः।[1]
यथा—

आधाय कोमलकराम्बुजकेलिनाली-
मालीसमाजमधिकृत्य समालपन्ती।
मन्दस्मितेन मयि साचि[2]विलोकितेन
चेतश्चकोरनयना चुलुकीचकार[3] ॥ २३५ ॥

यथा वा—

मृदुकरपरिरम्भारम्भरोमाञ्चितायाः
सरसकिसलयाग्रग्रासशेषार्पणेन।
मृदुमुकुलितचक्षुश्चाटुकारी करीन्द्रः
शिथिलयति रिरंसुः केलिकोपं प्रियायाः[4] ॥ २३६ ॥

व्यक्ति है ॥ १६० ॥

वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता अर्थात् जहाँ स्फुट वर्णन द्वारा किसी बात को अभिव्यक्त किया जाता है उस अर्थ की अभिव्यक्ति अर्थव्यक्ति कहलाती है।

जैसे—मृदुल हस्तकमल की क्रीडा के साथ सखी को पकड़कर सहेलियों के समूह को लक्ष्य करके धीमी मुस्कुराहट के साथ सम्भाषण करती हुई मेरी ओर टेढ़ी नजर से देखने से चकोर के सदृश नेत्रों वाली उस सुन्दरी ने मेरे चित्त को चुल्लू बना दिया [परिणामस्वरूप मैंने उस चित्त रूपी चुल्लू में उसकी रूपमदिरा का सेवन किया] ॥ २३५ ॥

टि०—यहाँ पर नायक नायिका पर पूर्णतया आसक्त हो गया है इस भाव को कवि ने इस वर्णन द्वारा स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर दिया है।

अथवा जैसे—

कोमल सूँड के द्वारा किये गये आलिङ्गन के व्यापार से पुलकित [रूठी हुई] अपनी प्रेमिका हथिनी के प्रणयकोप को—कोमल और अधमुंदी [ईषन्निमीलित] आँखों वाला, खुशामद करने वाला रमणाभिलाषी गजराज रसभरी नई, नई कोपलों के अग्रभाग वाले अधखाये ग्रास को [उसके मुख में] देने से शिथिल कर रहा है [अर्थात् उसके प्रणयकोप को उपर्युक्त विधि से दूर कर रहा है] ॥ २१६ ॥

टि०—यह श्लोक नलचम्पू (६, ४८) से लिया गया है।

---

१ ज अ; वस्तुतः···सा अभिव्यक्तिः यह अंश त में नहीं

२. अ; साति···ज त

३. ज अ, यह श्लोक त में नहीं इसके स्थान पर मधुकरपरिरम्भा इत्यादि अगला श्लोक है।

४. त; ज अ में यह श्लोक नहीं, उसके स्थान पर आधाय इत्यादि पिछला श्लोक है।

इत्यर्थव्यक्ति व्याख्याय स्वभावोक्तावन्तर्भावयन्ति तदबोधविजृम्भितम्। अर्थस्याभिप्रेतस्य वस्तुनो[1] अभिव्यक्तिर्भावाभिव्यक्तिरिति यावदित्यर्थात्। यथा—

यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमाननं त-
दाकृत्तवृन्तशतपत्रनिभं वहन्त्या।
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः॥ २३७॥

अग्राम्यत्वमुदारता[2] ॥ १६१ ॥

यथा—

कामं कन्दर्पचाण्डालो मयि वामाक्षि निर्दयः।
त्वयि निर्मत्सरो दिष्ट्येत्यग्राम्यो[3]ऽर्थो रसावहः॥ २३८॥

इस प्रकार की अर्थव्यक्ति की व्याख्या करके [प्राचीन आचार्य] इसका स्वभावोक्ति में अन्तर्भाव करते हैं। [उनका] यह कार्य अज्ञान का विस्तार है। क्योंकि अर्थ का अभिप्राय है विवक्षित वस्तु। उस विवक्षित वस्तु की अभिव्यक्ति अर्थात् भावों के प्रकटीकरण का नाम अर्थव्यक्ति है।

टि०—वामन ने अर्थव्यक्ति का स्वरूप वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः (का० सू० वृ० ३, २१३) बताया है। किन्तु ग्रन्थकार के अनुसार अर्थव्यक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति के भावों का प्रकाश है। मम्मट तथा विश्वनाथ ने इस अलङ्कार का अन्तर्भाव स्वभावोक्ति अलङ्कार में कर दिया है। किन्तु ग्रन्थकार का कहना है कि स्वभावोक्ति अलङ्कार में किसी पदार्थ के स्वरूप का ज्यों का त्यों वर्णन होता है जबकि अर्थव्यक्ति में उस पदार्थ के हृद्गत भावों की अभिव्यक्ति होती है। इस कारण पदार्थभावाभिव्यक्तिस्वरूपा अर्थव्यक्ति का स्वभावोक्ति में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता क्योंकि वस्तुस्वरूपवर्णन और उसी का भाववर्णन अलग-अलग बातें हैं।

जैसे—

बार २ टेढ़ी की हुई गर्दन से युक्त और [अपने] डंठल से कटे हुए कमल के सदृश मुख को धारण करने वाली, जाती हुई, सुन्दर पलकों वाली उस सुन्दरी ने अमृत और विष दोनों से बुझा हुआ [अर्थात् इन दोनों से सम्पृक्त] कटाक्ष रूपी बाण मेरे हृदय में गहरे रूप में मानों चुभो दिया है॥ २३७॥

७. उदारता—ग्राम्यदोषराहित्य का नाम उदारता है॥ १६१॥

जैसे—

हे सुन्दर नेत्रों वाली सुन्दरि! यह क्रूर कामदेव मेरे ऊपर तो बहुत अधिक

---

१. ज अ; अर्थस्याभिप्रेतवस्तुनो त
२. ज अ; अग्राम्यत्वमुदाहरति त
३. त; दिष्ट्या स ग्राम्योऽर्थो ज अ

प्रौढिरोजः ॥ १६२ ॥
पदार्थे वाक्यरचनं[1] वाक्यार्थे च पदाभिधा ।
प्रौढिर्व्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥

क्रमेणोदाहरणानि—चन्द्र इत्येकपदार्थे—अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः[2] ॥ २३९ ॥

द्वितीयं यथा—कान्तार्थिनी तु या याति संकेतं[3] साभिसारिका ॥
इति[4] बहुषु[5] पदार्थेष्वेकाभिसारिकापदाभिधाने ॥२४७॥

निर्दय है और सौभाग्य से तुम्हारे विषय में ईर्ष्यारहित है [तुम्हारे प्रति कृपालु होने से निर्दयता नहीं दिखाता है]। इस प्रकार यह अग्राम्यार्थ सरसता को उत्पन्न कर देता है ॥ २३८ ॥

टि०—दण्डी ने काव्यादर्श (१, ६४) में पहले ग्राम्य दोष का उदाहरण देकर फिर अग्राम्य अर्थात् सुसंस्कृत उक्ति के उदाहरण के रूप में इस श्लोक को तुरन्त उस के बाद में रखा है। इससे पहले का ग्राम्यदोषसूचक श्लोक इस प्रकार है—

कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम् ।
इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा वैरस्याय प्रकल्पते ॥ —काव्यादर्श १, ६३

८. ओज— प्रौढ़ि को ओज कहते हैं ॥ १६२ ॥

१. पद के प्रतिपाद्य अर्थ [के बोधन] में वाक्य की रचना २. वाक्य के प्रतिपाद्य अर्थ में पद का कथन करना ३. विस्तार या ४. संक्षेप करना और ५. अर्थ का [विशेष रूप से] साभिप्रायत्व [यह पाँच प्रकार की] प्रौढ़ि होती है।

टि०—काव्यप्रकाश (८, ७२ वृत्तिभाग) में यह पङ्क्तियाँ दी हुई हैं।

क्रम से इस प्रौढिगुण के भेदों के उदाहरण दिये जा रहे हैं—

१. पद के अर्थ में वाक्यरचना का उदाहरण—चन्द्र इस एक पद के अर्थ में, इसके बाद द्युलोक के भीतर अत्रि मुनि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति अर्थात् चन्द्र की तरह [इतने बड़े वाक्य की रचना की जाती है] ॥ २३९ ॥

टि०—रघुवंश १, ७६ में यह श्लोक मिलता है—

दूसरे भेद का उदाहरण—जो प्रिय से मिलने की अभिलाषिणी होकर सङ्केत स्थान पर जाती है वह अभिसारिका कहलाती है ॥

इस प्रकार बहुत पदों के अर्थ में एक अभिसारिका पद के कहने पर दूसरे प्रकार की प्रौढि है ॥ २४० ॥

---

१. त, वाक्यरचना ज अ
२. त, ज्योतिरत्रेरिति ज अ
३. त; सङ्केते ज अ
४. ज अ, साभिसारिकेति त
५. त; बहु ज अ

यथा वा—

अस्य ते सरसा वाणी सुधापानाय कर्णयोः।
स्वर्लोकोऽप्ययमेवास्य तन्वि त्वं चेत् प्रसीदसि ॥ २४१ ॥

इत्यत्र

यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्।
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम् ॥

इति वक्तव्ये स्वः पदं कृतमिति।

तथा एकवाक्यार्थस्यानेकवाक्येन प्रतिपादनं व्यासः विस्तारः। अनेकवाक्यार्थस्य एकवाक्येन प्रतिपादनं[२] समासः। क्रमेणोदाहरणम्—

यदेव तनुमध्याया मध्यमालम्ब्य जायते।
तन्निरालम्बनं ज्ञानमसदालम्बनं च तत् ॥ २४२ ॥

अत्र मध्यं नास्तीति वक्तव्ये तथोक्तम्।

अथवा इसका और उदाहरण—

तुम्हारी सरस वाणी इसके कानों के लिए सुधापान [अमृतपान] के लिए होती है [अर्थात् अमृतोपम आनन्द को उत्पन्न करती है]। आप यदि प्रसन्न होते हैं तो यह लोक भी इसके लिए वह स्वर्ग ही है ॥ २४१ ॥

इस स्थान पर—

जो पहले भी दुःख से सम्मिश्रित नहीं हो और जो बाद में भी दुःखपूर्ण न हो और जो स्वयं अपनी इच्छा से लाया हुआ हो अर्थात् जिसको पाने के लिए व्यक्ति स्वयं लालायित रहता है वह सुख 'स्वः' पद का आश्रय है [अर्थात् स्वः पद का वाच्यार्थ इन उक्त विशेषताओं से युक्त सुख है]।

अनेक पदों द्वारा प्रतिपाद्य इतने [बड़े वाक्यार्थ के] प्रतिपाद्य [विवक्षित] होने पर यहाँ 'स्वः' पद का प्रयोग ही पर्याप्त है [अथवा इस विस्तृत अर्थ की अभिव्यक्ति स्वः पद ने ही कर दी है]।

३. व्यास—और एक वाक्य के अर्थ का अनेक वाक्यों से प्रतिपादित करना व्यास अर्थात् विस्तार है।

४. समास—अनेक वाक्यों के अर्थ का एक वाक्य से प्रतिपादन समास कहाता है। क्रम से इन दोनों के उदाहरण [दिये जाते हैं]।

[व्यास का उदाहरण]

पतली कमर वाली उस सुन्दरी के मध्य भाग [कटिप्रदेश] के सहारे जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान निराधार और मिथ्या आलम्बन वाला [होने से अयथार्थ ज्ञान] है ॥ २४२ ॥

यहाँ पर [नायिका का] मध्यभाग है नहीं इस एक वाक्यार्थ को बताने के लिए उस प्रकार से [अनेक वाक्यों के द्वारा] कहा गया है।

समासो यथा—

पतिश्वशुरता ज्येष्ठे पतिदेवरतानुजे।
इतरेषु च पाञ्चाल्यास्त्रितयं त्रितयं त्रिषु॥ २४३॥

अत्रैकवाक्यार्थस्य बहुवाक्यार्थे निबन्धनात् समासः।

दीप्तरसत्वं कान्तिः॥ १६३॥

दीप्ताः शृङ्गारादयौ रसा यस्य स दीप्तरसः तस्य भावो दीप्तरसत्वं कान्तिः। यथा—

प्रेयान्सोऽयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया
द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद् यावन्न यात्युन्मनाः।
तावत्प्रत्युत पाणिसम्पुटगलन्नीविनिबन्धं धृतो
धावित्वैव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः। २४४।

समास का उदाहरण—

[पांचों पाण्डवों की पत्नी] द्रौपदी का सबसे बड़े [युधिष्ठिर] में पतिभाव और श्वशुरभाव दोनों हैं, और [सबसे] छोटे भाई सहदेव में पतिभाव और देवर का सम्बन्ध दोनों हैं। और दूसरे तीनों [भीम, अर्जुन और नकुल नाम के भाइयों] में तीन २ सम्बन्ध [अर्थात् श्वशुरत्व, पतित्व और देवरत्व] हैं॥ २४३॥

टि०—नववधू के लिए अपने पति का बड़ा भाई धर्मपिता के समान पूजनीय होने से श्वसुर होता है। इस कारण अपने पति भीम के बड़े भाई होने के कारण युधिष्ठिर श्वसुर भी हैं और सीधे रूप से पति होने से पति भी हैं। इस कारण उनके साथ द्रौपदी का श्वसुर और पति रूप से दो प्रकार का सम्बन्ध है। पाण्डवों में सबसे छोटे भाई सहदेव के साथ द्रौपदी का पतिभाव और देवरभाव है। अर्जुन के बड़े भाई होने के कारण द्रौपदी के लिए भीम श्वसुर भी हैं। पति रूप से सीधा सम्बन्ध होने से पति भी हैं और युधिष्ठिर के छोटे भाई होने के कारण देवर भी हैं। इसी प्रकार अर्जुन और नकुल के साथ भी द्रौपदी का श्वसुर, पति और देवर के रूप में सम्बन्ध बना हुआ है।

यहाँ बहुत सारे वाक्यार्थों में एक वाक्यार्थ के प्रयोग के कारण समास है।

६. कान्ति—रसों का दीप्त [उज्ज्वल] रूप में होना कान्ति है॥ १६३॥

जिसके भीतर शृङ्गारादि रस दीप्त होकर रहते हैं वह दीप्त रस है उसका भाव दीप्तरसता कहलाता है यही दीप्तरसता कान्ति नामक गुण है।

नायिका ने [मैं सत्य कहता हूँ कि मैं अब कभी किसी अन्य स्त्री के पास नहीं जाऊँगा इस प्रकार की] शपथपूर्वक [पूर्वापराध की क्षमाप्राप्ति के लिए उसके] पैरों पर झुके हुए उस अत्यन्त प्रेमास्पद प्रियतम को फटकार दिया, जिससे खिन्न होकर [वह निरुपाय एवं विवश होने के कारण चल दिया परन्तु] जब तक दो तीन पग भी नहीं चल पाया था कि तब तक [सम्भोग की उत्कट अभिलाषा के

तथा—

अर्थदृष्टिरूपः समाधिः ॥ १६४ ॥

अर्थो[1] द्विविधः—अयोनिरन्यच्छायायोनिश्च । क्रमेण यथा—

आस्वपेहि मम सीधुभाजनाद्
यावदग्रदशनैर्न दश्यसे
चन्द्र मद्दशनमण्डलाङ्कितः
खं न यास्यसि हि रोहिणीभयात् ॥ २४५ ॥

यथा वा—

सद्यो मुण्डितमत्तहूणचुबुकप्रस्पर्द्धि नारङ्गकम् ॥ २४६ ॥

कारण] खुलती हुई नीवी [लहँगे या पेटीकोट की गाँठ] को [प्रणाम करने के लिए जोड़े हुए] हाथों से थामे हुए और प्रणाम करते हुए दौड़कर उसको रोक लिया गया । आश्चर्य है कि प्यार के रास्ते निराले हैं ॥ २४४ ॥

टि०—यह श्लोक काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति (३, २, १५) तथा काव्यप्रकाश (४, ९८) में दिया हुआ है ।

और अर्थ के दर्शन को समाधि कहते हैं ॥ १६४ ॥

अर्थ दो प्रकार का होता है—१. अयोनि और २. अन्यच्छायायोनिः ।

टि०—अयोनि का अर्थ है बिना कारण अर्थात् बिना किसी अन्य कवि की रचना से प्रेरणा पाकर लिखी हुई रचना । ऐसे अर्थ में बिलकुल नई कल्पना होती है । अन्यच्छायायोनि वह अर्थ है जिसमें दूसरे अर्थ की छाया ली गई हो ।

क्रम से दोनों के [उदाहरण, पहला अयोनि का उदाहरण]

[मदिरापात्र में प्रतिबिम्बित] हे चन्द्र ! मेरे इस मदिरापात्र [को छोड़कर यहाँ] से जल्दी भाग जाओ ! जब तक [प्रिया का या प्रिय का मुख समझकर] मैं तुम्हें अपने दाँतों से न काट लूँ [उसके पहले ही यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा है । नहीं तो फिर] मेरे दाँतों के द्वारा [काटने से बनाये] मण्डलाकार दन्तक्षत के चिह्नों से अङ्कित होकर अपनी प्रिया रोहिणी [को यह दन्तक्षतयुत मुख कैसे दिखाओगे ? उस] के भय से [दुबारा यहाँ से लौटकर] आकाश को भी न जा सकोगे ॥ २४५ ॥

टि०—यह कवि की अपनी अनूठी कल्पना है इसी को अयोनि अर्थ कहते हैं काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति (३, २, ८ श्लोक ७) में भी यह श्लोक है ।

अथवा और उदाहरण—

तुरन्त मूँडे गये मत्त हूण की ठोड़ी का स्पर्धालु नारङ्गी [का फल] है ।२४६।

टि०—यहाँ सद्योमुण्डितमत्तहूणचुबुक से नारंगी की उपमा दी है । नारंगी का रंग गहरा लाल होता है । हूणों (पठानों) का रंग भी लाल होता है । उनके

---

1. ज अ: अर्थोऽपि च

द्वितीयो यथा—

निज[1]नयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि वहुशः प्रतारिता कापि ।
नीलोत्पलेऽपि विमृशति करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥ २४७ ॥

अत्र नयनोत्पलयोः सादृश्यमन्येनापि वर्णितमित्यन्यच्छायायोनिः । इत्याद्यास्वादोत्कर्षहेतूनामपलापः कर्तुमयोग्यः पूज्यपादानाम् । तदुक्तम्—

गुणस्फुटत्वसाकल्यं काव्यपाकं प्रचक्षते ।
चूतस्य परिणामेन स चायमुपमीयते[2] ॥
सुप्तिङ्संस्कारसारं यत्क्लिष्टवस्तुगुणं भवेत् ।
काव्यं वृन्ताकपाकं स्याज्जुगुप्सन्ते जनास्ततः ॥

मुख पर शराब से मत्त होने से और भी लालिमा आ जाती है। का० सू० वृ० (४, २, २ श्लोक २) तथा साहित्यदर्पण (८, १६ वृत्तिभाग) में यह उदाहरण मिलता है।

दूसरा [अन्यच्छायायोनि का उदाहरण] जैसे—

कोई मालिन पानी में अपने नेत्रों की छाया से बहुत बार धोखा खा लेने पर [अर्थात् नेत्रों के प्रतिबिम्ब में मुझे कमलों की भ्रान्ति हो गई है ऐसा बोध हो जाने पर वास्तविक नीलकमल पर भी हाथ लगाते समय सोचती है [क्योंकि उसे यह आशङ्का होती है कि कहीं यह भी मेरी आँखों का प्रतिबिम्ब न हो और पहले की तरह यहाँ भी मेरा श्रम व्यर्थ न हो जाय ॥ २४७ ॥

यहाँ नेत्रों और नीलकमलों की समानता दूसरे कवि के द्वारा भी वर्णित है इस कारण यह [दूसरे की छाया नकल या प्रभाव से उत्पन्न होने से] अन्यच्छाया-योनि का उदाहरण है। इस प्रकार के अन्य भी उत्कृष्ट रसास्वाद के हेतुभूत [किन्तु अन्यच्छायायोनि के कारण किञ्चित् अपकर्ष को प्राप्त] उदाहरणों में पूज्यचरण कवियों की निन्दा करनी उचित नहीं है [इन्होंने यह भाव अमुक स्थान से चुराया है है ऐसा कहना ठीक नहीं है]।

[काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति ३, २, १५ श्लोक १-३ में वामन ने] यह कहा है —

गुणों की स्फुटता और पूर्णता को काव्यपाक कहते हैं और आम्रपाक के साथ उसकी उपमा दी जाती है।

जिसमें सुप्, तिङ् का संस्कारमात्र सार [तत्त्व] हो [अर्थात् व्याकरण को पढ़कर ही जिसे बनाया गया हो और वस्तुगुण [अर्थगुण] क्लिष्ट [अस्फुट] हो वह काव्य वृन्ताकपाक [कद्दू या वैंगन के पाक के समान पाक वाला] होता है और सहृदय लोग उससे घृणा करते हैं या घबराते हैं।

---

१. ज अ, विवृत…त
२. तु; चायमनुमीयते ज अ

गुणानां दशतात्यक्तो यस्यार्थस्तदपार्थकम् ।
दाडिमानि दशेत्यादि न विचारक्षमं वचः ।

जिस [काव्य] का अर्थ [वर्ण्य वस्तु] दसों [प्रकार के शब्दगुणों तथा अर्थगुणों से रहित हो वह काव्य व्यर्थ है [दाडिमानि अर्थात् दाडिमु अपूप, वदरिका आदि दस पदों को महाभाष्यकार ने अनर्थक पदों के उदाहरण के रूप में दिया है जैसे वे निरर्थक पद हैं ऐसे ही ये गुण भी निरर्थक होते हैं यह मानकर चलने वाले कवियों की] दस अनार इत्यादि [अनर्थक पदों] के समान वह [कवि की निर्गुण] वाणी अर्थात् काव्य विचार के योग्य नहीं है ।

टि० वामन ने अनेक काव्यपाकों में से आम्रपाक और वृन्ताकपाक का यहाँ उल्लेख किया है । काव्यमीमांसा में (प्रथमाधिकरण के पाँचवें अध्याय की समाप्ति पर) राजशेखर ने इन ९ प्रकार के काव्यपाकों का वर्णन किया है—

स (पाकः) च कविग्रामस्य काव्यमभ्यस्यतो नवधा भवति । तत्र १. आद्यन्तयोरस्वादु पिचुमन्दपाकम् २. आदावस्वादु परिणामे मध्यमं बदरपाकम् ३. आदावस्वादु परिणामे स्वादु मृद्वीकापाकम् ४. आदौ मध्यमन्ते चास्वादु वार्ताकपकम् ५. आद्यन्तयोर्मध्यमं तिन्तिडीकपाकम् ६. आदौ मध्यममन्ते च स्वादु सहकारपाकम् ७. आदावुत्तममन्ते चास्वादु क्रमुकपाकम् ८. आदावुत्तममन्ते मध्यमं त्रपुसपाकम्, ९. आद्यन्तयोः स्वादु नारिकेलपाकमिति । यह बताने के बाद वहीं यह बताया गया है कि इनमें तीन पाकों का वह पाक कविता का अभ्यास करने वाले कवियों की रचना में नवविध होता है । उनमें १. आदि और अन्त में जो अस्वादु हो वह पिचुमन्दपाक होता है २. जो पहले अस्वादु हो और परिणाम में मध्यम हो वह बदरपाक कहाता है । ३. जो पहले अस्वादु हो और परिणाम में स्वादु हो वह द्राक्षापाक कहाता है । ४. जो पहले मध्यम हो और अन्त में अस्वादु हो उसकी सञ्ज्ञा वार्ताकिपाक है ५. जो आदि और अन्त में हो उसे माध्यम तिन्तिडीकपाक कहते हैं ६. सहकार (आम्र) पाक वह होता है जो पहले मध्यम और अन्त में स्वादु हो ७. जो पहले उत्तम और अन्त में अस्वादु हो वह क्रमुकपाक कहाता है ८. आदि में उत्तम और अन्त में मध्यम हो उसका नाम त्रपुस (ककड़ी) पाक है । ९. जो पहले और पीछे स्वादु होता है उसको नारिकेलपाक कहते हैं ।

इनमें तीन २ पाकों का एक २ गण होता है जैसे पिचुमन्द, (नीम) बदर, (बेर), मृद्वीका (द्राक्षा) पाकों का एक गण और वार्ताक (बैंगन) तिन्तिडीक (इमली) सहकार पाकों का दूसरा गण हुआ । क्रमुक (सुपारी) त्रपुस (ककड़ी) नारिकेल पाकों का तीसरा गण । इस तरह तीन गण हुए ।

इन ९ प्रकार के पाकों में से १, ४, ७ अर्थात् १ पिचुमन्दपाक, ४. वार्ताकपाक ७. और क्रमुकपाक इन तीन को त्याज्य २, ५, ८ अर्थात् २ बदरपाक ५.

यत्तु कैश्चिदुक्तम्—केचिदन्तर्भवन्त्येष्विति तन्न । शब्दार्थधर्माणां गुणानां रसधर्मेषु तेष्वन्तर्भावाभावात्[1] । यदपि दोषत्यागात् परे श्रिता इति तदपि मन्दम् । दोषा एव गुणाभावाः सन्तु वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात् तथा च विनिगमनाविरहाद् द्वावपि गुणदोषौ पृथक् । यदप्युक्तम्—अन्ये भजन्ति दोषत्वं तदपि [अयुक्तम्][2] वक्त्रौचित्यवशाद् द्वयोरप्यन्यथात्वमभ्युपगतमेवेत्युपरम्यते ।

तिन्तिडीकपाक और ८. त्रपुसपाक इन तीन को संस्कार्य तथा ३, ६, ९ अर्थात् ३ मृद्वीकापाक ६ सहकारपाक ९ और नारिकेलपाक इन तीन को उपादेय माना है । सुवर्ण के १२ रंग होते हैं किन्तु जब उसमें अग्नि का संस्कार हो जाय तब वह सुवर्ण सुवर्ण है । जिस काव्य में किसी भी तरह का पाक नहीं उसे कपित्थ (कैथ) पाक कहते हैं । वामन ने इन नौ में से केवल आम्रपाक और वृन्ताकपाक का ही उल्लेख किया है ।

जो तो किन्हीं [मम्मट आदि] आचार्यों ने कहा है—'कुछ गुण इन्हीं [ओज, प्रसाद, माधुर्य गुणों] में अन्तर्भूत हो जाते हैं ।

टि०—आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश (८, ७२) में 'तीन ही गुण क्यों होते हैं दस क्यों नहीं इस मत के प्रतिपादनार्थ यह कारिका लिखी हैं—

केचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः ।
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश ।।

इन (वामन के दस गुणों) में से कुछ तो इन (माधुर्य, ओज और प्रसाद रूप तीन गुणों) में अन्तर्भूत हो जाते हैं और २. कुछ दोषाभाव रूप होते हैं तथा ३. कुछ गुण न होकर दोषरूप हो जाते हैं, इसलिए दस (गुण) नहीं माने जा सकते हैं ।

इस कारिका में दिये हुए—'केचिदन्तर्भवन्त्येषु', 'दोषत्यागात्परे श्रिताः' 'अन्ये भजन्ति दोषत्वम्' इन तीनों खण्डों को पृथक् २ लिखकर एक एक का खण्डन किया है

[ग्रन्थकार की ओर से कहा जा रहा है उनका] यह मत ठीक नहीं है । क्योंकि शब्द और अर्थ के धर्मभूत इन [१० शब्दगुणों और १० अर्थ गुणों] का रस के धर्म उन [ओज, प्रसाद और माधुर्य] गुणों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है और जो कुछ गुण दोषाभाव रूप होते हैं यह कहा है वह भी [मत] निर्बल है [यदि यह कहा जाय कि दोषाभाव का नाम गुण है तो] दोष ही गुणाभावस्वरूप है [अर्थात् गुणाभाव का ही नाम दोष है] इस प्रकार की विपरीत युक्ति भी सरलतापूर्वक कही जा सकती है और इस प्रकार कोई अनुकूल तर्क न होने के कारण इन गुण दोष दोनों को पृथक् पृथक् मानना चाहिए ।

और यह जो कहा है—कुछ [समता आदि] गुण न होकर दोष रूप हो जाते हैं [अतः समतादि गुणों की पृथक् सत्ता नहीं] है ।

---

१. संशोधित, तेष्वन्तर्भावात् ज अ त

२. संशोधित, ज अ त में नहीं

इति श्रीविश्वनाथदेवविरचिते[1] साहित्यसुधासिन्धौ गुणनिर्णयो नाम षष्ठस्तरङ्गः ।

उपर्युक्त यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि वक्ता के औचित्य से उन [दोषाभाव और दोष रूप] दोनों प्रकार के गुणों का अन्यथाभाव [गुणाभाव और गुणत्व] भी स्वीकार किया गया है ।

टि०—जैसे 'मातङ्गाः किमु वल्गितैः' (काव्यप्रकाश ७,३००) इत्यादि में सिंह का वर्णन करने में तृतीय चरण में कोमल मार्ग का परित्याग गुण हो गया है यदि उसका परित्याग न करके मार्गभेद रखा जाता तो वह वहाँ दोष हो जाता । इसलिए समता को गुण नहीं माना जा सकता है । कष्टत्व तथा ग्राम्यत्व के दोष कहे जाने से उनके परित्याग द्वारा क्रमशः अपारुष्य रूप सौकुमार्य तथा औज्वल्यरूप कान्ति गुण भी दोषाभाव रूप से स्वीकृत कर लिये गये हैं इसलिए दस शब्द गुण मानना उचित नहीं है यह आचार्य मम्मट का मत यहाँ पूर्वपक्ष है ।

इस विधि से इस प्रसङ्ग को यहीं समाप्त किया जा रहा है ।

टि०—मम्मट ने १. जिन गुणों को दोष रूप में स्वीकार किया है वे और २. जिन गुणों को दोषाभाव के रूप में माना है वे—ये दोनों ही प्रकार के गुण वक्ता के औचित्य से अन्यथा हो जाते हैं अर्थात् जिन्हें दोषाभावस्वरूपात्मक गुण माना जा रहा है वह गुण वक्ता के औचित्य से गुणाभाव रूप भी हो सकते हैं । इसी प्रकार जो गुण दोष रूप में माने जा रहे हैं वे भी वक्ता आदि के औचित्य से गुण रूप में हो सकते हैं ।

इस प्रकार श्रीविश्वनाथदेवविरचित साहित्यसुधासिन्धु में गुणनिर्णय नाम की षष्ठ तरङ्ग समाप्त हुई ।

—०—

---

१. त, इति···विरचिते यह अंश ज अ में नहीं

सप्तमस्तरङ्गः

अवसरसङ्गत्या अलङ्कारनिरूपणे प्रस्तुते पुरःस्फूर्त्तिकत्वाच्छब्दालङ्कारानाह—

तत्र शब्दालङ्कारत्वं शब्दमलङ्कृत्य रसोपकारकत्वम् ॥ १६५ ॥

सामान्यलक्षणं तु प्रागुक्तमनुसन्धेयम् ।

अवसर की उपयुक्तता की दृष्टि से अलङ्कारों के प्रतिपादन [की बारी] उपस्थित होने पर पहले प्रतीति होने के कारण शब्दालङ्कारों को ग्रन्थकार [पहले] कहते हैं ।

टि०—ग्रन्थकार पहले भोजदेव के सरस्वतीकण्ठाभरण के 'अदोषं गुणवत् काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्' इत्यादि काव्यलक्षण (पृ० ६) का अपनी ओर से प्रतिपादन कर चुके हैं । इसमें क्रमशः दोष, गुण और अलङ्कार की काव्य में स्थिति मानी गई है । पञ्चम और षष्ठ तरङ्ग में दोष और गुण को बता देने पर अलङ्कारनिरूपण का अवसर आने से इस तरङ्ग में अलङ्कारों का निरूपण किया जा रहा है । अलङ्कारों में भी पहले शब्दालङ्कारविवेचन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शब्दालङ्कार का ज्ञान श्लोक को पढ़ते ही हो जाता है इसके विपरीत अर्थालङ्कारों का ज्ञान शब्दश्रवणानन्तर ही अर्थ का ज्ञान होने पर होता है । इसलिए ग्रन्थकार पहले ज्ञात हो जाने वाले शब्दालङ्कारों का यहाँ पहले प्रतिपादन करते हैं ।

इन [शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार नाम के] भेदों में शब्द की शोभा बढ़ाकर रस का उपकार करना ही शब्दालङ्कारत्व है ॥१६५॥

टि०—इस लक्षण के अनुसार शब्द की शोभा बढ़ाकर फिर रस की शोभा को उत्पन्न करने वाले तत्त्व अलङ्कार कहलाते हैं । यह अलङ्कार का विशेष लक्षण है ।

अलङ्कारसामान्य अर्थात् अलङ्कारमात्र का लक्षण तो पहले [षष्ठ तरङ्ग पृ० ३२९-३३० पर गुणविशिष्टकाव्यशोभाकारिणो अलङ्काराः इस रूप में] बता दिया है उसको वहीं देखकर समझ लेना चाहिए ।

तद्भेदानाह—

वक्रोक्तिः स्यादनुप्रासो यमकश्लेषचित्रयुक्[1] ।
पुनरुक्तवदाभासः शब्दालङ्कृतयस्तु षट् ॥ १६६ ॥

क्रमेण लक्षणोदाहरणानि—

वक्त्रा यदन्यथोक्तं व्याचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः ।
वचनं यत्पदभङ्गै र्ज्ञेयासौ श्लेषवक्रोक्तिः ॥ १६७ ॥

यथा—

सखे सदैव सेव्येयं भव्या सुरतरङ्गिणी ।
अद्याप्येवमविद्यायास्त्वं वशी मा वशीभव ॥ १४८ ॥

विस्पष्टं क्रियमाणादक्लिष्टा स्वरविशेषतो भवति ।
अर्थान्तरप्रतीति[2]र्यत्रासौ काकुवक्रोक्तिः ॥ १६८ ॥

इन [शब्दालङ्कारों] के भेद ग्रन्थकार कहते हैं—

१. वक्रोक्ति, २. अनुप्रास, ३. यमक, ४. श्लेष, चित्रयुक्त अर्थात् चित्रालङ्कार और ६. पुनरुक्तवदाभास यह [शब्दालङ्कार) हैं ॥१६६॥

क्रम से इन अलङ्कारों के लक्षण और उदाहरण [दिये जाते] हैं।

१. श्लेषवक्रोक्ति—वक्ता ने जो कुछ और बात कही होती है उसका उत्तर देने वाला जब उसका पद भङ्ग करके और प्रकार से अर्थ लगाकर उसका उत्तर देता है तब इस प्रकार की उक्ति श्लेषवक्रोक्ति समझनी चाहिए ॥१६७॥

जैसे—

हे मित्र ! यह रमणीय देवनदी गङ्गा हमेशा ही सेवन करने योग्य है ?

[उत्तरदाता कहता है] जितेन्द्रिय तुम अब तो अविद्या [अज्ञान] के वश में मत होओ ॥२४८॥

टि०—मित्र के 'सुरतरङ्गिणी' इस पद के कहने पर सुनने वाले मित्र ने इस पद को तोड़कर (सुराणां तरङ्गिणी यह अभिलषितार्थ न लेकर) सुरते रङ्गिणी अर्थात् सुरत काल में मनोरञ्जन करने वाली यह दूसरा अर्थ ले लिया है। इस अर्थ को लेकर वह अपने मित्र से उत्तर देते हुए कह रहा है—यह सुरत में सदा आनन्द देने वाली सुन्दरी सदा सेवनीय है ? तुम्हें ऐसी अविद्यापूर्ण बातें नहीं कहनी चाहिए।

१. काकुवक्रोक्ति—जहाँ अत्यन्त स्पष्ट रूप से किये गये विशेष प्रकार के स्वर अर्थात् उच्चारण के अक्लिष्ट [अर्थात् किसी प्रकार की कल्पना किये बिना नितान्त सरल] अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है, वहाँ काकुवक्रोक्ति अलङ्कार माना जाता है ॥१६८॥

---

१. ज अ; चित्रयुक्तम् त
२. ज अ; प्रतीतेर्ज्ञेया त

क्रियमाणात् उच्चार्यमाणात् ।

यथा—

शल्यमपि स्खलदन्तः सोढुं शक्येत हालाहलदिग्धम् ।
धीरैर्न पुनरकारणकुपितखलालोकटुवचनम्' ॥ २४९ ॥

अत्रान्येनेति विवक्षणात् स्वोक्तेः स्वयमन्यथाकरणे अपह्नुतौ नातिव्याप्तिः । सा यथा—

काले पयोधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम् ।
उत्कण्ठितासि तरले न हि न हि सखि पिच्छिलः पन्थाः ॥

यहाँ 'क्रियमाणात्' पद का अर्थ है उच्चार्यमाण होने से ।

जैसे—

अपने वक्षःस्थल पर मर्मभेदी हालाहल विष में बुझे हुए [अत एव अत्यन्त विषैले] एवं [हृदय के] अन्तर्भाग [मर्मस्थल] को बींधने वाले बाण [के प्रहार] को तो धैर्यशाली पुरुषों के द्वारा सहन कर लिया जाता है किन्तु उनसे बिना कारण ही कुपित हुए दुष्टों का कठोर वचन नहीं सुना जा सकता ॥२४६॥

टि०—यहाँ काकु से अर्थात् भिन्न प्रकार की गले की आवाज़ से 'शल्यमपि' पर बल दिया जाय और न पुनः को भी ज़ोर से कहा जाय तो खलालीकटुवचन-दुःसहता अर्थात् दुष्ट पुरुषों के दुर्वचनों को न सहन कर पाने का अर्थ निकलता है । यदि पूर्वार्ध की पङ्क्ति को हल्के स्वर में और उत्तरार्ध की पङ्क्ति को बल देकर कहें तो खलवचन की सुसहता प्रकट होती है । अर्थात् जो सज्जन कठोर बाणों को सहन कर लेते हैं वह खलवचनों को सहन कर ही सकते हैं । किन्तु ऐसे काकुयुक्त प्रयोग प्रायः 'बाण का प्रहार तो सहा जा सकता है किन्तु दुर्जनों की कटूक्तियाँ नहीं' इसी तरह के भाव को व्यक्त करने के लिए कहे जाते हैं ।

यहाँ [इस काकुवक्रोक्ति के लक्षण में] अन्येन इस पद की विवक्षा है [अतः इसका भी समावेश होना चाहिए था] इस कारण जहाँ स्वयं अपनी उक्ति का अन्यथाकरण दूसरा अर्थ बताया जाता है ऐसी अपह्नुति में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी [अपह्नुति में जो बोलने वाला है वही अपनी उक्ति को दोहरा कर दूसरा अर्थ बता देता है] ।

उस [अपह्नुति का उदाहरण] जैसे—

[नायिका की सखी के प्रति उक्ति] बादलों के समय में [अर्थात् वर्षा ऋतु में] बिना पति के [अपतितया—पतिराहित्य तथा बिना गिरी हुई होकर] नहीं रहा जा सकता ? [सखी का उत्तर] हे चञ्चल सुन्दरी । [क्या तुम पति के लिए] उत्कण्ठित हो [और इसी लिए कहती हो कि पति के अभाव में कोई नहीं रह सकता] । [नायिकोक्ति—सखी मेरा यह आशय नहीं है किन्तु] यह रास्ता पङ्कयुक्त है [यह मैं बता रही हूँ] ।

अथानुप्रासः—

आवृत्ति र्यदि वर्णानामन्यत्र यमकाद् भवेत् ।
अदूरे भूरिभाव्योऽसावनप्रासो निगद्यते ।। १६९ ।।

तत्त्वं च यमकान्यत्वे सति अदूरतया व्यञ्जनावृत्तित्वम् । न च यमकेऽप्यनुप्रासान्यत्वे सतीति विशेषणादन्योन्याश्रय इति वाच्यम् । एकार्थप्रतिपादकत्वराहित्ये सति विरुद्धानुपूर्वीराहित्यादिना यमकलक्षणं स्थिरीकृत्य

टि०—'अपतितया' शब्द का बोलते समय अर्थ था—पति की उपस्थिति के बिना कौन नायिका वर्षा ऋतु में अकेली रह सकती है। यही अर्थ लेकर सखी के द्वारा प्रश्न करने पर बात खुल जाने के डर से नायिका ने 'अपतितया' का दूसरा अर्थ (बिना गिरी) बताकर स्वयं ही पहली बात का निषेध कर दिया है इस कारण यहाँ अपह्नुति है किन्तु काकुवक्रोक्ति में सुनने वाला दोहरा कर दूसरा अर्थ बताता है। गोविन्दठक्कुरकृत प्रदीप की उद्योत टीका में इस सम्बन्ध में यह पङ्क्ति दी है—अन्येन श्रोत्रेत्यर्थः। स्वयमेवान्यथाकरणेऽपह्नुतिं वक्ष्यति ।। पृ० ४०५, सन् १९२९, आनन्दाश्रम संस्करण पूना ।

इसके बाद अनुप्रास [का लक्षण किया जाता] है ।

यदि यमक से अन्यत्र वर्णों की आवृत्ति हो जाय तो समीप २ बार २ [होने वाली वर्णों की आवृत्ति से निष्पन्न] होने वाला अनुप्रास अलङ्कार कहलाता है ।।१६९।।

और इसका सार [भूत—परिनिष्ठित लक्षण यह] है कि यमकालङ्कार से भिन्नता होते हुए समीप २ व्यञ्जन वर्णों की आवृत्ति का होना ही अनुप्रासत्व [अनुप्रास का लक्षण] है ।

[शङ्का] यमक के लक्षण में भी अनुप्रासान्यत्व [अनुप्रास से भिन्न होना] यह विशेषण होने पर [अर्थात् अनुप्रासान्यत्वं यमकत्वम् इस प्रकार का लक्षण मानने पर अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि यदि 'यमकादन्यत्र वर्णानामावृत्तिरनुप्रासः इस रूप में अनुप्रास का लक्षण किया जाता है तो संक्षेप में यमकान्यत्वमनुप्रासत्वम् यह अनुप्राससामान्य का लक्षण हो जायेगा इसी प्रकार 'अनुप्रासान्यत्वम् यमकत्वम्' यह यमकालङ्कार का लक्षण बन जाने से अन्योन्याश्रय दोष आता है (परस्परसापेक्षत्वमन्योन्याश्रयत्वम्) । किन्तु यह दोनों अलङ्कार पृथक् २ होने से परस्परसापेक्ष तो हैं नहीं इसलिए अनुप्रास का यह लक्षण ठीक नहीं ।

[सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को] इस प्रकार नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ 'एकार्थप्रतिपादकत्वराहित्ये सति विरुद्धानुपूर्वीराहित्यम् [एकार्थ की प्रतिपादकता न होने पर सार्थक होने पर भिन्नार्थक, और एक सार्थक और एक निरर्थक होने पर अथवा दोनों ही के निरर्थक होने पर अविरुद्ध स्वरूप और क्रमादि

तदन्यत्वस्य विवक्षितत्वात् ।

छेकवृत्तिगतत्वेन द्विविधोऽसौ प्रकीर्तितः ।

छेकानुप्रासो वृत्त्यनुप्रासश्च । छेको विदग्धः । तद्वल्लभत्वाच्छेकोऽनुप्रासः । केचित्तु गृहासक्ताः पक्षिमृगाः[1] छेका इत्यमरः[2] तथा च छेकवद् वल्लभत्वाच्छेकानुप्रास इत्याहुः । वृत्तिर्माधुर्यादिगुणव्यञ्जिका,[3] तत्तदानुपूर्वीरूपा । गतो ज्ञातः । आभ्यामुपाधिभ्यामिति शेषः ।

वाले अर्थात् ज्यों के त्यों दोहराये जाने वाले होना] यह यमक का लक्षण स्थिर करके ही यमक से भिन्नता की [अनुप्रास के लिए] विवक्षा है ।

छेकगत और वृत्तिगत होने से वह अनुप्रास दो प्रकार का होता है ।

टि०—सिद्धान्ती का अभिप्राय है कि यमक और अनुप्रास यह दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होकर रहने वाले नहीं हैं अर्थात् यमकाभाव का नाम अनुप्रास और अनुप्रासाभाव का नाम यमक है इस रूप में इनकी स्थिति नहीं है अपितु यह दोनों अलङ्कार परस्परनिरपेक्ष होने से अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाले होते हैं । आगे दिये गये यमक के परिनिष्ठित लक्षण में यमक में आवृत्त पदों के द्वारा एक ही अर्थ को नहीं बताया जाता और इन आवृत्त पदों में स्वरूप और क्रम ये दोनों समान होते हैं इन दो व्यावर्तक धर्मों को बताकर यमकालङ्कार अनुप्रास से पृथक् है ऐसा बताया है । अनुप्रास और यमक दोनों में पदों और वर्णों की आवृत्ति होती है इस रूप में समानता है किन्तु इन दो धर्मों की सत्ता यमक में ही होने से अनुप्रास में यमकान्यत्व या यमकभिन्नता है यही अन्यत्व का अभिप्राय है ।

[इस प्रकार यह दो भेद] छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास हैं । छेक का अर्थ है चतुर । उनका प्रिय होने से यह छेकानुप्रास कहलाता है । कुछ विद्वान् तो घर में रहने वाले पालतू पक्षी और हरिणादि पशुओं को अमरकोश में छेक बताया गया है और क्योंकि यह अलङ्कार छेक [पालतू पशु पक्षी] की भाँति प्रिय होता है इसलिए यह छेकानुप्रास है—ऐसा कहते हैं ।

माधुर्यादि गुणों को अभिव्यक्त करने वाली और उन २ वर्णों की आनुपूर्वी अर्थात् एक ही स्वरूप और क्रम वाली वृत्ति [वाक्यरचना की शैली] होती है ।

[छेकवृत्तिगतत्वेन इस कारिकांश में प्रयुक्त] गतः पद का अर्थ है ज्ञात । इस कारिका के साथ आभ्यामुपाधिभ्याम् इतना अंश और होना चाहिए था । इसे जोड़कर छेक और वृत्ति से इन दो धर्मों [या उपाधि] से ज्ञात [छेकानुप्रास होता है यह अर्थ हो जाता है] ।

---

१. ज अ; मृगपक्षिणः त

२. ज अ; इत्यमरोक्तेः त

३. त; मधुरगुणव्यञ्जिका ज अ

तत्र वृत्तिं विभजते—

मधुरा प्रौढा परुषा ललिता भद्रेति वृत्तयः पञ्च ॥ १७० ॥
वर्णानां नानात्वादस्येति यथार्थनामफलाः ।

अस्येत्यनुप्रासस्य । तत्र मधुरालक्षणम्—

मूर्ध्नि वर्गान्त्यगेत्यादि ।

उदाहरणम्—

अमन्दसुन्दरीगणैरित्यादि ॥ २५० ॥

प्रौढा यथा—

अन्त्यटवर्गान्मुक्त्वा वर्ग्यंयणा उपरि रेफसंयुक्ताः ॥ १७१ ॥
कपयुक्तश्च तकारः प्रौढायां कस्तयुक्तश्च ।

इस [काव्य] में [पाई जाने वाली] वृत्ति का विभाग करते हैं—

१. मधुरा, २. प्रौढा, ३. पुरुषा, ४. ललिता और ५. भद्रा नामक पाँच वृत्तियाँ होती हैं। वर्णों के अनेक [मधुर, कोमल, परुषादि] प्रकारों के होने के कारण इस [अनुप्रास] की इन वृत्तियों के ये नाम अन्वर्थ अर्थात् अपने २ अर्थ के अनुसार नाम रूप फल वाले हैं [अर्थात् इन वृत्तियों के नामों के जैसे जैसे अर्थ हैं वैसा ही उनका स्वरूप है] ॥१७०-१७१॥

टि०—यहाँ मधुरा आदि वृत्तियों के जैसे २ नाम हैं उसी प्रकार के उनके स्वरूप हैं। उदाहरणार्थ मधुरा का अर्थ माधुर्यगुणोपेत है। इस मधुरावृत्ति में माधुर्यगुणोपेत वर्णावली रहती है।

यहाँ [कारिका में आये हुए] 'अस्य' इस पद का अर्थ 'इस अनुप्रास की यह अर्थ है। इन [वृत्तियों] में [से पहली वृत्ति] १. मधुरा का लक्षण—मूर्ध्नि वर्गान्त्यगा इत्यादि है।

टि०—षष्ठ तरङ्ग (१४०-४१) में भी इसका लक्षण इस प्रकार पहले दिया जा चुका है—

मूर्ध्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघू ।
अवृत्ति मध्यवृत्ति र्वा माधुर्ये घटना तथा ॥ ६, १४०-१४१॥

[इसका] उदाहरण—'अमन्दसुन्दरीगणैः' इत्यादि है ॥२५०॥

टि०—वहीं षष्ठ तरङ्ग में इसका उदाहरण दिखा दिया है—

अमन्दसुन्दरीगणैरनिन्द्यचन्दनानिले ।
कलिन्दनन्दिनीतटे ननन्द नन्दनन्दनः ॥ ६, २११॥

२. प्रौढा [का लक्षण] जैसे—

वर्गों के अन्तिम वर्ण ङ् ञ्, न् म् और ट्, ठ्, ड्, ढ् और ण् को छोड़कर ऊपर से रेफ से संयुक्त वर्गों के क्, ख्, ग् आदि वर्ण यकार, णकार, ककार और पकार से युक्त तकार तथा तकार से युक्त ककार प्रौढा वृत्ति में होते हैं ॥१७१-७२

अस्यार्थः—प्रौढायां वृत्तौ वर्ग्याः कादयो यकारणकारौ चोपरिभागे रेफेण संयुक्ता भवन्ति ङञणनमान् टवर्गं च मुक्त्वा। तथा ककारपकाराभ्यामुपरिभागे तकारश्च संयुक्तो भवति कस्तयुक्तश्च[1]। यथा—

कार्याकार्यमनार्यैरुन्मार्गनिरर्गलैर्गलन्मतिभिः।
नाकर्ण्यते विकर्णैं[2] र्युक्तिनियुक्तमुक्तमपि ॥ २५१ ॥

विकर्णैं[3] र्जडैः। परुषालक्षणं तु प्रागुक्तम्। योग आद्यतृतीयाभ्यामिति। उदाहरणं तु मन्थायस्तेत्यादि[4] ॥ २५२ ॥

पूर्वोक्तमेव[5]।

इसका यह अर्थ है—प्रौढा वृत्ति में वर्णों के क्, ख्, ग् आदि वर्ण, यकार णकार ऊपर भाग में रेफ से संयुक्त होते हैं और ङ्, ञ्, ण्, न्, म्, और टवर्ग से युक्त होते हैं और क्, प् के साथ ऊपर के भाग में तकार का संयोग होता है। इसी प्रकार ककार भी ऊर्ध्वभाग में तकार से युक्त होता है।

जैसे—

कुपथ में स्वच्छन्द होकर चलने वाले, निर्बुद्धि और कानों से रहित [किसी की भी बात को न सुनने वाले] दुर्जनों के द्वारा युक्तियों से युक्त करके भी कहा गया कार्य और अकार्य से सम्बन्ध रखने वाला वचन नहीं सुना जाता है ॥२५१॥

टि०—इस प्रौढा वृत्ति का लक्षण तथा उदाहरण इसी रूप में रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (२, २४-२५) में मिलता है। 'कार्याकार्यम्' इत्यादि श्लोक में निरर्गलैर्गलन्' में गकार के ऊपर रकार, विकर्णैः, में णकार के ऊपर रकार, कार्याकार्यमनार्यैं और नाकर्ण्यते में यकार के ऊपर र का संयोग तथा युक्तिनियुक्तमुक्तमपि में ककार से युक्त तकार होने से प्रौढा वृत्ति है

[यहाँ इस उदाहरण में आये हुए] विकर्णैः का अर्थ जडैः [मूर्ख] है और परुषा वृत्ति का लक्षण पहले षष्ठ तरङ्ग [पृ० ३२५] में दिखाया जा चुका है।

टि०—परुषा का पूरा लक्षण इस प्रकार है—

योग आद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः।
टादिः शषौ वृत्तिदैर्घ्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥

[इस परुषा वृत्ति का] उदाहरण तो 'मन्थायस्तार्णवाम्भः' इत्यादि [श्लोक को उपस्थित करके षष्ठ तरङ्ग में]

पहले ही कह दिया है ॥२५२॥

---

१. त; ज अ में नहीं
२. त; विकर्ण्यैः ज अ
३. त; विकर्ण्यैः ज अ
४. ज अ; मन्थायस्तेत्यादि उदाहरणम् त
५. त; ज अ में नहीं

ललिताभद्रयोर्लक्षणमाह—

ललितायां घधभरसा लघवो लश्चापरैरसंयुक्तः ॥ १७२ ॥
परिशिष्टा भद्रायां पृथगथवा श्रव्यसंयुक्ताः ।

अस्यार्थः—ललितायां वृत्तौ घकारधकारभकाररेफसकारा असंयुक्ता भवन्ति तथा लकारश्चासंयुक्तो भवति । भद्रायां तु वृत्तौ परिशिष्टाः वृत्ति-चतुष्टयोपयुक्तवर्णविशेषास्ते च पृथगसंयुक्ताः भवन्ति । संयुक्ताश्चेत् श्रव्यैः श्रुतिसुखैः योज्या इति । क्रमेण यथा—

प्रागुदाहृतं ललितलवङ्गेत्यादि ॥ २५३ ॥

तथा—

उत्कटकरिकरटतटस्फुटपाटनसुपटुकोटिभिः कुटिलैः ।
खेलेऽपि[1] हि न खलु नखरैरु[2]ल्लिखति हरिः खरैराखुम् ॥२५४॥

[अब ग्रन्थकार] ललिता और भद्रा के लक्षण को कहते हैं—

ललितावृत्ति में लघु घ, ध, भ, रेफ और सकार, अन्य वर्णों से असंयुक्त ल होता है तथा भद्रा वृत्ति में शेष [अर्थात् पिछली चारों वृत्तियों में न गिनाये गये] वर्ण होते हैं । यह पृथक् [अर्थात् संयोग रहित अथवा शुद्ध] हों अथवा [यदि असंयुक्त न रखकर संयुक्त वर्ण रखे जायें तो] संयुक्त हों कानों को सुख देने वाले अर्थात् श्रुतिमधुर होने चाहिए ॥ १७२—७३॥

इसका यह अर्थ है—ललिता वृत्ति में घकार, धकार, भकार, रेफ और सकार असंयुक्त होते हैं और लकार [अन्य वर्णों के साथ] असंयुक्त होता है। और भद्रा वृत्ति में तो पिछली चार वृत्तियों के अनुरूप विशेष वर्णों के अतिरिक्त वर्ण [अर्थात् वृत्तियों में प्रयुक्त होने वाले वर्णों से बचे वर्ण प्रयुक्त] होते हैं ये वर्ण असंयुक्त [संयोग रहित] होते हैं । यदि यह वर्ण संयुक्त हों तो सुनने योग्य अर्थात् श्रुतिमधुर वर्णों [वाले पदों] की वहाँ योजना [प्रयोग] करनी चाहिए यह अभि-प्राय है ।

क्रम से [इन दोनों के उदाहरण] जैसे—'ललितलवङ्ग इत्यादि [ललिता-वृत्ति का] उदाहरण पहले [षष्ठ तरङ्ग पृ० ३२७ पर] दिया जा चुका है ।२३५।

ललितलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे ।
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुञ्जकुटीरे ॥

यहाँ ल, और र इन असंयुक्त वर्णों का अनेक बार प्रयोग हुआ है इस कारण यहाँ ललिता वृत्ति है । ललिता और भद्रा इन दोनों वृत्तियों का यह लक्षण और यहाँ दिया हुआ वृत्तिभाग रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (२, २९) से लिया हुआ है ।

और [भद्रावृत्ति का उदाहरण] जैसे—

हाथी के कठोर गण्डस्थल के उभरे भाग को स्पष्ट रूप से फाड़ने में अत्यन्त

---

१. ज अ; खेलत्यपि त

२. त; नखै ज अ

सोऽनेकस्य सकृत्पूर्वः

पूर्वः छेकानुप्रासः अनेकस्य सकृदावृत्तिर्यथा—
पम्पासम्पातसुभगाश्चन्दनानन्दनन्दनाः ।
अनङ्गसङ्गर[3]श्रान्तिचौराश्चञ्चन्ति मारुताः ॥ २५५ ॥

एकस्याप्यसकृत्परः ॥ १७३ ॥

परो वृत्त्यनुप्रासः । यथा—
भूमिभूहृदयभूषणीभवन्—
नीलनीलमणिवामहारिणि ।
रामनामनि गुणैकधामनि
श्यामधामनि मनोऽस्तु मामकम् ॥ २५६॥

चतुर अग्रभाग वाले तेज नाखूनों से शेर खेल में भी चूहे को नहीं कुरेदता है ॥२५४॥

टि०—यहाँ अन्योक्ति से यह बताया गया है कि बहुत बड़ा व्यक्ति बहुत छोटे व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचाता है। यहाँ बतलाये हुए शुद्ध क, ट और ख पूर्वोक्त चारों वृत्तियों में प्रयुक्त नहीं किये गये हैं।

वह [अनुप्रास] बहुत सारे व्यञ्जनों [के समूह] की एक बार आवृत्ति वाला होता है।

[कारिका में प्रयुक्त] पूर्व का अर्थ है छेकानुप्रास। अनेक वर्णसमूह की एक बार आवृत्ति [का उदाहरण] जैसे—

पम्पा नामक सरोवर के संसर्ग से सुन्दर, चन्दनवृक्षों के [सम्पर्क से उत्पन्न] आनन्द से आनन्दित [हर्षित] करने वाले कामदेव के सङ्ग्राम अर्थात् रतिक्रीडा के श्रम [थकावट] को हरने वाले [मलयाचल की] वायु [दक्षिणपवन-वसन्तवायु] चल रही है ॥२५५॥

टि०—यहाँ पम्पासम्पात में म्प् चन्दनानन्दनन्दनाः' में नन्द नन्द, 'अनङ्ग-सङ्गर' में ङ्ग इन अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है।

एक व्यञ्जन की बार २ आवृत्ति वाला दूसरा अनुप्रास वृत्त्यनुप्रास कहलाता है ॥१७३॥

जैसे—

पृथिवी से उत्पन्न होने वाली [पृथिवीकन्या] सीता जी के हृदय की आभूषण बनी हुई नीलमणि की माला से सुशोभित, गुणों के एकमात्र स्थान, राम नाम की कृष्ण कान्ति [कृष्ण रश्मिपुञ्ज; दाशरथि श्रीरामचन्द्र] में मेरा मन [लगा हुआ] रहे ॥२५६॥

---

३. ज अ; अनङ्गस्याति त

अपि शब्दादनेकस्यानेकवारमावृत्ति र्यथा—

उत्तरङ्गय कमललोचने लोचने कमलगर्वमोचने ।
अस्तु सुन्दरि कलिन्दनन्दिनीवीचीडम्बरगभीरमम्बरम् ।। २५७ ।।

यथा वा—

यज्वेव भाति पवनो मकरन्दवृन्दैः
स्नानोऽध्वनीनपशुभि र्मदनाग्निहोता ।
आचान्त एष सुरतान्तनितान्तकान्त-
कान्तालकान्तविगलज्जलशीकरेण[1] ।। २५८ ।।

अत्रा[2]नुल्वणो अनुप्रासः श्रेयान् ।

टि०—यहाँ भ, न्, म् इन वर्णों में से प्रत्येक वर्ण की वार २ आवृत्ति से वृत्त्यनुप्रास है ।

[वृत्त्यनुप्रास के एकस्याप्यसकृत्परः इस विशेषण में प्रयुक्त] अपि शब्द से अनेक व्यञ्जनों की अनेक बार आवृत्ति [का ग्रहण होता] है ।

[अनेक वर्णों की अनेक वार आवृत्ति का उदाहरण] जैसे—

हे कमल के समान सुन्दर आँखों वाली सुन्दरी ! कमलों के अभिमान को दूर करने वाले नेत्रों को उत्कम्पित करो [पलकें खोलकर अन्तरिक्ष की ओर अपने कटाक्ष फेंको] जिससे यह आकाश यमुना की तरङ्गों की शोभा के समान [नीली] शोभा से गहरा [नीला] हो जाय ।।२५७।।

टि०—यहाँ पर ओचने, न्द और म्बर इन अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से यह भी वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण है ।

अथवा [वृत्त्यनुप्रास का और उदाहरण] जैसे—

पुष्परसों के समूहों से स्नान किया हुआ, [वियोगी] पथिक रूपी पशुओं से कामरूपी अग्नि में आहुति डालने वाला और सम्भोग के अन्त में अत्यन्त मनोहर सुन्दरियों के केशपाश के किनारों से बहकर गिरते हुए जलकणों से आचमन किया हुआ यह वायु यजमान की तरह सुशोभित हो रहा है ।।२५८।।

टि०—यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में व् द् इन दोनों वर्णों में से प्रत्येक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से पहले प्रकार (एकस्यासकृत् आवृत्ति) के वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण है । उत्तरार्ध में 'आन्त' इन अनेक व्यञ्जनों की अनेक बार आवृत्ति होने से दूसरे प्रकार (अनेकस्यानेकवारमावृत्तिः) के वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण है ।

इन [अनुप्रासों] में विपुलताविरहित [कम मात्रा वाले अथवा अकठोर—मसृण] अनुप्रास अधिक अच्छा रहता है ।

---

१. ज अ; सीकरेण त

२. त; तत्र ज अ

यथा—

नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता
वधूर्विधातृप्रतिमेन तेन।
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा
लज्जावती लाजविसर्गमग्नौ ॥ २५९ ॥

उल्वणस्तु न श्रेयान्[1] स यथा—

हृष्यत्कृष्टासिपिष्टोत्कटकरटिघटाकुम्भकूटावटान्त-
र्निर्धूतासृक्तटिन्यास्तटनिकटनटत्कौणपाट्टाट्टहासा।
श्रीराम ! त्वद्गुणक्ष्माक्षतभटविकटोरःस्थलास्फोटकुप्यद्-
गृध्रौघत्रोटिकोटिप्रकटचटचटाशब्दरौद्राऽभवद् द्राक् ॥ २६० ॥

पादानुप्रासोऽपि पादयमकवत्[2]।

जैसे—

ब्रह्मा के समान [पूजनीय] उस गुरु के द्वारा प्रेरित की गई, मस्त चकोर के नेत्रों के समान [नशीले] नेत्रों वाली बड़े नितम्बभाग वाली उस दुलहिन ने शर्मीली होकर अग्नि में लाजाओं [खीलों] की आहुतियाँ छोड़ीं ॥२५९॥

और कठोर [या उत्कट] अनुप्रास अधिक अच्छा नहीं माना जाता है।

वह [अनुल्वण अनुप्रास का उदाहरण] जैसे—

हे श्री रामचन्द्रजी महाराज ! तुम्हारे [शौर्य] गुण से संवलित यह पृथिवी बहुत जल्दी ही प्रसन्न तथा खींची हुई तलवार से पीसे गये [अर्थात् काटे गये या मारे गये] भयङ्कर हाथियों के समूहों के गण्डस्थलों के शिखर [अर्थात् कनपटियों] के गड्ढों के अन्दर से निकलती हुई खून की नदियों के किनारे के निकट नाचते हुए राक्षसों से अट्टहास को प्राप्त करने वाली तथा घायल योद्धाओं के भयङ्कर वक्षःस्थल को तोड़ने वाले क्रुद्ध गीध पक्षियों के समूह की चोंचों के अग्रभागों से [प्रहार करने के द्वारा] प्रादुर्भूत होने वाले [हड्डियों के टूटने की आवाज के] चटचट शब्द से रौद्र [भयङ्कर] हो गई है ॥२६०॥

टि०—यहाँ ष्ट्, ओटि, चट इन अनेकों वर्णों की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास तथा अट इस वर्णसमूह की अनेक बार एवं ट्, क्, र् इन वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास है। किन्तु यहाँ ग्रन्थकार ने रचना की दृष्टि से बहुत सारे कठोर वर्णों का प्रयोग होने के कारण इसे उल्वण अनुप्रास के उदाहरण के रूप में रखा है। वस्तुतः यदि रौद्र रस की दृष्टि से देखा जाय तो यह उदाहरण अनुचित नहीं प्रतीत होता। पादानुप्रास भी पादयमक की तरह होता है।

टि०—जैसे एक पाद के पदों का यदि दूसरे पाद के पदों में दुबारा प्रयोग

---

१. त; ज अ में नहीं
२. त; यमकवत् ज अ

अयमेव लाटानुप्रास इत्यपरे । यथा[1]—

कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रियादरः ।
कविराजं च विज्ञाय कुतः काव्यक्रियादरः ॥ २६१ ॥

अथ यमकम्—

आनुपूर्व्या समानानामसमानार्थताजुषाम् ।
आवृत्तिर्यदि वर्णानां वर्ण्यते यमकं तदा ॥ १७४ ॥

जराराजेत्यादावतिव्याप्तिवारणायाद्यं विशेषणम् । लाटानुप्रासातिप्रसङ्गवारणायापरम्[2]। विविधेत्यादेरेकवर्णयमकासम्मत[3]त्वात्तद्वारणायान्त्यं

होता है तो पादयमक कहलाता है उसी प्रकार यदि एक पाद के वर्णसमूहों का दूसरे पाद में फिर से पुनरावर्तन होता है तो पादानुप्रास होता है ।

यही लाटानुप्रास है ऐसा दूसरे आचार्य मानते हैं ।

[पादानुप्रास का उदाहरण] जैसे—

कविराज नामक [महाकवि] को विना जाने काव्यकर्म [काव्य के पठन और निर्माण] में कैसे आदर हो सकता है ? तथा कविराज को जान लेने के बाद भी काव्य क्रिया में आदर कैसे सम्भव है ॥२६१॥

टि०—अभिप्राय यह है कि कविराज के काव्यग्रन्थ को पढ़े बिना तो कविता का स्वरूप ही ज्ञात नहीं हो पाता अतः कवितामात्र का ज्ञान न हो सकने के कारण कविता में रुचि नहीं हो सकती । परन्तु जब कविराज की कविता पढ़ लेते हैं तो अन्य कवियों की रचना में आनन्द नहीं आता ।

इसके बाद यमक [का निरूपण] है ।

एक जैसे स्वरूप और क्रम वाले तथा असमान [अर्थात् भिन्न २] अर्थों वाले वर्णों की यदि उसी क्रम से आवृत्ति होती है तो यमक होता है ॥१७४॥

'जरा राज' में अतिव्याप्ति रोकने के लिए [आनुपूर्व्या] यह पहला विशेषण रखा है [इस कारण जरा राज में उसी स्वरूप और क्रम से वर्णों की आवृत्ति न होने से यमक नहीं है] ।

लाटानुप्रास में अतिव्याप्ति हटाने का दूसरा [अर्थात् असमानार्थताजुषाम् यह] विशेषण रखा है [लाटानुप्रास में एकार्थक पद होते हैं । किन्तु यमक में सार्थक पद होने पर भिन्नार्थकता होती है]। 'विविध' इत्यादि पदों में एक वर्ण [वि] वाला यमक अस्वीकार्य होने के कारण उसे [यमक का भेद बनने से] रोकने के लिए 'वर्णानाम्' [अनेक वर्णों की] यह बहुवचनान्त अन्तिम विशेषण रखा है [अर्थात् अनेक वर्णों की आवृत्ति होने पर ही यमक होता है एक वर्ण की आवृत्ति होने पर नहीं होता] ।

---

१. ज अ; त में नहीं
२. त; लाटानुप्रासाप्रसङ्गवारणाय ज अ
३. ज त; यमकासङ्गतत्वात् अ

वर्णानामिति बहुवचनम् । समरतेऽमरतेजसि पार्थिव इत्यत्रार्थस्याप्रसिद्धचा-समानार्थताजुषामितिविशेषणाभावादव्याप्तिरिति न वाच्यम्, एकार्थप्रति-पादकत्वराहित्ये सतीत्यत्रैव तात्पर्यात् । एवं च[1] तद् गर्जितं गर्जितम्-इत्याद्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये अतिव्याप्तिवारणाय मुख्यार्थबाधे सतीति पूरणीयम् ।

पादतद्भागवृत्तित्वाद् भिद्यते तदनेकधा ।

[शङ्का] 'समरतेऽमरतेजसि पार्थिव' इस स्थान पर अर्थसिद्धि न होने के कारण 'असमानार्थताजुषाम्' यह विशेषण नहीं लागू होता । इस कारण [पूर्वोक्त यमक के लक्षण की] अव्याप्ति हो जाएगी ।

टि०—पूर्वपक्षी का कहना है कि यमक के लक्षण में 'वर्णानाम्' का विशेषण 'असमानार्थताजुषाम्' वताया है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि सार्थक किन्तु भिन्नार्थक वर्णों की आवृत्ति होने पर यमक होता है किन्तु 'समरतेऽमरतेजसि पार्थिवः' इस श्लोकांश में 'मरते' वर्णसमूह की आवृत्ति हुई है ऐसे स्थलों में यमक माना जाता है किन्तु यहाँ निरर्थक वर्णों की आवृत्ति है इस कारण 'असमानार्थताजुषाम् वर्णा-नाम् आवृत्तिः यमकम्' यह यमक का लक्षण यहाँ नहीं घटता ।

इस प्रकार की [पूर्वपक्षी को] शङ्का नहीं करनी चाहिए क्योंकि ['असमा-नार्थताजुषाम्' विशेषण का अन्तर्गभित अर्थ यही है कि] यदि सार्थकता हो तो एक अर्थ का प्रतिपादन न होने पर ही यमक होता है इसी बात के प्रतिपादन में हमारा तात्पर्य है ।

टि०—सिद्धान्ती का कहना है कि यदि दोनों पद सार्थक हों तो दोनों का अर्थ भिन्न २ होना चाहिए इसी अर्थ को बतलाने में हमारा तात्पर्य है । समरतेऽ-मरतेजसि पार्थिवः जैसे उदाहरणों में 'मरते' जैसे निरर्थक पदों की आवृत्ति में यमक मानने से कोई कठिनाई नहीं होगी । क्योंकि हमारा यह नियम सार्थक पदों के लिए ही है । उनमें भिन्नार्थता अवश्य होनी चाहिये । और दोनों पदों के निरर्थक होने पर वहाँ यमक मानने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती इस कारण 'समरते' इत्यादि उदाहरणों में यमक का लक्षण लागू हो जाता है ।

'तद्गर्जितं गर्जितम्' इत्यादि अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि के स्थलों में अतिव्याप्ति निवारण के लिए मुख्यार्थाबाधे सति [अर्थात् मुख्यार्थ का बाध न होने पर] यह विशेषण भी [यमक के लक्षण] में सम्मिलित कर लेना चाहिए ।

टि०—यमक में मुख्यार्थ का बाध नहीं होता है किन्तु तद् गर्जितं गर्जितम् में मुख्यार्थ का बाध होता है । इस कारण वहाँ यमकालङ्कार की प्रधानता नहीं है और मुख्यार्थबाध होने से वहाँ इसमें अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि का अवकाश माना जायेगा ।

वह यमक पादवृत्ति [पाद में रहने वाला] होने से और पादभागवृत्ति [पाद के एक अंश में रहने वाला] होने से अनेक प्रकार का होता है ।

---

१. तः वर्णानामिति...एवं च तक ज अ में नहीं

पादयमकं यथा—

वहति यः परितः कनकस्थलीः
स हरितालसमाननवांशुकः।
अचल एष भवानिव राजते
स हरितालसमाननवांशुकः॥ २६२॥

पादार्धयमकं यथा[1]—

सपदि कृतपदस्त्वदीक्षितेन
स्मितशुचिना स्मरतत्त्वदीक्षितेन।
भवति वत जनः सचित्तदाहो
न खलु कुत एव तस्य चित्तदाहः॥ २६३॥

एवमर्धावृत्तिः श्लोकावृत्तिरुदाहार्या[2]।

टि०—जब एक पाद के वर्णसमूह की दूसरे पाद के वर्णसमूह में आवृत्ति होती है तो पादयमक होता है। जब किसी एक पाद के कुछ टुकड़े की आवृत्ति दूसरे पाद में होती है तो पादभागवृत्तियमक हो जाता है।

पादयमक [का उदाहरण] जैसे—

जो अपने चारों ओर स्वर्णभूमियों को धारण करता है वह पीले रङ्ग के कबूतर के समान नई कान्ति वाला यह पर्वत पीली हल्दी के समान शोभित होने वाले नये नये कपड़े वाले आपके समान शोभित हो रहा है॥२६२॥

टि०—हरिताल पीले कबूतर को कहते हैं और हरिता हल्दी का नाम है। यहाँ द्वितीय पाद के वर्णों की चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने से पादयमक है।

[पादार्धयमक का उदाहरण] जैसे—

बड़ा आश्चर्य है—मुस्कुराहट के कारण शृङ्गाररसपूर्ण, कामदेव की तत्त्वभरी बातों से शिक्षित [अर्थात् कामदेव को भड़काने की विद्या को जानने वाले] तुम्हारे कटाक्ष से अवलोकित [कोई भी] व्यक्ति उस चेतनता से युक्त हो जाता है। निश्चय ही उसका चित्तदाह [दिल का जलना] किसी भी तरह नहीं होता है॥२६३॥

टि०—यहाँ पर पहले त्वदीक्षितेन वर्णसमूह की पहले और दूसरे पाद में आवृत्ति है। तीसरे और चौथे पाद में 'चित्तदाह की आवृत्ति है और अर्थभिन्नता भी है। इसलिए ये दोनों स्थल पादार्धयमक के उदाहरण हैं।

इसी प्रकार आधे श्लोक और पूरे श्लोक की आवृत्ति का उदाहरण किया जा सकता है।

---

१. ज अ; वहति...पादार्धयमकं यथा इतना अंश त में नहीं
२. ज अ; वृत्तिर्वोदाहार्या त

एतस्य बहवो भेदा अत्यन्तमनुपयुक्तत्वादुपेक्षिताः । केचित्त्वक्षरयमकमेकाक्षरमनेकाक्षरं चेति[1] स्वीकुर्वन्ति[2] तदुदाह्रियते--

नानाविधेन कान्ताभ्रूराराधितमनोभुवा ।
विविक्तेन विलासेन ततक्ष हृदयं नृणाम् ।। २६४ ।।
अनेकाक्षरं स्वयमुत्प्रेक्ष्यम् ।
शृङ्खलादिकृताद् बन्धाद्[3] यमकं शोभतेतराम् ।। १७५ ।।
आदिपदात्परिवर्तकपरिग्रहः ।
अखण्डवर्णविन्यासचलनं शृङ्खला मता ।
अनेन खलु भङ्गेन यमकानां विचित्रता ।। १७६ ।।

स यथा--

तन्नास्ति नगरं यच्च नाग्रहारविराजितम् ।
न वक्षः सुन्दरीणां तन्नाग्रहारविराजितम् ।। २६५ ।।

इसके बहुत सारे भेद हैं किन्तु वे [रसपोषक न होने से गलगड्डुक के समान] अत्यन्त अनुपयोगी होने के कारण यहाँ उपेक्षित कर दिये गये हैं [इसी कारण यहाँ उनके उदाहरण भी नहीं दिखाये हैं]।

कुछ आचार्य अक्षरयमक को एकाक्षरयमक और अनेकाक्षरयमक इन दो भेदों में मानते हैं। एकाक्षरयमक का उदाहरण दिया जाता है—

कामदेव को प्रसन्न करने वाले, अनेक प्रकार के और उज्ज्वल [अर्थात् भड़कीली] रतिचेष्टा [अदा] से उस सुन्दरी के भौंह ने मनुष्यों के हृदय को काट दिया [अर्थात् उनके दिल को घायल कर दिया] ।।२६४।।

टि०—यहाँ नाना पद में ना, ना और ततक्ष में त, त अलग २ वर्ण निरर्थक हैं। इस कारण यहाँ एकाक्षरयमक है। विध, और क्ष से मिलकर ही इनकी सार्थकता होती है। इस प्रकार सार्थक होने से अनुप्रास से भेद हो जाता है।

अनेकाक्षरयमक के उदाहरणों को स्वयं सोचकर समझ लेना चाहिए।

जंजीर आदि की तरह एक पद के साथ दूसरे पद को जोड़ने से बनने वाली रचना से बना हुआ यमक बहुत अधिक शोभा देता है ।।१७५।।

आदि पद से परिवर्तकयमक का ग्रहण है।

शृङ्खला—वर्णों की पूरी रचना का चलना शृङ्खला कहलाता है ।।

इस प्रकार की रचना से यमकों के अन्दर विचित्रता आ जाती है ।।१७६।।

वह जैसे—

[उस देश में] वह नगर नहीं है जो अग्रहार [ब्राह्मणों को दान में दी गई

---

१. ज अ;...च त
२. ज त; स्वीकुर्वन्तीति ज अ
३. त; भङ्गाद् ज अ

यदन्यसङ्गमुत्सृज्य नेपथ्यमिव नर्तकः ।
शब्दस्वरूपमारोहेत् स ज्ञेयः परिवर्तकः ।। १७७ ।।

यथा—

असज्जनवचो यस्य कलिकामधुगर्हितम् ।
तस्य न स्याद् विषतरोः कलिकामधुगर्हितम् ।। २६६ ।।

अथ श्लेषः—

वक्तुं समर्थमर्थं सुश्लिष्टाश्लिष्टविविधपदसन्धि ।
युगपदनेकवाक्यं यत्र विधीयते स श्लेषः ।। १७८ ।।

—उपवन, बावड़ी, कूपादि से युक्त सुन्दर और रम्य भूमि के खण्ड] से शोभित न हो और [वहाँ] सुन्दरियों [रूपसियों] का वह वक्षःस्थल नहीं है जो श्रेष्ठ हारों से सुशोभित न हो ।।२६५।।

टि०—यहाँ पूर्वार्ध में प्रयुक्त नाग्रहारविराजितम् तथा उत्तरार्ध में प्रयुक्त नाग्रहारविराजितम् इन भिन्नार्थक सार्थक पदों की आवृत्ति हुई है । यह पद सारे श्लोक को शृङ्खला की तरह बाँधे हुए हैं।

परिवर्तक—अपनी एक वेशभूषा को छोड़कर दूसरी का ग्रहण करने वाले नर्तक के समान जो एक को छोड़कर दूसरे शब्दस्वरूप को धारण करे वह परिवर्तक जानना चाहिए ।। १७७।।

जैसे—

झगड़े की कामना को बढ़ाने [अर्थात् पारस्परिक उपद्रव का प्रेरक] दुष्ट व्यक्ति का वचन जिस [भले आदमी] को आदरणीय हो जाय उसके लिए विषवृक्ष की कलिका का मकरन्द निन्दित [अर्थात्] हानिकारक नहीं होगा ।।२६६।।

टि०—जो व्यक्ति दुर्जन के दुर्वचन को सह लेता है उसके लिए विषवृक्ष के जहर को सहन कर लेना आसान है। दुष्ट के दुर्वचनों का प्रभाव विषवृक्ष के रस से भी अधिक उग्र है । यहाँ द्वितीय पाद में जो कलिकामधुगर्हितम् पद प्रयुक्त हुए हैं वह चतुर्थ पाद में अर्थ की अपेक्षा से नये पदों के रूप में परिवर्तित हो गये हैं । द्वितीय पाद में रखे हुए कलिकामधुगर्हितम् की रचना कलि+कामधुक्+अर्हितम् इन पदों के रखने से बनी है और दूसरे चतुर्थ पाद में प्रयुक्त इस पदसमूह की रचना कलिका+मधु+गर्हितम् इन पदों के द्वारा निष्पन्न हुई है ।

इसके बाद ४. श्लेष [का निरूपण किया जाता है]—

अर्थ बताने में समर्थ [अर्थात् सार्थक], अच्छी तरह मिले हुए, क्लिष्टता [कष्ट कल्पना] के दोष से रहित, नाना प्रकार के [सुबन्त और तिङन्त] पदों की सन्धि वाले, एक ही प्रयत्न से उच्चारित अनेक वाक्यों की जहाँ रचना की जाती है वह श्लेष कहलाता है ।।१७८।।

टि०—रुद्रट के काव्यालङ्कार (४,१) में यह कारिका दी हुई है ।

तदर्थोऽपि—श्लिष्टविशेष्यकवाचकपदमहिम्ना श्लिष्टविशेषणैरेव यत्रापरार्थप्रतीतिः स श्लेषः इति । आद्यविशेषणात् समासोक्तौ न प्रसङ्गः ।

ननु धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पना लघीयसीति न्यायादर्थान्तरे व्यञ्जनैव किं न स्यादिति चेत्, उच्यते । द्वयोरप्यर्थयोः प्रकरणादिनियामकसत्त्वे[1] नियामकविरहे वा विनिगमनाविरहेणाहमहमिकतया अभिधायाः अवारित-

इसका यह भी अर्थ [अर्थात् परिनिष्ठित लक्षण] है—

श्लेषयुक्त विशेष्यभूत वाचक पदों की महिमा से [साथ ही] श्लेषयुक्त विशेषणों से ही जहाँ पर दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है वह श्लेष है इस प्रकार [समझना चाहिए] । पहले [श्लिष्टविशेष्यकवाचकपदमहिम्ना इस] विशेषण से [इस श्लेव के लक्षण का] समासोक्ति अलङ्कार के लक्षण में अतिप्रसङ्ग [अतिव्याप्ति] नहीं होता ।

टि०—श्लेषालङ्कार में विशेषण और विशेष्य दोनों ही श्लिष्ट होते हैं जैसे—

प्रवर्तयन् क्रियाः साध्वीर्मालिन्यं हरितां हरन् ।
महसा भूयसा दीप्तो विराजति विभाकरः ।।सा० द० १०,५८ वृत्तिभाग

यहाँ साध्वीः क्रियाः आदि विशेषण और विभाकरः यह विशेष्य दोनों ही श्लिष्ट हैं जबकि समासोक्ति में केवल विशेषण पद ही श्लिष्ट होते हैं विशेष्य पद श्लिष्ट नहीं होते जैसे—

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः ।
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ।। काव्यप्रकाश ६,३८३ वृत्तिभाग

इस श्लोक में विशेष्य रूप से आये हुए सन्ध्या और दिवस पद श्लिष्ट नहीं हैं केवल अनुरागवती और पुरस्सर यही दो विशेषण पद श्लिष्ट हैं ।

[शङ्का] धर्मी की कल्पना की अपेक्षा धर्म की कल्पना करने में लाघव होता है—इस नियम से दूसरे अर्थ [के ज्ञान में] व्यञ्जना ही क्यों नहीं मान ली जाय ?

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है—श्लेष में दो अर्थ होते हैं—पहला अर्थ तथा दूसरा अर्थ इन्हीं धर्मियों अर्थात् शब्दों से आ जाता है यह मानने की अपेक्षा इन शब्दों में रहने वाले धर्म व्यञ्जना व्यापार से ही उस अर्थ का ज्ञान मानने में लाघव होता है इसलिये दूसरे अर्थ का ज्ञान व्यञ्जना से मान लेना चाहिए ।

यदि [पूर्वपक्षी की ओर से ऐसी] शङ्का की जाय तो [हमारी ओर से] यह कहा जाता है । श्लेष में प्रतीत होने वाले दोनों अर्थों के प्रकरण आदि के नियामक होने पर अथवा प्रकरणादि के नियामक [एकार्थ में प्रतिबन्धक] न रहने पर अनुकूल तर्क न होने पर 'अहं पूर्वम् अहं पूर्वम्' इस रीति से आने वाले निर्बाध-

१. ज. अः नियमसत्त्वे त

प्रसरात्[1] प्रथमचरमभावे तेषां कलहं कः समादध्यात् ? कुत्राभिधा कुत्र व्यञ्जनेति विनिगन्तु[2]मशक्यत्वाच्च । तस्माद् यत्रैकत्रैव प्रकरणादिकं तत्रापरार्थे व्यञ्जना यत्र चोभयार्थकं[3] प्रकरणादिकं तदभावो वा तत्र श्लेष इति निष्कर्षः ।

वर्णपदलिङ्गभाषाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम् ।
अत्रायं मतिमद्भिर्विधीयमानोऽष्टधा भवति ।। १७९ ।।

अत्रेति शब्दालङ्कारे । अत्र केचित्—पदग्रहणेन लिङ्गग्रहणं प्रत्ययग्रहणेन[4] च विभक्तिवचन[5]ग्रहणमिति कथमष्टधा श्लेष इति वदन्ति । तन्न

प्रसार होने से पहले पहला अर्थ आया है और बाद में दूसरा [अर्थात् अन्त में ज्ञात होने वाला] अर्थ आया है—इस प्रकार के पूर्वापर अर्थ में उनकी कलह का कौन समाधान करेगा ? और [जब अभिधा से ही दोनों अर्थ एककालावच्छेद से प्रतीत हो रहे होते हैं तो] कौन से अर्थ में यहाँ अभिधा है और कौन से अर्थ में व्यञ्जना है यह जानना अशक्य [अर्थात् असम्भव] होने से [दूसरे अर्थ में व्यञ्जना नहीं मानी जा सकती]। इसलिए जहाँ एक अर्थ प्रकरणादि के कारण अभिधा से ज्ञात होता है वहाँ दूसरे अर्थ में व्यञ्जना होती है और जहाँ प्रकरणादि उभयार्थक है [अर्थात् प्रकरण से ही दोनों अर्थों की प्राप्ति हो रही होती हैं] अथवा प्रकरणादियों का अभाव होने पर भी समानकोटिक दोनों अर्थ आ रहे होते हैं वहाँ पर श्लेष होता है यह सारांश है ।

[श्लेष के] इस शब्दालङ्कार भेद में १. वर्ण, २. पद, ३. लिङ्ग, ४. भाषा, ५. प्रकृति, ६. प्रत्यय, ७. विभक्ति और ८. वचन इन सबके कारण बुद्धिमानों के द्वारा बनाया गया यह श्लेषालङ्कार आठ प्रकार का होता है ।।१७९।।

कारिका में आये हुए इस अत्र शब्द का अर्थ है—इस शब्दालङ्कार भेद में [अगले आठवें तरङ्ग में अर्थश्लेष का निरूपण किया जायेगा । यहाँ शब्दश्लेष का निरूपण है] । इस [शब्दश्लेष के विषय] में कुछ विद्वान् [श्लेष के इन भेदों में] पद के ग्रहण से लिङ्ग का ग्रहण हो जाता है और प्रत्यय के ग्रहण से विभक्ति और वचन का उपादान हो जाता है—इस प्रकार यह श्लेष आठ प्रकार का कैसे हो सकता है ? यह कहते हैं ।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है पदश्लेष में लिङ्गश्लेष और प्रत्ययश्लेष में विभक्ति और वचन का अन्तर्भाव होने से श्लेष के आठ भेद न होकर पाँच ही भेद

---

१. ज अ; अवारितप्रसरत्वेन त
२. ज अ; नियन्तुम्...त
३. अ;...चोभयार्थं ज; यत्रोभयार्थं त
४. त; प्रत्ययेन अ ज ।
५. ज अ; विभक्तिग्रहणम् त

चारु। तथाहि–हारो मुक्ताकलापो हरस्यायं हार इति पदश्लेषेऽपि लिङ्ग-श्लेषो न विद्यते सर्वत्र पुंल्लिङ्गत्वात्। मित्रोदय इत्यत्र मित्रं सुहृत्, मित्रः सूर्यं इति [लिङ्ग][1] श्लेषेऽपि पदश्लेषाभावात्[2] तथा पद्मयोनिरित्यत्र

क्यों नहीं मान लेने चाहिएं ?

[सिद्धान्ती का कहना है कि इन आचार्यों का] यह मत सुन्दर नहीं है। इस बात को इस रूप में समझाया जा सकता है—जैसे हारः पद का अर्थ है मोतियों का समूह और 'हरस्यायं हारः' कहकर दूसरा अर्थ होगा महादेव जी से सम्बन्धित वस्तु [इस प्रकार] यहाँ पदश्लेष के होने पर भी लिङ्ग श्लेष नहीं है क्योंकि सब जगह अर्थात् इन दोनों ही स्थानों में हार शब्द [समान रूप से] पुंल्लिङ्ग ही है]।

टि०—पूर्वपक्षी का कहना है कि पदश्लेष होने पर लिङ्गश्लेष स्वतः हो जाता है फलतः इन दोनों भेदों को पृथक् पृथक् न मानकर एक ही मानना चाहिए किन्तु सिद्धान्ती ने यहाँ उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि पदश्लेष होने पर लिङ्गश्लेष ही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिये इन दोनों की स्थिति अलग अलग ही माननी चाहिये।

'मित्रोदय' इस प्रयोग में मित्रम् [इस रूप में नपुंसकलिङ्ग मानने पर] सुहृत् [दोस्त अर्थ] और मित्रः [इस रूप में पुंल्लिङ्ग मानने पर] सूर्य [यह अर्थ होता है] इस कारण [लिङ्गश्लेष तो यहाँ बन गया है। परन्तु इस] लिङ्गश्लेष के होने पर भी पदश्लेष का अभाव ही रहेगा [क्योंकि पद तो मित्रोदय इस रूप में है मित्रम् अथवा मित्रः इस रूप में नहीं है। इस कारण पदश्लेष में लिङ्गश्लेष अन्तर्भूत नहीं हो सकता]।

टि०—इस विवेचन से यही सिद्ध होता है कि पदश्लेष और लिङ्गश्लेष इन दोनों का साथ साथ रहना अनिवार्य नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जहाँ पदश्लेष हो वहाँ लिङ्गश्लेष हो और जहाँ लिङ्गश्लेष हो वहाँ पदश्लेष हो क्योंकि यह दोनों श्लेष अकेले २ भी हो सकते हैं।

और पद्मयोनि इस पद में पद्मम् का अर्थ कमल और पद्मा का लक्ष्मी है यहाँ पर लिङ्गश्लेष होने पर भी पदश्लेष का अभाव ही रहेगा [क्योंकि पद्मयोनि एक ही पद है]।

टि०—इस प्रकार हार वाले उदाहरण में केवल पदश्लेष है लिङ्गश्लेष

---

१. संशोधित; ज अ त में नहीं
२. मित्रोदय...पदश्लेषाभावात् त; ज अ में नहीं

पद्मं कमलं पद्मा श्रीरिति लिङ्गश्लेषेऽपि पदश्लेषाभावात् ।[१] तथा तापन इत्यत्र तपनस्यायं तापन[२]स्तापयतीति वा तापन इत्यादिषु प्रत्ययभेदेऽपि विभक्तिवचनभेदो न विद्यते[३] । एवं विभक्तावप्यन्ये वचन-मन्तर्भावयन्ति । तदपि न, सतां मुख्यः पुरःसरः, सत् शोभनं मुखं यासां ताः सन्मुख्यः इति वचनभेदेऽपि विभक्तिभेदाभावात् । यथाक्रमेण[४] लक्षणो-दाहरणानि ।

यत्र विभक्तिप्रत्ययवर्णवशादैक्यरूप्यमापतति ।
वर्णानां विविधानां वर्णश्लेषः स विज्ञेयः ।। १८० ।।

नहीं है और पद्मयोनि में केवल लिङ्गश्लेष है पदश्लेष नहीं है । इनका परस्पर अन्वयव्यतिरेक न वन पाने से यह सिद्ध हो जाता है कि पदश्लेष में लिङ्गश्लेष अन्तर्भूत नहीं होता । इस कारण इन दोनों की पृथक् २ स्थिति होने से इन भेदों का पृथक् २ उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है ।

और 'तापनः' इस स्थल पर 'तपनस्यायम्' यह सूर्य का है [इसलिए] तापन है अथवा जो तपाता है वह तापन है । यहाँ पर [पहले तापन में तपन+अण् तथा दूसरे तापन में तप्+णिच्+ल्युट् इस रूप में] प्रत्ययों के भेद होने पर विभक्ति और वचन में भेद नहीं है ।

टि०—पूर्वपक्षी ने पहले कहा है कि प्रत्यय के ग्रहण अर्थात् उसके नामोल्लेख से विभक्ति और वचन का ग्रहण हो जाता है और इस कारण यह दोनों भेद भी प्रत्यय के भीतर ही अन्तर्भूत हो सकते हैं । इसके उत्तर में यहाँ सिद्धान्ती ने यह बताया है कि प्रत्यय का विभक्ति और वचन के साथ अन्वयव्यतिरेक न बनने के कारण प्रत्यय, विभक्ति और वचन इन तीनों प्रकार के श्लेषों की स्थिति पृथक् २ ही माननी चाहिए ।

और दूसरे आचार्य विभक्ति में भी वचनों का अन्तर्भाव मान लेते हैं । ऐसा मानना भी शोभन [अच्छा] नहीं है । क्योंकि सन्मुख्यः शब्द में सतां मुख्यः प्रधानः पुरःसरः=अग्रणी [सज्जनों में प्रमुख] और जिनका मुख सुन्दर है ऐसी सुन्दरियाँ यह भी दूसरा अर्थ है यहाँ पर वचन का भेद होने पर भी विभक्ति के भेद का अभाव है ।

क्रम से लक्षण और उदाहरण दिये जाते हैं—

जहाँ विभक्ति, प्रत्यय और वर्ण की शक्ति के कारण अनेक वर्णों में एक रूपता [साम्य] आ जाती है उसे वर्णश्लेष जानना चाहिए ।।१८०।।

---

१. पद्म...श्लेषाभावात् ज अ; त में नहीं
२. ज अ; त में नहीं
३. त;...भेदा न विद्यन्ते ज अ
४. ज अ; क्रमेण त

यथा—

कपालपाणिरेकाकी भिक्षाचारी दिगम्बरः ।
ईशोऽपि कालकूटाशी मूर्ध्नि वक्रे विधौ स्थिते ।। २६७ ।।

यस्मिन् विभक्तियोगः समासयोगश्च जायते विविधः ।
पदभङ्गेषु विविक्तो विज्ञेयोऽसौ पदश्लेषः ।। १८१ ।।

यथा—

ते कौपीनधनास्त एव हि परं धात्रीफलं भुञ्जते
तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्तैरेव लब्धा क्षितिः ।

[वर्णों के श्लेष का उदाहरण] जैसे—

[पहला अर्थ] सिर के ऊपर टेढ़े चन्द्रमा के विराजमान होने पर सबके स्वामी महादेव जी भी हाथ में नरमुण्ड [को धारण करने वाले], अकेले भिक्षा के लिए भ्रमण करने वाले और दिशा रूपी वस्त्रों को धारण करने वाले [अर्थात् नंग धड़ंग होकर घूमने वाले] और कालकूट अर्थात् हालाहल नामक अत्यन्त भयङ्कर विष के भक्षण करने वाले हो जाते हैं ।

[दूसरा अर्थ] अपने ललाट पर विपरीत भाग्य [रेखा] को धारण करने पर अत्यन्त सामर्थ्यवान् शिवजी भी खप्पर हाथ में लिए हुए [अत्यन्त दरिद्र] अकेले [सहयोगियों से रहित], भीख माँगकर अपना गुजारा करने वाले, नग्न [अत्यन्त अभावग्रस्त] यहाँ तक कि कपड़ों को भी न जुटा पाने वाले] और विषभक्षण [करने के कारण अपने प्राणों के प्रति मोह न] करने वाले हो जाते हैं ।।२६७।।

टि०—यहाँ 'विधौ' इस पद में विधु (चन्द्रमा) और विधि (भाग्य) शब्दों के अन्तिम वर्ण (उकार और इकार) सप्तमी विभक्ति में आकर औकार के रूप में आ गये हैं । अतः इन दोनों वर्णों के कारण यहाँ वर्णश्लेष है ।

जिसमें पदों के भङ्गों के होने पर [अर्थात् पदों को तोड़ तोड़ कर अर्थ करने पर] नाना प्रकार के विभक्तिसम्बन्ध और समाससम्बन्ध हो जाते हैं उसे स्पष्ट ही [इतरश्लेषातिरिक्त] पदश्लेष समझना चाहिए ।।१८१।।

[पदश्लेष का उदाहरण] जैसे—

रुष्ट अथवा सन्तुष्ट परमशक्तिशाली तथा परमैश्वर्यवान् आप महाराज ने जिन लोगों को देख लिया है—

[१. रुष्ट होने पर देखे गये वे] लंगोटीमात्र धन वाले [अर्थात्—निर्धन हो जाते हैं; और वे ही] [खाने को कुछ न मिलने के कारण] प्रायशः आँवलों को खाने लगते हैं, उनके दरवाजे पर बकरी पालने वाले [अर्थात् उन जैसे दरिद्र लोग] शोर मचाते हैं, वे पृथ्वी पर ही सोते हैं और उन्होंने अपना कुल मलिन बना लिया

तैरेतत्समलङ्कृतं निजकुलं किं वा बहु ब्रूमहे
ये दृष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा ॥ २६८ ॥

अत्रोभयत्र[1] प्रकरणाद्यभावात् श्लेषत्वम् ।

स्त्रीपुन्नपुंसकानां शब्दानां भवति[2] यत्र सारूप्यम् ।
लघुदीर्घत्वसमासैर्लिङ्गश्लेषः स विज्ञेयः ॥ १८२ ॥

है [अवनत होने के कारण उनके खानदान की प्रतिष्ठा गिर गई है]। इस सम्बन्ध में बहुत अधिक क्या कहा जाय [यह सब तुम्हारे उन लोगों से रुष्ट होने का दुष्परिणाम है]।

[२. और आपके द्वारा सन्तुष्ट होकर देखे गये वे लोग] इस भूमि पर प्रचुर सम्पत्ति वाले हो जाते हैं वे ही पृथिवी [की धनसम्पदा एवं नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ रूप फल] का उपभोग करते हैं, उनके दरवाजे पर घोड़ों के समूह हिनहिनाते हैं, उनको पृथिवी प्राप्त हो जाती है [वे भूमि के स्वामी बन जाते हैं] और उन्होंने अपना कुल भूषित कर लिया है। इससे अधिक हम उनके सम्बन्ध में क्या कहें [यह सब उनके प्रति तुम्हारी कृपादृष्टि का सुपरिणाम है] ॥१६८॥

टि०—यहाँ 'कौपीनधनाः' पद में कौपीनम् एव धनं येषां कौपीन ही है धन जिनका यह अर्थ करने पर पदों के भिन्न होने पर भिन्नसमास वाला एक रूप बनता है फिर कौ (भुवि) पीनं धनं येषां ते पीनधनाः इस प्रकार से पदों को तोड़कर रखने पर भिन्नसमास वाला और भिन्नविभक्ति वाला रूप बनता है। 'कौ' यह सप्तमी-विभक्त्यन्त पद है। निजकुलं के विशेषण समलङ्कृतम् पद का रुष्टि वाले अर्थ में मलेन सहितं समलं तादृशं कृतम् समलं कृतम् इस तरह भिन्नविभक्ति के साथ सम्बन्ध है और तुष्टि वाले अर्थ में सम्+अलङ्कृतम्=समलङ्कृतम् में पद को तोड़ना नही पड़ता है।

यहाँ इन दोनों अर्थों में प्रकरणादि का अभाव होने से [एक अर्थ के अभिधा से नियन्त्रित हो जाने पर दूसरे अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना से नहीं हो रही है इस कारण दूसरा अर्थ भी अभिधा से ही प्रतीत हो रहा है इसलिए यहाँ] श्लेषा-लङ्कार ही है।

स्त्रीलिङ्ग, पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग वाले शब्दों के भीतर [मात्रा के] ह्रस्व या दीर्घ होने से अथवा समास होने के कारण जहाँ [एक जैसे शब्दों के होने रूप] समानरूपता होती है वहाँ वह श्लेष लिङ्गश्लेष समझना चाहिए ॥१८२॥

टि०—'लघुदीर्घत्वसमासैः' का अभिप्राय है—लघुत्व, दीर्घत्व और समास होने से। यह लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (४, ८) में भी दिया हुआ है।

---

१. त; उभयार्थे ज अ
२. ज अ; भवति शब्दानां त

यथा—

लोचने रूपसम्पत्तिस्तस्याः पद्मानुकारिणी ।
भ्रूलते किञ्च कबरी सुमनोहारिणी सदा ।। २६९ ।।
अत्र नपुंसकलिङ्गस्त्रीलिङ्गश्लेषः[1] ।

[यथा वा] [2]

भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैर्नीते हितप्राप्तये ।
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदृशोस्तन्वती
युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः ।।२७०।।

जैसे—

उस सुन्दरी के नेत्र और सौन्दर्य सम्पदा—यह दोनों ही कमलों का अनुवर्तन करने वाली हैं [अर्थात् दोनों ही कमल जैसी हैं] और इसके अतिरिक्त उसकी सुन्दर भौंहें और कबरी [केशपाश—जूड़ा] ये दोनों भी अत्यन्त मन को आकर्षित करने वाले [मन को भले लगने वाले—सुन्दर) हैं ।

यहाँ नपुंसकलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में श्लेष है । ।।२६९।।

टि०—पद्मानुकारिणी शब्द जब लोचने का विशेषण बनता है तो यह नपुंसकलिङ्ग के द्विवचन के रूप में सामने आता है किन्तु जब यह रूपसम्पत्तिः का विशेषण बनेगा तो यह स्त्रीलिङ्ग में एक वचन माना जायेगा । इस प्रकार यहाँ नपुंसक लिङ्ग में ह्रस्व इकार के रूप में प्रयुक्त इस शब्द को दीर्घ ईकार का रूप मिल जाता है क्योंकि पद्मानुकारि, पद्मानुकारिणी, पद्मानुकारीणि ऐसे रूप बनते हैं । इस कारण यहाँ लिङ्गश्लेष है । इसी तरह सुमनोहारिणी पद जब भ्रूलते का विशेषण बनता है तो यह नपुंसकलिङ्ग का द्विवचन माना जायेगा किन्तु जब कबरी का विशेषण बनेगा तो यह स्त्रीलिङ्ग में एकवचन माना जायेगा । इस भाँति यहाँ भी नपुंसकलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में श्लेष बनता है । और लिङ्गश्लेष के साथ ही साथ वचनश्लेष भी है ।

[अथवा दूसरा और उदाहरण] जैसे—

[१. नेत्रपक्ष] ईश्वर के विषय में परानुरक्ति रूप भक्ति से नम्र हुए [भक्तजनों] को [कृपापूर्वक] देखने के लिए अनुरागयुक्त, नीलकमलों के सदृश [सुन्दर], हित [रूप मोक्ष] की प्राप्ति के लिए समाधिस्थ योगियों द्वारा [अपने] ध्यान के विषय बनाये हुए, अपरिमित सौन्दर्य के आधार और [अपनी पत्नी] लक्ष्मी के नेत्रों में रसिकता को उत्पन्न करने वाले भगवान् विष्णु के दोनों नेत्र तुम्हारी भव-बाधा को दूर करें ।

---

१. अ त; यथा—लोचने...श्लेषः यह भाग ज में नहीं
२. संशोधित; ज अ त में नहीं

अयमेव वचनश्लेषोऽपि ।[1]

यस्मिन्नुच्चार्यन्ते सुव्यक्तविविक्तभिन्नभाषाणि ।
वाक्यानि यावदर्थं भाषाश्लेषः स विज्ञेयः[2] ॥ १८३ ॥

[२ तनुपक्ष] भक्ति से नम्र अर्थात् विनीत भक्तजनों से अनुरागपूर्वक देखी गई, [रङ्ग तथा सौन्दर्य दोनों में] नीलकमलों के साथ स्पर्धा करने वाली [नीलकमलों के सदृश] अभीष्ट सिद्धि के लिए समाधिस्थ योगियों द्वारा ध्यान का विषय बनाई गई [अर्थात् उनके द्वारा बार बार ध्यानपूर्वक चिन्तन की गई] सौन्दर्य की आगारभूत और लक्ष्मी के नेत्रों में रसिकता को उत्पन्न करने वाली विष्णु की देह तुम्हारी सांसारिक पीडा का नाश करे ॥२७०॥

टि०—इस श्लोक में लिङ्गश्लेष है। इसके चतुर्थ चरण में 'हरेः नेत्रे तनुर्वा युष्माकं भवार्तिशमनं कुरुताम्' यह मुख्य वाक्य है—विष्णु के नेत्र अथवा शरीर तुम्हारे संसार के दुःखों का नाश करें यह इसका अर्थ है। शेष तीन चरणों में उन 'नेत्रे' तथा 'तनुः' के विशेषण हैं। इनमें से नेत्रे 'यह नपुंसकलिङ्ग नेत्र शब्द के प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का रूप है और 'तनुः' यह स्त्रीलिङ्ग 'तनु' शब्द का प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। ये दोनों ही वाक्य के कर्तृपद हैं। शेष तीनों चरणों में जो विशेषण दिए गए हैं वे एक बार नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा द्विवचन के रूप में और दूसरी वार स्त्रीलिङ्ग के प्रथमा एकवचन के रूप में अन्वित होते हैं इसलिए यह लिङ्गश्लेष का उदाहरण तो है ही, साथ ही यह वचनश्लेष का भी उदाहरण है। 'कुरुताम्' इस पद में आत्मनेपद तथा परस्मैपद का भी श्लेष है। 'नेत्रे' इस द्विवचनान्त कर्त्ता के साथ अन्वित होने पर 'कुरुताम्' यह परस्मैपद में प्रथमपुरुष के द्विवचन का रूप होता है और 'तनुः' इस एकवचनान्त कर्त्ता के साथ अन्वित होने पर यह आत्मनेपद के प्रथमपुरुष के एकवचन का रूप होता है। इस प्रकार इस एक उदाहरण में अनेक प्रकार के श्लेष पाये जाते हैं। यहाँ यह लिङ्गश्लेष और वचनश्लेष दोनों के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है जैसाकि इस श्लोक के तुरन्त वाद में लिखी गई पङ्क्ति से स्पष्ट हो रहा है। लिङ्गश्लेप का यह उदाहरण काव्यप्रकाश (७, ३७२) में भी दिया हुआ है। यहाँ नपुंसकलिङ्ग में भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी आदि एकवचनान्त रूप दीर्घ ईकारान्त होकर लिङ्गश्लेष और वचनश्लेष के उदाहरण वन जाते हैं।

यही [तनुपक्ष में एक वचन तथा नेत्रे पक्ष में द्विवचन होने से] वचनश्लेष [का उदाहरण] भी है।

भाषाश्लेष—[एक ही प्रयत्न से उच्चार्यमाण] जिस श्लेष में भली भाँति

---

१. त; ज अ में नहीं।
२. अ त; ज में यह कारिका नहीं।

[यथा][1]

इह हि नववसन्ते मञ्जरीपुञ्जरेणु-
च्छुरणधवलदेहा बद्धहेलं सरन्ति।
तरलमलिसमूहा हारिहुङ्कारिकण्ठा
बहल[2]परिमलालीसुन्दरं सिन्दुवारम् ॥ २७१ ॥

अयमखण्डो भाषाश्लेषः।

स्पष्ट तथा २-३ भिन्न भिन्न भाषाओं वाले वाक्य कवि के विवक्षित [अथवा] अपेक्षित अर्थों में घटते हैं उसे भाषाश्लेष समझना चाहिए ॥१८३॥

इस नवीन वसन्त ऋतु में [आम्र आदि के] बौरों के समूह के पराग के लेप [पुतने या चिपकने] के कारण सफेद देह वाले, मनोहर हुँ हुँ [हुङ्कार अथवा झङ्कार भरी] ध्वनियों से भरे गले वाले भ्रमरसमूह घनी सुगन्धराशि से शोभित सिन्दुवार [निर्गुण्डी] के पुष्प के ऊपर खेल करते हुए मँडरा रहे हैं ॥२७१॥

यह भाषाश्लेष यहाँ अखण्ड रूप में है।

टि०—ऐसा लगता है कि श्लेष की अनेकार्थाभिधायकता (श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते) रूप परिभाषा को महत्त्व न देकर ग्रन्थकार ने रुद्रट का अनुसरण करते हुए (रुद्रटकृतकाव्यालङ्कार ४, १० में भी भाषाश्लेष का यही लक्षण है) इसे श्लेष का एक भेद माना है। परन्तु अन्य आचार्यों के भाषाश्लेष से यहाँ थोड़ी भिन्नता हो जाती है। अन्य आचार्यों के भाषाश्लेष के उदाहरणों की तरह न तो यहाँ अर्थद्वय की प्रतीति होती है और न ही विभिन्न स्वरूप वाले शब्दों का श्लिष्टत्व परिलक्षित होता है। परन्तु इसका स्वरूप साहित्य-दर्पणोक्त (१०, १०) भाषासम अलङ्कार से बहुत कुछ मिलता जुलता है। वहाँ उदाहरण के रूप में यह श्लोक दिया है—

मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे।
विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीरे॥

इसके अनन्तर यह टिप्पणी है—

एष श्लोकः संस्कृतप्राकृतसौरसेनीप्राच्यावन्तीनागरापभ्रंशेष्वेकविध एव।

सम्भवतः ग्रन्थकार ने इस भाषासम अलङ्कार को इसी आधार पर भाषाश्लेष स्वीकार किया है कि यहाँ दो विभिन्न भाषाओं में एक ही अर्थ वाले एवं समान स्वरूप वाले शब्दों का श्लिष्टत्व अर्थात् अभिन्नोच्चारण होता है और यही इस भाषाश्लेष का चमत्कार है। अर्थ की भिन्नता को चमत्कारहेतु न मानकर केवल शब्दगत चमत्कार को ही श्लेषत्व का प्रतिपादक मान लिया है।

---

१. संशोधित; ज अ त में नहीं।

२. ज अ; बहुल त।

सिद्धयति यत्रानन्यैः सारूप्यं प्रत्ययागमोपपदैः ।
प्रकृतीनां विविधानां प्रकृतिश्लेषः स विज्ञेयः ॥ १८४ ॥

यत्र प्रत्ययैरागमैरुपपदैश्चानन्यैस्तैरेव प्रकृतीनां तु नानाप्रकाराणां सारूप्यं समानरूपता सिद्धयति स प्रकृतिश्लेषः । यथा—

अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति ।
सामर्थ्यकृदमित्राणां मित्राणाञ्च नृपात्मजः ॥ २७२ ॥

वस्तुतः भिन्न प्रकृति (वाक्यरचना, शब्दविन्यास और व्याकरण आदि) वाली दो भाषाओं का समान रूप से समान अर्थ में सङ्घटित हो जाना अपने में एक चमत्कार अवश्य हैं । उदाहरणार्थ—

आगे चले वहुरि रघुराया । ऋष्यमूक पर्वत नियराया ॥

तुलसीकृत रामचरितमानस की इस चौपाई में नियराया शब्द द्रष्टव्य है । यहाँ नियराया हिन्दी में जैसे सामीप्य का वोधक है अंग्रेज़ी में भी ठीक वैसे ही नीयर (Near) सामीप्य का वाचक है । कहीं २ इस प्रकार अचानक दीख पड़ने वाला साम्य चमत्कार का हेतु वन जाता है ।

जहाँ उन्हीं [अर्थात् एक ही] प्रत्ययों, आगमों और उपपदों से नाना प्रकार की प्रकृतियों की समरूपता सिद्ध होती है उसे प्रकृति श्लेष समझना चाहिए ॥१८४॥

जहाँ प्रत्ययों, आगमों, उपपदों से नाना प्रकार की एकरूपता सिद्ध होती है वह प्रकृति श्लेष है । [यहाँ प्रयुक्त] 'अनन्यैः' का अर्थ—'उन्हीं से' इस रूप में है ।

टि०—'सिद्धयति स प्रकृतिश्लेषः' इतना अंश रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (४, २४ वृत्तिभाग) में मिलता है । ग्रन्थकार ने यहाँ कारिका को स्पष्ट करने के लिए अन्वय दिखा दिया है । और 'अनन्यैः' पद का अर्थ भी स्पष्ट कर दिया है । कुम्भकारः जैसे पदों में पूर्व प्रयुक्त कुम्भ आदि पद उपपद कहलाते हैं ।

जैसे—

यह राजकुमार सब शास्त्रों को हृदय में धारण करेगा और बुद्धिमानों के बीच कहेगा । यह शत्रुओं की शक्ति को काटने वाला है और मित्रों के सामर्थ्य का करने वाला [अर्थात् बढ़ाने वाला है] ॥२७२॥

टि०—यहाँ पर वक्ष्यति और सामर्थ्यकृत् इन दो स्थलों में प्रकृतिश्लेष है । वक्ष्यति में √वह् (प्रापणे) + स्य + ति इस प्रकार की रचना है और √वच् (परिभाषणे) + स्य + ति इस विधि से भी यह रूप वन जाता है । सामर्थ्यकृत् पद की रचना भी दो तरह से हो जाती है—१. सामर्थ्य + कृती (छेदने) + क्विप्, २. सामर्थ्य + कृ (डुकृञ् करणे) + क्विप् यहाँ क्विप् का सर्वापहारी लोप हो जाने पर पहला रूप तो स्वाभाविक ढंग से स्वयं वन जाता है । दूसरे में 'ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्' से तुगागम होने पर भी सामर्थ्यकृत् यह रूप वन जाता है । साहित्यदर्पण (१०,

यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां भवत्यनेकेषाम् ।
सारूप्यं प्रत्ययतः स ज्ञेयः प्रत्ययश्लेषः[1] ॥ १८५ ॥

यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां प्रत्ययात्सकाशात् सारूप्यं समानरूपता भवति स प्रत्ययश्लेषो विज्ञेयः । यथा—

रजनिरमणमौलेः पादपद्मावलोक-
क्षणसमयपराप्तापूर्वसम्पत्सहस्रम् ।
प्रमथनिवहमध्ये जातुचित् त्वत्प्रसादा-
दहमुचितरुचिः स्यान्नन्दिता सा तथा मे ॥ २७३ ॥

---

१२ वृत्तिभाग) में भी यह उदाहरण है ।

जहाँ पर अनेक प्रकार के प्रकृति और प्रत्ययों के समुदायों की एक-रूपता केवल प्रत्यय के कारण होती है उसे प्रत्ययश्लेष समझना चाहिए ॥१८५॥

[इसका अभिप्राय है] जहाँ बहुत से प्रकृति और प्रत्ययों के समुदायों की प्रत्ययों [के माध्यम] से सारूप्य अर्थात् समानरूपता होती है उसे प्रत्ययश्लेष जानना चाहिए ।

टि०—'यत्र...विज्ञेयः' इतना अंश कारिका और वृत्तिभाग के रूप में रुद्रट-कृत काव्यालङ्कार (४, २६ वृत्तिभाग) में भी मिलता है ।

[प्रत्ययश्लेष का उदाहरण] जैसे—

[हे शिव जी महाराज !] तुम्हारी कृपा से चन्द्र को सिर पर धारण करने वाले तुम्हारे चरणकमलों के अवलोकन के हर्षदायक समय में परमोत्कृष्ट, असाधारण हज़ार प्रकार की सम्पत्ति [रूप आनन्द] पाने के साथ कभी मैं [तुम्हारे] गणों [सेवकों] के समुदाय के मध्य में [प्राप्त किये] प्रशंसनीय [आत्मिक] प्रकाश वाला एवं आनन्दित हो जाऊँ और [वहीं] मेरा नन्दिभाव हो जाये [अर्थात् मैं तुम्हारा वाहन नन्दी बन जाऊँ] ॥२७३॥

टि०— शिव के किसी उपासक के द्वारा अपने भविष्य के सम्बन्ध में शिवजी को लक्ष्य करके यह प्रार्थना की गई है । यहाँ 'स्यान्नन्दिता' पद में प्रत्ययश्लेष है । इस पद की सन्धि करने से दो प्रकार के पदच्छेद निकलते हैं—एक 'स्याम् नन्दिता' और दूसरा 'स्यात् नन्दिता' । 'अहं नन्दिता (आनन्दयुक्त) स्याम्' और 'सा नन्दिता मे स्यात्' इन दो प्रकारों से अन्वय होता है । इस प्रकार 'स्याम्' और 'स्यात् पदों में उत्तम पुरुष तथा प्रथम पुरुष के प्रत्ययभाग मात्र का भेद होने से प्रत्ययश्लेष है । इसी प्रकार 'नन्दिता स्यात्' पक्ष में 'नन्दिनो भावः नन्दिता इस विग्रह में तद्धित का तल् प्रत्यय होता है और 'नन्दिता स्याम्' इस पक्ष में कृत्सञ्ज्ञक तृच् प्रत्यय होता है । इसलिए इन दोनों पदों में प्रत्ययमात्र का भेद होने से यह प्रत्ययश्लेष का

---

१. ज अ; त में यह कारिका नहीं ।

सारूप्यं यत्र सुपां तिङां तथा सर्वथा मिथो भवति ।
सोऽत्र विभक्तिश्लेषो वचनश्लेषस्तु वचनानाम् ॥ १८६ ॥

यथा—अलिकालयाऽप्यलकवल्लरीमालया समं शोभते तिलकमञ्जरी तस्याः । इत्यादि ।

वचनश्लेषो यथा—

आर्योऽसितरोमाल्यः सत्योऽनतकुक्षयः स्तवावाच्यः ।
सन्नाभयो युवतयः सन्मुख्यः सुनयना वन्द्यः ॥ २७४ ॥

उदाहरण है । यह श्लोक काव्यप्रकाश (६, ३७५) में भी प्रत्ययश्लेष के ही उदाहरण के रूप में दिया हुआ है ।

जहाँ सुप् और तिङों का आपस में सर्वथा सारूप्य [एक जैसा रूप] होता है वह इस [श्लेष] प्रसङ्ग में विभक्तिश्लेष समझना चाहिए और वचनों में [जो आपस में समानरूपता होती है उसे] वचनश्लेष [मानना चाहिए] ॥१८६॥

[विभक्तिश्लेष का उदाहरण] जैसे—

उस [प्रियङ्गुमञ्जरी] की मस्तक के स्थान वाली [अर्थात् मस्तक पर लगी हुई] तिलकपत्ररचना भौंरों के समान काले सुन्दर वेणीबन्धन [जूड़े] के साथ शोभा दे रही है । इत्यादि [उदाहरण विभक्तिश्लेष के हो जाते] हैं ।

टि०—नलचंम्पू के द्वितीय उच्छ्वास में प्रियङ्गुमञ्जरी के वर्णन (पृ० १२८) में यह पाठ कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ मिलता है '(यस्याः)...अलिकालयाप्यलकवल्लरीमालया सह विराजते तिलकमञ्जरी ।'

यहाँ 'अलिकालया' यह पद 'अलकवल्लरीमालया' इस तृतीयान्त पद तथा 'तिलकमञ्जरी' इस प्रथमान्त पद—इन दोनों का ही विशेपण बना हुआ है । इस कारण तृतीया और प्रथमा इन दोनों विभक्तियों के श्लेष का उदाहरण बन जाता है । तृतीया विभक्ति में इसका विग्रह 'अलिवत् कालो वर्णो यस्याः सा तया' है तथा प्रथमा विभक्ति में अलिकं ललाटमालयः स्थानमस्याः सा इस रूप में है (तिलकमेव मञ्जरी तिलकमञ्जरी) ।

[वचनश्लेष का उदाहरण] जैसे—

[हे राजन् !] आप सेना रूपी आभूषण वाले, सच्चे [अवितथवाक्], न झुकने वाले [अर्थात् अविनीत] शत्रुओं की भूमि का विनाश करने वाले, स्तुतियों से प्रशंसा न किये जा सकने योग्य [अर्थात् अनिर्वचनीय पराक्रमादि गुणसम्पन्न वाले] क्षीण व्यक्तियों को अभयदान देने वाले, युवकों की रक्षा करने वाले अथवा युवकों को प्रेरणा देने वाले, सज्जनों में प्रमुख, सुनीति वाले पुरुष, पूजनीय और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं ।

भाषाश्लेषविहीनः स्पृशति प्रायोऽन्यमप्यलङ्कारम्[1] ।
धत्ते वैचित्र्यमयं सुतरामुपमासमुच्चययोः ।। १८७ ।।

ननूपमासमुच्चययोः कथमिह सम्भवः साधर्म्यासम्भवा[2]दित्यत आह—

स्फुटमर्थालङ्कारावेतावुपमासमुच्चयौ किन्तु ।
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः ।। १८८ ।।

[हे राजन् ! तुम्हारे] शत्रुओं की कृष्ण रोमपङ्क्ति वाली, साध्वी, झुकी कोख [उदर] वाली [अर्थात् कृशोदरी] स्तुति करने के लिए नीचे की ओर झुकी [अर्थात् झुके हुए मुख और शरीर वाली], सुन्दर नाभियों से युक्त, रमणीय मुखों से उपलक्षित, शोभन नयनों वाली रमणियाँ वन्दिनी बना ली गई हैं ।।२७४।।

टि०—यहाँ 'आर्यः' आदि पद एक वचन और वहुवचन दोनों में प्रयुक्त हैं। इस कारण यह वचनश्लेष का उदाहरण है। साथ ही इन सभी पदों का पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों में प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ लिङ्गश्लेष भी है। किन्तु ग्रन्थकार ने यह वचनश्लेष के उदाहरण के ही रूप में रखा है।

भाषाश्लेष से रहित [अर्थात् भाषाश्लेष के अतिरिक्त अन्य सात प्रकारों वाला] यह शब्दश्लेष अधिकांश स्थलों पर दूसरे अलङ्कार का भी स्पर्श करता है। उपमा और समुच्चय अलङ्कार में तो यह बहुत अच्छी तरह विचित्रता [चमत्कार] को धारण करता है। ।।१८७।।

[शङ्का]—इन उपमा और समुच्चय अलङ्कारों के भीतर श्लेष का स्पर्श कैसे हो सकता है ?

श्लेष में [उपमा और समुच्चय के साथ] साधर्म्य का अभाव है इसलिए [इसके उत्तर में रुद्रट ने भी] कहा है—

टि०—पूर्वपक्षी का कहना है कि श्लेष शब्दालङ्कार है और उपमा, समुच्चय अर्थालङ्कार हैं ऐसी स्थिति में उपमा और समुच्चय में श्लेष का साथ कैसे सङ्गत होगा ? क्योंकि श्लेष की उपमा और समुच्चय के साथ समानधर्मता नहीं है। शब्दालङ्कार का शब्दालङ्कार के साथ सम्बन्ध हो सकता है और अर्थालङ्कार का अर्थालङ्कार के साथ सम्बन्ध सम्भव है। इसका उत्तर रुद्रट के शब्दों (काव्यालङ्कार ४,३२) में दिया गया है।

उपमा और समुच्चय ये दोनों स्पष्ट रूप में अर्थालङ्कार हैं किन्तु शब्दमात्र रूप साधर्म्य का आश्रय लेकर [अर्थात् शब्द की समानता के आधार पर] यह दोनों यहाँ [अर्थात् शब्दालङ्कारों में] भी हो सकते हैं ।।१८८।।

---

१. त;...प्यलङ्कारः ज अ ।
२. त; साधर्म्याभावा,..ज अ ।

यथा—

जननीतिमुदितमनसा सततं सुस्वामिना कृतानन्दा ।
सा नगरी नगतनया गौरीव मनोहरा भाति ॥ २७५ ॥

समुच्चयो यथा—

वसुधामहितसुराजितनीरागमना भवांश्च वर्षाश्च ।
सुरचितवराहवपुषस्तव च हरेश्चोपमा घटते ॥ २७६ ॥

टि०—यह सत्य है कि उपमा और समुच्चय अपने अर्थालङ्कार होने के स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं किन्तु 'सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुविम्बमिव' जैसे स्थलों पर केवल शब्दसाम्य के आधार पर उपमा को शब्दालङ्कार भी कहा जा सकता है। आगे दिए हुए 'वसुधामहित' आदि समुच्चय अलङ्कार में शब्द की समानता दृष्टिगोचर हो रही है इस कारण वह शब्दालङ्कार कहा जा सकता है।

[नगरीपक्ष] राजनीति से प्रसन्न मन वाले उत्तम राजा से सदैव आनन्दित की गई सदाचरणमयी [अर्थात् सदाचारी लोगों से युक्त] मनोहर वह नगरी पार्वती की तरह सुशोभित हो रही है।

[गौरीपक्ष] प्रसन्न मन वाले स्कन्द के द्वारा 'जननी' [माता] इस रूप में सम्बोधन किये जाने के कारण लगातार आनन्दित की जाती हुई पर्वतपुत्री पार्वती सुन्दर नगरी के समान सुशोभित हो रही है ॥२७५॥

टि०—यहाँ गौरी की तरह सुशोभित होने वाली नगरी में समान [जननीतिमुदितमनसा आदि] विशेषणों के अतिरिक्त और किसी तरह का न तो गुणसाम्य है और न क्रियासाम्य है। ऐसे उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उपमा में जिस तरह गुणसाम्य और क्रियासाम्य [उपमान और उपमेय का साधारण धर्म] माना जाता है ठीक उसी तरह शब्दसाम्य को भी साधारण धर्म माना जाता है। और इसी शब्दसाम्य का अन्वयव्यतिरेक उपमा की शब्दालङ्कारता को सिद्ध करता है। इस प्रकार के परिवृत्त्यसह शब्दों की अवस्थिति पर ही उपमालङ्कार की सत्ता होती है। यह श्लोक नलचम्पू (१,३०) में है।

[समुच्चय का उदाहरण] जैसे—

आप और वर्षा समान हैं। आप धन और तेज के कारण हितकारी [परोपकारपरायण] देवताओं के द्वारा भी न हराये जाने वाले एवं रागरहित चित्त वाले हैं और वर्षायें पृथिवी पर सुशोभित जलागमन से युक्त हैं [यहाँ च शब्द समुच्चयबोधक है]।

भलीभाँति भयङ्कर रचे गये सुन्दर युद्ध का पोषण करने वाले आपका तथा उत्तम रूप से बने हुए [धारण किये] वराह के शरीर वाले विष्णु भगवान् का साम्य घट [सङ्गत हो] रहा है [यहाँ भी 'च' समुच्चयार्थक है] ॥२७६॥

अयं शब्दार्थयोरलङ्कारः[1]। प्रकृते शब्दस्यैव प्राधान्याच्छाब्द-त्वम्[2]। आर्थस्तूदाहरिष्यते[3]। अत्र केचित्—एतादृशस्य श्लेषस्य स्वत एव चमत्कारिता, न तु पदार्थद्वयोपस्थित्यनन्तरं जायमाने रसोद्बोधे उपकारकतया तदा[4] चास्य कथ[5]मलङ्कारत्वमिति ?

टि०—यहाँ पूर्वार्ध में भवत्पक्ष में वसुधामभ्यां हितं सुरैरजितं नीरागं च मनो यस्य तथा वर्षापक्ष में वसुधायां महितं सुराजितं नीरागमनं यासु ताः यह विग्रह हो जायेगा। उत्तरार्ध में तव के विशेषण का विग्रह सुरचितं वरम् यद् आहवं तस्य पुषः तथा 'हरेः' के विशेषण का सुरचितं वराहवपु र्येन स तस्य इस रूप में विग्रह हो जायेगा।

यह अलङ्कार शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है। [जिस श्लेष का ऊपर वर्णन किया गया है इस] प्रस्तुत श्लेष में शब्द की ही प्रधानता होने से शब्दालङ्कारत्व है [यह सब शब्दश्लेष के लक्षण और उदाहरण दिये गये हैं]। अर्थसम्बन्धी [अर्थात् अर्थश्लेष का लक्षणसहित] उदाहरण तो [अष्टम तरङ्ग में आगे] दिया जायेगा।

यहाँ पर कुछ विद्वानों ने प्राचीन आचार्यों के [द्वारा उत्थापित शङ्का रूपी] वाग्विलास का खण्डन किया है। उनका इस प्रकार कहना है —

[पूर्वपक्षी की शङ्का] इस प्रकार के श्लेष की तो अपने लिए [अर्थात् शब्दों के सौष्ठव के लिए] ही चमत्कारिता [वैचित्र्य] होती है न कि शब्दों के दोनों अर्थों की उपस्थिति के बाद उत्पन्न होने वाले रस के उपकारी होने के रूप में [इसकी चमत्कारकारकता होती है इस कारण] इस स्थिति में इसको अलङ्कार कैसे माना जा सकता है ?

टि०—आक्षेपकर्त्ता का ग्रन्थकार के ऊपर इस रूप में आक्षेप है कि वह इसी तरङ्ग के आरम्भ में यह स्वीकार कर चुके हैं कि शब्दालङ्कार वह है जो ाब्द को अलङ्कृत करके रस का उपकारी बने (तत्र शब्दालङ्कारत्वं शब्दमलङ्कृत्य रसोपकारकत्वम्) और यहाँ यह कहने लग पड़े हैं कि 'वसुधामहित' इत्यादि उदाहरणों में शब्दमात्र के साम्य के आधार पर श्लेषालङ्कार है किन्तु इस प्रकार का श्लेषालङ्कार तो शब्दगत चमत्कार तक ही सीमित है इस कारण इसमें शब्दों का उत्कर्ष

---

१. त;...रपि अलङ्कारः ज अ।
२. त; प्राधान्यात् शाब्दत्वम् ज अ।
३. त; आर्थस्तु उदाहरिष्यते ज अ।
४. संशोधित; तथा ज अ त।
५. ज अ, कथमस्यालङ्कारत्वमिति त।

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ।।

इति तल्लक्षणादित्थं[1] प्राचां वाचां विलासमास्कन्दयन्ति तत्र नाति-

---

तो बढ़ जाता है किन्तु रस का उत्कर्ष नहीं बढ़ पाता। किन्तु विश्वनाथ आदि आचार्यों ने तो यही कहा है—

उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः ।। साहित्यदर्पण १,३ ।

अलङ्कार का अलङ्कारत्व इसी में है जब वह रस का उपकार करे किन्तु शब्दमात्र के साम्य वाला श्लेषालङ्कार तो अलङ्कार ही नहीं कहा जा सकता। 'सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुविम्बमिव' में श्लेषानुप्राणित उपमालङ्कार की अलङ्कारता ही सिद्ध नहीं होती क्योंकि यहाँ यह अलङ्कार किसी रस को पुष्ट नहीं कर रहा है।

और जो [काव्य में] विद्यमान उस [अङ्गी रस] को [शब्द तथा अर्थ रूप] अङ्गों के द्वारा [निश्चित रूप से और सदा नहीं अपितु] कभी २ उपकृत [उत्कर्ष-युक्त] करते हैं, वे अनुप्रास और उपमादि [शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार शरीर के शोभाधान द्वारा परम्परया शरीरी आत्मा के उत्कर्षजनक] हार आदि [दैहिक अलङ्कारों] के समान [काव्य के अलङ्कार] होते हैं।

इस प्रकार [आचार्य मम्मट के द्वारा काव्यप्रकाश ८, २ में कहे गये] इस लक्षण से इस रूप में [उनकी] भर्त्सना करते हैं अर्थात् श्लेष अलङ्कार जब रसोपकारक ही हो तभी वह अलङ्कार कहलायेगा इस मत को असङ्गत मानते हैं।

टि०—मम्मटकृत इन अलङ्कारों के लक्षण में अलङ्कारों की तीन विशेषतायें बताई गई हैं—

१. सन्तं तमुपकुर्वन्ति यत्र तु नास्ति रसस्तत्रोक्तिवैचित्र्यमात्रपर्यवसायिनः— अर्थात् काव्य में यदि रस होता है तो अलङ्कार उसके उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। यदि नहीं होता तो वह फिर उसकी शोभा न बढ़ाकर स्वयं उक्ति-वैचित्र्य रूप में प्रतीत होते हैं।

२. अङ्गद्वारेण उपकुर्वन्ति—रस के अङ्ग बनकर ही उपकार करते हैं सदा नहीं।

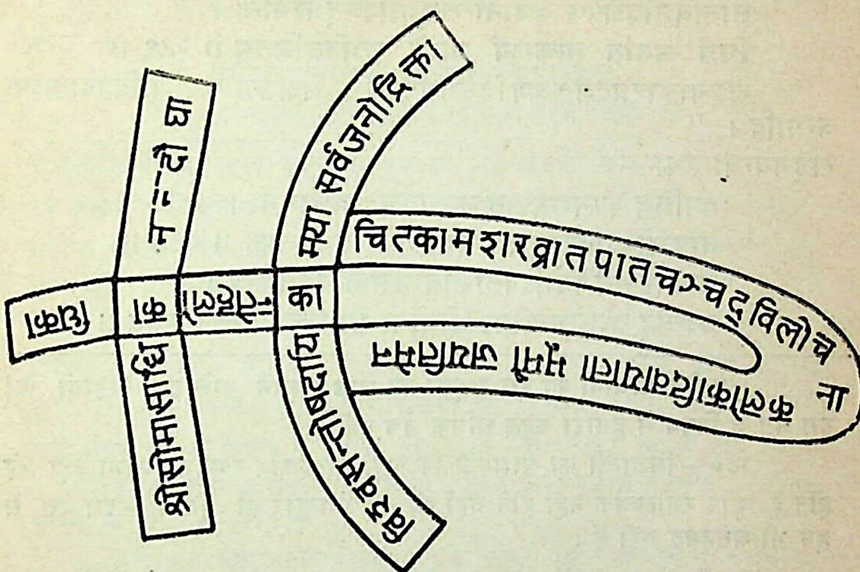
३. जातुचित् उपकुर्वन्ति—कभी २ रस का उपकार करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं।

इन विशेषताओं को देखते हुए शब्दसाम्य के आधार पर प्रयुक्त शब्दश्लेष रस का उपकार न करने पर भी अलङ्कार माना जाता है। इस प्रकार मम्मट की प्रामाणिक उक्ति के आधार पर ये विद्वान् प्राचीन आचार्यों के आक्षेप का निराकरण कर देते हैं।

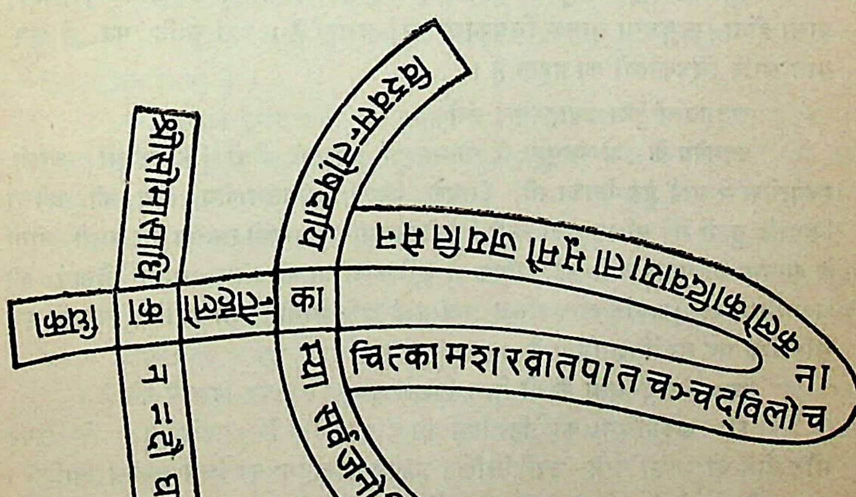
---

१. ज अ;तल्लक्षणादित्थं त में नहीं।

खड्गबन्ध



(पहला चित्र)



(दूसरा चित्र)

दरामस्माकं प्रद्वेषः ।

सन्निवेशविशेषेण वर्णानां खड्गादिवत् स्थितिः ।
चित्रं भवति तत्काव्यं प्रायो रसविवर्जितम् ॥ १८९ ॥

खड्गाकारप्रदर्शकवर्णविन्यासकत्वं लक्षणम् । आदिपदाच्छत्र-बन्धादि ।

खड्गबन्धो यथा—

काचित् कामशरव्रातपातचञ्चद्विलोचना ।
नाकलोकादिवायाता भूमौ जयति मेनका ॥ २७७ ॥
काम्या सर्वजनोद्रिक्ता विश्वसन्तोषदायिका ।
कान्तेह लोकानन्दौघा श्रीसीमा साधिकाधिका ॥ २७८ ॥

[प्राचीन आचार्यों की इस शङ्का का खण्डन करने वाले इन विद्वानों के] इस मत के विषय में हमारा बहुत अधिक द्वेष नहीं है।

टि०—सिद्धान्ती का आशय है कि जहाँ अलङ्कार स्वयं की शोभा बढ़ा रहे होते हैं और रसोत्कर्षक नहीं होते वहाँ भी वह अलङ्कार ही होते हैं—इस मत से हम भी असहमत नहीं हैं।

५. चित्रयुक्—वर्णों की रचनाविशेष [अर्थात् विशिष्ट प्रकार के लेखन] से [जहाँ पद्यों की] तलवार आदि की तरह स्थिति [आकार—शक्ल] हो जाती है [वहाँ] वह काव्य चित्र होता है और अक्सर रस से रहित होता है ॥१८९॥

तलवार की आकृति को दिखाने वाले वर्णों के विन्यास [स्थिति] वाला होना [खड्गबन्ध नामक चित्रकाव्य का] लक्षण है। यहाँ आदि पद से छत्र-बन्ध आदि चित्रकाव्यों का ग्रहण है।

खड्गबन्ध [का उदाहरण] जैसे—

कामदेव के बाणसमूह के पतनसदृश चञ्चल नेत्रों [के कटाक्षों] वाली, स्वर्गलोक से आई हुई मेनका सी, [सबके लिए] अभिलषणीय, सब की अपेक्षा [रूपादि गुणों में] अधिक बढ़ी चढ़ी [अलोकसामान्य] सबको सन्तोष देने वाली, लोगों के आनन्द का पुञ्ज बनी हुई, अधिक से अधिक शोभा की सीमा अर्थात सौन्दर्य की चरमसीमा वह [अर्थात् लोकप्रसिद्ध एवं कोई अनिर्वचनीय सौन्दर्योपेत] रमणी इस भूमिलोक पर सर्वातिशायिनी है ॥२७७-२७८॥

टि०—खड्गबन्ध के दो चित्र पिछले पृष्ठ ३६१ पर दिखाये गये हैं।

इस खड्गचित्र की निर्माणविधि इस प्रकार है—पहले मूठ के ऊपर और नीचे दो शाखा वाले उपरिलिखित प्रकार के खड्ग का चित्र बनाना चाहिए। खड्ग की मूठ के निचले हिस्से के बीच में श्लोक का प्रथम अक्षर 'का' लिख देना चाहिए। तलवार की सबसे निचली नोंक के बीच में प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध का अन्तिम अक्षर 'ना' लिख देना चाहिए। अब प्रथम श्लोक के शेष अक्षरों को 'का'

एवमन्येऽपि वोध्याः। एते शक्तिमात्रप्रकाशकाः। काव्यस्वरूपतां न दधतीति काव्यप्रकाशकाराः। एवमेकाक्षरादिविचित्राणि वोध्यानि। यथा—

दूनानन्दनिदानो नन्दनन्दननन्दनः।
नान्दीनादनिनादेन ददौ दानं दिने दिने ॥ २७९ ॥

के वाद से आरम्भ करके खड्ग की एक ओर की धार के साथ २ लिखना चाहिए। इस प्रकार से लिखने पर तलवार की निचली नोक पर पूर्वार्ध 'ना' अक्षर पर समाप्त हो जायेगा। वहाँ से आगे उत्तरार्ध को तलवार की दूसरी धार के साथ २ दूसरे भाग पर लिखना प्रारम्भ करना चाहिए। इस रीति से लिखने से मूठ के निचले भाग के वीच में पूर्वलिखित 'का' अक्षर पर आकर उत्तरार्ध के वर्ण समाप्त हो जायेंगे। इस 'का' को केन्द्र मानकर मूठ के निचले दोनों फलकों में दूसरे श्लोक का प्रथम चरण एक ओर तथा दूसरा चरण दूसरी ओर आ जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय श्लोक के तृतीय तथा चतुर्थ दोनों चरण मूठ के ऊपर वाले भाग के दोनों ओर लिखे जा सकते हैं। इस रीति से ये दोनों श्लोक तलवार के आकार को धारण कर लेते हैं।

यदि 'का' अक्षर को सर्वप्रथम मूठ के निचले हिस्से के वीच में लिखकर, प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध का अन्तिम अक्षर ना लिख देने के पश्चात् शेष अक्षरों को 'का' के वाद से आरम्भ करके खड्ग की पिछली धार के साथ साथ न लिखा जाये और दूसरी धार की ओर से लिखना प्रारम्भ किया जाय तो भी इसी प्रकार का खड्गवन्ध वन सकता है। केवल उभयपार्श्वों के अक्षरों में उलट फेर हो जायेगा परन्तु आकृति एक ही प्रकार की रहेगी। पहले दिखाया हुआ खड्ग का चित्र ही टीकाकारों में अधिक मान्य होता आया है।

इसी प्रकार दूसरे पद्मवन्ध, मुरजवन्ध, मुसलबन्धादि चित्रालङ्कारों का भी [स्वरूप] समझ लेना चाहिए। यह [सारे चित्रालङ्कार] कवि के [शब्दविन्यास रूप रचना कर देने के] सामर्थ्य भर को वताते हैं [किन्तु उसकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं करते हैं] और [लोकोत्तर चमत्कार के जनक न होने से] काव्यरूपता को नहीं धारण करते हैं इस प्रकार काव्यप्रकाश के रचयिता [आचार्य मम्मट] ने [का० ९,८५ वृत्तिभाग] कहा है। इसी भाँति एकाक्षर, द्व्यक्षरादि विचित्र प्रकार चित्रकाव्यों के भेद समझने चाहिएँ।

टि०—इस प्रकार चित्रकाव्य सामान्यतः दो भागों में विभक्त हो जाते हैं—१. खड्गवन्धादि तस्वीरों वाले तथा २. एकाक्षर और द्वयक्षर आदि विविध प्रकार के वर्णविन्यासों से बनने वाले।

[द्वयक्षर चित्रकाव्य का उदाहरण] जैसे—

धर्मानुष्ठान के आरम्भ में की गई देवस्तुतियों के ऊँचे स्वर की ध्वनि के साथ ही दुःखी [एवं दरिद्रों] के आनन्द का मूलकारणभूत, विष्णु भगवान् को अपनी

चित्रान्तरोदाहरणान्यस्मत्कृतचित्रमीमांसायां द्रष्टव्यानि । केचिदनुप्रासादिवदेतेऽपि शब्दमुपकृत्य रसमुपकुर्वन्तीति वदन्ति[1] । न चानयो र्मतयोरन्यतरपरिग्रहः साधीयान्, अनुभवकलहपर्यवसानात् ।

पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा ।
एकार्थतेव शब्दस्य तथा शब्दार्थयोरयम् ।। १९० ।।

आराधना से प्रसन्न करने वाला [अर्थात् विष्णु भगवान् का भक्त वह राजा] प्रतिदिन दान किया करता था ।।२७९।।

टि०—दूनानन्द० इत्यादि उदाहरण केवल तिरुपति की प्रति में ही मिलता है। उपरिलिखित श्लोक परिष्कृत रूप में लिखा गया है। इसको गद्य रूप में वहाँ इस भाँति लिखा है—'दूनानन्दनिदानेन नन्दनन्दननादानुदानेन दिने दिने दानं ददे ।'

दूसरे [मुरजबन्धादि तथा एकाक्षरादि दोनों प्रकार के] चित्रकाव्यों के उदाहरण हमारे द्वारा बनाई गई 'चित्रमीमांसा' नाम की रचना में देख लेने चाहिए।

टि०—इस पङ्क्ति से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार ने 'चित्रमीमांसा' नामक कोई और ग्रन्थ भी वनाया होगा किन्तु अभी तक इस ग्रन्थ की हस्तलिखित या मुद्रित प्रति दिखाई नहीं दी है।

कुछ आचार्य—अनुप्रासादि की तरह यह [चित्रकाव्य] भी शब्द का उपकार करके रस का उपकार करते हैं—ऐसा मानते हैं [जबकि अन्य साहित्यदर्पणकार जैसे रसवादी आचार्य इन्हें रस के पोषक न होने के कारण वास्तविक अलङ्कार नहीं मानते] किन्तु इन दोनों मतों में से किसी एक मत को ग्रहण करना अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि अनुभव के युद्ध [कसौटी] में इन मतों की परिणति है [अर्थात् जिनका जैसा अनुभव है वैसा ही वे मान सकते हैं]।

टि०—चित्रालङ्कारों के काव्य बनने या न बनने के सम्बन्ध में ग्रन्थकार का मत समन्वयात्मक है। वे यहाँ किसी एक पक्ष को अधिक महत्त्व नहीं दे रहे हैं अपितु दोनों ही मतों को सहानुभूति के साथ देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिन प्रौढ़ विद्वानों को चित्रकाव्यों की रचना करने अथवा उनका अनुशीलन करने में आनन्द आता है वे चित्रकाव्यों को यदि काव्य मानते हैं तो यह आपत्तिजनक नहीं है। जिन्हें नहीं आनन्द आता वे इन्हें यदि काव्य न स्वीकार करें तो वे भी आक्षेप के योग्य नहीं हैं। दोनों ही मत ठीक हैं क्योंकि दोनों ही प्रकार का अनुभव देखने में आता है।

६. पुनरुक्तवदाभास—विभिन्न स्वरूप के शब्दों में रहने वाली [समानार्थक न होने पर भी] समानार्थता सी जो [प्रतीति होती] है वह पुनरुक्तवदाभास है।।१९०।।

---

१. त; वदन्ति पद ज अ में नहीं।

विजातीयानुपूर्वीकशब्दगेत्यर्थः[1]। तेनार्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यादौ नातिव्याप्तिः। यथा—

चकास[2]त्यङ्गना रामाः कौतुकानन्दहेतवः।
तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पार्श्ववर्तिनः॥ २८०॥

अत्र नवीनाः, वाक्यार्थबोधकाल एव पुनरुक्तवदाभासाभावाद् रसोद्बोधकाले तु सुतरामिति कथं तस्य रसोपकारकत्वमिति श्लेषवद् विचारयन्ति।

टि०—भिन्न रूप से कहीं २ दोनों सार्थक और कहीं दोनों या एक के निरर्थक शब्दों में आपाततः (प्रारम्भ में) समानार्थकता की प्रतीति जहाँ होती है, वह पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार होता है और वह शब्द तथा अर्थ दोनों में रहने वाला होता है।

यह [एकार्थता] विजातीय अर्थात् भिन्न २ आकार वाले और ठीक उसी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों में रहती है [विभिन्नाकारशब्दगा पद का] यह अभिप्राय है इस कारण अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य आदि ध्वनियों के भीतर इसकी अतिव्याप्ति नहीं होती।

टि०—'यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा जैसे अर्थान्तरसङ्क्रमित-वाच्यध्वनि के उदाहरणों में मित्राणि और शत्रवः शब्द एक ही आकार वाले तथा एक ही अर्थ वाले हैं, जबकि पुनरुक्तवदाभास में एकार्थता होने पर शब्दों के स्वरूप सर्वथा बदले हुए होते हैं अर्थात् भिन्न २ शब्दों का प्रयोग होता है। आगे दिए हुए पुनरुक्तवदाभास के उदाहरणों में अङ्गनाः और रामाः पद यद्यपि अर्थ की दृष्टि से एक हैं, किन्तु आकार सर्वथा भिन्न है।

उस राजा के [पार्श्ववर्ती] सुन्दरी स्त्रियों के साथ रमण करने वाले, काव्य-चर्चा आदि के द्वारा आनन्द प्रदान करने वाले, सुन्दर मन वाले सहृदय और विद्वान् पार्श्ववर्ती मित्र शोभित होते हैं॥२८०॥

टि०—यहाँ अङ्गनाः—रामाः, कौतुक—आनन्द और सुमनसो विबुधाः शब्द आपाततः पुनरुक्त से विदित होते हैं किन्तु अर्थ का विचार करने पर पुनरुक्ति नहीं रहती है। ये शब्द अभङ्ग हैं।

यहाँ [पुनरुक्तवदाभास के विषय में] नवीनों का मत है—वाक्यार्थबोध के समय में ही पुनरुक्तवदाभास का अभाव होने से [अर्थात् पुनरुक्ति की प्रतीति न होने से तथा] रसोद्बोधकाल में तो अच्छी तरह [पुनरुक्ति का बोध] होने से इस पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार का रसोपकारकत्व कैसे हो सकेगा? इस दशा में इसकी स्थिति श्लेष जैसी है [अर्थात् जैसे केवल शब्दों के साम्य वाले

---

१. ज अ,...सब्दग इत्यर्थः त।
२. ज अ; चकाशत्य...त।

तत्र प्राचामुत्तरमनुत्तरमेवेत्यलं पल्लवितेन ।

इति श्रीविश्वनाथदेवविरचिते[1] श्री[2]साहित्यसुधासिन्धौ शब्दालङ्कारमार्जनं नाम सप्तमस्तरङ्गः ।

श्लेष का अलङ्कारत्व नहीं सिद्ध होता है उसी प्रकार पुनरुक्तवदाभास का भी अलङ्कारत्व सिद्ध नहीं हो सकता] ।

टि०—प्राचीनों का मत है कि पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार में पदों के अन्वय-बोध के समय पुनरुक्ति का बोध हो जाता है किन्तु उसके बाद वाच्यार्थ की प्रतीति होने पर रसोद्‌बोध में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं प्रतीत होता है इसके ठीक विपरीत नवीनों का मत है कि वाक्यार्थबोधकाल में पुनरुक्ति का जब बोध हो रहा होता है तो इस ज्ञान से रसोद्‌बोध में विघ्न आता है। अतः पुनरुक्ति के कारण क्योंकि इसके भीतर रसविघातकता आ जाती है इसलिए इसका अलङ्कारत्व समाप्त हो जाता है। इस कारण जैसे शब्दसाम्यसमन्वित श्लेष में रसोपकारत्व नहीं रहता है उसी प्रकार इस अलङ्कार में भी रसोपकारकत्व धर्म न होने से इसे अलङ्कार नहीं मानना चाहिए।

[नवीनों के मत का] प्राचीनों की ओर से जो उत्तर है वह [वास्तव में] अनुत्तर [अर्थात् असमीचीन उत्तर] है। इस विषय को और अधिक न बढ़ाकर यहीं समाप्त करते हैं ।

टि०—ग्रन्थकार ने यहाँ साङ्केतिक भाषा में उन प्राचीन आचार्यों के मत से अपनी असहमति प्रकट की है जो पुनरुक्तवदाभास को अलङ्कार मानते हैं और आचार्य मम्मट के जातुचिदलङ्कुर्वन्ति इस सिद्धान्त को लेकर रसोपकारक न होने पर भी अलङ्कारता को मानते हैं उनका यह उत्तर नवीनों को सन्तुष्ट करने वाला नहीं है ऐसा वह समझते हैं। इत्यलं पल्लवितेन यह कहकर वह दोनों पक्षों के प्रति अपना सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी प्रकट करना चाहते हैं। यदि कट्टर रसवादी इस अलङ्कार को रसोपकारक न होने के कारण अलङ्कार न माने तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। और यदि नवीन इसे चमत्कारजनक होने के कारण अलङ्कार माने तो भी कोई विशेष बात नहीं है। वस्तुतः इसके अलङ्कारत्व की कसौटी सहृदय के अपने हृदय का अनुभव ही है जिन प्रौढ विद्वानों को इसके बनाने में और ऐसी रचनाओं के पढ़ने में आनन्द आता है वह इसे अलङ्कार मान सकते हैं और जिन्हें इस प्रकार का आनन्द नहीं आता है वह यदि इसे अलङ्कार नहीं मानें तो भी कोई दोष नहीं है।

इस प्रकार श्रीविश्वनाथदेवविरचित श्रीसाहित्यसुधासिन्धु में शब्दालङ्कार-मार्जन नाम की सप्तम तरङ्ग समाप्त हुई ।

—०—

१. त में अतिरिक्त, ज में अ नहीं ।
२. अ, श्री पद ज त में नहीं

अष्टमस्तरङ्गः

अवसरसङ्गत्या अर्थालङ्कारविवेचनमाह—

अर्थालङ्कारत्वमर्थमुपकृत्य रसोपकारकत्वम् ॥[1] १९१ ॥

अथ प्राचामलङ्काराः—

उपमा[1]नन्वयौ[2] स्यातामुपमेयोपमा ततः ।
उत्प्रेक्षा[4]ऽथ ससन्देहो[5] रूपका[6]पह्नुती[7] तथा ॥१९२॥
श्लेष[8]श्चाथ समासोक्तिः[9] प्रोक्ता पश्चान्निदर्शना[10] ।
अप्रस्तुतप्रशंसा[11]ऽतिशयोक्ती[12] परिकीर्तिते ॥१९३॥
प्रतिवस्तूपमा[13] तद्वद् दृष्टान्तो[14] दीपकं[15] तथा ।
स्यात्तुल्ययोगिता[16] पश्चात् व्यतिरेकः[17] प्रकीर्तितः ॥१९४॥
आक्षेपोऽ[18]थ विशेषोक्तिः[19] प्रोक्ता पश्चाद् विभावना[20] ।
पश्चादर्थान्तरन्यासो[21] यथासङ्ख्यं[22] विरोधवत्[23] ॥१९५॥

इसके बाद ग्रन्थकार अवसर के औचित्य से [शब्दालङ्कारों के अनन्तर] अर्थालङ्कारों का विवेचन [आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित ६१ अर्थालङ्कारों को लेकर उनकी लक्षणोदाहरणसहित व्याख्या] कर रहे हैं।

अर्थ का उपकार करके रस का उपकारी होना अर्थालङ्कारत्व [अर्थात् अर्थालङ्कार का लक्षण] है ॥१९३॥

इसके बाद प्राचीन आचार्यों के अलङ्कार [बतलाये जा रहे] हैं—

१. उपमा और २. अनन्वय यह दो अलङ्कार होते हैं इसके बाद ३. उपमेयोपमा है। इसके अनन्तर ४. उत्प्रेक्षा और ५. ससन्देह एवं ६. रूपक और ७. अपह्नुति हैं। ८. श्लेष और तदनन्तर ९. समासोक्ति और इसके बाद १०. निदर्शना कही गई है। ११. अप्रस्तुतप्रशंसा और १२. अतिशयोक्ति भी अलङ्कार बताई गई हैं। १३. प्रतिवस्तूपमा और उसी तरह १४. दृष्टान्त और १५. दीपक [अलङ्कार] हैं। १६. तुल्ययोगिता [भी अलङ्कार होती] है। इसके बाद १७. व्यतिरेक को कहा गया है। १८. आक्षेप और इसके बाद १९. विशेषोक्ति २० विभावना कही गई है। तत्पश्चात् २१. अर्थान्तरन्यास २२. यथासङ्ख्य २३. विरोधवत्।

---

१. ज अ; रसोपकारित्वम् त।

स्वभावोक्ति[२४]स्तथा प्रोक्ता व्याजस्तुतिः[२५] सहोक्तिभिः[२६]
विनोक्तिः[२७] परिवृत्तिश्च[२८] भाविकं[२९] काव्यकारणम्[३०] ॥१९६॥
पर्यायो[३१]क्तमुदात्तञ्च[३२] समुच्चय[३३] उदीरितः ।
पर्याय[३४]श्चानुमानञ्च[३५] प्रोक्तः परिकरस्तथा[३६] ॥१९७॥
व्याजोक्ति[३७]परिसङ्ख्ये[३८] च विज्ञेये हेतुमालया[३९] ।
अन्योन्य[४०]मुत्तरं[४१] सूक्ष्मः[४२] सार[४३]स्तद्वदसङ्गतिः ॥ १९८ ॥
समाधि[४४]श्च समेन[४५] स्याद् विषम[४६]स्त्वधिकेन[४७] च ।
प्रत्यनीकं[४८] मीलितं[४९] च स्यातामेकावली[५०] स्मृतिः[५१] ॥१९९॥
भ्रान्तिमांश्च[५२] प्रतीपेन[५३] सामान्यं[५४] च विशेषवत्[५५] ।
तद्गुणा[५६]तद्गुणौ[५७] चैव व्याघातः[५८] परिकीर्तितः ॥ २०० ॥
संसृष्टि[५९]सङ्करा[६०]सङ्गादर्थालङ्कृतयः क्रमात् ।
एकषष्टिः समाख्याताः प्राचामेवाभिसम्मताः २०१ ॥

क्रमेण लक्षणोदाहरणानि। तत्र बहुविपयतया प्रधानभूतामुपमां लक्षयति—

तत्रोपमात्वं तावत्तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम ॥ २०२ ॥

---

२४. स्वभावोक्ति और २५. व्याजस्तुति को २६. सहोक्ति के साथ कहा है। २७. विनोक्ति २८. परिवृत्ति २९. भाविक ३० काव्यकारण [काव्यलिङ्ग] ३१. पर्यायोक्त ३२. उदात्त और ३३. समुच्चय अलङ्कार [भी] बताया गया है ३४. पर्याय ३५. अनुमान और ३६. परिकर को अलङ्कार बोला गया है। ३७. व्याजोक्ति ३८. परिसङ्ख्या को ३९. हेतुमाला [कारणमाला] के साथ जानना चाहिए। ४०. अन्योन्य ४१. उत्तर ४२. सूक्ष्म ४३. सार और उसी तरह ४४. असङ्गति अलङ्कार होता है। ४५. समाधि ४६. सम के साथ और ४७. विषम ४८. अधिक के साथ होता है। ४९. प्रत्यंनीक और ५०. मीलित होते हैं । ५१. एकावली, ५२. स्मृति ५३. भ्रान्तिमान्, ५४. प्रतीप अलङ्कार के साथ हैं। ५५. सामान्य, ५६. विशेषवत् ५७. तद्गुण ५८. अतद्गुण और ५९. व्याघात को अलङ्कार बताया गया है।

६०. संसृष्टि और ६१. सङ्कर के मिलन से होने वाले [ऊपर गिनाये गये इसी] क्रम के साथ प्राचीन आचार्यों के प्रिय एवं वाञ्छनीय अर्थालङ्कार यहाँ भलीभाँति [लक्षण और उदाहरणों सहित] कहे जा रहे हैं ॥१९१-२०१॥

क्रम से लक्षण और उदाहरण [दिये जा रहे] हैं। इन अलङ्कारों में [अन्यालङ्कारों की अपेक्षा] बहुत अधिक बड़ा क्षेत्र होने के कारण [सारे अलङ्कारों के मध्य] प्रधान बनी हुई उपमा का [ग्रन्थकार] लक्षण करते हैं—

१. उपमा—यहाँ अर्थात् इस अलङ्कारलक्षण प्रसङ्ग में उपमान से भिन्न होने पर भी उपमेय का उपमानगत धर्मों से अत्यधिक मात्रा में युक्त हो जाना उपमा होना है ॥२०२॥

अनन्वयव्यवच्छेदाय सत्यन्तम्। एतावदुपमेयोपमायामतिव्याप्त-मिति। एकनिरूपिताऽनुयोगितामात्रकत्वे सतीति विशेषणीयम्। उपमेयो-पमायामेकनिरूपिताऽनुयोगिता प्रतियोगिता चेति[1] तत्र[2] नातिव्याप्तिः। एकपदस्य प्रधानार्थकतया प्रतीपे नातिव्याप्तिः।

टि०—'मुखं चन्द्र इव शोभते' यह उदाहरण पूर्णोपमा का है। चन्द्रभिन्न-त्वे सति चन्द्रगतभूयो धर्मवत्त्वं मुखे वर्तते—यद्यपि मुख चन्द्र से भिन्न है, फिर भी इसमें चन्द्रगत रमणीयत्व आह्लादकत्वादि बहुत से धर्मों की कल्पना कर ली जाती है।

[उपमा के 'उपमात्वं तावत् तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम्' इस लक्षण में 'तद्भिन्नत्वे सति यह] सति पर्यन्त विशेषण अनन्वय अलङ्कार से पार्थ-क्य प्रकट करने के लिए रखा गया गया है।

टि०—'तद्भिन्नत्वे सति' यह विशेषण उपमालङ्कार के लक्षण में इस बात पर ज़ोर देने के लिए है कि इस अलङ्कार में उपमा और उपमेय की भिन्नता बनी रहती है इसके विपरीत अनन्वय अलङ्कार में उपमान और उपमेय में भेद नहीं होता। वहाँ जो उपमेय होता है, वही उपमान बन जाता है 'मुखं मुखमिव' जैसे अनन्वय के उदाहरणों में उपमेय और उपमान की एकता बनी रहती है। उपमा में उपमेय और उपमान में परस्पर भिन्नता होते हुए भी एक धर्म दूसरे में रहते हुए दिखाई पड़ते हैं।

इतना लक्षण तो उपमेयोपमा में भी चला जाता है। इस कारण एक निरू-पिताऽनुयोगितामात्रकत्वे सति' यह विशेषण और रखना चाहिए। उपमेयोपमा में एकनिरूपिता अनुयोगिता और प्रतियोगिता दोनों हुआ करते हैं, इस कारण वहाँ इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती।

टि०—सिद्धान्ती का आशय है कि उपमा का सम्पूर्ण लक्षण 'एकनिरूपिता-नुयोगितामात्रकत्वे सति तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम्' यह होना चाहिए। उपमेयोपमा में एकनिरूपिता अनुयोगिता प्रतियोगिता ये दोनों तत्त्व होते हैं। अनु-योगी का अर्थ है विशेषण। उपमा के 'मुखं चन्द्र इव शोभनम्' इस उदाहरण में मुख अनुयोगी है और चन्द्र प्रतियोगी। इस प्रकार यहाँ मुख केवल अनुयोगी अर्थात् विशेष्य है। परन्तु 'मुखं चन्द्र इव चन्द्रो मुखमिव' इस उपमेयोपमा के उदाहरण में मुख अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों हो गया है। इस प्रकार उक्त विशेषण के लग जाने पर उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति नहीं होगी।

एक पद अर्थात् उपमेय के अर्थ की प्रधानार्थता वाले प्रतीप में [इस उपमा के लक्षण की] अतिव्याप्ति नहीं होती।

---

१. त;…निरूपिता प्रतियोगिता अनुयोगिता चेति ज अ

२. ज अ; तत्र त में नहीं

तथा हि—

तुमु[1] मुहेण किसो अरि चन्दा उपमज्जइ जणेण ।[2] इत्यत्र मुखप्रकर्षस्यैव वर्णनीयत्वान्मुखं तत्र प्रधानम् । प्रधाननिरूपितप्रतियोगिताकं साहृश्यं तत्र भासते न तु प्रधाननिरूपितानुयोगिताकमिति । अभेदात्मके रूपके अतिव्याप्तिशङ्कैव नास्ति ।

न च चन्द्रो मुखमित्यत्र बाधज्ञानस्य जागरूकत्वेन साहृश्ये लक्षणा तथा च तत्र सुतरामतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तत्र विषयमाहात्म्यरूपेण

जैसे—

तुमु मुहेण······[तव मुखेन कृशोदरि चन्द्र उपमीयते जनेन] इस प्रतीप के उदाहरण में मुख के प्रकर्ष का ही वहाँ वर्णन होने से वहाँ मुख ही प्रधान है । वहाँ प्रधाननिरूपित अर्थात् प्रधान रूप से निर्दिष्ट प्रतियोगिता वाले साहृश्य की प्रतीति हो रही है—ऐसा समझना चाहिए ।

टि०—सारांश यह है—यद्यपि उपमा और प्रतीप यह दोनों ही सादृश्यमूलक अलङ्कार हैं, परन्तु सादृश्य की स्थिति दोनों में भिन्न भिन्न है । पहले अर्थात् उपमालङ्कार में प्रधाननिरूपितानुयोगिताक वाला सादृश्य होता है और दूसरे में अर्थात् प्रतीपालङ्कार में प्रधाननिरूपितप्रतियोगिताक सादृश्य होता है । क्योंकि उपमा में प्रतियोगिनिरूपित अनुयोगी होता है, इस कारण वहाँ प्रधाननिरूपितप्रतियोगिताक साहृश्य है । सादृश्य की इसी भिन्नरूपता के आधार पर यह दोनों अलङ्कार भिन्न भिन्न हो जाते हैं । वस्तुतः उपमा के भीतर उपमानगत साधर्म्य पूर्वसिद्ध होता है जबकि प्रतीप में उपमेयगत साधर्म्य को पूर्वसिद्ध मानते हैं । 'मुखं चन्द्र इव शोभते' जैसे उपमा के उदाहरणों में चन्द्र उपमान में पूर्वसिद्ध सौन्दर्य का बोध होता है, जबकि चन्द्रो मुखमिव जैसे प्रतीप के उदाहरणों में मुख में पूर्वसिद्ध शोभा प्रतीत होती है ।

अभेदात्मक अर्थात् उपमान और उपमेय के अभेद स्वरूप वाले रूपक में तो अतिव्याप्ति की शङ्का नहीं है ।

टि०—तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वमुपमात्वम्' इस उपमा के लक्षण में स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि इसमें उपमान और उपमेय में भेद होता है । इसके विपरीत 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि रूपक के उदाहरणों में उपमान और उपमेय दोनों में अभेद होता है । इस कारण यह उपमालक्षण रूपक में अति व्याप्त नहीं होता ।

[पूर्वपक्षी]—'चन्द्रो मुखम्' इस प्रतीप के उदाहरण में [मुख्यार्थ के बोध में अन्वयानुपपत्ति होने के कारण] बोधज्ञान के स्फुट प्रतीत होने से साहृश्य में [सारोपा गौणी] लक्षणा है इस कारण इस उदाहरण में [इस उपमा के लक्षण की] अच्छी तरह अतिव्याप्ति होती है ।

१- ज अ; तुह त

२. ज अ; णेत्यत्र त

दोषेण नीलं तम इतिवद् विशेषदर्शनाबाध्यतया अभेदस्यैव प्रतीतेः। मालोपमाया अनतिरिक्तत्वेन न तत्रातिव्याप्तिशङ्का लक्ष्यत्वादिति दिक्।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है कि 'मुखं चन्द्रः' जैसे रूपक के उदाहरणों में मुख और चन्द्रमा की अभेदात्मिका प्रतीति होती है, इसलिए वह उपमा से भिन्न हो जाता है। परन्तु प्रतीप के 'चन्द्रो मुखम्' इत्यादि उदाहरणों में यदि चन्द्र में लक्षणा करके चन्द्रसदृश मुख यह लक्ष्यार्थ बना लेते हैं तो अभेद नहीं रहेगा और उस स्थिति में उपमा के इस लक्षण की प्रतीप में अतिव्याप्ति हो जायेगी।

[सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को] ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि [प्रतीप के उस उदाहरण में] वहाँ उपमेय की महिमा दिखाने वाले दोष के कारण जैसे 'नीलं तमः' वाक्य में विशेष प्रकार के ज्ञान में किसी भी प्रकार की बाधा न होने से अभेदज्ञान की ही प्रतीति होती है, वैसे ही प्रतीप में भी होती है [उपमा की भाँति वहाँ भेदज्ञान नहीं होता]।

टि०—'मुखं चन्द्र इव सुन्दरम्' इस उपमा के उदाहरण में उपमानापेक्षया उपमेय में कम गुण हैं। 'उत्कृष्टगुणवत्त्वमुपमानत्वम्, अपकृष्टगुणवत्त्वमुपमेयत्वम्' इस प्रचलित लक्षण के अनुसार उपमेय के अन्दर उपमान की अपेक्षा कम गुण होते हैं। परन्तु प्रतीप में उपमेय को उपमान बना दिया जाता है और उपमान को उपमेय, इस कारण गुणों का भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पूर्वसिद्ध उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक गुण देखे जाते हैं और वास्तविक उपमेय मुख का माहात्म्य बढ़ जाता है।

	उपमेय (अपकृष्टगुणावच्छिन्न)	उपमान (उत्कृष्टगुणावच्छिन्न)
उपमा	मुख "	चन्द्र "
प्रतीप	चन्द्र "	मुख "

नीलं तमः नीलाभिन्नं तमः इस प्रकार के वाक्यों में मुख्यार्थ का बाध नहीं होता। तेजोऽभावस्वरूप होने से अन्धकार की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और नीलस्तमश्चलति जैसे स्थलों पर भ्रम होते हुए भी किसी प्रकार का मुख्यार्थ का बाध नहीं प्रतीत होता। जैसे 'नीलं तमः' में मुख्यार्थ का बाध नहीं है, उसी प्रकार 'चन्द्रो मुखम्' में भी मुख्यार्थ का बाध नहीं है। इस कारण यहाँ लक्षणा का प्रसङ्ग नहीं आता। इसके अतिरिक्त उपमान और उपमेय में जैसा अभेद रूपक में पाया जाता है वैसा ही प्रतीप में पाया जाता है। इस कारण उपमा के 'तद्भिन्नत्वे सति' इस लक्षण की यहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्योंकि उपमा में भेद पाया जाता है जबकि प्रतीप में अभेद पाया जाता है।

मालोपमा के उपमा से अतिरिक्त स्वरूप वाली न होने से वहाँ पर उपमा की अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि मालोपमा तो उपमा के लक्षण का लक्ष्य [उदाहरण] ही बन जाती है। इस प्रकार [उपमा के लक्षण के सम्बन्ध में] सङ्केत है।

वाक्योपमात्र षोढा तत्र त्वेका प्रयुज्यते ।
यत्रोपमानमिवादीनामेकं सामान्यमुपमेयम् ।। २०३ ।।

वाक्योपमायाः षट् प्रकाराः ।[1] तेषु[2] यत्रोपमानं प्रयुज्यते तथा इवादीनां इववत्सदृशयथानिभतुल्यादीनां[3] साम्यवाचकानां[4] मध्यादेकम् । तथोपमानोपमेययोः साधारणधर्माभिधायकं पदं तथोपमेयमिति चतुष्टयम् ।

टि०—साहित्यदर्पण (१०, २६) में मालोपमा का यह लक्षण है—
मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ।

जब एक उपमेय के बहुत सारे उपमान देखे जाते हैं तो मालोपमा होती है । वहाँ पर निम्नलिखित उदाहरण दिया हुआ है—

वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी ।
यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीर्मनोहरा ।।

मालोपमा का यह उदाहरण उपमा के तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम् का भी स्फुट उदाहरण है । अन्तर केवल इतना है कि उपमा में एक ही उपमान के साथ उपमेय का सादृश्य बताया जाता है, जबकि मालोपमा में बहुत सारे उपमानों के साथ । इसी आधार पर इसका पृथक् नामकरण है । वस्तुतः यह उपमा का ही एक भेद है । इसलिए अप्पयदीक्षित और आचार्य मम्मट ने अपनी रचनाओं में इसका पृथक् उल्लेख नहीं किया है ।

यहाँ [उपमा के अनेक भेदों में] वाक्योपमा ६ प्रकार की है । उनमें से एक उस पहली पूर्णोपमा का यहाँ निरूपण करते हैं—जिसमें उपमान, इवादि वाचक शब्दों में से कोई एक, सामान्य धर्म और उपमेय होता है ।।२०३।।

वाक्योपमा के ६ प्रकार हैं । उनमें से पहला प्रकार [उस पूर्णोपमा का] है जहाँ उपमान का प्रयोग होता है और इव आदि अर्थात् इव, वत्, सदृश, यथा, निभ, तुल्य आदि सादृश्यवाचक निपातों के मध्य से कोई एक होता है तथा उपमान और उपमेय के साधारण धर्म को बताने वाला पद होता है, साथ ही उपमेय भी होता है । इस प्रकार [पूर्णोपमा में] ये चार तत्त्व होते हैं ।

टि०—अन्य आचार्यों की भाँति पूर्णोपमा के लिए ग्रन्थकार ने चार तत्त्व बताये हैं । १. उपमान २. वाचक शब्द ३. साधारण धर्म और ४. उपमेय । 'मुखं चन्द्र इवाभाति जैसे पूर्णोपमा के उदाहरणों में मुख उपमेय, चन्द्र उपमान, इव वाचक शब्द और आभाति सामान्य धर्म है ।

---

१. ज अ; वाक्योपमा षट्प्रकारा त
२. ज अ; तत्र त
३. त; ···तुल्यनिभादीनाम् ज अ
४. ज त; वाचकादीनां अ

नन्वेकमिवादीनां प्रयोक्तव्यमित्युक्तं तत्कथं दिने दिने सा परिवर्द्धमानेत्यादिषु अनेकेषां प्रयोगः ? उच्यते, औपम्यानेकत्वाद् यत्र ह्यनेकं कारकमुपमानोपमेयतया निर्दिष्टं तत्रानेकेषामपि प्रयोगः। यथा—

ततः प्रतस्थे कौबेरीं भास्वानिव रघुर्दिशम्।
शरैरुस्रैरिवौदीच्यानुद्धरिष्यन् रसानिव॥

यत्र तु बहूनामप्यौपम्ये एक एव इवादिः प्रयुज्यते तत्र गतार्थत्वादयं

[पूर्वपक्षी-कारिका में] इवादियों में से एक का प्रयोग [एक बार] करना चाहिए, ऐसा कहा है तो 'दिने दिने सा परिवर्द्धमाना' इत्यादि श्लोकों में अनेक उपमावाचक शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है ?

टि०—पूरा श्लोक इस प्रकार है—

दिने दिने सा परिवर्धमाना
लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा।
पुपोष लावण्यमयान् विशेषा
ञ्ज्योत्स्नान्तराणीव कलान्तराणि॥

कुमारसम्भव १,२५

यहाँ पार्वती के सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि वह पार्वती उदयप्राप्त चन्द्रलेखा के समान प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस पद्य में उपमावाचक इव पद का द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में दो बार प्रयोग हुआ है। पूर्वपक्ष यह है कि जब कारिका में यह कहा है कि इवादियों में से किसी एक का पूर्णोपमा में एक बार प्रयोग करना चाहिए तो इस पद्य में इव का अनेक बार क्यों प्रयोग हुआ है ?

[सिद्धान्ती—उपर्युक्त शङ्का के समाधान में] यह कहा जा रहा है—

अनेक उपमायें होने के कारण जहाँ अनेक कारकों को उपमान और उपमेय के रूप में निर्दिष्ट [शब्दोपात्त] किया जाता है, वहाँ पर अनेकों [वाचक पदों] का भी प्रयोग होता है। जैसे—

इसके बाद अपनी किरणों से जलों का उद्धरण [आहरण अर्थात् ऊपर की ओर खींचने के कार्य] को करने वाले सूर्य के समान [तेजस्वी] उदीच्य अर्थात् उत्तर दिशा में रहने वाले लोगों का उद्धार [संहार] करता हुआ वह राजा रघु उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा।

टि०—इस श्लोक में इव का दो बार प्रयोग हुआ है किन्तु पहले इव का कर्तृकारक में प्रयोग है जबकि दूसरे इव का कर्मकारक में।

जहाँ बहुतों की उपमा में एक ही इव आदि [अर्थात् इव आदियों में कोई] एक ही वाचक पद प्रयुक्त होता है, वहाँ अर्थ के ज्ञात हो जाने के कारण ऐसा प्रयोग अबाध्य [बाधारहित अत एव साधु] होता है।

प्रयोगोऽबाध्यः । यथा—

सा भूधराणामधिपेन तस्यां
समाधिमत्यामुदपादि भव्या
सम्यक्प्रयोगादपरिक्षतायां
नीता विवोत्साहगुरोन सम्पत् ॥

इत्यादौ ।

यथा[1]—

कमलमिव चारु वदनं मृणालमिव कोमलं भुजायुगलम् ।
अलिमालेव सुनीला तवैव मदिरेक्षणे कवरी ॥ २८१ ॥

इयमेव पूर्णोपमा ।

टि०—सामान्यतः जहाँ पर अनेक कारक होते हैं, वहाँ पर अनेक इवादि भी होते हैं। परन्तु जहाँ पर वहुतों की उपमा में एक इवादि का प्रयोग होता है वहाँ वहुतों के साथ भी एक इवादि का सम्वन्ध हो जाता है इस कारण वैसे प्रयोग वाधित नहीं होते। उनके अर्थ की प्रतीति में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती।

एक इव के अनेक कारकों के साथ सम्बन्ध का उदाहरण] जैसे—

हिमालय ने समाधिनिष्ठ अर्थात् ध्यानविशेष अथवा तपस्या में प्रवृत्त उस मेनका में उस सुन्दर पार्वती को उसी प्रकार उत्पन्न किया, जैसे खूब सोच विचार कर प्रयोग के कारण अक्षत [सफल] नीति में उत्साह गुण के द्वारा सम्पत्ति को पैदा किया जाता है।

टि०—इस श्लोक में मेनका और नीति, राजा और पर्वत तथा पार्वती और सम्पत् में उपमानोपमेयभाव है, इव वाचक शब्द तथा उत्पादन सामान्य धर्म है।

इत्यादि उदाहरणों में [अनेकों की उपमा होने पर भी एक ही इव का का प्रयोग है]।

१. [पूर्णोपमा का उदाहरण]

हे मदभरी आँखों वाली सुन्दरी ! [तुम्हारा] मुंह कमल के समान सुन्दर है, दोनों बाहें कमलनाल के समान मृदुल हैं और तुम्हारी ही वेणी [गुथी हुई चोटी] भ्रमरों के समूह की तरह खूब नीली है ॥२८१॥

यही पूर्णोपमा है [क्योंकि उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और सामान्य धर्म ये चारों तत्त्व विद्यमान हैं]।

---

१. ज अ; उदाहरणम् त

द्वितीया यथा[1]—

इयमन्या सामान्यं यत्रेवादिप्रयोगसामर्थ्यात् ।
गम्येत सुप्रसिद्धे तद्वाचि पदाप्रयोगे वा ॥ २०४ ॥

सामान्यमित्युपलक्षणम्, इवादि पदमपि बोध्यम् ।

---

२. दूसरी [लुप्तोपमा का लक्षण] जैसे—

यह दूसरी लुप्तोपमा वहाँ है जहाँ इवादि वाचक पदों के प्रयोग की शक्ति से सामान्य धर्म की व्यञ्जना से प्रतीति होती है अथवा सुप्रसिद्ध सामान्य धर्म के वाचक पद के प्रयोग के न होने पर भी यह होती है ॥२०४॥

टि०—यह धर्मलुप्ता का सामान्य लक्षण है । यहाँ ग्रन्थकार ने दो बातों की ओर निर्देश किया है—

१.—जहाँ इवादि पदों के माध्यम से ही साधारण धर्म की अभिव्यक्ति हो जाये ।

अथवा—२. जहाँ साधारण धर्म के वाचक किसी पद के न होने पर और साथ ही इवादि के न होने पर भी अत्यन्त प्रसिद्धि होने से साधारण धर्म की प्रतीति हो जाये ।

इन दोनों ही अवस्थाओं में धर्मलुप्ता उपमा हुआ करती है । इस प्रकार इन्होंने यहाँ लुप्तोपमा के अन्तर्गत धर्मलुप्ता तथा धर्मवाचकलुप्ता इन दो लुप्तोपमाओं को माना है ।

[उपर्युक्त कारिका में प्रयुक्त] सामान्य पद उपलक्षण है । इससे इवादि पदों का भी ज्ञान होना चाहिए ।

टि०—उपलक्षण का अर्थ है जो अपना अर्थ भी बताये और साथ ही दूसरे के अर्थ को बताये (स्वार्थावबोधकत्वे सति इतरार्थबोधकत्वमुपलक्षणत्वम्) सामान्य पद जब इवादि का उपलक्षण बन जायेगा तो इसके दो अर्थ हो जायेंगे—१. साधारण धर्म तथा २. इवादि । इस प्रकार उपर्युक्त रीति से इस लक्षण द्वारा धर्मलुप्ता एवं धर्मवाचकलुप्ता इन दोनों लुप्तोपमाओं की ओर सङ्केत है । इवादि से इव, वा और यथा इन तीनों का ग्रहण होता है । इवादियों का प्रयोग होने पर तो व्यञ्जना की सहायता से सामान्य धर्म की प्रतीति आसानी से हो जाती है । जैसे मुखं कमलमिव इस वाक्य से 'सुन्दरम्' इस सामान्य धर्म का ज्ञान व्यञ्जनागम्य है । किन्तु 'राजते मृगलोचना' जैसे वाक्यों में इव का प्रयोग न होने पर भी सुप्रसिद्ध सामान्य धर्म का ज्ञान हो जाता है । इस वाक्य का अर्थ—मृगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्याः इस रूप में ज्ञात होता है ।

---

१. ज अ; द्वितीया यथा त में नहीं

शशिमण्डलमिव वदनं मृणालमिव भुजलतायुगलमेतत् ।
करिकुम्भाविव च कुचौ रम्भागर्भाविवोरू ते ॥ २८२ ॥
इयमेव लुप्तोपमा। उपमानानुपादानेऽपि लुप्तोपमा ।

यथा—

न काव्यसदृशं किञ्चिदन्यदस्तीह तोषकृत् ॥ २८३ ॥
द्योतकपदलोपे तु समासे क्यचि क्यङि णमुलि च भवत्युपमा ।

क्रमेणोदाहरणानि—

परिमृदितमृणालीम्लानमङ्गं प्रवृत्तिः
कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियासु ।
कलयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कस्य लक्ष्मी-
मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः ॥ २८४ ॥

[१. धर्मलुप्ता का उदाहरण]

[तुम्हारा] मुख चन्द्रमण्डल के समान है और यह दोनों भुजायें कमलनाल के सदृश हैं। स्तन हाथी के गण्डस्थल के समान हैं और तुम्हारी जाँघें केले के मध्य-भाग के समान हैं ॥२८२॥

यही लुप्तोपमा है ।

टि०—यहाँ मुख और चन्द्र के सुन्दर भुजलतायुगल और मृणाल के कोमल कुच और गण्डस्थल के पीन और कठोर तथा ऊरु और रम्भागर्भ के कोमल और चिकने सामान्यधर्मों का लोप है ।

उपमान का अग्रहण [शब्दोपात्त न होने के कारण लोप] होने पर भी लुप्तोपमा होती है ।

[२. उपमानलुप्ता का उदाहरण] जैसे—

इस संसार में काव्य के समान और कोई दूसरी वस्तु सन्तोष देने वाली नहीं है ॥२८३॥

इस प्रकार [उपमान का लोप होने से यह उपमानलुप्ता का उदाहरण] है। वाचक पद का लोप होने पर तो समास, क्यच्, क्यङ् और णमुल् में उपमा होती है ।

क्रम से उदाहरण दिये जाते हैं—

[समासगा वाचकलुप्ता का उदाहरण]

उस [मालती] का शरीर मसली हुई कमललता के समान मुरझा गया है अथवा मलिन हो रहा है, [स्नान भोजनादि] क्रियाओं में सखियों की प्रार्थनाओं से जैसे तैसे लगने की चेष्टा हो पा रही है और तुरन्त काटे गये हाथी दाँत के टुकड़े के समान [सुन्दर और पीला पड़ा हुआ] गाल निष्कलङ्क चन्द्रमा की सी कान्ति को धारण कर रहा है ॥२८४॥

तथा[1]—

अस्मिंश्चन्द्रमसि प्रसन्नमहसि व्याकोशकुन्दत्विषि
प्राचीनं खमुपेयुषि त्वयि गते दूरं निजप्रेयसि ।
श्वासः कैरवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति
क्षीरोदीयति मन्मथो मृगदृशो दृक् चन्द्रकान्तायते[2] ॥ २८५ ॥

टि०—मालतीमाधव नाटक के प्रथम अङ्क के इस श्लोक में मालती की विरहदशा का वर्णन है । यहाँ 'परिमृदितमृणालीम्लानम्' इस पद में उपमानानि सामान्यवचनैः इस सूत्र से इव के अर्थ में समास हुआ है। परिमृदितमृणाली इव म्लानम् इस प्रकार का विग्रह हो जायेगा । 'अभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः' यहाँ पर भी अभिनवकरिदन्तच्छेद इव कान्तः इस विग्रह के साथ इवार्थ में उपमानानि सामान्यवचनैः इस सूत्र से समास हुआ है । यह दोनों समासगा वाचकलुप्ता के उदाहरण हैं ।

और [क्यच् और क्यङ् में वाचकलुप्तोपमा का उदाहरण]

स्वच्छ अथवा श्वेत दीप्ति वाले [अत एव] खिले हुए कुन्द पुष्प के समान कान्ति से युक्त इस चन्द्रमा के पूर्व दिशा के आकाश को प्राप्त कर लेने पर अर्थात् आकाश में उदित होने पर अपने प्रेमी आपके दूर चले जाने पर उस सुन्दरी का श्वास, सफेद कमल की कली के समान आचरण कर रहा है, मुख कमल की तरह अपने आपको दिखा रहा है । उस सुन्दरी का कामभाव अपने आपको क्षीरसागर की तरह प्रकट कर रहा है और दृष्टि चन्द्रकान्तमणि के समान आचरण कर रही है ॥२८५॥

टि०—इस श्लोक में चन्द्रोदय के समय उसकी अनुरक्ता प्रेयसी की विरह-दशा का वर्णन किया गया है । वियोग से उत्पन्न पीड़ा के कारण उस मृगनयनी का साँस कुमुद की कली के समान सङ्कुचित हो गया है । बहुत थोड़ी थोड़ी ठंडी साँस आने लगी है इससे मरणासन्न अवस्था की अभिव्यक्ति हो रही है । उस सुन्दरी का मुख कमल के समान मुरझा गया है । जैसे चन्द्र के निकलने पर कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार उसके मुख की स्थिति हो गई है और चन्द्रमा के निकलने पर जैसे समुद्र में ज्वार आ जाता है, उसी प्रकार उस सुन्दरी की कामवासना भी भड़क उठी है । नेत्रों ने चन्द्रकान्तमणि का गुण अपना लिया है । जैसे चन्द्रमा का स्पर्श पाकर चन्द्रकान्तमणि से जलकण प्रस्रवित होते हैं वैसे ही तुम्हारे विरह में चन्द्र का संयोग पाकर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है ।

कैरवकोरकीयति, सरोजीयति और क्षीरोदीयति इन पदों में उपमानादाचारे (३,१,१०) इस सूत्र से आचार अर्थ में कर्म में क्यच् प्रत्यय हो गया है । इन पदों

---

१. त; ज अ में नहीं
२. संशोधित पाठ; चन्द्रकान्तीयति ज अ त

तथा[1]—

मृधे निदाघघर्मांशुदर्शं पश्यन्ति तं परे ।
स पुनः पार्थसञ्चारं सञ्चरत्यवनीपतिः ॥ २८६ ॥

का अर्थ इस प्रकार होगा—

१. कैरवकोरकमिव आत्मानमाचरति—अपने आपको कैरवकलिका के समान बना रहा है ।

२. सरोजमिवात्मानमाचरति—कमल के समान अपने को प्रकट करता है ।

३. क्षीरोदमिवात्मानमाचरति—अपने को क्षीरसमुद्र की भाँति अभिव्यक्त कर रहा है ।

तीनों ही प्रतियों में इक् चन्द्रकान्तीयति पाठ मिलता है । ऊपर लुप्तोपमा के सम्बन्ध में बताया गया है—द्योतकपदलोपे तु समासे क्यचि क्यङि णमुलि च भवत्युपमा । इसके अनुसार समास का उदाहरण—परिमृदित० इत्यादि श्लोक दिया है । क्यच् के उदाहरणों को 'अस्मिन्' इत्यादि श्लोक में बता दिया है मूलपाठ के अनुसार 'चन्द्रकान्तीयति' को भी क्यच् का उदाहरण मान लेने पर ये चारों ही क्यच् के उदाहरण बन जाते हैं । इससे अगले श्लोक 'मृधे०' इत्यादि को णमुल् में लुप्तोपमा का उदाहरण बताया है । इस क्रम में क्यच् का उदाहरण छूट गया है । इस कारण यदि चन्द्रकान्तीयति के स्थान पर चन्द्रकान्तायते पाठ बना दिया जाये तो इसी श्लोक में क्यङ् का उदाहरण भी सम्मिलित हो जायेगा ।

चन्द्रकान्तायते पद चन्द्रकान्त इव आचरति इस विग्रह में उपमानवाचक चन्द्रकान्त पद से कर्त्तुः क्यङ् सलोपश्च (अ० ३, १, ११) इस सूत्र से क्यङ् प्रत्यय किये जाने पर निष्पन्न हो जायेगा ।

इस प्रकार यह श्लोक क्यच् और क्यङ् दोनों में वाचकलुप्ता उपमा का उदाहरण माना जा सकता है । ग्रन्थकार ने इसे केवल क्यङ् में लुप्तोपमा का उदाहरण दिखाया है । ऐसी दशा में उन्हें क्यङ् में लुप्तोपमा का उदाहरण दिखाने के लिए कोई और श्लोक रखना चाहिए था । एक ही श्लोक में क्यच् और क्यङ् के उदाहरण काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण में भी दिखाये गये हैं ।

और [णमुल् में वाचकलुप्तोपमा का उदाहरण]—

सङ्ग्राम में शत्रु उस [राजा] को ग्रीष्मकाल के सूर्य के समान [दुःसह प्रताप वाला] देखते हैं और वह राजा [युद्धभूमि में] अर्जुन के समान [निर्भय होकर] विचरण करता है ॥२८६॥

टि०—यह उदाहरण काव्यप्रकाश (१०,४०४) में भी मिलता है । यहाँ 'निदाघघर्मांशुदर्शमिव पश्यन्ति' इस विग्रह में 'उपमाने कर्मणि च' (अष्टा० ३,४,४५)

१. त; ज अ में नहीं

एवमुभयलोपे त्रिलोपे वा बोध्या, विस्तरभयान्नेह प्रदर्शितेति[1]।
तृतीया यथा—

वस्त्वन्तरमस्त्यनयो र्न सममिति परस्परं यत्र भवेत्।
यत्रोभयोरुपमानत्वं समानमुभयोपमा[2] सान्या ॥ २०५ ॥

यथा—

शशिमण्डलमिव विमलं वदनं ते मुखमिवेन्दुबिम्बमपि ।
कुमुदमिव स्मितमेतत् स्मितमिव कुमुदञ्च धवलमिदम् ॥ २८७ ॥

इस सूत्र से निदाघधर्मांशम् इस कर्म के उपपद रहते दृश् धातु से णमुल् प्रत्यय हो कर निदाघघर्मांशुदर्शम् यह मान्त अव्यय पद बनता है इसके साथ कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः (३,४,४६) इस सूत्र से जिस दृश् धातु से णमुल् प्रत्यय होता है, उसी का अनुप्रयोग होकर निदाघघर्मांशुदर्शं पश्यन्ति यह प्रयोग उपपन्न होता है। पार्थ इव सञ्चरणम् इस विग्रह में पार्थ रूप कर्त्ता के उपपद रहते चर् धातु से णमुल् प्रत्यय होकर पार्थसञ्चारम् रूप हो जाने पर सञ्चरति का अनुप्रयोग होता है।

इस प्रकार यह उपमा दो का लोप होने पर अथवा तीन का लोप होने पर समझनी चाहिए। अधिक विस्तार हो जाने के डर से यहाँ लुप्तोपमा [सारे भेदों सहित] नहीं दिखाई गई है।

टि०—ग्रन्थकार ने धर्मलुप्ता और वाचकलुप्ता उपमाओं को उदाहरण सहित बता दिया है। धर्मोपमानलुप्ता जैसी द्विलुप्ता उपमा (तस्या मुखेन सदृशं लोके नास्ते) तथा धर्मवाचकोपमानलुप्ता जैसी त्रिलुप्ता (राजते मृगलोचना) के उदाहरण साहित्यदर्पण के दशम परिच्छेद में देखे जा सकते हैं।

३. तीसरी [उभयोपमा का लक्षण] जैसे—

जहाँ पर इन दोनों के समान दूसरी और कोई वस्तु नहीं है और जहाँ एक दूसरे की एक दूसरे के साथ उपमानता हो वह उभयोपमा नाम की [अलग ही] दूसरी उपमा है ॥२०५॥

टि०—इसी उभयोपमा के अन्य आचार्यों ने उपमेयोपमा और उपमानोपमा ये दो नाम दिये हैं।

[उभयोपमा का उदाहरण] जैसे—

तुम्हारा मुख चन्द्रबिम्ब की तरह निर्मल है और चन्द्रमण्डल भी तुम्हारे मुख के समान है। [तुम्हारा] यह मुस्कुराना कुमुद पुष्प के समान है और यह कुमुद इस मुस्कुराने के समान सफेद है ॥२८७॥

---

१. त; प्रदर्श्यंते ज अ
२. ज अ; उपमानोप मात

न चात्रान्योपमानव्यवच्छेदश्चमत्कारप्रयोजक:, उपमायां तु सादृश्यं-मित्युपमातो भेद इति वाच्यम्। अत्र एकस्यैवोपमानत्वे उपमेयत्वे तथा प्रतीतावपि अनयोरुपमानत्वानपायात्। न चैकनिरूपितानुयोगितामात्र-केति विशेषणप्रक्षेपादेतद्व्यवच्छेद इति वाच्यम्, एतादृशभेदकल्पनाप्रयास-स्यानुचितत्वात्, अन्यथाऽलङ्काराणामानन्त्यं[1] स्यात्।

चतुर्थीमाह—

सा स्यादनन्वयाख्या यत्रैकं वस्त्वनन्यसदृशमिति।
स्वस्य स्वयमेव भवेदुपमानञ्चोपमेयञ्च ॥ २०६ ॥

यथा—

गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः।
रामरावणयो र्युद्धं रामरावणयोरिव ॥ २८८ ॥

यहाँ [उभयोपमा] में अन्योपमानव्यवच्छेद अर्थात् किसी दूसरी वस्तु का का उपमान न बन पाना चमत्कार का हेतु अर्थात् भेदक हेतु है और उपमा में सादृश्य ही चमत्कार का कारण है [पूर्वपक्षी को] ऐसा नहीं कहना चाहिए [सिद्धा-न्ती का कहना है] क्योंकि उभयोपमा में एक ही पदार्थ की उपमानता और उपमेयता की प्रतीति होने पर भी इन दोनों [उपमेय और उपमान] के बीच उपमानत्व अर्थात् सादृश्य के विषय में किसी अनिष्ट की आपत्ति नहीं है [सारांश यह है कि] उभयोपमा में उपमानान्तरव्यवच्छेद के साथ सादृश्य भी रहता है इस कारण उपर्युक्त युक्ति इन दोनों अलङ्कारों की भेदक हेतु नहीं है।

उपमा में एकनिरूपितानुयोगिता होती है अर्थात् एक ही उपमेय बनता है और उभयोपमा में दोनों ही उपमेय बनते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के भेद की कल्पना का प्रयास अनुचित है, नहीं तो अलङ्कारों की अनन्तता [असङ्-ख्यता] का दोष आता है।

टि०—यदि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को अलङ्कारों का भेदक माना जाए तो उनमें आपस में मिश्रण नहीं हो सकता जबकि अलङ्कारों में परस्पर मिश्रण आवश्यक है।

४. चौथी [अनन्वय नामक] उपमा को कहते हैं—

जहाँ पर कोई एक अनन्यसदृश [अपने समान किसी दूसरे उपमान को न रखने वाली अर्थात् अप्रतिम] वस्तु अपने आप ही अपना उपमेय और उपमान बने वह अनन्वय नामक उपमा होती है ॥२०६॥

जैसे—

आकाश, आकाश के समान आकृति वाला और समुद्र समुद्र के सदृश है। राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के समान है ॥२८८॥

---

१. त; अलङ्कारानन्त्यं ज अ

न च तद्भिन्नत्वे सतीति विशेषणादुपमातोऽयं भिन्न इति वाच्यम्, कल्पिताकल्पितसाधारणस्यैव भेदस्य विवक्षितत्वात्। कथमन्यथा उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे इति सङ्गतं स्यात् ?

पञ्चमीमाह—

सा कल्पितोपमाख्या यैरुपमेयं विशेषणैर्युक्तम्।
तावद्भिस्तादृग्भिः स्यादुपमानं तथा यत्र ॥ २०७ ॥

टि०—यहाँ विशालता, गम्भीरता, भयङ्करता इन गुणों में अनुपम आकाश, समुद्र और रामरावणयुद्ध—इनको ही इनका उपमान बनाया गया है।

['तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम्' इस उपमा के लक्षण में विद्यमान] तद्भिन्नत्वे सति इस विशेषण के कारण यह अलङ्कार उपमा से भिन्न है, ऐसा [पूर्वपक्षी को] नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कल्पित और अकल्पित साधारण धर्म की ही [अनन्वय और उपमा में] विवक्षा होती है।

टि०—पूर्वपक्षी का कहना है कि 'तद्भिन्नत्वे सति' इस विशेषण को उपमा के लक्षण में रखने से उपमा और अनन्वय में भेद हो जाता है क्योंकि उपमा में उपमान और उपमेय भिन्न होते हैं और अनन्वय में एक ही वस्तु उपमान और उपमेय होती है। वस्तुतः अनन्वय में भी उपमान और उपमेय दोनों भिन्न होते हैं, वहाँ कल्पना से एक को दो बना दिया जाता है—जैसे 'गगनं गगनाकारम्' यहाँ एक ही वस्तु को दो बना दिया गया है।

वस्तुतः इन दोनों में भेद की क़सौटी कल्पित और अकल्पित को बनाना चाहिए। अनन्वय में साधारण धर्म अकल्पित अर्थात् स्वाभाविक न होकर कवि द्वारा कल्पित होता है इसके विपरीत उपमा में यह अकल्पित अर्थात् स्वाभाविक होता है, अनन्वय में इस कल्पित साधारण धर्म के आश्रय से ही उपमानता और उपमेयता की सिद्धि हो जाती है।

यदि यह बात नहीं मानें [और 'तद्भिन्नत्वे सति' इसी विशेषण को ही उपमा और अनन्वय में भेदक मानोगे] तो फिर—'उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे [अनन्वयः, काव्यप्रकाश १०,९१] अर्थात् एक वाक्य में एक के ही उपमान और उपमेय दोनों होने पर अनन्वय अलङ्कार होता है इस लक्षण की कैसे सङ्गति होगी ?

टि०—अनन्वय के लक्षण में काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उपमान और उपमेय दोनों को भिन्न बताया है। उपमान और उपमेय का भेद उपमा और अनन्वय दोनों में पाया जाता है। इस कारण 'तद्भिन्नत्वे सति' इसको इन दोनों अलङ्कारों में भेद की कसौटी न मान कर कल्पिताकल्पित साधारणधर्म को भेदक मानना चाहिए।

५. पाँचवीं [कल्पितोपमा] को बतलाते हैं—

जहाँ जितने और जैसे विशेषणों से युक्त उपमेय हो उतने और वैसे ही विशेषणों से युक्त यदि उपमान हो तो वह कल्पिमोपमा नामक उपमा

यथा—

मुखमापूर्णकपोलं मृगमदलिखितादर्धपत्रलेखं ते ।
भाति लसत्सकलकलं स्फुटलाञ्छनमिन्दुबिम्बमिव ।। २८९ ।।

षष्ठीमाह—

अनुपममेतद् वस्त्वित्युपमानं तद्विशेषणं चासत् ।
सम्भाव्य यदिवार्थै र्या क्रियते साप्युपमा ।। २०८ ।।

यथा—

उभौ यदि व्योम्नि पयःप्रवाहा-
वाकाशगङ्गापयसः पतेताम् ।
तेनोपमीयेत तमालनील-
मामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ।। २९० ।।

हैं ।।२०७।।

टि०—इस कल्पितोपमा में बिम्बप्रतिबिम्वभाव होता है। वस्तुतो भिन्नयोरपि उपमानोपमेयधर्मयोः सादृश्यादभिन्नयोः पृथगुपादानं बिम्बप्रतिबिम्वभावः । अथवा द्वयो र्द्विरभिधानम् बिम्वप्रतिबिम्वभावः—दोनों के सामान्य धर्म का अलग अलग कहना और उन धर्मों में सादृश्य का पाया जाना बिम्बप्रतिबिम्वभाव है।

जैसे—

भरे हुए कपोलों वाला, कस्तूरी के चूर्ण से. बनाई हुई आधी आधी फूल पत्तियों वाला तुम्हारा मुख चमकती हुई सम्पूर्ण कलाओं वाले और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले चन्द्रमण्डल के समान शोभित हो रहा है ।।२८९।।

टि०—यहाँ मुख के आपूर्णकपोल धर्म का चन्द्रमा के लसत्सकलकल धर्म के साथ तथा मुख के मृगमदलिखितार्द्धपत्रलेख धर्म का चन्द्रमा के स्फुटलाच्छन धर्म के साथ कल्पित प्रणिधानगम्य सादृश्य है।

६. छठी [असदुपमा नाम की] उपमा को कहते हैं—

यह वस्तु अद्वितीय है, यह बताने के लिए यदि उपमान और उसका विशेषण असत् होता है और यदि वा [और चेत्] के अर्थों से जिसकी सम्भावना [कल्पना] करके प्रयोग होता है, वह भी एक [असत्] उपमा है ।।२०८।।

जैसे—

यदि आकाश में [आकाशगङ्गा की] दो जलधारायें गिरने लग जायें तो उस आकाश से तमाल वृक्ष के समान नीले और लटकते मोतियों की माला से संवलित इन [भगवान् कृष्ण] के वक्षःस्थल की उपमा दी जा सकती है ।।२९०।।

टि०—शिशुपालवध (३,८) में भगवान् कृष्ण के वक्षःस्थल का वर्णन करते हुई कवि ने कल्पित उपमान के माध्यम से उसकी शोभा बतलाई है।

यथा वा—

सुवृत्तमुक्ताफलजालचित्रितं
भवेदखण्डं यदि चन्द्रमण्डलम् ।
श्रमाम्बुबिन्दूत्कर राजितं च ते
मुखं रतावित्युपमीयते प्रिये ॥ २९१ ॥

प्राचामियमेकातिशयोक्तिः । कल्पिता लोकप्रसिद्धा चेति द्विधा सा । कविभिः कल्पितत्वात्कल्पिता । यथा—

उद्गर्भहूणरमणीरमणोपमर्द—
भुग्नोन्नतस्तननिवेशनिभं हिमांशोः ।
विम्वं कठोरबिसकाण्डकडारगौरै
र्विष्णोः पदं प्रथममग्रकरै र्व्यनक्ति ॥ २९२ ॥

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

हे प्यारी । यदि पूर्ण चन्द्रविम्ब गोल मोतियों के समूह से जड़ा हुआ [सजा हुआ] हो जाय तब उसके साथ सुरत के समय में [रति के] परिश्रम के कारण उत्पन्न स्वेदबिन्दुओं के समूह से शोभित तुम्हारे मुख की उपमा दी जा सकती है ॥२९१॥

टि०—यहाँ पूर्ण चन्द्र के साथ गोल गोल मोतियों का मेल हो जाने की कल्पना की है । इस प्रकार का अपने विशेषणसहित उपमान असत् है । ऐसा प्रयोग कवि ने मुख के अनुपम सौन्दर्य को बताने के लिए किया है ।

प्राचीन आचार्यों के मत में यह [असदुपमा] अतिशयोक्ति का एक भेद है ।

टि०—काव्यप्रकाश (१०,१००) में आचार्य मम्मट ने अतिशयोक्ति के भेद दिखाते हुए 'यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्—यदि शब्द अथवा इसके समानार्थक चेत् शब्द को लगाकर जो कल्पना की जाती है, वह भी एक अतिशयोक्ति है ऐसा प्रतिपादन किया है ।

वह असदुपमा कल्पित और लोकप्रसिद्ध इन दो प्रकारों की होती है । कवियों के द्वारा कल्पित होने से कल्पित कहलाती है ।

[१. कल्पित असदुपमा का उदाहरण] जैसे—

आविर्भूत गर्भ वाली हूण वनिता के पति द्वारा मर्दन करने से टेढ़े और ऊँचे स्तन की स्थिति के सदृश चन्द्रमा का बिम्ब पके हुए कमलदण्ड के समान अपनी लाल पीली और सफेद पहली पहली किरणों के अग्रभाग से आकाशमण्डल को प्रकट कर रहा है ॥२९२॥

टि०—यहाँ चन्द्रमा की हूण रमणी के टेढ़े और ऊँचे स्तन के साथ उपमा दी गई है और उसके गर्भ के कारण फैले हुए उदर की आकाश के साथ समानता व्यञ्जना से बताई है ।

यथा वा—

अभिनवकुशसूचिस्पर्द्धि कर्णे शिरीषमिति ॥ २९३ ॥

यथा वा—

इदानीं प्लक्षानां जरठदलविश्लेषचतुरः
शिखानामाबन्धः स्फुरति शुकचञ्चुपुटनिभः ।
ततः स्त्रीणां हन्त क्षणमधुरकान्तिं तुलयितुं
समन्तादुद्भाति स्फुटसुभगरागं किसलयम्[1] ॥ २९४ ॥

लोकप्रसिद्धा यथा—

इन्दीवरश्यामतनु र्नृपोऽसौ
त्वं रोचना गौरशरीरयष्टिः ।
अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां
योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥ २९५ ॥

पूर्णेव इवादि प्रयोगे श्रौती । तुल्यार्थे विहितस्य वतेः कल्पवादिप्रयोगे चार्थी ।

अथवा जैसे—

[इस सुन्दरी के] कान में, नई कुशा की सूई [अग्रभाग] से होड़ करने वाला शिरीषकुसुम है ॥२९३॥

अथवा जैसे—

इस समय पुराने पत्तों को अलग करने में निपुण और तोतों की चोंचों के पुटों के समान पलाश के वृक्षों के शिखर पर स्थित पुष्परचना चमक [कर सुशोभित हो] रही है । प्रसन्नता की बात है कि उसके बाद क्षण भर के लिए स्त्रियों के निचले ओठ की कान्ति की बराबरी करने के लिए स्पष्ट रूप से सुन्दर रङ्ग वाला यह नया पत्ता चारों ओर शोभित हो रहा है ॥२९४॥

टि०—यहाँ पर पलाश पुष्पों की उपमा तोतों की चोंचों के साथ और किसलय की उपमा रमणी के अधर के साथ दी गई है । यह सारे उदाहरण कल्पितोपमा के हैं ।

लोकप्रसिद्धा [का उदाहरण] जैसे—

वह राजा नीलकमल के सदृश कृष्ण शरीर वाला है और तुम गोरोचन के सदृश गोरे रङ्ग के सुन्दर शरीर वाली हो । तुम दोनों का सम्बन्ध बिजली और बादल के सम्बन्ध की तरह एक दूसरे की शोभा की वृद्धि के लिए हो ॥२९५॥

पूर्णा उपमा ही इवादि [इव, वा और यथा] के प्रयोग के होने पर श्रौती कहलाती है । तुल्यार्थ में किये गए वति के और कल्पप् आदि के प्रयोग में आर्थी कहलाती है ।

---

१. ततः किशलयम् अ. त.

आद्या यथा—

स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति ।
प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा ।। २९६ ।।

अत्र विजयश्रीरुपमेयं स्वाधीनपतिका उपमानम्, अपरित्यागः साधारणो धर्मः । यथा शब्दप्रयोगश्च ।

आर्थी यथा—

चकितहरिणीलोललोचनायाः
क्रुधि तरुणारुणतारहारिकान्ति ।
सरसिजमिदमाननं च तस्याः
सममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते ।। २९७ ।।

अत्रापि पूर्ववद् बोध्यम् ।[1]

पहली [श्रौती का उदाहरण] जैसे—

जिस प्रकार अपने अधीन रहने वाले पति वाली नायिका सामर्थ्य के कारण समर्थ अर्थात् कामसामर्थ्य से युक्त पति को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार स्वप्न में भी युद्ध में तुमको विजयलक्ष्मी नहीं छोड़ती है ।।२९६।।

यहाँ पर विजयश्री उपमेय है, स्वाधीनपतिका उपमान, अपरित्याग [न छोड़ना] सामान्य धर्म और [उपमावाचक]यथा शब्द का प्रयोग है [यथा पद के कारण यहाँ श्रौती पूर्णोपमा है]।

आर्थी [पूर्णोपमा का उदाहरण] जैसे—

[भय के कारण] चौंकी हुई हरिणी के समान चञ्चल नेत्रों वाली उस [नायिका] का क्रोध में जवान [देदीप्यमान] सूर्य के समान अत्यन्त सुन्दर कान्ति वाला मुख और यह [हाथ में लिया हुआ] कमल दोनों एक से हो रहे हैं। इसलिए [क्रोध से लाल नायिका का मुख नायक के] मन में आनन्द उत्पन्न करता है ।।२९७।।

टि०—यहाँ किसी नायिका के सौभाग्य को उसकी सहेली दूसरी किसी सहेली के सामने प्रकट कर रही है। नायिका के क्रुद्ध हो जाने पर भी नायक के मन में अपनी नायिका के प्रति और अधिक प्यार उमड़ने लगता है। इस श्लोक में सरसिज उपमान, आनन उपमेय, अरुण के समान कान्तिमत्त्व साधारण धर्म और सम यह उपमावाचक शब्द होने से पूर्णोपमा है। वाक्य में तुल्यार्थक सम का प्रयोग होने से यह वाक्यगा आर्थी है। काव्यप्रकाश (१०,३९४) में भी यह उदाहरण है।

यहाँ पर यह भी पहले की तरह समझ लेना चाहिए।

टि०—पहले बताये हुए स्वप्नेऽपि० इत्यादि श्लोक में जैसे उपमान, उपमेय,

---

१. ज. म., बोध्यम् न में नहीं

समासे श्रौती यथा—

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ २९८ ॥

आर्थी यथा—

आद्यन्तमध्यरहितं दशाहीनं पुरातनम् ।
अद्वितीयमहं वन्दे मद्वस्त्रसदृशं हरिम् ॥ २९९ ॥

एवं तद्धितेऽपि बोध्या ।

एकस्यैव बहूपमानोपादाने मालोपमा ॥ २०९ ॥

यथा—

गायन्ति किन्नरगणाः सह किन्नरीभि-
रुत्तुङ्गशैलशिखरेषु हिमाचलस्य ।

साधारण धर्म और वाचक यह चारों तत्त्व हैं, वैसे ही यहाँ भी हैं, इस कारण यह भी पूर्णोपमा है। अन्तर इतना है कि पहली में यथा का प्रयोग है और इसमें तुल्यार्थक सम का प्रयोग है। इस कारण पहली श्रौती है और यह आर्थी पूर्णोपमा है। काव्य-प्रकाश (१०,३९४) में भी यह श्लोक है।

समासगा [श्रौती का उदाहरण] जैसे—

शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए शब्द और [उसके] अर्थ की तरह परस्पर मिले हुए संसार के माता पिता पार्वती शिव को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२९८॥

टि०—'वागर्थाविव' इस वाक्यांश में ''इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपश्च' इस नियम से समास हो गया है। वाचक शब्द इव होने के कारण यह समासगा श्रौती का उदाहरण है। रघुवंश (१,१) का यह श्लोक है।

आर्थी [समासगा का उदाहरण] जैसे—

[फटकर चिथड़े २ हो जाने के कारण] आदि, अन्त और मध्य भाग से रहित, कपड़े की किनारी [तक] से वञ्चित, पुराने तथा और किसी के [अपने समान जर्जर न होने से] अनुपम [अपने] कपड़े के सदृश भूत, वर्तमान और भविष्य अथवा प्रारम्भ, स्थिति और समाप्ति इन सब अवस्थाओं से रहित, बाल्य, कौमार यौवन और वार्धक्य इन चार दशाओं से हीन, सबके प्राचीन एवं अप्रतिम ईश्वर की मैं वन्दना करता हूँ ॥२९९॥

टि०—'मद्वस्त्रसदृशम्' यहाँ पर समास तथा तुल्यार्थक सदृश शब्द का प्रयोग है।

इसी प्रकार तद्धित में भी [श्रौती और आर्थी के रूप में] समझना चाहिए।

७. मालोपमा—एक [उपमेय] के लिए ही बहुत सारे उपमानों का प्रयोग करने पर मालोपमा होती है ॥२०९॥

जैसे—

हिमालय पर्वत के ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर किन्नरगण किन्नरियों के

क्षीरेन्दुकुन्दशङ्खमृणालनाल-
नीहारहारहरहासनिभं[1] यशस्ते ।। ३०० ।।

यथा वा—

श्यामलतेव तन्वी चन्द्रकलेवातिनिर्मला सा मे।
हंसीव कलालापा चैतन्यं हरति निद्रेव ।। ३०१ ।।

भेदान्तरमाह—

अर्थानामौपम्ये यत्र बहूनां भवेद् यथापूर्वम् ।
उपमानमुत्तरेषां सेयं रसनोपमेत्यन्या ।। २१० ।।

यथा—

नभ इव विमलं सलिलं सलिलमिवानन्दकारि शशिविम्बम् ।
शशिविम्बमिव लसद्द्युति तरुणीवदनं शरत् कुरुते ।। ३०२ ।।

साथ दूध, चन्द्रमा, कुन्द, शङ्ख, कमलदण्ड, ओस, मुक्ताहार और महादेव जी के हास के समान [श्वेत] तुम्हारे यश का गान करते हैं ।।३००।।

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

प्रियङ्गुलता [हरी दूब या नील के पौधे] के समान कृशाङ्गी [पतली], चन्द्रकला के समान बहुत अधिक स्वच्छ, हंसिनी के समान मधुरभाषिणी यह [सुन्दरी] निद्रा के समान मेरी चेतना का अपहरण कर रही है ।।३०१।।

टि०—यहाँ एक नायिका के श्यामलता, चन्द्रकला और हंसी यह बहुत से उपमान होने से मालोपमा है।

८. रसनोपमा—[उपमा के] और दूसरे भेद को बतलाते हैं—

जहाँ बहुत सारे अर्थों के उपमेय होने पर पूर्व पूर्व के प्रति उत्तर, उत्तर की उपमानता होती जाय तो यह दूसरी उपमा रसनोपमा होती है ।।२१०।।

टि०—इस उपमा में पहले वाक्य का उपमेय उत्तर वाक्य में उपमान बन जाता है और यह क्रम आगे चलता चला जाता है ।

जैसे—

यह शरद् ऋतु आकाश के समान जल को स्वच्छ बना रही है; जल के समान चन्द्रमण्डल को आनन्ददायक बना रही है और चन्द्रमण्डल की भाँति नवयुवती के मुख को चमकीली कान्ति से युक्त कर रही है ।।३०२।।

---

१. त; सितं ज भ्र

यथा वा—

चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो, हंसायते चारुगतेन कान्ता ।
कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥ ३०३ ॥

भेदान्तरमाह—

उपमानोपमेयोरवयवी अवयवाश्च यत्रोपमीयन्ते सा समस्तविषया इत्येकः प्रकारः ॥२११॥

या तु केवलमवयवानामेव क्रियते स द्वितीयः ॥ २१२ ॥

उदाहरणम्—

मृणालिकाकोमलबाहुयुग्मा, सरोजपत्रारुणपाणिपादा ।
सरोजिनीचारुतनुर्विभाति प्रियालनीलोज्ज्वलकुन्तलासौ[१] ॥ ३०४॥

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

[शरद् ऋतु में] श्वेत कान्ति से युक्त हंस चन्द्रमा जैसा मालूम होता है, सुन्दर गमन [चाल] से युक्त रमणी हंस जैसी प्रतीत होती है, स्पर्श में सुखकारी होने से जल सुन्दरी के समान लगता है और स्वच्छता के कारण आकाश जल के सदृश दीखता है ॥३०३॥

९. समस्तविषया उपमा के दूसरे भेद को [ग्रन्थकार] कहते हैं—

उपमान और उपमेय के जहाँ अवयवी और अवयव उपमा के विषय बनते हैं, वह समस्तवस्तुविषया उपमा कहलाती है। यह एक भेद है ॥२११॥

और जहाँ केवल अवयवों की उपमा होती है, वह दूसरा भेद है ॥२१२॥

टि०—अन्य आचार्यों ने जैसे समस्तवस्तुविषयक रूपक और एकदेशविवर्ति रूपक माना है, वैसे ही ग्रन्थकार ने समस्तवस्तुविषया और एकदेशविवर्तिनी दो प्रकार की उपमा मानी है। जहाँ अवयवों सहित उपमेयभूत अवयवी की अवयवों सहित उपमानभूत अवयवी के साथ तुलना की जाय वहाँ समस्तवस्तुविषया (साङ्ग) उपमा होती है और जहाँ उपमेय के किसी अङ्ग का साम्य उपमान के किसी अङ्ग के साथ वाच्य हो और किसी अङ्ग का साम्य व्यङ्ग्य हो (उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग न हो) तो एकदेशविवर्तिनी उपमा होती है।

उदाहरण—

कमललता के समान कोमल दो भुजाओं वाली, रक्तकमल की पंखुड़ियों के सदृश लाल हाथ और पैरों से युक्त, कमलिनी के समान सुन्दर शरीर से संवलित और प्याल के फल जैसे नीले और चमकीले बालों वाली वह सुन्दरी शोभित हो रही है ॥३०४॥

---

१. ज अ; प्रियापि नीलोत्पलकुन्तलासौ न

तथा—

पद्मचारुमुखी भाति पद्मपत्रायतेक्षणा ।
दशनैः केशराकारैरलिनीलशिरोरुहा ॥ ३०५ ॥

टि०—यहाँ असौ पद से प्रतीत होने वाली सुन्दरी उपमेयभूत अवयवी है और सरोजिनी उपमानभूत अवयवी है। उसके बाहु, हाथ, पैर और केश इन अङ्गों के क्रमशः मृणालिका, सरोजपत्र, और प्रियाल उपमान रखे हैं। इस प्रकार यहाँ अवयवों सहित अवयवी उपमेय की अवयवों सहित अवयवी उपमान के साथ तुलना होने से समस्तवस्तुविषया उपमा है। इसको साङ्गोपमा भी कहा जाता है।

और [एकदेशविवर्तिनी या निरङ्गोपमा का उदाहरण]

कमल के समान मुख वाली, कमलपुष्प की पँखुड़ी के समान चौड़े नेत्रों वाली पुष्पों के केसर के आकार वाले दाँतों से युक्त, भौंरों के समान नीले बालों वाली, यह सुन्दरी शोभित हो रही है ॥३०५॥

टि०—यहाँ सुन्दरी के केवल अवयवों के ही उपमान दिए हुए हैं। उसका अपना कोई उपमान नहीं है। अतः यह एकदेशविवर्तिनी या निरङ्ग उपमा है।

ग्रन्थकार ने उपमा के मुख्य रूप से निम्नलिखित १० भेद बताये हैं। वाक्योपमा नामक उपमा के ६ भेद हैं। इनमें मालोपमा, रशनोपमा, समस्तवस्तुविषया और एकदेशविवर्तिनी के ४ भेद मिल कर १० भेद बन जाते हैं।

१. पूर्णोपमा—इसी का दूसरा नाम वाक्योपमा है। इसके ६ भेद उदाहरणों सहित बताये हैं।
२. लुप्तोपमा—इसमें धर्मलुप्ता, उपमानलुप्ता और वाचकलुप्ता इन तीन भेदों का सोदाहरण निरूपण है। द्विलुप्ता और त्रिलुप्ता का नाम से ही निर्देश कर दिया है।
३. उभयोपमा—इसे उपमेयोपमा और उपमानोपमा भी कहा जाता है।
४. अनन्वयोपमा
५. कल्पितोपमा
६. असदुपमा—इसके कल्पित और लोकप्रसिद्ध यह दो भेद हैं। प्राचीन आचार्यों के अनुसार इसी को अतिशयोक्ति नाम दिया जाता है।
७. मालोपमा
८. रशनोपमा
९. समस्तवस्तुविषया उपमा
१०. एकदेशविवर्तिनी उपमा

असदुपमा के लक्षण और उदाहरण बतलाने के बाद पूर्णोपमा के ६ प्रकार बताये हैं। इनमें वाक्यगा और समासगा भेदों को सोदाहरण दिखाया है तद्धितगा

अथोत्प्रेक्षा—

उपमेये उपमानत्व[1]सम्भावनमुत्प्रेक्षा ॥ २१३ ॥

सम्भावनमुत्कटकोटिकः सन्देहः।[2] न च संशयालङ्कारेण गतार्थता

के इन्हीं दोनों भेदों का सङ्केत भर कर दिया है। साहित्यदर्पणकार की भाँति इन्होंने भी पूर्णोपमा को ६ प्रकार की माना है। वस्तुतः इन भेदों को पूर्णोपमा के प्रसङ्ग में पहले ही दिखाना उचित है।

पूर्णोपमा
- १. श्रौती
  - १. वाक्यगा
  - २. समासगा
  - ३. तद्धितगा
- २. आर्थी
  - ४. वाक्यगा
  - ५. समासगा
  - ६. तद्धितगा

इस प्रकार उपमा के कुल भेद ये हैं—

१. पूर्णोपमा—६ भेद

२. लुप्तोपमा—१. धर्मलुप्ता २. उपमानलुप्ता ३. वाचकलुप्ता ४. द्विलुप्ता ५. त्रिलुप्ता=५ भेद। प्राचीन आचार्यों ने इस लुप्तोपमा के और भी कई भेद माने हैं।

३. उभयोपमा—१ भेद

४. अनन्वयोपमा—१ भेद

५. कल्पितोपमा—१ भेद

६. असदुपमा—१. कल्पित और २. लोकप्रसिद्ध २ भेद

७. मालोपमा

८. रशनोपमा

९. समस्तवस्तुविषया

१०. एकदेशविवर्तिनी

६+५+१+१+१+२+१+१+१+१=२० भेद

इस भाँति उपमा के मुख्य भेद १० हैं और भेदोपभेदों सहित यह २० प्रकार की है।

इसके बाद ४. उत्प्रेक्षा [का लक्षण] है—

उपमेय के भीतर उपमानत्व की सम्भावना उत्प्रेक्षा है ॥२१३॥

उपमेय की कोटि [कक्षा] में उपमान की कोटि के प्रबल हो जाने से उत्पन्न हुआ संशय सम्भावन कहलाता है [इसी सम्भावन अर्थात् प्रकृत उपमेय में अप्रकृत

---

१. ज अ; उपमेयोपमानत्व...त

२. ज म; संशय...

अतुल्यकोटिकत्वादिति ।

यथा—

घनसमयसलिलधौते नभसि शरच्चन्द्रिका विसर्पन्ती ।
अतिसान्द्रतयेह नृणामङ्गान्यनुलिम्पतीवेयम् ।। ३०६ ।।

अत्र चन्द्रिकाया अनुलेपनमसम्भाव्यमेव सम्भावितम् ।

अत्रेदमवधेयम् इह व्यङ्ग्योपमैव काव्यसर्वस्वभूतत्वादलङ्कार इति वस्तुस्थितिः, उत्प्रेक्षा तु तदुपस्थापिकेत्यलङ्कार-

---

उपमान के प्रबल सन्देह को उत्प्रेक्षा कहते हैं] ।

[पूर्वपक्षी] संशयालङ्कार [के लक्षण] से [इस उत्प्रेक्षालङ्कार के लक्षण की] गतार्थता [स्वरूपप्रतीति] हो जायेगी [अतः उस अलङ्कार के लक्षण में इस अलङ्कार के लक्षण का अन्तर्भाव हो सकता है] ।

[सिद्धान्ती—पूर्वपक्षी को] ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस [उत्प्रेक्षालङ्कार] में अतुल्यकोटि [असमान कक्षा अर्थात् उपमेय की अपेक्षा उपमान की कक्षा अधिक प्रबल] होती है [जबकि समानोभयकोटिकः संशयः सन्देहः—इस लक्षण के अनुसार सन्देहालङ्कार में उपमानकोटि और उपमेयकोटि दोनों ही बराबर होती हैं] ।

जैसे—

वर्षाकाल के जल से धोये हुए आकाश में व्याप्त होती हुई [फैलती हुई] शरद् ऋतु की यह चाँदनी बहुत अधिक घनी होने के कारण इस लोक में लोगों के अङ्गों को लीप सी रही है ॥३०६॥

यहाँ चाँदनी के भीतर [इसके जड़ होने कारण] अनुलेपन असम्भव ही है [फिर भी] इसकी सम्भावना की गई है ।

टि०—यहाँ कवि ने चन्द्रिका के आकाश में व्याप्त होने का वर्णन किया है । इस प्रकार चन्द्रिका की विसर्पण (व्यापन) क्रिया के ऊपर लोगों के अङ्गों पर अनुलेपन करने का आरोप है । अचेतन चन्द्रिका चेतन कर्ताओं के चन्दनादि अनुलेपन के कार्य को नहीं कर सकती और चाँदनी स्वयं ठोस द्रव्य भी नहीं है । इस प्रकार वस्तुतः चाँदनी के भीतर अनुलेपन असम्भव है फिर भी इस अलङ्कार में अचेतन कर्ता के धर्मों के ऊपर चेतन कर्ता के धर्मों का आरोप कर लिया जाता है ।

यहाँ इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए—यहाँ काव्य का सर्वस्व [सम्पूर्ण सार] व्यङ्ग्योपमा ही है, इसलिए उसे ही अलङ्कार मानना चाहिए [यहाँ उपमालङ्कार का अवकाश है] यह वास्तविक स्थिति है और उत्प्रेक्षा तो उस उपमालङ्कार को उपस्थित करने वाली है इस कारण यहाँ [उपमा नाम न रखकर] उत्प्रेक्षा को ही अलङ्कार माना है । इसी प्रकार सन्देह और रूपक आदि अलङ्कारों में भी यही जानना चाहिए ।

तया व्यवह्रियते एवं सन्देहरूपकादिष्वपि बोध्यम्। न च वाच्यामुत्प्रेक्षां विहाय किमिति व्यङ्ग्योपमायास्तावदलङ्कारत्वं स्वीक्रियते इति वाच्यम्,

---

टि०—वस्तुतः घनसमय० इत्यादि श्लोक में सादृश्य होने से उपमा का भी अंश है। चन्द्रिका का आकाशव्यापन लोगों के अङ्गों पर अनुलेपन के समान है। किन्तु यहाँ इव वाचक पद से सादृश्य की अपेक्षा संशय की अधिक प्रतीति हो रही है। दोनों अलङ्कारों की प्राप्ति होने पर यह देखा जाता है कि चारुत्व किसके द्वारा हो रहा है। उपमा में सादृश्य होता है। इस सादृश्य की झलक उत्प्रेक्षा में भी होती है। किन्तु उत्प्रेक्षा में सादृश्यमात्र न होकर सादृश्यमूलक उत्प्रेक्षण (सम्भावन) व्यापार भी होता है। यही सम्भावनव्यापार उत्प्रेक्षा रूप नये व्यपदेश (सञ्ज्ञा या नाम) का कारण बनता है।सन्देह और रूपक आदि अलङ्कारों में भी वास्तव में उपमा होती है परन्तु वहाँ पर सन्देह और रूपक उपस्थापक होते हैं। सादृश्य के आधार पर सन्देहालङ्कार में सन्देह की प्रक्रिया पाई जाती है तो रूपकालङ्कार में आरोपणप्रक्रिया। इन व्यापारों के कारण उन उन अलङ्कारों का नाम सन्देह और रूपक हो जाता है। वस्तुतः प्रत्येक अलङ्कार की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के आधार पर अलङ्कारों के स्वरूप निर्धारित किये जाते हैं और उसी के आधार पर व्यपदेश होते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों के अंशों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहाँ जिसके कारण अधिक चमत्कार होता है अथवा जहाँ जिसकी प्रधानता होती है वहाँ वही अलङ्कार समझ लिया जाता है। इस सम्बन्ध में आलङ्कारिकों में प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति यह नियम प्रचलित है। जहाँ वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ दोनों उपस्थित हों और उनमें किसकी प्रधानता मानी जाय? जब यह समस्या आ जाती है तो उसका समाधान ध्वन्यालोक में यह बताया है—चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा—अर्थात् इन दोनों में से जिसमें अधिक चमत्कार हो उसी की प्रधानता मानी जायेगी। वाच्य और व्यङ्ग्य के सन्दर्भ में कही गई यह बात वाच्यालङ्कारों में भी लागू होती है। जब दो वाच्यालङ्कारों के बीच यह स्थिति आ जाय कि वहाँ किसका व्यपदेश हो? तो वहाँ भी यही नियम काम करेगा। जिसके कारण उस लक्ष्यस्थल पर विशेष चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है, वहाँ उसी अलङ्कार का नाम दिया जायेगा। उत्प्रेक्षा के उदाहरणों में यद्यपि सादृश्य भी पाया जाता है किन्तु वहाँ सादृश्य की अपेक्षा सम्भावन की प्रधानता होने से उत्प्रेक्षा अलङ्कार को ही माना जाता है।

[पूर्वपक्षी] और यहाँ वाच्योत्प्रेक्षा को छोड़कर व्यङ्ग्योपमा अलङ्कार का यह [घनसमयसलिल...इत्यादि] उदाहरण क्यों स्वीकार किया जा रहा है? [इसमें सन्देह की प्रतीति कराने वाला इव शब्द है इस कारण यहाँ वाच्योत्प्रेक्षा ही माननी चाहिए]।

वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यप्रतीतेरधिकचमत्कारहेतुत्वस्य सर्वसम्मतत्वात् । न चोपमाया व्यङ्ग्यत्वे नालङ्कारत्वमपित्वलङ्कार्यत्वमेवेति वाच्यम्, रसपुष्टिद्वारा तस्या अलङ्कार्यत्वेऽप्यलङ्कारत्वानपायात् ।

अथ संशयः—

वस्तुनि यत्रैकस्मिन्नेकविषयस्तु भवति सन्देहः ।
प्रतिपत्तुः सादृश्यादनिश्चयः संशयः स इति ॥ २१४ ॥
भेदोक्तौ तदनुक्तौ च स द्विधा परिकीर्तितः ।[1]

आद्यो यथा—

द्विधाकृतात्मा किमयं दिवाकरो
विधूमरोचिः किमयं हुताशनः ॥ ३०७ ॥

यथा वा—

गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः
प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः ।

[सिद्धान्ती—] इस प्रकार [की शङ्का करते हुए] ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वाच्य की अपेक्षा व्यङ्ग्य की प्रतीति अधिक चमत्कारकारक होती है यह सारे अलङ्कारशास्त्र के विद्वानों का सर्वसम्मत सिद्धान्त है [अतएव यहाँ उपमा की व्यङ्ग्यता भी मानी जा सकतीहै] ।

और उपमा के व्यङ्ग्य होने से उसकी अलङ्कारता नहीं रहती अपितु वह अलङ्कार्य [प्रधान] ही हो जाती है यह भी नहीं कहना चाहिए कि उसके अलङ्कार्य होने पर भी रसपुष्टि का हेतु होने के कारण अलङ्कार होने में कोई बाधा नहीं है ।

इसके बाद ५ संशय [सन्देह का लक्षण बताया गया] है—

जहाँ एक वस्तु में अनेकवस्तुविषयक सन्देह होता है और सादृश्य के कारण बोद्धा [के मन के भीतर] का अनिश्चय पाया जाता है, वह संशय अलङ्कार है ॥२१४॥

वह संशयालङ्कार भेद के कथन होने पर तथा उस [भेद] के न कहे जाने पर दो प्रकार का बतलाया गया है ।

पहला [भेद के कथन करने की स्थिति का उदाहरण] जैसे—

क्या यह दो टुकड़ों में विभक्त सूर्य [का एक भाग] है अथवा क्या यह धूमरहित अग्नि ही है ? ॥३०७॥

टि०—यहाँ किसी परम तेजस्वी राजा का वर्णन है और राजा और सूर्य में भेद है । राजा सामान्य सूर्य से भिन्न उसका एक टुकड़ा बन कर रह गया है । धूमवान् अग्नि से भी राजा का भेद बताया गया है ।

और [दूसरा उदाहरण] जैसे—

सूर्य का [आकाश में] गमन तिरछा होता है । अग्नि का ऊपर की ओर

---

1. ख: स द्विधा भेदोक्तौ तदनुक्तौ च ज अ

पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः
किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः ।। ३०८ ।।

द्वितीयो यथा—

इदं कर्णोत्पलं चक्षुरिदं वेति विलासिनि ।
न निश्चिनोमि सततं किन्तु दोलायते मनः ।। ३०९ ।।

अयं निश्चयगर्भो निश्चयान्तश्च । यथा—[1]

एतत् किं शशिबिम्बं न तदस्ति कथं कलङ्कमङ्केऽस्य ।
किं वा वदनमिदं कथमियती प्रभास्य स्यात् ।। ३१० ।।

निश्चयान्तो यथा—

किमिन्दुः किं पद्मं किमु मुकुरविम्वं किमु मुखम्
किमब्जे किं मीनौ किमु मदनवाणौ किमु दृशौ ।

जलना प्रसिद्ध है [किन्तु] इस व्यक्ति का तेज चारों ओर फैलता हुआ गिर रहा है । इस प्रकार यह क्या हो सकता है ? यह सोचते हुए लोगों के द्वारा नारद मुनि बड़ी [उत्सुकता भरी] व्याकुलता के साथ देखे गये ।।३०८।।

टि०—यहाँ सूर्य और अग्नि के विशेष धर्मों को कहकर उनसे नारद मुनि का भेद वताया है यह दोनों उदाहरण भेदोक्ति के हैं ।

दूसरा [भेद की अनुक्ति का उदाहरण] जैसे—

अरी रमणीय सुन्दरी । यह कान का कमल है अथवा यह नेत्र है इस सम्बन्ध में निरन्तर निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, परन्तु मेरा मन डाँवाँडोल हो रहा है ।।३०९।।

टि०—यहाँ कर्णोत्पल और चक्षु में भेद न बताकर उन्हें एक ही बताया गया है ।

यह संशय १. निश्चयगर्भ—और २. निश्चयान्त भी होता है ।

१. [निश्चयगर्भ का उदाहरण] जैसे—

क्या यह चन्द्रमण्डल है ? [यदि चन्द्रमण्डल है] तो इसके मध्य में वह काला कलङ्क [धब्बा] क्यों नहीं है ? [अतः यह चन्द्रमा तो हो नहीं सकता] तो क्या यह मुख है ? [यह मुख भी नहीं है क्योंकि इस मुख की] इतनी दीप्ति कैसे हो सकती है ? ।।३१०।।

टि०—यहाँ वास्तव में सब कुछ मुख के सम्बन्ध में कहा जा रहा है । मध्य में तो निश्चय हो गया है किन्तु प्रभा का वर्णन कर देने से फिर यह अनिर्णीत रह गया है ।

२. निश्चयान्त [का उदाहरण] जैसे—

क्या यह चन्द्रमा है ? क्या यह कमल है ? अथवा क्या यह मण्डलाकार

---

१. ज अ; तद् यथा त

खगौ वा गुच्छौ वा कनककलशौ वा किमु कुचौ
तडिद् वा तारा वा कनकलतिका वा किमवला ॥ ३११ ॥

वस्तुतस्तु तुल्ययुक्तिकतया संशयस्येव निश्चयस्याप्यलङ्कारत्वं युक्तं सम्मतं च प्राचाम् । अथ यदि सादृश्यदर्शनाद् भवति संशय इति सादृश्यव्यञ्जकतया चमत्काराधायकत्वेन भवति संशयस्यालङ्कारत्वं न निश्चयस्येति तदा सादृश्यस्यैवालङ्कारत्वमस्तु संशयस्तु तद्व्यञ्जक इति निष्कर्षः ।[1]

दर्पण है अथवा क्या यह मुख है ? क्या यह कमल है क्या यह मछलियाँ हैं ? क्या यह कामदेव के बाण हैं ? अथवा क्या यह आँखें हैं ? क्या यह पक्षी हैं ? अथवा क्या यह फूलों के गुच्छे हैं ? अथवा क्या यह सोने के कलश हैं अथवा यह स्तन हैं ? क्या यह बिजली है अथवा क्या यह [आसमान में रहने वाला] तारा है ? क्या यह सोने की लता है अथवा क्या यह नाजुक रमणी है ?॥३११॥

टि०—यहाँ पादान्त में विद्यमान मुखम्, दृशौ, कुचौ और अवला ये पद अन्तिम विकल्प के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अन्त में उल्लेख होने के कारण यह सन्देह निश्चयान्त है क्योंकि विकल्पों में अन्तिम विकल्प की प्रधानता होती है।

वास्तव में तो समान युक्तियाँ होने के कारण संशय की तरह निश्चय को भी अलङ्कार मानना चाहिए।

टि०—यहाँ निश्चयान्त सन्देह में सन्देहालङ्कार न मानकर निश्चयालङ्कार मानना चाहिए, यही सिद्धान्ती का आशय है। क्योंकि यहाँ जैसे संशय में चमत्कार होने के कारण संशय को संशयालङ्कार का हेतु माना गया है वैसे ही निश्चय को हेतु मानकर इसे निश्चयालङ्कार माना जा सकता है। अन्तिम अवला आदि पदों से निश्चय की ओर अधिक झुकाव हो जाता है।

[निश्चयान्त संशय को निश्चयालङ्कार मानना] यह मत प्राचीन आचार्यों को भी मान्य है। और यदि [पूर्वपक्षी की ओर से] यह कहा जाय क्योंकि यहाँ सादृश्य स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसको संशय ही कहा जायेगा क्योंकि सादृश्यव्यञ्जकता में ही चमत्काराधायकता होने से संशय की तो अलङ्कारता सिद्ध हो जायेगी परन्तु निश्चय की [अलङ्कारता की सिद्धि] नहीं [क्योंकि नियम यह है कि जहाँ पर जिसमें चमत्काराधायकता होती है, वहाँ पर वही अलङ्कार माना जाता है—इस पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती कहते हैं] यदि सादृश्य को लेकर ही अलङ्कारत्व बनता है तब तो यहाँ सादृश्य ही अलङ्कार हो जायेगा और संशय उसका व्यञ्जकमात्र हो जायेगा [और इस प्रकार संशयालङ्कार के स्थान पर यहाँ उपमा की सिद्धि हो जायेगी] यह सारांश है।

---

१. ज अ; तत्त्वम् त

अथ रूपकम्—

यत्र गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरभिदा ।
[अविवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपकं प्रथमम्][1] ।। २१५ ।।

अभिदेति । अत्र केचित् । उपमानवाचकपदेन सादृश्यसम्बन्धा[2]दुपमेयं मुखादि लक्ष्यते । तेन वास्तव एवाभेदः । तेनाभिधेत्यविवक्षितम् ।[3] अन्यथा अयोग्यताज्ञाने परिपन्थिनि शब्दादभेदधीरेव नोत्पद्यते इति ।

टि०—सिद्धान्ती का यह अभिप्राय है कि निश्चयान्तसन्देह के 'किमिन्दुः किं पद्मम्' इस उदाहरण को निश्चयालङ्कार मानना चाहिए क्योंकि इसमें निश्चय की प्रबलता है । इन्होंने आचार्य विश्वनाथ की तरह संशय के एक भेद के रूप में तो निश्चयान्त को दिखा दिया है किन्तु यह इस भेद की वैसे ही उपेक्षा करना चाहते हैं, जैसे भट्टोद्भट ने कर दी है (······किन्तु निश्चयगर्भ इव नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भट्टोद्भटेन काव्यप्रकाश १०, ४२० टिप्पणी)

इसके बाद ६. रूपक [का निरूपण] है—

जहाँ गुणों की समानता होने पर उपमान और उपमेय के अभेद की कल्पना पाई जाय और सामान्य धर्म अविवक्षित हो [उसका शब्द द्वारा ग्रहण न हो] वह रूपक का पहला प्रकार है ।।२१५।।

यहाँ अभिदा इस पद के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का कहना है—

उपमानवाचक पद से लक्षणा के द्वारा उपमेय मुखादि लक्षित होता है अर्थात् लक्ष्यार्थ के रूप में उपमेय का बोध होता है और सादृश्याख्य सम्बन्ध से यह लक्षणा होती है [अभेद का तात्पर्य यही है] ।

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार में रूपक का यही लक्षण दिया है । ग्रन्थकार ने द्वितीय पङ्क्ति छोड़ दी है ।

गौ र्वाहीकः जैसे लक्षणा के उदाहरणों में गौः पद में लक्षणा करके वाहीक को लक्ष्यार्थ माना जाता है और जाड्यमान्द्यादि सादृश्याख्यसम्बन्ध से यह लक्षणा होती है । यही गौणी लक्षणा रूपक में कारण बनती है ।

अतएव यहाँ यह अभेद वास्तविक ही होता है । इसीलिए यहाँ [रूपक में] अभिधा विवक्षित नहीं है [केवल अभिधा से ही काम नहीं चलता इसी कारण लक्षणा माननी पड़ती है]

नहीं तो [अर्थात् यदि यहाँ लक्षणा स्वीकार न करके अभिधा को ही माना जाय तो] योग्यताभाव रूप विरोधी ज्ञान के होने पर [उपमेय और उपमान रूप में प्रयुक्त] शब्द से अभेदबुद्धि ही नहीं उत्पन्न होगी ।

---

१. परिवर्धित—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार ८,३८; ज अ त में द्वितीय पङ्क्ति नहीं ।
२. ज अ; सम्बन्धेनोपमेयम् त
३. त; तेना' वदितम् यह अंश ज अ में नहीं

अतएवाहुः—

यदोपमानशब्दानां गौणीवृत्तिव्यपाश्रयात् ।
उपमेये भवेद् वृत्तिस्तदा तद्रूपकं विदुः ॥

इति । तथा च मुखं चन्द्र इत्यत्र चन्द्रसजातीयभूयोधर्मवन्मुखमिति प्रतीतिरित्याहुः । तन्न, रूपकोपमयोरभेदप्रसङ्गात् सम्मतं च प्राचाम् ।

टि०—यदि मुखं चन्द्रः जैसे उदाहरणों में अभिधा से ही अभेद प्रतीति मान ली जाय तो यहाँ तुरन्त ही योग्यता की आवश्यकता होगी। पदार्थानां परस्पर-सम्बन्धे वाधाभावः योग्यता—इस योग्यता के लक्षण के अनुसार तो यहाँ मुख और चन्द्रमा में सम्बन्ध ही उपपन्न नहीं होता। इस योग्यता के माध्यम से ही अभिधा अभेदज्ञान करा सकती है किन्तु मुख और चन्द्र अभिधा द्वारा अपने अपने अर्थ को वता देने पर भी पारस्परिक सम्बन्ध को वताने में अयोग्य हैं। इस कारण यहाँ अभेद ज्ञान की प्रतीति लक्षणा से ही माननी पड़ती है।

इसीलिए आचार्य कहते हैं—

गौणी वृत्ति के प्रयोग के कारण जब उपमानवाचक पदों का उपमेय-वाचक पद में प्रयोग होने लगता है तो विद्वान् उसे रूपक के रूप में जानते हैं। यह उनका वचन है।

टि०—इस उद्धरण से रूपक में गौणी लक्षणा की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है।

और मुखं चन्द्रः—इस स्थान में चन्द्र के सजातीय [चन्द्र में रहने वाले धर्मों से मिलते जुलते] बहुत सारे धर्मों वाला यह मुख है, इस प्रकार का शाब्दबोध होता है, ऐसा भी ये विद्वान् कहते हैं।

टि०—अत्र केचित्......प्रतीतिरित्याहुः तक पूर्वपक्ष है। पूर्वपक्षी का कहना है कि मुखं चन्द्रः—में लक्षणा के माध्यम से चन्द्रसजातीयभूयोधर्मवन्मुखम् यह अन्तिम शाब्दबोध होता है।

[सिद्धान्ती] यह मत ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर रूपक और उपमा दोनों में ही अभेद का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा।

टि०—सिद्धान्ती के अनुसार रूपक और उपमा में अभेद प्रसङ्ग इस प्रकार बनता है—रूपक की जो अन्तिम प्रतीति पूर्वपक्षी ने कराई है वह चन्द्रगतभूयोधर्म-वन्मुखम् इस रूप में है और उपमा सादृश्य से बनती है और सादृश्य का लक्षण है—तद्भिन्नत्वे तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम् इस प्रकार तद्गतभूयोधर्मवत्त्व विशेषण को लेकर यह दोनों ही अलङ्कार एक ही लक्ष्य पर पहुँचते हैं। यही इन दोनों में अभेद प्रसङ्ग अर्थात् एक ही लक्षण के दोनों अलङ्कारों में चले जाने का कारण बन जायेगा।

अथ सादृश्यमुपमा[1]। सादृश्यस्य दलद्वयं तद्भिन्नत्वं तद्गतभूयोधर्मवत्त्वञ्च। भूयो धर्मवत्त्वमात्रं रूपकमित्यनयो र्भेदो यथाकथञ्चिन्निर्वाहनीय इति चेत् काव्यपितृवैरिन्! चन्द्राभिन्नं मुखं चन्द्रभूयोधर्मवन्मुखमित्यनयोः प्रतीत्योः का चमत्कारकारिणीति[2] भूयो भूयः क्षालितान्तःकरणेन त्वयैव साक्षित्वेनाभिधीयताम्। अथाद्यप्रतीतिश्चमत्कारिणीति न विवादः किन्तु बाधनिश्चये जागरूके अभेदप्रतीतिरेव दुर्घटा इत्येव

[इस अभेद पक्ष के विरुद्ध पूर्वपक्षी की ओर से यह कहा जा सकता है] सादृश्य को [ही] उपमा कहा जाता है। सादृश्य के लक्षण के दो दल अर्थात् विशेषण हैं—१. तद्भिन्नत्व तथा २. तद्गतभूयोधर्मवत्त्व। और रूपक में केवल भूयोधर्मवत्त्वमात्र है। यही इन दोनों अलङ्कारों में भेद है [रूपक से भेद रखने के लिये उपमा—सादृश्य के लक्षण में यह दोनों विशेषण रखे गये हैं]। इस प्रकार [उपमा में दो दल रख कर और रूपक में एक दल रखकर] इन दोनों में भेद मानकर ज्यों त्यों करके काम चला लेना चाहिए [इस प्रकार इन दोनों का एक ही लक्षण हो जाने से अभेद होने का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए]।

और यदि [पूर्वपक्षी की ओर से] ऐसा कहा जाय तो [सिद्धान्ती कहते हैं कि] हे काव्य के [सर्वस्वभूत] माता पिता [उपमा और रूपक अलङ्कारों] से द्वेष करने वाले [इनकी जड़ें खोदने वाले] बार २ अपने मन को धोकर शुद्ध करने वाले और साक्षी [स्वयं अनुभवी] बने हुए आप ही यह बताइए कि मुख चन्द्रमा से अभिन्न है [इस रूपक के लक्षण में] और चन्द्रमा के अधिक धर्मों से युक्त मुख है, इन दो प्रतीतियों में से कौन अधिक चमत्कार को करने वाली है।

टि०—उपमा और रूपक से और बहुत से अलङ्कारों की सृष्टि होती है, इस कारण इनको माता पिता कहा जाता है। काव्यपितृवैरिन् में पितृ शब्द माता पिता का वाचक है।

और यदि पहली प्रतीति को अर्थात् चन्द्राभिन्नं मुखम् इस रूपक के ज्ञान को अधिक चमत्कार वाला मानते हो तो उसमें हमारा विवाद नहीं है।

टि०—उपमा से तो केवल उपमान और उपमेय में सादृश्य ज्ञान होता है और मुख और चन्द्रमा में भिन्नता भी दीखती है परन्तु रूपक में सर्वथा अभेद स्थापित होने से अपकृष्ट गुण वाला उपमेय अधिक गुण वाला उपमान ही बन जाता है, इसलिए अधिक चमत्कार हो जाता है।

परन्तु मुख्यार्थ के बाध होने के निश्चय के प्रबल हो जाने पर अभेद प्रतीति का होना ही कठिन है। [जो मुख है वह चन्द्रमा नहीं बन सकता क्योंकि जो वस्तु जो नहीं है वह वस्तु वह कैसे बन सकती है?] यही बात हम कहते हैं।

---

१. त; ज अ में नहीं

२. तः चमत्कारिणी ज अ

ब्रूम इति चेत्, आयुष्मन्, सौसादृश्य[1] विषयमाहात्म्यदोषेण बाधनिश्चयं परिभूयाभेदप्रतीतिरिति गृहाण। सत्यपि बाधनिश्चये नीलं तम इति प्रतीतिवदिति[2] दिक्। निर्गलितार्थस्तु-उपमानोपमेययो र्गुणसाम्यात्तत्त्वारोपो रूपकम्।

यथा—

> द्राघीयः सहचारवासमिलितस्नेहादतीवोत्कटा-
> दङ्कन्यस्तकलङ्कपङ्कसहितः कङ्कः शशाङ्कोऽपरः।

[सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी की ओर से] यदि ऐसा कहा जाय [तो इसका यह उत्तर है] हे दीर्घजीवी विद्वान्। [मुखं चन्द्रः इत्यादि रूपक के प्रयोगों में सुन्दर सादृश्य का विषय बन जाने की महिमा के विशेष गुण [दोष—विकार]" से बाध निश्चय की अवहेलना करने से अभेद की प्रतीति हो जाती है ऐसा समझो। [ऐसे वाक्यों में] यद्यपि मुख्यार्थबाध का निश्चय हो जाता है [इस कारण अभेद मानने में कठिनाई भी होती है] तथापि जैसे नीलं तमः इस [वाक्य को सुनने] से अभेद की प्रतीति होती है, वैसी ही प्रतीति यहाँ होती है। इतना यहाँ सङ्केत रूप में बता दिया है।

टि०—'नीलं तमः' इस वाक्य में मुख्यार्थ का बाध हो जाता है तेजोऽभाव का नाम तमः—अन्धकार है। अन्धकार की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। अतः नीलं पद तमः का विशेषण नहीं हो सकता। जो नील है वह तमः नहीं और जो तमस् है वह नील नहीं, फिर भी नीलं तमः [काला या नीला अन्धेरा] जैसे वाक्यों का 'नीलाभिन्नं तमः' इस अर्थ में प्रयोग होता है। दिक् शब्द का अर्थ दिशानिर्देश है। जैसे पूरा मार्ग न बताकर उसकी दिशामात्र बताने से भी व्यक्ति गन्तव्य पर पहुँच जाता है, इसी प्रकार पूरी बात न बताकर यदि उसकी ओर सङ्केत भी कर दिया जाता हैं तो समझदार आदमी थोड़े इशारे से पूरी बात समझ लेता है।

सारभूत अर्थ [सारांश] तो यह है—गुणों की समानता होने से उपमेय के ऊपर उपमान का अभेदारोप रूपक कहलाता है।

टि०—पूर्वपक्षी ने मुखं चन्द्रः—इस रूपक के उदाहरण में चन्द्रसजातीयभूयोधर्मवन्मुखम् इस प्रकार का शाब्दबोध माना था। इस पर सिद्धान्ती को यह आपत्ति रही है कि ऐसा शाब्दबोध स्वीकार करने पर उपमा और रूपक में अभेद सिद्ध हो जायेगा। दोनों का एक ही लक्षण बन जायेगा किन्तु यदि रूपक का—उपमानोपमेययोर्गुणसाम्यात्तत्त्वारोपो रूपकम् यह लक्षण माना जाय तो इसका लक्षण उपमा के लक्षण से पृथक् हो जायेगा क्योंकि उपमा में अभेदारोप होता ही नहीं है।

जैसे—

अधिक लम्बे समय तक साथ साथ रहने से मिले हुए एवं अत्यन्त प्रगाढ़

---

१. ज अ; सादृश्यवि···त

२. ज अ; प्रतीतिवदिति त में नहीं

ज्योतिर्मण्डलपुण्डरीकमुकुले पद्माकरे पुष्करे
नारीणां ग्रसमान एष वलते मानौघमीनोत्करान् ।। ३१२ ।।

यथा वा—

कमलाक्षेपिणि सुमुखीमुखचन्द्रे चन्द्रिकालोभात् ।
लोचनचकोरयुगलं चकार वासं किं[1] न जानीमः ।।। ३१३ ।।

यथा वा—

श्यामचामरचमत्कृतान्तरं
राजतफलकमिन्दुमण्डलम् ।
गूढसर्वधनुषो मनोभुवो
धीरवीरविजयाय जृम्भते ।।[2] ३१४ ।।

स्नेह के कारण गोद में रखे हुए कलङ्क रूपी कीचड़ से युक्त, यह दूसरा चन्द्रमा रूपी बगुला नक्षत्रसमूह रूपी कमलों की कलियों वाले आकाश रूपी सरोवर में नारियों के प्रणयमान [प्रणयकोप] रूपी मछलियों के समूह को खाता हुआ घूम रहा है ।।३१२।।

टि०—यहाँ कलङ्क में पङ्क, शशाङ्क में कङ्क, ज्योतिर्मण्डल में पुण्डरीक-मुकुल, पुष्कर में पद्माकर और मानौघ में मीनोत्कर का अभेद आरोप है इस कारण यहाँ रूपकालङ्कार है।

अथवा जैसे—

कमलों को तिरस्कृत करने वाले सुन्दरी के मुख रूपी चन्द्रमा पर चाँदनी के लोभ से नेत्र रूपी दो चकवे रहने लगे हैं इतनी सी बात को हम [अभी तक] क्यों नहीं जान पाये हैं ।।३१३।।

टि०—यहाँ मुख में चन्द्रमा, लोचन में चकोर का अभेदारोप है।

अथवा जैसे—

[अपने] सबके धनुषों को छिपाने [अर्थात् व्यर्थ करने] वाले कामदेव के काले चामर से चमत्कारपूर्ण [विशेष रूप से शोभित] मध्यभाग वाली चन्द्रमण्डल रूपी यह चाँदनी की ढाल धैर्यशाली और शूरवीर व्यक्तियों को परास्त करने के लिए प्रकट हो रही है ।।३१४।।

टि०—यहाँ पर इन्दुमण्डल पर राजतफलक का आरोप है और श्यामचामर के द्वारा कलङ्क का निगीरण किया गया है इस कारण श्यामचामर में अभेदा-ध्यवसाना रूपकातिशयोक्ति है।

---

१. त; किं पद ज अ में परित्यक्त

२. ज अ; विजृम्भते

यथा वा—

हिन्दोलिकेयमिन्दोः कलिकाभङ्गस्य कौसुमी जयति ।
यामानीय मनोभूरान्दोलयति प्रवासिचेतांसि ।। ३१५ ।।

यदा एकस्मिन् बहवः आरोपितास्तदा मालारूपकम् ।। २१६ ।।

यथा—

रूपामृतस्य वापी कापि जयश्रीरनङ्गस्य ।
विभ्रमरसैकसम्पज्जयति जनानन्दिनी बाला ।। ३१६ ।।

रसनारूपकं यथा—

किसलयकरैर्लतानां करकमलैः कामिनां मनो जयति ।
नलिनीनां कमलमुखैर्मुखेन्दुभिर्योषितां मदनः ।। ३१७ ।।

अत्र यो यः पूर्वोऽर्थः किसलयादिः उत्तरोत्तरेषां[1] करादीनामुपमेय इति ।

अथवा जैसे—

चन्द्रमा रूपी कली के टुकड़ों से बनी हुई पुष्पमयी यह हिंडोली अत्यधिक उत्कर्ष वाली है जिसको लाकर यह कामदेव प्रवासी नायकों के चित्तों को डाँवाँडोल कर देता है ।।३१५।।

टि०—यहाँ पर इन्दु के ऊपर कलिकाभङ्ग का आरोप है।

जब एक उपमेय के ऊपर बहुत सारे उपमानों का आरोप होता है तो मालारूपक होता है ।।२१६।।

जैसे—

रूप रूपी अमृत की अनिर्वचनीय बावड़ी, कामदेव की विजयलक्ष्मी, विलास-रसों अर्थात् हावभावों से उत्पन्न आनन्दों की एकमात्र सम्पत्ति [बनी हुई] और लोगों को आनन्दित करने वाली यह युवती रमणी विजयशालिनी [सर्वातिशायी प्रभाव वाली] है ।।३१६।।

टि०—यहाँ बाला रूपी एक उपमेय के ऊपर रूपामृतवापी अनङ्गस्य जयश्री और विभ्रमरसैकसम्पत् इन अनेक उपमानों का आरोप है ।

रसनारूपक [का उदाहरण] जैसे—

लताओं के नवपल्लव रूपी हाथों से, कामियों के हाथ रूपी कमलों से, कमलिनियों के कमल रूपी मुखों से और रमणियों के मुख रूपी चन्द्रों से यह कामदेव [सांसारिक व्यक्तियों के] मनों को जीत रहा है ।।३१७।।

यहाँ जो २ पहली किसलयादि वस्तु हैं वह बाद २ के करादियों की उपमेय हैं ।

टि०—यहाँ पहले जो उपमान रूप में वर्णित हैं, वे बाद में उपमेय रूप में

---

1. ज अ; उत्तरेषां त

यत्रारोपान्तरनिर्वाहायारोपः क्रियते तत्परम्परितं रूपकम् ॥२१७॥

यथा—

स्मरशवरचापयष्टिर्जयति जनानन्दजलधिशशिलेखा ।
लावण्यसलिलसिन्धुः सकलकलाकमलसरसीयम् ॥ ३१८ ॥

वस्तुतस्त्वत्राप्युपमैवालङ्कार इति व्यवस्थापयिष्यते । न च[1] चन्द्राभिन्नं मुखं चन्द्रवन्मुखमिति प्रतीत्यो र्भेद इति वाच्यम्,[2] व्यङ्ग्यसादृश्यप्रतीतेः सर्वसम्मतत्वात्[3] । अतएवोपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते[4] इत्यु-

---

रखे गये हैं । इस कारण यहाँ रसनारूपक है । किसलयकर में कर उपमान है तो करकमल में वह उपमेय है। इसी प्रकार कमलमुख में मुख उपमान है तो मुखेन्दु में उपमेय है ।

परम्परितरूपक—जहाँ पर दूसरे आरोप के निर्वाह [सिद्धि] के लिए पहला आरोप किया जाता है, वह परम्परित रूपक है ॥२१७॥

टि०—इस रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता है

कामदेव रूपी भील को धनुर्लता रूप यह नायिका लोगों के आनन्द रूपी समुद्र की चन्द्रकला बनी है सौन्दर्य रूपी जल के लिए समुद्र रूप है। सारी कलाओं रूपी कमलों के लिये सरोवर रूप है [अतएव यह सुन्दरी] सर्वातिशायी प्रभावशाली है ॥३१८॥

टि०—यहाँ नायिका में चापयष्टि के आरोप में स्मर के ऊपर शवर का आरोप कारण है। जब तक स्मर के ऊपर शवर का आरोप नहीं किया जाय, तब तक नायिका के ऊपर चापयष्टि का आरोप निष्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार आनन्दादि के ऊपर जलधि आदि का आरोप सुन्दरी के ऊपर शशिलेखा के आरोप में कारण है।

वास्तव में तो यहाँ उपमालङ्कार ही है, यह बात आगे निश्चित की जा रही है।

[शङ्का] और चन्द्र से मुख अभिन्न है और मुख चन्द्रमा के समान है इन दोनों प्रतीतियों में विलक्षणता होने से भेद है [पहली प्रतीति में रूपक और दूसरी में उपमा है, पूर्वपक्षी को] यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ व्यञ्जना से सादृश्य की ही प्रतीति होती है। यह मत सारे आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है।

---

१. ज अ; ननु त
२. ज अ; चेत् न त
३. ज अ; प्रतीतेः सम्मतत्वात् त
४. त; रूपकमिति तल्लक्षणमपि ज अ

वतं तल्लक्षणमपि।

अथापह्नुतिः—

उपमेयतावच्छेदकनिषेधविषयिका उपमेये उपमानतावच्छेदकधर्म-प्रतीतिः ॥ २१८ ॥

यथा—

कीर्त्तिस्ते नृप योगिनी स्फुटमियं सर्वत्र दिव्यापगा
गङ्गा भोगवती मिषात् त्रिभुवने भूत्वा त्रिधा वर्तते।
किञ्च क्षीरधिचन्द्रकुन्दकुमुदप्रालेयशैलच्छलात्।
कायव्यूहमिवाकरोद् यदिह तन्मुक्तैव जाताद्भुतम् ॥३१९॥

टि०—वस्तुतः दोनों अलङ्कारों में प्रतीति तो सादृश्य की ही होती है। रूपक में यह प्रतीति उपमेय और उपमान दोनों में अभेदज्ञानोपरान्त होती है और उपमा में दोनों में भेदज्ञान के रहते हुए होती है।

इसलिए उपमा ही जब [उपमान और उपमेय के] भेद को छिपा लेती है [और इन दोनों की अभेदप्रतीति कराती है] तब वह रूपक मान ली जाती है [दण्डी ने] यह रूपक का लक्षण भी बताया है।

टि०—आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में बताया है कि यदि अतिशय सादृश्य को बताने के लिए उपमान और उपमेय का भेद छिपाकर दोनों में अभेद सा बता कर कहा जाय तो वही सादृश्य रूपक बन जाता है।

उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते।
यथा बाहुलता पाणिपद्मं चरणपल्लवः॥ काव्यादर्श २,६६

इसके बाद ७. अपह्नुति [का निरूपण] है—

उपमेयता के अवच्छेदक के निषेध के विषय वाली तथा उपमेय में उपमानता के अवच्छेदक धर्म की प्रतीति कराने वाली अपह्नुति होती है ॥२१८॥

टि०—'नेदं मुखमपितु चन्द्रः' जैसे अपह्नुति के उदाहरणों में पहले मुख में मुखत्व रूप धर्म (उपमेयतावच्छेदक) का निषेध किया जाता है तदनन्तर उसमें उपमानता के धर्म (चन्द्रत्व) का आरोप किया जाता है। सामान्यतः अपह्नुति का यही स्वरूप है।

जैसे—

हे राजन्! तुम्हारी कीर्ति [ख्याति] स्पष्ट रूप में अर्थात् साक्षात् मूर्तिमती [भस्म युक्त शरीर वाली अतएव श्वेत रंग वाली] योगिनी [जादू जानने वाली अथवा योगाभ्यासिनी स्त्री है] और यह [अब] चारों ओर [बहने वाली] विपुल विस्तारवाली देवनदी गङ्गा बन गई है और तीनों लोकों में [तीन धाराओं में] होकर तीन प्रकार की [त्रिपथगा—आकाशगङ्गा, मर्त्यलोक की गङ्गा और पातालगङ्गा] हो गई है। और इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, चन्द्रमा, कुमुदपुष्प, और हिमालय पर्वत

स्फुटनीलोत्पलपटलं सुधामयूखे सुधासरसि ।
मन्यामहे नितम्बिनि नैष कलङ्कः परिस्फुरति ।। ३२० ।।

एवमियं प्रकारान्तरेणाप्यूह्या ।

द्योतयित्वा कमप्यर्थं गोपनीयं कथञ्चन ।
स्वयमेव समाधत्ते श्लेषादेषाप्यपह्नुतिः ।। २१९ ।।

स्वयमेवेति विशेषणाद्[1] वक्रोक्तौ न प्रसङ्गः ।

के बहाने से मानों अलग अलग शरीरों की रचना कर रही है और अपने शरीरों के इन अवयवों से निकल कर स्वयं मुक्त हो गई है यह सब विचित्र घटना है ।।३१९।।

टि०—यहाँ कीर्ति के ऊपर योगिनी और गङ्गा रूप उपमानों का अपह्नवपूर्वक आरोप है । कीर्ति में उपमेयतावच्छेदक कीर्तित्व का निषेध करके योगिनी के उपमानतावच्छेदक योगिनीत्व की स्थापना की गई है । और यही योगिनी गङ्गा के बहाने से तीन रूपों में दिखाई पड़ रही है । इस प्रकार कीर्ति कीर्ति न रह कर योगिनी बन गई है और वह योगिनी भी गङ्गा के रूप में दिखाई दे रही है । इस प्रकार पुनः गङ्गा के गङ्गात्व का निषेध करके उसमें योगिनीत्व की स्थापना की गई है । क्षीरधि और चन्द्रादि वस्तुओं के भी क्षीरधित्व, चन्द्रत्वादि धर्मों का निषेध करके उनमें योगिनी के शरीरावयवों की स्थापना हुई है । इस प्रकार यहाँ तीन अपह्नुतियाँ हैं । जैसे योगिनी अनेक शरीर धारण कर लेती है, उसी प्रकार कीर्ति भी क्षीरसागर आदि धवल वस्तुओं के रूप में परिणत हो गई है । जैसे योगिनी अपने शरीरों को छोड़ कर मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार कीर्ति भी हिमालय आदि वस्तुओं से बाहर निकल कर यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है ।

हे सुन्दरि ! चन्द्रमा रूपी अमृत भरे तालाब में पूरे खिले हुए नीलकमलों का समूह है यह कलङ्क नहीं चमक रहा है ऐसा हम मानते हैं ।।३२०।।

इस प्रकार यह अपह्नुति आरोपादि दूसरी और विधियों से भी बन जाती है ऐसा समझना चाहिए ।

[अपह्नुति का दूसरा प्रकार]

[दूसरे से] छिपाने योग्य किसी भी अर्थ को बताकर जब वक्ता अपने आप ही श्लिष्टार्थ की सहायता से उसका समाधान कर देता है तो यह भी [एक श्लेषमूलक] अपह्नुति होती है ।।२१९।।

टि०—अपह्नुति के लक्षण की पूर्वार्ध की पङ्क्ति साहित्यदर्पण (१०,३८) से ली गई है ।

कारिका में कहे गये स्वयमेव पद को विशेषण बनाने से इस श्लेषमूलक अपह्नुति की वक्रोक्ति में अतिव्याप्ति नहीं होती ।

---

१. ज अ; करणाद् त

यथा—

> काले पयोधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम् ।
> उत्कण्ठितासि तरले न हि न हि सखि पिच्छिलः पन्थाः ॥ ३२१ ॥

अथ श्लेषः—

> यत्रैकमनेकार्थैर्वाक्यं रचितं पदैरनेकस्मिन् ।
> अर्थे कुरुते निश्चयमर्थश्लेषः स विज्ञेयः ॥ २२० ॥

टि०—श्लेषवक्रोक्ति में वक्ता के द्वारा दूसरे के कथन को श्लिष्टार्थ लेकर झुठलाया जाता है किन्तु इस श्लिष्टापह्नुति में अपनी उक्ति का अन्यथाकार होता है (वक्रोक्तौ परोक्तेरन्यथाकारः इह तु स्वोक्तेरेवेति भेदः साहित्यदर्पण १०, ३८)।

जैसे—

बादलों के समय अर्थात् वर्षा ऋतु में [किसी नारी के द्वारा] बिना पति के नहीं रहा जा सकता [पहली सखी के ऐसा कहने पर उसकी सहेली पूछती है] हे चञ्चल क्या तुम उत्कण्ठित [पति से मिलने के लिए उत्सुक] हो गई हो ? [पहली सखी इस शङ्का का समाधान करती है] हे सखी । ऐसी बात नहीं है परन्तु रास्ता [वर्षा के कारण चिकना होने से] फिसलाने वाला है ॥३२१॥

टि०—इस पद्य में प्रयुक्त अपतितया—यह पद दो प्रकार से बनता है—

१. न पतिर्यस्याः सा अपतिः तस्या भावस्तत्ता अपतिता तया यहाँ इसका अर्थ पतिविरहित नायिका है।
२. न पतिता अपतिता तया। यहाँ अपतिता का अर्थ न गिरी हुई—न फिसली हुई हो जाता है ।

बादलों को देखकर किसी विरहिणी नायिका ने अपनी सखी से कहा कि वर्षाकाल में कोई भी नारी अपतिता अर्थात् पति के बिना नहीं रह सकती। सखी उसके मन की पीड़ा को समझ गई और उसने पूछा तो क्या चञ्चले तुम अपने पति से मिलने के लिए तड़प रही हो ? नायिका ने लज्जित होकर श्लेष से अपनी बात बदलते हुए कहा—न हि न हि सखि पिच्छिलः पन्थाः—सखी मेरा यह आशय बिलकुल नहीं है यह सामने का रास्ता बड़ी फिसलन वाला है जिस पर चलकर कोई भी स्त्री अपतिता अर्थात् न गिरने वाली नहीं रह सकती वह फिसल ही जायेगी। यहाँ नायिका ने श्लिष्टार्थ को लेकर पहले अपने द्वारा कहे गये वचन को स्वयं झुठलाया है।

इसके बाद ८. श्लेषालङ्कार [का प्रतिपादन] है—

जहाँ अनेकार्थक पदों से रचित एक वाक्य अनेक अर्थों में निश्चय करता है अर्थात् अनेकार्थों का बोधन करता है उसे अर्थश्लेष समझना चाहिए ॥२२०॥

एतदर्थोऽपि-श्लिष्टविशेष्यवाचकपदमहिम्ना यत्र श्लिष्टविशेषणेनैवापरार्थप्रतीतिः स श्लेषः । आद्यविशेषणात् समासोक्तौ न प्रसङ्गः ।
यथा—

शरदिन्दुसुन्दररुचं सुकुमारां सुरभिपरिमलामनिशम् ।
विदधाति नाल्पपुण्यः कण्ठे नवमालिकां कान्ताम् ।। ३२२ ।।

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (१०, १) में भी श्लेष का यही लक्षण है—

इस श्लेष का [परिनिष्ठित] अर्थ भी यही है—श्लेषयुक्त विशेष्यवाचक पद की महिमा से [अर्थात् जहाँ विशेष्य अपने श्लिष्ट अर्थ को बता रहा हो] श्लेषयुक्त विशेषण [अथवा विशेषणों] से ही जहाँ दूसरे अर्थ की प्रतीति हो वह श्लेष है ।

टि०—इस पर्यवसित लक्षण के अनुसार श्लेष में एक श्लिष्ट विशेष्य रहता है उसके साथ जिस एक या अनेक विशेषणों को रखा जाता है वह भी श्लिष्ट होते हैं । इस प्रकार यहाँ जब तक विशेष्य की अनेकार्थता नहीं उपपन्न होती, तब तक विशेषणों की अनेकार्थता नहीं बनेगी ।

पहले विशेषण— श्लिष्टविशेष्यवाचकपदमहिम्ना से समासोक्ति अलङ्कार में अतिव्याप्ति नहीं होती ।

टि० —परोक्तिभेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः (काव्यप्रकाश १०,९७) श्लेषयुक्त भेदक अर्थात् विशेषणों द्वारा पर अर्थात् अप्रकृत के व्यवहार का कथन समासोक्ति कहलाता है। इस लक्षण के अनुसार समासोक्ति में केवल विशेषण ही श्लिष्ट होते हैं, जबकि श्लेष में विशेष्य और विशेषण दोनों ही अनेकार्थक होते हैं । समासोक्ति [तथा शब्दशक्तिमूलध्वनि] में एक अर्थ प्रस्तुत होता है और दूसरा अप्रस्तुत जबकि श्लेष में या तो दोनों ही अर्थ प्रस्तुत होते हैं या दोनों ही अप्रस्तुत हुआ करते हैं ।

[श्लेष का उदाहरण] जैसे—

१. नई माला के पक्ष में—

शरत्कालीन चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली, अत्यन्त कोमल, सुगन्धित परागवाली मनोहर नई माला को मन्दभाग्य [कम पुण्यों वाला] व्यक्ति गले में दिन रात धारण नहीं कर पाता ।

२, सुन्दर रमणी के पक्ष में—

शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर चमक वाली, अत्यन्त कोमल [त्वचा वाली] सुगन्धित द्रवों [के लगाने से प्रकट] की गन्ध वाली नई माला को धारण करने वाली सुन्दर रमणी को कम पुण्यशाली व्यक्ति रात दिन अपने कण्ठ में नहीं लगा सकता ।। ३२२ ।।

अथ समासोक्तिः—

विशेष्यस्याश्लिष्टत्वे सति श्लिष्टविशेषणादेकाऽप्रस्तुतार्थप्रतीतिः समासोक्तिः ॥ २२१ ॥

आद्यविशेषणाच्छब्दशक्तिमूलध्वनौ न प्रसङ्गः । •

केचित्तु श्लेषप्रसङ्गवारणाय तदिति[1] वदन्ति तन्न, तत्र प्रकरणाभावाद् द्वयोरेवाप्रस्तुतत्वेन तत्राति[2]प्रसङ्गाभावात् ।

यथा—

उच्छृङ्खले मुखरकोकिलशङ्खघोषे
द्वित्रालिपालिकलमङ्गलगीतकेन ।
पम्पानिलः सुरभिकोरकगर्भिणीनां
सीमन्तमुन्नयति[3] चूतलतावधूनाम् ॥ ३२३ ॥

टि०—यहाँ कान्ता विशेष्य और उसके लिए प्रयुक्त विशेषण ये दोनों ही श्लिष्टार्थक हैं । रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (१०, ४) में भी यह उदाहरण है ।

इसके बाद ९. समासोक्ति [के लक्षण का निरूपण] है—

विशेष्य के श्लिष्ट न होने पर श्लेषयुक्त विशेषण के कारण [प्रस्तुतार्थ की प्रतीति के साथ साथ] एक अप्रस्तुतार्थ की भी प्रतीति समासोक्ति कहलाती हैं ॥२२१॥

'विशेष्यस्याश्लिष्टत्वे सति' इस आदिम विशेषण से शब्दशक्तिमूलध्वनि में अतिव्याप्ति नहीं होगी [क्योंकि इस ध्वनि में विशेष्य श्लेषयुक्त होता है] ।

कुछ विद्वान् तो श्लेष में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए उस [विशेष्यस्याश्लिष्टत्वे सति] विशेषण को [समासोक्ति के लक्षण में रखना] मानते हैं । ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि श्लेषप्रकरण का अभाव होने से दोनों ही अर्थों के अप्रस्तुत होने से वहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी ।

टि०—समासोक्ति में एक अर्थ प्रस्तुत और दूसरा अर्थ अप्रस्तुत होता है, जबकि श्लेष में दोनों ही अर्थ प्रस्तुत अथवा अप्रस्तु होते हैं ।

जैसे—

वाचाल कोयल रूपी शङ्ख की ध्वनि के बहुत अधिक प्रवृद्ध होने पर [अर्थात् अत्यन्त ऊँची आवाज़ होने पर] दो तीन भौंरियों की पङ्क्ति के मधुर और अव्यक्त मङ्गलगीत के साथ पम्पासरोवर का यह वायु तो मध्यभाग में सुगन्धित कलिकाओं वाली आम्रलता रूपी वधूओं की आम्रमञ्जरीरूप] केशराशि को ऊपर उठा [उठाकर सीमन्तोन्नयन संस्कार कर] रहा है ॥४२६॥

---

१. त; ...प्रसङ्गवारणायेति ज अ
२. ज अ; तत्र प्रसङ्ग...त
३. ज अ; ...मुन्नमयति त

अथ निदर्शना—

परस्परमसंसर्गादर्थः सम्बन्धकल्पकः ।
निदर्शना भवेदेषा पदवाक्यार्थतो द्विधा ॥ २२२ ॥

यथा[१]—

क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः ।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥ ३२४ ॥

अत्राल्पविषयमन्मत्या रघूणां वंशवर्णनं न स्यादित्येको वाक्यार्थः । अपरस्तु मोहादुडुपेन सागरतरणेच्छा । न चोपमानोपमेयभावं विना तयोः परस्परसम्बन्धः सम्भवतीति उडुपेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूर्यवंशवर्णनमित्युपमायां पर्यवसानम् ।

टि०—यहाँ प्रस्तुत पम्पानिल और आम्रलताओं के ऊपर अप्रस्तुत नायक-नायिकाओं के व्यवहार का समारोप किया गया है । सीमन्तोन्नयन एक वैदिक संस्कार है जो प्रथम गर्भस्थिति के चौथे, छठे या अष्टम मास में किया जाता है। यहाँ विशेष्य श्लिष्ट नहीं है, केवल विशेषणों में ही श्लेष है और यह विशेषण जिस तरह प्रस्तुत वाक्य पम्पानिल और चूतलता में लगते हैं उसी तरह नायक और नायिका रूप अप्रस्तुत व्यङ्ग्यार्थ में भी लग जाते हैं ।

इसके बाद १०. निदर्शना [का निरूपण] है—

एक दूसरे के साथ असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध की कल्पना करने वाला अर्थ निदर्शना होता है । यह पद और वाक्यार्थ में होने के कारण दो प्रकार की हो जाती है ॥२२२॥

टि०—निदर्शना के दो प्रकार होते हैं—१. पदगत और २. वाक्यगत । ये दोनों ही निदर्शना कभी साधर्म्य से होती हैं और कभी वैधर्म्य से ।

जैसे—

कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न [विशाल] वंश और कहाँ मेरी थोड़े से ज्ञान वाली बुद्धि ? मैं अज्ञानवश कठिनाई से तैरने योग्य समुद्र को छोटी सी नौका से तैरने की [अर्थात् पार करने की] इच्छा वाला बन रहा हूँ ।

यहाँ थोड़े विषयों के ज्ञान वाली मेरी बुद्धि से रघुवंशी राजाओं के वंश का वर्णन नहीं हो सकेगा, यह एक वाक्यार्थ है । और दूसरा वाक्यार्थ तो—अज्ञानवश छोटी डोंगी से सागर पार करने की इच्छा रखना है [इन दोनों असम्बद्ध वाक्यों में सादृश्य से सम्बन्ध हो गया है क्योंकि] उपमानोपमेयभाव के बिना इन दोनों के मध्य एक दूसरे के साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं है, इसी कारण उडुप से सागर को तैरने की तरह मेरी बुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन हो पाना असम्भव है, इस उपमा में [इन दोनों वाक्यार्थों की] परिणति होती है ।

---

१. संशोधित; क्रमेण यथा ज अ त

यथा वा—

श्लाघ्या ध्वस्ताध्वगग्लानेः करीरस्य मरौ स्थितिः ।
धिङ् मेरौ कल्पवृक्षाणामनुत्पन्नार्थिनां[1] श्रियः ।। ३२५ ।।

तथा—

उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमुष्मा-
दुद्धूतः सरसिजसम्भवः परागः ।
वात्याभिर्वियति विवर्तितः समन्ता-
दाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीः ।। ३२६ ।।

टि०—अल्पविषया मति से सूर्यवंश का वर्णन करना वैसा ही असम्भव और कठिन है, जैसा असम्भव और कठिन छोटी नौका से सागर को पार करना होता है, इस अर्थ को बताने वाले क्व सूर्यप्रभवः—इत्यादि वाक्यार्थ और तितीर्षु···इत्यादि वाक्यार्थों में साधर्म्य के कारण निदर्शना है। इस प्रकार यह उदाहरण साधर्म्यमूलक वाक्यार्थनिदर्शना का है। आगे दिखाया गया श्लाघ्या···इत्यादि उदाहरण वैधर्म्यमूलकवाक्यार्थनिदर्शना का है।

अथवा जैसे—

पथिकों की थकावट को दूर करने वाले करीरवृक्ष की रेगिस्तान में अवस्थिति प्रशंसनीय है किन्तु [अपने फलों के लिए] याचकों को न उत्पन्न करने वाले कल्पवृक्षों की सम्पत्तियों को धिक्कार है ।।३२५।।

टि०—मरुस्थल में करीर की स्थिति और सुमेरु पर कल्पवृक्षों की स्थिति एक दूसरे के विपरीत है। करीर की स्थिति प्रशंसनीय है क्योंकि वह रेगिस्तान में श्रमार्त पथिकों के श्रम के अपहरण का कारण बनती है। सुमेरु पर कल्पवृक्षों की स्थिति निन्दनीय है क्योंकि वह अतिथियों की सेवा का कोई अवसर प्रदान नहीं करती। इन दोनों स्थितियों में वैधर्म्य है क्योंकि पहली स्थिति में श्लाघा (प्रशंसा) साधारण धर्म है तो दूसरी में धिक्पदद्योत्य निन्दा साधारण धर्म है। इस प्रकार यहाँ वैधर्म्य से वाक्यार्थनिदर्शना सम्पन्न हो रही है।

और

[पदार्थवृत्तिनिदर्शना का उदाहरण] कमल से उत्पन्न पराग [पुष्प-धूलि] खिली हुई स्थलकमलिनियों के इस वन से तीव्र पवन के द्वारा उड़ाया जाकर आकाश में छाया हुआ है और वह सोने के घर्मच्छत्र की शोभाओं को धारण कर रहा है ।।३२६।।

टि०—वायु के झोंकों से उड़कर पराग आकाश में छा गया है। पराग का रङ्ग पीला होता है और आतपत्र का रङ्ग भी पीला है। पीले पराग ने पीले आतपत्र की शोभा धारण कर ली है, कवि ने ऐसी कल्पना की है।

---

१. ज त; ···र्थिनीश्रियः म

अत्र कथमन्यस्य लक्ष्मीमन्यो वहतीत्युपमायां पर्यवसानम् । एवमियं मालापि बोध्या ।

भेदान्तरमाह—

क्रिययैव स्वस्वकारणयोः सम्बन्धो य[1] उपमापरिकल्पकोऽवगम्यते अपरा निदर्शना ॥ २२३ ॥

यथा—

अत्युच्चपदन्यासः पतनायेत्यर्थशालिनां शंसत् ।
आपाण्डु पतति पत्रं तरोरिदं बन्धनग्रन्थेः ॥ ३२७ ॥

यहाँ अन्य की लक्ष्मी [शोभा] को अन्य व्यक्ति कैसे धारण कर सकता है यह विप्रतिपत्ति होने पर [जैसी शोभा पीले आतपत्र की होती है, वैसी ही पराग की है, इस स्वरूप वाली] उपमा में परिणति हो जाती है ।

टि०—पराग आतपत्रलक्ष्मी इव लक्ष्मी आधत्ते इस रूप में यहाँ केवल लक्ष्मी पद में सादृश्य होने से पदार्थवृत्तिनिदर्शना है।

इसी प्रकार यह निदर्शना माला रूप में भी समझनी चाहिए ।

टि०—मालोपमा और मालारूपक की भाँति जब पहले वाक्यार्थ या पदार्थ के लिए बहुत से वाक्यार्थ और पदार्थ उपमान के रूप में प्रयुक्त किए जायें तो यह माला-निदर्शना होती है।

[इस निदर्शना के] दूसरे भेद को [ग्रन्थकार] बताते हैं—

क्रिया के द्वारा ही [कार्य के] अपने स्वरूप तथा अपने कारण के साथ सम्बन्ध की जो प्रतीति पर्यवसान में उपमा बनने के रूप में जानी जाती है वह दूसरी निदर्शना है ॥२२३॥

टि०—काव्यप्रकाश में इस दूसरी निदर्शना का यह लक्षण दिया है—
स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च सा परा । काव्यप्रकाश १०,९८
इस लक्षण को ही ग्रन्थकार ने शब्दों को बदलकर यहाँ रख दिया है। क्रिययैव स्वतदर्थान्वयख्यापनं निदर्शनम्—यह लक्षण काव्यालङ्कारसूत्र (४,३,२०) में है।

जैसे—

[बुरे साधनों से उपार्जित सम्पत्ति वाले छोटे हृदय के व्यक्तियों का] जो अत्यधिक ऊँचे पद पर आसीन होना है वह पतन के लिए ही होता है इस प्रकार की बात धनवानों को बताते हुए वृक्ष का यह थोड़ा २ पीला अर्थात् सूखा हुआ पत्ता अपने डंठल से [वियुक्त होकर नीचे] गिर रहा है ॥३२७॥

यहाँ पतति इस क्रिया का पतनाय भवति—पतन के लिए होता है इस

---

१. ज. ग. ब में नहीं

अत्र पततीति क्रियया पतनाय भवतीति क्रियया सह[1] उन्नतपदप्राप्ति-रूपस्य कारणस्य सम्बन्धः स्थाप्यते[2]। स चान्यस्याप्युन्नतपदप्राप्तिस्तद्वत् पतनायेत्युपमायां पर्यवस्यतीति निदर्शना सम्भवद्वस्तु[3]सम्बन्धेति पूर्वतो भेदः।

अथाप्रस्तुतप्रशंसा—

असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्।
उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति साऽन्योक्तिः॥ २२४॥

तदर्थोऽपि-प्रस्तुतार्थप्रतीतिफलिका अप्रस्तुतार्थप्रतीतिरिति लक्षणम्।

क्रिया के साथ [लघूनामुन्नतपदप्राप्तिः पतनहेतुः इस रूप में] उन्नतपदप्राप्ति रूप कारण का सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है। और यह सम्बन्ध भी—अन्य व्यक्ति की भी ऊँचे पद की प्राप्ति उस [सूखे पत्ते] के समान ही पतन के लिए होती है, इस प्रकार की उपमा में परिणत हो जाता है। इस प्रकार यह [दूसरी] निदर्शना है।

टि०—यहाँ सूखे पत्ते की पतनक्रिया के द्वारा क्षुद्र पुरुष की उच्चपदप्राप्ति और उसके पतन का सम्बन्ध व्यङ्ग्योपमा के रूप में प्रतीत होता है।

[इस अत्युच्चपदन्यासः—इत्यादि उदाहरण में उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध के सम्पन्न हो जाने से यह] सम्भवद्वस्तुसम्बन्धा निदर्शना है और इसका पूर्ववर्णित निदर्शना [के उदाहरणों] से भेद है।

टि०—यहाँ उन्नतपद को प्राप्त करने वाले धनवानों की पतनक्रिया और ऊँचे स्थान पर स्थित पेड़ के सूखे पत्ते की पतनक्रिया में आपस में सम्बन्ध बन रहा है। इस कारण यह सम्भवद्वस्तुसम्बन्धा निदर्शना कहलाती है।

इसके बाद ११. अप्रस्तुतप्रशंसा [का लक्षण बताया जाता] है—

जहाँ [समान विशेषण वाले पदों के द्वारा] कथित उपमान के द्वारा दूसरे समान विशेषण वाले और समान स्वभाव वाले उपमेय का व्यञ्जना से ज्ञान होता है वह अन्योक्ति [या अप्रस्तुतप्रशंसा] कहलाती है॥२२३॥

टि०—मम्मट और विश्वनाथ ने जिसे अप्रस्तुतप्रशंसा माना है उसे रुद्रट (काव्यालङ्कार ८,७४) और ग्रन्थकार ने अन्योक्ति नाम दिया है। यह लक्षण ग्रन्थकार ने रुद्रटकृत काव्यालङ्कार से लिया है। इस अलङ्कार में अप्रस्तुत उपमान से प्रस्तुत उपमेय की प्रतीति होती है।

इसका परिनिष्ठित अर्थ भी [यहाँ दिखाया जाता] है—

अप्रस्तुतार्थ का ज्ञान प्रस्तुतार्थ को बताने के प्रयोजन वाला होता है [अर्थात्

---

१. ज अ ; सह पद त में नहीं
२. अ; ख्याप्यते ज त
३. त; सम्भवत्सम्बन्धा ज अ

समासोक्तावतिप्रसङ्गवारणायाद्यं विशेषणम् । सर्वत्र प्रतीतिघटितं[1] लक्षणप्रतीतिविषयपरं बोध्यम् । तेन विषयस्यैवालङ्कारत्वं न ज्ञानस्येति ध्येयम्[2] । एतस्या बहुविधत्वेऽपि तुल्ये प्रस्तुते तुल्यान्तरस्याभिधाने[3] अतीव चमत्कार इति तदेवोदाह्रियते ।[4]

इसमें अप्रस्तुतार्थ से प्रस्तुतार्थ की प्रतीति होती है] यह इसका लक्षण है। समासोक्ति में अतिव्याप्ति होने से बचाने के लिए [प्रस्तुतार्थप्रतीतिफलिका] यह पहला विशेषण है।

टि०—समासोक्ति में प्रस्तुतार्थ से अप्रस्तुतार्थ की प्रतीति होती है । अप्रस्तुत-प्रशंसा में अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति हुआ करती है ।

सब जगह ज्ञान का विषय बना हुआ पदार्थ ही लक्षण के ज्ञान का विषय बनता है [अर्थात् लक्षण उसी का किया जाता है जो लोकप्रसिद्ध वस्तु हो] इस कारण विषय की अलङ्कारता होती है ज्ञान की अलङ्कारता नहीं होती, इसका ध्यान रखना चाहिए ।

टि०—'मुखं चन्द्रः—जैसे उदाहरणों में ज्ञान की विषयभूत वस्तु अलङ्कार बनती है और ज्ञान अलङ्कार नहीं बनता ।

इस अप्रस्तुतप्रशंसा के बहुत सारे भेद होने पर भी दूसरे अप्रस्तुत समान उपमान के अभिधा से कह देने पर और प्रस्तुत समान [उपमेय] के [व्यञ्जना से] प्रतीत होने पर बहुत अधिक चमत्कार होता है, इसलिए उसी का यह उदाहरण दिया जाता है ।

टि०—काव्यप्रकाश (१०,९९) और साहित्यदर्पण (१०,५८-५९) में यह अप्रस्तुतप्रशंसा ५ प्रकार की बताई हुई है । इन दोनों ही ग्रन्थों में पाँचवीं तरह की अप्रस्तुतप्रशंसा सादृश्यमूलक है । काव्यप्रकाश के अनुसार इसमें तुल्य अप्रस्तुत वाच्य के द्वारा तुल्य प्रस्तुत व्यङ्ग्य का बोध होता है और साहित्यदर्पण में भी यह बताया है—अप्रस्तुतात् समात्प्रस्तुतं समं चेद् गम्यते जहाँ अप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत किसी समान वस्तु का व्यञ्जन होता हो वहाँ सादृश्यनिमित्ता अप्रस्तुतप्रशंसा होती है । अप्रस्तुतप्रशंसा के चार प्रसिद्ध भेदों को छोड़कर केवल इसी पाँचवें भेद के ग्रन्थकार ने यहाँ उदाहरण दिये हैं और इसी भेद में सर्वाधिक चमत्कार माना है ।

---

१. ज अ; च्छुरितं त
२. ज अ; मन्तव्यम् त
३. ज अ; तुल्यान्तराभिधाने त
४. ज अ; तदेवोद्भाव्यते त

यथा—

आमूलं कवलीकरोषि नलिनीवृन्दानि हेलालस-[1]
शुण्डाताण्डवितैरकाण्डकुपितो मथ्नासि लीलासरः ।
नायातः श्रुतिगोचरं[2] किमु ततो लीलादलद्दिग्गजो
दानान्धद्विरदेन्द्रकुम्भकषणक्रीडाकरः केसरी ।। ३२८ ।।

यथा वा—

केनासीनः सुखमकरुणेनाकरादुद्धृतस्त्वं
विक्रेतुं वा समभिलषितः केन देशान्तरेऽस्मिन् ।
यस्मिन् वित्तव्ययभरसहो ग्राहकस्तावदास्तां
नास्ति भ्रातर्मरकतमणे त्वत्परीक्षाक्षमोऽपि ।। ३२९ ।।

यथा वा—

अविदग्धवणिग्वीथीधूलिधूसरितो मणिः ।
केनापि पुण्यजनुषा विदुषा परिवेष्यते ।। ३३० ।।

जैसे—

आलस्य भरी क्रीडा वाले हे हाथी ! तुम कमलिनियों के समूह को जड़ों के समेत खा रहे हो और अनवसर में ही क्रुद्ध होकर क्रीडापूर्ण एवं अलसाई सूँडों के [हिलाने डुलाने से किये जाने वाले] ताण्डवनृत्यों के साथ क्रीडासरोवर का मन्थन कर रहे हो । तो क्या [कभी] अनायास ही दिशाओं के बड़े २ हाथियों को मारने वाला और मदजल से अन्धे गजराजों के गण्डस्थलों को खींचने की क्रीडा वाला सिंह तुम्हारी कर्णेन्द्रिय का विषय नहीं बना है ? [अर्थात् क्या सिंह के बारे में तुमने कुछ भी नहीं सुना है ?] ।।३२८।।

टि० —यहाँ पर वाच्य अप्रस्तुत गजसिंहवृत्तान्त से किसी मिथ्याभिमानी राजा के मानमर्दन में सक्षम दूसरे राजा का प्रस्तुत वृत्तान्त व्यङ्ग्य है ।

अथवा जैसे—

हे भाई मरकतमणि ! सुखपूर्वक बैठे हुए तुम्हें किसने समुद्र से बाहर निकाल दिया और किसने तुम्हें इस दूसरे [बुरे] देश में बेचने की अभिलाषा की है ? जिस देश में [तुम्हारी कीमत के योग्य] धन के खर्च के भार को सहन करने वाला ग्राहक होना तो दूर रहा, किन्तु पहिचानने भी में समर्थ कोई नहीं है ।।३२९।।

टि०—यहाँ पर भी अप्रस्तुत मणिवृत्तान्त के अभिधान से प्रस्तुत किसी गुणी व्यक्ति का वृत्तान्त व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है ।

अथवा जैसे—

मूर्ख बनियों के बाजार में धूल में सनी हुई मणि किसी भी पुण्यात्मा

---

१. ज अ; ···लसच्छुण्डा···त
२. ज अ; ···श्रवणान्तिकं त

यथा वा—

अनिशं दहति हुताशः कण्ठे[1] हालाहलज्वालाः ।
शिरसि रसायनमेतत्सुरधुनि शम्भोस्तवैवाम्भः ॥ ३३१ ॥

यथा वा—

हंहो हुताशन हरस्य ललाटमूले
कूलेऽपि दिव्यसरितः प्रतिपालितोऽसि ।
तस्यैतदेव फलमद्य विदाहिशील-
मध्यापितो यदिह बालकलाधिनाथः ॥ ३३२ ॥

बुद्धिमान् [मणि के पारखी] व्यक्ति के द्वारा चारों ओर से [साफ़ करके] लपेटी जाकर संरक्षित होती है ॥३३०॥

टि०—यहाँ अप्रस्तुत धूलिधूसरित मणि और उसके वास्तविक पारखी के वृत्तान्त से उचित सम्मान को न प्राप्त हुए प्रस्तुत किसी गुणी और उसकी कद्र करने वाले गुणज्ञ के वृत्तान्त का बोध कराया जा रहा है। समानगुणों के आधार पर दूसरा प्रस्तुत अर्थ यहाँ गम्य है।

अथवा जैसे—

[तृतीय नेत्र में प्रदीप्त] अग्नि रात दिन जलाती है और कण्ठ में पड़े हुए हालाहलविष की [गर्मी से उत्पन्न] ज्वालायें जला रहीं हैं। हे गङ्गे। सिर पर स्थित यह तुम्हारा जल ही महादेव जी के लिए व्याधि को अपहरण करने वाली औषधि है ॥३३१॥

टि०—यहाँ अप्रस्तुत महादेव जी के वर्णन से किसी ऐसे व्यक्तिविशेष के वृत्तान्त की व्यञ्जना से प्रतीति हो रही है जो आन्तरिक और बाह्य चिन्ताओं से ग्रस्त है और केवल अपनी पत्नी से ही सान्त्वना पा रहा है। यहाँ समान से समान की प्रतीति हो रही है।

अथवा जैसे—हे [शिव के नेत्र की] अग्नि ! शिव जी के मस्तकतल पर स्थित देवनदी गङ्गा के किनारे पर तुम्हारा लालन पालन और रक्षण हुआ है। क्या यह [सब कुछ] इसी का फल है कि आज तुमने यहाँ इस छोटे चन्द्रमा को अपना [दूसरों को] जलाने वाला आचरण सिखा दिया है ॥३३२॥

टि०—किसी व्यक्ति ने दुष्ट प्रकृति वाले पुरुष को लक्ष्य करके यह वचन कहे हैं। उसे किसी अच्छे स्वभाव वाले और धनी समृद्ध राजा रानी दोनों ने विश्वास करके अपने घर में उदारतापूर्वक आश्रय दिया है। वे दोनों ही उसका बहुत ध्यान रखते हैं। किन्तु उस व्यक्ति ने उनकी सन्तान को सद्गुण न सिखाकर दुर्गुण सिखा दिए हैं। इस प्रकार यहाँ शिव और गङ्गा के सान्निध्य में रहकर भी उनके शिशु चन्द्रमा की आदत बिगाड़ने वाले अप्रस्तुत नेत्रानलवृत्तान्त से समानता के आधार

---

१. ब: सततं च म

अथ अतिशयोक्तिः—

उपमेयतावच्छेदकप्रकारकशून्यत्वे सति उपमानतावच्छेदकप्रकारकोपमेयप्रतीतिः । इयमेका ॥ २२५ ॥

रूपकप्रतीतावतिप्रसङ्गवारणाय सत्यन्तम् ।

प्रकृतस्यैवाप्रकृतत्वेन ज्ञानं द्वितीया ॥ २२६ ॥

पर प्रस्तुत राजा रानी की सन्तान को विगाड़ने वाले दुष्ट व्यक्ति के वृत्तान्त की व्यञ्जना से प्रतीति हो रही है।

इसके बाद १२. अतिशयोक्ति [का लक्षण] है—

उपमेयतावच्छेदकप्रकार से शून्य होने पर उपमानतावच्छेदकप्रकार वाली उपमेय की प्रतीति अतिशयोक्ति कहलाती है १. अभेदातिशयोक्ति [इस प्रकार उपमेयतावच्छेदकप्रकार से शून्य उपमानतावच्छेदक प्रकार वाली उपमेय की प्रतीति] यह पहले प्रकार की एक [अभेदातिशयोक्ति अर्थात् रूपकातिशयोक्ति] है ॥२२५॥

टि०—उपमेयतावच्छेदकप्रकारक का अभिप्राय है—उपमेयता का अन्यूनातिरिक्त—अवच्छेदक धर्म रूप प्रकार (विशेषण) वाला जो उपमेय अर्थात् मुखत्वविशिष्ट मुख है वही मुख जब उपमानतावच्छेदकप्रकार वाला हो जाता है अर्थात् जब वह चन्द्रत्वविशिष्ट चन्द्र बन जाता है तो वह उपमेय के अपने धर्म से रहित होने पर उपमानत्व के अवच्छेदक धर्म को धारण कर लेता है। इस प्रकार अतिशयोक्ति के चन्द्रोऽयं जैसे उदाहरणों में मुख के अवच्छेदक धर्म मुखत्व रूप विशेषण की प्रतीति का अभाव हो जाता है और इसके अनन्तर मुख उपमेय में चन्द्र उपमान के चन्द्रत्व धर्म रूप विशेषण की प्रतीति होने लग पड़ती है और मुखत्वविशिष्ट मुख चन्द्रत्वविशिष्ट चन्द्र के रूप में परिणत हो जाता है।

रूपक की प्रतीति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए सतिपर्यन्त विशेषण है।

टि०—अतिशयोक्ति के लक्षण में उपमेयतावच्छेदकप्रकारकशून्यत्वे सति यह विशेषण रखा हुआ है। इसके रखने से अतिशयोक्ति का यह लक्षण रूपक में अतिव्याप्त नहीं होता। रूपक के मुखं चन्द्रः जैसे उदाहरणों में मुख उपमेय के मुखत्व धर्म की भी विशेषण के रूप में प्रतीति होती है और उपमान चन्द्र के चन्द्रत्व रूप धर्म की विशेषण के रूप में प्रतीति तो होती ही है। किन्तु चन्द्रोऽयं जैसे अतिशयोक्ति के उदाहरण में मुख उपमेय के मुखत्व रूप विशेषण की प्रतीति नहीं होती, केवल चन्द्र के चन्द्रत्व की ही विशेषण रूप में प्रतीति होती है।

२. भेदातिशयोक्ति—प्रकृत [उपमेय] का अप्रकृत [उपमान] के रूप में ज्ञान होना दूसरे प्रकार की भेदातिशयोक्ति है ॥२२६॥

यद्यर्थारोपणेनासम्भावितार्थप्रतीतिः[1] स्तृतीया ॥ २२७ ॥
कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्यासश्चतुर्थी ॥ २२८ ॥

सा चोभयथा कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविपर्यासे युगपद्वर्णने वा उभयथा विपर्यासस्य विद्यमानत्वात्। तत्र प्रथमा साध्यवसाना गौणी पयवस्यति।

यथा—

लतामूले लीनो हरिणपरिहीनो हिमकरः
स्रवन्मु[2]क्ताकारा गलति जलधारा कुवलयात्।
धुनीते वन्धूकं तिलकुसुमजन्मापि पवनो
गृहद्वारे पुण्यं परिणमति कस्यापि कृतिनः ॥ ३३३ ॥

---

३. यद्यर्थमूलातिशयोक्ति—यदि [और उसके समानार्थक चेत्] शब्द के प्रयोग के द्वारा असम्भव अर्थ की जो कल्पना है, वह तृतीय प्रकार की अतिशयोक्ति है ॥२२७॥

४. कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्यासातिशयोक्ति—जहाँ कार्य और कारण की पूर्वता और अपरता के क्रम में उलट फेर हो जाता है वह चौथे प्रकार की अतिशयोक्ति है ॥२२८॥

और वह [चौथी प्रकार की] अतिशयोक्ति दो प्रकार की होती है क्योंकि कार्यकारण की पूर्वता और पश्चाद्भाविता के क्रम को उलट देने पर अथवा कार्य और कारण के युगपत् वर्णन करने पर दो प्रकार का विपर्यय [गड़बड़ी—व्युत्क्रम] विद्यमान हुआ करता है। इन अतिशयोक्ति के भेदों में से पहली साध्यवसाना गौणी लक्षणा के रूप में परिणत होती है।

टि०—चन्द्रं पश्य जैसे प्रयोगों में मुख उपमेय का निगीरण चन्द्र उपमान के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का अभेदाध्यवसान होने के कारण इन प्रयोगों में गौणी लक्षणा मानी जाती है। पहले प्रकार की यह अभेदाध्यवसाना अतिशयोक्ति गौणी लक्षणा का ही रूप है।

[१. अभेदातिशयोक्ति का उदाहरण] जैसे—

हरिण से रहित चन्द्रमा लता की जड़ में लीन हो गया है। नीलकमल से टपकते मोतियों के आकार वाली जलधारा वह रही है। तिलपुष्प से उत्पन्न हुआ वायु वन्धूक पुष्प को कँपा रहा है। किसी पुण्यात्मा का पुण्य घर के दरवाजे पर परिणत [परिवर्तित] होकर आया है ॥३३३॥

टि०—इस श्लोक में क्रमशः कामिनीमुख का हिमकर, नायिका के शरीर

---

१. ज अ; ···णेनार्थान्तरप्रतीतिस्तृतीया त
२. ग म; स्खलन् स

यथा वा—

उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तर्कय मना-
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः।
सुधाबद्धग्रासैरुपवनचकोरैरनुसृतां
किरञ्ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम् ॥ ३३४ ॥

द्वितीया यथा—

तान्यक्षराणि च तदेव पदाभिधेयं
सैव स्वभावमधुरा च पदानुपूर्वी।
प्रत्यक्षरक्षरदमन्दसुधारसोऽय-
मन्यादृशो मृगदृशो[1] वचसो[2] विलासः ॥ ३३५ ॥

का लतामूल, आँख का नीलकमल, आँसू का जलधारा, नासिका का तिलपुष्प, श्वास का पवन और नायिका का पुष्प के रूप में अभेदाध्यवसान हुआ है। इस कारण यहाँ अभेदातिशयोक्ति है। मुख रूपी चन्द्र की अवस्थिति नायिका रूपी लता-मूल में बताई हुई है। मुख नायिका की गर्दन पर है मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ उसका शिरोभाग माना जाता है।

इस प्रकार यहाँ हिमकर आदि उपमानवाचक शब्दों से मुख आदि उपमेय वाचक शब्दों का ग्रहण और तदनन्तर उपमेयत्व की प्रतीति का अवरोध होने पर मुखादि में हिमकरादि के हिमकरत्वादि की प्रतीति होने लग जाती है।

अथवा जैसे—

परकोटे के ऊपर के हिस्से में अपनी नजरें डालो और थोड़ा विचार करो, अमृत का पान करने वाले और उपवन में रहने वाले चकवों से अनुसरण किया जाता हुआ, पके हुए लवलीफल से प्रेम करने वाली [अर्थात् पके लवलीफल के समान श्वेत रङ्ग वाली] स्वच्छ चन्द्रिका को छोड़ता हुआ आकाशरहित इस स्थान [पृथिवी] पर हरिणरहित यह कौन सा चन्द्रमा है ?॥३३४॥

२. दूसरी [भेदातिशयोक्ति का उदाहरण] जैसे—

वही अक्षर हैं और वही पदों का अर्थ है तथा वही स्वभाव से मधुर पदों का पूर्वापरक्रम है। पर प्रत्येक अक्षर में तीव्रता से बहते हुए अमृत रस वाला मृग-लोचना का यह वाणी का प्रेमपूर्ण आमोद प्रमोद [अथवा सौन्दर्य] दूसरे प्रकार का है ॥३३५॥

टि०—यहाँ मृगनयनी के वचनों का अन्य सुन्दरियों के वचनों के साथ अभेद होते हुए भी भेद बताया है।

---

१. ज अ; मन्यादृशी मृगदृशी त

२. ज अ; च चलो त

तृतीया यथा—

यदि त्रिलोकी गणनापरा स्या-
त्तस्याः समाप्तिर्यदि नायुषः स्यात् ।
पारे परार्धं गणितं यदि स्यात्
गणेयनिःशेषगुणोऽपि स स्यात्[1] ॥ ३३६ ॥

यदि शब्द इत्युपलक्षणं चेच्छब्दस्य ।

यथा—

राकायामकलङ्कं चेदमृतांशो र्भवेद् वपुः ।
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात् ॥ ३३७ ॥

---

३. तीसरी [यद्यर्थारोप वाली अतिशयोक्ति] जैसे—

यदि तीनों लोकों का समुदाय [अर्थात् तीनों लोकों के सभी प्राणी राजा नल के गुणों की] गणना में लग जायें और यदि उस [त्रिलोकी] की आयु की समाप्ति न हो तथा यदि गणितशास्त्र की सङ्ख्या परार्ध [अन्तिम] सङ्ख्या से परे हो जाये तभी वह नल गिनने योग्य सम्पूर्ण गुणों वाला हो सकेगा [अर्थात् उसके समग्र गुण तभी गिने जा सकेंगे] ॥३३६॥

टि०—यह श्लोक नैषधीयचरित (३,४०) से लिया गया है। हंस ने इसमें दमयन्ती के आगे नल के गुणों का वर्णन किया है। यहाँ यदि शब्द के प्रयोग से नल के गुणों की गणना होने रूप असम्भावित अर्थ की कल्पना की गई है । उभौ यदि इत्यादि श्लोक के स्थान पर यदि त्रिलोकी० इत्यादि श्लोक केवल तिरुपति की प्रति में ही मिलता है। इस श्लोक को ग्रन्थकार ने असदुपमा के प्रसङ्ग में पहले (पृ०४१२ पर) दिखा दिया है और वहाँ प्राचामियमेकातिशयोक्तिः कहकर यह भी बतला दिया है कि प्राचीन आचार्यों के अनुसार असदुपमा अतिशयोक्ति का ही एक भेद है। जम्मू और अलवर की प्रतियों में यह पूरा श्लोक मिलता है—

उभौ यदि व्योम्नि पयःप्रवाहा-
वाकाशगङ्गापयसः पतेताम् ।
तेनोपमीयेत तमालनील-
मामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः ॥

इसका अर्थ भी वहीं दिखाया जा चुका है। यहाँ यदि शब्द के प्रयोग के कारण असम्भावित अर्थ की कल्पना किये जाने से यद्यर्थमूलातिशयोक्ति है।

यहाँ पर यदि शब्द चेत् शब्द का उपलक्षण अर्थात् ग्राहक है।

टि०—यहाँ यदि शब्द अपने अर्थ का भी ग्रहण कर रहा है, साथ में चेत् शब्द का भी अध्याहार कर रहा है (स्वार्थावबोधकत्वे सति परार्थावबोधकत्वमुपलक्षणत्वम्) चेत् शब्द के प्रयोग से भी यह अतिशयोक्ति बन जाती है।

---

१. त; इस श्लोक के स्थान पर उभौ यदि० इत्यादि ज अ

चतुर्थी यथा—

हृदयमधिष्ठितमादौ मालत्याः[1] कुसुमचापबाणेन ।
चरमं रमणीवल्लभ लोचनविषयं त्वया भजता ।। ३३८ ।।

यथा वा—

पश्चात्पर्यन्तकिरणमुदीर्णं चन्द्रमण्डलम् ।
प्रागेव हरिणाक्षीणामुदीर्णो रागसागरः[2] ।। ३३९ ।।

अतएव

कैश्चिदुक्तः पूर्वं नामालङ्कारो नातिरिच्यते ।

जैसे—

पूर्णिमा की रात्रि में यदि चन्द्रमा का बिम्ब कलङ्क रहित हो तब उस [नायिका] का मुख चन्द्रमा से सादृश्य रूप पराभव प्राप्त कर सकता है ।।३३७।।

टि०—काव्यप्रकाश (१०,४५२) में यह श्लोक इसी अतिशयोक्ति के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है ।

४. चौथी [कार्य और कारण के पौर्वापर्यविपर्यास का उदाहरण] जैसे—

हे स्त्रियों के प्रिय नायक ! पुष्प रूपी धनुषबाण वाले उस कामदेव ने मालती [नाम की नायिका] के हृदय पर पहले अधिकार कर लिया और तुमने दृष्टिगोचर होकर बाद में [उसके हृदय पर अधिकार किया] ।।३३८।।

टि०—यहाँ वस्तुतः मालती के द्वारा देखे जाने पर राजा ने पहले उसके हृदय में प्रवेश किया है और बाद में उसके हृदय पर अधिकार हुआ है । इस देखने रूप कारण से कामदेव का प्रवेश रूप कार्य निष्पन्न हुआ है । कारण की शीघ्रकारिता को कहने के लिए यहाँ कार्य का कारण की अपेक्षा पूर्व कथन किया गया है। काव्यप्रकाश (१०,४५३) में इस चौथी अतिशयोक्ति का यही उदाहरण है ।

अथवा जैसे—

[अपनी किरणों को] फैलाने वाले चन्द्रमा का उदय बाद में हुआ, मृगनयनियों का राग रूपी समुद्र पहले ही उमड़ पड़ा ।।३३९।।

टि०—वास्तव में पहले चन्द्रमा उदित होता है उसके बाद समुद्र उमड़ता है । किन्तु यहाँ जैसे ही चन्द्रमण्डल उदित हुआ वैसे ही सुन्दरियों के मनों में प्रियों के प्रति उत्पन्न प्रेम रूपी सागर उमड़ पड़ा—इस अर्थ को बताने के लिए कार्य और कारण में पौर्वापर्यविपर्यय दिखलाया है । रागसागर के उमड़ने रूप कार्य को पहले बताया है और चन्द्रोदय रूप कारण को बाद में ।

[क्योंकि पूर्वालङ्कार में भी कार्य से पहले कारण का उल्लेख होता है]

---

१. त; मालव्या : ज म

२. त; यथा वा—रागसागर : यह उदाहरण ज म में नहीं

स यथा—

यत्रातिप्रवलतया विवक्ष्यते पूर्वमेव जन्यस्य।
प्रादुर्भावः पश्चात्तज्जनकस्य तु भवेत्पूर्वम् ॥

यथा वा[1]—

जनमसुलभमभिलषतामादौ दह्यते मनो यूनाम्।
गुरुरतिचारप्रसरः पश्चान्मदनानलो ज्वलति ॥ ३४० ॥

समकालोक्तौ यथा—

सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना।
तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम् ॥ ३४१ ॥

इसीलिए किन्हीं [रुद्रट] के द्वारा बताया हुआ पूर्व नामक अलङ्कार इस अलङ्कार से पृथक् नहीं है।

उस [पूर्व अलङ्कार] का [लक्षण] जैसे—

जहाँ अत्यन्त प्रबलता होने से कार्य की उत्पत्ति पहले ही बता दी जाती है और उसके बाद कारण की [उत्पत्ति बताई जाती है] वहाँ पूर्व [नामक] अलङ्कार होता है।

टि०—पूर्वालङ्कार का यह लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (९, ३) में मिलता है।

अथवा [और उदाहरण] जैसे—

दुर्लभ प्रेमिका को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले नवयुवकों का मन पहले जलता है उसके बाद अमर्यादित रूप से फैलने वाली प्रचण्ड कामाग्नि उन्हें जलाती है ॥३४०॥

टि०—वस्तुतः पहले कामाग्नि प्रदीप्त होती है और उसके बाद प्रेमियों का मन जलता है परन्तु यहाँ उल्टा क्रम दिखाया है। यह उदाहरण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (९,४) से लिया गया है।

[कारण और कार्य का] एककालावच्छेद से कथन [होने पर उदाहरण] जैसे—

हाथी पर चढ़कर विजययात्रा करने वाले महाराज रघु ने अपने पिता दिलीप के सिंहासन और सम्पूर्ण शत्रुमण्डल को एक साथ अच्छी तरह आक्रान्त कर लिया, [अर्थात् सिंहासन पर बैठते ही कुछ समय बाद शत्रुओं पर अधिकार कर लिया] ॥३४१॥

टि०—पहले राजा सिंहासन पर बैठता है तदनन्तर उसके शत्रुओं का वशीकरण होता है। सिंहासनारोहण कारण है और उसका कार्य शत्रुवशीकरण है। यहाँ दोनों की उत्पत्ति एक साथ दिखाई गई है। जैसे ही रघु सिंहासन पर बैठे वैसे ही

---

१. त; यथा ज अ

अथ प्रतिवस्तूपमा—

साधारणधर्मस्योपमानवाक्ये उपमेयवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टतया शब्दभेदेन स्थितिर्यत्र सा वस्तुनो वाक्यार्थस्योपमानत्वात्प्रतिवस्तूपमा ॥ २२९ ॥

सारे शत्रुओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली—इस रूप में कार्य की अत्यन्त शीघ्र उत्पत्ति रूप अभिव्यञ्जना इस विपर्यय का प्रयोजन है । साहित्यदर्पण के दसवें परिच्छेद में अतिशयोक्ति के उदाहरण के रूप में यह श्लोक मिलता है ।

इसके बाद १३. प्रतिवस्तूपमा [के लक्षण का निरूपण] है—

उपमानवाक्य और उपमेयवाक्य में साधारण धर्म के कथितपद दोष से दूषित होने के कारण [उस दोष से बचाने के लिए] जहाँ [साधारणधर्म की] भिन्न भिन्न शब्दों के रूप में अवस्थिति होती है, वहाँ एक वस्तु [उपमेय वाक्यार्थ] के लिए दूसरे वाक्यार्थ के उपमान बन जाने से प्रतिवस्तूपमा होती है ॥२२६॥

टि०—इस अलङ्कार को प्रतिवस्तूपमा नाम देने के कई कारण हैं—

१. इसमें एकस्य धर्मस्य शब्दद्वयेनाभिधानम् रूप वस्तुप्रतिवस्तुभाव पाया जाता है। इस कारण प्रतिवस्तूपमा है।
२. वस्तुनि वस्तुनि उपमा इति प्रतिवस्तूपमा—प्रत्येक वाक्यार्थ में जहाँ उपमा अर्थात् साधारणधर्म पाया जाय अथवा प्रतिवस्तु—प्रतिवाक्यार्थमुपमा यत्र सा प्रतिवस्तूपमा।
३. वस्तु वस्तु प्रति उपमीयते—इसमें एक वाक्यार्थ की दूसरे वाक्यार्थ के साथ उपमा दी जाती है ।

उपमा में एक वाक्यार्थ होता है जबकि प्रतिवस्तूपमा में कई होते हैं। भिन्न भिन्न सादृश्यमूलक अलङ्कारों में भिन्न भिन्न प्रकार का साधारणधर्म होता है। सामान्यतः यह पाँच प्रकार का है—

१. वस्तुप्रतिवस्तुभाव—एक ही धर्म जहाँ दो शब्दों में कहा हुआ हो, यह भाव प्रतिवस्तूपमा में पाया जाता है ।
२. बिम्बप्रतिबिम्बभाव—जहाँ दो धर्मों को दो शब्दों से कहा जाय (द्वयोर्द्विरभिधानम्) और फिर उसमें प्रणिधानगम्य साम्य हो, यह निदर्शना और दृष्टान्त में होता है ।
३. अनुगामिधर्म—मुखं चन्द्र इव सुन्दरम्—यहाँ पर सुन्दर धर्म अनुगामी अर्थात् मुख और चन्द्रमा दोनों में समान रूप से बराबर बराबर मात्रा में है।
४. शब्द साधारणधर्म—सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव इस श्लेषमूलक उपमा में केवल शब्दसाम्य है ।
५. औपचारिकसाम्य—मुखचन्द्रः प्रकाशते जैसे उदाहरणों में चन्द्र का प्रकाश धर्म वाच्य है और मुख का प्रकाश धर्म लक्ष्य है ।

यथा—

देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा।
न खलु परिभोगयोग्यं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम् ॥ ३४२ ॥

अत्र कथमित्यनेन न खल्वित्यनेनानौचित्यं प्रत्याय्यते। इत्येकस्यैवानुचितत्वरूपसामान्यस्य शब्दभेदेन द्विरुपादानम्। मालारूपाप्येषा[1] बोध्या।

यथा—

यदि दहत्यनलोऽत्र किमद्भुतं
यदि च गौरवमद्रिषु किं ततः।
लवणमम्बु सदैव महोदधेः
प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥ ३४३ ॥

[प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण] जैसे—

देवीभाव को प्राप्त [अर्थात् पटरानी पद पर अभिषिक्त] यह [महारानी] साधारण कुटुम्बिनी स्त्री के स्थान को कैसे प्राप्त करे? देवता अथवा देवमूर्ति से अङ्कित रत्न [साधारण आभूषण आदि के रूप में] उपभोग के योग्य नहीं हुआ करता है ॥३४२॥

यहाँ पर [पहले वाक्य में स्थित] कथम् इस पद से [और दूसरे वाक्य में प्रयुक्त] न खलु इस पद से [एक ही] अनौचित्य [रूप साधारणधर्म] की प्रतीति हो रही है। इस प्रकार एक ही अनौचित्य रूप सामान्यधर्म का भिन्न २ शब्दों से दो बार ग्रहण किया गया है।

टि०—इस श्लोक में पूर्वार्ध का वाक्यार्थ उपमेय रूप है और उत्तरार्द्ध का वाक्यार्थ उपमान रूप है। कथं और न खलु. इन दोनों पदों से अनौचित्य रूप एक ही धर्म का दो बार अभिधान है। एकस्य धर्मस्य शब्दद्वयेनाभिधानं वस्तुप्रतिवस्तुभावः इस नियम के अनुसार यहाँ वस्तुप्रतिवस्तुभाव होने से प्रतिवस्तूपमा है। यह श्लोक काव्यप्रकाश (१०, ४५४) में इसी अलङ्कार के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है।

और यह प्रतिवस्तूपमा माला रूप में भी समझनी चाहिए।

जैसे—

यदि अग्नि जलाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यदि पहाड़ों में भारीपन [गौरव] है तो फिर इससे क्या हुआ? समुद्र का पानी सदा ही खारी होता है और दुःखी न होना सज्जनों का स्वभाव ही है ॥३४३॥

टि०—यहाँ स्वाभाविक धर्म का दर्शन विस्मयजनक नहीं होता है, यह साधारण धर्म भिन्न २ शब्दों से निर्दिष्ट किया गया है। जिस प्रकार अग्नि का स्वाभाविक

---

१. ज अ, इयं च मालारूपापि त

अथ दृष्टान्तः—

अर्थविशेषः पूर्वं यादृग्न्यस्तो विवक्षितेतरयोः ।
तादृशमन्यं न्यस्येद् यत्र पुनः सोऽत्र दृष्टान्तः ।। २३० ।।

विवक्षितेतरयोः प्रकृताप्रकृतयोः । यादृग्धर्मयुक्तः तादृशधर्मयुक्तं च । विशेषग्रहणादर्थान्तरन्यासाद् भेदः । तत्र हि सामान्यविशेषयोर्मध्यादेकमुपमानमन्यदुपमेयम् । इह तु द्वयमपि विशेषरूपमिति । केचित्तु-वाक्यभेदे सति उपमानोपमेयसाधारणधर्मयोः सामर्थ्यसमर्थकभावेन तुल्यपदार्थप्रतिपत्तिविषयत्वमिति लक्षणम् । आद्यविशेषणान्नोपमालङ्कारे अति-

---

दाहकत्व धर्म अथवा पर्वतों का गौरव अथवा समुद्र जल का क्षारत्व धर्म स्वाभाविक होने के कारण आश्चर्यजनक नहीं होता है, इसी प्रकार सज्जनों का 'अविषादिता' धर्म स्वाभाविक धर्म होने से विस्मयोत्पादक नहीं है इस प्रकार इस उदाहरण में प्रकृतिरेव सतामविषादिता इस चतुर्थ चरण का वाक्यार्थ उपमेय है और शेष तीन चरणों के वाक्यार्थ उपमान रूप हैं। इसलिए यह माला रूप प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण है ।

इसके बाद १४. दृष्टान्त [का लक्षण] है—

प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थों में जैसा विशेष अर्थ पहले रखा हो वैसा ही यदि दूसरा [विशेष अर्थ] जिसमें रखा जाय वह इस काव्यशास्त्र में दृष्टान्त [कहलाता] है ।।२३०।।

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (८।९४) में भी दृष्टान्त का यही लक्षण मिलता है ।

[कारिका में प्रयुक्त] विवक्षितेतरयोः का अर्थ है प्रकृत और अप्रकृत में [अथवा प्रस्तुत और अप्रस्तुत में] । [यादृग् का अर्थ है] यादृग्धर्मयुक्तः अर्थात् जैसे धर्म से युक्त [पहला विशेष हो और तादृशम् का अर्थ है] वैसे ही धर्म से युक्त [दूसरे विशेष को रखे] । [यहाँ] विशेष पद [कारिका में अर्थविशेषः पद प्रयुक्त हुआ है] के ग्रहण करने से अर्थान्तरन्यास से भेद हो जाता है । क्योंकि वहाँ [अर्थान्तरन्यास में] सामान्य और विशेष में एक वाक्य उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है इस दृष्टान्त में तो दोनों ही वाक्य विशेष के रूप में होते हैं । यह [दोनों में भेद] है ।

टि०—दृष्टान्तालङ्कार में उपमानोपमेयभूत दोनों वाक्यों में अलग अलग दो विशेषों का प्रतिपादन होता है जबकि अर्थान्तरन्यास में एक सामान्य और एक विशेष का प्रतिपादन है ।

कुछ विद्वान् तो दो वाक्यों के भिन्न होने पर उपमान और उपमेय के धर्मों के मध्य सामर्थ्यसमर्थकभाव से समान प्रतीति का विषय होना ही दृष्टान्तत्व है [दृष्टान्त का] यह लक्षण करते हैं ।

प्रसङ्गः, एकवाक्यतापन्नपदतः साधर्म्यप्रतीतिविषयत्वाभावान्नोपमा-साङ्कर्यमपि ।

सामर्थ्यसमर्थकता तुल्यरूपतया विवक्षिता । सामान्यं सामान्येन विशेषो विशेषेणेति । तेन नार्थान्तरन्यासे अतिप्रसङ्गः । अर्थो द्विविधः

टि०—इन आचार्यों के अनुसार दृष्टान्त में दो भिन्न २ वाक्य होते हैं । एक वाक्य उपमेयवाक्य होता है तो दूसरा उपमानवाक्य । उपमेयवाक्य का उपमान वाक्य समर्थन करता है और पर्यवसान में दोनों वाक्यों में सादृश्य होता है ।

[वाक्यभेदे सति इस] पहले विशेषण से उपमालङ्कार में अतिप्रसङ्ग अर्थात् अतिव्याप्ति नहीं है और न ही इसमें एकवाक्य में ही प्रयुक्त पदों के होने से और साधर्म्य की प्रतीति का विषय होने से [अर्थात् उपमा के अन्दर एक वाक्य होता है और उसमें उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग किया जाता है और फिर वे सादृश्य की प्रतीति का विषय बनते हैं। इस प्रकार की प्रतीति का दृष्टान्त में अभाव होने से इसमें] उपमा का साङ्कर्य भी नहीं है ।

टि०—केचित्तु कहकर किन्हीं प्राचीन आचार्यों के बताये वाक्यभेदे सति··· विषयत्वमिति लक्षणम् इस दृष्टान्त के लक्षण की ओर इङ्गित किया है । इन प्राचीनों का कहना है कि यदि तुल्यपदार्थप्रतीतिविषयत्वम् इतना मात्र दृष्टान्त का लक्षण माना जाय तो उसकी उपमा में अतिव्याप्ति हो जायेगी । उसका निराकरण करने के लिए वाक्यभेदे सति यह विशेषण जोड़ देना चाहिए । उपमा और दृष्टान्त दोनों ही तुल्यपदार्थप्रतीति के विषय बनते हैं किन्तु उपमा में एक ही वाक्य होता है जबकि दृष्टान्त में वाक्यभेद । अर्थात् इसमें दो भिन्न २ वाक्य होते हैं ।

[दृष्टान्त में] दोनों वाक्यों में एकरूपता—सादृश्य होने से सामर्थ्यसमर्थक-भाव विवक्षित होता है और यह समर्थन सामान्य का सामान्य से और विशेष का विशेष से होता है । यह [इसकी विशेषता] है ।

टि०—दृष्टान्त में या तो दोनों वाक्य सामान्य होते हैं या दोनों ही विशेष । इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों में एक का दूसरे से समर्थन होता है ।

इसी कारण इसकी अर्थान्तरन्यास में अतिव्याप्ति नहीं होती है [क्योंकि अर्थान्तरन्यास में एक वाक्य सामान्य होता है तो दूसरा वाक्य विशेष होता है] ।

टि०—ऊपर प्राचीन आचार्यों के मतानुसार बताये हुए वाक्यभेदे··· विषयत्वमिति लक्षणम्—इस दृष्टान्त के लक्षण में सामर्थ्यसमर्थकभावेन यह विशेषण दृष्टान्त और अर्थान्तरन्यास में समान रूप से लागू होता है किन्तु दृष्टान्त में जहाँ दोनों विशेष होते हैं वहाँ अर्थान्तरन्यास में एक सामान्य और दूसरा विशेष होता है यह अन्तर्निहित है किन्तु यह बात इस लक्षण में स्पष्टतया नहीं कही गयी है, इसलिए ग्रन्थकार की इसमें अपनी विशेष रुचि नहीं है ।

यथा—

कल्पितोऽकल्पितश्च।

लोकं लोलितकिसलयविषवनवातोऽपि मङ्क्षु मोहयति।
तापयतितरां तस्या हृदयं तद्गमनवार्तापि ॥ ३४४॥

द्वितीयो यथा—

त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्।
आलोके हि हिमांशो र्विकसति कुसुमं कुमुदवत्याः ॥ ३४५॥

अथ दीपकम्—

यत्रैकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति।
तद्वत्कारकपदमपि तदेतदिति च दीपकं द्वेधा ॥२३१॥

अनेकवाक्यार्थान्वितकारकपदत्वं क्रियापदत्वं च लक्षणम्। आदि-

[इस दृष्टान्तालङ्कार में] अर्थ दो प्रकार का होता है—१. कल्पित और २. अकल्पित।

१. पहले [कल्पित अर्थ वाले दृष्टान्त का उदाहरण] जैसे—

नवीन पत्तों को हिलाने वाली विषैली वन की हवा भी लोगों को अत्यधिक [अथवा शीघ्र ही] मूर्च्छित कर देती है। उसके जाने की केवल बात ही उसके हृदय को बहुत अधिक सन्तप्त कर रही है ॥३४४॥

टि०—यहाँ अलग कहे गये दो वाक्य उपमेय और उपमान वाक्य के रूप में हैं और उनमें सामर्थ्यसमर्थकभाव है तथा विशेष का विशेष से समर्थन है। रुद्रट के काव्यालङ्कार (८,९६) में यह श्लोक है।

२. दूसरे [अकल्पित अर्थ वाले दृष्टान्त का उदाहरण] जैसे—

तुम [नायक] को देखते ही [उस नायिका] का काम से सन्तप्त मन सुखी हो जाता है क्योंकि चन्द्रमा को देखने पर कुमुदिनी का फूल खिल उठता है।

टि०—यहाँ पूर्व उदाहरण की तरह इन दोनों वाक्यों में उपमानोपमेय-भाव और सामर्थ्यसमर्थकभाव है तथा दोनों वाक्य विशेष हैं। यह श्लोक काव्य-प्रकाश (१०,४५६) में भी मिलता है। रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (८,९४) में भी यह उपलब्ध होता है।

इसके बाद १५. दीपक [का लक्षण] है—

जहाँ पर अनेक वाक्यार्थों में एक क्रियापद होता है [अथवा] उसी प्रकार अनेक वाक्यार्थों में एक कारकपद होता है तो यह दीपक होता है और इस प्रकार [इसके क्रियादीपक और कारकदीपक इस रूप में] दो भेद हैं ॥२३१॥

अनेक वाक्यार्थों से युक्त कारक पद वाला होना और अनेक वाक्यार्थों से युक्त क्रियापद वाला होना [इस दीपकालङ्कार का] लक्षण है। दो प्रकार का होता

मध्यान्तवाक्यवृत्तिभेदाद् द्विविधमपि षोढा ।

यथा—

भूष्यन्ते प्रमदावनानि बालपुष्पैः
कामिन्यो मधुमदमांसलैर्विलासैः ।
ब्रह्माणः श्रुतिगदितैः क्रियाकलापैः
राजानः प्रशमितवैरिभिः प्रतापैः ।। ३४६ ।।

तथा—

वाष्पः पथिककान्तानां जलं जलमुचां मुहुः ।
विगलत्यधुना दण्डयात्रोद्योगो महीभुजाम् ।। ३४७ ।।

हुआ भी यह वाक्य में [क्रियापद और कारकपद के] आदि, मध्य और अन्त में रहने के कारण ६ प्रकार का है ।

टि०—दीपक के पहले दो भेद हैं । इसके बाद प्रत्येक (क्रिया और कारक दीपक) के आदिक्रियादीपक आदि तीन तीन भेद हैं—

दीपक

- १. क्रिया
  - १. आदिक्रिया-वृत्ति
  - २. मध्यक्रिया-वृत्ति
  - ३. अन्त-क्रियावृत्ति
- २. कारक
  - १. आदिकारक-वृत्ति
  - २. मध्यकारक-वृत्ति
  - ३. अन्त-कारकवृत्ति

नवीन और ताजे फूलों से [राजमहल की] रानियों के उद्यान, शराब के नशे से बढ़ी हुई हावभाव भरी चेष्टाओं से रमणियाँ, वेदप्रतिपादित कर्मकाण्डों [के निष्पन्न करने] से ब्राह्मण और वैरियों को शान्त करने वाले पराक्रमों से राजा लोग शोभित होते हैं ।।३४६।।

टि०—यहाँ आदिक्रियावृत्तिदीपकालङ्कार है क्योंकि यहाँ आदि में प्रयुक्त भूष्यन्ते क्रिया का प्रमदावनानि और बालपुष्पैः आदि अनेक कारकपदों के साथ सम्बन्ध है ।

और—

इस समय [वर्षाकाल] में प्रोषितभर्तृका नायिकाओं का आँसू और बादलों का पानी तथा राजाओं का [शत्रुओं के] दमन के लिए [किया गया विजय] यात्रा का अभियान विगलित हो रहा है ।।३४७।।

टि०—यहाँ विगलति इस क्रिया का मध्य में प्रयोग होने के कारण मध्यक्रियावृत्ति दीपक है । विगलन के क्रमशः बहना, गिरना और समाप्त होना यह तीन अर्थ हैं ।

तथा—

नवयौवनमङ्गेषु प्रियसङ्गमनोरथो हृदयेषु ।
अथ चेष्टासु विकारः प्रभवति रम्यः कुमारीणाम् ॥ ३४८ ॥

तथा—

निद्रापहरति जागरमुपशमयति मदनदहनसन्तापम् ।
जनयति कान्तासङ्गसुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः ॥ ३४९ ॥

इदमादिकर्तृदीपकम् । एवं कर्मादिषु द्रष्टव्यानि ।

पूर्वपूर्वदीपकसंवलितवाक्यार्थेन दीपकसंवलितोत्तरोत्तरवाक्यार्थो यदि चमत्क्रियते तन्मालादीपकम् ॥ २३२ ॥

यथा—

सङ्ग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते[1]

और—

कुमारी नवयुवतियों के अङ्गों में नई जवानी, हृदयों में प्रिय से मिलने की अभिलाषा और कामचेष्टाओं में सुन्दर वासना की विकृति उत्पन्न हो रही है ॥३४८॥

टि०—यहाँ प्रभवति क्रिया के अन्त में होने से अन्तक्रियावृत्ति दीपक है ।

और—

नींद जागरण का हरण करती है, कामाग्नि के सन्ताप को दूर करती है और प्रेमिका के साथ [स्वप्न में] मिलने के सुख का अनुभव कराती है । [अतएव] नींद से बढ़कर [हितकारी] प्रिय व्यक्ति और कौन होगा ?।३४९।।

यह तथा इसी भाँति के और उदाहरण कर्तृदीपक के हैं । इसी प्रकार कर्म आदि में कारकवृत्तिदीपक के उदाहरण देख लेने चाहिएं ।

टि०—यहाँ 'निद्रा' रूप कर्तृकारक का अपहरति, उपशमयति और जनयति इन अनेक क्रियाओं के साथ सम्बन्ध है । यह श्लोक रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,६९) में दिया हुआ है ।

यदि पहले पहले दीपक से युक्त वाक्यार्थ से [दूसरे] दीपक से युक्त उत्तरोत्तर [बाद बाद का] वाक्यार्थ चमत्कारपूर्ण किया जाता है तो मालादीपक होता है ।

टि०—मालादीपक का यह लक्षण काव्यप्रकाश के मालादीपकमाद्यं चेद् यथोत्तरगुणावहम् (१०,१०४) इस लक्षण से प्रभावित है । आचार्य मम्मट के अनुसार यदि पूर्व पूर्व की वस्तु उत्तर उत्तर की उपकारक हो तो मालादीपक अलङ्कार होता है ।

जैसे—

हे राजन् ! सङ्ग्रामभूमि में आए हुए आपके धनुष [की प्रत्यञ्चा] को चढ़ाने

---

१. ज त; सम्प्राप्ते परिपन्थियोधिनिवहे साम्मुख्यमासादिते अ

देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् ।
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला[1] कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥३५०॥

अथ तुल्ययोगिता—

प्राकरणिकाप्राकरणिकान्यतरसकृद्धर्मप्रतीतिस्तुल्ययोगिता ॥२३३॥

तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वस्य सादृश्यतया अत्र सकृद्धर्मप्रतीतिरितिकरणान्नोपमासाङ्कर्यम् ।

पर जिस जिसने जो जो सहसा प्राप्त किया, सो सुनो। [सबसे पहले आपके चढ़े हुए] धनुष ने बाण [प्राप्त किये], बाणों ने शत्रुओं का सिर [पाया—बाणों ने धनुष से छूटकर शत्रुओं के सिरों को काट दिया। इसलिए] उस [शत्रु के सिर] ने पृथिवी [पाई], उस [भूमण्डल] ने [राजा रूप में] आपको [पाया] और आपने असीमित कीर्ति [पाई] तथा कीर्ति ने तीनों लोक पाये [अर्थात् आपकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त हो गई] ॥३५०॥

टि०—यहाँ समासादितम् क्रिया का अनेक कोदण्ड आदि कारकों के साथ सम्बन्ध होने से क्रियादीपक है। पहले २ दीपक से युक्त वाक्यार्थ के द्वारा उत्तरोत्तर वाक्यार्थ में चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। काव्यप्रकाश (१०,४६०) में यह मालादीपक के उदाहरण के रूप में मिलता है।

इसके बाद १६. तुल्ययोगिता [का लक्षण] है—

प्रस्तुतों अथवा अप्रस्तुतों में से एक अर्थात् दोनों प्रस्तुत पदार्थों अथवा दोनों अप्रस्तुत पदार्थों की एक ही समय [एककालावच्छेद से] एक धर्म की प्रतीति तुल्ययोगिता होती है ॥२३३॥

उपमान से भिन्न होने पर उपमानगत अधिक धर्मवाला होना [रूप] सादृश्य [उपमा] का लक्षण होने से यहाँ पर 'सकृद्धर्मप्रतीति' इस विशेषण के रख देने से उपमा में इस लक्षण का साङ्कर्य नहीं होता।

टि०—उपमा में एक अर्थ प्राकरणिक और दूसरा अप्राकरणिक होता है और इन दोनों के बीच एक साधारण धर्म रहता है परन्तु तुल्ययोगिता में ऐसी स्थिति नहीं होती। वहाँ पर या तो दोनों अप्रस्तुतों में एक धर्माभिसम्बन्ध होता है या दोनों प्रस्तुतों में यह सम्बन्ध दिखाया जाता है। साहित्यदर्पण (१०,४८) में तुल्ययोगिता के लक्षण में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है—

पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत् ।
एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥

---

१. ज; कीर्तिनिवहः अ त०

यथा—

नैतच्चित्रं यदयमुदधिश्यामसीमां धरित्री-
मेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रांशुबाहुर्भुनक्ति ।
आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैरा हि दैत्यै-
रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे ॥ ३५१ ॥

यथा वा—

जलनिधिवसनामिमां धरित्रीं
वहति भुजुङ्गविभवो भवद्भुजश्च ॥३५२ ॥

अथ व्यतिरेकः—

उपमानतः उपमेयस्याकाङ्क्षिताधिकधर्मवत्त्वं लक्षणम् ॥ २३४ ॥

जैसे—

नगर [के मुख्य द्वार] के अर्गलादण्ड के समान लम्बी भुजाओं वाला यह राजा समुद्र रूप काली सीमा वाली सम्पूर्ण पृथिवी का अकेले ही पालन कर रहा है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि दैत्यों के साथ द्वेष करने वाली युवती देवाङ्गनायें इसके डोरी चढ़े हुए धनुष और वज्र के सम्बन्ध में विजय की सम्भावना करती हैं अर्थात् उन्हें इस बात की पूरी आशा है कि इन दोनों की विजय होगी ॥३५१॥

टि०—यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक (२,१५) से लिया हुआ है । यहाँ इन्द्र की सहायता के लिए पहुँचने वाले दुष्यन्त का धनुष और इन्द्र का वज्र दोनों ही अप्रस्तुत हैं, इन दोनों का एक विजयाशंसन रूप क्रिया के साथ सम्बन्ध है ।

अथवा जैसे—

[हे राजन् !] समुद्र रूपी वस्त्रों वाली इस पृथिवी को सर्पों का पराक्रम और आपकी भुजा [ये दोनों] धारण करते हैं ॥३५२॥

टि०—यहाँ भुजङ्गविभवः और भवद्भुजः—इन दोनों प्रस्तुतों का एक 'वहति' इस क्रिया के साथ सम्बन्ध हो रहा है ।

इसके बाद १७. व्यतिरेक [का लक्षण] है—

उपमान की अपेक्षा उपमेय के भीतर आकाङ्क्षित धर्म की अधिकता का होना व्यतिरेक का लक्षण है ॥२३४॥

टि०—व्यतिरेकः का अर्थ है विशेषेण अतिरेकः अर्थात् विशेष रूप से अधिक । व्यतिरेक में उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुण में अतिरेक (आधिक्य) पाया जाता है । काव्यप्रकाश (१०,१०५) में व्यतिरेक का लक्षण इसी तथ्य को स्पष्ट करता है—

उपमानाद् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ।

यो गुण उपमेये स्यात्तत्प्रतिपन्थी च दोष उपमाने ।

विभजते—

व्यस्तसमस्तन्यस्तौ तौ व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः ।। २३५ ।।

अस्यार्थः—उपमेयें गुणः स्यादुपमाने च तस्य गुणस्य प्रतिपन्थी विरुद्धो यो दोषस्तौ गुणदोषौ व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः । कथमित्यत आह-व्यस्तसमस्तन्यस्ताविति । तत्र गुण एवोपमेये न्यस्यते न तूपमाने दोष इत्येकः प्रकारः । तथोपमाने दोष एवेति द्वितीयः । तत्रोभयत्रोभयन्यासश्चेति प्रकारत्रयम् ।

उपमान से अन्य अर्थात् उपमेय का जो आधिक्य का वर्णन है वही व्यतिरेकालङ्कार है ।

[इस व्यतिरेक के] भेद बताते हैं—

जो गुण उपमेय में हो यदि उस गुण का विरोधी दोष उपमान में [मिलता] हो तो ये दोनों [गुण और दोष] व्यस्त-यस्त, समस्तन्यस्त और व्यस्त-समस्तन्यस्त होकर उस व्यतिरेक को तीन प्रकार का बना देते हैं ।।२३५।।

इसका यह अर्थ है—उपमेय में [अधिकता का कारणभूत] गुण और उपमान में [न्यूनता का कारणभूत] उस गुण का विरोधी दोष [जब यह दोनों व्यतिरेक में होते हैं तो] दोनों गुण और दोष [इस व्यतिरेक को] तीन प्रकार का बना देते हैं यह कैसे बना देते हैं ? इसी बात को बताने के लिए—'व्यस्तसमस्तन्यस्तौ इति इस विशेषण से विदित होता है । इन भेदों में से पहला भेद यह है—१. जब गुण ही उपमेय में रखा जाय और उपमान में दोष को न रखा जाय तो यह [व्यतिरेक का] एक [पहला] प्रकार है और २. यदि उपमान में दोष ही बताया हो [उपमेय का गुण न बताया हो तो यह दूसरा प्रकार है तथा ३. यदि वहाँ उपमेय और उपमान दोनों में [उत्कर्ष और अपकर्ष के कारणभूत] गुण और दोष दोनों को ही बताया हुआ हो [वहाँ तीसरा प्रकार है] इस भाँति व्यतिरेक के तीन प्रकार हैं ।

टि०—इस प्रकार ग्रन्थकार ने यहाँ व्यतिरेक को इन भागों में बाँटा है—

१. जब केवल उपमेय में ही गुण दिखाया हो और उपमान में दोष न बताया हो ।

२. उपमानगत दोष तो बताया हो किन्तु उपमेय का गुण न बताया हो ।

३. उपमेय में गुण बताया हुआ हो और उपमान में भी दोष बताया हो । व्यस्तसमस्तन्यस्तौ से अभिप्राय है—जब गुण और दोष या तो अलग अलग रखे जायें या जब दोनों की युगपद् स्थिति हो । पहला और दूसरा भेद व्यस्तन्यस्त का है और तीसरा समस्तन्यस्त का है ।

क्रमेण यथा[1]—

अखण्डमण्डलः श्रीमान् पश्यैष पृथिवीपतिः।
न निशाकरवज्जातु कलावैक्लव्यमागतः ॥ ३५३ ॥

द्वितीयो यथा—

सकलङ्केन जडेन च साम्यं दोषाकरेण कीदृक् ते।
अभुजङ्गः समनयनः कथमुपमेयो हरेणासि ॥ ३५४ ॥

यथा वा—

प्रौढिं धत्तां कलासु प्रथयतु कुमुदं सत्पथे सञ्चरेद् वा
नेत्रानन्दं विधत्तामवतु स विबुधानस्तु राजा तथापि।
दोषान्वेषी कलङ्की सहजजडतनुः सक्षयः पक्षपाती
नक्षत्रेशः कथं वा कलयतु तुलनां रामचन्द्रेण चन्द्रः ॥३५५॥

जैसे—

देखो, सम्पूर्णमण्डल अर्थात् अखण्ड देशवाला और लक्ष्मी से समृद्ध यह राजा समस्त कलाओं वाले कान्तिमान् चन्द्रमा का रूप होते हुए [भी] चन्द्रमा के समान कभी भी कलाहीनता को नहीं प्राप्त होता ॥३५३॥

टि०—चन्द्रपक्ष में अखण्डमण्डल का अर्थ है सम्पूर्ण बिम्ब (शरीर) वाला, श्रीमान् का अर्थ कान्तिमान् तथा कलावैक्लव्य का अर्थ है अपनी सम्पूर्ण कलाओं में कमी का आना। राजा के पक्ष में क्रमशः इनका अर्थ अखण्डित राज्यप्रदेश वाला, समृद्ध और चौंसठ कलाओं में कमी का आना। यहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय के अधिक उत्कर्ष के कारणभूत गुण को दिखाया गया है। पृथिवीपतिः निशाकरवत्कलावैक्लव्यं नागतः कह कर उपमेयगत राजा का उत्कर्ष ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है।

दूसरा जैसे—

कलङ्क से युक्त, चेतनाविहीन, और दोषों के भण्डार चन्द्रमा के साथ तुम्हारा कैसा सादृश्य और साँपों से रहित, समनेत्र अर्थात् दो नेत्र वाले तुम—सर्पों से वेष्टित, विषम अर्थात् तीन नेत्रों वाले शिव के साथ उपमेय [तुलना के विषय] कैसे बन सकते हो ?॥३५४॥

टि०—यहाँ उपमान के अपकर्ष का कारणभूत दोष तो कह दिया गया है, किन्तु उपमेय के उत्कर्ष का कारण गुण शब्दोपात्त नहीं है।

अथवा जैसे—

चाहे वह चन्द्रमा कलाओं में कितनी ही वृद्धि को धारण करे, कुमुद को खिलाये अथवा आकाश में चले, नेत्रों के आनन्द को उत्पन्न करे, देवताओं की रक्षा करे और भले ही चमकने वाला हो, फिर भी रात्रि को ढूंढने वाला, कलङ्कयुक्त,

---

१. संशोधित पाठ; ज अ त में नहीं

तृतीयो यथा—

तरलं लोचनयुगलं कुवलयमचलं किमेतयोः साम्यम् ।
विमलं मलिनेन मुखं शशिना कथमेतदुपमेयम् ।। ३५६ ।।

अथाक्षेपः—

निषेधप्रतिपादनतात्पर्येण वचनीयानिषेधेन वचननिषेध इत्याक्षेपलक्षणम् ।। २३६ ।।

यथा—

नानीता जनकमहीमहेन्द्रपुत्री
नोद्धूतः सपरिकरः स राक्षसेन्द्रः ।
उत्क्षिप्य स्वयमुपढौकिता न लङ्का
वैलक्ष्यात्कुशलकथा कथं ब्रवीमि ?।। ३५७ ।।

स्वभाव से ही चेतनाहीन [अथवा शीतल] शरीर वाला, क्षयग्रस्त और कृष्णपक्ष में क्षीण होने वाला केवल नक्षत्रों का ही स्वामी वह चन्द्रमा रामचन्द्र के साथ कैसे तुलना को धारण कर सकता है ? ।।३५५।।

टि०—यहाँ उपमान चन्द्रमा के अपकर्ष के कारणभूत दोष तो कह दिए हैं पर रामचन्द्र उपमेय के उत्कर्ष के कारणभूत गुणों को नहीं कहा है ।

तीसरा [उदाहरण] जैसे—

नेत्रयुगल चञ्चल है नीलकमल चलने के सामर्थ्य से रहित है । इन दोनों में बराबरी कैसे हो सकती है और निर्मल मुख मैले चन्द्रमा के साथ कैसे उपमा का विषय बन सकता है ? ।।३५६।।

टि०—यहाँ उपमेयभूत लोचनयुगल और मुख के उत्कर्षबोधक गुण तथा उपमानभूत कुवलय और शशि के अपकर्षबोधक दोष—इन दोनों को बताया हुआ है ।

इसके बाद १८. आक्षेप [का लक्षण] है—

निषेध के प्रतिपादन के तात्पर्यभूत [व्यङ्ग्यार्थ रूप] कथ्य वस्तु की निषेधहीनता के कारण जो वक्ता के द्वारा स्वयं कहे गये वचन का निषेध है वही आक्षेप होता है ।।२३६।।

टि०—आक्षेप में जो निषेध किया जाता है वस्तुतः वह अनिषेध ही होता है अर्थात जो निषेध वाच्य होगा, अनिषेध उसका व्यङ्ग्य होगा इस दशा में मुँह से कहा गया नहीं हाँ में परिणत हो जायेगा ।

जैसे—

जबकि मेरे द्वारा महाराज जनक की पुत्री सीता नहीं लाई गई है, सम्पूर्ण परिवारसहित राक्षसराज रावण को नष्ट नहीं किया गया है और स्वयं जीतकर लङ्का आपको भेंट में नहीं दी गई है । ऐसी स्थिति में लज्जा के कारण कुशल की वार्ता [समाचार] कैसे कहूँ ?।।३५७।।

अथ कथमित्यनेन प्राप्तो निषेधः कुशलकथनस्याशक्यत्वं व्यनक्ति।
अयं च वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चेति द्विधा।
तत्र उक्तविषयो यथा—

सन्तुष्टे तिसृणां पुरामपि रिपौ कण्डूलदोर्मण्डली
क्रीडाकृत्तपुनःप्ररूढशिरसो वीरस्य लिप्सो र्वरम्।
याञ्चादैन्यपराञ्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं वृणु
त्वं वृण्वित्यभितो मुखानि स दशग्रीवः कथं कथ्यताम्? ॥ ३५८ ॥

अत्र कथमिति निषेधो रावणस्य तत्तद्गुणानाञ्चातिप्रसिद्धत्वं व्यनक्ति।
केचित्तु—

वस्तु प्रसिद्धमिति वा विरुद्धमिति वास्य वचनमाक्षिप्य।
अन्यत्तथात्वसिद्धये यत्र ब्रूयात्स आक्षेपः॥

और यहाँ कथम् इस पद से प्राप्त निषेध कुशलता के कहने की अशक्यता को प्रकट करता है।

टि०—इस 'नानीता' इत्यादि श्लोक में कथं ब्रवीमि पद से यही अर्थ प्रकट होता है कि मुझे कुशलकथा नहीं कहनी चाहिए परन्तु वास्तविकता यह है कि हनुमान् कुशलकथा कहने के लिए तैयार होने जा रहे हैं।

और यह १. वक्ष्यमाणविषयक [अर्थात् आगे जाने वाली बात का कहे बिना पहले ही निषेध सा कर देना] और २. उक्तविषयक [अर्थात् बात को कह कर फिर उसका निषेध कर देना] यह दो प्रकार का [आक्षेप होता] है। वक्ष्यमाणविषय का उदाहरण तो 'नानीता' इत्यादि श्लोक में दिखा दिया है। उक्तविषयक का उदाहरण [दिखाया जाता है] जैसे—

तीन नगरों के शत्रु शिव के सन्तुष्ट हो जाने पर युद्ध की खुजलाहट से युक्त भुजाओं के समूह से अनायास कटे हुए और फिर से उत्पन्न सिर वाले और वर [माँगने] की अभिलाषा वाले जिस वीर रावण के याचना की दीनता से विमुख रहने वाले मुख—तुम [पहले] माँगो और तुम [ही पहले] माँगो, इस रूप में आपस में झगड़ा करते हैं, उस दस ग्रीवाओं वाले रावण के बारे में कैसे [और क्या] कहा जाय? ॥३५८॥

टि०—रावण का प्रत्येक मुख स्वाभिमानी है और उसको वर माँगने में लज्जा आ रही है। अतः माँगने का काम दूसरे २ पर डाला जा रहा है।

यहाँ कथम् इस पद से किया गया निषेध रावण के उन उन गुणों की अत्यधिक प्रसिद्धि को कर रहा है [अर्थात् इसने ऐसे अद्भुत काम किये हैं जिनको सब जानते हैं इसलिए उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है]।

कुछ आचार्य तो—

[आनन्दप्रदत्वादि धर्म में] प्रसिद्ध वस्तु [चन्द्रकलादि होती] है—इस कथन

इत्याक्षेपलक्षणमाहुस्तत्रेदं प्रसिद्धोदाहरणम्—

जनयति सन्तापमसौ चन्द्रकला कोमलापि मे चित्रम् ।
अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी हि भूमिरुहः ।।

विरुद्धोदाहरणम्—

तव गणयामि गुणानलमथवा सत्प्रलापिनं धिङ् माम् ।
कः खलु कुम्भैरम्भो मातुमलं जलनिधेरखिलम् ।।

परे तु—उपमानाक्षेपमाक्षेपमाहुः ।

पर [सन्तापजनकत्वादि धर्मों के द्वारा] आक्षेप करके उस [चन्द्रकलादिक के सन्ताप-जनकत्वादि धर्म] को वैसा ही अर्थात् सही सिद्ध करने के लिए जहाँ कोई दूसरी बात युक्ति रूप में कही जाय; अथवा इसी रीति से किसी विरुद्ध धर्मवाली वस्तु के उस विरुद्ध धर्म पर आक्षेप करके पुनः किसी दूसरी युक्ति के द्वारा उपपन्नता स्थापित की जाय, वह आक्षेप होता है ।

इस रूप में आक्षेप के लक्षण को [रुद्रट अपने काव्यालङ्कार ८,८९ में] कहते हैं । वहाँ पर प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण यह दिया है—

आश्चर्य है कि चन्द्रकला के सदृश कोमल होते हुए भी वह सुन्दरी मेरी जलन [कामव्यथा] को उत्पन्न कर रही है अथवा इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? क्योंकि हिमराशि भी तो वृक्षों को जला देती है ।

टि०—यहाँ पहले उपमेय के प्रसिद्ध धर्म को बताकर उसका आक्षेप (निषेध) किया है । इसके बाद अथवा किमत्र चित्रम् इस वचन से समर्थन किया गया है ।

विरुद्ध का उदाहरण—

मैं तुम्हारे गुणों की गिनती करती हूँ अथवा मुझे [यह कार्य] बन्द करना चाहिए झूठ बोलने वाली मुझे धिक्कार है । भला कौन घड़ों से समुद्र के सारे जल को मापने का सामर्थ्य रखता है ?

टि०—गुणों की गणना कर सकना विरुद्ध कथन है क्योंकि गुणों की अनन्तता होने से गणना नहीं की जा सकती । असत्प्रलापिनं धिङ्माम् इस वचन से आक्षेप करके उत्तरार्ध वाक्य से विरुद्ध कार्य अर्थात् गुणों की गणना न होने की उपपन्नता सिद्ध की जा रही है ।

काव्यालङ्कार (८,९१) में यह उदाहरण है ।

और दूसरे विद्वान् तो उपमान के निषेध [तिरस्कार] को आक्षेप कहते हैं ।

टि०—वामन (काव्यालङ्कार सूत्र ४,३,२७) ने उपमानाक्षेपश्चाक्षेपः यह लक्षण बताया है ।

यथ —

तस्याश्चेन्मुखमस्ति सौम्यसुभगं किं पार्वणेनेन्दुना
सौन्दर्यस्य पदं दृशौ च यदि चेत् किन्नाम नीलोत्पलैः ?
किंवा कोमलकान्तिभिः किसलयैः सत्येव तत्राधरे
हा धातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेऽथ पूर्वाग्रहः ।।

उपमानस्याक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यप्यन्ये ।

यथा—

ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधराणां
शरद् दधानार्द्रनखक्षताभम् ।
प्रसाधयन्ती सकलङ्कमिन्दुं
तापं रवेरप्यधिकं ततान ।।

अत्र शरद्वेश्येव इन्दु नायकमिव रवेः प्रतिनायकस्येवेत्युपमानानि गम्यन्ते ।

जैसे—

यदि उसका स्निग्ध और सुन्दर मुख [हमें देखने को मिलता है] तो पूर्णिमा के चाँद से क्या लाभ ? अगर दृष्टि में सौन्दर्य का निवास है तो नीलकमलों से क्या लाभ ? और उस निचले ओठ के रहते हुए कोमल दीप्ति वाले पत्तों से क्या लाभ ? बड़े शोक की बात है कि दुबारा २ चीजों को बनाने के कार्य में ब्रह्मा को अभी भी हठ [पक्षपात पूर्ण विचार] है ।

टि०—जब नायिका के मुख, नेत्र और ओठ की विधाता ने रचना कर दी तो पूर्णिमा के चाँद, नीलकमल और किसलय-इन उसी प्रकार की वस्तुओं को बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। फिर भी विधाता ने इन्हें बनाकर व्यर्थ ही पुनरावृत्ति की। इस प्रकार कहने से यहाँ नायिका के मुखादि उपमेयों के द्वारा पूर्णमासी के चन्द्रादि उपमानों का तिरस्कार हो रहा है। काव्यालङ्कारसूत्र (४,३,२७) में यह श्लोक आक्षेप के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है ।

उपमान की व्यञ्जना से होने वाली प्रतीति आक्षेप कहलाती है इस प्रकार भी दूसरे विद्वान् मानते हैं।

टि०—वामन के काव्यालङ्कारसूत्र में उपमानस्याक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थः (४,३,२७) यह पङ्क्ति दी है।

जैसे—

श्वेतस्तन के समान श्वेतवर्ण वाले बादलों के भीतर ताजे नखक्षतों [नाखूनों के द्वारा बनाये गए घावों] के सदृश इन्द्रधनुष को धारण करने वाली शरद् ऋतु कलङ्कयुक्त चन्द्रमा को प्रसन्न करती हुई सूर्य के ताप को और भी अधिक बढ़ाने लगी ।

यहाँ शरद् ऋतु एक वेश्या के समान [अनुरागवती] है। वह नायक के

अथ विशेषोक्तिः—

विशेषोक्तिः कारणसद्भावप्रदर्शनेऽपि कार्यानभिधानं विशेषोक्तिः ॥२३७॥

अत्र प्रसिद्धं कारणं सिध्यतीति न विरोधः । यथा—

निशात्यये व्यञ्जितपङ्कजाना—
मामोदमेदस्विनि गन्धवाहे ।
न मुञ्चतः कैतवबद्धनिद्रा—
वन्योऽन्यकण्ठग्रहणं युवानौ ॥ ३५९ ॥

अत्र प्रकृतोचितं कारणमनुरागादिकमेकं व्यङ्ग्यम् । परे तु एकस्य गुणस्य

समान चन्द्रमा को [प्रसन्न कर रही है] । प्रतिनायक के समान सूर्य के सन्ताप को बढ़ा रही है । इस रूप में यहाँ [वेश्या, नायक और प्रतिनायक इन तीन] उपमानों का बोध व्यञ्जना से हो रहा है । [यह उदाहरण आक्षेप के उदाहरण के रूप में काव्यालङ्कारसूत्र ४,३, २७ में दिया है] ।

इसके बाद १९. विशेषोक्ति [का लक्षण] है—

कारण के रहते हुए कार्य का न कहना विशेषोक्ति कहलाता है ॥२३७॥

यहाँ अप्रसिद्ध कारण की सिद्धि अर्थात् प्रतीति हो जाती है। इस कारण विरोध का अतिप्रसङ्ग नहीं है ।

टि०—यहाँ पर पूर्वपक्षी यह कह सकता है कि विशेषोक्ति का ऊपर दिया हुआ लक्षण विरोधालङ्कार में भी अतिव्याप्त हो सकता है क्योंकि वहाँ भी कारण के रहते हुए कार्य नहीं होता। इससे भेद बताने के लिए सिद्धान्ती का कहना है कि विरोध में कारण प्रसिद्ध होता है जबकि विशेषोक्ति में अप्रसिद्ध ।

जैसे—

रात के बीतने पर अर्थात् प्रातःकाल की वेला में खिले हुए कमलों की गन्ध से समृद्ध हुई हवाओं के चलने पर बहाने से निद्रा को करने वाले [वस्तुतः जागे हुए] युवती और युवक एक दूसरे के द्वारा पकड़े हुए कण्ठों को नहीं छोड़ रहे हैं ॥३५९॥

टि०—रात समाप्त हो जाने पर और प्रातःकालीन पवन चलने पर प्रेमियों का निद्राभङ्ग होना चाहिए । यहाँ वह नहीं हो रहा है अर्थात् निद्राभङ्ग की कारणभूत हवाओं के होते हुए भी निद्राभङ्ग रूप कार्य नहीं हो रहा है ।

यहाँ पर प्रकरणानुकूल कण्ठग्रहण को न छोड़ना—यह अनुरागादि का कारण व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है ।

टि०—विशेषोक्ति और विभावना इन दोनों अलङ्कारों में एक कारण प्रसिद्ध होता है और दूसरा अप्रसिद्ध । प्रसिद्ध कारण के अभाव में ही यह दोनों अलङ्कार सिद्ध होते हैं और कार्य की पूर्ति अप्रसिद्ध कारण के द्वारा हो जाती है । अप्रसिद्ध कारण को ही अलौकिक (काल्पनिक) कारण का नाम दिया जाता है ।

हानेः कल्पनया साम्यदाढ्र्यं विशेषोक्तिमाहुः । यथा—

निहतातुलतिमिरभरः स्फारस्फुरदुरुतरप्रभाप्रसरः ।
शं वो दिनकृद् दिश्यादतैलपूरो जगद्दीपः ॥

यथा वा—

वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः ।
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥

अथ विभावना—

कारणप्रतिषेधेन कार्योत्पत्तिरिति विभावनालक्षणम् ॥ २३८ ॥

यहाँ दिए गए इस उदाहरण में निद्राभङ्ग न होने का वास्तविक कारण अनुरागातिशय है । रात्रि की समाप्ति और प्रातःकाल की पवन का चलना निद्राभङ्ग के ये प्रसिद्ध कारण हैं । इन दोनों के होते हुए भी कार्य के न होने से यहाँ विशेषोक्ति बन गई हैं, परन्तु यहाँ वस्तुतः अप्रसिद्ध (काल्पनिक) कारण अनुरागातिशय कार्य की सिद्धि कर रहा है । इसलिए यहाँ विरोध के लिए अवकाश नहीं है ।

दूसरे वामन जैसे विद्वान् तो [काव्यालङ्कारसूत्र ४,३,२३] एक गुण की हानि की कल्पना से दूसरे समान गुण की दृढ प्रतीति जहाँ होती है उसे विशेषोक्ति कहते हैं ।

जैसे—

अपरिमित अन्धकार समूह को नष्ट करने वाले तथा फैली हुई और चमकीली बहुत बड़ी दीप्ति का प्रसार करने वाले और तैलराशि के बिना ही [जलते हुए] रहने वाले सारे संसार के दीपक सूर्य भगवान् आपका कल्याण करें ।

टि०—यहाँ सूर्य में तैलराशि का अभाव होने की कल्पना करके दीपक के समान उसमें प्रकाशप्रदान रूप प्रबल समान गुण बताया है ।

अथवा जैसे—

जिस [हिमालय] में गुफाओं के [बने हुए] घरों के भीतर अपनी किरणों का सम्पर्क करने वाली [अर्थात् प्रकाशपूर्ण बनाने वाली] औषधियाँ [जड़ी बूटियाँ] अपनी पत्नियों के साथ रहने वाले वनवासियों के लिए बिना भरे हुए तेल वाले रतिकाल में [काम आने वाले] दीपक बन जाते हैं ।

टि०—यहाँ औषधियों में तेल न होने रूप एक गुण की हानि की कल्पना की गई है फिर दीपक के समान प्रकाश प्रदान करते रूप प्रबल समान गुण की प्रतीति हो रही है । इस प्रकार एक गुण की न्यूनता की कल्पना करने पर शेष गुणों में जो साम्य होता है, उसका दृढ होना ही विशेषोक्ति अलङ्कार का लक्षण बताया गया है ।

इसके बाद २०. विभावना [का लक्षण] है—

कारण के निषेध से कार्य की उत्पत्ति होना विभावना का लक्षण है ॥२३८॥

अत्राप्यलौकिकं कारणमादाय नानुपपत्तिरिति ध्येयम् ।

यथा—

अस्पृशन्नपि निकृन्तति मूलं
नोद्यतोऽपि निपतत्यनुचैलम् ।
केन हन्त कवितातरुहत्यै
निर्मितोऽयमविनीतकुठारः ?॥३६०॥

अत्र कारणं खलस्वभावादिकं व्यङ्ग्यम् ।

अथार्थान्तरन्यासः—

सामान्यविशेषयोः सामर्थ्यसमर्थकभावो यत्र स[1] अर्थान्तरन्यास इति लक्षणम् ॥ २३९ ॥

स चोभयथा सम्पद्यते, सामान्यं विशेषेण समर्थ्यते विशेषो वा

यहाँ भी अलौकिक [काल्पनिक] कारण को लेकर कार्य की उत्पत्ति होती है। इस रूप में मानने से [विभावना होने में] किसी प्रकार की असङ्गति नहीं है यह समझ लेना चाहिए ।

टि०—विशेषोक्ति की भाँति विभावना में प्रसिद्ध कारण का अभाव होने पर कार्योत्पत्ति असम्भव प्रतीत होती है परन्तु अप्रसिद्ध कारण की कल्पना से यह सिद्ध हो जाती है ।

जैसे—

स्पर्श न करता हुआ भी जड़ को काटता है और ऊपर की ओर न उठाया हुआ भी पत्तों रूपी वस्त्रों पर गिरता है। कविता रूपी वृक्ष का नाश करने के लिए किसने यह उद्दण्ड कुल्हाड़ा बनाया है ? ॥३६०॥

यहाँ पर परदोषदर्शनदक्षता रूप दुष्टस्वभाव तथा परनिन्दादि रूप [अलौकिक] कारण [काव्यतरु को काटने वाला बनकर] व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है।

टि०—वृक्षों के समूलोच्छेदन के कार्य में कुठार का स्पर्श और इसका उठाया जाना कारण बनता है। किन्तु यहाँ इस कारण के विना ही काव्यतरु की हत्या रूप कार्य हो रहा है। इस कार्य की सङ्गति व्यङ्ग्य खलस्वभावादि अलौकिक कारण से की जा रही है ।

इसके बाद २१. अर्थान्तरन्यास [का लक्षण] है—

जिसमें सामान्य और विशेष के भीतर समर्थनीय और समर्थक का सम्बन्ध पाया जाय वह अर्थान्तरन्यास होता है, यह इसका लक्षण है ॥२३९॥

यह अलङ्कार दो प्रकार से निष्पन्न होता है—१. सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाय अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन हो। दृष्टान्त में सामान्य

---

१. अ त; स ज में नहीं

सामान्येन समर्थ्यंते ।[1] दृष्टान्ते च सामान्यं सामान्येन विशेषो विशेषेण समर्थ्यंत इति नातिव्याप्तिशङ्कापि[2] ।

तत्र साधर्म्येण यथा—

प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ
विफलत्वमेति बहुसाधनता ।
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभू—
न्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥ ३६१ ॥

द्वितीयो यथा—

प्रियेण सङ्ग्रथ्य विपक्षसन्निधा—
वुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने ।
स्रजं न काचिद् विजहौ जलाविलां
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥ ३६२ ॥

का सामान्य से और विशेष का विशेष से समर्थन किया जाता है । इस कारण वहाँ इस लक्षण की अतिव्याप्ति की शङ्का भी नहीं है ।

टि०—पहले दिखाये गये दृष्टान्त के 'त्वयि दृष्ट एव निर्वाति' इत्यादि (पृ० ४५५) उदाहरण में दो विशेष वाक्यार्थ हैं । उसी प्रकरण में यह बताया गया है कि दृष्टान्त में विशेषों के होने से इसकी अर्थान्तरन्यास में अतिव्याप्ति नहीं हुआ करती । आगे अर्थान्तरन्यास के चार प्रकार बताये गये हैं । क्योंकि सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य से यह समर्थन साधर्म्य और वैधर्म्य के कारण किया जाता है ।

इनमें साधर्म्य के कारण [सामान्य का विशेष से समर्थन का] उदाहरण—देव [अथवा चन्द्रमा] के प्रतिकूल होने पर बहुत सारे साधनों [अथवा किरणों] से सम्पन्न हो जाना निष्फलता को प्राप्त होता है । अस्ताचल को प्राप्त करने वाले सूर्य की हजारों रश्मियाँ भी उसका सहारा न बन सकीं ॥३६१॥

टि०—यहाँ पूर्वार्ध में कही गई सामान्य उक्ति का उत्तरार्द्ध में रखी गई विशेष उक्ति के द्वारा समर्थन किया गया है । साहित्यदर्पण में इस श्लोक को वर्ण-श्लेष (सा० १०,१२) के उदाहरण में दिया गया है क्योंकि यहाँ विधि और कर शब्द में शब्दश्लेष है ।

दूसरा [साधर्म्य के कारण विशेष का सामान्य से समर्थन का उदाहरण] जैसे—

सौतिन की उपस्थिति में भी प्रिय के द्वारा गूंथकर पीनस्तनों वाले वक्षःस्थल पर पहिनाई हुई जल से गीली पुष्पमाला का उस रमणी ने परित्याग

---

१. ज अ; समर्थ्यंते त में नहीं
२. ज अ; दृष्टान्ते तु विशेषस्तुल्यरूपतयेति नातिव्याप्तिशङ्कापि त

यथा वा—

चन्दनतरु र्भुजङ्गैः सिंहीतनयेन न पीड्यते चेन्दुः ।
तदलं वृथा विषादैः प्रायो मलिनैः कदर्थ्यते सुजनः ।। ३६३ ।।

अथ वैधर्म्येण यथा—

अभिसारिकाभिरभिहतनिविडतमा निन्द्यते सितांशुरपि ।
अनुकूलतया हि नृणां सकलं स्फुटमभिमती[1] भवति ।। ३६४ ।।

नहीं किया क्योंकि प्रेम में गुण होते हैं वस्तु में नहीं ।।३६२।।

टि०—यहाँ प्रथम तीन पङ्क्तियों में कहे गये विशेष वाक्यार्थ का चतुर्थ पङ्क्ति में कहे गये सामान्य वाक्य के द्वारा समर्थन किया गया है काव्यालङ्कारसूत्र (४,३२१) में भी यह अर्थान्तिरन्यास के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। जलाविल होने के कारण माला वास्तव में छोड़ने के योग्य है । परन्तु क्योंकि यह माला प्रियतम के प्रेम की प्रतीक है इसलिए नायिका उसे नहीं छोड़ रही है। यह सार्वभौमिक सिद्धान्त है कि कोई वस्तु अपने वस्तु रूप में महत्त्व नहीं रखती है, महत्त्व केवल उसके साथ जुड़ी हुई भावना का होता है ।

यह उदाहरण काव्यालङ्कारसूत्र [४,३,२१] में भी दिया हुआ है। अथवा [इसी का और उदाहरण] जैसे—

क्या साँपों के द्वारा चन्दन के पेड़ को और राहु के द्वारा चन्द्रमा को दुःख नहीं दिया जाता। तो व्यर्थ शोक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः मलिन [हृदय वाले] व्यक्तियों से सज्जन व्यक्ति को पीड़ा पहुँचाई ही जाती है ।।३६३।।

टि०—यहाँ पर भी साधर्म्य के कारण दो विशेषों का सामान्य के द्वारा समर्थन किया गया है।

इसके बाद वैधर्म्य के कारण [विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन का उदाहरण] जैसे—.

गहन अन्धकार का नाश करने वाला चन्द्रमा भी अभिसारिकाओं [सङ्केत स्थान पर प्रिय से मिलने के लिए उत्कण्ठित नायिकाओं] के द्वारा निन्दित किया जाता है। क्योंकि अनुकूल अर्थात् प्रेमी के अविरुद्ध होकर आई हुई सब वस्तुयें मनुष्यों के लिए प्रिय हुआ करती हैं ।।३६४।।

टि०—पूर्वार्ध वाक्य में प्रेममार्ग में बाधक होने के कारण चन्द्रमा की निन्दा होती है, यह बात कही है और उत्तरार्ध में जो इस मार्ग में साधक होता है उसे प्रिय बताया है। इस कारण दोनों वाक्यों में वैधर्म्य है। पहले विशेष वाक्यार्थ का सामान्य उत्तर वाक्यार्थ के द्वारा समर्थन है ।

---

१. काव्यालङ्कारानुसार संशोधित; अभिमुखीभवति ज अ त

यथा च—

हृदयेन निर्वृतानां भवति नृणां सकलमेव निर्वृतये ।
इन्दुरपि तथा हि मनः खेदयतितरां प्रियाविरहे ।। ३६५ ।।

अथ यथासङ्ख्यम्—

निर्दिश्यन्ते यस्मिन्नर्था विविधा यथैव परिपाट्या ।
पुनरपि तत्प्रतिबद्धास्तथैव तत्स्याद् यथासङ्ख्यम् ।। २४० ।।

परिपाटी कवेः क्रमविवक्षा ।

यद्यपि—

कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं
मनुजपशुभि निर्मर्यादैर्भवद्भिरुदायुधैः ।
नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीटिना—
मयमहमसृङ्मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम् ।।

और वैधर्म्य के कारण [सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन का उदाहरण] जैसे—

हृदय से प्रसन्न रहने वाले व्यक्तियों के लिए सभी वस्तुयें आनन्द के लिए होती हैं क्योंकि अपनी प्रेमिका के वियोग में चन्द्रमा भी मन को बहुत अधिक बेचैन बना देता है ।।३६५।।

टि०—यहाँ श्लोक के पूर्वार्द्ध के वाक्य में प्रसन्न हृदय वाले को सुखी बताया है और उत्तरार्ध के वाक्य में प्रियाविरह में चन्द्रमा भी दुःख देता है यह बात बताई है । इन दोनों वाक्यों में विपरीत धर्म है । यहाँ पूर्वार्ध के सामान्य वाक्यार्थ का उत्तरार्ध के विशेष वाक्यार्थ से समर्थन किया गया है ।

इसके बाद २२. यथासङ्ख्य [का लक्षण है]—

कवि के द्वारा विवक्षित जिस अलङ्कार में अनेक [पदों के] अर्थ, जिस क्रम से निर्दिष्ट किए गए हों, उसी क्रम से उन २ पदार्थों से बँधे हुए पदार्थ प्रयुक्त हों तो यथासङ्ख्य अलङ्कार होता है ।।२४०।।

परिपाटी शब्द का अर्थ है—कवि की क्रम को कहने की इच्छा ।

टि०—काव्यप्रकाश (१०,१०८) में यथासङ्ख्य को इस प्रकार बताया है—यथासङ्ख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः—क्रम से कहे गये पदार्थों का उसी क्रम से (दूसरे पदार्थों के साथ) सम्बन्ध करने पर यथासङ्ख्य होता है । ग्रन्थकार के बताये हुए इस लक्षण में भी इस बात पर बल है कि जिस क्रम से पहले जिन २ पदार्थों का उल्लेख किया हो उसी क्रम से दूसरे सम्बद्ध पदार्थों की इसमें स्थिति होती है ।

हाथ में शस्त्र लिये हुए [निःशस्त्र पर हथियार नहीं उठाना चाहिए इस युद्धनियम का पालन न करने के कारण] मर्यादाहीन मनुष्य के रूप में पशुभूत जिन आप लोगों ने [आचार्य द्रोण का शिरश्छेदन रूप] यह महानुपाप किया

इत्यादौ भग्नप्रक्रमदोषत्वाभिधानात्तदभावरूपस्यास्य नालङ्कारत्वमर्हति तथाप्येकत्र तथाविधनानाक्रमाभिधाने किमपि वैचित्र्यमित्यलङ्कारत्वेनोक्तमिति ध्येयम्। यथा—

किं छत्रं किन्नु रत्नं तिलकमुत तथा कुण्डलं कौस्तुभो वा
चक्रं वा वारिजं चेत्यमरयुवतिभि र्यद् बलिद्वेषि देहे।

है अथवा [जिन कृष्ण आदि ने इसका] अनुमोदन किया है, अथवा [भीम, अर्जुन आदि जिन्होंने रोकने का यत्न न करके खड़े खड़े प्रसन्नतापूर्वक इस पाप को] देखा है, नरकासुर के शत्रु कृष्ण, भीम तथा अर्जुन के सहित उन [धृष्टद्युम्न आदि] के रक्त, चर्बी और मांस से यह मैं दिशाओं को बलि चढ़ाता हूँ।

टि०—वेणीसंहार के इस श्लोक में अपने पिता द्रोणाचार्य के अनुचित रूप से मारे जाने के समाचार को सुनकर उनका पुत्र अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर अपने उद्गार प्रकट कर रहा है।

यद्यपि 'कृतमनुमतम्' इत्यादि श्लोक में भग्नप्रक्रम दोष के कहने से यह अलङ्कार भग्नप्रक्रम दोष का अभावरूपात्मक ही होता है, इस कारण तदभावरूप होने के कारण इसे अलङ्कार नहीं मानना चाहिए फिर भी एक स्थान पर वैसे अनेक क्रमों के [कृतम्, अनुमतं, और दृष्टम् इस रूप में] कहने से कुछ विचित्रता आ जाती है। इस कारण ऐसे उदाहरणों को भी [यथासङ्ख्य] अलङ्कार कह दिया जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिए।

टि०—'कृतमनुमतम्' इत्यादि इस श्लोक में भग्नप्रक्रम दोष है। येन रूपेणोपक्रमस्तेनैवोपसंहारः—जिस ढग से प्रारम्भ हो उसी ढंग से समाप्ति हो—इस नियम को तोड़कर यदि पहले प्राप्त क्रम को तोड़ दिया जाता है तो भग्नप्रक्रमदोष होता है। यहाँ कृतम्, अनुमतं और दृष्टम् इन तीनों पदों का प्रयोग कर्मवाच्य में किया गया है, किन्तु अन्त में करोमि का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया गया है। इस प्रकार यहाँ कर्मवाच्य के प्रयोग का जो क्रम चला था वह टूट गया है। इस प्रकार के क्रमभङ्ग के अभाव में यह अलङ्कार वनता है। फलतः दोषाभाव रूप होने से इसे अलङ्कार नहीं कहा जा सकता—यह शङ्का यहाँ उठाई गई है। इसका समाधान इस प्रकार किया गया है—यह तो ठीक है कि यथासङ्ख्य में इस प्रकार के क्रम का उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए किन्तु कृतम्, अनुमतं, दृष्टम् के साथ मनुजपशुभिः, निर्मर्यादैः तथा उदायुधैः का जो क्रमिक अन्वय हो रहा है, उससे एक प्रकार का यहाँ वैचित्र्य (चमत्कार) उत्पन्न हो रहा है। अतएव यहाँ यथासङ्ख्य अलङ्कार मान लेना चाहिए। यह अलङ्कारता क्रमों के नानात्व में ही आती है, केवल एक वार के क्रम में नहीं।

[यथासङ्ख्य का उदाहरण] जैसे—

क्या यह छत्र है? अथवा क्या रत्न है? अथवा तिलक है, या कुण्डल

ऊर्ध्वं मौलौ ललाटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च दृष्टं
पायात्तद् वोऽर्कविम्वं स च दनुजरिपु र्वर्द्धमानः क्रमेण ॥ ३६६ ॥

अथ विरोधाभासः—

पार्यन्तिकाविरोधे सति पुरःस्फूर्तिकविरोधप्रतीतिविषयत्वं विरोधाभासत्वम् ॥२४१॥

यथा—

न पक्षवृत्तिः नं सपक्षवृत्ति-
विपक्षवृत्तिः करवालधूमः ।
तथापि ते विक्रमभूमिपाल
प्रतापवह्नेः प्रमितिं करोति ॥ ३६७ ॥

हैं अथवा कौस्तुभ है या यह चक्र है अथवा कमल है इस तरह देवाङ्गनाओं के द्वारा भगवान् कृष्ण के शरीर पर क्रमशः [सिर के] ऊपर, सिर पर, ललाट पर, कानों पर, हृदय पर, हाथों पर और नाभिदेश में देखा गया सूर्यबिम्ब आपकी रक्षा करे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए वे भगवान् कृष्ण भी आपकी रक्षा करें ॥३६६॥

टि०—वामनावतारधारी कृष्ण भगवान् ने जब अपने वामन रूप को बड़ा करना प्रारम्भ किया तो उस समय सूर्य के सामने सबसे पहले आया हुआ सिर प्रकाशित हुआ। उसके बाद क्रमशः नीचे २ के अङ्ग प्रकाशित होते चले गये यही प्रसङ्ग पद्य में वर्णित किया गया है। कृष्ण भगवान् के विभिन्न अङ्गों में प्रतिबिम्बित सूर्य अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। यह सूर्य क्रमशः कृष्ण के सिर के ऊपर राजच्छत्र, सिर पर शिरोमणि (मुकुट का रत्न), ललाट पर तिलक, कान में कुण्डल, वक्षः स्थल पर कौस्तुभमणि, हाथ में चक्र और नाभिदेश में कमल प्रतीत हो रहा है।

इसके बाद २३. विरोधाभास [का लक्षण] है—

पर्यवसान [अन्त] में विरोध के न होने पर पहले [आपाततः] स्फुरित होने वाले विरोध की प्रतीति का विषय होना विरोधाभास कहलाता है ॥२४१॥

टि०—आपाततः विरोध की प्रतीति हो और बाद में उस विरोध का परिहार होने से विरोध की प्रतीति होना बन्द हो जाती है तो यह विरोधाभास होता है।

जैसे—

हे राजा विक्रम ! आपका खड्ग रूपी धूआँ न पक्ष में रहता है, न सपक्ष में रहता है किन्तु विपक्ष में रहता है। फिर भी वह तुम्हारी प्रताप रूपी अग्नि का अनुमान करा देता है ॥३६७॥

टि०—न्यायशास्त्र में यह प्रसिद्ध है कि वह्नि लिङ्गी का अनुमान कराने वाला धूम लिङ्ग पर्वत पक्ष में रहता है, सपक्ष महानस में भी रहता है और विपक्ष

केचित्तु—

यस्मिन् द्रव्यादीनां परस्परं सर्वथा विरुद्धानाम् ।
एकत्रावस्थानं भवति समकालं स विरोधः ।।

ननु विरुद्धयोः कथमेकत्रावस्थानमिति चेदुच्यते कविप्रौढोक्त्यैव तत्सम्भवात् ।[1] अस्य सजातीयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वारः भेदास्तन्नामानः । पञ्च त्वन्ये तदन्येषाम् । अस्यार्थः—अस्य विरोधस्य सजातीयानां विरोधे सति चत्वारो भेदाः । यथा—द्रव्यविरोधो गुणविरोधः क्रियाविरोधो जातिविरोधः । अतएव तन्नामानः । तथा तेभ्यः सजातीयेभ्यो अन्येषां

सागर आदि में नहीं रहता है । इस प्रकार धूमज्ञान ही वह्नि का अनुमान कराता है परन्तु यहाँ प्रताप रूपी वह्नि का अनुमान कराने वाला खड्ग रूपी धूँआ उल्टे धर्मों वाला बताया है ।

इस कारण आपाततः विरोध प्रतीत होता है परन्तु पर्यवसान में तुम्हारा खड्ग अपने पक्ष के लोगों पर नहीं पड़ता और मित्र राजाओं के ऊपर भी नहीं गिरता और केवल शत्रुओं पर गिरकर ही उनका विनाश करता है । इस प्रकार की प्रतीति हो जाने पर इस विरोध का ही परिहार हो जाता है ।

कुछ [रुद्रट जैसे] आचार्य तो—

जिसमें एक दूसरे के पूर्णतया विरोधी द्रव्यादि [अर्थात् द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति] की एककालावच्छेद से एक ही जगह स्थिति बताई जाती है वह विरोध होता है ।

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (९,३०) में यह लक्षण दिया हुआ है । ग्रन्थकार ने यहाँ उनका मत दिखला भर दिया है, किन्तु इस पर अपना विचार प्रकट नहीं किया है ।

[पूर्वपक्षी की ओर से] दो विरोधी पदार्थों की एक ही स्थान पर [एक समय में] कैसे स्थिति हो सकती है ? यदि ऐसी शङ्का की जाये तो इसका उत्तर यह है—कविप्रौढोक्ति [कवि की कल्पना भरी उक्ति] ही से यह बात सम्भव है [वस्तुतः लोक में ऐसा नहीं हो सकता किन्तु कवियों के वचनों में यह सम्भव है] । सजातीयों के भीतर बताये गये इस अलङ्कार के चार भेद [पहले] उन्हीं के नाम पर हो जाते हैं । दूसरे पाँच भेद इन सजातीयों से अतिरिक्त विजातीयों के हो जाते हैं । इसका अर्थ यह है—सजातीयों के साथ विरोध होने पर इस विरोधालङ्कार के चार भेद हो जाते हैं । जैसे—द्रव्यविरोध, गुणविरोध, क्रियाविरोध और जातिविरोध । इसी लिए द्रव्यविरोध आदि नाम वाले हैं ।

टि०—द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोध होने पर एक भेद, गुण का गुण के

---

१. त; ननु...तत्सम्भवात्‌ज अ में नहीं ।

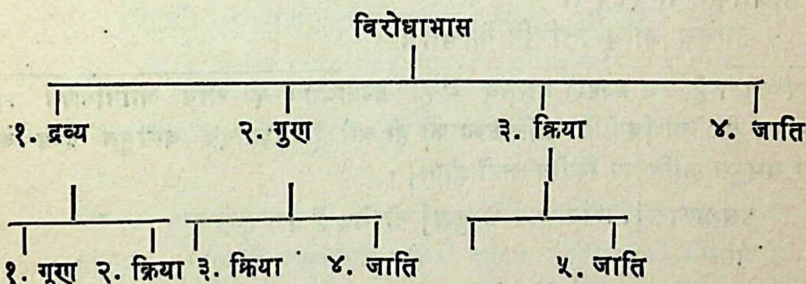
विजातीयानां पुनर्विधीयमानस्य पञ्च भेदाः। यथा—द्रव्यगुणयोः द्रव्य-क्रिययोः तथा गुणक्रिययोः गुणजात्योः क्रियाजात्योश्चेति।

ननु स्याद् द्रव्यजात्योरपि विरोधेन षष्ठो भेदः। न स्यात्, नित्यमेव

साथ विरोध होने पर दूसरा भेद, क्रिया का क्रिया के साथ विरोध होने पर तीसरा भेद और जाति का जाति के साथ विरोध होने पर चौथा भेद हो जाता है।

उन सजातीयों से भिन्न विजातीयों को मिलाकर फिर भेद बनाने से पाँच भेद और बन जाते हैं। जैसे द्रव्य और गुण का, द्रव्य और क्रिया का एवं गुण और क्रिया का, गुण और जाति का तथा क्रिया और जाति का।

टि०—विरोधाभास के यह भेद इस प्रकार दिखाये जा सकते हैं—



१. पहले चार भेद इस प्रकार हैं—
   १. द्रव्य का द्रव्य से विरोध
   २. गुण का गुण से विरोध
   ३. क्रिया का क्रिया से विरोध
   ४. जाति का जाति से विरोध

२. इन भेदों को मिलाकर इनसे और ये पाँच भेद बनते हैं—
   १. द्रव्य का गुण से विरोध
   २. द्रव्य का क्रिया से विरोध
   ३. गुण का क्रिया से विरोध
   ४. गुण का जाति से विरोध
   ५. क्रिया का जाति से विरोध

इस प्रकार ये ४+५=९ भेद हो जाते हैं।

[पूर्वपक्षी की ओर से] शङ्का—द्रव्य और जाति का विरोध होने पर छठा भेद होना चाहिए।

[सिद्धान्ती—यह भेद] नहीं होगा, क्योंकि सदा ही जाति द्रव्य के आश्रित

---

१. ज अ, तथा त में नहीं।

द्रव्याश्रितत्वाज्जातेः । वस्तुतस्तु स्यादेव द्रव्यविशेषेण जातिविशेषस्या विरोधः । एवं नव ।

यथा—

स्फारेन्द्रनीलनीलेऽस्मिन् विशाले भूपमन्दिरे ।
जानीमः सख्यमापन्नस्तेजसा तमसां चयः ॥ ३६८ ॥

अत्र तेजस्तमसो विरुद्धद्रव्ययोरेकत्र राजमन्दिरे अवस्थितिरुक्ता । एवमन्यान्यप्युदाहरणानि लक्षणादनुसन्धेयानि ।

केचित्तु, विरोधनामानमलङ्कारं विरोधाभासाद् भिन्नमाहुः, तन्न तत्रैवान्तर्भावात् ।

अथ स्वभावोक्तिः — तत्तज्जातिनियतावस्थाननिबन्धनधर्मवर्णनं स्वभावोक्तिः ॥ २४२ ॥

इयमेव जात्युक्तिरिति केचित् ।

होकर रहती है, इस कारण वास्तव में ही द्रव्यविशेष के साथ जातिविशेष का अविरोध ही होगा [क्योंकि जाति द्रव्य का ही धर्म है। अतएव धर्मीभूत द्रव्य के साथ धर्मभूत जाति का विरोध नहीं होगा]।

इस प्रकार [विरोधाभास के कुल] नौ भेद हैं ।

जैसे—

चमकीली इन्द्रनील मणियों से नीले बने हुए इस विशाल राजमन्दिर में तेज के साथ अन्धकार का समूह मित्रता को प्राप्त हुआ है, ऐसा हम समझते हैं । ।३६८।

इस श्लोक में परस्परविरुद्ध प्रकाश और अन्धकार में राजभवन के भीतर एक ही स्थान पर स्थिति बताई है ।

कुछ विद्वान् तो विरोध नामक अलङ्कार को विरोधाभास से भिन्न कहते हैं । यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसका उसी में अन्तर्भाव हो जाता है ।

टि०—अलङ्कारसर्वस्व में रुय्यक ने विरुद्धाभासत्वं विरोधः कहकर विरोधाभास को ही विरोध का रूप कहा है ।

ग्रन्थकार का कहना है कि विरोध या विरोधाभास एक ही अलङ्कार है क्योंकि इस अलङ्कार में आपाततः विरोध होता है और पर्यवसान में विरोध का परिहार हो जाता है । इस कारण इसे विरोधाभास कहना अधिक सङ्गत है ।

इसके बाद २४. स्वभावोक्ति [का लक्षण] है—

उस उस [मनुष्य जाति में केवल शिशु, एवं पशु-पक्षियों की] जाति में नियत [भीतर रहने वाली] स्थिति के निबन्धन धर्म अर्थात् विशेष धर्म का वर्णन स्वभावोक्ति कहलाता है ॥२४२॥

यही जात्युक्ति नामक अलङ्कार है—ऐसा कुछ विद्वानों का मत है ।

---

१. ज अ; तत्र त ।

सा च क्रियावर्णसंस्थानावस्थाभेदाच्चतुर्धा।

क्रमेण यथा—

कुर्वंन्नःभुग्नपृष्ठोमुखनिकटकटिः कन्धरामातिरश्चीं
लोलेनाहन्यमानस्तुहिनकणमुचा चञ्चता केसरेण।
निद्राकण्डूकषायं कषति निविडितश्रोत्रशुक्तिस्तुरङ्ग-
स्त्वङ्गत्पक्ष्माग्रलग्नप्रतनुबुसकणं कोणमक्ष्णः खुरेण॥ ६३९॥

इयं क्रियास्वभावोक्तिः। वर्णस्वभावोक्तौ यथा—

ये पूर्वं यवसूचिसूत्रसुहृदो ते केतकाग्रच्छद-
च्छायासाम्यभृतो मृणाललतिका लावण्यभाजोऽत्र ये
ये धाराम्बुविडम्बिनः क्षणमथो ये तारहारश्रिय-
स्तेऽमी स्फाटिकदण्डडम्बरजितो जाताः सुधांशोः कराः॥३७०॥

और यह स्वभावोक्ति क्रिया, वर्ण, संस्थान [अवयवसंस्थान] और अवस्था के भेद से चार प्रकार की है। क्रम से [क्रियास्वभावोक्ति का उदाहरण]

जैसे—

पीठ को मोड़े हुए, मुख को कमर तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह गर्दन को टेढ़ी करता हुआ, [रात्रि में बाहर खड़े रहने के कारण उत्पन्न] ओस के कणों को छोड़ने वाले हिलते हुए [अतएव] चञ्चल अपने गर्दन के बालों से [अथवा पूँछ के बालों से शरीर पर] प्रहार करता हुआ, शक्ति के समान सुन्दर कानों को सिकोड़े हुए यह घोड़ा, निद्रा की खुजली वाली, चञ्चल पलकों के अग्रभाग में लगे हुए भूसे के छोटे २ कणों से युक्त, आँख के कोने के अग्रभाग को अपने 'सुम [शफ] से खुजा रहा है॥३६९॥

[यहाँ घोड़े की विभिन्न स्थितियों के विशेष धर्मों का वर्णन होने से] यह क्रियास्वभावोक्ति है।

२. वर्णस्वभावोक्ति में [उदाहरण] जैसे—

जो प्रारम्भ में जौ की पकी हुई लम्बी बालों की नोकों के समूह के समान पीले रङ्ग वाली हैं, जो केतकी के फल की पँखुड़ी के अगले भाग की सफेद कान्ति की समानता को धारण करने वाली और कमलनाल के सौन्दर्य का सेवन करने वाली हैं, जो क्षण भर में धारा रूप में गिरने वाले जल के समान शोभित होती हैं और जो मुक्तामणि के ऊँची किस्म के सफेद हार की शोभा के समान शोभा वाली हैं। ये वे [लोकप्रसिद्ध] चन्द्रकिरणें अब [सफेद होकर] बिल्लौर मणि से निर्मित दण्ड की शोभा को जीतने वाली हो गई हैं॥३७०॥

टि०—यहाँ चन्द्रकिरणों के वर्ण का स्वाभाविक वर्णन होने से वर्ण-स्वभावोक्ति है।

यथा—

पश्योदञ्चदवाञ्चदञ्चितवपुः पश्चार्द्धपूर्वार्द्धभाक्
स्तब्धोत्तानितपृष्ठनिष्ठितमनाग्भुग्नाग्रलाङ्गूलभृत् ।
दंष्ट्राकोटिविसङ्कटास्यकुहरः कुर्वन्सटामुत्कटा-
मुत्कर्णः कुरुते क्रमं करिपतौ क्रूराकृतिः केसरी ।। ३७१ ।।

यथा वा—

उत्कर्णोऽयमकाण्डचण्डिमपटुः स्फारस्फुरत्केसरः
क्रूराकारकरालवक्त्रकुहरः स्तब्धोर्ध्वलाङ्गूलभृत् ।
चित्रेणापि न शक्यते विलिखितुं सर्वाङ्गसङ्कोचभाक् ।
चीत्कुर्वद्गिरिकुञ्जकुञ्जरशिरः कुम्भस्थलस्थो हरिः ।। ३७२।।

इयं संस्थानस्वभावोक्तिः ।

अथावस्थास्वभावोक्तिर्यथा—

अनाकूतैरेव प्रियसहचरीणां शिशुतया
वचोभिः पाञ्चाली मिथुनमधुना सङ्गमयितुम् ।

[३. संस्थानस्वभावोक्ति का उदाहरण] जैसे—

देखो, सिकुड़े हुए अपने शरीर के पिछले आधे भाग को ऊपर की ओर तथा अगले आधे हिस्से को नीचे की ओर झुकाने वाला, निश्चल, ऊपर की ओर उठी हुई तथा पीठ पर टिकी हुई थोड़े से टेढ़े अग्रभाग वाली पूँछ को धारण करने वाला, दाढ़ों के बड़े २ अग्रभागों से घिरे हुए [अतएव भयङ्कर] गुफा के समान मुख वाला जटा [के गर्दन के वालों] को खड़ा करके भयानक बनाता हुआ, कानों को खड़ा करने वाला तथा भयङ्कर आकार वाला यह शेर गजराज के ऊपर प्रहार कर रहा है ॥३७१॥

अथवा [इसी का दूसरा उदाहरण] जैसे—

कानों को ऊपर उठाने वाला, अनवसर में [धारण की हुई] प्रचण्ड क्रूरता में चतुर, फैले हुए और चमकीले केसरों से संवलित, कठोर आकृति से युक्त एवंगु फा के सदृश [विशाल अतएव] भयङ्कर मुख वाला, अकड़ी एवं ऊपर को उठाई हुई पूँछ को धारण करने वाला, सारे अङ्गों की सिकुड़न से युक्त, पहाड़ी कुञ्जों में रहने वाले चिङ्घाड़ते हुए हाथियों के सिर के गण्डस्थलों पर टूट पड़ने वाला शेर चित्र के रूप में अङ्कित नहीं किया जा सकता है [अर्थात् शेर का सच्चा चित्र नहीं बनाया जा सकता] ॥३७२॥

[यहाँ सिंह के अवयवसंस्थान का वर्णन होने से] यह संस्थानस्वभावोक्ति है।

४. इसके बाद अवस्थास्वभावोक्ति [का उदाहरण] जैसे—

स्वयं बच्ची [मुग्धा—भोली और अनुभवहीन] होने के कारण प्यारी सहेलियों की गूढाभिप्राय वाली न जानी गई बातों से पास जाने के लिए प्रेरित

उपादत्ते नो वा विरमति न वा केवलमियं
कपोलौ कल्याणी पुलकमुकुलैर्दन्तुरयति ।। ३७३ ।।

अथ व्याजस्तुतिः—

निन्दामुखेन स्तुतौ पर्यवसानं स्तुतिमुखेन वा निन्दापर्यवसानं व्याजनिन्देति ।। २४३ ।।

क्रमेण यथा—

त्वं तु द्वित्रपदानि गच्छसि महीमुल्लङ्घ्य याति द्विषः
त्वं बाणान् दशपञ्च मुञ्चसि परे शस्त्राण्यशेषाण्यपि ।
ते देवीपतयस्त्वदस्त्रनिहतास्त्वं मानुषीणां पतिः
निन्दा तेषु कथं स्तुतिस्त्वयि कथं तत् सुज्ञ निर्णीयताम् ।। ३७४ ।।

होकर इस समय यह पञ्चालिन सुन्दरी [अपने पति के साथ] न तो मैथुन [सम्भोग] को ग्रहण करती है और न ही पीछे हटती है किन्तु यह सौभाग्यवती अपने दोनों गालों को रोमाञ्च की कलियों से शोभित बना रही है ।।३७३।।

टि०—यहाँ पर नायिका की सम्भोगारम्भ की अवस्था का वर्णन है। इस कारण यह अवस्थास्वभावोक्ति है।

इसके बाद २५. व्याजस्तुति [का लक्षण] है—

निन्दामुख [अर्थात् आरम्भ में निन्दा] से जहाँ स्तुति में समाप्ति हो अथवा स्तुतिमुख [आरम्भ में स्तुति] से निन्दा की परिणति हो वहाँ व्याजस्तुति या व्याजनिन्दा होती है—ऐसा मानते हैं ।।२४३।।

क्रम से [व्याजस्तुति का उदाहरण] जैसे—

हे राजन्, तुम तो दो या तीन कदम चलते हो परन्तु [तुम्हारे] शत्रु [सारी] पृथिवी को लाँघकर [बहुत दूर तक] चले जाते हैं। तुम दस पाँच बाणों को छोड़ते हो परन्तु तुम्हारे शत्रु सारे शस्त्रों को छोड़ देते हैं। तुम्हारे शस्त्रों से मारे हुए शत्रु देवाङ्गनाओं के पति हो जाते हैं और तुम केवल मानवी स्त्रियों के पति हो। हे श्रेष्ठ चतुर ? उन तुम्हारे शत्रुओं की निन्दा कैसे हो सकती है ? इसका निर्णय तुम स्वयं ही करो ।।३७४।।

टि०—यहाँ आपाततः शत्रुओं की प्रशंसा और राजा की निन्दा प्रतीत हो रही है, परन्तु पर्यवसान में राजा की प्रशंसा और शत्रुओं की निन्दा इस रूप में हो रही है—राजा के दो चार कदम रणभूमि में पड़ते ही शत्रु लड़ना छोड़कर युद्धभूमि से भाग कर चले जाते है और उसके दस पाँच बाण छोड़ने पर वे शत्रु सारे शस्त्रों का परित्याग करते हुए डर कर भाग जाते हैं। ये शत्रु मरकर ही देवाङ्गनाओं के पति बन पाते हैं।

यथा वा—

त्वत्तः शूरतरं मन्ये भूपतीन्द्र भवद्रिपुम् ।
शस्त्रास्त्रैस्त्वयि सन्नद्धे समाधत्ते तृणेन यः ॥ ३७५ ॥

इयमेव शत्रूणां व्याजनिन्दा । केचित्तु विशिष्टकर्माकरणात् स्तुत्यर्थं या निन्दा सा व्याजस्तुतिरिति लक्षयन्ति । तत्रेदमुदाहरणम्—

बबन्ध सिन्धुं गिरिचक्रवालैर्बिभेद सप्तैकशरेण तालान् ।
एवंविधं कर्म ततान रामस्त्वया कृतं तन्न मुधैव गर्वः ॥ ३७६ ॥

अथ सहोक्तिः — **वस्तुद्वयक्रिययोस्तुल्यकालयोरेकपदादभिधानं सहोक्तिः ॥ २४४ ॥**

अयं भावः—विशेषणपदानां विशेष्यान्वितस्वार्थबोधकत्वस्यौत्सर्गि-

---

अथवा जैसे—

हे राजेन्द्र ! आपके उस शत्रु को मैं आपकी अपेक्षा अधिक बहादुर मानता हूँ, जो शस्त्रास्त्रों को तुम्हारे लेकर तैयार हो जाने पर तिनके से तुम्हारा समाधान [मुकावला] करता है ॥३७५॥

टि०—यहाँ आपाततः तिनके से मुकावला करने वाले शत्रु की प्रशंसा प्रतीत हो रही है परन्तु पर्यवसान में तिनके को मुख में रखकर अपने प्राण बचाने के लिए वे तुमसे दीनयाचना करते हैं यही निन्दापरक अर्थ प्रतीत होता है ।

यही शत्रुओं की व्याजनिन्दा अर्थात् स्तुति के बहाने से निन्दा है । कुछ विद्वान् तो कोई विशेष [अद्भुत] काम न करने से स्तुति के लिए जो निन्दा है वह व्याजस्तुति कहलाती है, इस प्रकार का लक्षण करते हैं । उनके मत में [व्याजस्तुति का] यह उदाहरण है—

पहाड़ों के समूहों से [सेतुवन्ध करके] समुद्र को बाँध दिया और एक ही बाण से सात तालवृक्षों को बींध दिया—राम ने इस प्रकार के [विशेष अद्भुत और शौर्य भरे] काम को किया था किन्तु तुमने इस प्रकार का वह विशेष कर्म नहीं किया [फिर भी तुम्हें] व्यर्थ ही अपने ऊपर गर्व है ॥३७६॥

टि०—यहाँ पर राजा ने राम की भाँति समुद्र पर सेतुवन्धन तथा एक बाण से ही सात तालवृक्षों का छेदन जैसा अद्भुत काम नहीं किया है । इससे आपाततः निन्दा वाच्य है, किन्तु वह राम की तरह दूसरों की सहायता से कोई कार्य नहीं करता और साथ ही छल से किए गए बालिवध जैसे घृणित कार्य को भी नहीं करता इसलिए वह स्तुत्य है यह अर्थ पर्यवसान में प्रतीत हो रहा है ।

इसके बाद २६. सहोक्ति [अलङ्कार का लक्षण] है—एक ही समय में दो वस्तुओं की क्रिया का एक ही पद से कथन कर देना सहोक्ति है ।२४४॥

इसका यह अभिप्राय है—विशेषण वाले पदों का विशेष्य से सम्बद्ध जो अपने अर्थ का बोधकत्व अर्थात् ज्ञापन [बतला देना] है वह [अपने साथ प्रयुक्त]

कत्वम् । प्रकृते च सहाद्यव्ययपदसमभिव्याहारविशेषसहकारेणापरार्थप्रति-योगिकान्वयप्रतिपादनमिति उभयं प्रतियोगिकस्वार्थान्वयबोधकमिति ।

यत्रैकस्य प्राधान्येनापरस्य गुणीभावेनैकधर्मान्वयित्वं तत्रायमलङ्कार इति पर्यवसितोऽर्थः । तेन चैत्रमैत्रौ सह पचत इत्यत्र नातिप्रसङ्गः । समुच्चये द्वयोरेव प्राधान्यान्न तत्र प्रसङ्गः ।

विशेष्य के प्रति औत्सर्गिक [अर्थात् समर्पित] रहता है ।

टि०—यह एक साधारण सिद्धान्त है कि विशेषण और विशेष्य के सहप्रयोग में विशेष्य के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया का विशेषण के साथ भी सम्बन्ध होता है किन्तु विशेषण उस क्रिया के अर्थ को स्वसम्बद्ध विशेष्य के लिए समर्पित कर देता है । उदाहरणार्थ—'लक्ष्मणेन समं रामः काननं गहनं ययौ' जैसे वाक्यों में 'रामः ययौ' यह अंश विशेष्य है और 'लक्ष्मणेन समं' यह अंश विशेषण के रूप में है यहाँ विशेषणभूत इन पदों का अर्थ विशेष्य से अन्वित होकर उसी में समर्पित हो जाता है, फिर उसकी पृथक् सत्ता नहीं रहती और इस वाक्य का अर्थ केवल राम का गमन न होकर लक्ष्मणसहित राम का गमन हुआ—इस पर्यवसित अर्थ के रूप में समझा जाता है ।

और प्रस्तुत सहोक्ति में [उपर्युक्त यह सिद्धान्त इस रूप में घटित होगा] सह, समम् आदि अव्यय पदों के समभिव्याहार [साथ २ कथन] की विशेष सहायता से अपरार्थप्रतियोगिक अन्वय का प्रतिपादन किया जाता है अर्थात् प्रतियोगी [लक्ष्म-णादि विशेषणके साथ] विशेष्यभूत राम का अन्वय हो जाता है । इसी कारण ये दोनों अर्थात् प्रतियोगिभूत [विशेषणभूत] लक्ष्मण और सम अव्ययपद विशेष्यभूत राम के साथ अन्वय [तात्पर्यवृत्ति से होने वाले सम्बन्ध] के बोधक होते हैं ।

टि०—(कृष्णोऽश्वो धावति) जैसे सामान्य वाक्यों में विशेषण और विशेष्य दोनों का क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है किन्तु सहोक्ति अलङ्कार में विशेषण के साथ प्रयुक्त सह, समम् आदि अव्यय पद भी विशेष्य में उसी रूप में अन्वित होंगे जिस रूप में सामान्य सिद्धान्त में बताया गया है । सारांश यह है कि जिस प्रकार विशेषण का विशेष्य के प्रति समर्पकत्व है उसी प्रकार सह, समम् आदि अव्ययपदों का भी विशेष्य के साथ समर्पकत्व होता है ।

जहाँ एक की प्रधानता और दूसरे के गुणीभाव से एक [गुण या क्रिया रूप] धर्म के साथ अन्वय होता है, वहाँ पर यह अलङ्कार होता है । इस कारण [चैत्र और मैत्र साथ-साथ पकाते हैं इस अर्थ को बताने वाले] 'चैत्रमैत्रौ सह पचतः' में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है ।

टि०—क्योंकि इस अलङ्कार में प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का प्रयोग होता है—एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य—इस कारण 'चैत्रमैत्रौ सह पचतः

यथा—

सह दिअसनिसाहिं दीहरा सासदण्डा
सह मणिवलएहिं वाप्पधारा गलन्ति ।
तुह सुहअ विओए तीअ उव्विग्गिरीए
सह अ तणु लदाए दुब्बला जीविदासा ।। ३७७ ।।

यथा वा—

अस्तं भास्वान् प्रयातः सह रिपुभिरयं संह्रियन्तां बलानि ।। ३७८ ।।

जैसे वाक्यों से सहोक्ति की रचना नहीं हो सकती। क्योंकि इनमें विशेष्यविशेषण-भाव न होकर चार्थे द्वन्द्वः से पृथक् २ दो के अर्थ में समास हुआ है। अतः यहाँ पर सहोक्ति की भाँति विशेषण और विशेष्य में पाया जाने वाला गौणप्रधानभाव भी नहीं है।

और समुच्चय अलङ्कार में भी इस अलङ्कार की अतिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि वहाँ दोनों की ही [समान रूप से] प्रधानता होती है [सहोक्ति का उदाहरण जैसे—

सह दिवसनिशाभि र्दीर्घाः श्वासदण्डाः
सह मणिवलयै र्बाष्पधारा गलन्ति ।
तव सुभग वियोगे तस्या उद्विग्नायाः
सह च तनुलतया दुर्बला जीविताशा ।।

(इति संस्कृतच्छाया)

हे सौभाग्यशाली नायक ! तुम्हारे वियोग में व्याकुल हुई उस [नायिका] के रात और दिन के साथ साथ श्वासदण्ड बढ़ते जा रहे हैं। मणिवलयों के साथ आँसुओं की धारा गिरने लगती है और उसकी कोमल देहलता के साथ जीवन की आशा क्षीण होती जा रही है ।।३७७।।

टि०—यहाँ श्वासदण्डाः आदि जो प्रथमान्त पद हैं उनके प्रधान होने के कारण उनके साथ दीर्घत्वादि गुण का सम्बन्ध प्रधान रूप से हो रहा है और सह दिवसनिशाभिः आदि पद गुणीभूत होकर विशेष्य श्वासों के साथ अन्वित होकर दीर्घाः इस गुण के साथ अन्वित हो रहे हैं। इसी तरह सह मणिवलयैः और सह च तनुलतया का वाष्प धारा और जीविताशा के साथ अन्वय होकर इन दोनों का गलन्ति क्रिया और दुर्बलाः के साथ सम्बन्ध हो जाता है। श्वासों के अतिदीर्घ और प्रचुर होने के कारण 'श्वासदण्डाः' पद का प्रयोग किया गया है। वियोग में दुवली हो जाने के कारण हाथ के कड़े नायिका के हाथों से अपने आप निकलकर गिर जाते हैं। काव्यप्रकाश (१०,४९६) में भी यह श्लोक है।

अथवा जैसे—

शत्रुओं के साथ सूर्य अस्त हो गया है [अर्थात् शत्रु भी समाप्त हो गये हैं और सूर्य भी छिप गया है] सेनाओं को इकट्ठा कर लो ।।३७८।।

अथ विनोक्तिः—

प्रस्तुतस्यान्यसन्निधिप्रयुक्तशोभनाशोभनत्वम् ।। २४५ ।।

यथा—

शातकुम्भमयकुम्भकेतुना वाहिनीश कविना विना कथम् ।
श्रीमुकुन्दनृपतेर्महामतेः कीर्तिनर्तनकला विजृम्भताम् ।। ३७९ ।।

इयं च विना शब्दमन्तरेणापि दृश्यते । यथा—

निरर्थकं जन्मगतं नलिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम् ।
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलेव दृष्टा प्रहृष्टा नलिनी न येन ।।३८०।

अथ परिवृत्तिः—

अर्थविनिमयत्वं लक्षणम् ।।२४६।।

विनिमयश्चार्थयोर्युगपद् दानमादानं च। स चतुर्धा—उत्तमेनोत्तमस्य,

---

टि०—यहाँ पर रिपुभिः सह यह दोनों पद विशेषण हैं और भास्वान् विशेष्य है और या धातु के साथ दोनों का सम्बन्ध है।

इसके बाद २७. विनोक्ति का [लक्षण] है—दूसरे के सम्बन्ध से प्रस्तुत की शोभा का होना अथवा शोभा का न होना विनोक्ति है ।।२३९।।

जैसे—

हे सेनापति ! सुवर्ण से बने हुए कलश के चिह्न वाले अर्थात् सोने के कलश को अपने प्रयोग में लाने वाले [अतएव समृद्ध] कवि के विना परम बुद्धिमान् राजा की कीर्ति [रूपी नर्तकी] की नृत्यकला कैसे बढ़े ? ।।३७९।।

टि०—यहाँ समृद्ध कवियों से राजा की शोभा होती है यह अर्थ बताया गया है। राजा को यदि अपना यश फैलाना हो तो उसे अपने आश्रित कवियों को मुक्तहस्त होकर दान देना चाहिए।

यह विनोक्ति अलङ्कार 'विना' इस शब्द के प्रयोग के अभाव में भी दिखाई पड़ता है। जैसे—

[उस] कमलिनी का जन्म व्यर्थ ही गया—जिसने शीतल किरणों वाले चन्द्रबिम्ब को नहीं देखा और उस चन्द्रमा की उत्पत्ति भी निष्फल ही हुई, जिसने प्रफुल्लित कमलिनी के दर्शन नहीं किये ।।३८०।।

टि०—यद्यपि यहाँ विना शब्द नहीं है तथापि इसमें विना का अर्थ निरर्थकता बतलाने से प्रकट हो रहा है। एक दूसरे के विना दोनों की व्यर्थता के प्रतिपादन से विशेष चमत्कार हुआ है।

इसके बाद २८. परिवृत्ति [अलङ्कार का लक्षण] है—

एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदल लेना परिवृत्ति का लक्षण है ।।२४६।। और वस्तुओं का यह बदलना इकट्ठे ही एक बार [एक ही समय] में दे देना या ले लेना होता है तथा यह परिवर्तन चार प्रकार का होती है—१. उत्तम से उत्तम

न्यूनेन न्यूनस्य, उत्तमेन न्यूनस्य न्यूनेनोत्तमस्येति। यथाक्रममुदाहरणानि।
यथा—

आदाय कर्णकिसलयमियमस्मै चरणमरुणमर्पयति।
उभयोः दृशविनिमयादन्योऽन्यमवञ्चितं मन्ये॥ ३८१॥

यथा वा—

अनेन सर्वार्थिकृतार्थता कृता हृतार्थिनौ कामगवीसुरद्रुमौ।
मिथः पयःसेचनपल्लवाशने प्रदाय दानव्यसनं समाप्नुतः॥३८२

को बदलना, २. घटिया से घटिया वस्तु को बदलना, ३. उत्तम से घटिया को बदलना और ४. घटिया से उत्तम [बढ़िया] वस्तु को बदलना।

क्रमशः इनके उदाहरण दिये जाते हैं।

[१. उत्तम से उत्तमवस्तु के बदलने काउदाहरण] जैसे—

यह नायिका कान [को सजाने के लिए नायक द्वारा प्रदत्त] नये कोमल पत्ते को लेकर इस नायक के लिए अपने लाल चरण [के प्रहार] को प्रदान करती है। दोनों ही सदृश [लाल और कोमल गुणोपेत] वस्तुओं के एक दूसरे से बदल लेने से दोनों को ही न ठगा हुआ [अर्थात् लाभान्वित] समझता हूँ॥३८१॥

टि०—कोई नायक अपनी प्रेमिका के कान को सजाने के लिये उस पर नये कोमल पत्ते को रख रहा है। इससे प्रसन्न होकर नायिका ने अपना चरण स्पर्शसुख को प्राप्त करने के लिए नायक के किसी अङ्ग से छुआ दिया है अथवा नायिका के न चाहते हुए भी नायक जब उसके कान में जबर्दस्ती नवकिसलय को खोंसता है तो नायिका क्रुद्ध होकर उसके ऊपर चरणप्रहार करती है। यहाँ नायिका को उत्तम कर्णकिसलय की प्राप्ति हुई है। उसके बदले में नायक को उत्तम चरण अथवा चरणप्रहार की उपलब्धि हुई है।

अथवा [और उदाहरण] जैसे—

इस राजा ने सारे याचकों के [सारे] मनोरथों को पूरा कर दिया है। कामधेनु और कल्पवृक्ष—दोनों की सारी सम्पत्ति हर ली है। ये दोनों दूध की धारा के [कल्पवृक्ष को] सींचने और [कल्पवृक्ष के पल्लवों अर्थात्] नये पत्तों के भक्षण को एक दूसरे को देकर अपने दान के शौक को प्राप्त करते हैं [अर्थात् अपना शौक पूरा करते हैं]॥३८२॥

टि०—राजा ने कामधेनु और कल्पवृक्ष की सारी सम्पत्ति ले ली है और उसको याचकों में बाँट कर उनकी सारी इच्छायें पूरी कर दी हैं। याचकों को देने के लिये तो कामधेनु और कल्पवृक्ष के पास कुछ नहीं बचा, परन्तु वह एक दूसरे को ही अपनी वस्तु प्रदान करते हैं। गाय तो अपने दूध से कल्पवृक्ष को सींच देती है और कल्पवृक्ष उसके बदले में उसे अपने पत्ते चबाने के लिए देता है।

एवमन्यान्यप्युदाहरणान्यनुसर्त्तव्यानि ।

अथ भाविकम्—

अवर्तमानस्याप्यर्थस्य वर्णनावशात्साक्षादिव क्रियमाणत्वं तत्त्वम् ॥२४७॥

यथा—

अनातपत्रोऽप्ययमत्र लक्ष्यते सितातपत्रैरिव सर्वतो वृतः ।
अचामरोऽप्येष सदैव वीज्यते मनोज्ञबालव्यजनेन कोऽप्ययम् ॥३८३॥

केचित्तु अतिगूढस्य वस्तुनो भावोक्तिर्भाविकम् ।

यथा—

मनोहारिणी वागुरा सकलनेत्रमीनामृतं
प्रयाति पुलिने हरिस्तरणीकन्यकाया इति ।
कयापि गदिते सति व्रजपथान्तराले भव-
न्मुहुः सखि सखि प्रिय चल चलेति कोलाहलः[1] ॥ ३८४ ॥

इसी प्रकार दूसरे उदाहरणों को खोज लेना चाहिए ।

इसके बाद २६. भाविक [का लक्षण] है—

वर्तमान काल से असम्बद्ध [भूत और भविष्यत्काल की] घटना को वर्णन द्वारा साक्षात् [वर्तमान काल की घटना जैसा प्रत्यक्ष] बना देना भाविक अलङ्कार का लक्षण है ॥२४७॥

जैसे—

[आसन्नभविष्य में राजा बनने वाला] यह राजकुमार राजछत्र से विहीन होता हुआ भी श्वेत छत्रों से चारों ओर से घिरा सा दिखाई पड़ता है और चामर-रहित होता हुआ भी यह अद्भुत कुमार सुन्दर छोटे पंखे की हवा से सदा ही सेवित हो रहा है ॥३८३॥

कुछ आचार्य तो अत्यन्त गुप्तभाव के कथन को भाविक कहते हैं ।

जैसे—

[दूसरों को फँसाने वाला] मन को आकर्षित करने वाला [सुन्दर] जाल बना हुआ सारी नेत्र रूपी मछलियों के लिए अमृत रूप कृष्ण सूर्यपुत्री यमुना के रेतीले तट पर जा रहा है—इस रूप में किसी गोपी के कहने पर हे प्यारी सखी ! हे सखी ! चलो चलो—इस प्रकार के वचनों का शोर होने लगा ॥३८४॥

टि०—यहाँ 'वागुरा' शब्द से कृष्ण जिसको एक बार अपने प्रेम में फँसा लेते हैं वह फिर उनके प्रेमजाल से निकल नहीं सकता—इस गूढार्थ की प्रतीति हो रही है ।

---

१. ज अ केचित्तु...कोलाहलः यह अंश त में नहीं

अथ काव्यलिङ्गम्-

हेत्वभिधानं काव्यलिङ्गमिति ॥२४८॥

अर्थः—अभिधानं व्यञ्जनम्, अतएव पञ्चम्या हेतुत्वप्रतिपादने नायमलङ्कारः। उपात्तस्यैव प्रकरणादिवशाद्धेतुत्वावगमे एव शोभाविशेषानुभवात्, हेतुत्वं च ताटस्थ्येन क्रियानुकूलत्वात्। तच्च पदार्थस्य वाक्यार्थस्य वा। पदार्थस्याप्येकस्यानेकस्य वा।

इसके बाद ३०. काव्यलिङ्ग [का लक्षण] है—

हेतु का कहना काव्यलिङ्ग होता है ॥२४८॥

इसका अर्थ यह है—

अभिधान का अभिप्राय व्यञ्जन [अर्थात् किसी हेतुविशेष का] व्यञ्जना से सूचन होता है। इसीलिए पञ्चमी विभक्ति के द्वारा निष्पन्न हेतु [कारण] के प्रतिपादन करने पर यह अलङ्कार नहीं होता है।

टि०—पञ्चमी विभक्ति के प्रयोग (अस्मात् आदि पदों) से जिस हेतुता (कारणता) का बोध होता है, वही कारणता यदि व्यञ्जना के द्वारा प्रतीत कराई जाय तो यह अलङ्कार होता है। यदि हेतुता वाच्य रूप में होगी तब यह अलङ्कार नहीं होगा पञ्चमी यहाँ तृतीया आदि विभक्तियों की उपलक्षण है।

शब्दप्रतिपाद्य हेतुता [कारणता] की ही यदि प्रकरणादि के कारण [व्यञ्जना से] हेतु के रूप में प्रतीति होती है तो [उस दशाविशेष में ही] विशेष प्रकार की शोभा का अनुभव होता है। तटस्थ रूप से क्रिया के अनुकूल होने का नाम हेतु है।

टि० —काव्यलिङ्ग में पञ्चमी आदि किसी विभक्तिविशेष से प्रतिपाद्य हेतु के अर्थ के साथ सम्बन्ध नहीं होता अपितु एकदम तटस्थ रूप में शब्दों के द्वारा क्रिया के अनुकूल होकर ही व्यञ्जना से हेतु का प्रतिपादन होता है। जितोऽसि मन्दकन्दर्प मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः—काव्यलिङ्ग के इस उदाहरण में मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः—यह हेतु है। यह प्रयोग पञ्चमी से न होकर स्वतन्त्र रूप से व्यञ्जनागम्य होकर हेतु बन रहा है। मच्चित्ते त्रिलोचनवासत्वात् कहने पर यह अलङ्कार नहीं रहेगा।

और यह हेतुत्व या तो पदार्थ का होता है अथवा वाक्यार्थ का [होता] है। पदार्थ की हेतुता कभी एक की होती है [अर्थात् कभी एक पदार्थ एक का हेतु होता है] और कभी अनेक पदार्थों की हेतुता होती है।

टि०—इस प्रकार पदार्थहेतुक काव्यलिङ्ग के दो प्रकार हैं—१. एकपदार्थहेतुक और २. अनेकपदार्थहेतुक। वाक्यार्थहेतुक एक ही प्रकार का है।

क्रमेण यथा—

देशे देशे नगरे नगरे चत्वरे पानगोष्ठ्याम् ।
उन्मत्तेव भ्रमति भवतो[1] वल्लभा देव कीर्तिः ॥ ३८५ ॥

[यथा वा][2]

किं वृत्तान्तैः परगृहगतैः किन्तु नाहं समर्थं—
स्तूष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः ॥ ३८६ ॥

अत्र तूष्णींस्थित्यसामर्थ्ये प्रकृतिमुखरत्वं पदार्थो हेतुः ।

पातकप्रचयवन्मम भूयः पुण्यपुञ्जमपि नाथ लुनीहि ।
काञ्चनी भवतु लौहमयी वा शृङ्खला यदि पदे न विशेषः ।३८७

काव्यलिङ्ग
- १. पदार्थहेतुक
  - १. एकपदार्थहेतुक
  - ३. अनेकपदार्थहेतुक
- २. वाक्यार्थहेतुक

इस प्रकार काव्यलिङ्ग के १. एकपदार्थहेतुक, २. वाक्यार्थहेतुक तथा ३. अनेकपदार्थहेतुक यह तीन भेद हैं ।

क्रम से [दिये उदाहरणों में से पहले पदार्थहेतुक काव्यलिङ्ग का उदाहरण] जैसे—हे राजन् ! प्रत्येक देश और प्रत्येक नगर में तथा चौराहे और मधुशाला में आपकी प्यारी कीर्ति [रूपी नायिका] पगली की तरह घूम रही है । ॥३८५॥

टि०—यहाँ एकपदार्थहेतुक काव्यलिङ्ग है क्योंकि यहाँ कीर्त्ति रूपी नायिका के घूमने में उन्मत्तत्व हेतु है ।

अथवा जैसे—

दूसरों के घरों से सम्बद्ध बातों [को कहने] से क्या लाभ ? परन्तु मैं चुप बैठने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि दक्षिण देशवासियों का स्वभाव सहज रूप से ही वाचाल होता है ॥२८६॥

यहाँ चुप होकर बैठने के असामर्थ्य में प्रकृतिमुखरत्व इस पद का अर्थ कारण है ।

[वाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्ग का उदाहरण]—

हे स्वामी ! पापों के समूह के विनाश की तरह मेरे पुण्यों के समूह का भी समूलोच्छेद कीजिए । यदि पैर में सोने की बेड़ी पड़ी हो अथवा लोहे की बेड़ी पड़ी हो तो इसमें अन्तर नहीं होता [बांधने का काम तो दोनों ही करती हैं] ॥३८७॥

---

१. ज अ; भुवने त
२. संशोधित; ज अ त में नहीं

अत्रोत्तरार्धवाक्यार्थः पुण्यपुञ्जमपीत्यादौ हेतुः ।

रोषात्कुञ्चितपाणिपल्लवतया सेवाञ्जलि र्नो कृत-
स्तद्वैकाङ्गतया च नो नति विस्तारिता शम्भुना ।
नो किञ्चिद् गदितं च मूकपदवीं वक्त्रैकदेशे गते
पार्वत्याः सफलैव मानपदवी पायात् त्रिलोकीतलम् ॥ ३८८ ॥

टि०—यहाँ किसी भक्त की ओर से भगवान् के लिए इस रूप में प्रार्थना की जा रही है कि मुझे शाश्वत मुक्ति तो तभी मिल सकती है जब मेरे सभी तरह के कर्मबन्धन टूट जायें ।

यहाँ पर श्लोक के उत्तर भाग का वाक्यार्थ 'पुण्यपुञ्जमपि' इत्यादि वाक्य में हेतु है ।

क्रोध से [पार्वती के द्वारा अपने] सुन्दर हाथों को समेट लिये जाने के कारण शङ्कर [अनुनय के लिए] पूजा की अञ्जलि नहीं कर सके । और दूसरे उपाय की [मनाने के उपायों में से यह एक ही उपाय है इस रूप में] एकाङ्गता होने से शङ्कर ने [पैरों के ऊपर झुककर] प्रणाम का विस्तार अर्थात् प्रणाम की क्रिया भी नहीं की । मुख के एकदेश अर्थात् बोलने वाले दशन, ओष्ठ और जिह्वा वाले मुख भाग के गूँगे की दशा को प्राप्त होने [अतएव बोलने में असमर्थ हो जाने] के कारण कुछ कहा भी नहीं । [इस प्रकार शङ्कर के मानापनोदन के समस्त उपायों के विफल हो जाने के कारण] सफलता को प्राप्त होने वाली पार्वती के रूठने की प्रक्रिया [मानव्यापार] तीनों लोकों की रक्षा करे ॥३८८॥

टि०—यहाँ मानिनी पार्वती को मनाने के अवसर पर किंकर्त्तव्यविमूढता और विवशता की स्थिति में फँसे हुए भगवान् शङ्कर की स्थिति का वर्णन है । मानवती नायिका को मनाने के कई साधन हैं पर एक भी साधन उनके काम नहीं आ रहा है । रूठी हुई पार्वती को मनाने के लिए पहले वह उनके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेकर उनसे माफी माँगते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं किन्तु पार्वती क्रोध में भरकर अपने दोनों हाथों को सिकोड़ लेती हैं और शङ्कर के हाथों को झटककर फेंक देती हैं । इसके बाद शङ्कर जी का हौसला कम हो जाता है, और वे पार्वती के चरणों में तो गिरना चाहते हैं किन्तु उन्हें इस उपाय की सफलता में सन्देह हो जाता है क्योंकि यदि सिर को पैरों में रखने का प्रयास किया जायेगा तो पैर हटा लिये जायेंगे और उनका यह प्रयास भी असफल रहेगा । क्योंकि यह प्रणाम करना मनाने का एक प्रकार है जरूरी नहीं कि इससे क्रोध शान्त ही हो जाय । क्रोधोपशम के लिए तो बहुत से दूसरे २ प्रकारों की भी आवश्यकता होती है । इसके बाद मुँह से कुछ कहकर क्षमा माँगने की इच्छा होती है किन्तु उनके मुँह से डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल पाती फलतः वह मौन धारण ही किये रहे और पार्वती का मान ज्यों का त्यों बना रहा ।

अत्र पार्वतीमानसाफल्ये सेवाञ्जल्यकरणरूपाः पदार्था हेतवः ।

अथ पर्यायोक्तम्—

वाच्यतावच्छेदकं विना वाच्यार्थस्य व्यञ्जनया यत्प्रतिपादनतात्पर्येण प्रकारान्तरेण कथनं तत् पर्यायोक्तम् ॥२४९॥

यथा—

राजन् जहासि निद्रां रिपुवन्दीनिविडनिगडशब्देन ।
तेनैव यदन्तरितः स कलकलो वन्दिवृन्दस्य ॥ ३८९ ॥

अत्र रिपुस्त्रियो वन्दीकृता इति पर्यायोक्तम् ।

अथोदात्तम्—

उत्कर्षयोगित्वं लक्षणम् ॥२५०॥

यहाँ पर सेवाञ्जलि का न करना, प्रणाम का न हो पाना और मुख से कुछ न कहना यह इतने पदार्थ पार्वती के मानसाफल्य के हेतु हैं (इनकी प्रतीति व्यञ्जनागम्य है) ।

इसके बाद ३१. पर्यायोक्त [का लक्षण] है—

वाक्य के अवच्छेदक धर्म वाच्यत्व अर्थात् अभिधा के बिना व्यञ्जना के द्वारा वाच्यार्थ के प्रतिपादन रूप तात्पर्य वाले दूसरे प्रकार से वाच्यार्थ का जो कथन होता है वह पर्यायोक्त है । ॥२४९॥

टि०—जहाँ वाच्यार्थ का प्रतिपादन अभिधा से न करके व्यञ्जना से किया जाय वहाँ पर्यायोक्त होता है। इसमें व्यङ्ग्यार्थ को ही प्रकारान्तर से वाच्य कर दिया जाता है। अर्थात् जो कुछ कहा जाता है वह होता तो व्यङ्ग्य ही है परन्तु प्रकारान्तर से अर्थात् वाच्य के रूप में उसे कहा जाता है।

जैसे—

हे राजन् ! कैदी बनाई हुई शत्रुनारियों की [हाथों और पैरों में पड़ी] मजबूत [अतएव अभेद्य] बेड़ियों के शब्द से [ही] आप अपनी नींद का परित्याग करते हैं। क्योंकि स्तुति करने वाले वाले चारणजनों के द्वारा किया गया वह कोलाहल तो उसी [बेड़ियों के] शब्द के द्वारा अन्तर्भूत कर दिया गया है अर्थात् उसे दबा दिया गया है ॥३८९॥

यहाँ पर [शत्रुओं को जीतकर] शत्रुनारियाँ बन्दिनी बनाकर कैद में डाली हुई हैं [इसलिए 'तुम सर्वशत्रुजित् हो'] इस [व्यङ्ग्यार्थ के होने] से पर्यायोक्तालङ्कार है।

इसके बाद ३२. उदात्त [का लक्षण] है—

लोकोत्तर वैभव [अथवा शक्ति की] उन्नति से युक्त होना [उदात्त का] लक्षण है ॥२५०॥

स चोत्कर्षः निमित्ताधीनः, निमित्तं च सम्पत्तिर्वीर्यं वा ।

क्रमेण यथा—

टङ्कच्छेदपरम्पराविदलिते यत्काञ्चनीयाचले
चिन्ती चञ्चलभावमञ्चति परं स्वर्लोकलोकोऽधुना ।
इत्थं प्रौढदयाव्रताद्य भवता चित्ते विचिन्त्य द्विज-
द्वारि द्वारि गृहे गृहे प्रकटिता नैके सुवर्णाचलाः ।। ३९० ।।

तथा—

अङ्गः प्रोन्मूलिताङ्गः कलयति सहसा सङ्गमं सानुबन्धं
तैलङ्गो रङ्गभूमौ सुरपतितरुणीसङ्गमङ्गीचकार ।
बङ्गःसाङ्गो यमास्ते कलितनिजवधूकङ्कणः कुण्डिनेशो
वैदर्भो दर्भचूडाकथितनिजबलो भाति युष्मत्प्रतापात् ।।३९१।।

और वह उन्नति किसी कारण पर आश्रित होकर रहती है और यह कारण या तो धन समृद्धि रूप होता है या पराक्रम रूप होता है । क्रम से उदाहरण हैं ।

[सम्पत्तिनिमित्तक उदात्त का उदाहरण] जैसे—

[हे राजन्] क्योंकि सुमेरु पर्वत के छेनी [पत्थर को काटने वाले औजार] के द्वारा बार२ काटे जाने से टूट जाने पर इस समय स्वर्गलोक के देवता और देवाङ्गनायें बहुत अधिक चिन्ता से अस्थिर स्थिति को प्राप्त कर रही हैं [अर्थात् अत्यन्त चिन्तित हो गई हैं] इस प्रकार आज बहुत अधिक दयालु आपने चित्त में सोचकर ब्राह्मणों के दरवाजे दरवाजे और घर २ में अनेक सोने के पर्वत प्रकट कर दिये हैं ।।३९०।।

टि०—श्लोक का अभिप्राय यह है कि देवी और देवताओं को सुमेरु पर्वत के नाश की सम्भावना से चिन्तित जान कर राजा ने ब्राह्मणों के दरवाज़ों और घरों में असङ्ख्य सोने के पर्वत खड़े कर दिये हैं । सोने के पर्वतों के दान से राजा के ऐश्वर्यातिशय की प्रतीति हो रही है ।

और [दूसरा उदाहरण]

हे राजन् [युद्ध में] आपके पराक्रम के कारण प्रहारों से क्षतविक्षत अङ्गों वाला अङ्गदेश का राजा एकदम बड़े आग्रह से सन्धि [अथवा मेल मिलाप] करता है, युद्ध भूमि में तैलङ्गदेश का राजा [मरकर स्वर्गलोक में चले जाने से] युवती देवाङ्गनाओं के सम्पर्क को प्राप्त कर चुका है । [तुम्हारा मित्र होने के कारण] सेना आदि सात अङ्गों से युक्त अपनी स्त्रियों के लिए कङ्कण आदि आभूषण बनवाने वाला यह बंगाल का राजा बैठा हुआ है । कुण्डिनपुर का स्वामी विदर्भ देश का राजा स्वतन्त्रता मिलने के कारण सिर में रखी हुई दर्भ के कारण अपने बल को सूचित करते हुए शोभित हो रहा है ।।३९१।।

अथ समुच्चयः—

इतरानपेक्षसाधकतापर्याप्ते तत्फलजनकतया तत्परिस्पर्धिभावेनोपात्तत्वं तत्त्वम् ॥२५१॥

न च समाधिसाङ्कर्यशङ्का । अत्र एकैकस्यापरनिरपेक्षकार्यकारित्वं समाधौ तु परस्परसापेक्षत्वमिति भेदात् । अयञ्च सद्योगे असद्योगे सदसद्योगे च ।

यथा—

दुर्गं त्रिकूटं परिखा पयोधिः
प्रभुर्दशास्यः सुभटाश्च राक्षसाः ।

टि०—यहाँ पर राजा के पराक्रमातिशय का सूचन हो रहा है।

इसके बाद ३३. समुच्चय [का लक्षण] है—

दूसरे कारणों की अपेक्षा न करके कारणता की पर्याप्ति [परिपूर्णता] होने पर उस फल का उत्पादक होने के कारण [फिर भी] उसके साथ स्पर्धा के रूप में दूसरे कारणों का उपादान करना समुच्चय का लक्षण है ॥२५१॥

टि०—जहाँ एक ही कारण कार्य को सम्पन्न करने की क्षमता रखता हो और उसे कार्यसिद्धि के लिए दूसरे कारणों की आवश्यकता न भी हो फिर भी वे अनेक कारण उस कारण के साथ खलेकपोतन्याय से कार्यसम्पादन के लिए युगपद् आयें वहाँ यह अलङ्कार होता है । खलेकपोतन्याय का अभिप्राय यह है जैसे खलिहान में अनाज के दानों को चुगने के लिए आकाश से एक कबूतर नीचे उतर आता है तो दूसरे सारे कबूतर भी एक साथ नीचे उतर पड़ते हैं उसी प्रकार समुच्चयालङ्कार में एक ही कारण के कार्यसाधक होने पर उसके साथ २ अन्य कारण भी एककालावच्छेद से इकट्ठे हो जाते हैं । इस समुच्चय अलङ्कार की समाधि के साथ एककालावच्छेद से अनेक कारणों से होने वाली कार्यसिद्धि रूप समता है।

और समाधि के साथ इस अलङ्कार के सन्देहसङ्कर की शङ्का नहीं करनी चाहिए। यहाँ प्रत्येक कारण इतर कारण से निरपेक्ष होकर कार्यसिद्धि में समर्थ होता है जबकि समाधि में एक कारण को दूसरे कारण की अपेक्षा रहती है अर्थात् समुच्चय में सारे कारण परस्परनिरपेक्ष होते हैं जबकि समाधि में सारे परस्पर सापेक्ष होते हैं।

टि०—समाधि में काकतालीयन्याय से कारणों को परस्पर अपेक्षा होती होती है। कौए का आगमन और तालफलपतन यह दोनों सापेक्ष हैं। इन दोनों से कौए को मृत्यु रूप उत्पत्ति होती है।

और यह कारणों का मेल सद्वस्तुओं [सुन्दर वस्तुओं] के योग होने पर तथा असद् वस्तुओं और सदसद् वस्तुओं के योग होने पर होता है।

[सद्वस्तुओं के योग का उदाहरण] जैसे—

त्रिकूट पर्वत तुम्हारा किला है, समुद्र खाई है, [महापराक्रमी] रावण

नरोऽभियोक्ता सचिवैः प्लवङ्गमैः
किमत्र वो हास्यपदे महद् भयम् ।। ३९२ ।।

यथा वा—

श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी
लोके हारि व वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम् ।
वस्त्वेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं किं पुन-
र्मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ।। ३९३ ।।

असद्‌योगे यथा—

क्लीबो विरूपो मूर्खश्च मर्महा मत्सरान्वितः ।
निर्धनोऽपि करोत्येष मनुष्याहङ्कृतिं जनः ।। ३९४ ।।

स्वामी है और राक्षस वीर योद्धा हैं। [अपने] सहायक बन्दरों से युक्त मनुष्य [राम] तुम्हारा प्रतिद्वन्द्वी [आक्रान्ता] है। इस हँसी की बात के होने पर [अर्थात् इतने तुच्छ से व्यक्ति के साथ मुकाबले की बात सोच कर तो हँसी आती है इसलिए] तुम्हें डर क्यों लग रहा है ? ॥३९२॥

टि०—यहाँ तुच्छ वानरों की सहायताप्राप्ति से साधारण मनुष्य की हैसियत वाले राम को हराने के लिए एक इतरनिरपेक्ष कारण दुर्गीभूत त्रिकूट पर्वत ही पर्याप्त है। पयोधि और राक्षस ये कारण भी राम की पराजय रूप कार्यसिद्धि के लिए उपस्थित हो गये हैं। त्रिकूट, पयोधि, और राक्षस इन शक्तिशाली सद्‌वस्तुओं का यहाँ योग है।

अथवा [सद्‌वस्तुयोग का और उदाहरण] जैसे—

श्रीहर्ष [रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन] चतुर कवि हैं, यह सभा भी गुणों को ग्रहण करने वाली अर्थात् पारखी एवं सहृदया है और वत्सराज उदयन की जीवनकथा संसार में मन को आकर्षित करने वाली है इसके अतिरिक्त हम [नट लोग] भी अभिनयकला में कुशल हैं। इस प्रकार यहाँ एक एक वस्तु [नाटक की सफलता रूप] अभिलषित फल की प्राप्ति का स्थान [अर्थात् पर्याप्त कारण] है [परन्तु अब तो कहना ही क्या ?] मेरे भाग्य की उन्नति के कारण यहाँ सारे का सारा गुणों का समुदाय उदित [इकट्ठा] हो गया है ॥३९३॥

टि०—यहाँ नाटक की निर्विघ्न समाप्ति रूप कार्य की सिद्धि के लिए अनेक उत्तम वस्तुयें कारण के रूप में इकट्ठी हो गई हैं। यह श्लोक हर्षवर्धनरचित रत्नावली नाटिका की प्रस्तावना से लिया गया है.

२. असद्‌वस्तुओं का योग होने पर [उदाहरण] जैसे—

नपुंसक, कुरूप, मूर्ख, मर्मस्थल को चोट पहुचाने वाला, ईर्ष्यालु एवं निर्धन होता हुआ भी यह पुरुष [अच्छे] मनुष्य के [अनुरूप] अभिमान को करता है ॥३९४॥

सदसद्योगे यथा—

शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः ।
प्रभु र्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो
नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ।। ३९५ ।।

एष च द्रव्यगुणक्रियासमुच्चयभेदात् त्रिधा ।

यथा—

सुखमिदमेतावदिह स्फारस्फुरदिन्दुमण्डला रजनी ।
सौधतलं काव्यकथाः सुहृदः स्निग्धा विदग्धाश्च ।। ३९६ ।

एष द्रव्यसमुच्चयः । एवं गुणक्रियासमुच्चययोरुदाहरणं बोद्धव्यम् ।

टि०—यहाँ अभिमान न करने की कारणभूत बहुत सारी अशोभन वस्तुयें इकट्ठी हो गई हैं । यह श्लोक रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,२० वृत्ति) में मिलता है ।

सद्वस्तु और असद्वस्तु के योग होने पर [उदाहरण] जैसे—

१. दिन के [प्रकाश के] कारण धुँधला चाँद, २. ढली जवानी वाली सुन्दरी, ३. समाप्त कमलों वाला तालाब, ४. सुन्दर आकार वाले व्यक्ति का अक्षरों से रहित [विद्याविहीन अथवा गूँगा] मुँह, ५. धन का लोभी स्वामी, लगातार कष्ट भोगने वाला सज्जन, और ७. राजा के [दरबार या महल के] आँगन में गया हुआ दुष्ट [या चुग़लखोर] व्यक्ति ये सात [व्यक्ति और वस्तुयें] मेरे मन में काँटे [की तरह चुभती] हैं ।।३९५।।

टि०—यहाँ चन्द्रमा का कान्तिहीन हो जाना ही कष्टदायक शल्य है । इस पर गलितयौवना कामिनी आदि अन्य शल्य (कष्टदायक कारण) भी इकट्ठे हो गये हैं । इसमें चन्द्र, कामिनी आदि शोभनों का अशोभन खल के साथ योग होने से सदसद्वस्तुयोग है ।

और यह अलङ्कार १. द्रव्यसमुच्चय, २. गुणसमुच्चय और ३. क्रियासमुच्चय इन तीन भेदों वाला होने से तीन प्रकार का है ।

[१. द्रव्यसमुच्चय का उदाहरण] जैसे—

विस्तीर्ण [पूर्ण] तथा चमकते हुए चन्द्रमण्डल से युक्त रात्रि, राजप्रासाद, काव्यों की सरस] कथायें और स्नेही एवं रसिक विद्वान् मित्र—इस संसार में इतनी ही वस्तुयें सुखकारी हैं ।।३९६।।

टि०—यहाँ चाँदनी रात ही सुख का पर्याप्त कारण है किन्तु सौधतल, काव्यकथायें तथा मित्र इन कारणों का समुदाय भी सुखोत्पादन के हेतु रूप में वर्णित है ।

यह द्रव्यसमुच्चय [का उदाहरण] है । इसी प्रकार गुणसमुच्चय और क्रिया-

जातिसमुच्चयस्तु न विद्यते । न ह्येकत्रानेका जातिः सम्भवति ।

अथ पर्यायः—एकस्य नानाधिकरणोत्पत्तिकत्वं नानाधिकरणस्थिति-कत्वं वा लक्षणम् ॥२४६॥

तच्च स्वतः सम्भवित्वेन कविप्रौढोक्त्या वेत्यन्यदेतत् ।

यथा—

नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट !
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ।
प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ
कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ॥ ३९७ ॥

तथा—

अङ्कमङ्ग परिवर्तनोचिते तस्य निन्यतुरशून्यतामुभे ।
वल्लकी च हृदयङ्गमस्वना मञ्जुवागपि च वामलोचना ॥३९८॥

समुच्चय का उदाहरण समझ लेना चाहिए। जातिवाचक पदार्थों का समुच्चय बन ही नहीं सकता क्योंकि एक स्थान पर कोई भी जाति अनेक रूपों में नहीं हो सकती।

टि०—समुच्चय के भेद करते हुए द्रव्य, गुण और क्रिया—इन तीन को ही लेकर भिन्नता बतलाई गई है और जाति को छोड़ दिया गया है। इसका कारण यह है कि एक ही जगह द्रव्य (व्यक्ति) के अनेक रूप हो सकते हैं। गुणों और क्रियाओं की भी यही स्थिति है। किसी एक स्थल पर अनेक गुण और अनेक क्रियायें इकट्ठी रह सकती हैं परन्तु जाति की स्थिति इनसे सर्वथा भिन्न है किसी एक में जाति अनेक रूपों में नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व के अतिरिक्त गोत्वादि जातियों का रहना असम्भव है।

इसके बाद ३४. पर्याय [का लक्षण] है—

एक का अनेक आश्रयों [अथवा आधारों] में उत्पन्न होना अथवा एक का अनेक वस्तुओं के अधिकरणों के रूप में स्थित होना पर्याय का लक्षण है ॥२५२॥

और वह स्वत.सम्भवी अथवा कविप्रौढोक्ति के कारण दूसरे रूप में हो जाता है।

जैसे—

हे कालकूट [विष] ! तुमको उत्तरोत्तर विशिष्टपद वाले आश्रय में रहने की स्थिति किसने बतलाई है ? पहिले [तुम] समुद्र के हृदय में [भीतर रहते थे] फिर शिव जी के कण्ठ में और अब दुष्टों की वाणी में रहते हो ॥३९७॥

टि०—यहाँ एक कालकूट की अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई है। यह स्वतःसम्भवी अनेकाश्रयस्थिति का उदाहरण है।

और [दूसरा उदाहरण]—

हे मित्र ! हृदयावर्जक शब्द वाली वीणा और सुन्दर वाणी वाली सुनयना

अथानुमानम्—

वस्तु परोक्षं यस्मिन् साध्यमुपन्यस्य पुनः[1] साधकं तस्य ।
पुनरन्यदुपन्यसेद् विपरीतं चैतदनुमानम् ॥२५३॥

तदर्थोऽपि—साध्यसाधननिर्देशत्वं[2] तत्त्वम् । तच्च त्रिविधम्—अन्वयव्याप्तिकत्वं व्यतिरेकव्याप्तिकत्वमन्वयव्यतिरेकव्याप्तिकत्वं चेति[3] ।

सुन्दरी परिवर्तन के लायक [अर्थात् जिनके जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए ऐसी] इन दोनों ने ही उसकी गोद को पूर्ण बनाया है [अर्थात् उसे भर दिया है] ॥३६८॥

टि०—यहाँ एक अङ्क रूप वस्तु वल्लकी और वामलोचना इन अनेक वस्तुओं का आधार बन गई है ।

इसके बाद ३५. अनुमान [का लक्षण] है—

जहाँ कवि पहले परोक्ष साध्य वस्तु [कार्य] को बताकर फिर उसका साधक [कारण] बतलाये अथवा इसके विपरीत करे [अर्थात् पहले कारण का प्रतिपादन करके परोक्ष साध्य वस्तु का निर्देश करे] वहाँ अनुमान अलङ्कार होता है ॥२५३॥

टि०—अनुमान का यह लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,५६) में भी दिया हुआ है । पर्वतादि में कहीं धूम को उठता हुआ देखकर देखने वाला धूमदर्शन से वह्नि का अनुमान करता है । धूम और वह्नि को अनेक वार साथ साथ देखने अर्थात् इन दोनों के भूयःसहचारदर्शन से उनके स्वाभाविक सम्बन्ध (यत्र २ धूमस्तत्र २ वह्निः इस रूप में) व्याप्तिसम्बन्ध का ज्ञान होता है। इसलिए जब किसी जगह केवल धूम को देखा जाता है तो वहाँ न दिखलाई देने वाली परोक्ष वह्नि का भी अनुमान कर लिया जाता है । व्याप्तिसम्बन्ध के बल से जो वह्नि का ग्रहण कराता है वह धूमादि साधक (साधन) या लिङ्ग कहा जाता है और वह्नि साध्य कहलाती है ।

इसका भी यह अभिप्राय है—साध्य और साधन का निर्देश ही अनुमान का पर्यवसित लक्षण है। और यह अनुमान तीन प्रकार का है—

१. अन्वय व्याप्ति वाला, २. व्यतिरेक व्याप्ति वाला, और ३. अन्वयव्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्तियों वाला ।

टि०—लिङ्ग (साधन) से लिङ्गी (साध्य) का ज्ञान अनुमान कहलाता है । साधन या लिङ्ग की साध्य या लिङ्गी के साथ जो व्याप्ति है वह दो प्रकार की होती है—१. अन्वयव्याप्ति और २. व्यतिरेकव्याप्ति । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वह्नि होती है यह अन्वयव्याप्ति हुई क्योंकि अन्वय

---

१. ज अ; पुनः त में नहीं

२. ज अ; निर्देशनं त

यथा—

सानुज्ञमागमिष्यन्नूनं पतितोऽसि पादयोस्तस्याः ।
कथमन्यथा ललाटे यावकरसतिलकपङ्क्तिरियम् ।। ३९९ ।।

यथा वा

वचनमुपचारगर्भं दूरादुद्गमनमासनं सकलम् ।
इदमद्य मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता ।। ४०० ।।

का लक्षण है तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अर्थात् हेतुसत्त्वे साध्यसत्त्वम् । इसके विपरीत जहाँ जहाँ वह्नि का अभाव होता है वहाँ वहाँ धूम का भी अभाव होता है यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावः यह व्यतिरेकव्याप्ति कहलाती है क्योंकि व्यतिरेक का लक्षण है—तदभावे तदभावो व्यतिरेकः अर्थात् साध्याभावे हेत्वभावो व्यतिरेकः । धूम और वह्नि में ये दोनों प्रकार की व्याप्ति पाई जाती हैं अर्थात् इन दोनों प्रकार की व्याप्ति में उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वह्नि होती है इस अन्वयव्याप्ति में महानस अर्थात् पाकशाला (रसोई घर) उदाहरण है क्योंकि महानस में धूम तथा वह्नि को साथ साथ देखा जा सकता है । इसलिए अन्वयव्याप्ति में महानस उदाहरण होता है । इसके विपरीत जहाँ जहाँ वह्नि का अभाव होता है वहाँ वहाँ धूम का भी अभाव होता है यह व्यतिरेक-व्याप्ति कहलाती है इस व्यतिरेकव्याप्ति में महाह्रद या तालाब उदाहरण है। तालाब में यदि वह्नि का अभाव है तो वहाँ धूम का भी अभाव है । इस प्रकार धूम हेतु के अन्वयव्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति दोनों में उदाहरण मिल जाते हैं। इसलिए यह अन्वयव्यतिरेकी कहलाता है ।

[अन्वयव्याप्तिक अनुमान का उदाहरण] जैसे—

आने की अभिलाषा वाले तुम अनुज्ञापूर्वक [स्वीकृति के साथ] निश्चित रूप से उसके पैरों में पड़ गये हो अन्यथा तुम्हारे ललाट पर महावर के द्रव से बनी हुई यह तिलक की पङ्क्ति कैसे लगती ? ।।३९९।।

टि०—यत्र यत्र पादपतनं तत्र तत्र यावकरसतिलकपङ्क्तम् इस रूप में अन्वयव्याप्ति से नायिका को नायक के द्वारा किये गये प्रच्छन्न (परोक्ष) सम्भोग का अनुमान हो रहा है ।

अथवा जैसे—

हे प्यारी ! शिष्टाचारयुक्त वचन कहना, दूर से ही स्वागत के लिए खड़े हो जाना और आसन देना—यह सबका सब मेरे लिए तुम इस प्रकार से कर रही हो जिससे [ज्ञात होता है कि] मुझसे निश्चितरूप से नाराज हो ।।४००।।

टि०—यहाँ नायक को अनुमान से नायिका के कोप की अनुमिति हो रही है । कारण बताने के अनन्तर कोप रूप कार्य की प्रतीति हो रही है । 'इयं नायिका मां प्रति प्रकुपिता । उपचारवचनोक्तेः उद्गमनात् [illegible] हेतुमत्ता। वच-

अत्र वस्तुगतया व्याप्त्यसत्त्वेऽपि कविप्रौढोक्त्यैव तथाभिधानमित्यलङ्कारत्वम्; अन्यथा वह्निमान् धूमादित्यत्राप्यलङ्कारतापत्तेः।

साभिप्रायैः सम्यग् विशेषणै र्वस्तु यद्‍ विशिष्येत।
द्रव्यादिभेदभिन्नश्चतुर्विधः परिकरः स इति ॥२५४॥

साभिप्रायैरित्यनेन वस्तुस्वरूपप्रतिपादकानां भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणा इत्यादीनां विशेषणानां व्यावृत्तिः।

यत्र २ उपचारवचनादिप्रयोगः तत्र २ कोपभावः यथा काचिदपरा नायिका तथा चेयमत एवेयं मां प्रति प्रकुपिता।' इस रीति से यहाँ अनुमानवाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्वाभाविक प्रकृति है कि जब किसी प्रेमी या प्रेमिका को दूसरे से नाराज़गी होती है तो वह आपसी व्यवहार में शिष्टाचार वरतने लगते हैं। रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,५८) में यह श्लोक मिलता है।

यहाँ वास्तविक रूप से व्याप्ति की असत्ता होने पर भी कविप्रौढोक्ति से ही व्याप्ति के रूप में ऐसा कथन किया गया है इसी कारण अलङ्कारत्व है यदि ऐसा न मानें तो [पर्वतः] वह्निमान् धूमात् इस स्थल पर भी अलङ्कारता की प्राप्ति होगी [जबकि यहाँ चमत्कार न होने के कारण अनुमानालङ्कार होने का प्रश्न ही नहीं उठता]।

टि०—यहाँ पूर्वपक्षी की ओर से शङ्का की जा सकती है कि वचनमुपचारगर्भम् जैसे उदाहरणों में यत्र यत्र उपचारवचनं तत्र तत्र क्रोधः इस रूप में व्याप्ति नहीं बन सकती और अनुमान बिना व्याप्तिसम्बन्ध के होता ही नहीं है। अतः बिना व्याप्ति सम्बन्ध के यहाँ अनुमानालङ्कार कैसे हो सकता है ? इस पर सिद्धान्तपक्ष की ओर से कहा जा सकता है कि ऐसी शङ्का करना उचित है वास्तव में यहाँ व्याप्ति नहीं है परन्तु कविप्रौढोक्ति से उस अवास्तविक व्याप्ति को काल्पनिक व्याप्ति मान लिया गया है और इसी आधार पर यहाँ अनुमानालङ्कार बना है। अन्यथा वास्तविक व्याप्ति को लेकर बनने वाले 'पर्वतो वह्निमान् धूमात्' जैसे उदाहरणों में भी अनुमानालङ्कार सिद्ध हो जायेगा। इस अनुमानवाक्य में किसी प्रकार की कविप्रौढोक्ति नहीं है इसलिए कोई चमत्कार न होने के कारण इसे अलङ्कार नहीं कहा जायेगा।

इसके बाद ३६. परिकर [का लक्षण] है—

जब अभिप्राय भरे विशेषणों से किसी विशेष वस्तु की विशेषता बताई जाय [तो परिकर होता है]। द्रव्यादि [द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति] भेदों के कारण अलग अलग प्रकार का वह परिकर चार प्रकार का माना जाता है ॥२५४॥

टि०—काव्यालङ्कार (७,७२) में परिकर का यही लक्षण है।

'साभिप्रायैः' इस विशेषण के कथन से भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः जैसे स्थलों पर वस्तु के स्वरूपमात्र को ही बताने वाले भोजपत्र के वल्कलों का विशेषण बनने वाले कुञ्जरबिन्दुशोणाः आदि पदों की व्यावृत्ति हो जाती है [अर्थात् ऐसे

एतदर्थोऽपि विशेष्योत्कर्षव्यञ्जकनानाविशेषणोपादानत्वं लक्षणम् । यथा—

कर्त्ता द्यूतच्छलानां जतुगृहमथनोद्दीपनः सोऽभिमानी
कृष्णाकेशो[1]त्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः ।
राजा दुःशासनादे र्गुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रं
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत परुषं द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥ ४०१ ॥

एष द्रव्यपरिकरः ।

विशेषणों के रखने से परिकरालङ्कार नहीं बना करता] ।

टि०—इस अलङ्कार में किसी वस्तु के स्वरूपमात्र की विशेषता बताने वाले विशेषण नहीं रखे जाते अपितु जिन विशेषणों से किसी विशेष प्रकार के अभिप्राय की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही विशेषण इसमें रखे जाते हैं । 'न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरविन्दुशोणाः' इस वाक्य में हिमालय पर्वत का वर्णन है । जिस हिमालय पर्वत में लाल गेरू के रस से घुणाक्षरन्याय से स्वतः बने हुए अक्षरों से युक्त भोजपत्र की छालें हाथी के शरीर पर (वयोवृद्धि के कारण स्वतः अङ्कित पद्मक नामक) विन्दुओं (धब्बों) के समान लाल हैं । यहाँ भूर्जत्वचः के धातुरसेन न्यस्ताक्षराः तथा कुञ्जरविन्दुशोणाः—इन दोनों विशेषणों से स्वरूप की विशेषता-मात्र बताई गई है किसी विशेष अर्थ की अभिव्यञ्जना इनसे नहीं होती । अतः यहाँ परिकरालङ्कार नहीं हो सकता ।

इसका सारभूत अर्थ [पर्यवसित लक्षण] भी है—विशेष्य के उत्कर्ष के व्यञ्जक अनेक विशेषणों का ग्रहण करना ही परिकर का लक्षण है ।

जैसे—

अक्षक्रीडा [जुए] के छलों को करने वाला, लाख से बने घर को ध्वस्त करके जलाने वाला, वह [लोकप्रसिद्ध] अहङ्कारी, द्रौपदी के केश और वस्त्रों को हटाने में चतुर, पाण्डव जिसके सेवक हैं, राजा [अपनी हकूमत चलाने वाला], दुःशासन आदि सौ छोटे भाइयों का ज्येष्ठ भ्राता, अङ्ग देश के राजा कर्ण का मित्र वह दुर्योधन कहाँ ठहरा है ? उसे कठोरता के साथ बतला दो कि हम दोनों [भीम और अर्जुन] उसे देखने आये हैं ॥४०१॥

यह द्रव्यपरिकर [का उदाहरण] है ।

टि०—वेणीसंहार के इस श्लोक में कर्त्ता द्यूतच्छलानाम् आदि सारे विशेषण द्रव्य [व्यक्ति] दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किये गये हैं और साभिप्राय होने से अपने अपने विशिष्ट अर्थ के द्योतक हैं ।

---

१. संशोधित; कृष्णाक्रोधोत्तरीय ... ज अ त

तथा[1]—

अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते ।
शिप्रा[2]तरङ्गानिलकम्पितासु विहर्तुमुद्यानपरम्परासु ।। ४०२ ।।

अत्र नृपस्य अनेनेतिपदप्रतिपादितस्य यूना पार्थिवेनेतिविशेषणाभ्यां परिकरः कृतः । एष गुणपरिकरः ।

तथा[3]—

योऽसौ क्रीडति दुर्दिनं सुदिनमन्धस्तमश्चन्द्रयन्
प्राकारान् प्रथयन् वनं भवनयन् क्षेत्राणि पर्यङ्कयन् ।
वाह्योपाधिपराङ्मुखाय मनसी निःसीम संसीव्यते[4]
यूनोः साहसकौशलैकगुरवे भावाय तस्मै नमः ।।४०३।।

एष क्रियापरिकरः ।

[२. गुणपरिकर का उदाहरण] जैसे—

हे केले के समान सुन्दर जाँघों वाली सुन्दरी ! शिप्रा नदी की तरङ्गों की वायु से हिलाई हुई बहुत सारे उद्यानों की पङ्क्तियों में इस नवयुवक राजा के साथ घूमने के लिए क्या तुम्हारे मन के भीतर अभिलाषा है ।।४०२।।

यहाँ अनेन इस पद से प्रतिपादित [विशेष्यभूत] राजा के लिए यूना पार्थिवेन [नवयुवक राजा के साथ] इन विशेषणों के द्वारा परिकरालङ्कार [का निर्माण हुआ] है । यह गुणपरिकर का उदाहरण है ।

टि०—यहाँ 'यूना पार्थिवेन' इन दो पदों से अभिव्यज्यमान नवयौवन का गुण और पृथिवीपतित्व यह दोनों अर्थ साभिप्राय हैं । उत्तम वर के लिए नवयुवक तथा प्रभुतासम्पन्न और समृद्धिशाली होना आवश्यक है ।

[३. क्रियापरिकर का उदाहरण] जैसे—

जो [भाव तरह तरह के] खेलों को खेलता है—दुर्दिन [मेघाच्छन्नं दुर्दिनम्] को उत्तम दिन बनाता है और घोर अन्धकार को चन्द्रमा की तरह [उजला] कर देता है परकोटों की रचना करवाता है, जंगल में महल बनवाता है, खेतों को जो पलंग बनवाता है और जो मनों को असीमित रूप से जोड़ता है; [कृत्रिम] बाहरी दिखावों से रहित और चतुराई को सिखाने वाले एकमात्र शिक्षक उस अद्भुत एवं लोकप्रसिद्ध नवयुवक और नवयुवतियों के हृदयस्थ [काम] भाव [अर्थात् प्रेममयी चित्तवृत्ति] को नमस्कार है ।।४०३।।

यह क्रियापरिकर [का उदाहरण] है ।

टि०—यहाँ भाव रूप कर्ता की अनेक क्रियायें हैं और सभी अपना विशिष्ट

---

१. ज अ; यथा त
२. ज अ; क्षिप्रा त
३. ज अ; यथा त
४. ज अ; सम्मील्यते त

तथा—

लोकस्रजि द्यौ र्दिवि चादितेयाः
अथादितेयेषु महान् महेन्द्रः ।
किं कर्तुमर्थी यदि सोऽपि रागा-
ज्जागर्ति कक्षा किमतः परापि ॥४०४॥

एष जातिपरिकरः ।

अथ व्याजोक्तिः—तत्त्वं च उद्भिन्नार्थनिगूहनत्वम् ॥२५५॥

निगूहनत्वमात्रमपह्नुतौ प्रसक्तमिति चेदुच्यते, उपमानप्रकरणे पाठात् उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया व्यवस्थाप्यते तत्रापह्नुतिः । न च

अर्थद्योतन करने के कारण साभिप्राय हैं नवयुवक और नवयुवतियों की प्रेमभावना अत्यन्त प्रबल होती है । जब वह अनुरक्त होकर आपस में मिलते हैं तो उन्हें दुर्दिन सुदिन के रूप में दीखता है और अन्धकार चाँदनी के प्रकाश जैसा दिखाई पड़ता है और इसी प्रकार की अन्य अनहोनी घटनाओं का भी यह कारण बना करता है ।

जैसे—

विभिन्न लोकों की शृङ्खला में द्युलोक [उत्तम लोक] है और द्युलोक में देवता [श्रेष्ठ] हैं उन देवताओं में इन्द्र [सबसे] बड़ा है । यदि वह भी आसक्ति के कारण और अधिक जागरूक रहता है [प्रयत्नशील होता है] तो वह और क्या प्राप्त करना चाहता है ? [उसके] इस [इन्द्रपद] से भी परे और कौन सी श्रेणी है ?॥४०४॥

यह जातिपरिकर [का उदाहरण] है ।

टि०—यहाँ द्यौः और आदितेय शब्द जातिवाचक हैं और उनके लिए साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग हुआ है ।

इसके बाद २७. व्याजोक्ति [का लक्षण] है—

व्याजोक्ति का सारभूत लक्षण प्रकटित हुए अर्थ को छिपाना है ॥२५५॥

'निगूहनत्व' [छिपाना] इतना यह धर्म तो अपह्नुति में अतिव्याप्त हो जायेगा यदि यह कहा जाय तो इसके समाधान के लिए यह कहा जा सकता है—उपमान के प्रकरण में पाठ होने से अर्थात् अपह्नुति की सादृश्यमूलक अलङ्कारों में गणना होने के कारण जहाँ उपमान को असत्य करके उपमेय की सत्यता स्थापित की जाती है वहाँ अपह्नुति होती है [अर्थात्] अपह्नुति में उपमानोपमेयभाव पाया जाता है परन्तु प्रकृत व्याजोक्ति में उपमानोपमेयभाव नहीं पाया जाता है यह अभिप्राय है ।

टि०—अपह्नुति में प्रकृत और अप्रकृत अर्थात् उपमेय और उपमान का साम्य विवक्षित होता है और उस साम्य के द्वारा ही उपमेय का अपह्नव किया जाता है ।

प्रकृते तथेति तात्पर्यम् । किं चापह्नुते निषेधगर्भत्वादस्यास्त्वतथाभावात् ।
न हि दास्यमानोदाहरणे रोमाञ्चादिकं निषिध्यान्यत् किञ्चिद् विधीयते
किन्तु तस्यान्यहेतुकत्वं विधीयते पार्वती स्पर्शजन्यत्वनिह्नवायेति भेदः ।
यथा--

शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लसद्
रोमाञ्चादिविसंष्ठुलाखिलविधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः ।
हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान् सस्मितं
शैलान्तःपुरमातृमण्डलगणै र्दृष्टोऽवताद् वः शिवः ॥४०५॥

परन्तु यहाँ व्याजोक्ति में प्रकृत तथा अप्रकृत का साम्य नहीं होता है इन दोनों में एक दूसरे से भिन्न होने का यह एक कारण है ।

इसके अतिरिक्त अपह्नुति निषेधगर्भा होती है और व्याजोक्ति वैसी अर्थात् निषेधगर्भा नहीं होती । आगे दिये जाने वाले उदाहरण में रोमाञ्चादि का निषेध करके और किसी दूसरी वस्तु की स्थापना नहीं की जा रही है परन्तु पार्वती के स्पर्श से उत्पन्न रोमाञ्च को छिपाने के लिए यहाँ पर दूसरा कोई कारण बतलाया जा रहा है यह भी अपह्नुति से भेद का कारण है ।

टि०—रोमाञ्च के प्रकट होने का कारण पार्वती का करस्पर्श और चीज़ है और उसे छिपाने का कारण हिमालय की शीतलता और चीज़ है यह बात व्याजोक्ति की साधिका है । इसके विपरीत अपह्नुति में एक की असत्यता बतलाई जाती है और दूसरे की सत्यता की स्थापना की जाती है ।

[व्याजोक्ति का उदाहरण] जैसे—

[शिवपार्वती के विवाह में कन्यादान के अवसर पर] हिमालय के द्वारा समर्पित किये जाते हुए पार्वती के हाथ के स्पर्श से समुद्भूत रोमाञ्चादि [आदि शब्द से कम्परूप सात्त्विक भाव का भी ग्रहण है] के कारण [वैवाहिक विधि के] सारे क्रियाकलाप के गड़बड़ा जाने से [मेरी रति प्रकट हो गई है इस शङ्का से] घबड़ाये हुए [और उसके छिपाने के लिए] हाय ! हिमालय के हाथ बड़े शीतल हैं यह कहने वाले, [और उनके इस बहाने को समझ लेने वाली] हिमालय के अन्तः-पुर की स्त्रियों और [ब्राह्मी आदि] मातृमण्डल एवं [नन्दी आदि] गणों के द्वारा मुसकुराहट के साथ देखे गये शिव आप सब लोगों की रक्षा करें ॥४०५॥

टि०—यहाँ वस्तुतः पार्वती के हाथ के स्पर्श से उत्पन्न सात्त्विकभाव रूप रोमाञ्च तथा कम्प प्रकट हो गये हैं । परन्तु ये हिमालय के हाथ के स्पर्श से शैत्य के कारण ही हुए हैं इस बात को प्रकाशित करते हुए शिव के द्वारा उनके वास्तविक कारण पार्वती के करस्पर्श को छिपाया गया है । इस प्रकार यहाँ प्रकाशित अर्थ का निगूहन किया गया है ।

अथ परिसङ्ख्या—

अन्यव्यपोहाय कीर्तनं लक्षणम् ॥२५६॥

परिवर्जनाय सङ्ख्या कथनं परिसङ्ख्येति समाख्याबलादपि लक्षण-लाभः। तत्कथनं प्रश्नपूर्वकं प्रश्नापूर्वकम्। यथा[1]—

किमसुखमपारतन्त्र्यं किं धनमविनाशि निर्मला विद्या।
किं कार्यं सन्तोषो विप्रस्य महेच्छता राज्ञः ॥ ४०६ ॥

प्रश्नापूर्वकं यथा—

कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते।
काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयो र्वसति ॥ ४०७ ॥

इसके बाद ३८. परिसङ्ख्या [का लक्षण] है—

दूसरे के अस्वीकार [व्यावर्तन अथवा परित्याग] के लिए [एक के लिए कुछ] कहना [परिसङ्ख्या का] लक्षण है ॥२५६॥

'परिवर्जनाय' अर्थात् निषेध के लिए सङ्ख्या अर्थात् कथन परिसङ्ख्या कही जाती है इस प्रकार व्युत्पत्ति की शक्ति से भी [इस परिसङ्ख्या नाम से] इसके लक्षण की प्राप्ति होती है।

टि०—किसी एक का निराकरण कर किसी दूसरे का सङ्ख्यान—वर्णनीय रूप में गणना—परिसङ्ख्या कहलाती है।

यह [व्यपोह वाला] कथन कहीं प्रश्नपूर्वक होता है, तो कहीं बिना प्रश्न के होता है।

[प्रश्नपूर्वक का उदाहरण] जैसे—

सुख क्या है? स्वच्छन्दता [अथवा स्वाधीनता], अनश्वर धन क्या है? विमल विद्या, क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को सन्तोष और राजा को [यश, राज्य और धन सम्बन्धी] महत्त्वाकाङ्क्षा ॥४०६॥

२. बिना प्रश्न की [परिसङ्ख्या का उदाहरण] जैसे—

[हे प्रिये] तुम्हारे केशपाश में वक्रता [घुंघरालापन], तुम्हारे हाथ, पैर और अधर में राग [लालिमा], दोनों स्तनों में कठोरता और आँखों में चञ्चलता निवास करती है ॥४०७॥

टि०—यहाँ केशपाश में कुटिलता है हृदय में कुटिलता नहीं। हाथ, पैर और अधर में राग है अन्य पुरुष में राग नहीं है। कुचयुगल में कठोरता है हृदय में कठोरता नहीं हैं और आँखों में चञ्चलता है मन में चञ्चलता नहीं है—इस रूप से जिनमें निषेध किया जा रहा है उनका शब्दतः ग्रहण नहीं किया गया है और न प्रश्नोत्तर के रूप में बात कही गई है। काव्यप्रकाश (१०,५२४) में यह उदाहरण मिलता है।

---

१. अ त; ज में नहीं

अथ कारणमाला—

उत्तरोत्तरं प्रति पूर्वपूर्वहेतुत्वाभिधायकनिर्देशो लक्षणम् ॥२५७॥

यथा—

विनयेन भवति गुणवान् गुणवति लोकोऽनुरज्यते सकलः।
अभिगम्यतेऽनुरक्तः ससहायोऽनुयुज्यते लक्ष्म्या ॥ ४०८ ॥

अत्रैव प्राचां हेतुर्नामालङ्कारोऽन्तर्भूत इति प्राहुस्तन्न साधीयः; लक्षणवैलक्षण्याद्।[1] यथा—

हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकृद् भवेद् यत्र।
सोऽलङ्कारो हेतुः स्यादन्येभ्योऽसौ पृथग्भूतः ॥[2]

इसके बाद ३९. कारणमाला [का लक्षण] है—

अगले अगले अर्थ के प्रति पहिले पहिले का हेतु के रूप में निरूपण करना [कारणमाला का] लक्षण है ॥२५७॥

[इसका उदाहरण] जैसे—

मनुष्य नम्रता से गुणवान् होता है, और गुणवान् व्यक्ति में सारे लोग अनुरक्त हो जाते हैं। [सब के] प्रेम पात्र [बने हुए व्यक्ति] के पास [सभी] लोग जाते हैं और सहायकों वाला मनुष्य लक्ष्मी से युक्त हो जाता है ॥४०८॥

टि०—यहाँ पूर्व पूर्व विनय आदि गुण उत्तरोत्तर गुणवत्ता आदि गुणों के कारण हैं। यह उदाहरण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,८५) में भी मिलता है।

इस कारणमाला में ही प्राचीन [रुद्रटादि] आचार्यों के हेतु नामक अलङ्कार का अन्तर्भाव हो जाता है—जो लोग यह कहते हैं उनका वह मत ठीक नहीं है। क्योंकि इस लक्षण में [हेतु के लक्षण से] विलक्षणता [विशेषता] है।

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने कारणमाला और हेतु के लक्षणों में भेद बताने के लिए रुद्रटकृत काव्यालङ्कार से हेतु का लक्षण लिया है और वहाँ बताये गये दोनों उदाहरणों को भी यहाँ प्रस्तुत किया है। हेतु के लक्षण और इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कारणमाला में अगली अगली वस्तु की पूर्व पूर्व वस्तु हेतु बनती है जबकि हेतु में कार्य के साथ कारण का अभेद दिखाया जाता है। यह अभेद कार्यकारणसम्बन्ध पर आश्रित शुद्धा सारोपा लक्षणा पर टिका हुआ है।

[रुद्रटकृत हेतु का लक्षण] जैसे—

जहाँ कार्य के साथ कारण का अभेदसूचक कथन होता है वहाँ अन्य अलङ्कारों से विलक्षण हेतु नामक अलङ्कार होता है।

---

१. ज अ; अत्रैव ··· वैलक्षण्यात् के स्थान पर इतः प्राचां हेतुर्नामालङ्कारः पृथग्भूतः त

२. ज अ; यथा ··· पृथग्भूतः यह अंश त में नहीं

यथा—

अविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः ।
रम्योऽयमेति सुन्दरि लोकोत्कण्ठाकरः कालः ।।

यथा वा—

आयुर्घृतं नदी पुण्यं भयं चौरः सुखं प्रिया ।
वैरं द्यूतं गुरुर्ज्ञानं श्रेयो ब्राह्मणपूजनम् ।।[1]

अथान्योऽन्यम्—

यत्र परस्परमेकः कारकभावोऽभिधेययोः क्रियया ।
सञ्जायते स्फारितत्वविशेषस्तदन्योऽन्यम् ।।२५८।।

वस्तुतस्तु एकसजातीयक्रियामुखेन द्वयोः परस्परोपकारत्वलक्षणम् ।

यथा—

कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य
मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य ।

जैसे—

हे रूपसी ! घने कमलों के लिए विकास रूप, सारे भौंरों के लिए मद रूप, कोयलों के लिए सुख रूप तथा लोगों की उत्कण्ठा को उत्पन्न करने वाला यह सुन्दर [वसन्त का] समय आ रहा है ।

टि०—यहाँ वसन्त का उसके विकास आदि कार्यों के साथ अभेद दिखाने से यह हेतु अलङ्कार का उदाहरण है कारणमाला का नहीं है । रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,८३) में हेतु अलङ्कार के उदाहरण के रूप में यह श्लोक मिलता है ।

और जैसे—

घी आयु है, नदी पुण्य है, चोर डर है, प्रेयसी सुख है, जुआ वैर है, गुरु ज्ञान है और ब्राह्मणों की पूजा करना मङ्गल है ।

टि०—यहाँ आयु और घी में कार्यकारणभावसम्बन्ध है और अभेद है । यही शुद्धा सारोपा लक्षणा है । रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,८३) के वृत्तिभाग में यह श्लोक मिलता है ।

इसके बाद ४०. अन्योऽन्य [का लक्षण] है—

जहाँ शब्दप्रतिपाद्य दो पदार्थों में परस्पर—क्रिया के साथ एक ही कर्त्ता आदि कारक होने से विशेष चमत्कार होता है वहाँ अन्योऽन्य अलङ्कार होता है ।।२५८।।

वास्तव में तो समान क्रिया के द्वारा दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के प्रति उपकारक बनना अन्योऽन्य का लक्षण है—

जैसे—

उस [पार्वती] के कण्ठ तथा स्तनों के मध्य में लहराते हुए [अथवा

---

१. ज त; यथा वा ... ... ब्राह्मणपूजनम् यह अंश अ में नहीं

अन्योऽन्यशोभा जननाद् वभूव
साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥ ४०९ ॥

यथा वा—

रूपं यौवनलक्ष्म्या यौवनमपि रूपसम्पदस्तस्याः ।
अन्योऽन्यमलङ्करणं विभाति शरदिन्दुसुन्दर्याः ॥ ४१० ॥

अथोत्तरम्—

उत्तरवचनश्रवणादुन्नयनं यत्र पूर्ववचनानाम् ।
क्रियते तदुत्तरं स्यात्प्रश्नादप्युन्नयनं यत्र ॥२५९॥

प्रश्नोन्नायकोत्तरत्वमेकं लक्षणम् । प्रश्नापूर्वकलोकातिक्रान्तासकृदुत्तरत्वं द्वितीयं लक्षणम् । क्रमेण यथा—

गम्यतामन्यतः पान्थ तवेह वसतिः कुतः ।
दोषाय स्यादलं येन वसतिः प्रोषितालये ॥ ४११ ॥

सुन्दर अत्यन्त चिकने होने से तलविहीन अतएव] गोलाकार मोतियों के हार का एक दूसरे की शोभा पैदा करने के कारण अलङ्कार और अलङ्कार्य का सम्बन्ध समान रूप से था ॥४०९॥

टि०— यहाँ मुक्ताकलाप के द्वारा कण्ठ की और कण्ठ के द्वारा मुक्ताकलाप की शोभा उत्पन्न किये जाने का वर्णन है । यह श्लोक कुमारसम्भव (२,४२) से लिया गया है । रुय्यक ने अलङ्कारसर्वस्व (१८० श्लोक) में अन्योऽन्य के उदाहरण के रूप में इसे रखा है ।

अथवा जसे—

शरत्कालीन चन्द्रमा के समान सुन्दरी उस नायिका का रूप जवानी की शोभा का और जवानी रूपसम्पत्ति का—पारस्परिक अलङ्कार बनकर शोभित हो रहे हैं ।।४१०॥

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,९२) में यह श्लोक अन्योऽन्य के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है ।

इसके बाद ४१. उत्तर [का लक्षण] है—

उत्तर के वाक्य को सुनने से जहाँ पूर्वप्रश्नों की उद्भावना [कल्पना] की जाती है वह उत्तर होता है और जहाँ प्रश्न से उत्तर को सोच लिया जाय [वहाँ भी] उत्तरालङ्कार होता है ॥२५९॥

१. प्रश्न का उद्भावन करने वाले उत्तर का होना एक लक्षण है ।

२. बिना प्रश्न के लोकोत्तर बात का अनेक बार उत्तर देना दूसरा लक्षण है ।

क्रम से उदाहरण जैसे—

हे पथिक ! तुम और जगह जाओ, यहाँ तुम्हारा निवास कैसे हो सकता है ?

भो गृहिणि वासं देहीति यावत् पान्थस्य कस्यचिद् वचनमुत्तर-वाक्येनोन्नीयते[1] ।

तथा—

किं स्वर्गादधिकसुखं बन्धुसुहृत्पण्डितैः समं लक्ष्मीः ।
सौराज्यमदुर्भिक्षं सत्काव्यरसामृतस्वादः ।। ४१२ ।।

अथास्य प्रश्नपरिसङ्ख्यायाश्च को विशेषः ? तत्र नियमप्रतीतिरत्र तु प्रश्नोत्तरमात्रं न तु नियमधीः ।

अथ सूक्ष्मम्—

कुतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मै प्रकाश्यते ।
धर्मेण केनचिद् यत्र तत् सूक्ष्मं परिचक्षते ।।२६०।।

कुतोऽप्याकारादिङ्गिताद् वा ।

क्योंकि प्रोषितभर्तृका [परदेस में गये हुए पति वाली] स्त्री के घर में [तुम्हारा] रहना बहुत अधिक दोष के लिए होगा ।।४११।।

हे गृहस्वामिनी ! हमें [यहाँ] रहने दो किसी पथिक की इतनी उक्ति उत्तर बने हुए वाक्य से अनुमान के द्वारा प्रतीत हो रही है ।

और [दूसरा उदाहरण]

स्वर्ग से भी अधिक सुखकारी क्या है ? सम्बन्धियों, मित्रों और विद्वानों के साथ धनसमृद्धि [का भोग], अच्छा राज्य, अकाल का अभाव तथा उत्तम काव्यरस के अमृत का आस्वादन [ही सुखदायक वस्तुएँ हैं] ।।४१२।।

टि०—यह प्रश्न से उत्तर के निश्चय किये जाने का उदाहरण है रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,९५) में यह श्लोक दिया हुआ है ।

और इसका प्रश्नपूर्विका परिसङ्ख्या से क्या भेद है ? उस परिसङ्ख्या में तो नियमप्रतीति अर्थात् इतना ही या केवल यही इस रूप में निश्चित मात्रा या निश्चित सीमा का ज्ञान होता है और यहाँ [इस उत्तरालङ्कार में] केवल प्रश्न और उसके उत्तर भर का ही ज्ञान होता है किसी प्रकार की नियमबुद्धि ज्ञात नहीं हुआ करती है ।

इसके बाद ४२. सूक्ष्म [का लक्षण] है—

दुर्ज्ञेय [सूक्ष्म] भी अर्थ किसी प्रकार से जान लिया गया है यह बात [अथवा जाना हुआ सूक्ष्म अर्थ भी] जहाँ किसी [स्मारक] धर्म से दूसरे को बतलाई जाती है उसे सूक्ष्म अलङ्कार कहते हैं ।।२६०।।

यहाँ कुतोऽपि का अर्थ है— किसी तरह से भी अर्थात् आकार या चेष्टा आदि से ।

टि०—काव्यप्रकाश (१०, १२२-१२३) में भी यही सूक्ष्म का लक्षण है ।

१: त, यावत्कस्यचिद् वचनमनुमानवाक्येनो ... ज अ

अत एव—

इङ्गिताकारलक्ष्योऽर्थः सौक्ष्म्यात्सूक्ष्मतरः स्मृतः । इति ।[1]

यथा—

वक्त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्धै
दृष्ट्वा भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे ।
पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या[2]
स्मित्वा पाणौ खड्गलेखां लिलेख ॥ ४१३ ॥

तथा—

कान्ते कनकजम्बीरं करे किमपि कुर्वति ।
आगारलिखिते भानौ बिन्दुमिन्दुमुखी ददौ ॥ ४१४ ॥

इसीलिए—

चेष्टा और आकार से जो अर्थ परिलक्षित होता है वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है। अर्थात् वाणी से प्रकट होने वाले सूक्ष्म अर्थ की अपेक्षा आकार और इङ्गित से प्रकट किया अर्थ अधिक सूक्ष्म [अतएव अधिक सुन्दर] होता है।

[आकार से अभिव्यक्ति का उदाहरण] जैसे—

[सम्भोग के बाद निकलती हुई सखी के] मुख पर से [नीचे गले की ओर] बहने वाले पसीने की बूँदों की धारा से [नायिका के] कण्ठ में लगे हुए केसर को बिगड़ा हुआ देखकर किसी [सूक्ष्म दृष्टि वाली] सखी ने मुसकुराते हुए [उस] सुन्दरी के [सुरतकालीन] पुरुषायित को सूचित करते हुए [पुरुषत्वसूचक] तलवार की तस्वीर [उसके] हाथ पर बना दी ॥४१३॥

टि०—यहाँ स्वेदबिन्दु के कारण विगड़े हुए केसर के आकार से जानी गई पुरुषायितं रति (विपरीत रति—पुरुषोचित आसन अपनाकर स्त्री के द्वारा की गई मैथुनक्रिया) पुरुषोचित तलवार की आकृति (चित्र बनाने से) प्रकट की गई है। सम्भोगावस्था में मुँह पर आये हुए पसीने की धारा को नायिका के कण्ठ की ओर न बहकर सिर के पीछे की ओर ही बहना चाहिए था। किन्तु उसका कण्ठप्रदेश की ओर आना विपरीत रति से ही सम्भव है इस कारण तुमने पुरुषोचित कार्य किया है इसलिए तुम्हारा हाथ खड्ग धारण करने योग्य है। यह सूक्ष्म भाव सहेली ने तलवार के चिह्न को नायिका के हाथ पर बनाकर प्रकट कर दिया है। काव्यप्रकाश (१०, ५३१) में यह श्लोक दिया हुआ है।

और [इङ्गित का उदाहरण] जैसे—

सुनहरे जम्बीर [गलगल या माल्टे के] फल को प्रेमी के द्वारा हाथ में

---

१. त; इङ्गिता ... इति ज म में नहीं

२. ज म; व्यञ्जयन्तीव तस्याः त

अथ सारम्—

यत्र यथाऽसमुदायाद् यथैकदेशं क्रमेण गुणवदिति ।
निर्धार्यते परावधि निरतिशयं तद् भवेत् सारम् ॥२६१॥

तत्त्वं च पूर्वपूर्वापेक्षोत्तरोत्तरोत्कर्षविश्रान्त्यधिकरणम् ।

यथा—

भोजनभूषणमबलाकरकमलावर्तितं दुग्धम् ।
कदलं तदलङ्कारस्तदलङ्कारश्च शर्करासारः ॥ ४१५ ॥

अथासङ्गतिः—

विस्पष्टं समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र ।
भवति सहृदयानुगुणं विज्ञेयाऽसङ्गतिः सेयम् ॥२६२॥

पकड़ लेने पर उस चन्द्रवदना ने घर में [भीत के ऊपर] बनाये हुए सूर्य के [चित्र के ऊपर] बिन्दु को प्रदान किया [अर्थात् सूर्य के ऊपर काला चिह्न बना दिया] ॥४१४॥

टि०—यहाँ प्रेमी ने जम्बीरफल को हाथ में लेकर मेरा तुम्हारे स्तनों के स्पर्श करने का कौन सा काल है ? इस सूक्ष्म अभिप्राय को प्रकट किया है। इसको समझ कर नायिका ने सूर्य के चित्र पर बिन्दुचिह्न लगाकर यह सूचित किया है कि जब सूर्य अन्धकाराच्छन्न हो जायेगा तब हमारे रमण का समय होगा। इसमें नायक और नायिका के सूक्ष्म सङ्केतों की ओर निर्देश किया गया है।

इसके बाद ४३. सार का [लक्षण] है—

जहाँ समुदाय में एकत्र पदार्थों में से एक एक पदार्थ को लेकर क्रमशः चरमसीमा तक पहुँचाकर अत्यन्त गुणवान् निश्चित किया जाता है वहाँ सार होता है ॥२६१॥

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,९६) में सार का यही लक्षण है।

और इसका पर्यवसित लक्षण है—पूर्व पूर्व पदार्थ की अपेक्षा अगले अगले पदार्थ का [अधिक] उत्कर्ष की स्थिति का आश्रय बन जाना।

टि०—इस सारालङ्कार में पूर्व पूर्व पदार्थ की अपेक्षा अगले अगले पदार्थ में अधिक उत्कर्ष पाया जाता है यही इस लक्षण का सारांश है।

जैसे—

रमणी के कमल के सदृश कोमल हाथों से [हिला हिला कर गर्म से ठंडा किया हुआ अथवा एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालकर] दिया गया दूध भोजन का अलङ्कार अर्थात सुन्दर भोजन है। [दूध में डाला हुआ] केला [अथवा जमा हुआ दूध] उसका अलङ्कार है और खाँड उस केले का अलङ्कार है ॥४१५॥

इसके बाद ४४. असङ्गति [का लक्षण] है—

जहाँ एक ही काल में कारण दूसरी जगह और [उसका] कार्य दूसरी

कार्यकारणयो र्भिन्नदेशत्वं लक्षणम् । तेन कालविपर्ययात्मिकाऽति-शयो क्तितो भेदः ।

यथा—

नवयौवनेन सुतनोरिन्दुकलाकोमलानि पूर्यन्ते ।
अङ्गान्यसङ्गतानां यूनां हृदि वर्धते कामः ॥ ४१६ ॥

अथ समाधिः—

कारणान्तरयोगतः कार्यस्य सुकरत्वं लक्षणम् ॥२६३॥

जगह स्पष्ट रूप से सहृदयों की रुचि के अनुकूल होकर अलग अलग [दृष्टिगोचर] होता है [वहाँ] वह यह [अत्यन्त चमत्कार को उत्पन्न करने वाली] असङ्गति जाननी चाहिए ॥२६२॥

टि०—यही लक्षण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (६,४८) में थोड़े बदले रूप में में दिया हुआ है।

कार्य और कारण का अलग २ स्थानों पर होना इस [असङ्गति] का लक्षण है [अर्थात् कारण कहीं और स्थित हो और उसका कार्य और कहीं पाया जाय तब असङ्गति होती है]।

टि०—सामान्य नियम यह है कि 'यद्देशमेव कारणं तद्देशमेव कार्यम् न हि महानसस्थो वह्नि पर्वतदेशस्थं धूमं जनयितुं प्रभवति ।' परन्तु असङ्गति में कवि-प्रौढोक्ति से इस नियम का उल्लङ्घन किया जाता है।

[पर्यवसित लक्षण में प्रयुक्त] 'भिन्नदेशत्वम्' इस विशेषण से [कार्य-कारण के पौर्वापर्य रूप] कालविपर्यय के स्वरूप वाली अतिशयोक्ति से भेद होता है।

टि०—पौर्वापर्यविपर्ययात्मिका अतिशयोक्ति में कार्य और कारण एक ही स्थान पर होते हैं जबकि असङ्गति में अलग अलग स्थानों में इनकी स्थिति होती है।

[असङ्गति का उदाहरण] जैसे—

इस शोभन शरीर वाली सुन्दरी के चन्द्रकला के समान नरम अङ्गों को नवयौवन ने भर दिया है [किन्तु] विरही नवयुवकों के हृदय में कामदेव बढ़ रहा है ॥४१६॥

टि०—यहाँ सुन्दरी के नवयौवन से पुष्ट कोमल अङ्गों में कामविकार उत्पन्न होना चाहिए था। किन्तु वहाँ कामवृद्धि न होकर नवयुवकों के हृदय रूप भिन्न देश में हो रही है।

इसके बाद ४५. समाधि [का लक्षण] है—

दूसरे कारणों की सहायता से किसी कार्य का आसानी से पूरा हो जाना [समाधि] का लक्षण है ॥२६३॥

न च समुच्चये अतिव्याप्तिः । तत्रैकस्यापरनैरपेक्ष्येण कार्यपर्याप्तत्वादिह तु परस्परापेक्षितकार्यकारित्वमिति भेदात् ।

यथा—

मानमस्या निराकर्त्तुं पादयो र्मे पतिष्यतः।
उपकाराय दिष्ट्येदमुदीर्णं घनगर्जितम् ॥ ४१७ ॥

अथ समम्—

द्वयो र्योग्यतया सम्बन्धसम्भावनं लक्षणम् ॥२६४॥

टि०—जब किसी एक कारण से कोई कार्य अपने आप होने वाला हो उसी समय और किसी कारण के आ जाने से उस कार्य के सुकर हो जाने पर यह अलङ्कार होता है।

और —

इस अलङ्कार की समुच्चय में अतिव्याप्ति हो जाती है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहाँ एक कारण [अपने कार्य को पूरा करने के लिये] दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं रखता है वह कार्यनिष्पत्ति के लिए [स्वयं अकेला ही] समर्थ होता है किन्तु यहाँ [समाधि में] एक दूसरे की अपेक्षा रखकर ही कारण की कार्यनिष्पादकता होती है यही इन दोनों में भेद है [इसलिए ये दोनों पृथक् पृथक् हैं]।

टि०—समुच्चय में एक कारण के कार्य को निष्पन्न करने के लिए पर्याप्त होने पर भी दूसरे कारण खलेकपोतन्याय से युगपद् आ जाते है। जैसे खलिहान में एक स्थान पर विखरे दानों को देखकर कबूतर इकट्ठे होकर टूट पड़ते हैं वैसे ही समुच्चय में वहुत सारे कारण अहमहमिकया कार्यनिष्पत्त्यर्थं इकट्ठे हो जाते हैं। इसके विपरीत समाधि में किसी एक कारण से काम जैसे तैसे जब सम्पन्न होने को होता है उस समय काकतालीयन्याय से अचानक दूसरे कारण के आ जाने से वह कार्य उस नये कारण की सहायता से सुकर हो जाता है । समुच्चय में पहला कारण कार्यसिद्धि के लिए पर्याप्त होता है जबकि समाधि में पहला कारण अपर्याप्त सा होता है।

[समाधि का उदाहरण] जैसे—

इस [नायिका] के मान को दूर करने के निमित्त इसके पैरों पर गिरने के लिए उद्यत मेरी सहायता के लिए भाग्य से मेघ का प्रवृद्ध गर्जन होने लगा [जिससे इसका मान तत्काल ही दूर हो गया] ॥४१७॥

टि०—यहाँ पर पादपतन कारण मानापनोदन के लिए स्वयं पर्याप्त है किन्तु घनगर्जित की सहायता से उसके द्वारा कार्य होना सुगम हो गया है।

इसके बाद ४६. सम [का लक्षण] है—

दो [विशेष] वस्तुओं के भीतर योग्यता होने से [श्लाघ्य एवं अनुरूप]

तच्चोभयथा—उत्कृष्टयोरपकृष्टयोर्वा । यथा—

निशा शशाङ्कं शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजयतः प्रतीतः ।
विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परं योग्यसमागमाय ॥ ४१८ ॥

यथा—

सुमहद् विचित्रमेतत् समुचितरचने विधिश्चतुरः ।
आस्वाद्यं निम्बफलं तस्य यदास्वादकः काकः ॥ ४१९ ॥

अथ विषमम्—

विरुद्धधर्माध्यासाद् द्वयोः सम्बन्धायोग्यत्वनिर्देश इत्येकम् ॥२६५॥
अभीष्टफलालाभेऽनिष्टफललाभ इति द्वितीयम् ॥२६६॥
कार्यकारणगुणयो र्विरोध इति तृतीयम् ॥२६७॥
कार्यकारणक्रिययो र्विरोध इति चतुर्थम् ॥२६८॥

सम्बन्ध की कल्पना करना [सम का] लक्षण है ॥२६४॥

यह सम्बन्ध दो प्रकार का है—

१. दो उत्कृष्ट वस्तुओं का अथवा २. दो निकृष्ट वस्तुओं का [पारस्परिक अनुरूप] सम्बन्ध ।

[१. उत्कृष्ट वस्तुओं के अनुरूप सम्बन्ध का उदाहरण] जैसे—

रात्रि के साथ चन्द्रमा को, पार्वती के साथ शिव को और लक्ष्मी के साथ विष्णु को जोड़ने वाले विधाता का एक दूसरे के अनुरूप वस्तु को जोड़ने के लिए सुरुचिपूर्ण प्रयास प्रतीत हो रहा है ॥४१८॥

[और २. निकृष्ट वस्तुओं के अनुरूप सम्बन्ध का उदाहरण] जैसे—

यह बात बहुत अधिक अद्भुत है कि विधाता अनुरूप सृष्टि करने में निपुण है । क्योंकि [उसने] नीम के फल [निबौली] को आनन्दपूर्वक खाने योग्य बनाया है और उसको [आनन्दपूर्वक] खाने वाला कौआ बनाया है ॥४१९॥

टि०—यहाँ काक और निम्बफल इन दो निकृष्ट [हीन श्रेणी की] वस्तुओं में सम्बन्ध बताया गया है ।

इसके बाद ४७. विषम [का लक्षण] है—

१. दो [पदार्थों] में विरोधी धर्मों के निश्चय से दोनों में सम्बन्ध होने की अयोग्यता का कथन किया जाना यह पहले प्रकार का विषम है । २. मनोवाञ्छित फल की प्राप्ति न होने पर अनभिलषित एवं अप्रिय फल की प्राप्ति होना दूसरे प्रकार का विषम है ३. कार्य और कारण के गुणों में विरोध तीसरे प्रकार का विषम है और ४. कार्य और कारण की क्रियाओं में विरोध चौथे प्रकार का विषम है ॥२६५-२६८॥

क्रमेण यथा—

शिरीषादपि मृद्वङ्गी क्वेयमायतलोचना।
अयं क्व च कुकूलाग्निकर्कशो मदनज्वरः ॥ ४२० ॥

तथा—

सिंहिकासुतवित्रस्तः शशश्चन्द्रं समाश्रितः।
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥ ४२१ ॥

तथा—

सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा।
तमालनीला शरदिन्दुकान्तं यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते ॥ ४२२ ॥

क्रम से [उदाहरण दिये जा रहे हैं। विरोधी धर्म के अध्यास से अयोग्यता का उदाहरण] जैसे—

सिरस [के फूल] से भी अधिक कोमल अङ्गों से युक्त कहाँ यह दीर्घ नेत्रों वाली [सुन्दरी नायिका] और कहाँ तुषा [भूसे] की अग्नि के समान असह्य यह कामज्वर है ॥४२०॥

टि०—यहाँ मदनज्वर और नायिका दोनों के अत्यन्त विलक्षण होने से इनका सम्बन्ध अनुपपन्न सा प्रतीत हो रहा है। श्लोक में दो बार क्व शब्द के प्रयोग से नायिका तथा मदनज्वर के सम्बन्ध की अनुपपद्यमानता व्यङ्ग्य है। विषम के ये सारे चारों उदाहरण काव्यप्रकाश (१०, ५३८-५४१) में दिये हुए हैं।

और [२. अनिष्ट फल की प्राप्ति का उदाहरण]

शेरनी के बच्चे से भयभीत होकर हरिण [अपनी रक्षा के लिए] चन्द्रमा की शरण में गया किन्तु [वहाँ भी उसकी रक्षा न हो सकी बल्कि] वहाँ उसको [दूसरे सिंहिकापुत्र अर्थात्] राहु ने आश्रय [चन्द्रमा] के सहित ग्रस लिया ॥४२१॥

टि०—यहाँ शेर से बचने के लिए मृग ने चन्द्रमा की शरण ली थी परन्तु उसको इष्टफल की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसके विपरीत राहु के द्वारा आश्रयसहित ग्रस लिये जाने से अनर्थ की प्राप्ति हो गई है।

और [३. कार्य और कारण के गुणों में विरोध का उदाहरण]

प्रत्येक युद्ध में जिसके हाथ का स्पर्श प्राप्त करके तमाल के समान नील वर्ण की तलवार तुरन्त ही तीनों लोकों के अलङ्कार रूप, शरत्कालीन चन्द्रमा के समान शुभ्रवर्ण के यश को उत्पन्न करती है ॥४२२॥

टि०—यहाँ कार्यभूत यश और कारणभूत कृपाण दोनों के गुण एक दूसरे से विपरीत हैं। कृपाण तमाल के समान नीलवर्ण है परन्तु उससे शरत्कालीन चन्द्र के समान शुभ्रवर्ण वाले यश की उत्पत्ति वर्णित है।

तथा—

आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम्।
विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥ ४२३ ॥

न चात्र विरोधो असङ्गतिर्वा स्यादिति वाच्यम्, विरोधस्याविवक्षितत्वात्। कार्यकारणरूपा न तु कारणस्येति ध्येयम्।

अथाधिकम्—

आश्रितमहत्त्वादाश्रयमहत्त्वम्, आश्रयमहत्त्वादाश्रितमहत्त्वं वोभयथाप्यधिकत्वमक्षतम् ॥२६९॥

और [४. कार्य और कारण की क्रियाओं में विरोध का उदाहरण]

हे नीलकमल के समान नेत्रों वाली [प्रिये !] तुम तो इस अमित आनन्द को प्रदान करती हो परन्तु तुमसे ही उत्पन्न हुआ विरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्तप्त करता है ॥४२३॥

टि०—यहाँ कारणभूत नायिका की आनन्ददान क्रिया कार्यभूत विरह के शरीरसन्तापन क्रिया की विरोधी है इसलिए कारण तथा कार्य की क्रियाओं के विपरीत होने के कारण चौथे प्रकार का विषम है।

और यहाँ [इस विषमालङ्कार में] विरोध या असङ्गति अलङ्कार [की अतिव्याप्ति होने का दोष] आयेगा यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ विरोध [कवि को] विवक्षित नहीं है ।

टि०—विरोध वहाँ होता है जहाँ विरोध का आभास ज्ञात हो। यहाँ विरोध है ही नहीं क्योंकि यहाँ ठीक बात ही कही जा रही है।

असङ्गति कार्यकारणरूपा होती है न कि केवल कारण के भीतर [होती है] यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

टि०—विषमालङ्कार में असङ्गति की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि असङ्गति कार्य कारण दोनों में होती है जबकि विषम में केवल कारण की असङ्गति होती है अर्थात् इसमें विरुद्ध कारण से विरुद्ध कार्य की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त असङ्गति में कार्यकारण की भिन्नदेशता आवश्यक होती है जबकि विषमालङ्कार में कार्य कारण एक ही देश में रहते हैं।

इसके बाद ४८. अधिक [का लक्षण] है—

आश्रित [अर्थात् आधेय] की अधिकता की अपेक्षा आश्रय [अर्थात् आधार की ज्यादा बढ़ी हुई] अधिकता [महत्ता] का होना अथवा आश्रय की अधिकता की अपेक्षा आश्रित की [ज्यादा बढ़ी] अधिकता का होना [अधिक अलङ्कार का लक्षण है]। इन दोनों ही रूपों में अधिकालङ्कार के लक्षण को हानि नहीं है ॥२६९॥

यथा—

अहो विशालं भूपाल भुवनत्रितयोदरम्।
माति मातुमशक्तोऽपि यशोराशिर्यदत्र ते ।। ४२४ ।।

द्वितीयं यथा—

युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकास[1]मासत।
तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः ।। ४२५ ।।

प्रथमोदाहरणे अहो विशालमित्यादौ मानाशक्ययशोराशेरधिकतया आधारस्य महत्त्वं प्रतीयतेपर्यन्ते च यशोराशेर्विशालतापरत्वमित्येकमधिकम्। द्वितीये तथाविधे वपुषि मानाभावान्मुदां महत्त्वम्। उभयत्रैव वस्तुप्रकर्षतात्पर्यमिति ध्येयम्।

[१. आश्रित की अधिकता का उदाहरण] जैसे—

हे राजन्! यह इन तीनों लोकों का पेट बड़ा विशाल है जिसमें आपका [अपरिमेय] यश समा जाने में असमर्थ होता हुआ भी समा गया है यह बड़े आश्चर्य की बात है ।।४२४।।

दूसरा [२. आश्रय की अधिकता का उदाहरण] जैसे—

प्रलयकाल में सभी जीवात्माओं को अपने भीतर समेटने वाले भगवान् विष्णु के जिस शरीर में सारे लोक विस्तारसहित समा जाते हैं उस शरीर में तप रूपी सम्पत्ति वाले [तपस्वी] नारद मुनि के आने से उत्पन्न प्रसन्नतायें नहीं समा सकीं ।।४२५।।

टि०—अधिकालङ्कार के ये दोनों उदाहरण काव्यप्रकाश (१०,५४३-५४४) में मिलते हैं।

अहो विशालम्० इत्यादि प्रथम उदाहरण में न समा सकने वाली यशोराशि [रूप आधेय] की अपेक्षा [भुवनत्रितय रूप आधार के] बड़े होने के कारण आधार की महत्ता प्रतीत हो रही है और अन्त में यशःसमूह की विशालताविषयक प्रतीति होती है [अर्थात् तीनों बड़े बड़े लोकों में जो यश समा रहा है वह भी उतना ही बड़ा है] इस प्रकार यह आश्रय [आधार] की महत्ता बताने वाले पहले एक अधिक [का उदाहरण] है। दूसरे [उदाहरण] में उस प्रकार के शरीर में समा न सकने के कारण आश्रित [आधेय] प्रसन्नताओं का बड़ा होना [सूचित होता] है। दोनों ही स्थलों में वस्तुओं के महत्त्व में तात्पर्य है ऐसा समझना चाहिए।

टि०—पहले श्लोक में यशोराशि आधेय है। उसकी अपेक्षा उसका आधार भुवनत्रितयोदर यद्यपि छोटा है तथापि उस यशोराशि के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए उस लघुतर आधार की विशालता का वर्णन 'अहो विशालं भूपाल भुवन-

---

१. त; सविलासम् ज अ।

अथ प्रत्यनीकम्—

वक्तुमुपमेयमुत्तममुपमानं तज्जिगीषया यत्र ।
तस्य विरोधीत्युक्त्या कल्प्येत प्रत्यनीकं तत् ।।२७०।।

तदर्थोऽपि—प्रतिपक्षं तिरस्कर्त्तुमसमर्थेन तदीयस्तुत्यै या तदीयतिरस्कृतिस्तत् प्रत्यनीकम् । यथा—

यस्य किञ्चिदपकर्त्तुमक्षमः कायनिग्रहगृहीतविग्रहः ।
कान्तवक्त्रसदृशाकृतिं कृती राहुरिन्दुमधुनाऽपि बाधते ।। ४२६ ।।

नन्विन्दोस्तदीयत्वाभावात्कथं प्रत्यनीकमिति चेत्, उच्यते साक्षात्

त्रितयोदरम्' कहकर किया है। यह आधार का महत्त्व पर्यवसान में आधेय के महत्त्व को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी आधारभूत कृष्णदेह की अपेक्षा आधेय प्रसन्नता के अल्प होने पर भी उसके उत्कर्षप्रदर्शन के लिए आधेय के आधिक्य का वर्णन किया गया हैं। वस्तुतः इन दोनों को ही बड़ा बताया जाता है। एक की गरिमा से दूसरे की गरिमा स्वतः बढ़ जाती है।

इसके बाद ४९. प्रत्यनीक [का लक्षण] है—

[उपमान की अपेक्षा] उपमेय को उत्तम बताने के लिए [उपमेय को] जीतने की इच्छा के कारण जहाँ उपमेय के विरोधी के रूप में उपमान की कल्पना की जाय वहाँ प्रत्यनीक [अलङ्कार] होता है ।।२७०।।

टि०—यह लक्षण काव्यालङ्कार (८,९२) में भी मिलता है।

इसका सारभूत यह अर्थ भी है—अपने प्रतिपक्षी [शत्रु] के तिरस्कार को करने में असमर्थ [व्यक्ति] के द्वारा उसी प्रतिपक्षी की स्तुति में [पर्यवसित हो जाने वाला] जो तिरस्कार है वह प्रत्यनीक है।

जैसे—

[श्रीकृष्ण के द्वारा राहु के] कायनिग्रह अर्थात् सिर काट दिये जाने के कारण उनसे वैर मानने वाला राहु जिन [कृष्ण] का कुछ भी बिगाड़ सकने में समर्थ नहीं हुआ वह उन [कृष्ण] के सुन्दर मुख के समान आकृति वाले चन्द्रमा को आज भी पीड़ित कर रहा है ।।४२६।।

टि०—यहाँ कृष्ण के साक्षात् सम्बन्धी मुख के साथ सम्बन्ध होने से चन्द्रमा कृष्ण का परम्परा से सम्बन्धी है। भगवान् कृष्ण के मुख को चन्द्रमा से अधिक उत्कृष्ट बताने के लिए उस चन्द्रमा के विरोधी के रूप में राहु की कल्पना की गई है।

चन्द्रमा का विष्णु के मुख से कोई सम्बन्ध न होने से यहाँ प्रत्यनीक अलङ्कार कैसे हो जायेगा? [पूर्वपक्षी की ओर से] यदि ऐसा कहा जाय तो [इसके उत्तर

परम्परया वा तदीयत्वस्य विवक्षितत्वात् ।

अथ मीलितम्—

एकेनापरस्याभिभव इति लक्षणम् ॥२७१॥

अभिभवश्च बलवत्सजातीयग्रहणकृताग्रहणम् । तच्च द्विधा—सहज-धर्मेणागन्तुकेन वा । यथाक्रममुदाहरणम्—

अपाङ्गतरले दृशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम् ।
इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशः स्वतो लीलया
तदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥ ४२७ ॥

में] कहते हैं—[विष्णु का मुख के साथ] साक्षात् सम्बन्ध होने से [और चन्द्रमा के साथ] परम्परासम्बन्ध होने से [विष्णु की चन्द्रमा के साथ होने वाली] तदीयता [साक्षात् और परम्परासम्बन्ध] विवक्षित है [अर्थात् यह सम्बन्ध स्थापित हो सकता है] ।

टि०—विष्णु का अपने मुख के साथ अवयवावयविभाव रूप से साक्षात् सम्बन्ध है, मुख अवयव है और विष्णु अवयवी । विष्णुमुख का चन्द्रमा के साथ उपमानोपमेयभाव रूप साक्षात् सम्बन्ध है, मुख उपमेय है और चन्द्रमा उपमान है । इस प्रकार विष्णु का अपने मुख के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और मुख का चन्द्रमा के साथ । इस कारण विष्णु का मुख और मुख का चन्द्रमा के साथ असाक्षात् अर्थात् परम्परासम्बन्ध बन जाता है । विष्णु का सम्बन्ध मुख से और मुख का सम्बन्ध चन्द्रमा से हो जाने के कारण प्रत्यनीक अलङ्कार बनने में कोई बाधा नहीं आती ।

इसके बाद ५०. मीलित [का लक्षण] है—

एक के द्वारा किसी दूसरे का अभिभव अर्थात् तिरोधान किया जाना यही मीलित का लक्षण है ॥२७१॥

और वह तिरोधान बलवान् सजातीय पदार्थ के ग्रहण से गृहीत न होना [अर्थात् न दबना] होता है । और वह अभिभव दो प्रकार का होता है—१. स्वा-भाविक धर्म से होने वाला अथवा २. कविकल्पना से आये हुए धर्म के कारण होने वाला ।

क्रमानुसार उदाहरण दिये जाते हैं ।

[सहजधर्म के कारण मीलित का उदाहरण]

चञ्चल प्रान्तों [पलकों] वाले नेत्र हैं, वाणियाँ मधुर और वक्रोक्तिपूर्ण हैं, [हावभाव भरी] क्रीड़ा के कारण धीमी चाल है और मुख अत्यन्त सुन्दर हो रहा है । इस प्रकार मृगनयनी के सुन्दर शरीर में अदा के कारण इन सबके विलास का स्वयं ही उदय हो रहा है । इसलिए इसमें स्थान पाया हुआ भी मद का उदय दिखाई नहीं दे रहा है ॥४२७॥

तथा—

मल्लिकामालभारिण्यः सर्वाङ्गीणार्द्रचन्दनाः ।
क्षौमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ॥ ४२८ ॥

अथैकावली—

एकावलीति सेयं यत्रार्थपरम्परा यथालाभम् ।
आधीयते यथोत्तरविशेषणा स्थित्यपोहाभ्याम् ॥२७२॥

स्थितिर्विधानम् । अपोहो निषेधः । पूर्वं पूर्वं विशेष्यमनूद्य विशेषणं विधीयते । उत्तरोत्तरविशेषणेन पूर्वपूर्वविशेषणं निषिध्यते वा सैकावली । क्रमेण यथा—

वने वने यत्र वसन्तवल्ली वसन्तवल्लीषु मधुव्रताल्यः ।
मधुव्रतालीषु मनोज्ञनादा मनोज्ञनादेषु मनांसि यूनाम् ॥४२९॥

टि०—यहाँ नायिका के शरीर में स्क्तरलत्वादि स्वाभाविक चिह्न हैं और ये चिह्न मदिरादिजन्य नशे से भी होते हैं किन्तु यहाँ लीला पद के कथन से मदोदय रूप वस्तु का तिरोधान कर दिया गया है। सुन्दरियों ने यद्यपि शराब पी हुई है परन्तु उनकी स्वाभाविक चेष्टाओं ने मदिरामद को दबाकर उन्हें ऐसा दिखला दिया है कि उन्होंने मदिरापान नहीं किया है।

मोतिया [चमेली] की मालाओं के भारवाली, सारे अङ्गों में गीले चन्दन के लेप वाली और रेशमी वस्त्र पहने हुए शुक्लाभिसारिकायें चाँदनी में नहीं दिखाई पड़तीं ॥४२८॥

टि०—यहाँ माला और चन्दन से आये हुए श्वेतधर्म से शुक्लाभिसारिकाओं की शुक्लता दब गई है।

इसके बाद ५१. एकावली [का लक्षण] है—

जहाँ पर अर्थ की शृङ्खला [परम्परा] अवसरानुकूल एवं उचित अगले अगले विशेषणों के साथ विधि और निषेध के द्वारा स्थापित की जाती है वहाँ वह एकावली [अलङ्कार] है ॥२७२॥

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,१०९) में भी यह लक्षण है।

स्थिति का अर्थ है विधि और अपोह का अर्थ है निषेध। पहले पहले विशेष्य का पुनः कथन करके जहाँ उसे उत्तरोत्तर का विशेषण बना दिया जाय अथवा जहाँ उत्तरोत्तर विशेषण के द्वारा पूर्व पूर्व विशेषण का निषेध किया जाय, वह एकावली है।

जहाँ प्रत्येक जंगल में वसन्त में उगने वाली लतायें है और वसन्त की लताओं में भौंरों की पङ्क्तियाँ हैं और भौंरों की पङ्क्तियों में सुन्दर शब्द हैं और सुन्दर शब्दों में नवयुवकों के मन हैं ॥४२९॥

यथा वा—

सलिलं विकासि[1]कमलं कमलानि सुगन्धिमधुसमृद्धानि ।
मधु लीनालिकुलमलिकुलमपि मधुररणितमिह ॥४३०॥

तथा[2]—

न तद् वनं यत्र न माधवी लता न सा लता यत्र न मञ्जुमञ्जरी ।
न मञ्जरी सा न च यत्र सौरभं न सौरभं तच्च न यत्र षट्पदाः ॥४३१॥

न चात्र कारणमालाशङ्का । कार्यकारणभावे तात्पर्यविरहात् किन्तु विशेषणविधौ । केचित्तु कारणमालायां पूर्वस्योत्तरं प्रति हेतुताग्रहे उत्तरस्य पूर्वं प्रति विशेषणतायाः स्थापनमिति भेदमाहुः ।

टि० —यहाँ पहले पहले विशेष्य का पुनः कथन करके उसे विशेषण बना दिया गया है और विधि निर्दिष्ट की गई है ।

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

यहाँ पानी विकसित कमलों वाला है और कमल सुगन्धित मधु से समृद्ध हैं, मधु छिपे हुए भौरों से व्याप्त है तथा भ्रमरसमूह भी मधुर गुञ्जार से युक्त है ॥४३०॥

टि०—यहाँ भी पूर्व पूर्व विशेष्य पुनः कथित होकर विशेषण बनता गया है और विधि का निर्देश है । यह उदाहरण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (७,११०) में भी दिया हुआ है ।

और [निषेध का उदाहरण]

वह वन नहीं है जहाँ माधवी लता न हो और वह माधवी लता नहीं जिसमें सुन्दर मञ्जरी [बौर] न हो । वह मञ्जरी नहीं है जहाँ सुगन्धि न हो तथा वह सुगन्धि नहीं है जहाँ पर भौंरे न हों ॥४३१॥

टि०— यहाँ पर पूर्व पूर्व विशेषण का उत्तरोत्तर निषेध है ।

और यहाँ कारणमाला की शङ्का नहीं होती है क्योंकि [कारणमाला में] कार्यकारणभाव होता है और यहाँ कार्यकारणभाव में वक्ता के तात्पर्य का अभाव है अर्थात् इन उदाहरणों में कार्यकारणभाव नहीं दीखता किन्तु यहाँ विशेष्यविशेषण-भाव में तात्पर्य होता है । कुछ [रुय्यक जैसे] विद्वान् तो कारणमाला में पूर्व पूर्व पदार्थ उत्तरोत्तर पदार्थ के प्रति कारण होता है और एकावली में उत्तरोत्तर पदार्थ पूर्व २ के प्रति विशेषण रूप से [विधि या निषेध के द्वारा] स्थापित किया जाता है—यह इन दोनों का आपसी भेद है ऐसा कहते हैं ।

टि०—यहाँ ग्रन्थकार का सङ्केत उन आचार्य रुय्यक की ओर है जिन्होंने

---

१. ज अ; विलासि त

२. ज अ; यथा त

अथ स्मृतिः—

वस्तुविशेषं दृष्ट्वा प्रतिपत्ता स्मरति यत्र तत्सदृशम् ।
कालान्तरानुभूतवस्त्वन्तरमित्यदः स्मरणम् ॥ २७३ ॥

तत्सदृशमिति विशेषणात् दोषवशादन्यथा स्मरणे नातिव्याप्तिः । स्मरतीत्यनेनानुभवे नातिव्याप्तिः । न च व्यावर्तितद्वये वैचित्र्यं वर्तते चेल्लक्ष्यत्वेनेष्टापत्ति : । अथ नास्ति चेद् वैचित्र्याभावादेव नालङ्कारतेति

अलङ्कारसर्वस्व में कारणमाला और एकावली के लक्षण इस रूप में दिये हैं—

पूर्वस्य पूर्वस्योत्तरोत्तरहेतुत्वे कारणमाला ॥५३॥

यथापूर्वं परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने एकावली ॥५४॥

—रुय्यककृत अलङ्कारसर्वस्व

इसके बाद ५२. स्मृति [अथवा स्मरण का लक्षण] है—

जहाँ पर कोई ज्ञाता किसी खास चीज़ को देखकर [बाद में दूसरे समय अनुभव की गई उस जैसी दूसरी वस्तु का स्मरण करता है वहाँ वह स्मरणालङ्कार होता है ॥२७३॥

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (८,१०६) में यह लक्षण इसी रूप में दिया हुआ है।

तत्सदृश इस विशेषण से [सादृश्य के अतिरिक्त] और किसी प्रकार के दोष [अर्थात् सम्बन्ध] के कारण दूसरी किसी वस्तु के स्मरण करने पर इस अलङ्कार की वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी [अर्थात् स्मरणालङ्कार वहीं माना जायेगा जहाँ सादृश्य के कारण ही स्मृति पाई जाय]। स्मरति इस पद के कारण साक्षात् अनुभव में इस अलङ्कार की अतिव्याप्ति नहीं होती [अर्थात् प्रतिपत्ता के साक्षात् अनुभव करने पर यह अलङ्कार नहीं होगा किन्तु यह तभी होगा जब स्मृति दिखाई जाय]।

ऊपर निषिद्ध दोनों ही स्थितियों में [अर्थात् सादृश्यातिरिक्त सम्बन्ध होने तथा प्रत्यक्षानुभव होने पर स्मरणालङ्कार की सत्ता अस्वीकार करने पर] यदि विचित्रता है तो ऐसे स्थल भी स्मरणालङ्कार के उदाहरण के रूप में मानने रूप हमारे अभिलषित अर्थ की स्वीकृति हो जानी चाहिए [अर्थात् ऐसे स्थलों को इस अलङ्कार का लक्ष्य मान लेना चाहिए]। और यदि इन दोनों स्थितियों में विचित्रता का अभाव है तब तो उनकी अलङ्कारता स्वतः ही नहीं होगी [ऐसा पूर्वपक्षी का मत हो सकता है]।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय यह है कि क्योंकि सादृश्यातिरिक्त सम्बन्ध और प्रत्यक्ष अनुभव को लेकर होने वाले इन दोनों स्मरणों में सामान्यतया कोई चमत्कार नहीं रहेगा इसलिए उपर्युक्त इस स्थिति में स्मरणालङ्कार नहीं माना जाता। किन्तु यदि विशेष स्थिति में उक्त दोनों स्थलों पर विचित्रता दीखे तो उन्हें

वाच्यं लक्ष्यानुरोधेन लक्षणव्यवस्थापनात् ।

न हि लक्षणानुरोधेन लक्ष्यव्यवस्थितिरिति, अतिव्याप्त्यादीनामुच्छेदापत्तेः ।

यथा—

निम्ननाभिकुहरेषु यदम्भः
प्लावितं मृगदृशां लहरीभिः ।
तद्भवैः कुहकुहैः[1] सुरनार्यः
स्मारिताः सुरतकण्ठरुतानाम् ॥४३२॥

स्मरणालङ्कार का उदाहरण मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए और यदि वस्तुतः किसी प्रकार का कोई वैचित्र्य वहाँ न दीखे तो भी वह अलङ्कार बनेंगे ही नहीं क्योंकि चमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारत्वम्—इस सिद्धान्त के अनुसार चमत्कार या वैचित्र्य का नाम ही अलङ्कार है ।

[सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को] ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि लक्ष्यानुसार ही लक्षण की व्यवस्था की जाती है किन्तु लक्षण के अनुसार लक्ष्य नहीं बनाये जाते यदि ऐसा किया जाय अर्थात् लक्षण के अनुसार लक्ष्य बनाया जाए तो अतिव्याप्ति और असम्भव जैसे दोषों की समाप्ति हो जायेगी ।

टि०—यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि उदाहरणों को देखकर ही लक्षणों की रचना होती है न कि पहले लक्षण बनाकर उसके बाद उनके उदाहरण दिये जाते हैं । यदि पहले लक्षण बनता है और बाद में लक्ष्य इस नये सिद्धान्त को स्वीकृत किया तो फिर कहीं भी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असम्भव आदि दोष कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि रचना करने वाला लक्षणों को सामने रखकर ही काव्य की रचना करेगा और दोषों से बचता चला जायेगा । इस सबके कहने का यह सारांश है कि प्राचीन आचार्यों ने स्मरणालङ्कार के जिन उदाहरणों को देखकर सादृश्य के आधार पर स्मरणालङ्कार के जिस लक्षण को बनाया है वही लक्षण ठीक है अब किसी और अनुभव या सादृश्यातिरिक्त और किसी कारण से होने वाली स्मृति से भी स्मरणालङ्कार बनता है यह मानने की आवश्यकता नहीं है ।

[स्मृति का उदाहरण] जैसे—

चञ्चल नेत्रों वाली अप्सराओं की गहरी नाभि के कुहरों में लहरों ने जो पानी फेंका उससे उत्पन्न कुहकुह को इस प्रकार की [अनुकरणमूलक] ध्वनियों ने अप्सराओं को अपनी सुरतकालीन कण्ठध्वनि को याद कराया ॥४३२॥

टि०—यहाँ देवाङ्गनाओं अर्थात् स्वर्ग की अप्सराओं की जलक्रीड़ा का वर्णन है । यही उदाहरण इसी अलङ्कार का काव्यप्रकाश (१०,५५१) में दिया है ।

---

१ तः कुहरुतैः ज अ

यथा वा—

तव भवने पश्यन्तः स्थूलेन्द्रनीलमणिमालाः ।
भूभृन्नाथ मयूराः स्मरन्त्यमी कृष्णसर्पाणाम् ॥ ४३३ ॥

अथ भ्रान्तिमतोऽस्य च को विशेषः । उच्यते, तत्रोपमानावगतिरेव न तूपमेयावगतिः । इह तूपमानस्मरणं न भ्रान्तिरिति ।

अथ भ्रान्तिमान्—

अर्थविशेषं पश्यन्नवगच्छेदर्थमेव तत्सदृशम् ।
निःसन्देहं यस्मिन् प्रतिपत्तिर्भ्रान्तिमान् स इति ॥ २७४ ॥

प्रकृतस्य सादृश्यात् प्रकृतभावविषयत्वं तत्त्वम्[1] । व्यधिकरणप्रकारकज्ञानत्वमित्यर्थः । तथा चानुभूयमानारोपरूपस्य सामान्यालङ्कारस्या-

---

अथवा [दूसरा उदाहरण] जैसे—

हे महाराजाधिराज ! आपके महल में मोटी मोटी इन्द्रनीलमणियों की मालाओं को देखते हुए यह मोर काले साँपों का स्मरण कर रहे हैं ॥४३३॥

टि०—यहाँ गहरे नीले रंग वाली होने से काली प्रतीत होने वाली इन्द्रनील मणियों से तत्सदृश काले साँपों का स्मरण है । रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (८,११०) में भी यही उदाहरण है ।

[पूर्वपक्षी का कथन है] और भ्रान्तिमान् तथा इस अलङ्कार का [परस्पर] क्या भेद है ? [सिद्धान्ती के द्वारा] यह बताया जाता है—भ्रान्तिमान् में उपमान का ही ज्ञान होता है उपमेय का नहीं परन्तु यहाँ उपमेय को देख कर उपमान का स्मरण होता है न कि उपमेय में उपमान का भ्रम [यही इन दोनों में भेद है] ।

इसके बाद ५३. भ्रान्तिमान् [का लक्षण] है—

जहाँ कोई बोद्धा किसी विशेष पदार्थ को देखकर [सादृश्य के कारण] उसके सदृश अन्य [उपमानभूत] पदार्थ को असन्दिग्ध रूप में जानता है वहाँ वह भ्रान्तिमान् अलङ्कार होता है ॥२७४॥

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (८,८७) में भी भ्रान्तिमान् का यही लक्षण है ।

सादृश्य के कारण उपमेय का उपमान की दशा का विषय होना [अर्थात् उपमान की स्थिति को प्राप्त हो जाना भ्रान्तिमान् का] सारभूत लक्षण है । जो उसका अधिकरण [आश्रय] नहीं है उसका उसके अधिकरण के रूप में ज्ञान होना यह अर्थ है ।

टि०—सामान्यतया भ्रान्ति का स्वरूप अतस्मिंस्तद्बुद्धिः—अर्थात् जो जो वस्तु नहीं है उसको वह समझ लेना होता है इसी बात को यहाँ व्यधिकरणप्रकारक-

---

१. ज अ; तत्त्वम् त में नहीं

ध्यत्रैवान्तर्भाव इत्यपि केचित् । यथा—

मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो बल्लवाः
कर्णे कैरवशङ्कया कुवलयं कुर्वन्ति कान्ता अपि ।
कर्कन्धूफलमुच्चिनोति शबरी मुक्ताफलाकाङ्क्षया
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्द्रिका ॥ ४३४ ॥

अथ प्रतीपम्—

उपमानतिरस्कारः प्रतीपम् ॥ २७५ ॥

तिरस्कारश्चानर्थक्येनोपमानस्योपमेयत्वकल्पनया वा ।

यथाक्रममुदाहरणानि—

किं चन्द्रस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं
वृद्धिं वा झषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम् ?

ज्ञानत्व शब्द से बताया है ।

और अनुभव किये जाते हुए आरोप के स्वरूप वाले सामान्य अलङ्कार का भी इसी में अन्तर्भाव हो जाता है यह भी कुछ आचार्य मानते हैं ।

टि०—अलङ्कारसर्वस्व में रुय्यक ने सामान्य का यह लक्षण किया है—

प्रस्तुतस्यान्येन गुणसाम्यादैकात्म्यं सामान्यम् ॥ अल० स० ७२

इसका अर्थ यह है—जहाँ प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के साथ सामान्य गुणों के योग के कारण एकात्मता (भेद न रहने से एकरूपता) का वर्णन होता है वह समान गुणों के योग के कारण सामान्य कहलाता है । कुछ आचार्य इसका अन्तर्भाव भ्रान्तिमान् में ही कर लेते हैं ।

जैसे—

मूर्ख ग्वाले [चाँदनी को] दूध समझ लेने से गौओं के नीचे घड़ों को रख रहे हैं और सुन्दरियाँ भी नीलकमल को सफेद कमल की [भ्रान्त] बुद्धि से कान में रख रही हैं । मोतियों की आकाङ्क्षा से भिलनियाँ लाल बेर को चुन रही हैं । चन्द्रमा की घनी चाँदनी किसके चित्त के भ्रम को उत्पन्न नहीं कर रही है [अर्थात् वह सभी के चित्त के भीतर भ्रान्ति पैदा कर रही है] ॥४३४॥

टि०—यहाँ बोद्धाओं को चाँदनी के कारण अनेक पदार्थों में भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है ।

इसके बाद ५४. प्रतीप [का लक्षण] है—

[उपमेय के द्वारा] उपमान का तिरस्कार प्रतीप कहलाता है ॥२७५॥

और यह तिरस्कार [दो प्रकार से होता है एक तो] उपमान को व्यर्थ सिद्ध करने से अथवा [दूसरा] उपमान को उपमेय बनाने की कल्पना से ।

क्रमानुसार उदाहरण दिये जा रहे हैं । [उपमान की अनर्थकता का उदाहरण जैसे] ।

क्या [तुम्हारा मुख] चन्द्र की कान्ति का हनन [अर्थात् तिरस्कार] नहीं कर

वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्यते
दर्पः स्यादमृतेन चेत्तदपि ते नन्वस्ति बिम्बाधरे ॥ ४३५ ॥

तथा--

ए एहि दाव सुन्दरि कण्णं दाऊण सुणसु व अणिज्जम् ।
तुमु मुहेण किसोअरि चन्दो उअमिज्जइ जणेण ॥ ४३६ ॥

अथ सामान्यम्—

प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्गुणसाम्येन भेदाग्रहो लक्षणम् ॥ २७६ ॥

यथा--

भवद्यशोमण्डलकान्तिलिप्ते जगत्यनालक्ष्यविशेषहेतौ ।
मल्लीयमेषा नवमालिकेति विविच्य विज्ञातुमलं न कोऽपि ॥ ४३७ ॥

रहा है ? और नेत्रों के आनन्द को नहीं उत्पन्न कर रहा है ? क्या देखने भर से कामदेव [अथवा समुद्र] की वृद्धि [उभार या समुद्र पक्ष में ज्वार] को नहीं कर रहा है ? तुम्हारे मुखचन्द्र के रहते हुए यह जो दूसरा चन्द्रमा उदित हो रहा है यदि उसे अमृत के कारण अभिमान है तो वह अमृत भी तुम्हारे बिम्बतुल्य अधरोष्ठ में है ॥४३५॥

टि०—यहाँ 'मुखे सति किमिन्दुना' इस रूप में उपमान की व्यर्थता सिद्ध की हुई है। अलङ्कारसर्वस्व (श्लोक २६) में रूपक के उदाहरण के रूप में यह श्लोक दिया हुआ है।

और [उदाहरण]

अयि एहि तावत्सुन्दरि कर्णं दत्वा शृणुष्व वचनीयम् ।
तव मुखेन कृशोदरि चन्द्र उपमीयते जनेन ॥ [इति संस्कृतच्छाया]

हे सुन्दरि ! तनिक इधर आओ और कान लगाकर [अपनी] इस निन्दा को सुनो। हे पतले मध्य भाग वाली ! देखो लोग तुम्हारे मुख से चन्द्रमा की उपमा देते हैं ॥४३६॥

टि०—यहाँ चन्द्रमा को उपमेय बना दिया है और मुख को उपमान बनाया है। चन्द्रमा उपमान होने से उत्कृष्ट गुण वाला होता है जबकि मुख उपमेय होने से निकृष्ट गुण वाला होता है किन्तु यहाँ उपमेय मुख को उपमान तथा उपमान चन्द्रमा को उपमेय बना देने से उपमान का तिरस्कार किया गया है। काव्यप्रकाश (१०,५५५) में यही श्लोक प्रतीप के उदाहरण के रूप में दिया गया है।

इसके बाद ५५. सामान्य [का लक्षण] है—

प्रकृत [उपमेय] और अप्रकृत [उपमान] में गुणों की समानता होने से भेद का ग्रहण न किया जाना इसका लक्षण है ॥२७६॥

जैसे—

दिखाई देने वाले भेदक कारणों से रहित, आपके यशोमण्डल की कान्ति से

न च निमीलितेन सह साङ्कर्यशङ्का। तत्र समानधर्मेणान्यदीयेन प्रकृतधर्मनिगूहनं प्रकृते चान्यदीयेन प्रकृतान्ययोर्भेदाग्रह इति विशेषात्। न च भ्रान्तिमता साङ्कर्यं तत्र वस्तुतो भ्रान्तिरत्र तु भेदाग्रह इति विशेषात्।[1] तत्र स्मर्यमाणारोप इह तु गृह्यमाणारोप इति भेद इति कश्चित्।

अथ विशेषः—

विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः।
एकात्मा युगपद्वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा॥ २७७॥
अन्यत्प्रकुर्वतः कार्यमशक्यस्यान्यवस्तुनः।
तथैव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः॥ २७८॥

लिप्त संसार में यह मोतिया [चमेली] है या यह नवमालिका है इस प्रकार का विवेचन करके [तथ्य को] जानने में कोई भी समर्थ नहीं है॥४३७॥

टि०—यहाँ प्रस्तुत यश और अप्रस्तुत मल्ली आदि के बीच श्वेत गुण का साम्य होने से इनमें किसी भेद की प्रतीति नहीं हो रही है।

और इस अलङ्कार की निमीलित के साथ साङ्कर्य होने की शङ्का नहीं है। वहाँ दूसरे [उपमान] के समान धर्म से उपमेय के धर्म का आच्छादन हो जाता है। प्रकृत में अप्रकृत का गुण आ जाने से प्रकृत और अप्रकृत में भेद नहीं रहता यही इसकी विशेषता है।

टि०—सामान्य में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अन्तर्भाव हो जाता है किन्तु निमीलित में पदार्थ के एक धर्म का साम्य होने से दूसरे पदार्थ का धर्ममात्र अन्तर्भूत होता है।

और इसका भ्रान्तिमान् अलङ्कार के साथ भी साङ्कर्य नहीं है वहाँ पर वास्तव में भ्रान्ति होती है और इस सामान्य में भेद का अभाव होता है यह फर्क है। भ्रान्तिमान् में आरोप का स्मरण होता है और यहाँ आरोप गृह्यमाण होता है [अर्थात् वास्तव में आरोप किया जाता है] इस रूप में [इन दोनों में] भेद है यह किसी अन्य आचार्य का मत है।

इसके बाद ५६. विशेष [का लक्षण] है—

१. प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति [का वर्णन होने पर एक प्रकार का विशेषालङ्कार होता है], २. एक पदार्थ की एक ही रूप से अनेक जगह एक साथ उपस्थिति [का वर्णन होने पर दूसरे प्रकार का विशेष अलङ्कार होता है], ३. अन्य कार्य को करते हुए उसी प्रकार से [अथवा अनायास] किसी अशक्य वस्तु का उत्पादन [वर्णन होने पर तीसरे प्रकार का विशेष होता है] इस प्रकार तीन तरह का विशेष [अलङ्कार] माना गया है॥२७७-२७८॥

---

१. ज अ; न च भ्रान्तिमता···विशेषात् त में नहीं

एकात्मा एकस्वभावः तथा च एकमेव वस्तु एकेन स्वभावेन युगपद-नेकत्र वर्तत इत्यर्थः।

तथैवेति तेनैव प्रकारेणेत्यर्थः। क्रमेण यथा—

दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्।
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः ॥ ४३८ ॥

अत्र वाचामाकाशाश्रयत्वेऽपि कर्तृनिष्ठतया कविप्रसिद्धिः।

तथा—

सा वसइ तुज्झ हिअए सा च्चि अ अच्छीसु सा अ व अणेसु।
अह्मारिसाण सुन्दर ओ आसो कत्थ पावाणम् ॥ ४३९ ॥

टि०—ग्रन्थकार ने विशेष का यह लक्षण और इसके तीनों भेद ज्यों के त्यों काव्यप्रकाश (१०,१३५-१३६) से ले लिये हैं।

[कारिका में आये हुए] एकात्मा [शब्द का अर्थ है] एक स्वभाव [अर्थात् एक ही रूप में रहना]। और एक ही वस्तु एक ही स्वभाव से एक कालावच्छेद से अनेक स्थानों पर रहे यह अर्थ है।

टि०—आगे ग्रन्थकार ने विशेष के जो ४ उदाहरण रखे हैं वे सभी काव्य-प्रकाश (१०, ५६०-५६३) से लिये हैं।

[कारिका में आये हुए] तथैवेति पद का अर्थ है—उसी प्रकार से। क्रम से यहाँ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

[१. प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति का उदाहरण]

स्वर्ग लोक को गये हुए भी प्रचुर गुणों से युक्त जिनकी [काव्य रूप] वाणी संसार के लोगों को प्रलयपर्यन्त आनन्दित करती है वह कवि कैसे वन्दनीय नहीं हैं?॥४३८॥

यहाँ वाणियों के आकाश के आश्रित होने पर भी [उनका अपने] रचयिता कवि में रहने से यह बात कविप्रसिद्धि [अर्थात् कविसमय] है।

टि०—यहाँ कवि रूप आधार के बिना वाणी रूप आधेय की स्थिति बतलाई है। कवियों के देहावसान के अनन्तर भी उनकी वाणियाँ जीवित रहती हैं इस बात का प्रतिपादन किया है।

२. और [एक वस्तु के अनेकत्र रहने का उदाहरण]

सा वसति तव हृदये सैवाक्षिषु सा च वचनेषु।
अस्मादृशीनां सुन्दर ! अवकाशः कुतः पापानाम् ॥

[इति संस्कृतच्छाया]

वह [नायिका] तुम्हारे हृदय में रहती है, वही [तुम्हारी] आँखों में [बसी है] और वही [तुम्हारे] वचनों में रहती है तब हे सुन्दर ! हमारी जैसी अभागिनियों के लिए [तुम्हारे पास] स्थान ही कहाँ हो सकता है॥४३९॥

तथा—

स्फुरदद्भुतरूपमुत्प्रतापज्वलनं त्वां सृजताऽनवद्यविद्यम् ।
विधिना ससृजे नवो मनोभूर्भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च ॥४४०॥

एवं हरणेऽपि प्रागुदाहृतं गृहिणी सचिव इत्यादि ॥४४१॥

अथ तद्गुणः—

असमानगुणं यस्मिन्नतिबहलगुणेन वस्तुना वस्तु ।
संसृष्टं तद्गुणतां धत्ते चेत्तद्गुणः स इति ॥ २७९ ॥

टि०—यहाँ एक नायिका रूप पदार्थ की एक ही स्वरूप से एक साथ अनेक स्थानों में रहने की स्थिति का वर्णन है ।

३. और [दूसरे अशक्य कार्य को करने का उदाहरण]

[हे राजन् !] चमकते हुए, विलक्षण रूप वाले ऊपर की ओर जलने वाली प्रताप रूपी अग्नि वाले और प्रशस्त विद्याओं से समन्वित आपको बनाने वाले ब्रह्मा ने [उसी प्रयत्न से] सचमुच इस पृथिवी पर [दूसरे] नवीन कामदेव, [दूसरे] सूर्य और दूसरे बृहस्पति को बनाया है ॥४४०॥

टि०—यहाँ राजा के निर्माण रूप एक कार्य को करते हुए विधाता ने उसी प्रयत्न से दूसरे कामदेव, सूर्य तथा वृहस्पति रूप अशक्य कार्य को किया है ।

और इसी प्रकार संहार करने [की स्थिति] में भी पहले दिया गया गृहिणी सचिव० इत्यादि उदाहरण भी [तीसरे प्रकार के विशेष का उदाहरण] है ।

टि०—रघुवंश से लिया गया यह पूरा श्लोक इस प्रकार है—

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बत किं न मे हृतम् ॥

[हे प्रिये इन्दुमति ! तुम मेरी] गृहिणी, मन्त्री, एकान्त की सखी, मनोहर कलाओं [अथवा कामकलाओं] के विषय में प्रियशिष्या [सब कुछ ही थीं] निर्दय मृत्यु ने तुमको हरण करके बताओ मेरा क्या हरण नहीं कर लिया [मेरा सर्वस्व ही लूट लिया है] ॥४४१॥

यहाँ इन्दुमती के संहार रूप एक कार्य को करते समय [उसी के दूसरे रूप] गृहिणी सचिव इत्यादि का संहार दिखाया है ।

इसके बाद ५७. तद्गुण [का लक्षण] है—

जिसमें भिन्न गुण वाली वस्तु अधिक गुण वाली वस्तु के साथ मिली हुई होकर यदि उस [उत्कृष्ट वस्तु] के गुण को धारण कर लेती है तो वह तद्गुणालङ्कार होता है ॥२७९॥

स्वगुणपरित्यागेनापरगुणग्रहणं लक्षणम् । न च मीलिते अतिव्याप्तिः तत्र स्वीयगुणाग्रहणे तात्पर्यमिह तु परगुणग्रहणमिति तात्पर्यभेदेन भेदात् ।[1] यथा—

उत्फुल्लकमलापि कृता कार्तस्वरभास्वरे त्वया कण्ठे ।
एतत्प्रभानुलिप्ता चम्पकदामभ्रमं कुरुते ॥ ४४२ ॥

अथातद्गुणः—

सम्भवन्त्यामपि योग्यतायां परगुणाग्रहणं लक्षणम् ॥ २८० ॥

परगुणाग्रहणमुभयथा—अप्रकृतेन प्रकृतगुणाग्रहणं प्रकृतेन वा अप्रकृतगुणाग्रहणम् । यथा—

धवलोऽसि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रञ्जितं हृदयम् ।
रागभरितेऽपि हृदये सुभग निहितो न रक्तोऽसि ॥ ४४३ ॥'

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (९,२४) में भी यही लक्षण है

अपने गुण के परित्याग से दूसरे के गुण को ग्रहण करना [इसका] लक्षण है। इसकी मीलित अलङ्कार के अन्दर अतिव्याप्ति नहीं है वहाँ अपने गुण को ग्रहण न करने में तात्पर्य होता है और यहाँ परगुण ग्रहण में प्रयोजन होता है।

[तद्गुण का उदाहरण] जैसे—

सोने के समान चमकीले कण्ठ में पहनी हुई और इस [कण्ठ] की कान्ति से व्याप्त खिले हुए कमलों की भी यह माला चम्पक की माला की भ्रान्ति उत्पन्न कर रही है ॥४४२॥

टि०—यहाँ पर कमलमाला ने चम्पकमाला के लाल रंग को ग्रहण कर लिया है । तद्गुण का यह उदाहरण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (९.२५) में थोड़े से परिवर्तन के साथ लिया हुआ है।

इसके बाद ५८. अतद्गुण [का लक्षण] है—

योग्यता के होते हुए भी दूसरे के गुणों को ग्रहण न करना [अतद्गुण का] लक्षण है ॥२८०॥

दूसरे गुणों को ग्रहण न करना दो प्रकार से होता है—अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के गुण को ग्रहण न करना अथवा प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत के गुण का ग्रहण न करना।

[१. अप्रकृत के द्वारा प्रकृत के गुणों के अग्रहण का उदाहरण] जैसे—

हे सुन्दर तुम यद्यपि धवल [गौर वर्ण के] हो फिर भी तुमने हृदय को रंग दिया [अनुराग युक्त कर दिया] है। और मैंने तुम को राग [अनुराग, पक्षान्तर में लाल रङ्ग] से युक्त हृदय में रखा, फिर भी हे सौम्य तुम अनुरक्त नहीं हुए हो ॥४४३॥

---

१. त; तत्र स्वीयगुणाग्रहणे तात्पर्यभेदेन भेदात् ज अ

अत्र प्रकृतस्य रागभृतो हृदयस्याप्रकृतेन नायकेन गुणो न गृहीतः। प्रकृतेनाप्रकृतगुणाग्रहणं यथा—

गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः।
राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न नवापचीयते ॥ ४४४ ॥

अत्राप्रस्तुतस्य गुणः राजहंसेन प्रकृतेन न गृहीतः। राजहंसस्योद्देश्यत्वेन प्रकृतता समर्थनीया।

अथ व्याघातः—

यद् यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा।
तथैव तद्विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः ॥ २८१ ॥

टि०—यह श्लोक काव्यप्रकाश (१०,५६५) में इसी अलङ्कार के उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। इस श्लोक के स्थान पर तिरुपति की हस्तलिखित प्रति में निम्न श्लोक दिया हुआ है—

चेतो रञ्जितमस्या धवलेन विलासिना त्वया नूनम्।
रागभृतेऽपि हृदये सुभग निहितो न रक्ततामेषि ॥

हे सौभाग्यशाली नायक! रसिक मन वाले तथा गौर देहधारी तुमने निश्चित रूप से इसके चित्त को रंग दिया (अर्थात् अनुराग युक्त कर दिया) है, किन्तु राग-युक्त (प्रेमयुक्त पक्षान्तर में लाल रंग वाले) हृदय में रखे गये भी तुम रक्तता (अनुराग—पक्षान्तर लालिमा) को प्राप्त नहीं कर रहे हो।

यहाँ पर प्रकृत राग [अनुराग और लालिमा] से भरे हुए हृदय का लाल गुण अप्रस्तुत नायक ने ग्रहण नहीं किया है।

२. प्रकृत के द्वारा अप्रकृत के गुण को ग्रहण न करने का उदाहरण जैसे—

गङ्गा का जल शुभ्र है और यमुना का जल काजल की तरह काला है। किन्तु हे राजहंस! दोनों जगह स्नान करने [तैरने और डुबकी लगाने] पर भी तुम्हारी वैसी ही शुभ्रता रहती है [गङ्गा जल में स्नान करने से] न तो बढ़ती है और न [यमुना के पानी में नहाने से] कम होती है ॥४४४॥

यहाँ अप्रस्तुत [गङ्गा और यमुना के जलों] का [गौर और कृष्ण वर्ण रूप] गुण राजहंस ने नहीं ग्रहण किया है। यहाँ राजहंस के उद्देश्य [विशेष्य अथवा कही हुई बात के लक्ष्य—विषय] बनने के कारण [उसका] प्रकृत होना समर्थन करने योग्य बात है अर्थात् उसे प्रकृत मान ही लेना चाहिए।

टि०—यह श्लोक अतद्गुण के उदाहरण के रूप में अलङ्कारसर्वस्व (श्लोक २३५), काव्यप्रकाश (१०,५६६) और साहित्यदर्पण १०,९१) में दिया हुआ है।

इसके बाद ५९. व्याघात [का लक्षण] है—

किसी वस्तु को कोई जिस प्रकार से सिद्ध करे [बनाये] उसको उसी प्रकार से यदि दूसरा बदल दे उसको व्याघात इस नाम से कहते हैं ॥२८१॥

सजातीयकारणेन विजातीयकार्यलक्षणम्।

यथा—

दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः।
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः॥ ४४५॥

एवं निरूपितेष्वलङ्कारेषु तेषामन्योन्यसम्बन्धे चारुत्वप्रकर्षदर्शनात्संसृष्टिसङ्करादीनां पृथगलङ्कारत्वम्।

उक्तञ्च—

प्रौढानन्दाय संसृष्टि र्नानालङ्कारयोगतः।
रचिता रत्नमालेव पृथगेवावभासते॥

अथ संसृष्टिः—

अलङ्कारस्येतरानपेक्षालङ्कारान्तरयोगित्वं संसृष्टिः॥ २८२॥

टि०—जिस उपाय से एक व्यक्ति किसी कार्य या वस्तु को बनाता हो उसको जीतने की इच्छा से उसी उपाय से दूसरा यदि बदल डाले तो सिद्ध की हुई वस्तु के व्याघात (बिगाड़ देने) का कारण होने से व्याघात कहलाता है। यह लक्षण काव्यप्रकाश १०,१३८-१३९ में मिलता है।

एक जाति के कारण से दूसरी जाति का कार्य हो जाना ही [इस अलङ्कार का] स्वरूप है।

[इसका उदाहरण] जैसे—

[शिव के द्वारा अपने तीसरे] नेत्र से भस्म किये हुए कामदेव को, जो [अपने] नेत्र [के कटाक्ष] से ही जीवित कर देती हैं [इस प्रकार] शिव जी को भी जीत लेने वाली उन सुन्दरियों की मैं स्तुति करता हूँ॥४४५॥

इस प्रकार यहाँ वर्णित अलङ्कारों में उनके एक दूसरे के साथ सम्बन्ध होने पर चमत्कार [सौन्दर्य] का उत्कर्ष दिखाई देने के कारण संसृष्टि और सङ्करादि अलङ्कारों की पृथक् अलङ्कारता है [अर्थात् इन दोनों को पृथक् २ स्वतन्त्र अलङ्कार मानना चाहिए]। और [इस सम्बन्ध में] यह कहा गया है—

[अनेक रत्नों के मेल से] बनाई हुई रत्नमाला के समान अनेक शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों के योग [मिलने] से बनी हुई संसृष्टि पृथक् [स्वतन्त्र] रूप में प्रतीत हुआ करती है और वह परिपक्व बुद्धि वाले सहृदयों के लिए आनन्दजनक होती है।

इसके बाद ९०. संसृष्टि [का लक्षण] है—

एक अलङ्कार का दूसरे अलङ्कार की अपेक्षा के बिना ही [अर्थात् एक दूसरे के साथ बिना कोई सम्बन्ध रखे हुए स्वतन्त्र रूप से एक स्थान पर] मिल जाना संसृष्टि है॥२८२॥

तत्र शब्दालङ्कारसंसृष्टि र्यथा—

द्विरददन्तवलक्षमलक्ष्यत स्फुरित[1] भृङ्गघनच्छविकेतकम् ।
घनघनौघविघट्टनया दिवः कृशशिखं शशिखण्डमिव च्युतम् ।। ४४६।।

अत्र यमकानुप्रासौ शब्दालङ्कारसंसृष्टिं प्रयोजयतः ।

अर्थालङ्कारसंसृष्टिर्यथा—

रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै—
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामपि ।
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयो-
रास्ते तौल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः ।। ४४७ ।।

इन [संसृष्टि के भेदों] में शब्दालङ्कारों की संसृष्टि [का उदाहरण] जैसे—

हाथी के दाँत के टुकड़े के सदृश सफेद और गूँजते हुए भौंरों की बहुत अधिक चमकीली शोभा से युक्त केतकी का वृक्ष बहुत घने [अतएव काले] बादलों के समूह के साथ टकराने से अन्तरिक्ष से गिरे हुए पतले अग्रभाग वाले चन्द्रमा के समान दिखाई पड़ता था ।।४४६।।

यहाँ यमक और अनुप्रास अलङ्कार शब्दालङ्कारों की संसृष्टि को बना रहे हैं ।

टि०—यहाँ द, र्, त और घ वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने से अनुप्रास है और लक्ष, घन, शिख इन वर्णसमूहों की सकृत् आवृत्ति होने से यमकालङ्कार है । इन दोनों का मेल होने से यहाँ दो शब्दालङ्कारों की संसृष्टि है । उत्तरार्ध में उत्प्रेक्षा अलङ्कार होने से यह शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की संसृष्टि का उदाहरण भी माना जा सकता है । यह उदाहरण शिशुपालवध (६,३४) से लिया गया है ।

अर्थालङ्कारों की संसृष्टि [का उदाहरण] जैसे—

हे अशोक ! तुम अपने लाल पल्लवों से रक्त [लाल हो रहे] हो और मैं भी प्रिया के गुणों से रक्त [अनुरागयुक्त] हूँ । तुम्हारे पास [शिलीमुख] भ्रमर आते हैं और हे मित्र ! कामदेव के धनुष से छोड़े गये शिलीमुख [बाण] मेरे ऊपर भी आते हैं । कान्ता का चरणप्रहार [पादाघातादशोको विकसति बकुलं योषितामास्यमद्यैः— इस कविप्रसिद्धि के अनुसार] तुम्हारे लिए जैसे आनन्ददायक है वैसे ही वह [प्रिया का पादप्रहार] मेरे लिए भी आनन्द के लिए है । [इस प्रकार] हे अशोक हमारे और तुम्हारे बीच [सब तरह से] साम्य विद्यमान है । केवल [अन्तर यह है कि] विधाता ने मुझे सशोक [शोकयुक्त] कर दिया है [और तुम अशोक अर्थात् शोकरहित हो] ।।४४७।।

---

१. ज म; स्फुटित त

अत्र केचित्—नास्याः पृथगलङ्कारत्वं कामिनीदेहे मुकुटकुण्डलेहारकेयूरकङ्कणनूपुराणां स्वस्वशोभाजनकत्वं न त्वधिकम्। समुदायिभ्यः समुदायो नाधिक इति न्यायात्। अन्यथा लोकेऽपि तथा कल्पनप्रसङ्गात्। तद्दृष्ट्यैव गुणालङ्कारकल्पनादित्याहुः।

टि०—यहाँ पहले तीन चरणों में पदश्लेष है और 'अशोक केवलमहं यात्रा सशोकीकृतः' इस अंश में श्लेष है। इस कारण यहाँ श्लेष और व्यतिरेक इन दो अर्थालङ्कारों की संसृष्टि है। रत्नावली नाटिका में अशोक वृक्ष को लक्ष्य करके कही गई यह राजा उदयन की उक्ति है।

यहाँ पर कुछ विद्वानों का यह कहना है—संसृष्टि अलङ्कार की पृथक् अलङ्कारता नहीं माननी चाहिए [क्योंकि] स्त्री के शरीर में शिरोमुकुट, कर्ण-कुण्डल, हार, बाजूबन्द, कंगन तथा घुंघरु [तो केवल] अपनी अपनी शोभा को उत्पन्न करते हैं इससे अधिक [वे और कुछ करते ही] नहीं हैं अर्थात् इससे अधिक वे किसी मिली जुली अतिरिक्त शोभा को नहीं उत्पन्न करते हैं।

टि०—पूर्वपक्षी का आशय है—जैसे स्त्री के देह में मुकुटादि आभूषण केवल अपनी अपनी शोभा को दिखाकर तत्तत् अङ्गों की पृथक् २ शोभा को बढ़ाते हैं इसी प्रकार काव्य के किसी एक पद्य में यदि कई अलङ्कार पड़े होते हैं तो वह स्वतन्त्र रूप में अपनी २ शोभा को उत्पन्न करते हैं। परन्तु मिलकर किसी प्रकार की नई अतिरिक्त शोभा को नहीं पैदा करते हैं। अतएव मिलने की दशा में चमत्कार-विशेष न होने के कारण इनकी संसृष्टि को स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं मानना चाहिए।

क्योंकि समुदायियों [अर्थात् घटक अवयवों] से समुदाय [अर्थात् अवयवी] अधिक नहीं होता यह नियम है। नहीं तो लोक में भी इसी प्रकार की कल्पना करने का प्रसङ्ग [अवसर] आयेगा। इसी दृष्टि से भिन्न भिन्न गुणों की और भिन्न भिन्न अलङ्कारों की [पृथक् पृथक् रूप में] कल्पना की गई है [ऐसा उनका मत है]।

टि०—पूर्वपक्षी का कथन है—यदि काव्य में तत्तत् शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों से निष्पन्न होने वाली संसृष्टि को पृथक् अलङ्कार मानेंगे तो लोक में भी नायिका के तत्तत् अवयवों में पहने जाने वाले शिरोभूषण, कर्णभूषणादि अलङ्कारों से मिलकर कोई पृथक् अलङ्कार भी बनना चाहिए और उनका दूसरा नया नाम भी रखा जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं होता है। एक साथ पहने जाने पर भी प्रत्येक अलङ्कार का अलग अलग ही नाम रहता है न कि अलङ्कारसमूह का द्योतक नया नाम प्रचलित किया जाता है। यही नियम काव्य के अलङ्कारों पर भी लागू होना चाहिए। एक स्थान पर जब कई अलङ्कार साथ साथ प्रयुक्त हों तो वहाँ उनकी संसृष्टि न मानकर तत्तत् अलङ्कारों की पृथक् सत्ता ही

तदसत् ।

अङ्गुलीभिरिव केशसञ्चयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः ।
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥

अत्रोपमोत्प्रेक्षारूपकैः समासोक्त्या च सह संसृष्टिरतः शोभातिशयस्यानुभविकत्वेन संसृष्टेरलङ्कारान्तरत्वस्य दुर्वारत्वमिति ।

स्वीकार करनी चाहिए । इसी बात को ध्यान में रखकर प्राचीन आचार्यों ने प्रसादादि गुणों और अनुप्रासादि अलङ्कारों में प्रत्येक को अलग अलग रखा है ।

[इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी के द्वारा प्रतिपादित] वह कथन ठीक नहीं है—

यह चन्द्रमा रूपी नायक अङ्गुलियों के समान अपनी किरणों से केशपाश रूपी अन्धकार को पकड़कर मुकुलित कमलों रूपी बन्द नयनों से युक्त रात्रि रूपी नायिका के मुख को मानों चूम सा रहा है ।

इस श्लोक में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और समासोक्ति के साथ होने वाली संसृष्टि है । अतएव अत्यधिक शोभा का अनुभव कराने के कारण संसृष्टि के पृथक् अलङ्कार होने की अनिवार्यता [एवं अवश्यस्वीकरणीयता की सिद्धि] होती है । इस प्रकार [उत्तर] है ।

टि०—अङ्गुलीभिरिव केशसञ्चयम् इत्यादि इस श्लोक में—अङ्गुलीभिरिव इस स्थान पर उपमा है, चुम्बतीव इन शब्दों में उत्प्रेक्षा है तथा निशा और शशी में नायिका और नायक की चेष्टाओं का आरोप होने के कारण यहाँ समासोक्ति है । इन सब अलङ्कारों के योग के कारण यहाँ संसृष्टि है । ग्रन्थकार इसको एक स्वतन्त्र अलङ्कार मानते हैं ।

क्योंकि परस्पर मिले जुले अलङ्कार न तो किसी अतिरिक्त शोभा को बढ़ाते हैं और न ही उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है इस आधार पर पूर्वपक्षी विद्वानों ने संसृष्टि अलङ्कार को स्वीकार करने में आनाकानी की है । उसके उत्तर में सिद्धान्ती की ओर से यह कहा जा सकता है—ब्लाउज़, पेटीकोट, साड़ी आदि नारी के विभिन्न वस्त्रों की भिन्न भिन्न सञ्ज्ञायें होती हैं । इन सभी वस्त्रों से आवृत सुन्दरी की विशेष शोभा भी होती है और उन सभी वस्त्रों के लिए यह ज़नाने कपड़े हैं इस प्रकार के एक सामान्य नाम का भी व्यवहार होता है । जैसे इन वस्त्रों में पृथक् चमत्कार और नया नाम पाया जाता है वैसे ही अनेक अलङ्कारों के एकत्र होने पर पृथक् चमत्कार है और 'संसृष्टि' नामक उनका नया नाम बोला जा सकता है । लौंग, काली मिर्च, तेजपात और धनिया इन वस्तुओं के मिश्रण से बनने

वाली नई वस्तु का न केवल 'गर्ममसाला' यह नया नाम होता है अपितु उसका आस्वाद भी नया और विलक्षण होता है। इसी प्रकार अनेक अलङ्कारों से बनी हुई संसृष्टि एक नई सी चीज़ हो जाती है और उसका आस्वाद भी अलग तरह का होता है। इलायची, काली मिर्च, आम और सितसर्करा के योग से बनने वाले विलक्षण स्वाद वाले पानक (पन्ने के) रस के नये नाम और नये आस्वाद का प्रत्याख्यान कैसे किया जा सकता है? इसके अतिरिक्त जैसे गर्ममसाला, पानकरस और काव्यरसास्वाद का चमत्कार और आस्वाद साक्षात् अनुभव की वस्तुएँ हैं इस कारण इनकी सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता वैसे ही संसृष्टि का भी चमत्कार और आस्वाद अनुभव का विषय है। इसलिए संसृष्टि को भी पृथक् अलङ्कार के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

कुवलयानन्द में अप्पयदीक्षित ने संसृष्टि अलङ्कार की चर्चा आरम्भ करने से पहले इसकी पृथक् स्थिति और पृथक् चमत्कारिता का प्रतिपादन इस प्रकार किया है—

अथैतेषामलङ्काराणां यथासम्भवं क्वचिन्मेलने लौकिकालङ्काराणां मेलन इव चारुत्वातिशयोपलम्भान्नरसिंहन्यायेन पृथगलङ्कारत्वस्थितौ तन्निर्णयः क्रियते।

कुवलयानन्द ११८ अलङ्कारसंसृष्टि के ऊपर का गद्य भाग

यहाँ अप्पयदीक्षित ने बताया है कि जैसे नृसिंहावतार में नर तथा सिंह की आकृति के मेल से भगवान् विष्णु का रूप—विलक्षण होने के कारण विशेष प्रकार के चमत्कार को उत्पन्न करता है इसी प्रकार कई अलङ्कार भी मिलने पर लौकिक अलङ्कारों की तरह विलक्षणता को प्राप्त होकर नये चारुत्व को उत्पन्न करते हैं और इस नये अलङ्कार की पृथक् सत्ता होती है।

इसी प्रकार रुय्यक ने अलङ्कारसर्वस्व में संसृष्टि की पृथक् सत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है—

उक्तालङ्काराणां यथासम्भवं यदि क्वचिद् युगपद् वचनं स्यात् तदा ते किं पृथक्त्व एव पर्यवसिताः उत तदलङ्कारान्तरमेव किञ्चिदिति विचार्यते तत्र यथा बाह्यालङ्काराणां सौवर्णमणिमयप्रभृतीनां पृथक्चारुत्वहेतुत्वेऽपि सङ्घटनाकृतं चारुत्वान्तरं जायते तद्वत्प्रकृतालङ्काराणामपि संयोजने चारुत्वान्तरमुपलभ्यते।

अलङ्कारसर्वस्व सूत्र ८५ वृत्तिभाग।

यदि कहीं उपर्युक्त (पुनरुक्तवदाभासादि) अलङ्कारों का यथासम्भव एक साथ कथन हो तो उन अलङ्कारों को पृथक् ही माना जाय या अलङ्कारों के इस एकत्रसन्निवेश को कोई दूसरा अलङ्कार माना जाय इस सम्बन्ध में विचार करते हैं। जिस प्रकार सोने, मणि आदि से निर्मित लौकिक आभूषणों में इन वस्तुओं के पृथक् पृथक् रूप में रहकर सौन्दर्य के हेतु रहने पर भी सङ्घटना के द्वारा नया सौन्दर्य पैदा हो जाता

अथ सङ्करः—

चमत्कारेऽन्यसापेक्षाणामलङ्काराणां परस्परमनुग्राह्यानुग्राहकत्वम् ॥२८३॥

अयञ्च व्यक्ताव्यक्तरूपत्वाद् द्विधा । तदुक्तम्—

योगवशादेतेषां तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलवच्च ।
व्यक्ताव्यक्तरूपत्वात् सङ्कर उपपद्यते द्विविधः ॥

इति । क्रमेण यथा—

सन्नारीभरणो भवानपि न किं किन्नाधिरूढो वृषं
किं वा नो भवता निकामविषमा दग्धाः पुरो विद्विषाम् ।

है उसी प्रकार प्रस्तुत काव्यगत अलङ्कारों में भी मिश्रण होने पर नये सौन्दर्य का प्रादुर्भाव होता है ।

इसके बाद ६१. सङ्कर [का लक्षण] है—

एक दूसरे की आकाङ्क्षा रखने वाले अलङ्कारों के चमत्कार में परस्पर अनुग्राह्यानुग्राहकभाव [उपस्कार्योपस्कारकसम्बन्ध] का होना सङ्करालङ्कार है ॥२८३॥

और यह व्यक्त [स्फुट] और अव्यक्त [अस्फुट—गूढ़] होने से दो प्रकार का है । यह कहा [भी] है—

इन अलङ्कारों के तिल और चावल तथा दूध और जल की तरह [परस्पर] मिल जाने से स्फुट और अस्फुट रूप होने से यह सङ्कर दो प्रकार का हो जाता है ।

टि०—रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (१०,२५) में सङ्कर की यह परिभाषा दी हुई है । तिलतण्डुलन्याय से अलङ्कारों का सम्बन्ध तब होता है जब एक स्थल पर कई अलङ्कार स्वतन्त्र स्वतन्त्र रूप में दिखाई पड़ते हों । जैसे तिलों और चावलों को एक पात्र में एक दो बार हिलाकर आपस में मिला दिया जाय तो भी वह अलग अलग दिखाई देते हैं इसी प्रकार कई स्थलों पर कई अलङ्कार एकत्र रहते हुए भी, स्वतन्त्र रूप से पृथक् पृथक् दिखाई देते हैं । किन्तु जहाँ वह एक दूसरे के साथ मिलकर इतने घनिष्ठ हो जायें कि उनका स्वतन्त्र रूप न दिखाई पड़े तो वहाँ उनका यह संयोग दुग्धजलवत् अथवा नीरक्षीरन्याय से माना जाता है ।

इस प्रकार [रुद्रट ने दो प्रकार का सङ्कर माना] है। क्रम से उदाहरण दिये जाते हैं ।

[व्यक्तसङ्कर का उदाहरण] जैसे—

हे राजन्! क्या आप भी सन्नारीभरण [शिवपक्ष—सती नारी—पार्वती का पोषण करने वाले, राजपक्ष—रण में शत्रुओं के हाथियों को अपने प्रहार

इत्थं द्वौ परमेश्वराविह शिवस्त्वञ्चैकरूपस्थिती ।
तत्किं लोकविभो न जातु कुरुते सङ्गं भुजङ्गैः सह ॥ ४४८ ॥

अत्र श्लेषव्यतिरेकयोः सङ्करो व्यक्तः

अव्यक्तसङ्करो यथा—

आदौ चुम्बति चन्द्रबिम्बविमलां लोलः कपोलस्थलीं
सम्प्राप्य प्रसरं क्रमेण कुरुते पीनस्तनास्फालनम् ।
युष्मद्वैरीवधूजनस्य सततं कण्ठे लगत्युल्लसन्[1]
किं वा यन्न[2] करोत्यवारितरसः कामीव वाष्पः पतन् ॥ ४४९ ॥

से दुःखी करने वाले] नहीं हैं ? क्या आप वृष पर [शिवपक्ष—बैल पर सवार राजपक्ष—धर्ममार्ग में] स्थित नहीं हैं ? क्या आपने शत्रुओं के निकामविषम [शिव-पक्ष-पूरे तीन, राजपक्ष—अत्यन्त दुर्गम—अजेय] नगर नहीं जलाये हैं ? इस प्रकार इस संसार में एक समान आकृति [स्वभाव] और व्यवहार वाले आप और शिव दोनों ही परमेश्वर [शिवपक्ष—परम स्वामी—सब भूतों के अधिपति, राजपक्ष—परमैश्वर्यशाली] हैं । हे सारे संसार के राजा ! तब आप कभी भी भुजङ्गों [शिव-पक्ष—सर्पों, राजपक्ष—दुराचारी दुष्टों] की सङ्गति क्यों नहीं करते हो ? ॥४४८॥

इस श्लोक में श्लेषालङ्कार तथा व्यतिरेकालङ्कार का सङ्कर व्यक्त रूप में है ।

टि०—यहाँ जैसे शिव हैं वैसे ही हे राजन् आप भी हैं । किन्तु 'न जातु कुरुते सङ्गं भुजङ्गैः सह' इस विशेषण से शिव ने तो भुजङ्गों का सम्पर्क किया है आपने कभी नहीं किया है—अतः आप शिव की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं इस रूप में व्यतिरेक की प्रतीति होती है । 'सन्नारीभरणः' आदि पदों में श्लेष होने से यहाँ श्लेषव्यतिरेकसङ्कर है । काव्यालङ्कार (१०,२७) में यह उदाहरण है ।

[हे राजन्] आपके शत्रुओं की नारियों [की आँखों] का ढुलकता हुआ चञ्चल आँसू चपल कामुक के समान क्या क्या नहीं करता है ? [अर्थात् सब कुछ करता है ।] पहले तो चन्द्रमण्डल के समान निर्मल गालों के [नरम नरम] भाग को चूमता है [अर्थात् आँखों से नीचे ढुलककर गालों का स्पर्श करता है । कामी भी इसी प्रकार गालों का चुम्बन करता है] और फिर वह [आँसू] क्रम से आगे विस्तार को पाकर अर्थात् फैलकर स्थूल [पुष्ट] स्तनों के ऊपर प्रहार [आघात] करता है [कामी भी इसी तरह पीवर स्तनों का आमर्दन करता है] और निरन्तर दीप्ति-युक्त होकर कण्ठ में लगता है [कामी भी हर्षित होकर लगातार गले से लिपटा रहता है] एवं यह न रुकने वाले प्रवाह से भरा है [कामी भी दुर्वार—न रोके जा सकने योग्य कामावेश के आनन्द से पूर्ण रहता है] ॥४४९॥

१. त; गलत्युल्लसन् ज अ
२. ज अ; किं चायं न त

अत्र कपोलस्थलीमिति रूपकम् । कामीव चन्द्रबिम्बविमलामिति चोपमा । वाष्पकामिनोः साधारणविशेषणयोगात् श्लेषः । त्वया व्यापादिता[1] इति पर्यायोक्तम्[2] । आदिपदात् सन्देहोऽपि ।

स यथा—

उभयत्र साधकबाधकप्रमाणाभावेन सन्देहः संशयालङ्कारः ।। २८४ ।।

यथा—

नयनानन्ददायीन्दो बिम्बमेतत् प्रसीदति ।
अधुनापि निरुद्धाशमविशीर्णमिदं तमः ।। ४५० ।।

टि०—यहाँ शत्रुनारियों के आँसू और कामी में समानता दिखाकर यह बताया गया है कि जो जो काम वासनायुक्त कामी करता है वही सारे काम शत्रु-नारियों के आँसू कर रहे हैं । यह उदाहरण रुद्रटकृत काव्यालङ्कार (१०,२९) में दिया हुआ है ।

यहाँ कपोलस्थली इस पद में रूपक है [क्योंकि कपोलों के ऊपर स्थली—भूमि का आरोप है], कामीव और चन्द्रबिम्बविमलाम् इन दोनों पदों में उपमा है [कामी इव वाष्पः इन दोनों में उपमानोपमेयभाव है, चन्द्रबिम्बवत् विमलाम् यह विग्रह होने से लुप्तोपमा है] । वाष्प और कामी इन दोनों के लिए साधारण विशेषणों का प्रयोग होने से श्लेष है [क्योंकि लोलः, उल्लसन्, अवारितरसः, चुम्बति, आस्फालन, लगति इन विशेषणों का उपमेय वाष्प तथा उपमान कामी इन दोनों के साथ सम्बन्ध है] और तुम्हारे द्वारा सारे शत्रु मार दिये गये हैं इस [व्यङ्ग्यार्थ को अभिधा से बताने] के कारण यहाँ पर्यायोक्त है [यहाँ एक ही वस्तु आँसू क्रम से अनेकों में बताई है इस कारण पर्याय भी माना जा सकता है] ।

[वहाँ संसृष्टि और सङ्कर के प्रकरण में प्रयुक्त] आदि पद से सन्देहसङ्कर का भी ग्रहण होता है ।

टि०—संसृष्टि और सङ्कर अलङ्कारों के प्रकरण को प्रारम्भ करते समय पहले 'एवं निरूपितेष्वलङ्कारेषु तेषामन्योऽन्यसम्बन्धे चारुत्वप्रकर्षदर्शनात् संसृष्टि-सङ्करादीनां पृथगलङ्कारत्वम्' इस वाक्य में आये हुए आदि पद से सन्देहालङ्कार का भी ग्रहण है ।

वह सन्देहालङ्कार [इस प्रकार के लक्षण वाला है] जैसे—

दोनों [अलङ्कारों] में साधक और बाधक प्रमाणों के अभाव से युक्त सन्देह संशयालङ्कार होता है ।।२८४।।

[सन्देहसङ्कर का उदाहरण] जैसे—

नेत्रों के आनन्द को देने वाला यह चन्द्रमण्डल [स्वच्छ रूप में] प्रकाशित

---

१. ज अ; जिता इति त

२. संशोधित; पर्यायः ज अ त

अत्र किं कामस्योद्दीपकः कालो वर्तत इति भङ्ग्यन्तरेण कथनात् पर्यायोक्तम्? उत वदनस्येन्दुविम्बतया अध्यवसानादतिशयोक्तिः। किं वा एतदिति वक्त्रं निर्दिश्य तद्रूपारोपाद्रूपकम्। अथवा तयोः समुच्चय-विवक्षायां दीपकम्। अथवा तुल्ययोगिता। किमु प्रदोषसमये विशेषण-साम्यादाननस्यावगतौ समासोक्तिः? आहोस्विन्मुखनैर्मल्यप्रस्तावनाद-प्रस्तुतप्रशंसेति बहूनां सन्देहादयमेव सन्देहालङ्कारः।

हो रहा है। इस समय भी दिशाओं को अवरुद्ध करने वाला यह अन्धकार समाप्त नहीं हुआ है ॥४५०॥

यहाँ यह काम को उद्दीपित करने वाला [बढ़ाने वाला] समय है? इस अर्थ को प्रकारान्तर से कहने के कारण क्या पर्यायोक्त [अलङ्कार] है?

टि० 'पर्यायोक्तं यदा भङ्ग्या गम्यमेवाभिधीयते' साहित्यदर्पण (१०,६१) के इस लक्षण के अनुसार यहाँ प्रस्तुत चन्द्रोदय वर्णन तथा कुछ २ अंधेरे की स्थिति के कहने से यह अभिसरण के लिए उपयुक्ततम समय है इस व्यङ्ग्यार्थ को प्रकारान्तर से अभिधा के द्वारा प्रकट किया गया है।

अथवा चन्द्रमण्डल के द्वारा उसके [निगीर्ण होने रूप] अध्यवसान के कारण यहाँ अतिशयोक्ति है। या फिर 'एतत्' इस पद से मुख का निर्देश करके [उस पर] इन्दुबिम्बके स्वरूप का आरोप करने से रूपकालङ्कार है अथवा प्रकृत मुख और अप्रकृत चन्द्रमा इन दोनों की [प्रसीदति इस एक क्रिया के साथ] समुच्चयविवक्षा [अर्थात् बहुत से शब्दों का एक क्रिया में अन्वय बताने की इच्छा] होने पर दीपक अलङ्कार है या चन्द्रमा और अन्धकार इन दो प्रस्तुत पदार्थों में प्रसीदति और अविशीर्णम् पदों से द्योतित फैलने रूप एक धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होने से [यहाँ] तुल्ययोगिता है। या रजनी के आरम्भ के समय में विशेषण की समानता से मुख के बोध होने पर क्या [यहाँ] समासोक्ति है?

टि०—यहाँ प्रस्तुत चन्द्रमा के नयनानन्ददायी विशेषण से अप्रस्तुत मुख की प्रतीति हो रही है क्योंकि यह विशेषण प्रस्तुत चन्द्र और अप्रस्तुत मुख—दोनों में ही लागू हो रहा है। वस्तुतः यहाँ अप्रस्तुत मुख के व्यवहार के समारोप की प्रतीति अपेक्षित है।

अथवा मुख की निर्मलता रूप प्रस्तुत के वर्णनार्थ [अप्रस्तुत चन्द्रमा का वर्णन होने से] अप्रस्तुतप्रशंसा है।

टि०—अप्रस्तुतवाच्य चन्द्र के द्वारा प्रस्तुत व्यङ्ग्य मुख की प्रतीति यहाँ हो रही है इसका मूल लक्ष्य मुखनैर्मल्यप्रतिपादन है।

इस प्रकार बहुत सारे अलङ्कारों के सन्देह से यही सन्देहसङ्करालङ्कार [का उदाहरण] है।

वस्तुतस्तु, उपमाविशेषा एव सम्भवन्ति केचिदलङ्कारा:। तथाहि—अनन्वय उपमेयोपमा चोपमातो नातिरिच्येते। न चानयोरुपमानान्तरसम्बन्धभावश्चमत्कारप्रयोजक:, उपमायां तु सादृश्यमिति भेद इति वाच्यम्, एकस्योपमानत्वे उपमेयत्वे तथा प्रतीतावपि उपमानत्वानपायात्। न च तद्भिन्नत्वे सतीति विशेषणादुपमातो अनयोर्भेद इति वाच्यम्, कल्पिता-

---

वास्तव में तो कुछ अलङ्कार उपमा के भेद ही माने जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में—अनन्वय और उपमेयोपमा उपमा से अतिरिक्त नहीं है।

इन दोनों में दूसरे उपमान के साथ सम्बन्ध का न होना चमत्कार का कारण है और उपमा में सादृश्य [साम्य चमत्कार का कारण] है यही इन दोनों के साथ उपमा का भेद है [ऐसा पूर्वपक्षी की ओर से कहा जा सकता है]।

टि०—पूर्वपक्षी का कहना है कि अनन्वय और उपमेयोपमा यह दो अलङ्कार अलग हैं और उपमा अलग है। 'मुखं मुखमिव' इस अनन्वयालङ्कार के उदाहरण में मुख का अपने से अतिरिक्त दूसरी उपमानभूत किसी वस्तु के साथ सम्बन्ध का न बनना ही चमत्कार का कारण है इसी प्रकार उपमेयोपमा के चन्द्र इव मुखं मुखमिव चन्द्र: इस उदाहरण में कोई तीसरी सदृश वस्तु उपमान नहीं बन सकती अर्थात् तृतीय सदृशव्यवच्छेद यह धर्म ही चमत्कार का कारण बनता है। इसके विपरीत उपमा में उपमान और उपमेय में सादृश्य पाया जाता है। इसप्रकार अनन्वय में द्वितीयसदृशव्यवच्छेद और उपमेयोपमा में तृतीयसदृशव्यवच्छेद इन दो धर्मों के होने से तथा उपमा में सादृश्य रूप अवच्छेदक धर्म के होने से इन दोनों अलङ्कारों तथा उपमालङ्कार में परस्पर भेद है।

और [सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को] ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु में उपमानत्व और उपमेयत्व होने पर उपमानान्तराभाव की प्रतीति होने पर भी उपमानत्व हट नहीं जाता है [अर्थात् उपमानोपमेयभाव की प्रतीति होती ही है। इस कारण इनको उपमा का भेद ही मानना चाहिए]।

टि०—सिद्धान्ती का कहना है कि अनन्वय और उपमेयोपमा में भले ही द्वितीयसदृशवस्तुव्यवच्छेद और तृतीयसदृशवस्तुव्यवच्छेद पाया जाय किन्तु अनन्वय में एक ही वस्तु का अपने ही साथ तथा उपमेयोपमा में मुख का चन्द्रमा और चन्द्रमा का मुख के साथ उपमानोपमेयभाव रहता ही है और यही सम्बन्ध उपमा में रहता है। इस कारण इन तीनों अलङ्कारों में उपमानोपमेयत्व रूप अवच्छेदक होने से भेद नहीं माना जा सकता।

और [तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वं सादृश्यम् इस सादृश्य के लक्षण में रखे हुए] तद्भिन्नत्वे सति' इस विशेषण के कारण उपमा से इन दोनों का भेद हो जाता है ऐसा मान लेना चाहिए [यह पूर्वपक्ष है]।

कल्पितसाधारणभेदस्यैव विवक्षितत्वात्। कथमन्यथा उपमानोपमेयत्वे एक-स्यैवैकवाक्यगे इत्यादि सूत्रं सङ्गतं स्यादिति।

टि०—पूर्वपक्षी का कहना है कि 'तद्भिन्नत्वे सति' इस विशेषण को उपमा में रख देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उपमालङ्कार में तो उपमान और उपमेय में भेद होता है जबकि इन दोनों में उपमान और उपमेय का अभेद होता है। अनन्वय में तो जो उपमेय होता है वही उपमान हो जाता है और उपमे-योपमा में तृतीयसदृशव्यवच्छेद होने से दो वस्तुओं में अभेद पाया जाता है।

[सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी को यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि [उपमा में] कल्पित [अवास्तविक और अनन्वय और उपमेयोपमा में] अकल्पित [वास्तविक] साधारण धर्म का भेद ही यहाँ विवक्षित है। यदि ऐसा न मानें तो एक वाक्य में एक ही के उपमान तथा उपमेय दोनों होने पर अनन्वय होता है इस सूत्र की सङ्गति कैसे होगी ?

टि०—उपमा में उपमान और उपमेय का भेद तथा इन दोनों अलङ्कारों में उपमान का अभेद होता है ऐसा पूर्वपक्षी ने ऊपर कहा है इसके खण्डन में सिद्धान्ती का कहना है कि उपमा, अनन्वय और उपमेयोपमा में पारस्परिक भेद का यह आधार मानना चाहिए कि उपमा में साधारण धर्म कल्पित होता है जबकि अनन्वय और उपमेयोपमा में साधारण धर्म वास्तविक होता है। इसी काल्पनिक और वास्तविक सामान्य धर्म के आधार पर इन तीनों अलङ्कारों में पारस्परिक भेद की स्थापना की जाती है। जहाँ तक उपमानोपमेयत्व का प्रश्न है वह तो तीनों में समान रूप से होता है। उपमा में उपमान और उपमेय में भेद तथा अनन्वय एवं उपमेयोपमा में उपमेय और उपमान का अभेद होता है इस रूप में यदि पूर्वपक्षी की बात मान ली जाती है तो काव्यप्रकाश में आचार्य मम्मट के द्वारा स्वीकृत अनन्वय अलङ्कार के लक्षण की सङ्गति किसी भी तरह नहीं हो सकेगी काव्यप्रकाश में अनन्वय का लक्षण इस रूप में दिया हुआ है—उपमानोपमेत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे।
अनन्वयः...॥ (काव्यप्रकाश १०,६१)॥

अर्थात् एक वाक्य में एक ही के उपमान और उपमेय (दोनों) होते हैं तो अनन्वय अलङ्कार होता है। यहाँ स्पष्ट ही उन्होंने अनन्वय अलङ्कार में उपमान तथा उपमेय दोनों की भेदात्मक स्थिति स्वीकार की है। इससे यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि अभेद के आधार पर इसे उपमा से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपमानोपमेयत्वे का अर्थ ही यह है—उपमानमुपमेयञ्च तयोः समाहारः तस्य भावः ते। इस कारण उपमान और उपमेय दो पृथक् २ तत्त्व जैसे अनन्वय में होते हैं, वैसे ही उपमेयोपमा और उपमा में भी होते हैं। इस कारण भेद और अभेद के आधार पर इसका विभाजन नहीं किया जा सकता।

उत्प्रेक्षायामपि व्यङ्ग्योपमैव काव्यसर्वस्वादलङ्कार उत्प्रेक्षा तु तदुपस्थापिकेति ध्येयम्। एवं सन्देहरूपकादिष्वपि बोध्यम्। एवमपह्नुतौ श्लेषे समासोक्तौ निदर्शनायामप्रस्तुतप्रशंसायाञ्च स्फुटं व्यङ्ग्योपमायाश्चमत्कारित्वम्। एवं प्रथमातिशयोक्तौ व्यङ्ग्योपमैवालङ्कारः।

द्वितीयायां व्यतिरेकालङ्कारदर्शनादुपमैवालङ्कारः। तृतीयायां

उत्प्रेक्षा [के भेद प्रतीयमाना—उत्प्रेक्षा] में [इवादि का अभाव होने पर] व्यङ्ग्योपमा होती है और वही काव्य का सारभूत तत्त्व होने के कारण अलङ्कार होती है। यह उत्प्रेक्षा उपमा को उपस्थित करने [अथवा निष्पन्न करने] वाली होती है ऐसा मानना चाहिए [इन दोनों में उपस्थाप्योपस्थापकभाव अथवा निर्वाह्यनिर्वाहकभाव माना जा सकता है उपस्थाप्य उपमा प्रधान है तदुपस्थापिका उत्प्रेक्षा गौण है अतः गौणीभूत उत्प्रेक्षा का प्रधानभूत उपमा में आसानी से अन्तर्भाव हो सकता है।

इसी प्रकार सन्देह और रूपकादि में उपमा व्यङ्ग्य होने पर प्रधान होती है ऐसा समझना चाहिए]।

टि०—किं तावत्सरसि सरोजमेतदाहोस्विन्मुखमवभासते तरुण्याः जैसे सन्देह और मुखं चन्द्रः जैसे रूपक के उदाहरणों में पार्यन्तिक रूप में व्यञ्जना से उपमा की ही प्रतीति हुआ करती है। उस व्यङ्ग्योपमा में वाच्यभूत इन सन्देह और रूपक अलङ्कारों का अन्तर्भाव हो सकता है।

इसी प्रकार अपह्नुति, श्लेष, समासोक्ति, निदर्शना और अप्रस्तुतप्रशंसा में व्यङ्ग्योपमा की चमत्कारिता स्पष्ट है [अर्थात् इन अलङ्कारों में भी व्यङ्ग्यभूत उपमा की प्रधानता है]।

इसी प्रकार पहली अर्थात् रूपकातिशयोक्ति [केवल उपमेय के स्वरूप का निगीर्ण करने वाले उपमान से युक्त] में भी व्यङ्ग्योपमा ही अलङ्कार होती है दूसरी अतिशयोक्ति में व्यतिरेकालङ्कार दिखाई देने से उपमालङ्कार ही है।

टि०—तान्यक्षराणि च तदेव पदाभिधेयं···अन्यादृशो मृगदृशो वचसो विलासः (सा० सु० सि० ८, ३३५) इस दूसरे प्रकार की अतिशयोक्ति में यह सुन्दरी औरों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है इस रूप में व्यतिरेकोपमा व्यङ्ग्य है।

तीसरी अतिशयोक्ति में जहाँ असम्भव अर्थ की कल्पना की जाती है वहाँ उपमा का आस्वाद होता है।

टि०—राकायामकलङ्कं चेदमृतांशो र्भवेद् वपुः।
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्॥

सा० सु० सि० ८, ३३७

इस तृतीय प्रकार की अतिशयोक्ति में भी उपमा की प्रतीति व्यङ्ग्य है।

सम्भावितस्यैवोपमा वर्णनीया, चतुर्थी विरोधेन गतार्था। प्रतिवस्तूपमायां स्फुटैवोपमा व्यङ्ग्या एवं दृष्टान्तेऽपि। दीपकेऽप्युपमैव। मालादीपके तूदारता वाचि वैदग्धी अर्थगुणस्तस्यैवोत्कर्षहेतुत्वमिति। एवं तुल्ययोगितायामपि। एवं व्यतिरेकस्योदारतायामुपमायां वा अन्तर्भावः

चौथी [सम्बन्ध न होने पर सम्बन्ध की कल्पना वाली] अतिशयोक्ति विरोधालङ्कार से ज्ञात अर्थ वाली हो जाती है [विरोध से भी पर्यवसान में उपमा की प्रतीति होने से उसी में इस अतिशयोक्ति का अन्तर्भाव हो जाता है]। प्रतिवस्तूपमा में स्पष्ट रूप से उपमा की व्यञ्जना से प्रतीति होती है इसी प्रकार दृष्टान्त में भी [उपमा व्यङ्ग्य होती है] तथा दीपकालङ्कार में भी उपमा ही [व्यङ्ग्य हुआ करती] है। मालादीपक में वाणी में चतुरता रूप उदारता अर्थगुण होता है और उसी के उत्कर्ष की हेतुता होती है यह [कहा जा सकता] है [इस कारण इस अलङ्कार की पृथक् सत्ता न मानकर इसका उदारता नामक अर्थगुण में अन्तर्भाव किया जा सकता है]

टि०—जम्मू, अलवर एवं तिरुपति तीनों ही प्रतियों में वाचि वैदग्धी अर्थगुणः, यह पाठ दिया हुआ है। वामन के दिये हुए उदारता नामक अर्थगुण की परिभाषा अग्राम्यत्वमुदारता (काव्यालङ्कार सू० ३,२,१२) है जिसका अर्थ ग्रामीण लोगों की भाँति पदों का प्रयोग न करना है। इसकी वाचि वैदग्धी विशेषण के साथ सङ्गति हो जाती है किन्तु यदि यहाँ उदारता को शब्दगुण मानकर वाचि वैदग्धी की सङ्गति शब्दगुण उदारता के विकटत्वमुदारता इस लक्षण के साथ लगाई जाये तो वह भी हो जायेगी। वामन ने काव्यालङ्कार सूत्र (३,१,२२) में बताया है—

विकटत्वमुदारता—बन्धस्य विकटत्वं यदसावुदारता। यस्मिन् सति नृत्यन्तीव पदानीति जनस्य वर्णभावना भवति तद्विकटत्वम् लीलायमानत्वमित्यर्थः। मालादीपकालङ्कार के सङ्ग्रामाङ्गणमागतेन भवता सा० सु० सि० ८, ३५० इस उदाहरण में शब्दों में उदारता नामक शब्दगुण पाया जाता है। इस प्रकार इस अलङ्कार का अन्तर्भाव शब्दार्थगुणरूप उदारता में हो जाता है।

इसी प्रकार तुल्ययोगिता में भी [व्यङ्ग्योपमा ही प्रधान होती] है। इसी तरह व्यतिरेक का भी उदारता में अथवा उपमा में अन्तर्भाव करना ठीक है। आक्षेपालङ्कार के सम्बन्ध में [उपमा व्यङ्ग्य होती है] ऐसा समझ लेना चाहिए।

टि०—आक्षेपालङ्कार की परिभाषा रुद्रटकृत काव्यालङ्कार में इस प्रकार दी गई है—

वस्तु प्रसिद्धमिति यद्विरुद्धमिति वास्य वचनमाक्षिप्य।
अन्यत्तथात्वसिद्धयै यत्र ब्रूयात् स आक्षेपः ॥काव्याल० ८,८९

समुचितः । आक्षेपस्याप्येवमेव बोध्यम् । एवं विभावनायां विरोधाभासत्वं समुचितम् । एवं विशेषोक्तावपि । ननु विरोधाभासस्य नवविधत्वात् कथमित्थं सम्भवतीति चेत्, न, अस्माभिरनङ्गीकारात् ।

एवं यथासङ्ख्यं समतात्मके अर्थगुणेऽन्तर्भूतम् । एवमसङ्गते विरोधे

इसके अनुसार आक्षेप में अपनी कही हुई बात साम्य के आधार पर उपमेय का स्थान ले लेती है और जिसको सिद्धि के लिए उपस्थित किया जाता है वह उपमान के स्थान पर आ जाती है जैसे—

जनयति सन्तापमसौ चन्द्रकला कोमलापि मे चित्रम् ।
अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी हि भूमिरुहः ॥

सा० सु० सि० पृ० ४६४

आक्षेप के इस उदाहरण में भी पर्यवसान में उपमा की प्रतीति होती है ।

इसी प्रकार विभावना में विरोधाभास होता है—यह मानना ठीक है [अर्थात् विभावना में विरोधाभास का अन्तर्भाव हो सकता है]। इसी प्रकार विशेषोक्ति के अन्तर्गत विरोधाभास को माना जा सकता है ।

विरोधाभास के नौ प्रकार होने के कारण यह बात कैसे इस रूप में मानी जा सकती है ? [अर्थात् उसका विभावना और विशेषोक्ति में अन्तर्भाव कैसे हो सकता है?] यदि [पूर्वपक्षी की ओर से] ऐसा कहा जाय [तो सिद्धान्ती का कहना है कि] यह बात ठीक नहीं है क्योंकि हम [विरोधाभास इन विभावना और विशेषोक्ति से पृथक् है] ऐसा नहीं स्वीकार करते ।

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने विरोधालङ्कार को विभावना और विशेषोक्ति के अन्तर्गत स्वीकार तो किया है पर अपनी बात की पुष्टि के लिए कोई युक्ति नहीं दी है । सम्भवतः ग्रन्थकार का यही आशय है कि विभावना, विशेषोक्ति और विरोधाभास इन तीनों ही अलङ्कारों में विरोध नामक तत्त्व समान रूप से रहता है । परिणामतः इन अलङ्कारों में विरोधाभास का अन्तर्भाव किया जा सकता है ।

इसी प्रकार यथासङ्ख्य का समता रूप वाले अर्थगुण में अन्तर्भाव हो जाता है ।

टि०—वामन ने काव्यालङ्कारसूत्र (३,१,११) में समता का लक्षण बताया है—मार्गभेदः समता । समता का अर्थ बताया है मार्ग अर्थात् जिस मार्ग से चलना प्रारम्भ कर दिया जाय उसका न छोड़ना (येन मार्गेणोपक्रमस्तस्यात्यागः इत्यर्थः) यथासङ्ख्य में भी जिस क्रम को किसी कवि ने रखा होता है उसी क्रम अथवा परिपाटी का वहाँ निर्वाह करना होता है । इसी कारण यथासङ्ख्य की पृथक् सत्ता नहीं है और उसे समता नामक अर्थगुण के भीतर माना जा सकता है ।

अन्तर्भावः। एवं समाधिसमुच्चयावभिन्नौ। किं बहुना, सर्वत्रैवं विषयेऽतिशयोक्तिरेव प्रमाणत्वेनावतिष्ठते। अतएवोक्तम्—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना १।

अथोपमादोषाः—

हीनत्वमधिकत्वं लिङ्गभेदो वचनभेदो असादृश्यमसम्भवः ॥ २८५ ॥

क्रमेण लक्षणोदाहरणानि—

जात्या प्रमाणेन धर्मेण चोपमानस्य या न्यूनता तद्धीनत्वम् ॥ २८६ ॥

इसी प्रकार असङ्गति अलङ्कार का अन्तर्भाव विरोध में हो सकता है [क्योंकि इन दोनों का स्वरूप मिलता जुलता है]। इसी प्रकार व्याघात अलङ्कार का भी उसी [विरोध] में अन्तर्भाव हो जाता है और इसी तरह समाधि और समुच्चय एक दूसरे से अभिन्न [एक स्वरूप वाले होने के कारण अभेदात्मक] होते हैं।

टि०—समाधि और समुच्चय दोनों में ही कार्यसिद्धि के लिए कारणान्तर की उपस्थिति हो जाती है। यह कारण समाधि में काकतालीयन्याय से और समुच्चय में खलेकपोतन्याय से आते हैं।

इस सम्बन्ध में बहुत विस्तार से कहने से क्या लाभ? सब स्थानों पर अतिशयोक्ति ही प्रमाण रूप में [इनको सिद्ध करने वाली] होती है। इसलिए कहा है—

वह [काव्यशास्त्र में परमप्रसिद्ध] यह सब कहीं वक्रोक्ति [अर्थात् अतिशयोक्ति] ही है। इसके द्वारा [पुराना] पदार्थ [भी विलक्षण रूप में वर्णित किये जाने से] चमक उठता है। [अतः कवि को] इसमें [विशेष] परिश्रम करना चाहिए इसके बिना कौन सा अलङ्कार हो सकता है?

टि०—यह कारिका ध्वन्यालोक (३,३७ वृत्तिभाग) में दी हुई है और भामह के काव्यालङ्कार (२,८५) में मूलकारिका के रूप में दी हुई है। वस्तुतः अतिशयोक्ति जिस जिस अलङ्कार को प्रभावित करती है उसे ही शोभातिशय प्राप्त हो जाता है इसी से सब अलङ्कारों का रूप धारण कर सकने की क्षमता होने से अभेदोपचार से वही सर्वालङ्काररूप है।

और इसके बाद अब उपमादोषों को बताते हैं—

ये दोष हैं—१. हीनत्व २. अधिकत्व, ३. लिङ्गभेद, ४. वचनभेद, और ५. असम्भव ॥२८५॥

क्रम से [इन उपमादोषों के] लक्षण और उदाहरण [दोनों साथ] हैं—

१. हीनत्व—जाति [मनुष्यत्वादि] से, परिमाण [लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई] से और धर्म से [उपमेय की अपेक्षा] उपमान की जो न्यूनता [थोड़ापन] है वह हीनत्व [नामक उपमादोष] है ॥२८६॥

यथा—

चण्डालैरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम् ॥ ४५१ ॥

वह्निस्फुलिङ्ग इव भानुरयं चकास्ति ॥ ४५२ ॥

धर्मन्यूनत्वं यथा—

स मुनि र्लाञ्छितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपटं वहन् ।
व्यराजन्नीलजीमूतभागाश्लिष्ट इवांशुमान् ॥ ४५३ ॥

अत्र मौञ्जीप्रतिवस्तुतडिन्नास्ति ।

जातिप्रमाणधर्माधिक्यमधिकत्वम् ॥ २८७ ॥

यथा—

विशन्तु वृष्णयः शीघ्रं रुद्रा इव महौजसः ॥ ४५४ ॥

टि०—काव्यालङ्कारसूत्र (४,२,६) में जातिप्रमाणधर्मन्यूनतोपमानस्य हीनत्वम् इस रूप में इस लक्षण का दोष है।

[१. जाति का उदाहरण] जैसे—

चण्डालों के समान आप लोगों ने अति साहस [बिना विचारे बहुत बड़ा दुष्कर्म अथवा बहुत कठिन कार्य] किया है ॥४५१॥

टि०—यहाँ उपमान चण्डालसवर्णजाति की उपमेय मनुष्यत्व जाति से हीनता है।

२. प्रमाणन्यूनता का उदाहरण जैसे—

यह सूर्य आग की चिनगारी के समान शोभित हो रहा है ॥४५२॥

टि०—यहाँ उपमेय सूर्य की अपेक्षा उपमान वह्निस्फुलिङ्ग की प्रमाणगत न्यूनता है।

३. धर्मन्यूनता का उदाहरण जैसे—

मूँज की मेखला से सुशोभित और मृग के चर्म को धारण किये हुए वे नारद मुनि नीलमेघखण्ड से आवृत सूर्य के समान शोभित हुए ॥४५३॥

इस उदाहरण में मौञ्जी उपमेय की प्रतिवस्तु अर्थात् उपमान [बिजली की चर्चा] नहीं है।

२. अधिकत्व—जाति, प्रमाण [परिमाण] और धर्म से [उपमेय की अपेक्षा] उपमान की अधिकता होने पर अधिकत्व नामक [उपमादोष) है ॥२८७॥

[१. जाति की अधिकता का उदाहरण] जैसे—

रुद्रों के समान परम तेजस्वी वृष्णिवंश के क्षत्रिय शीघ्र प्रवेश करें ॥४५४॥

टि०—यहाँ उपमेय वृष्णियों की अपेक्षा उपमान रुद्रगणों की (देवता होने के कारण) जातिगत अधिकता है।

तथा—

पातालमिव नाभिस्ते स्तनौ क्षितिधरोपमौ।
वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीजलसन्निभः ॥ ४५५ ॥

तथा—

शिरसि चञ्चलं चक्रं दधद्देवो व्यराजत।
सवाडवाग्निः सावर्तः स्रोतसामिव नायकः ॥ ४५६ ॥
सवाडवाग्निरित्यस्योपमेयाभावाद् धर्माधिक्यम्।
उपमानोपमेययो र्लिङ्गव्यत्यासो लिङ्गभेदः ॥ २८८ ॥

यथा—

सैन्यानि नद्य इव जग्मुरनर्गलानि ॥ ४५७ ॥

एतेन वचनभेदोऽपि व्याख्यातः। यथा—

पास्यामि लोचने तस्याः पुष्पं पुष्पलिहो यथा ॥ ४५८ ॥

और [२. प्रमाण की अधिकता का उदाहरण जैसे]

तुम्हारी नाभि पाताल के समान [गहरी] स्तन पहाड़ों के समान [ऊँचे] और वेणीपाश यमुना प्रवाह के सदृश [कृष्णवर्ण] है ॥४५५॥

टि०—यहाँ नाभि, स्तन और वेणीदण्ड इन उपमेयों की अपेक्षा पाताल, क्षितिधर और कालिन्दीजल इन उपमानों की प्रमाणगत अधिकता है।

और [धर्म की अधिकता का उदाहरण] जैसे—

सिर पर चञ्चल चक्र को धारण किये हुए राजा इस प्रकार शोभित हो रहा था जैसे समुद्र की अग्नि से संवलित और भँवरों से युक्त समुद्र सुशोभित होता है ॥४५६॥

यहाँ [समुद्र के विशेषण] सवाडवाग्नि इस उपमान का कोई उपमेय न होने के कारण धर्माधिक्य है।

३. लिङ्गभेद—उपमान और उपमेय में लिङ्गविपर्यय [पुंल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग का उलटफेर या विपरीतता] ही लिङ्गभेद है ॥२८८॥

जैसे—

अबाधगति वाली सेनायें नदियों की तरह आगे बढ़ रही थीं ॥४५७॥

टि०—इस उदाहरण के सैन्यानि उपमेय में नपुंसकलिङ्ग और नद्यः उपमान में स्त्रीलिङ्ग है। पृथक् लिङ्ग होने से यह लिङ्गभेद का उदाहरण है।

४. वचनभेद—इसी से वचनभेद की भी व्याख्या हो जाती है [अर्थात् जहाँ उपमेय और उपमान में भिन्न भिन्न वचन पाये जायें वहाँ वचनभेद होता है]।

जैसे—

मैं उसके नेत्रों [के सौन्दर्य] का वैसे ही पान करूँगा जैसे भौंरे पुष्प [के रस] का पान करते हैं ॥४५८॥

अप्रतीतगुणसादृश्यमसादृश्यम् ॥ २८९ ॥

यथा—

ग्रथ्नामि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम् ॥ ४५९ ॥

अनुपपन्नत्वमुपमानस्यासम्भवः ॥ २९० ॥

यथा—

चकास्ति वदने तस्याः स्मितच्छाया विकासिनी ।
उन्निद्रस्यारविन्दस्य मध्ये मुग्धेव चन्द्रिका ॥ ४६० ॥

एते चानुचितार्थेनैव गतार्थाः । एवमन्येऽप्यलङ्कारदोषाः सुधीभिरौचित्येनावधेयाः । उत्प्रेक्षायां ध्रुवादय एव शब्दाः सम्भावनं वक्तुमर्हन्ति

टि०—यहाँ पश्यामि क्रिया में अन्तर्भूत 'अहम्' यह कर्त्ता उपमेय है और इसका एकवचन में प्रयोग है जबकि उपमान मधुलिहः में बहुवचन है । उपमेय लोचन में द्विवचन है इसके विपरीत उपमान पुष्प में एकवचन है । यह उदाहरण काव्यालङ्कार सूत्र (४,२,१५) में भी मिलता है ॥२८९॥

५. असादृश्य—अख्यात [अप्रसिद्ध] गुणों के कारण निरूपित सादृश्य को असादृश्य दोष कहते हैं ॥२८९॥

टि०—असादृश्य का अप्रतीत० आदि लक्षण का० सू० (४,२,१६) में है ।

जैसे—

फैले हुए अर्थ रूपी किरणों वाले काव्य रूपी चन्द्रमा की मैं रचना करता हूँ ॥४५९॥

टि०—यहाँ काव्य के साथ चन्द्रमा का और अर्थ के साथ रश्मियों का रूपक नितान्त अप्रसिद्ध सादृश्य वाला है । इस प्रकार के सादृश्य का निरूपण काव्यों में नहीं दिखाई पड़ता है । यह उदाहरण काव्यप्रकाश (१०,५९८) साहित्यदर्पण (७,१६) तथा काव्याल० सू० (४,२,१६) में मिलता है ।

६. असम्भव—उपमान की अनुपपन्नता [असम्भाव्यता] असम्भव दोष है ॥२९०॥

जैसे—

उस नायिका के मुख में विकासपूर्ण [अर्थात् खिली हुई] मुसकुराहट की शोभा उसी प्रकार चमक रही है जैसे किसी खिले हुए कमल के बीच में सुन्दर चन्द्रिका चमका करती है ॥४६०॥

टि०—चाँदनी के पड़ने पर कमल का खिलना असम्भव है । इस कारण यहाँ स्मितच्छाया का उपमान चन्द्रिका को नहीं माना जा सकता ।

ये उपमादोष अनुचितार्थ नामक अर्थदोष में ही समझ लिये जाते हैं [अतः इनका उसी में अन्तर्भाव हो जाता है] । इसी प्रकार दूसरे अलङ्कारदोष भी बुद्धिमानों को औचित्य की दृष्टि से समझ लेने चाहिएं । उत्प्रेक्षा अलङ्कार में ध्रुव आदि ही शब्द सम्भावना [उत्कटैककोटिकसंशय] को बताने के लिए उपयुक्त हो

न तु यथा शब्दोऽपि । तत्र उपादानं दोषः । उदाहरणं स्वयमवधेयम् ।
समाप्तमिदं काव्यलक्षणमित्यलं पल्लवितेन ।[1]

यावत्पाटीरपङ्कद्रवमधुरसुधापूरसेकैस्त्रिलोकी[2]-
मुच्चैः प्रीणाति[3] विप्रप्रणतिनुतपदः पार्वणः शीतभानुः ।
वेगादम्भोजजृम्भावितरणरसिका भानवो भान्ति यावद्
भानोस्तावद् विधत्तामयमपि च सुधासिन्धुरानन्दकन्दम् ॥२९१॥

घूर्णल्लोचनमुच्छलद्विहसितं प्रभ्रष्टसीरं लल-[4]
ल्लालाजालमकालरोषमुदयन्निद्राभिरामश्रियम् ।
जृम्भारम्भमिलन्मिलिन्दपटलं वामाविचाराकुलं
कालिन्दीजलकेलिलम्पटमहं तालाङ्कमेकं भजे ॥ २९२ ॥

सकते हैं न कि यथा शब्द भी [उपयुक्त हो सकता है अतएव यथा का प्रयोग उत्प्रेक्षा में नहीं करना चाहिए। इस यथा का] इस [काव्य] में ग्रहण दोष होता है इसका उदाहरण स्वयं समझ लेना चाहिए ।

इस प्रकार काव्य का लक्षण [स्वरूप] समाप्त हो गया है और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है ।

ब्राह्मणों के नमस्कारों से स्तुति किये गये किरण रूपी चरणों वाले पौर्णमासी के चन्द्रदेव जब तक चन्दन के लेपन द्रव के समान मधुर चन्द्रिकाप्रवाह के सिञ्चनों से तीनों लोकों को बहुत अधिक आनन्दित करते रहेंगे और तेजी के साथ कमलों को विकास प्रदान करने में रुचि रखने वाली सूर्य की किरणें जब तक चमकती रहेंगी तब तक यह साहित्यसुधासिन्धु भी आनन्द की मूल [गूदेदार मीठी जड़ अर्थात् घनीभूत आनन्द] को उत्पन्न करे ॥२९१॥

[मदिरापान से उत्पन्न मद के कारण] घूमते हुए नेत्रों वाले, फूटती हुई हँसी वाले [अर्थात् खिलखिला कर हँसने वाले], गिरते हुए हल वाले [मुंह से बाहर निकल कर] बहती हुई लार के समूह से भरे हुए, असमय में ही [उत्पन्न] क्रोध वाले, प्रकट होने वाली नींद से [उत्पन्न हुई] सुन्दर शोभा से समन्वित, जम्हाई के आरम्भ में [अर्थात् जम्हाई आते ही] चारों ओर से इकट्ठे होने वाले [मद्य की सुगन्धि के लोभी] भ्रमरसमूह से घिरे हुए, रमणी [अपनी प्रेयसी रेवती] के ध्यान से व्याकुल, यमुना की जलक्रीडा के शौकीन और तालासुर के मारने वाले एकमात्र देव बलराम की उपासना मैं करता हूँ ॥२९२॥

---

१. ज अ; पल्लवितेन रामः त
२. ज अ; सुधापूरकर्पूरगौरः त
३. ज अ; त्रैलोक्ये भाति त
४. ज अ; लसल् त

मौलौ गङ्गाम्बुधारा कुवलयपटलीमण्डिता शूलपाणेः
कौन्दी भृङ्गीकदम्बव्यतिकरमधुरा मालिका कन्धरायाम् ।
कर्पूरक्षोदचञ्चन्मृगमदपटलीपङ्कसंकाशमूर्त्ति-
र्वक्षःपीठे पतन्ती क्षितिधरतनयानेत्रशोभाऽवताद् वः ॥ २९३ ॥

आस्ते धारासुराख्यं नगरमतिलसत्केशवोद्दामधाम
प्रभ्राजत् कीर्त्तिपूरं बिलसति सविधे यस्य गोदावरी सा ।
तत्रत्योऽनन्तदेवात्मज इह वसति मुक्तिपुर्यां सवर्यां
तस्याङ्गजस्योल्लसति कृतिरियं विश्वनाथाभिधस्य ॥ २९४ ॥

प्रबलकर्कशतर्कविचारणोल्लसितकाव्यसुलक्षणलक्षिता ।
त्रिमलदेवतनूजविनिर्मिति र्मतिमतां वितनोतु मनोमुदम् ॥ २९५ ॥

इति श्रीत्रिमलदेवतनयविश्वनाथविरचिते साहित्यसुधासिन्धौ अर्थालङ्कारमार्जनं नामाष्टमस्तरङ्गः । समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।[1]

त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाले भगवान् शङ्कर के सिर पर नीलकमलों के समूह से शोभित गङ्गाजल की धारा, [उनकी] ग्रीवा में [पड़ी हुई] भौंरों के समूह के सम्पर्क सुन्दर कुन्द पुष्प की माला, कपूर के [सफेद] चूर्ण को मिलाकर चलाई हुई कस्तूरी के गुंदे हुए ढेर के सदृश [श्वेत और काले वर्ण की मिली जुली शोभा से संवलित होने के कारण वैसे सफेद काले] स्वरूप वाली, और [शिव जी की ओर देखने के समय उनके अथवा अपने] वक्षःस्थल पर गिरने वाली पार्वती के नेत्रों की शोभा आपकी रक्षा करे ॥२९३॥

अत्यन्त देदीप्यमान और भगवान् कृष्ण के प्रचण्ड तेज से चमकते हुए कीर्ति-प्रवाह वाला वह धारासुर नाम का नगर है जिसके समीप ही वह [प्रसिद्ध] गोदावरी नदी है। वहाँ रहने वाले अनन्तदेव के पुत्र [मेरे पिता त्रिमलदेव] इस सवरी [अर्थात् शिव जी की] मुक्तिनगरी [वाराणसी में] रहते हैं उनके विश्वनाथ नामक पुत्र की यह रचना प्रकाशित हो रही है ॥२९४॥

शक्तिशाली कठोर तर्कों के विचारों से शोभित काव्यों के उत्तम लक्षणों से निरूपित [अर्थात्—उत्तम काव्यों के तथा तत्सम्बद्ध अन्य तत्त्वों के लक्षणों से समन्वित] त्रिमलदेव के पुत्र [मुझ विश्वनाथ] की यह रचना बुद्धिमान् [सहृदय] जनों की मन की प्रसन्नता को करे ॥२९५॥

इस प्रकार श्रीत्रिमलदेव के पुत्र विश्वनाथ द्वारा रचे गये साहित्यसुधासिन्धु में अर्थालङ्कारमार्जन नामक यह आठवीं तरङ्ग है। यह ग्रन्थ समाप्त हो गया है।

---

१. तीनों प्रतियों में यहाँ ग्रन्थसमाप्ति पर पृथक् पृथक् वाक्य लिखे हुए हैं—
(क) जम्मू की प्रति में यह वाक्य मिलता है—
समये पौष शुदि ११ वार बृहस्पति, तद्दिने पुस्तकमिदं
लिखितम् । रामो जयति रामः ।
(इस प्रति का नाम मन्से नाम किन से पृथक् है)

कृतिरियं विश्वनाथस्य । शुभं भवतु ।[1]

कीर्त्तिशेषं गते तैस्तैर्गुणैर्विक्रमभूभुजि ।
ग्रहाम्भोधिरसेन्दौ [तस्मिन्][2] संवत्सरक्रमे ॥ २९६ ॥
एकादश्यां गुरौ स्वीयः सुधासिन्धु र्विलेखितः ।
पत्तने चन्द्रचूडस्य विश्वनाथेन धीमता[3] ॥ २९७ ॥

उन उन अर्थात् पराक्रम, दान, दया, दाक्षिण्यादि प्रशस्त गुणों से समन्वित महाराज विक्रम के यशोमात्रशेष रह जाने पर [अर्थात् उनके दिवङ्गत होने के उत्तर काल में] ग्रह, समुद्र, रस और चन्द्र वाले उस [विक्रम] वर्ष की शृङ्खला [अर्थात् संवत् १६४९ अथवा सन् १५९२] में एकादशी में गुरुवार के दिन अपने इस ग्रन्थ साहित्यसुधासिन्धु को शिवजी के [वाराणसी नामक] नगर में विद्वान् विश्वनाथ ने लिखा ॥२९६-२९७॥

टि०—यहाँ ग्रन्थकार ने अपनी रचना का समय, स्थान और नाम देकर अपना नाम भी दिया है । ग्रहों की ९, समुद्रों की ४, रसों की ६ और इन्दु की १ सङ्ख्या हुआ करती है । अङ्कानां वामतो गतिः अर्थात् अङ्कों की गिनती उल्टी ओर से शुरू होती है इस नियम से ९-४-६-१ का क्रम १६४९ हो जायेगा और इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना का काल वैक्रम संवत् १६४९ तदनुसार सन् १५९२ ई० निर्धारित हो जाता है।

यह कृति विश्वनाथ की है । शुभ [कल्याण] हो ।

(ख) अलवर की प्रतिलिपि में यह वाक्य लिखाहुआ है—संवत् १९१४ वैशाख कृष्ण तृतीया तद्दिने पुस्तकं लिखितम् (यह अलवर की प्रतिलिपित का समय है ।)

(ग) तिरुपति की प्रतिलिपि में ये वाक्य लिखे हैं—

सिधि निधि निधि विधु वर्ष शुभ अस सुरु करूँ विचार ।
श्रीसाहित्यसुधासिन्धु तिथि तृतीया सोमवार ॥
प्रति समान लेखक लिखे यह तव हृदय विचार ।
पण्डितजन नहीं देवेंगे लेखक दोष लगार ॥

(यहाँ यह तिरुपति की प्रतिलिपि का समय संवत १९९८ दिया है) ।

१. ज अ; इति शुभं शिवमस्तु त

२. संशोधित; ज अ त में यह स्थान मिटे हुए अक्षरों वाला है ।

३. इस श्लोक के तुरन्त बाद जम्मू की प्रति में यह लिखा हुआ है—
इदं पुस्तकं काशीस्थचिन्तामणिना लक्ष्मणब्रह्मज्ञानिने दत्तम् । श्रीकृष्णार्पणमस्तु । श्रीरामः श्रीरामशरणं मम

साहित्यसुधासिन्धुस्थसूत्रकारिकानुक्रमणिका

अकाण्डे ५, १३०
अखण्डवर्णा ७, १७६
अग्राम्य ६, १६१
अथै ३, २८
अधिक ५, १०७
अधिक्षे ३, ६४
अनङ्गस्य ५, १३१
अनवी ५, १२३
अनिष्टा ३, ६५
अनुपप ८, २९०
अनुपम ८, २०८
अनुवादे ५, १२६
अन्यत्प्रकु ८, २७८
अन्यव्यपो ८, २५६
अन्यसम्ब ५, ११७
अन्वय ५, ११९
अपदस्थ ५, १०१
अपर्याप्त ५, ११६
अपारुष्य ६, १५९
अप्रतीतगु ८, २८९
अप्रतीतमि ५, ९३
अप्रसि ५, ८८
अभिधा २, ११
अभीष्टफला ८, २६६
अभीष्टार्थ ३, ५८
अर्थदृष्टि ६, १६४
अर्थविनिमय ८, २४६
अर्थविशेषं ८, २७४
अर्थविशेषः ८, २३०
अर्थवैम ६, १५६
अर्थव्यक्ति ६, १४४
अर्थाना ८, २१०
अर्थालङ्कार ८, १९१
अर्थो ५, १२२
अर्धनि ५, १११
अलङ्कारकृता १, ७
अलङ्कारस्ये ८, २८२
अवर्तमान ८, २४७
अवाचक ५, ९१
अवृत्तिः ६, १४१
अविमृष्टविधेयांशं प्रा ५, ९७
अविमृष्टविधेयांशं वि ५, ८४
अवैषम्य ६, १५७
अश्रु ३, ५०
असमानगुणं ८, २७९
असमानविशेषणं ८, २२४
असुन्दर ४, ७८
असूया ३, ६२
आकाङ्क्षा २, ८
आक्षेपोऽथ ८, १९५
आत्म ३, ५६
आदरा ३, ६७
आनन्त्य २, १२
आनुपूर्व्या ७, १७४
आम्नात ५, ८६
आरोप्या २, १७
आरोप्ये २, १८
आरोहन्त्य ६, १५४
आलम्बनं ३, २६
आवृत्ति ७, १६९
आश्रितम ८,२६८
आसत्ति ५, ११४

आस्ते ८, २९४
इतरानपेक्ष ८, २५१
इयमन्या ८, २०४
उक्ता ३, ७१
उक्तेर्वैचि ६, १५८
उत्कण्ठे ३, ५५
उत्कर्षयो ८, २५०
उत्तरवचन ८, २५६
उत्तरोत्तर ८, २५७
उत्ताल १, १
उत्ताला १, २
उपमाऽन वय ८, १९२
उपमानतिर ८, २७५
उपमानतः ८, २३४
उपमानोपमेययोरव ८, २११
उपमानोपमेययोर्लिङ्ग ८, २८८
उपमेयतावच्छेदकनि ८, २१८
उपमेयतावच्छेदकप्रकार ८, २२५
उपमेये ८, २१३
उपसर्गं ५, ८७
उपहत ५, १०३
उभयत्र ८, २८४
एकस्य नाना ८, २५२
एकस्यै ८, २०९
एकादश्यां ८, २९७
एकावली ८, २७२
एकेना ८, २७१
ओजः ६, १४३
कपयु ७, १७२
करुणे ६, १३७
कल्पि ५, ९५
कष्ट ५, १२९
कार्यकारणाक्नि ८, २६८
कार्यकारणगु ८, २६७
कार्यकारणयोः ८, २२८
कान्तिरौ ६, १५३
कारणप्र ८, २३८
कारणान्त ८, २६३
कीर्तिशे ८, २९६
कुतोऽपि ८, २६०
क्रमको ६, १५५
क्रमः ५, ११९
क्रियर्यैव ८, २२३
क्रिया ३, ६९
गुण ४, ८०
गुणीभूत ४, ७९
गुर्वादि ३, ३२
घूर्णल्लो ८, २९२
चन्द्र १, ३
चमत्कारे ८, २८३
चित्तस्थ ३, ६८
छन्दो ५, ९०
छेकवृ ७, १७०
जनिता ५, ११०
जातिप्र ८, २८७
जात्या ८, २८६
जायते परमा १, ४
जायते वि ३, ४५
जुगुप्सा ३, ४३
ज्ञेयौ श्रृ ५, १२१
टादि ६, १४२
तत्काव्यं ५, ९६
तत्तज्जा ८, २४२
तत्त्वज्ञा ३, ४४
तत्त्वं च ८, २५५
तत्र शब्दा ७, १६५
तत्रोपमा ८, २०२
दीप्त ६, १६३
दृश्यते ३, ५९
द्योतयित्वा ८, २१९
द्वयोर्यो ८, २६४
द्वादश ३, ३९
ध्याये ५, ८१
न दोषः ५, १२५
नायका ५, १३४
निद्रादि ३, ७०
निन्दादित ३, ५७
निन्दा मुखे ८, २४३
निन्दित ५, ८५
निर्दिश्यन्ते ८, २४०

निर्वेदो ३, ५३
निर्व्या ३, ३६
निषेध ८, २३६
निहुता ५, ८३
न्यूनपदं ५, १०६
न्यूनाधिक ५, १००
पतत्प्रक ५, १०९
पदन्यास ६, १५२
परस्पर ८, २२२
परिशिष्टा ७, १७३
पर्यायो ८, १९७
पश्चादिव ६, १५०
पाद ७, १७५
पार्यन्तिका ८, २४१
पुनरुक्त ७, १९०
पूर्वपूर्व ८, २३२
प्रकृतरस ५, १३२
प्रकृतस्ये ८, २२६
प्रतिकूल ५, १०२
प्रतिपादं ६, १४७
प्रतिपाद्य ५, ८९
प्रतिवस्तू ८, १९४
प्रत्युज्जीव २, २०
प्रधान ३, ७३
प्रबल ८, २९५
प्रयोजन ५, १०८
प्रसिद्धे ५, १२८
प्रस्तुतस्या ८, २४५
प्रस्तुताप्र ८, २७६
प्रस्यन्दि ३, ३७
प्राकरणिकरस ५, १२०
प्राकरणिका ८, २३३
प्रौढि ६, १६२
प्रौढो ३, ७४
बन्धस्य ६, १४९
बन्धे ६, १४८
बहवो ३, २५
बलस्या ३, ६६
भवेद् ३, ३१
भाषाश्लेष ७, १८७
भिन्न ५, ११५
भ्रान्तिमांश्च ८, २००
मनः ३, ६१
माधुर्यौज ६, १३६
मुख्या २, १३
मौली, ८, २९३
यत्र गुणानां ८, २१५
यत्र परस्पर ८, २५८
यत्र प्रकृति ७, १८५
यत्र मुख्या २, १४
यत्र यथा ८, २६१
यत्र वाच्य ३, २१
यत्र विभक्ति ७, १८०
यत्र व्य १, ५
यत्र स्वार्थ २, १६
यत्र स्वार्था २, १५
यत्रारोपा ८, २१७
यत्रैकपद ६, १४५
यत्रैकमनेकार्थैः ८, २२०
यत्रैकार्थमनेके ८, २३१
यदन्यसङ्ग ७, १७७
यदा एकस्मिं ८, २१६
यद् भवेद ५, ९४
यद् यथा सा ८, २८१
यद्यर्था ८, २२७
यस्मिन् नु ७, १८३
यस्मिन् वि ७, १८१
या तु केवल ८, २१२
यावत्पाटी ८, २९१
यूनोरे ३, ३३
येन ५, ११८
यो गुणः ८, २३५
रति ३, ३८
रसत्व ६, १३५
रसानु ५, १३३
राग ३, ४९
वक्तुं स ७, १७८
वक्तुमु ८, २७०
वक्त्रादि २, १९
वक्त्रा यद ७, १६७

वक्रो ७, १६६
वर्णपद ७, १७६
वर्णानां ७, १७१
वर्णाः ६, १४०
वस्तुद्व ८, २४४
वस्तुनि ८, २१४
वस्तुपरो ८, २५३
वस्तुवि ८, २७३
वस्तुस्व ६, १६०
वस्त्वन्तर ८, २०५
वस्त्वलं ३, ७५
वाक्येऽपि ५, ९९
वाक्योप ८, २०३
वाचको २, ९
वाच्यताव ८, २४९
वाच्यव्य ३, २३
वाच्याधि १, ६
वाच्येऽपि ५, ९९
विकटत्वञ्च ६, १५१
विघ्यनु ५, १२४
विना प्रसि ८, २७७
विभावाद्यै ३, ४०
विरुद्ध ध ८, २६५
विरुद्धमति ५, ९८
विवक्षित ५, ११२
विशेषो ८, २३७
विरुद्धार्थ ५, ११३
विशेष्य ८, २२१
विस्पष्टं क्रिय ७, १६८
विस्पष्टं सम ८, २६२
विस्मय ३, ४२
विषाद ३, ६३
वीरे बीभत्स ६, १३८
वीरो ३, ३४
व्यङ्ग्यं ३, २२
व्यज्य ३, २४
व्याजो ८, १९८
व्यापार २, १०
व्याप्नो ६, १३९
व्रीडा ५, ९२
शब्दा ३, ७२
शृङ्गार ३, २९
शोक ३, ४१
श्रुतमात्रे ६, १४६
श्लेषनि ५, १२७
श्लेषश्चाथ ८, १९३
संसृष्टि ८, २०१
सङ्करे ३, ७६
सन्दिग्ध ४, ७७
सन्ध्यभाव ५, १०४
सन्निवेश ७, १८९
समाधिश्च ८, १९९
सम्भवन्त्या ८, २८०
सम्भो ३, ३०
सर्वत्र ३, २७
सा कल्पिता ८, २०७
साधारण ८, २२९
साभिप्रायैः ८, २५४
सामान्यवि ८, २३९
सारूप्यं ७, १८६
सालङ्कार ५, ८२
सा स्याद् ८, २०६
सिद्धचति ७, १८४
सुख ३, ६०
स्तम्भश्चे ३, ४७
स्तम्भः स्वे ३, ४६
स्त्री पुन्न ७, १८२
स्नेह ३, ३५
स्फुटमर्था ७, १८८
स्मृतिर्वि ३, ५१
स्मृति : ३, ५४
स्वभावोक्ति ८, १९६
हतवृत्तत्वं ५, १०५
हर्षाद् ३, ४८
हर्षामर्षाव ३, ५२
हीनत्वमधि ८, २८५
हेत्वभिधान ८, २४८

सङ्ख्याविरहितकारिकाणामनुक्रमणिका

अत्रालुप्त पृष्ठ २४६
अदोषं ६
अदोषी ८
अनुभा ८७
अनौचित्या ३१५
अभिव्यक्त ३०७
अहेतु १२३; १३०
आश्रयैक्ये २८२
इदम २०५
इष्ट १३३
उत्कर्षो २८८
उक्ति वि १६३
करुण प्रे ३३३
कर्णा ३०१
कान्ते २१७
काव्यं ४
कीटा १२
केचिद ३५७
गुणस्फु ३५५
गुणानां ३५६
चिरं १०३
जादि ६४
तत्सा २३५
तदति ३३०
दृष्ट्वा ३७३
दोषे १३३
न यत्र १३६
नान्ध्री १७८
पदार्थे ३५१
पश्य ६४
पूर्वार्थं २३२
प्रसिद्धे ३१२
प्रौढा ५२६
फलव्या १००
भिन्न १८५
मञ्जी २७३
यत्राति ४५०
यदि ३३०
यदोप ४२७
यन्न ३५२
यस्मिन् ४७४
युवतेरिव ३३०
रसो ६३
वस्तुप्र ४६३
विरुद्धैः १०३
विशिष्टा ६४
व्यक्तः ३०७
व्यभिचा ३०६
शृङ्गारी ६४
श्लथ ३३४
श्लाघ्यै ३३६
संवीतस्य ३०४
सम्य १२४
सुप्तिङ् ३५५
सैषा सर्व २१
सैषा सर्व ५४३
स्वादः ६२
हेतुमता ५०३

साहित्यसुधासिन्धावुदाहृतश्लोकानुक्रमणिका

अंशुकानि ३, ३८
अकलित ५, १८१
अक्लिष्ट १, ७
अखण्ड ८, ३५३
अङ्कम ८, ३६८
अङ्ग ८, ३९१
अचूचु ५, १२७
अच्छिन्न १, २
अजनि १, ८
अत्युच्च ८, ३२७
अथ नय ६, २३९
अथ स ६, २१८
अद्यापि ता ५, १२८
अद्यापि स्त ५, १७५
अद्यापि स्म ५, १८५
अधिक ५, १६५
अनयो ६, २२९
अनाकूतं ८, ३७३
अनात ८, ३८३
अनिशं ८, ३३१
अनेन कस्या ३, ८०
अनेन यूना ८, ४०२
अनेन सर्वा ८, ३८२
अन्यास्ता ५, १६१
अन्योन्या ३, ३६
अपकर्ता ३, ५९
अपाङ्ग ८, ४२७
अपि दिव २, ११
अभिनव ८, २९३
अभिसारि ८, ३६४
अमन्दसु ६, २११
अमन्दसु ७, २५०
अमृतम ६, २३३
अम्बरम ५, १७६
अयं पद्म ५, १३७
अयं स ७, २७२
अयमुद २, ९
अये राम ५, १९६
अर्वाग ३, ८५
अलमल ३, १०१
अवश्य ४, ११६
अविदग्ध ८, ३३०
अविदित ५, २०७
असंशयं ३, ७८
असकल ६, २१६
असज्ज ७, २६६
अस्तं ८, ३७८
अस्पृश ८, ३६०
अस्मिश्च ८, २८५
अस्य ते ६, २४१
अहो विशा ८, ४२४
आगत्य ४, १२०
आज्ञा ५, १९२
आदाय ८, ३८१
आदौ ८, ४४९
आद्यन्त ८, २९९
आधाय ६, २३५
आनन्द ८, ४२३
आनीतैव ३, ५८
आनीतैव ३,६६
आन्दोलिका ५, २०४

आपृच्छस्व १, १
आमूल ८, ३२८
आययु ५, २००
आयाता ३, २४
आयाता ३, ११२
आर्योऽसि ७, २७४
आश्व ६, २४५
आस्तां ३, ७६
इति विर ३, १०६
इति स्ख ३, ६७
इदं क ८, ३०६
इदम ५, १६४
इदानीं ८, २६४
इन्दी ८, २६५
इह हि ७, २७१
उच्छृङ्खल ८, ३२३
उत्कट ७, २५४
उत्कर्णो ८, ३७२
उत्तरङ्ग ७, २५७
उत्तिष्ठ ५, १३५
उत्पक्ष्म ३, ७०
उत्फुल्लकमला ८, ४४२
उत्फुल्ल स्थ ८, ३२६
उदेति ६, २३२
उद्गर्भ ८, २६२
उद्दाम ५, १६६
उप प्राका ८, ३३४
उभौ यदि ८, २६०
उर्व्यसा ५, १५६
एतत्किं ८, ३१०
एतस्याश्च २, १६
एभिः ३, ४०
एवं वादि ३, ८३
एवमन्ये ६, २४७
एष क्षुब्ना ५, १७८
एहि ८, ४३६
कण्ठस्य ८, ०६
कदली ३, १७
कथं ३, ६१
कपाल ७, २६७
कमलमि ८, २८१
कमलाक्षे ८, ३२३
कर्त्ता ८, ४०१
कलक्व ६, २२७
कल्या ५, १३०
कल्लोल ५, १६१
कविराज ७, २६१
कश्चित् ३, ७७
काचित् ७, २७७
कान्तार्थि ६, २४०
कान्ते कनक ८, ४१४
कान्ते तल्प ३, ८४
कान्तेन ३, २७
कामं ६, २३८
काम्या ७, २७८
कार्या ७, २५१
काले ८, ३२१
किं चन्द्रस्य ८, ४३५
किञ्चिद् ३, १००
किं छत्रं ८, ३६६
किं पद्मस्य २, १३
किं लोभेन ५, १४८
किं वृत्तान्तै ८, ३८६
किं स्वर्गा ८, ४१२
किमसुख ८, ४०६
किमिन्दु ८, ३११
किसलयकरै ८, ३१७
किसलयमिव ३, ६६
कीर्तिस्ते ८, ३१६
कुर्वन्ना ८, ३६६
कृतमनु ५, १६२
कृत्वा ३, ६४
कृष्ण त्वं ३, ४३
कृष्णराज ५, १६८
कृष्णोनाद्य ३, ५१
केनासीनः ८, ३२६
कैलासः ३, ११३
कौटिल्यं ८, ४०७
क्लीबो ८, ३६४
क्व सूर्यं ८, ३२४

क्षुद्राः ३, ४६
क्षोणी ३, ८१
खण ३, ११४
गगनं ८, २८८
गतं तिर ८, ३०८
गम्यताम ८, ४११
गर्वग्रन्थि ३, ३९
गाङ्ग ८, ४४४
गायन्ति ८, ३००
गुर्वादि ३, २४
गुर्व्यंसा ५, १५७
गृहिणी ३, ३४
गृहिणी ८, ४४१
ग्रथ्नामि ८, ४५९
घनसम ८, ३०६
घूर्णत्पाट ८, १०५
चकास्ति ८, ४६०
चकास्त्यङ्ग ७, २८०
चकितहरि ८, २९७
चञ्चद्भुज ६, २२८
चण्डांशु २, १०
चण्डाले ८, ४५१
चन्दन ८, ३६३
चन्द्रायते ८, ३०३
चरण ६, २२३
जगति ५, १८६
जननी ७, २७५
जनम ८, ३४०
जरामर ३, १०३
ज्वलनि ८, ३५२
जागा २, १४
जातो ३, ३७
ज्ञाति ३, ९३
छांया जा ५, १८०
छाया वि ५, १६३
टङ्क ८, ३९०
तं वीक्ष्य ३, ६०
तथेति ३, ३२
तन्नास्ति ७, २६५
तन्नेत्रा ३, ७२
तन्मध्यं ३, ५३
तन्वी ५, १५४
तमाल ५, १८४
तरलं ८, ३५६
तव कण्ठा ५, १५२
तव भवने ८, ४३३
तस्मै ३, ८८
तस्यां ५, १७४
तादृश २, १५
तान्यक्ष ८, ३३५
तारुण्यो ३, २०
तीर्था ५, १३२
तीव्राभि ३, ७१
ते कौपी ७, २६८
त्यज ५, २०२
त्वं तु ८, ३७४
त्वत्तः ८, ३७५
त्वत्प्रसा ७, ३७३
त्वमग्रतः ५, २०८
त्वयि दृष्ट ८, ३४५
त्वयि निब ५, १७२
दर्भाङ्कु ६, २३१
दिवम ८, ४३८
दिविषद् ५, १६०
दिल्लीशो ३, ८२
दिशि ६, २१७
दुर्गं ८, ३९२
दुर्वारा १, ६
दूति १, ३
दूना ७, २७९
दृशा ८, ४४५
देवी ८, ३४२
देशे ८, ३८५
दोला ५, १९८
द्राघी ८, ३१२
द्विधा ८, ३०७
द्विर ८, ४५६
धनुर्ज्या ५, १९७
धन्या केयं ६, २३०
धन्यानां ३, ५७

धन्यास्ते ३, १८
धवलो ८, ४४३
धीरो ५, १५५
धृतायु ३, ७९
धौते ५, १४७
न काव्य ८, २८३
न तद् ८, ४३१
न नमयि ३, १०४
ननु ३, १९
नन्वा ८, ३९७
न पक्ष ५, १४४; ८,३६७
नभ ८, ३०२
नमन्नू ६, २२५
नयनानन्द ८, ४५०
नयनान्य ४, ११७
नवयौवन ८, ३४८
नवयौवने ८, ४१६
न साधनो ५, १४०
न स्यन्द ६, २२१
नाथे ५, १७९
नानावि ७, २६४
नानीता ८, ३५७
नाशिष्य: ३, ३०
नास्मा ३, ५४
निजनय ६, २४७
नितम्ब ७, २५९
नित्य ५,०२०६
निद्रा ८, ३४९
निम्न ८, ४३२
निरर्थं ८, ३८०
निर्वाण ५, १४२
निर्वीयँ ३, ८९
निशात्य ८, ३५९
निशा श ८, ४१८
निस्त्रिं ३, ३३
नि:श्वासेन ३, २९
नि:श्वासेषु ३, ९८
नीलेन्दी ५, १५३
नीलोत्प ७, २७०
नैतच्चि ८, ३५१
न्यक्कार: १, ५
न्यञ्चद् ३, २५
पतिश्व ६, २४३
पत्रा ४, १२२
पद्म ८, ३०५
पम्पा ७, २५५
परिणत ६, २१५
परिमृदि ८, २८४
पश्चात् ८, ३३९
पश्या ८, ४५८
पश्योद ८, ३७१
पातक ८, ३८७
पाताल ८, ४५५
पातुं ३, ५६
पायं ३, ४१
पि पि ३, ६६
पुनरपि ३, ७५
प्रजा ५, १२९
प्रतिकू ८, ३६१
प्रहरक ३, १०७
प्रहरवि ४, १२६
प्राक् ६, २१२
प्राणेश्व ५, २०१
प्रातः ३, ३२२
प्रिये ८, ३६२
प्रेमप ३, २१
प्रेयांसो ६, २४४
प्रौढि ८, ३५५
बबन्ध ८,३७६
ब्रह्माण्ड ५, १६७
ब्राह्मणा ४, १२४
भक्ति ७, २७०
भभ ३, ६४
भवद् यशो ८, ४३७
भाति ८, २८९
भास्वद् २, १२
भूमि ५, २५६
भूष्यन्ते ८, ३४६
भैरव ५, १७३
भोजन ८, ४१५

मंञ्जु ५, १४१
मत्तेभ ३, १०६
मथ्नामि ४, १२५
मध्यगत ५, १४७
मनोहारिणी ८, ३८४
मन्त्रान् ३, ५२
मन्थायस्त ६, २१३
मन्थायस्त ७, २५२
मय्येव ३, ५०
मल्लिका ८, ४२८
मसृण ५, १७०
महीभृतः ५, १९०
मा गर्वं ३, ६८
मानम् ८, ४१७
माने ३, ४४
मा पुन ६, २२६
मुक्ता ५, २०१
मुखमा ८, २८९
मुग्धा ८, ४३४
मूर्च्छा जा ३, ४८
मूर्धनामु ५, १४९
मृणालि ८, ३०४
मृदु ६, २३६
मृधे ८, २८६
मृषा ३, ६९
यज्वेव ७, २५८
यतिनः ५, १५८
यत्रानु ५, १८७
यत्रैव ३, १०८
यथायं ५, १३१
यदि त्रिलो ८, ३३६
यदि दह ८, ३४३
यद्वेव तनु ६, २४२
यस्य कि ८, ४२६
यस्य त्व ३, ५५
यस्याः ३, ४९३
यान्त्या ६, २३७
युगा ८, ४२५
ये पूर्वं ८, ३७०
योऽपि ८, ४०९
योऽसौ ८, ४०३
योग्यो ५, १७७
यः श्रीख ६, २१८
रक्तस्त्वं ८, ४४७
रङ्गे ५, २१०
रजनि ७, २७३
रत ५, १५०
रहः ६, २१९
राकाया ८, ३३७
राजन् जहा ८, ३८९
राजन् विभा ५, १५७
राज्यं नि ३, ८६
राज्यं व ३, ३१
रूपं यौ ८, ४१०
रूपाम् ८, ३१६
रोलम्बो १, ४
रोलम्बो ४, १२१
रोषात् ८, ३८८
लग्नं रागा ५, १९४
लङ्का ३, ९५
लतामूले ८. ३३३
ललित ६, २१४
ललित ७, २५३
लाक्षा ३, ८७
लीला ५. १९९
लोकं ८, ३४४
लोकसु ८, ४०४
लोचने ७, २९९
वक्त्रस्य ८, ४१३
वक्त्रा ५, १८८
वक्षोज ५, ९०
वक्षः स्थ ५, १९९
वचन ८, ४००
वने ८, ४२९
वसु ७, २७६
वहति ७, २६२
वह्नि ५, १३६; ८, ४५२
वागर्था ८, २९८
वाता ५, १९५
वामां ५, १७१

वाष्प ३, ७०
वाष्पः ८, ३४७
वास ६, २२२
विघ्न ५, १३८
विद्रा ३, ११०
विधाया ३, ७४
विनये ८, ४०८
विन्य ३, २३
विपुलं २, १५
विमुञ्चा ५, १८३
विशन्तु ८, ४५४
वृद्धोऽन्धः ३, ९२
वैखानसैः ६, २२४
वैवस्वतो ६, २२०
शक्ति ५, १८२
शनिर ३, १११
शरदि ८, ३२२
शल्य ७, २४९
शशिमण्डलमिव वद ८, २८२
शशिमण्डलमिव वि ८, २८७
शशि ८, ३९५
शातकुम्भ ८, ३७९
शिरसि ८, ४५६
शिरीषा ८, ४२०
शिलसि ५, २०५
शूली ४, ११९
शृङ्गारी ५, २०९
शोकात् ५, २०३
श्यामचा ८, ३१४
श्यामलते ८, ३०१
श्यामां ५, १८९
श्रीरेषा ३, ६२
श्रीहर्षो ८, ३९३
श्रुतेन ५, १९३
श्लाघ्या ८, ३२५
सकलङ्केन ८, ३५४
सखे ७, २४८
सङ्ग्रामा ८, ३५०
सद्यो ६, २४६
सद्यः ८, ४३३
सन्तुष्टे ८, ३५८
सन्नारी ८, ४४८
सपदि क्र ७, २६३
सपदि प ५, १४६
सपदि मु ३, १९
समभे ८, ३४१
स महा ५, १४३
समान ३, २६
सं मुनि ८, ४५३
सर्वत्र ४, ११८
सर्वेषां ५, १४५
सलिलं ८, ४३०
सह्य दि ८, ३७७
सहस्रगो ५, १३३
सह भृत्य ५, १३४
साधारणो ३, ४५
सानुज्ञ ८, ३९९
सान्त्व २, २८
सा बाढं ३, ६३
सा रथ्या ३, ७३
सा रस ६, २३४
सा व सह्य ८, ४३९
सि सीधु ३, ६५
सिंहिका ८, ४२१
सीमन्ते ५, १३९
सुखमि ८, ३१६
सुधाकर ५, १५१
सुमहद् ८, ४१९
सुवृत्त ८, २९१
सैन्यानि ८, ४५७
स्खलयति ३, १०२
स्थाने ३, ४२
स्थितमु ३, ९७
स्निग्ध ३, ११५
स्फारे ८, ३६८
स्फुट ८, ३२०
स्फुरद ८, ४४०
स्मरशबर ८, ३१८
स्मरः खरः ५, १५६
स्वप्नेऽपि ८, २९६

हंहो ८, ३३२
हरस्तु ३, ४७
हरस्तु ४, १२३
हिन्दो ८, ३१५
हिमव्य ३, ६१
हृदय ८, ३३८
हृदया ३, ३५
हृदयेन ८, ३६५
हृष्यत् ७, २६०

सङ्ख्याविरहितश्लोकानुक्रमणिका

पृष्ठ
अविरल ५०४
अस्त ३४०
आयुर्घृतम् ५०४
उदेति २७६
एकान्ते ६४
ऐन्द्रं ४६५
काले ३६१
कृत ४७१
केयमव ३४७
जनयति ४६४
पृष्ठ
ततः प्रतस्थे ४०३
तव गणया ४६४
तस्याश्चेन् ४६५
तीर्थे १३८
निहता ४६७
भम धम्मि ५६
मातङ्गा ३३५
यदि ३२८
वनेचराणां ४६७
सा भूधरा ४०४

आकरग्रन्थानुक्रमणिका

लक्षणग्रन्थाः	कारिका	साहित्यसुधा-सिन्धुपृष्ठाङ्कः
काव्यप्रकाशः	काव्यं यशसे १,२	४
काव्यादर्शः	श्लेषः प्रसादः १,४१	३३१
काव्यालङ्कारः (भामहकृतः)	सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः	२१
काव्यालङ्कारः (रुद्रटकृतः)	आयुर्घृतम् ७,८३	५०४
काव्यालङ्कारसूत्र	पश्चादिव ३,२५	३३७
दशरूपकम्	तत्त्वज्ञानाप ४,६	१३१
ध्वन्यालोकः	अनौचित्याद् ३,१४	३१५
नाट्यशास्त्रम् (भरतकृतम्)	बह्वोऽर्थाः ७,४	८६
सरस्वतीकण्ठाभरणम्	अदोषं गुणवत् १,२	६
साहित्यदर्पणः	यूनोरेकतरस्मिन् ३,१०६	११२
लक्ष्यग्रन्थाः	**श्लोकः**	
अभिज्ञानशाकुन्तलम्	अक्लिष्टबाल ६,२०	२८
अमरुकशतकम्	प्रहरविरतौ १२	१८६
उत्तररामचरितम्	किसलयमिव ३,५	१५७
कर्पूरमञ्जरी	उत्तिविसेसो (प्रस्तावना)	१९३
कुमारसम्भवम्	अथ सा पुनरेव ४,४	३०६
गाथासप्तशती	भम धम्मिअ २,७५	६
नलचम्पूः	एकान्ते सेवते २,१८	६४
नैषधीयचरितम्	यदि त्रिलोकी ३,४०	४४८
मृच्छकटिकम्	शिलशि ८,१२	३०२
रघुवंशः	वागर्थाविव १,१	४१६
रत्नावली	अलमलम ३,१७	१५८
वासवदत्ता	सारसवत्ता (मङ्गलाचरणम्)	३४८
वेणीसंहारम्	सहभृत्यगणम् २,५	२०७
शिशुपालवधम्	उभौ यदि ३,८	४१२
हनुमन्नाटकम्	मूर्ध्नामुद्वृत्त (अङ्क८)	२२६

नामानुक्रमणिका

अज:	१३७	धारासुरम्	५४८
अनन्तदेव:	५४८	भरत:	८७
इन्दुमती	१३७	महिमभट्ट:	२९
गुर्जराधीश:	१३७	मुक्तिपुरी	५४८
गोदावरी	५४८	वामन:	३०१
गौडेन्द्र:	१४८	विक्रम:	२१५
चण्डीदास:	१३	विश्वनाथ:	५४८
त्रिमलदेव:	५४८	वीरभानु:	१५५
दिल्लीश:	१४८		

ABOUT THE BOOK

Sāhityasudhāsindhu of Ācārya Viśvanāthadeva

Sāhityasudhāsindhu, a notable work on Indian Poetics was written by a South Indian scholar Viśvanāthadeva at Vārāṇasī in 1592 A.D. Just like Mammaṭa who in his Kāvyaprakāśa has incorporated and presented in a systematic way the views of all his predecessors, this writer also presents before us a complete scheme of Sanskrit Poetics incorporating the ideas of all thinkers in this field upto the end of the 16th century A.D. His keen insight into the theories propounded by his predecessors, his lucid style of explaining and discussing them, his brevity of exposition bringing scattered and vast material into a definite focus and his own creative ability have made his work so important that he can claim to stand in the line of great pioneers of Sanskrit Poetics.

As this book has not been published as yet and is found only in a manuscript form, it could not attract the attention of scholars, though all aspects of Indian Poetics are dealt with in it. As such, this critical edition and Hindi translation of the valuable work is going to bring into light an intelligent and meritorious poetician who unfortunately has remained unnoticed upto now.